उत्तर प्रदेश 2021



उत्तर प्रदेश-2021

(वर्ष 2020-2021 के तथ्यों पर आधारित)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ.प्र.
लखनऊ

उत्तर प्रदेश, 2021

ISBN : 978-81-954050-1-5

प्रकाशक एवं स्वात्वाधिकारी :

शिशिर
निदेशक-सूचना

प्रस्तुति एवं परिकल्पना :

अंशुमान राम त्रिपाठी
अपर निदेशक-सूचना

सम्पादकीय मार्गदर्शन एवं सहयोग :
विनोद कुमार पाण्डेय- संयुक्त निदेशक, सूचना
हेमंत कुमार सिंह - संयुक्त निदेशक, सूचना
रजनीकान्त वर्मा, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,सूचना
कुमकुम शर्मा - उप निदेशक, सूचना
अंजुम नकवी- उप निदेशक, सूचना
ललित मोहन श्रीवास्तव -उप निदेशक, सूचना
सतीश भारती - सहायक निदेशक, सूचना
चन्द्र विजय वर्मा- सूचना अधिकारी/प्रभारी वार्षिकी उ0प्र0, सूचना

विशेष सहयोग :
शिव राम सिंह - शोध अधिकारी, सूचना
राजेश कुमार - कनिष्ठ सहायक, सूचना
सुधीर कुमार निगम (गैर सरकारी सदस्य)

संस्करण : 2021
मूल्य : रू. 325/-
प्रकाशक : भारत बुक सेन्टर
17, अशोक मार्ग, लखनऊ फोन : (0522) 4041222
सर्वाधिकार : सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
मुद्रक : ए पी पी प्रेस, लखनऊ

प्राक्कथन

संदर्भ ग्रन्थ 'वार्षिकी उत्तर प्रदेश' शृंखला की अगली कड़ी के रूप में वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश–2021'** के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन पर अत्यन्त प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। यह संदर्भ ग्रन्थ उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। बुद्धिजीवियों, प्रतियोगी छात्र–छात्राओं, शोधकर्ताओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों के लिए वार्षिकी अपनी संदर्भीय उपयोगिता तथा प्रासंगिकता सिद्ध कर चुकी है।

वार्षिकी में वित्तीय वर्ष 2020–2021 के प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा नीतियों की जानकारियों के अतिरिक्त प्रदेश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्री का समावेश किया गया है। प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित प्रमाणिक आंकड़ों के साथ–साथ जनपदों की प्रमाणिक जानकारियों एवं राष्ट्रीय महत्त्व की संदर्भ सूचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य व इन्द्रधनुषी साझी संस्कृति देश–विदेश में आकर्षण का केंद्र रही है।

'उत्तर प्रदेश–2021' के माध्यम से प्रदेश की गौरवपूर्ण विरासत से परिचित कराने का सार्थक प्रयास किया गया है, साथ ही बहुआयामी, बहुरंगी और विविधताओं वाले इस विराट प्रदेश को देखने और जानने की कोशिश की है। इस स्थायी महत्त्व के प्रकाशन के माध्यम से हम शासन और जनता के बीच सेतु की अपनी भूमिका को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, साहित्यकारों, संगीतज्ञों एवं कलाकारों, खिलाड़ियों, पद्म पुरस्कारों, परमवीर चक्र, अशोक चक्र एवं महावीर चक्र से सम्मानित विभूतियों के अतिरिक्त प्रदेश के पर्यटन एवं विकास सम्बन्धी चित्रों और ग्राफों के माध्यम से इसे और अधिक सारगर्भित एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। इस अंक में उत्तर प्रदेश जिन क्षेत्रों में देश में अग्रणी है, उसका भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, सूचना डॉ0 नवनीत सहगल तथा प्रमुख सचिव, सूचना श्री संजय प्रसाद जी के हम हृदय से आभारी हैं जिनके कुशल मार्गदर्शन से इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ का प्रकाशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सका।

मुझे पूरा विश्वास है कि वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश–2021'** शोधकर्ताओं, प्रतियोगी छात्र–छात्राओं, पत्रकारों एवं विषय विशेषज्ञों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रमाणिक जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगा। इसके सम्पादन एवं प्रकाशन कार्य में सम्पादक एवं सम्पादक मण्डल द्वारा पर्याप्त सजगता एवं सावधानी बरतने का हर सम्भव प्रयास किया गया है, फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो सुधी पाठकों के सहयोग से उसे भविष्य में परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा। आशा है कि पुस्तक की विषय वस्तु एवं इसमें संग्रहीत सूचनाएं ज्ञानवर्धक होंगी।

(शिशिर)
सूचना निदेशक

आभार

सन्दर्भ ग्रन्थ **वार्षिकी उ0प्र0–2021** का सम्पादन एक वृहद, जटिल, श्रमसाध्य एवं पूर्णकालिक कार्य है, जिसका प्रारंभ नये वित्तीय वर्ष के साथ हो जाता है। जुलाई 2021 में बजट सामग्री उपलब्ध होने के बाद उसका अनुशीलन एवं सम्पादन **निदेशक/अपर निदेशक** महोदय के मार्गदर्शन में विभाग के संयुक्त निदेशक सूचना **श्री विनोद कुमार पाण्डेय** एवं **श्री हेमंत कुमार सिंह** के द्वारा संपन्न हुआ है। संक्षिप्तीकरण/संपादन कार्य में उपनिदेशक, **श्रीमती कुमकुम शर्मा** एवं विभागीय दृष्टिकोण के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार **श्री प्रद्युम्न तिवारी** (पूर्व राज्य ब्यूरो प्रमुख, अमर उजाला), **श्री रतिभान त्रिपाठी**, राज्य ब्यूरो चीफ, देश बन्धु, **श्री सुरेन्द अग्निहोत्री**, ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर, **डॉ. सुधीर कुमार निगम**, सेवानिवृत्त अर्थ एवं संख्या अधिकारी एवं **श्री रवि मोहन त्रिवेदी**, पूर्व मुख्य उपसंपादक, राष्ट्रीय स्वरुप, ने श्रमसाध्य सहयोग करते हुए इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के रूपायन में अपना अमूल्य योगदान किया है।

इस पुस्तक के प्रकाशन में सम्पादकीय सहयोग देने के लिए सम्पादक मण्डल के सदस्य एवं सामग्री संकलन में सहयोग के लिए सूचना ब्यूरो के अधिकारियों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है तथा सूचना ब्यूरो के समस्त अधिकारीगण प्रकाशन की सफलता में भागीदार हैं। इसके अलावा संदर्भ शाखा के मेरे समस्त सहयोगियों ने भी मुझे भरपूर सहयोग किया है। इसके लिए मैं सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हूँ।

चन्द्र विजय वर्मा
सूचना अधिकारी/प्रभारी वार्षिकी उ0प्र0

प्रकाशकीय

यह हमारे लिए प्रसन्नता एवं गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित प्रकाशन वार्षिकी **"उत्तर प्रदेश– 2021"** को प्रकाशित करने का अवसर हमें 18वीं बार दिया गया। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग का यह सन्दर्भ ग्रन्थ, सन्दर्भीय उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रकाशन हो गया है। हम **सूचना निदेशक श्री शिशिर जी** के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुस्तक को प्रकाशित करने के लिये हमें उपयुक्त पात्र समझा।

इस संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें दिया है, हम उसके लिए सरकार के पुनः हृदय से आभारी हैं। उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियाँ न रहने पायें इसके लिए विशेष प्रयास किया गया है। सन्दर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में तमाम सावधानियों के बावजूद मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है, अतः उन्हें बहुत महत्त्व न देकर संदर्भ ग्रन्थ की विषयवस्तु, उसका उद्देश्य, उसकी उपयोगिता एवं उसके संयोजन को महत्त्व देना ही समीचीन होगा।

वीरेन्द्र बाहरी
प्रकाशक

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश बजट– 2021-2022		(xi-xxii)
उत्तर प्रदेश : एक नजर में		(xxiii-xxiv)
जिलों का क्षेत्रफल : जनसंख्या और मुख्यालय		(xxv-xxvi)
●	**प्रथम खण्ड : सामान्य**	
1.	उत्तर प्रदेश परिचय (भौगोलिक, प्राकृतिक एवं जनगणना)	1-8
2.	इतिहास	9-50
3.	संवैधानिक प्रणाली	51-56
4.	उ0प्र0 नवनिर्मित दर्शनीय स्थल एवं विभूतियाँ	57-102
5.	प्रदेश के जनपदवार दर्शनीय स्थल	103-120
6.	हिन्दी साहित्य और उर्दू अदब	121-131
7.	हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता	132-154
8.	सांस्कृतिक विरासत	155-181
9.	उत्तर प्रदेश और सिनेमा	182-187
10.	दर्शनीय स्थल एवं मेले	188-207
11.	अर्थ व्यवस्था/आर्थिक समीक्षा	208-250
12.	सामाजिक स्थिति	251-258
●	**द्वितीय खण्ड : वित्त एवं नियोजन**	
13.	नियोजन	259-270
14.	वित्त	271-288
●	**तृतीय खण्ड : कराधान**	
15.	राजस्व	289-299
16.	आबकारी	300-307
17.	संस्थागत वित्त	308-311
18.	वाणिज्य कर/मनोरंजन कर	312-314
19.	स्टाम्प एवं निबन्धन	315-321
●	**चतुर्थ खण्ड : कृषि एवं ग्राम्य विकास**	
20.	कृषि	322-337
21.	ग्राम्य विकास	338-347
22.	पंचायती राज	348-353
23.	जल शक्ति (सिंचाई एवं जल संसाधन)	354-366
24.	पशुधन	367-374
25.	दुग्ध विकास	375-380
26.	मत्स्य विकास	381-386
27.	सहकारिता	387-393
28.	नमामी गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	394-401
29.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	402-409

30.	परती भूमि विकास	410-414
31.	ग्रामीण अभियंत्रण	415-416
●	**पंचम खण्ड : सार्वजनिक सेवाएँ**	
32.	बेसिक शिक्षा	417-431
33.	माध्यमिक शिक्षा	432-438
34.	उच्च शिक्षा	439-448
35.	प्राविधिक शिक्षा	449-455
36.	चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	456-458
37.	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	459-464
38.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	465-470
39.	आयुष	471-477
40.	परिवार कल्याण	478-488
41.	नगर विकास	489-493
42.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	494-496
43.	जल सम्पूर्ति	497-508
44.	आवास एवं शहरी नियोजन	509-522
45.	खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप	523-530
46.	उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	531-533
●	**षष्ट खण्ड : लोक कल्याण**	
47.	समाज कल्याण	534-544
48.	अनुसूचित जनजाति विकास	545-555
49.	महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार	556-561
50.	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़	562-565
51.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	566-574
52.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण	575-581
53.	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	582-584
54.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनीतिक पेंशन	585-587
55.	श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन	588-601
56.	खेल	602-609
57.	प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण	610-614
58.	उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय	615
●	**सप्तम खण्ड : अवस्थापना विकास**	
59.	लोक निर्माण	616-625
60.	राज्य सम्पत्ति	626-627
61.	ऊर्जा	628-632
62.	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	633-640
63.	राज्य सड़क परिवहन	641-652
64.	नागरिक उड्डयन	653-654

●	**अष्टम खण्ड : औद्योगिक विकास**	
65.	औद्योगिक विकास	655-667
66.	सूक्ष्म, लघु उद्योग एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन	668-677
67.	सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	678-679
68.	भूतत्व एवं खनिकर्म	680-686
69.	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	687-693
70.	खादी एवं ग्रामोद्योग	694-706
71.	रेशम विकास	707-714
72.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	715-718
73.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	719-723
74.	पर्यटन	724-728
75.	पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन	729-743
76.	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	744-748
77.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स	749-765
78.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	766-772
●	**नवम खण्ड : लोक प्रशासन**	
79.	कानून एवं व्यवस्था	773-783
80.	कारागार प्रशासन एवं सुधार	784-795
81.	न्याय प्रशासन	796-801
82.	लोक आयुक्त	802-803
83.	लोक सेवा प्रबन्धन	804
84.	सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार	805-810
85.	होमगार्ड्स	811-812
86.	सचिवालय प्रशासन	813-814
87.	नियुक्ति एवं कार्मिक	815
88	अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ	816-817
89.	विधायी विभाग	818
●	**दशम खण्ड : विविध**	
90.	संस्कृति	819-828
91.	राष्ट्रीय एकीकरण	829-830
92.	भाषा	831-843
93.	सूचना एवं प्रचार	844-866
94.	उ.प्र. नागरिक सुरक्षा संगठन	867-870
95.	धमार्थ कार्य	871-872
96.	भारत सरकार के संस्थान, संगठन एवं कार्यालय	873
●	**एकादश खण्ड : जनपद एक नजर में**	
97	उत्तर प्रदेश के जनपद : एक नजर में	874-908
●	**द्वादश खण्ड : परिशिष्ट**	
98.	भारत के राष्ट्रपति	909
99.	भारत के उपराष्ट्रपति	910

100.	भारत के प्रधानमंत्री	911
101.	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	912
102.	उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री	913-914
103.	उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष	915
104.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति	916
105.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	917-918
106.	उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य	919
107.	उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय	920-922
108.	उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त	923
109.	उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव	924-925
110.	भारत के मुख्य न्यायाधीश	926-927
111.	भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त	928
112.	संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष	929
113.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश	930
114.	राज्य निर्वाचन आयुक्त	931
115.	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त	931
116.	उ.प्र. के समस्त निगम/आयोगों के अध्यक्ष	932
117.	कमाण्डर इन चीफ/चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना)	933-935
118.	केन्द्रीय मंत्रिमण्डल	936-938
119.	उत्तर प्रदेश से लोक सभा के सदस्य	939
120.	उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य	940
121.	उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल	941-942
122.	उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य	943-947
123.	उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के सदस्य	948-949
124.	भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति	950-951
125.	नोबेल पुरस्कार विजेता (भारतीय)	952-954
126.	प्रमुख राष्ट्रीय पर्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस	955
127.	उ.प्र. विधानसभा की स्थायी समितियाँ	956
128	उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2020 में सम्मानित हिन्दी साहित्यकार एवं विद्वान	957
129.	ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत उत्तर प्रदेश के रचनाकार	958
130.	यशभारती सम्मान	958-964
131.	उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित वेबसाइट्स	965-967



देश में अग्रणी...

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तीव्र क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश में सर्वाधिक 7.02 करोड़ खाते खोले गए।
- श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर्स, रिक्शाचालकों, कुलियों व पल्लेदारों को भरण-पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य।
- देश में सर्वाधिक 29.55करोड़ लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन।
- देश में सबसे अधिक एम.एस.आई. इकाइयां।
- पांच वर्षों में 1.55 लाख करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान।
- गन्ना एवं चीनी उत्पादन में देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) में 43 लाख से अधिक आवास निर्मित/स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
- गेहूँ, गन्ना, आलू, हरी मटर, दुग्ध, आम एवं आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय (इज्जतघर) निर्माण में प्रथम स्थान।
- उज्ज्वला योजना के तहत 1.69 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर देश में प्रथम।
- सौभाग्य योजना में रिकार्ड विद्युत संयोजन के लिए उत्तर प्रदेश पुरस्कृत।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में प्रथम स्थान।
- जनधन योजना लागू करने में प्रथम स्थान।
- 10 राज्यों में लागू ई-प्रासीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में प्रदेश का प्रथम स्थान।
- डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों को अनुदान के भुगतान में प्रथम स्थान।
- बी.एल.सी. घटक आवास निर्माण में प्रथम स्थान।
- अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम।
- उत्तर प्रदेश द्वारा लागू डिजिटल भूमि प्रबन्धन को स्वर्ण पुरस्कार।
- सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए 01 करोड़ रु. का प्रोत्साहन पुरस्कार।
- सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए 02 करोड़ रु. का कृषि कर्मण पुरस्कार।

- एक जिला-एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) योजना को मिली राष्ट्रीय पहचान।
- सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में पूरे देश में अग्रणी।
- सर्वाधिक 126.10 करोड़ ली. एथनॉल की वार्षिक उत्पादन व आपूर्ति क्षमता।
- मातृ मृत्यु दर में 30 प्रतिशत रिकार्ड गिरावट लाने के लिए एम.एम.आर. अवॉर्ड।
- मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य।
- सड़क व हवाई कनेक्टीविटी में सर्वश्रेष्ठ।
- ईज आफ डूइंग बिजनेस में रैकिंग में देश में दूसरा स्थान।
- 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण' में सर्वाधिक जन भागीदारी के लिये पुरस्कार।
- औद्योगीकरण के लिये भूमि उपलब्धता व आवंटन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल।
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 में राष्ट्रीय स्तर पर 14 निकाय सम्मानित।
- सर्वश्रेष्ठ प्राफिट मेकिंग एस.टी.यू. के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार।
- स्टार्टअप रैकिंग के तहत एस्पायरिंग लीडर के रूप में पुरस्कार।
- एक दिन में सर्वाधिक 25 करोड़ पौधारोपण का बनाया विश्व रिकार्ड।
- वृक्षारोपण महाकुम्भ में 39.42 करोड़ पौधों का रोपण। प्रयागराज में निश्चित अवधि में 76824 निःशुल्क पौध वितरण कर 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' में नाम दर्ज।
- उत्तर प्रदेश की 'द मिलियन फार्मर्स स्कूल' योजना को अभिनव प्रयाग मानते हुए इण्टरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन द्वारा अन्य देशों में लागू करने की अनुशंसा।
- ई-चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना।
- माइक्रो एण्ड स्मॉल इण्टरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउन्सिल का पुरस्कार।
- गणतन्त्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार।
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को 05 राष्ट्रीय पुरस्कार।
- पोषण माह में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोशल मीडिया कैटेगरी में सर्वोच्च पुरस्कार।
- आंगनबाड़ी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 12 कार्यकर्त्रियाँ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित।
- ई-मार्केट प्लेस 'जेम' (GeM) पोर्टल में जेम टॉप बायर पुरस्कार।
- कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य।
- ई-प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान एवं 'बेस्ट परफार्मिंग स्टेट' पुरस्कार।
- ई-टेण्डरिंग प्रणाली के शत-प्रतिशत कार्योन्वयन हेतु पुरस्कार।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में सर्वाधिक लोगों का बीमा कराने का रिकार्ड।
- अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में 6,06,569 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।
- शीरे का उत्पादन विगत 15 वर्षों में सर्वाधिक।
- राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2022 में उ०प्र० को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार।

●

उत्तर प्रदेश बजट

वित्तीय वर्ष **2021-22** के बजट के मुख्य बिन्दु

- प्रस्तुत बजट का आकार 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये (5,50,270.78 करोड़ रुपये)।
- बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये (27,598.40 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित।

किसान

- किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जायेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित।

महिलाओं का उत्थान

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का निर्णय, जिसके अन्तर्गत 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

युवाओं के लिये

- "मुख्यमंत्री अभ्युदय" योजना के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे।
- संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये जाने की योजना प्रस्तावित।

- युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना हेतु 8.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- जनपद मेरठ में नये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कार्पस फण्ड में 5 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
- युवा अधिवक्ताओं के लिये पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

श्रमिक कल्याण

- विभिन्न प्रदेशों से वापस आये प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्धा कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना "मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना" लाई जा रही है। इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारम्भ। इस हेतु 12 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारम्भ। इस हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिये 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5395 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- आयुष्मान भारत योजना के लिये 1300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिये 320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिये डायग्नॉस्टिक बुनियादी ढाँचा सृजित किये जाने हेतु 1073 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों हेतु 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये 54 करोड़ रुपये तथा प्रदेश के 12 मण्डलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

चिकित्सा शिक्षा

- प्रदेश में 13 जनपदों- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराये जाने हेतु 48 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिये 23 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मीरजापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई, 2021 से शिक्षण सत्र प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य। इस हेतु 960 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- अमेठी एवं बलरामपुर में नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- मा0 अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एण्ड इन्फेक्शंस डिजीजेज के अन्तर्गत बायो सेफ्टी लेवल-4 लैब की स्थापना का लक्ष्य।
- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में उन्नत मधुमेह केन्द्र की स्थापना कराये जाने का निर्णय।
- आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में 02 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत को सुदृढ़ करने एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये जाने का लक्ष्य।

स्वच्छता

- जल जीवन मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक सभी घरों में पेयजल कनेक्शन हेतु 15,000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 से शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जायेगी। इस योजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना हेतु 22 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हेतु 1400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये का प्रावधान।

औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना

- पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिये 1492 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

लोक निर्माण

- वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4135 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित ।
- ग्रामों एवं बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 695 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपये तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ0प्र0 मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं हेतु 210 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

सिंचाई एवं जल संसाधन

- वर्ष 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य।
- मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपये, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 27 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

नागरिक उड्डयन

- जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय। इस परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा

- बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुए प्रोब के माध्यम से बिलिंग।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण।
- वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुये मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित

विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 8262 मेगावॉट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनायें पूर्णता प्रक्रिया में हैं, जिनका वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य आरम्भ होना प्रस्तावित।

आवास

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य।
- अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।
- लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 478 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कोरिडॉर के निर्माण हेतु 1326 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वाराणसी-गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

नगर विकास

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्न्तगत इस योजना हेतु 10029 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अमृत कार्यक्रम योजना के अर्न्तगत 2200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के दस शहर- लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित। योजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- स्मार्ट सिटी योजना अर्न्तगत चयनित दस नगर निगमों के उपरान्त शेष नगर निगमों- मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय। वर्ष 2021-2022 के बजट में 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा-पशु आश्रय योजना हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- शहीदों की स्मृति में पार्क/प्रदर्शनी स्थल/सभागार के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

नियोजन

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 2500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ग्राम्य विकास

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 7000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन का लक्ष्य। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5548 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के बैच-1 के अन्तर्गत 5000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

पंचायती राज

- प्रत्येक न्याय पंचायत में 02 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता सम्वर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढाँचे के निर्माण हेतु 653 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- गाँवों में ई-गवर्नेंस के विस्तार हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

कृषि

- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित।
- वर्ष 2020-2021 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित।
- वर्ष 2021-2022 में 62 लाख 50 हजार कुन्तल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

- पिपराइच चीनी मिल से 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता की आसवनी स्थापित की जा रही है जो दिसम्बर, 2021 में शुरू होना सम्भावित है। आसवनी में सीधे गन्ने के रस से एथनॉल बनाने की सुविधा होगी। पिपराइच मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल।
- निगम क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर-मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 3500 टी.सी.डी. की गई जिसे 5000 टी.सी.डी. तक बढ़ाने का लक्ष्य। इससे लगभग 1,00,000 किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

- कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का निर्णय, जिसमें से 17 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ। शेष 03 कृषि विज्ञान केन्द्रों को भूमि हस्तान्तरित/संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

पशुपालन

- नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति के तहत पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुधन बीमा के साथ-साथ नवीन पशुचिकित्सालयों का निर्माण तथा गौ-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ अस्थायी गो-आश्रय स्थल स्थापित करने का लक्ष्य।
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका-मुँहपका रोग से मुक्त कराये जाने का लक्ष्य।

मत्स्य

- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 300 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन/मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित।
- 02 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में नयी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना हेतु 243 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

सहकारिता

- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

- प्रदेश में एक जनपद-एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पी0पी0पी0 मोड में औद्योगिक पार्क/आस्थान/क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय। इस हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिये 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के

लाभर्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

- माटीकला की परम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित/संवर्धित करने हेतु बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य।
- पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

- यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य।
- लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पी0पी0पी0 मॉडल पर "अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स" का निर्माण प्रस्तावित।

बेसिक शिक्षा

- कक्षा 01 से 08 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- सभी बच्चों को जूता-मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के छात्र/छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव।
- वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

माध्यमिक शिक्षा

- सैनिक स्कूल मैनपुरी, झाँसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में 04 नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किये जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराये जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

उच्च शिक्षा

- प्रदेश के असेवित मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जायेगी।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था।

संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

- चौरी-चौरा काण्ड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये तथा शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।
- प्रदेश में ख्यातिलब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, को "उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान" प्रदान किये जाने का निर्णय। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 05 व्यक्तियों को सम्मानित किया जायेगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जायेगी।

पर्यटन

- अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। इसके अतिरिक्त विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

वन एवं पर्यावरण

- वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य।
- वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित।
- राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।

समाज कल्याण

- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना हेतु 1375 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

अल्पसंख्यक कल्याण

- अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्स प्लान के लिये 588 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिये 479 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव

दिव्यांगजन कल्याण

- दिव्यांगजन पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग 10 लाख 87 हजार पात्र दिव्यांगजन को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने हेतु 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- कुष्ठ दिव्यांगजनों को पुनर्वासित करने एवं उनका जीवन बेहतर बनाने हेतु 39 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- दिव्यांगजन दम्पत्ति के बच्चों के पालन-पोषण के लिये पालनहार योजना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराये जाने हेतु विद्यालय भवन के अवशेष कार्यों हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

न्याय

- जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय।
- जनपदों में न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के लिये आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिये नये भवनों के निर्माण कार्य हेतु 150 करोड़ रुपये तथा इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

परिवहन

- बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को पी0पी0पी0 पद्धति पर विकास किया जाना प्रस्तावित।

राजस्व

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 04 हजार 385 करोड़ रुपये (1,04,385 करोड़ रुपये) निर्धारित।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 41 हजार 500 करोड़ रुपये (41,500 करोड़ रुपये) निर्धारित।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 25 हजार 500 करोड़ रुपये (25,500 करोड़ रुपये) निर्धारित।

वाहन कर

- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 09 हजार 350 करोड़ रुपये (9,350 करोड़ रुपये) निर्धारित।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान **2021-2022**

- प्रस्तुत बजट का आकार 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये (5,50,181.78 करोड़ रुपये)।
- बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये (27,598.40 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित।

प्राप्तियाँ

- कुल प्राप्तियाँ 05 लाख 06 हजार 181 करोड़ 84 लाख रुपये (5,06,484.84 करोड़ रुपये) अनुमानित।
- कुल प्राप्तियों में 04 लाख 18 हजार 340 करोड़ 44 लाख रुपये (4,18,340.44 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 87 हजार 841 करोड़ 40 लाख रुपये (87,841.40 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 03 लाख 05 हजार 740 करोड़ 30 लाख रुपये (3,05,740.30 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 01 लाख 86 हजार

345 करोड़ रुपये (1,86,345 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 19 हजार 395 करोड़ 30 लाख रुपये (1,19,395.30 करोड़ रुपये) सम्मिलित।

व्यय

- कुल व्यय 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये (5,50,270.78 करोड़ रुपये) अनुमानित।
- कुल व्यय में 03 लाख 95 हजार 130 करोड़ 35 लाख रुपये (3,95,130.35 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 01 लाख 55 हजार 140 करोड़ 43 लाख रुपये (1,55,140.43 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 44 हजार 88 करोड़ 94 लाख रुपये (44,088.94 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 05 हजार 500 करोड़ रुपये (5,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 37 हजार 988 करोड़ 94 लाख रुपये (37,988.94 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 14 हजार 33 करोड़ 12 लाख रुपये (14,033.12 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 23 हजार 955 करोड़ 82 लाख रुपये (23,955.82 करोड़ रुपये) ऋणात्मक रहना अनुमानित।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 23 हजार 210 करोड़ 09 लाख रुपये (23,210.09 करोड़ रुपये) अनुमानित।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 90 हजार 729 करोड़ 80 लाख रुपये (90,729.80 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17 प्रतिशत।
- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1 प्रतिशत अनुमानित।

●

उत्तर प्रदेश : एक नजर में

भौगोलिक विशेषताएँ

क्षेत्रफल	- 2,40,928 वर्ग किमी.
प्रमुख नदियाँ	- गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती (अचिरावती), गोमती, घाघरा (सरयू), बेतवा और केन
राजधानी	- लखनऊ
सीमावर्ती प्रदेश/देश	- उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार और नेपाल

मौसम

ग्रीष्म	वर्षा	शीत
मार्च से जून तक	मध्य जून से सितम्बर तक	अक्टूबर से फरवरी तक

प्रमुख फसलें- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूँग, अरहर, चना, गन्ना आदि।

प्रमुख फल- आम, अमरूद।

प्रमुख खनिज- चूना, पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैन्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, बाक्साइट तथा राक फास्फेट

प्रमुख उद्योग- सीमेन्ट, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूड़ी व काँच उद्योग, चीनी, जूट एवं कालीन।

प्रमुख हस्तशिल्प- चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क तथा पीतल का काम।

प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल- पिपरहवा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ (वाराणसी), कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झाँसी, मेरठ आदि।

प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल- काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, शक्तिपीठ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर, देवीपाटन, देवाशरीफ, हस्तिनापुर, चित्रकूट, शाहजहाँपुर- "हनुमतधाम" आदि।

प्रमुख लोकगीत- बिरहा, चैती, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भर्तृहरि।

प्रमुख लोकनृत्य- चरकुला, करमा, पंडव, पाईडण्डा, थारू, धोबिया, राई और शैरा आदि।

जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)

सकल जनसंख्या	-	199812341
जनसंख्या का घनत्व	-	829 प्रति वर्ग किमी.
महिलाएँ	-	95331,831
पुरुष		- 104480510
स्त्री-पुरुष अनुपात	-	912:1000
ग्रामीण	-	15.53 करोड़
नगरीय	-	4.45 करोड़
दशकीय वृद्धि	-	20.23 प्रतिशत

*प्रशासनिक इकाइयाँ

मण्डल	(2019-20)	18
जनपद	-	75
तहसील	-	351
नगर एवं नगर समूह	-	915
सामुदायिक विकास खण्ड	-	825
न्याय पंचायतें	-	8,135
ग्राम पंचायत	-	59,073
आबाद ग्राम		97,814
कुल ग्राम		106774
नगर पंचायत	(2019-20)	437
नगर निगम	(2019-20)	17
नगर पालिका परिषद	(2019-20)	196

साक्षरता (2011)

सकल	67.7%
पुरुष	77.3%
स्त्री	57.2%
ग्रामीण	65.5%
नगरीय	75.1%

कर्मकर कुल कर्मकारों में प्रतिशत (2011)

कृषक	29.0%
कृषि श्रमिक	30.3%
पारिवारिक उद्योग धन्धों में लगे कर्मकर	5.9%
अन्य कार्यों में लगे कर्मकर	34.8%

राज्य आय (2019-20)

कुल आय [प्रचलित भावों पर] - 1495758 करोड़ रुपये।

प्रति व्यक्ति आय [प्रचलित भावों पर] - 65704 रुपये।

औद्योगिक स्रोतानुसार राज्य आय का प्रतिशत अंश [2011-12 के स्थायी भावों पर]

प्राथमिक खण्ड	24.1%
माध्यमिक खण्ड	27.0%
तृतीयक खण्ड [त्वरित अनुमान]	48.9%

वानिकी

वनों के प्रकार : तराई के नम क्षेत्र वाले वन, विन्ध्य के शुष्क जलवायु के वन, बीहड़ व भाभर वन सामाजिक तथा पंचायती वन

वन्य जीव विहार (2019-20)	26
राष्ट्रीय उद्यान (2019-20)	1
प्राणि उद्यान (2019-20)	4
कुल वृक्षावरण एवं वनावरण	22148 वर्ग किमी

प्रमुख वन्य जीव : बाघ, जंगली हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, सुइस (डाल्फिन), घड़ियाल, अजगर एवं 650 प्रजातियों के पक्षी।

कृषि

शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (2016-17) 16,564 हजार हेक्टेयर
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल(2017-18) 16,542 हजार हेक्टेयर
कुल बोया गया क्षेत्रफल (2016-17) 26,949 हजार हेक्टेयर
कुल बोया गया क्षेत्रफल(2017-18) 26,864 हजार हेक्टेयर

उत्पादन (हजार मी0 टन)

खाद्यान्न	(2018-19)*	60415
दालें	,,	2408
तिलहन	,,	1331
गन्ना	,,	179698
आलू	,,	17057

सिंचाई

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (2017-18)	14,332	हजार हेक्टेयर
सकल सिंचित क्षेत्रफल (2017-18)	21596	हजार हेक्टेयर
कुल सृजित सिंचन क्षमता (2019-20)*	371	लाख हेक्टेयर
सिंचन क्षमता कुल उपयोग (2019-20)*	290	लाख हेक्टेयर

विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण

(क) नहर (2017-18)	15.2%
(ख) नलकूप (2017-18)	74.9%
(ग) तालाब, झील, पोखर आदि	0.5%
(घ) अन्य (2017-18)	0.7%

परिवहन एवं संचार

लोक निर्माण विभाग द्वारा संकृत पक्की सड़कें (2019-20)		254895 किमी0
कुल पंजीकृत मोटर गाड़ियाँ (2019-20)		34924824
# राजकीय बसें	(2019-20)	11965
कार्यरत टेलीफोन	(2019-20)	414600
डाकघर	(2019-20)	17670
दूरदर्शन केन्द्र		3
आकाशवाणी केन्द्र		13

#अनुबन्धित बसें भी सम्मिलित हैं

शिक्षा (2019-20)

प्राथमिक विद्यालय	138185
उच्च प्राथमिक विद्यालय	83859
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	27959
महाविद्यालय	7391
विश्वविद्यालय	45
पालीटेक्निक	166
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	305
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज	12
निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज	222
मेडिकल कालेज	22
कृषि विश्वविद्यालय	3

*नर्सिंग/फार्मेसी/आयुर्वेदिक/होम्यो/यूनानी कालेज सम्मिलित नहीं हैं।

सहकारिता (2019-20)

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ	7,479
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	50
उ. प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक (शाखाएँ)	323

संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ तथा बैंकिंग

संयुक्त स्कन्ध कम्पनी (2019-20)

(क) कार्यरत कम्पनी कुल	79869
(ख) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक शाखाएँ	17539

उद्योग (2019-20)

31 मार्च को उद्योग निदेशालय में निबन्धित औद्योगिक इकाइयों की संख्या	162300
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2019-20) (2011-12=100)	118.00 प्रतिशत
इच्छा पत्र की संख्या (2019-20) जारी किये गये	अप्राप्त

विद्युत (2019-20)

अधिष्ठापित क्षमता	5999 मेगावाट
उत्पादन	2620 करोड़ कि.वा./घंटा
प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	401 कि.वा./घंटा
विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (2019-20)	97814
राजस्व वसूली दक्षता	90 प्रतिशत

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

# जन्मदर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2018)	25.6 प्रति हजार
मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2018)	6.6 प्रति हजार
एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2019-20)	5113
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय (2019-20)	2360
होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2019-20)	1,576

परिवार कल्याण (2019-20)

अनुवर्रीकरण (हजार) पुरूष	5.79
(हजार) महिला	298.18
लूप निवेशन (हजार)	1010.29

जनप्रतिनिधि

उत्तर प्रदेश से लोक सभा सदस्य	80
उत्तर प्रदेश से राज्य सभा सदस्य	31
उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्य	404
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य	100

स्रोत : नियोजन विभाग (उ.प्र.)
*अनन्तिम

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

(2011 की जनगणना के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	मुख्यालय
1.	आगरा	4,041	44,18,797	आगरा
2.	अलीगढ़	3,650	36,73,889	अलीगढ़
3.	प्रयागराज	5,482	59,54,391	प्रयागराज
4.	आजमगढ़	4,054	46,13,913	आजमगढ़
5.	बहराइच	5,237	34,87,731	बहराइच
6.	बलिया	2,981	32,39,774	बलिया
7.	बांदा	4,408	17,99,410	बांदा
8.	बाराबंकी	4,402	32,60,699	बाराबंकी
9.	बरेली	4,120	44,48,359	बरेली
10.	बस्ती	2,688	24,64,464	बस्ती
11.	बिजनौर	4,561	36,82,713	बिजनौर
12.	बदायूँ	4,234	31,27,621	बदायूँ
13.	बुलंदशहर	4,512	34,99,171	बुलंदशहर
14.	देवरिया	2,540	31,00,946	देवरिया
15.	एटा	2,431	17,74,480	एटा
16.	इटावा	2,311	15,81,810	इटावा
17.	अयोध्या	2,341	24,70,996	अयोध्या
18.	अम्बेडकरनगर	2,350	23,97,888	अकबरपुर
19.	फतेहपुर	4,152	26,32,733	फतेहपुर
20.	फर्रुखाबाद	2,181	18,85,204	फतेहगढ़
21.	गाजियाबाद	910	33,43,334	गाजियाबाद
22.	गौतमबुद्ध नगर	1,282	16,48,115	नोएडा
23.	गाजीपुर	3,377	36,20,268	गाजीपुर
24.	गोंडा	4,003	34,33,919	गोंडा
25.	गोरखपुर	3,321	44,40,895	गोरखपुर
26.	हमीरपुर	4,021	11,04,285	हमीरपुर
27.	हरदोई	5,986	40,92,845	हरदोई
28.	जालौन	4,565	16,89,974	उरई
29.	जौनपुर	4,038	44,94,204	जौनपुर
30.	झांसी	5,024	19,98,603	झांसी
31.	कानपुर देहात	3,021	17,96,184	अकबरपुर माती
32.	कानपुर (नगर)	3,155	45,81,268	कानपुर
33.	लखीमपुर खीरी	7,680	40,21,243	खीरी
34.	ललितपुर	5,039	12,21,592	ललितपुर
35.	लखनऊ	2,528	45,89,838	लखनऊ
36.	मैनपुरी	2,760	18,68,529	मैनपुरी
37.	मथुरा	3,340	25,47,184	मथुरा
38.	मेरठ	2,559	34,43,689	मेरठ

39.	मिर्जापुर	4,405	24,96,970	मिर्जापुर
40.	मुरादाबाद	2,271	31,26,507	मुरादाबाद
41.	मुज़फ्फरनगर	2,796	28,29,865	मुजफ्फरनगर
42.	पीलीभीत	3,686	20,31,007	पीलीभीत
43.	प्रतापगढ़	3,717	32,09,141	प्रतापगढ़
44.	रायबरेली	4,043	29,03,507	रायबरेली
45.	रामपुर	2,367	23,35,819	रामपुर
46.	अमरोहा	2,249	18,40,221	अमरोहा
47.	सहारनपुर	3,689	34,66,382	सहारनपुर
48.	शाहजहांपुर	4,388	30,06,538	शाहजहांपुर
49.	सीतापुर	5,743	44,83,992	सीतापुर
50.	उन्नाव	4,558	31,08,367	उन्नाव
51.	सुल्तानपुर	2,673	24,31,491	सुल्तानपुर
52.	वाराणसी	1,535	36,76,841	वाराणसी
53.	मऊ	1,713	22,05,968	मऊ
54.	सिद्धार्थनगर	2,895	25,59,297	नवगढ़
55.	फिरोजाबाद	2,407	24,98,156	फिरोजाबाद
56.	सोनभद्र	6,905	18,62,559	राबर्ट्सगंज
57.	महाराजगंज	2,952	26,84,703	महाराजगंज
58.	संत रविदास नगर	1,015	15,78,213	भदोही
59.	महोबा	3,144	8,75,958	महोबा
60.	हाथरस	1,840	15,64,708	हाथरस
61.	कौशांबी	1,779	15,99,596	मंझनपुर
62.	कुशीनगर	2,905	35,64,544	पडरौना
63.	चंदौली	2,541	19,52,756	चंदौली
64.	बलरामपुर	3,349	21,48,665	बलरामपुर
65.	श्रावस्ती	1,640	11,17,361	श्रावस्ती
66.	चित्रकूट	3,216	9,91,730	चित्रकूट
67.	बागपत	1,321	13,03,048	बागपत
68.	कन्नौज	2,093	16,56,616	कन्नौज
69.	औरैय्या	2,016	13,79,545	औरैय्या
70.	संत कबीर नगर	1,646	17,15,183	खलीलाबाद
71.	कासगंज	1,955	14,36,719	कांशीराम नगर
72.	अमेठी	2,329	18,67,678	गौरीगंज
73.	शामली	1,212	13,13,647	शामली
74.	हापुड़	660	13,38,311	हापुड़
75.	संभल	2,453	21,99,774	सम्भल
		2,40,928	**19,98,12,341**	

स्रोतः सांख्यिकीय डायरी उ.प्र. 2018

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के महत्वपूर्ण प्रकाशन

क्र.	पुस्तक का नाम	लेखक	मूल्य
1.	उर्दू हिन्दी शब्दकोश	मु.मु. मद्दाह	353=00
2.	हिन्दू धर्म कोश	डॉ. राजबली पाण्डेय	320=00
3.	भारतीय ज्योतिष	अनु. शिवनाथ झारखण्डी	300=00
4.	भारतीय ज्योतिष का इतिहास	डॉ. गोरख प्रसाद	70=00
5.	महाकवि खुसरो	अनु. अब्दुल सत्तार	100=00
6.	कबीर	डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी	40=00
7.	रहीम	डॉ. भालचन्द्र तिवारी	135=00
8.	गोस्वामी तुलसीदास	डॉ. रामचन्द्र तिवारी	50=00
9.	संत रविदास	वीरेन्द्र पाण्डेय	45=00
10.	गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की लोकप्रिय कहानियाँ	अनु. माधवी बन्धोपाध्याय	115=00
11.	लक्ष्मीकांत वर्मा	डॉ. राजकुमार शर्मा	140=00
12.	विजय सिंह 'पथिक'	राजकुमार भाटी	77=00
13.	रमई काका	डॉ. रामबहादुर सिंह	85=00
14.	सुदामा पाण्डेय धूमिल'	डॉ. रमेश प्रताप सिंह	155=00
15.	मीराबाई	डॉ. सुधाकर अदीब	100=00
16.	जगदीश गुप्त	डॉ. हरिशंकर मिश्र	140=00
17.	ट्रामा उपचार बचाव एवं प्रबन्धन	डॉ. विनोद जैन	90=00
18.	नाथपंथ : साधना और साहित्य	प्र.स. डॉ. सदानन्दप्रसाद गप्त	376=00
19.	त्रिलोचन शास्त्री	डॉ. भारतेन्दु मिश्र	105=00
20.	घाघ और भड्डारी की कहावतें	डॉ. रमेश प्रताप सिंह	60=00
21.	हिन्दी में पटकथा लेखन	डॉ. जाकिर अली 'रजनीश'	150=00
22.	दृश्यकला कोश	डॉ. ह्रदय गुप्त	185=00
23.	भारतीय शैक्षिक विचारक	डॉ. रश्मि श्रीवास्तव	245=00
24.	प्राकृतिक चिकित्सा	डॉ. पी.डी. मिश्र एवं डॉ. बीना मिश्र	180=00
25.	ऑस्टियोपोरोसिस	प्रो. अजय सिंह	65=00
26.	भगवती प्रसाद सिंह : जीवन और साहित्य	डॉ. कृष्णचन्द्र लाल	180=00
27.	खर्राटे हैं खतरनाक	डॉ. सूर्यकान्त/डॉ. अभिषेक दुबे	82=00
28.	प्रेरक लघु कथाएँ	डॉ. ए.के अग्रवाल	165=00
29.	बालगीत साहित्य : इतिहास एवं समीक्षा	निरंकार देव सेवक	245=00
30.	और हमने कर दिखाया	प्रेमेन्द्र श्रीवास्तव	60=00
31.	स्वतंत्र दिल्ली	डॉ. सैयद अतहर अब्बास रिजवी	165=00
32.	मानव शरीर की अस्थियाँ	डॉ. विपिन चतुर्वेदी	310=00
33.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	डॉ. शीतला प्रसाद वर्मा	130=00
34.	निराला समग्र	डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित	90=00
35.	रामचन्द्र शुक्ल	सम्पा. डॉ. सत्यदेव मिश्र	90=00
36.	राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विवेदी	डॉ. राष्ट्रबन्धु	40=00
37.	बाबा नागार्जुन	डॉ. सुरेश चन्द्र गुप्त	72=00
38.	राष्ट्रकवि दिनकर	डॉ. यतीन्द्र तिवारी	65=00
39.	चंदवरदाई	डॉ. सुमन राजे	50=00
40.	पालि त्रिपिटक में राजनय	डॉ. शिवनन्दन मिश्र	120=00
41.	आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी	डॉ. रामेन्द्र पाण्डेय	50=00
42.	महादेवी वर्मा	डॉ. उपेन्द्र	70=00
43.	पाश्चात्य दर्शन	डॉ. ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल	100=00
44.	चार्वाक दर्शन	आचार्य अनन्द झा	150=00
45.	भारतीय दर्शन	उमेश मिश्र	190=00
46.	पश्चिमी दर्शन	डॉ. दीवान चन्द्र	75=00
47.	समकालीन भारतीय दर्शन	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	200=00
48.	कांट का दर्शन	डॉ. सभाजीत मिश्र	120=00
49.	नीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	96=00
50.	भारतीय दर्शन	डॉ. देवराज	120=00
51.	समकालीन पाश्चात्य दर्शन	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	130=00
52.	अवधी वृहत लोकोक्ति कोश	कमला शुक्ला	300=00

क्र.	पुस्तक का नाम	लेखक	मूल्य
53.	भारतीय इतिहास कोश	सच्चिदानन्द भट्टाचार्य एवं के.वी माथुर तथा डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय	170=00
54.	भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी कवियों का योगदान	सम्पा. डॉ. मंजुलता तिवारी	196=00
55.	उर्दू भाषा और साहित्य	रघुपति सहाय 'फिराक'	60=00
56.	संस्कृत आलोचना	पं. बलदेव उपाध्याय	200=00
57.	प्रसाद समग्र	डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित	75=00
58.	समाज कार्य	प्रो. राजाराम शास्त्री	150=00
59.	सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य	डॉ. पी.डी. मिश्र	150=00
60.	समाज कार्य एक समग्र दृष्टि	डॉ. बालेश्वर पाण्डेय	470=00
61.	भारत का समाजशास्त्र	प्रो. जयकान्त तिवारी	120=00
62.	असामान्य व्यवहार	डॉ. पी.डी. मिश्र	235=00
63.	समाज कार्य के क्षेत्र	गिरीश कुमार	210=00
64.	बाल व्यवहार व्यतिक्रम	डॉ. श्याम बिहारी सिंह	50=00
65.	समाज और राजनीति का दार्शनिक अध्ययन	डॉ. ज्ञान्नजेय द्विवेदी	215=00
66.	भारतीय वास्तुकला का इतिहास	कृष्णदत्त बाजपेई	195=00
67.	उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	200=00
68.	विश्व इतिहास	डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी	75=00
69.	पश्चिमी एशिया	डॉ. के.के. कौल	170=00
70.	देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक	भगवती प्रसाद पांथरी	120=00
71.	भारत का सांस्कृतिक इतिहास	डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय	80=00
72.	प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	72=00
73.	डॉ. रामकुमार वर्मा रचनावली (आठ खण्डों में)	सम्पा. डॉ. राजलक्ष्मी वर्मा	3000=00
74.	अवधी कोश	सम्पा. डॉ. सरयू प्रसाद अग्रवाल एवं डॉ. भगवती प्रसाद सिंह	370=00
75.	प्राचीन भारतीय अभिलेख	डॉ. दिनेश चन्द्रा	110=00
76.	दक्षिण भारतीय संस्कृति	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	165=00
77.	आधुनिक भारत का इतिहास	डॉ. जगन्नाथ मिश्र	145 =00
78.	सिंधु सभ्यता	डॉ. के.के. थपल्याल	200=00
79	विद्यानिवास मिश्र : परम्परा, लोक एवं संस्कृति	डॉ. प्रभाकर मिश्र	140=00
80	डॉ0 विष्णुकान्त शास्त्री	डॉ0 प्रेमशंकर तिवारी	170=00
81	गुजराती काव्य सम्पदा	अनु0 क्रान्ति कनाटे	170=00
82	उपाध्याय चौधरी बदरीनारायण 'प्रेमधन'	डॉ0 राजीव रंजन उपाध्याय	125=00
83	आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय	डॉ0 कन्हैया सिंह	120=00
84	जगदीश गुप्त	डॉ0 हरिशंकर मिश्र	140=00

'साहित्य भारती' (त्रैमासिक पत्रिका)	प्रति अंक मूल्य रु. 25=00
	वार्षिक सदस्यता शुक्ल रु. 100=00
	आजीवन सदस्यता शुक्ल रु. 3000=00
'बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी' (द्वैमासिक पत्रिका)	प्रति अंक मूल्य रु. 15=00
	वार्षिक सदस्यता शुक्ल रु. 80=00
	आजीवन सदस्यता शुक्ल रु. 1,000=00

कृपया संस्थान के अधिक से अधिक प्रकाशन क्रय करके राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।

सम्पर्क सूत्र :– निदेशक

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

6–महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ–226001

दूरभाष नं.–0522–2614470, 2614471

ई–मेल : directoruphindi@yahoo.in वेबसाइट : www.uphindisansthan.in



उत्तर–प्रदेश –संस्कृत–संस्थानम्

(भाषा विभाग उ.प्र. शासन के नियंत्रणाधीन 31 दिसम्बर 1976 को स्थापित)
कक्ष सं. 811, आठवां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ–226001
फोन कार्या. –(0522) 4315157, 4024591
वेबसाइटः www.upsanskritsansthanam.org
ई–मेलः upsanskritsansthanam@yahoo.com

संस्कृत के उन्नयन हेतु प्रदेश में संचालित योजनाएँ

- निःशुल्क ऑनलाईन सरल संस्कृत संभाषण सीखने हेतु न0–9522340003 पर **मिस्ड कॉल द्वारा पंज्जीकरण।**
- सरल संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण हेतु **संस्कृत संवादशाला** (पञ्चदश दिवसीय आवास एवं भोजन व्यवस्था के साथ)।
- प्रत्येक ब्लॉक में छोटे बच्चों में संस्कृत एवं संस्कृति के प्रति अभिरुचि जागरण हेतु **चुन्नू–मुन्नू संस्कारशाला** एवं सामान्यजन में संस्कृत अनुराग प्रदीप्त करने हेतु **संस्कृत दीपालय** का संचालन।
- संस्कृत विषय लेकर IAS आदि प्रशासनिक सेवा/प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु सघन अनुशिक्षण (Couching)।
- **संस्कृत विद्यालयों के आधुनिकीकरण**/विकास हेतु पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर अनुदान, संस्कृत विषयक ई–अध्ययन सामग्री निर्माण, संस्कृत शिक्षकों एवं छात्रों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं **मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति।**
- SCERT/संस्कृत वि.वि. के संयुक्त तत्त्वावधान में **शिक्षकों का प्रगत/पुनश्चर्च्या/अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम।**
- योग शिक्षा पर बल देने हेतु समस्त जनपदों में **योग केन्द्र की स्थापना।**
- सभी जनपदों में **पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविरों का संचालन** एवं सभी मण्डलों में **ज्योतिष प्रशिक्षण शिविरों का संचालन।**
- **संस्कृत रंगमंच** का प्रायोगिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन। •बीसवीं शती की उत्तरप्रदेशीय **विद्वत् परम्परा का शोध–सर्वेक्षण।**
- **कवि सम्मेलन,शोध गोष्ठी,व्याख्यान, कार्यशाला, छात्र प्रतिस्पर्धा, शास्त्रार्थ एवं ग्रन्थ प्रकाशन के लिए अनुदान।**
- **वार्षिक उत्सवों के अन्तर्गत** आादिशंकराचार्य, बुद्ध, कालिदास, वाल्मीकि, धनवन्तरी, गीता जयन्तियों, व्यास समारोह, गुरु पूर्णिमा (सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम) एवं संस्कृत दिवस/सप्ताह **समारोहों का भव्य आयोजन।**
- विद्यार्थियों में संस्कृत ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न **शास्त्रीय/आधुनिक स्पर्धाओं का आयोजन।**
- **संस्कृत वागम्य का बृहद इतिहास, दुर्लभग्रन्थ, साहित्यिक पुस्तकें, संस्कृत पत्रिकाएँ, बालसाहित्य उपलब्ध** (विक्रय हेतु)।

साहित्य सृजन के क्षेत्र में विद्वानों को सम्मान

- **विश्वभारती पुरस्कार** (1). रु. पाँच लाख एक हजार
- **महार्षि वाल्मीकि पुरस्कार** (1). रु. दो लाख एक हजार
- **महार्षि व्यास पुरस्कार** (1). रु. दो लाख एक हजार
- **महार्षि नारद पुरस्कार** (1). रु. एक लाख एक हजार
- **विशिष्ट पुरस्कार** (5).रु. एक लाख एक हजार (प्रत्येक)
- **वेद पण्डित पुरस्कार** (10). रु. इक्यावन हजार(प्रत्येक)
- **नामित पुरस्कार** (5).रु. इक्यावन हजार (प्रत्येक)
- **विशेष पुरस्कार** (6).रु. इक्कीस हजार(प्रत्येक)
- **विविध पुरस्कार** (20).रु. ग्यारह हजार (प्रत्येक)

اتر پردیش اردو اکادمی کی اسکیمیں

اردو طلبا کو وظائف ☆ اشاعت کتب ☆ صوبے کے رجسٹرڈ عوامی کتب خانوں/دارالمطالعوں کو مالی امداد ☆ اردو ادباء کو مجموعی ادبی خدمات اور اردو کتب پر انعامات ☆ مسودات کی طباعت کے لئے مالی امداد ☆ مصنفین کو ماہانہ مالی امداد ☆ اردو کتابت اسکول ☆ اردو کو چنگ سینٹر ☆ اردو کمپیوٹر سینٹر ☆ اردو کی مطبوعات کی فروخت ☆ سہ ماہی ''اکادمی'' اور ماہنامہ ''خبرنامہ'' کی اشاعت ☆ سیمینار/سمپوزیم اور مشاعروں کا انعقاد ☆ اقلیتی طلباء کو سول سروسز کی کوچنگ کے لئے اردو آئی-اے-ایس اسٹڈی سینٹر واقع 'پارہ' موہان روڈ، لکھنؤ ☆ بچوں کا رسالہ ''باغیچہ'' کی اشاعت، اردو ماس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا سینٹر، واقع وبھوتی کھنڈ، گومتی نگر، لکھنؤ ☆☆☆

اتر پردیش اردو اکادمی کی اہم مطبوعات

نمبر شمار	کتاب کا نام	مصنف کا نام	قیمت	نمبر شمار	کتاب کا نام	مصنف کا نام	قیمت
۱-	ساغر خیامی	ناشر نقوی	215/=	۲۱-	تنقیدی نظریات (دوم)	سید احتشام حسین	52/=
۲-	مظہر امام	امام اعظم	208/=	۲۲-	توبۃ النصوح	ڈپٹی نذیر احمد	92/=
۳-	انتظار شاسی	ڈاکٹر اسلم جمشید پوری	270=	۲۳-	گاندھی جی اور زبان کا مسئلہ	عشرت علی صدیقی	107/=
۴-	پیغام آفاقی	خان محمد آصف	224/=	۲۴-	ابن الوقت	ڈپٹی نذیر احمد	126/=
۵-	سالک لکھنوی	پروفیسر مظفر حنفی	216/=	۲۵-	بادشاہ نصیر الدین حیدر	مرزا وجاہت حسین	42/=
۶-	متین طارق باغپتی	ڈاکٹر ذکی طارق	216/=	۲۶-	مقالات یوم نگم	اتر پردیش اردو اکادمی	5/=
۷-	پروفیسر قمر رئیس	پروفیسر توقیر احمد خاں	245/=	۲۷-	ناٹک ساگر	نور الٰہی و محمد عمر	163/=
۸-	ڈاکٹر اسعد بدایونی	حبیب سوز	245/=	۲۸-	نوآئین ہندی	سید سلیمان حسین	12/=
۹-	حفیظ میرٹھی	ڈاکٹر تابش مہدی	245/=	۲۹-	ہم قبیلہ	علی جواد زیدی	22/=
۱۰-	عابد سہیل	ڈاکٹر صبیحہ انور	245/=	۳۰-	ہندوستانی تہذیب	اقبال حسین	30/=
۱۱-	جوگیندر پال	ڈاکٹر اسلم جمشید پوری	287/=	۳۱-	رسالہ زمانہ	خورشید افسر بسوانی	22/=
۱۲-	تعلیم نسواں	نسرین احمد	170/=	۳۲-	عصمت شناسی	ڈاکٹر اسلم جمشید پوری	248/=
۱۳-	معیاری نثر و نظم (اول)	حامد ندیم	73/=	۳۳-	ادب پارے نثر	سید احتشام حسین	45/=
۱۴-	روشنی کے دریچے	سید احتشام حسین	43/=	۳۴-	ادب پارے نظم	سید احتشام حسین	45/=
۱۵-	مثنوی سحر البیان	میر حسن	108/=	۳۵-	منتخب غزلیں	مجلس مشاورت	65/=
۱۶-	مثنوی گلزار نسیم	دیا شنکر نسیم	70/=	۳۶-	منتخب نظمیں	مجلس مشاورت	60/=
۱۷-	اعتبار نظر	سید احتشام حسین	105/=	۳۷-	ملک زادہ منظور احمد	انور جلال پوری	263/=
۱۸-	انیسیات	سید مسعود حسن رضوی	91/=	۳۸-	کلیم عاجز	پروفیسر مناظر عاشق ہرگانوی	173/=
۱۹-	پریم چند نئے تناظر میں	پروفیسر علی احمد فاطمی	80/=	۳۹-	ندا فاضلی نمبر	پروفیسر علی احمد فاطمی	278/=
۲۰-	تنقیدی نظریات (اول)	سید احتشام حسین	58/=	۴۰-	سید حامد	ڈاکٹر عبید اقبال عاصم	140/=

اکادمی کی مطبوعات کی خریداری و دیگر تفصیلات کے لئے رابطہ کریں:

سکریٹری، اتر پردیش اردو اکادمی، وبھوتی کھنڈ، گومتی نگر، لکھنؤ-010 226

فون نمبر: 0522-4022924 سیلس ڈپو موبائل: 7081007078

E-mail:upurduakademi3@gmail.com

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज (उ0प्र0)
संस्थापित – 1927 ई.
हिन्दुस्तानी एकेडेमी के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

1.	हिन्दुई साहित्य का इतिहास	ले. गार्सा द तासी अनु. डॉ. लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय	480.00/–
2.	श्री शंकराचार्य	आचार्य बलदेव उपाध्याय	160.00/–
3.	जायसी	विजयदेव नारायण साही	120.00/–
4.	नाथ सम्प्रदाय	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी	200.00/–
5.	घाघ और भड्डरी	सं. रामनरेश त्रिपाठी	220.00/–
6.	ग़ालिब के पत्र (दो भाग)	सं. श्रीराम शर्मा श्री राम निवास शर्मा	प्र.खं. 300/– द्वि. खं. 205/–
7.	हिन्दी भाषा का इतिहास	डॉ. धीरेन्द्र वर्मा	300.00/–
8.	अवधी का विकास	डॉ. बाबूराम सक्सेना	125.00/–
9.	हिन्दी आलोचना : अतीत और वर्तमान	डॉ. प्रभाकर माचवे	40.00/–
10.	अवधी कोश	श्रीरामाज्ञा द्विवेदी समीर	300.00/–
11.	अयोध्या का इतिहास	श्री अवधवासी लाला सीताराम	320.00/–
12.	चिन्मय भारत	कुबेरनाथ राय	180.00/–
13.	प्रयाग प्रदीप	श्री शालिग्राम श्रीवास्तव	300.00/–
14.	अरब और भारत के सम्बन्ध	अनु0 बाबू रामचन्द्र वर्मा	350.00/–
15.	नाथ सम्प्रदायः विविध आयाम	सं. उदय प्रताप सिंह	200.00/–
16.	रामविलास शर्मा का प्रेम परिसर	प्रो. रामदेव शुक्ल	140.00/–
17.	रामचन्द्र शुक्ल पूर्व हिन्दी आलोचना	मंगला प्रसाद सिंह	320.00/–
18.	रामकथा और तुलसीदास	फादर डॉ. कामिल बुल्के	60.00/–
19.	भक्ति के भगीरथ स्वामी रामानंद	डॉ. उदय प्रताप सिंह	270.00/–
20.	हिन्दी कविता के प्रतिनिधि स्वर	डॉ. दुर्गा प्रसाद ओझा	750.00/–
21.	सनातन धर्म– (आंग्लभाषा में विरचित ग्रन्थ– लेखक अज्ञात)	डॉ. प्रभुनाथ द्विवेदी	210.00/–
22.	हिन्दी की संत कवयित्रियाँ और उनका साहित्य	अवनीकांत सिंह	195.00/–
23.	नाथपंथ और गोरखबानी (हिन्दी से अंग्रेजी में अनूदित)	डॉ. उदय प्रताप सिंह, अनुवादक– रूमी मलिक	380.00/–
24.	तुम्हें क्या?	डॉ. पूजा कौशिक	125.00/–
25.	नवगीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	डॉ. अनिल कुमार	190.00/–
26.	भगवती प्रसाद सिंहः जीवन एवं साहित्य–साधना	डॉ. चारुशीला सिंह	160.00/–
27.	कपटमुनि	रामनरेश त्रिपाठी	250.00/–
28.	श्रीमद्भागवत का वनस्पति संसार	डॉ. महेन्द्र प्रताप सिंह	190.00/–
29.	छायावाद, आज के प्रश्न	सं. डॉ. सरोज सिंह	360.00/–

हिन्दुस्तानी त्रैमासिक पत्रिका :

महत्वपूर्ण विशेषांक – भोजपुरी, ब्रजभाषा, कुम्भ, डॉ. शिवप्रसाद सिंह, महात्मा गाँधी पर केन्द्रित, लोकनायक श्रीराम विशेषांक, (दो खण्डों में),आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महारानी लक्ष्मीबाई पर केन्द्रित विशेषांक इत्यादि

कृपया हिन्दुस्तानी एकेडेमी के अधिक से अधिक प्रकाशन क्रय करके राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें।

सम्पर्क सूत्र– सचिव हिन्दुस्तानी एकेडेमी
12डी, कमला नेहरू मार्ग प्रयागराज–211001
दूरभाष नं0–0532–2407625
ई– मेल :**E-mail** – hindustaniacademyup@gmail.com,
वेबसाइट – **www.hindustaniacademy.com**

शुभकामनाओं सहित

यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः– 10, अशोक मार्ग, लखनऊ।

website: http//www.uplc.in, http://www.itpolicyup.gov.in
email:md@uplc.in, uplclko@gmail.com, info@itpolicyup.gov.in
Phone: 0522-4130303, 2286808, 2286809, 2286812 Fax: 2288583

विभिन्न शासकीय योजनाओं यथाः प्रश्नोत्तर प्रणाली, ई–डिस्ट्रिक्ट, मनरेगा, प्रशासनिक अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, ई–टेण्डरिंग, ई–ऑफिस तथा विधवा पेन्शन, वृद्धावस्था पेन्शन इत्यादि सेवायें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सिग्नेचर प्रदाता संस्था

प्रदत्त सेवायें:–

अ– निम्नलिखित योजनाओं/सेवाओं हेतु शासन द्वारा नामित नोडल संस्था

1. शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली (https://etender.up.nic.in) लागू किये जाने हेतु एकल खिड़की निस्तारण व्यवस्था।
2. सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में ई–ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन
3. प्रदेश सरकार की ''सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति–2017'', ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020'', ''उ0प्र0 स्टार्टअप नीति–2020'' तथा ''उ0प्र0 डाटा सेण्टर नीति–2021'' का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
4. लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
5. प्रदेश के विभिन्न नगरों में आईटी पार्क्स की स्थापना, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण।
6. स्टार्ट–अप संस्कृति को बढ़ावा तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए इन्क्यूबेटर्स की स्थापना।

ब– शासकीय विभागों को हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तथा आईटी कन्सल्टेन्सी सेवायें उपलब्ध कराया जाना।

7. शासकीय विभागों को सूचीबद्ध कन्सल्टेण्ट्स के माध्यम से कन्सल्टेन्सी सेवायें उपलब्ध कराया जाना।
8. विभिन्न विभागों के लिए 'टर्न–की' कम्प्यूटरीकरण, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपूर्ति/विकास, स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

उत्तर प्रदेश

(परिचय, प्राकृतिक, भौगोलिक स्थिति तथा जनगणना)

उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई ही नहीं, संस्कृतियों का संगम भी है और गंगा-जमुनी संस्कृति का एक अनूठा प्रतीक। इसीलिए वह एक विशिष्ट जीवन शैली, व्यवहार, चिंतन परंपरा, ऐतिहासिकता, सहिष्णुता, सार्थक सकारात्मक प्रतिद्वन्द्विता, विचार-विनिमय व मनुष्य के हक की लड़ाई का केन्द्र भी है। विविधता में एकता तथा 'जियो और जीने दो' का व्यावहारिक स्वरूप यहाँ की पहचान है।

देश की स्वाधीनता की पहली लड़ाई यहीं की जनता, किसान, मजदूरों ने लड़ी और स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश ने नाम हासिल किया। इससे पहले इस क्षेत्र के अनेक नाम रहे। ईसा से छह शताब्दी पहले भारत के 16 महाजनपद थे जिनमें आठ– काशी, कोशल, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल और शूरसेन इसी क्षेत्र में थे, वे अब उत्तर प्रदेश हैं। कोशलों की पहली राजधानी अयोध्या थी, फिर श्रावस्ती हुई। कपिलवस्तु इसी जनपद में था। बाद में कुछ क्षेत्र अवध, कान्यकुब्ज, काशी आदि नाम से जाने जाते रहे और कभी रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, अवध आदि। अंग्रेजों की अमलदारी में इसका नाम पड़ा– 'संयुक्त प्रान्त' आगरा व अवध। यह 'संयुक्त' ही इसका सही नाम लगता है– मिला-जुला, सबका शामिल प्रान्त, संयुक्त संस्कृतियों का क्षेत्र।

सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने जिस प्रकार के दमन और अत्याचार किए उससे चंगेज़ खाँ और नादिरशाह भी शरमा जाते। सैकड़ों लोगों को फाँसी पर लटका दिया गया, हजारों का कत्ल कर दिया गया, गाँव के गाँव फूँक दिये गये, शहरों और कस्बों में कहर ढाए गये, पर स्वाधीनता की ललक और संकल्प में कोई अन्तर नहीं आया।

उत्तर प्रदेश का इतिहास वास्तव में राष्ट्रीय एकीकरण और शांति-पूर्ण सह-अस्तित्व का इतिहास है। यहाँ बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख एवं सनातन सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहे और एक-दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन को प्रभावित, समृद्ध करते रहे। हिन्दू कवियों ने कर्बला पर मर्सिये लिखे, मुसलमान कवियों ने राम और कृष्ण के गीत गाये।

विचारों और जीवन-शैली का प्रभाव वेशभूषा, खान-पान, भाषा, संगीत, कला, वास्तुकला पर भी पड़ा। सूफियों ने भी भक्त कवियों का साथ दिया, कहा कि 'ईश्वर एक है, उसे चाहे जिस नाम से पुकारो।' लखनऊ, आगरा, देवां, रुदौली, बरेली, बहराइच, प्रयागराज व अन्य अनेक स्थानों पर दरगाहों में लाखों हिन्दू आज भी जाते हैं; होली, ईद, दीवाली सभी मिलकर मनाते हैं। समन्वय की यह प्रक्रिया वास्तुकला तक में देखी जा सकती है। पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ की जौनपुर की अटाला मस्जिद, सीकरी का पंचमहल, सिकन्दरा में अकबर की कब्र, सभी में बौद्ध विहारों की झलक दिखाई देती है। आगरा के दीवान-ए-खास में विष्णु के सिंहासन की झलक देखी जा सकती है। कमल, कलश, जंजीर और घंटा आदि, जिन्हें हिन्दू वास्तुकला की पहचान माना जाता है, सीकरी में भी देखे जा सकते हैं। शेख सलीम चिश्ती की मजार पर सर्पिल 'ब्रैकेट' जैन प्रभाव को दर्शाते हैं। अरब, ईरानी या तुर्क गुम्बदों से भिन्न ताजमहल के गुम्बद हिन्दू-बौद्ध वास्तुकला की अनुकृति लगते हैं।

जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इस सांस्कृतिक संश्लेषण को देखा जा सकता है। हिन्दुओं ने भी मंदिरों के

निर्माण में इसको अपना लिया। संगीत में अमीर खुसरो ने त्रितंत्र वीणा और पखावज के नये संस्करण– सितार और तबला दिये। हिन्दुस्तानी संगीत में खयाल के अलावा अनेक नयी प्रवृत्तियाँ समायोजित कीं। संगीत के क्षेत्र में ठुमरी और गज़ल इस संश्लेषण की **विशिष्ट** देन हैं। कथक भक्ति नृत्य के रूप में मथुरा-वृन्दावन में विकसित हुआ और लखनऊ ने उसमें भाव और अभिनय के नये रंग भरे। एक ही उत्स से यहाँ हिन्दी (खड़ी बोली) और उर्दू का जन्म हुआ और कालान्तर में वे दो भाषाएँ हो गयीं– दो अत्यन्त समृद्ध भाषाएँ। यह तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, रहीम, रसखान का ही क्षेत्र नहीं है, यह मीर और ग़ालिब, रतननाथ सरशार और चकबस्त का भी क्षेत्र है। दोनों भाषाओं ने एक-दूसरे को बहुत कुछ दिया है– दोनों सहोदरा हैं। सदियों से एक साथ रहकर दोनों समुदायों ने सामाजिक जीवन में भी एक-दूसरे से बहुत कुछ लिया-दिया है। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि की रस्मों पर भी प्रभाव पड़ा है, वेशभूषा और परिधान पर भी, खान-पान और व्यंजनों पर भी।

हिन्दुस्तानी संगीत में उत्तर प्रदेश की देन उल्लेखनीय है। किराना, अहरौली, आगरा, सहसवान, रामपुर, बनारस आदि घरानों का उद्‌भव क्षेत्र यही है। अब्दुल करीम खाँ, अल्लादित्ता खाँ, फैयाज खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, वजीर खाँ, रामदास आदि उन कलावन्तों की लम्बी शृंखला की कुछ कड़ियाँ हैं जो यहाँ उभरीं। अहमद जान थिरकवा, कण्ठे महाराज भी यहीं के हैं और विलायत खाँ भी।

शास्त्रीय संगीत के अलावा सुगम संगीत पर भी उत्तर प्रदेश ने अपनी छाप छोड़ी है। ठुमरी का नाम, रूप और तत्व यहीं का है। बनारस ने 'पृथ्वी अंग' प्रचारित किया तो लखनऊ ने अपना रंग उसे दिया। मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी (सभी बनारस की) और बेगम अख्तर (लखनऊ) ने अपनी-अपनी शैलियों की विशिष्टता स्थापित की। महादेव प्रसाद मिश्र, गिरिजा देवी व अन्य अनेक गायक परम्पराओं के रक्षक हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्ला खाँ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। ग़ज़ल के अलावा भजन व दादरा के कद्रदान यहाँ रहे हैं। वाजिद अली शाह के दरबार में कालिका महाराज व बिन्दादीन महाराज ने जो कथक की परम्परा शुरू की, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शम्भू महाराज और अब बिरजू महाराज ने इस सम्पन्न-समृद्ध धरोहर को नये आयाम दिये। लोक संगीत में भी उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। बुन्देल खण्ड में ईसुरी का फाग, आल्हा, ब्रज का रसिया, पूर्वी जिलों की कजली, बिरहा और चैती जैसी अनेक धाराएँ लोक जीवन को आनन्दित करती रही हैं।

शिल्प के क्षेत्र में भी यह प्रदेश पीछे नहीं रहा। बनारस का रेशम और जरी, लखनऊ की जामदानी, जरदोजी व चिकन, भदोही के कालीन, सहारनपुर का लकड़ी का काम, मुरादाबाद का पीतल और फिरोजाबाद का काँच का काम सदियों से विश्व के अनेक देशों का मन मोहते रहे हैं। आज भी ये शिल्प अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं।

यह एक अद्‌भुत प्रदेश है। मानव जाति के जन्म से शुरू हुई इसकी सभ्यता निरन्तर समृद्ध होती रही है। यहाँ की संस्कृति ने एक ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है, एक ऐसी विचार-शैली दी है, एक ऐसा जीवन-दर्शन दिया है, जिसने सारे देश को अपनी ओर आकृष्ट किया, जिसमें पूरे विश्व कल्याण के तत्त्व मौजूद हैं।

उत्तर प्रदेश भारत का **बहुत** महत्त्वपूर्ण राज्य है। राष्ट्रीय योगदान के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। चाहे कुल जनसंख्या का सवाल हो या संसद में सांसदों की संख्या का इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए। पिछले 72 वर्षों में चालीस से अधिक वर्षों तक इसी **राज्य** के लोग प्रधानमंत्री **होते** आये हैं। सिर्फ राजनीति ही नहीं संस्कृति, इतिहास एवं सामाजिक आर्थिक भौगोलिकता की दृष्टि से भी यह **राज्य** भारत में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि प्रधान इस **राज्य** के कुल 240928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 199812341 लोग निवास करते हैं, जिसमें 10.45 करोड़ पुरुष और 9.53 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें से 67.7 प्रतिशत लोग साक्षर हैं।

कुल 97,814 आबाद गांवों तथा 915 नगरों में विभाजित इस प्रांत को अपना नाम 24 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के ऐन पहले प्राप्त हुआ। 1937 से 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत

(युनाइटेड प्राविन्सेज) के नाम से जाना जाता था।

अंग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत (अवध के अतिरिक्त) बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही एक हिस्सा था सुविधानुसार इसे कभी 'पश्चिमी प्रांत' के नाम से पुकार लिया जाता था। बाद में 'आगरा प्रेसीडेन्सी' का निर्माण कर इसे 'बंगाल प्रेसीडेन्सी' से अलग किया गया। 1836 में एक बार पुनः इसका नामकरण किया गया। अब इसका नाम 'उत्तर पश्चिम प्रांत' (नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज) हुआ। मुख्यालय आगरा बना। 7 फरवरी 1856 को अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। उस समय अवध में लखनऊ, बाराबंकी, **अयोध्या**, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा रायबरेली नामक बारह जिले शामिल थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में लार्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी पश्चिमी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के द्वारा शासित प्रांत बना दिया। इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से **प्रयागराज** कर दिया गया। 1875 में उच्च न्यायालय को भी आगरा से **प्रयागराज** स्थानान्तरित कर दिया गया। अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों का प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों का **प्रयागराज**। सन् 1877 में इन दोनों प्रांतों के ले. गवर्नर और मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर 'आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत' (युनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया। तब ले. गवर्नर का पद ही इस एकीकृत प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बना।

भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी तथा 1920 के चुनावों के बाद इस प्रांत की सरकार एक बार पुनः इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी। 1921 में लखनऊ में ही विधान परिषद् की स्थापना की गयी तथा 1935 तक प्रान्तीय सचिवालय के **प्रयागराज** से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा होने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी घोषित कर दिया गया। 1937 में इस प्रांत का नाम एक बार फिर बदलकर 'संयुक्त प्रांत' (यूनाइटेड प्राविन्सेज) कर दिया गया।

सन् 2000 में प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके नये राज्य उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) का गठन किया गया तो यहां की लगभग 55 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि और लगभग एक करोड़ आबादी यहां से अलग हो गयी है। इसके बावजूद **नया उत्तर** प्रदेश अभी भी देश के सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य।

प्राकृतिक रूपरेखा

उत्तर प्रदेश भारत का सीमान्त प्रदेश है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल को छूती है। उत्तराखंड के गठन से पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बती क्षेत्र को भी छूती थीं लेकिन अब यह क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया है। प्रदेश के उत्तर में अब नेपाल सीमा के साथ उत्तरांचल की शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी सीमा पर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान हैं तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्वी सीमा बिहार से लगी हुई है। इन सीमाओं को प्राकृतिक तौर पर देखा जाय तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विन्ध्याचल और पूर्व में गंडक नदी है।

उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के तीन भूभाग थे- पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। लेकिन उत्तराखंड गठन के बाद अब पूरा पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ तराई- भाभर क्षेत्र ही बचा हुआ है। अब प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप को हम इस रूप में देख सकते हैं:-

भाभर और तराई क्षेत्र

पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक एक पतली सी पट्टी भाभर और तराई कहलाती है।

सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत जिलों में भाभर का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है। पहाड़ों से उतरने वाली नदियों एवं वेगवती धाराओं की गति यहां आकर कुछ मन्द पड़ जाती है। पहाड़ से अपने साथ बहाकर लाये गये प्रस्तर खण्डों तथा विभिन्न रसायनों को वे छोड़ती जाती हैं। पश्चिम में यह क्षेत्र 34 कि.मी. चौड़ा है, किन्तु जैसे-जैसे पूरब की ओर बढ़ते हैं, **क्षेत्र** सँकरा होता जाता है। छोटे-मोटे नदी-नालों का बाढ़ के समय को छोड़कर, प्रस्तर खण्डों के बीच उसका अस्तित्व क्षीण-सा ही रहता है किन्तु थोड़ी दूरी के बाद वे फिर उसी रूप में दिखायी देते हैं। दलदल **वाले** तराई क्षेत्र का निर्माण इसी प्रकार हुआ है।

जंगली और ऊँची घनी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था। इसके अन्तर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं पडरौना जिलों के भाग आते थे। भूमि सुधार के बाद किसानों को इसमें काफी उपजाऊ जमीन प्राप्त हो गयी है। अब यहां गन्ना, गेहूँ और धान की फसलें रिकार्ड पैदावार दे रही हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है।

मैदानी क्षेत्र

भाभर और तराई के बाद प्रदेश का पूरा मैदानी क्षेत्र नदियों से लायी गयी मिट्टी से बना है और खूब उपजाऊ है। यमुना पार, आगरा और मथुरा जिलों के उन भू-भागों को छोड़कर जहाँ अरावली पहाड़ियों के पूर्वी छोर पर अनेक खार और लाल पत्थरों वाली पहाड़ियाँ मिलती हैं, यह समग्र भू-भाग समतल है। मैदान का पश्चिम अंचल उत्तर से दक्षिण की ओर ढलुआ है और पूर्वांचल की ढाल पश्चिमोत्तर से दक्षिणपूर्व की तरफ है। यह गंगा,यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है।

दक्षिण के पहाड़ और पठार

प्रदेश के दक्षिण में पठारी भू-भाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। इसके अन्तर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, **महोबा, चित्रकूट, ललितपुर** और बांदा**, प्रयागराज** जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील आती है। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। भू-गर्भ शास्त्रियों के अनुसार इसका निर्माण अत्यन्त प्राचीनकाल में प्रवाहमान समुद्री निरक्षेप द्वारा हुआ। पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है। मिर्जापुर, सोनभद्र की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊँची हैं।

चित्रकूट जिले की कर्वी तहसील में विन्ध्य पर्वत श्रेणियां हैं। यहां जल प्रवाह सामान्यतः उत्तर पूर्व की तरफ है। बेतवा और केन नदियां, जो बुन्देलखण्ड से होकर गुजरती हैं, यमुना में आकर मिली हैं। इस पूरे क्षेत्र में वर्षा कम होती है। यहां की मुख्य फसलें ज्वार, **तिलहन,** चना और गेहूँ हैं।

जलवायु

उत्तर प्रदेश की पूरी जलवायु गर्म है। तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी का नामोनिशान नहीं रहता। ग्रीष्म ऋतु में **कुछ** जगहों का तापमान 47 डिग्री सेन्टीग्रेड तक जाता है। जाड़े की ऋतु में तापमान मैदानी क्षेत्रों में 8.5 से 17.5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। अप्रैल, मई और जून गर्मी के महीने हैं, जब प्रदेश के अधिकांश भागों में लू च**लती** है।

सामान्यतः वर्ष में तीन ऋतुएँ होती हैं। अक्टूबर से फरवरी तक जाड़ा, मार्च से जून तक गर्मी और इसके बाद सितम्बर तक बरसात होती है। गर्मी आगरा और झांसी में सबसे अधिक, बरेली में सबसे कम पड़ती है। मध्य जून से मध्य सितम्बर तक प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के फलस्वरूप प्रमुख रूप से वर्षा होती है। जाड़ों में उत्तर पश्चिम से उठने वाले तूफानों के कारण कुछ जगहों पर वर्षा का औसत 60 और 100

सेन्टीमीटर के बीच रहता है जबकि पूर्वी भाग के जिलों में 100 से 120 सेन्टीमीटर के बीच रहता है। जौनपुर जिले के पश्चिमी हिस्सों में वर्षा कुछ कम होती है। प्रदेश में लगभग 83 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के मध्य और 17 प्रतिशत जाड़ों में होती है। मैदानी क्षेत्र में गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है जिसका औसत 184.7 सेमी. है और मथुरा में सबसे कम, जिसका औसत 54.4 सेमी. है।

नदियाँ और जल प्रवाह

गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्याचल द्वारा निर्धारित है। गंगा उत्तराखण्ड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सहारनपुर जनपद से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में आते ही यह धीरे-धीरे दक्षिण से पूर्व की तरफ बहने लगती है। इसके दोनों किनारों पर और भी सहायक नदियां आकर मिलती हैं– रामगंगा, गोमती, घाघरा (शारदा), राप्ती और गण्डक। यमुना का उद्गम भी उत्तराखण्ड में यमुनोत्री ग्लेशियर है। चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा-यमुना की इन सहायक नदियों के अलावा जल प्रवाह की अनेक छोटी-छोटी नदियां हैं जैसे– कोसी, सई, कल्याणी, चन्द्रप्रभा, कर्मनाशा, रिहन्द, बेलन और **धसान, हिन्डन**। ये नदियाँ जगह-जगह गंगा व यमुना में मिल जाती हैं। **प्रयागराज** में गंगा, यमुना भी आपस में मिल जाती हैं।

विन्ध्याचल की तरफ से जो पानी गंगा में आता है उसका आधे से अधिक यमुना की सहायक नदियां चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन लाती हैं इसमें चम्बल सबसे बड़ी है। यह विन्ध्याचल से निकलती है और आगे चलकर इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो अन्य प्रमुख नदियां हैं टॉस और सोन। इनमें सोन बड़ी है। यह सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम स्थल नर्मदा और महानदी के उद्गम स्थानों के पास ही है। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियां लगभग वर्ष भर भरी रहती हैं जबकि विंध्याचल से निकलने वाली नदियां गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। इसका कारण है हिमालय से निकलने वाली नदियों में बर्फ पिघलने से गर्मियों में भी पानी कम नहीं होता। एक और कारण हिमालय में विन्ध्याचल से अधिक बरसात का होना है।

प्रदेश की मिट्टी

प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली जिले में एक तरह की मिट्टी है। यहां की मिट्टी अधिकांश गहरी भूरी और कहीं पर चिकनी है। यह मिट्टी छिछली है, इसमें कंकड़ पत्थर काफी पाये जाते हैं। सामान्यतः यह मिट्टी अम्लीय है। प्रदेश के पश्चिमी मैदानों में मिट्टी (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ) गहरी और सामान्य से अधिक उर्वरा है। थोड़ा पूर्व की ओर आगे चलकर (बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत) मिट्टी अधिक चिकनी है। पीलीभीत से आगे की ओर तो मिट्टी अम्लीय है किन्तु बाकी मिट्टी में थोड़ा क्षारत्व है।

प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्र खीरी, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, आजमगढ़, कानपुर के आसपास चिकनी और बलुई चिकनी मिट्टी है, जिसमें थोड़ा अम्ल भी है।

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर तथा गोण्डा क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में 'मांट' और 'बंजर' कहा जाता है।

नदी किनारे की मिट्टी को 'ढूह' कहते हैं। 'मांट' मिट्टी चिकनी-बलुई होती है और उसमें चूना अधिक होता है इसकी जलधारण शक्ति अधिक होती है। 'बंजर' मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में पायी जाने वाली मिट्टी में फास्फेट कम होता है। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जिलों में पोटाश की कमी है। शुष्कतर भागों में ऊसर तथा रेह है। अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ की मिट्टी ऊसर तथा रेह से प्रभावित है।

प्रदेश के झांसी **तथा चित्रकूट धाम** मण्डल, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले एवं **प्रयागराज** की करछना व मेजा तहसील, वाराणसी की चकिया तहसील में मिश्रित लाल और काली मिट्टी पायी जाती है। काली मिट्टी चिपचिपी तथा कैल्केरिया युक्त और उर्वरा होती है। भीगने पर फैलती है और सूखने पर सिकुड़ती है। इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में लाल मिट्टी पायी जाती है। यह दो प्रकार की होती है 'परवा' और 'राकर'। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है जबकि राकर अपक्षरित मिट्टी होती है।

वन्य क्षेत्र

उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) गठन से पूर्व प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 294411 वर्ग किलोमीटर था जिसमें 33994 वर्ग किमी. अर्थात् 11.54 प्रतिशत भाग वनाच्छादित था। अब 23243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्तराखण्ड में चला गया तथा उत्तर प्रदेश में 10751 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित क्षेत्र ही बचा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 4.46 प्रतिशत भू-भाग ही वनाच्छादित रह गया है।

इस समय उत्तर प्रदेश में पायी जाने वाली वनस्पतियों के आधार पर यहां के वनों को तीन भागों में बाँट सकते हैं :-

1. उष्ण प्रदेशीय आर्द्र पर्णपाती वन 2. उष्ण प्रदेशीय शुष्क पर्णपाती वन

3. उष्ण प्रदेशीय कटीले वन

आर्द्र पर्णपाती वन तराई के नमी वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। प्रदेश के यह वन ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ वर्षा 100 से 150 सेमी. वार्षिक होती है। यहाँ वनों की विशेषता है कि ऊँचे क्षेत्रों में अनिश्चित आकारों वाले पर्णपाती वृक्ष होते हैं। निचले भागों में अन्य प्रजातियां जिनमें बांस, लताओं और बेंत के साथ हरी भरी झाड़ियाँ होती हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं साल, बेर, गूलर, झिंगल, पलास, महुआ, सेमल, ढाक, आंवला, जामुन आदि।

शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के सभी मैदानी भागों आमतौर पर मध्यपूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में होते हैं। ये प्रायः पर्णपाती प्रजाति के होते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रकाश नीचे तक पहुंचता है इसलिए यहां झाड़ियों और घासों की उपज भी अच्छी होती है। ऐसे वनों के बहुत बड़े क्षेत्र की खेती के लिए सफाई कर दी गयी है। यहां पैदा होने वाले वनों में साल, पलास, अंजीर, सागौन प्रमुख हैं। नीम, पीपल, आम, जामुन, महुआ, बबूल आदि भी नदियों के आसपास या नमी वाले स्थानों पर होते हैं।

कटीले वन **ज्यादातर** दक्षिण पश्चिमी भागों में पाये जाते हैं। ऐसे वन प्रदेश के उन भागों में स्थित हैं जहाँ वर्षा कम (वर्ष में 40 से 60 सेमी.) होती है। इन क्षेत्रों में दूर-दूर तक कटीले बौने वृक्ष मुख्यतः बबूल, कटीले, फलदार पौधे, सांहुड की पैदावार प्रमुख है। वर्षा ऋतु में यहां छोटी-छोटी घास उग जाती है। यहां प्रायः छोटे-छोटे पौधे हैं जो खुले शुष्क वनों का रूप धारण कर चुके हैं। इनमें फुलाई, खैर, कोक्के, धामन, डनझा, नीम आदि सम्मिलित हैं। इन पेड़ों से कई तरह की लीसा और गोंद प्राप्त होता है।

खनिज सम्पदा

उत्तर प्रदेश यूँ तो कृषि प्रधान **राज्य** है लेकिन यह प्रदेश खनिज सम्पदा का भी धनी है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत शृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज सम्पदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैण्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, मैग्नेसाइट, सा**फ्ट**स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास-सैड, संगमरमर, नान प्लास्टिक फायर क्ले, यूरेनियम, वेराइट्स, एडालूसाइट प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के सात दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए खासतौर पर जाने जाते हैं। ये जिले हैं– आगरा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बाँदा, **प्रयागराज**, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। अच्छे किस्म का चूना पत्थर सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। डोलोमाइट भी सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है। तांबा ललितपुर में प्राप्त होता है। ग्लास– सैड **प्रयागराज**, बाँदा और चित्रकूट जनपद में मिलता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। मिर्जापुर के बांस मकरी खोह क्षेत्र में नानप्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होती है। जनपद ललितपुर में यूरेनियम के भण्डार हैं।

जनगणना

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1,998 लाख है, जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या (12,106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1,044.81 लाख पुरुष तथा 953.32 लाख महिलाएं हैं। प्रदेश में कुल जनसंख्या 1,998 लाख में 1,553.17 लाख (77.73 प्रतिशत) ग्रामीण जनसंख्या है तथा 444.95 लाख (22.27 प्रतिशत) नगरीय जनसंख्या है। प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में 809.92 लाख पुरुष तथा 743.24 लाख महिलाएं तथा कुल नगरीय जनसंख्या में 234.87 लाख पुरुष तथा 210.07 लाख महिलाएं हैं।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1593.1 लाख (79.8 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध,2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं। प्रदेश के 75 जनपदों में **प्रयागराज** की जनसंख्या (59.54 लाख) सबसे अधिक है तथा जनपद महोबा में (6.90 लाख) सबसे कम जनसंख्या है।

जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001–2011 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रदेश का भारत के राज्यों में ग्यारहवां स्थान रहा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के वर्ष 2001–2011 की अवधि में में दशकीय वृद्धि दर 20.2 प्रतिशत थी जो उक्त अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत से अधिक रही।

जनसंख्या घनत्व

एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली कुल लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में यह 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद (3674) इसके बाद क्रमशः वाराणसी (2395), हापुड़ (2028), लखनऊ (1816), संत रविदास नगर (भदोही) (1555) तथा कानपुर नगर (1452) तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद ललितपुर (242) है।

लिंग अनुपात

प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है जबकि वर्ष 2001 में यह 898 ही थी। भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात 943 है जबकि वर्ष 2001 में यह 933 थी।

साक्षरता दर

वर्ष 2011 उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार प्रदेश भर में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है। जिनमें 684 लाख पुरुष तथा 462 लाख महिलाएं साक्षर हैं। वर्ष 2011 में प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 भारत के सम्वादी अवधि का साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम रहा। प्रदेश में कुल साक्षरता प्रतिशत 67.68 में पुरुषों का 77.28 प्रतिशत तथा महिलाओं का प्रतिशत 57.18 हैं। प्रदेश में गौतमबुद्धनगर की साक्षरता दर सबसे अधिक 80.12 प्रतिशत है इसके बाद कानपुर नगर 79.65 प्रतिशत, औरैया 78.95, इटावा

78.41 प्रतिशत तथा गाजियाबाद 78.07 प्रतिशत का स्थान है। प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। यहाँ की साक्षरता दर मात्र 46.74 प्रतिशत है। इसके बाद बहराइच 49.36 प्रतिशत, बलरामपुर 49.51 प्रतिशत, बदायूँ 51.29 तथा रामपुर 53.34 प्रतिशत है।

साक्षरता दर 1951 से 2011 तक

वर्ष	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता
1951	12.02	19.07	4.07
1961	20.87	32.08	8.36
1971	23.99	35.01	11.23
1981	32.65	46.65	16.74
1991	40.71	54.82	24.37
2001	57.36	70.23	42.98
2011	67.68	77.28	57.18

इतिहास

राजनैतिक इतिहास

पुरातन काल में उत्तर प्रदेश मध्य-देश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रामकों के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण इसके इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से निकटतम संबंध है। यद्यपि हमें इसके प्रागैतिहासिक अथवा आदि-ऐतिहासिक काल के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी है, **पर** मिर्जापुर और बुन्देलखंड क्षेत्र में खुदाई के फलस्वरूप प्राचीन एवं नवीन पाषाणकाल के जो औजार-हथियार आदि मिले हैं और मेरठ जिलान्तर्गत आलमगीरपुर में हड़प्पाकालीन जो वस्तुएँ मिली हैं वे हमें सुदूर भूतकाल का स्मरण कराती हैं।

ऋग्वेद के समय से कुछ संश्लिष्ट ऐतिहासिक वृत्तान्त मिलते हैं। आर्यों ने सबसे पहले भारत में ''सप्तसिंधु'' या सात नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश (आधुनिक पंजाब) में बस्तियाँ बनायीं। ये नदियाँ हैं- इण्डस (सिंधु), वितस्ता (झेलम), असिक्नी (चिनाब), परुश्नी (राबी), विपासा (व्यास), शुतुद्री (सतलज), और सरस्वती (जो अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो चुकी है)। शुरू में कुछ प्रमुख घरानों के नाम थे पुरू, तुर्वसु, यदु, अनु और द्रुह्य। ये पाँच घराने 'पंचजन' कहलाते थे। इनके अतिरिक्त एक और प्रमुख वर्ग ''भरत'' कहलाता था।

धीरे-धीरे आर्यों ने अपने क्षेत्र का **पूरब** में विस्तार किया। 'शतपथ ब्राह्मण' में कोशल (अवध) और विदेह (उत्तरी बिहार) को ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों द्वारा इन्हें जीतना उसका रोचक वर्णन है। सीमाओं के विस्तार का परिणाम यह हुआ कि नये राज्य बने, नये लोग सामने आये और नये केन्द्रों का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे-धीरे ''सप्तसिन्धु'' का महत्व कम होता गया और संस्कृति का केन्द्र बना सरस्वती तथा गंगा के बीच का मैदान जहाँ कुरु, पांचाल, काशी एवं कोशल (अवध) राज्य थे।

पहले प्रयाग तक फैला हुआ यह पूरा क्षेत्र मध्य देश के नाम से अभिहित हुआ। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमाएँ भी लगभग **वही** हैं। हिन्दू कथा-साहित्य में यह देश पवित्र माना जाता है, क्योंकि रामायण और महाभारत में जिन महान् व्यक्तियों और देवताओं का वर्णन है वे यहीं के थे। यहाँ के निवासी सर्वाधिक सुसंस्कृत आर्य माने जाते थे। उनकी बोल-चाल और उनका व्यवहार आदर्श माना जाता था। वे लोग धार्मिक रीति-रिवाजों के पूरी तरह जानकार थे और बिना किसी त्रुटि के पूजा आदि कर सकते थे।

इन राज्यों के कुछ शासक, विशेषतः पांचाल के राजा प्रवहण जैवालि, अपने सुकर्मों के कारण अमर हो गये। बाद का इतिहास एक लम्बे समय तक के लिए, हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकों और पुराणों के आख्यानों से मिश्रित हो गया, जिससे ऐतिहासिक वृत्तान्त की कड़ी टूट गयी। जब अंधकार छँटता है तथा **ईसापूर्व** छठी शताब्दी में इतिहास की रेखाएँ फिर से उभरती दिखायी पड़ती हैं तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा रही। तत्कालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम थेः-

1. कुरु (मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर); राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली के पास इन्द्रपाल)।
2. पाँचाल (बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद); राजधानी अहिच्छत्र (बरेली के पास रामनगर) तथा काम्पिल्य (फर्रुखाबाद के पास **कम्पिल**)।

3. शूरसेन (मथुरा के आस-पास का क्षेत्र); राजधानी मथुरा।
4. वत्स (प्रयागराज और आस-पास); राजधानी कौशाम्बी (प्रयागराज के पास कोसम)।
5. कोशल (अवध); राजधानी साकेत (अयोध्या) और श्रावस्ती (गोंडा जिले में सहेट-महेट)।
6. मल्ल (जिला देवरिया); राजधानी कुशीनगर (कसिया) और पावा (सम्भवतः पडरौना)।
7. काशी (वाराणसी); राजधानी बनारस।
8. अंग (भागलपुर); राजधानी चम्पा।
9. मगध (दक्षिण बिहार); राजधानी गिरिव्रज (राजगृह, बिहार-शरीफ के पास राज**गीर**)।
10. वृज्जि (जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर); राजधानी मिथिला जनकपुर (नेपाल सीमा पर) और वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर में बसरा)।
11. चेदि (बुन्देलखंड); राजधानी शुक्तिमती (सम्भवतः बांदा के पास **श्रोतासोढ़ा**)।
12. मत्स्य (जयपुर); राजधानी विराट (जयपुर के पास)।
13. अस्मक (गोदावरी घाटी) राजधानी पांडन्य (स्थान की जानकारी नहीं)।
14. अवन्ती (मालवा); राजधानी उज्जयिनी (उज्जैन)।
15. गांधार (पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जो पाकिस्तान में है); राजधानी तक्षशिला (रावलपिण्डी के पास)।
16. कम्बोज; राजधानी राजापुर (स्थान की जानकारी नहीं)।

उपर्युक्त 16 महाजनपदों में से 8 (क्रम संख्या 1 से 7 तक तथा 11) वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। इनमें से अधिक विख्यात काशी, कोशल और वत्स थे। इन राज्यों के अतिरिक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रान्तर्गत ही कतिपय गणतंत्रात्मक राज्य भी थे, जैसे कपिलवस्तु का शाक्य राज्य, समसुमेरगिर का भग्गा राज्य और पावा तथा कुशीनगर का मल्ल राज्य।

सभी राज्यों में हमेशा युद्ध होता रहता था– एक-दूसरे पर राजनीतिक प्रभाव के लिए। कोशल ने काशी पर अधिकार कर लिया और अवन्ती ने वत्स का राज्य छीन लिया। कोशल और अवन्ती एक-एक करके मगध के अधीनस्थ हो गये और मगध पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया। मगध में क्रमशः हरयांक, शिशुनाग और नन्द वंश का राज्य रहा।

नन्द वंश का साम्राज्य पंजाब और सम्भवत; बंगाल को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। नन्दों के शासनकाल में सिकन्दर ने ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। इतिहास के अनेक विद्वानों का मत है कि मगध के शक्तिशाली राज्य की सेनाओं से मुकाबला न कर पा सकने का डर ही सिकन्दर की सेना द्वारा व्यास नदी के आगे न बढ़ने के निश्चय के मूल में था। इस प्रकार सिकन्दर को बाध्य होकर वापस लौटना पड़ा था।

सिकन्दर की वापसी के साथ ही साथ भारत में एक महान क्रान्ति हुई। इसके बाद नन्द शासकों के हाथ से (ईसा से 323 वर्ष पूर्व) शासन की बागडोर चन्द्रगुप्त मौर्य के पास आ गयी। चन्द्रगुप्त मौर्य पिप्पलीवन के क्षत्रिय कुल ''मौर्य'' का वंशज था। वर्तमान उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र चन्द्रगुप्त मौर्य, उसके लड़के बिन्दुसार और पोते अशोक के शासन-काल में सुख और शान्ति का अनुभव करता रहा। अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित स्तम्भ पर सिंहों की जो आकृति बनी है, स्वतंत्र भारत की सरकार ने उसे ही अपना राजकीय चिह्न बनाया है। अशोक-स्तम्भ और शिलालेख सारनाथ, प्रयागराज, मेरठ, कौशाम्बी, संकिस्सा, बस्ती और मिर्जापुर में भी पाये गये हैं। **ये** सभी स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। चीनी यात्री फाह्यान और ह्वेनसांग ने अन्य अनेक शिलालेख आदि भी देखे थे। सारनाथ के **धूमेख** का स्तूप का भी निर्माण अशोक ने करवाया था।

ईसा पूर्व 232 वर्ष में अशोक की मृत्यु होते ही मगध राज्य का ह्रास प्रारम्भ हो गया। उसके पोते दशरथ

और सम्प्रति ने सारा राज्य आपस में बाँट लिया। नर्मदा के दक्षिण का पूरा क्षेत्र शीघ्र ही स्वतन्त्र हो गया और ईसा पूर्व 210 वर्ष में पंजाब पर अन्य लोगों का शासन हो गया। इस वंश का अन्तिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी (ईसा पूर्व 185 वर्ष में)। पुष्यमित्र ने उसके बाद मगध का राज्य बनाये रखा। पतंजलि के महाभाष्य में एक उल्लेख साकेत (अयोध्या) का यवनों (यूनानियों) द्वारा घेरे जाने का आता है। मेनेन्डर और उसके भाई ने ईसा से लगभग 182 वर्ष पूर्व एक भारी आक्रमण किया। आक्रामक सेनाओं ने सुदूर दक्षिण-पश्चिम में काठियावाड़, **सांकल** (स्यालकोट, **पाकिस्तान के** पंजाब में) और मथुरा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आक्रामकों ने साकेत (अयोध्या) को घेर लिया तथा गंगा की घाटी में बहुत दूर तक बढ़ आये। इस आक्रमण का आखिर में पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने गंगा के किनारे मुकाबला किया तथा यवनों को हरा दिया। यूनानी पीछे हट गये और उन्होंने **सांकल** (स्यालकोट) में अपनी राजधानी बनायी। मथुरा बहुत समय तक मेनेण्डर के साम्राज्य का प्रमुख नगर रहा। मेनेण्डर ने ईसा से लगभग 145 वर्ष पूर्व तक राज्य किया। बाद में छोटी-छोटी अनेक इण्डो-ग्रीक एवं यूनानी रियासतें पंजाब में ईसा की प्रथम ईसवी तक बनी रहीं।

इसी बीच मगध में शुंग वंश के स्थान पर कण्व वंश की स्थापना हुई। कहा जाता है कि शुंग वंश का अन्तिम राजा देवभूति दुश्चरित्र था। इस कमजोरी का लाभ उठाकर उसके मंत्री वासुदेव ने राजा देवभूति की हत्या कर दी। वासुदेव ने ईसा से 73 वर्ष पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। यह राजवंश 45वर्ष तक चला और ईसा से 28 वर्ष पूर्व सिमूक ने, जो सातवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक थे, इसको समाप्त कर दिया।

कण्व वंश का साम्राज्य कहाँ तक फैला था यह कहना कठिन है, किन्तु ऐसे सिक्के जिन पर ''मित्र'' शब्द से समाप्त होने वाले राजाओं के नाम खुदे हैं, खुदाई में पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईसा से एक शताब्दी पूर्व और बाद तक पूरा उत्तर प्रदेश उन लोगों के अधिकार-क्षेत्र में था, जो शुंग वंश से सम्बद्ध थे।

यह वह समय था जब मध्य एशिया के शकों का ध्यान पहली बार भारत की ओर आकर्षित हुआ। ईसा के 60 वर्ष पूर्व तक इन लोगों ने मथुरा में अपने क्षत्रप स्थापित कर लिये थे। प्रथम शक राजा मायुस हुआ जिसकी ईसा पूर्व लगभग 58वें वर्ष में मृत्यु हुई थी। शकों के बाद पार्थियन लोगों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किये और ईसा के बाद प्रथम शताब्दी आरम्भ होने तक उन लोगों ने शकों को परास्त करना शुरू कर दिया था। फिर ईसा से लगभग 40 वर्ष पूर्व कुषाण लोगों के भी आक्रमण हुए। ये भी मध्य एशिया की पाँच जातियों में से एक थी। शीघ्र ही कुषाण राजाओं ने मध्य एशिया से लेकर सिन्धु नदी तक के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धीरे-धीरे इन लोगों ने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया।

कुषाण राज्य-वंश की स्थापना ''कुजुला कदफिसेस'' या कदफिसेस प्रथम ने की थी। इसका पुत्र और उत्तराधिकारी विमा कदफिसेस या कदफिसेस द्वितीय गंगा की घाटी तक घुस आया था। इसका उत्तराधिकारी था कनिष्क प्रथम जो निःसन्देह सभी कुषाण राजाओं में श्रेष्ठ था। चीनी और तिब्बती इतिहासकारों ने कनिष्क की सोकेद (साकेत) के राजा से लड़ाई की गाथाएँ सुरक्षित रखी हैं तथा अनेक उत्कीर्ण प्रलेख एवं खुदाई से प्राप्त सिक्के आदि, जो उत्तर प्रदेश के विस्तृत भाग में मिले हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह भूभाग किसी समय कुषाण साम्राज्य का अंश था। उस समय मथुरा कला का प्रसिद्ध केन्द्र था।

कनिष्क का राज्यकाल और कुषाण राजाओं की वंश-परम्परा अनिश्चित है। कुछ विद्वानों का मत है कि कनिष्क का राज्याभिषेक ईसा के 78 वर्ष बाद हुआ और कुछ का यह कि कनिष्क प्रथम ने सम्भवतः ईसा बाद 120 और 144 वर्ष के बीच राज्य किया था। उसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी और उसके राज्य के अन्तर्गत गांधार, कश्मीर तथा सिन्धु एवं गंगा नदी की घाटियों का क्षेत्र था। कनिष्क के पुत्र हुविष्क ने अपने पिता के बाद राजकाज सँभाला और उसके बाद उसका पुत्र वासुदेव गद्दी पर बैठा।

वासुदेव के समय में कुषाण साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था तथा उसके बाद छिन्न-भिन्न होकर अनेक छोटे-छोटे सीमान्त राज्यों में बँट गया। ईसा के बाद तीसरी सदी आते-आते कुषाणों का प्रभुत्व मध्यदेश से समाप्त

हो चुका था तथा उसके स्थान पर बहुत से दूसरे छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे। यद्यपि इस समय के इन राजाओं में कुछ के नाम अभी भी समुद्रगुप्त (ईसा बाद चौथी सदी) द्वारा **प्रयागराज** के स्तम्भ पर खुदवाये जाने के कारण ज्ञात हैं। मथुरा और कान्तिपुरी (मिर्जापुर में कान्तित) इस वंश के शासकों के मुख्यालय रहे। इसी अवधि में नागों की ही एक जाति ''भारशिव'' भी प्रभुत्वशाली बनी। इन लोगों की शक्ति तथा इनके साम्राज्य का आभास इसी से लग जाता है कि इन्होंने दस अश्वमेध यज्ञ किये और गंगा के पवित्र जल से इनके राज्याभिषेक हुए।

ईसा बाद चौथी सदी में गुप्त वंश का प्रादुर्भाव होने पर भारत में राजनीतिक एकता फिर स्थापित हुई तथा लगभग दो सौ वर्षों के उनके शासन काल में मध्यदेश (उत्तर प्रदेश) उनके शासनान्तर्गत अन्य क्षेत्रों के साथ शान्ति और समृद्धि का भागीदार बना।

गुप्त राज्य के पराभव के बाद एक बार फिर सत्ता विकेन्द्रित हो गयी। कुछ समय तक मध्यदेश के विस्तृत भाग पर कन्नौज के मौखरियों का शासन रहा। इन्हें मालवा के गुप्त राजाओं का कड़ा मुकाबला करना पड़ा। इनका अन्तिम राजा गृहवर्मन ईसा के लगभग 606 वर्ष बाद मालवा के राजा देवगुप्त द्वारा पराजित हुआ तथा मार डाला गया। इसके अनन्तर गृहवर्मन के मंत्रियों ने प्रशासन की बागडोर गृहवर्मन के साले हर्षवर्धन को सौंप दी। हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा था।

हर्ष के राज्याभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राज्यवंश आपस में मिल गये। कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया। कई शताब्दियों तक उसका वही मान रहा जो उससे पहले पाटलिपुत्र का था। उसकी शान-शौकत तथा समृद्धि के फलस्वरूप उसे ''महोदय श्री'' नाम मिला तथा हर्ष के बाद (ईसा 647 वर्ष बाद) के हिन्दू राजाओं का उसे अपने अधिकार में लेने का लक्ष्य रहा करता था। उस समय आये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कन्नौज की समृद्धि का वर्णन किया है।

हर्ष के बाद उत्तर भारत में फिर उथल-पुथल मच गयी। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस काल का कोई संश्लिष्ट इतिहास तैयार करना सम्भव नहीं है। केवल कुछ घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

आठवीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में यशोवर्मन ने कन्नौज में अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और कन्नौज को फिर से वैभवशाली नगर बना दिया। कश्मीर के ललितादित्य मुक्तपीड़ के सहयोग से उसने तिब्बत में भी सेना भेजी थी और सफलता पायी थी। किन्तु बाद में ललितादित्य ने उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला (ईसा से 740 वर्ष बाद)। बाद के आयुधवंशीय राजाओं के काल में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूटों तथा पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहारों के बीच बहुत दिनों तक प्रतिस्पर्धा चली जिसमें अन्तिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। इन लोगों ने जो साम्राज्य स्थापित किया वह विस्तार और ख्याति की दृष्टि से किसी भी गुप्त-वंशीय राजा या सम्राट हर्ष के साम्राज्य से कम नहीं था। गुर्जर प्रतिहार पूरी नवीं एवं दसवीं शताब्दी में उत्तर भारत पर छाये रहे। इनको सन् 1018-19 में मेहमूद गजनवी ने परास्त किया। जेजाकभुक्ति या वर्तमान बुन्देलखंड में चन्देल राजाओं ने मेहमूद गजनवी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। उनका गढ़ कालिंजर अजेय बना रहा। इन लड़ाइयों में दो चन्देल शासकों, धंग और विद्याधर ने बड़ा शानदार योगदान किया था।

प्रतिहारों के पराभव के बाद मध्यदेश में फिर से अराजकता फैल गयी; किन्तु इसी समय गहरवार राजवंश के उदय से शांति एवं सुव्यवस्था पुनः स्थापित हुई और इस क्षेत्र में समृद्धि का नया युग प्रारम्भ हुआ। दो प्रमुख गहरवार राजा थे गोविन्द चन्द्र (सन् 1104 से 1154 तक) और जयचन्द्र (सन् 1170 से 1193) तक। जयचन्द्र की अदूरदर्शिता से चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय की 1192 में तराइन में मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय हुई और फिर अगले वर्ष जयचन्द्र स्वयं भी **चन्दवार** (इटावा) में हारा और मारा गया। इसके बाद मेरठ, कोइल (अलीगढ़), असनी, कन्नौज और बनारस शीघ्र ही आक्रमणकारियों के शिकार हुए। जेजाकभुक्ति (**अब**

बुन्देलखण्ड) में सन् 1203 में चन्देल राजा परमर्दिदेव (लोकगाथाओं का वीर परमाल) एक युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक से हार गया और मारा गया। चन्देलों ने बाद में स्थिति सँभाल ली और लगभग दो शताब्दी से भी अधिक समय तक राज्य करते रहे। यह और बात है कि उनका राज्य-क्षेत्र छोटा हो गया था। इसी प्रकार सुदूर उत्तर का पहाड़ी भाग भी आक्रामकों से सुरक्षित रहा।

सन् 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और वहीं से गुलाम वंश का प्रारम्भ हुआ। गुलाम वंश के राजाओं और उनके बाद खिलजियों तथा तुगलक वंश के बादशाहों ने धीरे-धीरे दिल्ली **सल्तनत** की सीमा बढ़ायी। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगभग प्रारम्भ से ही इन लोगों के साम्राज्य का अंग रहा। सम्भल, कड़ा और बदायूं प्रमुख जागीरदारों को सौंप दिये गये थे, तथापि पूरा प्रदेश बराबर दिल्ली के सुल्तानों का विरोध करता रहा। **विरोध करने वाले क्षेत्रों में** कटेहर, कम्पिल, भोजपुर और पटियाली के नाम उल्लेखनीय हैं।

तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में मध्य-देश का इतिहास शौर्यपूर्ण प्रतिरोध और बर्बरतापूर्ण दमन का इतिहास रहा है जिसकी **एक दो** झाँकियाँ उस समय के इतिहासकारों की कृतियों में दिखलायी पड़ती हैं। इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही दिल्ली के तुगलकों का साम्राज्य तेजी से विघटित होने लगा था और सन् 1394 में इस क्षेत्र के पूर्वांचल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गयी। यह शर्की साम्राज्य था और इसकी स्थापना जौनपुर में नासिरुद्दीन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजाजहां ने की थी। शर्की शासकों ने 84 वर्षों तक दिल्ली की **सल्तनत** का जमकर प्रतिरोध किया और कन्नौज एवं अन्य सीमान्त जिलों पर दिल्ली का प्रभुत्व नहीं माना।

जौनपुर के **अलग** हो जाने के चार वर्ष बाद अर्थात् सन् 1398 में भारत पर समरकन्द के एक **चुँगताई** तुर्क ने, जिसे तिमुर या तैमूरलंग या तमरलेन कहा जाता है, आक्रमण किया। यद्यपि मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब का क्षेत्र तैमूरलंग की बर्बरता तथा पाशविकता का शिकार बना किन्तु दोआब का क्षेत्र भी अछूता न बचा। उदाहरण के लिये मेरठ, हरिद्वार तथा कटेहर को भी इस आक्रमण की कटुता का अनुभव हुआ।

तैमूर की चढ़ाई ने तुगलक वंश का शासन समाप्त कर दिया। सन् 1412 में मुहम्मद तुगलक (अन्तिम तुगलक बादशाह) की मृत्यु हो गयी और उसी समय से दिल्ली में तुगलक राजवंश की समाप्ति हो गयी।

सन् 1414 से 1526 तक सैयद और लोदियों ने दिल्ली साम्राज्य के बचे-खुचे भाग पर राज्य किया। लोदी राज-वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने सन् 1478 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया किन्तु दोआब का अधिकांश **भाग** अनेक हिन्दू एवं मुसलमान सरदारों के अधीन बना रहा। तत्कालीन इतिहास की एक प्रमुख घटना यह रही कि सिकन्दर लोदी ने आगरा को अपनी उप-राजधानी बनायी।

बाबर ने पानीपत की लड़ाई में सन् 1526 में लोदियों के अन्तिम बादशाह इब्राहीम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया किन्तु इसके बाद भी अफगानों ने गंगा की घाटी में और सम्भल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज में अपना प्रतिरोध जारी रखा तथा कड़ी लड़ाई के बाद ही आत्मसमर्पण किया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी किन्तु उसके लड़के हुमायूँ को अफगान वीर शेरशाह सूरी के हाथों करारी हार खानी पड़ी थी। शेरशाह सूरी मुगलों के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों के विरोध का प्रतीक था। मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच हुई लड़ाइयों में चुनार, चौसा तथा बिलग्राम प्रमुख रणस्थल थे। शेरशाह सूरी स्वयं सन् 1545 में कालिंजर के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने के प्रयास में चन्देलों से लड़ते हुए मारा गया।

उसकी मृत्यु से मानो मध्ययुगीन इतिहास के गगन का एक विलक्षण सितारा अस्त हो गया। इसके उपरान्त महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमारम्भ हुआ। हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसकी मृत्यु के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। सन् 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ। यह युग था शांति, समृद्धि सुदृढ़ प्रशासन का, उदारता, सहिष्णुता और हिन्दू एवं मुसलमान संस्कृतियों के समन्वय का।

समन्वय की यह प्रक्रिया अकबर के उत्तराधिकारियों-जहाँगीर एवं शाहजहाँ के समय में भी चलती रही। उत्कर्ष के इस युग में ''हिन्दुस्तान'' का, जैसा कि तत्कालीन मुसलमान इतिहासकार उत्तर प्रदेश को कहते थे महत्त्वपूर्ण अंशदान रहा है। अकबर के दो प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल और बीरबल इसी क्षेत्र के थे और जब तक शाहजहाँ के समय में दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया था तब तक आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी रही।

औरंगजेब द्वारा उदारता की नीति का परित्याग करने से मुगल साम्राज्य को भारी धक्का लगा। परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के कुछ ही दशकों में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया। औरंगजेब के शासनकाल में ही बुन्देलखण्ड ने वीर छत्रसाल के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। बुन्देलों की यह लड़ाई रुक-रुक कर लगभग 50 वर्षों तक चली। छत्रसाल को पेशवा वाजीराव की सहायता स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में मराठों के पैर जमे। स्वयं अवध का स्थानीय सूबेदार सादात खाँ सन् 1732 में स्वतंत्र हो गया और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सन् 1856 तक राज्य करते रहे। लगभग इसी समय रुहेलों ने भी स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया और सन् 1774 तक रुहेलखण्ड में अधिपति बने रहे। उक्त वर्ष अवध के नवाब ने उन्हें ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता से परास्त किया। कुछ समय तक मराठों ने गंगा-जमुना दोआब पर अपना आधिपत्य जमाने के प्रयास किये किन्तु 1761 में पानीपत में हुई हार ने उनकी इस विस्तार-भावना का अन्त कर दिया। इस अवसर से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दोआब में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली।

अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला (सन् 1754 से 1775 तक) के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी अवध के शासकों के सम्पर्क में आयी। शुजाउद्दौला ने बंगाल से भागे हुए नवाब मीर कासिम से सन् 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध इकरारनामा कर रखा था किन्तु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ और उसे कड़ा एवं **प्रयागराज** अंग्रेजों को दे देना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी धमकी देकर कभी फुसलाकर नवाब से बड़े-बड़े क्षेत्र हड़पने की नीति बना ली।

सन् 1775, 1798 और 1801 में नवाबों से जो क्षेत्र अंग्रेजों ने प्राप्त किये और सन् 1803 में ग्वालियर के सिंधिया से जो क्षेत्र लार्ड लेक ने जीते वे सब शुरू में बंगाल के प्रान्त से सम्बद्ध कर दिये गये थे और इन्हें जीते हुए या मिले प्रदेश की संज्ञा दी गयी। सन् 1816 में सुगौली की संधि द्वारा वर्तमान कुमाऊँ, गढ़वाल और देहरादून के जिले गुरखा आक्रमणकारियों से लेकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिये गये। इस प्रकार से जो विस्तृत क्षेत्र बना उसे सन् 1836 में उत्तर-पश्चिम प्रान्त के नाम से एक प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया। अन्त में सन् 1856 में राज्य हड़पने की नीति का अनुसरण करते हुए डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया तथा उसे एक चीफ कमिश्नर की अधीनता में रख दिया। आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया और उसे पेंशन दे दी। इसी समय झाँसी का राज्य भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था।

अवध के नवाबों और ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच जैसे सम्बन्ध थे वे एक तरफ तो नवाबों की दुर्बलता का तथा दूसरी तरफ अंग्रेजों की उद्दण्डता, शक्ति और विश्वासघात का स्मरण दिलाते हैं। अतः सन् 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध की नवाबी हड़प ली तो यह स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह की अग्नि भड़क उठे और सन् 1857 में यही हुआ। उक्त विद्रोह में, जो राष्ट्र की आजादी के लिए किया गया प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों तथा सभी धर्मों व वर्गों के लोगों ने शानदार भूमिका अदा की। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खाँ, नाना साहब, मौलबी अहमदउल्ला शाह, राणा बेनीमाधव सिंह, अजीमउल्ला खाँ तथा अन्य अनेक राष्ट्रभक्तों ने उक्त ऐतिहासिक संघर्ष में जिस कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया उससे वे अमर हो गये।

सन् 1858 में दिल्ली डिवीजन उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश से जुदा कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दी गयी। उसी वर्ष 1 नवम्बर को एक शाही घोषणा द्वारा राजनीतिक सत्ता

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से लेकर सीधे महारानी विक्टोरिया को सौंप दी गयी।

सन् 1877 में उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का पद तथा अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक में मिला दिया गया। उसी समय से उक्त वृहत्तर क्षेत्र को उत्तर-पश्चिम प्रदेश, आगरा और अवध, कहा जाने लगा। सन् 1902 में इस नाम को भी बदल कर संयुक्त प्रदेश आगरा और अवध कहा जाने लगा। सन् 1921 से यहाँ गवर्नर नियुक्त होने लगा और कुछ समय बाद राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी। सन् 1937 में इसका नाम छोटा करके मात्र संयुक्त प्रान्त कर दिया गया। आजादी मिलने के लगभग ढाई वर्ष बाद अर्थात् 24 जनवरी, 1950 को इस क्षेत्र का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश हुआ। इसके तुरन्त बाद पास-पड़ोस के अनेक छोटे-छोटे क्षेत्र इसमें मिला लिये गये। 26 जनवरी, 1950 को जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया।

इसमें सन्देह नहीं कि अंग्रेजों के राज्यकाल में या उसके बाद की अवधि में उत्तर प्रदेश का इतिहास पूरे भारत के इतिहास से पृथक नहीं रहा, किन्तु यह तथ्य सर्वविदित है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में यहाँ के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। सी.वाई. चिन्तामणि, तेज बहादुर सप्रू, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पन्त, लालबहादुर शास्त्री तथा रफी अहमद किदवई ये सब राष्ट्र के नेता रहे हैं और सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यह भी कम गौरव की बात नहीं है कि इस प्रदेश से **अनेक** प्रधान मंत्री राष्ट्र को मिले हैं- पं. जवाहरलाल नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गाँधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इत्यादि।

स्वाधीनता आन्दोलन : उत्तर प्रदेश की भूमिका

औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त पचास वर्षों में कुल आठ मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। 1757 तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाँच स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान सरदार, मेरठ तथा दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड, फर्रुखाबाद के नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का क्षेत्र, वर्तमान अवध तथा पूर्वी जिलों पर अवध के नवाब तथा बुन्देलखण्ड पर मराठों का शासन स्थापित था। दिल्ली में मुगलों के पराभव के साथ ही इन सभी स्वतंत्र राज्यों में वर्चस्व का संघर्ष जारी हो गया। 1761 के तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों, जाटों तथा राजपूतों की पराजय ने तथा बक्सर के युद्ध (1764) में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम की पराजय ने उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया। अंग्रेज प्रयागराज तक बढ़ आये थे। अवध के नवाब ने मराठों को बुन्देलखण्ड से सहायता के लिए बुलाया परन्तु कानपुर के निकट जाजमऊ में नवाब व मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से पराजित हो गयी। निर्वासित मुगल सम्राट शाह आलम को प्रयागराज तथा कोरा (प्रयागराज, कानपुर तथा फतेहपुर) के साथ-साथ बंगाल के राजस्व से 26 लाख वार्षिक का कर दान देना ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तय किया। जबकि अवध के नवाब ने अंग्रेजों को 50 लाख का मुआवजा देना स्वीकार किया।

1773 में अंग्रेजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर दिया तथा उन्हें दोआब से निष्कासित कर दिया। प्रयागराज अवध के नवाब को इस आधार पर सौंप दिया गया कि शाह आलम ने इसे मराठों को सौंप दिया था। 1774 में अंग्रेजी सेनाओं ने रुहेल सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर में पराजित कर रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को सौंप दिया।

1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् आसफउद्दौला अवध का नवाब बन गया। अंग्रेजों के साथ की गयी एक नई संधि में उसने बनारस क्षेत्र का आधिपत्य अंग्रेजों को सौंप दिया। बनारस क्षेत्र इस समय राजा चेत सिंह के अधिकार में था। राजा चेत सिंह ने 1780 में जब सैनिक टुकड़ियों तथा धन की अतिरिक्त माँग को ठुकरा दिया तब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स राजा को सबक सिखाने स्वयं बनारस पहुँच गया। राजा चेत सिंह के नेतृत्व में हुये बनारस विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों ने महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया।

इसके साथ ही बनारस पर ब्रिटिश प्रशासन सुनिश्चित हो गया।

सन् 1797 में आसफउद्दौला की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बन गया। उसने प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रतिवर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का आश्वासन भी प्रदान कर दिया।

19वीं सदी के प्रारम्भ पर अंग्रेजों के पास इस प्रान्त में सिर्फ बनारस क्षेत्र (मिर्जापुर के अतिरिक्त) तथा प्रयागराज का किला था। 1801 में अवध के सादात अली ने सुरक्षा की गारन्टी के एवज में गोरखपुर क्षेत्र, रुहेलखण्ड क्षेत्र, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा, दक्षिणी मिर्जापुर तथा कुमायूँ का तराई परगना अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। अगले ही साल फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना इलाका भी अंग्रेजों को दे दिया। इस प्रकार इस समय तक उत्तर को छोड़ कर शेष सभी तरफ से अवध अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्रों से घिर चुका था। 1803 में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मराठों से मेरठ, आगरा, **झाँसी** के पड़ोसी जिले बाँदा, हमीरपुर, जालौन, गोहाड़ तथा ग्वालियर का क्षेत्र भी हथिया लिया। परन्तु बाद में अंग्रेजों ने गोहाड़ तथा ग्वालियर सिन्धिया को वापस कर दिया। 1816 के गोरखा युद्ध में अंग्रेजों को कुमायूँ तथा देहरादून भी प्राप्त हो गये।

इस समय तक यह सारा क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही हिस्सा रहा तथा इस पर गर्वनर जनरल का ही शासन **बना** रहा। 1833 में इसे बंगाल प्रेसीडेन्सी से अलग कर आगरा प्रेसीडेन्सी का नाम दिया गया साथ ही एक गर्वनर की नियुक्ति भी कर दी गई। 1836 में जब इस प्रान्त का नाम उत्तर पश्चिमी प्रान्त किया गया तब इस प्रान्त में आगरा, झांसी, जालौन के साथ-साथ दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी शामिल थे। बाद में मारवाड़, बुन्देलखण्ड तथा हमीरपुर भी इसमें शामिल कर लिये गये। 1856 में अवध को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1857 की क्रान्ति के बाद दिल्ली पंजाब को, तराई के कुछ हिस्से नेपाल को, बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ इलाके रामपुर के नवाब को तथा सागर मध्य प्रान्त को दे दिये गये। 1871 में अजमेर व मारवाड़ भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये।

1857 की क्रान्ति

अंग्रेजी शासन के स्थापना वर्ष 1757 के ठीक **सौ वर्ष बाद**1857 में उत्तरी भारत की जनता ने विदेशी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह **कि**या। इस विद्रोह का प्रारम्भ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारतीय सैनिकों के गदर से हुआ। कम्पनी की सेना मुख्य रूप से तीन अंगों में विभाजित थी– बंगाल, बाम्बे तथा मद्रास सेना। इनमें बंगाल सेना सबसे बड़ी थी, जिसमें कुल 1,70,000 सैनिकों में से 1,40,000 भारतीय सैनिक थे जो मुख्यतया अवध, बिहार तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तों के निवासी थे। ये सभी अपने अपने गाँव के छोटे-छोटे जमींदार अथवा किसान परिवार से आये थे। यद्यपि उन्हें सन्तोषजनक वेतन प्राप्त होता था परन्तु ये कभी भी सार्जेन्ट से ऊपर का पद नहीं प्राप्त कर पाते थे।

1857 में प्लासी के युद्ध को सौ साल पूरा होना था। इस अवसर पर ब्रिटिश राज को समाप्त कर देने की छिटपुट योजनाएँ बनने लगी थीं। परन्तु कोई संगठित योजना अभी तक नहीं बन सकी थी। इनका प्रयास कुछ संन्यासी तथा वहाबी आन्दोलनकर्ता अवश्य कर रहे थे। इसका थोड़ा बहुत प्रभाव सैनिकों पर भी था। पिछले कुछ वर्षों से यह आम धारणा बनने लगी थी कि कम्पनी सरकार हिन्दू और मुसलमान दोनों को ईसाई बनाना चाहती थी। इसके कारण सैनिकों में एक आक्रोश व्याप्त था। इसी मध्य अंग्रेजों ने नये-नये अविष्कृत, एनफिल्ड रायफिलों के लिए एक नये प्रकार का कारतूस प्रयोग करना आरम्भ किया। चूँकि प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था, हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा बन चुकी थी कि उनके खोल सुअर एवं गाय की चर्बी से बनाए गए थे। इन कारतूसों के प्रयोग ने सैनिकों के आक्रोश को विस्फोट में बदल दिया। 26 फरवरी, 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बरहामपुर के 19वीं देशी सैनिक

टुकड़ी ने दगाऊ टोपी पहनकर परेड में जाने से मना कर दिया। उनके विरुद्ध कड़ी **कार्रवाई** की गयी। इसके तत्काल **बाद** कलकत्ता के निकट स्थित बैरकपुर के 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पाण्डे ने 21 मार्च को खुला विद्रोह कर दिया। उत्तर प्रदेश के निवासी मंगल पाण्डे ने उस दिन अपने एडजुडेन्ट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी तथा उस पर तलवार से भी वार किया। 7 अप्रैल को ही उन्हें बैरकपुर में फाँसी दे दी गयी। मंगल पाण्डे की शहादत ने उत्तर भारत के समस्त सैनिक छावनियों में विद्रोह की आग भड़का दी। इससे पहले से भारतीय जनता में ब्रिटिश शासकों की लूट, अत्याचार, हत्या, देशी उद्योगों को नेस्तनाबूद करने के कारनामों, अकाल, भूख, किसानों-मजदूरों पर बेइंतहा जुल्म आदि को लेकर विरोध व प्रतिरोध का लावा उबल रहा था। मंगल पाण्डेय की फाँसी ने इसमें घी का काम किया और व्यापक जनविद्रोह उभर पड़ा। सैनिकों के विद्रोह के साथ जन-विद्रोह भी शामिल हो गया जिसने देश की स्वाधीनता के पहले विद्रोह, मुक्ति की लड़ाई का स्वरूप लिया। अम्बाला के 60वीं व 5वीं सैनिक छावनी के सभी सैनिकों ने 9 मई को विद्रोह कर दिया। यह प्रथम ऐसा सैनिक विद्रोह था जिसमें किसी छावनी के समस्त सैनिकों ने भाग लिया था। अंग्रेजों ने इस पर तत्काल काबू पा लिया, पर इसके बाद मेरठ में होने वाला विद्रोह अंग्रेजी सैनिक क्षमता के बूते से बाहर सिद्ध हुआ। 24 अप्रैल की परेड में मेरठ की देशी सेना ने उन कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया। अंग्रेजी सेना ने 9 मई को 90 में से 85 सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। दूसरे दिन ही पूरी छावनी के सैनिकों में विद्रोह की आग भड़क उठी। उन्होंने अपने सैनिकों व साथियों को जेल से छुड़ा लिया तथा सभी अंग्रेज अधिकारियों, उनकी पत्नियों और बच्चों को मार दिया। 11 मई को इन्हीं सैनिकों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने तत्कालीन भारत के पेंशनयाफ्ता सम्राट **बृद्ध** बहादुरशाह जफर द्वितीय को मजबूर किया कि वह उनको नेतृत्व प्रदान करें। 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की एक मिली-जुली समिति ने 'जलसा' के नाम से दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।

इस सैनिक विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र अवध तथा बुन्देलखण्ड का था। यहाँ के किसानों ने तत्काल विद्रोही सैनिकों के साथ विद्रोह में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया था। नये जमींदारों को भगा दिया गया अथवा उनकी हत्या कर दी गयी। स्थानीय सरकारी कार्यालयों पर हमला बोल दिया गया। लगान देना बन्द कर दिया गया। उत्तरी भारत के दोआब क्षेत्र ने भी इस विद्रोह में सक्रिय योगदान दिया। इन्होंने अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर तथा प्रयागराज को स्वतंत्र कराने के बाद वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं। बरेली का प्रशासन 'खान बहादुर खान' नामक रोहिल्ला सैनिक अधिकारी ने अपने हाथ में ले लिया था। कानपुर के प्रशासन पर पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र 'वहाबी' विद्रोही का अधिकार था।पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली नामक एक पुस्तक विक्रेता कर रहे थे। इन नगरों के साथ इटावा, मैनपुरी, रुड़की, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, बाराबंकी, वाराणसी, झाँसी, अयोध्या, फतेहपुर तथा हाथरस जैसे अपेक्षाकृत छोटे-छोटे शहरों में भी विद्रोह का विस्तार हो चुका था।

इस बीच दिल्ली में कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो चुकी थी। विद्रोही सैनिकों में इस समय जिस अनुशासनिक भावना की आवश्यकता थी उसको उत्पन्न करने में तत्कालीन विद्रोही नेता असफल रहे। बिना किसी पूर्व तैयारी, सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तथा निश्चित नेतृत्व के बिना ही विद्रोह प्रारम्भ हो जाने के कारण दिल्ली में एक ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें किसी को भी यह नहीं पता था कि आगे क्या करना है। अनुशासन की यही समस्या कानपुर में भी खड़ी हुई। यहाँ नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व सम्भाल रखा था। इस समय नगर में लगभग 10,000 सैनिक तथा कृषक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत थे। कानपुर के निकट लखनऊ में भी विद्रोह प्रारम्भ हो चुका था। लगभग 50,000 नागरिक इसमें हिस्सा ले रहे थे। इनका नेतृत्व बेगम हज़रत महल कर रही थीं। यहाँ पर विद्रोहियों ने रेजीडेन्सी का घेरा डाल रखा था, जिसमें अंग्रेज सैनिकों, अधिकारियों तथा उनके परिवारों ने शरण ले रखी थी। कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सेना अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक तथा विन्धम ने अपनी समस्त सैनिक योग्यता तथा नेतृत्व के बल पर विद्रोह को

कुचलने का प्रयास एक लम्बे समय तक जारी रखा। इन सभी के विरुद्ध विद्रोहियों के पक्ष में केवल एक तात्या टोपे ही योग्य सेनापति थे। 6 माह के लगातार प्रयासों तथा एक माह के लम्बे युद्ध के बाद अंग्रेज अन्त में लखनऊ पर पुनः अधिकार करने में सफल हो गये। कानपुर तथा लखनऊ के बाद अंग्रेजों ने मई में बरेली पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद वे जनरल ह्यूरोज़ के नेतृत्व में झाँसी की ओर बढ़े। यहाँ पर उन्हें झाँसी की युवा रानी लक्ष्मीबाई का सामना करना पड़ा जो अब वीरतापूर्वक विद्रोह का नेतृत्व कर रही थीं। झाँसी की पराजय के बाद लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अपने समस्त पराक्रम के बाद भी पराजित हुईं और इस युद्ध में उन्होंने वीरगति पायी। इसके पश्चात् अप्रैल 1859 में तात्या टोपे भी पकड़ लिये गये और उन्हें फाँसी दे दी गयी।

इसी मध्य ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने 1 नवम्बर, 1858 को अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से समस्त अधिकार ले लिये। इस घोषणा में साम्राज्ञी ने विद्रोह से हाथ खींच लेने वाले रजवाड़ों, सामन्तों तथा जमींदारों को आम माफीनामा देने का आश्वासन भी दे दिया। परिणामस्वरूप, जो थोड़े बहुत जमींदार और सामन्त अभी भी विद्रोह से जुड़े हुए थे, उन्होंने तत्काल विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अपने अन्तिम दौर में विद्रोह पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो चुका था। अतः इसको दबा देना अंग्रेजों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं **था**।

राष्ट्रवाद का अंकुरण

1857 की क्रान्ति के कारण अंग्रेजी राज का रवैया इस प्रान्त के प्रति पक्षपातपूर्ण हो गया था। परिणामस्वरूप, शिक्षा तथा सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में यह प्रान्त बंगाल, बम्बई तथा मद्रास आदि से पिछड़ता चला गया। इसके साथ ही साथ धार्मिक व सांस्कृतिक आन्दोलनों के मामले में भी यह प्रान्त पिछड़ा ही रहा। जिस दौर में बंगाल, ब्रह्म समाज तथा रामकृष्ण मिशन, पंजाब, आर्यसमाज तथा बम्बई व पूना, प्रार्थना समाज व सत्यशोधक मण्डल जैसी सामाजिक-बौद्धिक संस्थाओं के कारण सांस्कृतिक व बौद्धिक रूप से उद्वेलित हो रहे थे, उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक शून्य के दौर से गुजर रहा था। इस दौर में आर्य समाज की सिर्फ दो शाखाएँ उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सकी थीं। इस अपेक्षाकृत शान्त माहौल में भी बनारस के भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अपने 'कवि वचन सुधा' नामक पत्रिका के माध्यम से बंगाल के स्वदेशी आन्दोलन के समर्थन में मुहिम जारी रखे हुए थे।

इसी दौर में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच एक प्रगतिशील आन्दोलन की नींव रखी। 1869 में ब्रिटेन से लौटने के बाद उन्होंने 'तहजीब उल अखलाक' नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिम समाज के मध्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में 'मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल विद्यालय' की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। **'अलीगढ़ आन्दोलन'** के नाम से विख्यात यह आन्दोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है।

सोमवार 28 दिसम्बर, 1885 को 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज, बम्बई', में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस स्थापना अधिवेशन के कुल 72 प्रतिनिधियों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी तथा लाला बैजनाथ आदि ने किया था।

कलकत्ता में सम्पन्न कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 पहुँच गयी थी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रारम्भ इस अधिवेशन में कुल 431 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन में इतना अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ जाने का कारण सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा कांग्रेस में सम्मिलित हो जाने के लिए राजी हो जाना था। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी तथा इण्डियन एसोसियेशन द्वारा अधिवेशन में सम्मिलित होने का निर्णय लेते ही बंगाल के अन्य राजनैतिक संगठनों ने भी इसमें खुलकर हिस्सा लिया। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का

महासचिव बनाया गया तथा कांग्रेस की स्थानीय समितियों को गठित करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश से पाँच सदस्यों को चुना गया था। लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, मौलाना हामिद अली तथा नवाब रज़ा अली खान और प्रयागराज के मुंशी काशी प्रसाद इस समिति में शामिल थे।

मद्रास के तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब अली द्वारा घोषित सब्जेक्ट कमेटी में उत्तर प्रदेश से राजा रामपाल सिंह, मौलवी हामिद अली, रामकली चौधरी एवं पं. मदनमोहन मालवीय को सम्मिलित किया गया था। कांग्रेस के इसी सत्र में पार्टी के संविधान तथा कार्यपद्धति को निर्धारित करने के लिए एक विधि समिति का निर्माण भी किया गया था जिसमें लखनऊ के गंगा प्रसाद वर्मा, विशन नारायण व मौलाना हामिद अली को शामिल किया गया था। यह अधिवेशन अपने पूर्ववर्ती दोनों अधिवेशनों से अधिक सफल सिद्ध हुआ। इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा पहली बार प्रतिनिधियों के रहने के लिए एक सभास्थल स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन से कांग्रेस को एक जन संगठन बनाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ।

कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जार्ज यूल की अध्यक्षता में प्रयागराज में सम्पन्न हुआ। इस प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड कॉल्विन ने जी जान से यह कोशिश की कि इस प्रान्त में न तो कांग्रेस का प्रचार ही होने पाये और न वह आवश्यक चन्दे का ही संग्रह कर सके। और तो और, प्रयागराज में अधिवेशन के लिये कांग्रेस को कोई जगह भी न मिल पाये, यह भी प्रयास किया गया। अंग्रेजी शासन के इस कड़े रुख के कारण मद्रास के तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध की गयी कटु आलोचनाएँ ही थीं। अंग्रेजों के इस कड़े रुख के साथ-साथ सर सैय्यद अहमद खाँ तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने भी कांग्रेस का विरोध प्रारम्भ कर दिया था। सर सैय्यद अहमद ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने को कहा। परन्तु उनके विरोध के बाद भी भारतीय मुस्लिम समाज में कांग्रेस के प्रति आकर्षण निरन्तर बढ़ ही रहा था। इसके अधिवेशनों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 1885 में 2, 1886 में 33 और 1887 में 79 तक बढ़ चुकी थी। कांग्रेस में मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव को देखकर सर सैय्यद ने 'मुहम्मडन एज्यूकेशनल कांग्रेस' और 'यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन' नामक दो संस्थाओं की स्थापना कर कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार प्रारम्भ कर दिया। सर सैय्यद के साथ-साथ राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने भी कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार में उनका पूरा साथ दिया। 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' तथा सर दिनशा मानक जी पेटिट जैसे धनिक पारसियों ने भी कांग्रेस को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। इन बाह्य विरोधों के बाद भी प्रयागराज का अधिवेशन पहले तीन अधिवेशन से अधिक सफल सिद्ध हुआ। इसमें कुल 1248 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें 964 हिन्दू, 222 मुसलमान, 7 पारसी, 11 जैन, 6 सिक्ख, 16 ईसाई, 2 यूरोपियन और 20 अमरीका निवासी भारतीय थे। इन प्रतिनिधियों में से 11 नवाब, 1 शहजादा, 2 मुगल राजकुमार, 3 अन्य राजकुमार, 388 जमींदार, 448 वकील, 77 पत्रकार, 143 आयुक्त, 58 शिक्षक तथा 10 किसानों ने हिस्सा लिया था। यद्यपि संख्या की दृष्टि से प्रयागराज का अधिवेशन एक सफल अधिवेशन था परन्तु इसमें सामन्तों तथा अभिजात्यवर्गीय प्रतिनिधित्व का वर्चस्व इतना अधिक बढ़ गया कि अंग्रेजी राज के प्रति कांग्रेस का रुख पहले की तुलना में अधिक नरम होने लगा। इस नरम रुख का नेतृत्व रानाडे और गोखले आदि कर रहे थे। इस नरम रुख के परिणास्वरूप ही 1892 का अधिवेशन लंदन में करने का निर्णय लिया गया था हालाँकि बाद में इसे प्रयागराज में करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का यह दूसरा अधिवेशन था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ, जिसमें कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया तथा इसी अधिवेशन में प्रादेशिक कमेटियों के गठन का निर्णय भी लिया गया।

कांग्रेस के इस नरम रुख के विरुद्ध कांग्रेस के अन्दर ही एक उग्रवादी धारा प्रवाहित होने लगी जिसका नेतृत्व तिलक तथा अरविन्द घोष कर रहे थे। बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इन्दु प्रकाश' में अरविन्द घोष ने कांग्रेस के इस नये रुख के विरुद्ध जमकर लिखा। 1895 के पूना कांग्रेस में तिलक ने यह सीधा आरोप लगा

दिया कि वह इसे आम जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं। 1905 तक कांग्रेस पर यद्यपि नरम और गरम पंथियों का ही वर्चस्व स्थापित रहा परन्तु धीरे-धीरे तिलक की बढ़ती लोकप्रियता ने नरम और गरम पंथ के मध्य दूरी को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया था। 1905 के बंगाल विभाजन ने कांग्रेस के इस आन्तरिक मतभेद को अत्यधिक बढ़ा दिया। बंग भंग आन्दोलन में दिये गये बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के नारे के प्रश्न पर कांग्रेस में तीखे मतभेद उत्पन्न हो चुके थे। ऐसे माहौल में कांग्रेस का 25वाँ अधिवेशन बनारस में हुआ। इन दोनों समूहों में पहला टकराव बनारस में ही हुआ। इस विवाद का प्रथम कारण 'प्रिंस आफ वेल्स' का स्वागत प्रस्ताव था। नरम पंथी इस प्रस्ताव को पारित कराना चाहते थे, जबकि तिलक आदि इसके विरुद्ध थे। बाद में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जब तिलक दल ने 'बहिष्कार' आन्दोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया तो नरम दल ने इसका जमकर विरोध किया। इस अधिवेशन का प्रारम्भ ही कटुताओं से हुआ था। वास्तव में, गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल ने 81 वर्षीय दादाभाई नौरोजी को ब्रिटेन से बुलाकर तीसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। इसका विरोध गरम दल न कर सका था। 'स्वदेशी' आन्दोलन को लेकर भी दोनों दलों में विरोध प्रारम्भ हो गया था। इन सब का परिणाम 1907 के सूरत कांग्रेस में उस समय सामने आया जब यह विरोध अपनी चरम सीमा में पहुँच गया तथा कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गयी।

इस समय स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलनों के विरुद्ध सरकारी दमन चक्र भी अपने चरम सीमा पर था। तिलक को 24 जून 1908 को केसरी में प्रकाशित दो लेखों के लिए 6 वर्ष की सजा दे दी गयी। बंगाल के प्रसिद्ध नेताओं अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र को देश निकाला दे दिया गया। कांग्रेस अब पूरी तरह नरम दल वालों के हाथ में आ चुकी थी क्योंकि विपिनचन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष भी सक्रिय राजनीति से निकल गये थे।

यू.पी. कांग्रेस कमेटी

उत्तर प्रदेश (यूनाइटेड प्राविंसेज़) में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ। 1907 के सूरत विभाजन में उत्तर प्रदेश के पं. मोतीलाल नेहरू तथा पं. मदनमोहन मालवीय ने नरम पंथियों का साथ दिया था। 1909 में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में शुरू हुआ। 1910 तक कांग्रेस संगठन का विस्तार प्रदेश के अनेक जिलों तक हो चुका था। 1907 में गरम दल के निष्कासन से 1914 के प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में रही।

इस बीच तिलक बर्मा के माण्डले जेल में रहे। जून 1914 में तिलक के छूटने तथा गोखले व फिरोजशाह मेहता की मृत्यु के बाद गरम दल फिर से कांग्रेस में प्रवेश पा गया। सितम्बर 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया और नवम्बर में आटोमन खलीफा ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध केन्द्रीय शक्तियों का साथ देना स्वीकार कर लिया था। तुर्की द्वारा जर्मनी का साथ देने का निर्णय लेते ही पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के मुस्लिम समाज में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का संचार प्रारम्भ होने लगा था।

भारत में भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं के प्रयास से मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्यों व नीतियों में थोड़ा परिवर्तन किया और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की जगह पर भारत में स्वशासन की स्थापना को मुस्लिम लीग का उद्देश्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही तिलक, एनी बेसेन्ट तथा जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ मुम्बई में हुआ। इन दोनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से हिन्दू-मुस्लिम भोज का आयोजन किया। इन्होंने चाँद और कमल दोनों चिह्नों वाले बैज लगा रखे थे जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। जिन्ना इस समय तक 'हिन्दू-मुस्लिम एकता के राजदूत' कहे जाने लगे थे।

अगले वर्ष 1916 में एक बार फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ। इस समय मुस्लिम लीग के नेता स्वयं जिन्ना थे जो 1904 से ही कांग्रेस के नेता थे। लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष अम्बिका चरण मजुमदार थे। यहाँ पर कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया। इन दोनों ने मिलकर जो योजना तैयार की वह 'कांग्रेस-लीग समझौता' के नाम से प्रसिद्ध हुई। कांग्रेस का यह अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि 1907 के बाद पहली बार तिलक कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हो रहे थे। तिलक की लोकप्रियता इस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि लखनऊ स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक उन्हें जिस घोड़ागाड़ी में लाया गया उसे घोड़ों के बदले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने खींचकर पाण्डाल तक पहुँचाया था।

इस समय तक भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका था जो भारत की आजादी का मसीहा बनने वाला था। मोहनदास करमचन्द गांधी नामक इस महात्मा ने दक्षिणी अफ्रीका में अप्रवासी भारतीयों के अधिकारों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के प्रवेश के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद में एक नयी दिशा का दौर प्रारम्भ हो गया। गांधीवादी राष्ट्रवाद मात्र भारत के राजनैतिक आजादी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्रांति का नवीन दर्शन भी निरूपित किया। भारत की राजनैतिक आजादी मात्र इसकी पहली सीढ़ी थी। इस सर्वांगीण क्रान्ति के दर्शन को गांधी ने ''अहिंसा'' के चरखे पर ''सत्य'' के धागों से बुना था। गांधी के इस क्रान्तिकारी खादीवाद समाज में औद्योगिक, राजनीतिक तथा धार्मिक पूँजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। इस समाज तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग ''सत्याग्रह'' था।

सन् 1914 में गांधी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे। उनके आने के पूर्व ही उनके सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह की ख्याति भारत पहुँच चुकी थी। चम्पार**ण** में नील की खेती करने वाले किसानों पर गोरों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध तथा गुजरात के खेड़ा जिले के अकालग्रस्त किसानों पर लगने वाले लगान के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। फरवरी 1919 में सरकार द्वारा ''रौलट कमेटी'' की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के बाद गांधी ने क्षण भर भी इन्तजार नहीं किया। इस कानून के अन्तर्गत क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें बिना कारण बताये गिरफ्तार किया जा सकता था तथा भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नज़रबंद व्यक्तियों को कानून समाप्त हो जाने के बाद भी बन्द रखा जा सकता था। इसमें किसी प्रकार की अपील की संभावना नहीं थी। विश्वयुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी इस कमेटी के प्रस्तावों को स्वीकार करने के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह सभाओं की स्थापना कर 30 मार्च से देशभर में हड़ताल तथा उपवास की घोषणा कर दी। बाद में हड़ताल का दिन 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। गांधी की सत्याग्रह सभाओं ने जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक युवकों को अपनी तरफ आकर्षित किया।

अक्टूबर 1920 में यू.पी. कांग्रेस का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. भगवान दास ने की। सम्मेलन में गांधी, मालवीय, मोतीलाल, जवाहरलाल, श्रद्धानंद, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलना हसरत मोहानी जैसे राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बना दिया था। इस सम्मेलन ने गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दिसम्बर 1920 का नागपुर अधिवेशन गांधीमय अधिवेशन में बदल चुका था। उनके असहयोग का प्रस्ताव यहाँ बहुमत से पारित हो गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का एक नया संविधान भी स्वीकार किया गया जिस पर गांधी की नीतियों का प्रभाव स्पष्ट था। कांग्रेस के अन्दर खादी, अस्पृश्यता निवारण, नशाबन्दी तथा राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक सामाजिक कार्यों का प्रारम्भ यहीं से हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार किसी एक व्यक्ति के आह्वान पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। छात्रों ने स्कूल छोड़ दिये और सरकारी नौकरों ने अपनी नौकरियाँ। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए पटना, अहमदाबाद तथा पूना की तरह बनारस में काशी

विद्यापीठ और अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यापीठ की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चितरंजन दास, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, आसफ अली तथा राजगोपालाचारी जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की होली जलायी जाने लगी। हजारों की संख्या में सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी को छोड़कर देश के सभी बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी को गिरफ्तार करने का साहस अंग्रेजी शासन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने प्रान्तीय समितियों को स्थानीय स्तर पर सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने की स्वीकृति दे दी। बिहार और उड़ीसा की तरह उत्तर प्रदेश में अवध प्रान्त के किसानों ने भी गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन कर दिया। इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार वेल्स ने भारत यात्रा प्रारम्भ की। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिटिश युवराज के बहिष्कार को पूरी तरह सफल बनाने का निश्चय किया गया।

जनवरी 1922 के सर्वदल सम्मेलन के अनुरोध पर गांधी ने एक माह के लिए आन्दोलन स्थगित करवा दिया, परन्तु सरकारी दमन जब फिर भी नहीं रुका तब गांधी ने बारडोली में सामूहिक आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। परन्तु बारडोली का आन्दोलन आरम्भ होने के पूर्व ही उत्तर प्रदेश के चौरीचौरा नामक स्थान पर एक ऐसी घटना हो गयी जिसने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया।

उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रान्त) के गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौरीचौरा में 5 फरवरी 1922 को सत्याग्रहियों का एक जत्था अपराह्न में आयोजित होने वाली एक जनसभा में भाग लेने के लिए सभा-स्थल की तरफ जा रहा था। यहाँ पर सायंकाल तक एक राष्ट्रीय नेता के आने की सूचना थी। सत्याग्रही अत्यन्त उत्साहित थे। स्वयंसेवक खादी की बनी टोपियाँ खरीद और बेच रहे थे। थाने के सिपाहियों द्वारा गाली देने पर इस जत्थे और पुलिसवालों में झगड़ा हो गया। सिपाहियों ने इस जत्थे के सत्याग्रहियों को पीटना प्रारम्भ कर दिया। सभास्थल पर एकत्रित लोगों को इसकी सूचना मिलते ही क्रोधित भीड़ ने सिपाहियों को घेर लिया। सिपाहियों ने तत्काल गोली चलानी प्रारम्भ कर दी। गांधी जी के शब्दों में, ''उनके (पुलिस) पास थोड़े से कारतूस थे; वे चुक गये। तब वे सुरक्षा के लिए थाने में घुस गये। मेरे संवादप्रेषक की सूचना के अनुसार भीड़ ने तब थाने में आग लगा दी। थाने के अन्दर बन्द सिपाहियों को तब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आना पड़ा और तब उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये और उनकी लाश के लोथड़ों को आग में झोंक दिया गया।''

इन सिपाहियों की कुल संख्या 22 थी। इस घटना ने गांधी को अत्यन्त आहत किया। उन्होंने इस घटना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बताया तथा 12 फरवरी को बारडोली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर तत्काल प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस का कोई भी नेता इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। सभी ने गांधी के निर्णय का विरोध किया। चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस आदि सभी गांधी के इस निर्णय से हक्के-बक्के रह गये। निश्चय ही अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग करने का साहस मात्र गांधी में ही था। इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा छह वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया।

स्वराजवादी

आन्दोलन के प्रारम्भ से ही गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह में पूर्ण आस्था न रखने वाले भी गांधी के साथ जुड़ने पर मजबूर हो गये थे परन्तु गांधी की गिरफ्तारी तथा आन्दोलन की वापसी के बाद इस वर्ग ने 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में विधान परिषदों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। यह असहयोग के घोषित कार्यक्रम के विपरीत एक प्रस्ताव था। चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इस वर्ग की यह दलील थी कि आन्दोलन के वापस हो जाने के बाद आन्दोलन के कार्यक्रम भी समाप्त हो गये। अब यह वर्ग विधान

परिषदों में पुनः प्रवेश कर अन्दर से संघर्ष जारी रखने की नीति अपनाना चाहता था। इनके विपरीत दूसरा वर्ग गांधी की अनुपस्थिति में आन्दोलन के किसी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था। इस प्रकार गया कांग्रेस परिवर्तनवादियों और परिवर्तन विरोधियों नामक दो घटकों में विभाजित हो गया। परिवर्तन विरोधियों का नेतृत्व राजगोपालाचारी तथा राजेन्द्र प्रसाद आदि कर रहे थे। चितरंजन दास का प्रस्ताव 860 के विरुद्ध 1740 मतों से गिर गया। चितरंजन दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया तथा मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, मदनमोहन मालवीय और जयकर को लेकर कांग्रेस के अन्दर ही एक अन्य दल ''स्वराज पार्टी'' की स्थापना कर दी।

इस दल ने 1923 के चुनाव में हिस्सा लिया। मध्य प्रान्त में इस दल ने बहुमत प्राप्त किया। बंगाल में भी इसे दूसरा स्थान मिला। परन्तु संयुक्त प्रान्त तथा बंगाल में इसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। केन्द्रीय विधान परिषद् में इन्होंने 101 जगहों में से 42 जगह प्राप्त कीं। सरकार के समक्ष स्वराजियों ने माँग रखी कि सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाय, क्रूर कानूनों को निरस्त किया जाय तथा प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान कर परिषदों द्वारा सरकार चलायी जाय। इसके लिए इन्होंने गोलमेज सभा आयोजित करने की माँग रखी।

फरवरी 1924 में गांधी जी स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिये गये। जेल से छूटने के बाद उन्होंने स्वराजवादियों के चुनाव लड़ने के निर्णय को अपना समर्थन दे दिया। परिवर्तन विरोधियों के अनुसार स्वराजवादियों के समक्ष यह गांधी का आत्मसमर्पण था। 16 जून 1925 को चितरंजन दास की मृत्यु के बाद मोतीलाल नेहरू स्वराजवादियों के एकमात्र नेता बन गये। परन्तु मदनमोहन मालवीय से उत्पन्न उनके मतभेद ने स्वराजवादियों को विभाजित कर दिया। मालवीय ने जयकर तथा लाजपत राय के साथ मिलकर ''नेशनलिस्ट पार्टी'' के नाम से एक नयी पार्टी बना ली। 1926 के चुनावों में इसे संयुक्त प्रान्त में काफी सीटें प्राप्त हुईं और स्वराजवादी पूरी तरह टूट गये। मोतीलाल नेहरू के अनुसार मालवीय-लाला गैंग कांग्रेस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था और उसे बिड़ला की धनशक्ति का भी सहयोग प्राप्त था।

अक्टूबर 1927 में ब्रिटेन की सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम की उपलब्धियों की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग के अध्यक्ष सर साइमन थे। इस आयोग में किसी भी भारतीय के न होने के कारण कांग्रेस ने आयोग के विरोध का निर्णय कर लिया। फरवरी 1928 में यह आयोग मुम्बई पहुँचा। हर नगर में ''साइमन वापस जाओ'' के नारे गूँजने लगे। एक बार फिर से असहयोग का वातावरण जीवन्त हो उठा। कांग्रेस ने मार्च 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया तथा इसमें साइमन आयोग के बहिष्कार के साथ-साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति को 1 जुलाई 1928 से पहले भारत के संविधान के सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार करना था। 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध इस प्रारूप में अधिराज्य अथवा औपनिवेशिक स्वराज को आधार बनाया गया था।

अगस्त में एक बार फिर सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया। 'नेहरू रिपोर्ट' के विरोध स्वरूप जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष बोस ने इस सम्मेलन में न कोई प्रस्ताव रखा, न बहस में हिस्सा ही लिया। जवाहरलाल तथा सुभाष चन्द्र बोस ने ''इंडिपेन्डेन्स फॉर इंडिया लीग'' की स्थापना की थी। पिछले कुछ वर्षों में संगठन ने अनेक युवकों, मजदूरों तथा कृषक संगठनों को अपनी ओर आकर्षित किया था। सोवियत क्रान्ति की सफलता से उत्साहित तथा मार्क्स-लेनिन के सिद्धान्तों से चमत्कृत नेहरू इस विद्रोही युवा वर्ग के नेता बन चुके थे। उनके नेतृत्व में इस समूह ने नेहरू रिपोर्ट का जमकर विरोध किया। अपने पिता के निर्देशों पर जिस रिपोर्ट को उन्होंने स्वयं लिखा था उसी को जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्मेलन में पूरी तरह खारिज कर दिया कि यह रिपोर्ट हिन्दू सम्प्रदायवादियों

की जीत के समान है न कि प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की। खिलाफत आन्दोलन के समापन तथा उसके बाद प्रारम्भ हिन्दू-मुस्लिम दंगों के कारण अली बन्धु का मोह भी अब कांग्रेस से पूरी तरह समाप्त हो चुका था। मोतीलाल नेहरू ने बहुत प्रयास किया कि जिन्ना उनकी रिपोर्ट का समर्थन कर दें, परन्तु जिन्ना उनके पुत्र नहीं थे जो अपने पिता की भाँति तत्परता से विचार परिवर्तन कर दिया करते थे। मोतीलाल नेहरू तथा हिन्दू महासभा के उनके समर्थकों ने जिन्ना की इस माँग को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया कि केन्द्रीय विधान सभा में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

30 अक्टूबर 1928 को साइमन आयोग के पंजाब आगमन के विरोध में एक बहिष्कार जुलूस का आयोजन लाहौर में किया गया था। इस जुलूस का नेतृत्व 64 वर्षीय लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस जुलूस पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतने घायल हो गये कि कुछ सप्ताहों बाद हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गयी। उनके असामयिक मृत्यु से पूरा देश शोकग्रस्त व क्रोध से भर उठा।

नवम्बर के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग को लखनऊ आना था। उसी समय लखनऊ विश्वविद्यालय में उपाधि वितरण समारोह भी होना था जिसमें आयोग के समारोह में बहिष्कार करने की अपील की। लखनऊ में आयोजित आयोग विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन्हें भी पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ीं। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर किये गये विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी जवाहरलाल ने किया। यहाँ भी उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। लखनऊ में पुलिस की लाठियाँ खाने के बाद नेहरू की राजनीतिक प्रतिष्ठा को चार चाँद लग गये।

दिसम्बर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में बोस ने रिपोर्ट में संशोधन पेश कर कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वाधीनता करने का प्रस्ताव रखा। नेहरू ने इसका समर्थन किया। परन्तु गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह समझौतापरक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि यदि 31 दिसम्बर 1929 तक भारत को औपनिवेशिक स्वराज न प्रदान किया गया तो कांग्रेस असहयोग आन्दोलन तथा करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ कर देगी। इस एक वर्ष में सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन तक नहीं प्राप्त हो सका। इसी बीच 28 दिसम्बर 1926 को लखनऊ में ए.आई.सी.सी. की बैठक हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अन्ततोगत्वा दिसम्बर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में प्रारम्भ हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया तथा नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। 31 दिसम्बर की आधी रात को प्रतिनिधियों ने पण्डाल से बाहर निकलकर पूर्ण स्वाधीनता का झण्डा फहराया। एक बार फिर पूरा देश गांधी की तरफ देखने लगा था।

क्रान्तिकारी आन्दोलन और संयुक्त प्रान्त

सन् 1917 से 1921 के मध्य का काल भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन की तैयारी का समय था। 1917 की सोवियत क्रान्ति तथा मानवेन्द्रनाथ राय, अवनिनाथ मुखर्जी, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय व भूपेन्द्रनाथ दत्त के प्रयासों से भारत में साम्यवादी दल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। कानपुर के ''प्रताप'' तथा ''प्रभु'' नामक अखबार बोल्सेविज्म के प्रचार में जोर-शोर से लगे थे। सितम्बर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने ''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी'' की स्थापना कर दी थी। इस दल ने यह घोषणा की कि इसका कोई भी सम्बन्ध कामिनतर्न तथा विदेशों में सक्रिय क्रान्तिकारी दलों से नहीं है। इस दल का पहला सम्मेलन दिसम्बर 1925 में कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पेरियार ने की। पार्टी के दूसरे अधिवेशन तक इसमें कामिनतर्न के साथ सम्बन्धों के प्रश्न पर पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो चुका था। कलकत्ता के इस अधिवेशन में सत्यभक्त ने यह घोषणा की कि पार्टी अपना राष्ट्रीय चरित्र बनाये रखेगी। परन्तु प्रतिनिधियों का बहुमत इसके विरुद्ध था फलस्वरूप सत्यभक्त ने त्यागपत्र देकर ''राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी'' की स्थापना कर दी। इसके विपरीत

''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी'' ने अपना लक्ष्य क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना तथा साम्राज्य विरोधी नीति को बनाया।

संयुक्त प्रान्त में गांधी का आन्दोलन प्रारम्भ होने के पूर्व लखनऊ तथा लखनऊ के आस-पास के जिलों में किसानों के बीच एक जनान्दोलन चल रहा था। ''एका'' आन्दोलन नामक इस जनान्दोलन का नेतृत्व किसान मदारी पासी कर रहे थे। यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस आन्दोलन का उद्देश्य किसानों के बीच साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे। इन बैठकों को मदारी पासी संबोधित करते थे। यह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाये रखने तथा बन्दी कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे। सरकारी दमन के कारण यह आन्दोलन बहुत शीघ्र ही समाप्त हो गया। इसी दौर के प्रारम्भ में गांधी के असहयोग आन्दोलन ने अवध के किसानों तथा शहरी निम्न मध्यम वर्ग के नवयुवकों को अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु चौरीचौरा काण्ड के बाद जब गांधी ने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया तो इन निराश निम्न मध्यमवर्गीय युवाओं को क्रान्तिकारी सैन्यवाद ने अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप बंगाल, पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जोर पकड़ने लगीं।

संयुक्त प्रान्त में इन्हीं क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की सुप्रसिद्ध घटना। इस घटना के तत्काल बाद पूरे संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारियों की धरपकड़ प्रारम्भ हो गयी। इसके अभियुक्तों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ तथा रोशन सिंह को फाँसी की सजा हुई तथा रामप्रसाद खत्री, मन्मथनाथ गुप्त सहित अनेकों क्रान्तिकारियों को लम्बे कारावास की सजायें सुनायी गयीं। क्रान्तिकारियों की तरफ से इस मुकदमे को बिना फीस लिये लड़ने के लिए जब कोई बड़ा वकील नहीं तैयार हुआ, तब चन्द्रभानु गुप्त नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाएँ अर्पित कीं। बाद में यही चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने।

गिरफ्तारी से बचे क्रान्तिकारियों ने दिल्ली में फिरोजशाह कोटला के खण्डहरों में एक गुप्त बैठक आयोजित की। इनका उद्देश्य बिखर चुके क्रान्तिकारियों को पुनः संगठित करना था। इस ऐतिहासिक बैठक में संयुक्त प्रान्त का प्रतिनिधित्व शिववर्मा, जयदेव कपूर, सुरेन्द्र पाण्डे तथा विजय कुमार सिन्हा ने किया था। अन्य प्रतिनिधियों में पंजाब से सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजस्थान से कुन्दन लाल तथा बिहार से फणीन्द्र घोष व मनमोहन बनर्जी ने हिस्सा लिया। बंगाल से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आ सका था। कोटला बैठक के समय एकत्रित क्रान्तिकारी संयुक्त प्रान्त व पंजाब के दो समूहों में विभाजित थे। इन दोनों समूहों ने एक सामूहिक नेतृत्व में कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह का नाम ''हिन्दुस्तान सोशलिस्ट **रिपब्लिक** एसोसिएशन'' (एच.एस.आर.ए.) रखा गया तथा चन्द्रशेखर आजाद को इस संगठन का सेनापति चुना गया। एक केन्द्रीय समिति का निर्वाचन भी किया गया जिसमें पंजाब से भगत सिंह व सुखदेव, संयुक्त प्रान्त से शिव वर्मा व विजय कुमार सिन्हा, राजस्थान से कुन्दनलाल तथा बिहार से फणीन्द्र घोष चुने गये। संगठन का मुख्यालय आगरा को बनाया गया तथा नीतिगत रूप से यह स्वीकार किया गया कि धन एकत्रित करने के लिए आम नागरिकों के यहाँ डकैतियाँ नहीं डाली जाएंगी।

साइमन आयोग के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर जिस प्रकार पुलिस ने लाठियाँ बरसायी थीं और जिसके कारण उनका देहावसान हो गया था, उसे एच.एस.आर.ए. ने एक राष्ट्रीय अपमान माना तथा उसका बदला लेने का निर्णय लिया। 19 दिसम्बर, 1928 को सरदार भगत सिंह ने जे.पी. साण्डर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर इस अपमान का बदला लिया। इस क्रान्तिकारी कार्य में भगत सिंह के साथ चन्द्रशेखर आजाद व राजगुरु आदि भी शामिल थे। साण्डर्स की हत्या के बाद एच.एस.आर.ए. के सदस्यों ने

गुप्त रूप से लाहौर में स्थान-स्थान पर इस आशय का हस्तलिखित पोस्टर भी चिपकाया जिसमें उस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की बात घोषित की गयी थी। यह पोस्टर एच.एस.आर.ए. के सेनापति की तरफ से जारी किया गया था।

भारत में क्रान्ति के लिए आवश्यक जनता का सहयोग प्राप्त करने का ध्येय बनाकर इन क्रान्तिकारियों ने अपनी गतिविधियों का स्वरूप बदलने का निर्णय किया। गुप्त रूप से कार्य करने की अपेक्षा अब इन्होंने जनता के बीच में कार्य करने का विचार बनाया। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान मण्डल में बम फेंक कर भारत की सोयी जनता को जगाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य की जिम्मेदारी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर डाली गयी। हालांकि, इस मिशन पर भगत सिंह को भेजने के पक्ष में कोई नहीं था क्योंकि यह सभी को पता था कि उनको भेजने का अर्थ उन्हें मौत के मुँह में भेजने के समान था। साण्डर्स हत्याकाण्ड में पुलिस को उनकी तलाश थी। उनके पकड़े जाने का अर्थ उन्हें फाँसी के तख्ते पर भेजने जैसा ही था। परन्तु भगत सिंह का मानना था कि पकड़े जाने पर क्रान्तिकारियों के पक्ष को उनसे बेहतर अन्य कोई नहीं रख सकता था। मजबूर होकर संगठन ने इस कार्य की जिम्मेदारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर डाली। 9 अप्रैल 1926 को इन दोनों क्रान्तिकारियों ने केन्द्रीय विधान मंडल में बम फेंक दिया। यह बम ''श्रमिक विवाद प्रस्ताव'' तथा ''जन सुरक्षा संशोधन प्रस्ताव'' की घोषणा के विरुद्ध फेंका गया था। बम के साथ-साथ इन दोनों ने पर्चे भी फेंके तथा नारे भी लगाये। भागना संभव होने पर भी इन दोनों ने गिरफ्तार हो जाना उचित समझा जो उनकी पूर्व निर्धारित नीतियों का ही एक अंग था।

भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के इस मिशन में सहयोग हेतु जिन दो अन्य क्रान्तिकारियों को चुना गया था वे दोनों संयुक्त प्रान्त के थे। इन दोनों को विधान मंडल के बाहर तक पहुँचाने का कार्य शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर ने किया था। इसके तत्काल पश्चात् शिव वर्मा भगत सिंह का एक फोटोग्राफ तथा सुखदेव के नाम पर एक पत्र लेकर लाहौर चले गये। वह फोटोग्राफ 7 अप्रैल की शाम को ही लाहौर प्रेस को सौंप दिया गया था, जिसने 8 अप्रैल के बम काण्ड के बाद इसे सर्वप्रथम प्रकाशित किया था।

भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त दोनों पर बम फेंकने और भगत सिंह पर साण्डर्स की हत्या का मुकदमा कायम किया गया। पूरे देश में क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी का दौर प्रारम्भ हो गया। शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ''द्वितीय लाहौर षड्यंत्र मुकदमे'' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध इस मुकदमे में इन चारों के अतिरिक्त सुखदेव, राजगुरु, डॉ. गया प्रसाद कटियार, विजय कुमार सिन्हा, किशोरी लाल तथा कुन्दनलाल आदि भी अभियुक्त थे। चन्द्रशेखर आजाद अन्त तक नहीं पकड़े गये। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में वह एक पुलिस मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फाँसी दे दी गयी। शेष सभी उपरोक्त अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। इस मुकदमे के दौरान क्रान्तिकारियों ने अपने बयानों से पूरे देश की सहानुभूति व समर्थन अर्जित करने में सफलता पा ली थी।

इस समय तक भारत में गांधीवादी आन्दोलन का दूसरा दौर आरम्भ हो चुका था। क्रान्तिकारी संगठनों की गतिविधियों में जो ठहराव अब आया वह गांधीवादी राष्ट्रवाद के दूसरे दौर के कारण फिर अपनी पुरानी तीव्रता नहीं पा सका। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन बहादुर क्रान्तिकारियों के साहसिक कारनामों ने जनचेतना को आन्दोलित कर दिया था।

नमक आन्दोलन

1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। गांधी ने वायसराय इरविन के सामने एक 11 सूत्री माँगपत्र रखा। इरविन से निराश होने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा

आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को प्रातःकाल साबरमती आश्रम से कूच किया। उनके साथ कुल 78 सत्याग्रही थे। 24 दिन में 200 मील की यह महान यात्रा पूरी कर वह 6 अप्रैल को डांडी के समुद्र तट पर पहुँचे। नियत समय पर डांडी तट से नमक उठाकर उन्होंने सर्वशक्तिमान ब्रिटिश साम्राज्य के नमक कानून को तोड़कर उसे खुली चुनौती दे डाली। इस अवसर पर दुनिया भर के प्रेस रिपोर्टर वहाँ उपस्थित थे। केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व की नजर इन 24 दिनों तक गांधी पर टिकी रही थी। गांधी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन होते ही पूरे देश में बिजली सी कौंध गयी। लोग स्थान-स्थान पर नमक बनाकर यह कानून तोड़ने लगे। गांधी के इस अहिंसक सत्याग्रह ने एक क्रान्तिकारी रूप धारण कर लिया। पुलिस का दमन चक्र भी बढ़ता चला गया। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई को गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

25 जनवरी 1931 को गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेता रिहा कर दिये गये। 4 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के मध्य समझौता हो गया। तत्पश्चात् 31 मार्च को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अत्यन्त कटुतापूर्ण माहौल में करांची में प्रारम्भ हुआ। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फाँसी के केवल 6 दिन बाद प्रारम्भ होने वाले इस सम्मेलन में गांधी का स्वागत गांधी विरोधी नारों के साथ किया गया। जो भी हो, इस अधिवेशन ने गांधी-इरविन सन्धि पर अपनी मोहर लगा दी। करांची अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कांग्रेस की आर्थिक नीतियों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना था। 17 अप्रैल 1931 को इरविन के स्थान पर लार्ड विलिंगडन ने वायसराय का पद लिया। 29 अगस्त को गांधी लन्दन में आयोजित होने वाले **द्वितीय** गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत से रवाना हो गये। इसी मध्य जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया था। इस समय तक नेहरू के सहयोगी के रूप में जयप्रकाश नारायण और लालबहादुर शास्त्री नेहरू के साथ जुड़ चुके थे। हालांकि, गांधी ने उन्हें फिलहाल इंतजार करने की हिदायत दे रखी थी तथा वल्लभभाई पटेल ने भी गांधी के भारत वापसी तक ऐसा करने से रोका था। गांधी के वापस लौटने के एक दिन पूर्व ही 26 दिसम्बर को ही वह गिरफ्तार किये जा चुके थे। गांधी ने अपनी गिरफ्तारी के एक दिन पूर्व वायसराय को आन्दोलन प्रारम्भ करने की मजबूरी से अवगत करा दिया था। इस बार जो आन्दोलन प्रारम्भ किया गया, उसने अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग स्वरूप ग्रहण कर लिया। संयुक्त प्रान्त तथा बिहार में करबन्दी का आन्दोलन चलाया गया। इसी प्रकार अन्य कई प्रान्तों में भी आन्दोलन प्रारम्भ हो गये।

ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसी बीच साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (कम्युनल एवार्ड) की घोषणा कर दी। इस घोषणा में दलितों (अछूतों) के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गयी थी। इस घोषणा ने दलितों को एक अल्पसंख्यक वर्ग मानकर पृथक् निर्वाचन का हकदार मान लिया था। यरवदा जेल में बंदी गांधी ने इसके विरुद्ध 20 सितम्बर से आमरण अनशन की घोषणा कर दी परन्तु उन्होंने पृथक् निर्वाचन को मुद्दा नहीं बनाया। उनका कहना था कि सवर्ण हिन्दू जातियाँ अपनी कट्टरता से बाज आएं। हिन्दू नेताओं ने एक सम्मेलन किया जिसमें सप्रू जयकर, राजगोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद, एम.सी. राजा, डॉ. अम्बेडकर, सर चिमनलाल सितलवाड, एन.एस. एनी, डॉ. मुंजे, पी. बालू, कुजरू व ए.वी. ठक्कर सहित लगभग सौ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर गांधी के जीवन की रक्षा करनी है तथा शीघ्रातिशीघ्र अस्पृश्यता के धब्बे को मिटा देना है। मंगलवार 20 सितम्बर को गांधी ने अपना अनशन प्रारम्भ किया। गांधी हरिजनों के लिए पृथक् निर्वाचन के क्षेत्रों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन के क्षेत्रों में ही अधिक प्रतिनिधित्व देने की माँग कर रहे थे। इस बार के अनशन में गांधी की हालत बहुत शीघ्र ही तेजी से गिरने लगी थी। छह दिनों में ही उनकी हालत एक मरणासन्न व्यक्ति जैसी हो गई। हरिजनों के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गाँधी जी से विचार-विमर्श कर पृथक निर्वाचन मण्डल बनाए

जाने की माँग छोड़ दी। यह डॉ. अम्बेडकर का दलितों के मध्य बढ़ता प्रभाव ही था जिसमें सवर्ण हिन्दू नेताओं की अस्पृश्यता मिटाने का निर्णय लेने के लिए बाध्य किया। यरवदा जेल के अन्दर ही 24 सितम्बर 1932 को गांधी-अम्बेडकर समझौता हुआ और 26 सितम्बर को ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट ने भी इस समझौते को अपनी मंजूरी देते हुए साम्प्रदायिक अधिग्रहण की घोषणा वापस ले ली। यह सूचना प्राप्त होने के बाद गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया। पूना पैक्ट या यरवदा पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते के बाद गांधी ने हिन्दू समाज में छुआछूत की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए ''मन्दिर प्रवेश'' का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस आन्दोलन के कारण सनातनी हिन्दू वर्ग गांधी से काफी नाराज हो गया। जेल से छूटने के बाद गांधी राजनीति से अलग हो गये तथा अछूतोद्धार जैसे सामाजिक कार्यों में लग गये। उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी वापस ले लिया। वास्तव में गांधी कांग्रेस के अन्दर बन चुके वाम व दक्षिणपन्थी गुटों की आपसी खींचतान से अत्यन्त खिन्न हो चुके थे। अक्टूबर 1934 में तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने तक की घोषणा कर दी।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी

पूरी दुनिया में इस समय समाजवाद का दौर चल रहा था। 1917 की रूसी क्रान्ति के बाद मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का प्रभाव यूरोप सहित उपनिवेशवाद से ग्रसित समस्त देशों में युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। कांग्रेस भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं बची थी। इस समय नेहरू भी समाजवाद के रोमांस से आप्लावित थे। फरवरी 1927 में वे ब्रूसेल्स में अन्तर्राष्ट्रीय दमित राष्ट्रीयताओं का सम्मेलन भी कर चुके थे। अपने क्रान्तिकारी व वामपंथी विचारों के कारण वह कांग्रेस के अन्दर समाजवाद से प्रभावित युवा वर्ग के नेता बन चुके थे। इस बीच जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा तथा राहुल सांकृत्यायन ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली थी। इसका उद्देश्य भारत में एक ऐसे समाजवादी राज्य की स्थापना करना था जिसमें निजी सम्पत्ति के लिए न कोई स्थान था न भूमि व पूँजी पर व्यक्ति के स्वामित्व का। इसी तर्ज पर संयुक्त प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी तथा तारापद भट्टाचार्य ने और युसुफ मेहर अली, एम.आर. मसानी, अच्युत पटवर्धन तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बाम्बे में समाजवादी दलों की स्थापना कर ली थी। 1933 में नासिक जेल में बन्द कांग्रेस के अनेक युवा समाजवादियों ने कांग्रेस के अन्दर एक अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने का विचार किया। इस विचार को प्रारम्भ करने वालों में प्रमुख थे– जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, एम.आर. मसानी, एन.जी. गोरे, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी तथा एम.एल. दाँतवाला। अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस में एक पर्चा लिखा। भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह कांग्रेस में प्रभावशाली हो चुके पूँजीवादी और सामन्तवादी तत्वों को चुनौती देने के लिए आवश्यक था। इसमें यह बात भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित थी कि जब कभी भी समाजवादियों के हाथ में सत्ता आयेगी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाएगा तथा उद्योगों, बैंकों व भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। 1934 में कांग्रेस के एक समूह के द्वारा विधान परिषदों में प्रवेश का समर्थन करने के बाद कांग्रेस के समाजवादियों ने एक अलग दल बनाने का मन बना लिया। 17 मई 1934 को आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में समाजवादियों का एक सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में आचार्य जी ने कांग्रेस के अन्दर नये स्वराजवादी दल के स्थापना की आलोचना करते हुए कांग्रेस समाजवादी दल की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। इस दल के सचिव की हैसियत से जयप्रकाश नारायण ने अन्य प्रान्तों में भी इसके प्रचार के लिए देश का दौरा प्रारम्भ कर दिया।

कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम वार्षिक सम्मेलन 21-22 अक्टूबर 1934 को सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ इसमें 13 प्रान्तों के 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी

में जयप्रकाश नारायण (मुख्य सचिव), एम.आर. मसानी, मोहनलाल गौतम, एन.जी गोरे तथा ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद (सहायक सचिव) तथा आचार्य नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानन्द, श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय, पुरुषोत्तमदास, त्रिकमदास, पी.वी. देशपाण्डे, राममनोहर लोहिया, एम.एम. जोशी, अमरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, चार्ल्स मस्करिनास, नवकृष्ण चौधरी तथा अच्युत पटवर्धन (सदस्य) निर्वाचित किये गये। इस सम्मेलन में दल का संविधान तथा कार्यक्रम भी तय किया गया। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का समर्थन किया परन्तु दोनों में से किसी ने भी इसकी सदस्यता नहीं ग्रहण की। कांग्रेस के दक्षिणपन्थी गुट ने इसका जमकर विरोध किया। वल्लभभाई पटेल ने इसे एक मूर्खतापूर्ण कार्य बताया।

कांग्रेस समाजवादी आन्दोलन के प्रति कृषकों, मजदूरों व छात्रों का आकर्षण तेजी से बढ़ने लगा। प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल याज्ञनिक, स्वामी सहजानन्द आदि के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 में किया गया। इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की माँग रखी गयी। इस प्रकार कांग्रेस के अन्दर समाजवाद के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। इसके साथ ही कांग्रेस स्पष्ट रूप से वामपंथी व दक्षिणपंथी गुटों में लामबन्द होने लगी। वामपंथियों का नेतृत्व यदि नेहरू कर रहे थे तो दक्षिणपंथियों का पटेल। गांधी यद्यपि समाजवादियों के मार्क्सवादी और लेनिनवादी रुझान के कारण उनकी आलोचना कर रहे थे परन्तु वह दक्षिणपंथियों के साथ भी नहीं थे। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे देना ही उचित समझा था।

इसी बीच 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 के अधिनियम को मंजूरी दे दी थी। यद्यपि कांग्रेस ने सर्व सम्मति से इस अधिनियम को खारिज कर दिया था परन्तु अब यह स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस का दक्षिणपंथी गुट इसके अन्तर्गत पदों को स्वीकार करने का मन बना बैठा था। जबकि समाजवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस का वामपंथी गुट इस अधिनियम के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाने तक की बात कर रहा था। कांग्रेस के इसी गुटबंदी के दौर में इसका वार्षिक सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सम्मेलन ने यद्यपि 1935 के अधिनियम की कड़ी आलोचना की परन्तु इसके अन्तर्गत चुनावों में हिस्सा लेने की बात को भी इसने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के अन्दर समाजवादियों की यह एक करारी हार थी।

1937 का प्रान्तीय मंत्रिमंडल

कांग्रेस का 50वाँ वार्षिक अधिवेशन 27-28 दिसम्बर, 1936 को फैजपुर (महाराष्ट्र) में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के लिए एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू को ही पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसमें कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। चुनाव प्रचार लखनऊ के सम्मेलन के बाद ही प्रारम्भ हो गया था। उन चुनावी सभाओं में नेहरू को सुनने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए अगर भीड़ जुटती थी। राजतंत्र की मानसिकता से ग्रस्त, भारत की निर्धन एवं अनपढ़ जनता, खूबसूरत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक नेहरू में अपने भावी शासक के दर्शन के लिए उमड़ रही थी, न कि उनके वैज्ञानिक समाजवाद से ओत-प्रोत भाषणों को सुनने के लिए, जिसे समझने में वह पूरी तरह असमर्थ थी। जो भी हो, जनवरी 1937 में सम्पन्न प्रान्तीय विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता हाथ लगी। सभी प्रान्तों के कुल 1585 स्थानों में से 714 पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। संयुक्त प्रान्त के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता हाथ लगी। इन 228 स्थानों में 64 मुस्लिम और 164 सामान्य (24 विशेष) स्थान थे।

1935 के अधिनियम के अन्तर्गत भारत के प्रान्तों में नयी संवैधानिक योजना को 1 अप्रैल 1937 तक लागू कर देना था। तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानों में शामिल गर्वनर के अपार अधिकारों का विरोध कर रही कांग्रेस सरकार बनाने को तैयार नहीं थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तों में 1 अप्रैल

को अल्पमत की सरकारों का गठन कर दिया। संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में यहाँ भी एक अल्पमत की सरकार का गठन कर दिया। इस मंत्रिमंडल में सलेमपुर के राजा भी शिक्षा मंत्री के रूप में शामिल थे। अन्त में गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलिथगो ने 22 जून को एक समझौतापरक परन्तु अस्पष्ट वक्तव्य देकर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए राजी कर लिया।

संयुक्त प्रान्त में चुनाव के पूर्व से ही इस प्रकार की संभावना बनने लगी थी कि यहाँ कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मिली-जुली सरकार बन सकती है। हालांकि औपचारिक रूप से ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था परन्तु चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के गठबन्धन की संभावना को पूरी तरह नकार दिया। यद्यपि संयुक्त प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना जैसे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभी भी मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन के पक्षधर थे परन्तु जवाहरलाल नेहरू इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिकजुमा 12 मई 1937 को नेहरू से मिलने **प्रयागराज** भी गए। नेहरू ने भारत के हिन्दू-मुस्लिम समस्या के पीछे चन्द पढ़े-लिखे सामन्ती मुसलमानों का हाथ बताते हुए मुसलमानों के लिए किसी अन्य दल की आवश्यकता को पूरी तरह नकार दिया था। इसी **बीच** झांसी से निर्वाचित के.बी. हबीबुल्ला की मृत्यु के बाद वहाँ जून 1937 में जो उपचुनाव हुआ उसमें जमातुल उलेमा के विरोध के बावजूद मुस्लिम लीग का प्रत्याशी विजयी हो गया। इस समय तक जमात तथा कांग्रेस में समझौता हो चुका था। इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य दूरी और अधिक बढ़ गयी।

22 जून को गवर्नर जनरल द्वारा दिये गये वक्तव्य के बाद 5 जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में सम्पन्न हुई जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाने का निर्णय कर लिया। इस बैठक में जाते समय गोविन्दवल्लभ पंत ने लखनऊ में रुककर चौधरी खलिकजुमाँ से मुलाकात की तथा यह पूछा कि यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की गठबन्धन सरकार बनती है तो वह कैबिनेट में कितने स्थान का दावा करेंगे। चौधरी ने जवाब दिया 9 में 3 या 6 में 2 अर्थात् कुल संख्या का एक तिहाई। वर्धा की कार्यकारिणी की बैठक के बाद मौलाना आजाद लखनऊ आए और 12 जुलाई को चौधरी खलिकजुमाँ से मिले। उन्होंने चौधरी से गठबन्धन सरकार में शामिल होने वाले दूसरे सदस्य के बारे में बात की। चौधरी ने बताया कि वह नवाब इस्माइल खाँ होंगे। 15 जुलाई को मौलाना और गोविन्दवल्लभ पन्त दोनों चौधरी से मिले। उन्होंने चौधरी से इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने को कहा जिसमें यह लिखा था कि संयुक्त प्रान्त विधान सभा में मुस्लिम लीग एक अलग गुट के रूप में कार्य नहीं करेगा। चौधरी ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य पड़े इस दरार ने आगे चलकर एक विकराल रूप ले लिया जिसका परिणाम बाद में भारत विभाजन के रूप में सामने आया।

अन्त में कांग्रेस ने संयुक्त प्रान्त में अकेले ही सरकार बनायी। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविन्दवल्लभ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, प्यारे लाल शर्मा तथा मोहम्मद इब्राहिम शामिल थे। लक्ष्मीनारायण को संसदीय सचिव बनाया गया। इस प्रकार संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस की सरकार ने जुलाई के दूसरे सप्ताह से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी वर्धा बैठक (27 फरवरी से 1 मार्च 1937) में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के लिए एक चौदह सूत्री कार्य आचार संहिता का निर्माण किया था। इसके साथ ही गांधी 'हरिजन' में अपने वक्तव्यों के द्वारा समय-समय पर इन्हें निर्देश दिया करते थे।

कांग्रेस सरकारों का सबसे पहला उत्तरदायित्व 1935 के अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना था जिसके अन्तर्गत स्वयं इन सरकारों की स्थापना हुई थी। संयुक्त प्रान्त में यह प्रस्ताव स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी ने 2 सितम्बर 1937 को विधानसभा में रखा। 2 अक्टूबर को इस विषय पर होने वाली बहस में प्रधानमंत्री पन्त ने सभी संशोधनों का जवाब दिया जिसमें एक संशोधन मुस्लिम लीग ने भी रखा था। यह प्रस्ताव अपने मूल रूप में ही उसी दिन पारित हो गया। 29-31 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में सम्पन्न अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि सभी कांग्रेस प्रान्तों में 1935 के अधिनियम में

प्रस्तावित संघीय योजना के विरुद्ध प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसी प्रस्ताव के अनुरूप संयुक्त प्रान्त में भी 20 जनवरी 1938 को एक प्रस्ताव पारित किया गया।

कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में राजनैतिक बन्दियों की रिहाई प्रारम्भ करने की बात सोची गई परन्तु इस प्रश्न को लेकर संयुक्त प्रान्त तथा बिहार में समस्या उत्पन्न हो गई। फरवरी 1938 तक संयुक्त प्रान्त में अभी भी 15 राजनैतिक बन्दियों का मामला विचाराधीन था। इन दोनों प्रान्तों के राज्यपाल इनकी रिहाई के पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रान्त की शान्ति व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। 1935 के अधिनियम की धारा 126 (5) के अन्तर्गत गवर्नर जनरल ने भी उन राज्यपालों को यह निर्देश दे दिया कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे आत्मसमर्पण न करें। परन्तु इन दोनों प्रान्तों के प्रधानमंत्रियों ने सभी बन्दियों को एक साथ रिहा करने के अपने अधिकार पर जोर दिया जिसे राज्यपालों ने नहीं माना और इन दोनों मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया।

यह संकट उस समय सामने आया जब 19-21 फरवरी 1938 को हरिपुरा में कांग्रेस का 51वाँ अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस ने इन दोनों मंत्रिमंडलों के निर्णयों को स्वीकार कर लिया। गांधी ने सरकार के इस रवैये के विरुद्ध एक वक्तव्य भी जारी किया। 22 फरवरी को गवर्नर जनरल ने अपनी स्थिति साफ करते हुए एक वक्तव्य जारी किया, जिसके बाद 23-24 फरवरी को संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर इस संकट के समझौतापरक उपायों पर विचार किया। दोनों पक्षों ने मिलजुल कर एक स्वस्थ परम्परा निर्मित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रकार यह संकट किसी प्रकार टल सका। अन्त में मार्च 1938 तक सभी राजनैतिक बन्दी रिहा कर दिये गये।

संयुक्त प्रान्त की इस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। इस अधिनियम के द्वारा आगरा और अवध क्षेत्रों के भूमिधरी अधिकारों में समरूपता लाने का प्रयास किया गया। इस सरकार ने प्रान्त में कुटीर उद्योगों के विकास की नींव रखने के लिए भी कुछ कदम उठाये। गांधी के घोषित आदेशों के अनुरूप प्रान्त में मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को एटा व मैनपुरी जिलों को चुना गया। इसके साथ ही साथ जौनपुर, बिजनौर, प्रयागराज तथा लखनऊ में आबकारी दूकानों को सीधे आबकारी विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया। हालांकि मद्य निषेध की यह नीति पूरी तरह असफल सिद्ध हुई। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले चन्द प्रयास भी सफल न हो सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने इतना अवश्य किया कि काशी विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया की उपाधियों को अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्यता प्रदान करा दिया।

1937 से 1939 के मध्य कांग्रेस प्रशासन के दौरान हरिपुरा (गुजरात) तथा त्रिपुरी (मध्य प्रान्त) में कांग्रेस के दो वार्षिक अधिवेशन हुए। 19 से 21 फरवरी 1938 को सम्पन्न हरिपुरा के 51वें अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चन्द्र बोस ने की थी। मार्च 1939 में होने वाले अगले अधिवेशन के लिए अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े संकट के रूप में सामने आया। कांग्रेस का दक्षिणपंथी गुट सुभाष चन्द्र बोस के पुनर्निर्वाचन का विरोधी था। इस गुट ने पट्टाभि सीतारमैया को अपना प्रत्याशी बनाया था। जबकि स्वयं बोस इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना का विरोधी हो। अपने पुनर्निर्वाचन का विरोध होने पर उन्होंने इस पद के लिए आचार्य नरेन्द्र देव का नाम भी सुझाया था। परन्तु नेहरू ने अपनी तरफ से मौलाना आजाद का नाम गांधी को सुझा दिया था। बाद में जब मौलाना ने अपना नाम वापस ले लिया तो बोस व पट्टाभि सीतारमैया के मध्य चुनाव हुआ। 29 जनवरी 1939 के इस चुनाव में बोस को 1850 तथा पट्टाभि सीतारमैया को 1277 मत प्राप्त हुए। बोस के पुर्ननिर्वाचित होने के बाद कार्यसमिति के 15 में से 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। नेहरू ने अपना त्यागपत्र अलग से दिया। 10 मार्च 1939 को त्रिपुरा में अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। गांधी राजकोट के आन्दोलन में व्यस्त होने के कारण यहाँ नहीं आ सके थे।

अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस स्वयं बीमार थे। ऐसे में गांधी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर तथा बिना उन्हें बताए यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि बोस अपनी कार्यसमिति के सदस्यों का चुनाव गांधी की इच्छानुसार ही करें। इस प्रस्ताव ने ही बोस द्वारा कांग्रेस को त्यागने की भूमिका लिखी। यह प्रस्ताव संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री पन्त ने रखा था। बोस अपनी कार्यसमिति का चुनाव करने में असमर्थ रहे क्योंकि गांधी ने उन पर अपनी राय लादने से मना कर दिया था। फलस्वरूप बोस के पास त्यागपत्र के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता शेष नहीं बचा था।

1 सितम्बर 1939 को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप में युद्ध प्रारम्भ होते ही वायसराय लिनलिथगो ने एक उद्घोषणा में भारत को भी इसमें शामिल कर लिया। इस घोषणा के पूर्व उन्होंने किसी भी राजनैतिक दल से कोई सलाह तक नहीं ली थी। 5 सितम्बर को वायसराय ने गांधी से मुलाकात की। गांधी ने व्यक्तिगत रूप से मित्र राष्ट्रों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखायी परन्तु कांग्रेस की तरफ से कुछ भी कहने से मना कर दिया। कांग्रेस कार्यसमिति ने फासीवाद तथा नात्सीवाद की भर्त्सना तो की लेकिन साथ में यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार ''युद्ध के उद्देश्यों'' को स्पष्ट करे। ब्रिटिश सरकार ने 17 अक्टूबर के अपने श्वेत पत्र में एक ''परामर्शदायी गुट'' की स्थापना तथा भविष्य में कभी ''औपनिवेशिक दर्जा'' देने की बात कही। साथ ही साथ 1935 के संविधान को निरस्त कर दिया गया। भारत में एक व्यक्ति का शासन लागू हो गया। इसके जवाब में कांग्रेस ने 29 अक्टूबर को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की सभी आठों सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने इन विधानसभाओं को भंग नहीं किया क्योंकि वह इस अवसर पर चुनाव का खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। उन्होंने उन्हें सिर्फ मुअत्तल कर दिया तथा समस्त अधिकार अपने हाथों में ले लिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन तथा बलिया की अस्थायी सरकार

इस यूरोपीय युद्ध ने शीघ्र ही विश्वयुद्ध का रूप ले लिया। यूरोप में जर्मनी का विजय अभियान जारी था। लंदन स्वयं नाजी बमवर्षकों के निशाने पर आ चुका था। जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हिटलर का नस्लवादी अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। मित्र राष्ट्र हर मोर्चे पर पीछे हटने को मजबूर हो रहे थे। ऐसे में नेहरू सहित पूरे कांग्रेस में सहयोग विरोधी अभियान तेज होता जा रहा था। उन्हें जुलाई में गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी की अहिंसा इस युद्ध में किसी भी प्रकार के भौतिक सहयोग के विरुद्ध थी। उनका अन्तःकरण धीरे-धीरे एक स्वरूप ग्रहण करने लगा था। अभी तक वह सहयोग के विरुद्ध नहीं थे परन्तु अचानक वह पूरी तरह से युद्ध में सहयोग को हिंसा मानने लगे थे। उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तक तोड़ लिया। कांग्रेस के एक गुट ने एक और प्रयास किया और सरकार के समक्ष राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। राजगोपालाचारी का यह फार्मूला राष्ट्रीय स्वाभिमान के बिल्कुल विरुद्ध था परन्तु इसी बहाने नाजीवाद से लड़ने का अवसर प्राप्त हो जाने की उम्मीद में नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी बीच चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके थे और जेटलैण्ड के स्थान पर एमरी भारत के सचिव बन चुके थे। सरकार ने कांग्रेस के इस फार्मूले को भी अस्वीकार कर दिया।

एक बार फिर कांग्रेस के सामने गांधी के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं बचा। गांधी को पुनः कांग्रेस का निर्विरोध नेता मान लिया और कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे कांग्रेस के सभी नेताओं की गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गयी। बोस ने जेल में ही अनशन प्रारम्भ कर दिया। उन्हें जेल से निकालकर घर में ही नजरबन्द कर दिया गया, तभी जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद भारत के साम्यवादी नाजीवाद और फासीवाद के सबसे बड़े विरोधी बन गये। इसी माह सुभाष बाबू अंग्रेजों के अजेय चक्रव्यूह को चकमा देकर काबुल के रास्ते देश के बाहर निकल गये। उनका उद्देश्य किसी प्रकार जर्मनी तथा जापान का सहयोग प्राप्त कर भारत को आजाद कराना था। सुभाष बाबू का

पलायन अपने समय का सबसे बड़ा धमाका था। देखते-ही-देखते वह देश के सर्वाधिक चर्चित नेता हो गये। दिसम्बर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के साथ ही इस युद्ध ने एशिया में भी प्रवेश किया। युद्ध सीमाओं के निकट आता जा रहा था। इस अवसर पर अप्रैल 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स आयोग को भारत भेजा। परन्तु इस आयोग के पास भारत को देने के लिए कुछ भी नहीं था। क्रिप्स के जाने के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक प्रयागराज में हुई। इसमें मीरा बेन द्वारा प्रस्तुत गांधी के प्रस्ताव ने सभी को सकते में डाल दिया। इस प्रस्ताव में गांधी ने स्पष्ट किया था कि जापान को भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। वह भारत पर यदि आक्रमण करेगा तो इसलिए कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यदि भारत छोड़ दे तो स्वयं भारत की अस्थायी सरकार, अपनी पूरी ताकत से, अपनी रक्षा के लिए, संयुक्त राष्ट्रों के साथ सहयोग करेगी। इस प्रस्ताव को वर्धा में अन्तिम रूप दिया गया। यही प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को ''भारत छोड़ो'' प्रस्ताव के रूप में बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में पारित किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद गांधी ने ''अंग्रेजों भारत छोड़ो'' तथा ''करो या मरो'' का नारा दिया। गांधी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि जापान यदि भारत पर हमला करता है तो उसकी असली कीमत जनता को ही चुकानी होगी। युद्ध की उस भयंकरता में अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हिंसा के उस तांडव से मुक्ति का एक अवसर अभी शेष बचा था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो जापान संभवतः आक्रमण न करे। इस एक अवसर का उपयोग करने के लिए ही उन्होंने ''करो या मरो'' का नारा देते हुए बताया कि कुछ न करने का अर्थ सिर्फ मौत है चाहे वह जापानियों के हाथ से आये या अंग्रेजों के। गांधी ने इस प्रकार दुविधा की इस अभूतपूर्व स्थिति में भी अहिंसा का मार्ग तलाश ही लिया। वास्तव में गांधी प्रारम्भ से ही इसी अहिंसा की बात कर रहे थे जो कायरों की नहीं बहादुरों की अहिंसा थी।

अगले ही दिन सुबह गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लोहिया किसी तरह बच निकले और भूमिगत हो गये। पूरा भारत करो या मरो के नारे से गूँजने लगा। नेताओं की अनुपस्थिति में स्थानीय लोगों, विशेषकर छात्रों ने आन्दोलन की कमान थाम ली थी। यूँ तो देश का हर प्रान्त आन्दोलित हो चुका था लेकिन कुछ जिलों में तो आन्दोलनकारियों ने पूरे ब्रिटिश प्रशासन को ही समाप्त कर अस्थायी रूप से स्वतंत्र प्रशासन की स्थापना कर दी थी। संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में बलिया, महाराष्ट्र में सतारा तथा बंगाल के तुमलुक आदि ऐसे स्थान थे जहाँ ब्रिटिश सेना को इन्हें पुनः विजित करना पड़ा।

बम्बई में गांधी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही 10 अगस्त को बलिया नगर में हड़ताल हो गई। सभी स्कूल-कालेज बन्द हो गये। 11 अगस्त को लगभग 15000 लोगों के एक जुलूस ने बलिया कचहरी की तरफ कूच कर दिया। इस जुलूस पर हुए पुलिस हमले ने लोगों को आपे से बाहर कर दिया। 13 से 16 अगस्त के बीच अनेकों रेलवे स्टेशन जला दिये गये तथा पुलिस थानों पर अधिकार कर लिया गया। 16 अगस्त को बलिया जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया तथा कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गई। इस सरकार ने शपथ ग्रहण करने के बाद 20 अगस्त को हनुमानगंज कोठी में एक सार्वजनिक बैठक की। आम लोगों ने सरकार को चलाने के लिए हजारों रुपये एकत्रित किये तथा सरकारी अधिकारियों को पुलिस लाइन में बन्द कर दिया गया। इस नयी सरकार को जनता का अपार नैतिक समर्थन प्राप्त था। इस नैतिक सत्ता के आधार पर ही इस सरकार ने एक जाँच कमेटी का गठन कर लोगों से यह अपील की कि सभी प्रकार की लूटी हुई सम्पत्ति सरकार को वापस कर दें। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब यह देखा गया कि लोगों ने न केवल अपनी भूलों को स्वीकार किया बल्कि लूटी गयी सम्पत्ति भी वापस कर दी। रेवती क्षेत्र की एक विधवा ने इस सरकार से अपील की कि उसके रु. 3000/- मूल्य के जेवरात लूट लिये गये हैं तथा पुलिस चोरों का पता नहीं लगा सकी है। नयी सरकार ने न केवल इस लूट का पता लगा लिया बल्कि उसके जेवरात भी वापस दिला दिये। यह नयी सरकार कुछ ही दिन चल सकी लेकिन इस बीच न किसी

सरकारी अधिकारी की सम्पत्ति लूटी गई न किसी के साथ दुर्व्यवहार ही किया गया। इस समय सरकारी खजाने में डेढ़ लाख रुपये जमा थे परन्तु किसी ने भी इस पैसे के अवैधानिक उपयोग की बात सोची भी नहीं।

22 अगस्त से बलिया पर अंग्रेज सरकार का दमन प्रारम्भ हो गया। विद्रोहियों के घरों को लूट लिया गया और सैकड़ों घरों को जला दिया गया। आम जनता पर 12 लाख का आम जुर्माना लगाया गया परन्तु 29 लाख से अधिक की वसूली की गई। 17 स्थानों पर गोली चलायी गयी जिसमें 46 से अधिक लोगों की जान चली गयी। 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से अधि**कांश** को 5 से 7 वर्ष की सजायें सुनायी गईं। बलिया पर सेना की सहायता से पुनः अधिकार कर भारत की ब्रिटिश सरकार ने लंदन को यह सूचित किया कि बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया।

सरकार की दमन नीति के विरुद्ध गांधी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास प्रारम्भ कर दिया। इस उपवास में गांधी की हालत अत्यन्त खराब हो गई थी परन्तु उन्होंने 3 मार्च को 21 दिन पूरे होने पर ही उपवास तोड़ा। जनता और सरकार दोनों ने राहत की साँस ली। इस समय पूरे देश में लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में बन्द किया जा चुका था। पुलिस का दमन बढ़ने के बाद अब गुप्त रूप से चलने वाले इस आन्दोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली जैसे युवा समाजवादी करने लगे थे। यह आन्दोलन ब्रिटिश भारत के साथ-साथ देशी रियासतों में भी फैल चुका था। 1857, 1920 और 1930 के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह चौथा महान विस्फोट था।

1943 के अन्त तक भारत छोड़ो आन्दोलन पूरी तरह बिखर चुका था। चारों तरफ निराशा का वातावरण छा गया था। इस वर्ष बंगाल में अकाल से होने वाली 40,000 लोगों की मौत ने निराशा के इस माहौल को और अधिक धूमिल कर दिया था। तभी जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुँच चुके नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा कर लोगों में एक नयी जान फूँक दी। यहीं पर उन्होंने ''दिल्ली चलो'' का नारा भी दिया। दिसम्बर 1943 में उन्होंने अण्डमान पहुँचकर इस द्वीप का नाम शहीद व स्वराज रख दिया। एक विमान दुर्घटना में उनकी अचानक मौत हो गई। इस समय तक मित्र राष्ट्रों को सभी मोर्चों पर विजय मिलनी प्रारम्भ हो गई थी।

15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। युद्धोपरान्त ब्रिटेन में मजदूर दल सत्ता में आ गया। प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण के सम्बन्ध में ब्रिटिश नीतियों की घोषणा कर दी। 2 सितम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार गठित हुई जिसमें शामिल होने की घोषणा मुस्लिम लीग ने भी 15 अक्टूबर को कर दी। 24 मार्च 1947 को लार्ड माउण्टबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। नये वायसराय ने अत्यन्त चतुराई से कांग्रेस और लीग की कटुता का लाभ उठाकर भारत विभाजन की नींव पक्की कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया लेकिन यह आजादी भारत विभाजन की कीमत पर प्राप्त हो सकी।

आजादी के इस पूरे संघर्ष काल में संयुक्त प्रान्त की जनता ने 1857 से लेकर आजादी तक बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 का संग्राम हो, क्रान्तिकारियों का गुप्त आन्दोलन हो या गांधी का सत्याग्रह, इस प्रान्त की जनता ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले कांग्रेस के नेता पं. जवाहरलाल नेहरू इसी प्रदेश के थे। आजादी के बाद भी, आज तक भारत की राष्ट्रीय मुख्यधारा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश ही करता रहा है।

ऐतिहासिक परिदृश्य

प्राचीन काल (विशिष्ट तथ्य)

- मिर्जापुर, सोनभद्र, बुन्देलखण्ड, प्रतापगढ़ के सरायनाहर राय से उत्खनन में प्राचीन एवं नव पाषाणकाल के औजार-हथियार मिले हैं।
- आलमगीरपुर से हड़प्पाकालीन वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है।
- आलमगीरपुर से कपास उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- शतपथ ब्राह्मण में कोशल (अवध) का उल्लेख प्राप्त होता है।
- प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो गंगा के मैदान में स्थित था 'मध्य देश' कहलाता था।
- मध्य देश (आधुनिक उत्तर प्रदेश) में कुरु, पांचाल, काशी, कोशल, शूरसेन, चेदि, वत्स, कुशीनगर के मल्ल, आदि महाजन पद स्थापित थे।
- कुरु महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। यह मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था।
- पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थापित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा पांचाल महाजनपद के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी काम्पिल्य थी।
- शूरसेन महाजनपद मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थापित था। इसकी राजधानी मथुरा थी।
- वत्स महाजनपद (प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कोसम (कौशाम्बी) थी।
- कोशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी।
- मल्ल महाजनपद (देवरिया-गोरखपुर क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कुशीनगर (कसिया) तथा पावा (पडरौना) थी।
- काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी।
- चेदि महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती (बाँदा के समीप) थी।
- ह्वेनसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में अतरंजीखेड़ा को 'पि-लो-शा-न' कहा है।
- अतरंजीखेड़ा में गैरिक मृदभाण्ड तथा कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- अतरंजीखेड़ा उत्तर-वैदिक युग से सम्बद्ध स्थल स्वीकार किया गया है।
- अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से सम्बद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- बौद्ध परम्परा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में कराया था।
- जैन ग्रन्थों में उल्लिखित है कि आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी।
- रघुवंशी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी थी।
- अहिच्छत्र से ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।
- अहिच्छत्र से 'मित्र' उपाधि वाले राजाओं के सिक्के (200-300ई.) प्राप्त हुए हैं।
- अहिच्छत्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था।
- अहिच्छत्र से गुप्तकालीन 'यमुना' की एक मूर्ति प्राप्त हुई है।
- कालसी में संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है, जो 300 ई. के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है।
- अहिच्छत्र से 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष प्राप्त हुए हैं।
- कुशीनगर में 483 ई.पू. में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था।
- कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति पुष्यभूति शासक हर्षवर्द्धन के समय (606-647 ई.) हुई थी।

- हर्षवर्द्धन का 628 ई. का ताम्रदानपट्ट लेख बांसखेड़ा से प्राप्त है जो तत्कालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है।
- अतरंजीखेड़ा से 1000 ई. पू. के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुण्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- प्राचीन काल में कन्नौज 'कान्यकुब्ज' के नाम से प्रसिद्ध था।
- कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले मृद्भाण्ड युग से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं।
- कन्नौज गुप्त शासकों तथा मौखरियों के समय प्रमुख नगर था।
- हर्षवर्द्धन के काल में कन्नौज 'नगरमहोदयश्री' कहलाता था।
- कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने हेतु गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकाल तक त्रिदलीय संघर्ष हुआ था।
- गुर्जर-प्रतिहारों ने कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था।
- 1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था।
- 1028 ई. में महमूद गजनवी ने मथुरा के मन्दिरों को ध्वंस कर लूटपाट की थी।
- मुहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था।
- बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास (स्थान) से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा था।
- कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरुषपुर मार्ग का केन्द्र स्थल था।
- महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प विकसित थे।
- काम्पिल्य प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र रहा था। जैन ग्रन्थों, बौद्ध जातक साहित्य व महाभारत में काम्पिल्य का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।
- कुशीनगर की विस्तृत जानकारी, दिव्यावदान, दीघनिकाय, अशोक के आठवें वृहद् शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों से मिलती है।
- कुशीनगर मल्ल गणराजय की राजधानी थी।
- कुशीनगर प्रमुख व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल होने के कारण प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था।
- हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।
- कौशाम्बी को आद्य-नगरीय स्थल भी कहा जाता है। यह वत्स महाजनपद की राजधानी था।
- कौशाम्बी को मघों ने राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरे शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक, आर्थिक महत्व प्रदान किया था।
- कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण से विशेष क्षति पहुँची थी।
- कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केन्द्र था।
- कालसी में अशोक का चौदहवाँ शिलालेख प्राप्त हुआ है।
- काशी छठी शताब्दी ई.पू. में सोलह महाजनपदों में चर्चित महाजनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी।
- काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है।
- महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी।
- एटा जिले के 'कंटिगरा' गाँव के टीलों से पाँच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। गुप्तकाल, कुषाणकाल तथा समकालीन महाभारत काल के चित्रित भांड 'पेटेड ग्रेवियर' मिले हैं। इससे पूर्व इन

टीलों से राम-रावण युद्ध, बाली-सुग्रीव युद्ध तथा राम-सीता की मूर्तियाँ भी निकाली जा चुकी हैं।

- गढ़वा में कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है।
- 1194 ई. में चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने गहड़वाल नरेश जयचन्द को पराजित किया था।
- देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। मन्दिरों में दशावतार मन्दिर बहुत उल्लेखनीय है। देवगढ़ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। देवगढ़ से चन्देल शासकों के अभिलेख मिले हैं।
- प्रयाग के अशोक स्तम्भ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त है।
- गुप्तों के पतन के पश्चात् हर्षवर्द्धन, गुर्जर-प्रतिहार, चन्देल, गहड़वाल शासकों ने प्रयाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था।
- हर्षवर्द्धन प्रति पाँचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था।
- बाँसखेड़ा अभिलेख में हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों का उल्लेख है।
- बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्द्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मर्कटसागर गाँव को कर-मुक्त करके दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है।
- बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है।
- हर्षवर्द्धन की राजधानी कन्नौज (कान्यकुब्ज) थी।
- गुप्तकालीन मन्दिरों में भीतरगाँव का मन्दिर छोटी-पकी ईंटों से निर्मित है, इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था। इस मन्दिर की विशेषता शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। इस मन्दिर की छत पिरामिडाकार है। मन्दिर की दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है।
- महाजनपद युग में मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी।
- मथुरा कृषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। कुषाणों के सिक्के बहुतायत से मिले हैं।
- समुद्रगुप्त ने मथुरा के गणपति नाग को पराजित किया था।
- मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से सम्बद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था।
- मथुराशाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केन्द्र था। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा श्वेताम्बर जैन मत का केन्द्र थी। मथुरा में बौद्धमत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का उद्भव व विकास हुआ था। मथुरा में मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। मथुरा 'मथुरा कला शैली' का प्रमुख केन्द्र लगभग 300 वर्षों तक बनी रही थी।
- भरतपुर राज्य की राजधानी 'मथुरा' थी, जिसकी घोषणा सूरजमल जाट ने की थी।
- राजघाट (वाराणसी के समीप) से उत्तरी काले मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों (उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक-व्यापारिक गतिविधियों का स्थल केन्द्र थी। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। श्रावस्ती के साहूकार अनाथपिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था।
- जैन तीर्थंकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे।
- आजीवक सम्प्रदाय के प्रवर्तक मक्खलि गोसाल की जन्मभूमि श्रावस्ती थी।
- श्रावस्ती से कनिष्क के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
- संकिसा महाजनपद युग को पांचाल जनपद में प्रमुख नगर था। बौद्ध परम्परा के अनुसार संकिसा में भगवान बुद्ध इन्द्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर आये थे।
- महात्मा बुद्ध ने संकिसा में स्त्रियों की प्रव्रज्या को संघ में अनुमति दी थी।

- भिक्षुणी उत्पलवर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी।
- संकिसा में स्कन्दगुप्त का एक सिक्का भी मिला है।
- सारनाथ प्राचीनकाल में इसिपत्तन मिगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव) के नाम से प्रसिद्ध था।
- सारनाथ में भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था।
- मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तम्भ बनवाया था, स्वतन्त्र भारत का राजचिह्न इसी सिंह शीर्ष स्तम्भ को अपनाया गया है।
- सारनाथ की सिंह, शीर्ष स्तम्भ मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था।
- सारनाथ में गुप्तकालीन धमेख स्तूप निर्मित है; फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है।
- सोहगौरा से उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोहगौरा से मौर्योत्तर काल के सिक्के, कुषणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं।
- हस्तिनापुर से ऊपरी गंगाघाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। हस्तिनापुर से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं।
- हस्तिन नामक शासक ने हस्तिनापुर की स्थापना की थी। महाभारत युग में यह कौरवों की राजधानी थी।
- मौर्योत्तर युग में निर्मित प्रस्तर प्रतिमाएँ, मथुरा के दत्तवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, यौधेयों की मुद्राएँ हस्तिनापुर के उत्खनन में मिली हैं।
- हड़प्पायुग से सम्बद्ध अवशेष हुलास से मिले हैं।
- हुलासखेड़ा से कुषाणकाल से गुप्तयुग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। हुलासखेड़ा से कुषाणकालीन 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चाँदी के आहत सिक्के, कुषाणों के ताम्र सिक्के मिले हैं। हुलासखेड़ा से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में उत्कीर्ण मुहरें, हाथी दाँत की कंघी, मोहरछापे प्राप्त हुए हैं।

मध्यकाल (विशिष्ट तथ्य)

- मध्ययुग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व स्थापित था।
- मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था।
- अकबर ने आगरा में किले का निर्माण कराया था।
- जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था।
- शाहजहाँ द्वारा निर्मित आगरा में 'ताजमहल' तथा मोती मस्जिद स्थापत्य कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं।
- मुगलकाल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था।
- मुगलकाल में आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र में नील की खेती होती थी।
- यूरोपियन यात्री राल्फ फिच, वर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है।
- सल्तनतकाल व मुगलकाल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता (सूबा) समझा जाता था।
- सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था।
- 831 ई. में महोबा में चन्देलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी।
- कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न

किया था।

- 1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था।
- 1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था।
- कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था।
- 1193 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- 1194 ई. में कन्नौज के गहड़वाल नरेश जयचन्द को चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने पराजित किया था।
- 1202 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था।
- 1296 ई. में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में करवा दी थी।
- कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी।
- जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी।
- भक्त सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी।
- पूर्व मध्य युग में कालिंजर पर राजपूतों का शासन स्थापित था।
- बारहवीं शताब्दी ई. के पश्चात् कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा था।
- 1435 ई. में मालवा के हुशंगशाह ने कालपी पर अधिकार कर लिया था।
- 1492 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- आगरा की स्थापना सुल्तान सिकन्दर लोदी ने 1504 ई. में की थी।
- 1531 ई. तक गढ़कुण्डार बुन्देलों की राजधानी रही थी।
- 1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गयी थी।
- मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर आधिपत्य स्थापित कर लिया था।
- 1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी।
- दसवीं शताब्दी ई. में कालपी में चन्देलों का शासन स्थापित था।
- बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काल्पी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
- फीरोजशाह तुगलक के पश्चात् कालपी एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य बन गया था।
- राजा बीरबल कालपी से सम्बद्ध था। कालपी में बीरबल का रंगमहल तथा मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल (कोल) पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था।
- सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
- 5 जनवरी, 1659 ई. को औरंगजेब ने खजुहा के युद्ध में शाहशुजा को पराजित कर उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी।
- पूर्व मध्यकाल में गढ़कुण्डार पर परमारों ने आधिपत्य स्थापित किया था।
- आठवीं शताब्दी ई. में चन्देलों ने गुढ़कुण्डार पर शासन स्थापित किया था।
- पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुण्डार का चन्देल शासक परमाल था।
- चन्देलों को पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने गुढ़कुण्डार पर अधिकार कर लिया था।

- पृथ्वीराज के सेनानायक खेतसिंह ने गुढ़कुण्डार में खंगार राज्य की स्थापना की थी।
- सुल्तान बलबन के समय गढ़कुण्डार पर बुन्देलों ने अधिकार कर लिया था।
- चौदहवीं शताब्दी ई. में चुनार पर चन्देलों का शासन स्थापित था।
- मुगल सम्राट् बाबर ने चुनार पर अधिकार स्थापित कर लिया था।
- शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की घेराबन्दी की थी, परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित रखने में सफलता प्राप्त की थी।
- तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में स्वतन्त्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई।
- साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत कला के लिए जौनपुर के शर्की सुल्तानों का चिरस्मरणीय योगदान रहा था। अटांला मस्जिद शर्की स्थापत्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। इन्हीं विशेषताओं के कारण जौनपुर को 'शीराज-ए-हिन्द' कहा जाता था।
- झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओरछा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी।
- 1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गयी थी।
- रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थीं, जिन्होंने 1857 ई. के महान विप्लव में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार करा कर भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की थी।
- झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग आज भी विद्यमान हैं।
- अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 'इलाहाबाद' (अब 'प्रयागराज') नाम दिया था। इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था।
- अकबर फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था।
- सलीम (जहाँगीर) का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ था।
- फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल बहुत प्रसिद्ध हैं।
- दिल्ली सल्तनत काल में बदायूँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी।
- सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का इक्तादार था।
- सूफी सन्त शेख निजामुद्दीन औलिया का सम्बन्ध बदायूँ से था।
- इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी का सम्बन्ध बदायूँ से था।
- बदायूँ व्यापारिक मार्ग (दिल्ली-लखनौती मार्ग) का प्रमुख केन्द्र स्थल था।
- प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बरन का निवासी था।
- मथुरा सूरजमल जाट द्वारा भरतपुर राज्य की राजधानी के रूप में गौरवान्वित थी।
- चन्देलों का राज्य जेजाकभुक्ति (जुझौती) के नाम से चर्चित था।
- तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महोबा पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया था।
- मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने मेरठ में एक किला निर्मित कराया था।
- बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था।

- फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था
- लखनऊ की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल में प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की थी
- नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद (अब अयोध्या) से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी
- लखनऊ के अन्तिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें 1856 ई. में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था
- लखनऊ की चर्चित इमारते हैं- इमामबाड़ा, भूलभुलैय्या, छतरमंजिल
- लखनऊ कत्थक नृत्य का केन्द्र था
- सम्भल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण इक्ता के रूप में चर्चित था
- सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई मिर्जा अस्करी को प्रदान कर दिया था
- सम्भल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था
- सिकन्दरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था जिसे 1613 ई. में सम्राट जहाँगीर ने पूर्ण कराया था
- 29 मई, 1658 ई. को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के हाथों हुई थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था, मुराद को छल से बन्दी बना लिया था और अपने को बादशाह घोषित कर दिया था
- 10 मई, 1857 ई. को भारत मे महान् विद्रोह का विस्फोट मेरठ से हुआ था
- 1857 ई. के महान् विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से लोहा लिया था
- औरंगजेब की मृत्यु (1707 ई) से 1757 ई. (प्लासी के युद्ध) तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाँच स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो चुके थे।
- मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता का राज्य था।
- दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड राज्य स्थापित था।
- फर्रुखाबाद के बंगश नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था।
- अवध व पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का राज्य था।
- बुन्देलखण्ड पर मराठों का राज्य स्थापित था।
- 1773 ई. में अंग्रेजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर उन्हें दोहाब से निष्कासित कर दिया था।
- 1774 ई. में अंग्रजों ने रुहेला सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर (कटरा) में पराजित कर रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को सौंप दिया था।
- 1775 ई. में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् आसफउद्दौला अवध का नवाब बना।
- आसफउद्दौला ने अंग्रेजों से सन्धि कर के बनारस (अब 'वाराणसी') का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था।
- बनारस ('वाराणसी') के राजा चेतसिंह ने 1780 ई. में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन माँगे

जाने का विरोध किया, फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेतसिंह के विरोध को कुचलकर महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बनाया। बनारस (अब 'वाराणसी') पूर्णतः अंग्रेजों के संरक्षण में स्थापित हो गया।

- 1797 ई. में आसफउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बना, उसने इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रति वर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का वचन दिया।

आधुनिक काल (विशिष्ट तथ्य)

- अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश 'बंगाल प्रेसीडेन्सी' का ही अंग था।
- बंगाल प्रेसीडेन्सी का भाग होने के समय इस क्षेत्र को 'पश्चिमी प्रान्त' भी कहते थे।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ-स्थल

- **अयोध्या** : जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितानाथ, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनन्दनाथ एवं पंचम तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ का जन्म-स्थल।
- **वाराणसी :** सप्तम तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं तेईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म-स्थल।
- **कौशाम्बी** : जनपद के ग्राम पभोसा में छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से सम्बन्धित स्थल।
- **श्रावस्ती** : तृतीय तीर्थंकर भगवान सम्भवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मन्दिर से सम्बन्धित।
- **देवगढ़** : 'देवताओं के किले' के रूप में विख्यात, प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प-कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल।
- **महोबा** : 'गोखर पहाड़' पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात।
- **काकण्डी** : नवें तीर्थंकर भगवान सुविधानाथ का निवास-स्थल।

- आगरा प्रेसीडेन्सी बनने पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी से निकालकर आगरा प्रेसीडेन्सी में सम्मिलित कर दिया गया था।
- 1836 ई. में इस प्रदेश का नाम 'उत्तर-पश्चिम प्रान्त' (नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज) हो गया तथा मुख्यालय आगरा बनाया गया।
- 7 फरवरी, 1856 ई. को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था।
- अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करते समय अवध में बारह जिले (लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद (अब अयोध्या), गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली) थे।
- 1857 ई. की विद्रोह (प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम) की लड़ाई के पश्चात् 1858 ई. में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के द्वारा शासित प्रान्त बना दिया था।
- 1858 ई. में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का मुख्यालय इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') बनाया गया था।
- 1868 ई. में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') स्थानान्तरित कर दिया गया था।
- 1877 ई. तक अवध का प्रशासनिक व उच्च न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा था तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज')।

- 1877 ई. में इन दोनों प्रान्तों (अवध व उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त) को ले. गवर्नर तथा मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर ''आगरा व अवध का संयुक्त प्रान्त'' (यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया था।
- ले. गवर्नर का पद इस एकीकृत प्रान्त (यूनाइटेट प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बन गया था।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी।
- 1920 ई. के चुनावों के पश्चात् संयुक्त प्रान्त आगरा-अवध (यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) की सरकार इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी थी।
- 1921 ई. में लखनऊ में विधान परिषद् की स्थापना की गयी थी।
- 1935 ई. तक प्रान्तीय सचिवालय के इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी घोषित किया गया था।
- 1937 ई. में यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध का नाम परिवर्तित कर 'संयुक्त प्रान्त' (यूनाइटेड प्राविन्सेज) रख दिया गया था।
- उन्नीसवीं शताब्दी ई. के प्रारम्भ में इस प्रान्त में बनारस (अब 'वाराणसी') क्षेत्र मिर्जापुर तथा इलाहबाद (अब 'प्रयागराज') का किला अंग्रेजों के आधिपत्य में स्थापित थे।
- 1808 ई. में अवध के नवाब सआदत अली ने सुरक्षा की गारण्टी के बदले में गोरखपुर क्षेत्र रुहेलखण्ड क्षेत्र, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') क्षेत्र, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिये थे।
- 1809 ई. में फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया।
- 1803 ई. में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, आगरा पर अधिकार कर लिया था।
- 1836 ई. में इस प्रान्त का नाम उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त रखा गया था, उस समय इस प्रान्त में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे।
- 1856 ई. में अवध इस प्रान्त में सम्मिलित कर लिया गया था।
- 1857 ई. के विद्रोह के पश्चात् दिल्ली, पंजाब को; तराई के क्षेत्र नेपाल को; बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ क्षेत्र रामपुर के नवाब को; सागर का क्षेत्र मध्य प्रान्त को दे दिया गया था।

1857 की क्रान्ति तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान

- 1857 ई. में उत्तरी भारत की जनता ने तथा जमींदारों, राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान् विद्रोह कर दिया; यह एक स्व-स्फूर्त विद्रोह था, जिसे सावरकर ने भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था।
- कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता') के निकट स्थित बैरकपुर के 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पाण्डे (उत्तर प्रदेश निवासी) ने 21 मार्च, 1857 ई. को खुला विद्रोह कर अपने एडजुडेण्ट लेफ्टीनेण्ट हेनरी बाग पर गोली चला दी; इस घटना के फलस्वरूप मंगल पाण्डे को 7 अप्रैल, 1857 ई. को बैरकपुर में फाँसी पर चढ़ा दिया गया था।
- मंगल पाण्डे की फाँसी ने भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया क्योंकि उसने नये आविष्कृत

एनफिल्ड रायफलों के लिए नये प्रकार के कारतूसों के प्रयोग करने का विरोध किया था। इन कारतूसों को प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था। हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा परिपक्व हो चुकी थी कि कारतूसों के खोल में सुअर एवं गाय की चर्बी लगायी गयी है; अतः सैनिकों में आक्रोश था। यह आक्रोश ही मंगल पाण्डे की घटना बन गया था।

- 24 अप्रैल, 1857 ई. को मेरठ की देशी सेना ने नये कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। इससे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई, 1857 ई. को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली, फलस्वरूप 10 मई, 1857 ई. को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया; विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी।
- 11 मई, 1857 ई. को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के (पेंशनयाफ्ता) वृद्ध सम्राट (मुगलों के अन्तिम बादशाह) जो अंग्रेजों द्वारा दयनीय स्थिति में रख दिये गये थे, को अपना शासक घोषित करते हुए उसके (बहादुरशाह द्वितीय) नेतृत्व में लामबन्द हो गये।
- विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा चार नागरिकों की एक मिली-जुली समिति 'जलसा' के नाम से गठित की, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था।
- 1857 ई. के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था अवध और बुन्देलखण्ड।
- 1857 ई. के इस व्रिदोह में दोआब क्षेत्र ने भी सक्रिय योगदान किया था।
- 1857 ई. के इस विद्रोह में शीघ्र की अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') को स्वतन्त्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में बरेली का प्रशासन 'खान बहादुर खान' नामक रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण कर लिया था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में कानपुर के प्रशासन पर 'नाना साहब' का अधिकार था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में इलाहाबाद ('प्रयागराज') पर एक अध्यापक 'मौलवी लियाकत अली' का अधिकार था।
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस, आदि छोटे-छोटे- नगरों व कस्बों में हो गया था।
- कानपुर (बिठूर) में नाना साहब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अधीन दस हजार सैनिक तथा कृषक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत थे।
- लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरतमहल कर रही थीं, इसमें 50 हजार नागरिक बेगम हजरतमहल के नेतृत्व में संघर्षरत थे।
- कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक विन्ढम ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था।
- 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे।
- लगभग छह माह के कठिन संघर्ष के उपरान्त ही अंग्रेजों ने लखनऊ, कानपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी।
- मई 1857 ई. में अंग्रेजों ने बरेली पर पुनः अधिकार कर लिया था।

- झाँसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था; इस विद्रोह के दमन में जनरल रोज को सक्रिय किया गया था।
- रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की थी।
- 1 नवम्बर, 1858 ई. को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से सत्ता अधिकृत कर ली तथा भारत में शान्ति की स्थापना की।
- 1857 का महान् विद्रोह अन्ततः असफल हो गया।
- 1857 के विद्रोह की असफलताओं से भावी राष्ट्रवाद के बीज अंकुरित हुए थे।
- उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में बनारस (अब वाराणसी) के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी पत्रिका 'कवि वचन सुधा' में स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया।
- सर सैयद अहमद खाँ ने भी प्रगतिशील आन्दोलन का पथ प्रशस्त किया।
- 1857 ई. में सर सैयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ में 'मोहम्मडन एंग्लो ओरियण्टल विद्यालय' की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया।
- अलीगढ़ आन्दोलन के नाम से चर्चित सर सैयद अहमद खाँ का आन्दोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।
- सोमवार, 28 दिसम्बर, 1885 ई. को 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बम्बई' में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ था, जिसमें सम्पूर्ण भारत से 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पण्डित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, लाला बैजनाथ ने किया था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता' में सम्पन्न) में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 थी।
- कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता') अधिवेशन (1886 ई.) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के पाँच सदस्यों को चुना गया था ये सदस्य थे : (1) लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, (2) प्राणनाथ, (3) मौलाना हामिद अली, (4) नवाब रजा अली खान, (5) मुंशी काशी प्रसाद।
- मद्रास अधिवेशन (1887 ई.) में विधि समिति का निर्माण कर लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, बिशन नारायण दर, मौलाना हामिद अली को सम्मिलित किया गया था, इन्होंने जन संगठन को व्यापक बनाने पर बल दिया था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में सम्पन्न हुआ था।
- 1888 ई. में इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के कांग्रेस अधिवेशन के समय प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड कॉल्विन थे, जिन्होंने अधिवेशन न होने देने का प्रयत्न किया था।
- 1888 ई. में अंग्रेजों के कांग्रेस विरोध ने सर सैयद अहमद खाँ को प्रेरित किया था कि वे भी कांग्रेस विरोध को स्वर दें और वे कांग्रेस विरोधी बन गये थे।
- बनारस (अब 'वाराणसी') के राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द भी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षधर थे।

- उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 ई. तक निम्न अधिवेशन हुए थे :

	वर्ष	स्थान	अध्यक्ष
1.	1888 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	जॉर्ज यूल
2.	1892 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	डब्ल्यू. सी. बनर्जी
3.	1899 ई.	लखनऊ	रोमेश चन्द्र दत्त
4.	1905 ई.	बनारस ('वाराणसी')	गोपाल कृष्ण गोखले
5.	1910 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	सर विलियम वेडरबर्न
6.	1916 ई.	लखनऊ	अम्बिका चरन मजूमदार
7.	1925 ई.	कानपुर	श्रीमती सरोजिनी नायडू
8.	1935 ई.	लखनऊ	पं. जवाहरलाल नेहरू
9.	1946 ई.	मेरठ	आचार्य जे.बी. कृपालानी

- उत्तर प्रदेश (तत्कालीन नाम 'यूनाइटेड प्राविन्सेज') में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था।
- 1909 ई. में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में हुआ था।
- 1916 ई. में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ था; मुस्लिम लीग का नेतृत्व मुहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया था। इसे ही 'कांग्रेस-लीग समझौता' कहा गया है।
- अक्टूबर, 1920 ई. में यू.पी. कांग्रेस का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. भगवानदास ने की थी। इस सम्मेलन को महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानन्द, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलाना हसरत मोहानी जैसी राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने उल्लेखनीय बना दिया था। सम्मेलन में महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था।
- असहयोग आन्दोलन के दौरान बनारस (अब 'वाराणसी') में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की गयी थी।
- असहयोग आन्दोलन के दौरान अवध प्रान्त के किसानों ने गैर-कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था।
- अक्टूबर 1921 ई. में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में सम्पन्न हुआ था जिसमें ब्रिटेन के युवराज (प्रिन्स ऑफ वेल्स) की भारत यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था।
- 5 फरवरी, 1922 ई. को चौरी-चौरा कस्बे में (यू.पी. के गोरखपुर जिले में) सत्याग्रहियों के जत्थे ने थाने के सिपाहियों (कुल संख्या 22) को जीवित जला दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी को अत्यन्त आहत कर दिया। उन्होंने इस घटना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बतलाया तथा प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी थी।
- सितम्बर 1924 ई. में कानपुर के एक पत्रकार सत्य भक्त ने 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी' की स्थापना की थी।

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन दिसम्बर, 1925 में पेरियार की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ था।
- 1926 ई. के चुनावों में संयुक्त प्रान्त में 'नेशनलिस्ट पार्टी' को अधिकाधिक सीटें प्राप्त हुई थीं।
- अगस्त, 1928 ई. में सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया था।
- नवम्बर, 1928 ई. के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। विरोध का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
- कानपुर के 'प्रताप' तथा 'प्रभु' नामक अखबार बोल्शेविज्म के प्रचार-प्रसार में संलग्न थे।
- संयुक्त प्रान्त में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में 1924-1930 के मध्य किसानों के मध्य जन-आन्दोलन चल रहा था; इस जन-आन्दोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान कर रहे थे। यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस आन्दोलन का उद्देश्य किसानों के मध्य साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमन्त्रित करने के लिए 'सुपारी' का उपयोग करते थे। इन बैठकों को मदारी पासी सम्बोधित करते थे। वह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाए रखने तथा बन्दी कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे।
- असहयोग आन्दोलन की वापसी के पश्चात् निराश मध्यवर्गीय युवाओं ने क्रान्तिकारी सैन्यवाद की गतिविधियों को प्रारम्भ किया। संयुक्त प्रान्त में इन्हीं क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम '9 अगस्त, 1925 ई.' को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना थी।
- काकोरी ट्रेन डकैती घटना के अभियुक्तों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खाँ, रोशनसिंह को फाँसी की सजा हुई थी। रामकृष्ण खत्री, मन्मथनाथ गुप्त आदि को दीर्घकालीन कारावास का दण्ड मिला था।
- काकोरी ट्रेन डकैती केस के अभियुक्तों की पैरवी 'चन्द्रभानु गुप्त' नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाओं द्वारा की थी। यही चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के (स्वतन्त्रता के पश्चात्) मुख्यमन्त्री बने थे।
- 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सेनापति चन्द्रशेखर आजाद चुने गये थे।
- 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' का मुख्यालय आगरा बनाया गया था।
- क्रान्तिकारी शिव वर्मा, डॉ. गया प्रसाद कटियार तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्टरी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।
- 27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के अल्फ्रेड पार्क में चन्द्रशेखर आजाद एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गये थे।
- 1931 ई. में जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ किया था। इस आन्दोलन में जयप्रकाश नारायण, लालबहादुर शास्त्री, नेहरू जी के अनन्य सहयोगी के रूप में जुड़े थे।
- संयुक्त प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी, तारापद भट्टाचार्य ने समाजवादी दल की स्थापना की थी।

- अप्रैल, 1934 ई. में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस (अब 'वाराणसी') में एक पर्चा प्रकाशित किया। इस पर्चे का नाम ''भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम'' था। इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों व बैंकों व भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया था।
- प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल याज्ञनिक, स्वामी सहजानन्द के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 ई. में किया गया था। इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की माँग रखी गयी थी।
- 1937 ई. के निर्वाचनों में संयुक्त प्रान्त की विधानसभा में निर्वाचित होकर आनेवाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में मुस्लिम लीग को 29, स्वतन्त्रों को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7 तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को 3 स्थान प्राप्त हुए थे। 164 सामान्य सदस्यों में कांग्रेस के 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा के 6, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध के 9, लिबरल 1 तथा स्वतन्त्र 14 सदस्य निर्वाचित हुए थे।
- 1 अप्रैल, 1937 ई. को संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में एक अल्पमत सरकार गठित की थी।
- संयुक्त प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबन्धन चाहते थे। परन्तु जवाहरलाल नेहरू इस गठबन्धन के पूर्णतः विरुद्ध थे।
- संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिक जुमा ने 12 मई, 1937 ई. का इलाहाबाद ('प्रयागराज') में जवाहरलाल नेहरू से भेंट की, परन्तु मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेद समाप्त न हुए तथा दोनों के बीच दूरी और बढ़ गयी।
- मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेदों को समाप्त करने के उद्देश्य से गोविन्द बल्लभ पन्त ने चौधरी खलिक जुमा से भेंट की; लखनऊ में हुई इस भेंट का भी कोई परिणाम नहीं निकला था।
- मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेदों को दूर करने के लिए 12 जुलाई, 1937 ई. को मौलाना आजाद तथा चौधरी खलिकुज्जमा से लखनऊ में भेंट की परन्तु परिणाम व्यर्थ रहा।
- संयुक्त प्रान्त में 1937 ई. में कांग्रेस ने सरकार गठित की। इस सरकार में प्रधानमन्त्री गोविन्द बल्ल्भ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, डॉ. कैलाशनाथ काटजू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, प्यारे लाल शर्मा, मोहम्मद इब्राहीम सम्मिलित थे। लक्ष्मीनारायण, संसदीय सचिव बनाये गये थे।
- संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर, 1939 ई. में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया था। कुटीर उद्योगों पर बल दिया था।
- अक्टूबर, 1939 ई. में गान्धी जी द्वारा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित करते ही संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेसी सरकारों के साथ त्याग-पत्र दे दिया।
- 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौर में संयुक्त प्रान्त में बलिया में (10 अगस्त, 1942 ई.) को प्रबल जन-आन्दोलन हो गया जिसमें अनेक रेलवे स्टेशन, डाकखाने, थाने जला दिये गये। इस आन्दोलन में बलिया के स्थानीय कांग्रेसी नेता चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गयी थी।
- 22 अगस्त, 1942 ई. से बलिया में अंग्रेज सरकार का दमन प्रारम्भ हुआ; आम जनता से भारी जुर्माना वसूला गया; हजारों निर्दोष लोगों को बन्दी बनाया गया तथा प्रताड़ित किया गया; अन्ततः

बलिया को सेना ने पुनः विजित किया और ब्रिटिश सरकार ने लन्दन को यह टेलीग्राम दिया कि ''बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया है।''

- 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही संयुक्त प्रान्त में स्वतन्त्र भारत की प्रथम कांग्रेसी सरकार का इस महत्वपूर्ण प्रान्त में पं. गोविन्दवल्लभ पन्त के नेतृत्व में गठन हो गया था।

1857 की क्रान्ति की प्रमुख घटनाएँ

तिथि	घटना
29 मार्च, 1857 ई.	बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग करने से इन्कार कर दिया; संयुक्त प्रान्त के मंगल पाण्डे नामक सैनिक ने क्षुब्ध होकर अपने एडजुडेण्ट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी।
10 मई, 1857 ई.	मेरठ में सैनिकों का विद्रोह।
10-30 मई, 1857 ई.	दिल्ली, अलीगढ़, इटावा, बुलन्दशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, खीरी, सीतापुर, शाहजहाँपुर एवं अन्य के क्षेत्रों में विद्रोह प्रारम्भ।
12 मई, 1857 ई.	मेरठ के विद्रोही सैनिकों द्वारा दिल्ली में बहादुरशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया।
1 जून, 1857 ई.	ग्वालियर, भरतपुर, झाँसी, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज'), फैजाबाद (अब अयोध्या), सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर (बिठूर) में विद्रोह प्रस्फुटित।
5 जून, 1857 ई.	नाना साहब को कानपुर (बिठूर) का पेशवा घोषित किया गया।
जुलाई, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक जगह विद्रोह प्रारम्भ।
अगस्त, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में स्थानीय जनता (किसानों) ने विद्रोह में भाग लेना प्रारम्भ किया।
सितम्बर, 1857 ई.	दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार; संयुक्त प्रान्त में अंग्रेजों द्वारा दमन-चक्र प्रारम्भ।
अक्टूबर, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों से संघर्ष।
नवम्बर, 1857 ई.	विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विण्डहम को कानपुर के निकट पराजित किया।
6 दिसम्बर, 1857 ई.	कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैम्बल ने विजय किया; तात्या टोपे पराजित होकर झाँसी पहुँचे; महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर संघर्ष प्रारम्भ किया; अंग्रेज सेना में दूसरे प्रान्तों से सहायता टुकड़ियाँ पहुँचीं।
मार्च, 1858 ई.	लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार स्थापितः बेगम हजरत महल अपने बेटे नवाब बिरजिस कद्र के साथ नेपाल की ओर पलायन कर गयीं।
3 अप्रैल, 1858 ई.	सर ह्यूरोज ने झाँसी पर आक्रमण कर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया।
16 अप्रैल, 1858 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेज प्रभावी।
मई, 1858 ई.	अंग्रेजों ने बरेली, काल्पी को पुनः विजित किया; भारतीय विद्रोहियों ने रुहेलखण्ड में छापामार आक्रमण प्रारम्भ किया।
जून, 1858 ई.	संयुक्त प्रान्त में विद्रोह लगभग समाप्त।
जुलाई-दिसम्बर 1858 ई.	सभी स्थानों पर अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित।

अवध के नवाब-राजा (कालक्रम)

पहला नवाब	सआदत खाँ (बुरहानुल्मुल्क) (अवध में नवाबी का संस्थापक	1732 से 1739 ई.
द्वितीय नवाब	सफदरजंग	1739 से 1753 ई.
तृतीय नवाब	शुजाउद्दौला	1753 से 1775 ई.
चतुर्थ नवाब	आसफउद्दौला	1775 से 1797 ई.
पाँचवाँ नवाब	वजीर अली (मात्र चार माह सिंहासन पर रहा, तत्पश्चात् हटा दिया गया)	1797 से 1798 ई.
छठवाँ नवाब	सआदत अली खाँ	1798 से 1814 ई.
सातवाँ नवाब	गाजीउद्दीन हैदर (1819 ई. में ब्रिटिश सरकार ने उसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया और वह अपने खानदान का पहला राजा कहलाया)	1814 से 1819 ई.
पहला राजा	गाजीउद्दीन हैदर	1819 से 1827 ई.
द्वितीय राजा	नासिर-उद्दीन हैदर	1827 से 1837 ई.
तृतीय राजा	मुहम्मद अली शाह	1837 से 1842 ई.
चतुर्थ राजा	अमजद अली शाह	1842 से 1847 ई.
पाँचवाँ (अन्तिम राजा)	वाजिद अली शाह (फरवरी, 1856 ई. में राजा को च्युत कर अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया)	1847 से 1856 ई.

संवैधानिक प्रणाली

भारतीय संविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल तथा दो सदनों का विधान मण्डल है। एक सदन विधानसभा तथा दूसरा विधान परिषद् कहलाता है। राज्य में एक उच्च न्यायालय भी है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल, जो भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष से कम आयु का न हो, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति की संतुष्टि तक अपना पद धारण करता है। उसकी कार्यावधि पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की होती है, किन्तु वह इस अवधि के समाप्त होने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पदासीन रह सकता है। राज्यपाल न तो संसद के किसी सदन का और न ही राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य होता है। वह अन्य लाभ के पद धारण नहीं कर सकता है और बिना किराया दिये सरकारी आवास का प्रयोग कर सकता है। साथ ही वह संविधान की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित वेतन, भत्तों व विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि के परीक्षण और संरक्षण के लिए तथा जन-कल्याण के लिए अपनी सेवायें अर्पित करने की शपथ लेता है। राज्यपाल को, राज्य कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत, किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध सिद्ध-दोष व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रतिलम्बन, विराम या परिहार करने का अथवा दण्डादेश के निलम्बन या लघुकरण (कम करने) का अधिकार है।

राज्यपाल को उसके कार्य संचालन में सहायता अथवा मंत्रणा देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रि-परिषद् होती है। यह परिषद्, ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, शेष सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है। यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा है अथवा नहीं जिसमें राज्यपाल को संविधान के अन्तर्गत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए, तो इस विषय पर राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया गया निर्णय ही अन्तिम माना जाता है। इस सम्बन्ध में उसके कार्य के औचित्य पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती।

राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्रिगण मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करते हैं। मंत्रि-परिषद् राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपाल किसी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची में दिये हुए परिपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यदि कोई मंत्री निरन्तर छह माह की अवधि तक राज्य के विधानमण्डल का सदस्य न रहे तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता। मंत्रियों को समय-समय पर राज्य के विधान मण्डल द्वारा विधि के अन्तर्गत निर्धारित वेतन तथा भत्ते देय होते हैं। वे अन्य लाभों के भी अधिकारी होते हैं। उन्हें निःशुल्क सुसज्जित आवास, यात्रा तथा चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त हैं। राज्य की कार्यपालिका से सम्बन्धित सारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद् के समस्त निर्णयों तथा विधान के लिए प्रस्तावित सभी मामलों की सूचना राज्यपाल को देता है। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं। यदि किसी मामले में किसी एक मंत्री ने एकपक्षीय निर्णय लिया है तो राज्यपाल मंत्रि-परिषद् से उस पर पुनर्निर्णय लेने के लिये कह सकता है। इस कार्य के लिये वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। वह विधान मण्डल के किसी भी सदन में लम्बित किसी विधेयक के विषय में सम्बन्धित सदन को संदेश भेज सकता है। जिस सदन को ऐसा संदेश भेजा जाय, उसे उस पर यथा सुविधानुसार विचार करना होगा।

प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात् तथा प्रत्येक वर्ष विधानमण्डल के प्रथम सत्र के आरम्भ होने के पूर्व राज्यपाल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर उन्हें अवगत कराता है कि विधान मण्डल की बैठक किन कार्यों के निष्पादन के लिए बुलाई गयी है। राज्यपाल विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देता है या उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। जब तक ऐसी स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। यह विधान परिषद् के लिये 12 सदस्यों तथा विधानसभा के लिए एक एंग्लो-इण्डियन को मनोनीत करता है। राज्यपाल प्रतिवर्ष दोनों सदनों के समक्ष सम्बन्धित वर्ष का वित्तीय विवरण, लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विधान मण्डल सत्र में न होने के समय यदि वह संतुष्ट है की स्थिति होती है कि तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो उसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार जारी किया हुआ अध्यादेश विधान मण्डल की बैठक होते ही उसके समक्ष रखा जाता है। विधान मण्डल चाहे तो उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है।

विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मनोनीत एंग्लो-इण्डियन सदस्यों को मिलाकर 404 सदस्य हैं। सन् 1967 तक एंग्लो-इण्डियन सदस्य को मिलाकर विधानसभा के 431 सदस्य होते थे। परिसीमन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात् गठित किया जाता है, पूरे राज्य को 425 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उत्तराखंड के गठन के बाद यह संख्या 404 रह गयी है। विधान सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पाँच साल का होता है, बशर्ते कि वह उससे पहले विघटित न कर दी जाय। निर्वाचन 'एक वयस्क एक वोट' के आधार पर किया जाता है।

सदन अधिनियम

विधानसभा को अपने कार्य संचालन के विनियमन तथा प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार है। विधानसभा के समक्ष आये सारे प्रश्न बहुमत द्वारा निर्णीत होते हैं और सभा की बैठक गणपूर्ति के लिये उसके सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश आवश्यक होता है। विधान सभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संचालित करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। विधानसभा का मुख्य कार्य, अधिनियम बनाना, सरकार को व्यय के लिए धन स्वीकृत करना, प्रश्नों, प्रस्तावों व संकल्पों द्वारा अविलम्ब महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करके सरकार की कार्य-विधियों पर नियंत्रण रखना है। उसका कार्य हिन्दी भाषा में व देवनागरी लिपि में किया जाता है।

विधि सम्बन्धी सरकारी या गैर सरकारी प्रस्ताव विधेयक के रूप में सदन के समक्ष सदन की पूर्व अनुज्ञा से रखे जाते हैं। उसके पश्चात् या तो सीधे सदन में ही विचारार्थ ले लिये जाते हैं अथवा प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिये जाते हैं। सदन द्वारा विभिन्न उपबन्धों पर विचारोपरान्त यह विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसे संशोधनों सहित पारित कर सकती है। इनमें से किसी भी स्थिति में विधानसभा विधेयक को पुनः विचारार्थ विधान परिषद् भेज सकती है। यदि इस प्रकार विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक परिषद् के भेजने के बाद, विधानसभा सहमत न हो या ऐसा विधेयक एक मास की अवधि तक परिषद् अपने यहाँ लम्बित रखती है, तो यह समझा जायेगा कि वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है और उसे राज्यपाल को उनके अनुमोदन के लिए भेज दिया जायेगा। धन विधेयक, जो किसी कर का आरोपण, उगाही, परिहार, परिवर्तन या विनियमन करता हो, विधान परिषद् द्वारा उसे प्राप्त होने के बाद 14 दिन से अधिक लम्बित कर दे, तो यह समझा जायेगा कि ऐसा विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है और वह राज्यपाल को अनुमोदन के लिये भेज दिया जायेगा।

अन्य प्राक्कलन सदन में मतदान के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। नियमानुसार सदन अन्य प्राक्कलनों पर

मतदान के लिये पाँच दिन की सामान्य बहस के अतिरिक्त 24 दिन का समय ले सकता है। प्राक्कलित व्ययों के अनुमोदन के समक्ष राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्ताव के रूप में सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। वे विभागवार मांग प्रस्ताव के रूप में होते हैं। विपक्ष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। संविधान में इस बात की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि स्वीकृत धनराशि कम पड़ती है या व्यय की धनराशि से बढ़ जाती है, तो आवश्यकता पड़ने पर अनुपूरक, अतिरिक्त या अपर अनुदान भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

समितियाँ

सदन के पास सभी मुद्दों पर पूरा विचार करने का समय या सुविधा नहीं रहती। इसलिये सम्यक विचार के लिये कुछ समितियां गठित की गई हैं, जैसे कि विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समिति या शासन द्वारा अधिनियमों में दी गई शक्ति या संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नियमावलियों तथा उपविधियों पर विचार करने वाली प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति। इसके अतिरिक्त सदन की तीन महत्वपूर्ण वित्तीय समितियाँ भी हैं, जो प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति कहलाती हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य सदन को प्रस्तुत प्राक्कलनों की परीक्षा करना है। लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के इस राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करना है और यह देखना है कि जो धन व्यय किया गया है, जिसके लिये सदन ने अपना मत व्यक्त किया था। उत्तर प्रदेश ने अन्य प्रदेशों के मुकाबले सर्वप्रथम यह सिद्धांत स्वीकार किया कि लोक लेखा समिति का सभापति विरोधी पक्ष से निर्वाचित किया जाय। उत्तर प्रदेश में यह परम्परा सन् 1948 से चली आ रही है, जबकि लोकसभा ने इसको सन् 1967 के बाद अंगीकृत किया है। सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की स्थापना अभी हाल में राज्य के अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के उपरान्त की गयी है। चूँकि इन संस्थाओं की स्वायत्तता के साथ-साथ इन्हें विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी बनाये रखना आवश्यक है, अतः सार्वजनिक उपक्रम समिति इन उपक्रमों की कार्यप्रणाली की जाँच करती तथा उन्हें निर्देश देती है ताकि वे कुशलता, मितव्ययिता और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकें।

विशेष समितियाँ

उपर्युक्त विधि सम्बन्धी तथा वित्तीय समितियों के अलावा सदन के कार्य संचालन में सहायता के लिये अन्य समितियाँ भी हैं। आश्वासन समिति सदन में समय-समय पर दिये गये आश्वासनों की जाँच करती है। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने पर विशेषाधिकार समिति उनको देखती है। याचिका समिति उन याचिकाओं पर विचार करती है, जो समय-समय पर जनता द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। सदन की एक समिति हाउस कमेटी भी होती है, जो सदस्यों की आवास, भोजन व्यवस्था की सुविधाओं पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण समिति कार्य की परामर्शदात्री समिति भी गठित की गयी है, जो सदन के समक्ष आने वाले कार्य के लिये समय का आवंटन व नियमन करती है। उत्तर प्रदेश को कुछ वर्ष एक संसदीय अध्ययन समिति के गठन का श्रेय भी है। यह संसदीय मामलों का अध्ययन कर उन पर अपने सुझाव देती है। इसने सदस्यों के विशेषाधिकार, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, सदन की वित्तीय तथा अन्य समितियों में विधान परिषद् के सदस्यों के सम्मिलित होने तथा समिति की अपनी कार्यप्रणाली आदि विषयों से सम्बद्ध महत्वपूर्ण कार्य किया है। अनुसूचित जाति/जनजाति व विमुक्त जाति से सम्बद्ध कल्याणकारी कार्यों की देख-भाल के लिये नयी समिति का गठन भी किया गया है। वास्तव में सदन का कार्य मुख्यतया इन समितियों द्वारा ही होता है। उक्त समितियों के अतिरिक्त प्रदेश में मंत्रियों को परामर्श देने के लिये 27 स्थायी समितियाँ भी हैं।

विधान परिषद्

प्रदेश में सन् 1937 से दो सदनों का विधान मण्डल है। उच्च सदन विधान परिषद् कहलाता है और यह स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 साल के लिये निर्वाचित या मनोनीत किये जाते हैं और उनमें से एक तिहाई प्रति दूसरे साल निवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 108 है जिसमें से 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, 39 स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, 39 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा स्नातकों और अध्यापकों द्वारा 9-9 सदस्य निर्वाचित होते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाने के बाद विधान परिषद् सदस्यों की संख्या 100 हो गयी है। विधान परिषद् को न तो अनुमोदन पर मतदान करने का अधिकार है और न ही कोई धन विधेयक उसमें पेश किया जा सकता है। अन्य कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता, जब तक दोनों सदनों से पारित न हो जाय। विधान परिषद् के पीठासीन अधिकारी सभापति एवं उपसभापति कहलाते हैं और उनका निर्वाचन विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की ही भांति होता है, जो उन्हीं की भांति अपने पदों पर बने रहते हैं। विधान मण्डल के सदनों के पृथक्-पृथक् अपने सचिवालय और सचिव हैं, जिनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के सचिवालय और सचिवों से पूर्णतया स्वतंत्र है। दोनों सचिवालयों को विभिन्न अनुभागों में विभाजित किया गया है, जो संसदीय, लेखा कार्यवाही और समितियों का कार्य देखते हैं। विधान मण्डल के सदस्यों के प्रयोग के लिए एक विधान मण्डल पुस्तकालय भी है। यह देश के विधानमण्डल पुस्तकालयों में सबसे बड़ा पुस्तकालय है। दोनों सदनों के सदन की समितियों के सदस्यों का वही विशेषाधिकार, शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, जो इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को मिली है। इसके अतिरिक्त सदन में भाषण देने से सम्बन्धित किसी बात पर उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है।

नेता विरोधी दल

उत्तर प्रदेश ने एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम के अन्तर्गत विरोधी दल के नेता के लिए कार्यालय की स्थापना कर प्रजातंत्र प्रणाली में एक विशिष्ट योगदान किया है। विरोधी दल के नेता को इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत मंत्री के समकक्ष प्रतिष्ठा दी गई है। नेता, विरोधी दल के लिये मंत्री के बराबर वेतन और सुसज्जित, निःशुल्क आवास का प्रावधान है। उसे वाहन भत्ता, कार्यालय के लिए कर्मचारी और अन्य सुविधाएं, जो उसके पद के अनुरूप हों, दी जाती हैं। अधिनियम के अनुसार सदन में मान्यता प्राप्त विरोधी दलों में सबसे अधिक संख्या वाले दल के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है, किन्तु ऐसे दल के सदस्यों की संख्या कम-से-कम गणपूर्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

कार्यपालिका

मंत्रि-परिषद् संयुक्त रूप से राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके परामर्श और सहायक के लिए लखनऊ में एक सुव्यवस्थित सचिवालय है। मुख्य सचिव इसका प्रधान होता है और अन्य प्रमुख सचिव एवं सचिव अपने-अपने विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। सचिव अपने विभाग को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जिम्मेदार हैं और शासकीय नियमों तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके इस कार्य में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव तथा अन्य अधिकारी सहायता करते हैं। विभागों के कार्य निस्तारण की मुख्य जिम्मेदारी मंत्री की है, जो समय-समय पर कार्य निस्तारण के लिये उचित स्थायी आदेश तथा निर्देश देता रहता है। इन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन यह भी निश्चित होता है कि कौन से कार्य सचिव द्वारा या उससे नीचे के अधिकारियों द्वारा निपटाये जा सकते हैं और कौन से ऐसे मामले हैं, जो मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

सचिवालय

सचिवालय के अधिकतर विभागों में उनके नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यालयाध्यक्ष होते

हैं, जो शासन की कार्यपालिका शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। सारे आदेश राज्यपाल के नाम से प्रसारित किये जाते हैं, किन्तु वे सचिव अथवा उसके अधीन अनुसचिव पद तक के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाते हैं। शासन का कार्य हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि में किया जाता है। प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अनु सचिव साधारणतया केन्द्रीय या प्रदेशीय प्रशासनिक सेवाओं से नियुक्त किये जाते हैं। कुछ उप सचिव और अनुसचिव सचिवालय की स्थायी सेवाओं से भी नियुक्त किये जाते हैं। न्याय एवं विधायिका विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति न्यायिक सेवाओं से की जाती है।

जिला एवं मण्डल प्रशासन

जिला एवं मण्डल प्रशासन का कार्य मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. कर्मचारी वर्ग से सम्बद्ध प्रशासन, 2. वित्तीय प्रशासन, 3. न्यायिक और विधि से सम्बद्ध मामले, 4. शान्ति व्यवस्था से सम्बद्ध मामले, 5. कर की वसूली और रोपण, 6. आर्थिक विकास और प्रदेश की सम्पदा के स्रोतों का संरक्षण, 7. सामाजिक सेवायें, 8. जनता के उपयोग में आने वाली सेवायें, 9. मण्डलायुक्त।

सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के बाद महत्वपूर्ण स्थान मण्डलायुक्त का होता है, जो अपने मण्डल में शान्ति-व्यवस्था, राजस्व तथा अन्य मामलों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है। मण्डलायुक्त को जिलाधिकारियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नियोजन तथा विकास के कार्यों की देखभाल करनी होती है। इस समय प्रदेश में 18 मण्डलायुक्त हैं।

प्रत्येक कमिश्नरी या मण्डल में कुछ जिले होते हैं, जिनका प्रशासनिक अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट या उप मण्डलायुक्त तथा कलैक्टर भी कहलाता है। जिलाधिकारी पूरे जिले के प्रशासन की धुरी है। वह अपने जिले में शान्ति-व्यवस्था के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है और उसको विस्तृत प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के अतिरिक्त भूमि सुधार, नियोजन और विकास से सम्बद्ध कार्यों की देख-भाल करनी होती है। प्रशासन की सुविधा, राजस्व की वसूली तथा विकास कार्यों की प्रगति को ध्यान में रखकर जिले का विभाजन तहसीलों, विकास खण्डों और गांवों में किया गया है।

न्यायपालिका

दीवानी और फौजदारी के मामलों से सम्बद्ध राज्य में एक उच्च न्यायालय है। राजस्व के मामलों के लिये सबसे बड़ा न्यायालय राजस्व परिषद् है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसके कार्य तथा कार्यवाहियाँ शाश्वत साक्ष्य हैं। इसके अभिलेखों को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि उनकी सत्यता को नीचे की किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभिलेख न्यायालय के रूप में इसे अपनी अवमानना के दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का भी अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अन्य न्यायाधीशों को वह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करता है। न्यायाधीश पद के लिए ऐसे ही व्यक्ति योग्य माने जाते हैं जो भारत के नागरिक हों और जिन्होंने भारत के किसी उच्च न्यायालय के सामने अधिवक्ता के रूप में या किसी न्यायिक सेवा के पद पर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य किया हो। उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या अधिकारी को संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की रक्षा करने के ध्येय से आदेश देने में सक्षम है।

अधीनस्थ न्यायिक सेवा

अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भागों में विभाजित किया गया है— उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा। उसमें पहले के अन्तर्गत मुन्सिफ और लघुवाद न्यायाधीश को मिलाकर सिविल जज, दूसरे के अन्तर्गत सिविल एण्ड सेशन्स जज (अब अतिरिक्त जिला सेशन जज) आते हैं। जिले के स्तर पर जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायिक सेवा का नियंत्रण होता है। प्रदेश 71 न्यायिक जिलों में बंटा है,

जिसमें प्रत्येक का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन है। मुंसिफ को जुडीशियल मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं और सिविल जज पदेन असिस्टेन्ट सेशन जज भी होता है।

दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय, मुंसिफ का न्यायालय होता है। उसके बाद सिविल जज और जिले में सबसे **ऊपर का** न्यायालय जिला जज का होता है। राजस्व के मामलों में सहायक कलेक्टर और कमिश्नर होते हैं। राजस्व मामलों में राजस्व परिषद् ही सर्वोच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है। इनका कार्य क्षेत्र सिविल है और ये कुछ निर्दिष्ट मामलों में 500 रुपये तक के मूल्य के वादों की सुनवाई कर सकती हैं। इनको फौजदारी के निर्दिष्ट छोटे-छोटे मामलों में भारतीय दण्ड विधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकार है। न्याय पंचायतों को कारावास का दण्ड देने का अधिकार नहीं है। वे 100 रुपये तक जुर्माना कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश लोकसेवा प्राधिकरण

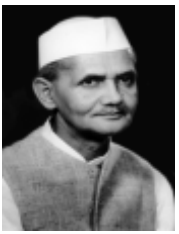
सरकारी कर्मचारी की सेवाओं से सम्बन्धित मामलों की संख्या अदालतों में निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऐसे मुकदमों में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों, निगमों और कम्पनियों के धन और समय का अपव्यय होता था। इसलिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्थापित किये गये। इनकी स्थापना का उद्देश्य कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है।

भारत रत्न से सम्मानित उत्तर प्रदेश की प्रमुख विभूतियाँ


भगवान दास


जवाहर लाल नेहरू


पुरुषोत्तम दास टण्डन


लाल बहादुर शास्त्री


राजीव गाँधी


पं0 मदन मोहन मालवीय


श्रीमती इन्दिरा गांधी


पं. रविशंकर


उस्ताद बिस्मिल्लाह खान


अटल बिहारी बाजपेयी

परमवीर चक्र विजेता


वीर अब्दुल हमीद


लेफ्टि. मनोज पाण्डेय


नायक जदुनाथ सिंह


ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव

महावीर चक्र विजेता


ब्रिगेडियर मो. उस्मान


कै. महेन्द्रनाथ मुल्ला

अशोक चक्र विजेता


कांस्टेबल कमलेश कुमारी


मेजर मोहित शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

उ.प्र. में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी


नाना साहब पेशवा


प्रिंस बिरजिस कदर


कुँवर सिंह


राणा बेनीमाधव सिंह


अजीमुल्लाह खाँ


ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद


राजा जयलाल सिंह


अज़ीज़न बाई


बेगम हजरतमहल


तांत्या टोपे


रानी लक्ष्मीबाई


मंगल पाण्डे


चन्द्रशेखर आजाद


भगत सिंह


राज गुरू


सुखदेव

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी


रोशन सिंह


राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी


अशफाक उल्ला


चित्तू पाण्डे


योगेशचन्द्र चटर्जी


रामकृष्ण खत्री


कैप्टन रामसिंह


मोनी शील


रामप्रसाद बिस्मिल


महावीर सिंह


यतीन्द्रनाथ दास


भगवती चरण वोहरा

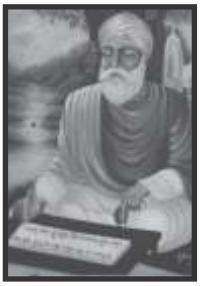

डॉ.गया प्रसाद कटियार


गणेश शंकर विद्यार्थी


डॉ. जयदेव कपूर


शचीन्द्र नाथ सान्याल

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी



गंगादास



जीनत महल



ऊदा देवी



झलकारी बाई



पं. परमानन्द



विजय कुमार सिन्हा



शिव वर्मा



दुर्गा भाभी



कुन्दन लाल गुप्त



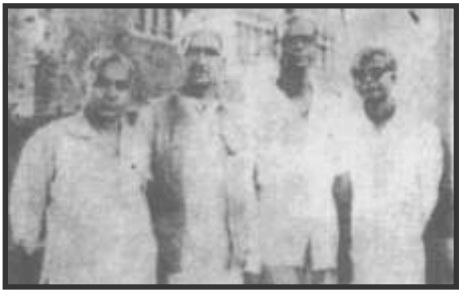
कैप्टन लक्ष्मी सहगल



शहनवाज खाँ



विजय लक्ष्मी पंडित



बायें से पंडित किशोरी लाल, मास्टर आज्ञाराम,
अजय कुमार घोष, शिव वर्मा



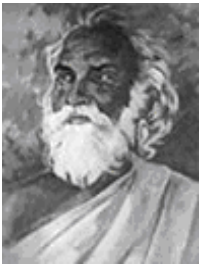
बसन्त लाल खन्ना

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी


रफी अहमद किदवई

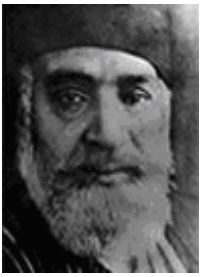

विशम्भर दयाल त्रिपाठी


राव रामबक्श सिंह


पुरुषोत्तम दास टण्डन


जयप्रकाश नारायण


मौलाना मोहम्मद अली


मौलाना शौकत अली


गोविन्द बल्लभ पंत


महावीर त्यागी


मुख्तार अहमद अन्सारी


तेज बहादुर सप्रू


राम मनोहर लोहिया

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश में हिन्दी साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ


कबीर


सूरदास


मीराबाई


तुलसीदास


रविदास

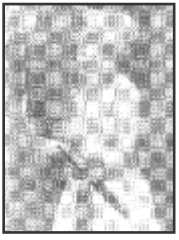

पद्माकर


मलिक मुहम्मद जायसी


रहीम


चन्द्रबरदाई


बिहारी दास


केशव दास


रसखान


अमीर खुसरो


संत कवि बैजनाथ


आ.महावीरप्रसाद द्विवेदी


राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र



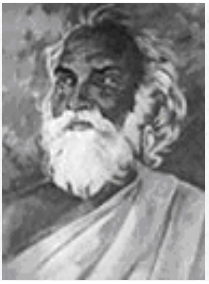
बालकृष्ण भट्ट



बाबू श्यामसुंदर दास



मुंशी प्रेमचंद



पुरुषोत्तम दास टंडन



अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'



पंडित बंशीधर शुक्ल



आचार्य रामचन्द्र शुक्ल



जगन्नाथ दास रत्नाकर



मैथिलीशरण गुप्त



जयशंकर प्रसाद



देवकीनंदन खत्री



सम्पूर्णानन्द



सोहनलाल द्विवेदी



रायकृष्णदास



शिवपूजन सहाय



परशुराम चतुर्वेदी


कृष्णदेव प्रसाद गौड़


सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'


पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र'


प्रतापनारायण मिश्र


पं. राहुल सांकृत्यायन

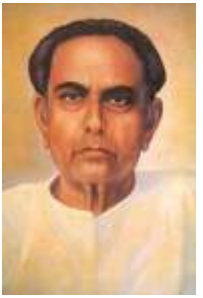

यशपाल


शांतिप्रिय द्विवेदी


नंददुलारे वाजपेयी


महादेवी वर्मा


'अज्ञेय'


अमृतलाल नागर


वृन्दावन लाल वर्मा


भगवतीचरण वर्मा


बनारसीदास चतुर्वेदी


डॉ. रामकुमार वर्मा


अमृतराय


आ.हजारीप्रसाद द्विवेदी



त्रिलोचन



नामवर सिंह



हरिवंश राय बच्चन



नरेश मेहता



धर्मवीर भारती



गोपालदास नीरज



विष्णु प्रभाकर



कुँवर नारायण



डॉ. शिवप्रसाद सिंह



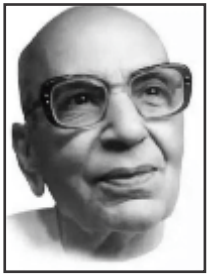
कमलेश्वर



लक्ष्मीकान्त वर्मा



रवीन्द्र कालिया



कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर



भारत भूषण



मार्कण्डेय



सोम ठाकुर



अमरकान्त



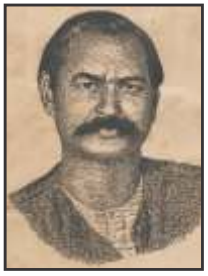
डॉ. जगदीश गुप्त



डॉ. रमा सिंह



रघुवीर सहाय



सुदामाप्रसाद पांडेय 'धूमिल'



केदारनाथ अग्रवाल



राही मासूम रज़ा



राजेन्द्र यादव



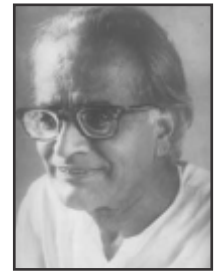
डॉ .परमानन्द श्रीवास्तव



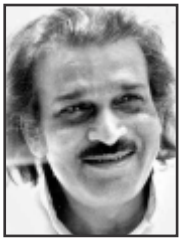
अब्दुल बिस्मिल्लाह



मुद्राराक्षस



शमशेर बहादुर सिंह



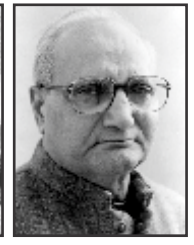
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना



दुष्यन्त



केदारनाथ सिंह

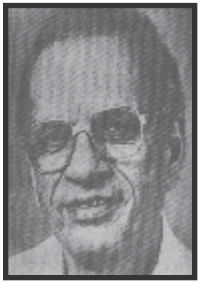


श्रीलाल शुक्ल



प्रबोध मजूमदार

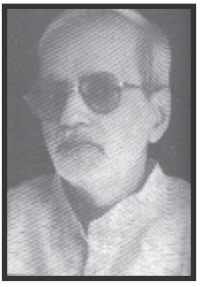
उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार



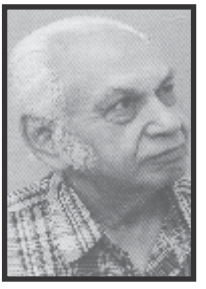
बीर राजा



माता प्रसाद



दूधनाथ सिंह



रमेश कुन्तल मेघ



कामता नाथ



काशीनाथ सिंह



विवेकी राय



कन्हैयालाल नन्दन



डॉ० भवदेव पाण्डेय



रामदरश मिश्र



विद्यानिवास मिश्र



गिरीराज किशोर



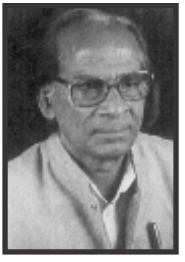
गोरख पाण्डे



ठाकुर प्रसाद सिंह



लीलाधर जगूड़ी



शंकर सुल्तानपुरी



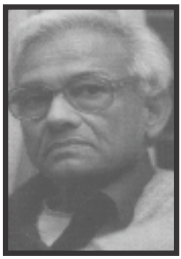
मोहन थपलियाल



विभूतिनारायण राय

उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार


से.रा. यात्री


नरेश सक्सेना


ज्ञानेन्द्रपति


मैत्रेयी पुष्पा

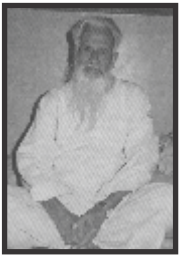

के.पी. सक्सेना


रामस्वरूप 'सिन्दूर'


बेकल उत्साही


हृदयेश


काका हाथरसी


वचनेश त्रिपाठी


इन्दु जैन

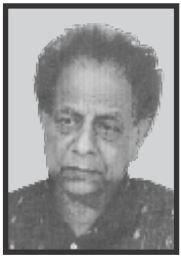

चित्रा मुद्गल

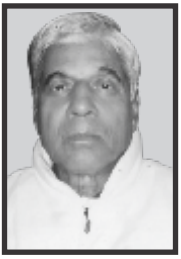

गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव


लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'

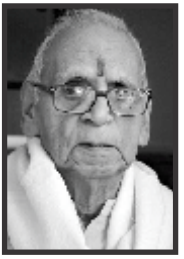

हरीओम शुक्ला'ओमी'


लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक'


किशन सरोज


ओम प्रकाश अडिग


भैरव प्रसाद गुप्त


मनु शर्मा


गौरा पंत शिवानी


बाबू गुलाब राय


सुभद्रा कुमारी चौहान


आचार्य कुबेरनाथ राय


शिवमंगल सिंह 'सुमन'


अनिल जनविजय


डॉ. रामविलास शर्मा


जैनेन्द्र कुमार


असगर वजाहत


जगदम्बिका प्रसाद मिश्र


रमई काका


भूपेन्द्रनाथ शुक्ल


सुमित्रा नन्दन पंत

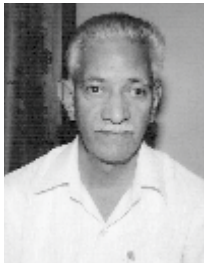

जर्नादन दास


गोपाल उपाध्याय


श्याम लाल गुप्ता


अशोक चक्रधर


बलबीर सिंह रंग


डॉ० शिवओम अम्बर


गया प्रसाद शुक्ला सनेही


कौशलेन्दर पाण्डेय


महीप सिंह


मुंशी अजमेरी 'प्रेम'

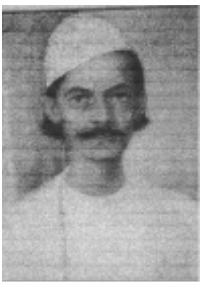

प. राम रनेश त्रिपाठी


प. श्रीनारायण चतुर्वेदी


श्याम नरायण पाण्डे


विनोद चन्द्र पाण्डेय

उत्तर प्रदेश में उर्दू साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ


मीर अनीस


मिर्जा दबीर


अकबर इलाहाबादी


हसरत मोहानी


सफी लखनवी


अब्दुल माजिद दरियाबादी


डॉ. अब्दुल अलीम


सज्जाद ज़हीर


नुरुल हसन हाशमी


मौ.इम्तियाज अली अर्शी


आनन्द नारायण मुल्ला


अली अब्बास हुसैनी


सागर निज़ामी


चौ.मो. अली रुदौलवी


कुर्तुल एन हैदर


मजनूं गोरखपुरी



आले अहमद सुरुर



रज़िया सज्जाद ज़हीर



ज्ञान चन्द्र जैन



मसूद हसन रिज़वी 'अदीब'



एहतेशाम हुसैन रिज़वी



मसूद हुसैन खाँ



इस्मत चुगतई



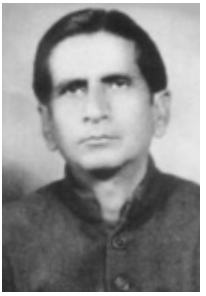
खलीलुलर्रहमान आज़मी



मोहम्मद हसन



फ़िराक गोरखपुरी



मजाज़ लखनवी



कैफ़ी आज़मी



रशीद अहमद सिद्दीकी



मुइन अहसन ज़ज्बी



मसीह उज़ ज़मा



वामिक जौनपुरी


अली सरदार जाफ़री


सलाम संदेलवी


गुलाम रब्बानी ताबाँ


क़ाज़ी अब्दुस्सत्तार


ख़ुमार बाराबंकवी


शहरयार


एजाज़ हुसैन


अली जव्वाद **ज़ैदी**


वजाहत अली संदेलवी


सलाम मछली शहरी


चौधरी सिब्ते मोहम्मद


मोहम्मद अक़ील रिज़वी


रशीद हसन खाँ


महमूद इलाही


क़मर रईस


महमूदुल हसन रिज़वी


कृष्ण बिहारी नूर


रामलाल


नैयर मसूद


काज़िम अली खाँ

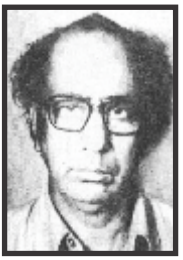

आबिद सुहेल


फ़ज़ल इमाम रिज़वी


अहमद जमाल पाशा


हनीफ़ नक़वी


मंजुर सलीम


मलिक ज़ादा मंजूर अहमद


बाक़र मेंहदी


बशेशर प्रदीप


मसीहुल हसन रिज़वी


इरफ़ान सिद्दीक़ी


नाज़िश प्रतापगढ़ी


बशीर बद्र


आरज़ू लखनवी


हूरमत उल एकराम


अनवर मिर्ज़ा पुरी


डॉ० वसीम बरेलवी


सीमाब अकबराबादी


शौकत थानवी


जोश मलिहाबादी


इब्ने सफी


शम्सुल रहमान फारूकी


जिगर मुरादाबादी


मंजूर हाशमी


डॉ. रफीक हुसैन

ज्ञानपीठ अवार्ड्स


फिराक गोरखपुरी


महादेवी वर्मा


कुर्रतुल–ऐन–हैदर


अली सरदार जाफरी


शहरयार


श्री अमरकान्त


श्री लाल शुक्ल


कुंवर नारायण
साहित्य

उत्तर प्रदेश की प्रमुख संगीत एवं नृत्य विभूतियाँ



बिस्मिल्ला खाँ



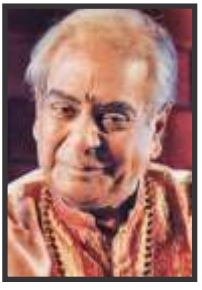
बेगम अख्तर



विष्णुनारायण भातखण्डे



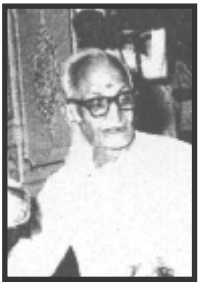
हरि प्रसाद चौरसिया



बिरजू महाराज



गिरिजा देवी



लच्छू महाराज



शम्भू महाराज



गोदई महाराज



सितारा देवी



रवि शंकर



पं. किशन महाराज



पागलदास



कन्छे महाराज



सविता देवी



कुमकुम धर



अजिता श्रीवास्तव



मालिनी अवस्थी



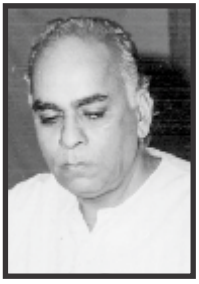
पं. विकास महाराज,



श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी



श्री छन्नू लाल मिश्र



डॉ. लालमनी मिश्रा



श्री गोपाल शंकर मिश्रा



श्री गोपी कृष्ण



पं. कांथे महाराज



पं. समता प्रसाद



राजन मिश्र, साजन मिश्रा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी


नैमि चन्द्र जैन


राधेश्याम दीक्षित


रतन थियम


रोमेश मेहता


शिवचरण लाल ''प्रेम''


सुदेश शर्मा


सुरेन्द्र कौशिक


सुरेन्द्र माथुर


विश्वनाथ मिश्र


स्वामी श्रीराम शर्मा


गुलाब बाई


के.बी. चन्द्रा


ललित मोहन तिवारी


विनोद रस्तोगी


सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ


विजय दीक्षित


जरीफ़ मलिक आनन्द

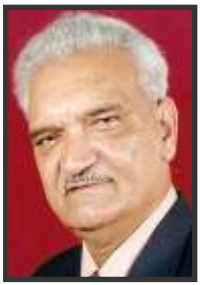

डॉ० बृजेश्वर सिंह

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी


आगा हश्र कश्मीरी


अनूप जलोटा


बंसी कौल


डॉ. अनिल रस्तोगी


डॉ. भानुशंकर मेहता


डॉ. पुरु दधीच


डॉ. सुरेश अवस्थी


मास्टर फ़िदा हुसैन नरसी


ज्ञानदेव अग्निहोत्री


हरिकृष्ण अरोड़ा


हीरालाल यादव


कृष्णा मिश्रा


कृष्ण नारायण कक्कड़


मोहन उपरैती


मुकेश सान्याल


नादिरा ज़हीर बब्बर

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिने विभूतियाँ


कमाल अमरोही


के. आसिफ


नौशाद


शैलेन्द्र


जद्दन बाई


कैफी आजमी


के.एल. सहगल


नरगिस


इन्दीवर


भारत भूषण


मजरूह सुल्तानपुरी


तलत महमूद



अमिताभ बच्चन



रवीन्द्र जैन



शबाना आजमी



शकील बदायूंनी



मुजफ्फर अली



योगेश



राज बब्बर



जावेद अख्तर



रेहाना



अचला नागर



समीर



रेहाना सुल्तान



कैलाश खेर



राजा बुन्देला



अभिजीत



माया गोविन्द



नसीरुद्दीन शाह



मंसूर खान



शाहरूख मिर्जा



उमा देवी 'टुनटुन'



विशाल भारद्वाज



शाद अली



प्रकाश मेहरा



अनुराग कश्यप



राजपाल यादव



कन्हैया लाल



निम्मी



मार्क जुबेर



सुधीर मिश्रा



कब्बन मिर्जा



सितारा देवी



युनुस परवेज



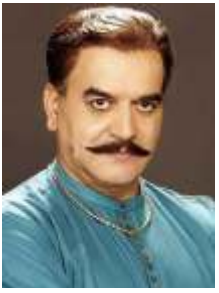
निर्मल पाण्डेय



सपना अवस्थी



डेविड धवन



सुरेन्द्र पाल



रजा मुराद



जोहरा सहगल

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार


आर.एस. बिष्ट


नित्यानंद महापात्र


बी.एन. आर्य


एस.जी. श्रीखण्डे


के.वी. जेना


जयकृष्ण अग्रवाल


असद अली


ए.पी. गज्जर


एस. अजमत शाह


आर.एस. धीर


सनत कुमार चटर्जी


सतीश चन्द्रा


दिलीपदास गुप्ता


श्रीधर महापात्र


पम्मी लाल


उमेश शर्मा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार


गोपाल मधुकर चतुर्वेदी


विश्वनाथ खन्ना


अश्विनी कुमार शर्मा


बालदत्त पाण्डेय


एस.एन.सक्सेना


मुहम्मद सलीम


बी.पी.कम्बोज


पुष्पलता शर्मा


बैजनाथ प्रसाद गुप्ता


एन. खन्ना


योगेन्द्र नाथ योगी


जमील अख्तर


एन.एन.राय


रंजीत चक्रवर्ती


शुकदेव श्रोत्रीय


डॉ. कुसुम दास

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार



कामता प्रसाद



हृदय गुप्ता



अमरनाथ शर्मा



अवधेश मिश्र



पूर्णिमा तिवारी



आलोक कुमार



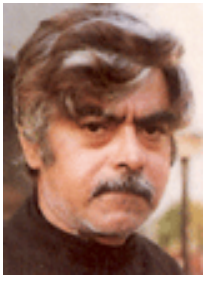
हीरालाल प्रजापति



इन्दु जोशी



मृदुला शाह



भैंरोनाथ शुक्ल



भारत भूषण



जगदीश गुप्त



राधेश्याम अग्रवाल



रेखा कक्कड़



आर.एस. शाक्य



साधना लाल

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार


संतोष वर्मा


सीमा जावेद


शिवेन्द्र सिंह


स्नेह मोहन


शरद पाण्डेय


उमेश कुमार सक्सेना


विनोद कुमार सिंह


विष्णु स्वरूप सिंह


ज़ेबा हसन


गोगी सरोज पाल


डॉ० नन्दिता शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

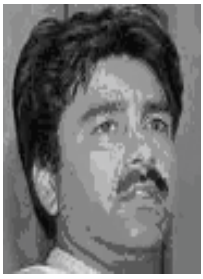
उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ


मेजर ध्यान चन्द


के.डी. सिंह बाबू


मोहम्मद शाहिद


आशीष विंस्टन जैदी


मनोज प्रभाकर


अरुण लाल


मो. कैफ


सुरेश रैना


आर.पी. सिंह


चेतन चौहान


हेमलता काला


ज्ञानेन्द्र पाण्डेय


पीयूष चावला


नरेन्द्र हीरवानी


सुरिन्दर अमरनाथ


रमन लाम्बा

उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ



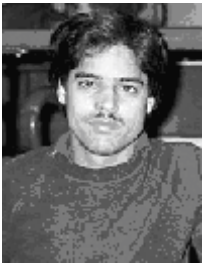
रविकान्त शुक्ला



प्रवीण कुमार



अभिन्न श्याम गुप्ता



सैयद मोदी



गौस मोहम्मद खान



निखिल चोपड़ा



लाला अमरनाथ

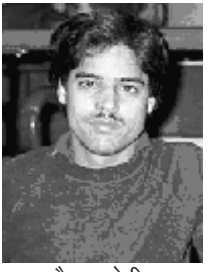


मोहिन्दर अमरनाथ

अर्जुन अवार्ड



अभिन्न श्याम गुप्ता



सैयद मोदी



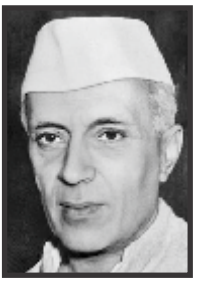
आशीष सिंह राष्ट्रमण्डल खेल स्वर्ण पदक विजेता



अरूणिमा सिन्हा
(एवरेस्ट फतेह करने वाली
प्रथम भारतीय विकलांग खिलाडी)

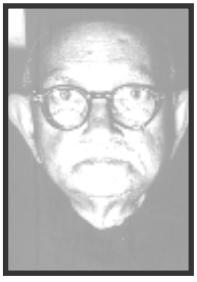
उत्तर प्रदेश के प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार


गणेश शंकर विद्यार्थी


पं. जवाहरलाल नेहरू


पं.मदन मोहन मालवीय


बाबूराव विष्णु पराड़कर


अम्बिका प्रसाद बाजपेयी


एम.चेलापति राव


के. रामा राव


हयातुल्ला अंसारी


सी.वाई.चिन्तामणि


एस.एन.घोष


सच्चिदानन्द सिन्हा


अखिलेश मिश्र


एस.एन.जायसवाल


एस.एम.जाफर


इशरत अली सिद्दीकी


के. विक्रम राव



डॉ० धर्मपाल गुप्त 'शलभ'



आनन्द मोहन पाण्डेय



ओंकार 'मनीषी'



श्री प्रभात सिंह



मृणाल पाण्डेय



नरेन्द्र मोहन



घनश्याम पंकज



राम बहादुर राय

पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ



हकीम सै. जिलुर रहमान
(यूनानी औषधि–2006)



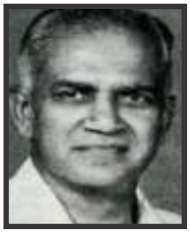
भारत भूषण
(साहित्य एवं शिक्षा - 1991)



मोहम्मद शाहिद
(हाकी खिलाड़ी–1986)



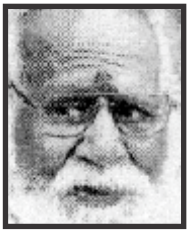
डॉ. जयपाल मित्तल
(विज्ञान एवं यांत्रिकी–2003)



श्याम लाल गुप्ता
साहित्यकार (कवि)



के.डी. सिंह बाबू
(खिलाड़ी–1958)



आचार्य गिरिराज किशोर
(राजनीतिज्ञ)



अली जवाद जैदी
(उर्दू साहित्य)



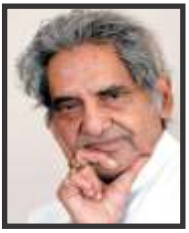
रविन्द्र कुमार
(साहित्य एवं शिक्षा–2001)



बेगम अख्तर
(गजल गायिकी)



कृष्णा राम चौधरी
शहनाईवादन



गोपालदास नीरज
(हिन्दी साहित्य–2007)



राम बहादुर राय
पत्रकारिता



मुजफ्फर अली
(फिल्म निर्देशक–2005)



के.पी. सक्सेना
(लेखक–2000)



मालिनी अवस्थी
(लोक संगीत पद्मश्री - 2016)



डॉ0 उषा यादव
(साहित्य एंव शिक्षा)



राम यत्न शुक्ल
(साहित्य एंव शिक्षा)



सुधा सिंह
(खेल)



अशोक कुमार साहू
(मेडिसिन)


चंद्रशेखर सिंह
(कृषि)


जगदीश चौधरी
(समाजसेवा)


गुलफाम अहमद
(संगीत)


जीतू राय
(खेल)


योगेश प्रवीन
(साहित्य)


राजेश्वर आचार्य
(कला)


रजनी कान्त
(सामाज कार्य)

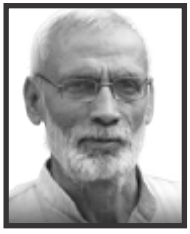

रमेश बाबा जी महाराज
(सामाज कार्य)


शादाब मोहम्मद
(मेडिसिन)


बृजेश कुमार शुक्ला
(साहित्य एवं शिक्षा)


प्रशांति सिंह
(खेल)

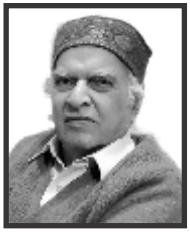

देवेंद्र स्वरूप
(साहित्य एवं शिक्षा/पत्रकारिता)


भारत भूषण त्यागी
(कृषि)


राम सरन वर्मा
(कृषि)


हीरा लाल यादव
(कला)


संजीव बीकाचंदानी
(उद्योग)


डॉ. नरिंदर नाथ खन्ना
(मेडिसिन)


मोहम्मद सरिफ
(सामाज कार्य)


दया प्रकाश सिन्हा
(कला)


हरीश चंद वर्मा
(विज्ञान)



कमलनी एवं नलिनी अस्थाना
(कला)



शिवनाथ मिश्रा
(कला)



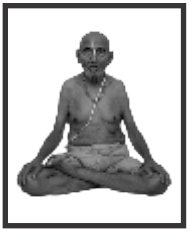
शीश राम
(कला)



सेठ पाल सिंह
(कृषि)



विद्या विंदु सिंह
(साहित्य एवं शिक्षा)



शिवानंदा
(योग)



अजय कुमार सोनकर
(विज्ञान)



अजिता श्रीवास्तव
(कला)



डॉ. कमलाकर त्रिपाठी
(चिकित्सा)



डॉ. पद्मावती बंदोपाध्याय
(चिकित्सा)

पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ


इरफान हबीब


कुर्रतुल–ऐन हैदर


पं. किशन महाराज


रामकिंकर उपाध्याय


भगवतीचरण वर्मा


अमरनाथ झा


मैथिलीशरण गुप्त


जोश मलिहाबादी


रामेश्वरी नेहरू


महादेवी वर्मा


आबिद हुसैन


हजारी प्रसाद द्विवेदी


राय आनन्द कृष्णा


पं. श्रीकृष्णनारायण रतनजंकर


विजय आनन्द


कुंवर नारायण
साहित्य


गिरिजा देवी
संगीत



भगवान सहाय



राधाकमल मुखर्जी



राहुल सांकृत्यायन



फिराक गोरखपुरी



वृन्दावन लाल वर्मा



पं. हरिभाऊ वाकणकर



रवि शंकर



जय कृष्णा



महेश प्रसाद मेहरे



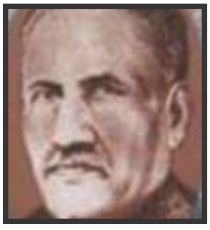
पिताम्बर पन्त



निसार हुसैन खान



अमृत लाल नागर



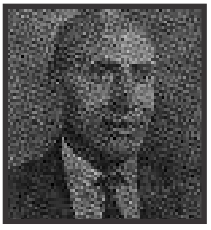
बनारसी दास चतुर्वेदी



जयदेव सिंह



बेगम अख्तर



कैलाश नाथ कौल



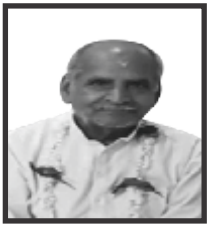
नृपेन्द्र मिश्र



कल्बे सादिक



राशिद खान
(कला)



वशिष्ठ त्रिपाठी
(साहित्य एवं शिक्षा)

पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ



डॉ. जाकिर हुसैन
(सामाजिक कार्य–1954)



विजय लक्ष्मी पंडित
(लोकसेवा–1962)



राय आनन्द कृष्णा
(लोकसेवा–1980)



पं. रविशंकर
(कला–1981)



बिरजू महाराज
(कला–1986)



महादेवी वर्मा
(साहित्य एवं शिक्षा–1988)



उमाशंकर दीक्षित
(सामाजिक कार्य–1989)



कैप्टन लक्ष्मी सहगल
(सामाजिक कार्य–1998)



मिर्जा हमीदुल्ला बेग
(सामाजिक कार्य–1988)



पं. किशन महाराज
(कला–2002)



वी.एन. खरे
(कानून/समाज कार्य, 1980)



डॉ. पुरुषोत्तम लाल
(औषधि–1981)



गोविन्द नारायण
(सामाजिक कार्य–2009)



गिरिजा देवी
संगीत



मुरली मनोहर जोशी
समाजिक कार्य



यश्पाल
विज्ञान एवं अभियंत्रिकी



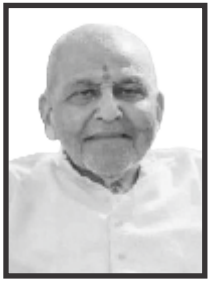
जगतगुरू राम भद्राचार्य



आदर्श सेन आनन्द
जनहित कार्य



बी.बी लाल
(आरकेलॉजी)



राधेश्याम खेमका
(साहित्य एवं शिक्षा)



कल्याण सिंह
(सामाजिक कार्य)



छन्नूलाल मिश्रा
(कला)

साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ



राहुल सांकृत्यायन
(1958–इतिहास)



भगवती चरन वर्मा
(1961–उपन्यास)



अज्ञेय
(1964–कविता)



जैनेन्द्र कुमार
(1964–उपन्यासकर)



अमृतलाल नागर
(1967–उपन्यास)



हरिवंशराय बच्चन
(1968–कविता)



श्रीलाल शुक्ल
(1969–उपन्यासकार)



रामविलास शर्मा
(1969–उपन्यासकार)



नामवर सिंह
(1971–साहित्य आलोचक)



भवानी प्रसाद मिश्र
(1972–कविता)



हजारी प्रसाद द्विवेदी
(1973–लेखक)



कुंवर नारायण
साहित्य



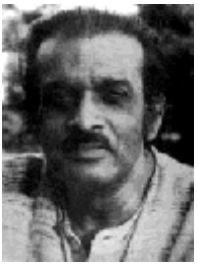
यशपाल
(1976–उपन्यास)



धूमिल
(1979–उपन्यास)



त्रिलोचन
(1981–उपन्यास)



सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
(1983–कविता)



शिवमंगल सिंह 'सुमन'
(1974–कविता)



केदारनाथ सिंह
(1989–कविता



केदारनाथ अग्रवाल
(1986–कविता)



रघुवीर सहाय
(1984–कविता)



लीलाधर जगूड़ी
(1997–उपन्यास)



सुरेन्द्र वर्मा
(1996–उपन्यास)



गिरिराज किशोर
(1992–उपन्यास)



विष्णु प्रभाकर
(1993–उपन्यास)

दादासाहब फाल्के अवार्ड्स

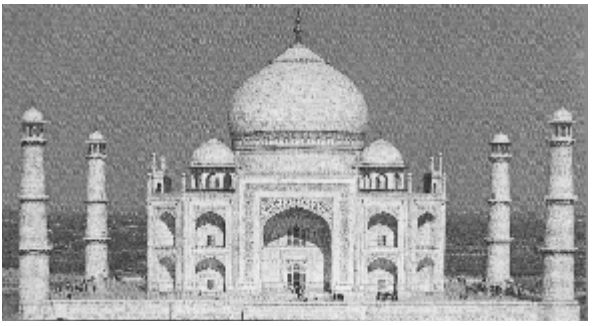


नौशाद अली



मजरूह सुल्तानपुरी

प्रदेश के जनपदवार दर्शनीय स्थल



ताजमहल, आगरा

वृन्दावन मंदिर, मथुरा

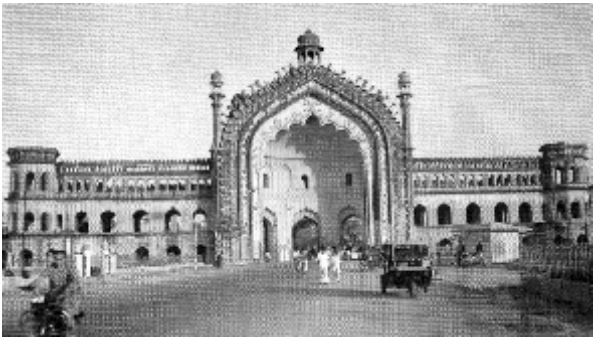




खानकाह रशीदिया, मैनपुरी

बर्ड सैंक्च्यूरी
जलेसर, एटा





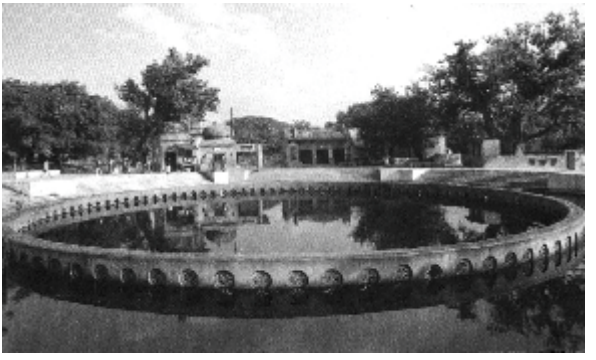
रूमी दरवाजा, लखनऊ



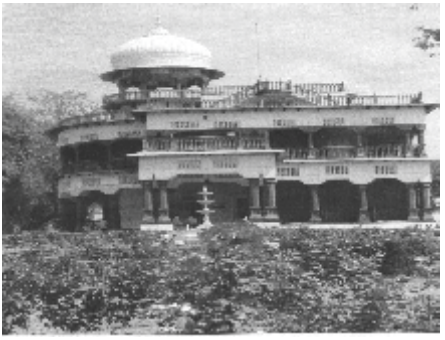
गोला गोकरननाथ मंदिर,
लखीमपुर खीरी



प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, उन्नाव



चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, सीतापुर



आनन्द भवन, प्रयागराज



कड़क शाह बाबा की मज़ार, कौशाम्बी



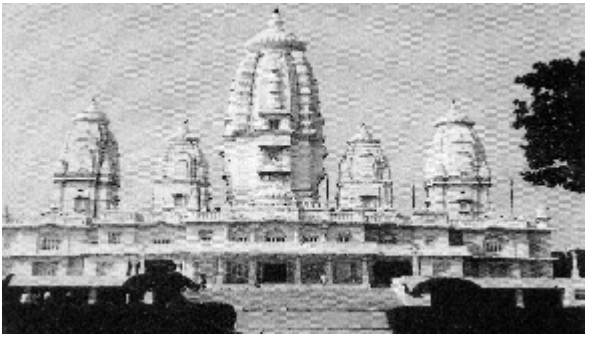
शहीद स्थल बावनी इमली, फतेहपुर



कनक भवन, अयोध्या



कन्नौज में संरक्षित अनूठी
कलाकृति, सप्तमातृका की प्रतिमा



जे० के० मन्दिर, कानपुर नगर



आसई किले से प्राप्त
दिगम्बर जैन मूर्तियाँ, इटावा



शुक्ल तालाब, अकबरपुर
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)



गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर

शहीद स्मारक, महराजगंज





बौद्ध स्तूप, कुशीनगर

बाबा सोमनाथ जी का भव्य मन्दिर, देवरिया

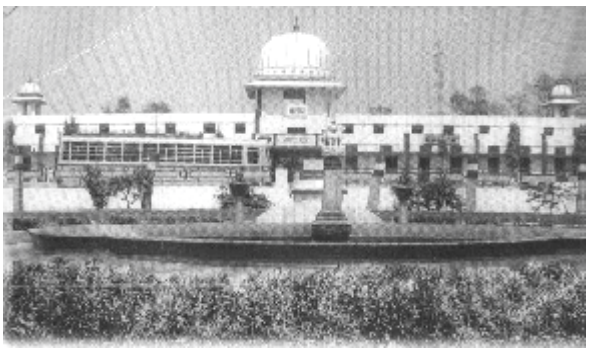




शहीद स्थल छावनी, बस्ती

सन्त कबीर की निर्वाण स्थली, मगहर (सन्त कबीर नगर)





बलिया का रेलवे स्टेशन

चाइना मन्दिर, श्रावस्ती





रानी महल, झांसी

मकरबई मन्दिर, महोबा





कामदगिरि पर्वत, चित्रकूट

कालिंजर दुर्ग, बाँदा





रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर

शिबली एकेडमी, आजमगढ़





शहीद स्मारक, मऊ

घंटाघर, बदायूँ

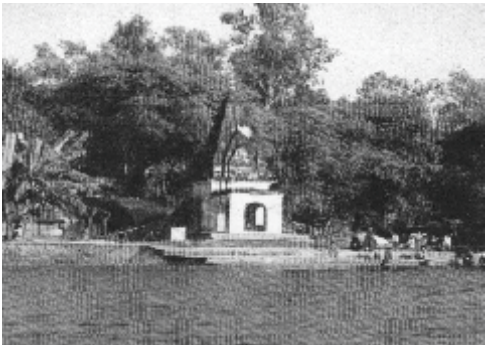




घंटाघर, बहराइच



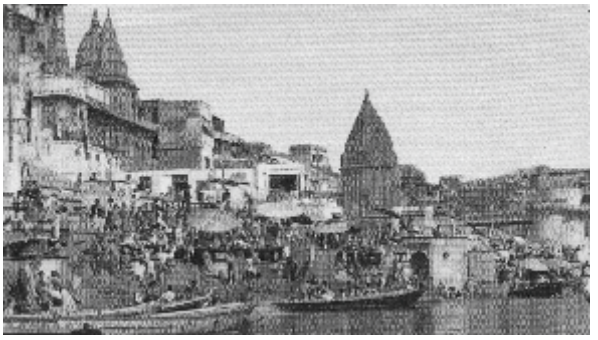
देवी पाटन मन्दिर, बलरामपुर



अरगा पार्वती का मन्दिर, गोण्डा



रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, सोनभद्र



गंगा घाट, वाराणसी



सीताकुण्ड घाट, सुल्तानपुर



सीतामढ़ी धार्मिक पर्यटन स्थल,
संतरविदास नगर, भदोही



घंटाघर, मिर्जापुर



जैन मन्दिर, ललितपुर

चौरासी गुंबद, कालपी (जालौन)





हिन्दी भवन, जौनपुर



प्रसिद्ध बेल्हा देवी मंदिर,
प्रतापगढ़



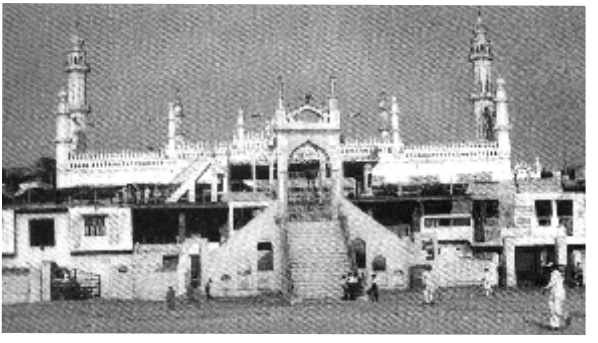
एजाज अली हॉल, बिजनौर



शुक्रताल स्थित प्राचीनतम शिव मंदिर, मुजफ्फर नगर



धानपुर शहीद स्मारक चंदौली



ऐतिहासिक जामा मस्जिद, मुरादाबाद



लार्ड कार्नवालिस का मकबरा
गाजीपुर



घंटाघर, बुलंदशहर



जैन मन्दिर- फिरोजाबाद



श्री सनातन धर्म मन्दिर
गौतमबुद्ध नगर



देवकली मन्दिर, औरैय्या



विक्टोरिया हाल,
घण्टाघर, हरदोई



यज्ञशाला, बागपत



प्रसिद्ध मन्दिर
महामायानगर



मुगल घाट, कम्पिल
फर्रुखाबाद



अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी,
अलीगढ़



बुद्धा स्तूप, पिपरहवा
कपिलवस्तु



औघढ़नाथ मन्दिर
सरधना, मेरठ



देवा शरीफ, बाराबंकी



समसपुर पक्षी विहार
(रायबरेली)



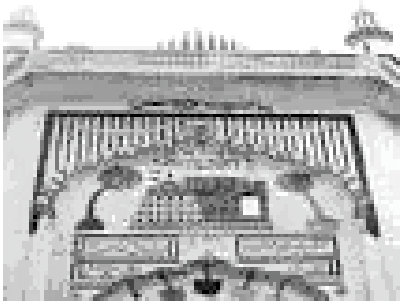
अशफाक उल्ला की मजार शाहजहाँपुर



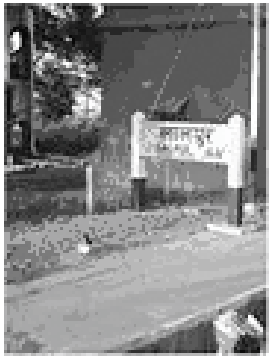
हनुमतधाम, शाहजहाँपुर



श्री दाओजी महाराज
हसायन, हाथरस



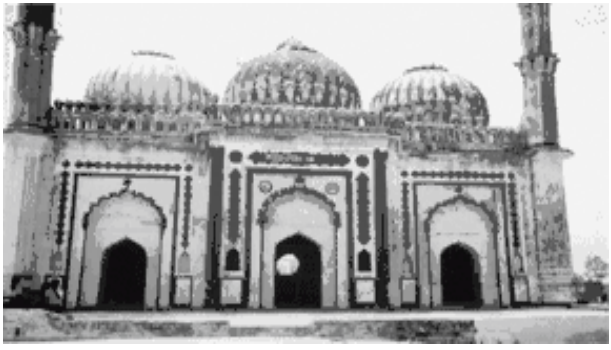
किछौछा शरीफ, अम्बेडकर नगर



लालपुर
रेलवे स्टेशन
जालौन



प्राचीन श्री गंगा मन्दिर
गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद



बादशाही मस्जिद, सुल्तानपुर



आनन्द आश्रम, बरेली



कल्पवृक्ष, हमीरपुर



बौद्ध स्तूप, सिद्धार्थनगर



माता शाकुम्बरी देवी मन्दिर,
सहारनपुर



जायसी स्मारक
अमेठी



नदरई का पुल,
कांशीरामनगर
कासगंज

हिन्दी साहित्य और उर्दू अदब

उत्तर प्रदेश में पछुआ और पुरवा दोनों हवाएँ तेज़ चलती हैं, जो यहाँ की जलवायु और संस्कृति को वैविध्यपूर्ण बनाती हैं। भस्म कर देने वाली लू और हड्डियों को कंपाने वाली, ख़ून जमा देने वाली ठंडक, यहाँ के संस्कृति कर्मियों और रचनाकारों को न तो अधिक भावुक बनाती है और न अधिक वस्तुवादी। तटस्थ होकर जीवन और जगत के प्रश्नों पर सोचने-विचारने की गहरी सम्पृक्ति उत्तर प्रदेश, जो कि मध्यदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, में मिलती है। अमीर खुसरो से लेकर अब्दुल बिस्मिल्लाह तक में खुश्की और तरी का मत आश्चर्यजनक जादू का काम करता है, और फिर यह मत ऐन्द्रजालिकता, 'मुगलों ने सल्तनत बख्श दी', के तम्बू की तरह फैलता ही जाता है। आगरा, मेरठ और बुलन्दशहर की भाषा कैसे काव्य भाषा बनी ? उसमें राजसत्ताओं की भौतिक आवश्यकताएँ और बाजार का तर्क तो है ही इसके अलावा संतों-सूफियों और भक्तों द्वारा विकसित किया जा रहा एक ऐसा भाषा का माध्यम भी है जो प्रमुख सांस्कृतिक कारण है। समाज की छोटी-छोटी इकाइयों के भेदों को बिना समाप्त किये, एक बड़े माध्यम और मूल्य के लिए जीना सिखाती है। अमीर ख़ुसरो की क़व्वालियाँ, शेर और मुकरियाँ, कबीर की साखियों और पदों, तुलसी के दोहा-चौपाइयों और कवित्त, सवैयों तथा मुल्ला दाउद, कुतुबन और जायसी की सूफी रचनाओं ने यही किया। अपनी कृतियों के द्वारा इन रचनाकारों ने केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं, बल्कि हिन्दी को भी गौरवान्वित किया है। कबीर ने काव्यभाषा हिन्दी के प्राक् रूप का प्रयोग किया। कबीर ने अपने समय की वर्णाश्रम धर्म आश्रित विषमतामूलक संस्कृति, नैतिक और सामाजिक संस्था और विचार तंत्रों को चुनौती दी। तत्कालीन सत्ता के सोपानात्मक ढांचे के आधार को ही उन्होंने हिला दिया। प्रेम की अनन्यता और सर्वोपरिता को स्थापित करते हुए कबीर ने अपने अनुभव से प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हुए हर प्रकार की पोथियों को वास्तविकता से दूर मानते हुए अपने समय के निर्गुण मुहावरे में साखियों और सबदों की ऐसी सहज और निश्छल बानी प्रवाहित की कि वे बनारस की सीमाओं को लाँघकर **पूरे** भारत वर्ष को प्रभावित करने लगे। कबीर सामाजिक आन्दोलन के अगुआ के रूप में प्रमुखता से आगे दिखते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'गीतांजलि' से ही नहीं एजरा पाउन्ड द्वारा उनकी कविताओं के किए गए अनुवाद से भी उस प्रभाव का पता चलता है। तुलसीदास समग्र हिन्दी भाषी जनता के कंधे पर हाथ रखने वाले ऐसे सजग कवि हैं जो लोक कल्याण को जीवन-मूल्यों के रूप में स्थापित करते हैं। अपने मूल्यों के प्रति तुलसी भी आग्रही हैं। कवित्त और सवैया छन्दों को उन्होंने हिन्दी का जातीय छंद बना दिया। कवि के रूप में अपने पात्रों के प्रति पूर्ण समर्पण तुलसी के अतिरिक्त शायद कहीं नहीं मिलता। जायसी हिन्दू-मुसलमान को एक साथ रहने और निरर्थक लड़ाई से विरत रहने का मानवीय संदेश देते हुए 'पद्मावत' में अत्यन्त विषादपरक ढंग से पृथ्वी के झूठे होने का संकेत करते हैं। 'पद्मावत' का सारा संकेत समग्र जीवन्तता, आश्चर्यजनक जागतिकता, अलाउद्दीन का आक्रमण आदि ''लीन्ह उठाई छार इकमूठी दीन्ह उड़ाई पिरथिवी झूठी'' में समाप्त होता है। अर्थात् अकाट्य यथार्थ यदि यह है तो धर्म, वासना, अहंकार, सत्ता, चीख-पुकार किसलिए ? क्यों आपस में लड़ते हो, अपने स्वधर्म का पालन करो। सूफियों ने प्रेम की पीर का जो शास्त्र रचा और लौकिक विश्वासों तथा मान्यताओं को मिलाकर जैसा आख्यान रचा, निश्चय ही उसने हिन्दी भाषी क्षेत्र की जनता को काफी सहनशील और मिली-जुली संस्कृति वाला बनाया। जौनपुर के शर्की राजाओं के काल में सूफियों द्वारा रचे गये आख्यान साहित्य ने हिन्दी को ही नहीं **बांग्ला** आदि भाषाओं को भी प्रभावित किया। बंगाल

में 'पद्मावत' का व्यापक प्रभाव पड़ा है। विजयदेव नारायण साही तो 'जायसी' को हिन्दी का सबसे बड़ा कवि मानते हैं। जायसी एकमात्र कवि हैं जो अपने समय के इतिहास और मिथक तथा लोक और अलोक के प्रश्नों से मानव परिस्थितियों के संदर्भ में एक कवि के रूप में जूझते हैं। 'सूरदास' के लिए प्रेमैक्यता ही मुख्य विषय है। प्रेम-स्वीकृत समाज ही सत्य है। शायद ही दुनिया में कोई कवि होगा जो माता और बालक दोनों के हृदय का इतना मार्मिक ज्ञाता हो। बाल सुलभ चेष्टाओं का इतना सहज और संवेदनशील वर्णन **दुर्लभ** है। बाल-मनोविज्ञान को समझने के लिए सूरदास पहले कवि हैं जो सहायक सिद्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन इन रचनाकारों के अलावा रसखान, केशवदास, रहीम, मुल्ला दाउद, मंझन उस्मान और नूर मुहम्मद की रचनाएँ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कहा जाता है कि अब्दुल रहीम ख़ानख़ाना ने जौनपुर की सूबेदारी के समय में ही 'बरवै नायिका भेद' ग्रंथ की रचना की। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास पर कविताएँ लिखी हैं और तुलसी को कवियों का कवि कहा है। रचना का ग्रंथ बनना आसान नहीं है। केशवदास– जिन्हें गालियाँ ही मिलीं, भाषा के सजग कवि थे। केशव ने व्यवस्थित रूप से कविता का शास्त्र रचा। रामचन्द्र शुक्ल के आरोपों के बावजूद 'रामचंद्रिका' में कौशल्या, लक्ष्मण और दशरथ आदि का चरित्रांकन केशव ने मानवीय धरातल पर करने का आश्चर्यजनक प्रयत्न किया है, बल्कि काफी सीमा तक देवत्वकरण को समाप्त किया। शब्द के प्रति कवि की खोज का जो उल्लेख केशव ने ''सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर'' कहकर किया है, उसकी दाद तो अज्ञेय ने 'केशव की कविताई' लेख में दी ही है। एक अर्थ में केशव प्रयोगवादियों के आचार्य हैं।

बुलंदशहर के रहने वाले सेनापति, पद को चुन-चुनकर रचने का उल्लेख इस गर्व के साथ करते हैं कि उनकी कविता में श्लेष के माध्यम से कर्म अर्थ में है। चमत्कार के इस प्रदर्शन के अलावा प्रकृति के अनेक पक्षों का यथार्थपरक जो चित्र सेनापति ने प्रस्तुत किया है, वह पूरे रीतिकाल में नहीं है।

हिन्दी गद्य को धार्मिक टीकाओं और खतों-फरमानों से अलग व्यावहारिक प्रयोगों के लिए विकसित करने का श्रेय मुंशी इंशा अल्ला ख़ाँ (लखनऊ), लल्लू जी लाल (आगरा) और सदासुख लाल नियाजी (प्रयाग) को है। 'भाखापन' और 'मुअल्लापन' से अलग ठेठ हिन्दी में लिखी कहानी 'रानी केतकी की कहानी', 'प्रेमसागर' और राजनीति तथा 'सुखसागर' ने लगभग 19वीं शताब्दी भर हिन्दी गद्य को मानकीकृत करने का प्रयत्न किया। 'प्रेमसागर' वर्षों तक सरकारी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक बना रहा। इनके बाद दूसरा प्रमुख साहित्यिक प्रयत्न 'इटावा' से राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा मूल संस्कृत से हिन्दी में 'शकुन्तला' के अनुवाद द्वारा शुरू हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने हिन्दी भाषा को विकसित और समृद्ध करने का कार्य किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने गुरु शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह से हटकर हिन्दी भाषा को साहित्य और संस्कृति के साथ विमर्श की भाषा बनाने का अप्रतिम प्रयास किया। आगरा, बरेली, वाराणसी और प्रयागराज में स्थापित सभाओं, समाजों और इन्स्टीट्यूटों ने जातीय जागरण के लिए हिन्दी को अधिकाधिक प्रयुक्त करने का व्यापक प्रयत्न किया। भारतेन्दु और उनके युग के रचनाकारों में बालकृष्ण भट्ट (प्रयागराज), राधाचरण गोस्वामी (मथुरा), राधा मोहन गोकुल (आगरा), काशीनाथ खत्री (प्रयागराज), राधाकृष्ण दास (वाराणसी), श्री निवास दास (मथुरा), रतनानाथ (इटावा), राम गोपाल विद्यान्त (लखनऊ), प्रताप नारायण मिश्र (कानपुर), बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' (मिर्ज़ापुर), राधा चरण गोस्वामी (मथुरा), तोताराम वर्मा (अलीगढ़) ने हिन्दी भाषा और साहित्य को न केवल समृद्ध किया, बल्कि हिन्दी जाति को नये सामाजिक-राजनैतिक प्रश्नों तथा परिवर्तनों के प्रति सजग और सचेष्ट भी किया। इन लेखकों ने हिन्दी क्षेत्र में लेखों, पर्चों, नाटकों के अभिनयों, बहसों और टिप्पणियों से हिन्दी को सारे उत्तर भारत में राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। इन लेखकों ने ब्रज भाषा, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेज़ी से हिन्दी में रूपान्तरण करके उसकी व्यापकता की वृद्धि की तथा राष्ट्रीय भावनाओं को धारण करने में समर्थ किया।

भारतेन्दु के समय में ही ब्रजभाषा में बल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, राधावल्लभी हित हरिवंश आदि सम्प्रदाय

के अनेक कवि या तो पैदा उत्तर प्रदेश में हुए या यहीं आकर बस गये। इन रचनाकारों ने सामान्य गृहस्थों के जीवन से लेकर सामंती जीवन तक की अनेक स्थितियों को आदर्शीकृत कर दिया। मध्यकाल के कठोर सेन्सरशिप के युग में दोहरी अर्थ व्यंजना की इस आश्चर्यजनक पद्धति का आविष्कार योरोपीय मध्यकाल के अनेक कवियों में भी मिलता है। शृंगार और अध्यात्म का यह संकेतात्मक रचना-विधान, कृष्ण लीलाओं के बहुमुखी रूपों में पाया जाता है। रस-मुहावरे का उत्तर प्रदेश में जन्म तो नहीं हुआ परन्तु अनेक रूपों में विकास यहीं हुआ।

रीतिकाल को प्रायः दरबारी और रूढ़िबद्ध लक्ष्यपरक काव्य कहकर हेय और त्याज्य माना गया है, परन्तु यही वह काल है जिसने कला माध्यम के द्वारा एक प्रकार की आश्चर्यजनक धर्मनिरपेक्षता विकसित की। पूरे हिन्दी क्षेत्र में एक ही काव्यभाषा में कवित्त और सवैया छंदों में ऐन्द्रिय बोध का ऐसा काव्य रचा गया, जिसको पढ़कर यह पता ही नहीं चलता है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ अनेक धार्मिक मतावलम्बी हैं। ऐहिकता को रचना का माध्यम इस सीमा तक बनाना कि अज्ञानी और अशिक्षित से लेकर पढ़े-लिखे पंडित तक रसिकता में डूब जायें इसी समय संभव हुआ। संगीत चित्र और काव्य कलाओं की पारस्परिकता से विकसित इस काल के रचनाकारों में बिहारी (मथुरा), देव (**मैनपुरी**), चिन्तामणि (कानपुर), मतिराम (**कानपुर**), भिखारीदास (प्रतापगढ़), भूषण (कानपुर), पद्माकर (बांदा), ग्यास (मथुरा), तोष (प्रयागराज), कुलपति मिश्र (आगरा), बेनी (असनी, फतेहपुर), सुरति मिश्र (आगरा), सुखदेव मिश्र (डुमरियागंज, रायबरेली), श्रीधर उपाध्याय (प्रयागराज), श्रीपति (कालपी, जालौन), रसलीन (बिलग्राम, हरदोई), दूलह (अवध), जगत सिंह (गोण्डा), प्रताप शाही (चरखारी), बेनी प्रवीन (लखनऊ), मुबारक अली (बिलग्राम, हरदोई), गुरुदत्त सिंह भूपति (अमेठी, सुल्तानपुर) आदि कवियों ने रीतिकालीन कविताओं द्वारा ऐसा वातावरण विकसित किया कि कविता सर्व संभव ही नहीं बनी बल्कि शादी-विवाह में एक रस्म के रूप में कला मर्मज्ञता और काव्य कला के ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए रूढ़ि तक बन गई। उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों से स्वरचित या किसी अन्य कवि की कवित्त-कविता या सवैया सुनाना वर-कन्या के लिए अनिवार्य सा बन गया। इस प्रकार का काव्य 20वीं शताब्दी तक रचा जाता रहा। डॉ. जगदीश गुप्त की छंदशती में नवीन उद्भावनाएँ और बिम्ब विधान भी हैं। भक्ति के बरक्स इस प्रकार के धर्म निरपेक्ष काव्य का सृजन अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। श्रीधर पाठक (प्रयागराज), मिश्रबन्धु (लखनऊ) और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सतर्क तेजस्विता के साथ गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए इस तर्क से तो रीतिवाद का विरोध किया ही, कविता से अलंकार, शृंगार रस और नायिका भेद की परम्परा के बहिष्कार पर भी लिखा। सबसे पहले श्रीधर पाठक ने हिन्दी प्रदीप में एक लेख लिखकर देश प्रेम आदि आधुनिक विषयों पर लिखने और इसे छोड़ने का आग्रह किया। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिन्दी में प्रकृति को नये रूप में प्रस्तुत करने वाले 'नयी चाल' के कवि ही नहीं हैं, बल्कि पहले स्वछंदतावादी रचनाकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के पहले 'जयहिन्द' का नारा दिया जैसा कि हरिवंशराय बच्चन ने लिखा है। पाठक जी के प्रयागराज स्थित पद्मकोट में ही एक प्रकार से स्वच्छन्दतावाद से छायावाद का विकास हुआ। सुमित्रानन्दन पंत और महादेवी वर्मा प्रायः यहाँ आते रहते थे। पंत और पाठक जी का संबंध 1909 से ही बहुत गहरा था। मैथिलीशरण गुप्त (चिरगांव, झांसी) के प्रकृति वर्णन और पाठक जी के प्रकृति-वर्णन में अंतर को ध्यान से देखने पर हिन्दी कविता के प्रारम्भ में विद्यमान संभावनाओं का पता लगता है। भाषा को मानकीकृत और व्यवस्थित करने के साथ ही साथ देशप्रेम, राष्ट्रीयता और नये विचारों के प्रति ग्राह्यशीलता का नवजागरणकालीन आग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' का अग्रणी तत्त्व था। मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं का सती तत्त्व और प्रेमचन्द का सत्याग्रही **व यथार्थवादी** तत्त्व– दोनों ने मिलकर हिन्दी भाषा और कथा-साहित्य को लोकोन्मुखी बनाया। लोक-जागरण के साहित्य को सशक्त माध्यम बनाने का कार्य और राष्ट्रीय आन्दोलन को पूर्णतः राजनैतिक स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करने का प्रबल आग्रह एक साथ सक्रिय हुआ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रूप नारायण पांडे, जगदम्बा प्रसाद हितैषी,

पढ़ीस, राय देवी प्रसाद पूर्ण और कवि मौन आदि की रचनाएँ बकौल निराला खड़ी बोली को समर्थ काव्यभाषा बनाने वाली रचनाएँ हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के 'प्रिय प्रवास' की राधा, 'साकेत' की सीता, 'कामायनी' की श्रद्धा, 'सेवासदन' की सुमन, 'गोदान' की मालती, 'कर्मभूमि' की सुखदा आदि स्त्रियाँ भारतीय समाज के आदर्शवादी यथार्थवादी दौर का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रेमचन्द और मैथिलीशरण गुप्त दोनों अपने समय को जिस रूप में परिभाषित करते हैं वह सत्याग्रह युग की ही प्रश्नाकुलता का परिणाम है। प्रेमचन्द के 'गबन' और 'गोदान' तथा 'सद्गति', 'गुल्लीडंडा', 'आहुति', 'कफ़न', 'पूस की रात', 'नशा', 'ठाकुर का कुंआ', 'सवा सेर गेहूँ' आदि कहानियों में सामाजिक यथार्थ का जो आन्तरिक उद्घाटन होता है वह हिन्दी क्षेत्र में नहीं हिन्दी के बाहर भी अन्तर्ध्वनित होता है। हिन्दी के कथा साहित्य पर प्रेमचन्द की छायाएँ आज भी छायी रहती हैं यद्यपि प्रेमचन्द के औपन्यासिक शिल्प और सामाजिक समझ से भिन्न उपन्यास भगवतीचरण वर्मा, यशपाल और अज्ञेय ने लिखे। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी ने मानव मन को केन्द्र में रखकर अनेक उपन्यास लिखे। जैनेन्द्र ने कथा-साहित्य को समर्थ भाषा दी और जोशी ने मन के उद्घाटन की शक्ति। इन कथाकारों ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में अनेक नैतिक और सामाजिक प्रश्नों को जिस रूप में रखा, उसके पहले वे उस रूप में नहीं थे। 'त्यागपत्र', 'चित्रलेखा', 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते', 'झूठा सच', और 'शेखर एक जीवनी' की दुनिया, प्रेमचंद, प्रसाद की दुनिया नहीं है। कथा साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी में लखनऊ का एक खासा दबदबा रहा है। अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, भगवती बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी के कथा समयों का वैसे ही निर्माण किया है जैसे प्रेमचंद ने। उत्तर प्रदेश के शिव प्रसाद सिंह का 'अलग-अलग वैतरणी', विवेकी राय का 'बबूल', राम दरश मिश्र का 'जल टूटता हुआ' तथा अब्दुल बिस्मिल्लाह का 'झीनी झीनी बीनी चदरिया' देशकाल की फांस की ओर संकेत करने वाले उपन्यास हैं। गिरिराज किशोर, बी.राजन, मदन मोहन, देवेन्द्र, प्रियंवद, मुद्राराक्षस, कामतानाथ, अखिलेश आदि ने अपनी रचनाओं से राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपनी छवि निर्मित की है बल्कि अपने प्रयोगों को मनुष्य के सामाजिक और आत्मिक संकट की विसंगतियों सहित रूपायित करने का प्रयत्न किया है। ये वे रचनाकार हैं जिन्होंने अपने भौगोलिक समय और स्थान को फैलाया है। संजीव का 'धार', शैलेश मटियानी का 'मुठभेड़', विभूतिनारायण राय का 'कफ़्र्यू' और कमलाकांत द्विवेदी का 'पातीघर', नीलकांत का 'बंधुआ मजदूर रामदास', राजकृष्ण मिश्र का 'दारुलशफ़ा', मैत्रेयी पुष्पा का 'इदन्नमम','वीरेन्द्र सारंग का 'वज्रांगी' महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनसे पाठक संपृक्त और सजग हुआ है। ऐसे दर्जनों लेखक व उनकी रचनाएँ हैं पर उनका नामोल्लेख न कर पाना हमारी स्थान सीमा है।

हिन्दी नवजागरण के महान रचनाकारों और छायावाद के उन्नायकों में सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ने उत्तर प्रदेश और हिन्दी दोनों को अपनी रचनाओं से एक प्रकार सनातनत्व प्रदान किया। पंत का पद विन्यास, निराला की क्रान्तिकारी प्रयोगधर्मिता और मौलिकता, जयशंकर प्रसाद का समरसतावादी समाधान और नाटकों में व्याप्त समतावादी राष्ट्रीय जागरण की गहरी दृष्टि तथा महादेवी की मानवीय नारीपरक व यथार्थवादी आध्यात्मिक दृष्टि, गहरी सामाजिक राजनैतिक अन्तर्दृष्टि ने पूरी सृष्टि को मानवीय बना डाला। सब कुछ में प्राण संचार करने वाली हिन्दी के रस छायावाद की भूमि, जिसे काव्य पारिभाषिक दृष्टि से मुश्किल से बहुत छोटा छह-सात वर्ष ही माना जा सकता है, उत्तर प्रदेश ही हो सकता था। 'सरस्वती', 'इन्दु', 'हिन्दी प्रदीप', 'ब्राह्मण', 'भारतेन्दु', 'कवि वचन सुधा', 'बाला बोधिनी', 'स्त्रीदर्पण', 'विज्ञान', 'व्यापार', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन', 'स्वराज्य', 'मर्यादा', अभ्युदय', 'माधुरी', 'चांद', सुधा, 'हंस', 'रूपाभ', 'स्वदेश', 'माडर्न', 'दिव्य', 'प्रवासी' आदि पत्रिकाओं ने देश भर में एक ऐसे बौद्धिक वर्ग का निर्माण किया जो व्यापक अर्थ में मानवीय था। ये पत्रिकाएँ छठीं शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता के पूर्व के हिन्दी मानस और कुछ सीमा तक भारतीय मानस का निर्माण करती रही हैं।

'क्षितिज के उस पार' या 'कौन तम के पार रे' आदि प्रश्नों को टालकर इस पार को महत्व देने वाले प्रत्यक्षवादियों ने हिन्दी काव्य को नई दिशा दी। बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, अंचल और भगवती चरण वर्मा ने वर्जित

रचना क्षेत्र जैसा रवैया छोड़ दिया; उन्मुक्तता और सहजता को कविता के मर्म में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश के इन रचनाकारों के गीतों में चिंतनशीलता के बजाय आवेग, स्वच्छंदता और तड़प है। यथार्थ को निरावृत रूप में मन की मौज में ग्रहण करने के कारण इन कवियों ने भाषा में एक विशेष प्रकार की सोच और आकर्षण पैदा किया। हिन्दी को नये प्रतीक प्रदान किये। निराला और पंत की कविताओं में भी युगान्त और युगवाणी की ध्वनि गूँजी। 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन के बाद जिसे प्रेमचन्द ने सम्बोधित किया था हिन्दी कविता में भारतीय समाज के शोषण और अत्याचार के विविध चित्रों को प्रस्तुत किया गया। प्रगतिशील रचनाकारों में त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शीलजी उस समय के प्रसिद्ध लेखकों में हैं **जिन्होंने** हिन्दी काव्य को निरंतर प्रौढ़ बना**या**। शमशेर बहादुर सिंह प्रारंभ में इसी दौर से सम्बद्ध थे। अज्ञेय को यदि जन्मस्थान (कुशीनगर) की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का मान लिया जाय तो कहा जा सकता है कि इस दौर के प्रभाव में वे भी थे। इन कवियों ने हिन्दी भाषा को तद्भव शब्दों और नयी अनुभूतियों से सम्पन्न किया। पत्र-पत्रिकाओं ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान किया। 'प्रतीक' (प्रयागराज) के प्रकाशन के साथ हिन्दी कविता में नया दौर प्रारम्भ होता है। 'तार सप्तक' का प्रकाशन एक घटना है, इसमें रामविलास शर्मा, भारतभूषण अग्रवाल उत्तर प्रदेश के रचनाकार हैं परंतु दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण रचनाकार शामिल हैं। बल्कि कहा जा सकता है कि दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक तक प्रयोगवाद और नयी कविता के दौर के अनेक लेखन-आन्दोलन ही चूँकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रारंभ हुए, इसीलिए वे रचनाकार इसी प्रदेश के हैं। शमशेर, नरेश मेहता (जन्म मध्य प्रदेश, रचना क्षेत्र- प्रयागराज), कुँवर नारायण, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, मलयज, केदारनाथ सिंह इस प्रदेश की ही विभूतियाँ हैं, जिनके कारण यह प्रान्त अपनी सीमा के बाहर भी जाना जाता है।

छठे दशक के इन रचनाकारों का प्रभाव इधर लिख रहे अनेक रचनाकारों में पाया जाता है। देवेन्द्र कुमार, श्रीराम वर्मा, शिवकुटी लाल वर्मा, अजित कुमार, कीर्ति चौधरी आदि रचनाकारों ने कविता को सम्पन्न करने का कार्य किया परन्तु धूमिल ने कविता के स्थिर मुहावरे को तोड़ा। धूमिल ने यथार्थ के स्थिर और अपेक्षाकृत आदर्शीकृत काव्यात्मक मुहावरे के स्थान पर अनुभव और संवेदना के द्वन्द्वात्मक रिश्ते से विकसित एक नया मुहावरा दिया, जिससे कविता कटघरे में खड़े आम आदमी का बयान करने लगती है। धूमिल के मुहावरे की अपनी सीमा थी परन्तु उसका प्रभाव सातवें और आठवें दशक पर व्यापक रूप से पड़ा। विशेषकर उन पर जो कविता को क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते रहे हैं। भावुक प्रतिक्रियाओं के इस दौर के बाद हिन्दी में अनेक नये कवि इस प्रदेश में आठवें और नवें दशक में हैं। कविता के क्षेत्र में कवि कम कवि यशः प्रार्थी अधिक हैं। नीलाभ, प्रभात, राजेश, वीरेन डंगवाल, नरेश सक्सेना, देवी प्रसाद मिश्र, बोधिसत्व, मान बहादुर सिंह, कात्यायनी, बद्रीनारायण, हरीशचन्द्र पाण्डे, अनिल श्रीवास्तव, **अग्निवेद** जैसे सैकड़ों कवियों ने अपनी कविताओं से अपने समय के संकट और सामर्थ्य को चिन्तनशील भावना के साथ व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश का योगदान अधूरा ही माना जाएगा अगर कविता और साहित्य को प्रतिष्ठान का रूप देने वाले उन अनेक गीतकारों और रचनाकारों का उल्लेख न हो जिन्होंने गीत विधा में विविध प्रयोग करके उसे सम्मेलनी स्तर से उठाकर महज गले का कमाल नहीं रहने दिया है। विसंगतियों, विद्रूपों और व्यंजनाओं का गहरी सम्प्रेषण क्षमता के साथ प्रयोग इन कवियों ने किया है। इसमें उमाकान्त मालवीय, रमानाथ अवस्थी, मोहन अवस्थी, **तन्मय बुखारिया,** नीरज, रामस्वरूप सिन्दूर, सोम ठाकुर, महेश्वर तिवारी, के.पी. सक्सेना, कैलाश गौतम, उमाशंकर तिवारी, गुलाब सिंह, यश मालवीय, अमरनाथ श्रीवास्तव विशेष उल्लेखनीय हैं। इन रचनाकारों ने बाजारूपन और कृत्रिम गंभीरता से कविता को यथासंभव बचाया है। हिन्दी गजल को एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले दुष्यन्त कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वैसे प्रयोग तो भारतेन्दु ने भी किया और निराला ने भी परन्तु दुष्यंत के अलावा शमशेर, विजयदेवनारायण साही, अदम गोंडवी, गोरख पांडे और एहतराम इस्लाम ने हिन्दी में ग़ज़ल को व्यापक

अर्थवत्ता प्रदान की है। शमशेर और साही तो काफिया रदीफ की दृष्टि से भी अत्यंत चौकन्ने गजल लिखने वाले हैं। संसार की अन्य भाषाओं की तरह आत्मविमर्शात्मक स्वरूप वाली अनेक महत्वपूर्ण कविताएँ हिन्दी में भी हैं। इन्हें भक्ति अध्यात्म या धर्मानुभूति के खांचे में डालना कठिन है। निराला के आराधना और अर्चना के गीतों से लेकर गोविन्द चन्द्र पांडे की 'किसका', केशव कालीधर की 'समर्थ रीति', लक्ष्मीकांत वर्मा की 'कंचनमृगा', नरेश मेहता की 'उत्सवा' तक एक भिन्न प्रकार का आस्वाद है जो समकालीन प्रश्नों का शाश्वत उत्तर देने का प्रयत्न है।

कहानी विधा एक अर्थ में अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित उत्तर प्रदेश में ही हुई। प्रेमचन्द से लेकर दीपक श्रीवास्तव तक उसका सर्जनात्मक तेवर वाला इतिहास है। प्रेमचन्द्र, प्रसाद, यशपाल, अश्क, अज्ञेय आदि पूर्वजों के बाद कहानी विधा विविध आन्दोलनों और परिवर्तनों के दौर से गुजरती रही है। इस दौर में जिन्होंने इसे सम्पन्न बनाया उन लोगों में उत्तर प्रदेश के लेखकों को यदि प्रदेश के माध्यम से जाना जाता हुआ माना जाय– **तो** मार्कण्डेय, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर, अमरकान्त, शैलेश मटियानी, रामलाल, शेखर जोशी, हृदयेश, दूधनाथ सिंह, विभूतिनारायण राय, ज्ञानरंजन, गिरिराज किशोर, गोविन्द मिश्र, मैत्रेयी पुष्पा, नीलकान्त, शिवमूर्ति, संजीव, शिवानी, ममता कालिया, नमिता सिंह, शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, कामतानाथ, रघुवीर सहाय, वसु मालवीय, शैलेन्द्र सागर, प्रियंवद, अखिलेश, मुद्राराक्षस, मनोज पाण्डे, वीरेन्द्र सारंग, लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक', से.रा. यात्री तथा अन्य दर्जनों नाम, ने अपनी कहानियों से कहानी को सर्जनात्मक विधा ही नहीं बनाये रखा, बल्कि इस विधा के माध्यम से मनुष्य और यथार्थ दोनों को न केवल उद्घाटित किया, बल्कि संवेदनाओं के ऐसे क्षेत्रों की ओर संकेत किया जो बिल्कुल नया था। ऐसे अंधेरे की ओर संकेत किया जहाँ मणियाँ थीं और ऐसे प्रकाशित स्थलों को दिखाया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। नये कथ्य, नयी भाषा और नये यथार्थ और नये शिल्प की दृष्टि से इन रचनाकारों का स्थायी योगदान है। इधर कहानियों में सूचनाओं के जंजाल का तंत्र लक्षणवादी तंत्र से अधिक विकसित हुआ है। कुछ ऐसे लेखक, **कवि** जो उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से बस गए हैं उनमें से मास्टर कहानीकार उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवन्त सिंह, रवीन्द्र कालिया, सतीश जमाली और ज्ञानेन्द्रपति का उल्लेख आवश्यक है। इनमें से कालिया और सतीश के लगभग सभी संकलन उत्तर प्रदेश आवास के बाद छपे हैं। अश्क और बलवन्त सिंह के उपन्यासों और कहानियों से हिन्दी भाषा समृद्ध ही नहीं हुई, बल्कि कथा-साहित्य में जीवनानुभव के विस्तृत वर्णन और रोमांस से यथार्थ का एक नया ही रूप उद्घाटित हुआ है।

नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान अग्रणी है। बालकृष्ण भट्ट, देवकीनन्दन त्रिपाठी, शीतला प्रसाद, गोपाल दास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राधाकृष्ण दास और माधव शुक्ल हिन्दी नाटक और रंगमंच के प्रजापति हैं। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के रंगकर्मियों ने विक्टोरिया और अलबर्ट थियेटर कम्पनियों के समानांतर रंगमंच का विकास किया। 1870 के आस-पास प्रयाग रेलवे थियेटर में 300 दर्शकों के प्रमाण मिलते हैं। लखनऊ की विद्यान्त नाट्यशाला में बंगला से अनूदित और मूल हिन्दी नाटकों के 1877 तक खेले जाने के प्रमाण हैं। 1885 में भारतेन्दु के हरिश्चन्द्र के पांच प्रदर्शन हो चुके थे। माधव शुक्ल ने तो कलकत्ता में भी हिन्दी रंगमंच का आन्दोलन चलाया। इन नाटककारों के सामाजिक, समस्यामूलक, ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक और देशप्रेमपरक नाटकों के बाद प्रसाद के नाटकों का दौर आता है, जो पठनीय अधिक, अभिनेय कम माने जाते हैं। प्रसाद के नाटकों का अनुकरण बड़े पैमाने पर नहीं हुआ परन्तु वे नाटक राष्ट्र जागरण के ही नहीं राजनैतिक स्वतंत्रता के नाटक हैं। 'ध्रुवस्वामिनी' तो सामाजिक स्वतंत्रता का भी नाटक है। प्रसाद के बाद के समय में ही लक्ष्मीनारायण मिश्र और भुवनेश्वर के नाटक छप रहे थे। इन दोनों ने हिन्दी नाटक को सामाजिक प्रश्नों के सामने खड़े होने और मनुष्य तथा समाज में होने वाले मानसिक भौतिक परिवर्तनों को केन्द्र में रखकर नाटक की भाषा और विधान को बदला। पश्चिम के इब्सन, गाल्सवर्दी और शॉ का प्रभाव ग्रहण कर राम कुमार

वर्मा, जगदीशचन्द्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, विपिन कुमार अग्रवाल ने हिन्दी नाटक में अनेक संभावनाओं का विस्तार किया। नाटक में अभिनय संभावनाओं का विस्तार भुवनेश्वर से प्रारंभ हुआ। विपिन कुमार, मुद्राराक्षस, लक्ष्मीनारायण लाल, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, उर्मिल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, सुलतान अहमद रिज़वी और सत्यव्रत सिन्हा ने उसे समर्थ और समकालीन बनाया। सुरेन्द्र वर्मा, मोहन राकेश के बाद जो सर्वाधिक चर्चित नाटककार हैं वे भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हैं।

विष्णु प्रभाकर वैसे तो उपन्यासकार और कहानीकार हैं, 'अर्द्धनारीश्वर' पर साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है परन्तु प्रसिद्धि उन्हें नाटकों से ही मिली है। लगभग 10 खंडों में नाटक प्रकाशित हैं। नेमिचंद जैन और गिरीश रस्तोगी का नाट्य आन्दोलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। 'नटरंग' के बगैर नाटक के विकास की चर्चा अधूरी रह जाती है। सत्यमूर्ति और कृष्णनारायण कक्कड़ को भी रंगकर्म और नाटकों के लिए भुलाना असंभव है। गो कि कक्कड़ जी ने कविता आलोचना, चित्रकला-विमर्श, चित्रकला-अनुवाद में भी समान रूप से योगदान दिया। नाटक के माध्यम से रंगमंच पर सत्य को परिभाषित करने का कार्य जो भारतेन्दु के समय से प्रारंभ हुआ उसे इस प्रदेश के रंगकर्मियों और नाटककारों ने सीमाहीन क्षेत्रों में फैलाया।

आलोचना और पुस्तक समीक्षा दोनों की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। भारतेन्दु, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' और बालकृष्ण भट्ट इसके आरंभकर्ता हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक जिसकी पहली समीक्षा हिन्दी में लिखी गई, उसके लेखक श्रीनिवास दास मथुरा के थे। प्रसिद्ध आलोचक मिश्र बन्धु **और** रामचन्द्र शुक्ल ने न केवल हिन्दी आलोचना की भाषा विकसित की बल्कि पहली बार व्यवस्थित रूप से कुछ मान (कैनन) भी विकसित किये जिसका लोहा लोग आज भी मानते हैं। रामबिलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद गुप्त, नामवर सिंह, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकान्त वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉ. रघुवंश, दूधनाथ सिंह, परमानन्द श्रीवास्तव, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, राजेन्द्र कुमार, डॉ. अजय तिवारी, मधुरेश, विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी, अजित कुमार, वागीश शुक्ल, वीरेन्द्र यादव, सुशील सिद्धार्थ, पंकज चतुर्वेदी, कृष्णमोहन, अनिल सिन्हा, प्रणय कृष्ण और मूलचन्द गौतम ने हिन्दी आलोचना को अनेक रूपों में समृद्ध किया है। रामविलास शर्मा जलती मशाल की तरह विद्वत्ता और मूल्यांकन की अद्‌भुत क्षमता से युक्त समर्थ ऐतिहासिक आलोचक हैं। 'निराला की साहित्य साधना' तो जीवनी और आलोचना दोनों का प्रमाण है ही। नयी कविता और अस्तित्ववाद, स्थायी मूल्य और साहित्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना, 'भारतेन्दु और हिन्दी भाषा की विकास परम्परा' रामचन्द्र शुक्ल के बाद सबसे समर्थ आलोचना के गौरवग्रंथ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को मानकीकृत करके हिन्दी को गद्य और पद्य की एक भाषा ही नहीं बनाया, बल्कि हिन्दी भाषियों की चेतना का अपूर्व संस्कार किया। उन्होंने मनोरंजन और उद्देश्य दोनों को साहित्य का लक्ष्य माना। समीक्षाएँ लिखीं भी और लिखवायीं भी। मिश्र बन्धुओं के 'हिन्दी नवरत्न' की समीक्षा आधुनिक रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के प्रमुख शिष्य नन्ददुलारे वाजपेयी (उन्नाव) ने शुक्ल जी से हटकर छायावाद की प्रमुख कृतियों का ही नहीं 'साकेत', 'शेखर एक जीवनी', 'कामायनी', 'गोदान' आदि पर महत्वपूर्ण निबंध लिखे। छायावाद को प्रतिष्ठित करने का कार्य तो किया ही हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी की विवृत्ति आलोचना का महत्वपूर्ण प्रतिमान है। सच तो यह है कि शुक्ल जी के बाद वाजपेयी जी कला मर्मज्ञ सामाजिक दृष्टि के सबसे सशक्त आलोचक हैं।

साही की 'जायसी और छठवां दशक', नामवर सिंह की 'कविता के नये प्रतिमान', विपिन कुमार की 'आधुनिकता की पहल', रामस्वरूप चतुर्वेदी की 'भाषा और संवेदना', रमेश कुंतल मेघ का 'अथातो सौन्दर्य जिज्ञासा', परमानन्द श्रीवास्तव की 'शब्द और मनुष्य' तथा वागीश शुक्ल के 'पूर्वग्रह' तथा 'आलोचना' में प्रकाशित लेख प्रतिमानात्मक कृतियाँ हैं। काल्पनिक और अकाल्पनिक गद्य में हिन्दी आलोचना प्रायः दरिद्र है। उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने प्रयत्न किया है जैसे जगदीश नारायण श्रीवास्तव का 'उपन्यास की शर्त', नेमिचंद जैन (आगरा) की प्रसिद्ध पुस्तक 'अधूरे साक्षात्कार' अभी भी आदर्श बनी हुई है।

यात्रावृत्तान्त, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण आदि विधाओं में ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पैदा हुए रचनाकार अग्रणी रहे हैं। **विन्द्रावत लाल वर्मा,** श्यामसुन्दर दास की 'मेरी आत्म कहानी' कई अर्थों में आत्मकथा विधा का व्यवस्थित स्वरूप है। हरिवंश राय बच्चन की चार खंडों में प्रकाशित 'क्या भूलूँ क्या याद करूँ', 'नीड़ का निर्माण', 'बसेरे से दूर' और 'दशद्वार से सोपान तक' एक प्रकार से महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। रचनाकारों ने आत्मकथाएँ प्रायः कम लिखी हैं। यात्रा वृत्तान्तों की दृष्टि से अज्ञेय का 'अरे यायावर रहेगा याद', भाषा की संक्षिप्तता और सटीकता तथा वस्तु की जीवंतता का चरम उदाहरण है। जीवनी की दृष्टि से प्रारम्भ तो भारतेन्दु युग में हो चुका था परन्तु इस विधा की व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण प्रयोग 'आवारा मसीहा' में विष्णु प्रभाकर ने किया है। अमृत राय का 'कलम का सिपाही', उस अर्थ में और भी महत्वपूर्ण है कि प्रेमचन्द लेखक के पिता भी थे, लेखक के लिए आवश्यक दूरी बनाना कठिन था। यद्यपि इसके पहले चरित्रों और वृत्तान्तों की लम्बी परम्परा मिलती है परन्तु नरेन्द्र शर्मा लिखित 'महात्मा गांधी', राधामोहन गोकुल लिखित 'नेपोलियन बोनापार्ट', रामचन्द्र वर्मा लिखित 'महात्मा गांधी'। हिन्दी लेखकों की जीवनियों की महत्वपूर्ण शुरुआत श्याम सुन्दर दास ने 'हिन्दी कोविद रत्नमाला' से की। इधर डॉ. रामकमल राय ने प्रसिद्ध कवि अज्ञेय पर 'शिखर से सागर तक' शीर्षक से महत्वपूर्ण और एक अर्थ में एकमात्र प्रमाणित जीवनी लिखी है। संस्मरणों में बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीनारायण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', रामनरेश त्रिपाठी और अज्ञेय का विशेष महत्व है। एक प्रकार से इन रचनाकारों ने इसे सर्जनात्मकता प्रदान की। अमृतराय की 'जिनकी याद सदा हरी रहेगी' तथा जगदीश माथुर की 'जिन्होंने जीना जाना' ऐसी पुस्तकें हैं जो भाषा के सांकेतिक और सटीक प्रयोग के कारण संस्मरण में गहरी संवेदनात्मक क्षमता पैदा करती हैं। रेखाचित्रों में महादेवी जी की 'अतीत के चलचित्र' और 'स्मृति की रेखाएँ' अभी भी अन्यतम हैं। एक शब्द का भी अनावश्यक प्रयोग नहीं मिलेगा।

रवीन्द्र कालिया, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह शिवमूर्ति के इधर प्रकाशित संस्मरणों में सर्जनात्मक ऊर्जा के कारण पाठक को आनन्द मिलता है। दूधनाथ सिंह का 'लौट आ ओ धार' और काशीनाथ सिंह का 'काशी का अस्सी' संस्मरण से हटकर एक प्रकार का संस्मरणात्मक गल्प है। यह पुस्तक विधात्मक **नयेपन** के कारण ही नहीं अपनी बुनावट के कारण **भी** लीक से हटकर है।

सृजनात्मक चिंतन और ललित निबंधों की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, विवेकी राय, कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर', डॉ. रघुवंश, युगेश्वर और कृष्णनाथ का योगदान अविस्मरणीय है। आचार्य द्विवेदी जैसी मर्मवेधनी मानवीय दृष्टि और शोषितों तथा गरीबों के प्रति सहानुभूति का तो अभाव हुआ है, परन्तु प्रकृति मात्र के प्रति व्यापक दृष्टि तथा मानवीय चिन्ता निबंधकारों का मुख्य विषय है।

रचनाकार किसी भी प्रदेश के हों वे मूलतः किसी न किसी भाषा के लेखक होते हैं और भाषाएँ भारत में एक भाषिक क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण एक दूसरे को कितना कुछ सम्पन्न करती रहती हैं, कहना कठिन है। इस अर्थ में हिन्दी क्षेत्र का व्यापक महत्व है। हिन्दी के **अधिसंख्य** लेखक उत्तर प्रदेश के हैं परन्तु हिन्दी को इतना व्यापक बनाने का श्रेय उन लेखकों को अपेक्षाकृत अधिक है जो अन्य भाषा क्षेत्रों से हैं। उत्तर प्रदेश के रचनाकारों में से भी अनेक अन्य प्रान्तों में बसे हैं, फलतः बहुआयामों के कारण अनुभव और भाषा का नया संश्लेष पैदा कर सके हैं।

उर्दू अदब

उर्दू भाषा के विकास में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा है। तेरहवीं सदी में यद्यपि अमीर ख़ुसरो ने, जिनका जन्म **पटियाली** (जिला एटा) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुछ पद्यात्मक रचनायें कीं पर उर्दू गद्य का वास्तविक विकास अठारहवीं सदी से प्रारम्भ हुआ था। उर्दू के महान शायर ग़ालिब, मीर तथा नज़ीर अकबराबादी, जिनका दृष्टिकोण धर्मनिरेपक्ष रहा, का जन्म स्थान आगरा था। मीर ने अपने आखिरी दिन लखनऊ में बिताये थे। नज़ीर अकबराबादी आगरा में ही रहे और वहीं उनका देहान्त हुआ। आसिफ़ुद्दौला स्वयं उच्चकोटि के शायर

थे, फलतः लखनऊ उर्दू शायरी का केन्द्र बन गया।

उधर दिल्ली से लखनऊ बहुत सारे शायर आए क्योंकि दिल्ली दरबार उजड़ रहा था। ऐसे आने वाले महान शायरों में फ़ुगाँ, मीर तक़ी मीर, सौदा, मीर ज़ाहिक़ और मीर हसन का उल्लेख किया जा सकता है। इनके बाद मुसहफी, इंशा और जुरअत आये। समय और स्थान के परिवर्तन का प्रभाव यह हुआ कि दिल्ली शायरी की नैराश्यमय एवं उपालम्भपूर्ण शैली का स्थान लखनऊ की सुगम, अलंकारिक एवं ललित शैली ने ले लिया। लखनऊ शैली के दो प्रमुख शायर थे, नासिख़ और आतिश। ग़ज़ल के अतिरिक्त उर्दू शायरी की अन्य विधाओं जैसे मसनवी का सुन्दर उदाहरण मीर हसन, दयाशंकर 'नसीम', नवाब मिर्ज़ा 'शौक़' तथा अहमद अली शौक क़िदवई ने प्रस्तुत किया। इनकी रचनाओं के नाम हैं– 'सहरूलबयान', 'गुलज़ारे नसीम', 'ज़हरे इश्क' और 'आलमेख़्याल'। रेख़ती में जान साहब ने कमाल दिखाया तथा एक पूरा दीवान यादगार छोड़ा। कुछ उर्दू शायरों को रामपुर, फ़र्रुखाबाद में आश्रय मिला। दाग़, असर, अमीर, जलाल और तस्लीम उन प्रसिद्ध शायरों में से थे, जिन्हें रामपुर दरबार की तरफ से मदद मिली।

उर्दू शायरी की एक विधा 'मर्सिया' है जिसे मीर अनीस एवं मिर्ज़ा दबीर और उनके समकालीन शायरों ने उत्कर्ष पर पहुँचाया। अब इस विधा को एक नया आयाम देते हुए जदीद मर्सिये लिखे जा रहे हैं। जोश मलिहाबादी, अली मेंहदी बलरामपुरी, समर हतनौरी, तय्यब काज़मी, तबस्सुम ऐजाज़ी, नासिर लखनवी ने नये मर्सिये को नया रंग दिया। उर्दू नाटककारों में अवध नरेश वाजिद अली शाह 'अख़्तर' ने 'राधा-कन्हैया' का रहस्य लिखकर तथा आगा हसन अमानत ने 'इन्द्रसभा' लिखकर उर्दू साहित्य के इतिहास में नाम पैदा किया। आधुनिक युग में आग़ा हश्र कश्मीरी ने सुविख्यात एवं लोकप्रिय नाटक लिखे। इस परम्परा को विलायत जाफ़री, ज़ैनुद्दीन आदि आगे बढ़ा रहे हैं।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में बृजनारायण 'चकबस्त', सफ़ी, अज़ीज, साक़िब और जलाल ने अपनी ग़ज़लों और नज़्मों में नये विषयों का समावेश किया तथा लखनवी शायरी को नयी दिशा दी । ब्रजनारायण 'चकबस्त' इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी में राष्ट्र प्रेम की भावना का सूत्रपात किया। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य प्रख्यात शायरों में सुरूर जहानाबादी, **मौ. मोहम्मद अली 'जौहर',** बिशन नारायण दर, नौबतराय नज़र, द्वारिका प्रसाद उफुक़, हसरत मोहानी, यगाना चंगेज़ी, असगर गोंडवी, अकबर इलाहाबादी, आरज़ू लखनवी, फ़ानी बदायूंनी, रियाज़ खैराबादी, मुज़्तर खैराबादी, जाफ़र अली खां 'असर' और सिराज लखनवी आदि उल्लेखनीय हैं। इन सब शायरों ने उर्दू ग़ज़ल और शायरी को नया आयाम दिया। उर्दू शायरी में उपालम्भों की शुरुआत और उक्त शैली का विकास भी उत्तर प्रदेश में हुआ।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से 'अवधपंच' में उपहासात्मक कवितायें तथा लेखादि छपा करते थे। इस कोटि के सबसे सफल कवि अकबर इलाहाबादी तथा ज़रीफ़ लख़नवी थे। बाद में गद्य लिखने वालों में रशीद अहमद सिद्दीक़ी, शौकत थानवी, अहमद जमाल पाशा, वजाहत अली सन्दीलवी आदि ने नाम कमाया।

उर्दू गद्य को भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण देन रही है। गद्य लिखने वाले सर्वप्रथम लेखकों में लखनऊ के मिर्ज़ा रजब अली बेग 'सुरूर' का नाम आता है। उन्होंने अवध के शासक नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में 'फ़सान-ए-अजायब' लिखा। कतिपय अन्य रचनायें भी इनके नाम से हैं। इनकी शैली अलंकारिक और दुरूह है। शब्दाडम्बर भी अधिक है।

सन् 1857 के स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद मौलाना अब्दुल हलीम 'शरर' तथा पण्डित रतननाथ 'सरशार' के उपन्यासों में उर्दू गद्य लेखन की सरल शैली दिखायी पड़ी। उर्दू साहित्य में नयी परम्परायें प्रारम्भ करने वालों में मिर्जा हादी 'रुसवा', मुंशी सज्जाद हुसैन, मौलाना शिबली, अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी आदि ने साहित्य और अन्य विषयों पर जो कुछ लिखा, वह अविस्मरणीय है। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले सर सैय्यद अहमद खां, जो दिल्ली के रहने वाले थे, किन्तु उत्तर

प्रदेश में बस गये थे, ने अपने लेखों आदि में अनेक विषयों का समावेश कर उर्दू साहित्य को नयी दिशा प्रदान की तथा भाषा को सरल और आसान बनाया। उन्होंने समाज सुधार, इतिहास, जीवनी, शिक्षा, राष्ट्रीयता और राजनीति से सम्बद्ध विविध विषयों पर लेख लिखे। उनके विस्तृत ज्ञान की उनके समकालीन लेखक अवहेलना नहीं कर सके। इस प्रकार लेखकों के सामने ऐसे विषय आये, जिनकी तरफ पहले उनका ध्यान ही नहीं गया था। इतिहासकारों में इसी प्रदेश के कमालुद्दीन हैदर हसनी उल हुसैनी, राजा दुर्गा प्रसाद मेहर संदीलवी और मौलवी नजमुल ग़नी रामपुरी ने अवध के इतिहास पर बुनियादी कार्य किया तथा उच्चकोटि की पुस्तकें यादगार के रूप में छोड़ीं। देश के उर्दू पुस्तकों का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन केन्द्र मुंशी नवल किशोर ने लखनऊ में स्थापित किया था। उर्दू के प्रति इस प्रकाशक की सेवायें अविस्मरणीय हैं। इन्होंने ही 'अवध अखबार' जारी किया था। पं. रतननाथ सरशार का सुविख्यात उपन्यास 'फसान-ए-आज़ाद' इसी अखबार में किश्तवार छपा करता था। सैय्यद जालिब का सुविख्यात अख़बार 'हमदम' लखनऊ से प्रकाशित होता था।

उत्तर प्रदेश से बहुत सारे अदबी रिसाले भी प्रकाशित होते थे। इनमें खदंग-ए-नज़र, उर्दू-ए-मुअल्ला, दिलगुदाज़, ज़माना, अदीब, अल-नाज़िर, निगार, माअरिफ़, नया दौर और किताब उल्लेखनीय हैं। इनमें से 'माअरिफ़' और सूचना विभाग से प्रकाशित 'नया दौर' आज भी प्रकाशित हो रहे हैं।

उर्दू में प्रगतिशील साहित्य को बढ़ावा देने में भी उत्तर प्रदेश आगे रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम कांफ्रेंस 1936 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सुविख्यात उर्दू-हिन्दी कहानीकार मुंशी प्रेमचन्द ने की थी। प्रगतिशील साहित्य में मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य दबे-कुचले वर्गों की समस्याओं के चित्रण पर बल दिया गया और साहित्य द्वारा जनता में अपनी मौलिक समस्याओं और अपने अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के चित्रण पर ज़ोर दिया गया। साथ ही साहित्य द्वारा जनता की मौलिक समस्याओं के निराकरण की कोशिश की गई। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापकों में सज्जाद ज़हीर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो एक महत्वपूर्ण साहित्यकार भी थे। इनका संबंध भी उत्तर प्रदेश से था। सुप्रसिद्ध प्रगतिशील समालोचक प्रो. सैय्यद एहतेशाम हुसैन रिज़वी भी उत्तर प्रदेश के थे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश ने ही उर्दू साहित्य को प्रो. मसूद हसन रिज़वी अदीब, मजनूँ गोरखपुरी, प्रो. एजाज़ हुसैन, डॉ. मसीहउज़्ज़मा, प्रो. आले अहमद सुरूर, प्रो. फ़ज़ले इमाम, अली सरदार जाफ़री और डॉ. इबादत बरेलवी जैसे आलोचक भी दिये। जो अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकार, कहानीकार और कवि उत्तर प्रदेश ने उर्दू को दिये, उनमें क़ुअर्तुल ऐन हैदर, इसमत चुगताई, अली अब्बास हुसैनी, उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवंत सिंह, हयातुल्लाह अन्सारी, रामलाल, चौधरी मोहम्मद अली, जोश मलिहाबादी, मजाज़, फिराक़ गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, वामिक़ जौनपुरी, अली सरदार जाफ़री, मोइन एहसन जज़बी, बाक़र मेंहदी, ख़लीलुर्रहमान आज़मी, सलाम मछली शहरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, बेकल उत्साही, नज़ीर बनारसी, इरफान सिद्दीकी, शहरयार, बशीर बद्र, वसीम बरेलवी, एहसन रिज़वी, उमर अंसारी, गुलाम रिज़वी गर्दिश, कृष्ण बिहारी 'नूर' और ख़ुमार बाराबंकवी, मन्ज़र सलीम, दाराबबानो 'वफ़ा' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उर्दू शायरी के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में इरफ़ान सिद्दीकी ने पिछले एक दशक में अपना लोहा मनवाया। भारत ही नहीं पूरी उर्दू दुनिया में उनकी शायरी आधुनिक और प्रगतिशीलता के समागम के रूप में प्रसिद्ध हुई। 'ज्ञानपीठ' से पुरस्कृत 'उमराव जान' फिल्म के गीतकार एवं मशहूर शायर 'शहरयार' ने भी उर्दू शायरी में प्रदेश का नाम बुलन्दियों तक पहुँचाने में बड़ा योगदान दिया।

उत्तर प्रदेश के लिए यह भी कम गर्व का विषय नहीं है कि साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 'ज्ञानपीठ' से पुरस्कृत होने वली उर्दू की चार महान विभूतियाँ हैं। उर्दू शायरी को उत्कर्ष पर पहुँचाने वाली महान शख्सियत व मशहूर शायर 'फ़िराक़' गोरखपुरी, विख्यात उपन्यासकार व कथाकार क़ुअर्तुल ऐन हैदर, मशहूर प्रगतिशील शायर अली सरदार जाफ़री एवं शहरयार भी उत्तर प्रदेश के ही हैं।

इसके बाद जिन दो साहित्यकारों को 'सरस्वती सम्मान' से नवाज़ा गया वे भी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें पुरस्कृत समालोचक, लेखक शम्सुर्रहमान फ़ारूकी को पहले और उसके बाद मशहूर कथाकार नैय्यर मसूद को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। भारत में अभी तक किसी भी अन्य प्रदेश के उर्दू साहित्यकार को सरस्वती सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। इनके अलावा और भी महान एवं महत्वपूर्ण लेखक तथा कवि उत्तर प्रदेश ने उर्दू को दिये हैं।

सन् 1960 में और उसके पश्चात् भारत के उर्दू साहित्य में आधुनिक अभिव्यक्ति (जदीदियत) की जो बात चली, उसे आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान उत्तर प्रदेश के शहर **प्रयागराज** से प्रकाशित होने वाली उर्दू की साहित्यिक पत्रिका 'शबखून' का रहा। इस पत्रिका के माध्यम से सुविख्यात आधुनिक साहित्यकार शम्सुर्रहमान फ़ारुकी ने, जो उत्तर प्रदेश के ही हैं, आधुनिकता की व्याख्या की और उसे आगे बढ़ाया। आधुनिकता के अन्तर्गत साहित्य में प्रतीकात्मक और एब्सट्रेक्ट अभिव्यक्ति पर ज़ोर दिया गया और कहानी, कविता और ग़ज़ल में आज के युग के व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं पर कम, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के चित्रण पर अधिक ज़ोर दिया गया।

उर्दू साहित्य में शोध कार्य करने वालों तथा समालोचकों में **प्रो.** महमूद इलाही, प्रो. नूरुल हसन हाशमी, काज़िम अली खाँ, डॉ. सै. मु. अकील रिजवी, डॉ. जाफर रजा, प्रो. शारिब रुदौलवी, **प्रो. मुजाविर हुसैन रिज़वी,** अली जवाद जैदी तथा डॉ. मुहम्मद हसन, प्रो. कमर रईस, प्रो. हनीफ़ नकवी, प्रो. अकबर हैदरी कश्मीरी, वारिस किरमानी, अनीस अशफाक, वक़ार नासिरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। **इसी प्रकार नैयर मसूद, आबिद सुहेल, बशेषर प्रदीप, जुबेर रिज़वी, मलिक ज़ादा मन्जूर अहमद, वक़ार नासिरी, मसरूर जहाँ, अनीस अंसारी, अम्बर बहराइची, फय्याज रफत, विलायत जाफ़री, मुनव्वर राना, रबाब रशीदी, तसनीम फारुक़ी, बशीर फ़ारुकी, इक़बाल मजीद, काज़ी अब्दुल सत्तार, तारिक़ छतारी, खालिद जावेद, सबीहा अनवर, आयशा सिद्दीक़ी, तसकीन ज़ैदी आदि कहानीकार एवं शायर उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं।** नए साहित्यकारों में कई अहम नाम सामने आए। मसलन शायरी में अज़रा परवीन, कमर अदीब, आमिर रियाज, शाहिद कमाल, संजय मिश्रा 'शौक' और कहानी में गज़ाल जैगम उल्लेखनीय रहीं। इनके अलावा मोहसिन खाँ, शाहिद अख़्तर, इश्रत जफ़र, आरिफ़ अय्यूबी, सुहेल वहीद, क़ायद हुसैन कौसर, असरार जोधा आदि ने कई अच्छे अफसाने लिखकर अपना नाम दर्ज कराया है। अनुवाद कार्य में हैदरी जाफरी सैय्यद और शकील सिद्दीक़ी का नाम विशेष तौर पर लिया जा सकता है। डॉ. वज़ाहत हुसैन रिज़वी, डॉ. रेशमा परवीन, डॉ. अतहर मसूद आदि ने भी तहक़ीक़ व आलोचना के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू भाषा एवं साहित्य के विकास और उसकी समृद्धि में उत्तर प्रदेश ने हर युग में योगदान दिया है और अपनी विशेष भूमिका निभाई है। विशेष रूप से उर्दू भाषा को निखारने, संवारने और सुन्दर बनाने में लखनऊ का जो योगदान रहा है, वह अविस्मरणीय है। उर्दू साहित्य की समृद्धि में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभा रहा है। यहाँ के कतिपय समालोचकों, लेखकों और शायरों का उर्दू साहित्य में बड़ा ऊँचा स्थान है। यह प्रदेश उर्दू के पालन-पोषण का एक मुख्य केन्द्र रहा है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और उर्दू के विकास एवं प्रसार के लिए आवश्यक क़दम उठाये हैं। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता

हिन्दी पत्रकारिता की प्रथम किरण बंगाल में प्रस्फुटित हुई। हिन्दी का प्रथम पत्र 30 मई, 1826 को कोलकाता से निकला, जिसका नाम 'उदन्त मार्तण्ड' था। यह साप्ताहिक था। इसके सम्पादक पंडित युगुल किशोर शुक्ल कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता का ऐतिहासिक अध्ययन करते समय निम्न काल विभाजन करना उपयुक्त होगा– (1) प्रारम्भिक युग (1845-1867 तक), (2) भारतेन्दु युग (1867-1900 तक), (3) द्विवेदी युग (1900 से 1920 तक), (4) गांधी युग या छायावाद युग (1920-1947 तक), (5) स्वातन्त्र्योत्तर युग (1947 से आज तक)।

प्रारम्भिक युग (1845-1867 तक)

उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में 'बनारस अखबार' पहला हिन्दी पत्र (साप्ताहिक) था। यह जनवरी 1845 में काशी (वाराणसी) से प्रकाशित हुआ। यह हिन्दी भाषी प्रान्तों का प्रथम हिन्दी पत्र था। इसे राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने प्रकाशित कराया था। इसके सम्पादक थे– श्री गोविन्द रघुनाथ थत्ते। राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' उर्दू के हिमायती थे। इसी कारण हिन्दी का पत्र होने पर भी 'बनारस अख़बार' की भाषा हिन्दी न होकर उर्दू थी। 'बनारस अख़बार' के बाद काशी (वाराणसी) से ही 1850 ई. में श्री तारामोहन मित्र द्वारा 'सुधाकर' (साप्ताहिक) का प्रकाशन हुआ। यह साप्ताहिक पत्र बंगला तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। तीन वर्ष बाद यह केवल हिन्दी में प्रकाशित होने लगा। आगरा से 'बुद्धिप्रकाश' का प्रकाशन पत्रकारिता की दृष्टि से ही नहीं, भाषा एवं शैली के विकास के विचार से भी विशेष महत्त्व रखता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1852 **है।** इसके सम्पादक थे– मुंशी सदासुखलाल। आगरा से 'सर्वहितकारक' नामक साप्ताहिक का प्रकाशन 1855 में हुआ। इसके सम्पादक थे– शिवनारायण। इसमें हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाएँ रहती थीं पर हिन्दी ही इसकी मुख्य भाषा थी।

शिक्षा के प्रचार-प्रसार के फलस्वरूप हिन्दी पत्रकारिता का विकास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1857) तक उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी अपेक्षा थी। इसी समय 13 जून, 1857 को प्रेस सम्बन्धी एक कानून जिसे 'गैंगिग ऐक्ट' कहते हैं, लागू किया गया। 1857 की क्रांति की विफलता के परिणामस्वरूप भारतीयों की मनःस्थिति अवसादमय हो गयी थी। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के साथ ही साथ हिन्दी पत्रकारिता के विकास पर भी पड़ा। दमनकारी प्रेस सम्बन्धी कानून की अवधि समाप्त होने एवं राजनीतिक भूकम्प के शान्त होने पर उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में नई जागृति उत्पन्न हुई। 1861 में उत्तर प्रदेश **से** कई पत्र निकले। इनमें 'सूरज प्रकाश' आगरा से प्रकाशित हुआ। सम्पादक थे– गनेशीलाल। इस पत्र के उर्दू भाग का नाम था– 'आफ़ताबे आलमताब'। 'सर्वोपकारक' और 'ज्ञानप्रकाश' भी आगरा से निकले। 'सर्वोपकारक' के सम्पादक थे– शिवनारायण। 1865 में सर्वोपकारक का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम हो गया। इसी वर्ष इटावा से 'प्रजाहित' का प्रकाशन हुआ। यह पाक्षिक था। सम्पादक थे– हकीम जवाहरलाल। इसके उर्दू और अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित हुए। 'लोकमित्र' का प्रकाशन 1 जनवरी, 1863 को आगरा से हुआ। यह ईसाइयों का मासिक पत्र था। इसका प्रकाशन शुद्ध हिन्दी में होता था। 1864 में आगरा से 'भारतखण्डामृत' नाम का पत्र निकला। इसके हिन्दी अंश का नाम 'भारतखण्डामृत' और उर्दू का नाम 'आबेहयात' हुआ। सम्पादक थे– पंडित वंशीधर वाजपेयी। 1865 में बरेली से 'तत्वबोधिनी पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। यह

गुलाब शंकर के संपादकत्व में निकली। यह शुद्ध हिन्दी पत्रिका थी। पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धान्तों का प्रचार करती थी।

भारतेन्दु युग (1867-1900)

1867 ई. में आगरा से 'सर्वजनोपकारक' का प्रकाशन हुआ। पंडित पूर्णचन्द्र इसके सम्पादक थे। इसी वर्ष आगरा से एक और पत्र 'धर्मप्रकाश' निकला। ज्वाला प्रसाद सम्पादक थे। यही 1890 में रुड़की से हिन्दी, उर्दू और संस्कृत में निकलने लगा। 1913 में यह जालौन जिले के कोंच से निकला और 1921 में इसका प्रकाशन कानपुर से होने लगा। भारतेन्दु युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने सहधर्मियों का एक मंडल बनाया, जिसे 'भारतेन्दु मंडल' कहा गया। तभी से हिन्दी पत्रकारिता के विकास को नई गतिशीलता प्राप्त हुई। 15 अगस्त, सन् 1867 ई. को भारतेन्दु ने काशी से 'कविवचन सुधा' मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। इसके प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता के नये युग का सूत्रपात हुआ। आरम्भ में इसमें प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का प्रकाशन होता था। भारतेन्दु इसके माध्यम से भारतीय जनता को हिन्दी कविता की परम्परा से परिचित कराना चाहते थे। यह पत्रिका कुछ ही दिनों के बाद मासिक से पाक्षिक हो गई। पाक्षिक 'कविवचन सुधा' में आधुनिक विषयों तथा समाज नीति, राजनीति पर लेख एवं समाचार भी प्रकाशित होते थे। 1875 में यह साप्ताहिक हो गई। 1868 में प्रयाग से विविध विषय भूषित 'वृत्तान्त दर्पण' नामक पत्र सदासुखलाल के सम्पादकत्व में निकला। यह मासिक था। दो वर्ष बाद ही यह कानून का पत्र बना दिया गया। 1869 में 'मंगल समाचार' मेरठ से प्रकाशित हुआ। सम्पादक थे ठाकुर गिरिप्रसाद सिंह। यह हिन्दी-उर्दू में एक साथ निकलता था। इसी वर्ष आगरा से 'जगतसमाचार', जगदानंद और 'पापमोचन' हिन्दी-उर्दू का पत्र था। इसके सम्पादक कृष्णचन्द्र थे। इसका अपना लीथो प्रेस था। 'जगतप्रकाश' मुरादाबाद से निकला। पाक्षिक 'विद्यादर्श' और 'समय विनोद' भी इसी वर्ष निकले। 'विद्यादर्श' मेरठ से प्रकाशित होता था। इसका उर्दू संस्करण भी था। इसमें विद्या की चर्चा रहती थी।

'आगरा एजूकेशनल गजट' का प्रकाशन भी 1869 में हुआ। इसके उर्दू संस्करण के सम्पादक यूसुफ अली और हिन्दी संस्करण के सम्पादक अमीरउद्दीन थे। उर्दू की 150 और हिन्दी की 50 प्रतियाँ छपती थीं। 'ब्रह्मज्ञान प्रकाश' ब्रह्मसमाजी विचारों का पत्र बरेली से निकला था। सम्पादक थे– केशवचन्द्र सेन। 'आगरा अखबार' और 'आर्य दर्पण' का प्रकाशन आगरा तथा शाहजहाँपुर से हुआ। आर्य दर्पण के सम्पादक थे– मुंशी बख्तावर सिंह। यह मासिक पत्र था। आर्य समाज आन्दोलन को गति देने के लिए इसका प्रकाशन किया गया। इन दोनों पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1870 था। 1871 में प्रकाशित होने वाले पत्र थे– 'हिन्दू प्रकाश' (कानपुर), 'प्रयाग दूत' (प्रयाग), 'बुन्देलखण्ड अखबार' (ललितपुर), 'म्यूरगजट (मेरठ) और 'सोल्जर्स गजट' (सहारनपुर)। 'प्रेम पत्र' का प्रकाशन 1872 में आगरा से हुआ। यह पाक्षिक था। इसके सम्पादक पंडित रुद्रदत्त शर्मा थे। 'प्रेमपत्र' ही वह प्रथम पत्र है जिससे पंडित रुद्रदत्त का सम्पादकीय जीवन आरम्भ हुआ। 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन', 'हरिश्चन्द्रिका', 'भारत-पत्रिका' और 'मर्यादा परिपाटी समाचार' पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष 1873 है। इनमें 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रमुख पत्रिका थी। यह मासिक थी। 15 अक्टूबर, 1873 को इसका प्रथम अंक निकला। इसमें पुरातत्व, उपन्यास, कविता, आलोचना, ऐतिहासिक, राजनैतिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक लेख, कहानियाँ एवं व्यंग्य आदि का प्रकाशन होता था। इसका प्रकाशन स्थल काशी ही था। 'हरिश्चन्द्रिका' साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका थी। इसके अतिरिक्त पत्रिका में राजनीतिक लेख और समाचार भी छपते थे। इसके सम्पादक जयराम थे। 'भारत पत्रिका' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। यह उर्दू-हिन्दी में निकलता था। पत्र का प्रकाशन अवध के ताल्लुकेदारों की संस्था– 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' ने किया था। 'मर्यादापरिपाटी समाचार' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आगरा से हुआ। यह हिन्दी और संस्कृत में निकलता था। सम्पादक थे पंडित दुर्गाप्रसाद शुक्ल। यह सनातनी पत्र पुरानी मर्यादा की रक्षा हेतु प्रकाशित किया गया।

'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'बालाबोधिनी', 'नाटक प्रकाश', 'नागरी प्रकाश' और 'भारत बंधु' का प्रकाशन स्थल क्रमशः काशी, प्रयाग, मेरठ और अलीगढ़ है। इसके अलावा 'सुदर्शन समाचार', 'प्रयाग धर्मपत्रिका' का प्रकाशन प्रयागराज से हुआ। इन पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1874 है। इनमें 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' का संशोधित नाम है। यह पत्रिका भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई। पत्रिका ने साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय सम्मान की भावना जगाने, साहित्यिक रुचि फैलाने, हिन्दी साहित्य के विविध भागों को समृद्ध करने और हिन्दी भाषा को देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उचित स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सरकार इसकी सौ प्रतियाँ खरीदती थी। 'बालाबोधिनी' पत्रिका का प्रकाशन 1 जून, 1874 को हुआ। यह स्त्रीजनों की प्यारी मासिक पत्रिका स्त्री शिक्षा के प्रचारार्थ प्रकाशित की गई थी। 'नाटक प्रकाश' 26 जून, 1874 को प्रयागराज से निकला था। यह नाटकों का मासिक पत्र था। इसके सम्पादक प्रयागराज हाईकोर्ट के वकील रतनचन्द्र थे। 'नागरी प्रकाश' का प्रकाशन मेरठ से हुआ। यह मासिक पत्र था। इसका उद्देश्य नागरी या हिन्दी अक्षरों का विकास करना था। 'भारतबन्धु' साप्ताहिक के सम्पादक तोताराम वर्मा थे। यह मोटे और भद्दे टाइप में छपता था। पत्र का स्वर राजनीतिक अधिक और साहित्यिक कम था। 'धर्म प्रकाश' (प्रयाग), 'आनंद लहरी' (बनारस), 'सुदर्शन समाचार' (प्रयागराज), 'आर्य पत्रिका' (मिर्जापुर), 'मंगल समाचार' (अलीगढ़), 'काशी पत्रिका' (वाराणसी) का प्रकाशन वर्ष 1875 था। 'आनंद लहरी' और 'काशी पत्रिका' साहित्यिक थीं। 'काशी पत्रिका' का प्रकाशन भारतेन्दु की ही प्रेरणा से हुआ था। इसमें 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'कर्पूर मंजरी' आदि हरिश्चन्द्र के कई नाटक छपे। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। सम्पादक थे– बालेश्वर प्रसाद। 'प्रयाग धर्म प्रकाश' (प्रयागराज) और 'आर्यभूषण' (शाहजहाँपुर) का प्रकाशन 1876 ई. में हुआ।

'अजाब' (शाहजहांपुर), 'हिन्दी प्रदीप' (प्रयागराज) से दोनों पत्र 1877 में निकले। 'हिन्दी प्रदीप' मासिक पत्र का प्रकाशन भारतेन्दु मंडल के वरिष्ठ सदस्य पंडित बालकृष्ण भट्ट ने किया। यह साहित्यिक पत्र था। पत्रकारिता की दृष्टि से 'हिन्दी' का जन्म हिन्दी साहित्य के इतिहास में क्रांतिकारी घटना है। इसने पत्रकारिकता को नयी दिशा दी। भट्ट जी का राजनीतिक दर्शन भारतेन्दु की तरह राष्ट्रीयता और स्वदेशी से परिपूर्ण था। उसमें अकाल, बेरोजगारी एवं सांस्कृतिक संघर्षों पर भी लेख होते थे। इसके अतिरिक्त नाटक, प्रहसन, निबंध और कविताएँ भी प्रकाशित होती थीं। 'हिन्दी प्रदीप' का राष्ट्रीय स्वर निर्भीकता तथा तेजस्विता से परिपूर्ण था। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में 'हिन्दी-प्रदीप' का बराबर सहयोग रहा। 'कायस्थ समाचार' (प्रयाग), 'ज्ञानचन्द्र' (प्रयागराज), 'आर्यमित्र' (काशी), 'दिनकर प्रकाश' (लखनऊ) और 'शुभचिंतक' (कानपुर) का प्रकाशन 1878 ई. में हुआ। 1879 ई. में 'सज्जनकीर्ति सुधाकर' (आगरा) और 'भारतसुदशा प्रवर्तक' फर्रुखाबाद से निकले। प्रवर्तक के सम्पादक थे– पंडित गणेश प्रसाद शर्मा। इसमें वैदिक धर्म प्रचार, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, दलितोद्धार, स्त्री-शिक्षा और मादक द्रव्य निवारण आदि विषयों पर लेख छपते थे। 1881 ई. में 'भारती विलास' (आगरा), 'भारतदीपिका' (लखनऊ) और 'आनन्द कादम्बिनी' (मिर्जापुर) पत्र निकले, जिनका हिन्दी पत्रकारिता में विशिष्ट स्थान है। 'आनंद कादम्बिनी' के सम्पादक थे– पंडित बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमधन', 'आनन्दकादम्बिनी' के स्तम्भ बड़े आकर्षक और साहित्यिक हुआ करते थे। यथा– सम्पादकीय, 'सम्मति समीर', 'साहित्य सौदामिनी', 'वृतान्त बलाकावली' और 'प्राप्ति स्वीकार' अथवा 'समालोचना सीकर' आदि। पत्रिका के प्रकाशन का मूल उद्देश्य था– साहित्य, समाज, धर्म, राजनीति आदि में परिवर्तन लाना। 1882 में 'प्रयागराज समाचार' (प्रयागराज), 'बालदर्पण' (प्रयागराज), 'देवनागरी प्रचारक' (मेरठ), 'भारतेन्दु' (वृन्दावन) आदि पत्र निकले।

'काशी समाचार' (काशी), 'सत्य प्रकाश' (बरेली), 'दिनकर प्रकाश' (लखनऊ) और 'ब्राह्मण' (कानपुर) का प्रकाशन 1883 में हुआ। 'ब्राह्मण' का प्रथम अंक होली के दिन (15 मार्च, 1883) निकला। पत्र का सिद्धान्त वाक्य था– ''शमोरपिगुणावाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि''। इसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर बड़े उत्कृष्ट लेख होते थे। यह अपने समय का निर्भीक पत्र था। इसने देशोन्नति में बाधक

विचारों और कार्यों की कटु आलोचना करने का व्रत ले रखा था। पत्रिका के सम्पादक थे– प्रसिद्ध निबन्धकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र।

सन् 1885 से 1895 के बीच प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में 'हिन्दोस्थान' (कालाकांकर), 'नागरी नीरद' (मिर्जापुर), 'भारतप्रकाश' (मुरादाबाद), 'भारतोदय' (कानपुर), 'रसिक पंच' एवं 'प्रयाग मित्र' (प्रयागराज), 'विचार पत्र' (इटावा), 'भारत भानु' (बनारस), 'बुद्धि प्रकाश' (लखनऊ), 'हिन्दी मंच' (अलीगढ़), 'देवनागरी गजट' (मेरठ), 'खिचड़ी समाचार' (मिर्जापुर), 'भारतहितैषी' (फर्रुखाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'भारत प्रताप' (मुरादाबाद), 'रसिक पत्रिका' एवं 'रसिक पंच' (कानपुर), 'भारतभूषण' (बनारस), 'बुन्देलखण्ड पंच' एवं 'संसार दर्पण' (झाँसी), तथा 'स्वतंत्र' (लखनऊ), **'सनाढ्योपकारक'** (आगरा), 'माहेश्वरी' (हापुड़), 'वनिता हितैषी' (कानपुर), 'नाट्यपत्र' (प्रयागराज), 'सर्वहितैषी' (मुरादाबाद), 'वैश्यहितकारी' (मेरठ), 'जैन गजट' (सहारनपुर), 'जैन समाचार' (लखनऊ), 'ब्राह्मण समाचार' (हरदोई), 'दीनबन्धु' (फर्रुखाबाद), 'प्रश्नोत्तर' और 'कुसुमांजलि' (काशी), 'एलोपैथिक डाक्टर' (प्रयाग), 'विश्वकर्मा' (मथुरा), 'चतुर्वेदी' (आगरा) आदि पत्र प्रकाशित हुए। इन पत्रों में दैनिक 'हिन्दोस्तान' और 'नागरी नीरद' दोनों ने अपनी महत्ता के लिए पत्रकारिता के इतिहास में अक्षुण्ण भूमिका अदा की है। पत्र का प्रथम अंक 1885 में निकला। महामना पंडित मदनमोहन मालवीय इसके प्रधान सम्पादक थे। **दैनिक हिन्दोस्तान** पत्र का वार्षिक मूल्य रुपये दस था। दैनिक 'हिन्दोस्तान' के माध्यम से महामना मालवीय जी ने हिन्दी पत्रकारिता को मूल्यवान बना दिया। हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि का सबल समर्थन इस पत्र द्वारा निरंतर होता रहा।

इसी वर्ष 'नागरी-नीरद' नामक साप्ताहिक पत्र 'प्रेमधन' जी ने मिर्जापुर से निकाला। पत्रिका के स्तम्भों के नाम साहित्य, वर्षा और ऋतु सम्बन्धित हुआ करते थे। यथा– 'सम्पादकीय समिति समीर', 'हास्य हरितांकुर', 'काव्यामृतवर्षा', 'विज्ञापन वीर बहूटियाँ', 'नियम निर्घोष', 'सौदामिनी संदेश', 'अनुवादाम्बुप्रवाह', 'संग्रहसुरेन्द्रायुध' आदि। पत्र में राजनीति, सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक आदि विषय चर्चित होते थे। हास-परिहास के लिए प्रहसन, चुटकुले तथा प्रश्नोत्तर होते थे। नागरी का प्रचार इस पत्र का मुख्य उद्देश्य था। 'गौड़ हितकारक' (मुरादाबाद), 'सनातन धर्मपताका' (मुरादाबाद), 'कवि और समालोचक' (बलिया), 'चन्द्रिका' (लखनऊ), 'त्रिवेणी तरंग' (प्रयागराज) का प्रकाशन वर्ष 1886 है। 1897 में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। यह शोध पत्रिका थी इसने हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य को नया जीवन प्रदान किया। यह त्रैमासिक थी। 1898 में 'आर्यमित्र' (मुरादाबाद) और 'कान्यकुब्ज हितकारी' (कानपुर) का प्रकाशन हुआ। 1899 में 'मथुरा-वैश्य सुखदायक' (मथुरा) और 'देशहितकारी' (मेरठ) पत्र निकले।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस युग की पत्रकारिता ने युग चेतना का पर्याय बनकर नये युग का प्रवर्तन किया। हिन्दी भाषा के उत्थान-विकास और भारतीय समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अर्थात् समग्र चेतना के विकास में इस युग की पत्रकारिता का योगदान स्तुत्य है।

द्विवेदी युग (1900-1920)

हिन्दी साहित्य का द्विवेदी युग (महावीर प्रसाद द्विवेदी) अपनी साहित्यिक आदर्शवादिता के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस युग की हिन्दी पत्रकारिता का मूल स्वर साहित्यिक होते हुए भी राष्ट्रीयता के उन्नयन की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रहारात्मक और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण था। इस युग की साहित्यिक पत्रिका 'सरस्वती' का प्रकाशन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना है। तीसरे वर्ष में इसके सम्पादन का भार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उठा लिया। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का सम्पादन लगभग पन्द्रह वर्षों तक किया। उनके सम्पादन काल में 'सरस्वती' का सर्वांगीण विकास हुआ। यह वही अवधि है जिसको बाद में द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई। 'सरस्वती' का प्रकाशन लगभग 80 वर्षों तक होता रहा। इसके अन्य सम्पादकों में– पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पंडित देवीदत्त शुक्ल और पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी प्रमुख हैं **सरस्वती का पुर्न प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है।**

'सरस्वती' ने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया। इसने लेखकों को लिखने की

कला का प्रशिक्षण दिया। सम्पादन तकनीक से लोगों को अवगत कराया। साहित्य, समाज और राजनीति से सम्बन्धित समस्त विषयों के लेखों का प्रकाशन किया। इस वर्ष के अन्य प्रकाशित पत्रों के नाम हैं– 'काव्यकलानिधि' (मिर्जापुर), 'सुदर्शन' (काशी), 'अवध समाचार' (लखनऊ), 'कर्तव्यसुधानिधि' (प्रयागराज), 'नूतन व्यापारी' (मेरठ), 'मित्र' (बनारस), 'जाट हितकारी' (आगरा), 'भारतहितोपदेशक मित्र' (बाराबंकी) और 'गोपाल पत्रिका' (लखनऊ) आदि। 'वसुन्धरा' का प्रकाशन वाराणसी से 1902 में हुआ। सम्पादक थे– रामदास वर्मा। सन् 1903 में 'कायस्थ कुल भास्कर' (इटावा), 'धर्मोपदेशक (बरेली), 'वाणिज्य सुखदायक' (काशी), 'रसिक लहरी' (कानपुर), 'सिपाही' (कानपुर), 'अंबला हितकारक' (मुरादाबाद), 'स्त्री दर्पण' (प्रयागराज), 'कवीन्द्र वाटिका' (प्रयागराज), 'धर्मपंच' (मेरठ), 'ब्राह्मण सर्वस्व' (इटावा) आदि पत्र निकले। सन् 1906 ई. में 'कनवजिया' (कानपुर), 'कलवार गजट' (मिर्जापुर), 'रसिक रहस्य' (जौनपुर), 'विनोद वाटिका' (काशी), 'छात्रहितैषी' (अलीगढ़), 'बालप्रभाकर' (बनारस), 'संसार मित्र' और 'वैदिक सर्वस्व' (प्रयाग) से प्रकाशित हुए।

सन् 1907 में प्रयागराज से मदनमोहन मालवीय के सम्पादकत्व में 'अभ्युदय' साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। 'अभ्युदय' प्रदेश में उदार विचारों का प्रमुख पत्र बन गया था। कालान्तर में यह स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रवाह में प्रवाहित होकर क्रांतिकारियों का पक्षधर बन गया। इस पत्र के सम्पादकों में मालवीय जी के अलावा– पुरुषोत्तम दास टण्डन, सत्यानंद जोशी, कृष्णकांत मालवीय, वेंकटेशनारायण तिवारी, पद्मकांत मालवीय और पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी इसके सम्पादक रहे। 'अभ्युदय' ने अनेक राष्ट्रभक्त पत्रकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इसी वर्ष 'अभ्युदय' के अतिरिक्त साप्ताहिक 'आनन्द' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। सम्पादक थे– पंडित शिवनाथ शर्मा। ये बड़े आनन्दी व्यक्ति थे। हँसी-दिल्लगी का लेख लिखने वाला उनके समान कोई नहीं हुआ। 1917 में यह दैनिक हो गया था। इस वर्ष अन्य प्रकाशित पत्रों में 'दयानन्द पत्रिका' (मेरठ), 'नागरीप्रचारक' (लखनऊ), 'सदुपकारी' (बरेली) और 'भारतभूमि' (मुरादाबाद) आदि हैं।

'सम्राट' (कालाकांकर), 'कलवार मित्र' (प्रयाग), 'खत्री हितकारी' (काशी), 'क्षत्रिय' (मेरठ) तथा 'व्यापारी व कारीगर' (काशी) पत्र सन् 1908 में निकले। सन् 1909 में 'कर्मयोगी' (प्रयागराज), 'देहाती' (आगरा), 'जहावी' (चुनार), 'कवि' (गोरखपुर), 'स्त्रीधर्मशिक्षक' (प्रयाग), और 'इन्दु' (वाराणसी) का प्रकाशन हुआ। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उग्र स्वर प्रदान करने वाले पंडित सुन्दरलाल हैं। इन्हीं के सम्पादकत्व में 'कर्मयोगी' निकला। इसमें ऐसी रचनाएँ छपती थीं, जिसमें भूतकाल के भारत की महानता और उसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया हो। 'इन्दु' मासिक का प्रथम अंक 1909 में निकला। यह उच्च कोटि का साहित्यिक पत्र था। सम्पादक थे– प्रसाद जी के भांजे श्री अंबिका प्रसाद गुप्त। 'इन्दु' पत्रिका को हिन्दी-साहित्यिक-संसार में लाने का श्रेय 'प्रसाद जी' को है, क्योंकि यह उन्हीं की प्रेरणा का फल **था**। प्रसाद का अधिकांश प्रारम्भिक साहित्य इसी पत्रिका के माध्यम से सामने आया। इसमें उनकी कविताएँ, लेख, कहानी, नाटक आदि प्रकाशित हुए। यहीं से उनके स्वच्छन्दतावादी जीवन-दर्शन एवं काव्यान्दोलन का निर्माण होता है। प्रसाद की काव्य साधना के विकास में 'इन्दु' का अविस्मरणीय योगदान है। इसने हिन्दी कविता की नई धारा के पथ को प्रशस्त किया। इसलिए हिन्दी काव्य विकास की धारा को ठीक से समझने के लिए 'इन्दु' की फाइलों का अनुशीलन अनिवार्य है।

'प्रताप' (कानपुर), 'कुलश्रेष्ठ' (अलीगढ़), 'नवजीवन' (काशी), 'प्रजाबंध' (मथुरा), 'सुधांश' (आगरा) का प्रकाशन सन् 1910 में हुआ। इसमें 'प्रताप' एक तेजस्वी पत्र था। इसके सम्पादक बाबू गणेश शंकर विद्यार्थी उत्साही नवयुवक थे। उन्होंने कुछ साथियों की सहायता से इसे निकाला था। थोड़े ही समय में 'प्रताप' ने हिन्दी पत्रकारिता में अपना स्थान बना लिया था। प्रताप का आफिस क्रान्तिकारियों का अड्डा था। अपने नीति-विषयक आदर्शों एवं उद्देश्यों से प्रतिबद्ध 'प्रताप' ने आगे चलकर ब्रिटिश शासन को कदम-कदम पर चुनौती दी और इसके लिए दण्ड भी भोगा।

'श्री सरयूपारीण' (प्रयागराज), 'वैष्णव सर्वस्व' (वृन्दावन), 'जमीनदार' (काशी), 'स्त्रीचिकित्सक' (प्रयागराज), 'भास्कर' (मेरठ), 'जीवन' (कानपुर), 'मर्यादा' (प्रयागराज) का प्रकाशन वर्ष सन् 1911 है। 'मर्यादा' का प्रकाशन पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकान्त मालवीय ने किया था। कृष्णकान्त ही 'मर्यादा' के प्रथम सम्पादक थे। यह पत्रिका अपने नाम के गुणानुसार सामाजिक मर्यादा और राष्ट्रीय समस्याओं को अभिव्यक्त करते हुए विज्ञान विषयक सामग्री का भी प्रकाशन करती थी। 'आकाश दर्शन' स्तम्भ में ज्योतिष के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की गणना मासिक रूप में की जाती थी। पत्रिका को नया स्वरूप प्रदान किया था बाबू सम्पूर्णानन्द ने। इनके द्वारा लिखे गये राजनीतिक लेख उस समय बहुत चर्चित हुए। इन्होंने छद्म नाम से भी लिखा। 'मर्यादा' में छपने वाले विशिष्ट नाम हैं– अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', प्रेमचन्द, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, रामदास गौड़ और कृष्णबिहारी मिश्र। जब सम्पूर्णानन्द जेल गये तो इसके सम्पादन का दायित्व प्रेमचन्द ने उठाया। प्रेमचन्द ने अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से 'मर्यादा' के कलेवर को सँवारा। पत्रिका का प्रकाशन सन् 1923 में बंद हो गया। सन् 1912 में 'प्रेम' (वृन्दावन), 'साहित्य समालोचक' (गोरखपुर) और 'वैश्व' (कानपुर) का प्रकाशन हुआ।

'कानपुर गजट' (कानपुर), 'यादवमित्र' (शिकोहाबाद), 'भारत महिला' (मेरठ), 'भारत नारी हितकारी' (मैनपुरी), 'स्त्री शिक्षा' (कानपुर), 'कन्या मनोरंजन' (प्रयागराज), 'कन्या सर्वस्व' (प्रयागराज), 'आरोग्य सिन्धु' (अलीगढ़), 'वनौषधि प्रकाश' (मेरठ), 'सम्मेलन पत्रिका' (प्रयागराज), 'देहाती' (उरई), 'प्रियंवदा' (मिर्जापुर) और 'हिन्दी साहित्य' (काशी) का प्रकाशन सन् 1913 ई. में हुआ। इन पत्रिकाओं में 'सम्मेलन पत्रिका' और 'प्रभा' का योगदान अविस्मरणीय है। यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से पंडित रामनरेश त्रिपाठी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई। पत्रिका की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसका प्रकाशन आज भी अबाध गति से हो रहा है। यह शोध पत्रिका है। इसका लोक संस्कृति विशेषांक बहुत ही चर्चित हुआ। इसके विशेषांकों में 'कला विशेषांक', 'गांधी-टण्डन स्मृति विशेषांक', 'श्रद्धांजलि विशेषांक', 'साहित्य-संस्कृति भाषा विशेषांक', 'जन्मशती विशेषांक' प्रमुख हैं। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित कामता प्रसाद गुरु और पंडित पद्मसिंह शर्मा आदि साहित्य की अमूल्य निधि हैं।

'प्रभा' मासिक राजनीतिक पत्रिका थी। इसके सम्पादकों में गणेश शंकर विद्यार्थी, देवदत्त शर्मा और कृष्णदत्त पालीवाल थे। सन् 1914 में 'अवधवासी' (लखनऊ), 'राजभक्त' (काशी), 'अवध केसरी' (अयोध्या), 'देवनागर' (मेरठ), 'विद्यार्थी' (प्रयागराज), '**डिस्ट्रिक्ट** गजट' (बुलन्दशहर), 'हलवाई वैश्य हितैषी' (काशी), 'गूजर हितकारी' (सहारनपुर), 'कृषि सुधार' (मैनपुरी) और 'कलाकुशल' (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ।

'प्रहलाद' (काशी), 'ब्रह्मभट्ट हितैषी' (कानपुर), 'हलवाई वैश्य संरक्षण' (काशी), 'पालीवाल ब्रह्मणोदय' (आगरा), 'चतुर्वेदी' (आगरा), 'विज्ञान' (प्रयागराज), 'डाक्टर' (मथुरा), 'सत्य समाचार' (वृन्दावन), 'तरंगिणी' (काशी), 'व्यापारी' (कानपुर) और 'बालबोध' (बनारस) का प्रकाशन 1915 में हुआ। 'विज्ञान' सार्वजनिक हित का एक अच्छा मासिक पत्र था। इसके सम्पादक थे– कवि पंडित श्रीधर पाठक। इस पत्रिका के अन्य सम्पादकों में– गोपाल प्रसाद भार्गव, ब्रजराज, रामदास गौड़, सत्यप्रकाश युधिष्ठिर भार्गव और गोरखनाथ के नाम हैं। इसका प्रकाशन प्रयागराज की विज्ञान परिषद् करती थी। हिन्दी भाषा वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है।

सन् 1916 में 'मथुरा समाचार' (मथुरा), 'वैद्य सम्मेलन पत्रिका' (प्रयागराज), 'सुधावर्षक' (अलीगढ़), 'सर्वशिक्षक' (प्रयागराज), 'माथुर वैश्य हितकारी' (आगरा), और 'जैन मार्तण्ड' (हाथरस) पत्र निकले। 'आनन्द' दैनिक (लखनऊ), 'निर्बल सेवक' (बिजनौर), 'भारतबन्धु' (हाथरस), 'बालसखा' (प्रयागराज), 'समाज' (प्रयागराज), 'स्कूल मास्टर' (अलीगढ़), और 'चिकित्सक' (कानपुर) पत्रों का प्रकाशन वर्ष सन् 1917 है। सन् 1918 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'सूर्य' (काशी), 'आनन्द प्रचारक' (मथुरा), 'कानपुर समाचार' (कानपुर), 'ब्रह्मऋषि' (मेरठ), 'उत्साह' (जालौन), 'मथुरा गजट' (मथुरा), 'सत्यसेतु'

(शाहजहाँपुर), 'कालिन्दी' (रामनगर, बनारस), 'भारतीय' (लखनऊ), 'ललिता' (मेरठ), 'विश्वविद्या प्रचारक' (लखनऊ), 'ब्रह्मशक्ति' (बनारस), 'आर्य महिला' (बनारस), 'सत्यवादी' (आगरा), 'अहीर समाचार' (शिकोहाबाद), 'जैनपथ प्रदर्शक' (आगरा), 'जैसवाल जैन' (आगरा), 'कायस्थ महिला हितैषी' (अयोध्या) आदि। 'भविष्य' (प्रयागराज), 'गौड़ समाचार' (मैनपुरी), 'संन्यासी' (प्रयागराज), 'व्यापार' (लखनऊ), 'अग्रवाल बन्धु' (आगरा), 'बरनवाल चन्द्रिका' (मुरादाबाद), 'त्यागी ब्राह्मण' (मेरठ), 'धर्माभ्युदय' (आगरा), 'बिजली' (इटावा), 'सेवा' (प्रयागराज), 'संसार' (कानपुर), 'किसान' (फतेहपुर), 'प्रहलाद' (काशी), 'औदुम्बर' (काशी), 'स्वदेश' (गोरखपुर) आदि पत्र 1919 में निकले। इसी वर्ष के उल्लेखनीय मासिकों में– काशी से 'स्वार्थ' और कानपुर के 'हिन्दी मनोरंजन' का हिन्दी पत्रकारिता में विशिष्ट स्थान है।

राष्ट्रीय आन्दोलन को वाणी देने वाला पत्र 'स्वदेश' का प्रकाशन 6 अप्रैल, 1919 को गोरखपुर से हुआ। उग्र विचारों एवं स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना के कारण 'स्वदेश' को जन्म से मृत्यु तक सरकारी कोप दृष्टि का शिकार होना पड़ा। प्रकाशन के पूर्व ही इससे 500 रुपये की जमानत माँगी गई थी। इस प्रकार द्विवेदी युगीन हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास से अधिक निकट है। इस युग ने आन्दोलन के विभिन्न स्वरूपों यथा– समाचारों, नेताओं के संदेशों, दमन और अत्याचारों और स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियों के विवरण के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में उत्प्रेरित करने वाले लेखों, कविताओं, कहानियों और सम्पादकीय टिप्पणियों, अग्रलेखों के माध्यम से लोक भावना को उत्तेजित कर उसे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का श्रेय प्राप्त किया। इस युग की हिन्दी पत्रकारिता ने साहित्य के क्षेत्र में भी नये-नये प्रयोग किये।

गांधी या छायावाद युग (1920-1947)

सन् 1920 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'आज' (वाराणसी)), 'वर्तमान' (कानपुर), 'लोकमत' (कानपुर), 'सुधाकर' (आगरा), 'हिन्दुस्तानी अखबार (प्रयागराज), 'स्वराज्य' अर्द्धसाप्ताहिक (बिजनौर), 'जुझोतिया प्रभा' (झाँसी), ''वैश्यबन्धु' (काशी), 'अग्रवाल लोहिया हितैषी' (आगरा), 'स्वार्थ' (काशी), 'प्रेमबन्धु' (कानपुर), 'विश्वभूषण' (अयोध्या), 'किसान' (उन्नाव), 'आर्यदर्श' (बस्ती), 'अहिंसा समाचार' (काशी) और 'अवध प्रकाश' या 'स्वदेशेन्दु' (अयोध्या), 'भविष्य दैनिक' (प्रयागराज) आदि।

उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उन्नत और विकसित करने, उसके आदर्श स्वरूप की प्राप्ति करने तथा स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में पूर्ण आहुति देने हेतु काशी से हिन्दी दैनिक 'आज' का प्रकाशन 5 सितम्बर 1920 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसके जन्मदाता श्री शिवप्रसाद गुप्त थे। गुप्तजी 'आज' को लंदन के 'टाइम्स' जैसा बनाना चाहते थे। पत्र के प्रथम सम्पादक थे श्रीप्रकाश जी। उन्होंने दो वर्षों तक इसका सम्पादन किया। इसके बाद बाबूराव विष्णु पराड़कर ने 1923 से 1955 की जनवरी तक सम्पादन कार्य संभाला। तत्पश्चात् पत्र के सम्पादकों में थे–पंडित कमलापति त्रिपाठी, श्रीकांत ठाकुर, रामकृष्ण, रघुनाथ खाडिलकर, विद्याभास्कर, सत्येन्द्र कुमार गुप्त और शार्दूल विक्रम गुप्त। दैनिक 'आज' राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख पत्र था। सन् 1920 से 1947 तक के बीच यह स्वतंत्रता आन्दोलन का एक दस्तावेज है। 'आज' हिन्दी भाषा और वर्तनी में एकता लाने हेतु सतत प्रयत्नशील था। पत्रकारिता में समाचार लिखने की समस्त तकनीक का जीता-जागता उदाहरण है 'आज'। केवल काशी से निकलने वाला 'आज' अब भी कई स्थानों से निकल रहा है। ज्ञान मण्डल काशी से निकलने वाला 'स्वार्थ' भी अद्वितीय पत्र था। पत्र का विषय अर्थशास्त्र से सम्बन्धित हुआ करता था। इससे पूर्व इस विषय पर कोई स्वतंत्र पत्र नहीं था। सम्पादक थे– पंडित जीवन शंकर याज्ञिक।

'वर्तमान' दैनिक के सम्पादक– पंडित रमाशंकर अवस्थी थे। सरकारी सूत्र के अनुसार 'वर्तमान' का प्रकाशन 22 अक्टूबर, 1920 को असहयोग आन्दोलन को व्यापक समर्थन प्रदान करने हेतु हुआ था। सरकार ने इस पत्र को उग्रवादी पत्रों की सूची में रखा था। यह उग्रवादी प्रकाशनों के लिए विख्यात था। राजनीतिक जागृति के परिणामस्वरूप जहाँ पत्रों के प्रकाशन में तेजी आई वहीं उनकी प्रसार संख्या में भी वृद्धि हुई। 1920

में 'आज' और 'भविष्य' की दो-दो हजार तथा 'प्रताप' और 'वर्तमान' की तीन-तीन हजार प्रसार संख्या हो गई थी। फलस्वरूप जन-जीवन में राजनीतिक जागरूकता की वृद्धि हुई। 'कर्तव्य' (इटावा), 'किसान' (प्रयागराज), 'महिला समाचार' (फतेहपुर), 'नाई मित्र' (झाँसी), 'राष्ट्रीय अध्यापक' (कानपुर), 'नाई ब्राह्मण' (कानपुर), 'तिलक' (आगरा) और 'शिल्प समाचार' (कन्नौज) पत्र सन् 1921 में निकले। इनमें ऐसा कोई पत्र नहीं था, जिसकी दृष्टि का विस्तार विस्तीर्ण हो। सन् 1922 में 'अध्यापक' (मुरादाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'हिन्दुस्तान' (अलीगढ़), 'जैन केसरी' (हाथरस), 'जीवन' (मथुरा), 'लोकमान्य' (बाँदा), 'लोकमत' (उरई), 'मातृभूमि' (कानपुर), 'सत्यवादी' (अलीगढ़), 'विक्रम' (कानपुर), 'कवि' (गोरखपुर), 'निर्भय' (मैनपुरी), 'परिवर्तन' (कानपुर), 'नवयुग' (प्रयागराज), 'हिन्दू गजट' (सहारनपुर), 'देवेन्द्र' (लखनऊ), 'हिन्दी आउटलुक' (लखनऊ), 'स्वाधीन' (झाँसी), 'देवदर्शन' (प्रयाग), 'महान लोधी राजपूत धर्मपताका' (आगरा), 'झाँसी समाचार' (झाँसी), 'मिर्जापुर समाचार' (मिर्जापुर), 'भारत धर्मनेता' (काशी), 'रजकबन्धु' (प्रयागराज), 'मस्ताना जोगी' (कानपुर), 'कपटसखा' (कानपुर), 'छात्र हितैषी' (अलीगढ़), 'उद्यम' (झाँसी), 'मार्तण्ड' (कानपुर), 'मुनि' (झाँसी), 'माधुरी' (लखनऊ) और 'चाँद मासिक' (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ था।

स्वदेशी और असहयोग आन्दोलन के समर्थन में हुआ था 'ब्रजवासी' का प्रकाशन। पत्र की नीति उदारवादी होते हुए भी कभी-कभी उग्र हो जाती थी। 'कवि' मासिक एक साहित्यिक पत्रिका थी। 'लोकमान्य' राजनीति प्रधान पत्र था। सम्पादक थे, नंदकिशोर वर्मा। उन्हें असहयोग आन्दोलन के प्रसंग में एक वर्ष के कारावास का दण्ड मिला था। 'लोकमत' और 'नवयुग' दोनों असहयोग आन्दोलन तथा गांधी जी के आन्दोलन के प्रसार हेतु निकले थे। इसी वर्ष जुलाई, 1922 से मासिक पत्रिका 'माधुरी' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। नवलकिशोर प्रेस के मालिक विष्णुनारायण भार्गव की प्रेरणा से यह पत्रिका निकली। पत्रिका पूर्णरूपेण साहित्यिक थी। इसका उद्देश्य था– उच्च कोटि के स्थायी साहित्य को प्रस्तुत करना। पत्रिका के मुखपृष्ठ पर 'विविध विषय– विभूषित, साहित्य-सम्बन्धी सचित्र मासिक' लिखा जाता था। साप्ताहिक 'चाँद' इसी वर्ष नवम्बर से मासिक हो गया था। मासिक 'चाँद' के प्रथम सम्पादक श्री रामरख सिंह सहगल थे और संचालिका थी– श्रीमती विद्यावती सहगल। यह प्रयाग से निकला था। पत्र के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था।

पत्र के सम्पादकों के नाम हैं– श्री नन्द किशोर तिवारी, शुकदेवराय, चण्डीप्रसाद 'हृदयेश', मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव और महादेवी वर्मा। चाँद ने प्रथम बार विशेषांकों की धूम मचा दी थी। इनमें प्रमुख विशेषांक हैं– 'गेल्पांक', 'महिला अंक', 'विधवांक', 'शिशु अंक', 'प्रवासी अंक', 'अछूतांक', 'पत्रांक', 'फाँसी अंक', 'मारवाड़ी विशेषांक', 'विदुषी अंक' और 'भारत वर्ष अंक' आदि। 'चाँद' ने साहित्यिकता के आवरण में राजनीतिक, स्त्री-शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि विषयों पर उत्कृष्ट सामग्रियों का प्रकाशन कर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में एक नये कीर्ति स्तम्भ की स्थापना की। प्रारम्भ में पत्र का स्वर राजनीतिक कम, सामाजिक सुधार का अधिक था, परन्तु बाद में स्वतंत्रता संग्राम के उग्र प्रवाह में यह क्रांतिकारी विचारों की प्रमुख पत्रिका हो गई। पत्र के 'फाँसी अंक' का प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना थी।

सन् 1923 में प्रकाशित होने वाले पत्र हैं– 'वंदे मातरम्' (फतेहपुर), 'लक्ष्मण' (लखनऊ), 'उत्साह' (झाँसी), 'बुन्देलखण्ड केसरी' (बाँदा), 'स्वच्छन्द' (अलीगढ़), 'स्वाधीन' (फर्रुखाबाद), 'सुखमार्ग' (अलीगढ़), 'अरुणोदय' (मिर्जापुर), 'राष्ट्र' (लखनऊ), 'पुरुषार्थ' (बाराबंकी), 'नैया' (झाँसी), 'नवयुग' (आगरा), 'महिला सुधार' (कानपुर), 'कृषक राजबंधु' (सीतापुर), 'भारतवर्ष' (गोरखपुर), 'झाँसी समाचार' (झाँसी), 'ग्रामवासी' (इलाहाबाद), 'हमदर्द' (कानपुर), 'देशभक्त' (आगरा), 'देहाती' (उरई), 'दीपक' (अयोध्या), 'मातृभूमि' (मेरठ), 'भारत धर्म' (काशी) आदि। 'प्रेत' (लखनऊ), 'मजदूर' (कानपुर), 'किसान' (कानपुर), 'वीर' (बिजनौर), 'साहस' (झाँसी), 'ब्राह्मण हितैषी' (मैनपुरी), 'देशदूत' (काशी), 'कैलाश' (मुरादाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'भविष्य' (कानपुर), 'महावीर' (सहारनपुर), 'लोकमान्य' (बाँदा), 'वीरेन्द्र' (जालौन), 'हलधर'

(इटावा), 'स्वाधीन' (झाँसी), 'नवयुग' (कानपुर), 'स्वास्थ्य', 'आरोग्य' (कानपुर), 'सिविल सर्जन' (सहारनपुर), 'अध्यापक' (बाराबंकी), 'भूगोल' (प्रयागराज), 'कवीन्द्र' और 'सहारनपुर' (कानपुर), 'हिन्दी पुष्कर' (बरेली), 'रंगमंच' (बरेली), 'मनोरमा' (प्रयागराज), 'साम्यवादी' (कानपुर), 'महिलासर्वस्व' (अलीगढ़), 'उत्साह' (काशी), 'योग प्रचारक' (काशी), 'साहित्य' (कानपुर), 'कृषक राज बन्धु' (लखनऊ), 'मजदूर' (कानपुर), 'शैतान' (लखनऊ) आदि पत्र सन् 1924 में प्रकाशित हुए।

इन पत्रों में 'मनोरमा' साहित्यिक पत्रिका थी। इसके सम्पादक थे श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'। यह विविध विषय विभूषित 'सचित्र मासिक' पत्रिका थी। इस पत्रिका में लेखों के विषय अत्यन्त गंभीर होते थे। शिक्षाप्रद कविताएँ, सुन्दर तिरंगे भावपूर्ण चित्र, कार्टून तथा पहेलियाँ, मनोरंजक कहानियाँ, वैज्ञानिक विचार और प्रहसन इत्यादि अधिक सुन्दर और मनोरंजक निकलते थे। महिलाओं और बालकों के मनोरंजन हेतु इसमें विशेष सामग्री प्रकाशित होती थी। पत्रिका में प्रकाशित होने वाले स्तम्भों के नाम हैं – बालवाटिका, कुसुमकुंज, वनिता विनोद, संगीत आदि।

सन् 1925 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'आर्यमित्र' (आगरा), 'नवयुग' (कानपुर), 'जाटवीर' (आगरा), 'प्राणरक्षा' (मथुरा), 'जीवन' (मथुरा), 'सैनिक' (आगरा), 'यादव' (गोरखपुर), 'अध्यापक' (मुरादाबाद), 'ग्राम सुधार' (मैनपुरी), 'मिर्जापुर गजट' (मिर्जापुर), 'भारत पुत्र' (हाथरस), 'हरदोई डिस्ट्रिक्ट गजट' (हरदोई), 'कुर्मी क्षत्रिय दिवाकर' (काशी), 'मौर्य भाष्कर' (लखनऊ), 'माथुर पत्रिका', 'माथुर क्षत्रिय' (आगरा), 'विश्वकर्मा' (कानपुर), 'वैश्यहितकारी' (मेरठ), 'आयुर्वेद केसरी' (कानपुर), 'आयुर्वेद समाचार' (मेरठ), 'धनवन्तरि' (अलीगढ़), 'वैद्यकल्पद्रुम' (हमीरपुर), 'आधुनिक धन्वन्तरि' (कानपुर), 'राजवैद्या' (प्रयाग), 'डाक्टर' (बरेली), 'कला-कौशल' (कानपुर), 'मातृभूमि' (झाँसी), 'खद्दर' (कानपुर), 'व्यापारिक संसार' (हाथरस) आदि।

इन पत्रों में 'सैनिक' का निकलना हिन्दी पत्रकारिता के लिए गौरव की बात है। 'सैनिक' का प्रकाशन आगरा से श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने जून, 1925 को आरम्भ किया था। प्रारम्भ में इसका स्वरूप साप्ताहिक था और यह स्वराज्य पार्टी का पत्र था। इसमें राजनीतिक एवं किसान सभा के विवरण प्रकाशित होते थे। कालान्तर में यह स्वतंत्रता संग्राम का संवाहक बना। सरकार की निगाह इस पत्र पर लगी रहती थी। इस विचार-धारा के पोषक अन्य पत्र थे– 'नवयुग', 'भारतपुत्र', 'मातृभूमि' और 'खद्दर' आदि। सन् 1927 में निकलने वाले प्रमुख पत्रों के नाम हैं– 'सुधा', 'विवेक', 'भारतवर्ष', 'समय'। 'सुधा' का प्रथम अंक अगस्त, 1927 में प्रकाशित हुआ था। यह मासिक पत्रिका थी। सम्पादक थे– पंडित रूपनारायण पाण्डेय और दुलारेलाल भार्गव। यह मुख्यतः साहित्यिक पत्रिका थी, पर राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयों पर भी लेख छपते थे। 'सुधा' के प्रत्येक महीने में व्यंग्य-चित्रावली अवश्य रहती थी। इनके विषय कभी सामाजिक, कभी साहित्यिक एवं कभी धार्मिक और कभी संस्कृति से संबंधित होते थे। यह पत्रिका राजनीति के प्रति कितनी जागरूक थी, इसका पता उसके 'कार्टून विशेषांक' का अवलोकन करने से पता चलता है। वैसे तो इस विशेषांक में लेख, कहानी, कविता एवं हास्य-व्यंग्य पर सामग्री पर्याप्त रूप से थी, फिर भी कार्टूनों (व्यंग्य चित्रों) की अधिकता ने इस अंक को 'कार्टून विशेषांक' बना दिया। राष्ट्रीय भावधारा का प्रबल समर्थक साप्ताहिक 'समय' का प्रकाशन जौनपुर से बाबू रामेश्वर प्रसाद सिंह के सम्पादकत्व में 25 अक्टूबर, 1927 को हुआ था। 'समय' एक प्रगतिशील राजनीतिक विचारों का संवाहक पत्र था।

सन् 1928 में पत्रकारिता के प्रकाशन में एक नया निखार आया जिसके नाते प्रदेश के विभिन्न अंचल से अनेक उत्कृष्ट पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इसी वर्ष लीडर प्रेस प्रयागराज से 'भारत' (साप्ताहिक), बलिया से 'बलिया गजट', उरई से 'लोकमत', इटावा से 'सुधाकर', मिर्जापुर से 'माधव' और झाँसी से धार्मिक पत्र 'अहिंसा' का प्रकाशन हुआ था। काव्य पत्रिका 'सुकवि' का प्रकाशन भी इसी वर्ष अप्रैल 1928 में शुरू हुआ। पत्रिका में उच्च कोटि के कवियों की कविताएँ प्रकाशित होती थीं। कुछ दिनों बाद 'सुकवि' स्वतंत्रता संग्राम

के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता प्रेमियों का मंच बन गया। उग्र कविताओं का प्रकाशन होता था। वैसे तो 'सुकवि' पूर्ण काव्य पत्रिका थी। पर तत्कालीन पत्रिकाओं ने अपने समय की आवश्यकता के अनुरूप अनेक विषयों से संबंधित सामग्री प्रकाशित की। साप्ताहिक 'मजदूर' का प्रकाशन वर्ष 1928 ही है। सम्पादक थे– गणेश शंकर विद्यार्थी। यह साम्यवादी विचारों से प्रभावित पत्र था। इसी वर्ष झाँसी से 'क्रान्तिकारी' का प्रकाशन हुआ। सम्पादक कृष्ण गोपाल शर्मा के प्रकाशित निम्न विचारों से पत्र की रुझान समझ में आ जाती है– ''हम क्रान्तिकारी हैं। हम क्रान्ति की शपथ ले चुके हैं। अब हम विश्व में एक नई आग को दहकायेंगे। हम अन्याय के शासन को उखाड़ फेकेंगे और पाप की नौका को समुद्र में डुबा देंगे। भाइयों जागो ! बहुत सो चुके। आलस्य छोड़ो और हमारे झण्डे के नीचे आओ। विरोधियों ध्यान रहे, हमारे सामने मत आओ, हमारे मार्ग में व्यवधान मत बनो।'' हिन्दी पत्रकारिता के विकास की दृष्टि से सन् 1929 का वर्ष और ही अनुकूल माना गया। इस वर्ष प्रकाशित होने वाले पत्र हैं– 'कांग्रेस समाचार' (प्रयागराज), 'खिचड़ी समाचार' एवं 'लहरी' (काशी), मासिक 'माया' (प्रयागराज), 'मतवाला' (मिर्जापुर), 'समय' (**जौनपुर**), 'संसार' (बलिया), 'सुदर्शन' (एटा) और 'श्रीकृष्ण संदेश' (काशी) आदि। सन् 1930 में 'हंस' (काशी), 'सत्याग्रह समाचार' (प्रयागराज), 'भविष्य' (प्रयागराज) और साइक्लोस्टाइल क्रान्तिकारी पत्रों में 'रणभेरी' (बनारस), 'रणडंका', 'रणचण्डी', 'बहिष्कार', 'चण्डिका', 'ज्वालामुखी', 'चिनगारी', 'तूफान', 'शंखनाद' आदि का प्रकाशन हुआ।

'हंस' का सम्पादन मार्च, 1930 में बनारस से लोकमानस को परखने वाले कथाकार प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में हुआ। इसके सम्पादकों में श्रीमती शिवरानी देवी, जैनेन्द्र कुमार और श्रीपत राय प्रमुख थे। 'हंस' का जन्म भी स्वाधीनता के उद्देश्य से प्रेरित था। इस पत्रिका के तीन विशेषांक– 'आत्मकथांक', 'काशी अंक' और 'आचार्य द्विवेदी अभिनन्दनांक' अपने में एक से बढ़कर एक हैं। इसके 'रेखाचित्रांक', 'स्वदेशांक' नामक दो विशेषांक और प्रकाशित हुए। 'हंस' अपने प्रारम्भिक दो दशकों तक निकलता रहा। तदोपरान्त बंद होने पर फिर 1985 से बराबर निकल रहा है। 'सत्याग्रह समाचार' का प्रकाशन मार्च-अप्रैल 1930 में इलाहाबाद से हुआ था। सत्याग्रह कमेटी, प्रयागराज का यह दैनिक पत्र था। सम्पादक श्री बैजनाथ कपूर थे। ये कानून के विशेषज्ञ थे। पत्र की साप्ताहिक प्रसार संख्या 1500 थी। इसकी अधि**संख्य** प्रतियाँ ग्रामीण अंचलों में प्रसारित होती थीं। इसका मुख्य उद्देश्य सस्ते मूल्य पर गाँवों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समाचारों को प्रसारित करना और कांग्रेस की गतिविधियों के प्रति जनसमर्थन जुटाना था।

इसी वर्ष साप्ताहिक 'भविष्य' का प्रकाशन प्रयागराज से श्री रामरख सिंह सहगल के सम्पादकत्व में हुआ। पत्र प्रकाशन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में आहुति देना था। सन् 1930 में ही प्रेस आर्डिनेन्स के परिणामस्वरूप सभी हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थगित हो गया था। उस समय प्रदेश के विभिन्न अंचलों से जनता को देश-दशा से अवगत रखने एवं प्रेरणा देने के लिए भूमिगत पत्रकारिता प्रारम्भ की गई। 1930 में जमानत माँगे जाने के फलस्वरूप 'आज' और 'सत्याग्रह समाचार' नाम से निकले तो, पर ये साइक्लोस्टाइल रूप में थे। प्रान्तीय सरकार ने साइक्लोस्टाइल 'सत्याग्रह समाचार' से भी 9 जून 1930 को 2,000 रुपये की जमानत माँगी। बाद में जब इस तरह के साइक्लोस्टाइल पत्रों से भी संबंधित एक और प्रेस अध्यादेश की घोषणा की गई। इसके अनुसार सरकारी अधिकारियों को तलाशी, पत्र-पत्रिकाओं की जब्ती, उन्हें नष्ट करने और अघोषित छापाखानों को जब्त करने आदि का भी अधिकार प्रदान किया गया। साइक्लोस्टाइल पत्रों में सर्वाधिक महत्व 'रणभेरी' का है। 'रणभेरी' का समस्त मैटर पराड़कर जी लिखते थे। दाम एक पैसा था। इसके संचालन एवं लेखन मंडल में – रामचन्द्र वर्मा, विश्वनाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, दिनेश दत्त झा, उमाशंकर, आचार्य नरेन्द्र देव और कालिका प्रसाद तथा अन्य रूप से सम्बद्ध कई लोग थे। 'रणभेरी' पत्र और उसके उपकरण का पता लगाने के लिए पुलिस ने एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया था, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। बनारस से ही 'रणडंका' का भी प्रकाशन हुआ था। इसका सम्पादक एक सैनिक था।

'चिनगारी' पत्र ने भी युवकों का आह्वान किया था– ''समर की रणभेरी बज रही है। वीर सैनिक तिरंगा

राष्ट्रीय झंडा लिए हुए युद्ध क्षेत्र में वीरतापूर्वक बढ़ रहे हैं। भारत के नवयुवकों को यह निश्चय करना है कि युद्ध क्षेत्र में उनका स्थान कहाँ है ? और उस स्थान पर डट जाना है। इसलिए प्रश्न है कि भारत माँ का बंधन कौन काटेगा ? कौन रोती माँ के आँसू पोछेगा।'' इस प्रकार स्वतंत्रता आन्दोलन में इन साइक्लोस्टाइल पत्रों का योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति की अदम्य लालसा ने उत्तर प्रदेश के हिन्दी पत्रों को कष्ट सहन करने की अद्‌भुत शक्ति और साहस प्रदान कर दिया था जिसके नाते सन् 1932 में उत्तर प्रदेश से 11 पत्रों का प्रकाशन हुआ– 'आदर्श' (खीरी), 'आदेश' (आगरा), 'जागरण' (बनारस), 'जाग्रति' (गोरखपुर), 'कुमार' (कालाकांकर), 'अवध' (प्रतापगढ़), 'प्रताप दैनिक' (कानपुर), 'संदेश' (मेरठ), 'त्रिशूल' (कानपुर), 'वीरभूमि' (झाँसी) और 'वोटर' (कानपुर)। इसमें पाक्षिक एवं साप्ताहिक 'जागरण' का विशेष महत्व है। पाक्षिक 'जागरण' का प्रकाशन 11 फरवरी सन् 1932 को हुआ। सम्पादक थे– आचार्य शिवपूजन सहाय। इसके मुखपृष्ठ पर 'साहित्यिक-पाक्षिक पत्र' लिखा होता था। पाक्षिक 'जागरण' एक वर्ष निकलने के बाद साप्ताहिक रूप में प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में निकला। पत्र का प्रकाशन स्थल काशी था। साप्ताहिक 'जागरण' का प्रथम अंक 22 अगस्त, 1932 को निकला। राजनीतिक विचारों के प्रकाशन के लिए इसमें कहानियाँ प्रकाशित होती थीं। 26 अक्टूबर, 1932 के अंक में 'उसका अंत' शीर्षक क्रांतिकारी कहानी प्रकाशन के कारण 'जागरण' से भी जमानत माँगी गई। इस वर्ष हिन्दी के 24 पत्रों का प्रकाशन हमेशा के लिए बंद हो गया। 'जागरण' साप्ताहिक भी अधिक दिनों तक नहीं चल सका। 21 मई, 1934 को वह हमेशा के लिए बन्द हो गया। 'जागरण' अपने दोनों रूपों में शुद्ध साहित्यिक पत्र था।

सन् 1933 में उत्तर प्रदेश से 31 नयी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिनमें प्रमुख हैं– 'अभिनव' (कानपुर), 'अधिकार' (लखनऊ), 'आशा' (अलीगढ़), 'विशनोई समाचार' (बिजनौर), 'बुन्देलखण्ड केशरी', 'दलितोदय' (कानपुर), 'हिन्दू' (कानपुर), 'जन्मभूमि' (इटावा), 'क्षत्रिय सेवक' (आगरा), 'क्षत्रिय वीर' (आगरा), 'मदारी' (प्रयागराज), 'मातृभूमि' (झाँसी), 'मिलन' (बुलन्दशहर), 'निर्भीक' (हरदोई), 'निष्काम' (मेरठ), 'पालीवाल एवं प्रभात' (अलीगढ़), 'प्रभात' (बलिया), 'राजपूत' (आगरा), 'स्वदेशी' (प्रयागराज), 'तपोभूमि' (मेरठ), 'विकास' (सहारनपुर), 'विश्वबंधु' (सहारनपुर), 'विश्ववाणी' (शाहजहाँपुर) आदि। हिन्दी पत्रकारिता के विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष 1936-37 है। इस वर्ष 41 पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रमुख हैं– 'आजकल' (प्रयागराज), 'आलोक' (सहारनपुर), 'बिगुल' (लखनऊ), 'चन्द' (सहारनपुर), 'दिग्विजय' (इटावा), 'दूत' (प्रयागराज), 'ग्रामसेवक' (खीरी), 'हिन्दी मिलाप' (बाराबंकी), 'जीवन' (आगरा), 'कर्मधर्म' (झाँसी), 'किसान बंधु' (गोरखपुर), 'नई दुनिया' (आगरा), 'अवधवासी' (बाराबंकी), 'प्रभाकर' (आगरा), 'प्रभात' (मेरठ), 'प्रेमसुधा' (आगरा), 'पंच' (प्रयागराज), 'रोटी' (बिजनौर), 'सत्यवक्ता' (झाँसी), 'शंकर' (गोरखपुर), 'स्वतंत्र' (प्रयागराज), 'उदय' (कानपुर), 'उत्थान' (प्रयागराज), 'वसुंधरा' (बनारस), 'विजय' (लखनऊ) आदि महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएँ हैं। सन् 1937 ई. में उत्तर प्रदेश से हिन्दी के अनेक पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें– 'दरबार' (प्रयागराज), 'दर्शक' (उरई), 'ग्राम संदेश' (रायबरेली), 'संग्राम' (उन्नाव), 'संघर्ष' (लखनऊ), 'शंखनाद' (कानपुर), 'विश्वबन्धु' (सुलतानपुर) एवं 'विश्वास' (सहारनपुर) आदि पत्र-पत्रिकाएँ उल्लेखनीय हैं। ये सभी पत्र कांग्रेस नीति के समर्थक थे।

1938 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से अत्यधिक महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इस वर्ष दैनिक 'आज' का साप्ताहिक रूप 18 जुलाई, 1938 से श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव के सम्पादकत्व में निकला। साप्ताहिक 'आज' उस समय का सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र था, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर लेख होते थे। विदेशी समाचारों से सम्बन्धित दो नेताओं या प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र होते थे। व्यंग्य चित्रों का प्रकाशन भी होता था। इस वर्ष का दूसरा साप्ताहिक पत्र 'देशभक्त' प्रयाग से श्रीनाथ सिंह के सम्पादकत्व में निकला। पत्र के प्रथम अंक में पत्र की नीति का निर्धारण करते हुए लिखा– ''इसमें संसार के समाचारों का सार, विचारों का निचोड़ और व्यक्तियों आदि की चर्चा के साथ-साथ भारत के राष्ट्रीय और प्रगतिशील जीवन की झाँकी रहेगी।''

पत्र के विशेषांकों में प्रमुख विशेषांक हैं– 'किसान अंक', 'कांग्रेस अंक', 'साक्षरता अंक'। प्रयागराज से इसी वर्ष प्रकाशित होने वाले अन्य पत्र हैं– 'पंच', 'विजय', 'न्याय'। इस वर्ष 'अधिकार' साप्ताहिक का प्रकाशन फतेहगढ़ से हुआ। इसके मुखपृष्ठ पर तिलक का उद्घोष 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' मुद्रित होता था। यह किसानों और मजदूरों की पत्रिका थी, जिसमें क्रान्तिकारी के चित्र तथा उन पर विशेष सामग्री का प्रकाशन होता था। 'विप्लव' का प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ। यह लखनऊ से प्रसिद्ध क्रान्तिकारी यशपाल के सम्पादकत्व में निकली। यह अति उग्र विचारों की राजनीतिक पत्रिका थी जिसके मुखपृष्ठ पर 'तुम करो शांति-समता प्रसार, विप्लव का अपना अनल गान' नीति वाक्य छपता था। पत्र का 'चन्द्रशेखर आजाद अंक' जो क्रांति गाथाओं से परिपूर्ण था, निःसंदेह संग्रहणीय है। इसका प्रकाशन अप्रैल 1940 तक होता रहा है।

सन् 1939 में 'कर्मयोगी' का प्रकाशन प्रयागराज से रामरख सहगल के सम्पादकत्व में हुआ। यह मासिक पत्र था। साप्ताहिक 'वीरभारत' का प्रकाशन बस्ती से हुआ। इसमें राष्ट्रीय विचारों के लेख एवं कविताएँ प्रकाशित होती हैं। मुखपृष्ठ पर 'आवो प्यारे वीरों आवो, मातृभूमि पर बलि-बलि जावो' शीर्षक पंक्तियाँ पत्र की राष्ट्रीय भावना की परिचायक हैं। इस वर्ष के अन्य पत्रों में– 'कमला', 'अग्रगामी', 'मेरठ टाइम्स' (मेरठ), 'नवसंदेश' (आगरा), 'चकल्लस' (लखनऊ), 'हलचल' (गोण्डा), 'प्रकाश' (लखनऊ), 'ताजा तार' (आगरा), 'सत्यप्रकाश' (काशी) आदि महत्वपूर्ण हैं। सन् 1940 में अनेक हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। इन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं– 'सिद्धांत' (काशी), 'अग्रगामी' (सीतापुर), 'चातक' (प्रतापगढ़), 'स्वदेश' (अलीगढ़), 'जीवन' (सहारनपुर), 'सूत्रधार' (सीतापुर), 'आनन्द' (उरई), 'अखंड ज्योति' (आगरा), 'मेल' (काशी) और 'विप्लवी ट्रैक्ट' (लखनऊ) आदि। 'सूत्रधार' साप्ताहिक राष्ट्रीय विचारों का पत्र था। 'मेले' दैनिक पत्र 14 मई, 1940 को काशी से निकला। इसके सम्पादक महावीर प्रसाद गहमरी थे। इसका प्रकाशन केवल एक माह हुआ था। 'काशी समाचार' (काशी), 'अमृत' (लखनऊ), 'नवीन भारत' (एटा) और 'संदेश' (आगरा) का प्रकाशन सन् 1941 में हुआ। इस युग की हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौर में जनमत का निर्माण कर जनता की आकांक्षाओं को उजागर करने में महान् योगदान किया। इस आन्दोलन में पत्रों ने एक जागरूक सैनिक की भूमिका निभाई। पत्र-पत्रिकाओं ने दिशा-निर्देशन के साथ-साथ जनचेतना को भी झंकृत किया। साहित्य की नवीन विधाओं की स्थापना भी की इन पत्रिकाओं ने।

स्वातन्त्र्योत्तर युग (1947 से आज तक)

स्वतंत्रता के बाद केवल सामाजिक परिवेश ही नहीं बदला बल्कि लोक कर्तव्यों और अधिकारियों को नवीन दिशा बोध भी हुआ। इस समय देश के सामने राष्ट्र-निर्माण का महान कार्य उपस्थित हुआ। इस कार्य को सफल बनाने के लिए जनमत-निर्माण आवश्यक था। परिणामतः सबसे अधिक भार पत्रकारों पर आया। राष्ट्र जीवन के सभी अंगों के विकास में समुचित सहायता प्रदान करना पत्रकारों का दायित्व बन गया। इससे पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में और उनकी प्रसार संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में देखने से पता चलता है कि यहाँ के दैनिक पत्रों ने पत्रकारिता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वैसे तो आजादी से पहले निकलने वाले पत्रों में 'आज' का एक प्रमुख स्थान है। यह 1920 से लेकर आज तक हिन्दी पत्रकारिता की श्रीवृद्धि कर रहा है। 1947 से लेकर अब तक जिन प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक पत्रों का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से हो रहा है या हुआ है वे हैं– 'आज', भारत, सैनिक, जनवाणी, **श्री इण्डिया,** अमर उजाला, मयराष्ट्र, सत्ता सुधार, प्रभात, हिन्द, चिंगारी, विश्व परिवार, 'स्वतंत्र भारत', 'दैनिक जागरण', 'नवजीवन', स्वदेश, तरुण भारत, 'नवभारत टाइम्स', 'राष्ट्रीय सहारा', 'हिन्दुस्तान', 'अमृत प्रभात', 'जनसत्ता', 'जनसत्ता-एक्सप्रेस', 'वायस आफ लखनऊ', 'गाण्डीव', **'भास्कर',** 'जनमोर्चा', 'राष्ट्रीय स्वरूप तथा अन्य अनेक अखबार। इनके अतिरिक्त सांध्य दैनिकों की भी संख्या काफी है।

उत्तर प्रदेश में साहित्य तथा पत्रकारिता के एक बड़े हिस्से के आधार भी धर्म और अध्यात्म रहे हैं जिनसे पुरातन भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रसार में मदद मिली। प्रदेश की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करना था। 'कल्याण' तथा 'अखण्ड ज्योति' का प्रकाशन धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में

बेजोड़ घटना है। कल्याण का प्रथम अंक अगस्त 1926 में बम्बई (मुम्बई) से प्रकाशित हुआ था। इसका पहला विशेषांक श्री भगवन्नामांक में महात्मा गांधी का राम-नाम की महत्ता पर सारगर्भित लेख छपा था। 'कल्याण' ने लागत से भी कम मूल्य पर हिन्दू संस्कृति अंक, गोअंक, तीर्थांक, संत अंक, भक्त चरितांक तथा विभिन्न पुराणों का विशेषांक रूप में प्रकाशन कर धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में जो सेवा की, उसे भुलाया नहीं जा सकता। 'कल्याण' ने 70 से अधिक विशेषांक प्रकाशित किए हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी तथा स्वामी रामसुख दास जी जैसी विभूतियों ने 'कल्याण' का सम्पादन किया। स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित धार्मिक पत्र हैं– 'भक्त भारत' (वृन्दावन), 'भैरवी' (काशी), 'श्री अमर भारती' (आगरा), 'श्रीकृष्ण संदेश' (मथुरा-1965), 'अध्यात्म ज्योति' (कानपुर-1966), 'भागवत पत्रिका' (मथुरा), 'भगवत दर्शन' (वृन्दावन), 'धर्मदूत' (पिलखुवा-1982), 'आचार्य' (बरेली), 'श्री शंकराचार्य संदेश' (प्रयाग), 'मानस हंस' (हाथरस) आदि। 'अखण्ड ज्योति' का प्रकाशन शान्ति कुंज, मथुरा से होता रहा है। ये सभी धार्मिक पत्र-पत्रिकाएँ अपने आप में एक संस्था हैं। कई तो अब सम्बद्ध संस्थान की पत्र-पत्रिकाएँ हैं– संस्थानों की अपनी अलग भूमिकाएँ हैं।

मानव के लिए सबसे आवश्यक है– स्वास्थ्य। इस क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन नये-नये अनुसंधान हो रहे हैं। इसकी जानकारी हेतु अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाले प्रमुख पत्र हैं– 'आरोग्य' (गोरखपुर-1957), 'आयुर्वेद संदेश' (लखनऊ-1967), 'आपका स्वास्थ्य' (वाराणसी-1987), 'प्राकृतिक जीवन' (लखनऊ-1991) और 'धनवंतरी' (अलीगढ़-1988) आदि। उद्योग में नित नये-नये उद्योग धंधों का आविष्कार हो रहा है। पर, उत्तर प्रदेश में उसके प्रचार-प्रसार हेतु ठोस इंतजाम नहीं है। हिन्दी भाषा के माध्यम से कुछ पत्रिकाएँ निकल रही हैं– 'अलीगढ़ उद्योग समाचार' (अलीगढ़), 'व्यापार संदेश' और 'उद्योग विकास' (गाजियाबाद-1993) आदि। अमर उजाला समूह ने हिन्दी का सर्वप्रथम वृहद रूप में आर्थिक दैनिक अखबार 'अमर उजाला कारोबार' निकाला। इन दिनों समूह ने इसके प्रकाशन को स्थगित कर रखा है। समय को देखते हुए इस क्षेत्र में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा सकता है। 'बाल पत्रकारिता' के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश का ही है, क्योंकि सर्वप्रथम बाल पत्र सन् 1882 में प्रयागराज से प्रकाशित 'बाल दर्पण' मासिक था। भारतेन्दु युग का पत्र बच्चों के लिए एक नवीन प्रयोग था। 1891 में लखनऊ से 'बाल हितकारक' मासिक निकला था। इलाहाबाद से ही फिर 1902 में 'आर्य बाल हितैषी' पत्र प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश से अनेक बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है जिनमें प्रमुख हैं – 'लल्ला' (प्रयागराज-1948), 'जीवन शिक्षा' (वाराणसी-1957), 'राजा बेटा' (वाराणसी-1958), 'बेसिक शिक्षा' (सहारनपुर-1959), 'विज्ञान लोक' (आगरा-1960), 'ज्ञान भारती' (लखनऊ-1962), 'शिशु बंधुर' (लखनऊ-1966), 'मनमोहन' (प्रयागराज-1967), 'बच्चों की पुकार' (लखीमपुर खीरी-1968), 'चमाचम' (लखनऊ-1972), 'बालरुचि' (लखनऊ-1975), 'बालदर्शन' (कानपुर-1975), 'चिल्ड्रन टाइम्स' (लखनऊ-1981), 'नन्हीं मुस्कान' (कानपुर-1981), 'बालनगर' (प्रयागराज-1982), 'लल्लू जगधर' (लखनऊ-1982), 'अच्छे भइया' (प्रयागराज-1986) आदि।

स्वतंत्रता से पूर्व कृषि को केवल पेट भरने का एक साधन माना जाता था, पर आज कृषि कार्य प्रत्येक देश में सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्थान के लिए अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विश्वविद्यालयों में नित नये शोध कार्य किये जा रहे हैं। इन शोध कार्यों के विषय में जनमानस को जानकारी देने के लिए अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी भी कोई संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के बाद कृषि पत्रों में प्रमुख हैं– 'कृषि सेतु' (सुल्तानपुर-1978), 'खेती किसानी' (अयोध्या-1972), 'किसानोत्थान' (लखनऊ-1972), 'गाँव की बात' (कानपुर-1991), 'देहाती' (आजमगढ़-1933) और कृषक क्रांति (मेरठ-1994) आदि। सन् 1947 के बाद राजनीति के विषय को लेकर बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। उत्तर प्रदेश से निकलने वाले राजनीतिक पत्र हैं– 1947 में राष्ट्रधर्म लखनऊ मासिक का प्रकाशन शुरू हुआ इसके प्रथम संपादक थे अटल बिहारी वाजपेयी (पूर्व प्रधानमंत्री), 'माया' (प्रयागराज), 'विकास' (सहारनपुर), 'नया जीवन' (सहारनपुर), 'राष्ट्रधर्म', 'पाञ्चजन्य' (लखनऊ), 'अवकाश' (वाराणसी),

'उ.प्र. संदेश', 'जन' (अयोध्या), उत्तर प्रदेश (मासिक) 'दायित्वबोध' (लखनऊ) आदि। राष्ट्रधर्म के युगान्तर, राष्ट्ररक्षा, हम सबके अटल जी, नमामि गंगे, महापर्व कुम्भ विशेषांक महत्त्वपूर्ण है। 'सांस्कृतिक पत्रकारिता' द्वारा संस्कृति की रक्षा एवं उसका प्रचार-प्रसार किया जाता है। उ.प्र. की संस्कृति और उसकी सांस्कृतिक पत्रकारिता दोनों ही अपने-आप में बेजोड़ हैं। इन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं– 'नीहारिका' (आगरा-1962), 'साथी' (मुरादाबाद-1960), 'संगीत' (हाथरस) 'गीत संगीत' (प्रयागराज-1987), 'पुराकल्प' (वाराणसी-1992), 'मालिनी' (प्रयाग-1995), 'संस्कृति' (लखनऊ-1995) **समकालीन जनमत** (प्रयागराज, 2002) **'कलादीर्घा' (लखनऊ** 2000) और 'कला वसुधा' (लखनऊ) आदि। साहित्यिक पत्रकारिता के अन्तर्गत इस पत्रकारिता का भी समावेश हो सकता है, पर साहित्य के अन्तर्गत इसने एक विधा के रूप में अपना अस्तित्व बना रखा है, इसलिए ऐसे पत्रों का एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है– 'गुरू जासूस' (प्रयागराज), 'घीसूलाल' (झाँसी), 'घुटाला' (झाँसी), 'घोटाला' (आगरा), 'उखाड-पछाड़' (मथुरा), 'क्या कहाँ' (अलीगढ़), 'काक दृष्टि' (कानपुर), 'खुल्लमखुल्ला' (गाजीपुर), 'चर्चिका' (हरदोई), 'जीजी' (जालौन), 'जागो और जगाओ' (बुलन्दशहर), 'झकझक' (मेरठ), 'झुनझुना' (आगरा), 'टहलमहल' (कानपुर), 'डरो मत' (हाथरस), 'फक्कड़' (कानपुर), 'बम बम' (कानपुर), 'भड़ते' (मथुरा), 'लतियाव' (रामपुर), 'लाल बुझक्कड़' (बलिया), 'भ्रष्टभूत' (हरदोई), 'आफतमेला' (अलीगढ़) **अट्टास (लखनऊ)** आदि पत्रों ने स्थानीय नागरिकों का मनोरंजन किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उ.प्र. की हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता अपने ढंग की निराली है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रिकाओं की संख्या में निरंतर अभिवृद्धि होती गई। लघु पत्रकारिता आन्दोलन भी इसी समय आया। साहित्य की विधि-विधाओं को मंडित करने में 'कथा' (मार्कण्डेय, प्रयागराज), 'कथानक' (सुनील, कानपुर), 'कथा दशक' (सतीश जमाली, प्रयागराज), 'जन संस्कृति' (अवधेश प्रधान, वाराणसी), 'कहानीकार' (कमलगुप्त, वाराणसी), 'नयी रचना' (मदन मोहन, गोरखपुर), 'प्रयोजन' (वीरेन्द्र यादव, लखनऊ), 'वर्तमान साहित्य' (विभूति नारायण राय, गाजियाबाद), 'दस्तावेज' (डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोरखपुर), 'जनपक्ष' (शैलेश मटियानी, प्रयागराज), 'सम्पर्क' (रामस्वरूप द्विवेदी, प्रयागराज), 'प्रतिज्ञा प्रतीक' (डॉ. सावित्री मिश्र, प्रयागराज), 'तेजस्वी' (बालकृष्ण पाण्डेय, प्रयागराज), 'अतएव' **राज्य कर्मचारी** (हिन्दी संस्थान, लखनऊ), तद्भव (अखिलेश, लखनऊ) 'कथ्यरूप' (अनिल श्रीवास्तव, प्रयागराज), नूतन कहानियां (सुरेन्द्र अग्निहोत्री प्रयागराज) 'निष्कर्ष' (गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, गोरखपुर), 'समकालीन दस्तावेज' (प्रशांत कुमार, लखनऊ), 'साखी' (केदारनाथ सिंह, गोरखपुर), 'कुंदनशील' (सतीश राज पुष्करणा, मेरठ), 'समकालीन तीसरी दुनिया' (**आनंद स्वरूप वर्मा, नोएडा,** गाजियाबाद), कथा**क्रम** (शैलेन्द्र सागर, लखनऊ), 'समकालीन एकलव्य' (लखनऊ), 'समकालीन सोच' (गाजीपुर), 'संदर्श' (शाहजहाँपुर), 'कथासमवेत' (शोभानाथ शुक्ल, सुलतानपुर), (सरवर हसन, गाजियाबाद), 'अन्तर्दृष्टि' (विनोददास), **प्रिय संपादक (उग्रनाथ नागरिक, लखनऊ), नागरिक उत्तर प्रदेश (लखनऊ), सामधेनी (राज बहादुर विकल, शाहजहाँपुर), रचना संवाद (पंकज मिश्र, शाहजहाँपुर) पत्रकार सदन (अफ़ज़ाल अंसारी, लखनऊ), विश्व पत्रकार सदन (आबिद हुसैन, मुख्य संपादक-योगीन्द्र द्विवेदी लखनऊ), दलित एशिया, ड्डे (सुरेश पंजक, लखनऊ), अकार (गिरिराज किशोर, कानपुर), परिवेश (मूलचंद गौतम, मुरादाबाद), भारतीय लेखक (भीमसेन त्यागी, नोएडा), अभिनव कदम (जयप्रकाश धूमकेतु, मऊनाथ भंजन), परख (कृष्ण मोहन, प्रतापगढ़), उन्नयन (श्री प्रकाश मिश्र,** प्रयागराज), **आशय, (बी. के. सोनकिया, लखनऊ), थाती (यतीन्द्र मिश्र, अयोध्या), कल के लिए (डॉ0 जयनारायण, बहराइच), नया मानदण्ड (वाराणसी), उज्ज्वल ध्रुवतारा (जी.पी. मिश्र, कानपुर)** आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त कुछ और साहित्यिक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं या हो रही हैं। **जिनकी सूची न दे पाना स्थान की सीमा है।**

इस विवरण व विवेचना से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न रुचि, योग्यता, उद्देश्य आदि से प्रेरित होकर प्रज्ञा क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तित्व अपनी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों दैनिक व साप्ताहिक पत्र अपने जिलावार व क्षेत्रवार विभिन्न संस्करण

प्रकाशित कर उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को कस्बाई, स्थानीय व राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। पत्रकारिता से सम्बद्ध दैनिकों, साप्ताहिकों के विविध प्रयोग व समय-समय पर बढ़ते संस्करण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में धन का काफी लाभ है तथा सरकार और जनता (पाठक वर्ग) दोनों ही इस लाभ में सकरात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं। सरकार पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की आर्थिक मदद देने का प्रयास करती रहती है पर अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विज्ञापन ज्यादा आकर्षण का केन्द्र व उद्यम हैं।

आज के समय में जब 'संचार क्रान्ति' का बिगुल भारत में भी बजने लगा है तब केवल अख़बारों, पत्र-पत्रिकाओं (प्रिन्ट मीडिया) पर चर्चा करने से ही पत्रकारिता पर बात पूरी नहीं होती। अब जरूरी है कि ब्राडकास्ट व विजुअल मीडिया का भी सामान्य-सा परिचय ले लिया जाय। दरअसल अब मीडिया (पत्रकारिता) का क्षेत्र इतना बड़ा और विविध हो गया है कि उसके आयामों का विस्तार हुआ है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि विज्ञापन के क्षेत्र में काम करने वाले भी अपने को मीडिया क्षेत्र का ही मानते हैं। पत्रकारिता, विज्ञापन व प्रसार विभाग अब एक दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं और पत्रकारिता की स्वीकृत व प्रचलित परम्परा को अपने ढंग से रूप देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज कई संस्थानों में 'ब्राण्ड मैनेजर्स' की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सम्पादक क्रमशः मैनेजर के रूप में सगर्व तब्दील हो गये हैं। संचार क्रान्ति के इस युग में अब खबर संस्थानों में काम करने वालों के पदों के नाम बदल गए हैं और सम्पादकों का अस्तित्व बदल गया है। इसीलिए विजुअल मीडिया (दृश्य समाचार माध्यम) व ब्राडकास्टिंग मीडिया (श्रवण व उद्घोषणा समाचार माध्यम) के बारे में भी दो-चार परिचयात्मक बातें कर लेना जरूरी लगता है।

ब्राडकास्टिंग मीडिया यानी बोलचाल की भाषा में रेडियो की अवधारणा बिल्कुल दूसरी तरह की थी। वह एक साथ समाचार, मनोरंजन, विविध प्रकार की जानकारियाँ देने का एक सम्पूर्ण माध्यम था लेकिन उसे मीडिया का दर्जा प्राप्त नहीं था। जब से दृश्य माध्यमों (टी.वी.) के सम्पूर्ण खबरिया चैनलों ने अपने को ब्राडकास्टिंग यानी रेडियो (आकाशवाणी) की भूमिका में लाना शुरू किया है तब से मीडिया को ब्राडकास्टिंग मीडिया का स्वरूप दिया जा रहा है। टी.वी. के खबरिया चैनलों के कार्यक्रमों पर हम ध्यान दें तो लगेगा हम एक तरह से रेडियो देख रहे हैं (रेडियो सुन नहीं रहे हैं)। यह परिवर्तन ही हमें इस ओर ध्यान दिलाता है कि लखनऊ आकाशवाणी के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर आदि तमाम केन्द्रों ने किस प्रकार राष्ट्रीय व स्थानीय समाचारों की शृंखला तैयार कर और राजनीति तथा समाज के तमाम मुद्दों पर परिचर्चाएँ आयोजित कर पूरे उत्तर प्रदेश में अपने ढंग से समाचारों व मुद्दों को पहुँचा रहे हैं, साथ ही जब डाक तार विभाग की मदद से इसकी शुरुआत मुम्बई में 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने शुरू कराई तो केवल संगीत का ही बहुत सीमित क्षेत्रों में प्रसारण शुरू हो सका। दूसरे विश्वयुद्ध से पहले 1933 में एक बार इसका स्वरूप बदला, फिर दूसरे विश्वयुद्ध के समय और 1947 के बाद स्वाधीनता मिलने पर और आज तो इसका स्वपरूप, कार्यक्रम, विस्तार और प्रभाव सब कुछ बदल चुका है। इस दृष्टि से इसने पत्रकारिता का बिल्कुल नया स्वरूप सामने लाकर रख दिया है। यह पत्रकारिता का एक ऐसा माध्यम शुरू से ही रहा जिसने चाहे यह जब निजी हाथों में था या फिर सरकार के हाथ में इसने अपने चलाने वालों को लाभ-ही-लाभ पहुँचाया। आज रेडियो (ब्राडकास्टिंग) पत्रकारिता का विस्तार सबसे ज्यादा है और सम्भवतः सरकार को वित्तीय लाभ भी सबसे ज्यादा !

दृश्य माध्यम की पत्रकारिता (टी.वी. के खबरिया चैनल)

इस माध्यम की पत्रकारिता का विकास लगभग उसी तरह हुआ जैसे रेडियो का हुआ। बड़ा फर्क यह आया कि इस माध्यम ने सबसे तेजी से विकास किया और पूँजीवादी बाजार तथा भूमंडलीकरण के प्रयासों के कारण भारत सरकार को दूरदर्शन के अलावा अनेकानेक पूँजीपतियों को निजी तौर पर अपने चैनल चलाने की छूट दे दी। आज पूरा अंतरिक्ष विभिन्न सैटेलाइट, वेबसाइट से भरा हुआ है। यह एक तरह से अंतरिक्ष खरीदने की होड़ का समय है तो इस माध्यम की पत्रकारिता भी इस होड़ से प्रभावित, संचालित है।

भारत में टी.वी. की शुरुआत यूनेस्को के प्रयासों या कि दबावों से सितम्बर 1959 में हुआ। इसके पीछे फोर्ड फाउन्डेशन की मूल परिकल्पना थी। शिक्षा के विस्तार के नाम पर यहाँ टी.वी. माध्यम की शुरुआत हुई– टी.वी. क्लब बने जो इसके मूल-संचालक शक्ति थे– बिरादरी पूँजीपतियों को भी सहयोग सरकार का था– आज ये दोनों बिरादियाँ अपने खुले तौर पर सफलता का जश्न मना रही हैं।

इस शुरुआत की सीमा थी, बहुत कम क्षेत्रों में टी.वी. की पहुँच हो पाई। चूँकि यूनेस्को का प्रयास था और नेहरू का जमाना था इसलिए शिक्षा के व्यापक प्रसार के नाम पर टी.वी. कार्यक्रम स्कूलों से शुरू हुए फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने का और कृषि-समस्याओं को बताने-समझाने का प्रयास हुआ। सन् 1959 के बाद इसके कार्य क्षेत्र के पड़ाव सन् 1961, 1963, 1965, 1972, 1975, 1976, 1982, 1984 रहे।

सीमित क्षेत्रों में सही पर 1965 से भारत में रेगुलर टी.वी. सर्विस (सेवा) शुरू हुई। 1972 में बम्बई टी.वी. स्थापित हुआ, 1973 में श्रीनगर, अमृतसर, 1975 में लखनऊ, मद्रास व कलकत्ता। टी.वी. के भारतीय इतिहास में 1976 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस साल से टी.वी. पर कामर्शियल (विज्ञापन) सेवा शुरू हुई और 15 अगस्त 1982 से 'नेशनल प्रोग्राम' आने शुरू हुए तथा टी.वी. रंगीन हुई और कार्यक्रम भी।

सन् 1984 भारत में टी.वी. सेवा का रजत जयन्ती वर्ष था। इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाला था– सबकुछ का रंगीन प्रसारण मीडिया-लोक का एक रंगीन समय था। सन् 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक अनेकानेक कमेटियों के सुझावों, बहसों, सेमिनारों आदि के बाद 'दूरदर्शन' अपने नए कदम बढ़ा रहा था। कहना चाहिए कि 'यूनेस्को' की दृश्य-अदृश्य जकड़बन्दी से मुक्त हुआ लेकिन इन पच्चीस वर्षों में सरकार, व्यापारियों, पूँजीपतियों तथा जनता को पता लग चुका था कि दूरदर्शन (टी.वी.) का प्रभाव व महत्त्व क्या है। गौर करें तो पता चलेगा कि दूरदर्शन तथा तमाम टी.वी. चैनलों का बड़ी तीव्र गति से सन् 1984 के बाद से ही विकास शुरू हुआ है।

जिस तरह आकाशवाणी अपनी प्रारम्भिक अवस्था पार करते हुए आज एक निश्चित स्वरूप ले चुका है और हर केन्द्र हर घंटे समाचार प्रसारण के साथ आकाशवाणी के राष्ट्रीय क्रम के अन्तर्गत के समाचारों के साथ स्थानीय समाचार, कृषि समाचार, बातचीत, शिक्षा समाचार आदि देते रह रहे हैं उसी तरह दूरदर्शन ने भी समाचारों की अपनी शृंखला बनाई है। अब तो दूरदर्शन ने चौबीस घंटे समाचार देने वाले चैनल बना रखे हैं (दूरदर्शन समाचार, डी.डी. न्यूज)। इस कारण समाचार-संकलनकर्ताओं की एक बड़ी फौज दूरदर्शन ने तैयार की है, ठीक उसी तरह जिस तरह आकाशवाणी ने किया है। इस तरह दूरदर्शन ने समाचार-संकलन के लिए एक जाल बिछा रखा है जो समाचार पत्र (प्रिंट मीडिया) नहीं कर सका है। यहाँ पत्रकारिता की गुणवत्ता की बात नहीं की जा रही है उसकी व्यापकता व कार्यविधि से परिचित हुआ जा रहा है। प्रिन्ट मीडिया अभी फैक्स, इण्टरनेट के जरिये खबरें इकट्ठा कर लेता है पर दूरदर्शन और तमाम टी.वी. के खबरिया चैनलों के पास ओबीसी वैन (आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन) जैसे समाचार संकलन उपकरण हैं जिनके द्वारा उनके पत्रकार (संवाददाता) खबरों और सम्बद्ध तस्वीरों से चैनल को अपडेट किए रहते हैं।

लखनऊ दूरदर्शन और अन्य स्थानों के ट्रान्समिटिंग केन्द्रों के द्वारा उत्तर प्रदेश में दृश्य माध्यम से यहाँ की जनता को अन्तर्राष्ट्रीय, स्थानीय समाचार तो मिल ही रहे हैं इनके अतिरिक्त विभिन्न ज्वलन्त मुद्दों पर बातचीत व बहसें भी मिल रही हैं। यानी समाचार और विचार (मनोरंजन आदि के अतिरिक्त) दोनों ही लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। उनके विकास के कई कार्यक्रमों पर अभी विचार भी जारी है। लोकसभा चैनल का अपना अलग महत्त्व है।

ऐसे सरकारी खबरिया चैनल या कार्यक्रमों के अतिरिक्त निजी पूँजीपतियों के खबरिया चैनल आज बहुतायत से उपलब्ध हैं, जो समाचार देने में हम आगे का हर समय दावा करते हुए 'ब्रेकिंग न्यूज' दिखाते रहते हैं। ऐसे कुछ खबरिया चैनल हैं– एन.डी.टी.वी., सी.एन.एन., आई.बी.एन.-7, आज तक, स्टार न्यूज,

जी.टी.वी. न्यूज,, इंडिया टी.वी., राष्ट्रीय सहारा, सहारा उ.प्र., ई.टी.वी., जनमत, जैन टी.वी., बी.बी.सी. न्यूज,, सी.एन.एन., स्टार वर्ल्ड, सी.एन.बी.सी., न्यूज़ नेशन, समाचार प्लस, न्यूज़ एक्सप्रेस इत्यादि हैं। इनके अतिरिक्त पूर्णतः खेल और व्यापार पर आधारित चैनल भी हैं जैसे ईएसपीएन, टेनस्पोर्टस आदि। इनके अतिरिक्त चैनलों में घुसे कुछ खबरों के कार्यक्रम जैसे– 'आँखों देखी'। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इनके मालिकों ने आधे घंटे का समय अपनी ख़बर दिखाने के लिए खरीद रखे हैं।

वास्तव में टी.वी. चैनल पर खबरें देने का तरीका प्रिन्ट मीडिया की तुलना में दूसरी तरह का है। खबरों का एक चंक बनता है जो कुछ घंटे लगातार विज्ञापनों के बीच-बीच में चलता रहता है। यानी खबरें फिर विज्ञापन फिर खबरें– कुल मिलाकर विज्ञापनों और खबरों का प्रतिशत बराबर रहता है या विज्ञापनों का प्रतिशत ज्यादा। टीवी संवाददाताओं की कलमें हैं आमतौर पर फोन, ओबी वैन, अत्याधुनिक कैमरा आदि। इनकी शब्दावली भी प्रिन्ट मीडिया से भिन्न है जैसे– आउटपुट, रन डाउन, इनपुट, एसाइनमेंट, डेक, पैकेज, बाइट, वीओ, फोनो, टिकटैक, इनजस्ट आदि इत्यादि। पदों के नाम भी अलग हैं जैसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मैनेजिंग एडीटर, एंकर, एक्जीक्यूटिव एडीटर, सी.ई.ओ., डायरेक्टर (न्यूज़) आदि-इत्यादि। गनीमत है कि अभी संवाददाता पद यहाँ पर बचा हुआ है और अधिकारियों के आगे एडीटर शब्द भी जुड़ा है। वास्तविकता यह है कि अखबार संस्थानों ने जब से पत्रकारों के लिए बनाए गए कानून के अन्तर्गत और पालेकर अवार्ड आदि की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत सम्पादकीय विभाग के पदनामों को अस्वीकार कर स्वतन्त्र वेतनमान, सेवा शर्तें और सम्पादकीय कर्मियों के पदनाम अपने ढंग से नये रूप में लेकर आए उन्होंने नए पदनाम, वेतनमान व सेवाशर्तें लागू कीं। विजुअल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने पत्रकारिता के सारे स्थापित मानक तोड़ दिए और बंधुआ पत्रकारों की एक नई जमात पैदा की जिसको हमेशा इस आशंका में जीना पड़ता है कि थकान उतारने या घर के बहुत जरूरी काम के लिए दो दिन भी लगातार छुट्टी लेनी पड़ी तो वह ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, उसका प्रमोशन, नौकरी सब कुछ दाँव पर। इन कार्य स्थितियों का प्रभाव इन पत्रकारों के काम और स्वास्थ्य दोनों पर ही पड़ रहा है। यानी विजुअल मीडिया जान हथेली पर रखवाकर काम करा रहा है। इससे हो यह रहा है कि वास्तव में जिन आम जनों की जान हथेली पर है। पत्रकार उनकी हकीकत बयान नहीं कर पाते। दृश्य मीडिया एक तरह से लीपापोती की पत्रकारिता के आदर्शों को निभाते हुए काम करने की अपार संभावनाएँ हैं, खुले रास्ते हैं पर लीपापोती में जो सुख और लाभ हैं वे हकीकत में जाने में कहाँ ! इसलिए दृश्य मीडिया के बिल्कुल एक नए ढंग की पत्रकारिता के लिए आम लोगों को अभ्यस्त होना होगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। इस तरह विजुअल मीडिया हमें एक और नए भूमंडलीकरण तथा नए बाजार की चकाचौंध वाली पत्रकारिता में ले जा रहा है इसीलिए पेज थ्री का कान्सेप्ट पत्रकारिता में आया है जहाँ कारपोरेट घरानों की पत्रकारिता है।

इस पत्रकारिता का विस्तार तेजी से हो रहा है। 'डी.डी. उत्तर प्रदेश', 'आज तक', 'न्यूज 18 इण्डिया', 'हिन्दी खबर', 'ए.एन. आई.', 'ए.बी.पी. न्यूज', 'ए.पी.एन. न्यूज चैनल', 'इण्डिया टी.वी.', 'इण्डिया वायस न्यूज चैनल', 'इण्डिया न्यूज चैनल', 'इनाडु टी.वी', 'आई.बी.सी.-24', 'ओ.के. इण्डिया न्यूज चैनल', 'एन.डी. टी.वी.', 'जी. न्यूज', 'सी.एन.एन.-न्यूज 18', 'के. न्यूज 24x7', 'गुलिस्तां टी.वी', 'न्यूज 24', 'न्यूज-1, इण्डिया', 'न्यूज एक्स टी.वी.', 'न्यूज इण्डिया 24x7', 'न्यूज एक्सप्रेस', 'न्यूज वर्ल्ड इण्डिया चैनल', 'टोटल टी.वी.', 'जे.के. न्यूज', 'टी.वी.-100', 'टाइम्स ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग', 'भारत समाचार न्यूज चैनल', 'सहारा इण्डिया टी0वी0 नेटवर्क', 'समाचार प्लस', 'चैनल 1 न्यूज चैनल', 'साधना प्राइम न्यूज', 'नेशनल वायस', 'न्यूज नेशन न्यूज चैनल', 'रिपब्लिक टीवी', 'लाइव टुडे', 'साधना प्लस न्यूज', 'सुदर्शन टी.वी.', 'न्यूज वर्ल्ड' इत्यादि इसके प्रमाण के तौर पर हैं। अखबारों के ग्रामीण संस्करणों की तरह वे छोटे-छोटे शहरों-कस्बों तक में घुसकर खबरें निकाल लाते हैं। इसलिए वह पत्रकारिता के नए दर्शक भी बना रहा है। आप उत्तर प्रदेश की छोटी-छोटी जगहों में घुसकर इक्कीसवीं शताब्दी के विज्ञान-विकसित समय की हकीकत दे सकते हैं।

यहाँ हर ख़बरिया चैनल के विवरण में जाने की जगह नहीं है केवल पत्रकारिता के बदलते चेहरे से परिचित होना है। उत्तर प्रदेश की नई पत्रकारिता ऐसी है जो देश की पत्रकारिता की ही झलक पेश करती है। भारत की सभी भाषाओं में विजुअल खबरिया चैनल का जाल फैला है या ऐसी पत्रकारिता वहाँ पहुँच रही है इसलिए ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश की है। दरअसल अब बिल्कुल नई पत्रकारिता

का युग है चाहे वह किसी विधा में हो– प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक (रेडियो, टीवी)। इसके पत्रकारों के नाम गिनाना उचित नहीं।

उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता

हमारे सांस्कृतिक इतिहास की यह अजब विडम्बना है कि 'उर्दू' का पहला अख़बार 'जामे जहांनुमा' उर्दू भाषा व साहित्य के किसी परम्परागत प्रतिष्ठित केन्द्र अर्थात् लखनऊ, हैदराबाद या दिल्ली से नहीं बल्कि बांग्ला बहुल क्षेत्र कोलकाता से निकला। यह घटना मार्च 1822 ई. की है। यद्यपि इन सभी जगहों पर प्रेस मौजूद थे। यह बात दीगर है कि इसके संस्थापक-सम्पादक सदासुख लाल उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के रहने वाले थे, जहाँ से बाद में कई अख़बार निकले, मुख्यतः नागरी लिपि में; इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आन्दोलन तथा विभिन्न सामाजिक-बौद्धिक आन्दोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय आज विराट हिन्दी क्षेत्र के रूप में बार-बार चर्चा में आने वाले उत्तर प्रदेश को जाता है। इसे संयोग कहिये या ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दूरअंदेश अधिकारियों की सुनियोजित कोशिश कि हिन्दी का पहला नागरी लिपिधारी समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' प्रथम उर्दू अखबार के चार साल बाद (मई 1826) कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ। इसके संस्थापक-संपादक पं. जुगल किशोर शुक्ल भी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी थे। यानी उर्दू-हिन्दी दोनों के प्रथम प्रकाशन का श्रेय उत्तर प्रदेश को ही है। 'जामे जहांनुमा' तो कलकत्ता में था लेकिन उसके कान लखनऊ की आहटों पर लगे रहते थे। लखनऊ के समाचार उसमें प्रमुखता से छपते थे।

इसी प्रकार थोड़े अर्से बाद ही बम्बई और फिर पंजाब के पेरिस माने जाने वाले शहर लाहौर से प्रकाशित होने वाले क्रमशः दो और एक अख़बारों के सम्पादकों का सम्बन्ध भी उत्तर प्रदेश से था। यह भी इस प्रदेश के अवध क्षेत्र से। खास तौर से बम्बई के 'अखबारे सिकन्दरी', **यह** था तो फ़ारसी का अख़बार लेकिन उसमें कुछ पृष्ठ 'उर्दू' के लिए मख़्सूस होते थे, लखनऊ की गतिविधियाँ उसमें प्रमुखता से जगह पाती थीं।

उर्दू का पहला अखबार हैदराबाद, दिल्ली से या मुम्बई से या लखनऊ से क्यों नहीं निकला, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि उर्दू पत्रकारिता की प्रस्थान यात्रा प्रतिरोध तथा जन सम्बद्धता की तीखी आँच में तपकर अस्तित्व में आई थी। वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बर्बर लूट तथा दमन की क्रूरतापूर्ण कार्यवाहियों के ख़िलाफ जन भावनाओं का उत्तेजक बयान बनकर उभरी थी। वह अपनी सीमाओं में एक सांस्कृतिक अभियान की तरह तो थी ही, स्वाधीनता के पक्ष में गुलामी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया भी थी। 'जामे जहांनुमा' के बाद जिसकी सर्वाधिक मुखर नुमाइन्दगी उर्दू के पहले बाकायदा अख़बार 'दिल्ली उर्दू अखबार' ने की, जिसका प्रकाशन मई 1837 ई. से प्रारम्भ हुआ। साहित्य के सामाजिक उद्देश्य का प्रारम्भिक दौर दर्शा देने वाले विशिष्ट साहित्यकार मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के विद्वान पिता मौलवी मोहम्मद बाक़र इसके सम्पादक थे। इस अखबार ने अपने स्वरूप से 'उत्तर प्रदेश' की उर्वर भूमि से भविष्य में विकसित होने वाली उर्दू पत्रकारिता के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित कर दिये थे। यह अख़बार भी लखनऊ के घटनाक्रम पर गहरी नजर रखता था।

इस अख़बार ने अवध के बारे में और भी खबरें छापीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारनामा 1857 के महासंग्राम में ज़ालिम अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक मुस्तक़िल मोर्चा खोल देना था। इससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारी इतना क्षुब्ध हुए कि उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाक़र को दिल्ली गेट में सरेआम फाँसी पर लटका दिया। इस जुनूनी कृत्य के पीछे 'दिल्ली उर्दू अखबार' के सम्पादक को अंग्रेज विरोध का दण्ड तो देना ही था, साथ ही उस काल में अंग्रेज़ों के अत्याचार का विरोध करने वाले अखबारों को आतंकित करना भी था, जो संभव नहीं हो पाया। मौलवी मोहम्मद बाक़र अभिव्यक्ति की आज़ादी के पहले शहीद थे। उनके द्वारा चिह्नित स्वतंत्रता एवं प्रतिरोध की दिशा ही उत्तर प्रदेश में विकसित हुई और पत्रकारिता की विशिष्ट पहचान बनी। इसमें सामाजिक एकता का पक्ष अवश्य बाद में बहुत मज़बूत हुआ। इस आधार के निर्माण में उर्दू के पहले अख़बार 'जामे जहांनुमा' की उन साहसपूर्ण अभिव्यक्तियों का उल्लेख भी आवश्यक है जो उसने मैसूर विजय के बाद लार्ड

वेलेजली द्वारा प्रेस पर बोले गये हमले तथा देशी भाषाओं के नये अख़बारों के प्रकाशन पर लगाई गई पाबन्दी के ख़िलाफ शब्दबद्ध की थी। इस मुद्दे पर अवध के सदासुख लाल तथा बंगाल के ब्रह्मसमाजी राजा राममोहन राय एक स्वर थे। भारत में फ़ारसी का पहला अखबार इन्हीं ब्रह्मसमाजी महाशय राजा राममोहन राय ने निकाला था। बाद में वह वाजिद अली शाह के दूत बनकर लन्दन भी गये थे। अवध तथा देश के दूसरे हिस्सों से भी नये अखबार 'दिल्ली उर्दू अखबार' के समान 1836 ई. में नये अखबारों के प्रकाशन पर लगी पाबन्दी हटने के बाद ही निकल सके। इसमें कुछ योगदान 'जामे जहांनुमा' का ज़रूर है।

उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार 'सदरुल अखबार' 1848 में आगरा कालेज के प्रोफेसर सीफेन्क ने आगरा से ही जारी किया। यह सहकारिता के आधार पर निकाला गया पहला अखबार था। आगरा से ही 1847 में मुंशी क़मरुद्दीन ने नहले पर दहला मारते हुए 'असदुल अखबार' साप्ताहिक पत्र जारी किया, ये दोनों अखबार अवध के नवाब की गतिविधियों के समाचार प्रमुखता से छापते थे। दृष्टिकोण में कुछ भिन्नता अवश्य थी।

भाषा के मामले में 'हिन्दुस्तानी' के प्रबल पक्षधर राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने 'बनारस अख़बार' के नाम से नागरी लिपि में उर्दू का पहला अखबार जारी करके उर्दू पत्रकारिता को नई दिशा दिखाई। यह 1845 की घटना है। वर्तमान में 'जदीद मरकज़' लखनऊ इसी दिशा का पथिक है। यद्यपि अनेक विद्वान नागरी लिपि में होने के कारण 'बनारस अखबार' को हिन्दी अखबार मानते हैं। बहरहाल– 1850 में 'सुधाकर' इसकी प्रतिक्रिया में ही निकला था।

यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि उर्दू-हिन्दी दोनों भाषाओं की पत्रकारिता को गहरे संकट के समय उन लोगों ने बहुत सहारा दिया, परम्परा से जिनकी भाषा उर्दू या हिन्दी नहीं थी। 'बनारस अख़बार' के सम्पादक यदि मराठी भाषी गोविन्द नाथ थत्ते थे तो 'सुधाकर' के सम्पादक बंगभाषी तारामोहन मैत्रेय। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता को सहारा देने वालों में यदि एक ओर अंग्रेजी भाषी सीफेन्क हैं तो दूसरी ओर वे लोग, जिनकी मातृभाषाएँ अवध, ब्रज, डोगरी या भोजपुरी हैं। यह परम्परा बहुत आगे नहीं बढ़ सकी लेकिन 1847 ई. में लालजी ने लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार 'लखनऊ अखबार' तथा 1858 में मुंशी नवल किशोर ने 'अवध अखबार' जैसा महत्वपूर्ण अखबार निकालकर उर्दू पत्रकारिता के जो आयाम निर्मित किये, उनके विशद अध्ययन की आवश्यकता है। इसी प्रकार 1849 में लखनऊ के सभी छापेखाने बन्द कर दिये जाने का शाही हुक्म क्यों जारी हुआ, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर देखें तो तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा पत्र जगत में जैसा तहलका 'अवध पंच' ने पहली बार अंग्रेजी अख़बारों की नक़ल में कार्टून छापने का सिलसिला शुरू **कर किया वह यादगार क़दम था।**

लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से यों तो बीसवीं सदी आरम्भ होने से पहले कई अखबार निकले, लेकिन मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल पक्षधर सर सैय्यद अहमद खाँ के साइंटिफिक सोसाइटी (1866 ई.) तथा 'तहज़ीबुल अख़लाक' (1870 ई.) अलीगढ़ ने एक बड़े शून्य को तो भरा ही, उर्दू-भाषी मुस्लिम समाज तथा उर्दू पत्रकारिता के लिए नयी राहें भी खोलीं। सर सैय्यद के अख़बार उनके द्वारा आरम्भ किये गये आधुनिक शिक्षा के ऐतिहासिक आन्दोलन का अनिवार्य हिस्सा थे, जो एक खास लयबद्धता की तड़प लिए हुए थे। सर सैय्यद के शिक्षा आन्दोलन के समान यथास्थितिवादी तथा निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा उनके अख़बारों का भी विरोध किया गया। कानपुर से 'नूरुल आफ़ाक़' और 'नूरुल अनवार', मुरादाबाद से 'लौहे महफूज' तथा आगरा से 'तेरहवीं सदी' नामक पत्र सर सैय्यद के आन्दोलन की काट के उद्देश्य से ही प्रकाशित हुए पर सर सैय्यद कहाँ हार मानने वाले थे।

मुक्ति के पक्ष में निर्मित हुई आधुनिकता की यह थाती तो 'मुस्लिम ग़ज़ट' तथा 'हमदम' का संबल पाकर अधिक सुदृढ़ तथा आभामयी हुई। ये दोनों अखबार लखनऊ से निकलते थे। अपने समय के विशिष्ट पत्रकार

हसन वासिफ उसमानी का मानना था कि ''लखनऊ की पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण स्थान 'मुस्लिम ग़ज़ट' का है। मीर जान साहब के इस पत्र ने गंभीर विचारों एवं साहित्यिक लेखों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।'' मुस्लिम ग़ज़ट ने सामाजिक जीवन में उठने वाली जिज्ञासाओं को तो मंच दिया ही, रूढ़िगत शब्दावली से पत्रकारिता की भाषा को मुक्त करने का प्रयास भी किया।

इसी प्रकार दैनिक 'हमदम' (अक्टूबर 1916) ने, जो अपने समय का निश्चित ही बड़ा अखबार था, जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाचारों की प्रस्तुति में आधुनिक मापदण्डों को प्राथमिकता दी। 'हसन वासिफ उसमानी' ने ठीक ही लिखा है कि– ''उर्दू पत्रकारिता में धर्म, हंगामी राजनीति एवं भावुकता के स्थान पर चिंतन और दृष्टि को स्वीकृति दिलाने में 'मुस्लिम गजट' और 'हमदम' ने लाहौर के 'पैसा अखबार' की तरह समकालीन मानदण्डों को बढ़ावा दिया। समकालीन ज्ञान के सम्प्रेषण को अपना ध्येय और मिशन बनाया। पढ़ने वालों की रुचि बनाये रखने के लिए और उनकी जेहनी तरबियत के लिए साहित्यिक कृतियों के अंश भी प्रकाशित किये और हास्य-व्यंग्य के कालम भी शुरू किये।'' उन्हीं के अनुसार लखनऊ के दैनिक 'हक़ीक़त' व 'हक' ने भी इस परम्परा को आगे बढ़ाया।

विचारणीय तथ्य है कि 1857 के बाद विशेष रूप से 20वीं सदी के आरम्भिक दशकों में समूचे उत्तर भारत में पंजाब सहित मौलाना आजाद के 'अलहिलाल' तथा 'ज़फ़र अली खाँ' के 'ज़मींदार' का जोर था। ऐसे में उत्तर भारत के उर्दू अखबारों ने जो भूमिका निभाई वह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उर्दू अखबारों का साम्राज्यवाद विरोधी तेवर अधिक रचनात्मक हो सका।

आगे चलकर साम्राज्यवाद विरोधी तेवर अधिक तीखा और व्यापक हुआ। 1857 के संग्राम की कड़वाहट शेष थी, तो इस्लामी मुल्कों में जो कुछ घट रहा था, उसका असर भी उर्दू अखबारों पर पड़ रहा था। उर्दू अखबारों की दुनिया में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल हलीम शरर, शिबली नोमानी, सैय्यद जालिब, खलीक हसन निजामी, मोहम्मद मजीद हसन बिजनौरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मुंशी दया नारायण निगम और सरदार दीवान सिंह मफ़्तून जैसी बड़ी शख्सियतें सक्रिय थीं। साथ ही वहीदुद्दीन, अनीस अहमद अब्बासी, अब्दुल रऊफ अब्बासी तथा अब्दुल माजिद दरियाबादी भी।

इस महाप्रभामण्डल में उत्तर प्रदेश का वैशिष्ट्य यह है कि 'उर्दू-ए-मुअल्ला' जैसी पत्रिका (1903), 'मुस्तक़िल' जैसे दैनिक (1928) और इनके सम्पादक मौलाना हसरत मोहानी ने, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्नातक थे, अत्यन्त दृढ़ता से राष्ट्रवाद को व्यापक स्वीकृति दिलाने की मुहिम चलाकर साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण को अधिक प्रखर बनाया। रूस की सर्वहारा क्रान्ति का उत्साहपूर्वक स्वागत करने वाले इन महाशय ने आधुनिक चेतना के विस्तार को भी अपनी मुहिम से जोड़ा तथा गैर धार्मिक जनान्दोलनों से एकजुटता प्रदर्शित की। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लगातार सक्रिय रहने के कारण हसरत मोहानी तथा उनके प्रकाशनों को बार-बार दमन का निशाना बनना पड़ा पर किंचित डिगे या घबराये नहीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

ख़िलाफत आन्दोलन ने उर्दू पत्रकारिता के सम्मुख नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं, उसके विकास की नई संभावनाएँ भी निर्मित कीं, साथ ही उर्दू पत्रकारिता में भावनात्मक अतिरेक की प्रवृत्ति भी बढ़ी। जो अखबार सर सैय्यद के दृष्टिकोण का अनुकरण करते हुए ब्रिटिश शासन की खुली आलोचना से बच रहे थे, उन्हें भी अपना रवैया बदलना पड़ा। बिजनौर से 1 मई, 1912 को प्रारम्भ होने वाला 'मदीना' ऐसा ही अखबार था। यह अखबार कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले जंगे आजादी का हमनवा था। इसने विशाल पाठक वर्ग तो तैयार किया ही, साथ ही मौलाना आज़ाद व मौलाना हसरत मोहानी के अखबारों के समान अलगाववादी प्रवृत्ति के प्रभाव से भी अपने को बचाकर रखा। डॉ. इक़बाल, अकबर इलाहाबादी, जफर अली खाँ, हसरत मोहानी वगैरा तो इसमें नियमित रूप से लिखते ही थे, साथ ही उस दौर के तक़रीबन सभी बड़े शायरों की रचनाएँ भी इसमें बराबर छपती थीं। यह अखबार भी उर्दू के अन्य अखबारों के समान स्वदेशी तहरीक का ज़बरदस्त **हिमायती** था। अपनी

साहसिक अभिव्यक्तियों के कारण इसे भी कई बार सरकारी दमन का शिकार बनना पड़ा। पंजाब प्रान्त में इसके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। महिला रचनाकारों की रचनाएँ भी अक्सर इसमें जगह पाती थीं। बिजनौर से 'दस्तूर' व 'अलअमान' जैसे अखबार भी निकले।

सूफीवादी अध्यात्म पर अपने महत्वपूर्ण काम के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले ख़लीक हसन निजामी ने मेरठ से 'तौहीद' (अप्रैल 1913) निकालकर उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। सुहैल वहीद ने अपनी चर्चित पुस्तक 'सहाफती ज़बान' में इस अखबार की विस्तार से चर्चा की है। उनका मानना है कि इस पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सम्पादन में प्रकाशित होने वाले 'कामरेड' तथा 'हमदर्द' का खासा प्रभाव था। मौलाना मोहम्मद अली विद्वान व्यक्ति थे, उस वक्त के सभी बड़े अंग्रेजी समाचार पत्रों में उनके लेखादि छपा करते थे, अतः वह उर्दू अखबारों को भी अंग्रेजी अखबारों की ऊँचाई देने के आकांक्षी थे, जिसकी प्रारम्भिक कोशिशें लखनऊ के 'अवध अखबार' तथा सर सैय्यद के 'तहज़ीबुल एख़लाक़' कर चुके थे। जिस प्रकार उपनिवेशवाद विरोधी लेखन में तीखापन बढ़ते जाने के कारण मौलाना मोहम्मद अली तथा उनके सम्पादन में निकलने वाले साप्ताहिकों को लगातार सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा, उसी प्रकार 'तौहीद' पर भी सेंसर बिठा दिया गया। परिणामस्वरूप अखबार बन्द हो गया।

1918 में मुरादाबाद से जारी होने वाले 'रहनुमा' ने इस परम्परा को अधिक समृद्ध किया। मोहम्मद अशफ़ाक हुसैन इसके सम्पादक थे। यह पाक्षिक अखबार था तथा समाचारों की अपेक्षा विचार पर अधिक जोर देता था। स्वाधीनता के पक्ष में उर्दू अखबारों द्वारा साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी परम्परा को इस अखबार ने भी आगे बढ़ाया। पत्रकारिता के लिए अधिक सृजनात्मक भाषा के निर्माण की दिशा में भी इस अखबार ने उल्लेखनीय काम किया।

उर्दू पत्रकारिता को समृद्ध करने, विशेष रूप से इसके कलात्मक व वैचारिक पक्ष तथा जागरण में इसकी भूमिका को धारदार बनाने में उत्तर प्रदेश के जिन अन्य अखबारों का उल्लेख ज़रूरी है, वह हैं 'दिलगुदाज़' (अब्दुल हलीम शरर), 'खदंगेनज़र' (मुंशी नौबतराय), 'अलनदवा' (मौलाना अबुल कलाम आजाद), 'मंजिल' (हसरत मोहानी), 'मसावत चिंगारी' (सज्जाद ज़हीर), 'हिन्दुस्तान वीकली' (हयातुल्लाह अंसारी), 'रिफार्मर' (ला. मेहर दयाल) और 'स्वराज वीकली'। स्वराज प्रयागराज से और रिफार्मर लखनऊ से प्रकाशित होता था। जफ़रुल मुल्क अलवी के 'अलनाजिर तथा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के साप्ताहिकों– सच, सिद्क़ तथा सिद्केजदीद की चर्चा भी ज़रूरी है। अलनाज़िर ने जहाँ साहित्यिक पत्रकारिता को नई ऊँचाई दी, वहीं अब्दुल माजिद दरियाबादी ने उर्दू पत्रकारिता को गद्य का नया वैभव दिया। हसन वासिफ उसमानी ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर का अख़बार माना है। पूर्वी संस्कृति के भावुक पक्षधर बनते हुए इन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के सांस्कृतिक आयाम का प्रवक्ता बनने का प्रयास भी किया, जिसके सन्दर्भ निश्चित ही सीमित थे।

सामाजिक जीवन में पत्रकारिता के हस्तक्षेप को व्यापक और प्रभावपूर्ण बनाने तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में उसकी भूमिका के सैद्धान्तिक आधार को सुदृढ़ करने की उर्दू अखबारों द्वारा बीसवीं सदी के आरम्भ में कायम की गयी रिवायत को दो साहित्यिक पत्रिकाओं– 'ज़माना' (मुंशी दया नारायण निगम) तथा 'निगार' (नियाज़ फतेहपुरी) ने नये आयामों को सम्पन्न करने की हर संभव कोशिश की। इन्होंने किसी हद तक उर्दू पत्रकारिता की बौद्धिक धारा को नये ज्ञान की तपिश दी। साहित्यिक पत्रकारिता के शिखर तो इन्होंने निर्मित किए ही, भावनात्मकता पर विवेक को प्रमुखता दिलाने के क्रम में इन दो पत्रिकाओं ने जो कोशिशें कीं, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता।

प्रतिरोध की क्षमता को तीव्र करते तथा वैचारिक अभियानों को शक्ति व ऊर्जा देते हुए उर्दू पत्रकारिता जिस गहरे भाव से भाषा व साहित्य के सरोकारों से सम्बद्ध हुई, वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, उसमें भी राजधानी लखनऊ के योगदान का उल्लेख प्रमुखता से हुआ

है। 'अवध अख़बार' द्वारा स्थापित पत्रकारिता और साहित्य के रिश्तों को मजबूत करने की परम्परा का अनुकरण बंगलौर के धार्मिक अख़बार 'नशेमन' को छोड़कर भारत के सभी अख़बारों ने किया। भाषा में संवेदनात्मक लालित्य के हस्तक्षेप की परम्परा भी लखनऊ के अखबारों ने विकसित की और यह पत्रकारिता के सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए, भाषा के अपेक्षानुरूप गढ़ने-बनाने के साथ हुआ। अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की भाषा भी उत्तरोत्तर बदलती गई। पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से जारी हुए दैनिक 'क़ौमी आवाज़' का योगदान इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक महत्व रखता है। सदी के चौथे दशक में उभरे बहुचर्चित कथाकार हयातुल्ला अंसारी लम्बे काल तक इसके सम्पादक रहे। साम्प्रदायिक उबाल वाले कठिन दिनों में उन्होंने इसे न सिर्फ मुस्लिम लीग की नकारात्मक राजनीति का विकल्प बनाया, बल्कि अंग्रेजी अख़बारों के समक्ष खड़े हो सकने वाले एक उर्दू दैनिक की कमी को भी पूरा किया। उन्होंने विचार और टेक्नोलॉजी, दोनों की आधुनिकता को अखबारी तंत्र का हिस्सा बनाया। सामान्य पाठकों तक में सम्पादकीय के प्रति ख़बर जैसी जिज्ञासा उत्पन्न करने तथा स्तरीयता के नये शिखरों को छूते हुए अख़बार को समूचे परिवार की जरूरत बनाने का महान कार्य भी उन्होंने किया। यह पहला अख़बार था, जिसने साप्ताहिक परिशिष्ट निकाला तथा इसके लिए योग्य सम्पादक जुटाये। अन्सारी साहब के बाद इशरत अली सिद्दीकी और उनके बाद उस्मान ग़नी ने क़ौमी आवाज़ के सम्पादक की ज़िम्मेदारी संभाली और अंसारी साहब की परम्परा को आगे बढ़ाया।

उर्दू पत्रकारिता को समूची दुनिया के घटनाक्रम से जोड़ने का श्रेय भी क़ौमी आवाज़ को जाता है। आज़ादी के बाद बदले हुए हालात में इस अखबार ने जिस रचनात्मक पत्रकारिता का सुबूत दिया, वह भी याद रखा जाने वाला कारनामा है। अफसोस कि यह अखबार 1997 में बन्द हो गया है।

आज पत्रकारिता के मापदण्ड बदल गये हैं। एक दौर था जब अकबर इलाहाबादी का यह शेर लोगों की ज़बान पर था और उस पर पत्रकार अमल भी करते थे।

'खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो,
जब तोप मुक़ाबिल हो, तो अख़बार निकालो।'

उत्तर प्रदेश की उर्दू पत्रकारिता की चर्चा करते हुए सामाजिक एकता, भारतीय जनवाद, लोकतंत्र तथा स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में इसकी सेवाओं को भी रेखांकित किये जाने की आवश्यकता है। धार्मिक सवालों पर कुछ खास क्षणों में भावुक हो उठने के बावजूद उर्दू अखबारों ने धार्मिक-जातीय द्वेष और घृणा को कभी शक्ति नहीं दी। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के अखबारों 'वहदत' (दिल्ली), 'मंशूर' (कानपुर) को कभी वैसी लोकप्रियता नहीं मिल सकी, जैसी मुस्लिम लीग विरोधी राष्ट्रवाद समर्थक उर्दू अखबारों ने अर्जित की। ठीक उसी तरह जैसे मुस्लिम लीग के आन्दोलन को बड़े मुस्लिम नेताओं और उलेमा का वैसा समर्थन नहीं मिल सका, जैसा राष्ट्रवादी आन्दोलन को मिला। यही कारण है कि सामाजिक एकता के पक्ष में तथा रूढ़िवाद के खिलाफ़ उर्दू अख़बारों ने जो मुहिम चलाई, वो कुछ विशेष क्षणों में भले क्षीण होती तो दिखाई पड़ी हो पर रुकी कभी नहीं।

निःसंदेह अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों के समान उर्दू अखबारों ने भी भारतीय समाज की कुछ त्रासद वास्तविकताओं की अनदेखी की। फिर भी स्त्री शिक्षा को सामाजिक स्वीकृति दिलाने के अभियान से जुड़कर उन्होंने अपनी सामाजिक भूमिका को विस्तार दिया। उत्तर प्रदेश के उर्दू अखबारों ने न केवल स्त्री रचनाओं को प्रकाश में आने का अवसर दिया बल्कि स्त्री शिक्षा के पक्ष में लेख-टिप्पणियाँ भी छापीं। महिला पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ। इस सम्बन्ध में 'अंगारे' की प्रसिद्ध कथाकार रशीद जहाँ के पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला (अलीगढ़) द्वारा जुलाई, 1904 में आरम्भ की गई मासिक पत्रिका 'ख़ातून' का उल्लेख आवश्यक है। मुस्लिम लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल (1907) भी इस पत्रिका के सम्पादक द्वारा ही स्थापित किया गया, जो आज स्त्री शिक्षा का बड़ा केन्द्र है।

यह भी रोचक संयोग है कि धार्मिक पत्रकारिता के उच्चादर्श यहाँ कायम हुए। यहाँ के धार्मिक पत्रों ने बहुत स्तरीय व गंभीर पत्रकारिता की मिसालें पेश की हैं। इसका कारण शायद इन अख़बारों में मौलाना आज़ाद, शिबली नोमानी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सुलेमान नदवी, खलीक़ हसन निज़ामी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी तथा मोहम्मद आसिफ किदवई जैसे अनेक विद्वानों का सम्बद्ध होना था। इस पत्रकारिता ने भी उर्दू गद्य को समृद्ध किया तथा विश्व की बड़ी भाषाओं से उर्दू में श्रेष्ठ और आसान अनुवाद की परम्परा को मजबूत बनाया। अलनदवा, सिद्के जदीद, सरफ़राज, तामीरे हयात तथा निदाये मिल्लत, **तौहीद,** इत्यादि साप्ताहिकों के नाम इस सम्बन्ध में प्रमुखता से लिये जा सकते हैं। वाराणसी से प्रकाशित मासिक पत्रिका 'अलजवाद' एवं लखनऊ से प्रकाशित 'इस्लाह' और 'शोआएअमल' भी महत्व रखते हैं।

उर्दू अख़बारों ने अपने पाठकों को सीमित संदर्भों वाला सही पर अन्तर्राष्ट्रीय बोध अवश्य दिया। हम इन अख़बारों की आलोचना या प्रशंसा करते हुए इस पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस समय प्रदेश से राष्ट्रीय सहारा, सहाफ़त, इन दिनों, **सियासत जदीद, अवधनामा, आग, इन्कलाब, अखबारे मशिरक,** अनवारे क़ौम, आवाज़े मुल्क, जदीद अमल, वारिसे अवध मताए आख़रत आदि उर्दू दैनिक अखबार भी प्रकाशित हो रहे हैं। यह अखबार हिन्दी एवं अंग्रेजी अखबारों की भाँति पत्रकारिता के सिद्धान्तों को पूरी तरह बरत रहे हैं। साथ ही नये कलेवर एवं आधुनिक टेक्नालजी से परिपूर्ण नज़र आते हैं।

इसी कड़ी में उर्दू दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' के बहुसंस्करणीय शृंखला में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों से 'इंकलाब' दैनिक का प्रकाशन भी उर्दू पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ है। 1947 से मुम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इंकलाब' ने उर्दू पत्रकारिता के नये-नये आयाम गढ़े हैं। उत्तर भारत में जो हैसियत उर्दू दैनिक 'कौमी आवाज़' की रही है, वही स्थान 'इंकलाब' का महाराष्ट्र में हो रहा है। इसने भी उर्दू के कई बड़े पत्रकारों को स्थापित किया है। दैनिक 'अवधनामा' और 'आग' में अन्तर्राष्ट्रीय खबरों विशेषकर मध्य पूर्व की ख़बरों का संकलन भी उर्दू पत्रकारिता में योगदान कहा जाएगा।

जहाँ तक साहित्यिक पत्रिकाओं का सम्बन्ध है, इस क्रम में पिछले 70 वर्षों से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू मासिक पत्रिका 'नया दौर' अपने स्तर को बरकरार रखते हुए उर्दू भाषा, साहित्य एवं सांस्कृतिक विरासत की तर्जुमानी करती आ रही है। हाल ही में 'नया दौर' के द्वारिका प्रसाद 'सफ़ुन्द' और अली बिदरान विशेषांक ने पत्रकारिता के मैदान में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है। 'नया दौर' के लगभग सभी विशेषांक एक दस्तावेज़ की हैसियत रखते हैं। उत्तर प्रदेश से निकलने वाली अन्य पत्रिकाओं में शबखूं, तहजीबुल अख्लाक, इमकान, लारैब, सबक-ए-उर्दू, ख़बरनामा, गुलबन आदि हैं।

उर्दू पत्रकारिता के क्षेत्र में **अनीस** अब्बासी (हक़ीक़त), नसीम इन्हौन्वी (हरीम), सलामत अली मेहदी, जमील मेहदी (अज़ाएम), इसहाक इल्मी (सियासत), वजीहउद्दीन (पैग़ाम), मसीहउलहसन रिजवी, ज़ोय अंसारी, हसन वासिफ़ उस्मानी, मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी, परवाना रुदौलवी, हफीज़ नोमानी, अहमद इब्राहीम अल्वी, हसन कमाल, हारुन रशीद, आलिम नकवी, चौधरी सिब्ते मोहम्मद नक़्वी, आबिद सुहेल, हसन अब्बास 'फ़ितरत', शाहनवाज़ कुरैशी, हुसैन अमीन, शाफ़े किदवाई, क़ुतुबुल्लाह, ओबेदुल्लाह नासिर, अल्लामा ज़मीर नक़वी, हुसैन अफ़सर, तारिक क़मर, डॉ. वज़ाहत हुसैन रिज़वी आदि का उल्लेख न करना नाइंसाफी होगी।

सांस्कृतिक विरासत

संगीत

इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति, धर्म और राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। आर्यों के आगमन से आज तक धर्म, राजनीति और संस्कृति के क्षेत्रों में जितने उतार-चढ़ाव उत्तर प्रदेश ने देखे, उतने किसी और प्रदेश को नहीं देखने पड़े। बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद उत्तर प्रदेश के संगीत ने देश की सांस्कृतिक गतिविधियों में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। गंगा और यमुना के बीच का यह क्षेत्र, जो प्राचीन समय में 'तपोभूमि' या 'ऋषि-मुनियों की कर्मभूमि' के रूप में जाना जाता रहा, वैदिक काल से ही 'स्वर गुंजार' का केन्द्र रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं ने यहीं 'सामवेद' का रूप ले लिया। वाल्मीकि से यहीं शिक्षा पाकर लव-कुश ने वीणा पर राम का चरित्र गाया था, जिसे सुनकर अयोध्यावासी अभिभूत हो उनके पीछे चल पड़े थे। यहीं कृष्ण की वंशी ने जड़-चेतन यानी समस्त चराचर जगत में प्राण फूँके। रास-नृत्य, भाव-नृत्य यहीं उपजे, पनपे। गुप्त और हर्ष के काल में भारतीय संगीत अपने शिखर पर था। इस विषय पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इसी कालखण्ड में विश्व में अपने ढंग की एकमात्र पुस्तक '**भरतमुनि का नाट्यशास्त्र**' की रचना हुई जो उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल है।

मुस्लिम काल में संगीत दो अलग-अलग शैलियों में बँट गया। एक को दरबारों से प्रोत्साहन मिला और यह शैली राज्याश्रय में विकसित हुई, जबकि दूसरी का आधार भक्ति था, जिसे सामान्य जन ने अपनाया क्योंकि वह लोगों के लिए जीवन की प्रेरणा देने वाला संगीत था। उस समय के दरबारी संगीत, जिसे उस काल का शासकीय संगीत भी कह सकते हैं– के केन्द्र थे आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बाँदा, दतिया और अन्य कई राजाओं के दरबार। भक्तिकाल के प्रमुख केन्द्रों में मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या आदि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना की जिसमें उपासना का मुख्य विषय 'कृष्णलीला' था। आठ वीणाओं के स्वर प्रार्थना में उठे। इनमें से सबसे मधुर स्वर सूरदास की वीणा का था। कृष्णलीला के सुन्दर गीत रचकर सूरदास ने उन्हें अपनी सुमधुर आवाज दी। इस तरह सूरदास ने साकार भक्ति के अनुरूप स्वरूप को अभिव्यक्ति दी।

ये शैलियाँ आज भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं हालांकि बदलती परिस्थितियों के साथ-साथ इनके स्वरूप और क्षेत्र में भी परिवर्तन आते रहे हैं। बनारस, लखनऊ, रामपुर, प्रयागराज के साथ कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ आदि शास्त्रीय संगीत के प्रमुख केन्द्र कहे जा सकते हैं। भजन गीतों की, जो आज भी उत्तर प्रदेश की विशेषता है, अपनी विशिष्टताएँ और खूबियाँ हैं। तुलसी के 'रामचरित मानस' को इतनी अधिक शैलियों में इतनी अधिक बार, इतने भिन्न-भिन्न तरीकों से गाया गया है कि अगर इसकी सारी धुनें इकट्ठी करने लगें तो संगीत का एक अलग ग्रंथ ही तैयार हो जायेगा। शास्त्रीय और भक्ति संगीत के अलावा उत्तर प्रदेश में लोक संगीत का प्रचुर खजाना मौजूद है। सामान्य आदमी के लिए इस विराट खजाने के विस्तार का अनुमान तक लगाना कठिन है। यहाँ के हरेक क्षेत्र में लोकगीतों का ऐसा अद्‌भुत खजाना मौजूद है कि मोटे तौर पर भी इनका लेखा-जोखा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों को कला की दृष्टि से भी लिपिबद्ध करना जरूरी है क्योंकि इनमें संगीत के विभिन्न तत्त्व पाये जाते हैं जैसे 'नौटंकी' और 'रास' जो बड़े 'लोक ऑपेरा' हैं और जिनकी परम्परा बड़ी पुरानी है। होली, बारहमासा, कजली, रसिया आदि ने शास्त्रीय संगीत में अपना योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफी, पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया है। इसलिए, यह कहना सर्वथा

उचित होगा कि संगीत के क्षेत्र में अपने बहुरंगी, बहुआयामी और मूल्यवान योगदान के कारण उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है।

यह सच है कि वर्तमान संगीत के पुनर्जागरण की अलख जगाई महाराष्ट्र में पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर और पं. विष्णुनारायण भातखण्डे ने, परन्तु उनका प्रयास फलीभूत हुआ उत्तर प्रदेश में। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा न केवल प्राचीनतम है बल्कि सबसे अधिक समृद्ध **भी।** उत्तर प्रदेश में देशी और मार्गी दोनों संगीत परम्पराएँ मिलती हैं। एक ओर आगरा, रामपुर, बनारस, लखनऊ (अवध) संगीत को आश्रय देने वाली प्रमुख रियासतें थीं तो दूसरी ओर भरतपुर, प्रयागराज, दतिया, फर्रुखाबाद, मेरठ आदि संगीत के केन्द्र थे। काशी, मथुरा, अयोध्या के मन्दिरों में भक्ति प्रधान ध्रुवपद गायन, भजन-कीर्तन की समृद्ध परम्परा मिलती है। लोक-जीवन तो जीवन के प्रत्येक क्षण में संगीतमय हो उठता है– चाहे वर्षा की फुहार हो, चाहे होली का फाग हो, चाहे चैत की बयार हो और चाहे फसल की बहार। सम्भवतः यही रहा है संगीत की समृद्धि का रहस्य। प्रदेश के अड़ोस-पड़ोस में भी संगीत कला के प्रमुख आश्रयदाताओं एवं पारखी महाराजों की रियासतें थीं जैसे ग्वालियर, दिल्ली, रीवाँ, मैहर, खैरागढ़, दरभंगा आदि जहाँ प्रदेश में संगीतज्ञों के आने-जाने का क्रम बना रहता था।

भारतीय मिथक परम्परा में देवी-देवताओं को जो स्वरूप दिया गया है उसमें कृष्ण ने संगीत को सहज मार्ग रूप में प्रतिपादित किया है। सम्मोहिनी वंशी के रूप में कृष्ण स्वयं संगीत के प्रतिरूप थे। स्वभावतः उनकी जन्म एवं लीलाभूमि मथुरा-वृन्दावन में संगीत प्रधान अर्चना पद्धति प्रचलित एवं लोकप्रिय हुई। वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन, पदों के गायन को मन्दिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। उनके शिष्य विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान सम्प्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। इन कवियों में उल्लेखनीय थे– सूरदास, नन्ददास, परमानन्ददास, कुम्भनदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी एवं कृष्णदास। यह सभी भक्त रचनाकार एवं संगीतकार दोनों थे, जो गेय पदों की रचना करने के साथ सुर-ताल निबद्ध रूप में गाते भी थे। कृष्णभक्ति सम्प्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। प्रत्येक प्रहर की लीला के पद अवसर एवं समयानुकूल रागों, तालों में निबद्ध करके गाये जाते थे। स्वरों एवं भावों का यह मणिकांचन संयोग अद्‌भुत था। प्रातःकालीन पद भैरवी (जागो मोहन प्यारे), भैरव, ललित (उठे नन्दलाल...) आसावरी आदि रागों में गाये जाते तो परवर्ती पद बिलावल, रामकली आदि राग-रागिनियों में निबद्ध किये जाते थे। मध्याह्नकालीन लीला सम्बन्धी पद सारंग जैसे रागों में मिलते तो संध्याकालीन पद यमन, धनाश्री, पूरिया धनाश्री, केदार, मालकौस, कान्हरा आदि राग-रागिनियों में निबद्ध होते थे। यही नहीं, इन पदों को सरपरदा, साजगिरि, झीलफ जैसी राग-रागिनियों में बाँधा गया। केवल 'सूरसागर' के लिए ही समीक्षकों का कहना है, ऐसी कोई राग-रागिनी न होगी जो छूट गयी हो। सूरदासी मल्हार के प्रणेता स्वयं सूरदास माने जाते हैं। इन पदों का कहरवा, दादरा, तीनताल में गायन होता था परन्तु ध्रुवपद शैली की प्रधानता थी। इस प्रकार ध्रुवपद गायन शैली, मात्र मृतप्राय शैली न होकर सम्मान प्राप्त एवं जीवन्त शैली का रूप थी। संगीत प्रधान अर्चना पद्धति इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि अन्य कृष्ण भक्तों ने राग एवं तालबद्ध ध्रुवपद गायन को धार्मिक अर्चना का अभिन्न अंग बना लिया।

परमानन्द दास के गायन से वल्लभाचार्य के और गोविन्द स्वामी के गायन माधुर्य से तानसेन के आत्मविभोर होने का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण स्वामी हितहरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता था। हितहरिवंश ने 84 पदों को 14 राग-रागनियों में निबद्ध किया।

निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास संगीत एवं मथुरा-वृन्दावन दोनों के पर्याय आज भी माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं 'श्रीकेलिमाल' तथा 'अष्टादश' पदों की रचना की। उनकी रचनाओं में संगीत का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। उनके द्वारा रचित 110 पदों का राग विभाजन निम्न प्रकार है :–

कान्हरा 30, मल्हार 22, गौड़ 2, कल्याण 12, बसंत 5, सारंग 11, गौरी 6, विभास 10, नट 2, बिलावल 2।

इसी प्रकार अष्टादश पदों में 4 विभास, 1 बिलावल, 7 आसावरी तथा 6 कल्याण राग में निबद्ध हैं। अनेक विद्वान स्वामी हरिदास को ध्रुवपद की डागुर बानी का प्रवर्तक ही नहीं मानते बल्कि उनकी मान्यतानुसार स्वामी हरिदास ने मन्दिरों में ध्रुवपद गायन द्वारा अर्चना-पद्धति का श्रीगणेश किया। आज भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हरिदास जयन्ती समारोह कई दिन चलता है जिसमें विरक्त साधु परम्परागत ध्रुवपद की शैली में गाते हैं। इन संगीतज्ञ भक्तों ने ब्रजभाषा प्रधान ध्रुवपदों को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया।

स्वामी हरिदास को राग-रागिनियाँ सिद्ध थीं। कहते हैं उनके दीपक राग गाने से दीपक स्वयं प्रदीप्त हो उठते तो मेघ से बादल असमय भी घुमड़ कर बरसने लगते, 'श्री' राग में गायन करते ही प्रकृति पर बसन्त की बहार छा जाती। उनके संगीत से प्रसन्न होकर बाँके बिहारी ने मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी संवत् 1567 को निधिवन में उन्हें दर्शन दिया था, यह किंवदन्ती आज भी प्रचलित है। श्री बाँके बिहारी के प्राकट्य की वह तिथि आज भी विहार पंचमी अथवा श्री पंचमी नाम से प्रसिद्ध है, इसी दिन निधिवन में विशेष संगीत समारोह होता है। कहते हैं स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक, बैजू बावरा को मेघ और गोपाल नायक को मालकौंस में सिद्धि शक्ति दी थी। हरिदासी सम्प्रदाय के पाँच मुख्य संगीत अर्चना केन्द्र थे :–

(1) बाँके बिहारी का मन्दिर– जहाँ स्वामी हरिदास को दर्शन हुए; (2) निधिवन– स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों के आश्रम एवं स्वामी जी की समाधि; (3) गोरेलाल का मन्दिर– स्वामी जी की शिष्य परम्परा में नरहरि देव के उपास्य; (4) श्री रसिक बिहारी– स्वामी रसिक देव के ठाकुर; (5) थट्टी स्थान– स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित।

स्वामी जी के पदों से तत्कालीन संगीत परम्परा का परिचय मिलता है। तत् वाद्यों में किन्नरी, वीणा, अर्द्धवीणा, अवनद्ध वाद्यों में मृदंग, डफ, घनवाद्यों में झाँझ-मजीरा एवं सुषिर वाद्यों का उल्लेख है। औघट ताल की चर्चा मिलती है। वाद्यों के संदर्भ में स्वामी जी ने लाग, डाट, टिरिप, चन्द्रागति, घात, नृत्य के प्रसंग में ताण्डव, लास्य, भेद-विभेद, अंगहार जैसे पारिभाषिक शब्दों, नृत्य के बोलों 'ता थेई, तत्ता थेई' का विस्तृत उल्लेख किया है। कथक नृत्य को कृष्ण लीला प्रसंगों की प्रेरणा संभवतः इसी संगीतमय लीला पद्धति से मिली होगी। स्वामी हरिदास की परम्परा में अनेक संत-संगीतज्ञ हुए जिन्होंने अर्चना के माध्यम से संगीत परम्परा को समृद्ध किया। इनमें श्री विट्ठल विपुल देव, स्वामी बिहारी शरण, सरसदेव, नरहरि देव, रसिक देव, ललित किशोरी देव तथा ललित मोहिनी देव अष्टाचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त स्वामी पीताम्बर देव जी, रूपसखी, चरणदास, किशोरदास, रसिकदेव, बिहारी बल्लभ, शीतलदास, सहचरिशरण, गोवर्द्धन शरण देव, हरिकृष्ण शरण, राधाशरण देव, राधा प्रसाद देव, स्वामी अग्रदास ने मन्दिरों में पल्लवित संगीत परम्परा को समृद्ध किया। आज भी कृष्ण लीला का वर्णन होता है। मथुरा में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन एवं ध्रुवपद मेला होता है जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ दूर-दूर से बड़ी श्रद्धापूर्वक भाग लेने के लिए आते हैं।

मीरा की भाँति ब्रज में कृष्ण भक्ति से ओत-प्रोत ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है जो श्री विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर गिरिधर के रंग में ऐसी रंग गयी कि ब्रज में ही बस गयी और एक दिन होली के अवसर पर श्रीनाथ जी के सम्मुख धमार गाते-गाते श्रीनाथ जी की प्रतिमा में लुप्त हो गयी। बल्लभ सम्प्रदाय के मन्दिरों में आज भी होली के अवसर पर ताज द्वारा रचित ध्रुवपद एवं धमार गायी जाती है।

उपर्युक्त संत परम्परा के साथ अनेक श्रेष्ठ संगीतज्ञ हो गये हैं जिनमें ग्वारिया बाबा, भूरे उस्ताद रासधारी, मदनमोहन पखावजी, मक्खन लाल पखावजी, गणेशी लाल चौबे, गजानन मिश्र, चौथ्या रासधारी, भवानी दास, जीवन लाल, बालकृष्ण, गोपाल लाल, घनश्याम लाल, बौली बाबा उल्लेखनीय हैं। अम्बा जी चतुर्वेदी तो दाऊजी के मन्दिर में नियमित रूप से कीर्तन-भजन गाया करते थे। उनके पुत्र चन्दन चौबे ने ध्रुवपद गायन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। बाला जी, राजा भइया, कमलनयन ने भी मथुरा की ध्रुवपद परम्परा को समृद्ध किया।

वाराणसी में मन्दिरों की अर्चना और संगीत का अभिनव सम्बन्ध रहा है। वाराणसी में बल्लभ सम्प्रदाय,

अष्टछाप, अष्टाचार्य जैसे संत कवियों, गायकों की नियमित परम्परा नहीं रही है, परन्तु आराध्य के चरण कमलों में कला का पूर्ण समर्पण, साधना की चरम परिणति मानी जाती रही है। कलाकारों ने इस मान्यता का अपने जीवन में निरन्तर अनुशीलन किया है। फलस्वरूप काशी के मन्दिरों में श्रेष्ठतम कलाकार भी आराध्य के सम्मुख घंटे-दो-घंटे नियमित अथवा यदा-कदा ही गाने-बजाने में अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के पूर्वज और बिस्मिल्ला खाँ स्वयं डुमराँव के बाला जी मन्दिर में प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक शहनाई वादन करते थे। काशी विश्वनाथ मन्दिर में प्रातःकाल शहनाई वादन की परम्परा आज भी प्रचलित है। सत्यनारायण मन्दिर, संकटमोचन, **बनारस** हिन्दू विश्वविद्यालय, विश्वनाथ मन्दिर में समारोह प्रायः होते रहते हैं जिनमें कलाकार विशुद्ध आराधना के भाव से स्वयं आकर निःशुल्क कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और श्रोता बिना किसी शुल्क, भक्ति भाव से शास्त्रीय संगीत का आनन्द लेते हैं। सावन में तो प्रत्येक मन्दिर में विशेषतः हर सोमवार के दिन विशेष शृंगार होता है और इसके साथ गायन, वादन एवं नृत्य के श्रेष्ठ कार्यक्रम भी। संकटमोचन मंदिर के महन्त अमरनाथ जी अपने युग के श्रेष्ठ पखावज वादकों में से एक थे। संकटमोचन मन्दिर में आज भी प्रत्येक वर्ष तीन दिनों का विशाल संगीत सम्मेलन होता है जिसमें काशी के अतिरिक्त दूर-दूर से आए श्रेष्ठ कलाकार भाग लेते हैं। गत अनेक वर्षों से अस्सी घाट के खुले प्रांगण में गंगा तट पर स्व. डॉ. लालमणि मिश्र एवं उनके सहयोगियों के प्रयास से आरम्भ किया गया ध्रुवपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है। यह संगीत समारोह अपने ढंग का अद्‌भुत है। ध्रुवपद जैसी तथाकथित अप्रचलित शैली का सम्मेलन, कोई टिकट नहीं, परन्तु पारखी रसिक श्रोताओं का अपार समूह जो स्वयं ताल एवं स्वर ज्ञान में पारंगत है मंच पर पं. रविशंकर, बलराम पाठक, गजानन राव, सियाराम तिवारी, फहीउद्दीन डागर, पागलदास पखावजी आदि जैसे उच्च कोटि के परन्तु निःशुल्क कार्यक्रम देने वाले कलाकार। सारी रात चलने वाला संगीत सम्मेलन। यह परम्परा आज भी जीवन्त है।

अयोध्या वैष्णव भक्ति परम्परा में रामभक्ति शाखा का प्रमुख केन्द्र रही है। यद्यपि राम का चरित्र पराक्रम प्रधान है उसमें वंशी, संगीत के लिए कोई स्थान नहीं है तथापि कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय की संगीतात्मकता ने राम भक्ति धारा को भी प्रभावित किया और राम मन्दिरों में भी संगीतमय भजन, कीर्तन की पद्धति चल पड़ी। वैसे रामायण काल में भी अयोध्या की सम्पन्न संगीत परम्परा, नट, नर्तकों-गायकों, वीणा, माल, वाद्य, विशारद, विलम्बित, मध्य, द्रुत गतियों का उल्लेख मिलता है जो गुप्तकाल तक फलती-फूलती रही। बाद में आराध्य की अष्टयाम (प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक) संगीतात्मक उपासना का शुभारम्भ हुआ जो वल्लभ सम्प्रदाय के नामी भक्तों में अब भी प्रचलित है। रामानन्द के शिष्य सुरसुरानन्द जी ने 500 ध्रुवपद बन्दिशों की रचना की थी जो आज भी रामानन्दी ध्रुवपद नाम से प्रचलित है। सुरसुरानन्द जी के सम्बन्ध में प्रचलित है कि वह दीपक राग गाते थे तो आरती के दीपक स्वयं प्रज्ज्वलित हो उठते थे, फिर दीपक राग द्वारा प्रदीप्त दीपों से वह आराध्य की आरती करते थे। बड़ी छावनी तथा विद्याकुण्ड में आज भी इनके अनुयायी हैं जो गले में मृदंगार कंठी दानों की माला धारण करते हैं और ध्रुवपद धमार शैली में ही गाते हैं। बरेली के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद गायक राम पदारथ जी अयोध्या क्या आए कि बस यहीं रम गये। तत्कालीन अयोध्या नरेश राजा ददुआ ने राजाश्रय दिया। संत-संगीतज्ञ राम पदारथ जी ने पं. संत शरण, बलदेव चतुर्वेदी तथा बाबा धनुषधारी को संगीत की शिक्षा दी। बाबा धनुषधारी इतने प्रतिभा सम्पन्न थे कि उनका गायन अयोध्या के कोने-कोने में प्रचलित हो गया। अयोध्या के विरक्त साधु आज भी बाबा धनुषधारी द्वारा रचित तथा उन्हीं की शैली में बधाई, नवाह, मानस गायन आदि प्रेम से प्रस्तुत करते हैं। बाबा धनुषधारी ने बधाई, मानस गायन को शास्त्रीय संगीत का पुट दिया। उनके शिष्यों सियाराम दास, छेदा सूर, संतशरण ने ध्रुवपद धमार के क्षेत्र में बड़ा यश अर्जित किया। अन्य ध्रुवपद धमार गायकों में थे लालजी भाई सत्य स्नेही, बाबा गौरी शंकर, राम आसरे शरण, चन्द्र प्रकाश मिश्र जो साधु-संतों की भाँति रहते थे। कोदऊ सिंह मृदंगवादक बहुत समय तक अयोध्या में रहे। उनके शिष्य मनमोहन उपाध्याय दतिया में मृदंग, पखावज सीखकर अयोध्या आए जहाँ राजा अयोध्या ने दर्शनेश्वर मन्दिर में उन्हें नियुक्त कर दिया। कोदऊ सिंह के दूसरे अन्य शिष्य वैरागी रामकुमार दास ने अवध बिहारी मन्दिर में सात वर्षों तक मृदंग वादन की अनवरत

साधना की और हनुमान गढ़ी में रहते थे। राम कुमार दास जी ने मृदंग के अतिरिक्त अवध की पखावज एवं तबलावादन परम्परा का सूत्रपात किया। रामकुमार दास के तीन प्रमुख शिष्य थे स्वामी रामदास, ठाकुर दास तथा राममोहिनी शरण। रामदास जी की शिष्य परम्परा में रामध्यान दास तथा छत्रपति सिंह और ठाकुर दास के शिष्यों में श्री महाबीर दास, गोपाल दास एवं पागलदास उल्लेखनीय हैं। ठाकुर दास के अन्य शिष्य यमुना चौधरी (दरभंगा), गोपालदास (मुंगेर), जगदीश सिंह एवं भीषम सिंह (रायगढ़) बाहर बस गये। राममोहिनी शरण के शिष्यों में स्वामी भगवान दास तथा किशोरी दास का नाम लिया जाता है। बाद में स्वामी पागलदास भी इन्हीं के शिष्य हो गये तथा देश के सर्वोच्च पखावज वादकों में उनका स्थान है। अन्य शिष्यों में सरयूदास तथा वसुमित्र शास्त्री तथा इनके अतिरिक्त अवध किशोर चतुर्वेदी उल्लेखनीय हैं। इटावा के कल्लू उस्ताद के ही अनेक शिष्य अयोध्या में रहते थे। शास्त्रीय गायन वादन की यह परम्परा बीसवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध में शिथिल होने लगी। मंदिरों में ध्रुवपद धमार गायन का स्थान जै सियाराम जै-जै सियाराम कीर्तन तथा मानस ने गान ले लिया। कुछ दिन कीर्तन अपनी विशिष्ट कीर्तन लोक शैली में होते थे परन्तु इधर फिल्मी प्रभाव के कारण कीर्तन भी फिल्मी गीतों की धुन की पैरोडी बनते जा रहे हैं। कीर्तन सुनकर लगता है कि भक्ति संगीत की अपेक्षा फिल्मीगीत सुन रहे हैं। झूलन आदि उत्सवों पर गायन के साथ नृत्य की परम्परा भी अयोध्या में प्रचलित रही है। नर्तक राम कथा को लेकर चार-जामा पहिने तथा शलमा लगाकर कथक नृत्य करते थे परन्तु इसका स्वरूप शास्त्रीय नहीं था। इधर संत गोपाल मिश्र स्वर्गद्वार के निकट कथक कला केन्द्र खोलकर नृत्य की शिक्षा देने में लगे रहे। पुराने कथक कलाकारों में लोटन जी, नानक जी उल्लेखनीय हैं। कुछ कथक परिवारों का सम्बन्ध वीरू मिश्र, अनोखेलाल तथा अच्छन महाराज से भी है। अयोध्या के तीन मन्दिर शास्त्री नगर, स्वर्गद्वार तथा बेतिया– कथक परिवारों के पास हैं। इसके अतिरिक्त रामप्रिया दास, गुलाब दास, सरस्वती दास, लालदास, तुलसीदास (तपसी छावनी), भगवतदास (रामलीला विहार कुंज), हनुमान दास ने रामलीला थियेटर कम्पनियों द्वारा नाट्य संगीत का प्रचार किया। अयोध्या में शास्त्रीय संगीत की विशुद्ध घराना परम्परा के रूप में प्रतिष्ठा का श्रेय धनुषधारी जी तथा स्वामी रामशंकर दास उर्फ पागलदास को तथा उनके अनेक योग्य शिष्यों को है जिन्होंने अयोध्या में शास्त्रीय संगीत का वातावरण बनाया।

उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा के मध्यकालीन इतिहास में तीन नगण्य स्थानों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गाँव में सन् 1223 ई. में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन बलबन के ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मुबारकशाह तथा पंजाब के गाजी खाँ गयासुद्दीन के दरबारों में नौकरी की तथा विभिन्न विषयों पर लगभग सौ पुस्तकें लिखीं। अमीर खुसरो की पुस्तकों में लगभग 22 फारसी ग्रन्थ तथा कुछ फुटकर रचनाएँ ही आज प्राप्त हैं।

अमीर खुसरो ने संगीत पर भी अनेक पुस्तकें लिखीं जो प्राप्त नहीं हैं। प्रचलित मान्यतानुसार अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुतिमधुर रागों का आविष्कार किया जो आज भी बड़े लोकप्रिय हैं। पूर्वी, गौड़, कांगली तथा एक अन्य राग के सम्मिश्रण से साजगिरी अथवा साजगरी, हिंडोल तथा नैरेज के मिश्रण से प्रस्तुत यमन, सारंग, पतवल और रास्त को मिलाकर बनाये सरपरदा शाहनाज, पटराग के मिश्रण से बने ज़ीलफ अथवा ज़िल्फ, गारा आदि ऐसे आविष्कारों में उल्लेखनीय हैं। खुसरो ने ईरानी शैली के अंदाज में कव्वाली, तराना, कौलकलबाना, नक्शेगुल आदि शैलियों का प्रचलन किया। उनके द्वारा बनाये गये झूमरा आदि ताल आज भी प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। खुसरो को ही तबला तथा सितार वाद्यों के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खुसरो के पुत्र फीरोज़ खाँ ने सितार वादन को अपनाया और उनके पौत्र मसीत खाँ ने सितार की मसीतखानी (विलम्बित) वादन शैली का प्रचलन किया। खुसरो ने ही अपने समय में प्रचलित ध्रुवपद गायन शैली में उल्लेखनीय ईरानी संगीत का मिश्रण, संशोधन करके नयी शैली का प्रचलन किया जो उनके जीवन काल के पश्चात् ख्याल गायन शैली के नाम से न केवल लोकप्रिय हुई बल्कि जिसने आगे चलकर ध्रुवपद का स्थान ले लिया। बिलावल सप्तक पर आधारित इस नयी शैली ने भारतीय संगीत पद्धति को

अपनी विशेषताओं के कारण दो भिन्न गायन-वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया; उत्तर भारत में प्रचलित हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति। उत्तर प्रदेश के एटा जैसे नगण्य स्थान में जन्म लेने वाले अमीर खुसरो ने संगीत को समृद्ध करने के साथ वर्तमान रूप दिया। इसी प्रकार जौनपुर के सुलतान हुसैन शर्की ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप में लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया जिसे संगीतज्ञों ने विशेष उत्साह के साथ अपनाया।

निधिवन, वृन्दावन (मथुरा) के स्वामी हरिदास के केलिमाल संग्रह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुवपद गायन तथा अपनी शिष्य परम्परा से संगीत को समृद्ध किया। स्वामी हरिदास ने कृष्णोपासना प्रधान ध्रुवपद शैली को परिष्कृत तथा आध्यात्मिक रूप में सुरक्षित रखा। ग्रंथ 'नाद विनाद' में स्वामी हरिदास के आठ शिष्यों का उल्लेख किया गया है : बैजू, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, तानसेन, सौरसेन। स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में अठारह के स्थान पर बाइस अथवा चौबीस परदे लगाकर इसके चार तारों पर मध्य, मन्द तथा तार सप्तक के स्वरों को बजाने की शैली तथा शुष्क वादन (अलापचारी) गीतांगय, नृत्यांगय तथा नृत्य एवं संगीत गायन के साथ वीणावादन शैली प्रचलित की। थट्टी सम्प्रदाय के श्याम-श्यामा उपासक स्वामी हरिदास के शिष्यों में तानसेन तथा बैजू विभिन्न दरबारों से सम्बद्ध रहे। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की भी शिक्षा प्राप्त की। तानसेन के संदर्भ में ग्वालियर घराने तथा ग्वालियर में बनी उनकी समाधि का उल्लेख करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश से जोड़ा जाता है परन्तु उनकी संगीत शिक्षा-दीक्षा वृन्दावन के निधिवन में स्वामी हरिदास द्वारा हुई तथा उनकी साधना स्थली, कर्मभूमि बनी आगरा की धरती, जहाँ अकबर के दरबार में तानसेन का संगीत परवान चढ़ा और वह अन्तिम समय तक आगरा में ही रहे। सोनिया अथवा बीनकार घराना नाम से प्रसिद्ध उनकी शिष्य परम्परा में नौबत खाँ, नियामत खाँ (सदारंग), वजीर खाँ, हाफिज अली खाँ, अलाउद्दीन खाँ के नाम लिये जा सकते हैं। इसी प्रकार तानसेन घराने की गायकी परम्परा प्रचलित हुई। इन दोनों परम्पराओं के आदि स्रोत निधिवन, वृन्दावन के स्वामी हरिदास ही थे।

सुप्रसिद्ध ध्रुवपद संगीतज्ञों डागर परिवार का सम्बन्ध डागुर बानी गायक स्वामी हरिदास से जोड़ा जाता है। इस मत के समर्थक स्वामी हरिदास की शिष्य परम्परा में स्वामी सत्यदेव, गोपाल स्वामी, गिरधर स्वामी, शिवदत्त, ब्रज नारायण, इमाम बख्श, बहराम खाँ, मुहम्मद जान खाँ, अलाबन्दे खाँ तथा जाकिरुद्दीन, मोइनुद्दीन डागर आदि से डागर बन्धुओं का सम्बन्ध जोड़ते हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि डागुर बानी के गायक हरिदास अकबरकालीन स्वामी हरिदास से भिन्न हैं, स्वामी हरिदास का सम्बन्ध डागुर बानी से था ही नहीं। स्वामी हरिदास की ध्रुवपद गायन शैली गोबरहार थी जिसे उनके शिष्य तानसेन ने सर्वोपरि माना। हरिदास डागुर स्वामी हरिदास से भिन्न तथा तानसेन के परवर्ती शाहजहाँ, औरंगजेब के समकालीन माने गये हैं तो कतिपय अन्य विद्वान हरिदास डागुर को ग्वालियर वासी ज्ञान खाँ का शिष्य मानते हैं। विषय, रचना, शैली, रचना-पद्धति की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। इसी क्रम में अन्य विद्वान डागर परिवार शिष्य परम्परा का सम्बन्ध आदि गुरु हरिदास डागुर से जोड़ते हैं। शाहजहाँ के समकालीन कालिदास डागुर की शिष्य परम्परा में मसनद अली खाँ, फतेह अली खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, फहीमुद्दीन खाँ डागर आदि कलाकार हुए। रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास तथा हरिदास डागुर अथवा कालिदास डागुर भले ही अलग-अलग व्यक्ति हों, परन्तु इससे इनके वृन्दावन, उत्तर प्रदेश वासी होने के सम्बन्ध में कोई मतभेद, विवाद अब तक सामने नहीं आया है। इस दृष्टि से नासिरुद्दीन खाँ, बहराम खाँ, अलाबंदे खाँ, डागर बन्धुओं ज़िया फहीमुद्दीन खाँ डागर की सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शिष्य परम्परा उत्तर प्रदेश संगीत परम्परा की महत्वपूर्ण देन है।

अयोध्या के नवाब अवध की राजधानी बनने पर अयोध्या के अनेक कलाकार अवध दरबार में आ गये। नवाब शुजाउद्दौला के समय तक यहाँ कलाकारों का अच्छा-खासा जमघट हो गया। इनमें उल्लेखनीय थे शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले कथक खुशी महाराज, पंजाब के शोरी मियाँ। आसफुद्दौला द्वारा राजधानी लखनऊ ले जाने के बाद भी यहाँ की संगीत परम्परा पनपती रही। अयोध्या में मेंहदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खाँ, मुश्तरी बाई जैसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। शम्भू महाराज ने रहीमुद्दीन खाँ से अनेक वर्षों तक

ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की। मलिकाए ग़ज़ल बेगम अख्तर ने विश्व के संगीत जगत में अयोध्या का सम्मान बढ़ाया।

वाराणसी की संगीत परम्परा प्रदेश में सबसे अधिक बहुमुखी एवं समृद्ध रही है। इसका कारण है काशी की माटी, जिसका कण-कण संगीत के रस से सराबोर है और है संगीत पारखी आश्रयदाता काशीराज का दरबार। यही कारण है कि काशी की स्थानीय परम्परा के अतिरिक्त वाराणसी ने दूर-दूर से कलाकारों को आकर्षित किया। जो काशी में एक बार आया तो आने वाली पीढ़ियों तक के लिए वहीं बस गया। सुप्रसिद्ध सारंगीवादक मीरजापुर के पंडित शम्भूनाथ मिश्र काशी में आकर बस गये तो कालिका प्रसाद जी हंडिया तहसील, प्रयागराज छोड़कर वाराणसी में रहने लगे। नृत्याचार्य सुखदेव महाराज ने नेपाल छोड़ा तो काशी को अपना घर बना लिया। दिल्ली दरबार छोड़कर ध्रुवपदिये उस्ताद निसार अली खाँ, बीनकार उस्ताद वारिस अली खाँ, ख्याल गायक उस्ताद सादिक अली खाँ, टप्पा गायक उस्ताद अकबर अली खाँ, तानसेन घराने के प्यार खाँ, भूपत खाँ, नेपाल से ही मुहम्मद खाँ (बड़कू मियाँ), लखनऊ से निर्मलशाह काशी आकर इस नगरी पर ऐसे रीझे कि बस यहीं के होकर रह गये। बिस्मिल्ला खाँ के मन में काशी ऐसी बसी कि डुमराँव गाँव पीछे छूट गया। जो काशी छोड़कर बाहर भी रहने लगा उसके तन-मन में काशी ऐसी रम गयी कि अन्तिम क्षण तक उसने काशी को नहीं छोड़ा। सुप्रसिद्ध सुरबहार वादक मुश्ताक अली खाँ भले ही कलकत्ता में जाकर बसे थे परन्तु वह सदैव अपने को ठेठ बनारसी कहते थे। उस्ताद मुश्ताक अली खाँ के पूर्वज सेनिया घराने के बीनकार वारिस अली खाँ, टप्पा गायक अकबर अली खाँ, ध्रुवपद गायक निसार अली खाँ तथा ख्याल गायक सादिक अली खाँ, अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के समय में ही बनारस आकर बस गये थे। मुश्ताक अली खाँ, सेनिया घराने के बरकतुल्ला के शिष्य आशिक अली खाँ के सुपुत्र थे। उदयशंकर, रविशंकर संसार के किसी कोने में भ्रमण करते रहे हों परन्तु काशी उनके मन में हर क्षण बसी रही, कभी ओझल नहीं होने पाई। पंडित रविशंकर ने तो 'रिम्पा' के रूप में काशी को अपने कार्यक्रमों का केन्द्र बनाया।

काशी की गायिकाओं की अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। ये गायिकायें मन्दिरों में भी गाती थीं, दरबार और रईसों की महफिलों में भी। ठुमरी, टप्पा से लेकर ख्याल, ध्रुवपद धमार की कठिन बन्दिशें प्रस्तुत करने में ये गायिकायें बेजोड़ थीं। इन गायिकाओं में विद्याधरी, सरस्वती, छोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर, राजेश्वरी, बड़ी मोती, गौहर, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णदेवी, गिरिजा देवी, शान्ती देवी की प्राचीन परम्परा रही है। सितारा देवी तथा अलखनन्दा ने कथक नृत्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया।

काशी की वर्तमान संगीत परम्परा लगभग दो सौ वर्ष पुरानी है। ध्रुवपद धमार गायन में पं. रामसेवक मिश्र, पशुपति नाथ, शिवसेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, शिवनारायण मिश्र, प्रसिद्ध मनोहर, शिवा-पशुपति युगल कलाकारों की विशेष ख्याति रही है। आज भी राजन-साजन तथा अमरनाथ-पशुपतिनाथ अपने युगल गायन के लिए संगीत जगत में लोकप्रिय हैं। काशी के कथक परिवारों में पं. शिवनन्दन मिश्र, उनके पुत्र बड़े रामदास, रामदास जी के श्वसुर पंडित जैकरन मिश्र, छोटे रामदास, पं. हरिशंकर मिश्र, पं. महादेव प्रसाद मिश्र का गायन के ध्रुवपद, धमार, ख्याल के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। स्थानीय कथक परिवारों ने संगीत, नृत्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हस्तियाँ दी हैं। जैसे उदाहरणार्थ नाम बताने के ख्याल से– कथक में अभयशंकर मिश्र, तबला तथा संगीत समीक्षा में पं. विजय शंकर मिश्र, सितार में अशोक मिश्र जैसे नाम लिए जा सकते हैं। अभय अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कथक नर्तक हैं। इनके अतिरिक्त अन्य नगरों से काशी में आकर रहने वाले और कुछ बस जाने वाले संगीतज्ञों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें उल्लेखनीय हैं– भावे बुवा, भैयाजी लाडे, सोमनाथ, गरुड़कर, सोमनाथ बेहरे, वेदमूर्ति नारायण भट्ट, मुकुन्द विष्णु कालविन्त, अघोर चक्रवर्ती, दामोदर विष्णु कालविन्त, भालचन्द्र चिन्तामणि दामले, उपेन्द्र बाबू। जगदीप जी तथा मौजुद्दीन खाँ द्वारा आंगिक अभिनय की अपेक्षा स्वर माधुरी, बनारसी पुट, भाव प्रधान पूरब अंग की ठुमरी शैली इस ढंग से प्रस्तुत की गयी कि सारे देश पर छा गयी। इधर टप्पा के सुप्रसिद्ध गायक अकबर अली खाँ और शोरी मियाँ के शागिर्द गम्मू खाँ और उनके पुत्र शादे खाँ ने टप्पा का वाराणसी में प्रचार किया। शादे खाँ ने इमाम बाई तथा चित्रा बाई को टप्पा

गायन की शिक्षा दी और टप्पा बनारसी गायकी का अभिन्न अंग बन गया। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, शिव सेवक मिश्र तथा रामसेवक मिश्र के पास टप्पे की दुर्लभ बंदिशों का अपार भण्डार था। बड़े रामदास जी ठुमरी गायकी, ख्यालों की तानों की तैयारी के लिए टप्पे का अभ्यास कराते थे। रसूलन बाई टप्पा गायन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थीं। इमामबादी के पुत्र रमजान खाँ तथा उनके शिष्य नागेन्द्रनाथ भट्टाचार्य ने टप्पा को काशी से कलकत्ते तक पहुँचाया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग खुल जाने के कारण बाहर से अनेक संगीतज्ञ संगीताध्यापन के लिए यहाँ आकर रहने लगे जिनका संगीत परम्परा में योगदान उल्लेखनीय है। इस परम्परा में अनेक नाम लिये जा सकते हैं – पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बलवन्तराय भट्ट, डॉ. लालमणि मिश्र, प्रदीप कुमार दीक्षित, डॉ. एम.आर. गौतम, डॉ. पाटेकर, श्रीकान्त ठकार, डॉ. (कुमारी) प्रेमलता शर्मा, श्रीमती एन.राजम।

खुले चक्करदार बोल, परन, गतों, लड़ियों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध बनारसी राग की परम्परा का प्रवर्तन पंडित राम सहाय द्वारा सन् 1830 के आस-पास माना जाता है। राम सहाय जी ने तबलावादन शैली को ऐसा रूप दिया कि स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त ध्रुवपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, नृत्य, सितार, सरोद सभी के साथ समान रूपेण सफल संगत की जा सके। रामसहाय जी द्वारा बनाई चक्करदार टेढ़ी परनों में गज परन, सिद्ध परन, चक्करदार परन, कृष्ण परन, रासलीला परन, काली परन, दुर्गा परन, शंकर परन, गणेश परन उल्लेखनीय हैं। राम सहाय जी की शिष्य परम्परा में जानकी सहाय, गौरी सहाय, गौरी सहाय के सुपुत्र भैरव सहाय, बलदेव सहाय, बलदेव सहाय के पुत्र दुर्गादास सहाय, भाँजे पंडित कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज, शारदा सहाय के नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरी ओर तिरकिट-धिरकिट की कड़ी के लिए प्रसिद्ध तीन चार हजार कायदों, गतों, फर्द, पेशकार, रेलों, टुकड़ों पर पूरा अधिकार रखने वाले भैरव प्रसाद जी के लगभग 400 शिष्यों में प्रमुख थे पंडित मौलवी राम मिश्र, बागेश्वर प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट। प्रताप अथवा परतप्पू महाराज की शिष्य परम्परा में उनके पुत्र जगन्नाथ जी, पौत्र शिव सुन्दर और प्रपौत्र बलमोहन महाराज तबले के खलीफा माने जाते थे। कहते हैं शिवसुन्दर के अनुज वाचा मिश्र ने देवी को तबला वादन से प्रसन्न करके तबला वादन में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वाचा मिश्र के पुत्र पंडित सामता प्रसाद गुदई महाराज ने पिता के अतिरिक्त बिस्सू मिश्र जी से भी संगीत शिक्षा प्राप्त की। गुदई महाराज के प्रमुख शिष्यों में हुए कुमार मिश्र, कैलाश मिश्र। पंडित भगवान प्रसाद के पुत्र एवं विश्वनाथ जी के शिष्य पंडित वीरू मिश्र ने तबला वादन, बनारसी बाज में दूर-दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त की। अनेक संगीत सम्मेलनों, रियासतों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कबीर चौरा के मौलवी राम मिसिर का बनारसी राज अपना अलग था। भैरव प्रसाद मिश्र की परम्परा को इधर प्रतिष्ठा मिली पं. अनोखे लाल द्वारा जिनकी तैयारी, सफाई और नाधिन धिन्ना बोलों का जवाब नहीं था। इनके अतिरिक्त बनारसी राज के युवा कलाकारों में सर्वश्री ईश्वरलाल मिश्र, छोटे लाल मिश्र तथा रामजी मिश्र के नाम लिये जा सकते हैं। तबले के अतिरिक्त ध्रुवपद धमार की लोकप्रियता के कारण काशी में पखावजवादन की समृद्ध परम्परा रही है। इनमें प्रमुख थे मन्नू जी, भोलानाथ पाठक, वृन्दावन दास, मदन मोहन, रामदेव पाण्डेय, संकट मोचन मन्दिर के महन्त पंडित अमरनाथ मिश्र।

तबले की भाँति काशी में सारंगी वादन के तीन घराने प्रचलित रहे हैं– पंडित राम बख्श जिनके पुत्रों गणेश जी, शीतल जी तथा आगे चलकर पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र एवं गोपाल मिश्र ने अपने श्रेष्ठ सारंगीवादन से देश-विदेश में सारंगी और बनारस घराने की धाक जमा दी। मीरजापुर से वाराणसी में आकर बसे पंडित श्यामधर मिश्र के पुत्रों सुमेरू (सुमेरनाथ) तथा सियाजी ने सारंगी वादन से सारे देश में प्रसिद्धि प्राप्त की। रामनारायण मिश्र की अपनी सारंगी वादन शैली अलग थी। इनके पुत्रों भवानी भीख जी तथा शम्भूनाथ मिश्र के पुत्र पण्डित सरयू प्रसाद मिश्र तथा पौत्रों पण्डित विश्वनाथ मिश्र, गोपीनाथ मिश्र तथा बैजनाथ मिश्र ने सारंगीवादन परम्परा को समृद्ध किया। बनारस के अन्य श्रेष्ठ सारंगी वादन कलाकारों में तमाकू जी, नारायण मिश्र, भगवान मिश्र, बिरई जी, ठाकुर प्रसाद, सीताराम, पन्नालाल मिश्र, मुंशीराम, आशिक अली खाँ, वंशी महाराज, काशी प्रसाद किन्नर आदि के नाम लिये जा सकते हैं जो स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त ध्रुवपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी

की चतुरंग एवं सफल संगत करने में सिद्धहस्त थे। इन कलाकारों के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। सियाजी महाराज की सारंगी पालकी में राजसी ठाठ के साथ जहाँ भी वे जाते, ले जायी जाती। तबला एवं मृदंग वादकों के लिए प्रसिद्ध था कि वह गजपरन बजा कर पागल हाथी को शान्त कर देते थे।

वायलिन वादन में श्रीमती एन. राजम तथा सितारवादक राजभान सिंह के बिना काशी की चर्चा अधूरी रहेगी जो अब काशी में ही रहने लगे हैं। शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ बनारस के पर्याय रहे हैं। उनके अतिरिक्त पंडित नन्दलाल, ख़ादिम अली ने वाराणसी की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। पंडित रविशंकर, उस्ताद मुश्ताक अली खाँ ने सितार में, श्री उदयशंकर एवं गोपीकृष्ण ने नृत्य के क्षेत्र में वाराणसी का गौरव बढ़ाया। डॉ. लाल मणि मिश्र ने स्वयं विचित्र वीणा वादक होने के साथ देश-विदेश में ध्रुवपद प्रचार-प्रसार, संगीताध्ययन एवं शिक्षा को अधिक वैज्ञानिक, शोधपरक और रचनात्मक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिय। ठाकुर जयदेव सिंह दर्शन एवं धर्म के अतिरिक्त संगीत शास्त्र के भीष्म पितामह के रूप में सम्मानित किये जाते हैं। वाराणसी की संगीत परम्परा आज भी जीवन्त एवं समृद्ध है।

रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली स्वयं संगीत प्रेमी थे और स्वयं तत्कालीन मूर्धन्य संगीतज्ञ उस्ताद वजीर खाँ के शिष्य थे। वजीर खाँ सुप्रसिद्ध ख्याल गायक बड़े मुहम्मद खाँ के भाँजे तथा उस्ताद निज़ाम खाँ के सुपुत्र थे जो अपने युग के श्रेष्ठतम ध्रुवपद गायक थे। वज़ीर खाँ ने पिता से ध्रुवपद गायन और मामा से ख्याल गायन की शिक्षा प्राप्त की। उस समय रामपुर में देश के कोने-कोने से आए श्रेष्ठतम संगीतज्ञों का जमघट था जो उस्ताद वजीर खाँ से सीखते थे। इनमें उल्लेखनीय थे उस्ताद मुहम्मद हुसैन, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खाँ, उस्ताद सादिक अली खाँ आदि। उस समय रामपुर दरबार का संगीत के क्षेत्र में वही स्थान था जो संस्कृत एवं धर्मशास्त्र के क्षेत्र में काशी पण्डित समाज का स्थान था। रामपुर में कलाकारों को मुँहमाँगा पुरस्कार मिलता था।

आसफुद्दौला द्वारा अवध की राजधानी अयोध्या से लखनऊ ले जाने के साथ अनेक कलाकार लखनऊ जाकर बस गये। नवाब वाजिद अली शाह न केवल संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी बल्कि स्वयं श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। उनके राज्य काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। बिन्दादीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य, कोदऊ सिंह जैसे पखावजी वाजिद अली शाह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दरबार में ठुमरी, भाव एवं श्रृंगार प्रधान बन्दिशों का विशेष प्रचलन था जो अधिकतर भैरवी, खम्माज, काफी, देश, झिंझोटी आदि राग-रागिनियों तथा दीपचन्दी (14 मात्रा) जल ताल, कहरवा आदि तालों में गाई जाती थीं।

ख्याल, ध्रुवपद गायन की दृष्टि से लखनऊ संगीत का प्रमुख केन्द्र रहा है जहाँ देश के मूर्धन्य कलाकारों का जमघट होता था। उस्ताद सादिक अली खाँ के शिष्य उस्ताद खुर्शेद अली खाँ, लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। उनके शिष्यों में प्रमुख थे लखनऊ के राजा नवाब अली, गुलाम हुसैन, बब्बन साहब, चिन्मय लाहिड़ी, भैया गनपत राव, नसीर खाँ, श्री कृष्ण रातंजकर आदि। ख्याल गायकी को लखनऊ में लोकप्रिय बनाने वाले श्रेष्ठ कलावन्तों में उल्लेखनीय हैं सूरज खाँ, चाँद खाँ, मुराद अली, अमीर अली, छज्जू खाँ, बासत खाँ, हैदर खाँ, गुलाम हुसैन, दूल्हे खाँ, अहमद खाँ, मुहम्मद खाँ, नवाब कासिम अली, अमराव खाँ, तारब अली, रहीम खाँ, यूसुफ खाँ, वजीर खाँ आदि। गुलाम रसूल के पुत्र मियाँ गुलाम नबी शोरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। लखनऊ परम्परा के अनेक संगीतज्ञों ने उनसे टप्पा गायन सीखा। लखनऊ परम्परा को अनेक गायिकाओं ने भी समृद्ध किया। इनमें रहीमन बाई, शराफो बाई, धन्नो बाई, जयसुख बाई, खुर्शेद बाई, चन्द्रा बाई, जसोबाई के नाम लिये जा सकते हैं।

लखनऊ बाज की अपनी विशेषता, शैली रही है। प्यार खाँ, जाफर खाँ, बासत खाँ, बहादुर खाँ, काजिम अली जैसे रबाबिये हुए तो गुलाम मुहम्मद, रहीम सेन, गुलाम हुसैन खाँ, बरकत अली, हसन खाँ डाढ़ी, नवाब अली, वकी खाँ, हशमत जंग, हामिद हुसैन जैसे श्रेष्ठ सितारवादकों को लोग आज भी आदर से याद करते हैं। लखनऊ के ही रज़ा खाँ ने सितार की मध्य, द्रुतलय, प्रधान रजाखानी गत शैली का प्रवर्तन किया। सादिक अली खाँ वीणावादन तथा एवज़ अली खाँ सारंगी वादन में बेजोड़ थे। उस्ताद सुधार खाँ के पौत्रों मोदू

खाँ तथा बख्शू खाँ (पुत्र मम्मन खाँ) ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। मोदू खाँ के प्रिय शिष्य पण्डित रामसहाय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया। मम्मन खाँ के तीसरे पुत्र उस्ताद मुहम्मद खाँ के पुत्र मुन्ने खाँ खलीफा की परम्परा में वाजिद हुसैन खाँ, आफाक हुसैन खाँ हुए तो दूसरी ओर आबिद हुसैन की शिष्य परम्परा में वीरू मिश्र, जहाँगीर खाँ, हीरेन्द्र गांगुली, महबूब खाँ आदि जैसे ख्याति प्राप्त तबला वादक हुए। लखनऊ में कोदऊ सिंह, पण्डित सखा राम, पण्डित अयोध्या प्रसाद जैसे पखावजी प्रसिद्ध हुए।

वाजिद अली शाह 'रहस' नृत्य का विशाल आयोजन करते और कृष्ण की भूमिका स्वयं प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कैसरबाग में विशाल बारादरी, नहरें, फव्वारे, उद्यान बनवाए जो हर समय केसर की फुहार से गमकते और नूपुरों की झंकार से गूँजते रहते। इसी युग में कथक नृत्य **और** ठुमरी को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। नवाबी प्रभाव के कारण लखनऊ की गायकी में ग़ज़ल एवं शायरी की प्रधानता थी। नृत्य ही नहीं वाजिद अली शाह ने स्वयं 'अख्तर पिया' और बिन्दादीन ने 'सनद पिया' उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार कीं। इसी समय अन्य कलावन्तों ने कदरपिया, चाँदपिया, ललनपिया नाम से ठुमरी की बन्दिशें तैयार कीं, जो बड़ी लोकप्रिय हुईं। अवध दरबार में होलिकोत्सव विराट संगीत समारोह के रूप में मनाया जाता जो दिन-रात चलता रहता। बिन्दादीन के अतिरिक्त शम्भू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ कथक शैली को नई दिशा दी। इधर श्रीकृष्ण रातंजकर को मौरिस कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया। इसी क्रम में उस्ताद दूल्हे खाँ, उस्ताद सखावत हुसैन खाँ (सरोद), सादिक अली खाँ (बीनकार), उमर खाँ, इलियास खाँ (सितार), जी.एन. गोस्वामी (वायलिन), युसुफ अली खाँ, ध्रुवतारा जोशी (सितार), डॉ. सुरेन्द्र शंकर अवस्थी ने लखनऊ की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। शासकीय स्तर पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कलाकारों को सहायता-सम्मान देने की दिशा में कार्य करती है। लखनऊ महोत्सव में संगीत-सम्मेलन का आयोजन होता है।

आगरा मुगलकाल में संगीत का सबसे बड़ा केन्द्र था। मुगल बादशाह अधिकतर आगरा में ही रहते थे। आगरा के पड़ोस में एक ओर ग्वालियर रियासत थी तो दूसरी ओर दिल्ली दरबार जहाँ से संगीतज्ञों का आना-जाना लगा रहता था। अतः जहाँ ग्वालियर घराने के नत्थन खाँ, पीर बख्श, हद्दू खाँ, हस्सू खाँ, मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, कृष्णराव शंकर, विनायक राव पटवर्द्धन, मेंहदी हुसैन खाँ, नज़ीर खाँ, हफीज़ खाँ, कल्लन खाँ, बालकृष्ण बुआ, इचलकरंजीकर, बन्ने खाँ, गनपत राव आदि जैसे संगीतज्ञों की दमदार, गम्भीर गायकी और तैयारी ने आगरे की गायकी को प्रभावित किया वहीं दूसरी ओर दिल्ली दरबार के संगीतज्ञ थे जिनकी ध्रुवपद एवं ख्याल गायकी अपने ढंग की थी। दिल्ली घराने के संगीतज्ञों में लाल खाँ, बाबा रामदास, हाजी सुजान खाँ, सदारंग, अदारंग, काले मिर्जा, तानरस खाँ, उमराव खाँ, हुसैन अली, फतेह अली की गायकी ने आगरा घराने की गायकी को बहुत अधिक प्रभावित किया। मथुरा पड़ोस में होने के कारण ब्रज भाषा और कृष्णालीला की आगरा घराने की बन्दिशों पर स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। आगरा घराने का सूत्रपात श्यामरंग और सरसरंग से माना जाता है। आगरा घराने के संगीतज्ञों में घग्घे खुदाबख्श, सुप्रसिद्ध ख्याल गायक शेर खाँ, गुलाम अब्बास, गुलाम हैदर खाँ (कल्लन खाँ), नत्थन खाँ, नन्हें खाँ कड़क एवं चमक वाली तानों के लिए प्रसिद्ध मुहम्मद सिद्दीक खाँ, तसद्दुक हुसैन खाँ, अनवर हुसैन खाँ, लताफत हुसैन खाँ, विलायत हुसैन खाँ, स्वामी बल्लभदास, भास्कर बुवा बारवले, दिलीप चन्द्र वेदी, श्री कृष्ण रातंजनकर, जगन्नाथ बुवा पुरोहित के नाम लिये जाते हैं। परन्तु आगरा घराने की गायकी को सबसे अधिक यश मिला आफताबे मौसी की उस्ताद फैय्याज खाँ की लोकप्रियता के कारण। वैसे तो उस समय देश में रज्जब अली खाँ, अल्लादित्ता खाँ, अब्दुल करीब खाँ, बन्दे अली खाँ जैसे अनेक श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे परन्तु ख्याल, ध्रुवपद, होरी, धमार सभी शैलियों पर समान अधिकार, अलाप, बढ़त, राग-रागिनी के स्वरूप की अवधारणा और मधुर भावाभिव्यक्ति आदि दृष्टियों से फैयाज खाँ अद्वितीय थे। भैरवी में ''बाजूबन्द खुल-खुल जाय'' और ''ब्रज होली खेलन को रसिया'' से लेकर ध्रुवपद ख्याल तक जब फैयाज खाँ प्रस्तुत करते तो रस की फुहारों से श्रोता भावविभोर हो जाते। आगरा घराने की दूसरी शाखा में ख्याल एवं ठुमरी गायन की प्रधानता थी। इस परम्परा में इमदाद खाँ, हमीद खाँ, प्यार खाँ, लतीफ खाँ के नाम लिये जा सकते हैं। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। वैसे तो फैय्याज खाँ अपने

गायन के बीच-बीच में ''हाँ, हाँ, अरे हाँ'' जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते थे, जो ख्याल गायन शैली का नहीं है, परन्तु कव्वाल बच्चों का अपना अलग घराना था जो तानों की पेंचदार फिरत, बल एवं फन्दे वाली तानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के प्रतिनिधियों में मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, मुबारक अली खाँ, सादिक अली खाँ, फजले अली खाँ, करम अली, दिलावर अली उल्लेखनीय हैं।

मुगलकाल में, विशेषतः अकबर-काल में फतेहपुर सीकरी का आगरे अथवा दिल्ली की अपेक्षा अधिक महत्व था और अकबर का अधिकांश समय फतेहपुर सीकरी में ही व्यतीत होता था। अतः फतेहपुर सीकरी में संगीतज्ञों का जमघट और परम्परा का सूत्रपात स्वाभाविक था। इस घराने के संगीतज्ञों में जैनू खाँ, जोरावर खाँ, गुलाम रसूल खाँ, छोटे खाँ पखावजी, मदारबख्श के नाम लिये जाते हैं।

सहारनपुर घराने के प्रवर्तक खलीफा मुहम्मद जमाँ सूफी सन्त थे तथा गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब और सितार वादन में अद्वितीय माने जाते थे। सहारनपुर के गुलाम तकी खाँ और गुलाम जाकिर खाँ होरी ध्रुवपद गायन के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे। बन्दे अली खाँ के जोड़ के बीनकार पूरे देश में इने-गिने थे। इस परम्परा के गुलाम आज़म, गुलाम कासिम, गुलाम जामिन, बहराम खाँ की ख्याति दूर-दूर तक थी। बहराम खाँ ने भारतीय संगीत के अध्ययन की दृष्टि से हिन्दी-संस्कृत का अध्ययन किया और उन्हें पण्डित की उपाधि से अलंकृत किया गया। बहराम खाँ की शिष्य परम्परा में गौसी बाई, फरीद खाँ, मौला बख्श सांखड़ वाले तथा जाकिरुद्दीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ थे। जाकिरुद्दीन खाँ तथा अलाबन्दे खाँ के ध्रुवपद एवं होरी गायन की पूरे देश में धूम थी। सभी रियासतों से इन दोनों के लिए प्राप्त होने वाले निमंत्रण पत्रों का ताँता लगा रहता था। सन् 1915-16 में बड़ौदा संगीत सम्मेलन के मंच पर जब क्लीमेण्ट ने अपना बनाया हारमोनियम प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि उनके हारमोनियम में सभी श्रुतियाँ निकल सकती हैं तो उनकी चुनौती जाकिरुद्दीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ ने सफलतापूर्वक स्वीकार की और गाकर बतलाया कि श्रुतियाँ गले से ही निकल सकती हैं। इनमें गले की हरकतें हारमोनियम पर निकालने में असफल होने पर श्री क्लीमेण्ट ने अपना वाद्य और दावा वापस ले लिया। वस्तुतः वर्तमान ध्रुवपद परम्परा को इस घराने का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अलाबन्दे खाँ के पुत्रों नसीरुद्दीन खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, इमामुद्दीन खाँ डागर एवं मोहनुद्दीन डागर ने ध्रुवपद, धमार, होरी गायन के क्षेत्र में सहारनपुर घराने की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अब्बन खाँ गायन के साथ संगीत शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे। उन्होंने अनेक राग-रागिनियों पर शोध कार्य भी किया था।

बहादुर हुसैन खाँ तथा हद्दू खाँ के शिष्य इनायत हुसैन खाँ सहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनायत हुसैन नेपाल, ग्वालियर, रामपुर, हैदराबाद दरबार में रहे और सम्मानित किये गये। इनके शिष्यों रामकृष्ण, बाजे बुआ, छज्जू खाँ, नजीर खाँ ने सहसवान की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। इमदाद खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, फिदा हुसैन के पुत्र उस्ताद निसार हुसैन खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ के पुत्र इश्तियाक हुसैन और हारमोनियम नवाज़ इशाक हुसैन के कारण सहसवान संगीत परम्परा का नाम आदर के साथ लिया जाता है।

जब तक रसिक पारखी चाँद खाँ और काले खाँ का ध्रुवपद धमार गायन के क्षेत्र में नाम रहेगा, अतरौली घराने का नाम भी अमर रहेगा। इनके पूर्वज शाण्डिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे जिन्होंने आगे चलकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस परम्परा के दुल्लू खाँ और छज्जू खाँ ध्रुवपद की गोबरहार अथवा गोहार बानी के लिए प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय थे। हुसैन खाँ, शाहाब खाँ, ध्रुवपद धमार गायन में बेजोड़ थे तो मानतोल खाँ डागुर बानी के विशेषज्ञ कलाकार माने जाते थे। गुलाम गौस खाँ के परिवार में गोहार बानी की परम्परा चल रही थी परन्तु गुलाम गौस खाँ की रुचि डागुर बानी में थी। अतः उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से डागुर बानी के संगीतज्ञों में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया। खैराती खाँ के खण्डारी बानी को ध्रुवपद गायन में अपनाया। करीम बख्श ने भी खण्डारी बानी का अभ्यास किया। चिम्मन खाँ, करीम बख्श खाँ, जहाँगीर खाँ, जुहूर खाँ ने ध्रुवपद धमार के साथ ख्याल गायन के क्षेत्र में भी अतरौली घराने का सम्मान बढ़ाया। जहूर खाँ तो इतना अच्छा गाते थे कि एक बार रास्ते में इन्हें डाकुओं ने घेर लिया लूटने के लिए। तानपूरा देखकर डाकुओं ने गाने के लिए कहा। जहूर बख्श का गायन सुनकर डाकू ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने न केवल क्षमा माँगी बल्कि भारी धनराशि देकर

सुरक्षित पहुँचा दिया। भूपत खाँ, इमाम बख्श, गुलाम खाँ, हस्सू खाँ, दौलत खाँ, अतरौली वाले अल्लादिया खाँ, अली अहमद खाँ, ख्वाजा अहमद खाँ, अज़मत हुसैन खाँ ने ध्रुवपद, धमार, होरी, ख्याल, दादरा सभी शैलियों में भागलपुर, मुंगेर, बनारस, पटना, कलकत्ता दूर-दूर तक अनेक रियासतों में यश प्राप्त किया।

बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में रमज़ान खाँ, कुतुब बख्श, मुहम्मद अली खाँ, अजमत उल्ला खाँ, कुदरत उल्ला खाँ, जहूर खाँ, फिदा हुसैन खाँ, बदरुज़्ज़माँ मुजफ्फर खाँ जैसे श्रेष्ठ ध्रुवपद एवं ख्याल गायकों का जमघट था। कुतुबबख्श सितारवादन में भी प्रवीण थे। कुतुब अली खाँ के कार्यक्रम के पश्चात् किसी अन्य कलाकार का कार्यक्रम जमना कठिन होता था। मुहम्मद अली खाँ को राजसी सम्मान प्राप्त था। कुदरत उल्ला खाँ, तराने की गायकी के अतिरिक्त कव्वाली गायन में सारे देश में बेजोड़ थे तथा अपनी सुरीली, बुलन्द एवं पाटदार आवाज के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे। भास्कर बुवा बारवले इनके प्रिय शिष्य थे। बदरुज़्ज़माँ शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त ठुमरी, दादरा आदि ऐसे सुरीले ढंग से गाते कि सुनने वाले ठगे से रह जाते।

खुर्जा (अलीगढ़) घराने का आरम्भ नत्थे खाँ के पुत्र जोधे खाँ से माना जाता है जो दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा में बस गये। इमाम खाँ, गुलाम हुसैन खाँ, ज़हूर खाँ, अलताफ हुसैन खाँ, गुलाम हैदर खाँ ऐसे संगीतज्ञ थे जिनका ध्रुवपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, तिरवट, चतुरंग पर समान अधिकार था तथा इन लोगों की गायकी बुलन्द परन्तु पेंचदार मानी जाती थी। ज़हूर खाँ की बनाई ध्रुवपद, ख्याल छन्द, प्रबन्ध, चतुरंग, सरगम की अनेक बंदिशें अभी तक प्रचलित हैं। इसी घराने के गफूर बख्श श्रेष्ठ सितारवादक थे। ये सभी कलाकार अपने को खुर्जा घराने का प्रतिनिधि कहने में गर्व का अनुभव करते थे। ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार की स्थिति डाँवाडोल होने पर कलाकार आस-पास खुर्जा, अतरौली, बुलन्दशहर आदि स्थानों में बसते गये। वहाँ संगीत परम्परा ने जन्म लिया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की के संगीत में योगदान से सभी सुपरिचित हैं।

मथुरा के ध्रुवपद में कृष्णभक्ति सम्प्रदाय मन्दिरों, विरक्त साधुओं के अतिरिक्त सूबेदार नवाब अली खाँ के दरबार से संगीतज्ञों की अलग परम्परा मिली है। कौड़ी रंग और पैसारंग दोनों भाई ध्रुवपद धमार एवं ख्याल के बड़े प्रसिद्ध गायक थे। पानखाँ को इन सभी शैलियों पर समान अधिकार था और नवाब से इन्हें ज़ागीर मिलती थी। बुलाकी खाँ श्रेष्ठ गायक होने के साथ संगीत शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे और अधिकतर मथुरा के मन्दिरों में ही गाते थे। मथुरा के ही अहमद खाँ (गुलदीन खाँ) सितारवादन में इतने निपुण थे कि गुजरात के लूनावडा दरबार में एक-एक स्वर सटीक लगाने पर एक दिन के कार्यक्रम में इन्हें कई महीनों, वर्ष भर का वेतन पुरस्कार स्वरूप मिल जाता। काले खाँ ने 'सरस पिया' नाम से ख्याल ठुमरी, ध्रुवपद की अनेक रचनाएँ कीं जो आज भी लोकप्रिय एवं प्रचलित हैं। गुलाम रसूल खाँ ने अपने संगीत शिक्षण की यात्रा का शुभारम्भ मथुरा से ही किया लेकिन जाकर बस गए बड़ौदा दरबार में। फैयाज़ खाँ सितार वादन में अद्वितीय थे। मुन्नन खाँ ने भी सितारवादन में बड़ी ख्याति अर्जित की लेकिन मुर्शिदाबाद अपने श्रेष्ठ गायन के लिए देश भर में प्रसिद्ध थे। दोनों संस्कृति के अच्छे विद्वान थे। कहते हैं आज से 80-90 वर्ष पूर्व इन कलाकारों को नेपाल आदि स्थानों में एक-एक कार्यक्रम के लिए एक लाख रुपये तथा बहुमूल्य हीरे-जवाहरात पुरस्कार स्वरूप मिलते थे।

उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद की अपनी विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण संगीत परम्परा रही है। इसके परवर्ती प्रतिभा सम्पन्न कलाकार उस्ताद इनायत खाँ के गौरीपुर रियासत (बंगाल) में बस जाने के कारण सितार वादन का यह अनूठा घराना गौरीपुर घराना के नाम से भी प्रसिद्ध था। विशिष्ट वाद्य शैली के श्रेष्ठ प्रतिनिधि इमदाद खाँ की लोकप्रियता के कारण पारखी संगीत प्रेमी इसे इमदादखानी बाज नाम से भी जानते थे। सितार वाद्य पर गायकी, विशेषतः किराने घराने की गायकी, हूबहू प्रस्तुत करने के कारण अनेक संगीत समीक्षक इस परम्परा को किराना घराना के अन्तर्गत मानते हैं। 'बाज एक, नाम अनेक' इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

इटावा की सितार वादन संगीत परम्परा सात पीढ़ियों से भी अधिक पुरानी है। इस घराने के पूर्वजों में मलूकदास के राजपूत वंशज सुरजन सिंह, सुरजन सिंह के पुत्र तुराब खाँ, पौत्र साहबदाद खाँ, प्रपौत्र इमदाद खाँ, इमदाद खाँ के दो पुत्र इनायत खाँ, वहीद खाँ, इनायत खाँ के पुत्र विलायत खाँ, इमरत खाँ तथा वंशजों में रईस

खाँ उल्लेखनीय हैं। ध्रुवतारा जोशी इसी परम्परा के प्रतिनिधि हैं। बीनकार अंग के फलस्वरूप सितार सुरबहार पर ग्वालियर, आगरा तथा किराने घराने की गायकी सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने की अद्‌भुत क्षमता के अतिरिक्त इटावा संगीत परम्परा की इस बात की अपनी विशेषताएँ रही हैं। विशुद्ध बाज अंग, मींड़ का विस्तार, झाले की विविधता तथा माला जैसी लड़ी, स्वरों की शुद्धतायुक्त तैयारी, सपाट तान, कूटतान, तिहाई आदि संगीत के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा साधुसंत जैसा उदासीन जीवन इस संगीत परम्परा की दूसरी विशेषता रही है।

उस्ताद विलायत खाँ ने अपनी अथक साधना तथा विलक्षण प्रतिभा से इटावा की संगीत परम्परा को विशेष समृद्ध किया। उनकी लगभग तेरह-चौदह वर्ष की आयु थी, जिस समय पिता उस्ताद इनायत खाँ के आकस्मिक निधन से घराने तथा उसकी विशिष्ट शैली परम्परा के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया। उस्ताद विलायत खाँ ने चुनौती स्वीकार की, वर्षों अपने को कमरे में बन्द करके पूर्वजों और उनके बाज का मनन करते हुए पन्द्रह-सोलह घंटे प्रतिदिन सितार सुरबहार पर रियाज (अभ्यास) करते रहे और अन्ततः संगीत में जैसे सिद्धि प्राप्त कर ली। उन्होंने सितार सुरबहार में दो के स्थान पर एक ही तुम्बा रखा। सितार सुरबहार पर हृदयस्पर्शी, सुमधुर, सटीक मींड़ लेने में उस्ताद विलायत खाँ अद्वितीय हैं। एक ही परदे पर पूरे सप्तक की मींड़ लेने, अद्‌भुत लयकारी, अति द्रुत लय के बावजदू माधुर्य, स्वरों की शुद्धता उनकी विशेषता है। विलायत खाँ के दादा इमदाद खाँ इन्दौर में रहे तो चाचा वहीद खाँ कलकत्ता में और पिता इनायत खाँ गौरीपुर में रहे। शहनाई जैसे गायकी प्रधान सुषिर वाद्य के साथ अपने वाद्य सितार की अनेक वाद्यगत सीमाओं तथा कठिनाई को पार करते हुए बिस्मिल्ला खाँ के साथ सही अर्थों में सफल जुगलबंदी उस्ताद विलायत खाँ की विलक्षण प्रतिभा की द्योतक है। यदि बिस्मिल्ला खाँ ने हेय समझे जाने वाले लोकवाद्य को शास्त्रीय संगीत वाद्यों के सर्वोच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया तो विलायत खाँ ने सितार सुरबहार वादन को नया अनुकरणीय आयाम दिया। मुम्बई में कई दशक रहने के पश्चात् महानगरी की चमक-दमक, प्रचार-प्रसार, चकाचौंध छोड़कर नगर के कोलाहल से दूर उत्तर प्रदेश के देहरादून के सुरम्य वनखण्ड, प्रकृति के बीच संगीत के माध्यम से एकान्तवास, आध्यात्मिक साधना, नाद ब्रह्म चिंतन के रूप में जीवन में शान्ति की रसात्मक साधना में तल्लीन विलायत खाँ ने इटावा परम्परा विशेषतः अपने पिता, पितामह के जीवन दर्शन का अनुशीलन किया।

कासगंज (एटा) के ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ गायक होने के साथ प्रसिद्ध सितारवादक भी थे और दिल्ली दरबार के पतन तक बहादुरशाह जफर के दरबार में ही रहे।

शाहजहाँपुर घराना सरोद वादन के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध रहा है। उस्ताद काजिम अली के शिष्य, इंसाफ अली रबाबिया तथा इनायत अली खाँ सरोदिया ने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी ख्याति अर्जित की। इनायत खाँ के पौत्र सखावत खाँ (पुत्र शफात खाँ) ने उस्ताद मीरू खाँ, उस्ताद करामत उल्ला तथा प्रोफेसर कौकब से सीखकर सरोदवादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की तथा भातखण्डे संगीत विद्यालय, लखनऊ में अध्यापन कार्य करते रहे। उस्ताद सखावत खाँ के पुत्र उस्ताद इलियास खाँ सितारवादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता का कीर्तिमान रहे हैं। इलियास खाँ की शिष्य परम्परा में सितार तथा सरोद वादन की परम्पराएँ चल रही हैं।

बनारसी अंग और लखनऊ कथक नृत्य शैलियों की भाँति तबले की वादन शैलियों ने तबले के विभिन्न घरानों का रूप लिया। चाँटी स्याही के अधिक प्रयोग, पेशकार, कायदों-तिनक तिन, केन, धिनगिन, धिड़ान आदि बोलों की बहुलता के कारण मेरठ जनपद के अजराड़ा घराने ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। इस शैली के प्रवर्तकों, प्रमुख कलाकार प्रतिनिधियों मुहम्मदी बख्श, कल्लू खाँ, चाँद खाँ, हस्सू खाँ, शम्भू खाँ और हबीबुद्दीन खाँ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इसी प्रकार दिल्ली से आकर उस्ताद मोदू खाँ और बख्शू खाँ लखनऊ में बस गये। उन्होंने कथक नृत्य के अनुरूप परन, नृत्य की आत्मा लिए चक्करदार टुकड़ों, धिड़नग, धतिन्न आदि बोलों की प्रधानता के साथ विशिष्ट शैली का प्रचलन किया जो लखनऊ शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। खलीफा मम्मू खाँ, मुहम्मद खाँ, मुन्ने खाँ, वाजिद हुसैन खाँ (खलीफा पूरब), आबिद हुसैन खाँ, वीरू मिश्र, जहाँगीर खाँ, महबूब खाँ की समृद्ध परम्परा के कारण लखनऊ के बाज को तबला वादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उधर बख्शू खाँ ने टुकड़ों,

रेलों, परनों के अतिरिक्त त्तिधिड़ान, किट, धिड़नग, दिनतक, धिंता आदि बोलों के साथ बोलों की तैयारी, सफाई और मिठास को महत्व दिया। उनकी शैली फर्रुखाबाद घराने के नाम से प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हुई। फर्रुखाबाद के घराने के कलाकारों में हाजी खाँ, हुसैन अली खाँ, मुनीर खाँ, अहमद जान थिरकवा, अमीर हुसैन, गुलाब हुसैन, नन्हें खाँ, मसीत खाँ तथा करामत हुसैन के नाम लिये जा सकते हैं। पहले कलाकार अशिक्षित अवश्य होते थे परन्तु गुणी एवं अपनी कला में पारंगत थे। कहते हैं रामपुर के बहादुर हुसैन खाँ, छम्मन साहब और जानी साहब ने थाट पद्धति, आधारभूत कल्याण थाट, पूर्वांग, उत्तरांग, राग वर्गीकरण के सिद्धान्त का बहुत पहले प्रतिपादन किया था जो भातखण्डे थाट एवं राग सिद्धान्त पद्धति से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

प्रयागराज कोई रियासत नहीं थी परन्तु संगीत प्रेम, रईस ज़मींदारों के कारण यहाँ देश भर के शीर्षस्थ संगीतज्ञों का जमघट बना रहता। विलायत खाँ, बिस्मिल्ला खाँ आदि जैसे कलाकारों ने मंच प्रदर्शन का शुभारम्भ प्रयाग के संगीत सम्मेलन से किया। देश का शायद ही कोई ऐसा श्रेष्ठ संगीतज्ञ होगा जिसने प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में भाग न लिया हो। जिसे प्रयागराज संगीत सम्मेलन के पारखी श्रोताओं की 'वाह-वाह' मिल गयी, वह देश का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ बन गया। यही कारण है कि सभी संगीतज्ञ प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में अवसर मिलने के लिए लालायित रहते और प्रदर्शन का अवसर मिलने पर गर्व का अनुभव करते। यहाँ संगीत सम्मेलन चार-पाँच दिनों तक दिन-रात चलते। न कलाकार थकते और न श्रोता। प्रयागराज के संगीत प्रेमी शिक्षित समाज के प्रयास का ही फल था कि शिक्षित एवं सम्भ्रान्त परिवारों में अस्पृश्य एवं त्याज्य समझी जाने वाली संगीत कला एवं कलाकार को प्रतिष्ठित स्थान मिला। प्रयाग संगीत समिति आज परीक्षार्थियों तथा केन्द्रों की संख्या की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी संगीत संस्थाओं में से एक है।

प्रयागराज में गायक-गायिकाओं की अपनी परम्परा रही है। टीपदार, तेज परन्तु मीठी आवाज वाली जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी के मोहक संगीत को संगीत के पारखी आज तक भूल नहीं सके हैं। जानकी बाई प्रयागराज की शान थीं। बिस्मिल शायर ने उनके लिए ठीक ही लिखा था :–

हर ग़ज़ल अब ख़त्म हो इस टीप पर उस्ताद की,
मेरा नाम जानकी बाई और इलाहाबाद की।

यह मिसरा जानकीबाई को इतना पसन्द आया कि जब उनके गायन की कोई रिकार्डिंग होती तो वह उस राग व ताल विशेष में निबद्ध बोल के पहिले गातीं ''मेरा नाम जानकीबाई इलाहाबाद'' और फिर अपना गायन आरम्भ करतीं। यही मिसरा उनके रिकार्ड की पहचान (ट्रेड मार्क) जैसा बन गया था। उन दिनों जब रेकार्ड बनाने का प्रचलन नहीं हुआ था जानकी बाई के सैकड़ों रेकार्ड बन गये थे। इनके रेकार्ड्स के विज्ञापनों में लिखा रहता ''जिनका गायन सुनकर मुर्दे जिंदा हो गये'' और सचमुच उनका गायन ऐसा ही बतलाया जाता है। बनारसी अंग की गायिकायें विद्याधरी, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी, गौहरजान (कलकत्ता) बराबर प्रयागराज आया करती थीं। पंडित विष्णु दिगम्बर के शिष्य विष्णु ए. कशालकर, बी.एन. ठकार प्रयाग में ही बस गये और आजीवन यहीं रहे। श्री एन.एल. गुणे (गायन), एस.आर. मावलंकर (सितार) ने प्रयाग को अपना स्थायी निवास बनाया। सरोदवादन में उस्ताद करामत उल्ला खाँ का घराना प्रसिद्ध था जिनके शिष्यों में उस्ताद चुन्ने खाँ तथा पंडित गणेश प्रसाद द्विवेदी, बनवारी लाल सितार में उल्लेखनीय हैं। तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लाल जी के नाम लिये जा सकते हैं। सारंगी वादन में नजीर खाँ का नाम उल्लेखनीय है। तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लालजी के नाम लिये जा सकते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया तथा रघुनाथ सेठ ने बाँसुरीवादन में बम्बई और देश के कोने-कोने तक प्रयाग की संगीत परम्परा का सम्मान बढ़ाया है।

अन्य पुराने कलाकारों में तत्कालीन ख़लीफा पण्डित भोला भट्ट का नाम आता है जो अलोपीबाग में रहते थे। भट्ट के पास ध्रुपद, होरी, ख्याल, ठुमरी, टप्पा की दुर्लभ बन्दिशों का अपार भण्डार था। गगन बाबू वायलिन वादन में अद्वितीय थे। लय पर उनका अभूतपूर्व अधिकार था। उनके शिष्यों में श्रीराम श्रीवास्तव तथा

जोई श्रीवास्तव ने वायलिन वादन के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। हारमोनियम वादक नीलू बाबू को लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने इतना अधिक अभ्यास किया था कि अभ्यास करते-करते हाथों की उंगलियाँ टेढ़ी हो गयी थीं। किसी समय में केसरबाई की समस्त रियासतों के संगीत सम्मेलनों में धाक थी। वह जानकी बाई के साथ गाती थीं। पैंसठ वर्ष से भी अधिक आयु वाली कृष्णा देवी सात वर्ष की आयु से ही गायन द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करने लगी थीं। उन्होंने लोकप्रियता का कीर्तमान स्थापित किया। अब तक बादशाही मण्डी स्थित उनके निवास से कभी भोर में तैरती पंक्तियाँ ''कब लोगे खबर मोरी राम'' मन को स्पर्श कर जाती हैं और स्वर्णिम अतीत की याद दिलाती हैं। किराना घराने के हबीब खाँ की शिष्या मुनीर खातून बेगम ने न केवल अपने देश के कोने-कोने में बल्कि पाकिस्तान एवं अन्य देशों में अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की।

प्रयाग में संगीत सम्मेलनों की परम्परा संगीत कला की प्रतिष्ठा एवं संगीत समिति की स्थापना में मेजर रंजीत सिंह, बैजनाथ सहाय तथा डी.आर. भट्टाचार्य का विशेष योगदान रहा है। श्री प्रोजेश बनर्जी ने संगीत की दिशा में पर्याप्त कार्य किया तो श्री महेश नारायण सक्सेना ने संस्थागत पद्धति के लिए भी शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखीं। संगीत सदन से संगीत संबंधी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

उत्तर प्रदेश का प्रत्येक अंचल संगीत के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र के अपने लोकगीत हैं। ब्रज की होली, रासनृत्य, मीरजापुर-बनारस की कजरी, बिरहा, कानपुर में श्रीकृष्ण पहलवान और हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परम्परा, प्रदेश के ग्रामों में आल्हा, सावन आदि जैसी शैलियाँ, रामलीला मण्डलियाँ, पर्वतीय प्रदेश का संगीत– इन सबसे समस्त प्रदेश संगीत रस से आप्लावित होता रहता है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा अत्यन्त प्राचीन और देश में सबसे अधिक समृद्ध रही है अतः इसे सरस प्रदेश कहना उपयुक्त प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा की अपनी विशेषताएँ रही हैं और योगदान भी ऐतिहासिक रहा है। शायद इसका कारण इस प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसकी माटी के कण-कण में बसी संगीतात्मकता है। इटावा, अतरौली, सहसवान, किराना से लेकर रामपुर, आगरा, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज तक और इनके अतिरिक्त मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या के कोने से सुरीले स्वरों की झंकार, उसकी अनुगूँज सुनाई देती है। शायद इस कारण इस प्रदेश का संगीतज्ञ पारसमणि कहा जाता है, जिसे जिसने स्पर्श कर लिया वह लोहे से सोना बन गया।

लखनऊ परम्परा के जनक गुलाम रसूल के प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद मक्खन खाँ), नत्थन पीर बख्श ग्वालियर चले गये तथा लखनऊ की गायन शैली में अपने ढंग से परिवर्तन करके नयी शैली के साथ ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया, जिसने हद्दू खाँ, हस्सू खाँ जैसे संगीतज्ञों के कारण संगीत की घराना गायकी में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। नत्थन पीर बख्श के प्रपौत्र हस्सू खाँ के शिष्य पंडित वासुदेव राव जोशी तथा जोशी के शिष्य पंडित बालकृष्ण बुवा, इचलकरंजीकर की शिष्य परम्परा में पंडित विष्णु दिगम्बर जी के यशस्वी शिष्य हुए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के नत्थन पीर बख्श से ग्वालियर घराने तथा पण्डित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर की शिष्य परम्परा का सूत्रपात हुआ। गुलाम रसूल के दूसरे प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद शक्करा खाँ) बड़े मुहम्मद खाँ जयपुर चले गये।

उस्ताद बड़े मुहम्मद खाँ तथा उनके पुत्र मुबारक अली खाँ की गायकी ने उस्ताद अल्ला दित्ता खाँ को बड़ा प्रभावित किया, वह उनके शिष्य बन गये। इस परम्परा में केसर बाई केरकर, भुर्जी खाँ, मंजी खाँ, मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर जैसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ हुए। वैसे उस्ताद अल्लादित्ता खाँ स्वयं अतरौली (जिला अलीगढ़) के थे और आगे चलकर बम्बई में रहने लगे। सहारनपुर के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद, होरी गायक सूफी संत खलीफ मुहम्मद जमा की शिष्य परम्परा में बीनकार बन्दे अली खाँ, ध्रुवपद गायकों नासिरुद्दीन खाँ, जाकिरुद्दीन खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, नसीर मोइनुद्दीन, नसीर अमीनुद्दीन तथा नसीर फैयाजुद्दीन के नाम उल्लेखनीय हैं। सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल वसीम खाँ ने जिस गायकी का प्रचलन किया, वह किराना घराने के नाम से लोकप्रिय हुई। इसी घराने में बालकृष्ण बुवा, हीराबाई बड़ौदकर, बहरे बुवा, रामभाऊ

कुंदगोलकर, श्रीमती गंगूबाई हंगल, सुरेश बाबू माने, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी जैसे यशस्वी संगीतज्ञ हुए। इसी प्रकार मुरादाबाद जिले में बिजनौर में उस्ताद दिलावर हुसैन के पुत्र छज्जू खाँ, नजीर खाँ तथा खादिम हुसैन खाँ बम्बई के भिण्डी बाजार मुहल्ले में जाकर बस गये। उनके हृदयग्राही अलाप, सूत, मींड, गमक, मेरुखण्ड पद्धति पर आधारित तानों के कारण यह लोकप्रिय गायकी भिण्डी बाजार घराना नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घराने की शिष्य परम्परा में मम्मन खाँ, शमीर खाँ (शिष्य उस्ताद अमीर खाँ), मुहम्मद खाँ, कप्तान बख्श, झण्डे खाँ, जान खाँ, चाँद खाँ, अंजनीबाई मालपेकर, अमान अली खाँ, रमेश नादकर्णी, बसन्त राव देशपाण्डे जैसे श्रेष्ठ कलाकार हुए।

स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने अमान अली से कई वर्षों संगीत की शिक्षा प्राप्त की। भिण्डी बाजार घराने से संबंधित प्रकाशन में इसका उल्लेख किया गया है। इटावा के सितार नवाब इनायत खाँ गौरीपुर (बंगाल) चले गये तो सितार का गौरीपुर घराना प्रचलित हो गया जिसके प्रमुख प्रतिनिधि हुए उस्ताद इनायत खाँ, उस्ताद विलायत खाँ, जयपुर के पंडित जयलाल जी ने पंडित बिन्दादीन जी से दस वर्ष कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की तथा लौटने पर बिन्दादीन जी द्वारा सिखलाई शैली में तोड़ा, परन की प्रधानता का समावेश करके कथक के जयपुर घराने का नाम दिया। इस घराने की शिष्य परम्परा उल्लेखनीय है– सोहन लाल, मोहन लाल, दुर्गा लाल, रोशन कुमारी, कार्तिकेय। इस प्रकार यह कथन कि ''वर्तमान हिन्दुस्तानी संगीत मुख्यतः उत्तर प्रदेश की देन है'' कहना अनुचित न होगा और न अतिशयोक्तिपूर्ण।

रंगकर्म

उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों की बोली, बानी और संस्कृति की विविधता ने लोकनाट्य एवं लोक संगीत (गायन, वादन, नर्तन) को अनन्तरूपता प्रदान कर प्रदेश की संस्कृति को अनगिनत रूपों में सजा-सँवार कर हमें वैभवशाली सांस्कृतिक संपदा का स्वामी बनाया है। नागरसभा, भरथरी, धोबिया राग, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो-सिताबो (पुतुल नाट्य), ख्याल, स्वांग, भगत, सांगीत (नौटंकी), धनुष यज्ञ, रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के विविध पारम्परिक नाट्य रूपों में से बीसवीं शताब्दी के अंत तक शनैः शनैः अनेक रूपों का क्षरण हो चला और उन्हें लुप्तप्राय की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा– उपभोक्ता संस्कृति, भूमंडलीकरण और इलेक्ट्रानिक मीडिया के आतंक की मार खाते हुए 21वीं सदी की देहरी में जिन रूपों को लेकर हम दाखिल हो सके हैं उनमें मुख्यतः रामलीला, रासलीला और नौटंकी ही प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिहित किये जा सकते हैं। रामलीला का अपना कोई एक मानक रूप नहीं है। प्रदेश की प्राचीन एवं प्रतिनिधि रामनगर (वाराणसी) की रामलीला आज भी पूरे नगर के विभिन्न क्षेत्रों को अपनी लीला स्थली बना लेती है– रामलीला समिति प्रायः प्रदेश के छोटे-बड़े सभी नगरों में होती है कुछ नगरों में मंच बनाकर किसी एक केन्द्रीय स्थल पर एक ही रामलीला समिति द्वारा और किन्हीं नगरों में अनेक समितियों द्वारा अलग-अलग रामलीलाएँ होती हैं। रासलीला आज भी अपनी रूढ़िगत परम्परा एवं अनुशासन से बंधे होने के कारण अपनी गायकी और अभिनय की पारम्परिक शैली में ही निबद्ध है।

नौटंकी का स्वरूप मूलतः वीथि नाटक का है, किन्तु पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध से शनैः शनैः इसके प्रदर्शन औपचारिक प्रेक्षागृह और मंच पर भी होने लगे हैं। फिल्म और टी.वी. की बढ़ती हुई लोकप्रियता की चकाचौंध में इस विधा ने आधुनिकता का जामा फूहड़पन के साथ ओढ़ना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप इस विधा और इसके कलाकारों के अस्तित्व पर भी संकट के घने बादल घिरने लगे हैं। नौटंकी कलाकारों के वजूद को कायम रखने के लिए **नौटंकी कला केन्द्र** नामक संस्था सचेष्ट है।

उत्तर प्रदेश के आधुनिक रंगेतिहास की चर्चा करते समय प्रायः 1843 में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित **किस्सा राधा कन्हैया** तथा 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैय्यद आगा हसन अमानत लखनवी कृत **इन्दरसभा** के मंचन का जिक्र किया जाता है किन्तु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यह मत निर्विवाद लगता है कि विशुद्ध नाटक रीति से पात्र-प्रवेशादि नियम रक्षण द्वारा उनके पिता बाबू गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधरदास)

द्वारा 1857-58 में लिखित भाषा का प्रथम नाटक **नहुष** था। वाराणसी में 3 अप्रैल, 1868 को शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत **जानकी मंगल** के मंचन को आधुनिक विधि से सम्पन्न प्रथम मंच प्रयोग कहना सर्वमान्य है। हिन्दी नाट्यलेखन के साथ ही नाटकों के मंच प्रयोग की परम्परा के पहले अलमबरदार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही थे अतः उन्हें आधुनिक हिन्दी रंगमंच का जनक कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। उनकी प्रेरणा से कानपुर में पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने रंगमंच का अलख जगाया। 1870 में वाराणसी में जन्मे आगा मुहम्मद शाह ने जब होश संभाला तो उन्होंने नौटंकियाँ भी देखीं, भारतेन्दु के नाटक भी देखे और व्यावसायिक पारसी थियेट्रिकल कंपनियों के नाटक भी देखे और कालान्तर में नाट्यलेखक के रूप में वे आगा हश्र काश्मीरी के नाम से व्यावसायिक रंगमंच के क्षेत्र में यशस्वी हुए। उनकी देखरेख में **चरखारी (महोबा)** के महाराज ने **चरखारी (महोबा)** में एक थियेटर कम्पनी कायम की जो कुछ दिन चली। उनके समकालीन पंडित राधेश्याम कथावाचक तथा नारायण प्रसाद बेताब ने भी नाटककार के रूप में यश अर्जित किया तथा पारसी हिन्दी रंगमंच की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके विपरीत 1881 को प्रयागराज में जन्मे कवि-सेनानी पंडित माधव शुक्ल ने अपने नाट्यलेखन एवं विशिष्ट नाटकों के सफल निर्देशन द्वारा राष्ट्रीय भावधारा को अग्रसारित करने के साथ ही विभिन्न नगरों में हिन्दी नाट्य समितियों की स्थापना की। निस्संदेह हिन्दी रंगमंच के द्वितीय उत्थान काल में उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें हिन्दी रंगमंच का उन्नायक कहना सटीक है। 19वीं शताब्दी के सातवें दशक में पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों के अतिरिक्त बंगला के नाट्य दलों द्वारा भी वृन्दावन, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ आदि में नाट्य प्रदर्शन करने के संदर्भ मिलते हैं– छतर मंजिल, लखनऊ में कलकत्ता के **ग्रेट नेशनल थियेटर** द्वारा 1875 में बंगला नाटक **नीलदर्पण** के प्रदर्शन के दौरान एक अंग्रेज द्वारा नाट्य दल के कलाकारों से हुई मारपीट, 1876 की ड्रामा परफारमेन्स एक्ट लागू होने का एक कारण बनी। मजे की बात यह है कि लखनऊ की इस घटना के 78 वर्ष बाद 1953 में लखनऊ के रिफ़ा-ए-आम क्लब के हॉल में इप्टा, लखनऊ द्वारा खेले गए मुंशी प्रेमचंद की कहानी **ईदगाह** के बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर कृत नाट्य रूपान्तर के अमृतलाल नागर के निर्देशन में हुए मंचन के विरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इसी ड्रामा परफारमेन्स एक्ट के तहत चलाये गए मुकदमे का ऐतिहासिक फैसला 1956 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति, प्रसिद्ध शायर पंडित आनन्दनारायण मुल्ला ने किया और स्वाधीनता के बाद इस धारा को निरस्त करने की व्यवस्था दी।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के चौथे दशक में बोलपट (सिनेमा) के आने तक लखनऊ, वाराणसी, प्रयाग, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ आदि में पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों का ही बोलबाला रहा। नाटकों का मंचन शौकिया रंगमंच के रूप में कतिपय नाट्य संस्थाओं अथवा स्कूलों कॉलेजों एवं कुछ विश्वविद्यालयों के वार्षिकोत्सवों में ही होता रहा, बोलपट के आते ही थियेट्रिकल कम्पनियों का बाजार खत्म हो गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद 1943 में वामपंथी एवं प्रगतिशील कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित इप्टा (भारतीय जननाट्य संघ) की शाखाएँ आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, महावीर स्वामी, ललितमोहन अवस्थी, बाबूलाल वर्मा, गोकुलचन्द्र रस्तोगी आदि के प्रयास से कायम हुई जो प्रायः छठे दशक तक अधिक सक्रिय रहीं। प्रेमचन्द की कहानियों और उपन्यासों के नाट्य रूपान्तर इप्टा की शाखाओं द्वारा खूब खेले गए। इस काल में कुछ अपवादों को छोड़कर आमतौर से नाटककार मंचन के लिए नहीं पाठ्यक्रम के लिए ही नाटक लिखते रहे। कालेजों के शौकिया मंच की आवश्यकता प्रायः रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, जगदीश चन्द्र माथुर, लक्ष्मीनारायण लाल तथा कृष्ण चन्दर आदि के नाटक ही पूरी करते रहे। आल इण्डिया रेडियो के लिए लिखे गए विष्णु प्रभाकर और चिरंजीत के नाटक भी मंच पर खेले गए।

स्वाधीनता के बाद भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत गीत नाट्य प्रभाग कायम किये गए इन्हीं की तर्ज़ पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भी नाटक एवं रंगमंच की गतिविधियाँ आरम्भ हुईं जिनमें नाटक प्रतियोगिता तथा प्रचार-प्रसार हेतु नाट्य दल की स्थापना मुख्य है, 1963 में उ.प्र. संगीत नाट्य भारती (राज्य की संगीत नाटक

अकादमी) कायम हुई जो अप्रैल 1968 के पूर्व रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय न हो सकी। 1961 में रवीन्द्र शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के सहयोग से राज्यों में आरम्भ की गई रवीन्द्र रंगशालाओं के निर्माण की योजना के अन्तर्गत 1964 में प्रदेश की राजधानी में निर्मित रवीन्द्रालय ने राजधानी के रंगान्दोलन को गति प्रदान करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। प्रायः इन्हीं-आठवें दशकों में इलाहाबाद में मेहता प्रेक्षागृह, वाराणसी में नागरी नाट्य मंडली का प्रेक्षागृह, आगरा में सूरसदन, कानपुर में लाजपत भवन आदि सर्वसुविधा सम्पन्न प्रेक्षागृह तैयार हुए। प्रेक्षागृहों के निर्माण के फलस्वरूप रंगकर्मी उत्साहित हुए, सभी नगरों में नाट्य संस्थाएँ गठित होने लगीं, राज्य अकादमी द्वारा आयोजित नाट्य कार्यशालाओं, नाट्य प्रतियोगिताओं, समारोहों के आयोजनों, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय), उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने रंगमंच की गतिविधियों को विगत चार दशकों में बहुत बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाट्य कला के स्नातकों तथा 1975 में उत्तर प्रदेश में स्थापित भारतेन्दु नाट्य अकादमी में प्रशिक्षित नाट्यकर्मियों द्वारा नित नए नाट्य प्रयोगों से रंगचेतना के विकास में सहयोग मिला। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर सदृश महानगर ही नहीं वरन् मथुरा, उरई, रायबरेली, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, गाजीपुर, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, गाजियाबाद आदि अनेक नगरों में रंगमंच की गतिविधियाँ प्रायः होती रहती हैं– इन नाट्य केन्द्रों में एकाधिक सक्रिय नाट्य संस्थाएँ कार्यरत हैं। दर्पण, भारतीय जननाट्य संघ, मेघदूत, यायावर, थियेटर आर्ट्स वर्कशाप **नव चेतना सांस्कृतिक संगठन** (लखनऊ), रूपान्तर (गोरखपुर), भारतीय जननाट्य संघ (आगरा), स्वास्तिक (मथुरा), नागरी नाट्य मंडली, श्री नाट्यम (वाराणसी), समानान्तर इटीमेट थियेटर, प्रयाग रंगमंच **दस्ता,** (प्रयागराज), माध्यम नाट्य संस्थान (गाजीपुर), साधना नाट्य कला केन्द्र (गाजियाबाद) आदि संस्थाएँ अपने कार्यकलापों के स्तर और नैरंतर्य को बनाए रखने में सचेष्ट दिखती हैं। उत्तर प्रदेश में विगत दशकों में प्रतिभाशाली रंगकर्मियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है– प्रथम पंक्ति के जिन नाट्य निर्देशकों ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है और जो रंगमंच के विकास में सक्रिय हैं उनमें उर्मिल कुमार थपलियाल, राज बिसारिया, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ (लखनऊ), श्रीमती गिरीश रस्तोगी (गोरखपुर) के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रादेशिक स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाले नाट्य निर्देशकों एवं अभिनेता-अभिनेत्रियों के नामों की सूची बहुत बड़ी है।

पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रंगमंच की कसौटी पर खरी उतरने वाली नाट्य कृतियाँ देने वाले उत्तर प्रदेश के नाट्य लेखकों में सत्यव्रत सिन्हा, लक्ष्मीनारायण लाल, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, गोविन्दबल्लभ पन्त, शम्भुनाथ सिंह, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना तथा सर्वश्री विनोद रस्तोगी, सिद्धेश्वर अवस्थी, उर्मिल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, मुद्राराक्षस, नरेश सक्सेना, नीलाभ, अजित पुष्कल, गिरिराज किशोर, सुशील कुमार सिंह, रंजीत कपूर, परिमल दत्ता, श्याम नारायण, श्रीमती मृणाल पाण्डेय उल्लेखनीय हैं। स्वाधीनता के उपरान्त उत्तर प्रदेश के नाट्यान्दोलन को गति प्रदान करने में जिन रंगकर्मियों ने अपनी संगठन क्षमता अथवा कल्पनाशीलता अथवा समीक्षाओं अथवा अन्य प्रकार से उल्लेखनीय भूमिका अदा की उनमें अमृतलाल नागर, द्विजेन्द्रनाथ सान्याल, सत्यमूर्ति, हरिमोहन सैम्पसन, सरनबली श्रीवास्तव तथा सर्वश्री कुंवर नारायण, डॉ. भानुशंकर मेहता, कृष्णनारायण कक्कड़, के.बी. चन्द्रा, स्वदेश बन्धु, डॉ. शरद नागर, दयाप्रकाश सिन्हा, डॉ. शिवमूरत सिंह, डॉ. अनिल रस्तोगी, डी. बैकुण्ठनाथ शर्मा, सतीश चित्रवंशी के नाम उल्लेखनीय हैं।

उत्तर प्रदेश में नुक्कड़ नाटकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है जिसने यहाँ के मात्र मनोरंजक व फूहड़ नाटकों पर हमला करते हुए जाति-विद्वेष, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, व्यक्तिवाद, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कुरीतियों के विरुद्ध जनता को तैयार किया, संदेश दिया ताकि आदमी-आदमी के बीच प्रेम का व्यवहार पैदा हो तथा विसंगतियों, विडम्बनाओं व शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा हो। प्रतिबद्धता ही नुक्कड़ नाटकों की असली पहचान है। प्रयागराज, **वाराणसी गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, जौनपुर, कानपुर सहित**

उ.प्र. के विभिन्न छोटे व ग्रामीण इलाकों में बनी विभिन्न नाट्य व सांस्कृतिक संस्थाओं ने वर्षों तक नुक्कड़ नाटक किये स्थिति यहाँ तक आई कि नवचेतना सांस्कृतिक संगठन की नाट्य टीम द्वारा निशातगंज सब्जी मंडी (लखनऊ) के पास नुक्कड़ नाटक करते समय निशातगंज (लखनऊ) पुलिस ने रंगकर्मियों के सीने पर बंदूक रख दी और गाजियाबाद क्षेत्र में 'सहमत' के सफदर हाशमी को गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। नुक्कड़ नाटकों का राष्ट्रीय नाटक समारोह वर्षों तक नैनीताल (जब वह उ.प्र. में था) में होता रहा जिसकी सर्वत्र चर्चा होती थी। कुछ समय के विराम के बाद नुक्कड़ नाटकों का दौर फिर इन्हीं जगहों पर शुरू होता दिखायी दे रहा है जिसे हम उ.प्र. के नाटय आंदोलन में एक नया चरण मान सकते हैं। दूसरी तरफ भारतेन्द्र नाटय अकादमी (बी.एन.ए.) के छात्रों व अकादमी की ओर से भी नाट्य गतिविधियाँ (मंचन, निर्देशन संगोष्ठी आदि) बढ़ी हैं बहुत सारे सरकारी प्रचारात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, जो विधा को बढ़ाने की दृष्टि से एक शुभ संकेत है।

लगभग 25 वर्षों से प्रदेश में बाल रंगमंच को एक अलग पहचान देने की दिशा में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहल की गई, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने भी विगत दो दशकों से इस ओर ध्यान दिया जिसके फलस्वरूप बाल रंगमंच के विकास के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा कुछ नगरों में ग्रीष्मावकाश में नाट्य शिविरों आदि के आयोजन होते रहते हैं। इन संस्थाओं में भारतीय जन नाट्य संघ (आगरा), साधना नाट्यकला केन्द्र (गाजियाबाद), यायावर (लखनऊ), साक्षात्कार का बाल रंगमंच प्रभाग, ए.बी.सी.डी., तथा नेहरू बाल भवन प्रयागराज, अभिनय ज्योति (वाराणसी) उल्लेखनीय हैं। इन संस्थाओं तथा बाल रंगमंच के प्रति जागरूक प्रदेश के वयोवृद्ध नाट्यकर्मी ललितमोहन थपलियाल (गाजियाबाद) तथा बाल रंगमंच विशेषज्ञ श्रीमती रेखा जैन एवं अनुभवी पोखरिया, चित्रा मोहन (लखनऊ) आदि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर प्रदेश में रंग प्रयोगों की विशद समीक्षाएँ छठे-सातवें दशक तक अंग्रेजी के अखबारों लीडर, द पायोनियर और नेशनल हेराल्ड में ही प्रकाशित होती थीं। 1964-65 से दैनिक नवजीवन में कुशीलव की विशद समीक्षाएँ प्रकाशित होने लगीं। शनैः शनैः प्रदेश के हिन्दी-अंग्रेजी के प्रायः सभी दैनिक समाचार पत्रों में रंग गतिविधियों की सचित्र चर्चा प्रमुखता से होने लगीं। उत्तर प्रदेश से रंगमंच विषयक पहली डिमाई आकार की पत्रिका 1953-54 में इप्टा (भारतीय जननाट्य संघ) आगरा ने **रंगमंच** शीर्षक से प्रकाशित की जो बाद में **अभिनय** के नाम से प्रकाशित हुई। 1972 में नक्षत्र, लखनऊ ने पहले चक्र मुद्रित पत्र **रंगमंच समाचार** शुरू किया जिसके कुछ अंक टैबलायड आकार में छपे। अगस्त 1973 से इसका प्रकाशन डॉ. झ.ला. सुल्तानिया 'अज्ञात' के सम्पादन में मासिक पत्रिका **रंगभारती** के रूप में हुआ। दर्पण संस्था ने काफी समय तक **दर्पण दृश्य** अंतर्देशीय नाट्य पत्र प्रकाशित किया। 1976 में बन्धु कुशावर्ती ने **बाल रंगमंच** का प्रकाशन आरम्भ किया। नौटंकी कला केन्द्र ने डॉ. कृष्णमोहन सक्सेना के सम्पादन में नौटंकी एवं लोक प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित पत्रिका **नौटंकी कला** का प्रकाशन किया। इन सभी पत्रिकाओं का जीवन कुछ महीनों से लेकर चंद सालों का ही रहा। जुलाई 1977 से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं को समर्पित त्रैमासिक **छायानट** आरम्भ किया जिसका प्रकाशन अब तक नियमित रूप से हो रहा है– भारतेन्दु नाट्य अकादमी ने अपने रजत जयंती वर्ष (2000 ई.) से **भरतरंग** अर्द्धवार्षिक का प्रकाशन आरम्भ किया है– सुदूर गाजीपुर से **माध्यम नाट्य संस्थान** की ओर से डॉ. शिवमूरत सिंह के सम्पादन में वार्षिक नाट्य पत्रिका **रंगप्रभा** का प्रकाशन कुछ वर्षों से हो रहा है। 2000 ई. में **वर्तमान साहित्य (गाजियाबाद)** द्वारा संग्रहणीय शताब्दी नाटक विशेषांक प्रकाशित किया गया। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ.प्र. की मासिक पत्रिका **उत्तर प्रदेश** भी प्रदेश की रंग गतिविधियों को प्रायः प्रमुखता से रेखांकित कर रही है, एक अल्पविराम के बाद 2001 ई. में इसका 29वें वर्ष में प्रवेश अभिनन्दनीय है। इसी वर्ष (2001 ई.) से प्रमुख संस्कृति कर्मी शाखा वंद्योपाध्याय के सम्पादन में प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित सुंदर साज-सज्जा एवं सारगर्भित सामग्रीयुक्त

त्रैमासिक **कला वसुधा** की सांस्कृतिक मंच पर आमद स्वागत योग्य है। इसमें रंगकर्म पर भी सामग्री रहती है।

कला

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में कला-परम्परा का लम्बा और प्राचीन इतिहास है। होशंगाबाद, जोगीमारा, मिर्जापुर की सोनकढ़ा, रियासत रायगढ़, मानिकपुर आदि विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ जो कई राज्यों के बीच से गुजरती हुई गई हैं, उनकी गुफाओं में शैल चित्रकला का प्राचीन और वैभवशाली विकास देखने को मिलता है। इसी तरह ग्रामीण लोक कलाओं में भी संस्कृति व रीति-रिवाजों के अनुसार चित्रकला का भारतीय स्वरूप देखने को मिलता है जिसमें ईश्वर से लेकर समाज में फैले विभिन्न रूपों व प्रतीकों की छवि मिलती है। विभिन्न स्थानों पर प्रस्तर प्रतिमाएँ व टेराकोटा के रूप भी दिखाई देते हैं। वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, कुमायूँ, गढ़वाल (अब उत्तराखंड राज्य में), अवध क्षेत्र– पूर्वांचल, **बुन्देल खण्ड** और पश्चिमांचल, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कला जगत का विशिष्ट भारतीय गुणों व चरित्रों, परम्पराओं व रूढ़ियों, अंधविश्वासों व प्रतीकों से भरा कला का एक विशिष्ट, निजी व पुरातन इतिहास बिखरा पड़ा है। कहते हैं जीने के लिए विभिन्न उपाय करने की जब जरूरत मनुष्य को पड़ी तब आदिकाल से उसकी कल्पना शक्ति व जीवन की जरूरतों ने विभिन्न प्रकार के आविष्कार व निर्माण की ओर प्रेरित किया। मनुष्य की इसी कल्पना शक्ति ने उसे बाद में विभिन्न रीति-रिवाजों को प्रस्तुत करने व उनका आनन्द लेने के लिए मूर्तियों, चित्रों, गीतों व संगीत की रचना की प्रेरणा दी। प्रारम्भ में उनमें अनगढ़ता चाहे जितनी रही हो पर जीवन के स्पंदन से वह खदबदाता रहता था। जीवन में ऐसी रुचि लेने और उसे निरंतर आनंदमय बनाने की स्वाभाविक प्रेरणा ने मनुष्य से चित्रकला व मूर्तिकला का विकास करवाया। विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति के विकास के साथ-साथ इन कलाओं का रूप भी बदलता गया। आज जिसे हम आधुनिक कला या चित्रकला के नाम से जानते हैं उस कला की जड़ें यहाँ प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में मौजूद रही हैं। कला हर समय में आधुनिक रही है। जो भी नया रचा जाता है वह आधुनिक होता है। राजपूत, मुगल व पहाड़ी शैलियों में उसका बीसवीं सदी से विकास हुआ जिसे हम आधुनिक चित्रकला के नाम से जानते हैं।

ब्रिटिश शासकों ने यहाँ की मेधा के दोहन के लिए एकेडेमिक व इण्टेलेक्चुअल अभियान शुरू किये। इसी अभियान के तहत उन्होंने 1907 में औद्योगिक कांफ्रेन्स की जिनमें विविध बौद्धिक जगत में प्रवेश के लिए संस्थाओं की स्थापना पर विचार किया गया। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ की 1911 में स्थापना के उद्देश्य **के पीछे अंग्रेजों की यही मंशा थी बाद में स्वाधीनता के बाद यह संस्थान** लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय हो **गया** है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कला के क्षेत्र में आधुनिकता का प्रवेश होता है। इस महाविद्यालय की स्थापना के बाद भारतीय चित्रकला का आधुनिक दुनिया में लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश का भी, प्रवेश होता है। लेकिन यहाँ हम जिस हिस्से पर संकेत करेंगे वह है प्राचीन और आधुनिक कला परिदृश्य का वह हिस्सा जो स्वाधीनता के बाद शुरू होता है।

मानव सभ्यता के विकास में संस्कृति एक ऐसा आयाम है जिसे काल के अनुसार बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। यानी पिछले अध्याय, पिछली प्रवृत्तियाँ, पिछली अभिरुचियों का प्रभाव अगले अध्याय पर पड़ता-ही-पड़ता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसीलिए जब हम स्वाधीनता के बाद के उत्तर प्रदेश की कला के पचास वर्षों पर नजर डालते हैं तो उसे पिछली कला-परम्पराओं और प्रभावों से बिल्कुल मुक्त या अकेला नहीं पाते। वास्तव में यह कला की जीवंतता व विकास का प्रमाण भी है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की कला पिछले पचास वर्षों में अपना विशिष्ट विकास करते हुए भी अपने अतीत की छाया या प्रभाव से बिल्कुल मुक्त नहीं है। पिछली छायाओं, प्रभावों से सर्वथा मुक्त हुआ भी नहीं जा सकता। इनमें से बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शासनकाल से उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स एण्ड क्रॉफ्ट, लखनऊ से काम शुरू किया और स्वाधीनता के बाद इनके काम में नया परिवर्तन आया। उनकी जो कला-धारा

थी वह अपने अनुसार ही विकसित होती रही। जैसे वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेढ़, बी.एन. जिज्जा, सुधीर रंजन खास्तगीर इत्यादि। इन सभी चित्रकारों ने उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी प्रदेश की सीमा लांघकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कला जगत में अपना स्थान बनाया। इस संदर्भ में चित्रकार एन. खन्ना का एक उद्धरण दृष्टव्य है– ''प्रदेश की कला में आधुनिक आयामों की ऊर्जा के लिए लखनऊ कला महाविद्यालय की एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है। 1911 से 1925 तक नेथोलियन हर्ड ने प्रधानाचार्य के पद पर रहकर भी अंग्रेजी सत्ता से देशज कला को आहत नहीं होने दिया। 1925 में प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के रूप में आचार्य असित कुमार हाल्दार का आगमन हुआ। उस समय उनकी हैसियत आधुनिक भारतीय कला में पहली पंक्ति के मजबूत स्तम्भ सी थी। उन्होंने नए प्रयोगों के लिए वाश व टेम्परा माध्यम से सरलता व सादगी के अस्तित्व का मंत्र दिया। बंगाल की राष्ट्रीय चेतना से चले हाल्दार से पहले 1918 में लघु दृश्य चित्रों के प्रख्यात वीरेश्वर सेन (1897-1974) विद्यालय में पहले ही आ चुके थे। सौभाग्य से 1945 में वहीं की शाखा के ललित मोहन सेन (1900-1954) को प्राचार्य का पद संभालने को मिला। दस वर्षों तक पदीय सेवा के दौरान, उन्होंने पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौन्दर्य तथा आकृतियों, विशेषकर मुखाकृतियों में सजीव बोधगम्यता के लिए प्रयोगों की दिशाओं में विस्तार किया। उन्होंने ग्राफिक के तकनीकी पक्ष एवं रचना प्रक्रिया में बौद्धिक चिंतन का सूत्र दिया। फिर दो वर्षों तक ललित कला विभाग के अध्यक्ष प्रो. हरिहर लाल मेढ़ (1909-1974) जो स्वयं प्राकृतिक सौन्दर्य एवं छविचित्रों के अध्यापन के लिए प्रख्यात थे, ने उस समय पुनः 1963-64 में कार्यकारी प्राचार्य के रूप में कार्य किया। 1956 में दून स्कूल से आमंत्रित सुधीर रंजन खास्तगीर (1907-1974) के आगमन से विद्यालय को स्वर्णकाल का सूर्य मिला।

इससे स्पष्ट है कि स्वाधीनता के समय तक उत्तर प्रदेश में कला का एक मुकम्मिल वातावरण बन चुका था और पूरे देश में अपनी विशिष्टता के कारण यहाँ का कला स्कूल अपनी पहचान बना चुका था। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व से ही उत्तर प्रदेश में आधुनिक कला प्रवृत्तियों ने प्रवेश करना शुरू किया था। वास्तव में यह नया कला आन्दोलन था। कला उपकरणों का विकास तो हो ही रहा था लेकिन कला के काम में आधुनिक जीवन की समस्याएँ व विसंगतियाँ प्रवेश करने लगी थीं। दो विश्व युद्धों को झेल लेने के बाद कला परिदृश्यों में चिंतन का विकास एकदम से यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं तथा त्रासदी के आधार पर शुरू हो गया था। कला का काम केवल रम्य रचना नहीं है, वह केवल विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है बल्कि वह कुछ सामाजिक दायित्व भी निभाती है। इस तरह कला की दुनिया में एक नए धरातल ने अपनी जगह बनाई जिसमें मनुष्य और उसका यथार्थ, उसका शोषण व संघर्ष, उसकी बदहाली व मानसिक दशा सब कुछ आ गया। एक तरफ प्रकृति का सुरम्य सौन्दर्य था तो दूसरी ओर भूख-पीड़ा, उपेक्षा, आक्रमण की दशाओं की अभिव्यक्ति भी कला के काम में आना शुरू हो गई थी। यानी कला के काम की विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ, उसके सरोकार और सामाजिक उत्तरदायित्व बदले।

इन **सारी** स्थितियों का प्रभाव उत्तर प्रदेश के कला-विकास को भी एक रूप देता है। उत्तर प्रदेश में कला की चाहे विभिन्न परम्पराएँ विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही मौजूद रही हों लेकिन स्वाधीनता के बाद एक नया आयाम इस प्रकार आया कि लखनऊ कला महाविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से निकले हुए तमाम कलाकार प्रदेश के विभिन्न भागों में छा गए। विभिन्न निजी और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कला शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वे नौकरी भी करते रहे और अपना मूल काम चित्रकला, मूर्तिकला आदि भी करते थे और नई विषय-वस्तु, कला-तकनीक आदि के साथ सामने आ रहे थे। उन्हें बढ़ने में या स्वयं को और विकसित करने में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने भी अपने राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, शिविरों, छात्रवृत्तियों आदि के द्वारा विभिन्न अवसर दिए।

दरअसल स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश में कला का विकास विभिन्न माध्यमों से हुआ। मुख्य माध्यम तो लखनऊ का कला और शिल्प महाविद्यालय ही था। कला के क्षेत्र में इसकी एक महत्वपूर्ण परम्परा रही है। इसी तरह विभिन्न विश्वविद्यालयों में कला के विभाग खुले। चित्रकला, मूर्तिकला और व्यावसायिक कला की पढ़ाइयाँ

शुरू हुईं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कला का एक पूरा विभाग ही खुला। इसी प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, पंतनगर आदि में कला-शिक्षण का काम शुरू हुआ। औद्योगिक नगर होने के बावजूद कानपुर और अलीगढ़ में भी कला के विभाग खुले और विभिन्न स्तरों पर कला-शिक्षण आरम्भ हुआ। स्कूलों, इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर कला शिक्षण का जो विकास स्वाधीनता के बाद हुआ उसने उत्तर प्रदेश में कला-विकास किया। इनके अतिरिक्त विभिन्न नगरों में विभिन्न कलाकारों के सामूहिक और निजी प्रयास से कई संस्थाएँ स्थापित हुईं जिनमें वरिष्ठ चित्रकारों/कलाकारों से लेकर युवतर कलाकारों की भी किसी-न-किसी रूप में हिस्सेदारी रही। इन संस्थाओं ने कला को एक नया परिदृश्य देने, युवा कलाकारों में काम करने की ऊर्जा भरने में बड़ी मदद की।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय ललित कला अकादमी की तरह यहाँ भी कल्चरल अफेयर्स एण्ड साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट उ.प्र. की देखरेख में 8 फरवरी 1962 को एक स्वायत्त कला संस्था यू.पी. स्टेट ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई जिसका मूल उद्देश्य प्रदेश में कला एवं कलाकारों की प्रोन्नति करना था। अकादमी आज भी अपने कार्य में समर्पित है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉ. सम्पूर्णानन्द थे।

यही नहीं केन्द्रीय ललित कला केन्द्र ने भी 1984 में अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया जिसका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कला के एक नए वातावरण का सृजन, कलाकारों को काम करने की जगह उपलब्ध कराना, उनकी कलाओं की सामूहिक तथा एकल प्रदर्शनी आयोजित करना, देश के विभिन्न भागों की कला विशिष्टताओं, नए कलाकारों से यहाँ के कलाकारों का परिचय कराना, विभिन्न राज्यों के युवा कलाकारों को अत्यन्त सामान्य नियमों के आधार पर केन्द्र में दाखिला देकर काम करने की जगह व अवसर प्रदान करना आदि था।

जाहिर था उत्तर प्रदेश में कलाकारों की संख्या जिस तरह बढ़ रही थी और कलाकार अपना काम आम दर्शकों के बीच भी ले जाना चाहते थे तथा अन्य राज्यों के युवा तथा वरिष्ठ चित्रकारों, कलाकारों के काम से परिचित होना चाहते थे उनके लिए उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी तक राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। उनकी अपनी सरकारी सीमाएँ, नियम-कानून थे और पूरी तरह कला का वातावरण तैयार करना तथा निरन्तर कला गतिविधियों की खोज करते हुए, नए कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहना संभव नहीं था।

इन स्थितियों **में** युवा चित्रकारों/कलाकारों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि यहाँ भी कुछ लोग निजी प्रयासों से कला दीर्घाओं को चालू करें। इसकी एक बड़ी परम्परा भारत के महानगर मुम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि में पहले ही स्थापित हो चुकी थी। अतः उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों जैसे– लखनऊ में 'सृष्टि आर्ट गैलरी' का उद्घाटन अगस्त 1994 में हुआ और बाद में– 'गैलरी डी आर्ट' नाम से एक कला दीर्घा 11 मई 1997 को उद्घाटित हुई। इनमें से 'सृष्टि' बन्द हो गई है। वाराणसी में भी इस ढंग के कुछ कला केन्द्र निजी, सामूहिक व छात्रों के प्रयासों से सक्रिय हैं; जैसे ए.बी.सी. आर्ट गैलरी, कला केन्द्र, आर्य भाषा संस्थान, वर्किंग आर्टिस्ट्स-आफ वाराणसी आदि। कानपुर की संस्थाएँ– चिकित्षी, शिल्पी कला केन्द्र आदि। गोरखपुर की संस्था– 'सृजन' आदि। इसी तरह आगरा की संस्था– 'संकल्प आर्ट सोसाइटी' और अलीगढ़ की संस्था– 'उत्कर्ष फनकार सोसाइटी', प्रयागराज की जैसी विभिन्न संस्थाएँ इस प्रदेश में हैं जो अपने स्तर से विभिन्न कला गतिविधियाँ करती हैं।

स्वाधीनता के बाद के उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य को देखने के लिए मुख्य रूप से तीन-चार बिन्दुओं पर गौर करना जरूरी है। पहली बात है कि स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश (विशेष तौर पर लखनऊ) में कला के जितने सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थान स्थापित हुए उन्होंने क्या गतिविधियाँ कीं ? यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए ? यहाँ कला प्रशिक्षण करते हुए कलाकारों ने किस ढंग से काम किया तथा आत्मशिक्षित कलाकारों की क्या भूमिका रही ? फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में कलाकारों की क्या भूमिका रही ? फिर कला

संबंधी कोई पत्र-पत्रिका प्रकाशित हुई कि नहीं तथा यहाँ दैनिक पत्र-पत्रिकाओं में कला-समीक्षाओं की क्या स्थिति रही ? किस दिशा व कितनी वस्तुपरकता के साथ वे सामने आईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले पचास वर्षों में उत्तर प्रदेश में कला गतिविधियों के विकास के अनेकानेक चरण रहे हैं।

राज्य ललित कला अकादमी ने यहाँ से 'कला त्रैमासिक' नाम से पत्रिका कुछ वर्षों तक निकाली। लगभग छह साल के बाद यह स्थगित हो गई और अब फिर निकलना शुरू हुई है। इसके शुरुआती दौर के संपादक मंडल में पी.सी. लिटिल, कृष्णनारायण कक्कड़ आदि थे। इस पत्रिका से प्रदेश की विभिन्न कला गतिविधियों की एक झलक मिलती थी और कई बार कला संबंधी कुछ सूचनात्मक व महत्वपूर्ण लेख भी सामने आते थे, जिनसे उत्तर प्रदेश का कला परिदृश्य समझने में कुछ सहायता मिलती थी। इधर 'कला दीर्घा' नामक कला पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हुआ है। वैसे साहित्यिक पत्रिका भी कला को स्थान देती हैं। पत्रिका के बाद उन गतिविधियों का महत्व होता है जो विभिन्न कला संस्थाएँ करती रहती हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि प्रदेश में कला और कलाकार की दिशा क्या है तथा वे किस ढंग से काम करते हैं।

स्वाधीनता के प्रारंभिक काल में शांति निकेतन, कलकत्ता, मद्रास, मुम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि देश के प्रमुख कला केन्द्रों में ज्यादातर कलाकारों ने यथार्थवादी व प्रभाववादी शैली में आकृतिमूलक या दृश्य चित्रों को लेकर ही विभिन्न प्रयोग किए। भारतीय चित्रकला पर ईरानी, जापानी, चीनी, तिब्बती और बाद में यूरोपीय कलाओं का प्रभाव रहा है। इससे प्रभावित होकर यहाँ के वरिष्ठ व शताब्दी के शुरुआती दौर के चित्रकारों ने काफी काम किए लेकिन बाद में अपनी निजी शैली व विषयवस्तु का प्रयोग भी शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भी कला का परिदृश्य चूँकि वही था इसीलिए इन सारे प्रभावों व प्रयोगों के बावजूद यहाँ के चित्रकारों, कलाकारों ने अपने ढंग से काम किया। इन पर आधुनिक कला परिदृश्य और निजी प्रयास स्पष्ट है। वरिष्ठ चित्रकार मदनलाल नागर ने ठीक टिप्पणी की है कि– ''उत्तर प्रदेश में भी सन् 1949-50 ई. के लगभग कुछ नयी पीढ़ी के कलाकार लीक से हटकर नये प्रयोगों की ओर अग्रसर हुए।'' ऐसे कलाकारों में हम सुरेश्वर सेन, विश्वनाथ खन्ना, रमेश चन्द्र साथी, आर.एस. बिष्ट, मदनलाल नागर, विजय चक्रवर्ती, कांजीलाल, नित्यानंद महापात्र, अजमत शाह, एस.पी. चड्ढा, बी.एन. आर्य, फ्रैंक वैसली, योगेन्द्रनाथ योगी– जैसे तत्कालीन पुराने नए कलाकारों का नाम ले सकते हैं। इनमें मूर्तिकार जयनारायण सिंह का अपना एक विशेष महत्व है। अवतार सिंह पँवार शांति निकेतन से आए थे। राम किंकर बैज का उन पर प्रभाव था। उन्होंने मूर्तिकला में नयी शैली ईजाद की। 1945 में उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था साथ ही न्यूड फोटोग्राफी में कलात्मक प्रयोग किए। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास की तस्वीर वास्तव में लखनऊ कला महाविद्यालय तथा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कला संस्थाओं, ग्रुपों व निजी कला दीर्घाओं में विभिन्न कलाकारों के काम की होने वाली प्रदर्शनी से पता चलता है।

शुरू में लखनऊ कला महाविद्यालय में होने वाली वार्षिक कला-प्रदर्शनी का विशेष महत्व रहा है। इन्हीं कलाकारों में से ज्यादातर कलाकार बाहर निकले हैं या अपने काम को विशिष्ट बनाते हुए राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हुए हैं। ऐसी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश कलाकार संघ का एक विशेष महत्व है जो 1936 में स्थापित होकर अपनी कुछ गतिविधियाँ चलाकर फिर निष्क्रिय पड़ गया पर 1948 में यह पुनः सक्रिय हो गया और सभी कलाकारों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाई। इसके अन्तर्गत लखनऊ सहित आगरा, वाराणसी, कानपुर, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल आदि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कलाकारों के काम की प्रदर्शनियाँ आयोजित होती रहीं जिनसे स्पष्ट हुआ कि यहाँ के कलाकार किस ढंग से काम में जुटे हुए हैं। बल्कि ऐसे ही कलाकारों में एक रणदा उकील भी अपने विशिष्ट काम और बाद में दिल्ली में चित्रकला स्कूल की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हुए। यह एक ऐसा विशिष्ट स्कूल सिद्ध हुआ जिसमें कई महत्वपूर्ण चित्रकारों ने अभ्यास किया, दीक्षा ली। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण चित्रकार कवि शमशेर बहादुर सिंह ने भी यहाँ चित्रकला की शिक्षा ली और यथार्थवादी चित्रकला परम्परा में काफी महत्वपूर्ण काम किया। वह हिन्दी के अत्यन्त महत्वपूर्ण कवि हैं अतः जब उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया (अनियमित रूप से) तो उनके काम में गहरी संवेदना, मानव-जीवन के विभिन्न

यथार्थवादी और सेन्सुअस चित्र मिलते हैं। टूटी खाट, एक छोटा सा कमरा, एक छत, एक रेल क्रासिंग से लेकर पुष्ट स्तनों का सौन्दर्य उनके चित्रों में देखते बनता है। उनका महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने स्वाधीनता के इन पचास वर्षों में एक-एक कर मानों अपने कवि कर्म के लिए विशेष ऊर्जा लेने के लिए चित्रकला के काम किये। एक अद्‌भुत लयात्मकता से उनका काम भरा है जहाँ मानव जीवन के विभिन्न रूप अपनी पूरी ऊष्मा के साथ मौजूद हैं। कवि-चित्रकार की चर्चा चल रही है तो दो-तीन अन्य महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा के बिना उत्तर प्रदेश का कला इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता। ये हैं– महादेवी वर्मा, बिपिन कुमार अग्रवाल, जगदीश गुप्त, श्रीपत राय, घनश्याम रंजन आदि।

जब **हम कला संस्थाओं की बात करते हैं** तो कानपुर के इन्टरनेशनल सेंटर, लखनऊ की 'सोशल वेल्फेयर सोसाइटी', विजुअल आर्ट सोसाइटी, ग्रुप आफ नाइन आर्टिस्ट्स आदि को भुलाया नहीं जा सकता। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य व सचिव थे गजनफर हुसैन सिद्दीकी और संयुक्त सचिव जे.एन. सिंह। समाज कल्याण के साथ इस संस्था ने कला के क्षेत्र में भी अपने ढंग से बिल्कुल अलग काम किया। विभिन्न शहरों में अनेक कला-प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं जिनमें जे.एन. सिंह की कृतियों की प्रदर्शनी पोलिश कला प्रदर्शनी, ब्रिटिश मास्टर पीसेज थ्रू द एजेज, रूमानियन शिल्प के अन्तर्गत विशिष्ट प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं और सुधीर खास्तगीर की एकल प्रदर्शनी भी आयोजित की। इन आयोजनों से उत्तर प्रदेश में कला को लेकर एक विशिष्ट प्रकार की चेतना व उत्सुकता का विकास हुआ। दुनिया की विभिन्न कला शैलियों से यहाँ के कलाकार परिचित हुए, वाश शैली की विशिष्टता व कोमलता को आत्मसात किया और अपने काम के लिए नई ऊर्जा, तकनीक व विषय वस्तु प्राप्त किए। ग्रुप-5, लखनऊ ने 1969 में प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं फिर 1970 में ग्रुप-9 की स्थापना करके गतिविधियाँ कीं। इन दोनों ग्रुपों के संस्थापक सदस्य जे.एन. सिंह, घनश्याम रंजन, सतीश द्विवेदी, के.के. श्रेष्ठ आदि मुख्य थे। लखनऊ ग्रुप की स्थापना 1981 में हुई थी। वाराणसी में वर्किंग आर्टिस्ट आफ वाराणसी का गठन 90 के दशक में किया था। फिर लखनऊ में यू.पी. वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर, 2000 में हुई थी।

आज उत्तर प्रदेश में जितने चित्रकार/मूर्तिकार काम कर रहे हैं उन सबका नामोल्लेख करना तो संभव नहीं है लेकिन स्वाधीनता के इन पचास वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों का नाम लिए बिना यहाँ का कला-परिदृश्य व सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए ऐसे कुछ नाम इस प्रकार हैं– क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, सी. बरतरिया, सुखवीर सिंहल, श्रीराम वैश्य, सुधीर खास्तगीर, रामचन्द्र शुक्ल, मदनलाल नागर, आर.एस. बिष्ट, बी.एन. आर्य, सतीश चन्द्र, जयकृष्ण, मोहम्मद सलीम, अजमत शाह, डी.पी. धूलिया, श्रीमुनि सिंह, नारायण कुमार मिश्र, रणवीर सक्सेना, सुमानव, रथिन मित्रा, दिलीप दास गुप्ता, आर.सी. साथी, आर.एस. धीर, असद अली, पम्पीलाल, पी.सी. लिटिल, श्रीपत राय, नरेन्द्रनाथ राय, एस. दास गुप्त, नन्द किशोर खन्ना, गोपाल कृष्ण, गज्जर, सतीश द्विवेदी, शंखो चौधरी, तूफान रफाई, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी, एस.एन. सक्सेना, मो. हनीफ, नित्यानंद महापात्र, अवतार सिंह पवार, विमला विष्ट, कृष्ण शंकर, प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, बलवीर सिंह कट्ट, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन, बालादत्त पाण्डेय, एन. खन्ना। **ये** स्वाधीनता बाद के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने विविध शैली में अपने काम किए और उ.प्र. की एक खास पहचान बनाई। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की। आज भी इनमें से ज्यादातर कलाकार अपने काम में लगे हुए हैं।

इनके बाद चित्रकारों की अगली पीढ़ी आई जिसने अपने काम को नए आयाम दिये। पहले की तुलना में इस पीढ़ी **में** मूर्तिकार भी ज्यादा थे और **चित्रकार भी।** इनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने समय-परिवर्तन और बाजार की स्थिति को देखते हुए मूर्तियाँ बनाईं। इनमें ओम झिंगरन (1994 में निधन, 37 साल की उम्र में), पवन कुमार 'निर्धन', उमेश सक्सेना, नानक वर्मा, मो. श**कील**, शरद पाण्डेय, राजेन्द्र प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद गोण्ड, बी.एन. शुक्ला, डी.पी. मोहन्ती, अजीत वर्मा, अवधेश मिश्र, राजीव मिश्र, आर.एस. शाक्या, आशुतोष निगम, सनत कुमार चैटर्जी, राम कंवर, राजेन्द्र 'करन', नवाज, कृष्ण कुमार सिंह, विमल बालचन्द्र, राजीव मंडल, विमल रमैया, वंदना राजदान, विश्वनाथ, सैयद, आजाद सोनकर, अनीता नारायण, रीना पंवार,

चन्द्रकांत कुमार पालीवाल, खालिद अहमद, दशरथ, अरुण कुमार गुप्ता, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, धर्मेन्द्र कुमार, अशोक भौमिक, रमेश राय, मकबू अंसारी, बृजेश कटियार, जफर, रोशन, योगेन्द्र देव सिंह, विनोद कुमार सिंह, रातुलचन्द्र गोगोई, मुकुल पंवार, अरविन्द कुमार सिंह, अमित कुमार जायसवाल, अभय, अरुण सिंह, अशोक कुमार उपाध्याय, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अमित कुमार शर्मा, अजीत कुमार सिंह, असित कुमार पटनायक, ईश्वर चन्द्र गुप्ता, उमेन्द्र प्रताप सिंह, कमलेश कुमार, चंदन कुमार, टंकेश कुमार, दलसिंगार प्रजापति, दिनेश कुमार, नवीन श्रीवास्तव, नरेन्द्रजीत सिंह, पंकज शर्मा, पंकज सरोज, प्रह्लाद सिंह, बी.आर. नरेन्द्र, भारतभूषण, राजेन्द्र प्रसाद यादव, शिवनाथ राम, शत्रुघ्न प्रसाद, शशि प्रकाश, सुनतराम चौधरी, संजय कुमार साहनी, संतोष कुमार खन्ना, हृदय गुप्ता, ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्र, सुशील कन्नौजिया, आलोक कुमार, पुरुषोत्तम सिंह, प्रदीप शर्मा, शिवेन्द्र सिंह, तिलोक कुमार शर्मा, संजय कुमार, नवरतन लाल गुप्ता, रामहृदय, पंकज, पी. मदन गुप्ता, धर्मराज सिंह, दिलीप कुमार, ब्रह्म स्वरूप, शिव बालक, राम बाबू आदि अनेकानेक चित्रकारों/मूर्तिकारों के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से अधिसंख्य कलाकार ऐसे हैं जो फ्रीलांस भी हैं और पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार उपरोक्त कलाकार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचलित कला प्रवृत्ति की एक तस्वीर पेश करते हैं, उसी प्रकार महिला कलाकारों की भी एक लम्बी परम्परा यहाँ विकसित हुई। उत्तर प्रदेश में काफी पहले से ही कला की तरफ एक विशेष रुचि महिलाओं में दिखाई पड़ी। बल्कि कहना तो यह चाहिए कि विशिष्ट और यथार्थ की गहरी पकड़, उपेक्षित समाज व महिला वर्ग की गहरी संवेदना की चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की ही थीं। उनके पति वहाँ डॉक्टर थे। अप्रत्यक्ष रूप से अमृत शेरगिल का प्रभाव आधुनिक भारत के बहुत सारे चित्रकारों पर पड़ा है। प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, विमला बिष्ट, अपर्णा सचान, चित्रलेखा सिंह, पुष्पा गुप्ता, किरन राठौर, करुणा सिब्बू, अलकनंदा मुखर्जी, अर्चना वर्मा, अनुसूया सिंह, अनीता नारायण, आराधना, इंदिरा पुनिया, कृष्णा बैराठी, कुसुम दास, कीर्ति वर्मा, प्रेरणा सिंह, प्रेमा मिश्रा, पुष्पा खन्ना, पूर्णिमा तिवारी, प्रेम कुमारी श्रीवास्तव, पुष्पा सिंह, मृदुला सिन्हा, मंजू प्रसाद, मंजुला चतुर्वेदी, मनीषा दोहरे, मंजू शुक्ला, मालविका कपूर, दीपा पाठक, नीता कुमार, नीलम यादव, निशी कुमारी, रंजना शर्मा, रेशमा जाफरी, रेखा कक्कड़, रेखा निगम, रोली सिंह, रूपम त्रिपाठी, वर्षा जौहरी, वसुधा योगी, वंदना, वंदना राजदान, शीला, संध्या जायसवाल, सिरताज सालेहा, फातिमा काजमी, सुषमा अग्रवाल, साधना लाल, इन्दु रस्तोगी, रेणु सिंह, प्रेमलता सिंह, सीमा जावेद, सावित्री पाल, दीपा खरे, ज्योति शुक्ला, किक्षा श्रीवास्तव, रुकइया सुल्ताना, विभावरी सिंह, विधि निगम, रेखा यादव, स्नेह मोहन, संगीता शर्मा, रंजना सिन्हा, वीणा श्रीवास्तव, मीना सिंह, इंदु रस्तोगी, शुभ्रा नाग, सारिका बाला, हेमा पांडेय, श्वेता शर्मा, अमृत मेहरोत्रा इत्यादि अनेक उल्लेखनीय नाम हैं जिन्होंने अपने-अपने ढंग से कला विकसित की है।

यहाँ जितने भी कलाकारों के नाम लिए गए हैं उनमें आकारादि क्रम और उम्र का ध्यान नहीं रखा गया है। वे कहाँ के हैं यह भी नहीं लिखा है लेकिन लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बरेली, मिर्जापुर, सीतापुर आदि स्थानों के कलाकार हैं। यानी स्वाधीनता के बाद ये पूरे-पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1947 के बाद जैसे-जैसे वर्ष आगे निकलते गए और लखनऊ के कलाकारों का परिचय तथा जानकारी बाहर के कलाकारों, उनके काम और गतिविधियों से हुआ इन कलाकारों ने जीवन, समाज, राजनीतिक और मनोलोक की विभिन्न स्थितियों को पकड़ने की कोशिश की है। अकारण नहीं है कि इनके कार्यों की प्रदर्शनियाँ ललित कला अकादमी दीर्घा से लेकर सृष्टि कला दीर्घा, गैलरी दी आर्ट तक में आए दिन लगती रहती हैं। इनको देखने से लगता है कि उत्तर प्रदेश में काम काफी हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी पहचान बन रही है। अफसोस है कि 'सृष्टि' आर्ट गैलरी बन्द हो गई और गैलरी 'द आर्ट' लगभग कला वस्तुओं की एक दुकान में बदल चुकी है।

उत्तर प्रदेश में, खास तौर से लखनऊ में, कला-समीक्षाएँ भी नियमित होती हैं। यहाँ के प्रमुख कला समीक्षकों में कृष्ण नारायण कक्कड़, अनिल सिन्हा, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन, एन. खन्ना आदि हैं

जिन्होंने कला-समीक्षा को व्यावहारिक व ठोस आधार दिया है तथा उत्तर प्रदेश की कला की व्याख्या कर रहे हैं। वैसे यहाँ के सभी दैनिक पत्रों में कला प्रदर्शनियों पर संवाद लिखने वाले नए-पुराने उत्सुक और उत्कर्ण संवाददाता हैं जो निरंतर अपने को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। कला-समीक्षक वास्तव में उस उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं जिससे प्रदेश की आधुनिक कला व सांस्कृतिक परिदृश्य तथा विकास की तस्वीर स्पष्ट होती है। इनमें खास तौर से दो-एक ऐसे कला समीक्षक हैं जिन्होंने कला-समीक्षा का, एक तरह से उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है और समीक्षा की एक सर्वथा नई स्थापना की है, जिससे केवल कला प्रदर्शनियों का विवरण ही नहीं मिलता बल्कि कला के आधुनिक संदर्भ में जितने भी सवाल पैदा हो सकते हैं उन्हें वे उठाते रहे हैं और उन पर चर्चा करते रहते हैं। आज यह परिदृश्य बदल गया है। 2007 तक आते-आते कला समीक्षा की स्थिति समाप्तप्राय है। शेष अखबारों में कला-प्रदर्शनी की सूचनाएँ छपती हैं।

उत्तर प्रदेश का कला परिदृश्य तथा इसके विकास की रेखाएँ किस प्रकार फैली हैं इसे इस तथ्य से भी जाना जा सकता है कि यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए और महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उदाहरण के तौर पर श्याम शर्मा पटना में हैं, बलदेव गंभीर अमृतसर में, सुरेन्द्र जोशी और राम अवतार जायसवाल जयपुर में, अशोक भौमिक, मामून नोमानी व राजीव लोचन, रमेश बिष्ट, मुकुल पंवार, श्याम शर्मा (चित्रकार) दिल्ली में, संपत कुमार शांति निकेतन में तो हरीश राम शिमला कला महाविद्यालय के प्राचार्य। यह चर्चा अधूरी रह जाएगी अगर चित्रकार यशोधर मठपाल की चर्चा न की जाय। एक आदर्शवादी भूदानी की तरह यशोधर मठपाल ने स्वयं तो समय-समय पर चित्रकला का उत्कृष्ट काम किया ही है भीमताल में इन्होंने अपना एक बड़ा व विविध कला-संग्रहालय भी स्थापित किया है जो इनके अथक परिश्रम और खोजी दृष्टि का परिणाम है। पहाड़ क्षेत्र की कलात्मक संपदा और कलात्मक प्रतिमाओं का संयोजन, संकलन इनके संग्रहालय का उद्देश्य है। वास्तव में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में स्वाधीनता के बाद कला और संस्कृति का जो विकास हुआ है उसकी एक झलक यहाँ मिलती है। वास्तव में यह एक 'कला आश्रम' है।

यही नहीं उत्तर प्रदेश के कलाकार फिल्मी दुनिया व राजनीति में भी गये और अपनी जगह बनाई। मिसाल के तौर पर ललित नाग और मुजफ्फर अली को लिया जा सकता है। नाग ने फिल्मों में कला निर्देशन किया और कार्टून फिल्मों के निर्माण में महारथ हासिल की। मुजफ्फर अली की गहरी रुचि चित्रकला में थी, शुरू में काफी काम उन्होंने किए, कई प्रदर्शनियों में शामिल हुए तथा उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी से पुरस्कृत भी हुए। बाद में राजनीति और फिल्म में सक्रिय हुए लेकिन आज भी उनके मन में चित्रकला के लिए गहरा लगाव है।

ये सारी स्थितियाँ स्पष्ट करती हैं कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विकास के साठ वर्ष किन-किन राहों से गुजरे हैं। 1957-58 में बनी 'फोर आर्टिस्ट ग्रुप' (फैग) तथा 1960 में ग्रुफ आफ यंग पेंटर्स एंड स्कल्पटर्स (जिण्स)। सूचना विभाग की तत्कालीन सहायक निदेशक सरला साहनी ने फैग और विभिन्न कलाकारों श्री मुनि सिंह, विजय चक्रवर्ती, एस.जी. श्रीखण्डे आदि का अपूर्व योगदान रहा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कला का एक वातावरण तैयार किया। चित्रकार अखिलेश निगम, जो अपनी प्रिंटाज शैली के रूप में विशेष तौर पर जाने जाते हैं, कहते हैं– ''1975-76 में क्रमशः दो और कला संस्थाओं ने, 'विजुअल आर्ट सोसाइटी' और 'यू.पी. आर्ट कौंसिल'– के नाम से जन्म लिया परन्तु क्रमशः ललित कला अकादमी की कला वीथिका में (दस चित्रकारों और मूर्तिकारों की कृतियों की) एक-एक प्रदर्शनी आयोजित कर ये संस्थाएँ आगे न बढ़ सकीं। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष में 'तरनी' नाम से प्रभा पंवार की अध्यक्षता में एक महिला चित्रकार संस्था का जन्म हुआ जिसने काफी समय तक प्रदर्शनियों सहित कला संबंधी कई कार्यक्रम आयोजित किये। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन-वाराणसी, राज्य संग्रहालय-लखनऊ, अल्मोड़ा के अतिरिक्त म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी, लखनऊ और लोक कला संग्रहालय लखनऊ का महत्वपूर्ण योगदान है।

इस विवेचन से यह तस्वीर उभरती है कि आजादी के बाद के उत्तर प्रदेश की कला चेतना ने कई तरह की विकास रेखाएँ पार की हैं जिनमें उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी, केन्द्रीय ललित कला केन्द्र, सृष्टि कला

दीर्घा सहित अनेक कला संस्थाओं का योगदान है। अकादमी ने अपने 23 सूत्रीय कार्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिभाशाली कलाकारों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ, कला आयोजन के लिए आर्थिक सहायता, कला संबंधी पुस्तकों-पत्रिकाओं, मोनाग्राफ, पोर्टफोलियो, पिक्चर **पोस्ट कार्ड,** पोस्टर आदि के प्रकाशन सहित डॉ. राधाकमल मुखर्जी व्याख्यानमाला तथा व्याख्यान, सेमिनार व कला गोष्ठियों आदि से उत्तर प्रदेश में कला के विकास के लिए बहुमुखी कार्य किए जाते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र में जहाँ बाहर के और स्थानीय कलाकार काम करते हैं, वहीं प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ और मदनलाल नागर व्याख्यानमाला साठ वर्षों का यह संक्षिप्त कला परिदृश्य अभी अन्य आयामों में विकसित होगा, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि नयी-नयी कला शैलियाँ विकसित हो रही हैं। जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में कला के विविध आयामों पर स्वतंत्र रूप से कार्य योजनाएँ बनाई जाएँ।

कलाकर्म के इस विकास में कलाकारों के सामने आर्थिक समस्याएँ या कि जीवन यापन की समस्याएँ विकराल रूप में सामने आ रही हैं इसलिए उन्हें छद्म काम करने, ठेके पर काम लेने, महत्त्वपूर्ण चित्रों की अनुकृति बनाने, चित्रकार/मूर्तिकार बनने की अद्म्य व शौक रखने वाले पैसे वाले लोगों के लिए काम कर देने उत्सव/मेले/त्यौहारों को ध्यान में रखकर मूर्तियाँ बनाने, लकड़ी में कला को सँवारने, कुछ चित्रकारी का काम करने की मजबूरी पैदा हो रही है। कुछ समय तक इस मजबूरी में काम करने के बाद ऐसे कलाकारों की आदत व स्वभाव में ये चीजें घर करती जा रही हैं जिनसे उबरना उनके लिए संभव दिखायी नहीं देता। उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य पर पिछले दो दशकों से छाए व घने होते जा रहे इस धुंधलके ने यहाँ की गरिमा को काफी क्षति पहुँचायी है। इसका एक अन्य बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी तथा केन्द्रीय ललित कला केन्द्र के स्वायत्त चरित्र का निरंतर गिरते हुए लगभग एक सरकारी संस्थान में बदल जाना। चित्रकार सतीश चंद्र के अकादमी अध्यक्ष रहते हुए अकादमी जो नई कला दीर्घाएँ बनी तथा पुरानी का नवीनीकरण किया गया तथा अकादमी की वित्तीय सहायता राशि बढ़ी और कला-गतिविधियाँ भी, वे अब वहीं रुकी हुई हैं बल्कि वित्तीय सहायता में तो निरंतर कटौती हो रही है; छवि कुछ ऐसी बन गई है कि अकादमी के पास कला गतिविधियों की परिकल्पना करना मुश्किल हो रही है इसलिए स्वीकृत राशि भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पा रही तो वित्तीय कटौती का आधार बन गयी। यही कारण है कि अकादमी में कला गतिविधियों के नाम पर अपना रजिस्टर पूरा कर रही है। लगभग ऐसा ही हाल राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र की लखनऊ शाखा का भी है सिवा इसके कि 47वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के अवसर पर यहाँ कुछ आधुनिक कला दीर्घाएँ उद्घाटित की गई जिनमें कला गतिविधियाँ जारी रहने की उम्मीद है। 2005 के लिए उ.प्र. कला जगत को केन्द्र की ओर से यह एक वस्तु परक तोहफा है। कला गतिविधियों का स्वरूप, निरंतरता ही इस तोहफे को सार्थक बना सकती है। इसकी उम्मीद केन्द्र की इस शाखा से बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश और सिनेमा

बीसवीं शताब्दी में सिनेमा भारतवर्ष में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया। मनोरंजन-उद्योग होने के नाते इसने देश के लोगों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया है। जन संस्कृति के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सिनेमा के साथ उत्तर प्रदेश की भागीदारी विकास काल से रही है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ फिल्मों का सबसे ऊँचा बाजार है। इसी कारण हर वर्ष फिल्मों में छाया रहता उत्तर प्रदेश का रंग। उत्तर प्रदेश और मुम्बई फिल्म नगरी दोनों ही एक दूसरे पर काफी हद तक आश्रित हैं। अगर हम इस आशय को नापतौल कर देखें तो उत्तर प्रदेश का ही पलड़ा भारी पड़ेगा। राज्य की विशाल जनसंख्या मुम्बई फिल्म नगरी को हिन्दी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार तो उपलब्ध कराती ही है, साथ ही वहाँ काम करने वालों में एक बड़ा प्रतिशत उत्तर प्रदेश का ही है। कहा जाता है कि एक समय बॉलीवुड में दखल के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल नम्बर पर था। फिल्मों में शायद ही कोई क्षेत्र अछूता बचा हो जहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी सार्थक मौजूदगी दर्ज न करायी हो।

उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए अत्यन्त मनोरम **स्थल** भी थे लेकिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ नहीं होती थी परन्तु पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार की फिल्म नीति के कारण यहाँ शूटिंग कार्य शुरू हो गया, फिल्मकार कहने लगे हैं यूपी में फ्रेंडली है शूटिंग का माहौल। जिसके कारण सबसे सफलतम फिल्मों के रूप में दर्ज 'गदर', 'इश्कजादे', 'बुलेट राजा', 'तनु वेड्स मनु' की शूटिंग हुई है। हाल के वर्षों में राजधानी लखनऊ में तथा आसपास, दावत-ए-इश्क, बाबर, रंगदारी, डेढ़ इश्किया, जॉली एलएलबी-2, टॉइलट-एक प्रेम कथा, बरेली की बरफी, अलीगढ़, मुक्काबाज, तमिल फिल्म थिरूत्तु पायले-2 का हिन्दी रीमेक, दोस्ती जिन्दाबाद रेड, आईएम. नॉट ए देवदास बनारस में राझड़ा, टप्पा आदि प्रमुख फिल्मों की शूटिंग हुई है। बॉलीबुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म गुलाबो-सिताबो की शूटिंग राजधानी लखनऊ में एक माह से अधिक समय रह कर की है। अजय देवगन की फिल्म मैदान, अछूती व अनूठी लोकेशन की मौजूदगी के कारण उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग का दौर भी लौट रहा है। बीते वर्षों में 200 से अधिक हिन्दी, भोजपुरी तथा दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्मों की शूटिंग प्रदेश के विभिन्न नगरों में हो चुकी है। आज हमारे पास तकनीकी ज्ञान, नयी मशीनें व अत्याधुनिक कैमरे उपलब्ध हैं। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में नयी फिल्म सिटी बनाने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'फिल्म बन्धु' का गठन किया गया है जिसमें फिल्म निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जा रहा है। 'फिल्म बन्धु' के माध्यम से क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए अवस्थापना सुविधा प्रदान की जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने बड़ा दिल दिखाते हुए हिन्दी और उसकी सहयोगी भाषाओं ही नहीं अपितु तमिल, तेलुगू सहित दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग प्रदेश में करने पर फिल्म बन्धु अनुदान देगा। इस शुभ समाचार के बाद तमिल फिल्म की शूटिंग प्रदेश के आंगन में सम्पन्न हो चुकी है।

माना जाता है कि 'आलम आरा' (1931) के निर्देशक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले बी.पी. मिश्रा थे। एक बार पृथ्वीराज कपूर ने पत्रकारों के समक्ष यह स्वीकार किया था कि बी.पी. मिश्रा ही 'आलम आरा' के निर्देशक थे। 'इम्पीरियल' फिल्म कम्पनी ने इसका निर्माण किया था। यह कम्पनी इससे पहले मूक फिल्मों का निर्माण किया करती थी और बी.पी. मिश्रा इसी कम्पनी के जाने-माने निर्देशक थे। मूक फिल्मों के जमाने में उनके निर्देशन में 'मिड नाइट राइडर', 'नाहर सिंह डाकू', 'शीशमहल', 'अलीबाबा चालीस चोर' आदि फिल्में इम्पीरियल कम्पनी में बनी थीं। दुर्भाग्य से असमय ही उनकी मृत्यु हो गयी।

सन् 1931 में चलती फिरती तस्वीरों को स्वर भी मिल गये। 'आलम आरा' से आरम्भ हुआ आवाज का यह सफल अभियान अब तक भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में गूँजता रहा है। लेकिन अब जब बात लोकप्रियता की हो तो हिन्दी फिल्मों का कोई सानी नहीं है। उत्तर प्रदेश ने सिनेमा को सिर्फ दर्शक ही नहीं

दिये अपितु गुणी और प्रतिभावान कलाकार भी दिये हैं जो पर्दे पर और पर्दे के पीछे अथक मेहनत से सिल्वर स्क्रीन में रंग भरते रहे हैं। हिन्दी सिनेमा को पहाड़ी सान्याल, मोतीलाल, अजीत जैसा खलनायक, चित्रगुप्त तथा रवि जैसे संगीतकार व देवेन्द्र गोयल, भीमसेन तथा बासु चटर्जी, त्रिलोक जेटली आदि निर्माता-निर्देशक इसी प्रदेश ने दिये हैं। यहाँ के विभिन्न लोकनृत्य, शास्त्रीय नृत्य और गीत की शैलियों ने हिन्दी सिनेमा के गीत-संगीत को समृद्ध किया है। इन दिनों अमेठी के मनोज मुंतशिर के गीतों की धूम मची हुई है। जोश मलिहाबादी, पंडित नरेन्द्र शर्मा, मजाज लखनवी, शकील बदायूँनी, इंदीवर, कैफी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, हरिवंशराय बच्चन, जॉ निसार अख्तर, शैलेन्द्र, नीरज, अन्जान, खुमार बाराबंकवी, योगेश, समीर, अली सरदार जाफरी, हसन कमाल, अन्जुम पीलीभीती, शहरयार, संतोष आनन्द, देव कोहली, शबनम गोरखपुरी, नूर बिजनौरी, देवमणि पाण्डेय शबाब मेरठी, बहजाद लखनवी, जलाल मलिहाबादी, अहमद वसी, प्रवीण भारद्वाज, फैज अनवर, पंछी जालौनवी, मनोज यादव, नितिन रैकवार, राम भारद्वाज प्रसिद्ध गीतकारों में हैं। गीतकार, पटकथाकार जावेद अख्तर का बचपन लखनऊ में अपनी ननिहाल में बीता। शकील बदायूँनी ने 'मदर इण्डिया', 'आन' और 'उड़न खटोला' के अमर गीत लिखे। झाँसी के शशिधर मुखर्जी, शंकर मुखर्जी और सुबोध मुखर्जी ने फिल्मकार के तौर पर हिन्दी सिनेमा को समृद्ध किया। जैनेन्द्र कुमार ने लेखन तथा इफ्तिखार ने पुलिस अधिकारी के रूप में स्क्रीन पर अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज करायी। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोलती फिल्मों के प्रारम्भिक दौर से गीत लिखना शुरू किया था। आगे चलकर पॉप गीतों के जमाने में भी उनकी कलम का जादू कम नहीं हुआ। ए.आर. कारदाह की 'शाहजहाँ' से लेकर अपने बेटे अन्दलीब की फिल्म 'जानम समझा करो' तक के लम्बे सफर में मजरूह सुल्तानपुरी ने 'धीरे-धीरे वो हमारे दिल' और नौजवानों के लिए 'पापा कहते हैं' जैसे गीतों से हर फिल्मी दृश्य को सँवारते रहे। उत्तर प्रदेश से हिन्दी सिनेमा को कई कहानीकार, पटकथा लेखक में मिले। नरोत्तम व्यास, पं. राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, मुंशी प्रेमचन्द, भगवतीचरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', भगवती प्रसाद बाजपेयी, धर्मवीर भारती, इस्मत चुगताई, शौकत कैफी, डॉ. राही मासूम रजा, कमलेश्वर, ज्ञान अग्निहोत्री, राजेन्द्र यादव, कुशवाहा कान्त, गुलाब रत्न बाजपेयी गुलाब, जैनेन्द्र जैन, माया गोविन्द, गौहर कानपुरी, डॉ. अचला नागर, अतुल तिवारी, के.पी. सक्सेना, कमल पाण्डेय उत्तर प्रदेश के ख्याति प्राप्त पटकथा लेखकों में से हैं।

अभिनय के सरताज बने अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के हैं। यहाँ की मीठी बोली का असर उनकी संवाद अदायगी की शैली बन गया जिसने उन्हें बुलन्दियों पर बैठा दिया। 'ताजमहल' की नायिका बीना राय लखनऊ के ही आई.टी. कालेज की छात्रा थीं। अभिनय कला में संस्थान बन चुके नसीरुद्दीन शाह का सम्बन्ध भी उत्तर प्रदेश से है। गुलजार की फिल्म 'माचिस' में अभिनय के जौहर दिखाने वाले चन्द्रचूड़ सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। फैजाबाद में जन्मी अनुष्का शर्मा, कानपुर में पूनम ढिल्लो, बरेली में पली-बढ़ी प्रियंका चोपड़ा, इटावा की पिया बाजपेयी जैसे अनेक नाम हैं। निर्देशक रामगोपाल वर्मा की बहुचर्चित फिल्मों 'सत्या' और 'कौन' के खूबसूरत छायांकन के बाद लखनऊ के मजहर कामरान का नाम अब फिल्मी दुनिया में नया नहीं है। 'सत्या' की सिनेमैटोग्राफी पहले एक हालीवुड के छायाकार कर रहे थे। मेरे महबूब, मेरे हुजूर, चौदहवीं का चाँद, शतरंज के खिलाड़ी, पाकीजा, उमराव जान को देखना तो वैसे लखनऊ शहर को एक शताब्दी पहले देखना जैसा है। लखनऊ के अलावा अन्य कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हिन्दी फिल्मों के प्रिय शूटिंग स्थल हैं। आगरा के ताजमहल के दर्शन तो बहुत सी फिल्मों में होते रहे हैं। इस शहर के अन्दर की तस्वीर बासु भट्टाचार्य की 'सारा आकाश' में दिखती है। वाराणसी का चित्रण अनगिनत फिल्मों में हुआ है। मर्चेन्ट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म 'द गुरू' की कहानी वाराणसी के इर्द-गिर्द घूमती है। महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित 'संघर्ष' वाराणसी के पण्डों के आपसी वैमनस्य की कहानी थी। प्राकृतिक, सांस्कृतिक हर तरह से समृद्ध होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में शूटिंग उन शहरों में न होकर वैसे ही सेट लगाकर, माहौल तैयार कर, कर ली जाती है। पिछले कुछ समय से मुम्बई के बड़े निर्माताओं ने सरकार की पहल पर यहाँ आकर प्रदेश की फिल्म नीति से जुड़े

मसलों पर चर्चा की थी। इन फिल्मकारों ने इसमें दिलचस्पी दिखाकर उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की संभावना को पुख्ता किया है। नये छविगृहों का निर्माण कराना, सस्ते दामों पर मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा रचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण फीचर फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखकर 10 सितम्बर 1975 को उ.प्र. चलचित्र निगम की स्थापना की गयी थी। गाजियाबाद और दिल्ली के बीच स्थित नोएडा छोटी फिल्म नगरी मानी जाती है। क्षेत्रीय सिनेमा के रूप में भोजपुरी फिल्मों को पूर्वांचल के गोरखपुर, वाराणसी मंडलों में विस्तार मिला है।

फिल्म वितरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्षेत्र, दिल्ली, यू.पी. सर्किल के नाम से मशहूर है। सर्वाधिक दर्शकों वाले इस क्षेत्र में मनोरंजन कर सबसे अधिक है। फिल्म नीति पर सरकार और फिल्म प्रतिनिधियों के बीच गहन विचार-विमर्श हुआ। शादी में जरूर आना, मंजूनाथ, रामभजन, इश्क के परिन्दे, दो दूनी चार, बर्फी, पति-पत्नी और वो, मिर्जापुर-2, मिलियन डॉलर आर्मी सहित अनेक फिल्मों की शूटिंग राजधानी के आस-पास हुई है।

पिछले कुछ वर्षों की सरकारी पहल को देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ दर्शक और कलाकार ही नहीं देगा बल्कि स्वयं उद्देश्यपूर्ण फिल्मों का निर्माता बनने की ओर अग्रसर होगा।

उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख सिने व्यक्तित्व

उत्तर प्रदेश में जन्मे या यहाँ की मिट्टी में रहकर बॉलीवुड में अपना तथा प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुछ लोगों की सूची इस प्रकार भी है :–

आर.एन. शुक्ला, के. आसिफ, बासु चटर्जी, भीमसेन, कमाल अमरोही, ए.एन. अंसारी, त्रिलोक जेटली, देवी शर्मा, रवि नगाईच, शंकर मुकर्जी, सुबोध मुकर्जी, नासिर हुसैन, नजीर हुसैन, अनवर हुसैन, ताहिर हुसैन, प्रकाश मेहरा, रामशंकर चौधरी, शेखर, आर चन्द्रा, सिप्ते हसन रिजवी, याकुब हसन रिजवी, आर.डी. माथुर, अनिल शर्मा, गोविन्द मूनिस, शिव कुमार, मुजफ्फर अली, सुधीर मिश्रा, विशाल भारद्वाज, बोनी कपूर, अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धुलिया, माहरूख मिर्जा, शहरूख सुल्तान, मेराज, सुनील बत्रा, राकेश साहू, चन्दू सिंह, सनोज मिश्रा, अनुभव सिन्हा, राम बुन्देला, चन्द्रपाल सिंह आदि।

नरगिस, तलत महमूद, निर्मला देवी, शमा जैदी, जद्दन बाई, रेहाना सलमा सिद्दीकी, कुन्दनलाल सहगल, मदन सहगल मुकेश, गोपीकृष्ण, भारत भूषण, लच्छू महाराज, हरि प्रसाद चौरसिया, सुजीत कुमार, हीरालाल, कन्हैयालाल, लीला मिश्रा, शबाना आजमी, कुमकुम, उमादेवी (टुनटुन), सितारा देवी, यूनुस परवेज, रेहाना सुल्तान, राज बब्बर, सुरेन्द्र पाल, राजा बुन्देला, रंजीत कपूर, अन्नू कपूर, सुल्तान अहमद, हुमायूँ मिर्जा, नसीरूद्दीन शाह, संतोष सरोज, के.के. सिंह, मंदाकिनी, निशा गोयल, दीप्ती भटनागर, लारा दत्ता, मंसूर खान, आमिर खान, शक्तिमान, हसन कमाल, मुशीर रियाज, प्रेम कपूर, मोतीसागर, प्रीति सागर, नाजनीन, तारिक, नदीन खान, जमील खान, अदिति शर्मा, जोया अफरोज, पूजा बत्रा, श्वेता तिवारी, साहिल शेख, पुलकित सिंह, संदीप नाथ, इंदर ठाकुर, राकेश पाण्डेय, साधना सिंह, आयुष कुमार, विश्वनाथ मिश्रा, शाहीन सुल्ताना, ब्रज गोपाल, मोहन भण्डारी, राजकुमार त्रिवेदी, राजेन्द्रनाथ मिश्रा, विनय श्रीवास्तव, कविता चौधरी, रहमान, नौशाद, समीर, रानी मुखर्जी, जया भट्टाचार्या, राम गोविन्द, ललित तिवारी, सपना अवस्थी, राजेश कुमार सिंह, रवीन्द्र जैन, अपूर्व अग्निहोत्री, अरुण गोविल, सूरज कुमार वर्मा, मुश्ताक अली, अनूप जलोटा, बाबा आजमी, स्नेहा सांगवान, सुनिधि चौहान, कनिका कपूर, मालिनी अवस्थी, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश यादव निरहुआ, मनोज मिहिर, अनुपम श्याम, राजू श्रीवास्तव, तनवीर जैदी, सौरभ दुबे, राजपाल यादव, आदित्य शर्मा, उदय यादव, कैलाश खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बीरेन्द्र सक्सेना, विनीत सिंह, अनु प्रिया, वरुण बडोला, मुकुल नाग आदि।

उ.प्र. फिल्म बन्धु तथा फिल्म नीति

प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण वास्तुकला तथा स्थानीय संस्कृतियों की विविधता आदि फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक तत्व के सदुपयोग से पर्यटन विकास को नये आयाम मिले तथा रोजगार सृजन के नये साधन उपलब्ध कराने हेतु यद्यपि 1999 में फिल्म नीति की घोषणा की गयी थी,

तथापि इसमें अन्य आवश्यक सुसंगत प्रावधानों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय संशोधन किए गये हैं, ताकि उ.प्र. में उपलब्ध असीम संभावनाओं को फिल्मांकित करने का समुचित उपयोग हो सके। उ.प्र. में न केवल बड़े पैमाने पर शूटिंग का कार्य सम्पन्न हो सके, बल्कि फिल्म निर्माण के विविध पक्षों से जुड़ी गतिविधियों का भी समग्र विकास हो सके। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु एक सुसंगठित ढाँचा एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित हो सके। प्रदेश के अद्भुत मनोहारी तथा रमणीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी मिले, एवं पर्यटकों को आकर्षित करना। प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत एवं गौरवशाली परम्परा को देश एवं विदेश में प्रचारित-प्रसारित किया जा सके। प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकास के अवसर मिलें। प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर सुलभ हों। फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित करने के साथ साथ देश व प्रदेश की जनता को स्वस्थ एवं अपेक्षाकृत सस्ता मनोरंजन उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. फिल्म बन्धु का गठन किया गया है। प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण सृजन करने के लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे– प्रशासनिक सहायता, वित्तीय प्रोत्साहनों का आकर्षण पैकेज, अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराना, सुयोग्य प्रकरणों में वित्तीय समर्थन की आकर्षक प्रणाली तथा सिनेमा के प्रचार-प्रसार से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना आदि। फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शूटिंग तथा फिल्म निर्माण के लिए अवस्थापना जैसे स्टूडियो एवं प्रोसेसिंग प्रयोगशालाएँ। फिल्म प्रदर्शन के लिए अवस्थापना उपकरण, कलाकारों, तकनीशियनों तथा विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रशिक्षण सुविधाएँ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में नोएडा में फिल्म सिटी का विकास किया गया था जो शनैः शनैः अब उत्तरी भारत में बन रहे टी.वी. सीरियल्स फिल्म नगरी में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि यह फिल्म नगरी उत्तरी भारत में फिल्म निर्माण के केन्द्र के रूप में विकसित हो सके। प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं को पूर्ण सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ एजेन्सी के माध्यम से एक सम्भाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में नवीन फिल्म नगरी/नगरियों/फिल्म लैबोरेटरी की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। यह अध्ययन 'फिल्म बन्धु' द्वारा कराया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनायी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रियाशील फिल्म नगरी/नगरियों की स्थापना होने तथा स्थानीय सिनेमा उद्योग का पर्याप्त विकास होने तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों यथा– शिक्षा, सूचना तथा संस्कृति में उपलब्ध उपकरण फिल्म निर्माताओं को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिल्म निर्माताओं की आवश्यकता के अनुरूप इन उपकरणों के वर्तमान भण्डार को बढ़ाया जायेगा। इन उपकरणों के अर्जन तथा उनके रखरखाव के लिए 'फिल्म विकास निधि' का उपयोग किया जाएगा। इस कार्य हेतु फिल्म बन्धु, 'नोडल एजेंसी' के रूप में कार्य करेगा तथा समस्त उपकरणों का एक 'पूल', फिल्म बन्धु में स्थापित किया जाएगा। उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'फिल्म बन्धु' शासकीय विभागों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी पूल बना सकेगा।

शूटिंग स्थलों का विकास

प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर नैसर्गिक सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि का पर्यटन विभाग निरन्तरता के आधार पर प्रदेश में आउटडोर शूटिंग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास करेगा तथा सक्रियता से प्रचार करेगा। इसके लिए ट्रांसपैरेन्सीज, लघु फिल्में, प्रचार-साहित्य, जैसे– ब्रॉशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे। प्रदेश में नयी 'पर्यटन नीति' के तहत निजी क्षेत्र को इस बात के

लिए उत्प्रेरित किया जाएगा कि वे इन शूटिंग स्थलों पर होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेन्ट तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करें।

कलाकारों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण

फिल्म उद्योग के उपयुक्त विकास के लिए यह परम आवश्यक है कि प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार तथा प्रशिक्षित तकनीशियन सुगमता से उपलब्ध हों। उत्तर प्रदेश में फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्यूट की एक शाखा खोलने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करेगी ताकि उन प्रतिभाशाली नवयुवकों की आकांक्षा पूर्ति हो सके जो कि देश के उत्तरी भाग में फिल्मों को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस शाखा की स्थापना होने तक प्रदेश की प्रख्यात भारतेन्दु नाट्य अकादमी का विकास, 'राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान' के रूप में किया जायेगा।

फिल्म तकनीशियनों को चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस उद्देश्य से सम्बन्धित पाठ्यक्रम कुछ संस्थानों में प्रारम्भ किए जाएँगे। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को भी फिल्म सम्बन्धी व्यवसायों एवं पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति रु. 25,000/- दी जाएगी। छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या दोनों संस्थानों में प्रत्येक के लिए अलग-अलग होगी। इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन 'फिल्म विकास निधि' से किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'परफॉर्मिंग आर्ट्स' के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे ताकि प्रदेश के युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा विकसित एवं मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके।

फिल्म इकाइयों के लिए आवासीय सुविधा

प्रदेश में आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स/मोटल्स में कमरों के किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के अतिथि गृह/विश्रामालय भी इन फिल्म इकाइयों को नियमित भुगतान पर उपलब्ध होंगे।

सरकारी हवाई पट्टियों का प्रयोग

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हवाई पट्टियों के प्रयोग की सुविधा आउट-डोर शूटिंग करने वाली फिल्म इकाइयों को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुमन्य करायी जा सकें।

फिल्मों का वित्त पोषण

फिल्म उद्योग के विकास में फिल्मों का वित्त पोषण एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत सरकार फिल्मों को उद्योग का दर्जा देने के लिए राजी हो गयी है तथा व्यावसायिक बैंकों से फिल्मों के वित्त पोषण की प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु 'कानन समिति' का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य वित्तीय संस्थाएँ पहले से ही स्टूडियो तथा उपकरणों जैसे– हार्डवेयर के लिए नियमित व्यावसायिक शर्तों पर वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। 'कानन समिति' की अनुशंसाएँ प्रस्तुत होने पर तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लेने पर राज्य सरकार उन्हें अंगीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'कानन समिति' की रिपोर्ट आने तक फिल्मों का वित्त पोषण 'फिल्म बन्धु' द्वारा 'फिल्म विकास निधि' के माध्यम से किया जायेगा। प्रदेश 'नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन' पिकप अथवा बैंकों के साथ संयुक्त ऋण योजना में प्रतिभागी बनेगा, किन्तु यह वित्त पोषण केवल उन्हीं फिल्मों को अनुमन्य होगा जो 75 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश में फिल्मांकित की जायेंगी तथा प्रदेश की छवि को उभारेंगी।

फिल्म निधि

फिल्म तथा फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना के विकास की विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए

सिनेमा टिकटों पर 50 पैसे का शुल्क चार्ज किया जायेगा। यह शुल्क प्रत्येक जिले के कोषागार में फिल्म निधि के नाम से जमा किया जायेगा। इस प्रकार से एकत्र की गयी धनराशि समेकित रूप में कर एवं निबन्धन विभाग से ज्ञात कर उसके समतुल्य धनराशि प्रत्येक वर्ष सूचना विभाग के आय-व्ययक में अलग लेखा शीर्षक खोलकर प्रावधानित करायी जायेगी तथा उसे अनुदान के रूप में 'फिल्म बन्धु' को स्वीकृत की जायेगी जिसे फिल्म बन्धु के अधीन स्थापित फिल्म विकास निधि में जमा किया जायेगा। इसका संचालन ''उत्तर प्रदेश फिल्म बन्धु'' द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही फिल्म विकास निधि में अनुदान के अतिरिक्त फिल्म उपकरणों के किराये, फिल्म महोत्सव के आयोजन में टिकटों से होने वाली आय को भी जमा किया जायेगा।

सूचना विभाग

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्यिक, औद्योगिक, ग्राम्य विकास तथा अन्य विकास सम्बन्धी विषयों पर वृत्त चित्र एवं वर्तमान घटना क्रम पर समाचार चित्र निर्मित करने का कार्य किया जाता है। अधिसंख्य वृत्त चित्र तथा समाचार चित्र का फिल्मांकन प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किया जाता है। अब तक इस विभाग द्वारा 95 समाचार चित्र तथा 165 वृत्त चित्र तैयार किये जा चुके हैं। इनमें 28 रंगीन वृत्त चित्र सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि इस विभाग द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 54 को 26वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1979 में पुरस्कृत भी किया गया है। इस विभाग द्वारा निर्मित वृत्त चित्र 'फूलों की घाटी' तथा 'बदरी-केदार' पर बने चित्रों को देश की 14 भाषाओं में डबिंग कराकर अखिल भारतीय सर्किट में विभिन्न सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया गया। अब तक निर्मित वृत्त चित्रों में 'कार्बेट नेशनल पार्क', 'लखनऊ मेरा लखनऊ', 'महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश', 'चोर-चोर', 'फूलों की घाटी', 'बदरी-केदार', 'नैमिषारण्य', 'ब्रज में होली', 'ग्राम्या', 'कुम्भ मेला', 'भागीरथी', 'सुमित्रानन्दन पंत', 'महादेवी वर्मा', 'प्रेमचन्द', 'बुन्देलखण्ड', 'विकास की चमक हर आँख में' इत्यादि वृत्त चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

फिल्म पत्रकारिता

उत्तर प्रदेश में फिल्म पत्रकारिता का जहाँ तक प्रश्न है तो इस क्षेत्र में पहला नाम 1930 के दशक में उमाशंकर जोशी का उभरता है। इसके बाद फिर रामकृष्ण, कपिलकुमार, धर्मेन्द्र गौड़, ओंकार शरद, विनोद भारद्वाज, कुंवर नारायण, सतीश सिंह, जिनेन्द्र जैन, महादेव शर्मा, नेत्र सिंह रावत ने फिल्म पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया मंगलेश डबराल, मोहित थपलियाल, धीरेन्द्र अस्थाना, राजेन्द्र प्रसाद काण्डपाल, ओम प्रकाश गुप्ता, विवेक चटर्जी, प्रवीण श्रीवास्तव, हेमंत शुक्ल, वीर विनोद छाबड़ा, अवधेश नारायण 'प्राण', सुरेन्द्र अग्निहोत्री, गौतम चटर्जी आदि ने।

दर्शनीय स्थल, मेले एवं प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति

युगों की प्राचीन परम्परा के इस प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं, जिनका धार्मिक महत्व है। बहुत से ऐसे स्थल भी हैं, जिन्हें तीर्थ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। हमारा प्रदेश ऐसे सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार के कुछ स्थान इस प्रकार हैं:–

सोरों (जिला एटा)– सोरों या शूकर क्षेत्र की गणना भारत के पवित्र तीर्थों में होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम पृथ्वी का आविर्भाव यहीं हुआ था। इस तीर्थ में वराह भगवान का एक अति प्राचीन दर्शनीय मन्दिर है। इस मन्दिर में भगवान वराह की विशाल प्रतिमा स्थापित है और निकट ही हरिपदी पर वराह घाट है। शूकर क्षेत्र में प्राचीन काल से भगवान वराह की पुण्य स्मृति में मार्गशीर्ष का मेला लगता है।

काशी (वाराणसी)– यह भारत के ही नहीं, संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यह नाम वरुणा और अस्सी, दो नदियों से मिलकर बना है। वर्तमान काशी में दर्शनीय मन्दिर विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, संकटमोचन, दुर्गा मन्दिर, तुलसी मानस मन्दिर, विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मन्दिर, आदि विश्वेश्वर, साक्षी विनायक और पांचरत्न आदि हैं। कुण्डों तथा वापियों में दुर्गा कुण्ड, पुष्कर कुण्ड, पिशाचमोचन, कपिलधारा, लोलार्क, मानसरोवर तथा मन्दाकिनी उल्लेखनीय हैं। यहाँ घाटों की संख्या बहुत है। इनमें अस्सी, तुलसी, हरिश्चन्द्र, अहिल्याबाई, दशाश्वमेध तथा मणिकर्णिका घाट आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।

देवबन्द (जिला सहारनपुर)– मुजफ्फरनगर से 24 कि.मी. दूर देवबंद रेलवे स्टेशन है। यहाँ दुर्गा जी का मन्दिर है। मन्दिर के समीप देवी कुण्ड सरोवर है।

शाकम्भरी देवी– यह मन्दिर सहारनपुर से 41.6 कि.मी. दूर है। शाकम्भरी देवी का मन्दिर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ नवरात्र में मेला लगता है।

हस्तिनापुर (जिला मेरठ)– यह नगरी मेरठ से 35.2 कि.मी. दूर है। यह पाण्डवों की राजधानी थी। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है। यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी को राजा श्रेयांस ने यहीं इक्षुरस का दान दिया था। इसलिए इसे 'दानतीर्थ' कहा जाता है। यहाँ से पास ही भसूमा गाँव में प्राचीन जैन प्रतिमाएँ हैं।

गढ़मुक्तेश्वर (जिला गाजियाबाद)– मेरठ से 42 कि.मी. दूर गंगा के दाहिने तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर का एक मोहल्ला था। यहाँ मुक्तेश्वर शिव का मन्दिर है। मन्दिर के पास ही झारखंडेश्वर नाम का एक प्राचीन शिवलिंग है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है।

शृंगीरामपुर– यह फर्रुखाबाद जिले में गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ शृंगी ऋषि का मन्दिर है। कार्तिक पूर्णिमा तथा दशहरा को यहाँ मेला लगता है।

शृंगवेरपुर– जिला प्रयागराज से 48 कि.मी. दूर राम चौरा रोड स्टेशन से 3 मील की दूरी पर शृंगवेरपुर है। यहीं पर भगवान राम ने वन जाते हुए निषादराज का आग्रह मानकर रात्रि में विश्राम किया था।

विन्ध्याचल (जिला मिर्जापुर)– यहाँ विन्ध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। नवरात्र में यहाँ मेला लगता है।

लोधेश्वर– यह बाराबंकी जिले में है। यहाँ लोधेश्वर जी का मन्दिर है।

देवीपाटन (जिला गोण्डा)– यहाँ पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने की थी। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है।

मगहर (जिला संत कबीर नगर)– कबीरदास जी ने यहीं पर शरीर छोड़ा था। संत कवि कबीर की समाधि और मजार, हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में यहीं स्थित है। उनके पुत्र कमाल की समाधि भी यहीं है। कबीर पंथियों का यह पवित्र तीर्थस्थल है।

भृगु मन्दिर (बलिया)– ब्रह्माजी के पुत्र भृगु के शिष्य दरदर मुनि की यह तपस्थली रही है। इन्हीं के नाम पर यहाँ भारत का विख्यात ददरी मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष लगता है।

मथुरा– सप्त महापुरियों में इसकी गणना होती है। इसका प्राचीन नाम मथुरा था। वर्तमान मथुरा के समीप मधुवन में पहले मधु और उसके पुत्र लवण का शासन था। मधु के नाम पर मधुरी या मधुपुरी नगरी बसी थी। श्रीराम के भाई शत्रुघ्न ने लवण को मारकर इस नगरी को नया रूप दिया था। चन्द्रवंश की यादव शाखा में श्रीकृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। मथुरा में द्वारिकाधीश मन्दिर और विश्राम घाट के दर्शन के लिए लाखों यात्री प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। मथुरा में निम्न दर्शनीय स्थल हैं-

- **वृन्दावन** (जिला मथुरा) – वृन्दावन, मथुरा से 9.6 कि.मी. पर स्थित है। यहाँ करीब 4 हजार मन्दिर, घाट और सरोवर हैं। गोविन्द देव मन्दिर बड़ा भव्य और सुन्दर है। जयपुर के महाराज मानसिंह ने सन् 1590 में इसे बनवाया था। गोविन्द देव मन्दिर के सामने द्रविण शैली में निर्मित सफेद पत्थर का बना रंगनाथ का विशाल मन्दिर स्थित है। बिहारी जी का मन्दिर, राधाबल्लभ जी का मन्दिर, राधारमण जी का मन्दिर, गोपीनाथ जी का मन्दिर, शाहजी का मन्दिर, अष्टसखी मन्दिर आदि वृन्दावन के प्रसिद्ध मन्दिर हैं। निधिवन और सेवाकुंज प्रसिद्ध वन स्थलियाँ हैं। वंशीवट, कालीदह और केशघाट यमुना के प्रसिद्ध घाट हैं।
- **नन्दगाँव** (जिला मथुरा)– मथुरा से 48 कि.मी. उत्तर-पूर्व में एक पहाड़ी की तलहटी में नंदगाँव स्थित है। नंद बाबा का घर जिस स्थान पर था, वहाँ पहाड़ी के ऊपरी भाग में एक विशाल मंदिर स्थित है। यह हिन्दुओं का एक पवित्र स्थल है।
- **गोवर्धन** (जिला मथुरा)– गोवर्धन, मैदान से सौ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यह मथुरा से 23 कि.मी. दूर पड़ता है और मथुरा से डीग (भरतपुर) जाने वाली सड़क पर स्थित है। यहाँ के विशाल पक्के सरोवर (पवित्र मानसी गंगा) के पास हरिदेव का मनोहर मन्दिर है, जिसे अकबर के राज्यकाल में अम्बर के राजा भगवान दास ने बनवाया था।
- **बरसाना** (जिला मथुरा)– बरसाना गाँव गोवर्धन से 24 कि.मी. उत्तर में कोसी (आगरा-दिल्ली सड़क पर) के 16 कि.मी. दक्षिण में स्थित है। इसे भगवान कृष्ण की प्रिया राधाजी का जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है। बरसाना का मूल नाम ब्रह्मासारिणी था। यह एक पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। पहाड़ी के चार प्रमुख शिखर चतुर्मुखी देवत्व के प्रतीक माने जाते हैं और लाड़ली जी, जो राधाजी का स्थानीय नाम है, के सम्मान में निर्मित मन्दिरों से सुशोभित है। यहाँ प्रतिवर्ष राधाष्टमी के अवसर पर मेला लगता है।
- **दाऊजी** (जिला मथुरा)– दाऊजी मथुरा से लगभग 21 कि.मी. की दूरी पर है। नगर के मध्य में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ (दाऊजी) का प्रसिद्ध मन्दिर बना हुआ है। यहाँ वर्ष में दो मेले लगते हैं। इनमें एक भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को लगता है, जिसे देवछठ कहते हैं तथा दूसरा अगहन की पूर्णिमा को लगता है।

बिठूर (जिला कानपुर) – कानपुर नगर से लगभग 24 कि.मी. उत्तर-पश्चिम में गंगा के किनारे बसा हुआ यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है। यहीं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बताया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है।

चित्रकूट– (जिला चित्रकूट) बाँदा से झाँसी-मानिकपुर रेलवे लाइन द्वारा चित्रकूट लगभग 75 कि.मी. दक्षिण-पूरब में स्थित है। चित्रकूट के पास मन्दाकिनी बहती है। वन जाते समय श्रीराम यहाँ ठहरे थे। जनश्रुति के

अनुसार महर्षि वाल्मीकि भी यहाँ रहे थे। बहुत से पवित्र स्थल, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ मन्दाकिनी के किनारे पाई जाती हैं। मन्दाकिनी, जिसे पयस्विनी भी कहते हैं, चित्रकूट के सुरम्य जंगलों से होकर बहती है। इस नदी के बायें तट पर कामतानाथ से लगभग 2.4 कि.मी. पर सीतापुर है, जहाँ नदी के किनारे-किनारे 24 घाट हैं। इनमें से राघव प्रयाग, कैलाश घाट, रामघाट और घृतकल्प घाट विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। सीतापुर में अनेक प्राचीन मन्दिर हैं। रामघाट के समीप स्थित पर्णकुटी के विषय में कहा जाता है कि राम ने यहाँ निवास किया था। यहाँ से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर सती अनुसूया और महर्षि अत्रि का आश्रम है। एक पहाड़ी के अंचल में अनुसूया, अत्रि, दत्तात्रेय और हनुमान जी के मंदिर हैं। इसे मन्दराचल कहते हैं। यहीं से मन्दाकिनी निकलती है। सीतापुर से 3.30 कि.मी. की दूरी पर रमणीक जानकी कुण्ड है। यहाँ नदी की धारा श्वेत पत्थरों के ऊपर से होकर बहती है। जानकी कुण्ड से 3.2 कि.मी. पर स्फटिक शिला है। यहाँ दो बड़ी चट्टानें हैं। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने यहाँ पर विश्राम किया था। चित्रकूट में भरत कूप भी है। इसके सम्बन्ध में कथा यह है कि श्रीराम के राजतिलक हेतु सभी पवित्र नदियों से एकत्र जल को इस कुँए में डाला गया था।

राजापुर (जिला चित्रकूट) – बाँदा से 99.2 कि.मी. और चित्रकूट से 38.4 कि.मी. की दूरी पर राजापुर नामक स्थान है। कहा जाता है कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ तुलसी स्मारक समिति की ओर से एक सुन्दर स्मारक का निर्माण हुआ है।

देवा शरीफ (जिला बाराबंकी) – बाराबंकी से लगभग 12 कि.मी. दूर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में देवा में एक बड़ा मेला लगता है।

महोबा- चन्देलों के वैभवशाली समय में वर्तमान बुन्देलखण्ड का नाम 'जेजाक युक्ति' था तथा इसकी राजधानी महोबा थी। इसी महोबा में वीर शिरोमणि आल्हा और ऊदल का जन्म हुआ था। दर्शनीय- कीरत सागर, चन्देल कालीन स्मारक।

बहराइच– यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आये थे।

गोला गोकर्णनाथ (जिला लखीमपुर खीरी) – त्रेता युग में रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को लंका में शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया था। शिवलिंग को भूमि पर रखना निषेध था। रावण ने मार्ग में शिवलिंग को एक भक्त के पास कुछ देर के लिए छोड़ा, लेकिन वह उसका भार सहन न कर सका और उसने उस शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। लौटकर रावण यह देखकर क्रोधित हुआ और लिंग को अंगूठे से दबा दिया जो कान के आकार का हो गया। इसी आधार पर इस स्थान का नाम गोला गोकर्णनाथ पड़ा। यह स्थान लखीमपुर-खीरी से लगभग 35 कि.मी. दूर है।

कम्पिल (जिला फर्रुखाबाद)– अपने अंतःस्थल में देश के लम्बे इतिहास की रहस्यपूर्ण रोचकता छिपाये हुए यह छोटी सी भाव-मुग्धा नगरी अति प्राचीन काल से आज तक दर्शन, धर्म और संस्कृति की मनोहर मंजूषा के रूप में विख्यात रही है। विष्णु पुराण, जातक, रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र एवं अनेक ग्रन्थों व रिपोर्टों में इस नगरी का उल्लेख विभिन्न रूपों, प्रसंगों और परिवेशों में किया गया है। पतित पावनी गंगा नदी के दायें तट पर कायमगंज तहसील के कस्बे से 10 कि.मी. पश्चिम में सड़क द्वारा सम्बद्ध यह तीर्थ स्थान जैन धर्म के प्रवर्तक तेरहवें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। द्रौपदी का स्वयंवर भी यहीं हुआ था। हमारी अमूल्य सांस्कृतिक निधि के प्रमुख दिग्दर्शक, जो कम्पिल में विद्यमान हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

- ***मुगलघाट***– द्रौपदी कुण्ड के समीप ही मुगल बादशाह औरंगजेब ने गंगा नदी के किनारे गुम्बदनुमा चार घाटों का निर्माण कराया था।
- ***कपिलमुनि का आश्रम***– यहाँ खुदाई करते समय एक गुफा मिली है, जिसमें कुछ मूर्तियाँ और पूजा-पाठ की सामग्री उपलब्ध हुई है।
- ***रामेश्वरधाम मन्दिर***– कहा जाता है कि भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न ने भगवान राम द्वारा लंका से लाये

शिवलिंग को, जिसकी पूजा सीताजी लंका निवास के समय अशोक वाटिका में प्रतिदिन करती थीं, इसी स्थान पर प्रतिष्ठित किया था।

- ***जैन श्वेताम्बर मन्दिर***– इस भव्य मन्दिर के मूल नायक भगवान विमलनाथ हैं जो मन्दिर में ऊँचे आसन पर विराजमान हैं। मंदिर के चारों कोनों पर चार कल्याणकों के स्मारक हैं।
- ***जैन दिगम्बर मन्दिर***– इसमें भगवान विमलनाथ की मूल नायक प्रतिमा विद्यमान है। अनुमान है कि यह प्रतिमा कई सौ वर्ष पुरानी है।
- ***भेदकुण्ड***– कम्पिल ग्राम से 3 मील पूर्व में स्थित है। कहा जाता है कि अर्जुन ने इसी स्थान पर द्रौपदी के वरण हेतु मीन वेध किया था। हमारी संस्कृति के प्रतीक इन मन्दिरों के अतिरिक्त कम्पिल में अनेक छोटे-छोटे मंदिर, खण्डहर, प्राचीन कुँए आदि हैं, जो पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, शिल्पियों, शोध-छात्रों आदि के लिए आकर्षण और महत्व के केन्द्र हैं।
- ***संकिस्सा–*** प्राचीन काल में इसे संकास्य कहते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका उल्लेख 'कपित्थ' नाम से किया है। वर्तमान संकिस्सा जिला फर्रुखाबाद में है। इसके एक टीले पर, जो पूर्व से पश्चिम तक 455 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 303 मीटर है, कतिपय भग्नावशेष हैं। बौद्ध मतानुयायियों के अनुसार भगवान बुद्ध देवलोक से पृथ्वी पर यहाँ अवतरित हुए थे। यह स्थान हिन्दुओं के लिए भी पवित्र है। प्रतिवर्ष यहाँ श्रावणी मेला लगता है।

नैमिषारण्य (जिला सीतापुर)– पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केन्द्र रहा है। यह अट्ठासी हजार ऋषियों की तपस्थली रही है। यहाँ तीस हजार तीर्थस्थल हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर साधना करने वाले की सिद्धि-प्राप्ति निश्चित है। नैमिषारण्य में अनेक पुण्य तीर्थ हैं जिनकी यात्रा के लिए भारत के कोने-कोने से लाखों यात्री आते हैं। महर्षि दधीचि की पुण्य स्मृति में चौरासी कोस की परिक्रमा फाल्गुन महीने की अमावस्या से प्रारम्भ होकर पूर्णिमा को मिश्रिख में समाप्त होती है। यहाँ के कुछ तीर्थ हैं :–

- ***चक्रतीर्थ***– नैमिष के तीर्थों में चक्रतीर्थ सर्वोपरि है। इसके समान पृथ्वी तल पर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। प्रसिद्ध है कि ब्रह्माजी की मानसिक शक्ति से निर्मित दिव्य चक्र के पृथ्वी पर गिरने से एक गोलाकार कुण्ड बन गया जो चक्रतीर्थ कहलाया।
- ***व्यास गद्दी***– चक्रतीर्थ के निकट व्यास गद्दी तीर्थ है, जहाँ व्यास ने वेद को चार भागों में विभाजित किया तथा पुराणों की रचना की थी।
- ***सूत गद्दी***– यहाँ सूत और शौनक संवाद हुआ था।
- ***श्री ललिता देवी का मन्दिर*** – यह स्थान चक्रतीर्थ के निकट ही है। कहते हैं कि ब्रह्माजी के आदेश से यहाँ ललिता नामक शक्ति ने अवतरित होकर ब्रह्मा जी के चक्र की शिखा पकड़कर उसे स्तंभित कर दिया था। भक्तजनों में इस मंदिर का बहुत महत्व है।
- ***श्री हनुमान गढ़ी एवं पंच पाण्डव***– यहाँ हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। जनश्रुति के अनुसार हनुमान जी अहिरावण का वध कर श्रीराम तथा लक्ष्मण को लेकर इसी स्थान पर पाताल तोड़कर प्रकट हुए थे। यहीं पर पाण्डवों का भी मंदिर है। पाण्डवों ने अज्ञातवास के समय यहीं निवास किया था।
- **मिश्रिख**– नैमिषारण्य से 10 कि.मी. दूरी पर मिश्रिख स्थित है। कथा है कि यहाँ पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थि दान करने के पूर्व समस्त तीर्थों के जल से स्नान किया था, जिससे इसका नाम मिश्रित अथवा मिश्रिख पड़ा। यहाँ महर्षि दधीचि आश्रम और सीताकुण्ड दर्शनीय है।

गोरखनाथ मन्दिर (गोरखपुर)– जिस स्थान पर महायोगी गोरखनाथ जी ने खिचड़ी का प्रसाद बाँटा था और चमत्कार दिखाया था, उसी स्थान पर गोरखनाथ जी का मन्दिर स्थापित है। इस नगर का नाम तभी से महायोगी के नाम पर गोरखपुर पड़ा। महायोगी जी की यह तपस्थली है और नाथ सम्प्रदाय की सिद्धपीठ है।

शुक्रताल (जिला मुजफ्फरनगर)– यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को महाभारत की कथा सुनाई थी। कार्तिक में पूर्णमासी एवं एकादशी पर हजारों भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। प्रायः प्रत्येक मास में भागवत सप्ताह का आयोजन होता है। यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायियों के मन्दिर हैं।

भरत कुण्ड– जिला अयोध्या से 25 कि.मी. दूर नन्दिग्राम के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ पर भरत जी ने श्री रामचन्द्र जी के वनवास की अवधि में 14 वर्ष तक तपस्या की थी।

किछौछा (जिला अम्बेडकर नगर)– यहाँ मुस्लिम संत सैयद महमूद शाह अशरफ जहाँगीर की दरगाह है।

बांगरमऊ– यह जिला उन्नाव में एक छोटा सा कस्बा है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यहाँ स्थित राजराजेश्वरी श्री विद्या का मन्दिर है। इसमें जगदम्बा की एक बड़ी सुन्दर प्रतिमा है, जो अष्ट धातुओं के मिश्रण से बनी है। मन्दिर कुण्डलिनी-योग विचारधारा पर आधारित है तथा स्थापत्य कला की दृष्टि से विशिष्ट महत्व का है।

बांसा– बाराबंकी से लगभग 16 कि.मी. दूर स्थित बांसा मुसलमानों के लिए सुप्रसिद्ध सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह के कारण एक तीर्थ स्थान बन गया है।

बाराबंकी– लखनऊ से लगभग सत्ताइस कि.मी. की दूरी पर जनपद बाराबंकी है, जहाँ महादेवा, किन्तूर, कोटवाधाम आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। यहाँ महादेव की स्थापना, कहा जाता है कि स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने की थी। किन्तूर ग्राम में महारानी कुन्ती द्वारा स्थापित कुन्तेश्वर मन्दिर है। इसी जनपद के ग्राम बदोसराय में हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतीक सलामत शाह की मजार है।

अतरंजीखेड़ा : अतरंजीखेड़ा उत्तर प्रदेश में काली नदी के तट पर एटा जिले में स्थित है। यहाँ से गैरिक मृदभाण्ड संस्कृति से लेकर गुप्त युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ह्वेनसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में 'अतरंजीखेड़ा' को 'पि-लो-शा-न' कहा है। अतरंजीखेड़ा से गैरिक मृदभाण्ड तथा कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष मुख्यतया चित्रित धूसर मृद्भाण्ड संस्कृति से सम्बद्ध हैं। इस युग में 1000 ई.पू. के लौह-प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुण्ड तथा कटे निशान वाले पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इस युग को उत्तर वैदिक युग से सम्बद्ध स्वीकार किया जाता है। उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के चरण में अतरंजीखेड़ा एक नगर के रूप में उभरा था। यहाँ के लोग प्रायः कृषिजीवी और स्थिर प्रवृत्ति के थे। अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्तों से सम्बद्ध अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।

अयोध्या : अयोध्या उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले में सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम अयाज्सा था। अयोध्या उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित है, इस कारण अयोध्या की एक आर्थिक पृष्ठभूमि भी रही है। यही कारण है कि अयोध्या में उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति से लेकर गुप्तकाल तक के साक्ष्य मिले हैं। महाजनपद युग में अयोध्या कोशल जनपद की प्रमुख नगरी थी। बौद्ध परम्परा के अनुसार यहाँ अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। जैन ग्रन्थों में आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों का जन्मस्थल अयोध्या को ही माना गया है। अयोध्या नगरी भारत की सप्तमहापुरियों में से एक है। इस नगरी को भगवान श्री राम के जन्म स्थान का गौरव प्राप्त है। यह नगरी बहुत समय तक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की राजधानी रही। इस नगरी में श्री राम, सीता और दशरथ से सम्बन्धित अनेक स्थान हैं। अयोध्या पर बैक्ट्रियाई यूनानियों के आक्रमण हुए थे। अयोध्या से पुष्यमित्र शुंग का एक लेख प्राप्त हुआ है। गुप्तों के काल में अयोध्या प्रमुख नगरी थी। साकेत इस क्षेत्र का ही नाम है। ह्वेनसांग ने अयोध्या में अनेक बौद्ध मन्दिरों का उल्लेख किया है।

अहिच्छत्र : अहिच्छत्र की समता (पहचान) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित रामनगर से की गयी है। उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित होने के कारण अहिच्छत्र में नागरिक विकास के तत्व उभरे थे, इस कारण यहाँ से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर गुप्तोत्तर युग तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अहिच्छत्र से चित्रित धूसर मृद्भाण्ड तथा लाल मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। महाजनपद युग में यह उत्तरी

पांचाल की राजधानी थी। अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया था। ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी समय के 'मित्र' उपाधि वाले राजाओं के सिक्के भी मिले हैं। कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल में अहिच्छत्र एक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। अहिच्छत्र के शासक अच्युत को सम्राट समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। यहाँ से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष भी प्राप्त हुए हैं।

आलमगीरपुर : आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के समीप स्थित है। आलमगीरपुर के उत्खनन से प्राप्त अवशेष सैन्धव सभ्यता के पूर्वी विस्तार की पुष्टि करते हैं। यह स्थल उत्तर-हड़प्पा सभ्यता का भी केन्द्र था। आलमगीरपुर से कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

आगरा : आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित महानगर है। आगरा की स्थापना 1504 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने की थी, उसने इसे सामयिक महत्व का स्थान घोषित कर सैनिक-राजनीतिक केन्द्र बनाया था। मध्य युग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक-आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था। मुगल सम्राट अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की भी यह राजधानी रही थी। जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्मादद्दौला का शानदार मकबरा निर्मित कराया था। शाहजहाँ ने किले में अनेक भव्य भवन निर्मित कराकर आगरा को वैभव प्रदान किया था। इन भवनों में जहाँगीरी एवं अकबरी महल प्रमुख थे। शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्यकला के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हैं। मुगलकाल में आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। यह व्यावसायिक केन्द्र के रूप में समस्त भारत में चर्चित था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में नील की खेती होती थी। सभी यूरोपियन यात्रियों (राल्फ फिच, बर्नियर, आदि) ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है।

कन्नौज : प्राचीन भारत में कान्यकुब्ज के नाम से चर्चित कन्नौज उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में यह प्रदेश का जनपदीय नगर है और गंगा नदी तट पर स्थित है। गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण कन्नौज का आर्थिक महत्व ईसा पूर्व शताब्दियों से रहा था। कन्नौज का उल्लेख टॉलेमी के 'द ज्योग्राफी' एवं पतंजलि के महाभाष्य तथा सभी पुराणों, महाभारत एवं चीनी यात्रियों (फाह्यिान, ह्वेनसांग) के यात्रा-विवरणों में प्राप्त होता है। कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले मद्भाण्ड युग से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं। गुप्तों और मौखरियों के समय यह प्रमुख नगर था। पुष्यभूति शासक हर्षवर्द्धन के समय कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति हुई थी। ह्वेनसांग ने तत्कालीन वैभव की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उस समय कन्नौज 'नगरमहोदय श्री' कहलाता था। हर्षोत्तर युग में कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुए त्रिदलीय संघर्ष का कारण इस नगर का वैभव व आर्थिक-राजनीतिक महत्ता थी। प्रतिहारों ने सर्वाधिक समय तक अपना प्रभुत्व कन्नौज में स्थापित रखा था। 1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। मुहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था। कन्नौज शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का ऐतिहासिक केन्द्र लगभग 1000 वर्षों तक बना रहा था। यहाँ हिन्दू व बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षा-विधि प्रचलित रही थी। यहाँ के बौद्ध महाविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन-अध्यापन किया था। राजशेखर, भवभूति, वाण कन्नौज से सम्बद्ध रहे थे। ह्वेनसांग के अनुसार कन्नौज में अशोक ने स्तूप निर्मित कराया था। इस प्रकार कन्नौज प्राचीन व मध्यकाल का चर्चित नगर था। यहाँ हजारों वर्ष पुराने खण्डहर, मंदिर और मस्जिद पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं। इनमें से कुछ हैं :–

क्षेमकली देवी का मन्दिर– यह अब भी जिले के पूर्वी किनारे पर एक चबूतरे पर सुशोभित है। क्षेमकली देवी राजमहल की प्रमुख देवी थीं। इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही कोई कार्य प्रारम्भ किया जाता था। इसी स्थान पर सम्राट जयचन्द्र की तोप रखी रहती थी।

पद्मावती सती मन्दिर– कन्नौज से 5 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में देवरिया ताल के पूर्वी तट पर लाखन की रानी पद्मावती सती हुई थीं जिनकी पुण्य स्मृति में पद्मावती सती मन्दिर बना हुआ है। सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन भी होता है।

जयचन्द्र के किले के अवशेष– राजा जयचन्द्र के किले की अवशेष यहाँ पाये जाते हैं।

राजा जयचन्द्र की सोलहद्वारी तथा बारहद्वारी– कन्नौज से 3 कि.मी. की दूरी पर यह वह स्थान है जहाँ आल्हा और ऊदल की कचहरी लगती थी। यहाँ आज भी प्राचीन भवनों के अवशेष उपलब्ध हैं। चिन्तामणि मन्दिर, गौरीशंकर मन्दिर, मकदून जहानियाँ की मस्जिद, हाजी शरीफ मंदिर, अजयपाल, जामा मस्जिद, बालापीर, फूलवती देवी का मंदिर आदि दृष्टव्य हैं।

कपिलवस्तु : कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से की गयी है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी (नेपाल) इसके समीप ही है। यह क्षेत्र तराई में है। कपिलवस्तु के विषय में पालि एवं संस्कृत ग्रन्थों तथा पुरातात्विक अवशेषों से विशेष प्रकाश पड़ता है। कपिलवस्तु का अर्थ कपिल ऋषि के वास (स्थान) से लगाया गया है। बौद्धकाल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी। कुषाणों के सिक्के कपिलवस्तु के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरुषपुर मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल रहा था, इसलिए कपिलवस्तु में आर्थिक-व्यापारिक सक्रियता के साक्ष्य मिलते हैं। महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प प्रचलित थे।

कुशीनगर : कुशीनगर की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया स्थल से की गयी है। दिव्यादान, दीघनिकाय, अशोक के आठवें वृहद् शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों से कुशीनगर की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण (483 ई.पू.) कुशीनगर में ही हुआ था। गुप्तकाल तथा कुशीनगर का प्रमुख महत्व स्थापित रहा था। श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इसका आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था। प्रमुख बौद्ध नगरी होने के कारण अशोक के समय में कुशीनगर में अनेक स्थापत्य कृतियाँ निर्मित हुई थीं। यह स्थापत्य निर्माण गुप्तकाल में भी खूब रहा था। अशोक ने यहाँ स्तूप व विहार निर्मित कराये थे। कुशीनगर से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के समय हरिबल ने भी स्तूप एवं विहार निर्मित कराये थे। कुशीनगर के व्यापारियों एवं शिल्पियों के द्वारा मुद्रा-परिचालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।

कौशाम्बी : कौशाम्बी की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक गाँव से की गयी है। वर्तमान में यह जनपद के रूप में जाना जाता है। जैन, बौद्ध साहित्य तथा पुरातात्विक अवशेषों से कौशाम्बी पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। फाहियान तथा ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों में कौशाम्बी की विस्तृत चर्चा की गयी है। कौशाम्बी को आद्य-नगरीय स्थल भी स्वीकार किया जाता है। महाजनपद युग में कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पश्चात् कौशाम्बी आर्थिक तथा धार्मिक महत्व का केन्द्र स्थल बन गयी थी। कौशाम्बी उत्तरापथ और दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल थी। मौर्योत्तर युग तक यह महत्वपूर्ण नगर रहा था; यहाँ से विमकडफिसस तथा कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मघों ने कौशाम्बी को राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरी शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक-आर्थिक महत्व प्रदान किया था। कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण के आक्रमण से विशेष

क्षति पहुँची थी। इस प्रकार दीर्घकाल तक कौशाम्बी का सांस्कृतिक-आर्थिक-राजनीतिक-सामयिक महत्व स्थापित रहा था। बुद्ध की यह कार्यस्थली के रूप में सदैव चर्चित रही थी। यह थेरपन्थ का प्रमुख केन्द्र थी। घोषितारामविहार, अशोक का प्रयाग स्तम्भ इसके सांस्कृतिक महत्व के साक्ष्य हैं।

कड़ा : कड़ा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से 64 किमी. पश्चिम में गंगा तट पर स्थित है। गंगा-यमुना दोआब तथा प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होने के कारण कड़ा का आर्थिक महत्व रहा था। इस कारण सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता (सूबा) था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न किया था। 1296 ई. में ही कड़ा में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी और अपने को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया था। कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। शाहजादा सलीम ने 1602 ई. में अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके कड़ा दुर्ग में ही शरण ली थी। 1765 ई. में सन्धि के अनुसार अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेज कम्पनी को कड़ा सौंप दिया था। भक्त सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी।

कालिंजर : उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद में कालिंजर दुर्गीकृत स्थल है। पूर्वमध्य युग में कालिंजर में राजपूतों का शासन था। बारहवीं शताब्दी के बाद से कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों से प्रभावित रहा था। 1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था। 1202 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था। 1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान में बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गयी थी। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर कालिंजर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कालिंजर का सदैव सामयिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था।

कालपी : कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका आर्थिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था। दसवीं शताब्दी ई. में कालपी में चन्देलों का शासन स्थापित था। काल प्रियनाथ सूर्य मंदिर महर्षि वेदव्यास की जन्म स्थली, किला के ध्वंसावशेष, पाहलाल का मंदिर, बीरबल का महल, चौरासी गुम्बद महत्वपूर्ण है। कालपी में ही देवब्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी।

कोइल : कोइल अथवा कोल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित किया था। इब्नबतूता कोइल के नगर वैभव की प्रशंसा करता है। सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल की अधीनता स्वीकार कर ली थी।

गढ़वा : गढ़वा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासकों, कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत् 98 की तिथि अंकित है। शिलालेखों से दानगृह को दान देने की सूचना प्राप्त होती है। स्कन्दगुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत् 148 की तिथि अंकित है। इस लेख से विष्णु की प्रतिमा की स्थापना एवं पूजा के लिए दान दिये जाने की सूचना मिलती है।

चुनार : चुनार उत्तर प्रदेश में विन्ध्य के पहाड़ी क्षेत्र में गंगानदी के तट पर मिर्जापुर जिले में स्थित है। मध्यकाल में चुनार सामयिक महत्व के कारण सदैव चर्चित रहा था; चुनार से पूर्वी भारत पर नियन्त्रण रखा जा सकता था। चौदहवीं शताब्दी में चुनार में चन्देलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने

चुनार पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की घेराबन्दी की थी परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया था। यहाँ के दुर्ग में आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भर्तृहरि का मन्दिर है। पास ही बल्लभ सम्प्रदाय का कूप मन्दिर है, जहाँ श्री विट्ठलनाथ जी की गद्दी है।

जौनपुर : उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर स्थित जौनपुर जिला मुख्यालय है। जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी। तुगलक वंश के पतन के समय जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में स्वतन्त्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई। 1492 में सिकन्दर लोदी ने पुनः जौनपुर को दिल्ली सल्तनत को अंग बना लिया था। जौनपुर अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों एवं स्थापत्य कला के लिए चर्चित रहा था। साहित्य, स्थापत्य कला (अटाला मस्जिद), संगीत कला के लिए जौनपुर के शर्की सुल्तानों का योगदान चिरस्मरणीय रहा। इसी विशेषता के कारण जौनपुर को 'शीराज-ए-हिन्दी' कहा जाता था।

झाँसी : उत्तर प्रदेश का जिला नगर झाँसी मध्यकालीन नगर है; झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओरछा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी। 1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गयी थी। तत्पश्चात् झाँसी पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित रहा था। रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ई. के महान् विद्रोह में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार कराकर भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की थी। झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अवशेष सुरक्षित हैं।

देवगढ़ : देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला संस्कृति की जानकारी ज्ञात होती है। देवगढ़ में मूर्तियों सहित मन्दिर प्राप्त हैं जो गुप्तकालीन हैं। इनमें दशावतार मन्दिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है, यह भगवान विष्णु का मन्दिर पाषण-स्थापत्य का सुन्दर प्रतीक है। नव तथा सिह की गुफा देवगढ़ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। यहाँ से चन्देलों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं।

ललितपुर : कला इतिहास की नगरी ललितपुर गुप्त कालीन मूर्तिकला तथा आदिमानव की गुफाओं में मौजूद भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चाँदपुर-जहाजपुर, दुघई, रणछौर जी, सीरोन, पबा, आल्हा, उदल की बैठकी मदनपुर, नीलकंठ शिव मंदिर वाली, तालवेहट तथा बानपुर का किला, हजारिया महादेव आदि प्रसिद्ध स्थल हैं।

प्रयागराज : प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के संगम पर स्थित है। मौर्योत्तर युग के पश्चात् के कालखण्ड में जब व्यापारिक ठहराव की स्थति रही, उस समय दोआब की उपजाऊ भूमि में स्थित प्रयाग का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक महत्व बहुत बढ़ता चला गया। गुप्त युग से प्रयाग का धार्मिक-राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया था। प्रयागराज से अशोक स्तम्भ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। प्रयाग-प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सैनिक एवं कलात्मक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। एस.आर. गोयल का कथन है कि पाटलिपुत्र के पूर्व प्रयागराज गुप्त सामन्तों की राजधानी भी रही थी। गुप्तों के सम्राट बनने के उपरान्त प्रयाग उनकी धार्मिक-सांस्कृतिक राजधानी बनी रही। गुप्तों के पतन के पश्चात् हर्षवर्द्धन गुर्जर-प्रतिहारों, चन्देलों, गहड़वालों का आधिपत्य प्रयागराज पर स्थापित रहा था। अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 'इलाहाबाद' नाम दिया जो आज सर्वाधिक प्रचलित-चर्चित है। प्रयागराज का धार्मिक महत्व (त्रिवेणी संगम) के कारण सदैव रहा है। इसे तीर्थराज कहा जाता है। हर्षवर्द्धन प्रति पाँचवें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था। कालिदास, कल्हण, अल्बरूनी ने प्रयागराज के धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व की चर्चा की है।

फतेहपुर सीकरी : फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा के समीप स्थित है। मध्यकाल में अकबर ने इसे प्रसिद्धि प्रदान की थी; अकबर यहाँ के प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती के कारण इसको पवित्र भूमि मानते थे। सलीम (जहाँगीर) का जन्म यहीं हुआ था। तत्पश्चात् अकबर ने यहाँ शानदार स्थापत्य स्मारक बनवाये। 1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंच महल, आदि बहुत प्रसिद्ध हैं।

बाँसखेड़ा : उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा से प्राप्त हर्षवर्द्धन का 628 ई. का ताम्रदानपट्ट लेख इतिहास स्त्रोत है। इससे हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। बांसखेड़ा, अभिलेख में पुष्यभूति के अतिरिक्त हर्ष के समस्त पूर्वजों का उल्लेख है। राज्यवर्द्धन के सैनिक अभियानों का भी वर्णन है। इस अभिलेख में प्रशासनिक इकाइयों, अधिकारियों एवं दातव्य गाँवों पर लगने वाले करों की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में हर्षवर्द्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मर्कटसागर गाँव को कर-मुक्त करके दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है, साथ ही इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है।

बदायूँ : बदायूँ उत्तर प्रदेश का जिला मुख्यालय है। दिल्ली सल्तनत काल में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता स्वीकार की जाती थी। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का ही इक्तादार था। सूफी सन्त शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूँ के ही थे। अकबर के समय का प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी भी बदायूँ का था। दिल्ली-लखनौती मार्ग का यह प्रमुख केन्द्र स्थल था अतः इसका व्यापारिक-आर्थिक महत्व था। दोआब का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसका कृषि उपज में भी महत्व स्थापित था।

बरन : वरन उत्तरप्रदेश के बुलन्दशहर जिले में स्थित है। यहाँ के राजपूत शासकों ने मुस्लिम आक्रान्ताओं का डटकर मुकाबला किया था। 1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था। 1193 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन के शासक को पराजित कर अधिकार कर लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बरन का ही निवासी था।

भीतरगाँव : भीतरगाँव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है; इसका सम्बन्ध गुप्तकालीन मन्दिर निर्माण शैली से है। गुप्तकाल में छोटी-पकी ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित यहाँ का मन्दिर का अवशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मन्दिर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बना था। भीतरगाँव के मन्दिर की उल्लेखनीय विशेषता इसमें शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना है। मन्दिर की छत पिरामिडाकार है, इसकी बाहरी दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है।

मेरठ : उत्तर प्रदेश के जिला नगर के रूप में चर्चित मेरठ प्राचीन काल से ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बद्ध रहा है। मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने यहाँ एक किला निर्मित कराया था। बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया था। फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। 10 मई, 1857 को भारत के महान विद्रोह का विस्फोट मेरठ से ही हुआ था।

राजघाट : राजघाट उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। राजघाट ऐतिहासिक महत्व से युक्त जानकारियों से सम्बद्ध पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत करता है। वर्तमान में राजघाट वाराणसी नगर का उपभाग है। राजघाट से उत्तरी काले मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वाराणसी महाजनपद युग में काशी महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ के शिल्प और व्यापारी समृद्ध थे, जिन्होंने नगर में अपने सिक्के प्रचलित किये थे। विविध प्रकार के शिल्पों का यहाँ विकास हुआ था। पतंजलि ने यहाँ के रेशम-वस्त्र शिल्प का उल्लेख किया है। यह मध्य एशिया और यूनानी-रोमन संसार से व्यापारिक सम्पर्क रखता था। ह्वेनसांग ने भी यात्रा-विवरण में इसका विस्तृत उल्लेख किया है। गुप्तकाल में इसका

अत्यधिक राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व था। शिक्षा, दर्शन का केन्द्र स्थल था: अल्बरूनी भी इसके सांस्कृतिक प्रभाव से मुग्ध था।

सरायनाहर राय : सरायनाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस स्थानीय सभ्यता की तिथि लगभग 8000 ई.पू. मानी गयी है। मध्यपाषाण युग तथा स्तम्भगर्त के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं।

श्रावस्ती : श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का जिला है। श्रावस्ती की पहचान बहराइच-गोण्डा जिलों के मध्य सेहट-मेहट गाँव से हुई है। श्रावस्ती से महाजनपद युग से गुप्तोत्तर युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाजनपद युग में कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों (उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण आर्थिक, सामयिक एवं राजनीतिक महत्व रखती थी। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। यहाँ के साहूकार अनाथपिण्डक ने जेतवनमहाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। जैन तीर्थंकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे। आजीवक सम्प्रदाय के महान् प्रवर्तक मक्खलि गोसाल की जन्मस्थली श्रावस्ती थी। श्रावस्ती से कनिष्क के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फाहियान तथा ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-विवरणों में श्रावस्ती का विस्तृत उल्लेख किया है।

सारनाथ : उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगर से 12 किमी. दूर स्थित सारनाथ प्राचीनकाल में इसिपतन मिगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव) के रूप में प्रसिद्ध था। यह बौद्ध सम्प्रदाय एवं मौर्यकला से सम्बद्ध स्थल है। भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह-शीर्ष प्रस्तर स्तम्भ बनवाया था। स्वतन्त्र भारत का राज चिह्न इसी सिंह-शीर्ष को अपनाया गया है। यह मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ के स्तम्भ पर अशोक का लघु लेख भी उत्कीर्ण है। फाहियान ने सारनाथ की यात्रा की थी, इसका विस्तृत उल्लेख उसने अपने यात्रा-विवरण में दिया है। ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था; अपने यात्रा-विवरण में ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया है। मध्य युग में गहड़वाल शासक की रानी कुमारदेवी ने यहाँ विहार और संघाराम बनवाये थे। उत्खनन में सारनाथ से गुप्तकालीन धमेख स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

सोहगौरा : सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के तथा मौर्योत्तर काल के सिक्के भी मिले हैं। कुषाणों के सिक्के तथा लौह वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं।

सम्भल : उत्तर प्रदेश सम्भल जिला मध्यकालीन भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल था। सल्तनत काल में यह महत्वपूर्ण इक्ता मानी जाती थी। मुगलकाल में भी सम्भल महत्वपूर्ण स्थल था, इसका सामयिक महत्व सदैव बना रहा था। बाबर की मृत्यु के बाद सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई अस्करी को प्रदान कर दिया था। बाबर ने यहाँ एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था।

सामूगढ़ : उत्तर प्रदेश में आगरा से 16 किमी पूर्व में स्थित सामूगढ़ शाहजहाँ के उत्तराधिकार संघर्ष का प्रमुख स्थल रहा था। 29 मई, 1658 ई. को यहाँ हुए युद्ध में औरंगजेब-मुराद की संयुक्त सेना को विजय प्राप्त हुई थी तथा दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय हो गयी थी; युद्ध में विजय प्राप्त होने के उपरान्त औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था तथा अपने को बादशाह घोषित कर दिया था।

सिकन्दरा : उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप स्थित सिकन्दरा मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के लिए चर्चित है। अकबर ने अपने जीवनकाल में इसका निर्माण प्रारम्भ कर दिया था परन्तु 1613 ई. में इसे जहाँगीर के राज्यकाल में पूरा निर्मित किया जा सका था। इस मकबरे में बौद्ध कला की स्थापत्य शैली का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है।

हुलास : हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उतर हड़प्पा युग से सम्बद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं। शुंगों और कुषाणों के समय में भी हुलास में आवासीय बस्तियाँ थीं।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती तट पर स्थित है। जनश्रुति है कि इस नगर को भगवान श्रीराम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था और इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। यहाँ एक पुराना टीला है, जो लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल से प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की थी। नवाब आसफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी और तब से 1856 ई. तक (वाजिद अली शाह तक) लखनऊ सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रही थी। आसफुद्दौला ने रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा बनवाया। आसफी मस्जिद, दौलतखाना, रेजीडेंसी, बिबियापुर कोठी और चौक बाजार का निर्माण भी आसफुद्दौला ने ही करवाया था। गाजीउद्दीन हैदर ने शाहनजफ, मोतीमहल, मुबारक मंजिल, सआदत अली और खुर्शीदजादी के मकबरे बनवाये। उसने नगर के दक्षिण में एक नहर भी बनवायी। मोहम्मद अली शाह ने हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद, हुसैनाबाद बारादरी आदि इमारतें बनवाईं। प्रसिद्ध छतर मंजिल का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के सम्मान में यहाँ बनवाया गया शहीद स्मारक, चिड़ियाघर और नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी दर्शनीय हैं। यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम संत शाहमीना की मजार है। शाहमीना लगभग 500 वर्ष पूर्व दिवंगत हुए और मुस्लिम महीने 'रजब' के प्रथम गुरुवार को इनका वार्षिक उर्स मनाया जाता है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही उनके भक्त हैं। बसन्त पंचमी को आयोजित 'बसन्त की नौचन्दी' में दोनों ही भाग लेते हैं। कत्थक का यह केन्द्र रहा है। 1857 के महान् विद्रोह की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने इतिहास रचा था। लखनऊ महानगर शिया सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र है। ईरान में इस्लामी क्रान्ति के नेता इमाम खुमैनी के पूर्वज लखनऊ से ईरान गये थे। हिन्दुस्तान में रहने के कारण उन्हें ईरान में 'हिन्दल' कहा जाता था। आज भी लखनऊ, बाहर से आने वाले शिया सम्प्रदाय के लिए एक पवित्र नगर है।

दर्शनीय स्थल (लखनऊ)

लखनऊ में 21वीं सदी के प्रथम दशक में सौन्दर्य के नये प्रतिमान जुड़े हैं। इनमें प्रमुख रूप से डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक दृश्य स्थल, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल हैं।

- **डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क, गोमती नगर**

लखनऊ की प्रतिष्ठित गोमतीनगर योजना के विपिन खण्ड में लगभग 80 एकड़ क्षेत्रफल पर डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगाये गये हैं तथा शरद, वसन्त एवं वर्षा ऋतु के समय 50 से अधिक प्रजाति के पक्षी इस पार्क में निवास करते हैं। पार्क में विशाल वाटरबाडी, वृहद् लॉन, फाउन्टेन व म्यूजिकल फाउन्टेन इसके स्वरूप को नया आयाम प्रदान करते हैं। महान समाजवादी डॉ. राममनोहर लोहिया की स्मृति में विकसित इस विशाल पार्क का मुख्य भ्रमण पथ एक किमी. लम्बाई में पार्क के उत्तरी छोर को दक्षिण-पश्चिमी छोर से जोड़ता है। मुख्य भ्रमण पथ पर रफ कोटा स्टोन फिनिश तथा शेष सभी पाथवे पर विट्रीफाइड टाइल्स लगायी गयी हैं। पार्क के मध्य में एक विशालकाय पैडेस्टल पर डॉ. राम मनोहर लोहिया की 18 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा स्थापित है, जिसके पार्श्व में 25 मीटर ऊँचाई के चार पिलर स्थापित किए गये हैं, जो कि डॉ. लोहिया के चौखम्भा सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हैं। मुख्य स्मारक के निकट विकसित अर्द्ध चन्द्र पथ पर डॉ. लोहिया के छह निकट सहयोगियों के

जीवन वृत्तान्त अंकित करते हुए स्मृति स्तम्भ निर्मित किए गए हैं। पार्क में बच्चों के प्रयोग हेतु झूले, जन सुविधाओं के दृष्टिकोण से टायलेट, बेंच आदि सुविधाएँ स्थापित की गयी हैं। सभी पाथवे पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गयी है, जिस पर प्रातः व सायंकाल भ्रमण के समय कर्णप्रिय एवं मधुर संगीत बजाया जाता है।

- **डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल**

लखनऊ में गोमती नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल' 107 एकड़ (4,33,417 वर्ग मी.) क्षेत्रफल में निर्मित है। स्मारक से बढ़कर निकलने पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, सामाजिक परिवर्तन गैलरी और सामाजिक परिवर्तन स्तम्भ दर्शनीय है।

- **श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल**

श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल 60 एकड़ (2,42,811 वर्ग मी.) में विकसित है।

- **बौद्ध विहार शान्ति उपवन**

31 एकड़ (1,25,710 वर्ग मी.) के क्षेत्रफल में विकसित यह उपवन 1.2 कि.मी. की लम्बाई में है और शारदा नहर तथा वी.आई.पी. रोड के पार्श्व में है। इस उपवन के किनारे पर संरचनाएँ और विस्तृत बगीचे हैं। इसके पार्श्व में मेल खाती हुयीं सामाजिक परिवर्तन के नायकों की प्रतिमाएँ हैं। इससे आबद्ध ध्यान कक्ष और विस्तृत पुस्तकालय है।

- **श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन**

श्री कांशीराम जी स्मारक के समीप श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन है। लगभग 112 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित इस गार्डेन के अन्दर भ्रमण हेतु आने वाले आगन्तुकों की सुरक्षा एवं सुरक्षित हरित क्षेत्र उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। पार्क के अन्दर प्रवेश, पूर्वी एवं पश्चिमी चहारदीवारी पर स्थित विशाल एवं भव्य प्रवेश द्वारों द्वारा नियंत्रित किया गया है। सेन्ट्रल माउन्ड के चारों ओर एक विशाल जलाशय बनाया गया है, जिसमें फौव्वारे एवं पशु-पक्षियों की 500 से अधिक प्रतिमायें लगायी गयी हैं।

- **राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन**

राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतमबुद्ध नगर के अति महत्वपूर्ण नोएडा के सेक्टर-95 में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डेन यमुना नदी के किनारे 3.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान में बनाया गया है।

हुलासखेड़ा : हुलासखेड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थित है। हुलासखेड़ा से कुषाणकाल से गुप्त युग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन अवशेषों में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं- 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल-निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चाँदी के आहत सिक्के और तीन कुषाण शासकों के ताम्र सिक्के। हुलासखेड़ा से जो गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें दुर्ग के भग्नावशेष, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में लिखी कुछ मुहरें, हाथीदाँत की कंघी, मोहर छापे, 17 छड़ों वाली लोहे की अण्डाकार वस्तुएँ प्रमुख हैं।

पर्व और मेले

प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 2,250 मेले लगते हैं। सबसे अधिक मथुरा में (86) और उसके बाद कानपुर में (79) तथा हमीरपुर में (79) मेले लगते हैं। झाँसी में 78, आगरा में 72 तथा फतेहपुर में 70 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं।वाराणसी नगर महापालिका में फातमा (चेतगंज) में लगभग 1,00,000 आदमी मुहर्रम के दसवें दिन एकत्र होते हैं।

प्रति बारहवें और छठे वर्ष कुम्भ एवं अर्द्ध कुम्भ मेला प्रयागराज तथा हरिद्वार में लगता है। इनमें बहुत विशाल संख्या में लोग आते हैं।

सूर्य एवं चन्द्र-ग्रहण के अवसरों पर गंगा स्नान के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वाराणसी एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर एकत्र होते हैं।

राज्य में विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों द्वारा लगभग 40 त्योहार मनाये जाते हैं। हिन्दुओं द्वारा मनाये जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं :– शीतला-अष्टमी, रक्षाबन्धन, वैशाखी पूर्णिमा, बरगदी अमावस्या, ज्येष्ठ दशहरा, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, हलषष्ठी, कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी, पितृ विसर्जनी अमावस्या, दुर्गा-नवमी, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भय्या दूज, देवोत्थानी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, सकट चौथ, मकर संक्रांति, वसन्त पंचमी, शिवरात्रि और होली।

बौद्ध बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयन्ती तथा सिख गुरु नानक जन्मदिवस मनाते हैं। इन त्योहारों में हिन्दू भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।

मुसलमानों के प्रमुख त्योहार हैं– रमजान, ईदुज्जुहा, मोहर्रम, ईदुलफितर, बारावफात और शब-ए-बरात। ईसाइयों के मुख्य पर्व हैं– नववर्ष दिवस, गुड-फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस।

पर्यटन उत्सवों पर लगने वाले मेले

	स्थान	उत्सव		स्थान	उत्सव
1.	लखनऊ	लखनऊ महोत्सव	2.	वाराणसी	वाराणसी पर्यटन उत्सव
3.	वाराणसी	संकट मोचन संगीत उत्सव	4.	वाराणसी	गंगा महोत्सव
5.	प्रयागराज	कुम्भ मेला	6.	प्रयागराज	अर्द्धकुम्भ मेला
7.	प्रयागराज	माघ मेला	8.	प्रयागराज	वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
9.	प्रयागराज	पर्यटन उत्सव	10.	आगरा	ताज महोत्सव
11.	आगरा	कैलाश मेला	12.	आगरा	बटेश्वर मेला
13.	आगरा	राम बारात	14.	बटेश्वर (आगरा)	ऊँट मेला
15.	मथुरा	होलिकोत्सव	16.	मथुरा (मथुरा सर्किल गोकुल)	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
17.	वृन्दावन (मथुरा)	मुड़िया मेला	18.	बरसाना ब्रज (मथुरा)	लठ्ठमार होली
19.	अयोध्या	परिक्रमा मेला	20.	अयोध्या	रामायण मेला अयोध्या
21.	देवा (बाराबंकी)	देवा मेला	22.	मगहर (बस्ती)	कबीर मेला
23.	कम्पिल (फर्रुखाबाद)	कम्पिल पर्यटनोत्सव	24.	फर्रुखाबाद	राम नगरिया मेला श्रमीरामपुर मेला
25.	कन्नौज	कन्नौज पर्यटनोत्सव	26.	चित्रकूट	रामायण मेला
27.	मेरठ	नौचँदी मेला	28.	सरधाना (मेरठ)	सरधाना महोत्सव
29.	झाँसी	झाँसी आयुर्वेद महोत्सव	30.	बाँदा	कालिन्जर मेला
31.	कानपुर	बिठूर गंगा महोत्सव	32.	एटा	सोरों मेला
33.	गोरखपुर	खिचड़ी मेला	34.	उत्तर प्रदेश	गंगा दशहरा
35.	उत्तर प्रदेश	नकैया चेतगंज	36.	सैफई (इटावा)	सैफई महोत्सव

उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति

कबीर : कबीर का जन्म 1425 ई. में वाराणसी में हुआ था। कहते हैं वे एक विधवा ब्राह्मणी की सन्तान थे, जिन्हें लोकलाज के भय से उन्हें जन्मते ही लहरतारा तालाब के समीप छोड़ दिया गया था। निःसन्तान जुलाहा दम्पति (नीरू व नीमा) ने उसे पाला-पोसा और उसका नाम 'कबीर' रखा था जिसका अर्थ होता है 'महान'; इस प्रकार कबीर का प्रारम्भिक जीवन मुस्लिम परिवेश में व्यतीत हुआ। कबीर की शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं हुई थी, उनका ज्ञान जीवन के गहन अनुभवों पर आधारित था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वामी रामानन्द को अपना गुरु बनाया। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर कठोर आघात किया तथा समाज-सुधार करने की लोगों को प्रेरणा दी थी। मध्ययुगीन समाज-सुधारकों में कबीर का व्यक्तित्व व कृतित्व अनुपम रहा था। वे मात्र भक्त ही नहीं अपितु एक युगस्त्रष्टा, समाज-सुधारक, महात्मा तथा उच्च गुणों से युक्त महामानव थे। कबीर ने युग-युग से प्रताड़ित समाज के निम्न वर्ग को अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा सम्मानजनक स्थान तक पहुँचाने की चेष्टा की थी, उनके आत्म-सम्मान को जगाया था।

निजामुद्दीन औलिया : निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूँ में हुआ था। 1236 ई. में जन्मे निजामुद्दीन औलिया का प्रारम्भिक जीवन कष्टप्रद था। 1256 ई. में निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य बन गये थे। उन्हीं के प्रभाव से निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती सम्प्रदाय को अपनाया तथा उसका प्रचार करना प्रारम्भ किया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने सभी वर्ग के व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया था, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके यहाँ के दरवाजे खुले थे। निजामुद्दीन औलिया ने अपना सम्पूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया था। 1325 ई. में शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गयी।

बाणभट्ट : बाणभट्ट हर्षवर्द्धन के दरबार में सम्मानित कवि व विद्वान के रूप में इतिहास में चर्चित हैं। बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' व 'कादम्बरी' नामक ग्रन्थों की रचना की थी, दोनों ग्रन्थों में तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। समकालीन इतिहास को जानने के लिए ये दोनों ग्रन्थ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कन्नौज में रहने वाले इस महान् विद्वान की प्रशंसा स्वयं सम्राट हर्षवर्द्धन तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की थी।

जियाउद्दीन बरनी : जियाउद्दीन बरनी बरन (बुलन्दशहर जिले में स्थित) का निवासी था, उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना तारीख-ए-फीरोजशाही' 1265 ई. से लेकर 1358 ई. तक के इतिहास की घटनाओं को अभिव्यक्त करती है। इतिहासकार बरनी के सम्बन्ध सुल्तानों से रहे थे, मुहम्मद तुगलक, फीरोज तुगलक के सम्पर्क में वह रहा था, अतः उसकी कृति समकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अधिकांश घटनाओं का वह चश्मदीद साक्षी रहा था। बरनी की दूसरी महत्वपूर्ण कृति 'फतवा-ए-जहांदारी' तत्कालीन राज्य-व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

अमीर खुसरो : अमीर खुसरो का जन्म 1253 ई. में पटियाली में हुआ था। वह फारसी भाषा का महान् कवि व इतिहासकार था, उसने हिन्दी (हिन्दवी) में भी रचनाएँ की थीं। वह अपने को भारतीय तोता कहता था। उसे भारतीय होने का गर्व था। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। वह सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर चुका था। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये रचनायें हैं- केरानुस्सादैन, मिफताहुल फुतूह, नूह सिपेहर, दिवलरानी-खिज्र खाँ, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह।

शेख फैजी : शेख फैजी का जन्म 1547 ई. में आगरा में हुआ था। अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख मुबारक का पुत्र था। वह बचपन से कविता करने लगा था। मुगल सम्राट अकबर शेख फैजी की प्रशंसा से मुग्ध हो गया था। अकबर ने शीघ्र ही शेख फैजी को दरबार में स्थान प्रदान किया। शेख फैजी स्वतन्त्र विचारों वाला विद्वान था। धर्मान्धता का विरोध होने के कारण अकबर का कृपापात्र था। शेख फैजी अकबर के काल का श्रेष्ठ कवि व विद्वान था। बदायूँनी ने फैजी की अत्यधिक प्रशंसा की है तथा उसे काव्य, इतिहास, चिकित्साशास्त्र निबन्ध रचना में अद्वितीय बताया है। अकबर द्वारा स्थापित दीन-ए-इलाही का शेख फैजी सदस्य था। 1595 ई. में शेख फैजी की मृत्यु हो गयी थी।

अबुल फजल : अबुल फजल का जन्म 1550 ई. में आगरा में हुआ था। अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र व शेख फैजी का छोटा भाई था। अबुल फजल बहुत योग्य था तथा अपनी योग्यता के कारण ही वह अकबर का परामर्शदाता बन गया था। अबुल फजल की दो प्रमुख रचनाएँ 'अकबरनामा' व 'आइने-अकबरी' अकबरकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। अबुल फजल तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिन्दी का विद्वान था। अबुल फजल ने दक्षिणी अभियान का अकबर के साथ नेतृत्व किया था। 1602 ई. में दक्षिण से वापसी के मार्ग में वीरसिंह बुन्देला ने, शाहजादा सलीम के परामर्श से जो उसका विरोधी था, अबुल फजल की हत्या कर दी थी।

राजा टोडरमल : राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गाँव में हुआ था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था अतः युवा होने पर शेरशाह सूरी की सेवा में कार्यरत हो गया था। सूरवंश के पतन के पश्चात् उसने मुगलों की सेवा प्रारम्भ की तथा अपनी योग्यता से वह अकबर का दीवान बन गया था। अन्ततः अकबर उसकी राजस्व व्यवस्था से प्रभावित हुआ और उसे प्रधानमन्त्री का पद प्रदान किया। टोडरमल ने अपनी योग्यता व परिश्रम से मुगलों की भू-व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान कर व्यवस्थित किया। इसी कार्य से वह इतिहास में चर्चित हो गया। टोडरमल ने दहसाला बन्दोबस्त व्यवस्था स्थापित की थी। भूमि की नाप कराकर, उपज का सही मूल्यांकन करने के लिए उसका वर्गीकरण किया गया था। भूमि के आधार पर ही भूमिकर निर्धारित किया गया था, इस भू-व्यवस्था से किसानों को लाभ प्राप्त हुआ और राजस्व में वृद्धि हुई। टोडरमल एक योग्य वित्तमन्त्री के साथ-साथ कुशल सैन्य संचालक भी था। 1565 ई. में उसने उजबेगों के दमन में, 1568 ई. के रणथम्भौर अभियान में उसने अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया था। टोडरमल 1589 ई. को इस संसार से विदा हो गया और अपनी अक्षयकीर्ति को सदैव के लिए छोड़ गया था।

बीरबल : बीरबल का जन्म कालपी (जिला जालौन) में 1528 ई. में हुआ था। वह जन्म से ब्राह्मण थे, उनका मूल नाम महेशदास था। वह प्रारम्भ से ही तीक्ष्ण बुद्धि का कवि हृदय का हास्यप्रिय व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित रीवां नरेश रामचन्द्र बघेल ने उनको अपने दरबार में स्थान दिया था तत्पश्चात् उन्हें आमेर के राजा भगवानदास ने आश्रय दिया, जहाँ से वह अकबर के दरबार में नौ-रत्नों में सम्मिलित किये गये थे। बीरबल ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार कर लिया था। 1583 ई. में बीरबल दीवानी न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी नियुक्त किये गये। अकबर ने बीरबल की सेवा से प्रसन्न होकर 2,000 का मनसबदार बनाया था तथा 'कविराज' की उपाधि दी थी। 1586 ई. में बीरबल युसुफ जाइयों के साथ युद्ध में मारे गये।

तात्या टोपे : तात्या टोपे का मूल नाम 'रामचन्द्र' था। तात्या उन्हें स्नेह से कहा जाता था, अतः वह तात्या कहे जाने लगे। बिठूर में अंग्रेजों द्वारा पेन्शन प्राप्त पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उनका पालन-पोषण किया था; वे उन्हें तात्या टोपे कहते थे, इसी नाम से वे चर्चित हुए। पेशवा बाजीराज द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपन्त की पुत्री मनु (लक्ष्मीबाई के नाम से चर्चित) भी पेशवा बाजीराव द्वितीय के महल (बिठूर में) में रहती थी अतः तीनों को साथ-साथ अपना बचपन बिताने का अवसर प्राप्त हो गया; उन तीनों में एक-दूसरे के प्रति असीम स्नेह उत्पन्न हो गया था और वे सदैव एक साथ सहयोगी की भाँति रहे थे। तात्या टोपे ने सदैव नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई की सेवा की थी। 1857 ई. के महासमर में उसने (तात्या टोपे ने) अपनी गनीमी कावा रणनीति (छापामार रणनीति), अद्वितीय साहस वीरता से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। अन्ततः अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया तथा नरवर के राजा मानसिंह की सहायता से तात्या टोपे को छल से 7 अप्रैल, 1859 ई. को गिरफ्तार कर लिया और 15 अप्रैल, 1859 ई. को शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल, 1859 ई. को फाँसी पर चढ़ा दिया। निःसन्देह कानपुर, बिठूर, झाँसी, काल्पी सभी स्थानों पर उसने अंग्रेजों को 1857 ई. के प्रथम स्वतन्त्रता

संग्राम में धूल चटा दी थी। अंग्रेज उसके नाम से थर्राते थे। भारत के इतिहास में तात्या टोपे का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

महारानी लक्ष्मीबाई : महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। उनका पालन-पोषण बिठूर के महल में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देख-रेख में हुआ था। वह मोरोपन्त की पुत्री थी। पेशवा बाजीराव स्नेह से 'छबीली' कहते थे; पेशवा के स्नेह से ही उसने घुड़सवारी, तलवार चलाने की कला सीखी। सयानी होने पर उसका विवाह झाँसी के महाराज गंगाधर से हो गया और तब मनू (मणिकर्णिका) का नाम महारानी लक्ष्मीबाई हो गया। परन्तु वह कुछ ही समयोपरान्त विधवा हो गयीं; अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपनी 'हड़प नीति' द्वारा झाँसी राज्य को उत्तराधिकार से वंचित करते हुए 7 मार्च, 1854 को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी स्वीकार कराने का कम्पनी सरकार से प्रयास किया परन्तु असफल रहीं। अतः वे अंग्रेजों के प्रति क्षोभ व क्रोध से दग्ध हो गयी थीं। अन्ततोगत्वा 1857 ई. के महासमर में उन्होंने झाँसी में अंग्रेजों को भयंकर टक्कर दी। 7 जून, 1857 ई. को झाँसी पर महारानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। लगभग दस माह बाद मार्च 1858 ई. में नये अंग्रेज सेनानायक जनरल ह्यूरोज ने पुनः संघर्ष प्रारम्भ किया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अद्वितीय साहस व वीरता का परिचय दिया, इसमें अंग्रेज जनरल बहुत प्रभावित हुआ। परन्तु अल्प साधनों द्वारा वे अधिक समय तक विस्तृत अंग्रेजी साधनों का सामना करने में असमर्थ हो गयीं; फिर भी उसने आत्म-समर्पण नहीं किया, अन्ततः उनके इस महासंघर्ष में सभी सैनिक शहीद हुए और महारानी लक्ष्मीबाई ने भी 18 जून, 1858 ई. को युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। भारतीय इतिहास में इस वीरांगना का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उसने अपने देश की रक्षा व गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी; रानी लक्ष्मीबाई की वीरता व साहस से अंग्रेज भी प्रभावित थे। महारानी लक्ष्मीबाई के वीरगति प्राप्त होने की जानकारी मिलने पर स्वयं उनके विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने कहा था, ''विद्रोहियों में अगर कोई जवांमर्द था तो वह झाँसी वाली रानी थी।''

रानी दुर्गावती : बुन्देलखण्ड के राठ-महोबा के चन्देल राजा शालिवाहन की पुत्री दुर्गावती विंध्यांचल-सतपुड़ा के अंचल में राज करने वाले स्थानीय गौढ-गढ राज्य के प्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु थी। पति दलपत शाह के निधन के बाद अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में उन्होंने चौदह वर्ष (सन् 1550-1564 ईस्वी) तक शासन किया। उन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर और आक्रान्ता मियाना अफगानों को तो परास्त किया ही, मुगल बादशाह अकबर के भेजे सेनापति आसफखान को कड़ी टक्कर दी थी। युद्ध क्षेत्र में ही खुद को कटार घोंप कर आत्म बलिदान कर एक गौरवशाली इतिहास रच दिया।

नाना साहब : नाना साहब का नाम भारतीय राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संघर्ष में चिरस्मरणीय है। नाना साहब का प्रारम्भिक नाम गोविन्द था परन्तु वे अपने परिवार में 'घोड़ोपन्त' के नाम से चर्चित थे। उनका पालन-पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में किया था तथा प्यार में वे 'नाना' कहलाने लगे थे। पेशवा बाजीराव को प्राप्त पेन्शन से नाना को वंचित कर दिया गया था, अतः उन्होंने कम्पनी सरकार के विरुद्ध अपील करने हेतु अजीमुल्ला को इंग्लैण्ड भेजा परन्तु असफलता ही हाथ लगी, फलस्वरूप 1857 के महासमर में उन्होंने अंग्रेजों से डटकर संघर्ष किया। अंग्रेज सरकार ने नाना को पकड़ने हेतु एक लाख रुपये की घोषणा की थी, परन्तु उन्हें पकड़ा नहीं जा सका; वे अन्तिम दौर तक संघर्षरत रहे यद्यपि अंग्रेजों के विस्तृत साधनों के समक्ष वे सफल न हो सके। अन्ततः वे नेपाल के जंगलों की ओर पलायन कर गये, परन्तु अपनी वीरता, साहस की गाथा अपने भारतीय लोगों के लिए छोड़ गये जो उन्हें अनुप्राणित करती रही और सदैव प्रेरित करती रहेगी।

बेगम हजरत महल : 1857 ई. के सैनिक विद्रोह व प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेजों की कैद में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में थे, अतः अवध के प्रशासन की बागडोर बेगम

हजरतमहल के हाथों में थी। उसने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इस संघर्ष में बेगम हजरतमहल ने अवध के किसानों तथा जमींदारों का अपूर्व सहयोग प्राप्त किया था। अवध में 30-31 मई, 1857 ई. को भीषण संघर्ष का सूत्रपात हो गया; संघर्ष व्यापक हो गया और अंग्रेजों को भागना पड़ गया। परन्तु बेगम हजरत महल के साधन अल्प थे, अंग्रेजों को पंजाब व नेपाल से सहायता प्राप्त हो गयी और उन्होंने सितम्बर 1858 ई. में लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल ने पराजित होने पर भी आत्म-समर्पण नहीं 1564किया, वे नेपाल पलायन कर गयीं, परन्तु अपनी वीरता, साहस तथा देशभक्ति से सम्पूर्ण भारतवासियों को गौरव पथ पर चलने के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गयीं। इतिहास में वे सदैव स्वर्णअक्षरों में अंकित रहेंगी।

अजीजन बेगम : 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम की बलिदानी महिलाओं में कानपुर की नाचने-गाने वाली महिला अजीजन बेगम का नाम विशेष चर्चित है। उनका जन्म लखनऊ में हुआ था, दुर्भाग्य की थपेड़ों से वे कानपुर आईं और उस समय की मशहूर तवायफ उमराव जान अदा के साथ नाचने-गाने का काम करने लगीं; यहीं उनका सम्पर्क क्रान्तिकारियों से हुआ। नाना साहब के आह्वान पर अजीजन बेगम ने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया; शीघ्र ही वे महिला सशस्त्र दल की नेता बन गयीं। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉर्ज ट्रेवेलियन ने अजीजन बेगम को एक योद्धा के रूप में वर्णित करते हुए लिखा है, ''घोड़े पर सवार सैनिक वेश-भूषा में अनेक तमगे लगाये और हाथ में पिस्तौल लिए अजीजन बिजली की तरह अंग्रेज सैनिकों को रौंदती चली जाती थी, उसके साथ महिलाओं की घुड़सवार टुकड़ी भी घूमा करती थी। सैनिकों को हथियार देना, प्यासे सैनिकों को पानी पिलाना एवं घायलों की देखभाल करना, उसके प्रमुख कार्य थे।'' पं. सुन्दरलाल ने अपनी पुस्तक 'भारत में अंग्रेजी राज' में लिखा है कि कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली अजीजन बेगम ही थी। सम्भवतः ऐसा उसने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों के कारण क्रोध और घृणा के आवेश में किया होगा। अन्ततः अजीजन को गिरफ्तार कर अंग्रेज कमाण्डर सर हेनरी हेवलाक के समक्ष लाया गया। एक मुस्लिम क्रान्तिकारी (अजीमुल्ला खाँ) का पता बताने की शर्त पर उसे माफी देने का वायदा किया गया। अजीजन ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया फलस्वरूप उसे गोली से उड़ा दिया गया। गोली लगने से ठीक पहले उसने जयघोष किया, ''हिन्दुस्तान अमर रहे'' और फिर शहीदों की टोली में मिल गयीं।

सर सैयद अहमद खाँ : सर सैयद अहमद खाँ का जन्म 1817 ई. में दिल्ली में हुआ था। 1839 ई. में उन्होंने आगरा के अंग्रेज कमिश्नर की अधीनता में सेवा प्रारम्भ की। 1857 ई. में वह सदर अमीन नियुक्त थे। 1876 ई. में सर सैयद अहमद खाँ सरकारी सेवा से निवृत्त होकर समाज-सुधारक बने। वे मुस्लिम समाज में सुधार चाहते थे। मुसलमानों में नयी शिक्षा का प्रसार चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल स्कूल स्थापित किया व 1878 ई. में मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आन्दोलन चलाया था। 1898 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी।

मोतीलाल नेहरू : पं. मोतीलाल नेहरू का जन्म 1861 ई. में हुआ था। उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में वकालत प्रारम्भ की, जिसमें वे पूर्ण सफल हुए। उनकी गणना भारत के महान् वकीलों में की जाती थी। स्वदेशी आन्दोलन के दौर में उन्होंने राजनीति में सक्रियता प्रदर्शित की थी। 1919 ई. में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। असहयोग आन्दोलन के स्थगित हो जाने के उपरान्त उन्होंने स्वराज दल गठित किया। साइमन कमीशन के विरोध करने के पश्चात् नेहरू रिपोर्ट तैयार की जो आधुनिक संविधान

का ब्लू प्रिण्ट स्वीकार की जाती है। 1930 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था, ''मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था, परन्तु मेरी इच्छा पूर्ण न हो सकी।''

पं. मदन मोहन मालवीय : पं. मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में 27 दिसम्बर, 1861 ई. को हुआ था; शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त वे शिक्षक बने तथा समाज सेवा भी प्रारम्भ की। 1902 ई. में वे संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद् के लिए निर्वाचित हुए थे। 1910 ई. से 1920 ई. तक वे केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे थे। उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (लन्दन में आयोजित) में भाग लिया था। 1934 ई. में 'साम्प्रदायिक निर्णय' का उन्होंने घोर विरोध किया था। मालवीय जी देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे। मालवीय जी भारत के पिछड़ेपन का कारण भारतीयों की निरक्षरता को मानते थे अतः उन्होंने भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने बनारस (अब 'वाराणसी') में 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' की स्थापना की (1918 ई. में)। 1946 ई. में मालवीय जी की मृत्यु हो गयी थी।

पं. जवाहरलाल नेहरू : स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर, 1889 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। उनके पिता पं. मोतीलाल नेहरू भारत के प्रतिष्ठित वकील थे। पं. जवाहरलाल नेहरू पर उनके शिक्षक ब्रुक्स का बहुत प्रभाव था। ब्रुक्स ने उन्हें मानवता का पाठ बहुत लगन से पढ़ाया था। जवाहरलाल की उच्च शिक्षा इंग्लैण्ड में हुई थी; उन्होंने इंग्लैण्ड से बी.ए. तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। छात्र जीवन से ही उन्हें राजनीति में रुचि थी। 1912 ई. में भारत वापस आकर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में वकालत प्रारम्भ की व इसी समय से उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया। 1916 ई. में उनका विवाह कमला से हुआ व इसी वर्ष वे महात्मा गांधी के सम्पर्क में आये। 1923 ई. में जवाहरलाल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 1927 ई. में उन्होंने रूस की यात्रा की जिससे उनके समाजवादी विचारों में दृढ़ता आयी। 1928 ई. में लखनऊ में साइमन आयोग के बहिष्कार के दौरान वे लाठियों से मर्माहत हुए। 1929 ई. में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जहाँ उन्होंने घोषणा की ''हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। स्वाधीनता का अर्थ है- पूर्ण स्वतन्त्रता।'' जवाहरलाल ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में तथा 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा जेल गये। 1946 ई. में उन्होंने भारत की अन्तरिम सरकार का गठन किया तथा भारत के स्वतन्त्र होने पर स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस पद पर वे मृत्यु-पर्यन्त (27 मई, 1964 ई.) कार्यरत रहे। पं. जवाहरलाल नेहरू एक राजनीतिज्ञ, प्रशासक, देश भक्त तथा उच्च कोटि के लेखक थे। उन्होंने 'भारत की खोज', 'विश्व इतिहास की झलक', 'आत्मकथा' लिखीं जो साहित्य व इतिहास की अमूल्य निधियाँ हैं। वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता अधूरी है। डॉ. राधाकृष्णन ने उनके बारे में लिखा था, ''स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वे यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व था।''

लालबहादुर शास्त्री : लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 ई. को मुगलसराय में हुआ था। महात्मा गान्धी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 ई. में राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था। 1951 ई. में लालबहादुर शास्त्री कांग्रेस के महामन्त्री बने थे, उसके उपरान्त उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया। पं. जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु (1964 ई.) के पश्चात् वे भारत के प्रधानमन्त्री बने थे। 1965 ई. में भारत-पाक युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। 11 जनवरी, 1966 ई. को ताशकन्द में उनकी मृत्यु हो गयी थी

चन्द्रशेखर आजाद : चन्द्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 ई. को हुआ था। उन्होंने काशी (अब 'वाराणसी') में संस्कृत का अध्ययन किया था। वे महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित हुए और अपनी शिक्षा को रोककर आन्दोलन रत हो गये, उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। इस आन्दोलन में गिरफ्तार होने पर वे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये गये जहाँ अपनी वीरता व साहस की देदीप्यमान मिसाल से वे लोकप्रिय तथा चर्चित हो गये। कलेक्टर के पूछने पर उन्होंने अपना नाम 'आजाद', पिता का नाम 'स्वतन्त्र', निवास स्थान 'जेल' बतलाया; इस पर क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट ने 15 बैंत मारने का आदेश दिया। प्रत्येक बैंत पर वे 'वन्देमातरम्' व 'महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाते रहे थे। इस घटना के पश्चात् वे सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक प्रिय बन गये थे। उन्होंने शीघ्र ही अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्तिकारियों का एक संगठन बनाया जिसे 'हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन' कहा गया। इस संगठन में शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेशचन्द्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, इत्यादि प्रमुख क्रान्तिकारी सम्मिलित थे। संगठन को धन की आवश्यकता अनुभव होने पर सितम्बर 1925 ई. में सरकारी खजाने को लूट लिया जो 'काकोरी घटना' के नाम से इतिहास में अंकित है। पुलिस उन्हें बन्दी नहीं बना सकी थी। 1928 ई. में पुलिस अधिकारी साण्डर्स की हत्या में वे संलग्न थे क्योंकि इस पुलिस अधिकारी ने निर्दोष भारतीयों का बर्बरता से उत्पीड़न किया था; इस बार भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी और वे क्रान्तिकारियों तथा आन्दोलनकर्ताओं को सहयोग करते रहे थे। परन्तु 27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के अल्फ्रेड पार्क में वे पुलिस की गोलियों से घिर गये तथा बन्दी बनाये जाने के पूर्व ही उन्होंने अपनी पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गये। अन्त तक वे आजाद रहे। इस साहस व वीरता तथा अटूट देशभक्ति की भावना से वे प्रत्येक भारतीय के लिए परम आदरणीय बन गये तथा भारत के स्वातन्त्र्य संघर्ष के इतिहास में देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति जगमगाते रहेंगे।

अर्थव्यवस्था/आर्थिक समीक्षा

उत्तर प्रदेश भारत के विशालतम राज्यों में से एक है जो कि 25°-31° उत्तरी अक्षांश तथा 77°-84° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। इसके उत्तर में नेपाल राष्ट्र एवं उत्तराखण्ड राज्य, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं। इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है, जो भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 3287 हजार वर्ग किमी. का 7.33 प्रतिशत है। क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान (10.41 प्रतिशत), महाराष्ट्र (9.36 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.03 प्रतिशत), के बाद उत्तर प्रदेश (7.33 प्रतिशत) का स्थान भारत के चौथे विशाल राज्य के रूप में है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है, जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या (12106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में 18 मण्डल हैं तथा इन मण्डलों में कुल 75 जनपद हैं। प्रदेश को नियोजन के दृष्टिकोण से चार आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 825 सामुदायिक विकास खण्ड भी बनाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी आर्थिक सम्भागवार कुछ प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	मद	आर्थिक सम्भाग				
		पूर्वी	बुन्देलखण्ड	पश्चिमी	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश
1.	जनसंख्या का घनत्व (2011)	931	329	930	785	829
2.	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (2011)	19.12	27.19	24.28	24.17	22.34
3.	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (2011)	59.42	69.44	51.28	59.51	56.74
4.	फसल सघनता (2016-17)	166.91	142.59	168.01	167.25	162.70
5.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत (2016-17)	85.44	83.89	93.32	83.51	87.58
6.	प्रति हेक्टेयर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कुल उर्वरक वितरण किलोग्राम (2016-17)*	149.59	151.04	167.07	159.92	158.12

7.	प्रति व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य रु. प्रचलित भावों पर (2017-18) आधार वर्ष (2011-12)	6207	16675	14805	10172	10208
8.	प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य रु. (2016-17)	4241	4088	38825	14613	19008
9.	प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों में लगे व्यक्तियों की संख्या (2016-17)	107	93	972	401	482
10.	कुल उपभुक्त विद्युत में से कृषि में उपभुक्त विद्युत का प्रतिशत (2019-20)	17.21	32.00	22.86	12.30	19.90
11.	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की मात्रा (कि.वा. प्रति घं.) (2019-20)	269.31	357.35	553.10	390.38	401.29
12.	ऋण जमा अनुपात (मार्च 2020)	30.02	45.75	51.34	35.80	40.76
13.	प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार स्कूलों की संख्या (2019-20)					
	क. जूनियर बेसिक	62	74	58	60	61
	ख. सीनियर बेसिक	37	49	37	33	37
ग.	हायर सेकेण्डरी	13	10	12	11	12
14.	प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार विद्यार्थियों की संख्या (2019-20)					
	क. जूनियर बेसिक	7533	7089	6308	6564	6880
ख.	सीनियर बेसिक	6568	7055	5661	5548	6070
ग.	हायर सेकेण्डरी	7090	5443	5883	3993	5007
15.	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या (2019-20)	2.37	3.07	1.95	1.90	2.16
16.	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या (2019-20)	37.85	49.31	34.12	43.86	38.07
17.	प्रति हजार आबाद मजरों पर नल द्वारा पेयजल युक्त मजरों की सं. (2019-20)	1000	1000	1000	1000	
18.	प्रति लाख जनसंख्या पर लोक नि.वि. के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई (कि.मी.) (2018-19)	124.41	138.65	87.62	98.54	106.72

* सकल बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2016-17 पर आधारित है।

19. प्रति हजार वर्ग किमी. क्षेत्रफल पर लोक नि.वि. की पक्की सड़कों की लम्बाई कि.मी. (2018-19)	1291.14	503.52	915.05	870.77	993.13
20. विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत (2019-20) 2011 के आबाद ग्रामों के आधार पर	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत :- सांख्यिकीय डायरी उ.प्र. 2020, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ.प्र.

राज्य की अर्थव्यवस्था

राज्य आय के वर्ष 2019-20 के जारी संशोधित त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में स्थिर (2011-12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 4.3% रही है। वर्ष 2019-20 में स्थिर (2011-12) भावों में सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः -0.4%, -0.4%, 9.4% रही है। प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के सन्दर्भ में वर्ष 2019-20 की प्रति व्यक्ति आय रु. 66811 आंकलित हुई है जो गत वर्ष से 7.0% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2019-20 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का खण्डवार वितरण इस प्रकार है- (क) प्राथमिक खण्ड-25.9%, (ख) द्वितीयक खण्ड-23.9% तथा (ग) तृतीयक खण्ड- 50.3%। प्रदेश के राज्य आय के वर्ष 2019-20 के जारी संशोधित त्वरित अनुमानों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :

सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)

आधार वर्ष 2011-12 पर जारी वर्ष 2019-20 के संशोधित त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में रु. 681895 करोड़, वर्ष 2012-13 में रु. 716339 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु. 754331 करोड़, वर्ष 2014-15 में रु. 780937 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु. 851574 करोड़, वर्ष 2016-17 में रु. 952314 करोड़, वर्ष 2017-18 में 998406 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में 1043889 तथा 2019-20 में 1089409 रहा है, जो वर्ष 2012-13 में 5.1%, वर्ष 2013-14 में 5.3%, वर्ष 2014-15 में 3.5%, वर्ष 2015-16 में 9.0%, वर्ष 2016-17 में 11.8% , वर्ष 2017-18 में 4.8% , वर्ष 2018-19 में 4.6 तथा वर्ष 2019-20 में 4.4% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में क्रमशः 4.4%, 2.8% तथा 6.8%, वर्ष 2013-14 में क्रमशः (-) 0.1%, 7.9% तथा 7.1%, वर्ष 2014-15 में क्रमशः (-) 0.9%, (-) 2.0% तथा 9.2%, वर्ष 2015-16 में क्रमशः 5.6%, 15.3% तथा 7.6%, वर्ष 2016-17 में 5.4%, 28.0% तथा 5.7%, वर्ष 2017-18 में क्रमशः 9.9%, -4.7% तथा 8.6%, वर्ष 2018-19 में 5.3%, 1.0% तथा 6.3% तथा वर्ष 2019-20 में (-)0.4, (-) 0.4 तथा 9.4 रही है।

खण्डवार विश्लेषण (स्थायी भावों पर)

प्राथमिक खण्ड : इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन शृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक-पृथक आंकलित किये गये हैं जबकि पुरानी शृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक साथ आंकलित किये जाते थे।

- स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा 2019-20

में क्रमशः 5.0%, (-)2.3%, (-)5.4%, 4.9%, 6.6%, 3.6% 7.6% तथा 1.1% की वृद्धि हुई है।

- पशुपालन उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः 4.9%, 4.7%, 5.6%, 3.7%, 3.4%, 5.1%, 4.1% तथा 4.6% की वृद्धि हुई है।
- मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में क्रमशः 4.7%, 3.3%, 6.4%, 2.1%, 22.4%, 1.8%, 5.3% तथा 5.5% की वृद्धि हुई है।
- खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष, 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः (-) 0.6%, 10.1%, 28.2%, 32.4%, 9.5%, 105.8% तथा (-) 3.9% तथा (-) 22.1%की वृद्धि हुई है।

माध्यमिक खण्ड : माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में क्रमशः 2.8%, 7.9%, (-) 2.0%, 15.3%, 28.0%, (-)4.7%, 1.0% तथा (-)0.4% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमशः 4.1%, 13.7%, (-)10.0%, 26.4%, 47.0%, (-)10.9%, (-)5.8% तथा (-)3.3% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में क्रमशः 5.8%, 13.0%, 6.0%, 6.3%, 14.3%, 11.6%, 0.6% तथा 3.1% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः 1.0%, 1.1%, 6.5%, 5.2%, 6.6%, 3.6%, 10.8% तथा 2.7% की वृद्धि हुई है।

तृतीयक खण्ड : अर्थव्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन-संचार-व्यापार", "वित्त तथा स्थावर सम्पदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः 6.8%, 7.1%, 9.2%, 7.6%, 5.7%, 8.6%, 6.3% तथा 9.4% की वृद्धि हुई है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर)

बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में रु. 681895 करोड़ तथा वर्ष 2012-13 में रु. 777206 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु. 885565 करोड़ तथा वर्ष 2014-15 में रु. 948993 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु.1057651 करोड़, वर्ष 2016-17 में रु. 1196900 करोड़, वर्ष 2017-18 में

रु. 1323489 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में रु. 1443356 तथा रु. 1567261 करोड़ रहा है।

प्राथमिक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः रु. 189787 करोड़, रु. 219964 करोड़, रु. 246724 करोड़, रु. 254845 करोड़, रु. 283769 करोड़, रु. 308846 करोड़, रु. 351730 करोड़, 376429 करोड तथा रु. 405402 करोड़ रहा है।

द्वितीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः रु. 181781 करोड़, रु. 200719 करोड़, रु. 231544 करोड़, रु. 238000 करोड़, रु. 269234 करोड़, रु. 334005 करोड़, रु. 345335, रु. 366157 तथा रु. 374021 करोड़ रहा है।

तृतीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः रु. 310326 करोड़, रु.356522 करोड़, रु.407297 करोड़, रु. 456148 करोड़, रु. 504649 करोड़, रु. 554049 करोड़, रु. 626423 करोड़, रु. 700771 तथा रु. 787838 करोड़ अनुमानित रहा है।

अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के अंशदानों एवं निश्चित अवधि में हुए परिवर्तनों से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2019-20 के संशोधित त्वरित अनुमानों के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी (2011-12) भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान जो वर्ष 2011-12 में 29.0 प्रतिशत था, वो घटकर वर्ष 2019-20 में 24.8 प्रतिशत रह गया है। इस अवधि में राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक खण्ड में कृषि (फसल) का योगदान 18.5 प्रतिशत से घटकर 14.2 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2019-20 में पशुपालन खण्ड का योगदान 6.6 प्रतिशत तथा वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना खण्ड का योगदान 1.5 प्रतिशत है। इस प्रकार प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल खण्ड का योगदान अभी भी सर्वाधिक है।

माध्यमिक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011-12 में 25.9 प्रतिशत था जो वर्ष 2019-20 में 25.5 प्रतिशत है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में विनिर्माण उपखण्ड का योगदान 12.7 प्रतिशत तथा निर्माण उपखण्ड का योगदान 11.9 प्रतिशत रहा है।

तृतीयक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011-12 में 45.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 49.8 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक योगदान स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक उपखण्ड का 12.2 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2019-20 में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान 11.7 प्रतिशत तथा परिवहन संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान 8.4 प्रतिशत आंकलित हुआ है। खण्डीय संरचना के इस परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2011-12 से राज्य की अर्थव्यवस्था कृषीय से अकृषीय की ओर निरन्तर अग्रसर होती जा रही है तथापि राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है।

प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2019-20 के संशोधित त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में रु. 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में रु. 66811 हो गयी है। वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 7.7% तथा

7.1% प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। प्रदेश की निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में रु. 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में रु. 43375 हो गयी है। वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 1.8 प्रतिशत तथा 2.0 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है जैसे कि निम्न तालिका में दृष्टव्य है:

तालिका

प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय (रु.में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	गतवर्ष में प्रतिशत वृद्धि	स्थायी भावों पर	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2011-12	32002	-	32002	-
2012-13	35812	11.9	32910	2.8
2013-14	40124	12.0	34254	4.1
2014-15	42267	5.3	34583	1.0
2015-16	47118	11.5	36973	6.9
2016-17	52671	11.8	40847	10.5
2017-18	57931	10.0	41767	2.3
2018-19	62372	7.7	42519	1.8
2019-20	66811	7.1	43375	2.0

प्रदेश के राज्य आय तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय अनुमानों का विश्लेषण

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के वर्ष 2019-20 के संशोधित त्वरित अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर वर्ष 2011-12 में प्राथमिक तथा द्वितीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 21.7 प्रतिशत व 29.3 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2019-20 में 20.3 प्रतिशत व 24.7 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत तृतीयक खण्ड का योगदान वर्ष 2011-12 में 49.0 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 54.3 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2019-20 में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान 16.4 प्रतिशत विनिर्माण खण्ड का है। उक्त अवधि में प्रदेश में भी प्राथमिक खण्ड के योगदान में कमी आई है जबकि तृतीयक खण्ड का योगदान 45.5 प्रतिशत से बढ़कर 47.2 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2019-20 में राज्य की अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि खण्ड की प्रधानता है।

वर्ष 2019-20 में स्थायी (2011-12) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद में अखिल भारतीय स्तर पर 6.8 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 की अवधि में प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय निवल घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में रु. 32002 से बढ़कर 66811 हो गयी जबकि अखिल भारतीय स्तर पर रु. 63462 से बढ़कर रु. 134186 हो गयी है। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग 50 प्रतिशत रही है।

लोक निधि-

प्रदेश की विकासशील अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संसाधनों की सृजन क्षमता सीमित है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के विकासात्मक गतिविधियों हेतु सीमित संसाधनों के दृष्टिगत प्रदेश का विकास किया जाना एक बड़ी चुनौती है।

1. राजस्व प्राप्ति-

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व आय के प्रमुख स्रोत हैं- कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण। केन्द्रीय अन्तरण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से अनुदान। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को रु. 3,29,977.51 करोड़ के कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से रु. 1,50,222.56 करोड़ तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में रु. 1,79,754.95 करोड़ प्राप्त हुआ। राज्य के गत पाँच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत **(करोड़ रु. में)**

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियाँ
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
2015-16	81106.29	23134.66	90973.66	31861.33	227075.94
2016-17	85966.25	28944.07	109427.96	32536.87	256875.15
2017-18	97393.00	19794.86	120939.14	40648.45	278775.45
2018-19	120121.85	30100.71	136766.46	42988.49	329977.51
2019-20(पु.अ.)	134038.94	31375.92	135312.19	69538.40	370265.45

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2018-19 के वास्तविक आकड़ों के अनुसार 45.53 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 54.47 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

2. राजस्व व्यय-

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं- राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 की अवधि में राजस्व व्यय तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राजस्व व्यय के मुख्य घटक (करोड़ रु. में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
2015-16	212735.95	72227.92	82486.46	47881.28	10140.29
2016-17	236592.26	88254.82	91861.12	45834.16	10642.16
2017-18	266223.52	105781.67	84251.68	64634.76	11555.41
2018-19	301727.96	131057.25	91311.73	67528.59	12100.39
2010-20(पु.अ.)	343983.28	13858801	119254.47	71640.78	14500.02

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला राजस्व व्यय विकासेत्तर व्यय कि श्रेणी में आता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक विकासेत्तर राजस्व व्यय का अंश कुल राजस्व व्यय में घटकर 34 प्रतिशत के स्तर तक आ गया था परन्तु इसके उपरान्त इसमें लगातार वृद्धि परिलक्षित हो रही हैं।

3. वेतन, पेंशन, ब्याज-

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय (करोड़ रु. में)

वर्ष	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+ पेंशन+ ब्याज
2015-16	73,795.79	24,149.57	21,447.87	1,19,393.23
2016-17	84,591.85	28,226.94	26,935.67	1,39,754.46
2017-18	10,0260.43	38,476.49	29,135.83	1,51,772.75
2018-19	90,262.88	44,023.94	32,042.09	1,66,328.91
2019-20(पु.अ.)	1,08,110.60	55,005.05	34,562.53	1,97,678.18

4. पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है तथा प्रदेश का विकास पूँजीगत परिव्यय पर ही निर्भर होता है। पूँजीगत परिव्यय का यद्यपि कोई मानक निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा, उतना राज्य के लिए बेहतर माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की वर्षों से चली आ रही ऋण की समस्या के दृष्टिगत व्यापक स्तर पर ऋण राहत के एक बड़े अंश का मोचन किया गया जिसके कारण पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2017-18 में कमी परिलक्षित हो रही हैं। राज्य सरकार का यह

कदम वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगनी करने की दशा में एक सकारात्मक पहल है तथा इसका दीर्घकालीन अनुकूल प्रभाव प्रदेश की वृद्धि दर पर पड़ेगा।

5. ऋण का उपयोग-

परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय माध्यमों से ऋण लिया जाता है तथा वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अनियंत्रित होकर पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा सकता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिए ऋण लेना बुरा नहीं है। बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाये।

6. राजकोषीय घाटा-

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने का सबसे महत्त्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत होता है। वर्ष 2015-16 में यह 2.63 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2018-19 में घटकर 2.38 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनः 3 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी परन्तु दो शर्तों यथा- ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से कम होने तथा ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति के 10% से कम होने पर आगामी वर्ष में क्रमशः 0.25-0.25 प्रतिशत की लोचनीयता प्रदान की गयी अर्थात शर्त पूर्ण करने की स्थिति में राज्य अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा की सीमा तक जा सकते हैं।

7. राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता-

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेक कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश राज्य की व्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राज्य की कुल ऋणग्रस्तता **(करोड़ रु. में)**

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियाँ	ऊर्जा बन्धपत्र	अन्य*	कुल ऋणग्रस्तता
2015-16	1,27,967.87	69,782.94	47,014.66	34.872.73	44,297.46	3,23,935.66
2016-17	1,64,872.26	65,251.36	48,733.64	49,674.02	44,886.05	3,73,417.33
2017-18	2,02,050.26	60,608.32	51,263.76	49,674.02	45,120.13	4,08,716.49
2018-19	2,35,356.933	55,736.67	54,907.14	49,674.02	49528.48	4,45,203.24
2019-20 (पु.अ.)	2,77,311.48	50,614.60	56,141.55	46,592.26	45,494.82	4,76,154.70

***अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।**

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील हैं जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता उक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2018-19 तक कुल ऋणग्रस्तता रु. 445203.24 करोड़ तक पहुंच गयी है तथा वर्ष 2019-20 के अन्त तक इसके रु. 476154.70 करोड़ तक होने का अनुमान है।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल ऋण ग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है, परन्तु किसी भी राज्य की ऋण ग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋण ग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य की सही स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिए ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है तथा यदि राज्य अथवा संघ अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर हैं तो राज्य की ऋण स्थिति नियन्त्रित मानी जाती है।

प्रदेश में बैंकिंग नेट वर्क

प्रदेश में मार्च 2020 तक कुल 18988 बैंक शाखायें कार्यरत हैं जिनके माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

क्र.सं.	बैंकिंग केन्द्र	बैंक शाखाओं की संख्या (जून 2020)
1.	बैंक शाखा	18988
2.	एटीएम	18549
3.	बैंक मित्र	69401
4.	इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक	76
	कुल	**107014**

कृषि, वन एवं पर्यावरण

कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। सरकार का उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ-साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर क्षेत्र विशेष हेतु विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कृषकों को रोजगार के नये अवसर सृजित करना है।

प्रदेश में देश का लगभग 21 प्रतिशत खाद्यान्न, 10.8 प्रतिशत फल और 15.4 प्रतिशत सब्जियों का उत्पादन करता है। वर्ष 2019-20 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में 25.3 प्रतिशत एवं स्थायी भावों पर 23.0 प्रतिशत का योगदान है।

प्राथमिक खण्ड

इसके अन्तर्गत कृषि वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शमिल है। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक-पृथक आंकलित किये गये है, जबकि

पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही आंकलित किये जाते थे। विगत् वर्षों में प्राथमिक खण्ड के उप-खण्डों की स्थायी भावों पर वृद्धि दर निम्नवत् रही है:-

प्राथमिक उप-खण्डों का स्थायी भावों पर वृद्धि दर

(आधार वर्ष 2011-22)

क्र. सं०	उप-खण्ड	वर्षवार वृद्धि प्रतिशत					
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	-2.0	5.0	`5.5	2.6	4.5	2.0
2.	फसलें	-5.4	4.9	6.6	3.8	4.1	1.4
3.	पशुधन	5.6	3.7	3.4	0.5	6.5	3.7
4.	वानिकी और लट्ठा बनाना	1.2	11.5	0.1	-0.3	-0.3	0.1
5.	मत्स्ययन और जलीय कृषि	6.4	2.1	22.4	1.8	5.3	5.5
6.	खनन और उत्खनन	28.2	32.4	9.5	105.8	-3.8	0.8
	क-प्राथमिक (1+6)	-0.9	6.2	5.8	8.8	3.6	1.9

वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी भावों पर राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान जो वर्ष 2014-15 में -0.9 प्रतिशत था, वो वर्ष 2019-20 में 1.9 प्रतिशत रही है। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत सर्वाधिक योगदान मत्स्ययन और जलीय कृषि में रहा है।

प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से प्रदेश के कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, राजस्व परिषद् तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः -5.4, 4.9, 6.6, 3.8, 4.1 तथा 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अनुमान उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा वन निगम एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूलय वर्धन में वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः 1.2, 11.5, 0.1, (-) 0.3, (-) 0.3 तथा 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पशुपल उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग, रेशम निदेशालय तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय,भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये दर एवं अनुपात के आंकड़ों क प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में पशुपालन उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः 5.6, 3.7, 3.4, 0.5, 6.5 तथा 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मत्स्य उपखण्ड के अनुमान मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग

कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः 6.4%, 2.1%, 22.4%, 1.8%, 5.3% तथा 5.5% की वृद्धि हुई है।

खनन तथा पत्थर निकालना उपखण्ड के अनुमान भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, आई०बी०एम०, नागपुर तथा कै०सां० कार्या०, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में क्रमशः 28.2, 32,4, 9.5, 105.8, (-) 3.8 तथा 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत विवरण

क्र. सं.	मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
			वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2001	वर्ष 2011
1.	कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2.	कृषि श्रमिक	लाख	134.01	199.39	24.8	30.3
3.	पारिवारिक उद्योग	लाख	30.31	38.99	5.6	5.9
4.	अन्य	लाख	153.84	229.19	28.5	34.8
	योग		**539.84**	**658.15**	**100.0**	**100.0**

उक्त तालिका में दो जनगणना वर्षों के आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि कृषकों की संख्या घट रही है तथा कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

भूमि उपयोगिता

वर्ष 2017-18 के भू-उपयोग सांख्यिकीय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 24170 हजार हेक्टेयर है जिसमें 1671 हजार हे. वन क्षेत्र, 444 हजार हे. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि, 3163 हजार हे. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि, 389 हजार हे. कृषि अयोग्य भूमि, 66 हजार हे. स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई की भूमि, 283 हजार हे. अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि, 1061 हजार हे. वर्तमान परती तथा 552 हजार हे. भूमि अन्य परती की है। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 26864 हजार हे. कुल बोया गया क्षेत्रफल है जिसमें 16542 हजार हे. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल तथा 10322 हजार हे. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है।

प्रदेश में फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति

प्रदेश में वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2019-20 तक फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका

फसल	आच्छादन (लाख हे.)		उत्पादन (लाख मी.टन में)		उत्पादकता कु./ हे.	
	वर्ष 2000-01	वर्ष 2019-20	वर्ष 2000-01	वर्ष 2019-20	वर्ष 2000-01	वर्ष 2019-20
चावल	59.04	58.99	116.72	169.48	19.77	28.73
गेहूँ	92.39	98.53	251.68	362.18	27.24	36.75
धान्य	176.16	177.67	405.76	577.37	23.03	32.50
दलहन	26.92	23.70	21.61	24.47	8.03	10.32
खाद्यान्न	203.08	201.37	427.37	601.84	21.04	29.89
तिलहन	8.92	12.06	7.10	13.05	8.25	8.91

उर्वरक

कृषि उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018-19 में 47.22 लाख मी.टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 52.70 लाख मी. टन हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों का वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(हजार मी.टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन.)	फास्फेट (पी.)	पोटाश (के.)	योग
2011-12	3067	1024	167	4258
2012-13	3352	1166	133	4651
2013-14	2972	765	105	3842
2014-15	3169	915	187	4272
2015-16	2930	1098	202	4230
2016-17	2890	1134	238	4261
2017-18	3224	1192	239	4655
2018-19	3481	1051	190	4722
2019-20	3804	1263	203	5270

बीज वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतशील बीजों के उत्पादन के साथ-साथ इनका ससमय वितरण भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 6310.0 हजार

कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 4812.80 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया, वहीं वर्ष 2016-17 में 5553.00 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5093.59 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। वर्ष 2017-18 में 5614.08 हजार कुन्तल बीज वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 5468.17 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। वर्ष 2018-19 में 5622.12 हजार कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य के सापेक्ष 5741.53 हजार कुन्तल एवं वर्ष 2019-20 में 5764.64 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5919.88 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया है।

वन

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का वन प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,148 वर्ग किमी. है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. के सापेक्ष मात्र 9.19 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हे. था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.09 प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है। प्रदेश में वर्ष 2017 की तुलना में 127 वर्ग किमी बनावरण एवं वृक्षारोपण की वृद्धि हुई हैं। यह मुख्य रूप से वनों के समुचित प्रबन्धन तथा सफल वृक्षावरण के कारण हुई है।

प्रदेश में मुख्य/गौण वनोपज

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 180 हजार घन मीटर (अनन्तिम) इमारती लकड़ी, 20 हजार घन मी. चट्टा जलाने की लकड़ी, 47 हजार कौड़ी बांस, 189 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता का उत्पादन हुआ। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	वर्ष 2011-12	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
1. इमारती लकड़ी (हजार घन मी.)	193	228	174	159	174	180
(क) साल	27	32	18	15	17	18
(ख) सागौन	8	8	7	6	6	9
(ग) शीशम	12	14	16	20	18	19
(घ) खैर	3	3	3	3	4	5
(च) असना	-	1	1	1	1	1
(छ) यूकेलिप्टस	111	112	71	68	63	71
(ज) विविध	32	58	58	46	65	57
2. जलाने की लकड़ी (हजार घन मी.)	3	4	1	0	23	20
3. बांस (हजार कौड़ी)	40	25	52	12	37	47
4. तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)	175	186	180	253	176	189
5. भाभड़ घास (हजार कुन्तल)	2	1	1	1	0	0

अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में सभी इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में गत वर्ष 2018-19 की अपेक्षा बांस तथा तेंदू पत्ता का उत्पादन भी बढ़ा है।

पशुधन

गोवंशीय, महिषवंशीय, बकरी, भेड, सूकर, कुक्कुट व अन्य पशुधन आदि के स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, टीकाकरण आदि कार्य नियमित रूप से किये जा रहे है, जिससे उच्च प्रजनन क्षमता व उत्पादन में वृद्धि हो सके। पशुपालन सीधे किसानों के हित से जुड़ा है, वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के प्राप्त करने यह सहायक सिद्ध होगा। वर्ष 2012 एवं 2017 की पशुगणनानुसार प्रदेश में पशुधन तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

प्रदेश में पशुधन

(लाख में)

पशुधन	2012	2017	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
गाय	205.66	202.04	(-) 1.76
भैंस	306.25	330.17	7.81
भेड	13.54	9.85	(-)27.25
बकरी	155.86	144.80	(-)7.10
सूकर	13.34	4.08	(-)69.42
कुक्कुट	186.68	125.16	(-)32.95

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा

वर्तमान में प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 267 डी श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय, 05 पालीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 5043 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पाद केन्द्र एवं 01 पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान मुख्य रूप से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

पशु उत्पाद एवं उत्पादकता

देश के भौगोलिक क्षेत्र के 7.3 प्रतिशत क्षेत्र को आवरित करने वाला उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा राज्य है वहीं पशुधन (कुक्कुट को छोड़कर) के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के कुल पशु धन का 13.4 प्रतिशत हैं जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में प्रदेश का योगदान 2.56 प्रतिशत है।

दूध, पौष्टिकता प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण आहार है, इसलिये इसे आदर्श आहार कहते है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश 318.20 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर 4.26 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के दूध उत्पादन का लगभग 5वें हिस्से के बराबर होता है। वर्ष 2020-21 में लक्ष्य 401.00 लाख मी०टन के सापेक्ष जुलाई 2020 तक 101.90 लाख मी०टन दुग्ध उत्पादनकिया गया है। वर्ष 2019-20 में 310 करोड़ अण्डों का उत्पादन किया था, वर्ष 2020-21 में 35000 लाख अण्डों के लक्ष्य के सापेक्ष माह जुलाई तक 9300.00 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है। मांस का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 1316.00 हजार मी०टन किया गया था एवं वर्ष 2020-21 में 1510 हजार मी टन के सापेक्ष माह जुलाई तक 75.00 हजार मी० टन मांस का उत्पादन किया गया है।

तालिका

पशु उत्पाद की प्रगति

उत्पाद	उत्पादकता की स्थिति			
	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 जुलाई 2020
1. दूध (लाख मी० टन)	290.52	305.18	318.20	101.90
2. अण्डा (करोड़ संख्या में)	243.98	261.00	310.00	93.00
3. ऊन (हजार किग्रा.)	1299.00	1316.00	1316.00	337.00
4. माँस (हजार मी० टन)	1151.12	1227.09	1020.00	75.00

मत्स्य पालन व उत्पादकता

संपूर्ण आहार और बायोइण्डीकेटर के रूप में मछली जैविक पर्यावरण क महत्वपूर्ण अंग है। भारतवर्ष में 2200 तथा उ०प्र० में गंगा नदी प्रणाली में मछलियों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में भारत का मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान है (झींगा उत्पादन में प्रथम) जहां कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 6.30 प्रतिश्त उत्पादन होता है। भारत वर्ष की जी०डी०पी० मत्स्य पालन का लगभग 0.1% प्रतिशत योगदान है। उ०प्र० की जी०डी०पी० में मत्स्य उद्योग का योगदान लगभग 0.4% है जबकि कृषि सेक्टर में मत्स्यिकी का 1.73 प्रतिशत योगदान है। आन्ध्रप्रदेश व प० बंगाल के पश्चात मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है।

मत्स्य बीज उत्पादन, अंगलिकाओं के संचय तथा अंगुलिक वितरण

मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य के 37 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 250 हैचरियों का निर्माण कराया जा चुका है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में 10 मिलियन क्षमता की एक हैचरी की स्थापना हेतु रू० 25.00 लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान राशि अधिकतम रू० 10.00 लाख तथा अनुसूचित जाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत अधिकतम रू० 15.00 लाख अनुदान धनराशि देय है, शेष 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं के संसाधन या बैंक ऋण के रूप में लाभार्थी अंश है। मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज, मत्स्य पालकों को उनकी माँग पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जलाशयो में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है।

तालिका

अनुमानित मत्स्य बीज उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी.टन)	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा०/है० /वर्ष)	अंगुलिका/ मत्स्य बीज वितरण (लाख में)	अंगुलिका/ मत्स्य बीज संचय (लाख में)	अंगुलिका/ मत्स्य बीज उत्पादन (लाख में)
	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
2017-18	6.29	4375	26333.92	786.95	27120.87
2018-19	6.62	4455	29442.13	347.22	29789.35
2019-20	6.99	4367	30008.96	278.85	30287.81

औद्योगिक विकास

प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र में अनेक सुधारों की पहल की है जिससे समग्र व्यवसाय वातावरण बेहतर हुआ है। व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिये विद्यमान नियमों को सरलीकृत और युक्ति युक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों का असर, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और अंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' में देखा जा सकता है। देश की ईज आफ डूइंग बिजनस रैकिंग में प्रदेश, देश के शीर्ष 10 प्रदेशों में शामिल होते हुये दूसरे पायदान पर पहुँच गया है। यह रैंक पिछले वर्ष के 12वें स्थान से 10 रैंक की छलांग लगाकर दूसरे रैंक पर पहुँच गयी है। प्रदेश में यह सुधार आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करते हुये देखा जा सकता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति सम्बन्धी निम्न तालिका दी जा रही है। तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का विनिर्माण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011-12= 100) वर्ष 2018-19 में 123.62 था, जो (-)4.5 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2019-20 में 118.00 हो गया। सर्वाधिक वृद्धि (2.3 प्रतिशत) पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद के वर्ग में हुई।

तालिका

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन में सूचकांक (2011-12=100)

	उद्योग वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		2018-19	2019-20	प्रतिशत वृद्धि
	1	2	3	4
1.	खाद्य विनिर्माण	108.73	101.87	(-)6.31
2-	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	65.76	67.27	2.3
3.	सूती कपड़ा	132.04	117.38	(-)11.1
4-	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	132.42	131.95	(-)0.4
5-	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	138.16	131.99	(-)4.5
6-	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	125.88	85.50	(-)32.1
7-	अन्य	128.79	128.70	(-)0.1
	विनिर्माण सूचकांक	**123.62**	**118.00**	(-)4.5

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

सीमेंट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योग आदि की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्यागों में की जाती है। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं, साथ ही उनके उत्पाद से दैनिक जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊँचा करता है। इन मदों से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दिये जा रहे है:

तालिका

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी# (हजार मी.टन)	वनस्पति तेल** (हजार मी.टन)	सूती कपड़ा (लाख वर्ग मी.)	सूत (हजार मी.टन)
2015-16	6855	–	43	42
2016-17	8773	68	30	35
2017-18	12050	60	16	29
2018-19	11822	51	16	27/#
2019-20	12637	17*	-	26#

* नवम्बर से मार्च तक # अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि प्रवृत्ति रही है। चीनी के उत्पादन में वर्ष 2019-20 (12637 हजार मी.टन) में वर्ष 2018-19 (11822 हजार मी.टन) की तुलना में 6.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वनस्पति तेल के उत्पादन में वर्ष 2019-20 (17 हजार मी.टन) में वर्ष 2018-19 (51 हजार मी.टन की तुलना में (-)66.67 प्रतिशत की कमी हुई है।

खनिज

आर्थिक विकास में खनिजों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उप खनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मेग्नासाइट ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट सिलिका सैण्ड, गन्धक, स्टीटाइट तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईंट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उप खनिज पदार्थों के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र.सं.	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु.में) वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा %	परिमाण ('000 मी.टन) वर्ष		गतवर्ष की की अपेक्षा %
		2018-19	2019-20*	वृद्धि	2018-19	2019-20*	वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पाइरोफाइलाइट	280	230	-17.88	14377+	5090+	-64.60
2.	गन्धक	0	0	0	46111	43602	-5.44
3.	कोयला	-	-	-	18884	16598	-12.11
4.	चूने का पत्थर	6244	7046	12.84	2388	2633	10.26

* अनन्तिम + परिमाण घन मी.

उप खनिज पदार्थों की भी अपनी महत्ता है। इन पदार्थों की उपलब्धता भी देश/प्रदेश के आर्थिक स्तर के लिए काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उपखनिज पदार्थो में साधारण बालू, इमारती पत्थर,मौरंग,बजरी तथा संगमरमर प्रमुख है। इनके उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में उप खनिज पदार्थो के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र० सं०	उप खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (हजार रु. में)			परिमाण (लाख घन मी.)		
		2018-19	2019-20*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	2018-19	2019-20*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	साधारण बालू	13003700	11160000	-14.17	45198	7432	-83.55
2.	स्लैब स्टोन	1644060	138500	-91.57	4233	64	-98.48
3.	मिट्टी	29875975	25707000	-13.95	3334	11465	243.88
4.	ग्रेनाइट	1054405	256500	-75.67	1071	8	-99.25
5.	ईंटों की संख्या (लाख में)	9129695	-	-	337712	-	-
6.	मौरंग	62163600	37216000	-40.13	82885	10691	-87.10

***** अनन्तिम,

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में सभी उप खनिज पदार्थो के उत्पादन के मूल्य में कमी परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक कमी (91.57 प्रतिशत) स्लैब स्टोन के मूल्य में हुई है। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में गिट्टी को छोड़कर शेष खनिज पदार्थों के उत्पादन में कमी हुई है।

सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं खण्ड सम्मिलित हैं।

सेवा खण्ड का निष्पादन

आधार वर्ष 2011-12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय के वर्गीकरण के तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, का प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में स्थायी भावों पर लगभग 50.20 प्रतिशत का अंशदान है जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 23.0 प्रतिशत तथा 26.8 प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्त्व स्वयं सिद्ध है। वर्ष 2018-19 व वर्ष 2019-20 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 7.6 प्रतिशत तथा 7.7 प्रतिशत रही है। स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 50.2 प्रतिशत हो गया है।

प्रदेश में सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर तथा प्रतिशत वितरण

(स्थायी भावों पर)

मद	वर्ष						
	2011-12	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18***	**2018-19**	**2019-20**
वृद्धि दर	-	9.2	7.6	5.7	8.1	7.6	7.7
प्रतिशत वितरण	45.5	49.6	48.9	46.3	47.9	48.5	50.2

परिवहन

परिवहन एवं व्यापार सम्बन्धी क्रिया-कलापों का विकास एवं विस्तार सड़कों के विकास पर निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में सड़क एवं संचार जैसी अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

सड़क

सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका की वजह से महत्त्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्रियों की आवाजाही तथा माल की ढुलाई का कार्य तेजी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हुआ है।

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्गों एवं सेतुओं की विशेष भूमिका है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधृत मार्गों की कुल लम्बाई सम्बन्धी आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

सड़क नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

क्र.	मार्ग का वर्गीकरण	**31.3.2015**	**31.3.2016**	**31.3.2017**	**31.3.18**	**31.3.2019**	वर्तमान
	तक	तक	तक	तक	तक	तक	स्थिति
1.	राष्ट्रीय मार्ग (किमी.)	7572	7572	8328	10981	11384	11475
2.	राज्य मार्ग (किमी.)	7597	7147	7202	6810	6859	8334
3.	प्रमुख जिला मार्ग (किमी.)	7338	7637	7486	7277	7388	5434
4.	अन्य जिला मार्ग (किमी.)	43512	46006	47576	49037	49138	49027
5.	ग्रामीण मार्ग (किमी.)	149193	163035	169051	168694	175437	176698
	योग	**215212**	**231397**	**239643**	**242799**	**250206**	**250968**

स्रोत- लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

सड़क परिवहन

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उद्देश्य से उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी है। इन सेवाओं से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

क्र. सं.	मद	वर्ष				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में प्रतिशत वृद्धि
1.	औसत परिचालित बसें (सं.)	10526	11862	11615	11688	0.6
2.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग (सं.)	2711	2933	2979	2897	-2.8
3.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की औसत लम्बाई (किमी.)	251	258	257	246	-4.3
4.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई (हजार किमी.)	681	757	765	712	-6.9
5.	दैनिक कुल परिचालित दूरी (हजार किमी.)	3703	4092	3972	3939	-0.8
6.	प्रतिदिन ले जाये गये यात्री (लाख)	15.47	17.15	16.48	15.72	-4.6
7.	दुर्घटनाएं (प्रति लाख किमी.)	0.06	0.06	0.07	0.06	-14.3
8.	कुल दुर्घटनाएं (सं.)	648	741	751	643	-14.4

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों की गाड़ियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका

उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां

क्र.सं.	मद	मोटर गाड़ियों की संख्या 31 मार्च को		वर्ष 2018-98 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में प्रतिशत वृद्धि	गाड़ियों का प्रतिशत अंश	
		2018-19	2019-20*		2018-19	2019-20
1.	मोटर साइकिल	26597000	27959149	5.12	81.3	80.0
2.	कार	3089250	3351115	8.5	9.4	9.6
3.	बस	86531	109765	26.9	0.3	0.3
4.	टैक्सी	606247	753124	24.2	1.9	2.2
5.	ट्रक	691826	880630	27.3	2.1	2.5

6. ट्रैक्टर	1447604	1522750	5.2	4.4	4.4
7. अन्य	193596	348291	79.9	0.6	1.0
कुल	**32712054**	**34924824**	**6.8**	**100.0**	**100.0**

*अनन्तिम

(स्रोतः- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० एवं उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम)

विद्युत

विद्युत सुविधा की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं. मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
	2018-19	**2019-20**	**प्रतिशत वृद्धि**
1. अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	7159	7159	0
2. उपभोग (मिलियन यूनिट)	87946	91355	3.88
3. कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	30627	26199	-14.46
4. उपभोक्ताओं की संख्या (हजार में)	25979.1	27108.3	4.35

*संशोधित

स्रोत- उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाय गये है:

तालिका

उत्तर प्रदेश एवं भारत के कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े वर्ष 2018-19

क्र. सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि. वाट घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि. वाट घंटा)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1225	1480
2.	बिहार	5	311
3.	झारखण्ड	388	938
4.	गुजरात	1403	2378
5.	हरियाणा	1039	1990
6.	कर्नाटक	886	1396
7.	केरल	223	757
8.	मध्य प्रदेश	866	1084
9.	छत्तीसगढ़	2587	1961
10.	महाराष्ट्र	1039	1424

11.	ओडिशा	512	1628
12.	पंजाब	1565	2046
13.	राजस्थान	886	1282
14.	तमिलनाडु	866	1866
15.	पश्चिम बंगाल	408	703
16.	उत्तर प्रदेश	310	606
17.	उत्तराखण्ड	1000	1467
18.	हिमांचल प्रदेश	1582	1418
19.	असम	44	341
20.	गोवा	0	2274
	भारत	**1050**	**1181**

स्रोत- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

विद्युतीकृत ग्राम

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों (राजस्व) की संख्या वर्ष 2019-20 में 97814 है। प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिए उनमें विद्युतीकरण हेतु यथोचित प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2019-20 के अन्त तक 99462 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य कराया जा चुका है।

वैकल्पिक ऊर्जा

ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों में निरन्तर कमी होने एवं उनके अधिकाधिक उपयोग से बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1983 में प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यू.पी. नेडा) का गठन किया गया। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण जैसे अनेक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2017 प्रख्यापित की गयी। इस नीति में थर्ड पार्टी सेल, ओपन एक्सेस एवं सोलर पार्क के विकास का प्राविधान किया गया है। नीति में वर्ष 2022 तक कुल 10700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। जिसमें से 6400 मेगावाट के यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट और 4300 मेगावाट के रूपटाप पावर प्लाण्ट प्रोजेक्ट हैं।

संचार

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्प बचत कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका

उत्तर प्रदेश डाकघरों की संख्या (31 मार्च को)

मद	वर्ष			
	2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
डाकघरों की संख्या	17670	17671	17672	17670
(क) नगरीय	1935	1924	1927	1927
(ख) ग्रामीण	15735	15747	15745	15743

दूरभाष

दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रियाकलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्त्व है। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इण्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइबर की संख्या	मोबाइल कनेक्शन की संख्या (हजार में)
2018-19	530540	3061	167728	16302
2019-20	414600	2289	157236	16126

स्रोत- चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उ.प्र. तथा मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पूर्वी एवं पश्चिमी परिमण्डल।

*भारत संचार निगम लि० उ०प्र० पश्चिमी परिमण्डल के आंकड़े सम्मिलित नहीं है।

शिक्षा

प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0 प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (82.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (80.1 प्रतिशत) एवं उत्तराखंड (78.8 प्रतिशत) आदि की तुलना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (67.7 प्रतिशत) कम है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इनमें विषमताएं देखने को मिलती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (69.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (67.4) है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है- जहाँ वर्ष 1991 में उ.प्र. में साक्षरता 40.07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्वॉइन्ट बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गयी किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत प्वॉइन्ट का अन्तर है।

तालिका

उत्तर प्रदेश विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्र.सं.	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2001			साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1.	पूर्वी	54.3	68.6	39.1	67.4	78.1	56.2
2.	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0	67.5	76.5	57.2
3.	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5	68.3	76.3	59.3
4.	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1	69.3	79.9	57.1
5.	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
	भारत	64.8	75.3	53.7	73.0	80.9	64.6

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018-19 में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 161366 थी जो वर्ष 2019-20 में कम होकर 138185 हो गयी। इसी प्रकार सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2018-19 में 80624 थी जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 83859 हो गयी। वर्ष 2018-19 में हायर सेकेन्डरी विद्यालयों की संख्या 26434 थी जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 27959 हो गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018-19 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 632 हजार थी जो वर्ष 2019-20 में कम होकर 558 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में सीनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 230 हजार थी जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 480 हजार हो गयी। वर्ष 2018-19 में हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 311 हजार थी जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 324 हजार हो गयी।

प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष 2019-20 में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 73.72 थी, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यह सबसे कम 58.3 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 60.70 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 49.09 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 32.60 केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 36.84 रही। वर्ष 2019-20 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या पूर्वी क्षेत्र में 12.94 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 10.06 रही जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12.28 थी।

वर्ष 2019-20 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (29.11) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (26.69) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या

28.09 रही। सीनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक (29.81) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (26.63) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 28.84 रही। वर्ष 2019-20 में हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (53.27) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (29.01) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 42.25 रही।

तालिका

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/ प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या (2019-20)

क्र.सं.	आर्थिक क्षेत्र	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
		जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
1.	पूर्वी	61.52	37.24	12.94	29.11	29.81	47.01
2.	बुन्देलखण्ड	73.72	49.09	10.06	26.69	26.63	53.27
3.	पश्चिमी	58.30	36.87	12.42	27.60	27.86	41.95
4.	केन्द्रीय	60.42	32.60	11.12	27.03	29.31	29.01
	उत्तर प्रदेश	60.70	36.84	12.28	28.09	28.84	42.25

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है जो देश के समृद्ध भविष्य का निर्माण करती है। प्रदेश सरकार ने बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्वर्द्धन हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं जिससे माध्यमिक शिक्षा उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा (आधारिक शिक्षा) एवं उच्च शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों हेतु, सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 2285 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त 20558 वित्त-विहीन कुल 27355 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के नियोजित विकास में उच्च शिक्षा का विशेष योगदान है। सरकार उच्च शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु कटिबद्ध है। लोक कल्याण को वरीयता देते हुए शैक्षिक रूप से अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण किया जा रहा है, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक एवं कौशल विकास से परिपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाये जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के शिक्षण संस्थान एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नवत् हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्र.सं.	शिक्षण संस्थायें, छात्र/छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
1	2	3	4
1.	विश्वविद्यालयों की संख्या		
	(क) राज्य विश्वविद्यालय	16	16
	(ख) मुक्त विश्वविद्यालय	01	01
	(ग) डीम्ड विश्वविद्यालय	01	01
	(घ) निजी विश्वविद्यालय	27	27
2.	महाविद्यालयों की संख्या		
	(क) महिला	1195	1251
	(ख) सह शिक्षा	5831	5932
	योग	7026	7183
3.	शासकीय महाविद्यालय	164	170
4.	अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालयों की सूची	331	331
5.	अनुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या	6531	6682
6.	कुल महाविद्यालयों की संख्या	7026	7183
7.	महाविद्यालयों में छात्र संख्या		
	(क) छात्र	2074205	1969206
	(ख) छात्राएं	2308322	2214786
	योग	4382527	4183992

प्राविधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता है। प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पालीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओं की प्रगति

संस्थाएं	वर्ष		
	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4
1. राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या	12	12	12
(क) प्रवेश क्षमता	2777	3021	3079
(ख) वास्तविक प्रवेश	2758	2917	3017
2. राजकीय अनुदानित संस्थाओं की संख्या	155	160	166
(क) प्रवेश क्षमता	37170	36810	42646
(ख) वास्तविक प्रवेश	33157	30875	34991

सत्र 2019-20 हेतु डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी०टेक, बी० फार्मा, बी०आर्क० तथा होटल मैनेजमेन्ट के पाठ्यक्रमों हेतु चयनित 21277 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

प्रदेश सरकार के सतत प्रयास से स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में पर्याप्त सुधार आया है। अभी भी उत्तर प्रदेश इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जैसा कि निम्न तालिका से परिलक्षित हो रहा है:

तालिका

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

मद	वर्ष 2009			वर्ष 2018		
	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण
जन्म दर	28.7	24.7	29.78	25.6	22.5	26.6
मृत्यु दर	8.2	6.5	8.6	6.6	5.3	7.0
प्राकृतिक वृद्धि दर	20.5	18.3	21.1	19.0	17.2	19.6
शिशु मृत्यु दर	63	47	66	43	35	46

स्रोत : एस.आर.एस. बुलेटिन महारजिस्ट्रार, भारत सरकार।

जन्म दर

जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह किसी दिए गए क्षेत्र और वर्ष में प्रति

हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या बताता है। वर्ष 2009 एवं वर्ष 2018 की अवधि राज्य में प्रदेश स्तर पर जन्म दर में 3.1 की कमी दर्ज की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में 3.1 और शहरी क्षेत्रों में 2.2 की कमी हुई, इसके बावजूद देश के बड़े राज्यों में बिहार (26.2) के बाद उत्तर प्रदेश जन्म दर में दूसरे स्थान पर है।

मृत्यु दर

मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के मूल घटकों में से एक है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के लिए आवश्यक है। इसे एक निश्चित क्षेत्र और समय अवधि में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रदेश में मृत्यु दर वर्ष 2009 में 8.2 से घटकर 2018 में 6.6 पर आ गई। शहरी क्षेत्रों में 1.2 और ग्रामीण क्षेत्र 1.6 की कमी आई है। इस कारण राज्य के प्राकृतिक वृद्धि दर में 1.5 की कमी आई है, शहरी क्षेत्र में प्राकृतिक वृद्धि दर 1.1 की और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 की कमी आई है।

शिशु मृत्यु दर

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) जिसे व्यापक रूप से किसी देश या क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य परिदृश्य के क्रूड संकेतक के रूप में स्वीकार किया जाता है, को निश्चित समय अवधि में और किसी दिए गए क्षेत्र के लिए प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु (एक वर्ष से कम) के रूप में परिभाषित किया जाता है।

शिशु मृत्यु दर के मामले में राज्य में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त किया है। वर्ष 2009 में 63 से कम होकर 2018 में 43 पर आई गई किन्तु अभी भी राज्य शिशु मृत्यु दर के मामले में देश के बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश (48) के पश्चात् दूसरे स्थान पर है। शहरी क्षेत्र में 12 और ग्रामीण क्षेत्र में 20 की कमी दर्ज हुई है, इसके बावजूद भी दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 35 और 46 के साथ राज्य दूसरे स्थान पर है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.07 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 1.90 केन्द्रीय क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 49.31 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 34.12 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 2.80 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 1.35 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 6.90 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 3.79 पश्चिमी क्षेत्र में रही। जैसा कि तालिकागत से स्पष्ट है:

तालिका

प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या (2019-20)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
1. पूर्वी	2.37	37.85	1.93	4.95
2. बुन्देलखण्ड	1.95	34.12	1.35	3.79
3. पश्चिमी	1.90	43.86	1.78	4.87
4. केन्द्रीय	3.07	49.31	2.80	6.90
उत्तर प्रदेश	2.16	38.07	1.73	4.60

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं

प्रदेश के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

क्र.सं.	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी वर्ष		होम्योपैथिक	
		1.1.19	1.1.20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1.	चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5119	5113	2360	2360	1576	1576
2.	शैय्याओं की संख्या	87977	66737	11077	11077	438	438
3.	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	10739	958	16492	27906	26464	25616

प्रदेश में 07 नये मेडिकल कॉलेजों में एम०बी०बी०एस० के प्रथम वर्ष का पठन-पाठन वर्तमान वर्ष में प्रारम्भ हो गया है। गोरखपुर और रायबरेली एम्स में 50-50 एम०बी०बी०एस० सीटों पर छात्रों के प्रवेश हो चुका है।

ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित की गई है जिसके अनुसार 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित है।

102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा- यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक तथा एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक लाभार्थी को परिवहित करने में भी प्रयोग की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस पहुँचने का अधिकतम समय 30 मिनट तथा शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट निर्धारित किया गया है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में 24 घण्टे उपलब्ध है।

108 एम्बुलेंस सेवा- रोगियों को आकस्मिक परिस्थितियों में अविलम्ब निकटवर्ती चिकित्सा इकाई तक पहुँचाये जाने हेतु आकस्मिक चिकित्सीय परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 2200 एम्बुलेंसों का संचालन पूर्णतया निःशुक्ल टोल फ्री नम्बर '108' के माध्यम से किया गया है। प्रदेश के किसी भी कोने से निःशुल्क टोल फ्री नम्बर '108' पर कॉल करने पर शहरी क्षेत्र में 15 मिनट में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में एम्बुलेंस को रोगी तक पहुँचाये जाने की व्यवस्था की जाती है तथा उक्त एम्बुलेंस के द्वारा रोगी को निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुँचाकर चिकित्सा सेवा सुलभ करायी जाती है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरे देश में वर्ष 1955 में प्रारम्भ किया गया था। यह केन्द्र सरकार का शत् प्रतिशत पोषित कार्यक्रम है। प्रदेश में इसका शुभारम्भ वर्ष 1957 में हुआ। परिवार कल्याण महानिदेशालय के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैंः- गर्भवती माताओं का पंजीकरण, टिटनेस से बचाव के दो टीके, रक्त अल्पता के बचाव एवं उपचार हेतु आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियों का वितरण, प्रसव पूर्व परीक्षण, जटिल प्रसवों का चिन्हीकरण, सुरक्षित प्रसव संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, आपातकालीन प्रसवों का सन्दर्भन एवं उनकी व्यवस्था, प्रसवोत्तर देखभाल तथा दो बच्चों के बीच समयान्तर हेतु गर्भ निरोधकों आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जाती है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम 1994

1. मिशन परिवार विकास

03 या उससे अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में 24 अप्रैल, 2017 से प्रदेश में मिशन परिवार विकास योजना लागू की गयी है, जिसमें नवीन गर्भ निरोधक इन्जेक्शन (अन्तरा) एवं साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली (छाया) के समावेश के साब बढ़ी हुई दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना एवं नवविवाहितों को नयी पहल किट का वितरण किया जा रहा है।

2. गर्भनिरोधक सेवायें

दो बच्चों में अन्तर बनाये रखने हेतु अस्थाईगर्भ निरोधकों,जैसे ओरलपिल्स, निरोध तथा कॉपर-टी और परिवार नियोजन की स्थाई विधि महिला तथा पुरूष नसबन्दी की सेवायें दी जा रही है। महिला नसबन्दी की नई लैप्रोस्केपिक विधि तथा पुरूष नसबन्दी की भी नई विधि 'नो स्केलपल वैसेक्टामी' का विस्ताार किया जा रहा है।

3. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994

प्रदेश में लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु अधिनियम लागू है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है जिसमें तीन वर्ष की कठोर सजा का प्राविधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 01 जुलाई 2017 से मुखबिर योजना लागू की गई है।

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा

जन सामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019-20 में पेयजल सुविधा युक्त नगरों की संख्या 652 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 492 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में पेयजल सुविधायुक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 259739 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 1698 लाख थी। प्रदेश में वर्ष 2019-20 में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 63 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 91 लाख थी।

श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15-59 वय वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वय वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है।

प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.1 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229.19 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकार थे। कुल कर्मकारों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकारों की संख्या 446.35 लाख तथा 211.80 लाख थी।

प्रदेश में कुल कर्मकारों में 28.96 प्रतिशत कृषक के रूप में, 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप मे, 5.92 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 34.82 प्रतिशत अन्य कार्यों में कर्मकार लगे हैं। कुल कर्मकारों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकारों की संख्या से सम्बन्धित आंकडें तालिका में दर्शाये गये है:-

तालिका

प्रदेश में मुख्य कर्मकार तथा सीमान्त कर्मकार

(लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकार	सीमान्त कर्मकार	कुल कर्मकार
1	2	3	4
ग्रामीण	335.38	184.13	519.51
नगरीय	110.97	27.67	138.64
उत्तर प्रदेश	446.35	211.80	656.15

सेवायोजन सेवा

सेवायोजन सेवाओं के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिकरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्तिहेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक् एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगरी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे है। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय, 16 जनपदों में विकलांगों हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, 03

नगर सेवायोजन कार्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर 01 व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित हे। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैः-

तालिका

उत्तर प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्र.सं.	मद	वर्ष		गतवर्ष की अपेक्षा
		2018	2019	प्रतिशत वृद्धि
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	422430	985459	133.28
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	237	116	(-)61.06
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	4483	897	(-)79.99
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	113910	95961	(-)15.76
5.	स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	91	270	196.70
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	2112	3305	56.49

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में सेवायोजनाओं से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैंः

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2018	मार्च 2019	प्रतिशत वृद्धि
1.	केन्द्र सरकार	725	726	0.14
2.	राज्य सरकार	8371	8377	0.07
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5596	5599	0.07
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	1600	1602	0.13
5.	स्थानीय निकाय	1311	1311	0
	योग	**17002**	**17615**	**0.07**

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2018	मार्च 2019	प्रतिशत वृद्धि
1.	केन्द्र सरकार	302877	302524	(-)0.12
2.	राज्य सरकार	699952	701418	(+)0.21
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	158989	158530	(-)0.29
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	330335	332268	(+)0.59
5.	स्थानीय निकाय	107369	107135	(-)0.22
	योग	**1599522**	1601875	(-)**1.05**

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च 2019 में गत वर्ष 2018 की अपेक्षा 0.09 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े निम्नतालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2018	मार्च 2019	प्रतिशत वृद्धि
1.	एक्ट अधिष्ठान	667671	667740	0.01
2.	नान एक्ट अधिष्ठान	49657	50226	1.15
	योग	**717328**	**717966**	**0.09**

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी

प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या 2019 में गत वर्ष 2018 की अपेक्षा 0.70 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 0.17 प्रतिशत अधिक रही है जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गत वर्ष की अपेक्षा 0.52 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। गत वर्ष की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या में निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या से तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई है। इन्हें निम्न तालिका से देखा जा सकता है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च, 2018	मार्च, 2019	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	सार्वजनिक क्षेत्र	211734	213226	0-70
2.	निजी क्षेत्र	110854	111036	0-17
	योग	**322588**	**324264**	**0-52**

प्रदेश के विकास की चुनौतियाँ तथा प्राथमिकताएँ

देश में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि की व्यवस्था करना मुख्य चुनौती है। वर्ष 2022 तक कृषि आय को दो गुना करना, वर्ष 2024 तक प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना। वर्तमान वर्ष में कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुन पटरी पर लाना, विभिन्न राज्यों से वापस आए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना, प्रदेश सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौती है। इसके लिए प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना अति आवश्यक है।

समाज के सर्वांगीण विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास, किसानों की खुशहाली तथा सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं त्वरित न्याय, युवाओं की शिक्षा एवं कौशल सम्वर्द्धन तथा प्रदेश की बढ़ती कार्यकारी जनसंख्या को यथोचित रोजगार उपलब्ध कराकर जीवन स्तर में सुधार किया जाना आवश्यक है।

प्रदेश सरकार, उपरोक्त चुनौतियों के सापेक्ष रणनीतिक सामन्जस्य के साथ संतुलित विकास की ओर अग्रसर है। वर्ष 2017-2018 का बजट किसानों को, वर्ष 2018-2019 के बजट में औद्योगिक विकास, वर्ष 2019-2020 मे महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज का उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाये जाने के लक्ष्य को प्रधानता प्रदान की गयी, वही वर्ष 2020-2021 के बजट में युवाओं की शिक्षा, कौशल सम्वर्द्धन एवं रोजगार के साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थापना सुविधा और त्वरित न्याय उपलब्ध कराये जाने को प्रमुखता दी गयीं।

नीति आयोग ने 30 दिसंबर, 2019 को सतत् विकास लक्ष्य, भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी की। समग्र सुधार के शीर्ष तीन राज्यों में उत्तर प्रदेश उच्चतम है, जिसने 2018 में अपने समग्र स्कोर 42 से सुधार कर 2019 में 55 कर लिया है। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं एवं सस्ती और प्रदूषण -मुक्त ऊर्जा में बड़ा सुधार हुआ है। रणनीति परिवर्तन के अन्तर्गत प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य नीति आयोग का गठन कर राज्य के समेकित तथा सतत् विकास के लिये रोडमैप तैयार किया जायेगा। जनपद स्तर पर भी यथार्थपरक योजनायें तैयार करने तथा उनके समेकन हेतु तंत्र तैयार किया जायेगा।

प्रादेशिक अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे विकास की आंगे की अक्स्या को प्राप्त करती है, वैसे ही राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न ख़ण्डों के योगदान में परिवर्तन होता हैं। प्राथमिक खण्ड निरन्तर कम होता है और ट्रिवतीयक तथा तृत्तीयक खण्ड के योगदान में वृद्धि होती है। 2019-20 में स्थायी भावों पर जीएसवीए का खण्डवार वित्तरण प्राथमिक, द्वितीयक खण्ड, तृतीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 23.0, 26.8 एवं 50.2 प्रतिशत हैं, जबकि वर्ष 2011-12 में क्रमशः 27.5, 26.7, एवं 45.5 प्रतिशत थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जी.एस. टी. की हिस्सेदारी लगभग 39.5 प्रतिशत हैं। राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 54.47 प्रतिशत अंश -केन्द्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। राज्य सरकार इन वचनबद्ध व्ययों को नियन्त्रण में रखने के सार्थक प्रयास कर रहीं है। वर्ष 2015-16 मैं यह राजस्व व्यय का 56.1 प्रतिशत था जो 2018-19 में घट कर 55.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गंया।

पूंजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने बाला व्यय है। राजस्व व्यय के सापेक्ष इस पर व्यय जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था उतनी अधिक तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगी। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिये ऋण लेना बुरा नहीं है बशर्ते उस ऋण का उपयोग पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये किया जाय। वर्ष 2002-03 में लिये गये ऋण का मात्र 46 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय में उपयोग हुआ था जिसका अर्थ है कि ऋण के आधे से अधिक अंश का उपयोग पूंजीगत कार्यों में नहीं किया जा रहा था जो एक अव्यस्थित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है यद्यपि आगे के वर्षों में स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में यह 100 प्रतिशत के स्तर से ऊपर है। जिसका आशय हैं कि न सिर्फ शतप्रतिशत ऋण का उपयोग विकास कार्यों के लिये किया गया बल्कि राजस्व बचत के बड़े अंश का उपयोग भी पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा हैं। राज्य द्वारा विगत कई वर्षों से निध ाारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा हैं।

वर्ष 1988-89 से वर्ष 2005-06 तक राज्य में राजस्व घाटे की स्थिति बनी रही। वर्ष 2004 में एफ आर.बी.एम. अधिनियम पारित किये जाने के उपरान्त वर्ष 2006-07 में राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति प्राप्त की जा सकी तथा तब से लगात्तार राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी हुयी है। राजकोषीय घाटे को भी नियन्त्रित किया गया जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक हैं।

पूँजी निवेश

प्रदेश सरकार ने कम से कम 01 ट्रिलियन यू०एस० डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तीव्र औद्योगीकरण के लिये प्रदेश सरकार सतत् प्रयासरत है। प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के लिये आकर्षक गन्तव्य बनाने की दिशा में सरकार ने अथक प्रयास किये है।

विगत् वर्षों में इन्वेस्टर्स समिट, दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। प्रदेश में ईज आफ डूइंग बिजनेस में निरन्तर सुधार हुआ है और प्रदेश को एचीवर्स राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। ग्यारहवें डिफेन्स एक्सपो का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी, 2020 तक सफलतापूर्वक किया गया। इसमें विदेशों से रक्षा क्षेत्र के 3 हजार से अधिक प्रतिनिधियों व देश के 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गई, जिसमें 23 एम0ओ0यू0 प्रदेश सरकार के डिफेन्स कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित किये गये, जिनसे प्रदेश में लगभग 50 हजार करोड़ रूपये का निवेश सम्भावित है।

त्वरित न्याय एवं कानून व्यवस्था

निवेशकों को आकर्षित करने के लिये उपयुक्त माहौल का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसकी महत्ता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आवश्यक निर्णय लिये है। कानून-व्यवस्था को अनुकूल बनाने का प्रयास निरन्तर किया जा रहा है। सरकार आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। इसलिए विधिक वादों के त्वरित निपटारे हेतु न्यायालयों एवं ट्राइब्यूनल्स की स्थापना की गई है और न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई है।

प्रदेश में पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेन्सेज) ऐक्ट के अधीन प्रचलित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये 218 न्यायालयों के गठन का निर्णय लिया गया है। अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक कोर्ट्स की संख्या 81 है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के 25 कोर्ट तथा 13 कामर्शियल कोर्ट्स की स्थापना करायी गयी है। निवार्चित सांसदों, विधायकों के लम्बित अपराधिक वादों के लिए 01 स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। 24 स्थाई लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा सम्मान एवं स्वाबलम्बन हेतु 'मिशन शक्ति' की शुरुआत की है, जो इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायक होगा।

ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है। योजना के परफामेन्स इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे देश पहले स्थान पर है। आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मुसहर, वनटांगिया तथा थारू जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता पर आवास उपलब्ध कराये जा रहें हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण मे प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया हैं। सभी 75 जनपद ओ०डी०एफ० घोषित हो चुके हैं। योजनान्तर्गत आगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के साथ सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत पंचायतों के क्षमता सम्वर्दन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालयों की स्थापना की जा रही है।

कृषि

किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूँ, धान तथा मक्का खरीद की नई प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी लागू की गयी है,जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ का सफल आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश, किसानों को देय अनुदान का भुगतान डी०बी०टी० के माध्यम से करने तथा मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना।

कृषि गणना 2011-12 के अनुसार प्रदेश में कुल जोतों में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 79.5 था, जो कि वर्ष 2015-16 में बढ़कर 80.2 प्रतिशत हो गया। प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है तथा वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश के कुल कर्मकरों में कृषकों का प्रतिशत 41.1 से घटकर 29 प्रतिशत हो गयी जबकि कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 24.8 से बढ़कर 30.3 हो गया है। इसे कृषि विकास हेतु अच्छा संकेतक नहीं माना जा सकता है।

प्रदेश का गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है, किन्तु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से पीछे है। प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है किन्तु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से क्रमशः 65.14 प्रतिशत एवं 66.27 प्रतिशत कम है।

कृषि उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट होती जा रही है। वाँछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने

के लिए नत्रजन के साथ-साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है, इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है।

वर्ष 2010-11 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की उप योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोषित) प्रदेश में संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढावा दिया जाना हैं। चयनित जनयदों में फसलों की उत्पादकता में उत्साहवर्धक आँकड़ें प्राप्त हो रहे हैं

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना योजनान्तर्गत जिला सिंचाई योजना एवं राज्य सिंचाई योजना तैयार कर हर खेत को पानी देने की व्यवस्था करते हुए अधिकांधिक क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ भूमि जल स्तर को ऊपर उठाने तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में वाटरशेड के आधार पर भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो के द्वारा जल संवहरण, जल प्रबन्धन एवं फसल प्रबन्धन कर, उत्पादन में वृद्धि करना हैं। प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया हैं जिसमें से 14 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2016-17 से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना खरीफ एवं रबी की अधिसूचित फसलों को दैवीय आपदा के विरूद्ध बीमा कवर प्रदान करने, फसली ऋण के प्रभाव को बनाये रखने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

पशुपालन

पशुधन (कुक्कुट को छोड़कर) के मामले में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है,जो देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत है जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में प्रदेश का योगदान 2.56 प्रतिशत है। वर्तमान में दूध, अण्डा एवं मांस की उपलब्ध क्रमशः 330 ग्राम प्रति व्यक्ति, 10 अण्डा प्रति व्यक्ति एवं 1039 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। अतः 2030 तक 3 गुना उपलब्धता हेतु लगभग 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता है।

वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन प्रतिशत 32.5 है जिसे 2022 तक 75 प्रतिशत किया जाना है। प्रदेश की विशाल सम्पदा को सुरक्षित, सम्बर्धित तथा रोगमुक्त रखने में सरकार सतत प्रयासशील है। राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खुरपका-मुँहपका एवं ब्रुस्लोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को खुरपका-मुँहपका रोग से मुक्त कराया जाना है।

मत्स्य पालन कृषि का ही एक अंग है, अतः सरकार जून, 2014 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान कर कृषि से मिलने वाली सुविधाओं को मत्स्य पालकों को भी समान रूप से उपलब्ध करायी जा रही है, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है। अतिरिक्त जलक्षेत्र में आच्छादित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। कम लागत का उद्योग होने के कारण मछली पालन में रोजगार के अवसर असीमित है।

पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में भी मत्स्य उद्योग में असीम सम्भावायें हैं। सजाजटी मछलियों की बढ़ती मांग के चलते भी इस उद्योग में सीमा से अधिक विस्तार की सम्भावना है। इसके लिए आवश्यक है कि गुणवत्तायुक्त बीज मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाये तथा स्थानीय स्तर पर ही उत्पादकता के अनुरूप विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। पर्यावरण प्रदूषण के असर से ताल तालाब और नदियां भी अछूती नहीं बची है। इसके लिए आवश्यक है कि मुहानों/किनारों पर आवश्यक रूप से सदाबहार वृक्ष/पौधे लगाये जाएं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

बागवानी का क्षेत्र कृषि के विविधीकरण का आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से एक सक्षम विकल्प है। प्रदेश में बागवानी के विकास हेतु समन्वित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक-'पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन" औषधीय पौध मिशन, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम सचांलित किये जा रहे है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि कार्यक्रम संचालित है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, बेकरी आधारित उद्योग आदि क्षेत्र सम्मिलित है।

सिंचाई एवं जलापूर्ति

प्रदेश मे बढ़ती हुईं जनसंख्या के भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 01 हेक्टेयर से 05 हेक्टेयर के तालाबों को वर्षा जल संचयन हेतु पुनर्विकसित करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। जल शक्ति एवं नमामि गंगें तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु सिंचाई एवं जलसंसाधन, सिंचाई (यांत्रिक) परती भूमि विकास तथा बाढ़ नियंत्रण विभागों को शासन स्तर पर गठित 'जल शक्ति विभाग' के अन्तर्गत रखा गया है। इसी प्रकार नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु "नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग" का गठन किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा 6 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली "अटल भू-जल योजना" प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में भूजल के संचयन को बढ़ावा देना और भूजल के अतिदोहन पर रोक लगाना है। प्रदेश की जनता को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिये सरकार प्रदेश में अटल भूजल योजना का पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन करायेगी।

अधूरी पड़ी बाण सागर, पहुज बांध, पथराई बांध, पहाड़ी बांध, लहचूरा बांध, गुंटा बांध, मौदहा बांध तथा जमरार बांध आदि परियोजनाओं को पूरा किया गया। इन परियोजनाओं को पूर्ण होने से 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई। आगामी वर्ष में 04 परियोजनाओं- उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर से-स्ट्रकचरिंग परियोजनाा, कचनौदा बांध परियोजना, भरौट बांध परियोजना तथा उमरहट पम्प नहर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य गंगा (द्वितीय चरण) परियोजना से 1 लाख 46 हजार तथा अर्जुन सहायक नहार परियोजना से 44 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी एबं सहायक नदियों को निर्मल एवं अविरल बनाये जाने के उद्देश्य से नमामि गंगे अभियान संचालित किया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत 45 सीवरेज परियोजनायें प्रारम्भ की गईं जिनमें से 12 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। अमृत योजना के अन्तर्गत्त प्रारम्भ से अब तक पेयजल की 158 एवं सीवरेज की 228 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

पारम्परिक एवं वैकल्पिक ऊर्जा

वर्तमान में शहरों तथा गाँवों में विद्युत आपूर्ति हेतु लगभग 22 हजार 922 मेगावॉट विद्युत की उपलब्ध ाता हैं जो माँग के अनुरूप पर्याप्त हैं। आगामी वर्षों हेतु अनुबन्धित क्षमता को मांग के अनुरूप बढ़ाया भी जा रहा हैं। वर्त्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत्त उत्पादन क्षमता 5 हजार 800 मेगावॉट है, जिसको बढ़ाते हुये मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित्त विद्युत उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 3 हजार 960 मेगावॉट उत्पादन क्षमत्ता की तापीय परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनसे वर्ष 2020 से 2022 के मध्य उत्पादन प्रारम्भ होगा। इसके अत्तिरिक्त भविष्य में लगभग 3 हजार मेगावॉट का उत्पादन संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्राप्त होना सम्भावित है।

गत दो वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख घरों को विद्युत संयोजन कर समस्त 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय में संतृप्त कर दिया गया है। जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों को 20 घण्टे तथा ग्राम स्तर पर 16 से 18 घण्टे बिजली देने की व्यवस्था की गयी हैं।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 क्रियान्वित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10 हजार 700 मेगावॉट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से 4 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 949 मेगावॉट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी हैं।

नागरिक उड्डयन

प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू है। इस योजना को और व्यापक बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति" प्रख्यापित की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ-साथ नॉन-रीजनल कनेक्टिविटी उड़ानों के लिये प्रोत्साहन प्रदान किये जानें की व्यवस्था है।

प्रदेश मे 08 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं तथा 11 नये हवाई अड्डों पर कार्य चल रहा है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में 'नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट एवं कुशीनगर में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनने से देश-विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को इन स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी।

वन एवं पर्यावरण

प्रदेश में नगरीकरण के तीव्र विकास के साथ वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है। वन स्थिति रिपोर्ट-2017 के अनुसार प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है, जो वर्ष 2015 के सापेक्ष 676 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है जिसके लिये विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेल लाइन तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद स्तर पर बीहड़, खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराने की कार्य योजना है।

दिनांक 09 अगस्त, 2019 को वृक्षारोपण महाकुभ में एक ही दिन में 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण किया गया। 09 अगस्त, 2019 को प्रयागराज में एक ही स्थल पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधों का वितरण किया गया जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में सम्मिलित किया गया है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर वर्ष 2018 से 173 हो गई है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में नई तकनीक के प्रयोग हेतु आई०आई०टी०, कानपुर को तकनीकी पार्टनर चिन्हित किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एम-स्ट्राइप्स एप के माध्यम से स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रारम्भ की गई है।

सड़क परिवहन व्यवस्था

प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लम्बाई में 'पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना' का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने केलिये लगभग 91 किलोमीटर लम्बाई में 'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण का निर्णय लिया गया है। 'पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे' से बलिया को जोड़ने के लिये 'बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे' के निर्माण का निर्णय लिया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र

में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिये जनपद चित्रकूट को जनपद इटावा में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे मार्ग से जोड़ने हेतु लगभग 297 किलोमीटर लम्बाई का 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे' निर्माणाधीन है। यह एक्सप्रेस-वे बुन्देलखण्ड के लिये लाईफ लाइन सिद्ध होगा।

मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लम्बे 'गंगा एक्सप्रेस-वे' के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में डिफेन्स कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु 'डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर' परियोजना के लिये आवश्यक भूमि झाँसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा तथा कानपुर जनपदों में चिन्हित की गयी है। प्रदेश में लगभग 2 लाख 31 हजार किलोमीटर लम्बाई का मार्ग नेटवर्क लोक निर्माण विभाग के आधीन है।

लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहाँपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चिरिंग नीति-2019 का प्रख्यापन किया गया है। प्रदेश में 700 से अधिक इलक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की गयी है।

शिक्षा व्यवस्था

शिक्षा को बेहतर करने के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। ऑपरेशन शिक्षा कायाकल्य के माध्यम से 91 हजार 236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। 15 हजार प्राथमिक विद्यालयों तथा 1 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया हैं। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रदेश के निजी विद्यालयों में फीस को विनियमित करने के लिये उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 लागू किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 111 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगरीय विकास

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 शहरो-लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झाँसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपरोक्त 10 नगर निगमों के अतिरिक्त 07 अन्य नगर निगमों-मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन एवं शाहजहाँपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

लखनऊ, गाजियाबाद, तथा नोयडा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति में है, जिसके लिये 900 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुये परियोजना की लागत 11 हजार 76 करोड़ रूपये अनुामदित की गयी है। परियोजना की कुल लम्बाई 32 किलोमीट है। कानपुर मेट्रो पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा 8 हजार 379 करोड़ रूपये की लागत से अनुमोदित की गयी है। परियोजना की कुल लम्बाई 29 किलोमीट है। परियोजना हेतु 286 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'सबके लिये आवास योजना' के अन्तर्गत प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को लगातार पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। दुर्बल आय वर्ग के लिये मार्च, 2021 तक 04 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य है।

पर्यटन विकास

प्रदेश में प्राचीन संस्कृति व सम्पदा के बिखरे पड़े अवशेषों को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों, स्मारकों तथा पुरावशेषों का सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण पुरातात्विक महत्व के स्थलों का उत्खनन आदि कार्य किये जा रहे हैं।

जनपद गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण, कबीर अकादमी की स्थापना, जनपद बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृत्ति के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना, गुरू गोरखनाथ शोध पीठ की स्थापना, पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़कोला, उन्नाव में विशाल मे स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य निर्माण कार्य कराये जा रहे है।

अयोध्या मे दीपोत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर, 2019 को पुनः किया गया तथा इस अवसर पर 4 लाख 04 हजार 26 से अधिक दीप जलाये गये। यह एक नया कीर्तिमान था, जिसे गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकाड्र्स में सम्मिलित किया गया।

औद्योगीकरण

औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश मे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक निर्णय लिए जा रहे है, परिणामस्वरुप वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में प्रदेश गत वर्ष की 12वीं रैंक से बड़ी छलांग लगाते हुये दूसरी रैंक हासिल की है।

उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापना के क्रम में आने वाली समस्याओं के निराकरण व सहयोग हेतु ज़िला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय उद्योग-बन्धु बैठकों की व्यवस्था की गयी है। औद्योगिक क्रियाकलापों को पुनः पटरी पर लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट अध्यादेश 2020" लाया गया है। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से 03 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है। लॉकडाउन के समय में एमएसएमई इकाइयों को लाभान्वित कराने हेतु तीन क्रेडिट आनलाइन लोन मेला का आयोजन किया गया जिसके द्वारा 729691 इकाइयों को रू० 20442 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया।

देश के एमएसएमई विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की शिकायतों के निराकरण हेतु 'रिवाइवल एवं फैसिलटेशन सेल का गठन किया गया है। उ०प्र० सरकार ने उ०प्र० सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुये 'उ०प्र० सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020' लागू किया है।

प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में एक समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। वर्तमान सरकार ने ओ०डी०ओ०पी० जैसी योजना लाकर परम्परागत उद्योगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। 'उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहित नीति-2017' प्रख्यापित की गई है। प्रदेश के शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन हेतु 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' लागू है।

अन्य

त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित यथा-सड़क, पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा, विद्युत व्यवस्था हेतु भवन निर्माण आदि को प्राथमिकता पर कराया जाना परिकल्पित है।

दिव्यांग दम्पत्तियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनाहार योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी दिव्यांग दम्पत्तियों जिनमें पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो अथवा उनमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरे दिव्यांग हो अथवा दोनों कुष्ठ के कारण दिव्यांग हों, के बच्चों के

पालन-पोषण हेतु प्रतिमाह अनुदान दिया जायेगा।

प्रदेश में तकनीकी उन्नयन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कृषि तथा विनिर्माण में विकास कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार सृजन एवं निवेश इत्यादि के सम्बन्ध में उचित नीतिगत निर्णय द्वारा लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जा रहा है। प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों तथा सूक्ष्म व लघु उद्योगों में कार्यरत है।

आर्थिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें नीतिगण निर्णयों का परिणाम धीरे-धीरे ही दृष्टिगोचर होता है। विगत वर्षों में किए गए आर्थिक निर्णयों के सार्थक परिणाम मिलने प्रारम्भ हो गए है। सरकार द्वारा संतुलित विकास की रणनीति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। प्रदेश सरकार एक ओर जहाँ कृषि विकास पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर औद्योगीकरण हेतु भी निरन्तर प्रयास कर रही है। उन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप निवेश करने में निवेशकों की रूचि बढ़ रही है।

अतः प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि कृषि विकास के बिना उद्योगों का विकास सम्भव नहीं है, दोनों एक एक दूसरे के पूरक है। इसलिये भारत सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों क्षेत्रो के विकास पर एक साथ जोर दे रही है। एक और भारत सरकार की नीतियों एवं योजनाओं यथा-प्रधामंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, स्टैण्ड-अप एवं स्टार्ट-अप इण्डिया आदि के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य किया है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम-सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना आदि प्रारम्भ कर उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश के माध्मय से उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर है।

सामाजिक स्थिति

उत्तर प्रदेश भारतीय सभ्यता का उद्‌गम स्थल रहा है। अति प्राचीन समय से विभिन्न जाति एवं सामाजिक समूह इस क्षेत्र में आये और यहीं बस गये। इस राज्य में भारतवर्ष की जनसंख्या का 16.51 प्रतिशत भाग निवास करता है तथा भौगोलिक दृष्टि से यह राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों के पश्चात चौथे स्थान पर है। इसका भौगोलिक क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 7.3 प्रतिशत है। इसका सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किमी0 है।

प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 18 मण्डलों में विभाजित है जिसमें 75 जनपद, 915 नगर एवं नगर क्षेत्र, 17 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद्, 438 नगर पंचायतें, 59073 ग्राम पंचायतें, 825 विकास खण्ड, 97814 आबाद ग्राम, 351 तहसीलें, 17670 डाकघर एवं 2289 टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

राजनैतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सदस्य, राज्यसभा में 31 सदस्य, विधानसभा में 404 सदस्य तथा विधान परिषद् में 100 सदस्य चुनकर भेजता है। आर्थिक दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिनमें 190.58 कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति राज्य आय (नवीन शृंखला) वर्ष 2011-12 के प्रचलित भावों पर वर्ष 2019-20 प्रति व्यक्ति आय रु. 65704 है।

जनसंख्या

जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या 12106 लाख का 16. 5 प्रतिशत है।

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के 36 **प्रदेशों एवं केन्द्र शासित** प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है। विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या सम्बन्धी सूचना तालिका में दृष्टिगत है-

भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं घनत्व-2011

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रफल 2011 (हजार वर्ग किमी०)	जनसंख्या 2011 हजार में	घनत्व 2011 (प्रति वर्ग किमी०)
1	आन्ध्र प्रदेश	163	49387	308
2	अरुणाचल प्रदेश	84	1384	17
3	असम	78	31206	398
4	बिहार	94	104099	1106

5	छत्तीसगढ़	135	25545	189
6	गोवा	4	1459	394
7	गुजरात	196	60440	308
8	हरियाणा	44	25351	573
9	हिमाचल प्रदेश	56	6865	123
10	जम्मू एवं कश्मीर	222	12541	124
11	झारखण्ड	80	32988	414
12	कर्नाटक	192	61095	319
13	केरल	39	33406	860
14	मध्य प्रदेश	308	72627	236
15	महाराष्ट्र	308	112374	365
16	मणिपुर	22	2856	128
17	मेघालय	22	2967	132
18	मिजोरम	21	1097	52
19	नागालैण्ड	17	1979	119
20	ओड़िशा	156	41974	270
21.	पंजाब	50	27743	551
22.	राजस्थान	342	68548	200
23.	सिक्किम	7	611	86
24.	तमिलनाडु	130	72147	555
25.	तेलंगाना	112	35194	307
26.	त्रिपुरा	10	3674	350
27.	उत्तर प्रदेश	241	199812	829
28.	उत्तराखण्ड	53	10086	189
29.	पश्चिम बंगाल	89	91276	1028
30.	अण्डमान-निकोबार आईसलैण्ड	8	381	46
31.	चण्डीगढ़	0	1055	9258
32.	दादर नागर हवेली	0	344	700
33.	दमन-द्वीप	0	243	2191
34.	दिल्ली	1	16788	11320
35.	लक्ष्यद्वीप	0	64	2149
36.	पुडुचेरी	0	1248	2547
	भारत	**3287+**	**1210855**	**382**

+120849 वर्ग किमी0 विवादित क्षेत्र भी सम्मिलित है।

स्रोत : सांख्यकी डायरी, उ0प्र0 - 2020

जनसंख्या घनत्व

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991 में प्रति वर्ग किमी0 पर 548 व्यक्ति थे जो कि 2001 में 690 तथा 2011 में 829 प्रति वर्ग किमी0 हो गये जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से भी व्यक्तियों का भार प्रति किमी0 क्षेत्र के अनुसार बढ़ रहा है।

जनसंख्या वृद्धि

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001-11 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में प्रदेश का भारत के राज्यों में गत दशक की भाँति ग्यारहवाँ स्थान रहा। 2001-11 की अवधि में उ.प्र. की कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में (20.23 प्रतिशत) थी जबकि उक्त अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि (17.7 प्रतिशत) से अधिक रही। 1991-2001 की अवधि में उक्त वृद्धि (25.8 प्रतिशत) थी जो उक्त अवधि में भी भारत की दशकीय वृद्धि 21.5 प्रतिशत से अधिक थी।

उत्तर प्रदेश के कुछ मदों के आर्थिक क्षेत्रवार आँकड़े

उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बाँटा गया है। आर्थिक क्षेत्रवार कुछ मदों के आँकड़े निम्न तालिका में दृष्टिगत हैं-

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के जनगणना 2011 के कुछ प्रमुख मदों के आँकड़े

	आर्थिक क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लाखों में)	जनसंख्या का प्रतिशत	भौगोलिक क्षेत्रफल हजार वर्ग किमी०	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किमी.)	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या
1	पूर्वी	804	40.0	86(35.6)	931	952
2	पश्चिमी	743	37.2	80(33.2)	930	884
3	केन्द्रीय	355	18.0	46(19.0)	785	895
4	बुन्देलखण्ड	97	4.8	29(12.2)	329	877
	उत्तर प्रदेश	1998	100.0	241(100.00)	829	912

नोट - कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या 40.0 प्रतिशत है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र (37.2 प्रतिशत) व केन्द्रीय क्षेत्र (18.0 प्रतिशत) तथा सबसे बाद बुन्देलखण्ड क्षेत्र (4.8 प्रतिशत) आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रदेश के क्षेत्रफल का 35.6 प्रतिशत भाग पूर्वी क्षेत्र में है, जो प्रथम स्थान पर तथा इसके बाद क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र (33.2 प्रतिशत) केन्द्रीय क्षेत्र (19.0 प्रतिशत) तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र (12.2 प्रतिशत) क्षेत्रफल का स्थान है।

लिंगानुपात की प्रवृत्ति

स्त्री-पुरुष अनुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। वर्ष 1901 से 2011 की अवधि में स्त्री-पुरुष अनुपात के आँकड़े तालिका में दर्शाये गये हैं-

तालिका

उत्तर प्रदेश एवं भारत के स्त्री-पुरुष अनुपात के आँकड़े

वर्ष	उत्तर प्रदेश		भारत	
	समस्त आयु वर्ग	0-6 वर्ष आयु वर्ग	समस्त आयु वर्ग	0-6 वर्ष आयु वर्ग
1	2	3	4	5
1901	938	-	972	-
1911	916	-	964	-
1921	908	-	955	-
1931	903	-	950	-
1941	907	-	945	-
1951	908	-	946	-
1961	907	-	941	976
1971	876	923	930	964
1981	882	935	934	962
1991	876	927	927	945
2001	898	916	933	927
2011	912	902	943	919

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 1901 की जनगणनानुसार 938 थी इसके पश्चात् वर्ष 1991 तक इसमें कमी एवं मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2001 से इसमें पुनः वृद्धि आरम्भ हुई और यह बढ़ते हुए वर्ष 2001 एवं 2011 में क्रमशः 898 एवं 912 हो गयी। भारत में वर्ष 2011 में यह संख्या 943 है जबकि वर्ष 2001 में यह 933 ही थी।

साक्षरता प्रतिशत

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है जिनमें 682 लाख पुरुष तथा 462 लाख महिला साक्षर हैं तथा प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जो भारत के संगत अवधि के साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम है जबकि वर्ष 2001 में यह प्रतिशत 56.3 था जो भारत के संगत अवधि में साक्षरता प्रतिशत 64.8 से कम था।

उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 4157514 कुल विकलांग व्यक्ति हैं जिसमें 763988 दृष्टिहीनता, 266586 मूक, 1027835 बहरापन, 677713 गति, 76603 मानसिक, 181342 मानसिक मंदता, 946436 अन्य एवं 217011 बहु विकलांगता की श्रेणी में आते है। प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों का कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.08 है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1998.12 लाख) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 413.58 लाख एवं 11.34 लाख थी जो कुल जनसंख्या की क्रमशः 20.7 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में भारत में यह प्रतिशत क्रमशः 16.6 एवं 8.6 था।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1593.1 लाख (79.8 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं।

उत्तर प्रदेश धर्मानुसार जनसंख्या 2011

	धर्म	जनसंख्या	कुल जनसंख्या प्रतिशत में
1.	हिन्दु	159312654	79.73
2.	मुस्लिम	38483967	19.26
3.	ईसाई	356448	0.18
4.	सिक्ख	643500	0.32
5.	बौद्ध	206285	0.10
6.	जैन	213267	0.11
7.	अन्य तथा अवर्णित धर्म	596220	0.30
	कुल जनसंख्या	199812341	100.00

जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर

एम.आर.एस. बुलेटिन भारत सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2000 में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर क्रमशः 32.8, 10.3, 83 थी जो निरंतर गिरते हुए वर्ष 2013 में क्रमशः 27.2, 7.7, एवं 50 हो गयी एवं पुनः गिरते हुए वर्ष 2015 में क्रमशः 26.7, 7.2 एवं 46.0 हो गयी एवं पुनः गिरते हुए वर्ष 2016 में क्रमशः 26.2, 6.9 एवं 43.0, पुनः गिरते हुए वर्ष 2017 में क्रमशः 25.9, 6.7 एवं 41.0 **एवं** 2018 **में** 25.6, 6.6 **एवं** 43.0 हो गयी है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2013 में उक्त संख्या क्रमशः 21.4, 7.0, 40 एवं वर्ष 2015 में उक्त संख्या क्रमशः 20.8, 6.5 एवं 37.0 एवं 2016 में उक्त संख्या क्रमशः 20.4, 6.4 **एवं** 34.0 एवं 2017 में उक्त संख्या क्रमशः 20.2, 6.3 एवं 33.0 **एवं** 2018 **में उक्त संख्या क्रमशः** 20.0, 6.2 **एवं** 32.0 **रही।**

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आँकड़े (प्रति हजार)

मद	वर्ष									
	2013		2015		2016		2017		2018	
	उ0प्र0	भारत	उ0प्र0	भारत	उ0प्र0	भारत	उ0प्र0	भारत	उ0प्र0	भारत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जन्म दर	27.2	21.4	26.7	20.8	26.2	20.4	25.9	20.2	25.6	20.0
मृत्यु दर	7.7	7.0	7.2	6.5	6.9	6.4	6.7	6.3	6.6	6.2
शिशु मृत्यु दर	50.0	40.0	46.0	37.0	43.0	34.0	41.0	33.0	43.0	32.0

प्रदेश के महत्त्वपूर्ण तथ्यात्मक आँकड़े

- क्षेत्रफल - 240928 वर्ग किमी0
- जिलों की संख्या - 75
- मण्डलों की संख्या - 18
- कुल जनसंख्या (वर्ष 2011) - 199812341
  - पुरुष - 104480510
  - महिला - 95331831
- 2001-2011 में जनसंख्या में कुल वृद्धि - 33614420
- 2001-2011 में जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 20.23
- 2001-2011 में ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 18.0
- 2001-2011 में नगरीय जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 28.8
- नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अंश (2011) - 22.3
- जनसंख्या घनत्व - 829
- लिंगानुपात - 912:1000
- कुल जनसंख्या में 0-6 आयु वर्ग की बाल जनसंख्या का प्रतिशत
  - कुल बच्चे - 18.35 प्रतिशत
  - बालक - 18.18 प्रतिशत
  - बालिकाएँ - 18.54 प्रतिशत
- साक्षरता दर 7 वर्ष व अधिक की जनसंख्या के लिए (2011)
  - कुल - 67.7 प्रतिशत
  - पुरुष - 77.3 प्रतिशत
  - महिला - 57.2 प्रतिशत

सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जनपद-2011 (जनसंख्या हजार में)

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	**जनपद**	**कुल जनसंख्या**	**क्र.सं.**	**जनपद**	**कुल जनसंख्या**
1	प्रयागराज	5954	1	महोबा	876
2	आजमगढ़	4614	2	चित्रकूट	992
3	लखनऊ	4589	3	हमीरपुर	1104
4	कानपुर नगर	4581	4	श्रावस्ती	1117
5	जौनपुर	4494	5	ललितपुर	1222

सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	क्र.सं.	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
1	खीरी	7680	1	हापुड़	660
2	सोनभद्र	6905	2	गाजियाबाद	910
3	हरदोई	5986	3	भदोही	1015
4	सीतापुर	5743	4	शामली	1212
5	प्रयागराज	5482	5	गौतमबुद्ध नगर	1282

सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किमी.)	क्र.सं.	जनपद	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किमी.)
1	गाजियाबाद	3674	1	ललितपुर	242
2	वाराणसी	2395	2	सोनभद्र	270
3	लखनऊ	1816	3	हमीरपुर	275
4	संत रविदास नगर	1555	4	महोबा	279
5	कानपुर नगर	1452	5	चित्रकूट	308

सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत	क्र.सं.	जनपद	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत
1	गौतमबुद्ध नगर	49.11	1	कानपुर नगर	9.92
2	गाजियाबाद	41.27	2	हमीरपुर	11.12
3	श्रावस्ती	30.54	3	बागपत	11.95
4	बहराइच	29.10	4	फतेहपुर	14.05
5	बलरामपुर	27.72	5	देवरिया	14.25

सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	लिंगानुपात	क्र.सं.	जनपद	लिंगानुपात
1	जौनपुर	1024	1	महोबा	851
2	आजमगढ़	1019	2	चित्रकूट	861

3	देवरिया	1017	3	हमीरपुर	861
4	प्रतापगढ़	998	4	श्रावस्ती	862
5	सुल्तानपुर	983	5	ललितपुर	863

सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

	अधिकतम			न्यूनतम	
क्र.सं.	जनपद	साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	साक्षरता दर
1	गौतमबुद्ध नगर	80.12	1	श्रावस्ती	46.74
2	कानपुर नगर	79.65	2	बहराइच	49.36
3	औरय्या	78.95	3	बलरामपुर	49.51
4	इटावा	78.41	4	बदायूँ	51.29
5	गाजियाबाद	78.07	5	रामपुर	53.34

सर्वाधिक व न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

	अधिकतम			न्यूनतम	
क्र.सं.	जनपद	पुरुष साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	पुरुष साक्षरता दर
1	गौतमबुद्ध नगर	88.26	1	श्रावस्ती	57.16
2	औरय्या	86.11	2	बहराइच	58.34
3	इटावा	86.06	3	बलरामपुर	59.73
4	गाजियाबाद	85.42	4	बदायूँ	60.98
5	झाँसी	85.38	5	रामपुर	61.40

सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

	अधिकतम			न्यूनतम	
क्र.सं.	जनपद	महिला साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	महिला साक्षरता दर
1	कानपुर नगर	75.05	1	श्रावस्ती	34.78
2	लखनऊ	71.54	2	बलरामपुर	38.43
3	गौतमबुद्ध नगर	70.82	3	बहराइच	39.18
4	औरय्या	70.61	4	बदायूँ	40.09
5	गाजियाबाद	69.79	5	रामपुर	44.44

नियोजन

प्रदेश के नियोजित विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार के साथ प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने तथा योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। प्रमुख सचिव नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्ष 2020-2021 में इस संस्थान के अन्तर्गत निम्न प्रभाग कार्यरत हैं :-

1. अर्थ एवं संख्या प्रभाग
2. विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग
3. मूल्यांकन प्रभाग
4. प्रशिक्षण प्रभाग
5. क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग
6. दीर्घकालीन योजना प्रभाग
7. जनशक्ति नियोजन प्रभाग
8. योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग
9. प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

संस्थान के उपर्युक्त प्रभागों में योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, प्रकाशन एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन एवं समीक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों, योजनाओं के सामयिक मूल्यांकन का कार्य मुख्यतः मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जाता है।अग्रगामी प्रयोगों द्वारा ग्रामीण विकास के शोध एवं अध्ययन का कार्य विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों में नये विकास कार्यक्रमों की सम्भाव्यता आदि का परीक्षण भी किया जाता है। संस्थान के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा नियोजन प्रक्रिया, प्रायोजना रचना तथा विकास योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी तथा विभिन्न विकास विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता में अभिवृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन एवं विशेष क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने का कार्य क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में जनशक्ति सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण कार्य जनशक्ति नियोजन प्रभाग द्वारा तथा दीर्घकालीन योजनाओं हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन एवं विश्लेषण तथा दीर्घकालीन योजना की संरचना का कार्य दीर्घकालीन योजना प्रभाग

द्वारा किया जाता है।

प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं निगमों की चयनित वृहद् परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं परियोजनाओं की लागत प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभप्रदता के परीक्षण का कार्य किया जाता है तथा विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों के माध्यम से प्रदेश में विनियोजन हेतु परियोजनाओं का अनुमोदन कराया जाता है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने, संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में ''ब्यूरो आफ स्टैटिस्टिक्स् एण्ड इकोनामिक रिसर्च'' नाम से की गयी थी। बीच में अनेक बार इस विभाग को पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1947 में आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित कर इसे एक सम्पूर्ण विभाग का स्वरूप प्रदान किया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अंततः वर्ष 1971 में नियोजन के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना की गयी तथा उक्त स्थापना के साथ ही यह विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग के रूप में जाना जाने लगा।

प्रभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य

1. प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा करना तथा उसके निष्कर्षों से राज्य सरकार को अवगत कराना एवं परामर्श देना।
2. प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर आँकड़ों का एकत्रीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण एवं प्रकाशन।
3. राज्य सरकार की नियोजन प्रक्रिया में वांछित सहयोग देना।
4. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार आँकड़ों की आपूर्ति।
5. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करना तथा व्यवस्थित एवं तार्किक आधार पर सांख्यिकीय कार्यों को समुचित दिशा प्रदान करना।
6. विकास कार्यक्रमों की प्रगति का संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग देना।
7. जिला योजनाओं की संरचना एवं अनुश्रवण।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण-

- राज्य आय अनुमान
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान
- जिला घरेलू शुद्ध उत्पाद के अनुमान
- उ.प्र. के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण
- उ.प्र. की आर्थिक समीक्षा
- मण्डलीय सामाजार्थिक समीक्षायें

- जनपदीय सामाजार्थिक समीक्षायें
- विकास खण्ड स्तरीय सामाजार्थिक समीक्षायें
- जिला योजना की संरचना एवं अनुश्रवण
- स्थानीय निकायों के आय-व्ययक वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
- भवन निर्माण सम्बन्धी आंकड़े
- थोक/फुटकर भाव संग्रह
- मजदूरी की दरें
- क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों पर आधारित स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट
- ग्राम्य विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन
- जिलेवार विकास संकेतक उ.प्र.
- उ.प्र. एक झलक (आंकड़ों में)
- सांख्यिकीय डायरी
- अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़ें
- सांख्यिकीय सारांश, उ.प्र.
- अन्तर जनपदीय आंकड़ें

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को चिन्हित करके, क्रियात्मक शोध पद्धति अपनाते हुये पायलेट प्रोजेक्ट बनाना तथा क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जनसहभागिता को अपनाते हुए उसका क्रियान्वयन करके उपयुक्त माडल विकसित करना है। सफल कार्यक्रमों को शासन के सम्बन्धित विभागों को व्यापक प्रचार तथा ''रेप्लीकेशन'' हेतु हस्तान्तरित किया जाता है।

मूल्यांकन प्रभाग

प्रभाग का गठन एवं उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में मूल्यांकन संगठन की स्थापना कार्यकारी दल की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1965 में की गयी थी। इस प्रदेश में मूल्यांकन संगठन स्थापित करने में कार्यकारी दल की संस्तुतियों का पूर्ण रूपेण अनुसरण किया गया है। मूल्यांकन संगठन की नीति एवं कार्यक्रमों के निर्धारण तथा मूल्यांकन अध्ययनों के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गयी थी, ताकि मूल्यांकन सलाहकार परिषद मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य का प्रभावकारी ढंग से सम्पादन कर सके। तत्पश्चात् वर्ष 1972 से मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. की स्थापना के फलस्वरूप एक प्रभाग के रूप में स्थापित है।

प्रभाग का कार्य

प्रदेश के विकास में मूल्यांकन प्रभाग की अहम भूमिका है। योजनाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में किस हद तक सफल रही हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं एवं योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है, आदि को ज्ञात करने के उद्देश्य से मूल्यांकन दल द्वारा चयनित जनपदों में जाकर लाभान्वितों से साक्षात्कार कर आवश्यक तथ्य संकलित किये जाते हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों से विचार–विमर्श कर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए अध्ययन प्रतिवेदन को अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है। अध्ययन प्रतिवेदन में मूल्यांकनोपरान्त प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव/संस्तुतियाँ की जाती हैं।

प्रशिक्षण प्रभाग

प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना 1981 में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत की गयी थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं के 'क' एवं 'ख' वर्ग के अधिकारियों एवं राज्य नियोजन संस्थान के कार्मिकों हेतु नियोजन एवं विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अर्थ एवं संख्या प्रभाग के नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

प्रमुख कार्य योजना

प्रशिक्षण प्रभाग की कार्ययोजना के अंतर्गत नियोजन विभाग, राज्य योजना आयोग, भूमि उपयोग परिषद तथा राज्य नियोजन संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधित विषयों यथा–परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन, विकेन्द्रित नियोजन, मानव विकास एवं जेण्डर इशूज, कार्यालय प्रबन्धन इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग

प्रदेश में संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में की गयी। इस प्रभाग का प्रमुख कार्य प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं एवं समस्याओं को अभिज्ञानित करने हेतु अध्ययन करना है। प्रभाग के प्रमुख कार्यकलापों का विवरण निम्नवत् है :-

1. पूर्वान्चल विकास बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करना।
2. बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करना।

दीर्घकालीन योजना प्रभाग

दीर्घकालीन योजना प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971-72 में की गयी थी। प्रभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास हेतु एक उपयुक्त दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना है, जिसकी पृष्ठभूमि में लघु अवधीय विकास की प्राथमिकतायें तथा उसका स्वरूप निर्धारित किया जा सके। इस

उद्देश्य के अनुरूप राष्ट्रीय विकास परिप्रेक्ष्य से तालमेल स्थापित करते हुए प्रदेश की क्षेत्रकीय एवं समग्र (सेक्टोरल एण्ड ओवर आल) अर्थव्यवस्था हेतु अपेक्षित वृद्धि दर, आवश्यक विनियोग एवं योजना परिव्यय, सम्भावित रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन आदि के अनुमान तैयार करना प्रभाग की सहवर्ती प्रतिबद्धतायें हैं। इन्हीं उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु समग्र अर्थव्यवस्था एवं उसके विभिन्न क्षेत्रकों के प्रमुख बैरियबुल्स (उत्पादन, उपभोग, विनियोग, बचत आदि) की संरचना तथा कतिपय विशिष्ट पैरामीटर्स/पहलुओं (श्रम-उत्पादन, अनुपात, पूँजी-उत्पादन अनुपात, विकास-रणनीति आदि) से सम्बन्धित बहुआयामी अध्ययनों का सतत् सम्पादन प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है।

वर्ष 2020-21 के प्रकाशनों की सूची

1. आय-व्ययक की संरचना
2. गवर्नेंस विषयक अध्ययन

जनशक्ति नियोजन प्रभाग

जनशक्ति नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ की गयी थी। इसका कार्य ऐसे अध्ययनों को करना है जिनसे प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्मिकों की उपलब्धता समय से एवं आवश्यकतानुसार सुनिश्चित हो सके तथा बेरोजगारी की समस्या को कम करने हेतु सुझाव दिये जा सकें। साथ ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में आवश्यक सुधार लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने तथा उपलब्ध जनशक्ति का विकास कार्यों में अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कर, मानव संसाधन विकास में योगदान प्रदान करना है। प्रभाग द्वारा किये गये अध्ययनों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. महत्त्वपूर्ण श्रेणी के तकनीकी कार्मिकों का स्टॉफ तथा मांग एवं पूर्ति का आंकलन।
2. विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदेश की जनशक्ति का आंकलन, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति तथा इनमें हो रहे परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन।
3. विकास कार्यक्रमों का रोजगार के दृष्टिकोण से विश्लेषण तथा रोजगारपरक योजनाओं का लाभार्थियों की आय एवं रोजगार पर प्रभाव।
4. प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थाओं की उपयुक्तता तथा प्रशिक्षित जनशक्ति का उपयोग।

जनशक्ति नियोजन प्रभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण (2019-20)

1. केन्द्र सरकार के अपेक्षानुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाईजेशन तथा आधार के साथ लिंकेज का अनुश्रवण तथा उत्तर प्रदेश डी.बी.टी. पोर्टल पर डी.बी.टी. योजनाओं को ऑनबोर्ड करना।
2. चयनित केन्द्र पोषित डी.बी.टी. योजनाओं की पाक्षिक एवं क्रमिक प्रगति की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराना।
3. आयुवर्ग -18 वर्ष में आधार जनरेशन में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धी कार्यवाही तथा आधार परियोजना से सम्बन्धित अन्य कार्य।

दिनांक 31.03.21 तक सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों का विवरण-

1. केन्द्र सरकार के अपेक्षानुसार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाईजेशन तथा आधार के साथ लिंकेज का अनुश्रवण तथा उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल पर डी0बी0टी0 योजनाओं को ऑनबोर्ड कर मासिक सूचनायें केन्द्र सरकार के उपलब्ध कराना तथा चयनित केन्द्र पोषित योजनाओं की पाक्षिक एवं क्रमिक प्रगति की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराना।
2. आयुवर्ग 0-18 वर्ष में आधार जनरेशन में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धी कार्यवाही।
3. राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 का कार्य-विवरण वर्ष 2020-21
4. सरप्लस स्टाफ पूल एवं अनुपयोगी स्टाफ सम्बन्धी कार्य।
5. एन0आई0सी0 के माध्यम से एन0जी0ओ0 वेबपोर्टल का निर्माण कराना।
6. विभागीय कार्यों के लिये कन्सल्टेंट (सीनियर लेवल/मिड लेवल तथा जूनियर लेवल) की सेवायें प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदायी संस्था (कन्सल्टेंसी फर्म्स) का इम्पैनलमेन्ट किये जाने से सम्बन्धी कार्य।
7. प्रदेश के विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती करने हेतु सेवा प्रदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट किये जाने से सम्बन्धी कार्य।
8. केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर उपलब्ध करायी जा रही केन्द्र पोषित योजनाओं का उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाना।
9. उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल पर राज्य सरकार की योजनाओं को ऑनबोर्ड किया जाना।
10. उत्तर प्रदेश डी0बी0टी0 पोर्टल को डी0बी0टी0 से आच्छादित योजनाओं हेतु सम्बन्धित विभागों को एन0आई0एस0 पोर्टल से लिंक किया जाना।
11. उत्तर प्रदेश आधार अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत योजनाओं, सेवाओं आदि में आधार के उपयोग के सम्बन्ध में विभागों द्वारा बनाये जा रहे नियमों/अधिसूचनाओं का अनुश्रवण।
12. डी0बी0टी0 योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों के आधार बेस्ड ऑथेन्टीकेशन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही।
13. एन0जी0ओ0 वेबपोर्टल/वेबसाइट तैयार होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार स्वय सेवी संस्थाओं को ऑन-लाइन सूचीबद्ध एवं अन्य कार्यवाही करना।
14. कार्यवाही विभागों द्वारा ब्लैंक लिस्टेड संस्थाओं हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य।
15. सेवानिवृत्त स्वेच्छा से एवं बिना पारिश्रमिक के सेवायें प्रदान करने वाले कार्मिकों का डाटाबेस एवं पोर्टल तैयार किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही।
16. शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य प्रकीर्ण कार्यों का निष्पादन।

योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग

नियोजन विभाग के अन्तर्गत योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग का सृजन मई, 1973 में इस उद्देश्य से किया गया था कि यह प्रभाग प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गयी चयनित परियोजनाओं की प्रगति पर दृष्टि रखेगा तथा उनके क्रियान्वयन में आने वाले अवरोधों, समस्याग्रस्त क्षेत्रों तथा कमी के सम्बन्ध में शासन को नियमित रूप से अवगत करायेगा।

प्रभाग के कार्यकलापों का विवरण

- रु. 5.00 करोड़ से अधिक लागत की मार्ग/पेयजल/सीवर/ड्रेनेज निर्माण की परियोजनायें तथा अन्य रु. 1.00 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं का ई-परियोजना प्रबन्धन वेबप्रणाली के माध्यम से प्रगति का अनुश्रवण कर अनुश्रवण आख्या का सम्बन्धित विभागों को प्रेषण।
- ई-परियोजना प्रबन्धन वेबप्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न विकास विभागों की निर्माणाधीन परियोजनाएं अपलोड/अपडेट करने का नियमित अनुश्रवण किया गया।
- मा0 प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से PRAGATI (Pro Active Governance and Timely Implementation) के अन्तर्गत चिन्हित प्रकरणों की मासिक समीक्षा बैठकों में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के भाग लेने सम्बन्धी समस्त कार्य।
- प्रगति कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित प्रकरणों की अद्यावधिक परिपालन आख्या (एटीआर) ई-समीक्षा वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाना।
- मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार में गठित कैबिनेट कमेटी आन इन्वेस्टमेण्ट के प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप (सीसीआई-पीएमजी) की समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रदेश में गठित प्रोजेक्ट मानीटरिंग ग्रुप की समय-समय पर बैठकें आयोजित करवाना।
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) पूर्णरूप से केन्द्र सरकार द्वारा पोषितहै। राज्य स्तर पर नोडल विभाग (नियोजन विभाग) एवं भारत सरकार के साथ समन्वय तथा राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत समुचित और प्रभावी पर्यवेक्षण किया जा रहा है। योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबनन प्रभाग द्वारा सांसद योजना के अन्तर्गत समस्त राज्य स्तरीय तकनीकीकार्यों का निष्पादन किया जा रहा है।
- परियोजनाओं की लागत पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु सेतु एवं भवन सूचकांकों के निर्धारण सम्बन्धी कार्य।
- आवश्यकतानुसार निर्माणाधीन परियोजनाओं का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को प्रेषण।

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

वर्ष 2020-21 में प्रभाग द्वारा सम्पादित/सम्भाति अध्ययनों/कार्यों का विवरण

(अ) 01-10-2020 तक सम्पादित अध्ययनों का विवरण।।

(ब) 31-03-2021 तक सम्पन्न किये जाने वाले अध्ययनों/कार्यों का विवरण।

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का गठन राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत शासनादेश सं0 भाग 2074/35-1-73-3/18(स)/72 दिनांक 29.05.1972 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विभिन्न विकास प्रायोजनाओं हेतु पूँजी विनियोग के प्रस्तावों की वित्तीय सहायता, तकनीक सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्रदता का मूल्यांकन करना है।

प्रभाग का कार्यक्षेत्र

- व्यय वित्त समिति सचिवालय
- पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पी.आई.बी.) सचिवालय

व्यय वित्त समिति का संगठन तथा कार्यक्षेत्र

- व्यय के महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों के सभी पहलुओं पर जाँच करके तत्परता से अन्तिम निर्णय लिये जाने के उद्देश्य से दिनाँक 22 अप्रैल 1977 द्वारा व्यय वित्त समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति की सदस्यता, कार्य प्रक्रिया, कर्तव्य व कार्य क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में दिनाँक 24 जुलाई, 1998 द्वारा आंशिक संशोधन किया गया।

समिति का कार्यक्षेत्र

- योजनाओं/परियोजनाओं में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 द्वारा व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्व के परीक्षण का स्तर निम्नवत है–

क्र.सं.	परियोजना के व्यय के प्रस्ताव	व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य का प्रशिक्षण
1.	रु. 5.00 करोड़ तक	प्रशासकीय विभाग
2.	रु. 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु. 25.00 करोड़ तक	प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता तैनात हो।)
3.	रु. 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु. 25.00 करोड़ तक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता न हो)।
4.	रु. 25.00 करोड़ से अधिक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति।

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का संगठन तथा कार्यक्षेत्र

1. प्रदेश में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन जनवरी, 1977 में राज्य सरकार द्वारा किया गया था।
2. पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का मुख्य कार्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले पूँजी विनियोग प्रस्तावों का परीक्षण करके अनुमोदन/संशोधन/अस्वीकृत हेतु अपनी संस्तुति देना है।
3. पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड प्रदेश में नये नियमों की स्थापना की आवश्यकता का भी परीक्षण करता है।
4. सार्वजनिक उद्यमों, स्टेट्यूटरी निगमों, सहकारी संस्थाओं, स्वायत्तशासी निकायों स्थानीय निकायों विचार करना के सभी विनियोजन प्रस्तावों पर (को छोड़कर, जिनमें कुल विनियोजन पांच करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक हो।)
5. संयुक्त सहायतित क्षेत्र के उन सभी प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें राज्य सरकार अथवा उसकी किसी संस्था द्वारा अंशपूंजी के रूप में एक करोड़ रुपये या अधिक का विनियोजन किया जाता है।
6. ऐसी प्रायोजनाओं को पुनरीक्षित किया जाता है, जिनकी पुनरीक्षित प्रायोजना लागत, मूल लागत से 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो तो पुनरीक्षित प्रायोजना पी0आई0बी0 के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
7. संयुक्त/सहायतित क्षेत्र के उन सभी प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें राज्य सरकार अथवा उसकी किसी संस्था द्वारा अंशपूंजी के रूप में 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का विनियोजन किया जाना हो और प्रस्ताव की कुल अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

जिला योजना

- भारत का संविधान की धारा-243 जेड डीके अधीन उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के साथ गठित उत्तर प्रदेश (जिला योजना समिति) संशोधन (अधिनियम 2007) के माध्यम से प्रदेश में लागू नवीन विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला विकास योजना तैयार किये जाने की व्यवस्था है।
- उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में जिला योजना समिति गठित है, जिसकी अध्यक्षता मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित जनपद के प्रभारी मा0 मंत्री जी द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।
- वित्तीय वर्ष 2019-2020 की जिला योजना संरचना हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्धारित परिव्यय रु. 26500.00 करोड़ की जनपदवार फांट जनपदों को सूचित करते हुए आवश्यक मार्ग-निर्देश दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को जारी किये गये थे।
- इस सम्बन्ध में जनपदों से अनेकों अनुस्मारकों के पश्चात प्राप्त अनुमोदित जिला योजनाओं के आधार पर जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण हेतु जनपदों के मुख्य विकास

अधिकारियों/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों की माह नवम्बर, 2019 में बैंठकें आयोजित की गई।

तद्नुसार जनपदवार/योजनावार निर्धारित परिव्यय की सूचना जनपदों/विभागों को शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 द्वारा जारी कर दी गई।

जियो इंफार्मेटिक्स सिस्टम (भूमि उपयोग परिषद)

- प्रदेश में वर्ष 2018-19 से सभी कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के नियोजन अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन को जिया इन्फार्मेटिक्स सिस्टम आधारित प्रणाली के माध्यम से किये जाने का निर्ण लिया गया है।
- प्रदेश के सभी विभागों को शासनादेश दिनांकः 17 जुलाई, 2018 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं कि विभागीय एवं सार्वजनिक उपयोग में आने वाली सभी परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग की जाएगी। इस जियो डेटा बेस के उपयोग से वास्तविक स्थिति का आंकलन, रियल टाइम मानीटरिंग, एकीकृत व्यवस्था, मितव्ययिता इत्यादि में सुविधा होगी।
- प्रथम चरण में निर्माणाधीन परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग की जायेगी साथ ही प्रत्येक नये कार्य के लिए भी अपनायी जायेगी। द्वितीय चरण में पूर्व में निर्मित सभी परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग करायी जाये।
- प्रदेश में जी0आई0एस0 के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के नेशनल ई-गवर्नेन्स डिवीजन, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन्स एण्ड जियो इंफार्मेटिक्स, गुजरात (बाईजैग) के सहयोग से निःशुल्क विभागीय जियो पोर्टल विकसित कर क्रियान्वित किया जा रहा है।
- प्रोजेक्ट के संचालन हेतु नेशनल ई-गवर्नेन्स डिवीजन, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार से नियोजन विभाग, के मध्य एक अनुबन्ध दिनांक 08.03.2019 को हस्ताक्षरित हुआ है। उक्त प्रोजेक्ट की अवधि हस्ताक्षर के दिनांक से 02 वर्ष की है।
- सम्पूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित विभागों के सहयोग से एक रोड मैप तैयार किया गया है। विभागीय डेटा/मेटा डेटा के आधार पर जियो पोर्टल विकसित कर क्रियान्वित किये जाने हेतु माह मई, 2019 से जनवरी, 2021 की समयावधि निर्धारित की गयी है।
- विभागों/उपविभागों/संस्थाओं/निगमों के डेटा/मेटा डेटा के आधार पर 236 जियो पोर्टल्स विकसित किये जा चुके हैं जिनके क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है। साथ ही विभिन्न विभागों हेतु 19 मोबाइदल ऐप भी निर्गत किए गए हैं।

उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

- कृषक उत्पादन कम्पनियों का गठन-124 कम्पनियों एवं आच्छादित जनपद-42

(i) कृषि उपजों को राष्ट्रीय बाजार में सीधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से e-NAM पोर्टल पर 43 कम्पनियों तथा e-CHARAK पोर्टल पर 05 कम्पनियों का पंजीयन कराया जा चुका है।

(ii) औषधीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार में ऑन लाईन ट्रेडिंग के लिए e-NAM पोर्टल पर 43 कम्पनियों तथा e-CHARAK पोर्टल पर 05 कम्पनियों का पंजीयन कराया गया है तथा शेष अन्य कम्पनियों के पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियागत है।

पर्यावरण अनुकूल व्यावसायिक कृषि प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन 812.65- एकड़

- प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना में तकनीकी सहयोग-

(i) कृषि अपशिष्टों से सी0बी0जी0 उत्पादन की व्यावसायिक परियोजना-06

(ii) कृषि अपशिष्टों से 2जी0 एथेनॉल उत्पादन की परियोजना-02

(iii) कृषि अपशिष्टों से ड्रॉप-इन-फ्यूल के उत्पादन की परियोजना-01

- बी0ई0एम0सी0 मॉडल प्रदर्शन इकाईयों की स्थापना-15
- किसानों को पर्यावरण अनुकूल कृषि कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन-8
- कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान फार्मर प्रोड्यूसर कम्नियों के सहयोग से किसानों के खेत पर से ही कृषि एवं औद्योगिकी उपजों के संग्रहण तथा उसे बाजार/उपभोक्ताओं तक सीधे पहुँचाने हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार के फसेबुक पोर्टल पर भी बोर्ड की उपलब्धियों का सन्दर्भ प्रस्तुत किया।

महत्वाकांक्षी जनपदों का रूपान्तरण कार्यक्रम

- नीति आयोग द्वारा मानव विकास से सम्बंधित संयुक्त सूचकांक composite index जिसमें 6 विषयगत क्षेत्र (Thematic area) चिकित्सा एवं पोषण, शिक्षाएं कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना से सम्बंधित 49 सूचकांक (Key Performance Indicatiors-KPLs) सम्मिलित हैं, के आधार पर प्रदेश के 08 जनपदों-बहराईच, बलरामपुर, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र का चिन्हांकन किया गया है।
- नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जनपदों द्वारा किये जा रहे प्रयासों का आंकलन रियल टाइम मानीटरिंग डैशबोर्ड http://championsofchange.gov.in द्वारा किया जा रहा है। डैशबोर्ड पर जनपदों द्वारा आंकड़ों का अंकन किया जाता है।
- उच्च स्तरीय सतत् मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण के फलस्वरूप महत्वाकांक्षी जनपदों द्वारा उत्तरोत्तर प्रगति की गई है। नीति आयोग द्वारा इन जनपदों का पुरस्कृत भी किया गया है।

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम

- बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम भारत सरकार की सहायता से वर्ष 1999 से प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। यह योजना नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे प्रदेश के 07 जनपदों यथा-पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज के 21 विकास खण्डों के ग्रामों में योजना क्रियान्वित है।
- अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती सुदूर एवं दुर्लभ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं (क्रिटिकल गैप्स) को पूरा करना।

- भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में शत-प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त हो रही थी परन्तु वर्ष 2016-17 से भारत सरकार द्वारा फडिंग पैटर्न में परिवर्तन करते हुये 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को वहन किये जाने की व्यवस्था क्रियान्वित है।
- योजनान्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 0-10 किमी0 के क्षेत्र में सड़क एवं पुलिया निर्माण, सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण, ग्रामीण पेयजल, सामुदायिक भवन का निर्माण, शौचालय निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी एवं डबल यूनिट के शौचालय का निर्माण एवं ग्रामीण पेयजल/पाइप पेयजल/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार एवं आवास का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, चैकडैम/काजवे/रिटर्निंगवाल/सुरक्षावाल निर्माण, बाढ़ शरणालय निर्माण, किसान भोड का निर्माण, पर्यटक शेड का निर्माण, मिनी स्टेडियम का निर्माण बाढ़ सुरक्षा निर्माण/विस्तार, सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना/सोलर लाइट/सोलर पम्प/सोलर पावर फेन्सिंग की स्थापना आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

वित्त

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन

विभाग की स्थापना, उद्देश्य, निर्धारित कार्य तथा विभाग का संगठनात्मक ढ़ाँचाः-

वर्ष 1952-53 से पूर्व तत्समय प्रचलित सहकारी समिति अधिनियम 1912 की व्यवस्थाओं के अधीन सहकारी संस्थाओं के प्रशासनिक नियन्त्रण एवं लेखा परीक्षा कार्य का दायित्व निबन्धक सहकारी समितियों के अधीन था, किन्तु स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी लेखा परीक्षा हेतु शासकीय आदेश संख्या एस0ए0 299/दस-300 (22)/1950 दि0 06.04.1953 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के नियंत्रण से विधिक लेखा परीक्षा को पृथक करके वित्त विभाग के अधीन सहकारी लेखा परीक्षा संगठन विभाग का गठन किया गया। और इसी वर्ष इस संगठन के प्रशासनिक अधिकारी विभागाध्यक्ष के रूप में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गयी तथा निबन्धक सहकारी समितियां उ0प्र0 के नियंत्रणाधीन सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा का दायित्व इस संगठन को हस्तान्तरित किया गया ।

सहकारी संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1965 प्रतिपादित किया गया जो 1970 में अस्तित्व में आया। इसके अस्तित्व में आने के पश्चात उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 9166 - सी/12-सी-ए-5 (3)-70 दि0 29 मार्च 1971 एवं अधिसूचना संख्या 346 - सी/12-सी-ए-5 (3)-70 दि0 14 अक्टूबर, 1971 द्वारा उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उ0प्र0अधिनियम संख्या 1966) की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (1) एवं धारा 65 की उपधारा (1) और उ0प्र0 सहकारी नियमावली 1968 के अध्याय 17 में दिये गये नियम 208, 218, 221, 223 में इंगित कार्यवाही के संबंध में निबंधक के अधिकार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 को प्रदान किये गये।

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 64 (1) के अधीन विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं की वर्ष में एक बार सांविधिक लेखा परीक्षा इस विभाग द्वारा सम्पन्न करायी जाती है।

इसी प्रकार पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा भी वर्ष में एक बार उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं नियमावली के नियम संख्या 186 भी विभाग द्वारा प्रारम्भ से कराई जा रही है। इसके अलावा शासकीय विज्ञप्ति पंचायतीराज अनुभाग-2 संख्या-1511/ 33-2-99-29 जी/99 दि0 18 मई 1999 के अनुसार पंचायतों के अन्तर्गत सी0ए0जी0 के तकनीकी मार्ग दर्शन एवं निर्देशों के

क्रम में गांव सभाओं की लेखा परीक्षा के साथ-साथ क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा का कार्य भी इस विभाग को सौपा गया है।

वर्तमान में निम्नलिखित प्रशासनिक विभागाध्यक्षों के नियंत्रणाधीन संहकारी एंव पचांयत संस्थाओं की विधिक लेखा परीक्षा इस संगठन द्वारा की जा रही है-

1. निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ (सहकारी बैंकों के अतिरिक्त)।
2. गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
4. निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
5. आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।
6. दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
7. आवास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।
9. निदेशक, पंचायतराज, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निदेशक,, रेशम औद्योगिक सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ।
11. निदेशक, उद्यान एवं फल संरक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
12. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 64(1) एवं उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 में प्रतिपादित व्यवस्थानुसार सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रख्यापित हैं। जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं एवं प्रशासनिक विभाग का यह उत्तरदायित्व है कि वह लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेखों को लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये किन्तु संस्था एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित समुचित सहयोग न प्रदान किये जाने के कारण सभी सहकारी संस्थाओं की प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा अधिकारी, सम्भागीय लेखा परीक्षा अधिकारी एवं जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं के प्रमुख/प्रशासनिक विभागों को वांक्षित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्राचार एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है जो कि लेखा परीक्षा के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अपेक्षित है। लेखा परीक्षा द्वारा निर्गत सामान्य प्रतिवेदन या विशिष्ट प्रतिवेदनों में उठायी गयी आपत्तियों को प्रतिवेदन निर्गमन से 6 सप्ताह के अन्दर परिपालन की व्यवस्था सहकारी समिति अधिनियम 1965 में निर्धारित है। जिन प्रकरणों में गम्भीर किस्म की अनियमितातयें या अपहरण के प्रकरण होते हैं उनमें प्रशासनिक विभाग द्वारा सहकारिता पुलिस सेल में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है। जिनके द्वारा न्यायालय में वाद दायर करते हैं तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की जाती है।

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं विशेष प्रतिवेदनों को अनुमोदन हेतु अलग-अलग कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अधिकार प्रदान किये गये हैं। जैसे छोटी स्तर की संस्थायें यथा गांव पंचायतें, साधन सहकारी समितियां, मत्स्य समितियां, दुग्ध समितियां आदि के लेखा परीक्षा-प्रतिवेदन/विशेष प्रतिवेदन दल प्रभारी के हस्ताक्षर से निर्गत होते हैं। मझोली स्तर की संस्थायें जैसे दुग्ध संघ, आदि के प्रतिवेदनों का अनुमोदन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा तथा बड़े स्तर की संस्थायें जैसे जिला पंचायत चीनी मिलें आदि के आडिट नोट का अनुमोदन उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है।

इसी प्रकार प्रदेश स्तरीय सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु संस्था मुख्यालय में उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गयी है जैसे पी0सी0एफ0, पी0सी0डी0एफ0, सहकारी चीनी मिल संघ आदि, जो इन संस्थाओं के मुख्यालय एवं शाखाओं की लेखापरीक्षा सामयिक रूप से सम्पन्न कराने, प्रमाण पत्र निर्गत करने, आडिट नोट/स्पेशल आडिट नोट निर्गत करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं।

लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त पूर्ण करायी गयी लेखा परीक्षा पर लेखा परीक्षा शुल्क निर्धारित किये जाने की व्यवस्था थी जिसे शासनादेश संख्या- 13/ 2018/ आडिट -2-695/ दस-2018-355(11) / 2017 दिनांक- 01 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।

(1) जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत

उ0प्र0 शासन पंचायती राज अनुभाग-2 संख्या 1511/33-2/99/29जी/99 लखनऊ 18 मई 1999 की अधिसूचना द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की अन्य धाराओं के साथ धारा-118 उ0प्र0 जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य) लेखा नियमावली 1965 के नियम-2 के खण्ड (7) में परीक्षक का तात्पर्य मुख्यलेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0प्र0 प्रतिस्थापित कर संशोधन किया गया शासनादेश संख्या आडिट 5132/दस-99-101(99)97 दिनांक 16.3.2000 द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और इसी के अन्तर्गत क्षेत्र/जिला पंचायत की सांविधिक लेखा परीक्षा इस विभाग द्वारा सम्पन्न की जाती है।

उ0प्र0 सरकार, पंचायती राज अनुभाग-1 की अधिसूचना क्रमांक- 854/33-1-2001-126/96 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश, पंचायती राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली 2011 के अन्तर्गत उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 186 में संशोधन मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एंव पचांयते, उ0प्र0 की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने की व्यवस्था की गई है।

ग्राम पंचायत

उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 40 एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 186 के अधीन गांव पंचायतों की लेखा परीक्षा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा सम्पन्न की जाती है।

उ0प्र0 सरकार पंचयाती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना क्रमांक 1407/33-2-2011-72 जी/2011 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2011 के द्वारा उ0प्र0 जिला पचांयत तथा क्षेत्र पचांयत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली 2011 के माध्यम से 1965 के नियमावली के नियम संख्या 176 में संशोधन करते हुए जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों हेतु मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एंव पंचायते, उ0प्र0 की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल मे ंरखे जाने की व्यवस्था की गई है।

उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा संगत अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है। यह विभाग सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के नियंत्रण से मुक्त वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत है जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लेखा परीक्षा सुनिश्चित होती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के उपरान्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उठाई गयी आपत्तियों के अनुपालन हेतु आपत्तियां सम्बन्धित संस्थायें यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत/ ग्राम पंचायत संस्थाओं के प्रमुख/प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करा दी जाती है क्योंकि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उठाई गयी आपत्तियों का अनुपालन करने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग की होती है।

आगामी वर्षों की लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्ययोजना/नयी योजनायें-

विगत वर्षों में सहकारिता एवं पंचायती राज विभाग एवं इनकी संस्थाओं द्वारा लेखा परीक्षा हेतु कुल संस्थाओं के सापेक्ष वर्षवार उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालनों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्षो की लेखा परीक्षा संबंधी कार्ययोजना निम्नवत् है :-

- सम्बन्धित विभाग/संस्थाओं के साथ मासिक/त्रैमासिक आधार पर संयुक्त बैठक कर लेखा परीक्षा अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित वर्ष के अभिलेखों की लेखा परीक्षा हेतु समय से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।
- समय से अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात सम्बन्धित वर्ष में ही उपलब्ध अभिलेखों की शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा सम्पन्न कराते हुए शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- सम्पन्न लेखा परीक्षा के सापेक्ष लेखा परीक्षा अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित वर्ष में ही लेखा परीक्षित संस्थाओं के निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की आपत्तियों में गंभीर प्रकृति की आपत्तियों

पर विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को भी सम्बन्धित वर्षों में ही निर्गत कराने की व्यवस्था की जायेगी, जिससे लेखा परीक्षा का लाभ त्वरित गति से संस्था एवं आम जनता को प्राप्त हो सके।

- निर्गत सामान्य एवं विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घाटित सामान्य एवं अपहरण/दुरूपयोग/अनियमितता सम्बन्धी गंभीर प्रकृति की आपत्तियों का सम्बन्धित विभाग एवं लेखा परीक्षित संस्थाओं के साथ संयुक्त बैठक कर लेखा परीक्षा अधिनियम में वर्णित व्यवस्थानुसार इनका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा, जिससे इन संस्थाओं में विनियोजित राजकीय धन की सुरक्षा एवं सदुपयोग सुनिश्चित हो सके।
- लेखा परीक्षा अधिनियम एवं नियमों के आलोक में प्रदत्त व्यवस्था का अक्षरषः अनुपालन करते/कराते हुए आगामी वर्षों में विगत वर्षों की अलेखा परीक्षित संस्थाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं के साथ संयुक्त मासिक एवं त्रैमासिक बैठकों में किस्तवार ऐसी व्यवस्था निर्धारित करना/कराना जिससे कि आगामी वर्षों में लेखा परीक्षा हेतु बकाया पड़ी हुई सहकारिता एवं पंचायती राज संस्थाओं का अभिलेख पूर्ण कराकर इनकी शत प्रतिशत लेखा परीक्षा सम्पन्न करायी जा सके।
- वर्तमान में सहकारिता विभाग के अनुपालन हेतु लम्बित सामान्य एवं विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन हेतु अधिनियम एवं नियमों में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं के साथ संयुक्त बैठक कर इन लम्बित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घाटित आपत्तियों के अनुपालन की किस्तवार व्यवस्था सुनिश्चित करना/कराना।
- इसी प्रकार पंचायती राज विभाग के अनुपालन हेतु लम्बित सामान्य एवं विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन हेतु अधिनियम एवं नियमों में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं के साथ संयुक्त बैठक कर इन लम्बित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उद्घाटित आपत्तियों के अनुपालन की किस्तवार व्यवस्था सुनिश्चित करना/कराना।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रदेश की ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों एवं महालेखाकार उ0प्र0 के तकनीकी मार्गदर्शन में ऑडिट ऑनलाइन की व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पन्न की जा रही है।
- इसी क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 से जिला पंयायतों एवं क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा भी ऑडिट आन लाइन की व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पन्न की जानी है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग

विभाग की स्थापना की पृष्ठभूमि

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना महालेखाकार कार्यालय की एक शाखा के रूप में वर्ष 1898 में हुई थी। तत्पश्चात् पहली अप्रैल, 1926 को राज्य सरकार ने स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया, जो सम्प्रति शासन के वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित है। राज्य सरकार इस विभाग के माध्यम से प्रदेश भर में प्रदान की गयी निधियों की सम्परीक्षा करता है।

उद्देश्य

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग का उद्देश्य प्रदेश की स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, विकास प्राधिकरणों, राज्य विश्वविद्यालयों, न्यास निधियों तथा राज्य सरकार से अनुदानित अन्य संस्थाओं की लेखा परीक्षा इस विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा विभिन्न संस्थाओं की विशेष सम्परीक्षा हेतु आवंटित लेखों की भी सम्परीक्षा सम्पादित की जाती है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा

यह विभाग शासन के वित्त विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में है तथा विभाग के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार निदेशक विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। जिसका मुख्यालय प्रयागराज/इलाहाबाद में स्थापित है। निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्यालय स्तर पर संयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक के पद सृजित है। जिनके अधीन मण्डलों को उप निदेशक एवं सम्वर्ती सम्परीक्षाओं के संचालन हेतु उप निदेशक/सहायक निदेशक तथा जनपद स्तर पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद सृजित है। जिनके द्वारा प्रदेश के सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की जाती है। विभाग में एक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है। जिसमें प्रधानाचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रवक्ता एवं प्रशिक्षक के पद स्वीकृत है।

सम्परीक्षा कार्य

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सम्परीक्षा हेतु कुल 11975 लेखों की सम्परीक्षा हेतु 285423 मानव दिवस का कार्य उपलब्ध था। वर्तमान में उपलब्ध जनशक्ति के सापेक्ष सम्परीक्षा हेतु 54630 मानव दिवस उपलब्ध होने के कारण 2647 लेखों के सम्परीक्षा का लक्ष्य रखा गया था। जिसके सापेक्ष 2625 लेखे की सम्परीक्षा पूर्ण की गयी तथा 54725 मानव दिवस का कार्य किया गया। इस प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष 100% कार्य सम्पादित किया गया। जनशक्ति के अभाव में शेष कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। उपरोक्त के अतिरिक्त चार लेखों के विशेष सम्परीक्षा भी पूर्ण की गयी।

पिछले पांच वर्षों का बजट का तुलनात्मक विवरण

(धनराशि लाख रू0 में)

वर्ष	बजट	व्यय
2016-17	7174.00	5737.14
2017-18	7841.46	6421.97
2018-19	8311.72	6710.26
2019-20	8552.23	6636.77
2020-21	8501.91	5790.13

कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश

संक्षिप्त परिचय

प्रदेश के कोषागारों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए कोषागार निदेशालय की स्थापना सन् 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया। कोषागार निदेशक को इस विभाग का प्रमुख घोषित किया गया और उनकी सहायता के लिये एक अपर निदेशक, दो संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक और एक विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओ.एस.डी) नियुक्त किये गये। यह समस्त अधिकारी उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के हैं। निदेशक कोषागार को मण्डलीय कार्यालयों के अधीनस्थ कार्मिकों, सहायक कोषाधिकारी, उप कोषाधिकारी, नई दिल्ली स्थित भुगतान एवं लेखा कार्यालय के कर्मचारियों तथा जवाहर भवन लखनऊ स्थित कोषागार के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी अधिकृत किया गया है। निदेशक को इन अधिकारियों के कैडर प्रबंधन का अधिकार भी दिया गया है। निदेशालय के अधीन अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन के मण्डलीय कार्यालय तथा जिला स्तर पर कोषागार है, जो जिलाधिकारी के प्रशानिक एवं कोषाधिकारी के कार्यकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं। जिले के तहसील स्तर पर उपकोषागार हैं जो जिला कोषागार के अधीन, उपकोषाधिकारी के कार्यकारी नियंत्रण में कार्य करते है।

लक्ष्य

कोषागार निदेशालय का प्रमुख लक्ष्य प्रदेश सरकार के समस्त राजकीय वित्तीय लेन-देन एवं वेतन तथा पेंशन को कोषागारों के माध्यम से संचालित कराना तथा कोषागार व्यवस्था के नियंत्रण एवं संचालन हेतु पर्याप्त उपकरण एवं स्वचालित साधनों की उपलब्धता बनाए रखना है जिससे विभागीय कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा सके।

प्रमुख विशेषताएं

1. पूर्ण कम्प्यूटरीकृत कार्य-प्रणाली द्वारा कार्यों का संचालन
2. ऑनलाइन भुगतान व प्राप्ति प्रणाली
3. पारदर्शी कार्य
4. सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रबंधन
5. ऑनलाइन डी0डी0ओ0 पोर्टल
6. कोषवाणी वेबसाइट द्वारा विभागों एवं जनता के लिए वांछित डाटा उपलब्धता

कार्य

1. कोषागार निदेशालय, मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन तथा जनपद कोषागारों के कार्यालयों के बजट का आवंटन करना।
2. उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के समूह 'ख' के अधिकारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य यथा स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, भवन निर्माण और भवन की मरम्मत के लिए अग्रिम धनराशि की अनुमति देना।
3. वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों, उप कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी और प्रदेश के जनपद कोषागार कर्मचारियों के प्रशिक्षण के पाठयक्रम की निगरानी करना।

4. महालेखाकार, उ0प्र0 के साथ कार्यो में समन्वय स्थापित करना।
5. उत्तर प्रदेश के समस्त कोषागारों के कार्यो का पर्यवेक्षण/नियन्त्रण करना।
6. शासन एवं कोषागारों के मध्य समन्वयक की भूमिका।

मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार और पेंशन

समय के साथ-साथ कोषागारों में लेन देन की संख्या कई गुना बढ़ गई। अतः इनके कार्यो पर उचित नियंत्रण तथा काम में गुणवत्ता लाने के लिए मण्डल स्तर पर अपर निदेशक कोषागार के कार्यालय स्थापित किये गए हैं, जिनके कार्य और दायित्व निम्न प्रकार हैः-

1. अपने मण्डल के कोषागारों का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना और निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दूर कराना।
2. यह सुनिश्चित करना कि मण्डल के जिला कोषागारों द्वारा लेखा निर्धारित समय पर महालेखाकार कार्यालय एवं मुख्य रक्षा लेखा नियंत्रक पेंशन इलाहाबाद को प्राप्त हो जाए तथा कोषागारों द्वारा वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय को आन लाइन सूचनाएं भेज दी जाएँ।
3. मण्डल के सभी कोषागार कार्यालयों से सम्बंधित लम्बित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का समय से निस्तारण।
4. भारत सरकार द्वारा भुगतान दावों के वाउचरों का अभिलेखन सुनिश्चित करना।
5. सी.सी.एल/डी.सी.एल. का कड़ाई से अनुपालन कराना।
6. यह सुनिश्चित करना कि कोषागारों द्वारा स्टाम्प के लिए समय से मांग एवं उपलब्धता सक्षम अधिकारियों के द्वारा की जाए।
7. शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराना।
8. 01 अप्रैल 2000 से प्रदेश सरकार के मण्डल के सभी राजकीय कर्मचारियों (समूह ख एवं ग) को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं राशिकरण स्वीकृत करना।

जिला कोषागार

जिला कोषागा जिले के प्रत्येक शासकीय भुगतान एवं प्राप्तियों के लिये अधिकृत है। वर्तमान में यह कार्य डी0डी0ओ0 पोर्टल एवं कम्प्यूटरीकृत कार्यप्रणाली के साथ किया जाता है।

प्रमुख कार्य योजनायें

बिल पारण :- जिला कोषागारों में प्राप्त होने वाले विभिन्न विभागों के बिल, अनुदानवार बिल पासिंग लेखाकारों को दे दिये जाते हैं, जो कि उस बिल को पास करने व भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होते हैं। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने बनाये हुये बिलों को कोषागार प्राप्ति रजिस्टर में अंकित कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाता हैं और सही बिल होने पर भुगतान कर दिया जाता है।

कम्प्यूटरीकरण :- कोषागारों के बढ़ते हुए कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा उनसे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों और त्रुटियों के निराकरण तथा समय से त्रुटि रहित लेखा महालेखाकार कार्यालय को उपलब्धा कराने के उददेश्य से कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया गया। प्रायोगिक रूप से यह कार्य प्रारम्भ

में लखनऊ स्थित जवाहर भवन लखनऊ, उन्नाव तथा कोषागार इलाहाबाद में लागू किया गया। उसी समय यह भी निर्णय लिया गया कि कोषागारों में विभिन्न प्रकार के देयकों हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले 36 प्रपत्रों को सरलीकृत कर ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाय कि वे कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था में भी प्रयोग हो सके। अतः इन प्रपत्रों को आवश्यकतानुसार संशोधित कर वर्तमान में इनकी संख्या घटाकर 6 कर दी गयी है।

कैश शाखा :- जिला कोषागार के कैश शाखा के अन्तर्गत विभिन्न मूल्यों के न्यायिक एवं गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का विक्रय किया जाता है और स्टाम्प विक्रय से प्राप्त यह धनराशि राज्य सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत है। कैश शाखा के अन्तर्गत जिलों के प्रत्येक कोषागार में डबल लॉक एवं सिंगल लॉक होता है। डबल लॉक में समस्त मूल्यों के स्टाम्प पेपर रखे जाते हैं। डबल लॉक में जिलाधिकारी के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की अन्य बहुमूल्य वस्तुयें, मूर्तियां, प्रपत्र एवं राजकीय स्तर पर करायी जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा प्रपत्र भी रखे जाते हैं।

पेंशन वितरण :- वर्तमान में पूरे प्रदेश में पेंशन वितरण का कार्य आन लाइन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कोषागारों द्वारा पेंशनर्स की पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी जाती है। इस व्यवस्था से पेंशन प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को पेंशनर्स के खाते में स्थानान्तरित हो जाती है। इसके लिये किसी भी पेंशनर को कोषागार आने की अनिवार्यता समाप्त हो गयी है। पेंशनर को केवल वर्ष में एक बार जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोषागार आना पड़ता है। कोषागारों द्वारा पेंशनरों की सुविधा हेतु कोर बैंकिंग के माध्यम से पेंशन भेजने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में जीवन प्रमाण वेबसाइट द्वारा पेंशनर का जीवित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गयी है। इससे पेंशनर्स देश-विदेश में कहीं पर भी रह कर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कोषागार में बिना उपस्थित हुए ऑन-लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। कोषाधिकारी द्वारा पेंशनर को भुगतान की जाने वाली पेंशन का समस्त विवरण कोषवानी वेबसाइट पर भी डाला जाता है। अतः सीधे वेबसाइट से भी पेंशनर अपने पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उ0प्र0 महालेखाकार कार्यालय के साथ इंटरफेस :- कोषागारों से महालेखाकार कार्यालय को हार्डकापी में बाउचर भेजे जाते रहे हैं। कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के साथ ही महालेखाकार कार्यालय को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की गई कि ट्रेजेरी के खातों के वाउचर्स की एंट्री करने के बजाय उनकी सॉफ्ट कॉपी को मंजूरी दें और उसे अपने सिस्टम पर अपलोड कर दें। आखिरकार महालेखाकार कार्यालय यू.पी. और ट्रेजेरी के सिस्टम के बीच इंटरफेस बनाया गया और अब महालेखाकार कार्यालय खातों की सॉफ्टकॉपी को स्वीकार कर रहा है।

भौतिक प्रगतिः-

- **ई-पेमेंट :-** एन0पी0एस0 (NPS) और फाइनैंशियल मैनेजमेन्ट इनफॉरमेशन सिस्टम् (FMIS) जैसी योजनाओं के साथ-साथ सरकार ने ई-पेमेंट की एक और नई योजना वर्ष 2012-13 में लॉन्च की। ई-पेमेंट योजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रदेश के समस्त कोषागारों में लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत कोषागारों को अपने सभी भुगतान इंटरनेट के माध्यम से ही करने हैं। शुरुआती दौर में एसबीआई द्वारा ई-भुगतान का जो प्रस्ताव पेश किया गया था

उसका कोषागारों के सिस्टम से कोई लिंक नहीं था और एसबीआई की नेट बैंकिग द्वारा बनाई गई ट्रांजैक्शन आईडी को कोषागार सिस्टम में हाथों से ही दर्ज करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए कोषागार स्तर पर एक टोकन नंबर बनाया गया जो बिल रिसीविंग के समय जारी किया जाता था। यह टोकन नंबर दोनों सिस्टम के बीच एक लिंक का काम करता है। एनआईसी द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसे डीडीओ इस्तेमाल कर सकें। इस सॉफ्टवेयर पर लाभार्थियों की फाईल तैयार करनी होती थी जिसमें उनका खाता नंबर, ट्रांजैक्शन फाइल जिसमें बकाया रकम का ब्यौरा और सभी बिलों के लिऐ बनाए गए टोकन नंबर की जानकारी देनी होती है। सभी डीडीओ को यह निर्देश दिये गए कि वह बैंकों में अपना पंजीकरण कराये और नेट बैंकिग के लिए अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले लें। इसके बाद एनआईसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डीडीओ को बेनिफिशियरी और ट्रांजैक्शन फाईल बनानी होती हैं और उसे बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करना होता हैं। कोषाधिकारी की अंतिम पुष्टि के बाद रकम लाभार्थी के खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। ई-शासन प्रणाली के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ा कदम है। यह व्यवस्था दिसम्बर, 2018 तक सुगमतापूर्वक संचालित रही। ई-पेमेंट योजना का एक अधिक उन्नत और परिष्कृत रूप ई-कुबेर योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 में चरणबद्ध तरीके से लागू की गयी।

- **नवीन पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन योजना** :- इस योजना के प्रारम्भ में नई पेंशन योजना को डीसीआई नंबर के साथ पेंशन निदेशालय ने शुरू किया था। पेंशन निदेशालय द्वारा इस परियोजना के तहत हजारों कर्मचारियों को डीसीआई नंबर प्रदान किये गये और उनके खातों का हिसाब रखना प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में एनएसडीएल द्वारा उक्त खातों का रख-रखाव किया जा रहा है। ऑनलाइन लॉगिन कर कटौतियों का विवरण देखा जा सकता है।
- **एनएसडीएल के माध्यम से नवीन पेंशन योजना का संचालन** :- वर्तमान में नवीन पेंशन योजना का नाम राष्ट्रीय पेंशन योजना हो गया है। अब एनपीएस कर्मचारियों का पंजीकरण और उनके योगदान का ब्यौरा रखना एनएसडीएल का उत्तरदायित्व है। पुराने डीसीआई नंबर की जगह अब प्रान का इस्तेमाल होने लगा है। वर्तमान में एनएसडीएल, एनआईसी, पेंशन निदेशालय, कोषागार निदेशालय और एफएसडी के संयुक्त सहयोग से राष्ट्रीय पेंशन योजना सुचारू रूप से कार्य कर रही है।
- **सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षण** :- उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को वेतन एवं पेंशन हेतु जारी कर दिया है। तत्क्रम में कोषागार स्तर से सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सातवें वेतन आयोग के अनुसार कोषागार पैकेज में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं एवम् सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को अंगीकृत करते हुए भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
- **डी0डी0ओ0 पोर्टल** :- प्रदेश में ई-पेमेंट व्यवस्था के अन्तर्गत कोषागारों द्वारा ऑनलाइन सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान की व्यवस्था की गयी। ई-पेमेंट व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु डी0डी0ओ0 स्तर पर सभी कर्मचारियों एवं लाभार्थियों के डेटा बेस को संकलित करते हुए

डी0डी0ओ0 पोर्टल द्वारा लॉनलाइन बिल बनाने की व्यवस्था अक्टूबर, 2017 से की गयी।

- **यूपीएफएएस की वेबसाइट** :- कोषागार निदेशालय द्वारा यू.पी. फाईनेन्स एण्ड एकाउन्ट सर्विसेज़ की एक वेबसाइट बनाई गयी है, जिसमें वित्त एवं लेखा संवर्ग के सभी अफसरों के कार्य तथा पोस्टिंग आदि की जानकारियॉ उपलब्ध है। अफसरों के एसीआर की जानकारी भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- **केंद्रीय सर्वर** :- इस समय यू.पी. के 78 जनपदीय कोषागार, राजभवन, इरला अनुभाग तथा विधान सभा कोषागार स्वयं की एप्लिकेशन और डेटा सर्वर पर केंद्रित तरीके से काम कर रहे हैं। कोषागार का डेटा 'कोषवाणी' सर्वर पर हर घंटे अपलोड होता है तथा नई योजनाएं जैसे ई-भुगतान और केंद्रीय बजट आवंटन सिस्टम पर भी एकीकरण तरीके से काम शुरू हुआ है।
- **ई-रिसीट** :- वर्तमान समय में प्रदेश में जी0एस0टी0 एवं वैट की 100% रिसीट प्राप्त की जा रही है तथा राजकोष पोर्टल (Rajkosh.up.nic.in) के माध्यम से विभिन्न विभागों के पोर्टल को इन्टीग्रेट करके रिसीट प्राप्त की जा रही है।

भविष्य में प्रदेश के समस्त विभागों की प्राप्तियॉ ई-कुबेर के माध्यम से प्राप्त किये जाने की कार्य योजना (Action plan) पर कार्य चल रहा है। आर0बी0आई0 तथा एन0आई0सी0 द्वारा इस संबंध ा में आवश्यक परीक्षण किये जा रहे है।

- **ई-कुबेर प्रणाली** :- शासनादेश संख्याः ए-1-635/दस-2017-10(25)/2007, दिनांक 30 जून, 2017 के अनुपालन में कोषागार कानपुर नगर में दिनांक 11 जुलाई, 2017 से ई-कुबेर प्रणाली का परीक्षण प्रारम्भ किया गया। 11 जुलाई, 2018 के पश्चात इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के समस्त कोषागारों में लागू किया गया तथा दिसम्बर, 2018 के पश्चात् प्रदेश के समस्त कोषागारों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस प्रणाली की निम्न विशेषतायें है :-

1. ई-कुबेर प्रणाली के अन्तर्गत कोषागार द्वारा सेंट्रल ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से आर0बी0आई0 द्वारा बेनीफिशियरी के खातों में हर आधे घंटे में भुगतान क्रेडिट हो रहा है।
2. यदि किसी बेनीफिशियरी का खाता त्रुटिपूर्ण है अथवा खाता नॉन ऑपरेटिंग है या आई0एफ0एस0सी0 कोड गलत है अथवा किसी भी अन्य कारणों से बेनीफिशियरी के खाते में धनराशि क्रेडिट नही हो पा रही है, तो वह धनराशि कोषागार के खाते में उसी दिन वापस प्राप्त हो जा रही है अर्थात सरकार का पैसा सरकार के खाते में उसी दिन वापस प्राप्त हो जाता है। जब कि पूर्व संचालित भुगतान प्रणाली (एस0बी0आई0पोर्टल) के अन्तर्गत बैंक द्वारा फेल ट्रांजैक्शन के सापेक्ष बैकर्स चेक बनाकर रख लिया जाता था, जिससे राजकोष से धन आहरित हो जाता था, और बेनीफिशियरी को काफी समय बाद भुगतान प्राप्त हो पाता था जबकि वर्तमान में संचालित प्रणाली से इन सभी असुविधाओं से मुक्ति मिल गयी है और राजकोष से हो रहे अनावश्यक व्यय पर प्रभावी रूप से रोक लगेगी।
3. ई-कुबेर प्रणाली लागू हो जाने के उपरान्त ड्राफ्ट बनाने की सुविधा समाप्त हो जाने से विभागों द्वारा जो अनावश्यक रूप से ड्राफ्ट बनवाकर रख लिया जाता था, जिससे सरकार का राजस्व

तो आहरित हो जाता था परन्तु बेनीफिशियरी को भुगतान समय से प्राप्त नहीं होता था। इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट बनवाने में कमीशन के रूप में होने वाले व्यय की भी बचत हो रही है।

4 ई-कुबेर प्रणाली में पेमेंट स्क्राल उसी दिन अथवा बिलम्बतम अगले दिन प्रातः प्राप्त हो रहा है जबकि वर्तमान प्रणाली में पेंमेंट स्क्राल प्रायः बिलंबित हो जाता है।

5 भुगतान पक्ष का खारिजा स्वतः हो रहा है। पेमेंट की कैशबुक मिलाने में कोई भी असुविधा नही होती है। वर्तमान प्रणाली में स्क्राल ई-मेल के माध्यम से भेजा जाता है।

6 ई-कुबेर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक ई-पेमेंट में पूर्व निर्धारित 05 हजार लाभार्थियों की संख्या को रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है, जिससे किसी भुगतान में लाभार्थियों की संख्या अधिक होने पर भी एक साथ भुगतान किया जाना संभव हो गया है।

7 भुगतान संबंधी जानकारी एवं एम0आई0एस0 हेतु रिजर्व बैंक की ओर से राज्य सरकार को पोर्टल उपलब्ध कराया जायेगा जिससे भुगतान की जानकारी तत्काल उपलब्ध होगी तथा स्क्राल आने की बाध्यता नही रह जायेगी जबकि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत स्टेट बैंक से अनेक बार अनुरोध करने पर भी हेल्पडेस्क उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार शासकीय हित में ई-कुबेर प्रणाली लागू हो जाने से धन व समय दोनों की बचत हो रही है।

8 शासन द्वारा मितव्ययिता के दृष्टि से उ0प्र0वित्त एवं लेखा सेवा के कुल-72 पदों को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार विभिन्न जनपदों में कोषागारों के अधीनस्थ उपकोषागारो के वर्ष 2017 में कुल-22 एवं वर्ष-2019 में कुल-46 पदों को भी समाप्त कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की उपलब्धियॉः- प्रदेश के समस्त कोषागारों में लागू ई-पेमेंट एवं सेन्ट्रल सर्वर की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने हेतु कोषागारों हेतु बिल पारण काउन्टरों पर नये डेस्कटाप, पेंशनरों के सत्यापन हेतु अतिरिक्त बायोमेट्रिक डिवाइस की स्थापना, यू0पी0एस0 क्रय, लाइन मैट्रिक्स प्रिन्टर क्रय, थिन क्लाइंट क्रय, एन्टीवायरस क्रय की व्यवस्था की गयी है। पिछले वर्षों में कोषागारों के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण और ई-शासन प्रणाली के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। समय के साथ अन्य वांछित परिवर्तन करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए कोषागार निदेशालय सदैव तत्पर है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित योजनायें :-

(क) कोषागारों के सर्वर को महालेखाकार, बैंकों तथा राज्य सरकार के सभी विभागों के वेबसाइट से इंटीग्रेट किया जायेगा जिससे पेपरलेस व्यवस्था की ओर अग्रसर हों।

(ख) ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से प्रदेश में ई-रिसीट की व्यवस्था प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में आर.बी.आई. के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि झारखण्ड एवं हिमांचल प्रदेश में आ रहे गतिरोध का समाधान आर.बी.आई. द्वारा किया जा रहा है, पूर्ण रूप से समाधान होने के उपरान्त ही उत्तर प्रदेश में भी ई-रिसीट की प्रक्रिया लागू की जायेगी।

(ग) एन.आई.सी. के प्रस्ताव पर कोषागार के सेन्ट्रल सर्वर का डी.आर. सेन्टर स्थापित किया जाना है।

पेन्शन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

राजकीय सेवकों के पेंशन स्वीकृति हेतु पेंशन निदेशालय का गठन दिनांक 30.09.1988 अथवा इसके बाद सेवा निवृत्त एवं मृत शासकीय सेवकों के लिए किया गया। पेंशन निदेशालय के गठन के उपरान्त पेंशन निदेशालय स्तर से मुख्य रूप से दो प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है।

1. पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी।
2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सम्बन्धी।

पेंशन निदेशालय द्वारा किये गए महत्वपूर्ण कार्य

पुरानी पेंशन योजना स्वीकृति सम्बन्धी

- कंप्यूटर पर आधारित प्रक्रिया पर पेंशन स्वीकृति का कार्य करने हेतु पेंशन निदेशालय तथा मंडलीय स्तर पर IPMS Pension System से कार्य को लागू किया गया। IPMS Pension System को पेंशन निदेशालय द्वारा NIC के सहयोग से बनाया गया। वर्तमान में इसका अद्यतन रखरखाव पेंशन निदेशालय स्तर पर किया जा रहा है।
- पेंशन स्वीकृतियों में हो रहे अनावश्यक विलम्ब एवं अन्यं कठिनाइयों को ध्याान रखते हुए शासनादेश दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रदेश में पेंशन स्वीकृति के कार्य को Central Server पर केंद्रीकृत कर ई-पेंशन की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से प्रारंभ की गई। इस हेतु ई-पेंशन पोर्टल http://epensionupnic.in जारी किया गया। पूरे प्रदेश में 01.04.2016 से राजकीय कार्मिकों के लिए ई-पेंशन प्रणाली लागू की गई। दिनांक-15.05.2020 से चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की पेंशन स्वीकृति भी ई-पेंशन से करने की व्यवस्था की गयी।
- ई-पेंशन की व्यवस्था वेब बेस्ड व्यवस्था है जिससे प्रदेश भर के आहरण एवं वितरण अधिकारी को सीधे पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है।
- उक्त व्यवस्था से पेंशन स्वीकृति एवं पेंशन आदि के भुगतान की प्रक्रिया को सुद्रढ़ एवं और अधिाक पारदर्शी किया गया।
- उक्त पोर्टल में पेंशनर अपने प्रकरण की स्थिति अपने Employee ID (GPF/ PRAN) का उपयोग कर प्राप्त कर सकता है। पेंशनर को समय-समय पर SMS तथा ईमेल द्वारा भी प्रकरण की स्थिति प्राप्त कराने की व्यवस्था भी की गई है।
- ई-पेंशन प्रक्रिया में जनवरी 2014 से मार्च 2020 तक 64278 प्राधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) सम्बन्धी

- 01.04.2005 या उसके बाद सेवा में आये कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (अंशदान पेंशन योजना) लागू की गई, जिसके अंतर्गत निदेशक पेंशन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

- पेंशन निदेशालय स्तर पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिको की कटौती एवं लेखों का रख रखाव वर्ष 2011-12 तक पेंशन निदेशालय से किया जा रहा था, जो 1 अप्रैल 2012 से एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- उक्त के क्रम में निदेशक पेंशन को नोडल अधिकारी बनाया गया। अब तक समस्त कोषागारों का पंजीकरण एन.एस.डी.एल. से कराया जा चुका है।
- 5716 आहरण एवं वितरण अधिकारियों का एन.एस.डी.एल. से पंजीकरण कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जोड़ा जा चुका है।
- 01.04.2012 से 31.03.2020 तक 4.53 लाख कार्मिकों का PRAN हेतु पंजीकरण कराया जा चुका है।
- 01.04.2012 से 31.03.2020 तक अंशदान (कार्मिक एवं सरकारी अंशदान सहित) के रुप में लगभग रु. 13763.52 करोड़ Trustee Bank को हस्तांतरित किया जा चुका है।

महत्वपूर्ण कार्य जो किये जाने हैं

- ई-पेंशन की व्यवस्था लागू होने के बाद भी पेंशन प्रपत्र एवं सम्बंधित की सर्विस बुक जाँच हेतु मूल रूप से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को मूल रूप से प्रेषित की जाती है जिससे पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया में समय लगता है। इस हेतु वेतन निर्धारण की जाँच प्रक्रिया को ई-पेंशन साफ्टवेयर के माध्यम से आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर ही स्वतः किया जाना।
- ई-पेंशन से सम्प्रति मुक्त श्रेणी के कार्मिकों जैसे सेल्फ DDO, पुलिस विभाग, सचिवालय सेवा, अनुदानित संस्थाएं जैसे परिषदीय विद्यालय, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा को ई-पेंशन की परिधि ा में लाना।
- ई-पेंशन पोर्टल की व्यवस्था में प्रयोग किया जा रहा सेन्ट्रल सर्वर कोषागार निदेशालय से सम्बंधि ात है जिसके कुछ हिस्से (Memory) को शेयरिंग के माध्यम से पेंशन के कार्य हेतु प्रयोग किया जा रहा है। पेंशन निदेशालय के लिए अलग सेन्ट्रल सर्वर की व्यवस्था करना विचाराधीन है, जिससे पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को और सुचारु बनाया जा सके।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सुचारू क्रियान्वयन हेतु पेंशन निदेशालय स्तर पर NPS सेल का गठन प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत होने वाले PRAN का पंजीकरण एवं अंशदान (Subscriber Contribution File) को upload करने का कार्य अभी maual किया जाता है। उक्त कार्य को सिक्योर करने एवं manual कार्य को हटाने तथा कटौती को यथा समय बुक करने के लिए प्रदेश स्तर के सर्वर को CRA सर्वर से Integrate किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय,

निदेशालय की स्थापना

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या एस-3-1982/दस-34(43)/86 दिनांक 21 जुलाई, 1986 द्वारा राज्य के सभी विभागों में लेखा रखने की पद्धति में सुधार लाने हेतु अध्ययन कर प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को सुझाव देने तथा विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों तक बनाये जाने वाले लेखों के निरीक्षण और उसमें पायी गयी कमियों के निराकरण के उद्देश्य से **''विभागीय लेखा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ''** की स्थापना की गयी थी। शासनादेश संख्या बी-1-2438/दस-1988 दिनांक 21-07-1988 द्वारा विभिन्न विभागों के कोषागार में खोले गये **''वैयक्तिक लेखा खातों की नियमित सम्परीक्षा''** निदेशक, विभागीय लेखा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किये जाने का दायित्व सौंपा गया।

विभाग का नाम परिवर्तन एवं अतिरिक्त कार्य सौंपा जाना (15 जनवरी 2003)

शासन द्वारा वित्तीय प्रबन्ध के आधुनिकीकरण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मेसर्स प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स लि0 से छः माह का सघन अध्ययन कराया गया था। अध्ययनोपरान्त उनके द्वारा की गयी संस्तुतियों को शासन स्तर पर स्वीकार करते हुए राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा के साथ शासनादेश संख्या- रा0आ0 ले0प0प्र0-2030/दस-03-10 (112ए)/01 दिनांक 15 जनवरी, 2003 द्वारा **''वित्तीय प्रबन्धन के आधुनिकीकरण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूत बनाने हेतु विभागीय लेखा निदेशालय, उ0प्र0 का नाम परिवर्तित करके, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0''** रखा गया है और उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित दायित्व सौंपे गये:-

1. राज्य के आन्तरिक लेखा परीक्षा नीतियों का कार्यान्वयन निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से कराया जायेगा।
2. राजकीय विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा या उनके द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारियों या विभाग हेतु नियुक्त आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
3. निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा शासन के वित्त विभाग के निर्देश पर/विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विशेष सम्परीक्षा करेंगे।
4. आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य विभाग में कार्यरत लेखा परीक्षकों/वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/सहायक लेखाकारों/लेखाकारों विभागों के वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी या उनके पद का कार्य करने वाले अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा तथा वे विभागीय लेखा परीक्षा मैनुवल तैयार करके अद्यावधिक रखेंगे। विभाग में लेखा परीक्षा के उपरान्त पायी गयी अनियमितताओं की पिछले त्रैमास की सूचना अगले माह की (जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल) 20 तारीख तक अपने विभागाध्यक्ष व निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उ0प्र0 को देंगे। उक्त सूचना की समीक्षा करके तथा अन्य विशेष आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उ0प्र0 राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षक के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे।

5. राज्य स्तरीय आन्तरिक सम्परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु त्रैमासिक व वार्षिक आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना।
6. विभागों द्वारा तैयार आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य योजना/वार्षिक कैलेण्डर का अन्तिम रूप दिया जाना।
7. आन्तरिक लेखा परीक्षा में लगे कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम व उसकी रूपरेखा तैयार करना।
8. सम्परीक्षा हेतु मानकों का निर्धारण व विभाग के आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा त्रैमास/वार्षिक कैलेण्डर प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देना। आन्तरिक लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में राज्य को सलाह देना। विभागों में गठित विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति में भाग लेना।
9. उच्च स्तरीय आन्तरिक लेखा परीक्षा की बैठकों/सेमिनार आदि में राज्य का प्रतिनिधित्व करना।

विभाग का नाम परिवर्तन एवं अतिरिक्त कार्य सौंपा जाना (19 जनवरी 2012):-

उपरोक्त कार्यों के साथ-साथ निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उ0प्र0 को वेतन समिति(2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0 के सम्बन्ध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2022/दस-54 (एम)2008टी0सी0, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 एवं वित्त (सेवायें) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-एस0ई0-324/दस-2012-आ-11/2011, दिनांक, 19.06.2012 द्वारा ''प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपलब्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग के सहायक लेखाकार, लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी तथा लेखा परीक्षा संवर्ग के लेखा परीक्षक, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों पर चयन, नियुक्ति तथा स्थानान्तरण की कार्यवाही का दायित्व'' इस निदेशालय को सौंपा गया है। उक्त दायित्वों के निर्वहन हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित सेवा नियमावली जारी की गयी हैं:-

क्र म सं0	वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या	नियमावली का नाम	पदों की संख्या जो नियमावली में समाहित किये गये हैं।
1	2	3	4
1.	संख्या-वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ)-251/ दस-2014-11-13, दि: 07.11.14	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014	लेखा संवर्ग में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के कुल **पद- 7602**
2.	संख्या-1/2015/वे0आ0-2-53/ दस-2015-11-13, 2015 दिनांक 20.01.15	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, कुल **पद-962**	लेखा परीक्षा संवर्ग में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक के
3.	संख्या-27/2015/वे0आ0-2-355/ दस-2014, दिनांक 13.05.2015	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सहायक लेखा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015	सहायक लेखा अधिकारी के कुल **पद-370**

आन्तरिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित कर्त्तव्य, दायित्व एवं प्रगति

शासनादेश संख्या- रा0आ0 ले0प0प्र0-2030/दस-03-10 (112 ए)/01, दिनांक 15 जनवरी, 2003 द्वारा वित्तीय प्रबंधन के आधुनिकीकरण एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस निदेशालय को आन्तरिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित कार्य सौंपते हुए निम्नलिखित दायित्व सौंपे गये:-

क्रमांक	शासनादेश संख्या-रा0आ0 ले0प0प्र0-2030/दस-03-10(112 ए)/01, दिनांक 15 जनवरी, 2003 द्वारा सौंपे गये कर्त्तव्य एवं दायित्व	प्रगति
1.	राज्य की आन्तरिक लेखा परीक्षा नीतियों का कार्यान्वयन कराना बनाने, निर्देशन एवं अनुश्रवण कराया जा रहा है।	प्रदेश में आन्तरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ करने, प्रभावी
2.	आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी का कार्य विभागों में सर्जित मुख्य/वरिष्ठ सम्परीक्षा अधिकारी/सम्पीक्षा अधिकारी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा अन्तिम एवं स्वतंत्र रूप से किया जाता है तथा जिन विभागों में मुख्य/वरिष्ठ सम्परीक्षा अधिकारी/सम्परीक्षा अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं उन विभागों में वित्त नियंत्रक या तो स्वयं आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य देखेगें अथवा अपने अधीन वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम् अधिकारी को जो कम से कम लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हो नामित कर सकते हैं।	वित्तीय वर्ष 2020-21 में 65 विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है।
3.	वित्त विभाग के निर्देश पर/विभागीय आन्तरिक लेखा अधिकारी की रिपोर्ट पर विशेष सम्परीक्षा का कार्य।	शासन के वित्त विभाग के निर्देशानुसार विशेष सम्परीक्षा परीक्षा करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 48 कार्यालय/इकाईयों की विशेष सम्परीक्षा करायी गयी हैं।
4.	विभाग में लेखा परीक्षा के उपरान्त पायी गयी अनियमितताओं वित्तीय की पिछले त्रैमास की सूचना अगले माहों की (जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल) 20 तारीख तक प्राप्त कर विश्लेषण उपरान्त त्रैमासिक समीक्षात्मक प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करना।	वर्ष 2020-21 में 43 विभागों द्वारा कार्य योजना का अनुमोदन कराया गया है। त्रैमास की प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई।
5.	विभागों द्वारा तैयार आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य योजना/वार्षिक कैलेण्डर का अन्तिम रूप दिया जाना।	65 विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य योजना का अनुमोदन आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा करायी गयी है
6.	आन्तरिक लेखा परीक्षा में लगे कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम व कराया गया है।	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण प्रशिक्षण नहीं
7.	विभागों में गठित विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति में भाग लेना।	शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार विभागीय आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में भाग लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित योजनाएं

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखाकार, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष कार्मिकों की पदोन्नतियाँ।
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में देय कार्मिकों की देय ए0सी0पी0 स्वीकृत करना।
3. 66 विभागों द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य कियाजा रहा है। उक्त 66 विभागों की आन्तरिक लेखा परीक्षा की कार्य योजना अनुमोदित करना तथा त्रैमासिक सूचना शासन को प्रेषित करना।

राष्ट्रीय बचत निदेशालय

राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तर प्रदेश गठन वर्ष 1972-73 में किया गया है, राष्ट्रीय बचत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में बचत की आदत विकसित करना है। शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन, राष्ट्रीय बचत विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव वित्त उ0प्र0 शासन विभाग के अपर निदेशक हैं।

राष्ट्रीय बचत योजनाओं की विभिन्न प्रतिभूतियों में धनराशि निवेशित कराने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित कार्यालयों द्वारा अधिकृत अभिकर्ताओं एवं महिला प्रधान अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं

नवीनीकरण का कार्य किया जाता है। इन योजनाओं में निवेशित धनराशि अधिकांशतया इन्हीं अभिकर्ताओं के माध्यम से जमा होती है।

विभाग की प्रमुख कार्य योजनायें

1. शासन के निर्देशानुसार प्रदेश का राष्ट्रीय बचत योजना का शुद्ध जमा धनराशि का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, तदोपरान्त उक्त लक्ष्य का विभाजन प्रदेश के जनपदों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपदों के लक्ष्य का योग मंडल का लक्ष्य होता है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के नियंत्रण/निर्देशन में सहायक निदेशक (बचत)/जिला बचत अधिकारी द्वारा जनपद के अधिकारियों, बचत अभिकर्ताओं द्वारा जन सामान्य से संपर्क स्थापित कराकर धनराशि निवेश कराई जाती है एवं मंडल स्तर पर आयुक्त के नियंत्रण/निर्देशन में उप निदेशक राष्ट्रीय बचत द्वारा राष्ट्रीय बचत योजना की प्रगति की समीक्षा कराई जाती है।

2. डाकविभाग में धनराशि निवेश कराये जाने के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं का निराकरण यथासंभव डाक विभाग के अधिकारियों को संपर्क कर, जिला डाल समन्वय समिति एवं मंडल स्तर पर मंडलीय डाक समन्वय समितियों के माध्यम से तथा सहायक निदेशकों द्वारा अभिकर्ताओं के साथ हुई बैठकों द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय बचत की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित योजनायें

राष्ट्रीय बचत निदेशालय द्वारा अपनी कोई परियोजना संचालित नहीं है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बचत की विभिन्न प्रतिभूतियां प्रचलन में हैं, इन प्रतिभूतियों की ब्याज दरें प्रत्येक तिमाही में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की जाती हैं। वर्तमान में प्रचलित प्रतिभूतियों में निवेश डाकघरों के माध्यम से एवं कुछ प्रतिभूतियों में डाकघरों के साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के माध्यम से धनराशि निवेशित की जाती है।

विभाग की नीति

राष्ट्रीय बचत की योजना ग्रामीण अंचलों व नगरीय अंचलों में जन सामान्य में धन निवेशित कराकर बचत की आदत को बढ़ावा देना है जिससे वे अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकें। निवेशकों को बचत हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है और अभिकर्ताओं को धन डाकघर की विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेशित कराने पर कमीशन मिलता है जोकि उनके जीविकोपार्जन में सहायक होता है व इन्हें रोजगार प्राप्त होता है।

राजस्व

उत्तर प्रदेश राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। औद्योगिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी विकास होने के बावजूद आज भी प्रमुख उद्यम कृषि ही है जिससे इस प्रदेश की बहुसंख्यक जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। कृषि तथा कृषि पर आधारित अन्य व्यवसायों के लिए भूमि सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। भूमि सम्बन्धी अभिलेखों के समुचित रख-रखाव, बिखरे जोतों की चकबन्दी, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन, कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों का सृजन एवं उनका क्रियान्वयन तथा प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए विभिन्न देयों की वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन राजस्व विभाग के प्रमुख दायित्व हैं। सामान्य जनता, कृषक, निर्बल वर्ग से सीधे जुड़े होने के कारण राजस्व विभाग प्रदेश शासन की मेरुदण्ड की भाँति है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून के अन्तर्गत अधिसूचित एवं उससे सम्बन्धित और आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाने का कार्य भी राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु वर्तमान में विभागाध यक्ष कार्यालयों के माध्यम से कार्य हो रहे हैं:

राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का अद्यावधिक विवरण

राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य

राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य प्रदेश के भूमि सम्बन्धी आंकड़ों का समुचित रखरखाव, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन, भूमि विवादों के निपटारें, भूमि सुधार सम्बन्धी जनकल्याणकारी विभिन्न कार्यकमों का सृजन एवं उनके क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए कर एवं करेत्तर देयों सहित राजस्व देयों की वसूली करना है। शासन द्वारा निर्धारित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों में मुख्य देयों तथा विविध देयों की वसूली, अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों को कब्जा दिलाया जाना, कृषि एवं आवास भूमि का चिन्हीकरण एवं आवंटन, खतौनी का कम्प्यूटरीकरण, तहसील दिवस, लोक शिकायत तथा एकल खिड़की से प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण सम्मिलित है। भूमि सुधार कार्यकमों को त्वरित व प्रभावी ढंग से लागू करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग, अन्य विभागों की सामाजिक, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के साथ-साथ दैवीय आपदा में भी राजस्व विभाग की प्रमुख़: भूमिका है। राजस्व विभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप निम्नवत हैं:-

1. भूमि सुधार कार्यकम

भूमि सुधार एक गतिशील प्रक्रिया है। भूमि जैसी दैव प्रदत्त आर्थिक सम्पदा का सम्यक लाभ समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिले, इसके लिये उ0प्र0 सरकार ने समय की मांग के अनुरूप कुछ व्यवहारिक, संतुलित एवं जनोपयोगी कदम उठाये हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की उपलब्धि का विवरण निम्नवत् हैः-

1.1 कृषि एवं आवास पटटे में सभी गरीबों को समानता

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिये संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुये जिनकी मृत्यु हुई हो, ऐसे व्यक्ति के परिवारजन को प्रथम वरीयता एवं संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुये पूर्णतया दिव्यांग होने वाले व्यक्ति को द्वितीय वरीयता तथा इसके उपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग के भूमिहीन कृषि श्रमिक या या गरीबी रेखा के नीचे ज़ीवन-यापन करने वालों को सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से उच्च वरीयता प्रदान की गयी है।

1.2 कृषि भूमि का आवंटन

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (हे०में)	उपलब्धि (हे०में)	प्रतिशत
2018-19	1378	1995.645	157.26
2019-20	990	1624.455	164.09
2020-21	700	893.412	127.63
(माह दिसम्बर, 2020 तक) :			

1.3 आवास स्थल आवंटन

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवारों को, जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-64 के अन्तर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। आबादी स्थलों के आवंटनों में विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को अधिमान दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है। आवास स्थल आवंटन की विगत तीन वर्षों की उपलब्धियाँ निम्नवत् रही हैं :-

वर्ष	लक्ष्य (परिवार)	उपलब्धि (परिवार)	प्रतिशत
2018-19	17200	22466	147.90
2019-20	15200	18494	121.67
2020-21	12700	11540	90.87
(माह दिसम्बर, 2020 तक)			

1.4 मत्स्य पालन हेतु ताल पोखरों का आवंटन

मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु तालाबों एवं पोखरों का आवंटन रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत राजाज्ञा में संशोधन करते हुये

विस्तृत योजना राजाज्ञा संख्या-3736/1-2/95, दिनांक 17-10-95 में लागू की गयी थी। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियामावली के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु पट्टों का आवंटन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की उपलब्धियाँ निम्नवत् रही हैं :-

वर्ष	लक्ष्य (हे०में)	उपलब्धि (हे०में)	प्रतिशत
2018-19	3738	5461.13	164.10
2019-20	5294	6007.72	113.48
2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	5610	5652.507	100.76

1.5. कुम्हारी कला एवं मूर्ति कला के प्रोत्साहन हेतु कुम्हार जाति एवं इस व्यवस्था में लगे व्यक्तियों को मिट्टी उपलब्ध कराये जाने हेतु मिट्टी का आवंटन

कुम्हारी कला के व्यवसाय में लगे परिवारों के आर्थिक उन्नति एवं उनके व्यवसाय के लिये ताल, पोखरों एवं अन्य स्थलों, जहां कुम्हारी कला हेतु उपयुक्त चिकनी मिट्टी उपलब्ध हो, का आवंटन शासनादेश संख्या-4317/1-2/93-रा0-2, दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 द्वारा जनवरी, 1994 से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की उपलब्धियाँ निम्नवत् रही हैं :-

1.6. वृक्षारोपण हेतु पट्टे

वर्ष	लक्ष्य (स्थल)	उपलब्धि (स्थल)	प्रतिशत
2018-19	1074	1451	157.55
2019-20	1200	4860	405.00
2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	1400	1839	131.36

वृक्षारोपण हेतु हरियाली कार्यक्रम क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में भूमि का पट्टा दिये जाने का शासनादेश संख्या-103-57/34/80-85-रा0--2, दिनांक 30-12-1985 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत वृक्षारोपण करने वाले व्यक्तियों को केवल वृक्षों के उपयोग तथा उपज व उनसे होने वाले लाभ हेतु पट्टा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की उपलब्धियाँ निम्नवत् रही हैं :-

1.7. उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार में वृद्धि

कुछ वर्ष पूर्व विधवा को, पुत्रों के समतुल्य अधिकार प्रदान कर तथा पट्टों में पति-पत्नी का

वर्ष	लक्ष्य (हे०में)	उपलब्धि (हे०में)	प्रतिशत
2018-19	418	598.26	149.56
2019-20	365	639.364	175.17
2020-21 (माह दिसम्बर, 2020 तक)	300	323.735	107.91

नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने की व्यवस्था कर, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिंग भेद कम करने की दिशा में जो शुरूआती ठोस कदम उठाया था उसे बढ़ाते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में निध

र्ारित उत्तराधिकार के कम को संशोधित कर इसे महिलाओं को मालिकाना हक के अनुकूल बनाया गया है।

उ0प्र0 राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम-2020 (संख्या-28 सन् 2020) द्वारा राजस्व संहिता की धारा-109 व 110 में यथावश्यक संशोधन करते हुए किन्नर समुदाय (थर्ड जेण्डर) के व्यक्तियों के सामाजिक, अर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु कृषि सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्रदान किया गया है।

अनाधिकृत कब्जे/अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही

प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर दिनांक 01-05-2017 से दिनांक 01-02--2021 तक प्रदेश में अवैध कब्जे से सम्बन्धित कुल 2,94,528 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 2,93,231 शिकायतें निस्तारित की गईं तथा 1267 शिकायतें निस्तारण हेतु अवशेष हैं ।

अभियान के अन्तर्गत कुल 65,525.35 हे0 क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। 22,908 राजस्व वाद, 847 सिविल वाद एवं 4252 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गई हैं। 2326 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है, वर्तमान में 186 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं। 863 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत, 241 के विरुद्ध दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत, 04 के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, 69 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत, 305 के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत तथा 2769 के विरुद्ध अन्य धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

राजस्व ग्राम खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यकम

उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-31 (2) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-28 के अनुरूप प्रदेश के कुल 1,10,211 राजस्व ग्राम खतौनियों में दर्ज खातेदारों/ सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य किए जाने हेतु विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं।

खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017 से अब तक कुल 52,134 (वर्ष 2017-18 में 18399, वर्ष 2018-19 में 16344, वर्ष 2019-20 में 17,421) राजस्व ग्राम खतौनियों में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार अवशेष कुल 58077 राजस्व ग्राम खतौनियों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम को मार्च 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

वर्ष 2020-21 में फसली वर्ष-1428 के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 17,962 राजस्व ग्राम खतौनियों में दर्ज खातेदारों /सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है। खतौनी मे दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने से निम्न लाभ होगें :-

(1) बंटवारे के वादों में कमी आएगी।

(2) खातेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगा।

(3) सरकारी योजनाओं का लाभ हिस्से के अनुसार ही लाभार्थी को प्राप्त होगा।

(4) भविष्य में किसी प्लाट का लेनदेन बायोमैट्रिक अथवा ओ0टी0पी0 आधारित आथेन्टिकेशन के उपरान्त ही किया जाएगा। इसके द्वारा भूमि के अवैध लेनदेन पर रोक लगेगी।

सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवटन

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य जातियों को सीलिंग भूमि आवंटन के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष की क्रमिक प्रगति के अनुसार जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति के 2280 आवंटियों को 1400.500 एकड़ भूमि, अनुसूचित जनजाति के 2284 आवंटियों को 1439.000 एकड़ भूमि तथा अन्य में 2282 आवंटियों को 1418.000 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है।

सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता

प्रति वर्ष अनुदान सं0-83 के लेखा शीर्षक-2506-भूमि सुधार-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-उ0प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सीलिंग भूमि आंवटियों का आर्थिक सहायता-27-सब्सिडी नामक योजना में शासन द्वारा बजट प्रावधान किया जाता है। अनुसूचित जातियों के सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासन द्वारा रु0 1.00 लाख (रुपया एक लाख) मात्र का बजट प्रावधान किया गया है ।

राजस्व वादों का निस्तारण

प्रदेश के जनपदीय राजस्व न्यायालयों में 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक दायर कुल 16,18,906 वादों के सापेक्ष 15,40,322 वाद निस्तारित किए गए। जनवरी 2021 में दायर कुल 2,01,930 वादों के सापेक्ष 1,77,243 वाद निस्तारित किए गए।

प्रदेश के मण्डलीय राजस्व न्यायालयों में 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक दायर कुल 12297 वादों के सापेक्ष 8179 वाद निस्तारित किए गए। जनवरी, 2021 में दायर कुल 1538 वादों के सापेक्ष 1139 वाद निस्तारित किए गए।

सम्पूर्ण समाधान दिवस

जन शिकायतों के निस्तारण हेतु सभी तहसीलों में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

समन्वित जन शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) पर 01 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2021 तक प्राप्त कुल 3,19,712 शिकायतों के सापेक्ष 3,16,004 (99 प्रतिशत) शिकायतों का निस्तारण किया गया। ग्रामों को खतौनी में लिंक कर 66 प्रतिशत ग्रामों को सत्यापित किया जा चुका है। कार्य अन्तिम चरण में हैं।

तहसीलों में मॉर्डन रिकार्ड रूम की स्थापना

भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इण्डिया लैंड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (डी0एल0आर0एम0पी0) के अन्तर्गत प्रदेश की कुल 350 तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना की योजना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत अभिलेखों के स्कैनिंग/डिजिटाईजेशन का कार्य किया जाना है जिससे अभिलेखों का संरक्षण एवं हितबद्ध व्यक्तियों को उसकी कम्प्यूटरीकृत प्रति उपलब्ध करायी जा सके।

राजस्व विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनायें

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

यह योजना दिनांक 14.09.2019 से प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 के ऐसे कृषकों जिनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, उन्हे आर्थिक सहायता के रूप में रु0 5 लाख प्रदान की जाती है।

- उक्त योजना के अन्तर्गत कृषकों की आयु 18 से 70 वर्ष निर्धारित की गयी है।
- कृषक की पात्रता में उ0प्र0 के निवासी ऐसे कृषक जो खतौनी में दर्ज खातेदार /सहखातेदार हैं, खातेदार/सहखातेदार के परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का स्रोत भूमि से होने वाली कृषि आय है, ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पटूटे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि करते हैं, पट्टेदार के अन्तर्गत असामी, सरकारी, निजी पट्टेदार सम्मिलित किये गये हैं। पट्टेदार/बटाईदार का चिन्हांकन उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा प्रस्थापित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत किया जायेगा।

स्वामित्व योजना

भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में आवासीय अभिलेख (घरौनी) तैयार किये जाने सम्बन्धी "स्वामित्व योजना" का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कुल 82913 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है।

"स्वामित्व योजना" का उद्देश्य

- स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का ड्रोन तकनीकी द्वारा अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण ग्रामीण जनता को उस भूमि अभिलेख के आधार पर सहज रूप से वित्तीय सहायता तथा ऋण आदि उपलब्ध कराने एवं ग्राम पंचायत के विकास के दृष्टिगत सम्पत्ति कर का समुचित विनिश्चय आदि किये जाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।
- उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में आवासीय अभिलेख (घरौनी) तैयार किये जाने सम्बन्धी भारत सरकार की "स्वामित्व योजना" के अन्तर्गत आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया का कार्य किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश में संचालित स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) तैयार किये जाने का कार्य नवीनतम प्रौद्योगिकी (ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण) का उपयोग करते हुए योजनाबद्ध तरीके से एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए सम्पादित किया जा रहा है।

- यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का निष्पादन पूरे भारत में निरन्तर प्रथम स्थान पर है तथा इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लागू की जा रही कार्यपद्धतियों का अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा भी किया जा रहा है

राजस्व विभाग द्वारा राजस्व संहिता एवं नियमावली के माध्यम से किये गये प्रकियात्मक सुधार

12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की अनुमति दिये जाने की शक्ति का प्रतिनिधायन

इज आफ डूइंग बिजनेस (व्यापार और उद्योग प्रोत्साहन) के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की। अनुमति की प्रक्रिया को और सहज बनाते हुए अनुमति दिये जाने की शक्ति को प्रतिनिधानित (डेलीगेट) किया गया है, जिसके अनुसार अब 20.2344 हे0 तक की भूमि क्रय की अनुमति जिलाधिकारी तथा 20.2344 हे0 से अधिक और 40.4688 हे0 तक की भूमि क्रय की अनुमति मण्डलायुक्त द्वारा प्रदान की जा रही है।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्था

ग्रीन एवं क्लीन एनर्जी के उत्पादन में वृद्धि के दृष्टिगत सौर ऊर्जा परियोजना हेतु कृषकों से अधिकतम 30 वर्षों के लिए भूमि निजी पट्टे के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था है। इससे सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सहज हो सकेगी।

ग्राम सभा की आरक्षित श्रेणी की भूमियों के विनिभय की प्रक्रिया का सरलीकरण

ग्राम सभा भूमि के विनिमय के संबंध में भूमि प्रबंधक समिति के अलावा उपजिलाधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से प्रस्ताव किये जाने की व्यवस्था की गयी है। ऐसी निवेश परियोजनायें, निजी विश्वविद्यालय व मेडिकल कॉलेज जिनमें लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो चुका हो, की भूमि के मध्य आने वाली ग्राम सभा की चक रोड व नाली इत्यादि की भूमियों के विनिमय की शक्ति अब मण्डलायुक्त को प्रतिनिध ाानित कर दी गई है।

सरकारी परियोजनाओं हेतु ग्राम सभा भूमियों के पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन/विनिमय की शक्ति का प्रतिनिधायन

राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरणों में निहित समस्त भूमियों के पुनर्ग्रहण/विनिमय की राज्य सरकार की शक्ति अब कलेक्टर /मण्डलायुक्त को प्रतिनिधानित कर दी गयी है। इससे सरकारी परियोजनाओं के उपयोगार्थ भूमि हस्तांतरण की प्रकिया त्वरित गति से सम्पन्न की जा सकेगी।

ऑनलाइन डिजिटल खसरा

पूर्व के 24 स्तम्भों के ऑफलाइन खसरे के स्थान पर 46 स्तम्भों के नये पूर्णतया ऑनलाइन डिजिटल खसरा तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। प्रदेश के समस्त लेखपालों को प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व में ही लैपटॉप व मोबाइल फोन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। अतः इस ऑनलाइन खसरे को फील्ड में ही भरा जा सकता है।

ऑनलाइन खसरा में गाटे का विवरण, फसल व सिंचाई के साधन का विवरण, दैवी आपदा

व कृषि अवशिष्ट निस्तारण का विवरण, वृक्षों का विवरण, गैर कृषिक भूमि का विवरण, लीज का विवरण, दो फसली क्षेत्रफल व अकृषित भूमि का विवरण तथा विशेष विवरण अंकित किया जायेगा।

दैवी आपदा में कोई भी प्रविष्टि होते ही तहसीलदार, उपजिलाधिकारी व जिलाधिकारी को स्वयं ही एक एलर्ट मैसेज जायेगा। दैवी आपदा के समय त्वरित गति से राहत वितरण किया जा सकेगा। खसरे के डिजिटलीकरण से उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार की योजनाओं के लिए त्वरित सूचना उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश में कुल 1,08,848 राजस्व ग्रामों के लगभग 7.65 करोड़ गाटों/खसरों का कम्प्यूट्रीकरण किया जायेगा।

सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रकिया की स्थिति

प्रदेश के मण्डलों, जनपदों एवं तहसीलों के सृजन/पुनर्गठन/परिसीमन तथा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के कार्य हेतु प्रदेश की 6 सर्वेक्षण इकाइयों द्वारा प्रश्नगत कार्य सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया नियमावली 1978 के प्रावधानानुसार कराया जाता है, जिसके अन्तर्गत सर्वेक्षण हेतु ग्रामों की अधिसूचना निर्गत कराते हुये सर्वेक्षण के उपरान्त संबंधित ग्रामों को सर्वेक्षण प्रकिया से पृथक करने हेतु डिनोटिफिकेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 48 मण्डलों, 75 जनपद एवं 354 तहसीलें क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश के 34 जनपदों के कुल 565 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया का कार्य गतिमान है।

जनहित गारण्टी अधिनियम-**2011**

जन सामान्य की सुविधा के लिये शासन द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अंतर्गत राजस्व विभाग की 06 सेवाओं (आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, किसान बही (मूल), किसान बही (डुप्लीकेट) एवं भूमि का अविवादित नामान्तरण) प्रदान की जा रही है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित करते हुये तहसीलदार, उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया है। समयान्तर्गत निस्तारण न हो पाने की दशा में जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से जनमानस की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है। जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं के अन्तर्गत जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार माह दिसम्बर 2020 में प्रदेश स्तर पर कुल 3,16,89,852 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,96,19,521 आवेदनों का निस्तारण किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह अप्रैल, 2020 से माह दिसम्बर 2020 तक प्रदेश में कुल 18,62,039 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 13,74,819 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया है।

भूमि अध्याप्ति निदेशालय (मुख्यालय), राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों सम्बन्धी टिप्पणी

भूमि अध्याप्ति निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-7-4 (9)/86-114-रा0-13, दिनांक 04 जुलाई, 1987 द्वारा राजस्व परिषद के अधीन की गई। इस शासनादेश द्वारा निदेशक, भूमि अध्याप्ति को भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी मामलों में निर्णय के लिए सक्षम बनाया गया है एवं रूटीन मामलों में सीधे शासन से पत्र व्यवहार करने अधिकृत किया गया है। नीति विषयक मामले राजस्व परिषद के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गई है। भूमि अध्याप्ति निदेशालय में निदेशक (भूमि अध्याप्ति) के प्रतिवेदक अधिकारी मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद होते हैं।

वर्तमान समय में भूमि अध्याप्ति निदेशालय द्वारा शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 1987 तथा समय-समय पर इसमें किये गये संशोधनों के अनुसार भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। शासनादेश संख्या-824/1-13--2008--7-4(9)/86-114-रा0-13, दिनांक 11 जून, 2008 द्वारा उक्त शासनादेश में संशोधन करते हुए प्रदेश में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से निम्न स्तर के न हों, को निदेशक, भूमि अध्याप्ति में निहित समस्त भू-अध्याप्ति कार्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया है।

जिला गजेटियर विभाग, उत्तर प्रदेश के आज तक के कार्यकलापों-एवं योजनाओं की उपलब्धियों का अद्यावधिक विवरण

गजेटियर्स किसी भी स्थान का परिचयात्मक अभिलेख होते हैं, अतः ब्रिटिश शासनकाल में प्रदेश के सभी जिलों के जिला गजेटियर्स लिखे गये थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा भी इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुये सभी प्रदेशों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित करने की योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1957 में जिला गजेटियर विभाग की स्थापना के साथ इस योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा केन्द्र सरकार द्वारा पोषित इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रदेश के तत्कालीन सभी 54 जिलों के जिला गजेटियर्स एवं 08 जनपदों के पूरक अंक (सप्लीमेन्ट्री वाल्यूम्स) अंग्रेजी भाषा में तैयार कर प्रकाशित कराये गये। जिला गजेटियर विभाग ने प्रदेश का प्रथम वृहद "राज्य गजेटियर" पांच खण्डों में तैयार कर प्रकाशित कराया है।

प्रदेश के सभी जिलों के गजेटियर्स का पुनरीक्षण/लेखन हिन्दी भाषा में कराये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम उन जिलों के गजेटियर्स प्रथमतः तैयार कराये जायें जो कि नव सृजित हैं तथा उन जिलों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित किया जाये जिन जिलों से ये नवसृजित जिले सृजित हुये हैं। इस शृंखला में गाजियाबाद, मेरठ, ललितपुर, कानपुर देहात तथा फिरोजाबाद के गजेटियर लिखे तथा प्रकाशित कराये जा चुके हैं तथा बिक्री हेतु राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध हैं। झाँसी जिले का गजेटियर के प्रेस से प्राप्त डमी प्रति से इण्डेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर मुद्रण हेतु प्रेस भेज दिया गया था, जो मुद्रणोपरान्त विभाग को प्राप्त हो चुका है। समस्त जिलों के गजेटियर को जन सामान्य की सुविधा हेतु विभागीय वेबसाइट (गजेटियर.यूपी.एनआईसी.इन) पर उपलब्ध था, किन्तु वेबसाइट की सिक्योरिटी आडिट न होने के कारण यह वेबसाइट अभी रुका हुआ है, जिसको शीघ्र ही चालू कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

वर्तमान समय में 25 जिलों (1-संतकबीनगर, 2-महराजगंज, 3-औरैया, 4-संत रविदास

नगर, 5-अमेठी, 6-अम्बेडकरनगर, 7-मऊ, 8-कुशीनगर, 9-कन्नौज, 10-सोनभद्र, 11-चन्दौली, 12-चित्रकूट, 13-हापुड़, 14-गौतमबुद्धनगर, 15-कौशाम्बी, 16-महोबा, 17-शामली, 18-बागपत, 19-श्रावस्ती, 20-अमरोहा, 21-सम्भल, 22-हाथरस, 23-कासगंज, 24--सिद्धार्थनगर, 25-बलरामपुर) के गजेटियर को हिन्दी में लेखन हेतु लक्ष्य निर्धारित कर प्रश्नावली प्रेषित करते हुए सूचना की माँग की गयी है।

राहत आयुक्त संगठन

आपदा प्रबंधन के मुख्यतः दो आयाम हैंः-

- आपदा के पूर्व आपदा जोखिम का अनुमान व आंकलन करना, उनके बचाव व न्यूनीकरण के लिए उपाय, नीति व योजना तैयार करना तथा इस संबंध में आवश्यक पूर्व तैयारी व क्षमता सम्वर्धन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- आपदा के उपरान्त खोज, बचाव एवं राहत (आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राहत प्रदान किया जाना) प्रदान किया जाना व बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था।

2. आपदा प्रबंधन के पूर्व तैयारी के संबंध में राज्य स्तर पर निम्न व्यवस्थाएं की गई हैंः-

- आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के आलोक में उ0प्र0 सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 पारित किया गया है।
- उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधान के तहत उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन है। उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन पदेन रूप से प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के संचालन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।
- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का कार्य प्रदेश में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगो को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से संबंधित योजनाएं इत्यादि तैयार करना है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का मुख्य कार्य जनपद में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगो को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से संबंधित योजनाएं आदि तैयार करना है।

3. आपदा के उपरान्त खोज बचाव एवं राहत हेतु राज्य स्तर पर निम्न व्यवस्थाएं की गई हैंः-

- उ0प्र0 शासन के राजस्व विभाग के अधीन राहत आयुक्त संगठन का गठन किया गया है। राजस्व विभाग, राहत आयुक्त संगठन एवं जनपद स्तर पर प्रशासन के समन्वित प्रयास से आपदा के उपरान्त खोज बचाव एवं राहत के कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किए जाते हैं। खोज बचाव

एवं राहत के कार्य हेतु प्रदेश स्तर पर राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) का वित्त पोषण 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

- सुदृढ़ आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत खोज बचाव एवं राहत के कार्यों को सुचारू रूप निष्पादित किए जाने हेतु तथा राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) की धनराशि को व्यय किए जाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा राहत समिति का गठन किया गया है।

आपदा प्रबंधन एवं राहत की वर्तमान स्थिति

- राज्य आपदा मोचक निधि में बजट प्रावधान वित्त आयोग की संस्तुति के अनुरूप किया जाता है। पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचक निधि में रु0 2578.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचक निधि से अब तक मदवार विभिन्न जनपदों को निम्नवत धनराशि आवंटित की जा चुकी है:-

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेत कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफारमेन्स बजट) हेतु चकबन्दी विभाग की टिप्पणी

प्रदेश में चकबन्दी योजना वर्ष 1954 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना का भूमि सुधार हरित क्रान्ति एवं ग्राम विकास से सीधा सम्बन्ध है। चकबन्दी का उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में

दिनांक 23.02.2021 तक — धनराशि लाख रुपये में

सूखा	बाढ़	चक्रवात	ओलावृष्टि	अग्नि काण्ड	शीतलहरी	राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा	एस०डी० आर०एफ० 0-10	एस० डी० आर० एफ० 0 सामान्य	कुल
2099.07	19096.94	116.00	21254.68	1423.00	2243.16	113662.96	25477.26	956.33	184114.90

वृद्धि कर कृषकों का जीवन स्तर ऊँचा करना है। इस योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत बिखरे हुए खेतों को इकजाई करके चक प्रदिष्ट किये जाते हैं तथा चकमार्ग, सम्पर्क मार्ग, सिंचाई की नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये आबादी एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनो हेतु भूमि आरक्षित की जाती है। इस प्रकार चकबन्दी क्रियाओं के चलते हरित क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से समाज में उपेक्षित वर्ग को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में इस योजना का उल्लेखनीय योगदान है। सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि का आरक्षण ग्रामवासियों के लिए ये विशेष उपलब्धि है।

आबकारी

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। तदनुसार मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाय। प्रदेश के विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग का प्रमुख स्थान है। प्रकार विभाग द्वारा अर्जित किये गये राजस्व का लगभग 99 प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने व प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित व्यवस्था में यथावश्यक संशोधन कर वर्ष 2019-20 के लिये आबकारी नीति घोषित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत राजस्व वृद्धि के मुख्य उद्देश्य के साथ-साथ निम्न आनुषंगिक बिन्दुओं को समाविष्ट किया गया है-

क- कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा गन्ना उत्पादकों को उचित गन्ना मूल्य का भुगतान।

ख- चीनी एवं अल्कोहल उत्पादक इकाईयों का आधुनिकीकरण एवं नवीनतम तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि जिससे औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके।

ग- एथनाल के उत्पादन से भारत सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत।

घ- मदिरा-उद्योग-व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर समुचित लाभार्जन एवं उपभोक्ता-सन्तुष्टि।

ङ- प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

गन्ने से शीरा उत्पादन

प्रदेश के कृषि उपज में गन्ने का एक बहुत बड़ा भाग है। इस गन्ने का पूर्णता से उपभोग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नितान्त आवश्यक है। गन्ने से चीनी के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में शीरा भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में होने के साथ-साथ आग्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ईस्ट निर्माण, पशु एवं कुक्कुट आहार, कोयला टिकली उद्योग तथा कार्बन एवं ढलाई उद्योगों में किया जाता है। प्रदेश में स्थापित 158 चीनी मिलों में से कार्यरत चीनी मिलों की संख्या 119 है। इन सभी चीनी मिलों में इस महत्त्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद शीरे को संरक्षित करने के लिए लगभग 324.05 लाख कुन्तल संचय क्षमता उपलब्ध है।

शीरे का सुरक्षित भण्डारण एवं अधिकतम लाभकारी उपयोग

वर्तमान में प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु 158 चीनी मिलें हैं जिनमें से शीरा सत्र 2020-21 में 119 चीनी मिलें कार्यरत हैं। चीनी मिलों से निकलने वाले शीरे की खपत के लिए शीरे पर आधारित आसवनियों व अन्य उद्योग पहले प्रदेश में उपयुक्त संख्या में स्थापित नहीं हुये थे। इसके परिणाम-स्वरूप चीनी मिलों को अपनी फैक्ट्री में उत्पादित किन्तु भारी मात्रा में अप्रयुक्त शीरे को फैक्ट्री परिसर से उठाकर बाहर फिकवाने के लिये चीनी मिलों को अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता था। शीरे के निस्तारण की समस्या और इस निस्तारण से उत्पन्न प्रदूषण से बचने के लिये विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ शीरे पर आधारित आसवनियाँ एवं अन्य उद्योग स्थापित हुये, जिससे अब वर्तमान में चीनी मिलों में उत्पादित सम्पूर्ण शीरे का सदुपयोग हो रहा है। अतः शीरे जैसे बहुपयोगी कच्चे माल का सुरक्षित भण्डारण प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है। शीरा सत्र 2020-21 (1 नवम्बर, 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक) में 67.83 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ है।

प्रदेश में शीरे के उत्पादन के दो स्रोत हैं :-

1. वैक्यूम पैन पद्धति से चीनी बनाने वाली चीनी मिलों द्वारा,
2. खाण्डसारी इकाइयों द्वारा।

शीरा सत्र 2020-21 में प्रदेश में कुल 119 चीनी मिलें कार्यरत हैं।

नयी शीरा नीति वर्ष **2020-21** के मुख्य प्रावधान

- गत वर्ष के अवशेष आरक्षित शीरे को अग्रेनीत करते हुए इस वर्ष की आवश्यकता में समायोजित किया गया है। वर्तमान में आरक्षित शीरे की देयता 18 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। †
- आरक्षित तथा अनारक्षित शीरे की निकासी के मध्य अनुपात 1:4.55 रखा गया है जो माहवार निकासी पर लागू रहेगा।
- चीनी मिलों को पेराई सत्र के दौरान आरक्षित शीरे को संचित रखते हुए अनारक्षित शीरे के निस्तारण की सुविधा दी गई है।
- शीरा सम्भरण को सुगम बनाने के लिये मांग पत्रों को ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारण की व्यवस्था की गई है।
- देशी मदिरा निर्माण के लिये अन्य आसवनियों से देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आपूर्ति की गयी ई.एन.ए. के समतुल्य मात्रा का आरक्षित शीरा देशी शराब निर्माता आसवनियों को आवंटित आरक्षित शीरे में से समायोजित करके ई.एन.ए. आपूर्तक आसवनी को किये जाने की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है।
- भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेण्डेड पेट्रोल (ई.बी.पी.) प्रोग्राम के अर्न्तगत बी-हैवी शीरे से पावर अल्कोहल बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य में बी हैवी शीरे से एथनाल का उत्पादन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- शीरा वर्ष 2020-21 में अन्य राज्यों/अन्य राष्ट्रों को शीरे के निर्यात/आयात की अनुमति शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।
- शीरा आयात/निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- शीरा वर्ष 2020-21 में चीनी मिलों में संचित बिलोग्रेड/जले शीरे के निस्तारण की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश के अन्दर खपत के लिये शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर रु0 20/- तथा प्रदेश के बाहर निर्यात के लिये रु0 30/- प्रति कुन्टल रखा गया है। देश के अन्य प्रान्तों से शीरा आयात के लिये प्रशासनिक शुल्क की दर रु0 15/- प्रति कुन्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात पर रु0 30/- प्रति कुन्टल निर्धारित की गयी है।

अल्कोहल

आबकारी विभाग देशी/विदेशी मदिरा, बीयर और भांग से राजस्व अर्जित करने वाला विभाग समझा जाता है। वास्तव में प्रदेश में उत्पादित अल्कोहल का 60 से 70 प्रतिशत भाग औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश के उद्योगों द्वारा जनोपयोगी महत्त्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है अथवा प्रदेश/देश के बाहर निर्यात किया जाता है। प्रदेश के बाहर अल्कोहल के निर्यात से राज्य को राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ कम अल्कोहल उत्पादन वाले राज्यों को राजस्व अर्जन में सहायता मिलती है। वहीं देश के बाहर अल्कोहल निर्यात से देश की प्रगति के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में प्रदेश को एक महत्त्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त हुआ है।

आबकारी विभाग के राजस्व का मुख्य स्रोत अल्कोहल है जो आसवनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 73 आसवनियां, जिसमें 02 आसवनी गैर परम्परागत स्रोतों पर आधारित है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 73 आसवनियां में से 05 पेय, 40 औद्योगिक, 26 मिश्रित एवं 02 रासायनिक उद्योगों की सह आसवनियां हैं।

वर्ष **2021-22** की आबकारी नीति के प्रमुख तथ्य

- आबकारी नीति वर्ष 2021-22 को निम्नांकित उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्मित किया गया है:-

1. मदिरापान को जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में रखा जाना।
2. लिकर माफियाओं के प्रभुत्व को समाप्त करते हुए दुकानों के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाना और आवंटन प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप समाप्त किया जाना।
3. प्रक्रियाओं का सरलीकरण और समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रत्येक स्तर की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ हो सके जिससे ईज आफ डूइंग बिजनेस एवं गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा मिले।
4. धनराशियों का अंतरण डिजिटल माध्यम से कराया जाना।
5. अवैध मदिरा के निर्माण/विक्रय पर पूर्ण नियंत्रण किया जाना, राजस्व क्षति एवं चोरी को रोकते हुये विकासोन्मुख सरकारी परियोजनाओं के पर्याप्त वित्तपोषण हेतु अधिकतम राजस्व का अर्जन।

6. उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त मदिरा की उचित मूल्य पर उपलब्धतता सुनिश्चित कराया जाना।
7. आबकारी नीति को आकर्षक बनाते हुये मदिरा व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान करना।

- वर्ष 2021-22 में उपभोक्ताओं को सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता की मदिरा उपलब्ध कराने हेतु ग्रेन ई.एन.ए. से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त मदिरा का भी प्रावधान किया गया है।

अल्कोहल पर आधारित उद्योग तथा निर्माणशालायें

अल्कोहल पर आधारित रासायनिक उद्योगों को कार्य-प्रणाली एवं अनुज्ञापन दिये जाने की दृष्टि से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया हैः

1. एफ.एल-39 प्रकार के उद्योग

इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं जो अल्कोहल को अन्य रासायनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं अथवा उत्पादन प्रक्रिया में अल्कोहल पूर्णरूप से नष्ट हो जाता है और अन्तिम उत्पाद के रूप में अल्कोहल से एसिटिक एसिड, ईथर, स्टाइरिन, ब्यूटाइल एसीटेट पाली इथलीन, इथलीन ग्लाइकाल, विनायल एसीटेट मोनीमर, इथाइलीन आक्साइड, डेरीवेटिव्स आदि का उत्पादन करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 16 अनुज्ञापन कार्यरत हैं, जिन्हें कुल 4059.99 लाख बल्क लीटर एस.डी.एस. का कोटा आवंटित है।

2. एफ.एल.-40 प्रकार के उद्योग

इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं, जिसमें अल्कोहल का प्रयोग विलायक के रूप में अथवा माल तैयार करने में प्रयोग किया जाता है और इस उत्पाद में अल्कोहल नहीं होता है जिसे सामान्यतया पुनः प्रयोग के लिये प्राप्त किया जाता है। इस श्रेणी में सेल्यूलोज और उसके डेरीवेटिव्स, पेक्टिन, लिवर एक्सट्रेक्ट आदि निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 11 उद्योग हैं, जिन्हें 39.55 लाख बल्क लीटर एस.डी.एस. का कोटा आवंटित है।

3.(क) एफ.एल.-41 प्रकार के उद्योग

इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं, जिसमें अल्कोहल का प्रयोग अन्तिम उत्पाद के एक घटक अथवा वेहिकिल के रूप में किया जाता है और अन्तिम उत्पाद में अल्कोहल उपस्थित रहता है। इस श्रेणी में अल्कोहल से पेन्ट, थिनर, लेकर्स, पालिश इत्यादि निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 15 उद्योग कार्यरत हैं, जिन्हें कुल 57.62 लाख बल्क लीटर एस.डी.एस. का कोटा आवंटित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में केवल सैनिटाइजर निर्माण हेतु 93 उद्योग कार्यरत हैं, जिन्हें कुल 283.13 लाख बल्क लीटर एस.डी.एम. का कोटा आवंटित है।

4. (ख) एफ.एल-41 (पेट्रोलियम इकाइयों हेतु)

भारत सरकार द्वारा इण्डियन पावर अल्कोहल ऐक्ट 1948 को रिपील कर दिये जाने के क्रम में शासन ने पेट्रोलियम इकाइयों को पी.ए.-5 के स्थान पर एफ.एल.-41 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लेते हुए अधिसूचना संख्या-3285/ दो-805ए/गैसोहाल/ मिसलेनियस, दिनांक 22.07.2003 जारी की गयी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में स्थित 32 पेट्रोलियम डीपुओं को एफ. एल.-41 अनुज्ञापन निर्गत किये गये जिन्हें उक्त अनुज्ञापन के अंतर्गत कुल 6585.26 लाख लीटर

पावर अल्कोहल का कोटा आवंटित किया जा चुका है। वर्तमान में पेट्रोल में 10.0 प्रतिशत इथनाल का मिश्रण किया जा रहा है ।

अल्कोहल, भांग व नारकोटिक पदार्थ युक्त औषधियों की निर्माणशालायें

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों के प्रयोजनार्थ अविकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग पदार्थो को कब्जा में रखने को विनियमित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों के प्रयोजनार्थ अविकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग पदार्थों को कब्जा में रखने हेतु लाइसेंस नियमावली, 2019 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत भांग तथा अल्कोहल का आवंटन एफ.एल.-49 अनुज्ञापन के अन्तर्गत औषधियों के निर्माण हेतु किया जाता है। उक्त के साथ ही एफ.एल.-49 अनुज्ञापन के अन्तर्गत स्वजनित अल्कोहल युक्त औधषियां भी उत्पादित की जाती हैं। इस प्रकार के कुल 62 अनुज्ञापन कार्यरत हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नारकोटिक औषधियों के उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि चतुर्थ संसोधन नियमावली 2020 प्रख्यापित हो गयी है, जिसके अन्तर्गत पोस्ततृण के संचय, परिवहन, आयात-निर्यात संबंधी प्रावधानों को निरसित कर दिया गया है।

प्राविधिक कार्य

प्राविधिक अधिकारी द्वारा प्रदेश के सभी बन्धित व अबन्धित औषधि निर्माणशालाओं, अल्कोहल पर आधारित उद्योगों एवं आसवनियों पर प्राविधिक नियंत्रण रखने, उनकी समस्याओं एवं परिवर्तन/परिवर्धन तथा क्षमता विस्तार एवं नई आसवनियों की स्थापना हेतु आवश्यक अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को यथावश्यक प्राविधिक परामर्श देने का कार्य किया जाता है।

वर्तमान में प्रदेश में 72 आसवनियां शीरे एवं 1 आसवनी गैर परम्परागत स्रोतों पर आधारित हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल 73 आसवनियां कार्यरत हैं। इनमें से 5 पेय, 38 औद्योगिक, 28 मिश्रित एवं 2 रासायनिक उद्योगों की सह-आसवनियां हैं। प्रदेश में 9 आसवनियां सरकारी /सहकारी क्षेत्र में तथा 64 आसवनियां निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में बियर उत्पादन हेतु 6 (छः) यवासवनियां हैं।

लघु यवासवनी

प्रदेश में बार अनुज्ञापन धारक इकाइयों को लघु यवासवनी का अनुज्ञापन प्रदान किये जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवाँ संशोधन) नियमावली 2019 के अन्तर्गत की गयी है। इसके अन्तर्गत ड्राट बियर की 600 लीटर प्रतिदिन तक की उत्पादन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रदेश में अद्यतन 3 लघु यवासवनी के अनुज्ञापन क्रमशः आगरा एवं गाजियाबाद में प्रदान की जा चुकी है। जनपद बरेली में एक लघु यवासवनी की स्थापना हेतु अनुज्ञापन निर्गत किया जा चुका है तथा लघु यवासवनी की स्थापना हेतु 2 अनुज्ञापन प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।

प्रवर्तन कार्य

आबकारी विभाग प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जक विभाग है, जो मादक पदार्थों के

वैध उपभोग एवं व्यापार से राजस्व अर्जन करते हुए अवैध उपभोग एवं अवैध व्यापार का शमन करता है। जहां एक तरफ अनुज्ञापित दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री होती है, वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों द्वारा भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की जाती है, जिससे राजस्व एवं जनस्वास्थ्य की हानि के अतिरिक्त समय-समय पर अवैध शराब पीने से विषाक्त काण्ड जैसी दुखद घटना घटित होने की सम्भावना रहती है। कतिपय अराजक तत्वों द्वारा जाने-अनजाने मिथाइल अल्कोहल विष का प्रयोग भी कर लिया जाता है जिससे जन हानि सम्भव है। अपराध शमन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद को आवश्यकतानुसार अपराध निरोधक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं। इनके पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल में उप आबकारी आयुक्त व जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त केवल अपराध निरोधक कार्य हेतु ही प्रत्येक मण्डल में आवश्यकतानुरूप सहायक आबकारी आयुक्तों के अधीन प्रवर्तन इकाईयों का भी गठन किया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश को पांच जोन में विभक्त कर इनमें नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा भी पर्यवेक्षण कार्य हेतु अपना योगदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन आबकारी अभिसूचना ब्यूरो स्थापित है। अभिसूचना ब्यूरो का नियंत्रण संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई.आई.बी. के अधीन है, जिनके सहायतार्थ पाँच उप आबकारी आयुक्त, एक सहायक आबकारी आयुक्त, छः आबकारी निरीक्षक एवं बारह आबकारी सिपाही रहते हैं। आबकारी अभिसूचना ब्यूरो (ई.आई.बी.) आबकारी अपराधों एवं तस्करों की स्वयं पकड़-धकड़ करने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र कर विभिन्न जनपदों एवं देश के विभिन्न राज्यों के बीच आबकारी अपराधों से सम्बंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है तथा भारत सरकार के नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के भी सम्पर्क में रहता है। साथ ही यह देशी शराब तथा विदेशी मदिरा की दुकानों के उपभोग तथा उससे प्राप्त होने वाले राजस्व पर सतत निगरानी रखता है। इसके अतिरिक्त ई.आई.बी. अनुभाग विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच कार्यवाही सम्पादित करता है तथा मण्डल स्तर पर स्थापित प्रवर्तन इकाईयों का पर्यवेक्षेण करता है। आबकारी राजस्व की सुरक्षा एवं विभाग की कार्य कुशलता बढ़ाने में भी आबकारी अभिसूचना ब्यूरो का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

विकृीत शराब से होने वाली मौतों की रोकथाम के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

मिथाइल अल्कोहल एक अत्यन्त विषैला रसायन है, जो प्रदेश में गाजियाबाद की दो एवं बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज तथा बुलन्दशहर जनपदों में स्थित एक-एक औद्योगिक इकाईयों से सह उत्पादन के रूप में निकलता है। मिथाइल अल्कोहल का रंग, गन्ध, बनावट आदि पेय मदिरा में प्रयुक्त होने वाले इथाइल अल्कोहल (रेक्टीफाइड स्प्रिट) से मिलता जुलता है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति में कभी-कभी इसका उपयोग अवैध स्थलों पर बिकने वाली अवैध मदिरा के रूप में भी किया जाता है।

गृह विभाग की अधिसूचना संख्या-3270/ 8-9-4(5)/ 89 दिनांक 31 जुलाई 1989 तथा उत्तर प्रदेश प्वाइजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली 1994 के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को विष की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। तद्नुसार विष

नियमावली, 1921 के अन्तर्गत बिना लाइसेन्स प्राप्त किये मिथाइल अल्कोहल का संचय, विक्रय, परिवहन आदि नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट, निरीक्षक से ऊपर के पुलिस अधिकारी, तहसीलदार या मुख्य चिकित्साधिकारी इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यवाही हेतु सक्षम हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों को उक्त नियमावली के अन्तर्गत अधिकार देने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य मे नियमावली को संशोधित कर आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक के स्तर तथा उससे ऊपर के अधिकारियों को भी नियमावली में उल्लिखित अन्य अधिकारियों के समान अधिकृत किया गया है।

मिथाइल अल्कोहल को रंजित किए जाने हेतु कर्मक के रूप में 0.0002% क्रिस्टल वायलेट तथा तीक्ष्ण गंधकारक पदार्थ के रूप में 0.2% क्रोटनैल्डिहाइड मिलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त क्लोरल हाइड्रेट नामक विषैले एवं नशीले पदार्थ का अपमिश्रण ताड़ी एवं मदिरा में करने के कारण तैयार जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु का प्रकरण भी प्रकाश में आया है। क्लोरल हाइड्रेट का परीक्षण फील्ड स्तर पर करने हेतु आबकारी विभाग के अधिकारियों/आबकारी निरीक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकारियों को क्लोरल हाइड्रेट परीक्षण हेतु किट भी उपलब्ध कराई गयी है जिससे उसका परीक्षण मौके पर शीघ्रता से किया जा सके।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में ई-गवर्नेन्स की प्रगति

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा विभाग की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को पी0ओ0एस0 मशीन, सहित ऑनलाइन किये जाने एवं एण्ड टू एण्ड सोल्यूशन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत इन्टीग्रेटड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई.ई.एस.सी.एम.एस.) हेतु सर्विस इन्टीग्रेटर (सेवा प्रदात) का चयन किया-गया है। उक्त प्रणाली के अन्तर्गत शीरा के उत्पादन/संचय/ वितरण से लेकर अल्कोहल का उत्पादन/संचय/ वितरण, बॉटलिंग एवं उपभोग के विभिन्न चरणों हेतु आवश्यक पी.ओ.एस. मशीन्स, हैण्ड हैल्ड स्कैनर्स, डिजीलॉक्स, जी.पी.एस. आदि विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर की आपूर्ति स्थापना एवं संचालन,/अनुसरण आदि का समावेश किया जायेगा। इससे विभाग की राजस्व संग्रहण संबंधी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सरल होगी, अवैध शराब/नकली शराब की कालाबाजारी और ओवररेटिंग रोकने में मदद मिलेगी तथा राजस्व की वृद्धि होगी। शराब की बोतल पर क्यूआर-कोड को पी0ओ0एस0 मशीन से स्कैन करते ही शराब की ब्रैण्ड, मात्रा, गुणवत्ता आदि जानकारियां स्क्रीन पर होंगी।

- जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं यथा- अल्कोहल/स्प्रिट, नारकोटिक्स ड्रग्स का आयात/निर्यात, सैक्रामेंटल वाईन को विभागीय पोर्टल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री डैशबोर्ड "दर्पण" से इंटीग्रेट कर ऑनलाइन कर दिया गया है।
- विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु मानव संपदा पोर्टल पर मॉक ट्रायल कर लिया गया है।
- वर्ष 2020-21 में ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबिल के अनुमोदन की प्रक्रिया को एक साथ ऑनलाइन कर दिया गया है।

- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत समस्त प्रकार के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों, मदिरा के ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबिल अनुमोदन तथा नवीनीकरण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कर दिया गया है एवं मदिरा के परिवहन पासों का सत्यापन भी ऑनलाइन कर दिया गया है।
- आबकारी राजस्व जमा करने की मैन्युअल चालान प्रक्रिया को समाप्त करते हुए राजकोष के माध्यम से सभी भुगतान ऑ नलाइन अनिवार्य कर दिया गया है।
- पेय मदिरा उत्पादन एवं आपूर्ति प्रक्रिया पर सतर्क दृष्टि रखे जाने तथा राजस्व क्षति को रोकने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली अपनायी गयी, जिसके द्वारा विभागीय पोर्टल पर उत्पादित पेय/मदिरा, पारेषित पेय मदिरा, आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता सन्निहित राजस्व आदि की समस्त सूचनायें पारदर्शी एवं सुदृढ़ रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं उक्त व्यवस्था में अन्य सुविधाएँ लगातार जोड़ी जा रही हैं।
- ई-लॉटरी पोर्टल के माध्यम से आबकारी की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का वर्ष 2020-21 हेतु ऑनलाइन नवीनीकरण कराया गया।
- ई-लॉटरी पोर्टल के माध्यम से आबकारी की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का ई-लॉटरी के द्वारा व्यवस्थापन कराया गया पहली बार ई-लॉटरी पोर्टल के माध्यम से फुटकर दुकानों के लाइसेंस ऑनलाइन प्रिन्ट करने की व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी तथा अनुज्ञापी के नाम, चौहद्दी आदि में हेतु ऑनलाइन व्यवस्था की गयी।
- बार का नवीनीकरण ऑनलाइन कराये जाने की व्यवस्था की गयी।
- थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों का ऑनलाइन नवीनीकरण कराया गया तथा नये थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों हेतु प्रक्रिया ऑनलाइन है।
- थोक अनुज्ञापनों एवं बॉण्ड अनुज्ञापनों की ऑनलाइन चौहद्दी परिवर्तन, विक्रेता के नाम में परिवर्तन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी तथा इसके साथ ही उक्त अनुज्ञापन हेतु उत्तराधिकारी से सम्बन्धित डाटा ऑनलाइन फीडकर संशोधित लाइसेंस प्रिण्ट करने की सुविधा ऑनलाइन की गयी।
- 08 नई सेवाओं (1. अन्य राज्यों से मदिरा का आयात, 2. अन्य देशों से मदिरा का आयात, 3. भारत निर्मित मदिरा का निर्यात, 4. ई.एन.ए. का आयात, 5. ई.एन.ए. का निर्यात, 6. ब्राण्ड लेबिल पंजीकरण, 7. फुटकर दुकानों के लाइसेंस, 8. ब्राण्ड लेबिल का नवीनीकरण) का निर्यात को निवेश मित्र पोर्टल पर इन्टीग्रेट कराया गया।

●

संस्थागत वित्त

दिसम्बर, 1968 में राष्ट्रपति शासन काल के दौरान तत्कालीन श्री राज्यपाल द्वारा यह महसूस किया गया कि व्यावसायिक बैंकों एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश में पर्याप्त विनियोजन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाये जो इन वित्तीय संस्थाओं एवं व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक विभागों/सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रीय संस्थाओं की परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि जुटाने हेतु समन्वय का कार्य कर सके। तद्नुसार प्रारम्भिक चरण में फरवरी, 1969 में वित्त विभाग में एक ''संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया तथा कार्य की बढ़ोत्तरी के साथ इसे वर्ष 1972 में पूर्णकालिक एवं स्वतंत्र विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जिसके अधीन यह निदेशालय कार्य कर रहा है।

राज्य के विभिन्न निर्बल वर्गों के कल्याणार्थ प्रतिपादित तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के राज्य स्तर पर सुचारु रूप से समन्वयन तथा उनकी प्रगति का समुचित अनुश्रवण कराये जाने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप जनवरी, 1990 में राज्य सरकार के शासनादेश के माध्यम से संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. का नाम बदल कर संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ.प्र. कर दिया गया। फील्ड स्तर पर इस निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः वाराणसी, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा एवं गोरखपुर में स्थापित हैं। पुनः वर्ष 2015 में वाह्य सहायतित परियोजना विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं से संबंधित कार्यों का समावेश करते हुए निदेशालय का नाम संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश कर दिया गया है।

प्रमुख उत्तरदायित्व एवं कार्य योजना

- वित्तीय समावेशन/बैंक शाखा प्रसार की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करना।
- केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं/व्यावसायिक बैंकों एवं प्रशासकीय विभागों तथा सार्वजनिक/सरकारी संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य करना। विभिन्न कल्याणकारी एवं रोजगारपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में वित्त पोषण से सम्बन्धित मामलों में कार्यदायी/प्रशासकीय विभागों को सहायता देना।
- कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सृजन के संसाधन जुटाये जाने के परिप्रेक्ष्य में बैंक क्रेडिट से सम्बन्धित योजनाओं को उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें राज्य पुरोनिधानित घोषित करना।

- सेवा क्षेत्र अवधारणा के अन्तर्गत जनपद के आर्थिक विकास के लिए अग्रणी बैंकों के माध्यम से वार्षिक ऋण योजनायें तैयार कराना एवं उसके अन्तर्गत वित्त पोषण का सतत् अनुश्रवण करना ताकि सुनियोजित ढंग से प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके एवं विभिन्न कार्यक्रमों एवं रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत बजटीय भार कम हो सके।
- अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत गठित विभिन्न जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों की बैठकों में प्रतिभाग करना।
- त्रैमासिक अन्तराल पर होने वाली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों का समन्वय करना तथा उनमें प्रतिभाग करना।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रदेशीय स्तर पर समन्वय करना तथा उनके द्वारा की गयी प्रगति का अनुश्रवण करना।
- बैंकों के ऋण जमानुपात का अनुश्रवण करना एवं बैंकों से सम्बन्धित प्राप्त लोक शिकायतों का निस्तारण कराना।
- वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष बैंक के बकायों की वसूली में सहायता प्रदान करना। दैवीय आपदाओं की दशा में बैंक ऋणों की रिशिड्यूलिंग कराने में बैंकों से समन्वय करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/भारत सरकार से संस्थागत वित्त संबंधी नीति विषयक मामलों को उठाया जाना एवं उनका समाधान खोजना।
- नाबार्ड की माइक्रोफायनेसिंग योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों/कृषक क्लब आदि के गठन में आवश्यक सहायता प्रदान करना ताकि प्रदेश में अधिकाधिक संस्थागत वित्त सुलभ हो सके।
- विभिन्न निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से लिए गये ऋण के अतिदेय को एकमुश्त समाधान के माध्यम से निस्तारित कराये जाने में समन्वय की भूमिका अदा करना।
- सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं का अनुश्रवण एवं अनुसरण कर उनमें गतिशीलता लाना एवं इन्हें और अधिक जनोन्मुखी, व्यापक, सरल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु समय-समय पर सम्बन्धित बीमा कम्पनियों/कार्यदायी विभागों को सुझाव देना।

विभाग द्वारा अनुश्रवण किये जाने वाले कार्यक्रम

1. प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

प्रत्येक नागरिक को सुगम बैकिंग सेवायं प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त विभाग के प्रभावी अनुश्रवण के फलस्वरूप मार्च, 2020 तक प्रदेश में कुल 18937 बैंक शाखाओं एवं 63179 बैंक मित्रों तथा इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लि. की 73 शाखाओं एवं 17664 एक्सेस प्वाइन्ट्स के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में जून, 2020 तक कुल कार्यरत बैंक शाखाओं का विवरण निम्नवत् है :

क्र.स.	बैंक का प्रकार	बैंक शाखाओं की संख्या
1	सार्वजनिक बैंक	10886
2	निजी बैंक	2014
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4287
4	सहकारी बैंक	1583
5	स्मॉल फाइनेन्स बैंक (उत्कर्ष)	167
	कुल	**18937**

2. वार्षिक ऋण योजना

प्रदेश के एक समान विकास की अवधारणा से विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं जैसे- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, गृह, ऊर्जा आदि क्षेत्रों के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रति वर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती हैं। संस्थागत वित्त विभाग के गहन अनुश्रवण/अनुसरण के फलस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत मार्च 2020 तक रु. 200855.60 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया, जो गत वर्ष 2018-19 की समान अवधि के अन्तर्गत वितरित ऋण रु. 174110.34 करोड़ से रु. 26745.26 करोड़ अधिक है।

3. ऋण जमानुपात

प्रदेश में समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के 31 मार्च, 2020 को कुल जमा धनराशि रु. 1119578.80 करोड़ के सापेक्ष रु. 571446.53 करोड़ के अग्रिम बकाया थे। इस प्रकार प्रदेश में समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) का 31 मार्च, 2020 के अन्त तक ऋणजमानुपात 51.04 प्रतिशत था।

4. प्रदेश में वित्तीय सेवाओं से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति

(क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना- प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मार्च, 2020 तक लगभग 6.13 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें सक्रिय 5.73 करोड़ खातों के सापेक्ष 4.86 करोड़ खातों को रूपे डेबिट कार्य जारी किये जा चुके हैं। इनमें से 4.70 करोड़ खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है। योजनान्तर्गत प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत बैंक खाता धारकों, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य है, को वार्षिक प्रीमियम रु. 12 में रु. 2.00 लाख के दुर्घटना बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा, जो विकलांगता की स्थिति में भी उपलब्ध होगा। योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2020 तक 2.54 करोड़ व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा चुका है। योजनान्तर्गत उ.प्र. का देश में प्रथम स्थान है।

(ग) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) के अंतर्गत बैंक के खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य है, को रु. 2.00 लाख का जीवन बीमा वार्षिक प्रीमियम रु. 330/- पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक 65.01 लाख व्यक्ति पंजीकृत किये जा चुके हैं। योजनान्तर्गत उ.प्र. का देश में द्वितीय स्थान है।

(घ) अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) वृद्धावस्था में आय का स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 40 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है, ताकि न्यूनतम 20 वर्ष तक अंशदान का भुगतान करने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् से उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। योजना के प्रारम्भ से 31 मार्च, 2020 तक 32.42 लाख व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में नामांकन करने में योजनान्तर्गत प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न बैंक वित्त पोषित शासकीय योजनाओं सहित प्राथमिकता क्षेत्र (कृषि, उद्योग, सेवा आदि) के वित्त पोषण हेतु प्रदेश में बैंकों द्वारा 246751.02 करोड़ का ऋण वितरण वार्षिक, ऋण योजना के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

विगत पांच वर्षों में संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को वर्षवार आवंटित बजट एवं उसके सापेक्ष हुए व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट की धनराशि	वास्तविक व्यय की धनराशि
2015-16	426842000.00	410926000.00
2016-17	9642720000.00	7173493000.00
2017-18	7018287000.00	6824158000.00
2018-19	7180933000.00	6823980000.00
2019-20	84591000.00	65858000.00
योग	**24353373000.00**	**21298415000.00**

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर प्रदेश के कर राजस्व का महत्त्वपूर्ण विभाग है। दिनांक 01.07.2017 से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समेकित कर के रूप में **माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)** लागू हुआ तदुपरान्त जी0एस0टी0 से आच्छादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर जी0एस0टी0 राजस्व जमा हो रहा है। जून, 2017 तक देय वैट, सी0एस0टी0 व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व जमा हुआ है। पेट्रोल, डीजल, क्रूड आयल, वायुयान ईंधन, नेचुरल गैस, मानवीय उपयोग हेतु शराब जी0एस0टी0 से आच्छादित नहीं है, इसलिए उक्त वस्तुएं नॉन जी0एस0टी0 के अन्तर्गत हैं और इन पर पूर्व की भाँति वैट राजस्व जमा हो रहा है।

वाणिज्य कर विभाग की मुख्य योजनाऐं

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना

- इस योजना के अन्तर्गत विभाग में पंजीकृत व्यापारी की हत्या अथवा दुर्घटना के फलस्वरुप मृत्यु अथवा आंशिक व पूर्ण विकलांग हो जाने की स्थिति में व्यापारी के नामिनी / उत्तराधिकारी / स्वयं व्यापारी को रु 1 लाख का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके लिए कोई बीमा राशि नहीं ली जाती है।
- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में कुल 154 व्यापारी परिवार लाभान्वित हुए है तथा वर्ष 2021-22 में 28 दिसम्बर 2021 तक 146 व्यापारी परिवार लाभान्वित हो चुके हैं।

व्यापारी कल्याण बोर्ड

- विभाग एवं व्यापारियों के मध्य सामन्जस्य बनाये जाने तथा व्यापारियों की समस्याओं व कठिनाइयों को यथाशीघ्र शासन तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 28.12.2018 से व्यापारी कल्याण बोर्ड प्रभावी है। इनके द्वारा व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को शासन स्तर पर प्रस्तुत किया गया है और आवश्यक समाधान किये गये हैं। व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा जी0एस0टी0 पंजीयन के प्रति व्यापारियों को जागरुक करने तथा पंजीयन लिये जाने हेतु विभाग द्वारा लगाये गये विभिन्न कैम्प /सेमिनार में जाकर प्रेरित किया गया है, जिससे पंजीयन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में 85 हजार से अधिक नये पंजीयन हुए हैं।

ब्याज माफी बकाया वसूली योजना

- ब्याज /अर्थ दण्ड माफी याजना 2021 दिनांक 03.03.2021 से दिनांक 02.09.2021 की अवधि तक प्रभावी रही, जिसमें रु0 14200 व्यापारी लाभावित्त हुए तथा रु0 120.20 करोड़ की बकाया धनराशि जमा हुई।

पेट्रोल व डीजल पर वैट राजस्व की कमी

- अन्तराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरुप पेट्रोल व डीजल के मूल्य अधिक हो जाने पर दिनांक 04.11.2021 को भारत सरकार द्वारा डीजल पर कर की राशि में रु0 10.00 प्रति लीटर तथा पेट्रोल पर रु0 05.00 प्रति लीटर की कमी की गई। प्रदेश सरकार द्वारा इस लाभ को रु0 12.00 प्रति लीटर तक करने हेतु दिनांक 05.11.2021 को प्रदेश को प्राप्त होने वाली वैट कर की राशि में डीजल पर रु0 2.00 प्रति लीटर तथा पेट्रोल पर रु0 7.00 प्रति लीटर की अतिरिक्त कमी की गई। इस प्रकार प्रदेश के उपभोक्ताओं को पेट्रोल व डीजल दोनों के बिक्री मूल्य में रु0 12.00 प्रति लीटर की राहत प्रदान की गई।

कोविड-19 में व्यापारियों को उपलब्ध सुविधाएं

- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 02.05.2021 को कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के समय प्रदेश के व्यापारियों एवं उद्यमियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया गया। ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेश और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किये गये हैं, जिसका लाभ व्यापारियों एवं नागरिकों को मिला है। ऑक्सीजन उत्पादन एवं ऑक्सीजन कंसेटेटर के क्षेत्र में व्यापारियों के नये प्रयोगों एवं नवाचारों पर कार्य करने में सरकार के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया।
- कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर में मार्च, अप्रैल व मई 2021 के देय कर के साथ जमा किये जाने वाले रिटर्न दाखिल करने हेतु रु0 5.00 करोड़ से अधिक टर्नओवर के डीलर को 15 दिन की एवं इससे कम टर्नओवर के डीलर को 30 दिन का विलम्ब शुल्क माफ किया गया तथा देय कर की अदायगी हेतु अंतिम तिथि से 15 दिन तक बड़े डीलर के लिए ब्याज की दर आधी तथा छोटे डीलर के लिए ब्याज की दर शून्य की गयी एवं अगले 15 दिन के लिए ब्याज की दर आधी की गयी।
- कोविड के उपचार से संबंधित दवाओं, चिकित्सीय उपकरण में दिनांक 31.12.2021 तक कर की दरों में व्यापक कमी की गयी है।

पंजीयन जागरुकता अभियान

- दिनांक 08.11.2021 से विभाग द्वारा पंजीयन जागरुकता अभियान चलाया गया है, इसमें दिनांक 28.12.2021 तक 6804 कैम्प, 7119 गोष्ठी, 547 मेगा सेमिनार किये गये हैं तथा प्रदेश के विभिन्न नगर व नगरीय कस्बों में 4500 से अधिक होर्डिंग लगाये गये हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन किया जा रहा है। सभी स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में पम्पलेट व लीफलेट वितरित किये जा रहे हैं।
- अभियान का प्रचार-प्रसार बैनर, इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड, इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया, सिनेमाघर-मल्टीप्लैक्स के माध्यम से नियमित किये जा रहे हैं।
- अभ्यिान की अवधि में अद्यतन 40 हजार से अधिक नये पंजीयन हुए हैं।

- दिनांक 26.12.2021 को उत्तर प्रदेश में जी0एस0टी0 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 16.96 लाख हो गई है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है।

अन्य सुविधायें

- रिटर्न दाखिला हेतु पंजीकृत व्यापारियों को एलर्ट हेतु 03 बार एस0एम0एस0 की व्यवस्था प्रभावी।
- रु 50 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर के टैक्सपेयर्स के लिए ई-इनवाइस की व्यवस्था दिनांक 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी।
- जी0एस0टी0 के अन्तर्गत व्यापारियों से संबंधित समस्त कार्य यथा रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेण्ट, रिफण्ड व अमेण्डमेण्ट आदि ऑनलाइन जी0एस0टी0 पोर्टल पर समयबद्ध किये जा रहे हैं जिससे व्यापारियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

वाणिज्य कर राजस्व संग्रह

- वाणिज्य कर विभाग प्रदेश के कर राजस्व संग्रह का मुख्य विभाग है। विभाग में जी0एस0टी0 अधिनियम एवं वैट अधिनियम के अन्तर्गत देय राजस्व को प्राप्त किया जाता है।
- वर्ष 2021-22 में वाणिज्य कर विभाग का लक्ष्य रु. 1.04 लाख करोड़ है। माह नवम्बर 2021 तक के लक्ष्य रु. 65632.70 करोड़ के सापेक्ष रु. 64272.06 करोड़ का संग्रह हुआ है जो 97.9 प्रतिशत है। संगत अवधि में गत वर्ष से रु. 20293 करोड़ व 46 प्रतिशत अधिक हैं।

●

स्टाम्प एवं निबंधन

भूमिका

उत्तर प्रदेश सरकार हेतु राजस्व संग्रह करने वाले प्रमुख विभागों, वाणिज्यि कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, आबकारी, मनोरंजन कर, परिवहन कर आदि में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अठारहवीं सदी में लेख पत्रों के निबन्धन का कार्य शहर के काजी के द्वारा किया जाता था। वर्ष 1773 से सर्वप्रथम निबन्धन प्रणाली आरम्भ की गई। वर्ष 1864 में निबन्ध अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कुछ लेखापत्रों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किये जाने की व्यवस्था की गई। समय-समय पर इस प्रणाली में परिवर्तन होता रहा है। मुख्य रूप से वर्ष 1908 में निबन्धन अधिनियम को संहिताबद्ध किया गया जो आज तक प्रभावी है। स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग जनता से सीधे सम्पर्क में आने वाला तथा उन्हें सेवायें प्रदान करने वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। प्रत्येक वर्ष इस विभाग द्वारा लगभग तीस लाख से अधिक लेखापत्रों का पंजीयन होता है, जिसमें लगभग दो करोड़ लोग विभाग के सम्पर्क में आते है। पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यवहारों में निष्पादित बैनामा, गोदनामा, इकरारनामा, वसीयत आदि विभिन्न प्रकार के लेखापत्रो, जिसमें विवाहों के घोषणा पत्र भी सम्मिलित है का पंजीकरण एवं इन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य निबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही इन लेखापत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। निबन्धन विभाग राज्य सरकार के लिए राजस्व अर्जन की दृष्टि से वाणिज्य कर एवं आबकारी विभाग के पश्चात् तीसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है।

निबन्धन विभाग के उद्देश्य

लेखपत्रों के निबन्धन की एक ऐसी व्यवस्था सृजित करना, जिसमें किसी विशेष सम्पत्ति के अन्तरण विषय, पक्षकरों के बीच अधिकारों/दायित्वों की संविदा को सामान्य जनता को सुलभ एवं सार्वजनिक कराना अनन्तकाल तक इनके रिकार्डो को जन समान्य हेतु सुरक्षित रखना तथा इसके

माध्यम से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक विद्वेष को समाप्त करना क्योंकि जहाँ भी सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होते हैं, वहां सम्बन्धित सम्पत्ति के बैनामा, वसीयत आदि के द्वारा विवादों का तुरन्त समाधान किया जाता है। बैनामा वसीयत आदि के माध्यम से ही पक्षकारों के मध्य निष्पादित लेखपत्रों को वैधानिक महत्व प्रदान किया जाना तथा धोखाधड़ी की कार्यवाही को रोकना तथा साथ लेखपत्रो को निबन्धन के पश्चात् न्यायालयों में वैधानिक साक्ष्य हेतु ग्राहय भी बनाना संभव है। स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग इस व्यवस्था को उत्तरोत्तर पारदर्शी, त्वरित, आधुनिक, सरल एवं भ्रष्ट्राचार मुक्त बनाने हेतु कटिबद्ध है। ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन इस दिशा में विभाग का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अन्तर्गत न सिर्फ लेखपत्रों का ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन होगा बल्कि आम जनता घर बैठे निबन्धित विलेखों के सम्बन्ध में सूचना, नकलों तथा भारमुक्त प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर सकेंगे।

विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाये

1. प्रदेश के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के लेखपत्रों का ऑनलाइन निबन्धन।
2. ऑनलाइन ई-भुगतान एवं Appointment/SMS की सुविधा
3. संव्यवहार से सम्बन्धित विलेखों का ऑनलाइन निरीक्षण/मुआयना
4. डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण-पत्र
5. विलेखों की सत्यापित प्रति
6. सभी धर्मों के विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण
7. निबन्धन कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का चिर काल तक अक्षुण्ण एवं निरापद रखना।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की प्रमुख कार्य योजनायें

विभाग द्वारा अपने अधिष्ठान व्यय के अलावा मुख्य रूप से न्यायिक और न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई सम्बन्धी लागत एवं उनकी बिक्री तथा निवेश प्रमाण पत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण, वाटर मार्क पेपर की बिक्री आदि पर व्यय का वहन भी किया जाता है। निवेश प्रमाण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को संक्रमण पर होने वाले व्यय को सीधे शासन स्तर से ही न्याय विभाग को संक्रमित कर दिया जाता है।

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के आय-व्ययक अनुमान को मुख्यतः तीन उप शीर्षकों में विभाजित किया गया है।

1. स्टाम्प न्यायिक

इसके अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक से विभिन्न कोषागारों में कार्यरत प्रेस मैन तथा शासन में कार्यरत ओ0एस0डी0 कार्यालयों का अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टाम्पों की लागत शीर्षक से न्यायिक स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई पर होने वाला व्यय किया जाता है तथा स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय शीर्षक से न्यायिक स्टाम्पों की स्टाम्प वेण्डरों के माध्यम से होने वाली बिक्री पर स्टाम्प वेन्डरों को देय 1 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है। साथ ही साथ स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 के माध्यम से होने वाले ई-स्टाम्पों की बिक्री पर संस्था को देय 0.5 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है।

जनपद में उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली-1942 के अधीन नियुक्त अनुज्ञप्ति धारक स्टाम्प विक्रेताओं को उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली-2013 के नियम-13 के अन्तर्गत प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (ए0सी0सी0) बनाऐ जाने हेतु अधिकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत 6452 स्टाम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (ए0सी0सी0) बनाया जा चुका है।

2. स्टाम्प न्याययिकेत्तर

इसके अतिरिक्त निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक से मुख्यालय पर कार्यरत स्टाम्प अनुभाग के कार्मिकों का अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टाम्पों की लागत शीर्षक से न्यायिकेत्ततर स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई पर होने वाला व्यय किया जाता है तथा स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय शीर्षक से न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की स्टाम्प वेन्डरों के माध्यम से होने वाली बिक्री पर स्टाम्प वेण्डरों को देय 1 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है साथ ही स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 के माध्यम से होने वाले ई-स्टाम्पों की बिक्री पर संस्था को देय 0.5 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है। निवेश प्रमाणपत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को संक्रमण पर होने वाले व्यय भी इसी मद के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

3. पंजीकरण शुल्क

उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 संख्या-01/2020/127/94-

स्टा0नि0-2-2020-700(74)/201 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा विलेखों के पंजीयन शुल्क में संशोधन करते हुए पूर्व में लागू निबन्धन शुल्क की दर 2 प्रतिशत (अधिकतम रू0 20,000/-) के स्थान पर सामान्य रूप से 01 प्रतिशत निबन्धन शुल्क वसूलने की व्यवस्था की गई है।

4. पंजीकरण

इसके अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक को दो योजनाओं क्रमशः मुख्यालय तथा जिला व्यय में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यालय योजना से स्टाम्प एवं पंजीयन मुख्यालय/शिविर कार्यालय तथा मंडलों एवं जनपदों के उपमहानिरीक्षक निबन्धन/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालयों के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किये जाते है। इसी प्रकार जिला व्यय योजना से उपनिबन्धक कार्यालयों के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किये जाते है।

5. भारत सरकार के उद्योग संवर्धन विभाग के **Ease of Doing Business** के अन्तर्गत बिजनेस रेफोर्म एक्शन प्लान

1. प्रथम चरण में तीन चनपदों (श्रावस्ती, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर) के 20 वर्षों के लेखपत्रों का स्कैनिंग, इंडेक्सिंग एवं डिजिटलीकरण के अन्तर्गत 14 उप निबन्धक कार्यालयों के 9.13 लाख लेखपत्रों का इंडेक्स एवं 1.80 करोड़ पृष्ठों का स्कैनिंग पूर्ण किया गया।
2. NeSL के प्लेटफार्म से डिजिटल ई-स्टाम्प सुविधा का प्रारम्भ किया गया।
3. भारतीय स्टेट बैंक के MoU के पश्चात् निबन्धन शुल्क का ई-भुगतान सुविधा का प्रारम्भ किया गया।
4. डिजिटल इंडिया भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के अन्तर्गत प्रेरणा सॉफ्टवेयर को लेख पत्र पंजीकरण हेतु एस0एम0एस0 आधरित Appointment सुविधा एवं ऑनलाइन नामांतरण हेतु राजस्व परिषद की वेबसाइट "भूलेख" एवं "राजस्व न्यायालय" से लिंक किया गया।

वित्तीय वर्ष **2020-21** की उपलब्धियाँ

राजस्व प्राप्तियां

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग के लिए सकल राजस्व प्राप्तियों हेतु रू0 23197.00 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य के सापेक्ष 16532.56 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई।

जनोपयोगी कार्य

- सम्पत्ति पंजीकरण की व्यवस्था जनसामान्य को अपने लेखपत्र का ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से सृजन कर सकता है तथा सृजित दस्तावेज के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकता है, जिससे वह किसी मध्यवर्ती के बिना भी अपने लेखपत्र का पंजीकरण करा सकता है।
- विभाग के द्वारा ई-विवाह पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है तथा जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण हेतु सम्बन्धित के विकल्प के अनुसार उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकरण सुविधा प्रदान की गई है।
- सम्पत्ति विवरण सत्यापन विभागीय पोर्टल पर वर्तमान में यह व्यवस्था दी गई है कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को खरीदने से पूर्व सम्पत्ति खोज विकल्प का प्रयोग कर सम्पत्ति का सत्यापन कर सकता है। उक्त से सम्पत्ति पंजीकरण में होने वाली धोखाधड़ी से बचाने में मदद की जा रही है।
- दाखिल खारिज आमजन को दस्तावेजों के निबन्धन के उपरान्त दाखिल खारिज संबंधी कार्यवाही हेतु सुगमता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत राजस्व परिषद् के पोर्टल का विभागीय पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। इस व्यवस्था से दो विभागों के मध्य समन्वय सुगम हुआ है एवं दाखिल खारिज की प्रक्रिया साधारण हो जाने से आम जनता को इसका लाभ दिया जा रहा है।
- विभाग के उप निबन्धक कार्यालयों में निबन्धित लेखपत्रों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा रहा है जिससे वर्तमान एवं भविष्य में जनसामन्य को आवश्यकता पड़ने पर इन्टरनेट आधारित सेवाओं द्वारा अभिलेख सुलभ कराये जा सके।
- भारत सरकार Ease of Doing Business को कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय पोर्टल को उद्योग बन्धु को सिंगल विण्डों, निवेश मित्र, ई-डिस्ट्रिक्ट, सी0एम0 डैश बोर्ड एवं राजस्व परिषद् की वेबसाइट से एकीकृत किया गया है। इस व्यवस्था से प्रदेश में उद्यमियों को सुविधा हुई है एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश की छवि में सुधार हुआ है।
- Ease of Doing Business के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

- उद्योग स्थापना हेतु त्वरित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में एकल विण्डों पोर्टल "निवेश मित्र" एकीकृत किया गया।
- दिव्यांगजन हेतु ग्राउण्ड फ्लोर पर रजिस्ट्री की सुविधा हेतु समस्त उप निबन्धकों को लैपटाप उपलब्ध कराये गये है एवं इस आशय के निर्देश भी दिये गये है कि दिव्यांगजनों को रजिस्ट्री की व्यवस्था ग्राउण्ड फ्लोर पर ही उपलब्ध करायी जाय।
- शासनादेश संख्या-5/2018 द्वारा उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सेल्स,टैक्सटाइल एण्ड गारमेटिंग नीति 2017 के प्रस्तर-3.1.1 में उपबन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्टाम्प शुल्क में प्रयोजन के अनुसार 50 से 100 प्रतिशत तक स्टाम्प छूट प्रदत्त की गयी।
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रोद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017 के सम्बन्ध में विभिन्न प्रयोजनों हेतु 50 से 100 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया।
- उत्तर प्रदेश सौर उर्जा नीति-2017 के स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्रयोजनार्थ विद्युत उतपादन हेतु सौर उर्जा इकाई स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत तक छूट प्राविधानित की गयी।
- जैव उर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत इकाई की संस्थापना हेतु भूमि क्रय के लिए 100 प्रतिशत स्टाम्प छूट प्रदान की गयी।

कम्प्यूटरीकरण

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में,जन सामान्य को आधुनिकतम् तकनीकी तथा सरलीकरण प्रक्रिया द्वारा विश्वस्तरीय कम्प्यूटर आधारित सेवायें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग का यह प्रयास है कि जनता को अपने विलेखों के पंजीयन कराने में अधिक समय न लगे। विभाग के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में कम्प्यूटराइजेशपन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, तथा सम्पूर्ण प्रदेश में लेखपत्रों के निबन्धन का कार्य पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से हो रहा है। विभाग के द्वारा अपनी वेब साइट http://igrsup.gov.in का निर्माण कर दिया गया है जिसमें एम0आई0सी0 (मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम) के द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं जन समान्य के लिए विभागीय सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित योजनायें

राजस्व प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्टाम्प पंजीकरण के लिए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रू0 25500.00 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके लिए विभाग द्वारा प्रभावी कार्य योजना निर्मित की गई है। अवशेष वसूली स्टाम्पवादों का त्वरित निस्तारण, करापवंचन की रोकथाम करते हुए उक्त निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

पंजीकृत विलेखों की स्कैनिंग तथा डिजिटाइजेशन

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में डाक्यूमेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए विलेखों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने हेतु स्कैनिंग कराये जाने की आवश्यकता है। विभाग के उपनिबन्धक कार्यलयों में निबन्धित लेखपत्रों को डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है, जिसे भविष्य में जनसामान्य को इन्टरनेट आधारित सेवाओं द्वारा अभिलेख सुलभ कराये जा सके। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखपत्रों के स्कैनिंग एवं इनडैक्सिंग कार्य हेतु धनराशि रू0 40.00 करोड़ का आय व्ययक अनुमान में प्रावधान कराया गया है।

कार्यालय भवन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में अनावासीय कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में धनराशि रु. 1.00 करोड़ आय-व्ययक अनुमान में प्रावधान कराया गया है।

●

कृषि

- उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है तथा लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक (कुल उत्पादन का 21 प्रतिशत) राज्य है एवं गेहूँ, गन्ना, आम, तरबूज, दुग्ध उत्पादन एवं आलू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। लगभग 166.00 लाख हेक्टेयर (कुल भूमि का 69 प्रतिशत) क्षेत्र में खेती की जाती है। कषि की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में कृषकों की मेहनत एवं प्रयास का ही परिणाम है कि कृषि ने प्रदेश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाते हुये "आवश्यकता से आधिक्य" की ओर पहुँचाया है एवं विगत दो वर्षों से खाद्यान्न उत्पादन 600 लाख मै0टन से अधिक प्राप्त हो रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 में रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त हुआ है तथा वर्ष 2020-21 में भी अभी तक के प्राप्त उत्पादन अनुमानों से यह सुनिश्चित है कि इस वर्ष 623.84 लाख मै0टन रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन प्रदेश को प्राप्त होगा। प्रदेश में कृषि के सर्वांगीण विकास एवं प्रगति के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक तिलहन उत्पादन में कृषि कर्मण पुरस्कार रु0 दो करोड़ एवं देश के कुल उत्पादन में अधिकतम योगदान हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार रु0 एक करोड की धनराशि मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा गत वर्ष प्रदान की गयी है।
- वर्ष 2020-21 में 640.32 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष कृषि सांख्यिकी द्वारा किए गये अनुमानों के अनुसार 623.84 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है, जिसके सापेक्ष खरीफ में 214.75 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त हुआ है एवं रबी में 403.82 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है जो कि प्रदेश का अब तक के सर्वाधिक उत्पादन का रिकार्ड होगा। इसी प्रकार तिलहनी फसलों में 12.00 लाख मै0टन के सापेक्ष 13.92 लाख मै0टन (शुद्ध) उत्पादन की सम्भावना है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि विभाग हेतु 5.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को बनाये रखते हुये कुल खाद्यान्न 643.82 लाख मै0टन का उत्पादन स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें खरीफ में 221.61 लाख मै0टन एवं रबी में 418.53 लाख मै0टन सम्मिलित है। इसी प्रकार तिलहनी फसलों में 13.37 लाख मै0टन (शुद्ध) का उत्पादन स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- वर्ष 2020-21 में कुल 57.73 लाख कु0 बीज वितरण लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक 59.09 लाख कुं0 बीज वितरण किया गया है, जिसमें खरीफ में 8.36 लाख कुं0 एवं रबी में 50.73 लाख कुं0 बीज वितरण किया गया। आगामी वर्ष 2021-22 में 59.27 लाख कुं0 बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2020-21 में कुल 108.5 लाख मै0टन उर्वरकों के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक 84.10 लाख मै0टन उर्वरकों का वितरण कराया गया, जिसमें खरीफ में 49.89 लाख मै0टन तथा रबी में 34.21 लाख मै0टन उर्वरकों का वितरण किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए 113.00 लाख मै0टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वाँछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए नत्रजन के साथ-साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया गया इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है।
- वर्ष 2020-21 में 19240 मै0टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायन वितरण लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक 13572.21 मै0टन/कि0ली0 का वितरण किया गया। वर्ष 2021-22 में 19540 मै0टन कि0ली0 कृषि रक्षा रसायन वितरण का लक्ष्य है।
- वर्ष 2020-21 में कुल रु0 139555.05 करोड़ फसली ऋण वितरण लक्ष्य के सापेक्ष खरीफ में रु0 40810.70 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया एवं रबी में माह दिसम्बर 2020 तक 33760.03 करोड़, कुल रु0 74570.73 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया। वर्ष 2021-22 में कुल रु0 143606.38 करोड़ का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- वर्ष 2020-21 में 59.8 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक 40.90 लाख किसान क्रेडिट कार्ड कृषकों को वितरित किये गये। वर्ष 2021-22 में कुल 65.22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण एवं नवीनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- उपज पालन एवं भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम/उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसकी माह दिसम्बर, 2020 तक की मुख्य उपलब्धियाँ एवं महत्वपूर्ण निर्णय निम्नवत हैंः-
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी०एम०-किसान) योजना :** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत अब तक 240 लाख किसानों को रु0 27 हजार 134 करोड से अधिक की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है।
- **प्रधानमंत्री किसान मान-धन (पी०एम०-के०एम०वाई०) योजना :** वर्ष 2019-20 में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था में उनकी आजविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वैच्छिक रूप से पुरुष व महिला दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रु0 3000/- प्रतिमाह की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है और इसमें सम्मिलित होने

की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। माह दिसम्बर, 2020 तक 250872 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें पुरुष 74.10 प्रतिशत एवं महिला 25.90 प्रतिशत है। इस योजना में 18-25 आयु वर्ग के 23.60 प्रतिशत, 26-35 आयु वर्ग के 50.00 प्रतिशत तथा 36-40 आयु वर्ग के 26.40 प्रतिशत लाभार्थी हैं। वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों की संख्या 221.08 लाख (92.80 प्रतिशत) है।

- वर्ष **2022** तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना किया जाना : वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने रोडमैप तैयार किया गया तथा आठ सूत्रीय रणनीति तैयार की गयी। सी0सी0आई0 एवं मण्डी परिषद, उ0प्र0 के संयुक्त तत्वावधान में फार्मर्स-एग्रो इण्डस्ट्रियल मीट "फार्मर्स फर्स्ट" का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसमें कृषि उद्यमी, अधिकारीगण तथा कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस बैठक की संस्तुति/निर्णयों के आधार पर मण्डी-रिफार्म्स, कृषक आय वृद्धि हेतु दिये गये सुझावों पर कार्यवाही की जा रही है।

कृषकों की आय दोगुना करने के क्रम में विभाग द्वारा कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु रबी 2017-18 में एक अनूठी किसान पाठशाला (द मिलियन फार्मर्स स्कूल) का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया जिसमें 10.02 लाख से अधिक कृषकों को 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को दो सत्रों में कृषि, उद्यान, गन्ना, रेशम, विपणन, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करायी गयी। किसान पाठशाला के आयोजन में 11 मा0 सासंद, 78 मा0 विधायकगण तथा 30 मा0 ब्लाक प्रमुख एवं 752 ग्राम प्रधान, इस प्रकार कुल 1475 जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त कार्यक्रम की सफलता के दृष्टिगत वर्ष 2018-19 में किसान पाठशालाओं के 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में दो सत्रों में आयोजन कराया गया जिसमें खरीफ 2018 में 10.26 लाख तथा रबी 2018-19 में 10.65 लाख कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में किसान पाठशालाओ का दो सत्रों में 04 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन कराया गया, जिसमे खरीफ 2019 में 11.38 लाख तथा रबी 2019-20 में 11.34 लाख कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 76 हजार गाँवों में 5 सत्रों में कुल 53.65 लाख कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कृषकों की आय दोगुना करने हेतु कृषि एवं मनरेगा कनर्वेजन्स के अंतर्गत प्रदेश के 04 सम्भागों में राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय वर्ष 2022 तक दो गुनी करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ-2018 का आयोजन दिनांक 26-28 अक्टूबर तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, कृषि एवं सम्बन्धित विभागों की तकनीकी प्रदर्शनी, सजीव प्रदर्शन तथा फसल अवशेष एवं 14 विभिन्न तकनीकी आयामों पर आधारित सेमिनार आयोजित किये गये। इस कुंभ में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग एक लाख कृषकों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के अधिकारियों,

विदेशी राजनयिकों, विधायकों, सांसदों सहित भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण द्वारा सहभागिता की गयीं इस अवसर पर जापान और इजराइल ने सहयोगी देश के रूप में प्रतिभाग किया। इजराइल के राजदूत द्वारा प्रदेश में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स की स्थापना तथा जापान के उप सहायक मंत्री (कृषि वन एवं मत्स्य मंत्रालय) द्वारा कृषि क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना में सहयोग के सम्बन्ध में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया।

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों को समय से उपलब्ध कराना:** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के खरीफ 2017 में 25.81 लाख बीमित कृषकों द्वारा 23.83 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से योजना के प्रावधानों के अनुरूप 4.01 लाख कृषकों को रु0 244.86 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2017-18 में योजनान्तर्गत 28.39 लाख बीमित कृषकों द्वारा 23.24 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से 1.88 लाख कृषकों को रु0 129.12 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2018-19 के खरीफ 2018 में योजनान्तर्गत 31.69 लाख बीमित कृषकों द्वारा 27.41 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से योजना के प्रावधानों के अनुरूप 5.69 लाख कृषकों को रु0 434.27 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2018-19 में योजनान्तर्गत 29.66 लाख बीमित कृषकों द्वारा 24.26 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से 0.39 लाख कृषकों को रु0 18.39 करोड की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2019-20 के खरीफ 2019 में योजनान्तर्गत 23.89 लाख बीमित कृषकों द्वारा 18.90 लाख हे0 क्षेत्र में बीमा कराया गया जिसमें 5.79 लाख कृषकों को रु0 780.77 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2019-20 में 23.32 लाख बीमित कृषकों द्वारा 18.09 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया कराया गया जिसमें 3.07 लाख कृषकों को रु0 255.05 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 के खरीफ 2020 में योजनान्तर्गत 22.35 लाख बीमित कृषकों द्वारा 17.02 लाख हे0 क्षेत्र में बीमा कराया। रबी 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 13.85 लाख बीमित कृषकों द्वारा 10.03 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया कराया जा चुका है। इस प्रकर अद्यतन तक कल 198.96 लाख बीमित कृषकों द्वारा 162.45 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें 21.16 लाख कृषकों को रु0 1862.46 करोड़ क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।
- **तीन साल में सभी किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जाना:** प्रथम चक्र (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17) के 169.91 लाख स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 170.15 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करके प्रथम चरण के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त किया जा चुका है। द्वितीय चक्र (वर्ष 2017-18 एवं 2018-19) में 2.33 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 203.54 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण कराया गया। इस प्रकार अद्यतन तक दोनों चक्रों में कुल 373.69 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण

किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक जनपद के प्रत्यक विकास खण्ड के चयनित मॉडल ग्राम में जोत के आधार पर मृदा नमूना एकत्र कर विश्लेषणोपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम संचालित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 821 मॉडल ग्रामों में 2.55 लाख जोत आधारित मृदा नमूनें एकत्र कर शत प्रतिशत मृदा नमूनों का विश्लेषण कराकर 2.55 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के चयनित 16584 ग्रामों में 16584 प्रदर्शन एवं 16584 कृषक प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। माह दिसम्बर 2020 तक 13406 ग्रामो में 13406 प्रदर्शन एवं 885 ग्रामों मे 885 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं।
- किसानों को स्प्रिंकलर सिंचाई का लाभ सुनिश्चित किया जाना : वर्ष 2017-18 में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजनान्तर्गत 1904 स्प्रिंकलर सेट, बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत 8380 स्प्रिंकलर सेट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत 115 स्प्रिंकलर सेट एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 28235 (ड्रिप 1854 तथा स्प्रिंकलर 26380) सहित कुल 38634 सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना/वितरण किया गया। वर्ष 2018-19 में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजनान्तर्गत 3934 स्प्रिंकलर सेट, बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत 13463 (कृषि 1891 एवं उद्यान 11572 (ड्रिप 158 तथा स्प्रिंकलर 11414)) ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत 84 स्प्रिंकलर सेट एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 55074 (ड्रिप 3620 तथा स्प्रिंकलर 51454) सहित कुल 72555 सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना/ वितरण किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत् का अनुदान अनुमन्य किया गया है, इस प्रकार स्प्रिंक्लर सिंचाई प्रणाली पर क्रमशः रु0 63000 एवं रु0 56000 का अनुदान उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2019-20 में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजनान्तर्गत 4083 स्प्रिंकलर सेट, बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत 18431 ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट (कृषि 772 एवं उद्यान 17659 (ड्रिप 1022 तथा स्प्रिंकलर 16637) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 235 स्प्रिंकलर सेट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड) में 86 स्प्रिंकलर सेट एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 56953 (ड्रिप 6859 तथा स्प्रिंकलर 50094) सहित कुल 79788 सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना/वितरण कराया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर 2020 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 23 स्प्रिंकलर सेट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड) में 40 स्प्रिंकलर सेट एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई

योजना के अन्तर्गत 9504 (ड्रिप 1542 तथा स्पिंगलर 7962) सहित कुल 9323 सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना/वितरण कराया जा चुका है। इस प्रकार अद्यतन तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल 200544 सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का स्थापना/वितरण कराया गया।

- **प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठनः** जैविक प्रमाणीकरण संस्था का राज्य स्तर पर गठन हो चुका है तथा संस्था प्रदेश में कार्यशील है। प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा वर्ष 2017-18 में कृषक, कृषक समूह का प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 16242 हे0 क्षेत्रफल में पंजीयन का कार्य पूर्ण किया गया। वर्ष 2018-19 में 388 हे0 क्षेत्रफल में पंजीयन का कार्य पूर्ण किया गया। वर्ष 2019-20 में 9754.65 हे0 क्षेत्रफल में पंजीयन का कार्य पूर्ण किया गया। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 21093 हे0 क्षेत्रफल में पंजीयन का कार्य पूर्ण किया गया।
- **प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना :** वर्ष 2015-16 में परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत चयनित 15 जनपदों में कुल 575 क्लस्टरों में कार्यक्रम संचालित कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हमीरपुर जनपद को जैविक खेती के अन्तर्गत मॉडल जनपद बनाने हेतु 140 क्लस्टर में भी कार्यक्रम संचालित कर पूर्ण कर लिया गया है। इन लाभार्थी कृषकों को पी.जी.एस. इण्डिया ग्रीन एवं पी.जी.एस. इण्डिया आर्गेनिक का प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 में आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत पीलीभीत जनपद में 35 क्लस्टर में कार्यक्रम संचालित कर पूर्ण कर लिया गया है। इन लाभार्थी कृषकों को पी.जी.एस, इण्डिया ग्रीन एवं पी.जी.एस. इण्डिया आर्गेनिक का प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जा चुका है। परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत 9 जनपदों में 45 क्लस्टर का चयन कर 2250 एकड़ क्षेत्रफल तथा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत चयनित 08 जनपदों मे 320 क्लस्टर का गठन कर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2019-20 परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत 25 जनपदों में 500 क्लस्टर का गठन कर कृषि विभाग द्वारा नमामि गंगा योजना के अन्तर्गत 11 जनपदों में 700 क्लस्टर का गठन कर यू0पी0 डास्प द्वारा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत 16 जनपदों में 1789 क्लस्टर एवं परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत पिछडे 8 जनपदों में 40 क्लस्टरों का गठन कर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 15 जनपदों के 750 क्लस्टर में कार्यक्रम संचालित कर पूर्ण कर लिया गया है तथा कुल 51 जनपदों के 3349 क्लस्टरों में जैविक खेती का कार्य किया जा रहा है। झांसी व बांदा में भी आर्गेनिक आउटलेट की स्थापना करायी गयी है।
- **मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना कराया जाना :** इसके अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 69139 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 84812 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना करायी गयी। वर्ष 2018-19 के अवशेष 35820 एवं वर्ष 2019-20 में 96953 कुल 132753 वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना लक्ष्य के सापेक्ष 83036 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना करायी गयी। योजनान्तर्गत

75 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 54483 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह दिसम्बर 2020 तक 14135 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना करायी जा चुकी है। इस प्रकार अद्यतन तक 253431 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना करायी जा चुकी है।

- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए खेत-तालाब योजना का विस्तार :** वर्ष 2017-18 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 2549 खेत तालाबों एवं प्रदेश के अन्य अतिदोहित एवं दोहित जिलों में 835 खेत तालाबों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में प्रदेश में कुल 3384 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कुल 5000 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया। योजनान्तर्गत निर्मित खेत-तालाबों पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को 90 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत 7000 खेत तालाब निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 5261 तालाबों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत 9000 खेत तालाब निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक 1880 तालाबों का निर्माण कराया जा चुका है। इस प्रकार अद्यतन तक 15336 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया।
- **बीजों पर अनुदान :** प्रदेश सरकार द्वारा रबी 2018-19 में समस्त योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रकार के बीजों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य सेक्टर से दिये जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार की बीज ग्राम योजनान्तर्गत धान्य फसलों पर 25 प्रतिशत एवं दलहनी/तिलहनी फसलों पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य सेक्टर से दिया गया। बुन्देलखंड क्षेत्र के कृषकों को खरीफ 2018 एवं खरीफ 2019 में विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों पर 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गया। खरीफ 2020 में भी विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों पर 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गया। रबी 2020-21 में समस्त योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रकार के बीजों के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **प्रदेश में जहां सिंचाई के साधन कम हैं अथवा विद्युत आपूर्ति नहीं है उन क्षेत्रों में सोलर फोटोबोल्टैइक इरिगेशन पम्प की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना :** वित्तीय वर्ष 2017-18 योजनान्तर्गत 10000 सोलर पम्प स्थापना लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में 4043 तथा वर्ष 2017-18 (क्रियान्वयन वर्ष 2018-19) में 5630 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी। वर्ष 2018-19 (क्रियान्वयन वर्ष 2019-20) में 10000 स्थापना लक्ष्य के सापेक्ष 9810 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी। वर्ष 2019-20 (क्रियान्वयन वर्ष 2020-21) में पीएम-कुसुम योजनान्तर्गत 8000 सोलर पम्प स्थापना लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक 1183 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा चुकी है। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 20666 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी।

- **प्रदेश में कृषि कल्याण केन्द्रों की स्थापनाः** वर्ष 2017-18 में 100, 2018-19 में 31, वर्ष 2019-20 में 50, एवं वर्ष 2020-21 में 100 सहित कुल 281 कृषि कल्याण केन्द्र विभिन्न जनपदों में निर्मित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जहाँ से 'सिंगल विण्डों सिस्टम' द्वारा कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज, कृषि रक्षा रसायन तथा कृषकों को परामर्श देने की व्यवस्था भी की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 18 कृषि कल्याण केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 63 कृषि कल्याण केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 89 कृषि कल्याण केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार अद्यतन तक 81 कृषि कल्याण केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। तथा 89 कृषि कल्याण केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- **किसानों का ऑनलाइन पंजीकरणः** पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर माह दिसम्बर, 2020 तक 315.91 लाख किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया।
- **मोबाइल एप :** मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25.12.2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए "यूपीपीएमकिसानकेसीसी एप" मोबाइल एप लांच किया गया जिससे किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह मोबाइल एप देश में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया गया है।
- वैज्ञानिकों की बात किसानों के साथ विषय पर वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कृषि तकनीकी प्रसार की अभिनव पहल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 26.07.2020 को इण्टरनेट पर सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें वैज्ञानिक/विशेषज्ञों द्वारा किसानों से सीधी बातचीत की गयी तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
- **ऑनलाइन लाइसेंस व्यवस्थाः** विभाग द्वारा उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री हेतु उद्यमियों को लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था विभाग द्वारा लागू की गयी।
- **प्रदेश में बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार सृजन हेतु एग्रीजंक्शन (वन स्टॉप शाप) की स्थापना :** वर्ष 2017-18 में कुल 813 एग्रीजंक्शन की स्थापना करायी गयी। वर्ष 2018-19 में 670 केन्द्रों की स्थापना की गयी। वर्ष 2019-20 में 1000 एग्रीजंक्शन की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष 851 केन्द्रों की स्थापना करायी जा चुकी है। इस प्रकार अद्यतन तक कूल 2334 एग्रीजंक्शन की स्थापना करायी जा चुकी है।
- **प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केन्द्र (आई.आर.आर.आई.) की स्थापना :** प्रदेश सरकार की पहल पर देश का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केन्द्र फिलीपीन्स की शाखा वाराणसी में स्थापित करायी गयी।
- **किसान समृद्धि आयोग :** मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में नवम्बर, 2017 में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया।
- **20 नये कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना :** प्रदेश में भारत सरकार द्वारा 20 स्थापना लक्ष्य के सापेक्ष 18 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करायी जा चुकी है। प्रयागराज एवं आजमगढ़

जनपद में स्थापित होने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एम0ओ0यू0 की प्रक्रिया प्रगति पर है। कृषि विज्ञान केन्द्रों से कृषकों को तकनीकी जानकारी तीव्रता से प्राप्त हो सकेगी।

- **मण्डी अधिनियम में संशोधन :** किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से मण्डी अधिनियम में संशोधन किया गया। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम अग्रणी राज्य है। संशोधित अधिनियम में किसानों के खेत से थोक में सीधे खरीद की व्यवस्था, किसानों को अपने उत्पाद पूरे देश में कहीं भी बेचने की व्यवस्था तथा निजी क्षेत्र में मण्डी स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है।
- **यूरिया उर्वरक के मूल्य में कमी :** प्रदेश सरकार द्वारा यूरिया उर्वरक से ए0सी0टी0एन0 टैक्स समाप्त कर किसान हित में यूरिया की दरों को अन्य प्रदेशों के समान किया गया।
- **धान एवं गेहूँ की किसानों से खरीद :** प्रदेश के किसानों की कड़ी मेहनत तथा सरकार के विशेष प्रयासों से प्रदेश की फसल उपज में रिकार्ड वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 से अब तक के वर्षों में कृषकों की धान एवं गेहूँ की उपज का सर्वाधिक खरीद सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में किया गया। वर्ष 2017 में न्यूनतम् समर्थन मूल्य पर गेहूँ 36.99 लाख मै0टन एवं 2017-18 में धान 43.00 लाख मै0टन का क्रय किया गया तथा वर्ष 2018 में गेहूँ का क्रय 53.00 लाख मै0टन एवं वर्ष 2018-19 में धान 48.25 लाख मै0टन का क्रय किया गया। प्रदेश में प्रथम बार 5116.50 मै0टन मक्का का क्रय किया गया। वर्ष 2019 में गेहूँ का 37.04 लाख मै0टन एवं वर्ष 2019-20 में धान 56.55 लाख मै0टन का क्रय किया गया। वर्ष 2019 में मक्का 25.30 मै0टन का क्रय किया गया। वर्ष 2020 में गेहूँ के 55.00 लाख मै0टन क्रय लक्ष्य के सापेक्ष 35.77 लाख मै0टन गेहूँ का क्रय किया गया। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर 2020 तक धान 50.19 लाख मै0टन एवं मक्का 81080.95 मै0टन का क्रय किया जा चुका हैं। इस प्रकार अद्यतन तक कुल धान 197.99 लाख मै0टन, गेहूँ 162.80 लाख मै0टन एवं मक्का 86222.75 मै0टन का क्रय किया गया।
- **प्राइस सपोर्ट स्कीमः** प्रदेश में दलहनी फसलों के उपज का अवमूल्यन रोकने के लिये प्राइज सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 23000 मै0टन उर्द का एम0एस0पी0 पर क्रय पी0सी0एफ0/नैफेड द्वारा किया गया। वर्ष 2018 में चना 14367 मै0टन, मसूर 13729 मै0टन एवं राई/सरसों 1211 मै0टन एम0एस0पी0 पर पी0सी0एफ0 द्वारा क्रय किया गया। वर्ष 218-19 में उर्द 29598 मै0टन एवं मूंगफली 8368 मै0टन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गयी। वर्ष 2019 में चना 743.40 मै0टन, मसूर 162.85 मै0टन एवं राई/सरसों 1455.75 मै0टन का क्रय एम0एस0पी0 पर क्रय किया गया। वर्ष 2020 में चना 38498.18 मै0टन एवं राई/सरसों 319.20 मै0टन का एम0एस0पी0 पर क्रय किया गया। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक मूंगफली 2160.09 मै0टन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गयी इस प्रकार अद्यतन कुल उर्द 52598 मै0टन, मूंगफली 10528.09 मै0टन, चना 53608.58 मै0टन, मसूर 13891.85 मै0टन एवं राई/सरसों

2985.95 मै0टन का क्रय किया जा चुका है।

- मूल्य जोखिम प्रबन्धन के अन्तर्गत वर्ष 2017 में 1293.70 मै0टन आलू की खरीद की गयी जिससे आलू उत्पादक कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हुआ।
- आच्छादन : खरीफ-2017 में विभिन्न फसलों के अंतर्गत प्रदेश में कुल 92.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया गया। रबी 2017-18 में विभिन्न फसलों के अंतर्गत प्रदेश में कुल 128.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया गया। खरीफ-2018 में विभिन्न फसलों के अंतर्गत प्रदेश में कुल 94.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया गया। रबी 2018-19 में विभिन्न फसलों के अंतर्गत प्रदेश में कुल 129.81 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया गया। खरीफ-2019 में विभिन्न फसलों के अंतर्गत प्रदेश में कुल 96.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया गया। रबी 2019-20 में विभिन्न फसलों के अंतर्गत प्रदेश में कुल 130.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया गया। खरीफ 2020 में 95.92 लाख हे0 विभिन्न फसलों के आच्छादन लक्ष्य के सापेक्ष 96.27 लाख हे0 क्षेत्रफल आच्छादित कया गया। रबी 2020-21 में विभिन्न फ़सलों के अंतर्गत प्रदेश में माह दिसम्बर 2020 तक 126.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया जा चुका है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ के आच्छादन में वृद्धिः बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषकों को खरीफ 2018 में विभिन्न फसलों के बीजों पर 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गया। फलस्वरूप बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना प्रथा में कमी आयी है और खरीफ फसलों के आच्छादन में गत वर्ष की तुलना में 1.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई। खरीफ 2019 में गत वर्ष की तुलना में 1.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है।
- किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराना : खरीफ 2017 में 7.97 लाख कु0 प्रमाणित बीज एवं 2.67 लाख कु0 संकर बीज का वितरण कराया गया। रबी 2017-18 में 46.70 लाख कु0 प्रमाणित बीज का वितरण कराया गया। खरीफ 2018 में 8.14 लाख कु0 प्रमाणित बीज एवं 2.85 लाख कु0 संकर बीज का वितरण कराया गया। रबी 2018-19 में 49.27 लाख कु0 का वितरण किया गया। खरीफ 2019 में 8.24 लाख कु0 प्रमाणित बीज एवं 2.53 लाख कुं0 संकर बीजों का वितरण कराया गया। रबी 2019-20 में 50.84 लाख कुं0 बीजों का वितरण कराया गया। खरीफ़ 2020 में 8.35 लाख कु0 प्रमाणित बीज एवं 2.42 लाख कुं0 संकर बीजों का वितरण कराया गया। रबी 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 51.44 लाख कु0 बीजों का वितरण कराया जा चुका है। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 241.42 लाख कु0 (खरीफ में 43.17 लाख कु0 एवं रबी में 198.25 लाख कुं0) बीजों का वितरण कराया गया।
- उर्वरक व्यवस्था : वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 70.00 लाख मै0टन (खरीफ- 26.96 एवं रबी- 43.04) का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 73.26 लाख मै0टन (खरीफ- 28.06 एवं रबी- 45.20) उर्वरकों का वितरण किया गया। वर्ष 2019-20 में कुल 84.36 लाख मै0टन (खरीफ- 33.58 एवं रबी- 50.78) उर्वरको का वितरण कराया गया।

वर्ष 2020-21 के खरीफ 2020 में 37.23 लाख मै0टन लक्ष्य के सापेक्ष 71.55 लाख मै0टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए 49.89 लाख मै0टन उर्वरकों का वितरण कराया गया। रबी 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 34.21 लाख मै0टन उर्वरकों का वितरण कराया जा चुका है। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 311.72 लाख मै0टन उर्वरकों का वितरण कराया गया।

- **कृषि रक्षा रसायन :** वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 17791 मै0टन/किली0 (खरीफ- 7610 एवं रबी- 10181) का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 16650 मै0टन/किली0 (खरीफ- 9139 एवं रबी- 7511) का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 15878 मै0टन/किली0 (खरीफ- 5785 एवं रबी- 10093) का वितरण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के खरीफ 2020 में 7986.80 मै0टन/किली0 रसायनों का वितरण कराया गया। रबी 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 5585.41 मै0टन/किली0 रसायनों का वितरण कराया जा चुका है। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 638911.21 मै0टन/किली0 कृषि रक्षा रसायनों का वितरण कराया गया।
- **फसली ऋण :** वर्ष 2017-18 में कुल रु0 74852 करोड़ का फसली ऋण वितरण किया गया। वर्ष 2018-19 में रु0 93751 करोड़ फसली ऋण का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 107468.09 करोड का फसली ऋण वितरण किया गया। वर्ष 2020-21 के खरीफ 2020 में रु0 55822.02 करोड फसली ऋण वितरण लक्ष्य के सापेक्ष रु0 40810.70 करोड फसली ऋण का वितरण किया गया। रबी 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक रु0 33760.03 करोड फसली ऋण का वितरण कराया जा चुका है। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 350641.82 करोड़ फसली ऋण का वितरण कराया जा चुका है।
- **किसान क्रेडिट कार्डः** वर्ष 2017-18 में 40.22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। वर्ष 2018-19 में 36.70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। वर्ष 2019-20 में 57.62 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया जा चका है। वर्ष 2020-21 में 59.18 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक 40.90 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 175.44 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया जा चुका है।
- **कृषि यंत्रों का वितरण :** वर्ष 2017-18 में एन0एफ0एस0एम0, आर0के0वी0वाई, एन0एम0ओ0ओ0पी0 एवं एस0एम0ए0एम0 योजनाओं के अन्तर्गत कुल 39417 उन्नत कृषि यंत्र कृषकों को अनुदान पर वितरित किये गये, 47 कस्टम हायरिंग सेंटर तथा 517 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी गयी। वर्ष 2018-19 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 32870 कृषि यंत्रों का वितरण किया गया तथा 42 कस्टम हायरिंग सेंटर एवं 138 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी गयी। वर्ष 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 161454 उन्नत कृषि यंत्र वितरण लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं में कुल 34496 कृषि

यंत्रों का वितरण किया गया। वर्ष 2020-21 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत (इन-सीटू छोड़कर) 56044 कृषि यंत्र वितरण लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक 13684 उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण एवं 3 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करायी जा चुकी है। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 120467 उन्नत कृषि यंत्र का वितरण तथा 62 कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं 655 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी जा चुकी है।

- **क्राप रेज्डचू मैनेजमेण्ट :** एन0जी0टी0, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2018-19 में प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेण्ट ऑफ क्राप रेज्डचू योजनान्तर्गत 16406 उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण तथा 2300 कस्टम हायरिंग सेण्टर की स्थापना करायी गयी। वर्ष 2019-20 में 2104 कृषि यंत्र, 1391 कस्टम हायरिंग सेण्टर तथा 259 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी जा चुकी है। वर्ष 2020-21 में 8283 कृषि यंत्र वितरण तथा 1400 फार्म मशीनरी बैंक स्थापना लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक 3649 उन्नत कृषि यंत्र एवं 1401 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी जा चुकी है। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 22159 उन्नत कृषि यंत्र का वितरण तथा 3691 कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं 166 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी जा चुकी है। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 22159 उन्नत कृषि यंत्र का वितरण तथा 3691 कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं 1660 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी जा चुकी है। इस प्रकार कृषि यंत्रीकरण एवं क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेंट को सम्मिलित करते हुए अद्यतन तक कुल 141936 उन्नत कृषि यंत्र का वितरण तथा 3753 कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं 3 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी जा चुकी है।
- **फसल उत्पादन :** वर्ष 2017-18 में 573.84 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ जो विगत वर्ष से 16.38 लाख मै0टन अधिक है। जिसमें खरीफ में 192.15 लाख मै0टन रबी में 379. 32 लाख मै0टन तथा जायद में 2.37 लाख मै0टन उत्पादन प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018-19 में 604.5 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, जो अब तक सर्वाधिक उत्पादन है जिसमें खरीफ 2018 को अन्तर्गत 196.03 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त हुआ तथा रबी 2018-19 में 405.60 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त हुआ है तथा जायद में 2.52 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त हुआ। वर्ष 2019-20 में 601.84 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त हुआ, जिसमें खरीफ 2019 में 209.88 लाख मै0टन एवं रबी 2019-20 में 389.23 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त हुआ। जायद में 2.73 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 10.75 (शुद्ध) लाख मै0टन तिलहन का उत्पादन प्राप्त हुआ। वर्ष 2020-21 में 640.32 लाख मै0टन लक्ष्य के सापेक्ष 623.84 लाख मै0टन खाद्यान्य उत्पादन आनुमानित है जिसमें खरीफ में 214.75 लाख मै0टन एवं रबी 2020-21 मैं 403.82 लाख मै0टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है तथा 13.92 लाख मै0टन तिलहन उत्पादन अनुमानित है।
- **राष्ट्रीय पुरस्कार :** वित्तीय वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उ0प्र0 को रु0 2.00 करोड़ का कृषि कर्मण

पुरस्कार तथा देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु रु0 4.00 करोड़ का प्रोत्साहन पुरस्कार मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक-02.01.2020 को टुमकुर, बैंगलूरू, कर्नाटक में प्रदान किया गया।

- डी०बी०टी० : वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्त योजनाओं के अन्तर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से 22.99 लाख किसानों के खातों में रु0 453.13 करोड की धनराशि स्थानान्तरित करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में समस्त योजनाओं के अन्तर्गत कुल 27.22 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में रु0 555.90 करोड़ का अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तानान्तरित किया गया। वर्ष 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 19.77 लाख कृषकों के बैंक खाते में रु0 502.73 करोड़ का अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित किया गया। वर्ष 2020-21 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2020 तक 6.38 लाख कृषकों के बैंक खाते में रु0 177.46 करोड़ का अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित किया गया। इस प्रकार अद्यतन तक कुल 76.36 लाख कृषकों के बैंक खाते में रु0 1689.22 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तानांतरित किया जा चुका है।

उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद

प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न पाँच कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं:

1. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या।
3. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।
4. बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा।
5. सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, नैनी, प्रयागराज।

कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विभिन्न स्रोतों से शोध परियोजानायें संचलित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालयों में फसल सुधार, शस्य व पौध सुरक्षा तकनीक, बीज उत्पादन कर सम्यक कृषि उपयोग तकनीकी के विकास को गति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न फसलों की शस्य विधियाँ, उर्वरक प्रबन्ध, फसल सुरक्षा, फसल पद्धति, बारानी खेती, दियारा व ऊसर भूमि सुधार, सब्जी एवं उद्यान के क्षेत्र में तकनीक विकसित की गई हैं।

उन्नतशील फसल प्रजातियों एवं तकनीकों के प्रचार-प्रसार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रावधान है। प्रदेश के कुल 75 जनपदों में से वर्तमान में 73 जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापित हैं।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 के अधीन 251 मुख्य मण्डियाँ एवं 381 उप मण्डियाँ विनियमित हैं। प्रत्येक विनियमित मण्डी के लिए एक मण्डी समिति की स्थापना है। मण्डी

समितियों द्वारा मण्डियों के विनियमन के साथ-साथ किसानों एवं व्यापारियों हेतु सुख-सुविधा युक्त नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 220 मुख्य मण्डी स्थलों, 94 उपमण्डी स्थलों, 72 फल/सब्जी मण्डी स्थलों, 05 दुग्ध मण्डी स्थल, 05 मत्स्य बाजार, 05 किसान बाजार, 225 हाट-पैठ, 238 ग्रामीण गोदाम, 87 कृषक सेवा केन्द्रों, 0^ किसान बाजार, 132 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र, 06 विशिष्ट मण्डी स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20,149 किमी0 लम्बाई के मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं को मिलावट रहित शुद्ध वर्गीकृत कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने तथा किसानों का विपणन, मण्डी विनियमन एवं मण्डी विकास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी करके, उनके निदान हेतु सुझाव देने के कार्यों हेतु विभाग द्वारा विपणन परिज्ञान, कृषि उपज के वर्गीकरण तथा सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के कार्य प्रदेश में आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं को कराया जा रहे हैं।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित हैंः-

क- कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रय संगठन।

ख- बाजार विनियमन एवं प्रशिक्षण केन्द्र।

ग- कृषि विपणन से संबंधित मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों की स्थापना।

कृषि उपजों/उत्पादों के विदेश व्यापार को बढ़ावा देने किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने आदि के उद्देश्य से निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य कराये जा रहे हैंः

क- निर्यातकों एवं उत्पादकों को विभिन्न सुविधाओं हेतु समन्वय करना।

ख- कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यातकों की गोष्ठियाँ एवं सेमिनार आदि आयोजित करना।

ग- निर्यात को बढ़ावा देने हेतु फील्ड स्तर पर निर्यात योग्य आधिक्य की संभावनाओं का पता लगाना एवं समय-समय पर आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु समुचित सुझाव देना।

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम

अच्छे बीजों का उत्पादन कर कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 29.6.2001 को उ0प्र0 बीज विकास निगम की स्थापना का निर्णय हुआ तथा दिनांक 10.12.2002 से निगम द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ किया गया। निगम द्वारा प्रदेश में बीजों का उत्पादन/वितरण/बीज व्यवस्था के उद्देश्य से 09 परियोजना कार्यालयों, 23 शाखा कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के 72 जनपदों में लगभग 16200 बीज उत्पादकों के माध्यम से बीज उत्पादन के कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

भारतीय बीज अधिनियम-1966 की धारा-8 के अधीन दिनांक 05.10.1976 को बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गयी तथा संस्था द्वारा खरीफ 1977 से बीज प्रमाणीकरण का

कार्य प्रारम्भ किया गया। संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्रमाणित बीजों की अनुवांशिक व भौतिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता को मानक के अनुरूप रखते हुए बीज जनित बीमारियों को नियंत्रित कर प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज सुलभ कराना है। संस्था द्वारा अपने 18 सम्भागीय कार्यालयों के माध्यम से बीज प्रमाणीकरण हेतु प्रदेश के कृषि उद्यान, पशुपालन विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, बीज विकास निगम, सहकारी तथा निजी बीज उत्पादक संस्थाओं का पंजीयन कराकर बीज प्रमाणीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना दिनांक 08.08.2014 को हुयी थी। वर्ष 2016 से पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण का कार्य प्रदेश में प्रारम्भ किया गया। संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जैविक खेती को बढावा देने के लिए जैविक खेती से उत्पादित उत्पाद का प्रमाणीकरण करना है। एपिडा (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के दिशा-निर्देश के अनुसार उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भारत वर्ष की सीमाओं के अन्तर्गत किसी भी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण का कार्य सम्पन्न करा सकती है।

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ

संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा खोजी गयी कृषि की नवीनतम तकनीक को प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कृषकों को अवगत कराकर उन्हें प्रशिक्षित करना है।

यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड

प्रदेश के कृषकों को रासायनिक उर्वरकों, प्रमाणित बीज, कीटनाशक दवाओं, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण आदि को उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध कराने तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए दिनांक 29 मार्च, 1967 को निगम की स्थापना की गयी। वर्तमान में निगम द्वारा कृषि निवेशों का वितरण, उन्नत कृषि यंत्रों/उपकरणों का निर्माण, मरम्मत एवं वितरण, संतुति पशु आहारों का उत्पादन एवं वितरण, खाद्यान्नों का क्रय, जिप्सम/माइक्रोन्यूट्रियन्ट की आपूर्ति तथा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प के रिबोर का कार्य कराया जा रहा है।

यूपीडास्प (कृषि विविधीकरण परियोजना) संक्षिप्त परिचय

पी0सी0यू0, यूपीडास्प कृषि विविधीकरण के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण परियोजना (यूपीडास्प) की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या 821/12.03.1996 दि0 01 मार्च, 1996 द्वारा पंजीकृत समिति के रूप में किया गया है तथा तत्क्रम में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 अन्तर्गत दिनांक 12 मार्च 1996 को एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्था के रूप में हुआ है। पंजीकरण का नवीनीकरण 03 बार कराया गया है जिसकी अवधि वर्तमान में दिनांक 12.03.2021 तक नवीकृत है। प्रोजेक्ट कोअर्डिनेशन यूनिट, यू0पी0डास्प द्वारा विगत 21 वर्षों (1996 से) से कृषि एवं संवर्गीय विभागों से समन्वय स्थापित कर कृषि विविधीकरण सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है।

शासन स्तर पर यूपीडास्प का प्रशासकीय विभाग समन्वय विमाग, उ0प्र0 शासन है।

उद्देश्य

माननीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-839/सम-73-2014 दिनांक 16.06.2014 द्वारा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प को प्रदेश में कृषि विविधीकरण सम्बन्धी कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यूपीडास्प के निम्न उद्देश्य हैंः-

- प्रदेश में कृषि विविधीकरण सम्बन्धी परियोजनाओं का गठन, नियोजन व क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट द्वारा किया जाना।
- प्रदेश में राज्य एवं भारत सरकार व अन्य एजेन्सियों की वे स्वीकृत परियोजनायें/योजनायें जिनका स्वरूप कृषि विविधीकरण का होगा प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट व जनपदीय इकाइयों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना।

ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास एवं गरीब परिवारों की निर्धनता दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की 78 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओ के सृजन के साथ-साथ वहां पर निवास करने वालों के लिए सतत् रोजगार के अवसर सृजित होते रहें ताकि रोजगार के लिए उनको अपने क्षेत्र से पलायन न करना पड़े। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ एवं तत्पश्चात् ग्राम्य विकास विभाग की स्थापना हुई। तद्नुसार विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनका उद्देश्य रोजगार की गारंटी देना, महिलाओं के सुदृढ़ स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें स्वतः रोजगार के क्रियाकलापों में स्थापित करना ताकि वे स्वयं अपना आर्थिक उत्थान कर सकें, ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण, सभी गरीब आवास विहीन परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में अपेक्षित स्तर तक सुधार हो सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन तथा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आजादी के सात दशक से पिछड़े और वंचित गांवों को चिन्हित कर उनमें प्राथमिकता पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा, कालाजार प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता पर निःशुल्क आवासीय सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग की प्रत्येक योजना का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने हेतु व्यापक रणनीति तैयार कर ली गई है और निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-एन0आर0एल0एम0 (DAY-NRLM) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। एन0आर0एल0एम0 भारत सरकार द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर गहन रूप से समुदाय द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। वर्तमान में इस योजना का क्रियान्वयन देश के समस्त 29 राज्यों में चरणबद्ध क्रियान्वयन रणनीति के तहत किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 2013 में किया गया । उत्तर प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना ग्राम्य विकास विभाग के संरक्षण में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गयी जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत किया गया है। यह योजना उ.प्र. सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उ.प्र. राज्य में रह रहे ग्रामीण गरीब परिवारों की कम से कम एक महिला सदस्य को समूह एवं अन्य सामुदायिक संस्था के माध्यम से संगठित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना है। विविध आजीविका कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए मिशन 03 आधारों पर कार्य करता है। गरीबों के लिए विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना-बाहरी क्षेत्रों में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना और स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता (लघु उद्यमों के लिए) प्रोत्साहित करना।

इस योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 के एक करोड़ दो लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को दस लाख स्वयं सहायता समूह, एक लाख ग्राम संगठन एवं तीन हजार संकुल स्तरीय संगठनों में संगठित करना है। मिशन अन्तर्गत बजट व्यवस्था भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत के अनुपात में की जाती है।

मिशन का उद्देश्य

- ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह एवं समूहों को ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ के रूप में संगठित करना।
- गठित स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संगठनों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन करना।
- ग्रामीण गरीब परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर जीवनयापन कर बेहतर अवसर प्रदान करना।
- समूहों एवं उनके संगठनों की आवश्यकताओं एवं जीविकोपार्जन हेतु मिशन की तरफ से रिवाल्विंग फण्ड 15000 रुपये प्रति समूह एवं सामुदायिक निवेश निधि 1,10,000 रुपये प्रति समूह प्रदान करना।
- मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना।

क्रियान्वयन रणनीति

- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला व विकास खण्ड स्तर पर मिशन प्रबन्धक इकाई की स्थापना की जाती है जिसमें योग्य, अनुभवी एवं समर्पित प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की तैनाती की जाती है।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सामुदायिक प्रचालन नियमावली सहित अन्य प्रचालन-नियमावली तैयार की गयी है।
- वृहत स्तर पर सामुदायिक कैडर जैसे- बुक कीपर, समूह सखी, सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति आदि का विकास करना एवं परियोजना के फैलाव, क्रियान्वयन एवं सामुदायिकरण के लिए सहयोग प्राप्त किया जाता है।

  उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन इन्टेन्सिव रणनीति के अन्तर्गत राज्य के 75 जनपदों के 28 विकास खण्डों में किया जा रहा है।

मिशन द्वारा ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के जीविकोपार्जन हेतु क्रियान्वित कार्यक्रम

- **वन GP वन BC सखी कार्यक्रमः** अंतर्गत ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित dj usgsq33639 बैंकिंग करेस्पान्डेंस सखी का प्रशिक्षणोपरांत प्रमाणीकरण पूर्ण कराते हुए 15523 बी0सी0 सखी के द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- **आई०सी०डी०एस० से अभिसरणः** के माध्यम से 61075 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत ड्राई राशन का वितरण 164177 आँगनबाड़ी केन्द्रों में किया जा रहा हे। स्वयं सहायता समूहों द्वारा आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत टेक-होम राशन का वितरण 43 जिलों के 202 विकासखण्डों में किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। जनपद उन्नाव एवं फतेहपुर के 2 विकासखण्डों में WFP के सहयोग से इकाई की स्थापना की जा चुकी है।
- **सामुदायिक शौचालय का प्रबन्धनः** वर्तमान में प्रदेश के 808 विकासखण्डों की 43531 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का प्रबन्धन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।
- **उचित दर की दुकान का संचालनः** वर्तमान में 1534 उचित दर की दुकान का प्रबंधन स्वंय सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। दुकान संचालन से प्रति समूह औसतन 5000-70,000 रु0 की मासिक आय का सृजन हो रहा है।
- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डेयरी वेल्यू चेन (दुग्ध मूल्य श्रृंखला):** 'बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी' वेल्यू चेन के रूप में अब तक 5 जनपदों के 601 ग्रामों से 24680 शेयर होल्डर्स हैं। वर्तमान में प्रतिदिन 110000 महिला सदस्यों द्वारा 54 हजार किलो लीटर दुग्ध का संग्रह किया गया

है। अभी तक कुल रु0 80.53 करोड़ का भुगतान किया गया है।

- **स्टार्टअप विलेज इंटर प्रोन्योरशिप प्रोग्रामः** कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमिता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में 12753 लघु उद्यमियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इससे प्रति महिला उद्यमी को औसतन 6000-8000 रुपये की मासिक आय सृजित हो रही है।
- **70 लाख सौर ऊर्जा कार्यक्रमः** कुल 34 लाख सोलर स्टडी लैम्प लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये हैं, जिससे लगभग 7 करोड़ रु0 की आय हो चुकी है। 4000 से अधिक परिवार इस परियोजना से सीधे लाभान्वित हुए हैं। इससे प्रति महिला औसतन 5000-7000 रुपये की मासिक आय का सृजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के द्वितीय चरण में ओजस नामक नॉन प्राफिट कम्पनी के माध्यम से 04 असेंबली इकाई की स्थापना की जा रही है। जिससे उत्पादित होने वाली सौर उत्पादों को 1000 सोलर शॉप की दुकान के माध्यम से विक्रय किया जायेगा। जिससे महिलाओं को क्लीन एनर्जी एंटरप्राइज के माध्यम से आजीविका का साधन उपलब्ध होगा।
- **स्कूल यूनीफार्म सिलाई :** वर्ष 2020-21 में 1.03 करोड़ से अधिक स्कूल यूनिफार्म सिलाई का कार्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा पूर्ण किया गया है। प्रति महिला को ड्रेस सिलाई से औसतन 6000 रु. की मासिक आय का सृजन किया गया है।
- कोविड-19 के दौरान वर्ष 2020-21 में प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 01 करोड 23 लाख मॉस्क का निर्माण कर वितरण किया गया है। मास्क निर्माण से प्रति सदस्य औसतन 6000 रु0 की मासिक आय का सृजन हो रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभी तक 15 लाख से अधिक मास्क का निर्माण किया जा चुका है।
- मनरेगा से अभिसरण के अन्तर्गत सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा 10332 कम्पोस्ट पिट, 9436 कैटल शेड, 6486 पोल्ट्री शेड, 5792 बकरी शेड, 15227 नर्सरी का कार्य किया गया है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

- योजना का आरंभ वर्ष 2006 से किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवारों के इच्छुक वयस्क सदस्यों को उनकी मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिवसों का रोजगार।
- आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर कार्य उपलब्ध कराये जाने की अनिवार्यता अन्यथा बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान (प्रथम 30 दिवस एक -चौथाई, शेष अवधि के लिए मजदूरी दर का आधा हिस्सा, अधिकतम 100 दिवस की मजदूरी रु0 20400/-)
- अकुशल मजदूरी-भारत सरकार 100%, राज्य सरकार-0%

- सामग्री अंश-भारत सरकार - 75%, राज्य सरकार - 25%
- 15 दिवस के अंदर सभी भुगतान इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के द्वारा सीधे बैंक खातों में।

वित्तीय वर्ष **2020-21** में प्राप्त की गयी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण

1. मानव दिवस सृजनः वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश को 40 करोड़ मानव दिवस अनुमोदित किया गया, जिसके सापेक्ष प्रदेश में 39.46 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। यह योजनारम्भ से सर्वाधिक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ में प्रदेश को 26 करोड़ मानव दिवस अनुमोदित किया गया था जिसे प्रदेश की प्रगति एवं मनरेगा योजना अंतर्गत बढ़ती काम की माँग के दृष्टिगत माह अगस्त में बढ़ाकर 35 करोड़ एवं माह जनवरी 2021 में बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया गया।
2. वित्तीय प्रगति : वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रदेश द्वारा रु0 12626.37 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी है।
3. रोजगार सृजनः वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रदेश में कुल 94.43 लाख परिवारों के 116.56 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया है। देश में सर्वाधिक परिवारों को रोजगार देने में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में पहली बार 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
4. **100** दिवसों का रोजगार : वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रदेश में कुल 7,80,600 परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार दिया गया है। यह योजनारम्भ से सर्वाधिक है।
5. व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य : वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रदेश में 262111 व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य कराए गए। ग्रामीण परिवारों के आजीविका संसाधनों में वृद्धि हेतु पशु शेड, बकरी शेड, मुर्गी शेड, नेडपकम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट आदि का लाभ दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत कृषकों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यक्तिगत भूमि पर खेत तालाब निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। खेत तालाब में कृषकों द्वारा मत्स्य पालन का कार्य भी किया जा रहा है। जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि भी हो रही है।
6. ससमय भुगतानः वित्तीय वर्ष 2020-21 में 97.28 प्रतिशत भुगतान ससमय किया गया है।
7. तालाबों का निर्माण : ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत जल सुधार एवं जल संचयन हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल 22390 तालाबों का निर्माण कार्य कराया गया है।
8. नदियों का पुनरोद्धार : वित्तीय वर्ष 2020-21 में 25 नदियों यथा- टेढ़ी नदी, मनोरमा नदी, पाण्डु नदी, वरूणा नदी, ससुर खदेड़ी सई नदी, गोमती नदी, अरिल नदी, मोरवा नदी, मंदाकिनी नदी, तमसा नदी, नाद नदी, कर्णावती नदी, बान नदी, सोत नदी, काली पूर्वी नदी,

डाढ़ी नदी, ईशन नदी, बूढ़ी गंगा, कुंवर, कल्याणी, बेलन, सिरसा, किवाड़, ऊटगन का पुनरोद्धार कराते हुए 1206.28 किमी0 पर कार्य पूर्ण कराया गया है, जिसमें 6706.60 लाख धनराशि व्यय की गयी है।

9. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले परिसम्पत्तियों पर नागरिक सूचना पट्टिका (Citizen Information Board) का निर्माण किया जा रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आजीविका में संवर्द्धन हो रहा है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 1043 स्वयं सहायता समूहों की 5110 महिलाओं द्वारा 59485 नागरिका सूचना पट (Citizen Information Board) निर्मित किए जा चुके हैं।

वित्तीय वर्ष **2021-22** की प्रगति एवं महत्वपूर्ण रणनीति

- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश का श्रम बजट 26 करोड़ मानव दिवस अनुमोदित किया गया है। दिनांक 09.08.2021 तक प्रदेश ने 10.24 करोड़ मानव दिवस सृजित कर लिए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कम से कम 20 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 लाख परिवारों को आजीविका संवर्धन हेतु व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यों हेतु चयन की कार्यवाही की जा रही है।
- मनरेगा योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूहों (UPSRLM) की महिलाओं की महिला मेट तैनात किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से दिनांक 08.03.2021 को समस्त जनपदों को निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- 18000 महिला मेटों का चयन किया जा चुका है। जिसके क्रम में मिशन शक्ति के अंतर्गत नवंबर, 2021 तक निम्नानुसार लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना का प्रारम्भ उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में किया गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधार भूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यस्थित रूर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है।
- उत्तर प्रदेश में 16 जनपदों में 19 क्लस्टर्स का सृजन करते हुए 193 ग्राम पंचायतों में योजना संचालित की जा रही है।
- क्लस्टर्स अन्तर्गत 14 कम्पोस्ट क्रमशः आर्थिक कार्यकलापों से संबद्ध कौशल विकास प्राशिक्षण

कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भंडारण और वेयर हाउसिंग, मोबाइल हेल्थ यूनिट स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पाइप के जरिए जलापूर्ति, स्ट्रीटलाइट, डिजिटल साक्षरता, एलपीजी गैस कनेक्शन, ग्रामीण गलियां तथा नालियां, विद्यालयों का उन्नयन, गांवों के बीच सड़क संपर्क एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए क्लस्टर का विकास किया जाता है।

- योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) तथा भारत एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त क्रिटिकल गैप फण्ड (CGF) को सम्मिलित करते हुए 03 चरणों में कुल धनराशि रु0 2080.80 करोड़ की परियोजना तैयार की गयी है, जिसमें कन्वर्जेन्स की धनराशि रु0 1530.45 करोड़ एवं सी0जी0एफ0 की धनराशि रु0 553.79 करोड़ सम्मिलित है।
- विगत चार वर्षों में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा सी0जी0एफ0 के रूप में अब तक कुल धनराशि रु0 398.18 करोड़ प्राप्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष रु0 302.08 करोड़ का व्यय 75.87 प्रतिशत की प्रगति की गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य आवासहीन कच्चे व जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है।
- आवास की इकाई लागत सामान्य क्षेत्रों के लिए रु0 1 लाख 20 हजार तथा नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए रु0 1 लाख 30 हजार निर्धारित है।
- निर्मित आवास का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है। आवास में शौचालय हेतु धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
- आवास लाभार्थी को मनरेगा योजना से 90/95 मानव दिवस का रोजगार भी आवास निर्माण में दिये जाने का प्रावधान है।
- योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य द्वारा 60:40 अनुपात में उपलब्ध करायी जाती है।
- एस0ई0सी0सी0 डाटा 2011 के आधार पर आवास आवंटन के लिए बनायी गयी स्थायी पात्रता सूची संतृप्त हो गयी है। वर्ष 2020-21 से आवास प्लस के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची से आवास का आवंटन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पूर्णतः राज्य सहायतित योजना है, जो फरवरी 2018 से प्रारम्भ की गयी। उक्त योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कालाजार, वनटांगिया, मुसहर, नट, चेरो, सहरिया, थारू, वर्ग, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित, कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परन्तु एस0ई0सी0सी0-2011

के आधार पर तैयार पात्रता सूची में न सम्मिलित होने वाले छतविहीन कच्चे/जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

- आवास की इकाई लागत सामान्य क्षेत्रों के लिए रु0 1 लाख 20 हजार तथा नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए रु0 1 लाख 30 हजार निर्धारित है।
- निर्मित आवास का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है। आवास में शौचालय हेतु ध नराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
- आवास लाभार्थी को मनरेगा योजना से 90/95 मानद दिवस का रोजगार भी आवास निर्माण में दिये जाने का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से लेकर अब तक 1.08 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष अब तक 80211 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है, शेष आवास निर्माणाधीन हैं।

बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उपलब्धता एवं दक्षता के आधार पर सतत् रोजगार के अवसर सृजित हो सकें, इस हेतु दीनदयाल विकास योजना के नाम से एक विशेष रोजगार योजना का शुभारंभ दिनांक 25 सितम्बर, 1991 को किया गया था। कालान्तर में योजना का नाम परिवर्तित कर अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के नाम कार्यान्वित की गयी। यह येजना अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवतर्ति कर "बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना" के नाम से क्रियान्वित की जा रही है।
- शासन द्वारा दिनांक 14.11.2019 को "बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना" के क्रियान्वयन हेतु नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया। उक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों हेतु न्यूनतम 23 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया गया है एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग लाभार्थियों को अनुदान के रूप में प्रति इकई वितरित ऋण का 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम रु0 70,000/- तथा सामान्य लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 50,000/- (जो भी कम हो), अनुमन्य है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-13 (सामान्य जाति) अन्तर्गत लाभार्थी 1900 एवं अनुदान संख्या-83 में अनु0जा0/अनु0ज0 जाति के 1357 लाभार्थी कुल 3257 लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके लिए बजट प्रावधान अनुदान संख्या-13 में 10.00 करोड़ एवं अनुदान संख्या-83 में 10.00 करोड़ अर्थात कुल 20.00 करोड़ प्रावधान शासन द्वारा किया गया है, जिसके सापेक्ष अनुदान संख्या 13 में 5.00 करोड़ एवं

83 में 5.00 करोड़ अर्थात कुल 10.00 करोड़ का बजट प्रथम किश्त के रूप में दिनांक 13.09.2021 को प्राप्त हुआ है, जिसे जनपदों को आवंटित कर दिया गया है और जनपद स्तर पर लाभार्थियों को स्वतः रोजगार हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)

- विधायक निधि योजना के अन्तर्गत मा0 विधान मण्डल सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के सापेक्ष उनके विधान सभा क्षेत्रों के विकास हेतु सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षण संस्थानों के कक्ष निर्माण, पुस्तकालय, सरकारी अस्पतालों के लिए एक्सरे मशीन, एम्बुलेन्स सुविधा, फायर बिग्रेड वाहन एवं अन्य उपकरण क्रय किये जाने आदि जैसे अनुमन्य कार्य कराये जाते हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत कुल रु0 2000.00 करोड़ की धनराशि का बजट प्रावधान किया गया जिसके सापेक्ष शासन से 1494.00 करोड़ धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ है उक्त आवंटित धनराशि को जनपदों को निर्गत कर दिया गया है। दिसम्बर 2021 तक रु0 463.22 करोड़ का व्यय किया जा चुका है वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8942 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सामान्य परिचय

- सांसद आदर्श ग्राम योजना को भारत सरकार द्वारा 11.10.2014 में लागू किया गया है।
- इस योजना में ग्रामों को आदर्श बनाने एवं उनके सर्वांगीण विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समेकित विकास करने की कल्पना की गयी है।
- योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विभागों की लाभार्थी परक/सामुदायिक परक कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) व सी0एस0आर0 निधि के माध्यम से किया जा रहा है।

उपलब्धियाँ

- सांसद आदर्श ग्राम योजना-I (प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण) में 273 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया योजनान्तर्गत कुल चयनित 6563 परियोजनाओं के सापेक्ष 6472 परियोजनाएं पूर्ण करायी गयीं अवशेष परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना-II (चतुर्थ चरण से अष्ठम चरण तक) में 133 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया योजनान्तर्गत कुल चयनित 2081 परियोजनाओं के सापेक्ष अब तक 1201 परियोजनाएं पूर्ण करायी गयी।
- इस प्रकार सांसद आदर्श ग्राम योजना में अब तक कुल 406 ग्राम पंचायतों का चयन किया

गया, योजनान्तर्गत चयनित 8644 परियोजनाओं के सापेक्ष 7673 परियोजनाएं पूर्ण करायी गयी हैं, शेष परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

- सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित विभागों द्वारा ग्रामों के विकास हेतु यथा- आर0सी0सी0 रोड, नाली निर्माण, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास आदि परियोजनाएं पूर्ण करायी गयी इसके अतिरिक्त विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, स्वच्छता सम्बन्धी कार्य, स्वेटर/ड्रेस वितरण आदि कार्यों को भी पूर्ण कराया गया।

मिशन अन्त्योदय सर्वे-2020

- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त 58813 ग्राम पंचायतों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता तथा 29 विभागों के 143 बिन्दुओं के विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेतांकों के आधार पर वर्ष 2017, 2019 व 2021 में मिशन अन्त्योदय सर्वे कराया गया ।
- मिशन अन्त्योदय सर्वे में प्राप्त क्रिटिकल गैप्स के आधार पर पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत विकास प्लान (जी0पी0डी0पी0) तैयार किया जाना है।
- भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को अपनी कार्ययोजना तैयार करने में मिशन अन्त्योदय सर्वे के आंकड़ो का उपयोग किये जाने पर बल दिया गया है।

पंचायती राज

भूमिका

प्रदेश के सर्वांगीण विकास और प्रदेश की पंचायतों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सबल बनाने के लिए उन्हें सुदृढ़ करना शासन की प्राथमिकता है।

पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है-

1. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण))।
2. पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।
3. राज्य वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान।
4. बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण।
5. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास।
6. प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर दो चन्द्र शेखर आजाद सचिवालय की स्थापना।
7. डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना।
8. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
9. मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।
10. जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का निर्माण/स्थापना एवं संचालन

विभाग की योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियाँ

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत परियोजना के प्रारम्भ से माह 31 दिसम्बर, 2020 तक शासन द्वारा केन्द्रांश के रूप में कुल रु0-1731627.65 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में रु0 966075.06 - लाख, इस प्रकार कुल रु0 2697702.74 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी है। कुल अवमुक्त ध नराशि में से माह 31 दिसम्बर, 2020 तक रु0 2634953.71 लाख व्यय करते हुए बेसलाइल सर्वे-2012 में कुल 2,38,17,701 परिवार पाये गये जिसमें 76,12,048 परिवार शौचालय युक्त पाये गये तथा 1,62,05,662 परिवार शौचालय विहीन पाये गये। बेसलाइन सर्वे-2012 के अनुरूप शत प्रतिशत परिवारों को शौचालय सुविधा से आच्छादित किया जा चुका है। बेसलाइन सर्वे में छूटे हुए पात्र (एल0ओ0बी0) परिवारों का सर्वे कराया गया। सर्वे में एल0ओ0बी0 के अन्तर्गत कुल

43,18,785 परिवार शौचालय विहीन पाये गये, जिसके सापेक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 43,18,785 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। भारत सरकार द्वारा एन0ओ0एल0बी0 (नो वन लेट बिहाईन्ड) के अन्तर्गत दिये गये 14 लाख के कैप के सापेक्ष प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से भेजे गये पुनर्सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर 13,02,395 का कैप निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष जनपदों द्वारा 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल 12,99,200 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करा लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त 101614 आंगनवाड़ी शौचालयों 243573 स्कूल शौचालयों तथा 2366 सामुदायिक (महिला) शौचालय काम्पलेक्सों का भी निर्माण कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 दिसम्बर, 2020 तक शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 579116.13 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में रु0 24864.19 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में रु0 16576.13 लाख व परफारमेन्स इन्सेंटिव ग्राण्ट फण्ड में केन्द्रांश के रूप में रु0 55168.08 लाख इस प्रकार कुल रु0 96608.40 लाख अवमुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में गत वर्ष के शेष सहित कुल रु0 232250.47 लाख उपलब्ध था, जिसमें से माह दिसम्बर, 2020 तक रु0 116276.50 लाख का व्यय करते हुये कुल 888299 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 का एक प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2025 तक ग्रामों में अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्वच्छता को बेहतर एवं स्थायी बनाने में योगदान देना है, जिससे ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर बेहतर हो सके। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 अंतर्गत खुले में शौच मुक्त (ओ0डी0एफ0) ग्राम के स्थायित्व को बनाए रखते हुए ओ0डी0एफ0 प्लस अभियान में जन समुदाय को जोड़ना है। द्वितीय चरण वर्ष 2020-2021 से 2024-2025 में मुख्यतः ओ0डी0एफ0 की निरंतरता के साथ-साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जाना है जिससे कि ग्रामों की स्वच्छता की स्थिति को सदृढ़ करते हुये ओ0डी0एफ0 प्लस ग्राम विकसित किया जा सके। "ओ0डी0एफ0 प्लस ग्राम" अर्थात वह ग्राम जहाँ खुले में शौच से मुक्त वातावरण सृजित हो, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का सुरक्षित व समुचित प्रबन्धन किया जा रहा हो तथा गांव के परिदृश्य पूर्ण रूप से साफ-सुथरा और विकसित हो।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के मुख्य अवयव-

- व्यवहार परिवर्तन एवं सामुदायिक अभिप्रेरण
- व्यक्तिगत शौचालय निर्माण
- शौचालय मरम्मत/रेट्रोफिटिंग
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)

- तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Liquid Waste Management)
- मलीय कीचड़ प्रबंधन (Fecal Waste Management)

स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2020 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण प्रारंभ कर दिया गया है। इस चरण में समुदाय एवं स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से देश के समस्त ग्रामों को निर्धारित मानकों के अनुरूप ओ0डी0एफ0 प्लस बनाए जाने का कार्य संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये रु0 203083.12 लाख (केन्द्रांश व राज्यांश) का आय-व्ययक का प्रावधान किया गया है।

बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

ग्राम पंचायतों के कार्यालयों उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 0.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में 1000 पंचायत भवन के निर्माण हेतु कुल रु0 2000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों में नागरिक अवस्थापना उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों के विकास का निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 10000.00 लाख का आय-व्ययक अनुमान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 10000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था।

डॉ० राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना

डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रु0 405.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु परामर्शी, जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम एवं ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण का कार्य आदि प्रमुख गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि रु0 169.00 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये धनराशि रु0 405.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में 60:40 (केन्द्रांशःराज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ किया गया है। प्रत्येक वर्ष राज्य द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना के सापेक्ष राष्ट्रीय स्तर पर योजना की स्वीकृति सेंट्रल एक्सीक्यूटिव कमेटी, पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत कुल धनराशि रु0 45961.21 लाख का आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष पंचायती राज

मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुल धनराशि रु0 59338.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है, जिसमें 60% केन्द्रांश रु0 35602.80 एवं 40% राज्यांश रु0 23735.20 लाख सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कुल धनराशि रु0 24563.00 लाख के सापेक्ष रु0 18950.00 लाख व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायत भवन निर्माण को प्राथमिकता देते हुए रु0 16655.00 लाख की धनराशि 1481 पंचायत भवन निर्माण हेतु हस्तान्तरित की गयी, जिसके सापेक्ष 60 पंचायत भवन पूर्ण एवं 1019 छत स्तर तक की प्रगति पर हैं। योजनान्तर्गत ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण मॉड्यूल, डाक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण, आई.ई.सी. हेतु संदर्भ साहित्य, जी.पी.डी.पी. पर पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मियों/ अधिकारियों/संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण, (प्रशिक्षित प्रतिभागी-71,810), एक्सपोजर विजिट, पंचायत प्रोत्साहन योजना, राज्य, मंडल एवं जनपद स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट यूनिट की स्थापना, पंचायतों में ई-गवर्नेन्स की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यथा प्रिया-सॉफ्ट, नेशनल एसेट डायरेक्ट्री, नेशनल पंचायत पोर्टल, प्लान-प्लस-वी.2, एक्शन सॉफ्ट, एम. एक्शन सॉफ्ट, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री, एरिया प्रोफाइलर के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 65271.80 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

पंचायतीराज विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 2500.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 2500.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना

प्रदेश की प्रत्येक दो ग्राम पंचायत में पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु दो चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 3000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 1000.00 लाख का आय व्ययक प्रावधान किया गया है।

राज्य वित्त आयोग

पंचायतों की आर्थिक स्थिति त्वरित गति से सुदृढ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश के कुल करों की शुद्ध आय का 5.5 प्रतिशत अंश पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में वर्ष 2020-21 में सामान्य समानुदेशन की धनराशि रु0 620000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान था। जिसके सापेक्ष रु0 413336.00 लाख पंचायती राज संस्थाओं को अवमुक्त किया जा चुका हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत रु0 660000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

15वाँ वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रु0 975200.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान था, जिसके सापेक्ष 50 प्रतिशत प्राप्त केंद्राश की धनराशि रु0 731400.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 720800.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

जिला पंचायतों में गोवंश संरक्षण/निराश्रित पशु संरक्षण हेतु कांजी हाउसों का पुनर्निर्माण /स्थापना एवं संचालन

वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 2600.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। उक्त योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 500.00 लाख का आय-व्ययक प्रावध ाान किया गया है।

वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण

पंचायतीराज विभाग

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	व्यय की मदें	वास्तविक व्यय वर्ष **2019-20**	आय-व्ययक वर्ष **2020-21**	पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष **2020-21**	आय-व्ययक अनुमान वर्ष **2021-22**
1	मतदेय	1713241.32	2113097.80	2113097.80	1574305.72
2	भारित	—	—	—	—
	योग मतदेय भारित	**1713241.32**	**2113097.80**	**2113097.80**	**1574305.72**

पंचायतों को अधिकारों का प्रतिनिधायन

73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 दिनांक 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के छठवाँ सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 में प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में प्रदेश में 58194 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें, 75 जिला पंचायतें हैं। 73वें संविधान संशोधन में निहित भावना के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से श्री जे0एल0 बजाज की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार एवं विकेन्द्रीकरण आयोग का गठन किया गया था।

उक्त आयोग की संस्तुतियों का अध्ययन करने तथा उस पर अपनी संस्तुतियां राज्य सरकार को देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में वर्ष 1995 में गठित की गयी थी। उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों को राज्य सरकार ने वर्ष 1997 में स्वीकार

कर लिया। समिति द्वारा 32 विभागों के कार्यों को चिन्हित कर उन्हें त्रिस्तरीय पंचायतों को हस्तान्तरित करने की संस्तुति की है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तद्नुसार कार्य हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

ई-गर्वनेंस से संबंधित निर्देश विषयक मुख्य सचिव के शासनादेश संख्या-1794 /78-आई-टी-2000 दिनांक 18.11.2000 के अनुपालन में संबंधित विभाग के आय-व्ययक में बजट प्रावधान करा लिया गया है एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जिला पंचायतों में गोवंश संरक्षण/निराश्रित पशु संरक्षण हेतु कांजी हाउसों का पुनर्निर्माण/स्थापना एवं संचालन

वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 2600.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। उक्त योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 500.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

पंचायतीराज (लेखा) निदेशालय

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	व्यय की मदें	वास्तविक व्यय वर्ष **2019-20**	आय-व्ययक अनुमान वर्ष **2020-21**	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष **2020-21**	आय-व्ययक अनुमान वर्ष **2021-22**
2.	मतदेय	1394.23	1832.10	1832.10	2032.10
	योग	**1394.23**	**1832.10**	**1832.10**	**2032.10**

जिला पंचायतों में वित्तीय नियंत्रण हेतु निदेशक, पंचायतीराज लेखा नाम से विभागाध्यक्ष का कार्यालय राज्य स्तर पर स्थापित है। इनके नियंत्रण में जिला पंचायतों में वित्तीय परामर्शदाता/लेखाधिकारी कार्यरत हैं, जो जिला पंचायतों को वित्तीय मामलों में परामर्श देते हैं और वित्तीय नियंत्रण का कार्य करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 2032.10 लाख आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

●

जल शक्ति विभाग
(सिंचाई एवं जल संसाधन)

मानव जाति के आर्थिक विकास में प्राकृतिक परिस्थितियों एवं भौगोलिक विशेषताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रकृति ने मानव के भरण-पोषण हेतु अनेक प्राकृतिक स्रोत भी उपलब्ध करायें हैं, जिनका सदुपयोग कर मानव समाज अधिकाधिक लाभान्वित होने का प्रयत्न करता है। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों में जल का प्रमुख स्थान है, जिसके अभाव में केवल मानव ही नहीं वरन् सामान्यतः सम्पूर्ण जीव-जन्तु एवं वनस्पतियों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। खाद्यान्न उत्पादन हेतु कृषि कार्यों में जल की पूर्ति सामान्यतया वर्षा के जल से ही होती है, किन्तु अनावर्षण, असामयिक अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में समय अनुसार कृत्रिम साधनों द्वारा जल उपलब्ध कराकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है एबं सम्भावित क्षति को पर्याप्त मात्रा में कम किया जा सकता है। प्रदेश के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत स्थित है एवं उसके हितकारी प्रभाव के फलस्वरूप प्रचुर जल सम्पदा उपलब्ध है, जिसका सदुपयोग आर्थिक विकास हेतु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

नीति

एक कल्याणकारी शासन प्रणाली में यह निहित होता है कि प्रदेश के कल्याण हैतु ऐसी नीति अपनाई जाय जिसके फलस्वरूप जनता को अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध हो सकें। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदेश के सन्तुलित विकास के लिये यह आवश्यक था कि प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोतों का कृषि उत्पादन के लिये अधिकाधिक उपयोग किया जाये, भले ही शासन को इस उपयोग में कोई प्रत्यक्ष लाभ न हो सके। अतः प्रदेश के चतुर्मुखी विकास हैतु प्रत्येक अंचल में उपलब्ध सभी स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग कर पर्याप्त सिंचन क्षमता सृजित कर उत्पादन में वृद्धि एवं कृषि में स्थिरता लाने हेतु शासन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत कार्यों के निर्माण पर बल दे रहा है।

दायित्व

प्रदेश में वृहद्, मध्यम एवं राजकीय लघु सिंचाई परियोजनाओं का अनुसंधान एवं निर्माण कर सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रदेश के सिंचाई विभाग का है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास योजनाओं तथा पावर कारपोरेशन द्वारा वित्त पोषित जल विद्युत परियोजनाओं के सिविल कार्यों के निर्माण कार्यों का सम्पादन एवं अनुरक्षण भी इसी विभाग के द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा निर्मित एवं अन्य संस्थाओं द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों, जो शासन द्वारा

स्थानान्तरित किये जाते हैं, के परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य भी सिंचाई विभाग करता है।

अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता

वर्ष 2021-2022 में वृहद एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं के निर्माण हेतु नाबार्ड योजनाओं के अन्तर्गत रुपये 28653.17 लाख (95 प्रतिशत नाबार्ड अंश + 5 प्रतिशत राज्यांश) केन्द्रीय सहायता (ए0आई0बी0पी0) के निमित्त रु0 180700.00 लाख (25 प्रतिशत के0 + 75 प्रतिशत रा0 + 33.39 के + 66.61 रा0 90 प्रतिशत के0 + 10 प्रतिशत रा0, 60 प्रतिशत के0 + 40 प्रतिशत रा0 (पी0एम0 कृ0ए0एस0वाई0) एवं वाह्य सहायतित योजनाओं हेतु रुपये 32000.00 लाख की ऋण सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई योजनाओं हेतु नाबार्ड अंश रु0 14256.18 लाख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु नाबार्ड अंश रु0 31395.27 लाख तथा केन्द्रीय सहायता (ए0आई0बी0पी0) के अन्तर्गत रु0 7109.52 लाख अनुदान के रूप में प्राप्त की जानी प्रस्तावित है।

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की नहरों पर सहभागी सिंचाई प्रबन्धन कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 एवं इससे सम्बन्धित नियमावली, 2010 के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के नियंत्रणाधीन नहरों से निकले कुलाबों पर कुलाबा समितियों के गठन का प्रावधान हैं। कुलाबा समितियों का गठन कुलाबा कमाण्ड के कृषकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। कुलाबा समितियों का निर्वाचन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा कराया जायेगा। नियमावली के अन्तर्गत इस निर्वाचन हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के प्रमुख अभियन्ता को मुख्य चुनाव अधिकारी, संगठन के मुख्य अभियन्ता स्तर-2 को चुनाव अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता को उप चुनाव अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता को खण्डीय चुनाव अधिकारी तथा निर्वाचन अधिकारी अधिकृत किया है। कुलाबा समितियों का गठन उ0प्र0 वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण आच्छादित क्षेत्रों के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रदेश में प्रथम बार किया जा रहा है। किसी निर्वाचन को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराने हेतु उसकी मतदाता सूची एक आधारभूत इकाई है। अतः मतदाता सूची का त्रुटिरहित तैयार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कुलाबा समितियों की मतदाता सूची में उन्हीं वयस्क भारतीय नागरिकों का नाम अंकित किया जाएगा, जो किसी नहर के कुलाबा कमाण्ड के समस्त भू-स्वामी/असामी/उप-असामी/अपनी भूमि बंधक रखने वाला कब्जेदार/पट्टेदार (टेन्योर होल्डर)/अनुज्ञापी (लाइसेंसी)/भू-घृतिधारक (लीजी) और वह व्यक्ति जो सिंचाई का लाभग्राही हो। निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा गठित कुलाबा समितियों द्वारा ही अल्पिका समितियों, रजबहा समितियों, शाखा समितियों एवं परियोजना समितियों के गठन किये जाने का प्रावधान है।

कतिपय योजनाओं/प्रणालियों द्वारा सिंचन क्षमता में वृद्धि प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कुलाबा समिति, अल्पिका समिति, राजबहा समिति, मतदाता सूची तैयार करने, मोबलाइजेशन निर्वाचन की प्रक्रिया, जल उपभोक्ता समितियों का सम्प्रेक्षण (आडिट) व अन्य हैतु रु0 1000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

सरयू नहर परियोजना

बहराइच व गोण्डा जनपदों मे स्थित घाघरा-राप्ती दोआब में 2.67 लख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बायीं तटीय घाघरा नहर परियोजना शासनादेश संख्या-1441/एस0ए0/बी0ए0/75/ 23-आई-4/23 डब्ल्यू/74, दिनांक-29-07-78 रु0 78.68 करोड़ की स्वीकृत की गयी थी। वर्ष 1982 में बायीं तटीय घाघरा नहर परियोजना को सरयू नहर परियोजना के नाम से पुनरीक्षित करके वर्ष 1978 के मूल्यों पर रु0 299.20 करोड़ की परियोजना बनायी गयी थी। इस परियोजना को परियोजना प्रावधानों में परिवर्तन कर वर्ष 1985 के मूल्यों पर रु0 7270.32 करोड़ का पुनरीक्षित किया गया।

इस परियोजना को नवम्बर 2015 में पी0एम0के0एस0वाई0 में सम्मिलित किया गया। परियोजना का वर्ष 2016 के मूल्यों पर पुनरीक्षित परियोजना के समस्त कार्यो की लागत रु0 9802.68 करोड़ जिसमें कार्यांश रु0 9275.99 करोड़ तथा अधिष्ठान आदि मद में रु0 526.69 करोड़ है, जो व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07-10-2017 द्वारा अनुमोदित की गई।

परियोजना में 9802.68 करोड़ के सापेक्ष अब तक की कुल 9203.77 करोड़ व्यय किया जा चुका है वर्ष 2020-21 में रु0 1404.00 करोड़ का बजट प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक प्राप्त रु0 805.25 करोड़ के सापेक्ष रु0 696.34 करोड़ व्यय किया जा चुका है। परियोजना पर कुल आवश्यक भूमि 25027.72 हेक्टेयर के सापेक्ष 25012.741 हेक्टेयर भूमि प्राप्त कर ली गई है। कुल अवशेष नहरो के निर्माण 3122.188 के सापेक्ष 3002.023 किमी0 नहरों का निर्माण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। मुख्य नहर पर कुल 693 पक्के कार्य के सापेक्ष 616 पक्के कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं राजवाहा एवं अल्पिका पर कुल 5518 पक्के कार्य के सापेक्ष 5276 पक्के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। परियोजना को मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2021 हेतु इस परियोजना पर रु0 61000.00 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

अर्जुन सहायक परियोजना

इस परियोजना के अन्तर्गत चौ0 चरण सिंह लहचूरा बांध से 73.60 क्यूमेक डिस्चार्ज की अर्जुन फीडर नहर निर्मित की जायेगी जिससे अर्जुन बांध को पानी दिया जा सकेगा। तत्पश्चात अर्जुन बांध से 62.32 क्यूमेक डिस्चार्ज की कबरई फीडर नहर निकाल कर चन्द्रावल तथा कबरई बांध को पानी दिया जा सकेगा तथा कबरई बांध की ऊंचाई 8.00 मी0 बढ़ाते हुए जल भंडारण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। कबरई बांध से 50 कि0मी0 की कबरई मुख्य नहर व 110 किमी0 इसकी वितरण प्रणाली द्वारा नये कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से जनपद-महोबा, बांदा एवं हमीरपुर के 168 ग्रामों के 149764 कृषक सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित होंगे तथा रबी फसली में 25418 हे0 एवं खरीफ फसली में 18963 हे0 कुल 44381 है0 अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन के साथ-साथ महोबा जनपद को पेयजल हेतु 20 एम0सी0एम0

जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान समय तक लहूचरा बांध से अर्जुन बांध व चन्द्रावल बांध को भरा गया है, जिससे ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज में भारी वृद्धि हुयी है। अगले वित्तीय वर्ष से तीसरा बांध कबरई भी भरा जाने लगेगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। परियोजना कार्यों हेतु कुल 3391.620 हेक्टेयर भूमि क्रय की जानी थी, जिसके सापेक्ष जनवरी 2021 तक 3389.76 हे0 भूमि क्रय की जा चुकी है। अवशेष भूमि को इसी वित्तीय वर्ष में क्रय कर लिया जायेगा।

परियोजना की लागत रु0 2593.93 करोड़ एवं स्वीकृत जी0एस0टी0 की धनराशि रु0 61.42 करोड़ कुल धनराशि रु0 2655.35 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 20-02-2021 तक रु0 2584.6335 करोड़ का धनावंटन् प्राप्त हुआ है, जिसका पूर्ण उपभोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। वर्तमान तक परियोजना के 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं अवशेष कार्यों एवं जी0 एस0टी0 भुगतान हेतु अवशेष धनराशि (2655.35-2584.6335-70.72) रु0 70.72 करोड़ को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्राविधानित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु इस परियोजना पर रु0 4000.00 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

मध्य गंगा नहर परियोजना, द्वितीय चरण

मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत वर्षाकाल में गंगा नदी के अतिरिक्त पानी का खरीफ फसली में सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने में उपयोग कराना प्रस्तावित है। इसके लिये बिजनौर स्थित मध्य गंगा बैराज के बांये पार्श्व पर पूर्व में निर्मित हैड रेगुलेटर से मुख्य नहर का निर्माण कर गंगा नदी के पानी को इसमें डाईवर्ट कर इस नहर द्वारा पानी का उपयोग किया जायेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत 147.00 क्यूमेक्स क्षमता की 66.20 कि0मी0 लम्बी मुख्य लाईन नहर एवं इससे 50 कि0मी0 लम्बाई की बहजोई शाखा जिसका शीर्ष डिस्चार्ज 60 क्यूमेंक्स (2118.0 क्यूसेक) तथा 60.00 कि0मी0 लम्बाई की चन्दौंसी शाखा जिसका शीर्ष डिस्चार्ज 42.60 (1503.78 क्यूसेक) क्यूमेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना के अन्तर्गत 1167 कि0मी0 वितरण प्रणाली का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना का कुल सी0सी0ए0 2,25,433 हेक्टेयर है जिसके सापेक्ष जनपद अमरोहा, मुरादाबाद एवं सम्भल के 1,46,532 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। मध्य गंगा मुख्य नहर जनपद बिजनौर व अमरोहा से गुजरती है व बहजोई एवं चन्दौसी शाखा जनपद अमरोहा व सम्भल से गुजरती है। वर्ष 2004 के मूल्य सूचकांक के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2007 में परियोजना की लागत 1060.76 करोड़ की स्वीकृति थी, जिसका पुनरीक्षण वर्ष 2011 के मूल्य सूचकांक के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2013 में परियोजना की लागत रु0 2865.11 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। परियोजना की इन्वेस्टमेन्ट क्लीयरेंश योजना आयोगः भारत सरकार द्वारा 2.06.2013 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) ए0आई0बी0पी0 से वित्त पोषित करने हेतु भारत सरकार के साथ एम0ओ0यू0 मूल परियोजना लागत रु0 972.49 करोड़ पर किया गया था। जल

संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2013 में जारी ए0आई0बी0पी0 की संशोधित दिशा निर्देशों के अनुरूप मार्च, 2013 तक परियोजना पर किये गये व्यय के उपरान्त मूल कार्य लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि पर 20% वृद्धि स्वीकार करते हुए पुनरीक्षित एम0ओ0यू0 कुल रु0 975.31 करोड़ हेतु कर दिया है।

उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना-द्वितीय चरण

उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना-द्वितीय चरण विश्व बैंक सहायतित परियोजना है। यह परियोजना अक्टूबर 2013 से संचालित है। परियोजना मार्च 2021 तक पूर्ण की जानी है। इस परियोजना के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराना सम्मिलित है। परियोजनान्तर्गत 16 संगठनों के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि सम्बन्धित विभिन्न कार्य कराने जा रहे हैं। इस परियोजना से 6 जनपदों के रु0 7.17 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

परियोजना की मूल लागत रु0 2835 करोड है जिसके सापेक्ष 75 प्रतिशत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान मे इस परियोजना हेतु रु0 20000.00 लाख का प्रावधान है।

कनहर सिंचाई परियोजना

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी तहसील अनवरत सूखाग्रस्त रहती है यहाँ की जनसंख्या आदिवासी बाहुल्य है तथा सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इस तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कनहर नदी पर 39.90 मीटर ऊँचा तथा 3.24 किमी0 लम्बा बांध बनाकर 0.15 मिलियन एकड़ फीट जल उपयोग करने हेतु कनहर सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना में 121.10 किमी0 मुख्य नहरें एवं शाखायें तथा 190.00 किमी0 लम्बी राजवाहों एवं अल्पिकाओं के माध्यम से 26075 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में दोनों फसलों को मिलाकर कुल 35467 (खरीफ 21121 हे0+रबी 14346 हे0) हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से दुद्धी एवं चोपन विकास खण्डों के लगभग 108 ग्रामों के परिवारों की जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित 12 बन्धियों को भी अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में परियोजना पर रु0 200.00 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह 10-2020 तक रु0 25.00 का उपभोग कर लिया गया है। परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 72 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु इस परियोजना पर रु0 15180.00 लाख का प्रावधान है।

बदायूँ सिंचाई परियोजना

गंगा नदी एवं रामगंगा नदी के दोआब में स्थित जनपद बरेली की तहसील सदर एवं तहसील आंवला तथा जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज व सदर में वर्तमान में नहरों से सिंचाई हेतु कोई

सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां की सिंचाई मुख्यतः भू-जल तथा वर्षा जल पर निर्भर रहती है। विगत कई वर्षो से बदायूँ जनपद के अधिकांश भाग में नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जा रही है। इस कारण से जनपद बदायूँ एवं जनपद बरेली की आंवला तहसील के भूगर्भ जल स्तर के कारण अधिकांश नलकूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में प्रायः असफल हो जाते हैं। क्षेत्र में नहरों से खरीफ फसल को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बदायूँ सिंचाई परियोजना तैयार की गई है। परियोजना के अन्तर्गत सकल कमाण्ड क्षेत्रफल 66877 हे0, कृषि कमाण्ड क्षेत्रफल 53504 है और खरीफ की फसल का समुचित एवं सुनिश्चित सिंचन क्षेत्र 37453 हे0 (कृषि कमाण्ड का 70 प्रतिशत) है। परियोजना के अन्तर्गत रामगंगा बैराज का निर्माण, मुख्य नहर 15.600 किमी0, शाखाएं 73.600 किमी0 एवं राजवाहे व अल्पिकाएं 380.100 किमी का निर्माण प्रस्तावित है। बैराज का परिकल्पन 10900 क्यूसेक डिस्चार्ज पर किया गया है। बैराज की लम्बाई 617 मी0 है।

परियोजना की कुल लागत आधार मूल्य वर्ष 2011-12 पर रु0 630.04 करोड़ आगणित की गयी थी, जिसे दिनांक 27.04.2012 को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त परियोजना 3 मार्च 2017 तक अवधि में पूर्ण करने हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गयी थी। परियोजना पर अब तक प्राप्त आवंटन के सापेक्ष परियोजना की कुल प्रगति अब तक लगभग 63 प्रतिशत है। जिसमें बैराज का निर्माण कार्य अब तक लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। विगत वर्षो में भूमि की सर्किल दरों में वृद्धि हो जाने व नये शासनादेश के अनुसार प्रतिकर की दर वर्तमान सर्किल दरों के चार गुने का प्रावधान किये जाने के कारण तथा शेड्यूल ऑफ रेट्स के पांच बार पुनरीक्षित होने के कारण तथा परियोजना के पक्के कार्यों के विस्तृत अनुमोदित ड्राइंगों के आधार पर सिविल कार्यों की मात्राओं में भी वृद्धि हो जाने के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हो गयी है। इस प्रकार पुनरीक्षित परियोजना लागत रु0 2208.22 करोड़ की तैयार कर मार्च 2016 में अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी। पुनरीक्षित प्रायोजना को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित करने के पश्चात् व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.07.2019 में रु0 (210015.79 लाख एवं जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) की लागत पर स्वीकृत किया गया। पुनरीक्षित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रत्याशा में है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 8000.00 लाख का प्रावधान है।

जनपद रामपुर मे कोसी नहर प्रणाली के विस्तार, रिमोडलिंग एवं आधुनिकीकरण (ई0आर0एम0) के अन्तर्गत कोसी नदी पर रामपुर बैराज के निर्माण की परियोजना

जनपद रामपुर की तहसील स्वार में मुख्य कोसी नहर कोसी नदी के दाएँ किनारे से निकलती हैं इस नहर का शीर्ष निस्सरण क्षमता 400 क्यूसेक एवं नहर प्रणाली की कुल लम्बाई 197.03 किमी0 तथा सी0सी0ए0 24925 हेक्टयर प्रस्तावित है। निर्माणाधीन रामपुर बैराज, लालपुर वियर से 3.00 किमी0 डाउन स्ट्रीम में स्थित है। बैराज निर्माण से नहरों के कमांड क्षेत्र में कृषकों के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ विकास खण्ड सैदनगर, सवार एवं चमरव्वा जो कि वर्तमान में डार्क जोन में है के जलस्तर में सुधार लाने में सहायक होगा। परियोजना निर्माण से

सिंचाई क्षमता खरीफ में 13337 हेक्टेयर तथा रबी में 8487 हेक्टेयर करना प्राविधानित है रामपुर-बैराज 4517 क्यूमेक डिस्चार्ज के लिये डिजाइन किया गया है, कुल वाटर वे 352.00 मी० है।

रामपुर बैराज की मूल परियोजना व्यय वित्त समिति की दिनांक 12-11-2014 की बैठक में धनराशि रु० 216.35 करोड़ की स्वीकृत है। परियोजना की लागत वृद्धि मुख्यतः नये शासनादेश के अनुसार भूमि प्रतिकर की दर वर्तमान सर्किल दरों के चार गुने का प्रावधान व शेड्यूल आफ रेट्स में वृद्धि तथा विस्तृत डिजाइन के पश्चात स्वीकृत डिटेल ड्राइंग के अनुसार आइटम की मात्राओं में वृद्धि हुई है। अतः पुनरीक्षित परियोजना बनाकर 2018 में प्रस्तुत की गयी। पुनरीक्षित परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित करने के पश्चात व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03-07-2019 में (रु० 595.99 करोड़ की परियोजना एवं जी०एस०टी० नियमानुसार देय) की लागत पर स्वीकृत किया गया। रामपुर बैराज का निर्माण कार्य प्रगति में है। रामपुर बैराज की भौतिक प्रगति (पुनरीक्षित परियोजना) के सापेक्ष 41 प्रतिशत है। पुनरीक्षित परियोजना की मा० कैबिनेट से स्वीकृत होना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 23357.93 लाख का प्रावधान है।

गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना

गण्डक नहर प्रणाली पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर मण्डल के जनपद गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गण्डक नहर प्रणाली का कृषि योग्य क्षेत्र 3.95 लाख हेक्टेयर है। यह नहर नेपाल एवं बिहार की सीमा पर स्थित गण्डक नदी पर निर्मित बाल्मिकी नगर बैराज से नदी के दायें तट से निकलती है तथा किमी० 0.000 से किमी० 18.900 से नेपाल राष्ट्र एवं 8.900 से उत्तर प्रदेश राज्य में झुलनीपुर नामक स्थान पर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश की सीमा में नहर की लम्बाई 131.400 किमी० है।

गण्डक नहर प्रणाली की नहरें विगत 50 वर्षों से निर्मित हैं जिससे प्रणाली की नहरों की प्रवाह की क्षमता में उत्तरोत्तर व्यापक कमी आ गयी थी जिसके लिए कृषकों के हित में सिंचन क्षमता में वृद्धि करने हेतु गण्डक नहर प्रणाली क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना की स्वीकृति करायी गयी जिसकी लागत 277.30 करोड़ है तथा इस परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर 112.500 किमी०, शाखा नहर 361.373 किमी०, राजवाहा नहर 1287.826 किमी० तथा अल्पिका नहर 1145. 300 किमी०, अर्थात 3270 किमी० नहरों के पुनर्स्थापना के साथ-साथ 3130 पुलों, 465 फाल, 522 ड्रेनेज साइफन, 667 रेगुलेटर, 9344 आउटलेट, 2164 बेडबार, 64124 वर्गमीटर ब्रिक लाईनिंग एवं 112.500 किमी० सडक के मरम्मत का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत कुल 3278.031 किमी० नहरों के पुनर्स्थापना के साथ-साथ 1681 पुलों, 163 फालों, 35 ड्रेनेज साइफन, 472 रेगुलेटर, 8244 आउटलेट, 229 बेडबार एवं 52191.00 वर्गमीटर ब्रिक लाईनिंग 2.800 किमी० सड़क मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है। परियोजना का अब तक भौतिक कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

जनपद महराजगंज में स्थित रोहिन नदी पर रोहिन बैराज-3 के निर्माण कार्य की परियोजना

जनपद महराजगंज में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने हेतु रोहिन नहर प्रणाली निर्मित है जिसकी कुल लम्बाई, 45 किमी0 है जिसमें मुख्य नहर की लम्बाई 18.000 किमी0 तथा राजवाहों एवं अल्पिकओं की लम्बाई 27.00 किमी0 है रोहिन मुख्य नहर का हेड डिस्चार्ज 110 क्यूसेक है। रोहिन नहर प्रणाली का कुल सी0सी0ए0 8811 हेक्टेयर एवं पी0पी0ए0 7418 हेक्टेयर है। उक्त प्रणाली के अन्तर्गत वीयर के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद प्रत्येक वर्ष अस्थाई बंधा बनाकर वर्तमान में रबी में औसतन 1213 हेक्टेयर सिंचाई होती है।

रोहिन बैराज-3 का निर्माण रोहिन नदी पर पुराने क्षतिग्रस्त वीयर के अपस्ट्रीम में 70 मी0 का दूरी पर 86.00 मी0 लम्बा बैराज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बैराज-3 के निर्माण के बाद रबी में 4046 हेक्टेयर एवं खरीफ में 3372 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। इस परियोजना के निर्माण से जनपद महराजगंज के नौतनवां एवं लक्ष्मीपुर ब्लाक के 65 ग्रामों के लगभग 50,000 किसान लाभान्वित होंगे। परियोजना का लाभ लागत अनुपात 0.26/1 है।

चौधरी चरण सिंह देवकली पम्प नहर प्रणाली पर संचयी योजना के अन्तर्गत बिरनों राजवाहा के किमी० 20,600 से किमी० 45,200 के मध्य सी०सी० लाइनिंग की परियोजना

चौधरी चरण सिंह देवकली पम्प नहर प्रणाली का शीर्ष जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर के ग्राम जौहरगंज के निकट गंगा नदी के बायें तट पर स्थित है। शीर्ष पर स्थित पक्के पम्प हाउस पर 150 क्यूसेक डिस्चार्ज के 8 पम्प (एक पम्प स्टैंड बाई के रूप में) स्थापित कर प्रणाली को 1050 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने हेतु परिकल्पित किया गया है। इस प्रणाली द्वारा जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर, जखनियां, गाजीपुर एवं मुहम्मदाबाद में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

चौधरी चरण सिंह देवकली पम्प नहर प्रणाली के अन्तर्गत देवकली मुख्य नहर की कुल लम्बाई 39.200 किमी0 है। इस मुख्य नहर के टेल से बिरनों राजवाहा निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 45.200 किमी0 एवं शीर्ष डिस्चार्ज 450 क्यूसेक है। इस राजवाहा द्वारा जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बिरनों, मरदह, कासिमाबाद एवं बाराचवर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं, बिरनों नहर प्रणाली की कुल सी0सी0ए0 27894 हेक्टेयर है, जिसके विरुद्ध प्रस्तावित सींच खरीफ 9763 हेक्टेयर तथा रबी 705 हेक्टेयर है। उक्त प्रस्तावित सी0सी0ए0 के सापेक्ष औसतन 4483 हेक्टेयर खरीफ एवं 2878 हेक्टेयर रबी में सींच हो रही है ।

बिरनों राजवाहा के किमी0 20.600 से किमी0 45.200 तक नहर का अधिकतम भाग भराव एवं ऊसर क्षेत्र से गुजरता है, जिसके कारण भराव क्षेत्र में नहर के दोनों ओर सीपेज होने के कारण जल जमाव की समस्या बनी रहती है एवं फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है तथा गंगा नदी से उठाया गया बहुमूल्य जल बर्बाद होता है। बिरनों राजवाहा के किमी0 20.600 से किमी0 45.200 तक कुल लम्बाई 24,600 किमी0 के सी0सी0 लाइनिंग का कार्य पेवर मशीन द्वारा कराने की परियोजना रु0 3415.45 लाख की तैयार की गयी है।

इस परियोजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात् बिरनों राजवाहा के किमी0 20.600 से किमी0 45.200 तक सीपेज एवं जल जमाव की समस्या दूर होने के साथ-साथ फसली 1415 से 1419

में प्राप्त औसत सींच 4483 हेक्टेयर खरीफ एवं रबी 2878 हेक्टेयर से बढ़कर खरीफ में 5380 हेक्टेयर एवं रबी में 3454 हेक्टेयर हो जाएगी, जो वर्तमान औसत सींच में 20 प्रतिशत की वृद्धि है। परियोजना का लाभ लागत अनुपात 1.81:1 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 1410.06 लाख का प्रावधान है।

नाहल बैराज परियोजना

जनपद रामपुर की तहसील स्वार में नाहल बैराज से निकालने वाली नहर प्रणाली की क्षमता 48 क्यूसेक तथा नहरों की कुल लम्बाई 41.07 किमी0 है। यह प्रणाली जनपद रामपुर के 38 ग्रामों की 7186 हेक्टयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस प्रणाली के अंतर्गत औसत सिंचाई खरीफ फसली में 2419 हेक्टयर तथा रबी फसली में 2821 हेक्टयर थी, जो हरिपुरा बौर जलाशय के निर्माण के बाद बढ़ गयी है। अतः कृषि पैटर्न एवं पानी की आवश्यकता के दृष्टिगत नहर प्रणाली की क्षमता 80 क्यूसेक होने पर खरीफ फसल के क्षेत्र में 50 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि होगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 178.81 लाख का प्रावधान है।

लोअर सैंजनी बैराज परियोजना

जनपद रामपुर कृषि प्रधान होने के कारण अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिस हेतु रामपुर की तहसील बिलासपुर में सैंजनी वियर का निर्माण स्टेंट पीरियड में लगभग 100 वर्ष पूर्व किया गया था। सैंजनी वियर इनमें से एक है। जो वर्ष 1988 में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये लोअर सैंजनी बैराज एवं नहर प्रणाली के निर्माण हेतु परियोजना तैयार की गयी। इस बैराज से निकलने वाली नहरों की कुल लम्बाई 28.60 किमी0 व सी0सी0ए0 खरीफ में 1550 हेक्टेयर और रबी में 1539 हेक्टयर है। उक्त परियोजना दिनांक 06-03-2018 को मुख्य अभियंता समिति की बैठक में अनुमोदित की गयी। इसके उपरांत यह परियोजना व्यय वित्त समिति की बैठक, दिनांक 29-09-2018 को प्रस्तावित लागत (रु0 4181.85 लाख के सापेक्ष संशोधित लागत (रु0 3744.60 लाख एवं जी0एस0टी0 नियमानुसार देय) पर अनुमोदित की गयी।

बैराज का परिकल्पन 250 क्यूमेक डिस्चार्ज पर किया गया है। बैराज की कुल लम्बाई 56 मी0 है। यह प्रणाली 26 ग्रामों की 1881 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध कराती थी। लोअर सैंजनी बैराज के निर्माण एवं नहरों की पुनर्स्थापना से यह सिंचाई सुविधा पुनः बहाल हो जायेगी। लोअर सैंजनी बैराज का निर्माण कार्य प्रगति में है। वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत कार्य हो गया है। उक्त की पुनरीक्षित परियोजना लागत रु0 8598.48 लाख की मुख्य अभियन्ता समिति द्वारा दिनांक 30.12.2020 को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 698.80 लाख का प्रावधान है।

रसिन बांध परियोजना

रसिन बांध परियोजना जनपद चित्रकूट के तहसील कर्वी मे ग्राम रसिन के पास बानगंगा नदी पर निर्माणाधीन है। परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2003-04 से प्रारम्भ किया गया है। तत्समय

परियोजना की मूल लागत रु0 1724.62 लाख थी, वर्तमान मे पुनरीक्षण उपरान्त रु0 14164.62 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष परियोजना के अधिकांश कार्य जैसे- बांध, स्पिलवे, हेड स्लूस दायीं एवं बायीं मुख्य नहर, खरेली डायवर्जन वियर एवं चैनेल, निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। डूब क्षेत्र से प्रभावित चारों ग्रामों को पुनर्वासित किया जा चुका है, तथा तत्सम्बन्धी डूब क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि का आंशिक प्रतिकर दिया जाना शेष है। परियोजनान्तर्गत चार अदद माइनरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष चारों माइनरों का शतप्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर कृषको की मांग के अनुसार रबी 1428 फसली मे सिंचाई हेतु नहर का संचालन किया जा रहा है। डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि के अवशेष प्रतिकर की कार्यवाही प्रक्रियागत है।

चतुर्थ स्वीकृति परियोजना लागत रु0 141.64 करोड के सापेक्ष वर्ष 2020-21 तक रु0-120.9165 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हो सकी है, जिसमें उपरोक्त कार्यों का सम्पादन किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 मे मात्र रु0 6.4666 करोड की धनराशि अवमुक्त हो सकी है। शेष 19.3997 करोड़ वर्तमान वित्तीय वर्ष मे प्राविधानित है। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत परियोजना लागत रु0 141.64 करोड़ मे भू प्रतिकर विषयक दरें सर्किल रेट वार्षिकी पर आधारित है, जबकि वर्तमान शासनादेश 9 मार्च 2015 के अनुसार वर्तमान मे भू प्रतिकर का सर्किल रेट के चार गुना दर पर देय होगा। इस प्रकार परियोजना कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु पुनरीक्षित राशि रु0 141.64 करोड की परियोजना लागत के सापेक्ष 11-2020 तक अवमुक्ति धनराशि रु0 120.9165 करोड के सापेक्ष 115.9278 करोड की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 मे आवंटित एवं प्राविधानित राशि रु0 25.8663 करोड की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 मे रु0 1.3299 करोड धनराशि की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 134.00 लाख का प्रावधान है।

भौंरट बांध परियोजना

भौंरट बांध परियोजना जनपद ललितपुर के तहसील महरौनी के विकास खण्ड महरौनी में ग्राम भैंरा के समीप जामनी नदी जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है, पर वर्तमान जामनी बांध के लगभग 49 किमी0 डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत जामनी नदी पर 45.08 मि0घन0मी0 जलग्रहण क्षमता के बांध का निर्माण किया जायेगा, जिसके दायें पार्श्व से 4.00 किमी0 लम्बी, 0.5 क्यूसेक शीर्ष निस्सारण क्षमता की नहर का निर्माण प्रस्तावित है तथा बांध कें बायें पार्श्व से 18.200 किमी0 लम्बी, 5.60 क्यूमेक शीर्ष निस्सारण क्षमता की फीडर चैनल का निर्माण कर जामनी बांध की बायीं नहर प्रणाली के अन्तर्गत बानपुर राजवाहे के किमी0 13.300 पर जल पहुंचा कर बानपुर राजवाहे के किमी0 29.000 तक टेल कमाण्ड में तथा नहर प्रणाली निर्मित कर 7000 हे0 रबी एवं 9000 हे0 खरीफ अर्थात कुल 16000 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं 1 एम0सी0एम0 जल पेयजल हैतु आरक्षित है।

भौंरट बांध परियोजना पर वित्तीय वर्ष में रु0 5000.00 लाख का प्रावधान है।

चौधरी चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना के अवशेष कार्यों की परियोजना

लखेरी बांध परियोजना का निर्माण जनपद- झांसी की मऊरानीपुर एवं टहरौली तहसील में ग्राम किशोरपुरा एवं महेबा के पास लखेरी नदी पर कराया गया है। बांध की लम्बाई 4.88 किमी0 एवं ऊंचाई 44.80 मी0 है। इस बांध के निर्माण से रबी में 1980 हे0 एवं खरीफ में 11800 हे0 सींच होगी। परियोजना के अन्त 56 क्यूसेक की मुख्य जिसकी लम्बाई 9.20 किमी0 तथा अल्पिकाओं सहित वितरण प्रणाली की लम्बाई 21.00 किमी0 है।

चौ0 चरण सिंह लखेरी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित कृषकों के भू-प्रतिकर अनुकम्पा राशि पुनर्वास से सम्बन्धित विकास कार्य किया जाना शेष है, जिससे सम्बन्धित अवशेष कार्यो की परियोजना लागत रु0 2437.00 लाख अनुमोदित है। वर्ष 2019-20 तक भू-प्रतिकर का रु0 1212.42 लाख का भुगतान किया गया है।

अवशेष भू-प्रतिकर का भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु धनराशि रु0 222.54 लाख का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 767.72 लाख का बजट प्रावधान है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना

उ0प्र0 एवं म0प्र0 के बीच स्थित केन-बेतवा लिंक कमाण्ड में उपलब्ध जल के समुचित उपयोग/ वितरण के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन्द्र सरकार के तत्वावधान में दिनांक 25.08.2015 को एक एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसार म0प्र0 एवं उ0प्र0 के बीच केन नदी के बटवारे पर सहमति हुई। इस परियोजना को दो फेज में तैयार किया गया। प्रथम फेज के अन्तर्गत केन नदी पर दोधन बाँध का निर्माण प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित स्थल म0प्र0 राज्य के जनपद पन्ना की तहसील बीजापुर में स्थित है। बांध में जल की उपलब्धता 248.00 टी0एम0सी0 आंकलित की गयी है। इसमें से 80.00 टी0एम0सी0 बांध के अन्दर म0प्र0 के उपयोग, 15.00 टी0एम0सी0 क्षेत्रीय रिचार्ज को सम्मिलित करते हुए लगभग 123.00 टी0एम0सी0 जल उपलब्ध-होगा। इस परियोजना का जल दोनों राज्यों के मध्य क्रमशः 60-60 टी0एम0सी0 प्राविधानित है। अवशेष जल का उपयोग, बांध के नीचे ईकोलॉजिकल व बेतवा वेसिन के लिये किया जाना है।

प्रथम फेज-1

प्रस्तावित दोधन बांध से निकलने वाली केन बेतवा लिंक नहर का निर्माण प्रथम फेज में कराया जाना है जिसके द्वारा केन नदी में वर्षाकाल में बहने वाले अतिरिक्त जल को बेतवा बेसिन में 06 जनपदों में देकर पहुँचाया जाना है। यह जल लिंक नहर के माध्यम से जनपद-झांसी की बरूआ सागर झील में डालते हुए प्राकृतिक बरूआ नाले के माध्यम से बेतवा वेसिन में निर्मित जनपद-झांसी (उ0प्र0) के पारीछा वीयर में डाला जायेगा, जिससे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, पर्यटन को लाभ सहित उ0प्र0 व म0प्र0 की नहरों से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रथम फेज-2

केन बेतवा लिंक नहर की परियोजना के द्वितीय फेज में बेतवां नदी में डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम की ओर राजघाट बाँध के अपस्ट्रीम में म0प्र0 के उपयोग हेतु बांधों का निर्माण प्रस्तावित है। इन बाँधों के बन जाने से डाउन स्ट्रीम में स्थित उ0प्र0 राज्य के बेतवा बेसिन के राजघाट, माताटीला, सुकुवां ढुकुवां एवं पारीछा वीयर प्रभावित होंगे, जिनकी प्रतिपूर्ति केन बेतवा नहर के माध्यम से की जायेगी।

केन बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण से म0प्र0 राज्य के छतरपुर, पन्ना एवं टीकमगढ़ जनपद एवं उ0प्र0 राज्य के बांदा, महोबा एवं झांसी जनपद कुल 6 जनपद लाभान्वित होंगे, जिससे नहर के मध्य भाग में पडने वाले भू-भाग क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कुल 6,35,661.00 हे0 के विरुद्ध म0प्र0 को 3,69,949.00 हे0 तथा उ0प्र0 को 2,65,712.00 हे0 सिंचाई प्रस्तावित है। यह परियोजना 2008 के मूल्य पर आगणित लागत रु0 9393.00 करोड़ थी जो वर्ष 2016 में पुनरीक्षित होकर 18057.08 करोड़ हो गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस परियोजना हेतु रु0 49.00 लाख का बजट प्रावधान है।

राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हिस्से का अंश

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समुचित विकास में सिंचाई योजनाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका के अन्तर्गत बेतवा नदी में उपलब्ध अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु राजघाट बाँध योजना प्रस्तावित की गयी, जिससे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ पूर्व सिंचित क्षेत्र में अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों लाभान्वित होंगे। परियोजना से उपलब्ध लाभ व इस पर होने वाले व्यय का बराबर-बराबर बंटवारा दोनों राज्यों में किया गया है। बाँध का निर्माण भारत सरकार द्वारा गठित बेतवा नदी परिषद द्वारा सम्पादित हो चुका है। नहर प्रणालियों का निर्माण संबंधित राज्यों द्वारा किया जा रहा है। यह योजना केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त परियोजना हेतु रु0 2500.00 लाख का बजट प्रावधान आय-व्ययक अनुमान में उपलब्ध है।

कचनौंदा बाँध परियोजना

कचनौंदा बाँध परियोजना जनपद-ललितपुर की तहसील-महरौनी के विकास खण्ड बार में ग्राम-गुगरवारा के नजदीक 780.35" पूर्व देशान्तर एवं 240.44" दक्षिण अक्षांश पर सजनम एवं बानई के संगम स्थल से लगभग 1.50 किमी0 अपस्ट्रीम सजनम एवं बानई नदी पर निर्माणाधीन है। प्रस्तावित बाँध स्थल ललितपुर-कैलगुवाँ मार्ग पर सजनम नदी पर निर्मित पुल से 0.500 किमी0 अपस्ट्रीम में स्थित है।

प्रश्नगत बाँध की लम्बाई 4.10 किमी0 एवं अधिकतम ऊँचाई 16 मी0 है। बाँध से बाढ़ के साथ जलः निकासी हेतु 187.00 मी0 लम्बे स्पिलवे (127.00 मीटर ओवर फ्लो + 2x25 मीटर नान ओवर फ्लो) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस बाँध से क्रमशः बायीं मुख्य नहर एवं दायीं मुख्य नहर का निर्माण करते हुये 10850 हे0 भूमि में सिंचन सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। बायीं मुख्य नहर एवं दायीं मुख्य नहर की लम्बाई क्रमशः 15.400 किमी0 तथा

8.400 किमी0 एवं डिस्चार्ज 106.00 क्यूसेक तथा 100.00 क्यूसेक है। बाँध की कुल उपयोगी क्षमता 54.64 एम0सी0एम0 है। बाँध में 0.66 एम0सी0एम0 पेयजल का भी प्रावधान किया गया है जो निकटवर्ती ग्रामों की पेयजल व्यवस्था हेतु उपयोग किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 30000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

बाढ़ प्रबंधन कार्य

बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें

उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.96 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश का लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जो देश में प्रभावित क्षेत्र 346.16 लाख हेक्टेयर का लगभग 21 प्रतिशत है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सापेक्ष 14.64 लाख हेक्टेयर वन व अन्य क्षेत्र तथा 58.72 लाख हेक्टेयर को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अब तक प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा हेतु लगभग 523 अदद कुल तटबंध कुल लम्बाई 3868 किमी0 एवं 1380 अदद कटाव निरोधक कार्य (स्टड, स्पर, पिचिंग, डैम्पनर इत्यादि) का निर्माण किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप प्रदेश के कुल 22.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जा सका है, जबकि लगभग 35.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अभी सुरक्षित किया जाना है।

वार्षिक योजना (2020-21)

वार्षिक योजना 2020-21 में चलित परियोजनाओं हेतु कुल रु0 966.00 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसमें से भारत सरकार के बाढ़ प्रबन्धन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के अर्न्तगत रु0 160.00 करोड़ की बजट व्यवस्था स्वीकृत है, उक्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष अब तक रु0 46.89 करोड़ का आवंटन किया गया। नाबार्ड पोषित मद के अर्न्तगत रु0 143.00 करोड़ की बजट व्यवस्था स्वीकृत है, उक्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष अब तक रु0 80.91 करोड़ का आवंटन किया गया एवं राज्य पोषित मद के अर्न्तगत रु0 663.00 करोड़ की बजट व्यवस्था स्वीकृत है, उक्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष अब तक रु0 467.57 करोड़ का आवंटन किया गया। दिनांक 15.01.2021 तक कुल रु0 595.37 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में कुल चलित 254 बाढ़ परियोजनाओं में से 163 परियोजनायें इसी वित्तीय वर्ष में एवं शेष 121 परियोजनायें वर्ष 2021-22 में पूर्ण की जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 210 नई बाढ़ परियोजनायें लागत रु0 1347.95 करोड़ की वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से नेपाल राष्ट्र की 08 नई परियोजनायें लागत रु0 34.46 करोड़ भी सम्मिलित है, जिसके व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

●

पशुधन

उत्तर प्रदेश, विशाल जनसंख्या, पशु संख्या एवं क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक आबादी को प्रदेश सरकार से बहुत सी अपेक्षायें हैं। इन जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संकल्प लिये गये हैं विशेषकर गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को तीब्र गति से किया जाना है। प्रदेश में निराश्रित/छुट्टा अन्ना पशुओं से कृषकों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/योज़नायें संचालित की जा रही हैं।

प्रदेश सरकार के संकल्प में निहित वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दोगुनी किये जाने हेतु कृषि समृद्धि आयोग का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत पशुधन विभाग की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी। पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर पशु स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता हेतु अध्ययन दल बना कर अल्प अवधि में ऐसी सुविचारित नीति/कार्य योजना तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक उत्थान/आर्थिक उन्नति के लिए कुक्कुट के क्षेत्र में सफल "कुक्कुट विकास नीति" जैसे अन्य माडल तथा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों के लिए सम्भावनाओं का पता लगाने, पशुपालकों को विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभाग सतत् प्रयत्नशील है।

विभाग मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियाशील है :-

1. प्रदेश में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना।
2. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना। विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एवं सघन प्रयास करना।
3. पशुधन एवं कुक्कुट विकास के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास किया जाना।
4. प्रदेश के लिए निर्धारित पशु प्रजनन नीति के अनुसार उन्नत पशु प्रजनन एवं बधियाकरण कार्यक्रम का संचालन करना।
5. विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना।
6. पशुधन हेतु पर्याप्त चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
7. गरीबी उन्मूलन एवं भुखमरी को समाप्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया

जाना।

8. गौशालाओं का विकास करना, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।
9. महिला सशक्तिकरण, लिंग भेद एवं असमानता मुक्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।
10. पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
11. उद्यमिता विकास से सम्बंधित योजनायें संचालित करना।
12. डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को संचालित करना।

पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यक्रमः-

1-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 2-गाय एवं भैंस विकास, 3-कुक्कुट विकास, 4-भेड-बकरी विकास), 5-सूकर विकास, 6-अन्य पशुधन विकास, 7-चारा और चरागाह विकास, 8-गौशाला एवं गो-सदनों का विकास, 9-गो सेवा आयोग का सुदृढ़ीकरण/संचालन, 10-पशुपालन प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम, 11-प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यकीय, 12-विशेष पैकेज के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र की योजनायें, 13-उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का कार्यान्वयन, 14-वेटनरी काउन्सिल का कार्यान्वयन, 15-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनायें, 16-राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजनायें, 17-नेशनल लाईवस्टाक मिशन की योजनायें।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2018-19 में 305.19 लाख मीट्रिक टन एवं वर्ष 2019-20 में 318.20 लाख मी0टन दुग्ध उत्पादन कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2020-21 में अद्यतन माह दिसम्बर 2020 तक 224.60 लाख मी0टन दुग्ध उत्पादन हुआ है।
- वर्ष 2018-19 में 26050.007 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया एवं वर्ष 2019-20 में 30950 अण्डों का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर तक 22339.00 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है।
- वर्ष 2018-19 में 1260.512 हजार किलोग्राम मांस का उत्पादन किया गया एवं वर्ष 2019-20 में 1020.00 हजार किलोग्राम मांस का उत्पादन किया गया। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर में 420.00 हजार किग्रा0 मांस का उत्पादन किया गया है।
- कुक्कुट विकास नीति के तहत कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की (30,000 व 10,000 पक्षी की एक इकाई) अद्यतन कमशः 355 इकाईयां व 312 इकाईयां क्रियाशील हैं।
- वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर 2020 तक ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की 38 इकाइयां क्रियाशील हैं, जिनसे 29.78 लाख चूजे प्रतिमाह उत्पादित हो रहें हैं।
- प्रदेश की कुक्कुट विकास नीति-2013 को प्रदेश सरकार द्वारा प्राख्यापित करते हुये वर्ष 2018 से बढ़ाकर वर्ष 2022 तक किया गया है, जिसके अन्तर्गत 90.00 लाख पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर स्थापित किया लक्षित है।

- प्रदेश में 75.76 लाख अतिरिक्त अण्डा प्रतिदिन उत्पादित हो रहे हैं तथा 91720 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। प्रदेश में रु0 1068.34 करोड़ का निवेश हुआ है।
- निर्धन व्यक्तियों को भोजन में पोषक तत्व (प्रोटीन) की पूर्ति हेतु अण्डा एवं कुक्कूट माँस का उत्पादन करना एवं स्वरोजगार सृजित करना बैकयार्ड कुक्कुट पालन की योजना का मूल उद्देश्य है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में 15000 बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों की स्थापना की गयी है। वर्ष 2020-21 में 15000 बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों की स्थापना किया जाना लक्षित है जिसके माह जनवरी 2021 तक 9000 लाभार्थी चयनित किये गये है।
- वर्ष 2019-20 में 168 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना लक्षित था, जिसके सापेक्ष 140.80 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया गया। वर्ष 2020-21 में 174 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना लक्षित है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक 63.68 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है।
- वर्ष 2018-19 में बधियाकरण, चिकित्सा एवं टीकाकरण में कमशः 27.498, 333.98 एवं 1613.44 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति कमशः 23.5, 375.43 लाख एवं 1434.01 लाख किया गया है। वर्ष 2019-20 में बधियाकरण, चिकित्सा एवं टीकाकरण में क्रमशः 29.83, 333.98 एवं 1613.44 लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष पूर्ति कमशः 29.423, 399.96 एवं 384.83 लाख किया गया है। वर्ष 2020-21 में बधियाकरण, चिकित्सा एवं टीकाकरण लक्ष्य कमशः 30.179 लाख, 353.13 लाख तथा 1660.24 लाख निर्धारित किया गया है। जिसके माह दिसम्बर 2020 तक पूर्ति 17.87 लाख, 277.98 लाख तथा 876.96 लाख की गयी है।
- कृषकों की आय को दोगुनी किये जाने हेतु गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य के उपयोग से 1225 मादा संतति एवं उच्च गुणवत्तायुक्त 100 नर संतति सहित कुल 1125 संतति उत्पन्न हुई है। योजनान्तर्गत मादा संतति उत्पन्न होने का प्रतिशत 91.84 है। अतः योजना के सफलता के दृष्टिगत इस कार्यक्रम को प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किये जाने का निर्णय मा0 मंत्रिपरिषद से लिया गया है। "सेक्सड सीमेन के उपयोग की योजना" के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में साहीवाल, गिर, थारपारकर, गंगातीरी व हरियाणा प्रजाति के वर्गीकृत वीर्य के स्ट्राज उपलब्ध कराकर कृत्रिम गर्भाधान कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। वर्ष 2020-21 में 317760 वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अद्यतन 30160 कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। वर्गीकृत वीर्य से अद्यतन 436 मादा एवं 49 नर वत्स उत्पन्न हुये है।
- वर्ष 2018-19 में प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र 07 जनपदों को छोडकर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में एक-एक वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु शासन द्वारा रु0 1.20 करोड़ की दर से कुल 68 केन्द्रों हेतु कुल धनराशि रु0 81.60 करोड़ स्वीकृत किया गया है, जिसे संबंधित जनपदों

के जिलाधिकारियों को उक्त धनराशि प्रति केन्द्रवार उपलब्ध करा दी गयी है। उक्त 68 में से 67 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2019-20 में भी योजनान्तर्गत शासन द्वारा रु0 1.20 करोड़ की दर से कुल केन्द्रों हेतु कुल धनराशि रु0 115.20 करोड़ स्वीकृत की गयी है। अद्यतन 44 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 52 केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020-21 में 31 केन्द्रों के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत (60 लाख प्रति केन्द्र की दर से) धनराशि को उपलब्ध करायी गयी है।

- प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक में 05-05 गो-आश्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उक्त कार्य हेतु शासन द्वारा कुल रु0 10.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।
- वर्ष 2019-20 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में कुल 16 गोवंश वन्य विहार की स्थापना की गयी है, जिसके लिये शासन द्वारा रु0 19.20 करोड़ स्वीकृति किये गये हैं। अद्यतन 06 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 10 केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 16 नगर निगमों में संचालित गोशालाओं में संरक्षित पशुओं के भरण-पोषण हेतु रु0 30.00 प्रति पशु की दर से कुल रु0 17.52 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत कर उक्त समस्त नगर निगमों को उपलब्ध कराया गया है।
- जनपद बरेली के ग्राम मुड़िया मुकर्रमपुर तहसील बहेड़ी में रु0 36.92 करोड़ की लागत से भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित किया गया है। उक्त केन्द्र पर उच्च गुणवत्तायुक्त भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी से स्वदेशी नस्ल के वत्स उत्पन्न किये जायेंगे तथा पशुपालकों/ पशुचिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में विभाग द्वारा प्रथम बार गोशालाओं का पंजीकरण ऑन लाइन किया जा रहा है। अद्यतन 549 गोशालाएं पंजीकृत हैं। वर्ष 2019-20 में कुल 92 पंजीकृत गौशालाओं को रु0 28.02 करोड की धनराशि अनुदान के रूप में गोवंश के भरण-पोषण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष 2020-21 में 25 जनवरी 2021 तक कुल 41 पंजीकृत गौशालाओं को रु0 23.22 करोड की धनराशि अनुदान के रूप में गोवंश के भरण-पोषण हेतु उपलब्ध करायी गयी है।
- प्रदेश में कुल 5159 आश्रय स्थलों अस्थायी/स्थायी/कांजी हाउस/ कान्हा उपवन केन्द्र संचालित हैं, जिसमें से कुल 543443 गोवंशीय पशु संरक्षित किये गये है।
- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत 14 नवीन पशुचिकित्सालयों के निर्माण हेतु शासन द्वारा रु0 0.4017 करोड़ की दर से कुल रु0 5.6238 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं, जिसके सापेक्ष 13 पशुचिकित्सालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा मा0 मुख्यमंत्री जी की वेबसाईट से विलोपित किया जा चुका है। जबकि 01 पशुचिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत, पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान

विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान मथुरा के आंतरिक सड़कों के निर्माण का कार्य पूर्ण किया है।

- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर मे एक पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु 30.6 एकड भूमि विभाग के नाम हस्तानान्तरित की गयी है। योजनान्तर्गत 40.00 करोड की बजट प्राविधानित है तथा कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत कार्ययोजना प्रतीक्षित है।
- पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा महाविद्यालय में फैकल्टी आफ डेयरी साइंस विभाग इसी सत्र से प्रारम्भ किया जायेगा घोषणान्तर्गत शासन द्वारा गैर शैक्षणिक पदों को सृजित न करके दुवासू मथुरा को 96 रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा महाविद्यालय में फैकल्टी आफ फिशरीज साइंस विभाग इसी सत्र में प्रारम्भ किया जायेगा घोषणान्तर्गत अण्डर गैजूऐट फिशरीज कोर्स हेतु प्रथम वर्ष के लिये शैक्षणिक पदों का शासन द्वारा सृजन किया गया है।

वर्ष **2020-21** व **2021-22** हेतु प्राथमिकतायें

1. दूधारू पशुओं की तस्करी को रोकने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
2. अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बन्द किये जाने हेतु नगर निगम विभाग को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
3. फसलों की क्षति को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर गोवंश संरक्षण की योजना।
4. प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों को गोधन योजना अन्तर्गत गाय व अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराने की योजना।
5. कृषकों की आय को दोगुना किये जाने में पशुपालन की अहम भूमिका के दृष्टिगत सहयोग प्रदान करना।
6. विभिन्न कार्यक्रमों, यथा- पशु प्रजनन, पशुचिकित्सा तथा स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जाना एवं पशुपालन सेवाओं का विस्तार करना।
7. किसानों को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पशुपालन की योजनाएँ तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।
8. नयी प्रजनन नीति 2018 का क्रियान्यवन किया जाना।
9. कुक्कुट विकास नीति 2013 को वर्ष 2022 तक बढाते हुये प्राख्यापित किया गया है, का क्रियान्वयन किया जाना।
10. सैक्सड सीमेन के उपयोग से मादा संतति उत्पन्न कराकर कृषकों की आय को दोगुनी किया जाना।

पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम

(अ) पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 267 "द" श्रेणी पशु

औषधालयों तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों से निरन्तर सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही वर्तमान में 31-नवीन पशुचिकित्सालयों की स्थापना अन्तर्गत 14 पशुचिकित्सालय मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत बनकर हस्तगत करा दिये गये हैं शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है। पशुपालकों को पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोम नियंत्रण एवं किसी संकामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत-प्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण आदि सुविधायें पशुपालकों को उपलब्ध कराने हेतु 825-सचल इकाईयां भी कियाशील हैं। वर्तमान में लगभग 20,000 पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 5,000 पशुओं पर एक पशुचिकित्सालय की स्थापना की जानी थी, परन्तु सीमित संसाधन एवं धनाभाव के कारण उत्तर प्रदेश में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वर्ष 2019-20 में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, अधूरे/जर्जर/भवन विहीन पशु चिकित्सालयों के निर्माण के साथ-साथ नवीन पशु सेवा केन्द्रों के खोले जाने व पशु सेवा केन्द्रों के बाउण्ड्रीवाल, अधूरे/जर्जर/भवन विहीन के निर्माण का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में नवीन-4 पशुचिकित्सालय तथा भवन विहीन/जर्जर-10 पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव हैं।

(ब) पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण (पशु चिकित्सालयो का पुनरोद्धार तथा अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था)-75 प्रतिशत सम्प्रति 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में चिन्हित जनपदों के अनुमोदित 150-तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त योजना के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य 81-तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पशुचिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत अन्य 50-पशु चिकित्सालयों पर भी निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार में वित्तीय वर्ष 2018-19 में पशुचिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत-पशु चिकित्सालयों पर निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त उपकरणों से व्यवस्थित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई.एस.वी.एच.डी. योजनान्तर्गत एसपीरेशनल जनपदों में 40 अन्य पशुचिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण किये जाने का प्रस्ताव है।

पॉलीक्लीनिक की स्थापना

वर्तमान में विषय विशेषज्ञों द्वारा विशेष पशुचिकित्सा सेवा उपंलब्ध कराने हेतु पांच पशुचिकित्सा पॉलीक्लीनिक क्रमशः गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत-बागपत तथा सैफई-इटावा में कार्यरत है, जिनके. माध्यम से रेडियोलाजिस्ट, सर्जन एवं गायनाकोलाजिस्ट द्वारा विशेष रोग निदान सेवाएं (विषय विशेषज्ञों द्वारा) आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट धाम-बांदा, अयोध्या, आजमगढ़, वाराणसी एवं झाँसी में निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण 05 पशुचिकित्सालय पालीक्लीनिकों का निर्माण कार्यपूर्ण एवं 03 प0चि0 पालीक्लीनिक का कार्य प्रगति पर है। साथ ही

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष 07-पशुचिकित्सा पालीक्लीनिकों (प्रयागराज, भदोही-मिर्जापुर, कानपुर, देवीपाटन-गोण्डा, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर-मेरठ, बरेली) के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उनके निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामसभा-मदावली, विकास खण्ड व तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में नवीन पशु चिक्रित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त है। उक्त प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम किश्त की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद- मथुरा में एक नवीन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना का प्रस्ताव है।

प्रदेश में पशु प्रजनन नीति

पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत प्रजनन योग्य पशुओं के 30 प्रतिशत (प्रत्येक गर्मी में आये पशु को) प्रजनन की सुविधा द्वारा आच्छादित करने के लिए विभाग कृत संकल्प है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एवं दूरस्थ ग्रामों में नैसर्गिक अभिजनन की सुविधा प्रदत्त कराया जाना प्रस्तावित है इसके लिए क्षेत्रवार निम्नवत् नस्ल के सांड़ों के वीर्य का उपयोग अनुमोदित है। बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर मण्डल हेतु जर्सी व जर्सी क्रास तथा अन्य क्षेत्रों हेतु होलिस्टीन फ्रीजियन व इनका क्रास अनुमोदित है। विदेशी नस्ल को 62.5 प्रतिशत बनाये रखने के लिए स्वदेशी सांड़ों का वीर्य संकर प्रजनन हेतु प्रयोग किया जा रहा है तथा संकर नस्ल के सांड़ों से गर्भित कराया जा रहा है। महिषवंश के उत्वर्गीकरण हेतु मुर्रा व भदावरी नस्ल के सांड़ों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। प्रदेश में बायफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के आर्थिक विकास/उन्नयन हेतु कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है।

रकार के सहयोग से अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ़, जनपद हापुड़ में विदेशी संस्था ए0बी0एस0 ग्लोबल के सहयोग से सेक्स्ड सीमेन उत्पादन इकाई की स्थापना की गयी है जिससे प्रदेश को प्रतिवर्ष 3.30 लाख उच्च गुणवत्ता के साँड़ों के वीर्य से तैयार वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश में इस संस्था द्वारा नवम्बर, 2019 से उत्पादन प्रारम्भ किया गया है।

राज्य योजनाएं

वृहद गोसंरक्षण केन्द्रों/पशु आश्रय स्थलों/गो आश्रय स्थलों/गोवंश वन्य विहार की रिक्त भूमि पर बहुवर्षीय चारा उत्पादन कार्यक्रम

बेसहारा/निराश्रित पशुओं से कृषि फसलों को एवं दुर्घटना आदि से सुरक्षित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों में वृहद गोसंरक्षण केन्द्रों/पशु आश्रय स्थलों/गो आश्रय स्थलों/गोवंश वन्य विहार/पंजीकृत गोशालाओं आदि की स्थापना कर इन पशुओं को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रस्तुत योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में उक्त स्थलों की रिक्त परती भूमि पर बहुवर्षीय चारा घासों/चारा वृक्षों आदि की रोपाई कर हरा चारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक जनपद में रु0 1. 00 लाख/हे0 की दर से अधिकतम 5 हे0 (एक इकाई= 0.2 हे0) रिक्त भूमि हेतु कुल 375.0

हे0 क्षेत्रफल हेतु 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में धनराशि की मांग रु0 375.00 लाख प्रस्तावित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत भूमि विकास (समतलीकरण, मेड़बन्दी आदि), चारा बीज/बहुवर्षीय चारा घास की जड़े एवं चारा वृक्ष आदि की व्यवस्था, सिंचाई एवं खाद व उर्वरक पर होने वाला व्यय सम्मिलित है।

योजना का उद्देश्य

1. वृहद गोसंरक्षण केन्द्रों/पशु आश्रय स्थलों/गो आश्रय स्थलों/गोवंश वन्य विहार/पंजीकृत गोशालाओं की रिक्त भूमि पर ग्रामीण सहभागिता से चारागाह का विकास किया जाना।
2. दिन-प्रतिदिन बेसहारा/निराश्रित पशुओं से बढ़ रही दुर्घटनाओं में कमी लाना।
3. बेसहारा/निराश्रित पशुओं से कृषि फसलों में हो रही भारी क्षति पर अंकुश लगाना।
4. बेसहारा/निराश्रित पशुओं से उत्पादित गोजन्य उत्पादों को उपयोग में लाना।

●

दुग्ध विकास

भूमिका

दुग्ध विकास विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना वर्ष 1976 में हुई। इससे पूर्व दुग्ध विकास कार्यक्रम सहकारिता विभाग का एक अंग था। वर्ष 1976 में ही राज्य दुग्ध परिषद का गठन उ0प्र0 दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा-3 के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में किया गया। इसका प्रमुख कार्यकलाप मुख्यतः दुग्ध संघों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनियमन आदेश लागू करना आदि निर्धारित किया गया।

प्रारम्भ में दुग्ध विकास कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन (पी0सी0डी0एफ0) को एक शीर्ष दुग्ध सहकारी संस्था के रूप से उ0 प्र0 सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत गठन किया गया, जिसके द्वारा शिशु दुग्ध आहार, निर्माणशाला/मुरादाबाद की स्थापना कर उसका संचालन प्रारम्भ किया गया।

दुग्ध विकास कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा आपरेशन फ्लड योजना वर्ष 1970-71 से प्रदेश के 8 जनपदों में चलाई जानी प्रस्तावित हुई, योजना संचालन के प्रारम्भिक चरण में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पी0सी0डी0एफ0 को क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। मात्र तीन जनपद वाराणसी, मेरठ तथा आंशिक रूप से बलिया में वर्ष 1973 से आपरेशन फ्लड योजना प्रारम्भ की गयी। इसके बाद आपरेशन फ्लड द्वितीय चरण का कार्यक्रम वर्ष 1982-83 से 1987-88 तक तथा आपरेशन फ्लड तृतीय चरण वर्ष 1996-97 तक चला। इसके अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन की प्रबल सम्भावनाओं से युक्त प्रदेश के 30 जनपदों का चयन कर उनमें 30 दुग्ध संघों का गठन कर आपरेशन फ्लड योजना को क्रियान्वित किया गया।

प्रदेश के शेष 21 जनपदों, जो दुग्ध उपार्जन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़े हुए थे, को नान आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर उनके विकास हेतु दुग्ध विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन वर्ष 1992 से (राज्य दुग्ध परिषद द्वारा) प्रारम्भ किया गया।

(क) दुग्ध विकास विभाग के उद्देश्य

दुग्ध विकास विभाग का मूल उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के निर्बल कृषकों, कृषक मजदूरों एवं भूमिहीनों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके गांव में ही दुग्ध सहकारिताओं का गठन कर उनके ही माध्यम से दुग्ध उपार्जन से संबंधित कार्यकम लागू कर उन्हें अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना एवं अधिकतम दुग्ध उपार्जन कर नगरीय क्षेत्र तथा अन्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ, शुद्ध दूध एवं

विसंक्रमित दूध एवं विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

(ख) विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था

दुग्धशाला विकास विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0 और उनके सहायतार्थ लखनऊ स्थित मुख्यालय पर अपर आयुक्त, दुग्धशाला विकास, वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता, संयुक्त दुग्ध आयुक्त (प्रशासन), मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप निदेशक (सांख्यिक) एवं सांख्यिक आदि पद स्वीकृत हैं। मण्डल स्तर पर दुग्धशाला विकास अधिकारी और जनपद स्तर पर उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद स्वीकृत हैं।

(ग) विभाग के कार्यकलाप

विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यकलाप मुख्य रूप से निम्नानुसार तीन भागों में विभाजित हैं :-

(क) रेग्यूलेटरी कार्यकलाप-इसके अन्तर्गत विभिन्न नियम/अधिनियम लागू करना, यथा- समितियों का निबन्धन, आडिट, पंजीयन, निरीक्षण, इंजीनियरिंग आदि कार्य सम्मिलित हैं।

(ख) विकास संबंधी कार्य-प्रदेश में दुग्धशाला विकास के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कराना।

(ग) व्यावसायिक कार्यकम-दुग्ध उपार्जन एवं विपणन का कियान्वयन दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से कराना।

(घ) विभागों के कार्यकलापों का ढाँचा-विभाग के प्रमुख के रूप में दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश की समस्त दुग्ध सहकारी समितियों, दुग्ध संघों और शीर्ष स्तर पर पी0सी0डी0एफ0 के रेगुलेटरी कार्यो के लिए उत्तरदायी हैं तथा सहकारिता पद्धति के अंतर्गत निबंधक के दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। दुग्धशाला विकास विभाग की योजनाओं का बजट नियंत्रण भी दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।

दुग्धशाला विकास विभाग के सहकारी कार्यकलाप त्रिस्तरीय ढाँचे के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादक सदस्यों की प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियाँ गठित कर उन्हे दुग्ध उत्पादन का उचित मूल्य, उपार्जन के लिए सहायता एवं सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं, उनसे ज़नपद स्तर पर संचालित दुग्ध संघ (केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समिति) द्वारा दुग्ध क्रय किया जाता है। जनपद स्तरीय दुग्ध संघों में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन (पीसीडीएफ शीर्ष दुग्ध सहकारी समिति) तथा उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद के माध्यम से दुग्ध उपार्जन/विपणन/समन्वय हेतु तकनीकी एवं व्यावहारिक नियंत्रण प्रभावी है।

(ड·) दुग्ध सहकारिताओं की व्यवसायिक कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृद्धि

सहकारिता के क्षेत्र में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। सर्वप्रथम वर्ष 1917 में 'कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद' की स्थापना के साथ प्रदेश में ही नहीं, वरन् देश में भी यह पहला अवसर था कि जब दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ, परन्तु अगले दो दशकों में इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ 'लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0' की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी,

लखनऊ में हुई। आगामी वर्षों में इलाहाबाद वर्ष 1941, वाराणसी वर्ष 1947, कानपुर वर्ष 1948, हल्द्वानी जनपद नैनीताल वर्ष 1949 (अब उत्तराखण्ड राज्य में) तथा मेरठ वर्ष 1951 में इसी प्रकार सहकारी दुग्ध संघ स्थापित होते रहे।

प्रदेश में दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने की दिशा में वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 की स्थापना एक तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में की गयी थी। वर्ष 1970-71 में आपरेशन फ्लड-1 योजना प्रदेश के 8 जनपदों में लागू की गयी, जिसकी क्रियान्वयन एजेन्सी इस संस्था को बनाया गया। योजनान्तर्गत मेरठ व वाराणसी में एक-एक लाख लीटर दैनिक दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता की दो फीडर बैलेन्सिग दुग्धशालायें एवं 100-100 मीट्रिक टन क्षमता की दो पशु आहार निर्माणशालायें तथा रायबरेली में जर्सी गौ प्रजनन इकाई की स्थापना की गयी।

राज्य दुग्ध परिषद का गठन

"उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम, 1976" की धारा-3 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय के रूप में "उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद" का गठन किया गया जिसे प्रदेश में दुग्धशाला विकास कार्यकम को गतिशील बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस संगठन द्वारा लाइसेसिंग कार्यों के साथ-साथ दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों में भी गति प्रदान की गयी। परिषद को प्रथम बार वर्ष 1990 में गैर आपरेशन फ्लड जनपदों, जिन्हें दुग्ध परिषद जनपद कहां गया, में दुग्धशाला विकास कार्यकमों को संचालित करने हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। इस प्रकार दुग्ध संघों पर प्रभावी नियंत्रण के फलस्वरूप विकास कार्यों में आशातीत सफलता मिली। वर्ष 2004 में दुग्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व व्यवसायिक कार्यों का संचालन समान रूप से आपरेशन फ्लड जनपदों एवं गैर आपरेशन फ्लड जनपदों में करने हेतु प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन को क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। परिषद के कार्यकलापों में क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनिमय आदेश लागू करना मुख्य है।

अ- केन्द्र पुरोनिधानित योजना

1. दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना (एनडीडीपी)

वर्ष 2014-15 में पूर्व संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को पुनर्गठन कर भारत सरकार द्वारा दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना संचालित की जा रही है। दुग्ध विकास हेतु राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य निम्नवत हैः-

1. गुणवत्ता युक्त दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण तथा कोल्ड चेन की स्थापना जिससे कि कृषकों को उपभोक्ताओं से जोड़ना।
2. दुग्ध उपार्जन प्रसंस्करण तथा विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना।
3. दुग्ध उत्पादको हेतु प्रशिक्षण अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना।
4. गाँव स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों/उत्पादक कम्पनियों का सुदृढ़ीकरण।
5. तकनीकी निवेश सुविधाओं तथा पशु आहार, मिनरल मिक्सचर उपलब्ध कराते हुए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।

6. दक्ष/योग्य (वायबिल) दुग्ध संघो/ फेडरेशन के पुनर्जीविकरण में सहयोग प्रदान करना।

वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उक्त मद में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा०के०वी०वाई०)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) योजनान्तर्गत जनपद गाजीपुर, बस्ती एंवं बहराइच में डेरियों के सुदृढ़ीकरण; उच्चीकरण एवं प्रयोगशालाओं की अवस्थापना विकास हेतु राज्यांश के रूप में रु0 267.25 लाख; पी0सी0डी0एफ0 को मिल्क पार्लर, रेफ्रीजरेटर वैन, ग्लोसाइन डीप फ्रीजर, वीजीकूलर, आइसबाक्स, प्रिन्ट एण्ड इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन/ कन्ज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, बल्क वेल्डिंग मशीन, ग्लोसाइन (बल्क वेल्डिंग मशीन हेतु रु0 731. 33 लाख, जनपद मिर्जापुर, प्रयागराज, अलीगढ़, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) झाँसी, अयोध्या, बरेली, आजमगढ़, शाहजहाँपुर, बुलन्दशहर एवं जौनपुर में डेरियों के सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं प्रयोगशालाओं की अवस्थापना विकास हेतु राज्यांश के रूप में रु0 651.00 लाख तथा जनपद अम्बेडकरनगर, इटावा, बिजनौर, सुल्तानपुर, पशु आहार निर्माणशाला वाराणसी एवं मेरठ मिनरल मिक्सचर प्लाण्ट में डेरियों के सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं प्रयोगशालाओं की अवस्थापना विकास हेतु रु0 304.125 लाख, इस प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि रु0 2000.00 लाख के सापेक्ष रु0 1954.205 लाख उपलब्ध कराया गया है। आर0के0वी0वाई0 योजनान्तर्गत 60:40 के अनुपात के आलोक में केन्द्रांश व राज्यांश का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु उक्त मद में रु0 304.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान उपलब्ध है, जबकि उक्त धनराशि की माँग नहीं की गयी थी।

3. हरा चारा उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम

किसानों को अच्छी गुणवत्ता के चारा उत्पादन करने एवं अधिक उत्पादन करने वाली जई, बरसीम, चायनीज कैबेज, सारगम, लोबिया, सारगम सूडान एवं मल्टीकट राई ग्रास आदि की उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिनीकिट किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 को राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रु0 152. 04 लाख को पी0सी0डी0एफ0 को उपलब्ध करायी गयी परन्तु पशुपालन विभाग द्वारा केन्द्रांश की स्वीकृति के सापेक्ष बजट की व्यवस्था न कराये जाने के कारण राज्यांश की धनराशि रु0 152.04 लांख को राजकीय कोषागार में जमा करा दी गयी। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु0 152.04 लाख का आय-व्ययक प्रावधान उपलब्ध है, जबकि उक्त धनराशि की माँग नहीं की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उक्त मद में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है।

(लाख रु० में)

वास्तविक व्यय	आय-व्ययक प्रावधान	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
वर्ष **2019-20**	वर्ष **2020-21**	वर्ष **2020-21**	वर्ष **2021-22** .
1	2	3	4
152.04	152.04	152.04	0.00

राज्य योजनायें

सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजना

इस योजना में दुग्धशाला विकास विभाग के जनपदीय/ मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रदेश के समस्त दुग्ध संघों, प्रशिक्षण केन्द्रों, क्षेत्रीय मार्केटिंग कार्यालयों, कार्यदायी संस्थाओं एवं दुग्ध आयुक्त कार्यालय तथा पी0सी0डी0एफ0 मुख्यालय आदि के क्रियाकलापों को आधुनिक पद्धति पर एक रूपता लाने हेतु संचार व्यवस्था व कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था करते हुए मुख्यालय से सभी संस्थानों/ कार्यालयों में नेटवर्क रथापित किये जाने का कार्यक्रम आच्छादित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त मद में रु0 200.00 लाख का बजट प्रावधान है।

(लाख रु० में)

वास्तविक व्यय	आय-व्ययक प्रावधान	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
वर्ष **2019-20**	वर्ष **2020-21**	वर्ष **2020-21**	वर्ष **2021-22**
1	2	3	4
150.00	200.00	200.00	200.00

2. दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिताओं के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना (गोकुल पुरस्कार)

इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं से सम्बद्ध दुग्ध उत्पादकों को उनके मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने एवं दुधारू पशुओं के अच्छे रख-रखाव हेतु प्रोत्साहित कर अधिक दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदो में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित कर दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध संघों को सर्वाधिक दूध विक्रय करने वाले दुग्ध उत्पादक को जनपद स्तर रु. 51,000 नगद एवं प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले दो दुग्ध उत्पादकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार क्रमशः पर रु0 1.50 लाख, रु0 1.00 लाख नकद तथा गाय बछड़ा के साथ श्री कृष्ण के मूर्ति की शील्ड प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले दुग्ध उत्पादक को जनपद स्तर पर रु0 51,000 एवं प्रदेश स्तर पर दो उत्पादकों को प्रथम पुरस्कार रु0 2.00 लाख एवं द्वितीय पुरस्कार रु0 1.50 लाख नकद तथा प्रमाण पत्र व शील्ड प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 में रु0 55.73 लाख की धनराशि का बजट प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद में रु0 55.73 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

(लाख रु० में

वास्तविक व्यय	आय-व्ययक प्रावधान	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
वर्ष **2019-20**	वर्ष **2020-21**	वर्ष **2020-21**	वर्ष **2021-22** .
1	2	3	4
54.00	55.73	55.73	55.73

3. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजना (जिला योजना) (सामान्य/एस०सी०पी०)

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं को तकनीकी निवेश सुविधायें (पशु प्रजनन एवं पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम) तथा डीवार्मिंग, टीकाकरण, नस्ल सुधार कार्यकम, प्रचार-प्रसार, काफरैली आदि सुविधा उपलब्ध करातें हुए उनके पशुओं के स्वास्थ्य, नस्ल सुधार करके दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 एवं 83 में कमशः रु0 464.10 लाख एवं रु0 138.72 लाख, कुल धनराशि 602.82 लाख की धनराशि का बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष कुल रु0 370.77 लाख की वित्तीय सहायता पशुआहार/मिनरल मिक्स्चर हेतु स्वीकृत की गयी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद में अनुदान एवं 83 में कमशः रु0 464.10 लाख एवं रु0 138.72 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित है।

●

मत्स्य विकास

उत्तर प्रदेश में प्रचुर जल संसाधन विद्यमान हैं जिनके विवेकपूर्ण उपयोग से प्रदेश मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रदेश में मत्स्य सेक्टर के विकास से व्यक्तियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही मत्स्य उत्पाद के रूप में प्रोटीनयुक्त सुपाच्य आहार की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से मत्स्य विकास हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) वर्ष 2020-21 से संचालित की गयी हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की मत्स्य उत्पादकता एवं मत्स्य उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। इसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों यथा- खारे पानी में मत्स्य पालन, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिटों की स्थापना, मत्स्य हैचरियों की स्थापना, मोटर साइकिल विद आइस बाक्स, साइकिल विद आइस बाक्स, थ्री-व्हीलर विद आइस बाक्स, इन्सुलेटेड वाहन, फिश फीड मिलों की स्थापना, फिश फीड प्लान्ट तथा कियोस्क का निर्माण आदि परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जलाशयों से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए विभाग द्वारा केज कल्चर (पिजड़ो में मत्स्य पालन) के माध्यम से मत्स्य पालकों/व्यवसायियों को इस विधि को अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है जिसके अनुकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ऊसर भूमि पर पक्के तालाब तैयार कर कम जल संसाधनों के साथ मत्स्य उत्पादन हेतु रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम को अपनाने हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे अनुपयुक्त ऊसर भूमि का उपयोग मत्स्य पालन के लिए संभव हो पा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के अन्तर्गत संचालित उपयोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली मत्स्य प्रजातियां यथा- जयन्ती रोहू, तिलापिया, पंगेसियस आदि को बढ़ावा दिये जाने का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। इन विकासपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से एक ओर जहां मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी, वहीं आजीविका हेतु मत्स्य व्यवसाय पर निर्भर गरीब मछुआ परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।

मत्स्य विकास कार्यों को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने की दृष्टि से वर्ष 1947 में उ0प्र0 मत्स्य विभाग की स्थापना पशुपालन विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1966 में मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग से पृथक हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कुछ तालाब मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित हुए, जिनमें विकास कार्य प्रारम्भ किया गया। मत्स्य विकास कार्यों को छठी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य पालक

विकास अभिकरणों की स्थापना के बाद विशेष गतिमयता प्राप्त हुयी। प्रदेश में मत्स्य बीज की बढ़ती माँग की पूर्ति के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के द्वारा 09 बड़े आकार की हैचरियों की स्थापना करायी गयी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सभी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना करायी गयी और अभिकरणों के माध्यम से मत्स्य पालकों को तालाबों के सुधार/नये तालाबों के निर्माण तथा प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु बैंकों से ऋण व शासकीय अनुदान, अल्पकालीन प्रशिक्षण व निःशुल्क तकनीकी जानकारी की सुविधा उपलब्ध करायी जाती थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जून, 2016 तक यह योजना संचालित थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में उपरोक्त समस्त केन्द्र पुरोनिधानित/केन्द्र पोषित योजनाओं को एक अम्ब्रैला में लाते हुये सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम "ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना" संचालित रही। इसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) आरम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य विकास के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

विभाग के मूल उद्देश्य व कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति

विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के अतिरिक्त साधनों का सृजन तथा स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं। इसी प्रकार मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि लाये जाने के दृष्टिगत मत्स्य पालन विविधीकरण के अभिनव कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है :-

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं तथा प्रगति

बधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	मत्स्य आखेट प्रबंधन एवं मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
1- वृहद एवं मध्यमाकार जलाशय	2.28	2.26	99.12
2- प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
3- ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
योग	**5.34**	**3.66**	**68.53**

से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन को बढ़ावा

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) आरम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों यथा- खारे पानी में मत्स्य पालन, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिटों की स्थापना, मत्स्य हैचरियों की स्थापना, मोटर साइकिल विद आइस बाक्स, साइकिल विद आइस बाक्स, थ्री-व्हीलर विद आइस बाक्स, इन्सुलेटेड वाहन, फिश फीड मिलों की स्थापना, फिश फीड प्लान्ट तथा कियोस्क का निर्माण आदि का मानकीकरण करते हुए प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जलाशयों से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए विभाग द्वारा केज कल्चर (पिजड़ो में मत्स्य पालन) के माध्यम से मत्स्य पालकों/व्यवसायियों को इस विधि को अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है जिसके अनुकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थीपरक उपयोजनाओं में परियोजना हेतु निर्धारित इकाई लागत की अधिकतम सीमा के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 24 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, 16 प्रतिशत राज्यांश तथा 60 प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने तथा महिला एवं अनुसूचित जाति/जनजाति लाभार्थी को परियोजना लागत का 36 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, 24 प्रतिशत राज्यांश तथा 40 प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में मत्स्य विकास योजनाओं को लागू किये जाने से पूर्व मत्स्य उत्पादकता 600 किग्रा./हेक्टेयर/वर्ष थी, जिसको वर्ष 2019-20 तक 4368 किग्रा./हेक्टेयर/वर्ष के स्तर तक बढ़ाया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना के माध्यम से प्रदेश की मत्स्य उत्पादकता का स्तर 4500 किग्रा./हेक्टेयर/वर्ष करने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2021-22 में 4550 किग्रा./हेक्टेयर/वर्ष का लक्ष्य प्रस्तावित है।

मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 38 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 251 हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में एक फिन फिश हैचरी की स्थापना हेतु सामान्य वर्ग को रु. 25.00 लाख इकाई लागत पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रु. 10.00 लाख (जिसमें केन्द्रांश रु. 6.0 लाख + राज्यांश रु. 4.00 लाख) अनुमन्य है, शेष रु. 15.00 लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मत्स्य अंगुलिका उत्पादन हेतु मत्स्य बीज रियरिंग पाण्ड इकाई लागत रु. 7.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है जिसमें (60 प्रतिशत केन्द्रांश + 40 प्रतिशत राज्यांश) जो कि रु. 2.80 लाख अनुदान की सीमा में केन्द्राश रु. 1.68 लाख तथा राज्यांश रु. 1.12 लाख शेष रु. 4.20 लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इसी प्रकार इन योजनाओं में कमजोर वर्ग

(महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के लिए कुल 60 प्रतिशत अनुदान (केन्द्रांश 60 प्रतिशत + राज्यांश 40 प्रतिशत) अनुमन्य है, अर्थात् परियोजना की इकाई लागत के अन्तर्गत परियोजना लागत का 36 प्रतिशत केन्द्रांश, 24 प्रतिशत राज्यांश व 40 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है। विगत 04 वर्षों में मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण से सम्बन्धित लक्ष्य व उपलब्धियों का विवरण निम्नांकित हैः-

वर्ष	मत्स्य वितरण संख्या (लाख में)		अंगुलिका/मत्स्य बीज संचय संख्या (लाख में)		मत्स्य बीज उत्पादन संख्या (लाख में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2017-18	27095.00	26333.92	781.20	794.80	27876.20	27128.72
2018-19	27654.00	29442.13	368.30	347.22	28022.30	29789.35
2019-20	30869.68	30008.96	397.90	404.14	31267.58	30413.09
2020-21 (जनवरी, 21 तक)	33197.76	33140.60	287.45	359.49	33485.21	33500.09

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 404.14 लाख तथा वर्ष 2020-21 में माह-जनवरी, 2021 तक 359.49 लाख मत्स्य बीज का संचय कराया गया है। वर्ष 2021-22 में 397.90 लाख मत्स्य बीज संचय कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

जलाशयों में मत्स्य विकास

मत्स्य विकास व मत्स्याखेट की दृष्टि से भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मैनुअल के अनुसार जलाशयों को क्षेत्रफल के आधार पर 5 श्रेणी में विभक्त किया गया है तथा उन्हें 10 वर्ष हेतु ई-निविदा/निविदा के माध्यम से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है। श्रेणी 1, 2 एवं 3 के जलाशयों का ठेका उच्चतम ई-निविदा पर पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/ ठेकेदार को ई-निविदा पद्धति से दिये जाने की व्यवस्था है। श्रेणी-4 के जलाशयों तथा 5 के विभागीय तालाबों के निस्तारण की प्रक्रिया के प्रथम चक्र में पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के मध्य निस्तारित किये जाने तथा वांछित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में समितियों के साथ-साथ ठेकेदारों को भी सम्मिलित किये जाने एवं उच्चतम निविदा के माध्यम से ठेका दिये जाने की व्यवस्था है।

इन जलाशयों/तालाबों का निस्तारण ई-निविदा/निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मत्स्य विभाग की प्रबन्ध व्यवस्था में 66 जलाशय एवं 302 तालाब हैं। उ. प्र. मत्स्य विकास निगम लि. के 21 तथा उ. प्र. मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि. के 9 जलाशय हैं। जलाशयों में मत्स्य उत्पादन वृद्धि हेतु मत्स्य अंगुलिका संचय करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण एवं मछुआ दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित

की जा रही हैं। प्रदेश में 1111 प्राथमिक समितियां, 22 जनपद स्तरीय संघ एवं 01 प्रादेशिक संघ की स्थापना की गयी है। दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालकों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता होने की दशा में रु.5,00,000 व स्थाई आंशिक अपंग होने की दशा में रु. 2,50,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस. वाई.) में समाहित कर ली गयी है तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में रु. 5.00 लाख का प्रावधान है तथा वर्ष 2021-22 हेतु रु. 20.00 लाख का बजट प्रावधान है।

मत्स्य उत्पादन

वर्ष 2021-22 में मत्स्य उत्पादन का स्तर 7.93 लाख मी0 टन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान धनराशि जिसमें केन्द्रांश 24 प्रतिशत व राज्यांश 6 प्रतिशत सम्मिलित है। महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अनुदान धनराशि 60 प्रतिशत जिसमें केन्द्रांश 36 प्रतिशत व राज्यांश 24 प्रतिशत सम्मिलित है, की अनुदान सहायता निर्धारित है। अवशेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। यह योजना प्रोजेक्ट/डी0पी0आर0 आधारित है। इस योजना के संचालन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परियोजना की विस्तृत परियोजना विवरण (डी0पी0आर0) बनाते हुए लाभार्थीपरक योजना हेतु लाभार्थी द्वारा कार्य कराये जाने की व्यवस्था है।

मछुआ समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सहकारी समितियों का गठन

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुआ जाति के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारिता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। प्रदेश स्तर पर मत्स्य जीवी सहकारी संघ, जनपद स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां गठित की गई हैं। वर्तमान में 1111 प्राइमरी समितियां, 22 जिला फेडरेशन व 1 प्रादेशिक मत्स्य सहकारी संघ प्रदेश में कार्यरत हैं।

मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 1985-86 से प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत आच्छादित सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में रु. 2.00 लाख तथा दुर्घटना में आंशिक स्थाई अपंग होने की दशा में रु. 1.00 लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2019-20 में बीमा धनराशि का प्रीमियम रु. 12.00 (रु. 6.00 भारत सरकार व रु. 6.00 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान किया गया है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि स्वयं वहन

नहीं करनी पड़ती है। वर्तमान में उपरोक्त योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लागू है। वर्ष 2020-21 में यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) में समाहित कर ली गयी है तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए रु. 20.00 लाख का बजट प्रावधान है।

ई-गवर्नेन्स के क्रियान्वयन की प्रगति

मुख्यालय स्तर पर वर्तमान में 25 कम्प्यूटरों द्वारा सफलतापूर्वक कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं जैसे- बजट आवंटन, पे-रोल, पेंशन इत्यादि समस्त टंकण का कार्य एम.एस.वर्ड पर व रिर्पोटिंग का कार्य एम.एस.एक्सल पर सम्पन्न किया जा रहा है । समस्त जनपदों को ई-मेल, व्हाटसअप तथा एस.एम.एस. के माध्यम से विभिन्न पटलों द्वारा सूचनायें प्राप्त करने व भेजने की सुविधा है। मत्स्य पालकों की सुविधा एवं समस्या निवारण हेतु टोल फ्री नम्बर- 1800 180 5661 की भी सुविधा दी गयी है। किसानों को योजनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट http://fisheries.upsdc.gov.in विकसित करायी गयी है। मत्स्य विभाग की समस्त योजनाओं को ऑन लाइन करने, उनका एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर विकसित करने, आम जनमानस को विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करने का कार्य यूपीडेस्को के माध्यम से पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in विकसित किया गया है। विभाग की समस्त योजनाओं में लाभार्थियों को भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से किया जा रहा है।

सहकारिता

भूमिका

भारत के ग्रामीण अंचलों में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ करते हुये सहकारिता के माध्यम से आसान शर्तों पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था की आधिकारिक रूप से शुरूआत वर्ष 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम बनने से हुई, जो सहकारिता की दिशा में पहला कदम था। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ में केवल दो प्रकार (शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों) की समितियों का गठन किया गया। इस अधिनियम के पारित होते ही इसके प्रावधानों को उत्साह के साथ लागू करते हुए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये और सहकारिता के सम्बन्ध में प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम चलाये गये, जिससे वर्षानुवर्ष सहकारी आन्दोलन में प्रगति उभर कर आने लगी। इस अधिनियम में आगे चलकर कुछ कमियाँ भी दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें दूर करते हुए तथा सहकारिता के कार्य क्षेत्र में वृद्धि लाते हुए वर्ष 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गठित की जाने वाली समिति के अन्तर को समाप्त कर दिया गया तथा सहकारिता आन्दोलन के प्रसार को समुचित संरक्षण मिल जाने से ऋण देने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी सहकारी समितियों का गठन सम्भव हो सका। तत्पश्चात् सहकारी आन्दोलन के बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1965 में नया सहकारी अधिनियम लागू किया गया। वर्तमान में इसी अधिनियम के अधीन समस्त सहकारी समितियाँ अपने कार्यों का निष्पादन कर रही हैं।

यह विभाग समितियों के लिये एक मित्र, विचारक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है तथा उनके कार्यों में आवश्यक निर्देश देता है एवं पर्यवेक्षण करता है। सहकारी समितियाँ सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने एवं निर्बल वर्ग के लोगों को समितियों की अंशपूँजी में विनियोजन हेतु ऋण देने के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विधायन एवं संग्रहण में सहायता करती हैं और क्रय विक्रय की व्यवस्था कर उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने में भी सहयोग प्रदान करती हैं। यह समितियाँ किसानों को कृषि कार्य के प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि निवेशों को उन्हें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं सुलभ कराती है।

कार्य योजना

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 0.95 लाख नये कृषक सदस्य बनाये गये। वर्ष 2020-21 में दिनांक 31.12.2020 तक 0.43 लाख नये सदस्य

बनाये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7.00 लाख नये सदस्यों को सहकारिता आन्दोलन से जोड़ने का लक्ष्य है। सदस्यों के साथ-साथ पदाधिकारियों को भी विस्तृत प्रशिक्षण देने तथा समितियों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किये जाने की योजना है।

वर्ष 2020-21 में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 31.2. 2020 तक रु0 5897.95 करोड़ अल्पकालीन ऋण वितरित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 11000.00 करोड़ सहकारी उर्वरक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 40.00 लाख मीट्रिक टन उर्वरक तथा 1.00 लाख कुन्टल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा पुरोनिधानित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं एवं उनके सदस्यों के विकास की विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में 13 जनपदों- हाथरस, मेरठ, अमरोहा, पीलीभीत, झाँसी, शाहजहाँपुर, सोनभद्र, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, जालौन, हमीरपुर एवं महोबा में परियोजनायें संचालित की जा रही हैं।

गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैकिंग लाइसेन्स प्राप्त कराने हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 2793.01 लाख का प्रावधान हुआ। जिसका उपभोग भी कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 3500.00 लाख का आय-व्ययक का प्रावधान किया गया।

3. कार्यक्रमों का विवरण

3.1 क- सहकारी ऋण एवम् अधिकोषण योजना

कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारम्भिक ऋण सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों/कृषकों को कृषि उत्पादन ऋण, उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक दवाएं आदि उपलब्ध कराती है। उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा सिंचाई कार्यों तथा कृषि संयंत्रों आदि के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

3.1 क-1 पैक्स के माध्यम से कृषकों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु नियमित भुगतान/प्रतिदान करने वाले कृषकों को 3 प्रतिशत ब्याज की दर से तथा अन्य के 7% की दर से पैक्स के माध्यम से फसली ऋण वितरित करने की योजना है। ब्याज दरों में छूट प्रदान करने के फलस्वरूप होने वाले अन्तर की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना हेतु रु0 20000.00 लाख के आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष रु0 20000.00 लाख व्यय हुये एवं वर्ष 2020-2। में रु 40000.00 लाख के आय-व्ययक का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत रु, 40000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

3(1) क-2 16 कमजोर जिला सहकारी बैकों को पूँजी पर्याप्तता अनुपात बनाये रखने हेतु वित्तीय सहायता

सहकारी साख व्यवस्था के अस्तित्व को बनाये रखने के साथ-साथ प्रदेश के कृषकों को अनुमन्य कराये जा रहे अनुदानित फसली ऋण पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचाने के लिये अधिकोषण योजनान्तर्गत 16 कमजोर जिला सहकारी बैकों को एूँजी पर्याप्तता अनुपात बनाये रखने हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 11448.04 लाख आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष रु0 11448.04 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 2793.01 लाख के आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष रु0 2793.01 लाख का उपयोग कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत रु0 3500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

3(1)ख सहकारी कृषि-निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना

सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना के कार्यक्रम सीधे खेती एवं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक किसानों से जुड़े हैं। प्रदेश की हरित क्रांति की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि निवेशों के वितरण में सहकारिता का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि लाने के लिए खरीफ तथा रबी अभियान के अन्तर्गत सहकारी समितियों/संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीजों, रसायनिक उर्वरकों एवं अल्पकालीन ऋण का वितरण किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक उत्पादकों विशेष कर इफको एवं कृभको द्वारा सहकारी विक्रय केन्द्रों को सीधे उर्वरकों की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में समय से उचित दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता के फलस्वरूप कृषि उत्पादन की वृद्धि से प्रदेश के किसानों की स्थिति में सुधार हो रहा है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में 8496 सहकारी विक्रय केन्द्रों द्वारा प्रमाणित बीज, कृषि रक्षा रसायन तथा रसायनिक उर्वरकों का वितरण नकद एवं ऋण के रूप में खरीफ एवं रबी अभियानों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 0.59 लाख कुन्तल प्रमाणित बीज तथा 37.74 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया। वर्ष 2020-21 में 0.97 लाख कुन्तल प्रमाणित बीज तथा 32.95 लाख मीट्रिक टन रसायनिक उर्वरक वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 8.66 लाख कुन्तल बीज एवं 30.25 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया है। वर्ष 2021-22 हेतु 1.00 लाख कुन्तल उन्नतशील बीज एवं 40.00 लाख मीट्रिक टन जर्वरक वितरण का लक्ष्य है।

3(1) ख-1 पी.सी.एफ. द्वारा उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु अनुदान

रबी एवं खरीफ अभियान के अन्तर्गत यूरिया, डी.ए.पी. एवं एन.पी.के. उर्वरकों की सहकारी समितियों की मांग के अनुरुप समय से आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ऑफ सीजन में रसायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण कर समस्या के निदान हेतु पी.सी.एफ. को उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण शुल्क, ब्याज की प्रतिपूर्ति तथा उर्वरकों के परिवहन हेतु अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 15000.00 लाख एवं 2020-21 में रु0 15000.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजनान्तर्गत रु0 15000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

3(1) ग एकीकृत सहकारी विकास योजना

समस्त प्रकार की सहकारी समितियों के समग्र विकास के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा पुरोनिधानित एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के अनुसार अवस्थापना वृद्धि एवं व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि हेतु ऋण एवं अंशधन प्रदान किया जाता है, ताकि समितियाँ अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सुदृढ़ एवं स्वाश्रयी हो सकें।

एन.सी.डी.सी. द्वारा राज्य को अल्पविकसित राज्य की श्रेणी में रखते हुए निर्माण कार्य की योजनाओं हेतु 20% अनुदान, 30% अंशधन एवं 50% ऋण रूप में सहायता दिए जाने का पैटर्न निर्धारित किया गया है। परियोजनान्तर्गत स्टाफ के वेतन आदि हेतु 50% राज्य सरकार एवं 50% एन.सी.डी.सी. द्वारा अनुदान वहन किए जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के ऋण एवं अंशधन की शत-प्रतिशत तथा पी.आई.टी. अनुदान का 50% प्रतिपूर्ति एन.सी.डी.सी. द्वारा की जाती है।

वर्तमान में 13 जनपदों- हाथरस, मेरठ, अमरोहा, पीलीभीत, झाँसी, शाहजहाँपुर, सोनभद्र, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, जालौन, हमीरपुर एवं महोबा में इस योजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनायें संचालित की जा रही है।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में रु0 5000.00 लाख एवं वर्ष 2020-21 में रु0 5000.00 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2021-22 में इस योजनान्तर्गत रु0 5000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

3(1)घ ग्रामीण गोदाम योजना (नई योजना)

प्रदेश में किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार कृषि निवेशों को उपलब्ध कराने हेतु 7479 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इन सहकारी समितियों के पास उपलब्ध गोदामों का निर्माण लगभग 30-40 वर्ष पूर्व कराया गया था, जिनमें से अधिकाँश गोदाम क्षतिग्रस्त हो गये हैं और उनकी मरम्मत/सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता है। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में गोदामों के सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 1000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

3(2)क प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान हेतु अनुदान

सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत जनपद स्तरीय सहकारी संस्थाओं में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित "की पर्सनल" के अभाव में भी आन्दोलन की प्रगति को धक्का लगा है, जिसको दूर करने के लिए एक प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान (आई.सी.सी.एम.आर.टी.) का संचालन उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लि0 के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2019-20 में इस योजना हेतु शासन द्वारा रु0 25.00 लाख एवं वर्ष 2020-24 में रु0 25.00 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2021-22 में रु0 25.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

3(3) सहकारी समिति अधिनियम का प्रशासन

सहकारी संस्थाओं का संगठन एवं उनके कार्यकलाप उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम

1965 से नियंत्रित किये जाते हैं। विभाग द्वारा अधिनियम तथा नियमावली की धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। अधिनियम तथा नियमावली की धाराओं के अनुपालन कराए जाने के क्रम में असंतुष्ट पक्ष को न्याय दिलाने हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। इसी प्रकार अधिसूचित सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के चयन, अनुशासनिक नियंत्रण एवं सेवा सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल गठित है। उपरोक्त दोनों संस्थाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था शासकीय बजट से की जाती है, जोकि निम्नवत है :-

(लाख रु0 में)

वास्तविक व्यय	आय-व्ययक अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व	राजस्व	राजस्व
303.06	363.10	363.40

3(3) क उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल

वर्ष 1972 से पूर्व प्रदेश की सहकारी संस्थायें अपने सेवा नियमों के अधीन अपने कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निष्पादन करती थी। संस्थाओं के बढ़ते हुये आकार, उनके कार्य कलापों के प्रसार, आधुनिकीकरण और बदलते परिवेश मे यह आवश्यक समझा गया कि कार्मिकों के सेवा नियमों और चयन की प्रक्रिया में एकरूपता लायी जाये जिससे सहकारी संस्थाओं को अपना कार्य कुशलतापूर्वक संचालन हेतु व्यवसायिक प्रबन्ध सुलभ हो सके। अतः उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-122 के अन्तर्गत उ.प्र. सहकारी संस्थागत सेवामण्डल का गठन मार्च, 1972 में किया गया। सेवामण्डल के कार्य क्षेत्र मे, प्रदेश की समस्त शीर्ष संस्थायें, जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी संघ एवं केन्द्रीय या प्रारम्भिक समितियाँ, जिनका कार्य क्षेत्र एक से अधिक जिलों या उ.प्र. राज्य में हैं, आते हैं। सेवामण्डल संस्थाओं द्वारा उनके कर्मचारियों हेतु बनाये गये सेवा नियमों का अनुमोदन भी करता है।

3(4) विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) उत्तर प्रदेश का गठन

वर्ष 1970-71 तक प्रदेश की सहकारी समितियों में अपहरण एवं दुर्विनियोग के अभियोग, सामान्य पुलिस की जाँच एवं अभियोजन हेतु बड़ी संख्या में लम्बित होने तथा जिलों में कार्यरत सामान्य पुलिस स्टाफ को अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उसे सहकारिता विभाग के अभियोगों को देखने अथवा जाँच करने का कम समय मिलता था। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग के अभियोगों की विस्तृत तकनीकी जानकारी के लिये सहकारी लेखा पद्धति का अध्ययन आवश्यक था। अतएव वर्ष 1971-72 से सहकारिता विभाग में विशेष अनुसन्धान शाखा (सह0) की स्थापना करते हुये इसे सीबी.सी.आई.डी. उ.प्र. से सम्बद्ध किया गया।

3(5) उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग का गठन :

भारतीय संविधान में हुये 97वें संशोधन एवं उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-13 सन् 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-29 में हुये संशोधन के प्रभाव में उ.प्र. राज्य के 10 विभागों यथा- सहकारिता, गन्ना, आवास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,

दुग्ध, उद्योग, रेशम, मत्स्य, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में गठित एवं संचालित सहकारी समितियों की प्रबंध कमेटी का.निर्वाचन कराये जाने का दायित्व "उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग" का है।

1- प्रदेश स्तर :

सहकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ.प्र, हैं। इनका कार्यालय प्रदेश स्तर पर है, जो मुख्यालय कहलाता है। मुख्यालय पर आयुक्त एवं निबन्धक के सहायतार्थ विभिन्न विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित मामलों में परामर्श देने के लिए प्रथम श्रेणी के 09 योजनाधिकारी, एक वित्त नियन्त्रक तथा द्वितीय श्रेणी के अन्य अधिकारी एवं कार्यालय में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं, जो नीति निर्धारण एवं कार्य निष्पादन में आयुक्त एवं निबन्धक की सहायता करते हैं।

2. मण्डल स्तर

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 राजस्व मण्डल हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी के अधिकारी नियुक्त हैं, जिनके कार्यक्षेत्र में सहकारी योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य आते हैं तथा इन्हीं की देखरेख में सम्पन्न होते है। सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक के लगभग समस्त अधिकार इन मण्डलीय अधिकारियों को प्राप्त हैं। मण्डलों में उप आयुक्त एवं उप निबन्धकों के सहायतार्थ मण्डल स्तर पर एक सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (उपभोक्ता) की भी नियुक्ति की गयी है, जो उपभोक्ता योजना का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करते हैं। इसके अतिरिक्त मण्डलीय कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के भी कर्मचारी कार्यरत हैं।

3. जिला स्तर :

(अ) जिले में प्रशासनिक संगठन तथा उसकी देख-रेख हेतु प्रत्येक जिले में एक सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक तथा कुछ जिलों में उनके सहायतार्थ एक अतिरिक्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक नियुक्त है, जो सहकारिता विभाग से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी देख-रेख में सम्पादित करते हैं। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक को सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत आयुक्त एवं निबन्धक के अधिकांश अधिकार भी प्राप्त हैं।

(ब) जिला स्तरीय संगठन के अतिरिक्त सहकारी कृषि योजना के अन्तर्गत लखनऊ, रामपुर एवं वाराणसी जिलों में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (कृषि) तथा उनके सहायतार्थ तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं।

4. तहसील स्तर :

तहसील स्तर पर सहकारी आन्दोलन की देख-रेख एवं समितियों के सफल संचालन हेतु सहकारी निरीक्षक वर्ग-1/अपर जिला सहकारी अधिकारी नियुक्त है। ये अधिकारी अपने तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त सहकारी समितियों एवं योजनाओं के प्रति उत्तरदायी हैं।

5. विकास खण्ड स्तर

विकास खण्डों में प्रशासनिक संगठन तथा उसकी देख-रेख हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकास

खण्ड में एक सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)/निरीक्षक वर्ग-2 नियुक्त हैं। यह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के प्रति विभागीय कार्यों हेतु उत्तरदायी होता है।

3(6)-1 मुख्यालय/मण्डल/जनपद कार्यालयों में कम्प्यूटर कोष्ठक क्री स्थापना

प्रदेश में समस्त प्रकार की सहकारी समितियाँ लगभग 48273 हैं, जिनमें उ.प्र. सहकारी अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निबन्धक के अधिकारों का प्रयोग तथा उनके अनुपालन तथा कार्यान्वयन की स्थिति का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की कार्यवाही आयुक्त एवं निबन्धक स्तर पर की जाती है साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय कार्य भी किए जाते है। इसी प्रकार मण्डल स्तर पर लगभग 800 से 900 समितियों का कार्य मण्डलीय उप आयुक्त एवं उप निबन्धक अपने नियंत्रण में कराते हैं तथा वह मुख्यालय स्तर पर समीक्षा व मूल्यांकन हेतु दैनिक, साप्ताहिक, मासिक व वार्षिक सूचनायें एकत्रित करते हैं। वर्तमान में मुख्यालय, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं तथा मुख्यालय पर लैन तथा आर.एफ. एन्टीना स्थापित किया गया है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति (राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन) (राज्य स्वच्छ गंगा मिशन) (भूगर्भ जल विभाग) (लघु सिंचाई विभाग)

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को समाहित करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल जीवन मिशन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत मार्च, 2024 तक प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर को नल से जल दिया जाना लक्षित है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विन्ध्य/बुन्देलखण्ड के 09 जनपदों में योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का चयन करते हुए कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, शेष 66 जनपदों हेतु कार्यदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य ग्रामीण पेयजल योजना एवं मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा मल जल शोधन, नालों का शोधन, घाट नवनिर्माण एवं पुनरोद्धार, घाट सफाई, नदी सतह सफाई, वनीकरण एवं जैव विविधता, गंगा स्वच्छता अभियान हेतु जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार का कार्य नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कराया जा रहा है।

प्रदेश में गिरते भूगर्भ जल स्तर में सुधार, भूगर्भ जल के नियोजित विकास एवं प्रबन्धन, भूजल से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन एवं भूजल संरक्षण हेतु जन जागरूकता के लिए 07 योजनायें यथा- भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण, शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना, भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग, भूजल जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार, राज्य भूजल संरक्षण मिशन, स्टैट ग्राउण्ड वाटर इन्फारमेटिक्स सेन्टर एवं भूजल भवन की स्थापना तथा नये पीजोमीटर की स्थापना संचालित है। इसके साथ ही भूगर्भ जल निधि से जल संचयन एवं संवर्धन के कार्य हेतु नवीन योजना प्रस्तावित है। भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं विनियमन के दृष्टिगत उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से लागू है। प्रदेश के 10 जनपदों में

संचालित अटल भूजल योजना की भांति शेष 65 जनपदों में दिनांक 01.04.2021 से उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

लधु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कृषकों को अनुदान एवं तकनीकी मार्ग-दर्शन द्वारा निजी लघु सिंचाई साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। विभाग में पूर्व से क्रियान्वित निःशुल्क बोरिंग योजना, मध्यम गहरे नलकूप के निर्माण की योजना एवं गहरे नलकूप निर्माण की योजना को सम्मिलित करते हुए एक नयी योजना मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना वर्ष 2020-21 से क्रियान्वित की जा रही है। चेकडैम निर्माण की योजना, डॉ0 राम मनोहर सामूहिक नलकूप योजना तथा वर्षा जल एवं भूजल संवर्धन योजना को पूर्ववत लागू रखा गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत हर खेत को पानी योजना के अधीन प्रदेश के सुरक्षित विकासखण्डों तथा 750 एम0एम0 अथवा उससे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नलकूप निर्माण एवं ब्लास्टवेल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ.प्र.

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

जल जीवन मिशन

कार्यक्रम का विवरण

प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्र सहायतित जल जीवन मिशन का संचालन केन्द्र एवं राज्य द्वारा 50 : 50 प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जाना है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मार्च, 2024 तक हर घर को क्रियाशील नल से जल देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भौतिक प्रगति

उत्तर प्रदेश में कुल 97494 राजस्व ग्राम और 25739 बस्तियां हैं। दिनांक 01.04.2020 को कुल 5297 कार्यशील पाइप पेयजल योजनायें थी, जिनमें 9.82 लाख एफ0एच0टी0सी0 प्रदान की गई थीं। इसमें से 3287 रेट्रोफिटिंग योग्य योजनाओं में रेट्रोफिटिंग का कार्य गतिमान है।

प्रदेश में जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित 3089 ग्रामों में 656 ग्रामों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया जा चुका है एवं 1044 ग्रामों में पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं।

प्रदेश में आर्सेनिक से प्रभावित कुल 1441 बस्तियों में 1358 बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया जा चुका है एवं 83 बस्तियों में पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन है।

प्रदेश में फ्लोराइड से प्रभावित कुल 2386 बस्तियों में 1749 बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया जा चुका है एवं 637 बस्तियों में पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के 1025 ग्रामों में ए0आर0यू0/एफ0आर0यू0 लगाए जाने का

कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश के समस्त अनाच्छादित स्कूल/आंगनवाड़ी/केन्द्र/ग्राम पंचायत भवनों/स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक भवनों में क्रियाशील नल जल संयोजन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 एवं विन्ध्य क्षेत्र के 02 जनपदों तथा उ0प्र0 के समस्त गुणता प्रभावित ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किये जाने हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ की गयी थी, जिसे भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जल जीवन मिशन में समाहित कर दिया गया है।

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 09 जनपदों की पाइप पयेजल योजना से अनाच्छादित 6867 ग्रामों (बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कुल 3872 ग्रामों एवं विन्ध्य क्षेत्र के 2995 ग्रामों) के लिए कुल 631 पाइप पेयजल योजनाओं (67 योजनायें सतही स्रोत आधारित एवं 564 योजनायें भूजल आधारित) के निर्माण हेतु अद्यतन 629 योजनाओं की निविदा कराते हुए कॉन्ट्रेक्टर का चयन किया जा चुका है एवं योजनाओं का निर्माण कार्य गतिमान है।

उक्त परियोजनाओं की अनुमानित लागत रु0 16725 करोड़, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों हेतु रु0 11113 करोड़ तथा विन्ध्याचल क्षेत्र के 02 जनपदों हेतु रु0 5612 करोड़ आकलित है।

वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं में से 320 पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 718 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है।

जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं सतर्कता कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:-

- पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण पेयजल स्रोतों के रासायनिक एवं जैविक परीक्षण के लिये प्रत्येक जनपद स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं एवं राज्य स्तर पर एन0ए0बी0एल0 से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला संचालित है। इसके अतिरिक्त 05 मोबाइल प्रयोगशालाएं भी संचालित की गयी हैं।

ग्राम पंचायत स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत फील्ड किट के माध्यम से समस्त पेयजल स्रोतों (समस्त सरकारी एवं व्यक्तिगत पेयजल स्रोतों) की शत-प्रतिशत फील्ड स्तरीय परीक्षण का कार्य पंचायत स्तर पर चिन्हित पंचायत कर्मियों द्वारा किया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से 05 महिलाओं को एफ0टी0के0 माध्यम से जल गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री आर०ओ० पेयजल योजना

भौतिक प्रगति

प्रदेश के जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मण्डल के जनपदों के सरकारी प्राथमिक एवं सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयंत्र के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार द्वारा यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत कुल 14 जनपदों में 28041 विद्यालयों में 25-25 लीटर भण्डारण क्षमता में अल्ट्राफिल्ट्रैशन तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयंत्र के अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2020-21 में बजट के माध्यम से रु0 25.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी धनराशि रु0 21.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

राज्य ग्रामीण पेयजल योजना

भौतिक प्रगति

- राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनो से वर्ष 2016-17 में "राज्य ग्रामीण पेयजल योजना" आरम्भ की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता/दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे ग्रामों में पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं जो केन्द्र पोषित ग्रामीण पेयजल कार्यकम के अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिकता से आच्छादित नहीं हैं, जिन्हें प्रदेश में शुद्ध पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यन्त आवश्यकता है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजना में से 26 पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 46 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है।
- वर्ष 2020-21 में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष अद्यतन रु0 33.13 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु0 25.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ०प्र०

एन०जी०आर०बी०ए०/नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाएं

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन, पर्यावरण एवं मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.02.2009 द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी रूप से उपशमन करने और गंगा नदी के संरक्षण के उपाय करने के लिए मा. प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है। एन0जी0आर0बी0ए0 के उद्देश्यों में कुछ परिवर्तन करते हुए वर्ष 2016 में नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। गंगा नदी कुल लगभग 2500 किमी की अपने यात्रा में 1025 किमी की यात्रा उ0प्र0 में करती है। इस यात्रा के दौरान प्रदेश के 26 जनपदों, 21 नगर निकायों व 1012 ग्राम पंचायतों से गुजरती है।

1. मल-जल शोधन संबंधी कार्य

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 19.03.2017 तक सीवरेज सम्बन्धी लगभग

रु0 2961.00 करोड की कुल 17 परियोजनाएं निर्माणाधीन व 04 परियोजनाओं पर टेण्डर की प्रक्रिया प्रारम्भ थी। इसके उपरान्त 28 परियोजनायें लागत रु0 7446.33 करोड़ की (17 हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर तथा 11 डी0बी0ओ0टी0 मोड पर) स्वीकृत हुई और वर्तमान में सीवरेज सम्बन्धी लगभग रु0 10272.74 करोड़ की कुल 45 परियोजनाएं स्वीकृत हैं।

स्वीकृत 45 परियोजनाओं के सापेक्ष 16 परियोजनाएं पूर्ण, 22 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 07 परियोजनाएं निविदा की प्रक्रिया में हैं। निम्नानुसार 16 परियोजनाएं पूर्ण कर उनका रख-रखाव एवं संचालन का कार्य किया जा रहा है-

1. सीवरेज एण्ड नॉन सीवरेज योजना, प्रयागराज, डिस्ट्रिक्ट-बी.ई., 2. सीवरेज एण्ड नॉन सीवरेज योजना, प्रयागराज, डिस्ट्रिक्ट-ए, 3. सीवरेज योजना, प्रयागराज, डिस्ट्रिक्ट-ई, 4. 14 एम. एल.डी. एस.टी.पी. सलोरी, प्रयागराज, 5. सीवरेज नेटर्वक डिस्ट्रिक्ट-ई, प्रयागराज (अति. कार्य), 6. सैवरेज परियोजना, कन्नौज, 7. सीवरेज योजना, नरोरा, बुलन्दशहर, 8. सीवरेज योजना, गढ़मुक्तेश्वर, 9. सीवरेज अपग्रेडेशन का कार्य, अनूपशहर, बुलन्दशहर, 10. सीवरेज योजना, डिस्ट्रिक्ट-सी, प्रयागराज, 11. सीवरेज योजना, प्रयागराज, डिस्ट्रिक्ट-बी, प्रयागराज, 12. इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन नाला, सीसामऊ, कानपुर, 13. सीवरेज परियोजना डिस्ट्रिक्ट-ए, प्रयागराज, 14. इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन नाला, अयोध्या, 15. बिठूर सीवरेज परियोजना, बिठूर, जनपद कानपुर, 16. वृन्दावन, मथुरा में नवीनीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य।

- कानपुर के 128 वर्ष पुराने सीसामऊ नाले के 140 एम.एल.डी. सीवरेज को आई.एण्ड डी. द्वारा टैप कर 80 एम.ए.डी. बिनगवां एस.टी.पी. तथा 60 एम.एल.डी. जाजमऊ एस.टी. पी. के माध्यम से शोधित किया जा रहा है।
- जायका पोषित 140 एम.ए.डी दीनापुर एस.टी.पी. का कार्य पूर्ण कर संचालित किया जा रहा है तथा योजना के अन्तर्गत बायो गैस का प्रयोग कर विद्युत उत्पादन भी किया जा रहा है।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं में जायका सहायतित सीवरेज परियोजना वाराणसी का कार्य 98.00 प्रतिशत, मुरादाबाद सीवरेज परियोजना का कार्य 99 प्रतिशत, 50 एम.एल.डी रमना एस.टी.पी. वाराणसी का कार्य 94 प्रतिशत, सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 कानपुर का कार्य 97 प्रतिशत, मथुरा परियोजना का कार्य 83 प्रतिशत, राम नगर सीवरेज परियोजना के कासगंज का 87 प्रतिशत, इटावा का 63 प्रतिशत, उन्नाव कार्य 35 प्रतिशत, पनखा कानपुर का 35 प्रतिशत, प्रयागराज नैनी, झूँसी, फाफामऊ में आई. एण्ड डी. एवं एस.टी.पी. का कार्य 42 प्रतिशत, प्रयागराज में पूर्व निर्मित एस.टी.पी. का संचालन एवं रख-रखाव का कार्य 91 प्रतिशत, सुल्तानपुर में आई एण्ड डी. एवं एस.टी.पी. का कार्य 26 प्रतिशत, जौनपुर में आई. एण्ड डी. एवं एस.टी.पी. का कार्य 19 प्रतिशत, चुनार नगर में फीकल स्लज मैनेजमेन्ट का कार्य 85 प्रतिशत, फिरोजाबाद में आईं एण्ड डी. एवं एस.टी.पी. का कार्य 69 प्रतिशत, बागपत में आई. एण्ड डी. एवं एस.टी.पी. का कार्य 25 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर में आई. एण्ड डी. एवं एस.टी.पी. का कार्य 6 प्रतिशत तथा बुढ़ाना में आई. एण्ड डी. एवं एस.टी. पी. का कार्य 6 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

2. नालों का शोधन कार्य

नीरी नागपुर द्वारा स्वयं की तकनीकी (आर.ई.एन.ई.यू.) के माध्यम से प्रयागराज के 06 नालों पर 02 वर्ष के लिए शोधन का कार्य किया जा रहा है। कार्य पूर्ण होने की अवधि 30-06-2021 है तथा स्वीकृत लागत रु0 10.09 करोड़ है जिसके सापेक्ष रु0 3.98 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

3. घाट नवनिर्माण एवं शव दाह गृह पुनरोद्धार

भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा गंगा नदी के किनारे घाटों एवं शव दाह गृहों के पुनरोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। अब तक भारत सरकार द्वारा कुल स्वीकृत 13 डी.पी.आर. के सापेक्ष 68 घाट एवं 47 शव दाह गृहों के निर्माण कार्य क्रमशः मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सम्भल, बिठूर, कानपुर, फर्रूखाबाद, उन्नाव, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी जिलों में ई0आई0एल0 द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं, जिसमें से सभी 68 घाटों एवं 17 शव दाह गृहों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एन.एम.सी.जी. द्वारा अनुमोदित नगर निगम, वाराणसी द्वारा 26 घाटों के पुनरोद्धार का कार्य भी पूर्ण कराया गया है।

4. घाट सफाई का कार्य

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी में 84 घाटों की सफाई का कार्य किया जा रहा है उक्त कार्य की लागत रु0 16.66 करोड़ है। इसके अतिरिक्त 04 नगरों क्रमशः प्रयागराज बिठूर कानपुर एवं मथुरा वृन्दावन में 87 घाटो के सफाई का कार्य कराया जा रहा है, जो आगामी तीन वर्ष तक स्वीकृत योजना के अन्तर्गत कराया जायेगा। कार्य की लागत रु0 12.97 करोड़ है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

5. औद्योगिक योजनाएं

4.5 एम0एल0डी0 क्षमता के बन्थर, 2.6 एम0एल0डी0 क्षमता के उन्नाव, 20 एम0एल0डी0 क्षमता के जाजमऊ कानपुर तथा 6.25 एम0एल0डी0 क्षमता के मथुरा में सी0ई0टी0पी0 परियोजनायें जिनकी कुल लागत रु0 807.81 करोड़ है। 4.5 एम0एल0डी0 क्षमता के बन्थर, 20 एम0एल0डी0 क्षमता के जाजमऊ कानपुर तथा 6.25 एम0एल0डी0 क्षमता के मथुरा में सी0ई0टी0पी0 परियोजनायें वर्तमान में सभी परियोजनायें निर्माणाधीन है। 2.6 एम0एल0डी0 क्षमता के उन्नाव परियोजना निविदा की प्रक्रिया में है।

6. वनीकरण एवं जैव विविधता का कार्य

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग उ0प्र0 को प्रदेश को वनीकरण व जैव विविधता संरक्षण हेतु लागत रु0 139.39 करोड़ की 07 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है जिसके अन्तर्गत गंगा व सहायक नदियों के किनारे वृक्षारोपण, औषधीय पौधों के रोपण कर लोगों की आजीविका का संवर्द्धन, जलीय जैव विविधता जैसे कछुआ एवं घड़ियाल के संरक्षण एवं गंगा के किनारे स्थित 27 जनपदों में वेटलैण्ड के संरक्षण एवं प्रबंधन आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

7. गंगा स्वच्छता अभियान हेतु जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार का कार्य

- माघ मेला 2020-21 प्रयागराज में नमामि गंगे प्रदर्शनी लगायी गयी एवं विभिन्न सूचना, शिक्षा, जन जागरण एवं प्रचार-प्रसार की गतिविधियों का आयोजन किया गया।
- 26 जनवरी 2019 को झांकी का आयोजन किया गया।
- 02-02-2021 को जिला स्तर पर "वर्ल्ड वेटलैण्ड डे" का आयोजन किया गया।
- 04-11-2020 को जिला स्तर पर "गंगा दिवस" कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०

भूगर्भ जल विभाग की स्थापना वर्ष 1975 में एक पृथक विभाग के रूप में कषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 के प्रशासनिक नियंत्रण में की गयी। राज्य में भूगर्भ जल संसाधनों के निरन्तर बढ़ते महत्त्व एवं इसके प्रभावी प्रबंधन के दृष्टिगत भूगर्भ जल विभाग को प्रदेश की भूजल सम्पदा के सर्वेक्षण, अनुसंधान, नियोजन, विकास व प्रबन्धन तथा भूगर्भ जल दोहन के नियंत्रण एवं भूगर्भ जल संरक्षण, संचयन व विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही रिचार्ज योजनाओं के समन्वय तथा अनुश्रवण हेतु वर्ष 2004 में 'नोडल एजेंसी' घोषित किया गया।

विभाग के मुख्य कार्य दायित्व प्रदेश की भूजल सम्पदा का सर्वेक्षण, आकलन, प्रबंधन व नियोजन तथा उससे जुड़ी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन, भूगर्भ जल दोहन पर नियंत्रण, भूजल संरक्षण, संचयन तथा रिचार्ज योजनाओं का तकनीकी समन्वय व अनुश्रवण करना है।

भूगर्भ जल विभाग की पूर्व से संचालित योजनाएं एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम इस प्रकार हैं :-

1. भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरण।
2. शासकीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना।
3. भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग।
4. भूजल जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार।
5. राज्य भूजल सरंक्षण मिशन ।
6. स्टेट ग्राउण्ड वाटर इन्फार्मेटिक्स सेन्टर एवं भूजल भवन की स्थापना।
7. नये पीजोमीटर की स्थापना/निर्माण।

नवीन योजना

भूगर्भ जल निधि से प्राप्त धनराशि द्वारा जल संचयन व संवर्धन के कार्य

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उपरोक्त पूर्व संचालित समस्त 07 विभागीय योजनाओं एवं नई मांग के माध्यम से प्रस्तावित 01 नवीन योजना को सम्मिलित करते हुये राजस्व पक्ष में रु0 8861.60 लाख एवं पूँजीगत पक्ष में रु0 2230.00 लाख कुल रु0 11091.60 लाख का बजट प्रावधान है।

लघु सिंचाई विभाग

लघु सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषक को सिंचाई के मामले

में आत्म निर्भर बनाना है। इस कार्यकम के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मुख्यतः उथले नलकूप का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के पठारी, कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में रिंग मशीनों से गहरी बोरिंग तथा एल्यूवियल क्षेत्रों में मध्यम गहराई के नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन तथा ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग/चेकडैमों के निर्माण की योजना संचालित है।

लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित हैंः-

1. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना।
2. वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन।
3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग/चेकडैमों के निर्माण की योजना।
4. डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप के निर्माण की योजना।
5. लघु सिंचाई विभाग में विशेष उपकरणों का क्रय।
6. बोरिंग गोदाम के निर्माण की योजना।
7. लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढ़ीकरण/निर्माण।
8. क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
9. लघु सिंचाई कार्यों की संगणना।
10. सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना।
11. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "हर खेत को पानी"।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

प्राककथन

बागवानी फसलों का कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग एक चौथाई योगदान है। बढ़ती मांग के कारण ही बागवानी फसलें प्राथमिकता का क्षेत्र बन रही हैं। बागवानी फसलों के व्यवसायीकरण एवं कृषि के विविधीकरण से प्रदेश की महत्वपूर्ण बागवानी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार, पुराने अल्प उत्पादक बागों के जीर्णोद्धार, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन, बागवानी एवं कृषि फसलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का अंगीकरण, फसल तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन एवं अन्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराकर प्रदेश में बागवानी के विकास के लिये प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। फल, शाकभाजी, पुष्प, औषधीय एवं सगंध फसलें, जड़ एवं कन्दीय फर्सलें, मसाले तथा सहायक उद्यम के रूप में मौन पालन एवं मशरूम उत्पादन के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण एवं मूल्य सम्बर्द्धन के कार्यक्रम समाहित हैं। प्रदेश की 92 प्रतिशत से अधिक छोटी जोत के किसानों के लिये बागवानी फसलें इकाई क्षेत्र से अधिक आय, रोजगार एवं पोषण उपलब्ध कराने में सक्षम है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में फल, शाकभाजी, आलू, पुष्प, मसाले, औषधीय एवं सगंध पौधों, पान विकास के साथ-साथ मौनपालन, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण आदि के लिये विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर सतत् विकास हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। बागवानी विकास हेतु प्रदेश में एकीकृत बागवानी विकास मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उप घटक 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (माइक्रो इरीगेशन), राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन, अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रमुखता से लागू हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 एवं इसके अन्तर्गत महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत किसानों एवं शिक्षित बेरोजगारों को लघु एवं सूक्ष्म श्रेणी का उद्यमी बनाकर उनके आर्थिक उन्नयन में प्रदेश सरकार सतत् प्रयत्नशील है। साथ ही इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना पर प्रदेश के किसानों को 80 से 90 प्रतिशत अनुदान सुलभ कराया गया है। बुन्देलखण्ड तथा विंध्य क्षेत्र में लाभार्थी कृषकों द्वारा स्थापित किये गये बागों को प्रोत्साहित करने के लिये लाभार्थी कृषकों को स्वयं फेंसिग सुविधा के साथ बागों की स्थापना एवं जीवित होने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप

में प्रति हेक्टेयर रु. 3000/- की धनराशि 03 वर्ष तक प्रतिमाह दिये जाने की योजना कार्यान्वित की गयी है। कौशल विकास हेतु मधुमक्खी पालन, पान विकास, मशरूम उत्पादन, माइक्रो इरीगेशन आदि के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हैं। सरकार दारा प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किये जाने हेतु अनुदान एवं रियायतें अनुमन्य की गयी हैं। प्रदेश में संरक्षित खेती कार्यक्रम में पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश की प्रमुख व मुख्य नकदी फसल आलू के चतुणदक एवं सुनियोजित विकास के लिये भी अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई हैं। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र विकसित हो तथा प्रदेश के सभी वर्ग के कृषकों की आय में वृद्धि हो।

भूमिका

उत्तर प्रदेश समृद्ध जैव-विविधता और विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों से युक्त है, जो बागवानी फसलों के लिए आदर्श है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत फल, सब्जियां, फूलों की खेती, मसाले, औषधीय एवं सगन्ध फसलें शामिल हैं, जो न केवल प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी देने में महत्वपूर्ण हैं अपितु पोषण सुरक्षा, कई खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत और प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ राज्य के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। प्रदेश की अधिकांश जोत छोटी हैं जिनके लिए बागवानी फसलें वरदान स्वरूप है। बागवानी फसलों के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण द्वारा न केवल तुड़ाई उपरान्त होने वाली क्षतियों में कमी आती है अपितु उत्पादक को अपने उत्पादन का अधिक मूल्य प्राप्त होता है।

प्रदेश की प्रमुख बागवानी फसलों में फलों के अन्तर्गत आम, अमरूद, आंवला, नींबू वर्गीय फल, लीची, केला, कटहल, बेर, बेल, पपीता, खरबूजा, तरबूज आदि तथा शाकभाजी फसलों के अन्तर्गत आलू, टमाटर, बैंगन, गोभी वर्गीय सब्जियां, सब्जी मटर, परवल, कद्दूवर्गीय सब्जियां, सेम, ग्वार, लोबिया, फ्रेन्चबीन, प्याज, पत्ते वाली सब्जियां आदि, मसाले जैसे- धनिया, मेथी, लहसुन, हल्दी, अदरक, आदि, पुष्पीय फसलों में गुलाब, जरबेरा, ग्लैडियोलाई, रजनीगंधा, गेंदा आदि, सगंध फसलों में मेंथा, दमिश्क रोज, औषधीय फसलों में तुलसी, एलोवेरा (घृतकुमारी) आदि तथा अनुपूरक उद्यम के रूप में मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन एवं पान की खेती आदि के संहत क्षेत्र विद्यमान हैं।

आलू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, देश का प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है। प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का 30 से 35 प्रतिशत आलू उत्पादित होता है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 6.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 30.00 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन हुआ है। वर्ष 2020-21 में प्राथमिक सूचना के अनुसार 6.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 58.00 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन संभावित है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 6.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 60.00 लाख मीट्रिक टन आलू के उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

राष्ट्र और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में बागवानी फसलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रयास किया गया है। उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों को

उगाकर, आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और बागवानी क्षेत्र में 10 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए मौजूदा क्षमता को विकसित करने हेतु कार्यक्रम तैयार किया जाये । बागवानी एक प्रमुख कृषि गतिविधियों के क्षेत्र के रूप में उभरा है क्योंकि बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन दोनो में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बागवानी फसलों को भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से अन्य फसलों की तुलना में उच्च उत्पादकता प्रदान करने का अन्तणनहित लाभ है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय और रोजगार सृजन हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में फल और सब्जियों ने कृषि फसलों की तुलना में अधिक उपज और उच्च कीमतों के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन प्रदर्शित किया है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रदेश में फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, सगंध आदि बागवानी फसलों के विकास, फल-सब्जी संरक्षण व खाद्य प्रसंस्करण विधियों के प्रचार-प्रसार के साथ मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुकरी, बेकरी, मेंथा, पान तथा मशरूम की खेती हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराने के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं को कवर ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

औद्यानिक योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य

1. औद्यानिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपलब्ध नवीनतम तकनीकी को कृषकों तक पहुंचाना तथा उनको अपनाने हेतु प्रेरित करना।
2. औद्यानिक फसलों के सघनीकरण एवं फसल-चक्र में परिवर्तन कर उत्पादकों को उनके श्रम एवं कम निवेश पर अधिक लाभ पहुँचाना।
3. वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार आवश्यक निवेशों का सामयिक एवं वैज्ञानिक उपयोग कराना।
4. औद्यानिक फसलों का उचित मूल्य दिलाने तथा सतत् आपूणत हेतु भण्डारण, विधायन एवं विपणन की सुविधाओं का विकास कराना, प्राथमिक औद्यानिक सहकारी समितियों का गठन कराकर उन्हें प्रभावी बनाना।
5. फल एवं सब्जी संरक्षण, कुकरी, बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम तथा मौन पालन में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा पान विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।
6. बागवानी की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूंढना तथा प्रायोगिक परिणामों को जन साधारण तक पहुँचाना।
7. सेवारत अधिकारियों/कर्मचरियों तथा कृषकों को नवीनतम् तकनीकी विधाओं में प्रशिक्षण देकर तकनीकी हस्तांतरण को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराना।
8. क्षेत्र आधारित रणनीति के माध्यम से, जिसमं अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसस्करण और विपणन शामिल है, बागवानी क्षेत्र को सर्वांगीण विकास प्रदान करना।

प्रदेश में विकास कार्यक्रमों का सिंहावलोकन

वाणिज्यिक फसलें

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 2 जनपदों यथा- उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बलिया, आजमगढ़, कानपुर नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत पान की खेती हेतु 1500 वर्ग मी० में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु. 1,5,360 का 50 प्रतिशत धनराशि रु. 75,680 विभिन्न निवेशी पर देय है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 के कार्यक्रम निम्नवत् हैं:

क्र सं.	कार्यक्रम	इकाई	गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना वर्ष 2021-22	
			भौतिक लक्ष्य (संख्या)	वित्तीय लक्ष्य (रू. लाख में)
1.	बरेजा निर्माण	1500 वर्ग मी०	75	56.76
2.	भ्रमण/प्रशिक्षण गोष्ठी	संख्या	3	2.40
3.	पान प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र, महोबा पर कृषकों का प्रशिक्षण	संख्या	4000	0.00

कृषि अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी

वर्ष 2014-15 से भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित "फल, शाकभाजी एवं अन्य गौण फसल के उत्पादन के अनुमान निकालने की योजना" के अन्तर्गत वित्त पोषण न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में राजकीय कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में आम एवं अमरूद की फसलों के उत्पादन के अनुमान निकाले जाने हेतु पूर्व में संचालित कार्यक्रमों को वर्तमान में आवश्यकता के अनुरूप विभागीय संसाधनों से सम्पादित कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त विभागीय स्टाफ द्वारा वर्तमान में प्रदेश के औद्यानिक आंकड़ों का एकत्रीकरण, सारणीयन आदि कार्य किये जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ वर्ष 2018-9 में भारत सरकार द्वारा वित्त प्रोषित चमन परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के 17 जनपदों में आलू एवं 4 जनपदों में आम फसल के ग्राउण्ड ट्रुथ आंकड़ों (जी. टी.) के भू-सत्यापन का कार्य कराया गया है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 18 जनपदों में आलू, 10 जनपदों में आम, 4 जनपदों में मेंथा तथा 4 जनपदों में केला फसलों के कप थ आंकड़ों (जी. टी.) का भू-सत्यापन का कार्य कराया गया है। वर्ष 2020-24 में भारत सरकार की चमन परियोजना के अन्तर्गत यथा निर्देशित 8 चयनित जनपदों में आलू तथा 8 चयनित जनपदों में मेंथा फसल के का व मा कल (जी.टी.) का भू-सत्यापन, संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 202-22

में भारत सरकार की चमन परियोजना के यथा जनपदों में चयनित फसलों के ग्राउण्ड ट्रुथ आंकड़ों (जी.टी.) का भू-सत्यापन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

बागबानी एवं वनस्पतियों की फसलें (उद्यान घटक)

आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आलू उत्पादकों को उच्चकोटि के रोग रहित आलू बीज उपलब्ध कराकर प्रदेश में आलू उत्पादन तथा उत्पादकता में अभिवृद्धि कराना है। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। विभाग द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हिमाचल प्रदेश) से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त करके उसका संवर्धन चयनित राजकीय प्रक्षेत्रों पर आधारित प्रथम एवं आधारित द्वितीय श्रेणी में कराया जाता है। इस प्रकार उत्पादित आलू बीज का वितरण आलू उत्पादकों में जनपदीय उद्यान अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध कराया 2 2 के वर्षों के प्राप्त ब्रीडर आलू बीज की मात्रा तथा उससे उत्पादित मात्रा का श्रेणीवार विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	प्राप्त ब्रीडर आलू बीज की मात्रा (कुन्टल में)	उत्पादित आलू बीज की मात्रा (कुन्टल में)			योग
		आधारित प्रथम	आधारित द्वितीय	ड्रथफुल	
2016-17	7845.00	32892.85	5351.95	-	8244.80
2017-18	9567.80	34947.00	4561.00	-	39508.00
2018-19	6388.00	43328.50	-	-	43328.50
2019-20	7640.50	28519.00	4668.50	70	3257.50
2020-21	9000.00 (सम्भावित)	34000.00 (सम्भावित)	3000.00 (सम्भावित)	-	37000.00 (सम्भावित)

प्रदेश के आलू उत्पादकों में गुणवत्तायुक्त आलू बीज का वितरण करने हेतु विभागीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादित आलू बीज जनपदीय उद्यान अधिकारियों के माध्यम से वितरित कराया जाता है। विगत वर्षों तथा वर्ष 2019-20 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रगतिशील आलू उत्पादक कृषकों के मध्य वितरित आलू बीज का विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	वितरण का लक्ष्य (कुन्टल में)	वितरित मात्रा (कुन्टल में)
2016-17	35000	30539.00
2017-18	35000	34526.40
2018-19	35000	35688.50
2019-20	35000	39627.66
2020-21	35000	न मम अल

प्रदेश में स्थित शीतगुहों पर प्रभावी नियंत्रण एवं उनके सफलता पूर्वक संचालन तथा कृषकों के हितों की रक्षा हेतु उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 लागू है जिसके अनुसार समस्त शीतगृहों का संचालन व नियंत्रण किया जाता है। प्रदेश में आलू भण्डारण के लिये कुल 1908 शीतगृह कार्यरत हैं, जिनकी कुल भण्डारण क्षमता लगभग 59.82 लाख मीट्रिक टन है। वर्तमान में शीतगृहों की कुल भण्डारण क्षमता कुल आलू उत्पादन का लगभग 99.88 प्रतिशत ह। इस प्रकार प्रदेश में आलू भंडारण क्षमता की कोई समस्या नहीं है।

शाकभाजी एवं मसाला विकास

कृषकों को उचित मूल्य पर आधारीय प्रमाणित/सत्यबीज (ट्रूथफुल लेवल) उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय राजकीय क्षेत्रों/औद्यानिक इकाइयों पर रबी, खरीफ एवं जायद मौसम की विभिन्न प्रजातियों के शाकभाजी बीजों के संवर्धन का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है। विगत वर्षो में राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादन कार्यक्रम का विवरण निम्नानसार हैः

मौसमवार शाकभाजी बीज सम्वर्धन कार्यक्रम

(क्षेत्रफल-हैक्टर में, उत्पादन-कुन्टल में)

वर्ष	रबी		खरीफ		जायद		कुल योग	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रल	उत्पादन	क्षेत्रल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
2017-18	100.00	435.43	10.00	36.00	67.00	115.70	177.00	587.13
2018-19	64.00	293.00	07.00	9.06	55.00	110.50	126.00	412.56
2019-20	105.00.	403.86	05.00	4.50	59.00	68.09	169.00	576.45
2020-21 (सम्भावित)	84.00.	1000.00	05.00	20.00	60.00	200.00	149.00	1220.00
2021-22 (प्रस्तावित)	95.00.	1100.00	05.00	20.00	60.00	200.00	160.00	1320.00

लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन एवं प्रबन्धन की योजना

उत्तर प्रदेश की जलवायु, जैव विविधता एवं कृषि जलवायु की परिस्थितियाँ विभिन्न प्रकार के औद्यानिक फसलों के उत्पादन हेतु सर्वथा उपयुक्त है। प्रदेश में औद्यानिक फसलों यथा-फल, शाकभाजी, मसालें, पुष्प, आलू, औषधीय एवं सगंध पौधे आदि के व्यापक क्षेत्र हैं। इन फसलों का प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने, पोषण सुरक्षा प्रदान करने तथा आणथक एवं सामाजिक उन्नयन में विशेष महत्व है। प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषक हैं। इन कृषकों के लिए खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में शाकभाजी की फसल सघनता में वृद्धि कर, अधिक उत्पादन प्राप्त कर प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने में लाभकारी है। अतः लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु योजना प्रस्तावित की गयी है। योजनान्तर्गत

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रु.100.00 लाख (रुपये एक करोड़) की व्यवस्था की गई है।

नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रम

पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश का अधिक से अधिक भू-भाग हरा-भरा, वनों एवं वृक्षों से आच्छादित रहे। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान की सुविधा प्रदत्त कर नवीन उद्यानों का रोपण कराया जाता है जिसमें मुख्यतः फलदार (कलमी व बीजू पौधों) व कुछ शोभाकार पौधों का रोपण कार्य कराया जाता है जिससे प्रदेश के भू-भाग हरियाली से परिपूर्ण रहें तथा पर्यावरण संतुलन बनाये रखा जा सके।

फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की योजना

प्रदेश की भूमि एवं जलवायु फलदार पौधों के लिए उपयुक्त है द्य प्रदेश के कतिपय जनपदों के क्षेत्र विशेष फल विशेष उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है। इन क्षेत्रों में फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु फल पट्टी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में 3 फलों आम, अमरूद एवं आवंला के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी घोषित की गयी हैं। आम फलपटूटी के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, फैज़ाबाद तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड आच्छादित हैं। अमरूद फलपट्टी हेतु जनपद कौशाम्बी एवं बदायूँ के 06 विकास खण्ड लिये गये हैं तथा आंवला फलपटूटी के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के 2 विकास खण्ड अंगीकृत किये गये हैं। फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार हेतु फल पट्रिटयों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने हेतु योजना का प्रारम्भ वर्ष 2017-18 से किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रु. 60.00 लाख आय-व्ययक में उपलब्ध है तथा वर्ष 2021-22 हेतु रु. 203.82 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

पर्यावरण उद्यान/पार्क की स्थापना

पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना कराये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

पूर्व में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2005-06 से प्रथम चरण में प्रदेश के 26 जनपदों में प्रारम्भ हुआ। प्रदेश में राज्य औद्यानिक मिशन समिति का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-860, संख्या 2! के अधीन 07-09-2005 को किया गया तथा जनपदों में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जिला औद्यानिक मिशन समिति का पंजीकरण किया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में प्रदेश के 4 जनपदों तथा वर्ष 2009-10 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 5 जनपदों यथा-ललितपुर, महोबा, जालौन, हमीरपुर एवं चित्रकूट में योजना को विस्तारित करने की प्रशासनिक स्वी.ति प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2009-0 से यह योजना निम्नानुसार प्रदेश के चयनित 45 जनपदों में संचालित की जा रही है।

बागवानी तथा वनस्पति की फसलें (खाद्य प्रसंस्करण घटक)

खाद्य प्रसंस्करण शाखा में संचालित योजनाएं

खाद्य प्रसंस्करण प्रसार सेवा

फल सब्जियों की वर्ष भर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये उत्पादन के समय ही वैज्ञानिक विधियों से प्रसंस्कृत करा कर नष्ट होने से बचाया जा सकता है। प्रसंस्करण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधीन एक राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ एवं 10 राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं।

राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा कैटरिंग संस्थानों में समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खाद्य विज्ञान सम्बन्धी विधाओं में प्रशिक्षण देकर दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। प्रदेश में होटल उद्योगों की आवश्यकताओं की पूणत तथा शिक्षित बेरोजगारों को खाद्य पदार्थों के विभिन्न प्रसंस्करण विधाओं में प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदेश के 10 महानगरों वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर नगर, फैजाबाद, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद में एक-एक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है। इन राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी तथा पाक कला पाठ्यक्रम में एक वर्षीय रोजगारपरक ट्रेड डिप्लोमा एवं एक मासीय अल्पकालीन बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, पाक कला के सम्मिलित पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं:-

प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.)

प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में असंगठित और अपंजीकृत क्षेत्र में संचालित सूक्ष्म उद्यमों जिनकी संख्या एक अनुमान के अनुसार लगभग 3.5 लाख है, के द्वारा इस क्षेत्र में कुल निवेश (मशीनरी और संयंत्र) का मात्र 7 प्रतिशत और कुल ऋण की मात्रा का प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस सेक्टर में 74 प्रतिशत रोजगार (जिसमें एक तिहाई महिलायें हैं), 2 प्रतिशत उत्पादन और 27 प्रतिशत मूल्य संवर्धन में योगदान दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र की लगभग 66 प्रतिशत इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और लगभग 80 प्रतिशत परिवार आधारित उद्यम हैं।

इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत एक व्यापक पैकेज के माध्यम से अखिल भारतीय केन्द्र पोषित, "प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" (पी.एम.एफ.एम.ई.) प्रदेश सरकार के सहयोग से 60:40 साझेदारी से संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और आधुनिक बनाने के लिए और औपचारिक सेक्टर में उनके परिवर्तन को सुनिश्चित करना एवं सेवाओं के पैकेज की डिलीवरी, वैल्यू चेन के साथ सामान्य बुनियादी ढांचे का निर्माण, बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजेज, ब्रांडिंग और विपणन आदि के लिए एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों को सपोर्ट करना मुख्य लक्ष्य है।

परती भूमि विकास

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड डेवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट

(पी०एम०के०एस०वाई०-डब्लू०डी०सी०)

स्टेट लेविल नोडल एजेंसी

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास हेतु वित्त पोषित डी0पी0ए0पी0 एवं आई0डब्लू0डी0पी0 योजनाओं को वर्ष 2008-09 में बंद करते हुए पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण करने की अंतिम समय सीमा मार्च, 2013 निर्धारित की गई है।

वायु तथा जल के द्वारा मृदा के क्षरण के कारण भूमि का अवक्रमण, वर्षा जल के उपयोग की कम क्षमता, अधिक जनसंख्या का दबाव, चारे की अत्यधिक कमी, पशुधन से अत्यंत कम उत्पादन, जल उपयोग की क्षमता में कम निवेश, सुनिश्चित और लाभकारी विपणन अवसरों की कमी और कमजोर अवसंरचना सर्वोपकारी नीतियों की मुख्य चिन्ताएं हैं। अतः वर्षा सिंचित क्षेत्रों में चुनौती, संतत् आधार पर आय, उत्पादकता को बढाने तथा जीविका की सुरक्षा हेतु एकीकृत कृषि प्रणालियों पर जोर देते हुये सहभागी वाटरशेड विकास के जरिये ग्रामीण जीविका साधनों में सुधार लाना है।

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार सभी सम्बन्धित मंत्रालयों, सम्बन्धित संस्थानों एवं एनआरएए के सहयोग से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिये समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (संशोधित-2011) तैयार किया गया है। जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं-

- राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन- राज्यों को अपने क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत इस मार्गदर्शी सिद्धान्त में निर्धारित किये गये मापदंडों के तहत वाटरशेड विकास परियोजनायें स्वीकृत करने तथा इनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के अधिकार दिये गये हैं।
- समर्पित संस्थाएं- वाटरशेड विकास कार्यक्रम के प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर बहु-विधा सम्पन्न व्यवसायिक दलों से मुक्त समर्पित कार्यान्यवन एजेन्सियां स्थापित की गयी हैं।
- समर्पित संस्थाओं को वित्तीय सहायता- वाटरशेड परियोजनाओं का प्रबन्धन सुनिश्चित करने

के लिये जिला तथा राज्यों पर संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी।

- कार्यक्रम की अवधि- कार्यक्षेत्र तथा प्रत्यासाओं में वृद्धि किए जाने के मद्देनजर परियोजना अवधि को तीन अलग-अलग चरणों अर्थात् प्रारम्भिक चरण, कार्यचरण तथा समेकन चरण में विभक्त किया गया तथा परियोजना की कार्यावधि 04 वर्ष से 07 वर्ष तक रखी गयी।
- जीविका अभिमुखीकरण- संरक्षण उपयों के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि तथा जीविका साधनों के विकसित करने की प्राथमिकता प्रदान की गयी।
- सामूहिक पद्धति (क्लस्टर एप्रोच)- सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्रों के समूहों को शामिल करके 1000-5000 हेक्टेयर तक की औसत आकार की भूजलीय इकाईयों की परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था की गयी।
- वैज्ञानिक आयोजना- कार्यक्रम की आयोजना, निगरानी तथा मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूर संवेदी, निविष्टियों का उपयोग में लाने पर विशेष बल दिया गया।
- क्षमता निर्माण- वाटरशेड विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल सभी कार्यकर्ताओं और भागीदारों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने हेतु व्यापक व्यवस्था की गयी।
- बहुस्तरीय पद्धति- शिखर से घाटी की ओर क्रमबद्ध पद्धति से वाटरशेड विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया गया।

वाटरशेड विकास दल (डब्लू०डी०टी०)

परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी (पी0आई0ए0) स्तर पर वाटरशेड विकास दल (डब्लू0डी0टी0) का गठन किया गया है। वाटरशेड विकास दल में कृषि, मृदा, विज्ञान, जल प्रबन्धन, सामाजिक संगठन तथा संस्थागत निर्माण में व्यापक जानकारी और अनुभव रखने वाले कम से कम चार सदस्य सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात किये गये हैं।

वाटरशेड समिति (डब्लू०सी०)

वाटरशेड विकास दल (डब्लू0डी0टी0) की तकनीकी सहायता से वाटरशेड परियोजना कार्यान्वित करने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर वाटरशेड समिति (डब्लू0सी0) गठित की गयी है। ग्राम प्रधान को वाटरशेड समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। वाटरशेड समिति के सचिव का चयन ग्राम पंचायत की बैठक में किया जाता है जो एक वैतनिक कार्यकर्ता है जोकि पंचायत के सचिव से पृथक तथा इसका चयन योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जाता है। वाटरशेड समिति में कम से कम 10 सदस्य होते हैं।

वाटरशेड परियोजना के चयन हेतु मानदण्ड

- पेयजल की अत्यधिक कमी।

- भू-जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
- बंजर भूमि/अवक्रमित भूमि की अधिकता ।
- पहले ही विकसित/सुधार किये जा चुके किसी अन्य वाटरशेड के साथ निकटता।
- स्वैच्छिक रूप से योगदान करने, समान सम्पत्ति संसाधनों को बांटने के लिये सामाजिक विनियमों को लागू करने, लाभों का वितरण करने तथा सृजित की गई परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु व्यवस्थायें करने के लिये ग्रामीण समुदाय की सहमति होना।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का अनुपात।
- परियोजना का क्षेत्र सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत शामिल नहीं होना चाहिये।
- भूमि की उत्पादन क्षमता।

वित्तीय व भौतिक प्रगति

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड डेवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान संख्या-12 में रु. 9712.48 लाख का आय-व्ययक का प्रावधान किया गया है।

आई0डब्लू0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत अब तक भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2017-18 तक उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु. 1007.95 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक रु. 857.71 करोड़ व्यय करके 17860 आस्था मूलक कार्य, 13432 स्वयं सहायता समूह तथा 13927 प्रयोक्ता समूहों का गठन करते हुए 8992 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर 5,80,768 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया एवं 7,61,295 हे. क्षेत्र उपचारित किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक 2.0 के अन्तर्गत 34 जनपदों की 53 परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया।

भूमि सुधार निगम

देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि के विकास से ही गाँवों, देश का विकास सम्भव है कृषि जगत में हो रहे नवीनतम अनुसंधानों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ निश्चित तौर पर इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, हमारे देश में लघु एवं सीमान्त कृषकों की संख्या अधिक है, जिनको उन्नत तकनीक का अपेक्षित लाभ नहीं हो पा रहा है। लघु एवं सीमान्त कृषकों की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा जोत का आकार कम तथा भूमि का ऊसर, बीहड या अन्य विकारों से ग्रसित होना है।

ऊसर एवं अपघटित भूमि के स्थायी सुधार एवं कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1978 को "उ0प्र0 भूमि सुधार निगम" की स्थापना की गयी थी। प्रथमतया कृषि विभाग के पास उपलब्ध 03 ऊसरग्रस्त प्रक्षेत्र (जहाँ कोई उत्पादन नहीं होता था) यथा- पीपरसन्ड तथा शिवरी में ऊसर भूमि का सुधार निगम द्वारा प्रारम्भ किया गया। इन प्रक्षेत्रों को

सुधार कर बीज उत्पादन का कार्य निगम द्वारा किया जाता रहा है।

उक्त के अतिरिक्त निगम कृषि विभाग द्वारा संचालित ऊसर सुधार एवं अन्य परियोजनाओं के लिए जिप्सम व पायराइट (मृदा सुधारक) की आपूर्ति कराने का कार्य करता रहा है। वर्ष 1992-93 से प्रदेश में विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना प्रथम एवं द्वितीय व यूरोपिन इकनोमिक कम्युनिटी (ई0ई0सी0) सहायतित उत्तर प्रदेश अल्कलाइन लैण्ड रिक्लेमेशन एण्ड डैवलेपमेट परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसके निष्पादन का दायित्व निगम को दिये जाने का निर्णय प्रदेश शासन द्वारा लिया गया। इसके फलस्वरूप निगम के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 1992-93 से विभिन्न परियोजनाएँ निगम द्वारा संचालित की जा चुकी हैं। उ.प्र. भूमि सुधार निगम द्वारा विगत वर्षों में विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना संचालित की गई हैं।

उ०प्र० सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

1. परियोजना वर्ष-- 18.9.2009 से 29.12.2018
2. चयनित जनपद- कुल 32 जनपदों मे ऊसर सुधार का कार्य किया गया।
3. उपचारित भूमि - लक्ष्य- क. सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन- 1.30 लाख हेक्टेयर
   ख. बीहड़ सुधार - 5000 हे० संशोधित 42400 हेक्टेयर
   पूर्ति - क. सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन - 1,42,677 हेक्टेयर
   ख. बीहड़ सुधार - 23,942.216 हेक्टेयर
4. लाभान्वित कृषक - 3,32,760 कृषक
5. लघु एवं सीमान्त कृषक - 3,15,170 कृषक
6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति -1,01,824 कृषक
7. पिछड़ा वर्ग कृषक - 1,69,423 कृषक
8. उत्पादकता मे वृद्धि - धान - 0 से 35 कुन्तल प्रति हेक्टेयर (सी श्रेणी भूमि में)
   गेहूँ - 0 से 30 कुन्तल प्रति हेक्टेयर (सी श्रेणी भूमि में)
9. कुल परियोजना लागत - 1332.81 करोड़ (273 करोड़ डालर) एक डालर 49 रुपये

विभाग के प्रमुख कार्य

निगम के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन' के अनुसार इसके निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए हैं :-

भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, भूमि की उपयोगिता बढ़ाने तथा जल स्रोतों को संरक्षित करने के उचित उपायों को क्रियान्वित कराने हेतु उदाहरण स्वरूपः-

I. ऊसर सुधार, बीहड़ एवं जल कटाव से प्रभावित भूमि सहित सभी प्रकार की भूमि का सुधार।

II. सतही एवं भूमिगत जल निकास।

III. भूमि क्षरण को रोकने तथा सुधार के उपाय।

IV. बंजर एवं रेगिस्तानी भूमि पर वृक्षारोपण का नियोजन एवं देखभाल।

V. बाढ़ एवं सूखे से भूमि के बचाव के उपाय।

VI. चारागाहों का सुधार एवं पशुओं द्वारा चराई को नियंत्रित करना।

VII. समतलीकरण, लैण्ड शेपिंग तथा ग्रेडिंग।

VIII. जल प्रबन्ध, सिंचाई स्रोतों का संरक्षण, स्प्रिंकलर सेट एवं गेट पाइन का प्रयोग तथा वाटर हारवेस्टिंग के उपाय।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की उपलब्धियाँ

उ0प्र0 भूमि सुधार निगम में शासन से किसी प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं है, द्वितीयक कार्य के रूप में कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की माँग के अनुरूप योजना वर्ष 2021-22 में 32 जनपदों में कुल 7184.320 मै0टन जिप्सम की आपूर्ति सफलतापूर्वक की गई।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित योजनाएं, विभाग की नीतिः-

उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा शासन में बीहड सुधार की योजना प्रेषित की गई है, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा, द्वितीयक कार्य के रूप में कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की माँग के अनुरूप योजना वर्ष 2021-22 में आवंटित जनपदों में जिप्सम की आपूर्ति की जायेगी।

ग्रामीण अभियन्त्रण

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का सृजन शासन के ग्राम्य विकास के अन्तर्ग वर्ष 1972 में प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से किया गया है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का कोई अपना विभागीय आयोजनागत बजट नहीं है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्यों का सम्पादन कराता है।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मण्डल सतर पर मण्डलीय टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है तथा निर्माण कार्यों के सामग्री परीक्षण किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे निश्चित रूप से विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी एवं अन्य निर्माण एजेन्सी भी उक्त प्रयोगशाला में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच करा सकेगी।

विभाग में ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट लागू कर निविदा प्रक्रिया में वृहद प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ई-टेन्डरिंग हेतु अधिक से अधिक ठेकेदारों को पंजीकृत कर निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा रहा है,जिससे प्रतिस्पर्धात्मक दरों भी प्राप्त होगी। ई-टेन्डरिंग हेतु विभागीय अधिकारियों को विभागीय संरचना के अनुसार मैपिंग करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर बनवाकर रजिस्टर्ड कर दिया गया है।

विभाग में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधार हेतु थर्ड पार्टी के रूप में प्रदेश स्थिति इन्जीनियरिंग कालेजों को आबद्ध किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन्जीनियंरिंग कालेजों के विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासन द्वारा अधिष्ठान सम्बन्धी मतदेय मद के अन्तर्गत कुल रु0 545.58 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष रु0 200.53 करोड़ का व्यय किया गया एवं भारित मद के अन्तर्गत धनराशि रु0 7.50 लाख के सापेक्ष 6.83 लाख व्यय किया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

यह योजना वर्ष 2001 में प्रारम्भ गयी थी। प्रारम्भ के समय विभाग को कुल 14 जनपदों का कार्य सौंपा गया था। गुणवत्ता एवं प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन उपरान्त शासन द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के लिए आवंटित जनपदों की संख्या बढ़ाई गयी तथा वर्तमान में 35 जनपदों में यह कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है, साथ ही एफ0डी0आर0 योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्य 40 जनपदों में कार्य किये जाने के आदेश प्राप्त हुए है। जिसमें से 7 जिलों में पाईलेट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रारम्भ से लेकर अब तक इस योजना के अन्तर्गत 5826 मार्गों का निर्माण करते हुए कुल 24050.511 किमी0 मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया तथा 4312 बसावटों को लाभान्वित किया

गया। कुल निर्मित सड़कों में से 4469 सड़के लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है। पीरियोडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल) के 328 मार्ग है। जिनमें से 13 मार्ग डिलीट किये जा चुके हैं शेष 315 मार्गों में से 312 मार्ग पूर्ण, शेष 03 कार्य जनपद गोण्डा के अवशेष जिनको पूर्ण कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता गोण्डा को निर्देश दिया जा चुका हैं।

सामान्य योजना

वित्तीय वर्ष 2021-22 के विभिन्न योजनाओं के विभिन्न विभागों से यथा- कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, आयुष विभाग, चिकित्सा विभाग, खेलकूद विभाग, युवा कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, सांसद निधि एवं विधायक निधि आदि कार्यों के डिपाजिट के रूप में माह नवम्बर 2021 तक कुल उपलब्ध धनराशि रु. 874.64 करोड़ के सापेक्ष रु. 369.78 करोड़ व्यय करते हुए 1612 भवन, 2666 सम्पर्क मार्ग एवं 41 पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया एवं 1924 भवन, 2522 सम्पर्क मार्ग तथा 63 पुलियों का निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

वर्ष 2020-21 (चयन वर्ष 2019-20) वर्ष 2019-20 (चयन वर्ष 2018-19) एवं 2018-19 (चयन वर्ष 2017-18) आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माणः-

कुल लक्षित 2497 आँगनबाड़ी केन्द्रों में 2366 आँगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण कराये जा चुके हैं। 123 केन्द्र प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं शेष केन्द्रों में भूमि विवाद हैं जिसमें स्थानीय/प्रशासनिक स्तर पर निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। कुल स्वीकृति धनराशि रु0 191.58 करोड़ के विरुद्ध रु0 142.83 करोड़ विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष रु0 115.23 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा में रु० 05.00 करोड़ तक के मार्गों का निर्माण कार्यः- वर्ष 2018-19

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा कुल 370 विधान सभाओं के अन्तर्गत कुल 4591 कार्यों के प्राक्कलन शासन को प्रेषित किये गये थे। जिसके सापेक्ष 09 मार्च 2019 (लोक सभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा) तक कुल 329 विधानसभाओं में 4032 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा जिन पर कुल रु0 1610.23 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। रु0 10.00 लाख की लागत के ऊपर सभी कार्यों को ई-निविदाएं आमंत्रित की गयी। लक्षित 4032 कार्यों में से माह 24 दिसम्बर 2021 तक 3925 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 01 कार्य जनपद फिरोजाबाद में वन विभाग की भूमि के कारण अनापत्ति प्रक्रिया में हैं तथा 106 कार्य निरस्त हैं।

बेसिक शिक्षा

भूमिका

"सभी सुशिक्षित सभ्य बनें, जन-जन का कल्याण करें" के सर्वमान्य सिद्धान्त के लिए शिक्षा एक अत्यन्त सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम है। शिक्षा ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाकर एक प्रगतिशील आदर्श समाज का निर्माण करती है, जो संविधान के प्रति निष्ठा, धर्म निरपेक्षता एवं लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों की प्राप्ति में मार्ग दर्शन कर सहायता करती है। बौद्धिक सम्पन्नता एवं राष्ट्रीय आत्म निर्भरता की आधारशिला शिक्षा ही है।

वर्ष 1972 तक शिक्षा निदेशक के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों, विद्यालयों एवं नये-नये प्रयोगों के कुशल संचालन तथा कार्यक्रम को अधिक गतिशील स्तर पर किया गया, जिसके अन्तर्गत शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं उच्च शिक्षा निदेशक, के पदों का सृजन कर इसे तीन खण्डों में विभाजित किया गया, किन्तु 1975 में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण कर दिया गया, जबकि उच्च शिक्षा विभाग यथावत् अलग चलता रहा। वर्ष 1985 में बेसिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के लिए पृथक से बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। उक्त तीन निदेशालयों के अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं को गतिशील एवं प्रभावी बनाने के लिए इसके लिए भी अलग से एक निदेशक की नियुक्ति की गयी।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण तथा शोध कार्यक्रमों को अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अलग-अलग निदेशालय स्थापित किए गए हैं। इन पाँच निदेशालयों हेतु एक आय-व्ययक सम्मिलित रूप से बनता था। विभिन्न कार्यक्रमों की जनधारणा, नीति स्वरूप एवं आकार तथा इसके नियोजन और कार्यान्वयन व आवश्यकताओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 1986-87 से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक-शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों का अलग-अलग आय-व्ययक तैयार हो।

प्राथमिक शिक्षा से संबंधित गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण के कार्य हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25.07.1972 को किया गया। ऐसे विद्यालयों की देख-रेख हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों की व्यवस्था रखी गई। परिषदीय

विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन वितरण, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि के रख-रखाव एवं सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा परिषद में लेखा संगठन की भी स्थापना वर्ष 1986 में की गई, जिसके अन्तर्गत जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) तथा परिषद मुख्यालय पर वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा अधिष्ठान स्थापित किया गया।

प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बेसिक शिक्षा विभाग संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय एवं अशासकीय लगभग 2,65,000 विद्यालय संचालित हैं तथा 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।

1. स्कूल चलो अभियान तथा छात्र नामांकन

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत, "सब पढ़ें, सब बढ़े" के संकल्प को पूरा करने के लिए विद्यालयों में बच्चों का शत्-प्रतिशत नामांकन कराया गया। शरदा (स्कूल हर दिन आयें) "ऑनलाइन पोर्टल" के माध्यम से प्रदेश के आउट ऑफ स्कूल/ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हांकन करके उनका नामांकन कराया गया। शैक्षिक सत्र 2020-21 में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1.60 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है, जो गत वर्ष से लगभग 2 लाख से अधिक है।

2. बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवन का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के भवन निर्माण हेतु रु0 155.35 लाख का बजट प्रावधान है, जिसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रु0 300.00 लाख का बजट प्रावधान है।

3. निःशुल्क यूनिफार्म वितरण

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, राजकीय एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत् सभी बालिकाओं (के0जी0बी0वी0 सहित), अनुसूचित जाति के बालकों, अनुसूचित जनजाति के बालकों, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालकों को समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं को निःशुल्क दो सेट यूनीफार्म उपलब्ध करायी जाती है।

इसी प्रकार परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गरीबी रेखा के ऊपर (नॉन बी0पी0एल0) के केवल छात्र, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यूनीफार्म दी जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 4000.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें से रु0 670.00 लाख का बजट जारी गया है।

4. विद्यालयी खेलकूद तथा स्काउट एवं बालचर कार्यक्रम

शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शिक्षणेत्तर कार्य कलापों को भी महत्व दिया

जाता है। खेलकूद से ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। विद्यालयी खेलकूद कार्यक्रम में प्रतिस्पर्द्धा करने का बढ़ावा मिलता है। इससे अपने ज्ञान व खेल के स्तर के उन्नयन के प्रति उत्कण्ठा पैदा होती है। इस हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिये प्रतिवर्ष प्रतियोगिताएं आयोजन की व्यवस्था है।

उपर्युक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 120.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा रु0 30.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उक्त योजना में रु0 120.00 लाख का बजट प्रावधान है। इसी प्रकार बालचर स्काउटिंग में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु0 144.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रु0 36.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये रु0 144.00 लाख का बजट प्रावधान है।

5. निःशुल्क स्कूल बैग वितरण

शैक्षिक सत्र 2020-21 में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/राजकीय विद्यालय, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत लगभग 1.80 करोड़ छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग वितरित किये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निःशुल्क स्कूल बैग हेतु रु0 11000.00 लाख का बजट प्रावधान है तथा रु0 21933.47 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से रु0 21549.24 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रु0 11000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

6. परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता-मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराया जाना

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता, मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराने हेतु रु0 30000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रु0 2,30,53,72,000 (रुपये दो अरब तीस करोड़ तिरपन लाख बहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई है तथा प्राविधानित धनराशि में से प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में रु0 100.00 करोड़ की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार धनराशि रु0 2,23,84,00,000 (रुपये दो अरब तेइस करोड़ चौरासी लाख मात्र) का आवंटन जूता, मोजा एवं स्वेटर हेतु किया जा चुका है। प्रावधानित धनराशि के शेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वर्ष 2021-22 के लिए उक्त मद में रु0 30000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

7. अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को असहायतित विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने की योजना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाये जाने के

फलस्वरूप होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। उक्त योजनान्तर्गत गैर सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2013-14 में प्रारम्भ की गई। इस योजनान्तर्गत अपवंचित एवं गरीब परिवार के बच्चों को भी प्रतिष्ठित विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है वर्ष 2013-14 में इस प्रक्रिया से मात्र 60 बच्चों का प्रवेश हुआ। वर्ष 2016-17 मेंकुल प्रवेशित की संख्या 17136 थी, तथा वर्ष 2017-18 में यह संख्या बढ़कर 27662 हो गयी।

उक्त योजना के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त करने वाले अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2016-17 में पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकायें एवं 02 यूनीफार्म क्रय किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक छात्र-छात्रा को 5000/-(रुपये पांच- हजार मात्र) की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई। वर्ष 2017-18 का बजट रु0 800.00 लाख का प्रावधान किया गया था है वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 3000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

साथ ही साथ अलाभित समूह के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय (शुल्क प्रतिपूर्ति) का भी प्रावधान है, वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 4000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

8. वनटांगिया गाँव में स्कूलों का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2020-21 में वनटांगिया गाँव में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के निर्माण हेतु रु. 389.76 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जनपद महराजगंज के 09 प्राथमिक एवं 05 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु रु0 3,68,80,000.00 की धनराशि आवंटित की गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद महराजगंज के अवशेष 01 प्राथमिक एवं 05 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु रु0 193.20 लाख (रुपये एक करोड़ तिरानबे लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि का बजट प्रावधान है।

9. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)ग के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के प्रवेश की योजना का संक्षिप्त विवरण

उक्त योजना को प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली-2009 के क्रियान्वयन वर्ष 2011 में प्रारम्भ किया गया। जन-सामान्य में जागरूकता के आभाव में प्रथम बार शैक्षिक सत्र 2013-14 में बच्चों द्वारा प्रवेश लिया गया। जन-सामान्य को अधिक से अधिक लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार जनपद व प्रदेश स्तर पर प्रारम्भ किया गया। फलस्वरूप वर्ष 2013-14 में 60, वर्ष 2014-15 में 54, वर्ष 2015-16 में 3135, वर्ष 2016-17 में 1707, वर्ष 2017-18 में 28303, वर्ष 2018-19 में 45656, वर्ष 2019-20 में 59155, वर्ष 2020-21 में लगभग 65000 बच्चों का प्रवेश गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक योजनान्तर्गत अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की जाती थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रथम बार योजनान्तर्गत अध्ययनरत बच्चों को यूनीफार्म व पाठ्यपुस्तकें

उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से रु0 5000.00 की दर से सम्बन्धित बच्चों के अभिभावकों के खाते में उपलब्ध कराया जा रहा है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

3101-परिषदीय विद्यालयों तथा स0प्र0 अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति। 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिए रु0 4000.00 लाख का प्रावधान है। 3104-अलाभित समूहों में दुर्बल वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक व निःशुल्क ड्रेस का वितरण- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-के लिए रु0 3000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। 3105-अशासकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के कक्षा 1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय के निमित्त सहायता- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिए रु0 400.00 लाख का बजट प्रावधान है। प्रदेश में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क यूनीफार्म- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिए रु0 4000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

समग्र शिक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा लागू की गयी है जिसमें पूर्व से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं टीचर एजूकेशन सम्मिलित किया गया है।

केन्द्र-राज्य अंशदान का प्रतिशत

समग्र शिक्षा भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना है एवं राज्य के सभी जनपदों में संचालित है। वित्तीय पोषण का स्वरूप- भारत सरकार का अंश 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत है।

वित्तीय प्रगति

(रु० करोड़ में)

भारत सरकार द्वारा वर्ष **2020-21** की अनुमोदित कार्ययोजना	केन्द्रांश	राज्यांश
8609.62	5165.77	3443.85

राज्य सरकार से परियोजना को प्राप्त धनराशि (दिनांक **31.01.2021** तक)

विवरण	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
01.04.2020 को अप्रयुक्त धनराशि	393.35	262.23	655.58
वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि	4319.25	2941.50	7233.75*
योग	**4712.60**	**3176.73**	**7889.33**

- कुल परिव्यय के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि रु0 6406.28 करोड (66.61%)
- जनपदों एवं संस्थाओं को कुल अवमुक्त धनराशि रु0 5938.00 करोड (92.69%)
- उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय रु0 4882.46 करोड (82.22%)

- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परिव्यय रु0 7889.33 करोड़ (91.63%)**
- जनपदों एवं संस्थाओं को कुल अवमुक्त धनराशि रु0 5836.93 करोड़ (73.98%)**
- उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय रु0 4378.15 करोड़ (75.00%)**
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखों का ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस द्वारा किया जा चुका है।

** वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 31.12.2020 तक की स्थिति उपरोक्त विवरण मे दी जा रही है।

* रु0 7233.75 करोड़ धनराशि में वित्तीय वर्ष 2019-20 का अवशेष केन्द्रांश रु0 1676.81 करोड़ तथा राज्यांश रु0 1152.88 करोड़ कुल रु0 2829.69 करोड़ सम्मिलित है।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक

- परिषदीय विद्यालयों, राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 तक के 179.32 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अभिभावकों को छोटे-छोटे समूहों में विद्यालय में बुलाकर वितरित की गयी हैं।

निशुल्क यूनीफार्म

- परिषदीय एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं (के0जी0बी0वी0 सहित) अनुसूचित जाति के बालकों, अनुसूचित जनजाति के बालकों, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालकों को तथा गरीबी रेखा के ऊपर (नॉन बी0पी0एल0) के 154.50 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क दो जोड़ी यूनीफार्म अभिभावकों को छोटे-छोटे समूहों में विद्यालय में बुलाकर वितरित की गयी।

ऑउट आफ स्कूल बच्चों की शिक्षा

- आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम 'शारदा' संचालित किया जा रहा है, जिसमें 5 आयुवर्ग से 14 आयुवर्ग के समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति की ट्रेकिंग शारदा पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। पोर्टल के माध्यम से 5,52,013 बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है। विद्यालयों में 5,16,201 बच्चों का नामांकन किया गया है, जिसमें से अवशेष चिन्हित 35,182 बच्चों का नामांकन गतिमान है। विशिष्ट आवश्यकता वाले 3,3,737 बच्चे, 'समर्थ' के अन्तर्गतः चिन्हित किये गये हैं, जिसमें से 3,06,802 बच्चों का नामांकन किया गया है।

मिशन प्रेरणा

- प्रदेश के सभी जनपदों में मिशन प्रेरणा कार्यक्रम संचालित है जिसके अन्तर्गत शिक्षा की गुणचत्ता बढ़ाने हेतु सुविचारित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विषयवार दक्षताओं के आधार पर छात्र-छात्राओं के लिए लर्निंग आउटकम्स के रूप में प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। छात्र-छात्राओं द्वारा ग्रेड काम्पिटेंसी प्राप्त कर लेने के प्रमाणीकरण हेतु बाह्य संस्था से मूल्यांकन कराया जायेगा।
- कक्षा-कक्षों को आकर्षक एवं प्रिन्ट रिच सामग्री से समृद्ध बनाया जा रहा है। शिक्षकों के उपयोगार्थ लर्निंग फाउन्डेशन के शिक्षण हेतु संदर्भिकाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। लेशन प्लान के आधार

पर शिक्षण कार्य करने हेतु शिक्षकों को डायरी एवं कैलेण्डर उपलब्ध कराया गया है।

- प्रत्येक विद्यालय में एन0सी0ई0आर0टी0 की लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध करायी गयी हैं जिससे बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास होगा।
- कक्षा 3 से 8 के छात्रों के त्रैमासिक टेस्ट आयोजित कराये गये हैं तथा प्रधानाध्यापकों द्वारा छात्र-छात्राओं का रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को उपलब्ध कराया गया है।

विद्यालयों तथा कक्षा-कक्षों के रूपान्तरण

- मिशन प्रेरणा के अन्तर्गत विद्यालयों तथा कक्षा-कक्षों के रूपान्तरण हेतु निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैंः-
  - ❑ प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय हेतु एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकों से युक्त क्रियाशील पुस्तकालय एवं रीडिंग कार्नर स्थापित किया जा रहा है।
  - ❑ कक्षा-कक्षों की दीवारों एवं अलमारियों पर प्रिंट रिच समृद्ध वातावरण (पोस्टर, अध्यापक-छात्र संवाद के लिए चार्ट) राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों को भेजे गये हैं।
  - ❑ सभी विद्यालयों में क्रिया आधारित सीखने के लिए प्राथमिक कक्षाओं के लिए एन0सी0ई0आर0टी0 की गणित किट दी जा रही है।

छात्र लर्निंग आउटकम में सुधार-

- कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा कर प्रत्येक छात्र/छात्रा की प्रगति की रियल टाइम मानिटरिंग की व्यवस्था की गयी है।
- प्रत्येक अभिभावक को छात्र/छात्रा की प्रगति रिपोर्ट कार्ड साझा करना एवं विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय में प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- बुनियादी शिक्षा का कौशल बढ़ाने हेतु प्रत्येक छात्र को ग्रेडेड रीडिंग बुक्स देने की कार्यवाही गतिमान है।

शिक्षकों द्वारा नवाचारी कक्षा शिक्षण

- बुनियादी शिक्षा एवं उपचारात्मक शिक्षा हेतु 3 शिक्षक हस्तपुस्तिकाओं की उपलब्धता- आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह का विकास, जिनमें 'दैनिक आधार पर कैसे क्रियान्वयन करें' इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया गया है।
- प्रत्येक कक्षा एवं विषय के लिए 20,000 से अधिक सुनियोजित एवं एक्टिविटी रिच पाठ योजनाएँ तैयार करायी गयी हैं।
- कक्षा पूर्व तैयारी के लिए प्रत्येक शिक्षक द्वारा नवीन डिजाइन की गयी टीचर डायरी की व्यवस्था की गयी है।
- बुनियादी शिक्षा एवं उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रशिक्षण कराया गया है। विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रिन्ट रिच सामग्री, किट एवं ग्रेडेड बुक्स की व्यवस्था।
- नव चयनित 4,400 अकादमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रत्येक माह प्रत्येक कक्षा का सहयोगात्मक

पर्यवेक्षण, ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं मैटरिंग की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त लगभग 45000 शिक्षक संकुल शिक्षकों की मैटरिंग कर रहे हैं।

शिक्षकों का अकामिक कार्यों में समय बढ़ाना

- मानव संपदा पोर्टल एवं दीक्षा एप के माध्यम से शिक्षकों के अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों का प्रबंधन एवं शिक्षक प्रशिक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों के आधार पर विभिन्न विद्यालयों के लिए कस्टमाइज्ड टाइम टेबल का प्रावधान किया गया है।
- दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त डिजिटल शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। दीक्षा एप पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोगार्थ 4,000 से अधिक वीडियो एवं विजुअल्स शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 800 वीडियो विकसित किया गया है, जो दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है तथा उक्तवीडियो का दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
- 3 माड्यूल (आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण सामग्री संग्रह) में दी गयी शिक्षण तकनीकी पर आधारित एवं बुनियादी शिक्षा पर आधारित 100 वीडियो विकसित किये गये, जिसको शिक्षकों द्वारा देखकर शिक्षण तकनीकी को आत्मसात किया जा रहा है।
- चयनित 4,000 अकादमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रत्येक माह विद्यालयों को सपोर्टिव सुपरविजन किया जा रहा है।

ई-पाठशाला

- कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 'मिशन प्रेरणा' की 'ई-पाठशाला' का वृहद कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके विभिन्न घटक निम्नलिखित हैंः-
    - ❑ दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण- शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कक्षावार 30 मिनट प्रति कक्षा प्रतिदिन पूर्वान्ह 9.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक (04 घण्टे) का शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
    - ❑ ब्राट्स-ऐप क्लासेज-राज्य स्तर से संचालित ब्राट्स-ऐप ग्रुप के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री नियमित रूप से शिक्षकों को प्रेषित की जा रही है। शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर 1.5 लाख से अधिक ब्राट्स-ऐप ग्रुप संचालित किये जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अभिभावको को नियमित शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है ताकि अधिकतम बच्चे लाभान्वित हो सकें।
    - ❑ मिशन प्रेरण यू-ट्यूब चैनल- शैक्षणिक कन्टेंट को शिक्षकों एवं बच्चों तक पहुंचाने

के लिए मिशन प्रेरणा यू-ट्यूब चैनल भी संचालित है। इस चैनल पर नियमित शैक्षणिक वीडियोज भेजे जा रहे हैं। इस चैनल के प्रारम्भ होने से अद्यतन 6.15 लाख चैनल पर आये हैं तथा इस चैनल पर अद्यतन 1.03 लाख घण्टे से अधिक कन्टेट देखा गया है।

- ❑ माड्यूल का वितरण-बच्चों में लर्निंग आउटकम्स को सुनिश्चित करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा शिक्षकों के प्रयोगार्थ 03 मॉड्यूल, फाउण्डेशन लर्निंग (आधारशिला), रीमिडियल टीचिंग (ध्यानाकर्षण) एवं कम्पेन्डियम (शिक्षण संग्रह) तथा शिक्षक संदर्शिका उपलब्ध करायी गयी है।
- ❑ कक्षा-कक्ष में प्रेरण लक्ष्य प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका चस्पा करायी जा रही है।

दीक्षा कार्यक्रम

- दीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लांच किया गया राष्ट्रीय ई-लर्निंग प्लेटफार्म पाठ्यक्रम आधारित पोर्टल है। शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाने के लिए दीक्षा एप के माध्यम से शिक्षकों को अतिरिक्त डिजिटल सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। इस ऐप पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए 5000 से अधिक उच्च कोटि के विजुअल शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा दीक्षा के कुशल उपयोग के लिये उत्तर प्रदेश को वर्ष 2019 में दीक्षा चैम्पियन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। विभाग द्वारा किये गये निरन्तर प्रचार-प्रसार एवं प्रयास से लॉकडाउन एवं कोविड महामारी की अवधि में बच्चों को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में दीक्षा एक प्रभावी माध्यम बना है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि दीक्षा पोर्टल पर 04 लाख से अधिक शिक्षकों द्वारा अपनी सुविधानुसार समय में ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

- पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम एवं लर्निंग आउटकम्स विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही यूनिसेफ के सहयोग से एक्टिविटी बेस्ड पुस्तिका "पहल" विकसित की गयी है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध कराई जाएगी, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 1.60 लाख आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

ऑपरेशन कायाकल्प

- विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करने हेतु 14 पैरामीटर्स यथा- शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, शौचालय/मूत्रालय में नल-जल आपूर्ति, शौचालय/मूत्रालय का टाइलीकरण, दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैन्ड वॉशिंग यूनिट कक्षा-कक्ष की फर्श का टाइलीकरण, श्यामपट्ट, रसोईघर, विद्यालय की समुचित रंगाई-पुताई, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैम्प एवं रेलिंग, कक्षा-कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण, विद्यालय का विद्युत (संयोजन) संतृप्तीकरण कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड स्तर पर कार्ययोजना प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कराया गया है।
- प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत 14 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तीकरण

मिशन मोड में किया जा रहा है, जिसके वित्त पोषण हेतु जिला खनिज निधि, शहरी निकाय निधि एवं विनयमित क्षेत्रों में उपलब्ध अवस्थापना विकास निधि को प्रमुखता से उपयोग किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अवस्थापना सुविधाओं के आच्छादन की तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा प्रेरणा पोर्टल पर किये जाने के साथ विद्यालयों की स्टार ग्रेडिंग एवं जनपदों के रैंकिंग की व्यवस्था की गयी है।

- प्रदेश में संचालित सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं एवं मानव संसाधन सुनिश्चित कराये जा रहे हैं।
- 450 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा-12 तक की माध्यमिक शिक्षा देने हेतु उच्चीकृत किया जा रहा है।

मध्यान्ह भोजन योजना-एक परिचय

मध्यान्ह भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित है। भारत द्वारा यह योजना 15 अगस्त, 1995 को लागू की गयी थी, जिसके अन्तर्गत-कक्षा-1 से 5 तक प्रदेश के सभी सरकारी परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रति माह 03 किलोग्राम गेहूँ अथवा चावल दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु योजना के अन्तर्गत छात्रों को दिये जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्रों को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बंट जाता था, इससे छात्र को वांछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश में दिनांक 01 सितम्बर, 2004 से पका-पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये अक्टूबर, 2007 से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया गया, एवं 01 अप्रैल, 2008 से समस्त ब्लॉकों में विस्तारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजकीय स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के कक्षा-8 तक के छात्रों, मदरसों में भी योजना आच्छादित है। राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना अन्तर्गत संचालित विशेष श्रमिक विद्यालयों में भी योजना को ब्रर्थ 2010-11 में लागू किया गया।

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन

मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन से विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का गठन अक्टूबर, 2006 में निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है-

1. प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों तथा अनुदानित मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराना।
2. पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा कर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।
4. प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों में विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करना।

5. बच्चों में भाई-चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो।

मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालय की श्रेणी एवं बच्चों की संख्या

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के लगभग 88,510 प्राथमिक विद्यालय एवं 55,578 उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 1,44,088 विद्यालय योजना से आच्छादित हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत 128.05 लाख एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 58.59 लाख कुल 186.64 लाख छात्र-छात्रायें योजना से आच्छादित हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं।

मध्यान्ह भोजन योजना में कार्यरत रसोइया

भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्गत शासनादेश दिनांक 24.04.2010 द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2020-21 में 3,90,574 रसोइया अनुमोदित हैं, जिसके सापेक्ष 384475 लाख रसोइया विद्यालयों में कार्यस्त हैं, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत महिलायें कमजोर वर्ग से हैं। विद्यालय में अध्ययनरत् पाल्य के अभिभावकों में से रसोइया रखे जाने का प्रावधान हैं। इसकी मंशा यह है कि विद्यालय में जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं शुद्धता बनी रहे।

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत मानक

परिवर्तन लागत-खाद्यान्न से भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की दर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर हेतु (60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश) क्रमशः रु0 4.97 व रु0 7.45 प्रति छात्र प्रतिदिन है, जिससे सब्जी, तेल, मसाले, ईंधन एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है।

रसोइयों का मानदेय- योजनान्तर्गत भारत सरंकार द्वारा निर्धारित रसोइयों को मानदेय के रूप में प्रतिमाह रु0 1,000/- (10 माह हेतु) मानदेय दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें केन्द्रांश रु0 600/- है, जबकि राज्यांश रु0 400/- निर्धारित है। प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-391 /अड़सठ-3-2019-143/2019 दिनांक 09 मार्च, 2019 के माध्यम से स्वयं के संसाधनों द्वारा प्रत्येक रसोइयों के मानदेय में अतिरिक्त रु0 500/- की वृद्धि की गयी है अर्थात कुल रु0 500/- रसोइयों के मानदेय का भुगतान माह अप्रैल, 2019 से सीधे उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जाता है।

आई०वी०आर०एस० प्रणाली आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली

मध्यान्ह भोजन योजना के दैनिक आधार पर प्रभावी अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2010-11 से आई0वी0आर0एस0 आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली आरम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन अध्यापकों को कम्प्यूटर जनित मोबाईल कॉल भेजकर अध्यापकों से उनके विद्यालयों में उस दिन भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की सूचना प्राप्त की जाती है। इस प्रणाली के दैनिक अनुश्रवण से योजना के नियमित संचालन में सुधार परिलक्षित हुआ है।

'प्रेरणा' तकनीकी फ्रेमवर्क

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य एवं मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किये जाने हेतु दिनांक 04.09.2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 'प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क' का शुभारम्भ किया गया है। प्रेरणा प्रणाली के अन्तर्गत 07 मॉड्यूल, एस0एम0सी0 गतिविधियाँ मॉड्यूल, मध्यान्ह भोजन मॉड्यूल एवं उपस्थिति मॉड्यूल शिक्षकों के लिए प्रेरणा ऐप एवं प्रेरणा पोर्टल पूर्णतया सुरक्षित है। मानव सम्पदा पोर्टल के अन्तर्गत शिक्षकों/शिक्षा मित्रों/अनुदेशकों/अनुचरों के अवकाश प्रक्रिया तथा सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन रखरखाव किये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है।

अन्य बिन्दु/नई पहल

1. प्रदेश सरकार के निर्देश पर मध्यान्ह भोजन योजना की गुणवत्ता चेक करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में "माँ समूह" का गठन किया गया है।
2. भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 15 जनपदों के 280 विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के सोशल ऑडिट का कार्य, सोशल ऑडिट निदेशालय के द्वारा किया गया है।
3. समस्त विद्यालयों में "आदर्श किचेन" व्यवस्थित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
4. प्रदेश के 750 परिषदीय विद्यालयों में "किचेन गार्डन" विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।
5. प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं राजकीय विद्यालयों को शत-प्रतिशत गैस कनेक्शन से आच्छादित किया गया है।
6. प्रदेश के समस्त विद्यालयों में प्रत्यके सोमवार तथा माह के अन्तिम बृहस्पतिवार को ताजा एवं मौसमी फल दिया जाता है।
7. म्रध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों को "पोषणा फिल्म" के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जनपद स्तर पर रसोइया पाक-कला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त विकास खण्ड स्तर पर रसोइयों के प्रशिक्षण हेतु आयोजन कराया जा चुका है।
8. अक्षयप्रात्र फाउण्डेशन द्वारा जनपद मथुरा के लगभग 1.69 लाख, जनपद लखनऊ के लगभग 1.51 लाख तथा गोरखपुर के लगभग 9000 छात्र/छात्राओं को केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है। अन्य 11 जनपद यथा- वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, कानपुर नगर, इटावा, कन्नौज, रामपुर, बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर एवं गाजियाबाद में भी इस हेतु केन्द्रीयकृत किचेन का निर्माण प्रस्तावित है। जिसमें से 05 जनपदों यथा- वाराणसी, कानपुर नगर, आगरा, अम्बेडकर नगर एवं गाजियाबाद में केन्द्रीयकृत किचन निर्माण हेतु रु0 2.5 करोड़ प्रति जनपद की दर से उपलब्ध कराया गया है।

साक्षर भारत कार्यक्रम

महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने उद्बोधन में देश में महिलाओं की साक्षरता में सुधार एवं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर साक्षर बनाये जाने पर बल दिया है। भारत सरकार द्वारा उक्त के परिप्रेक्ष्य में साक्षर भारत मिशन-2012 कार्यक्रम

प्रारम्भ किया गया। योजना का शुभारम्भ औपचारिक रूप से 8 सितम्बर, 2009 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर हुआ। योजना को भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर, 2009 से देश में लागू किया गया है।

साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत देश के उन 365 जनपदों का चयन किया गया है, जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त आधार पर 70 जनपदों (औरैया, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर एवं हापुड़ को छोड़कर) का चयन किया गया है। योजनान्तर्गत मुख्यतः 15+ वयवर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदश में उपर्युक्त वयवर्ग में 182 लाख निरक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है जिसमें 26 लाख पुरुष एवं 156 लाख महिलाएं सम्मिलित हैं।

योजना का उद्देश्य

- 15+ वयवर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता (कार्यात्मक साक्षरता) प्रदान करना।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना, जिसके माध्यम से कार्यक्रम की गतिविधियों का संचालन करना, सतत् शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था कराना, विकास कार्यक्रमों की जानकारी देना एवं खेलकूद मनोरंजन की गतिविधियों का आयोजन करना।
- नवसाक्षरों को उनकी साक्षरता को बनाये रखने के लिए बेसिक साक्षरता के उपरान्त समतुल्यता कार्यक्रम के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाना।
- नवसाक्षरों को व्यावसायिक साक्षरता में जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- नवसाक्षरों को जीवन-पर्यन्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लर्निंग सोसाइटी तैयार कर विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर प्रदान करना।

लक्ष्य

- 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना।
- जेण्डर गैप के वर्तमान अन्तर को 10 प्रतिशत तक लाना।
- सामाजिक, क्षेत्रीय, जेण्डर भेदभाव में कमी लाना।

साक्षर भारत मिशन की प्रगति

- राज्य स्तर- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में साधारण सभा का एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।
- जनपद स्तर- जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसकी साधारण सभा मा0 जिला अध्यक्ष, पंचायत की अध्यक्षता में तथा कार्यकारिणी समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है।
- ब्लाक स्तर- ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी को समिति का सदस्य-सचिव बनाया गया है।

- ग्राम पंचायत स्तर- ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसका सदस्य सचिव, ग्राम पंचायत स्तर पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक को सदस्य-सचिव बनाया गया है।
- भारत सरकार द्वारा योजना में वित्तीय प्रबन्धन हेतु फण्ड फ्लो मैनेजमेण्ट के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक को नोडल बैंक बनाया है, जिसके माध्यम से राज्य से ग्राम पंचायत तक कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी समितियों के खातों में धनराशि दी जायेगी।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्तरों पर समितियों का गठन करते हुए ग्राम पंचायतों में लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर केन्द्रों का संचालन किया गया है।
- असाक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से 15+ वयवर्ग के असाक्षरों को सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित करते हुए साक्षरता केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ कर लिया गया है।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष में दो बार आयोजित साक्षरता परीक्षा में अभी तक 174.42 लाख लोग सम्मिलित हुए हैं, जिनमें 121.72 लाख प्रतिभागी सफल घोषित हुए है। इस प्रकार सफलता का 69.78 प्रतिशत रहा है। इन सभी सफल प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिये गये हैं।

"पढ़ना-लिखना अभियान"-2020

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश में 15 वयवर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संभावित प्रयासों से पढ़ना-लिखना अभियान कार्यकम को लागू किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के संबंधित जनपदों में कुल 4,20,000 निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 75 प्रतिशत महिला एवं 25 प्रतिशत पुरुषों को साक्षर करना है

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ

भारत सरकार की शैक्षिक नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश शासन द्वारा वर्ष-1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी। परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य शैक्षिक शोध, सर्वेक्षण, सेवापूर्व एवं सेवारत् प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का विकास तथा उनका संशोधन एवं पुनरीक्षण आदि हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों एवं मानवीय मूल्यों तथा प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु परिषद सतत् प्रयासरत है।

परिषद के उद्देश्य और प्रमुख कार्य

- शिक्षा के गुणात्मक-उन्नयन की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान करना, अनुसंधानों का समन्वयन व क्रियान्वयन करना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना।
- सेवापूर्व/सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन तथा शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आवश्यक परामर्श एवं निर्देशन देना।
- नवीनतम शिक्षण विधियों तथा विशिष्ट कार्यक्रमों एवं उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित योजनाओं को विद्यालयों तथा शैक्षिक आयोजकों तक पहुँचाना।

- शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं और कतिपय अभिकरणों से सहयोग प्राप्त करना।
- विद्यालयी शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने की दृष्टि से राज्य प्रशासन तथा अन्य अभिकरणों को परामर्श देना।
- पाठयक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक-संदर्शिका, प्रशिक्षण मॉड्यूल, शिक्षण-सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्य का विकास, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार करना।
- सरकार द्वारा संदर्भित शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन।

माध्यमिक शिक्षा

प्रदेश सरकार द्वारा 2272 राजकीय, 4512 सहायता प्राप्त एवं 21023 वित्त विहीन कुल 27807 माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से यू0पी0 बोर्ड के अन्तर्गत सत्र 2020-21 में कक्षा-9 में 27.89 लाख, कक्षा-10 में 29.94 लाख, कक्षा-11 में 22.78 लाख तथा कक्षा-12 में 26.10 लाख कुल 106.71 लाख छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन की व्यवस्था की जा रही है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 973 सहायता प्राप्त एवं 192 वित्त विहीन कुल 1165 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से 96,460 छात्र-छात्राओं को संस्कृत शिक्षा प्रदान की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, प्रयागराज-नकल विहीन परीक्षा, बोर्ड परीक्षा एवं अन्य कार्यों में सुधार :-

नकल विहीन, परीक्षा हेतु किये गये अभिनव कार्य

ऑनलाइन पारदर्शी व्यवस्था-

बोर्ड परीक्षा सम्पादन एवं अन्य कार्यों में सुधार के लिए ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण, अग्रिम पंजीकरण, मान्यता एवं डुप्लीकेट अंक पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। शासन द्वारा छात्र/छात्राओं के निमित्त क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं विद्यार्थियों के फर्जी/बोगस पंजीकरण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से शैक्षिक सत्र 2017-18 से प्रथमबार कक्षा-9 एवं 11 में पंजीकरण कराने वाले तथा इसके पश्चात हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों के साथ उनकी आधार संख्या को भी ऑनलाइन अपलोड कराया गया है। कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाने एवं देयकों का त्वरित निस्तारण करने के लिए एप्लीकेशन माड्यूल ''http://upegov.in/UPBoardExam'' की व्यवस्था करायी गयी। सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली तथा सी0आई0एस0सी0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र की व्यवस्था।

ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण- वर्ष 2017 में मैनुअल तरीके से 11,414 परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे, जबकि 2018 में 6 लाख परीक्षार्थी बढ़ने कें बावजूद ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण व्यवस्था लागू करने के कारण केवल 8,549 केन्द्र बने। वर्ष 2019 में 8354 तथा वर्ष 2020 में 7783 परीक्षा केन्द्र ही बने। इससे केन्द्र निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी व तार्किक बनी। केन्द्रों की धारण क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया तथा पर्यवेक्षण वित्तीय व्यय-भार में कमी आयी और नकल पर प्रभावी अंकुश लगा।

नवाचारी तकनीक द्वारा परीक्षा की निगरानी

परीक्षा पूर्णतया नकल विहीन कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षाएं सी0सी0टी0वी0 की निगरानी में आयोजित करायी गयीं। वर्ष 2018 से इण्टरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी सी0सी0टी0वी0 की निगरानी में पूर्णतया पारदर्शी तरीके से आयोजित करायी जा रही हैं। वर्ष 2020 में प्रथम बार मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षाओं का पर्यवेक्षण किया गया। वर्ष 2019 से परीक्षाएँ सी0सी0टी0वी0 के साथ ही साथ वायस रिकार्डर की भी निगरानी में आयोजित करायी गयीं। वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षा हेतु समस्त 7,783 परीक्षा केन्द्रों के लगभग 96 हजार परीक्षा कक्षों एवं परिसर में वॉयस रिकार्डर युक्त राउटर एवं हाईस्पीड इण्टरनेट सहित लगभग 2.00 लाख सी0सी0टी0वी0 कैमरे संस्थापित कराये। समस्त जनपद एवं राज्य स्तर पर समस्त तकनीकी आवश्यक सुविधाओं से युक्त कन्ट्रोल एवं मॉनीटरिंग सेंटर की स्थापना कराकर सभी 7,783 परीक्षा केन्द्रों एवं 75 जनपद-स्तरीय कन्ट्रोल एवं मानटरिंग सेंटर की वेब-कास्टिंग द्वारा लाइव मॉनीटरिंग करायी गयी। वर्ष 2020 में परीक्षार्थियों एवं जनसामान्य की शिकायतों के त्वरित निदान हेतु राज्य कन्ट्रोल एवं मानीटरिंग सेंटर पर एक काल सेण्टर भी संचालित किया गया जिसमें 02 हेल्पलाइन नम्बरों एवं एक समर्पित ई-मेल आई-डी की व्यवस्था की गयी। परीक्षार्थियों एवं जनसामान्य की सुविधा एवं व्यापक हितों के दृष्टिगत ट्विटर हैन्डल /upboardexam2020 भी शुरू किया गया।

कन्ट्रोल रूम, टोलफ्री नम्बर, ई-मेल, ट्विटर हैन्डल, सूचना विश्लेषण एवं संप्रेषण से सम्बन्धित कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए निदेशालय स्तर से अधिकारी तैनात किए, जिनके द्वारा प्रतिदिन परीक्षा समाप्ति के उपरान्त बैठक की गयी जिसमें दैनिक सूचनाओं एवं गतिविधियों पर चर्चा के उपरान्त जनपदों को यथोचित निर्देश प्रदान किये गये।

वर्ष 2020 की परीक्षाओं में प्रथम बार प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा पर्यवेक्षक की नियुक्ति एवं विशेष सचिव स्तर के उच्चाधिकारियों द्वारा भी परीक्षाओं का पर्यवेक्षण किया गया। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों की निगरानी हेतु एस0टी0एफ0 एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) को सम्पूर्ण परीक्षा अवधि तक सक्रिय रखा गया, जिससे परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न-पत्रों के प्रकटन के प्रयास की सम्भावना पर पूर्ण अंकुश लगाया गया।

पाठ्यक्रम व अन्य सुधार

इण्टरमीडिएट स्तर पर विगत वर्षों से चली आ रही प्रारूप की रूपरेखा को बदल कर दो प्रश्नपत्रों के स्थान पर सत्र 2018-19 से एकल प्रश्नपत्र लागू किया गया और परीक्षार्थियों की समयबद्ध सुचारु रूप से नियमित अध्ययन को सुनिश्चित करने के लिए सत्र 2019-20 से शैक्षिक-पंचाग भी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज की वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे शिक्षक वर्ग को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है। वर्ष 2019 में इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रथम बार मानविकी, वैज्ञानिक एवं

वाणिज्य वर्ग के अंतर्गत निर्धारित 39 विषयों की परीक्षाएं दो प्रश्नपत्रों के स्थान पर एक विषय के आधार पर निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार आयोजित करायी गयी। छात्र/छात्राओं में राष्ट्रीयता एवं देशप्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से कक्षा-9 स्तर पर एन0सी0सी0 एवं कक्षा-11 स्तर पर मानविकी वर्ग में एन0सी0सी0 को नवीन विषय के रूप में सम्मिलित किया गया।

वर्ष 2020 में प्रथमबार हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों को स्क्रूटनी/ इम्प्रूवमेन्ट के आवेदन-पत्र ऑनलाइन रीति से भरवाये गये और परिणाम भी ऑनलाइन घोषित किया गया। वर्ष 2020 में प्रथमबार इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थियों को कम्पार्टमेन्ट परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा प्रदान की गयी।

वर्ष 2020 की परीक्षा की भांति वर्ष 2021 में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के प्रमाण सह अंकपत्र में उनके नाम एवं माता/पिता के नाम हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित कराये गये हैं।

उ०प्र० माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ- बोर्ड परीक्षा एवं अन्य कार्यों में सुधार

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की पूर्ण कार्यकारिणी का प्रथम बार 17 वर्ष बाद पुनर्गठन किया, जिससे परिषद के सुदृढ़ीकरण एवं नियमित कार्य संचालन में सुगमता हुई है।

शैक्षिक सत्र 2021-22 से उ०प्र० माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, लखनऊ के नियंत्रणाधीन प्रदेश के समस्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक कलैण्डर एवं प्रशासन योजना लागू।

शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा-6 से 8 (प्रथमा स्तर) के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में पहली बार नई मांग के माध्यम से राजकीय संस्कृत विद्यालयों भदोही एवं चन्दौली के सुदृढ़ीकरण एवं 100 छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु शीर्षक सृजित व रु. 05 करोड़ रूपये का प्रावधान।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं यथा- कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, शौचालय, स्मार्ट क्लास इत्यादि हेतु रु. 28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान। विद्यालय चयन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। विद्यालय चयनित होने पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा। साथ ही संस्कृत पाठशालाओं को सहायक अनुदान (गैर वेतन) के रूप में रु. 02 करोड़ का प्रावधान है। उक्त परिप्रेक्ष्य में भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पठन-पाठन की व्यवस्था

प्रदेश में कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप लॉकडाउन के दृष्टिगत स्कूल बन्द होने के कारण छात्र हित में शैक्षिक सत्र 2020-21 को नियमित करने के लिए उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज तथा उ०प्र० माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित कक्षाओं- 6, 7, 8, 9 एवं 11 के समस्त विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नति प्रदान की गयी एवं कक्षा-10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा निरस्त कर दी गयी।

कोरोना लॉकडाउन घोषित होने के मात्र 3 सप्ताह में ही उ0प्र0 में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बंदी की अभूतपूर्व परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों के हित में 01 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ शैक्षिक सत्र 2020-21 में दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से ऑनलाइन शिक्षण प्रारम्भ कर कक्षाएं संचालित करायी गयी हैं।

20 अप्रैल, 2020 से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के 29.06 लाख व्हाट्सएप ग्रुप निर्मित कराकर वर्चुअल कक्षाएं संचालित की गयी, जिनसे 67.73 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की विषय-विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के आधार पर पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत की कमी की गयी। 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम को 03 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया-

- पाठ्यक्रम जो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाया जाना है।
- पाठ्यक्रम जो प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से पूरा किया जाना है।
- पाठ्यक्रम जो स्वाध्याय से पूर्ण किया जाना है।

शैक्षिक कैलेन्डर को परिवर्तित कर समस्त विद्यालयों को उपलब्ध करवाया गया।

संशोधित पाठ्यक्रम का परिषद की वेबसाइट व अन्य ऑनलाइन मोड के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। दिनांक 01 मई, 2020 से एन0सी0ई0आर0टी0 के स्वयंप्रभा चैनल-22 के माध्यम से कक्षा-10 व 12 हेतु ई-कक्षाएं प्रारम्भ की गयी। दिनांक 18 अगस्त, 2020 से ई-ज्ञान गंगा कार्यक्रम कक्षा-10 और 12 हेतु दूरदर्शन उत्तर प्रदेश एवं कक्षा-9 और 11 हेतु ई-विद्या चैनल पर पाठ्यक्रमानुसार शैक्षणिक वीडियो का प्रसारण गतिमान। इसके लिए सुनियोजित तरीके से माध यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 1360 विडियोज बनाये गये। उ0प्र0 प्रथम राज्य जिसके द्वारा स्वयंप्रभा चैनल तथा दूरदर्शन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया गया।

ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म का उपयोग करने हेतु 1.48 लाख शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ई-पाठ्य पुस्तकों, दीक्षा पोर्टल www.diksha.gov.in पर विषयवार शैक्षिक वीडियो, यू-ट्यूब चैनल-उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उत्कृष्ट व्याख्यानों, स्व-अधिगम मुद्रित सामग्री उपलब्ध करायी गयी। विद्यार्थियों के शैक्षिक समार्थन एवं उनकी शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु टोलफ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-5310 तथा प्रत्येक विद्यालय में ड्राप कार्नर की व्यवस्था करायी गयी।

ऑनलाइन शिक्षण का मूल्यांकन

दूरदर्शन उ0प्र0 एवं ई0विद्या-09 एवं ई0विद्या-11 पर प्रत्येक माह के अन्त में मूल्यांकन हेतु प्रसारित किये प्रश्नों को विद्यार्थीगण हल करके उनके उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से कक्षा अध्यापक को भेजने की व्यवस्था करायी गयी।

मूल्यांकन हेतु विद्यालयों में पृथक से ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था करायी गयी। अपूर्ण कार्य करने

वाले छात्रों को सूचीबद्ध कर उनके अभिभावकों से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया।

व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट सिस्टम के माध्यम से 10 जनपदों में मूल्यांकन लॉक डाउन अवधि में विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों की सुविधा हेतु सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी निर्णय लिये। प्रदेश में संचालित समस्त बोर्डों के विद्यालयों को निर्दिष्ट किया गया कि वेः- शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये फीस वृद्धि न करने, विद्यालय बन्द रहने तक परिवहन फीस न लेने, आपदा अवधि में अग्रिम फीस जमा करने के लिए बाध्य नहीं करें। विद्यार्थियों से त्रैमासिक स्कूल शुल्क के स्थान पर मासिक स्कूल शुल्क जमा करायें तथा शुल्क जमा न कर सकने की स्थिति में किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन शिक्षण से न तो बाधित किया जाए और न ही उसका नाम काटा जाए।

बोर्ड परीक्षाफल तैयार करने हेतु हाईस्कूल की लिखित परीक्षा के अंकों के आगणन हेतु कक्षा-9 की वार्षिक लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा कक्षा-10 की प्री-बोर्ड लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाफल तैयार कराया गया। इसी प्रकार इण्टरमीडिएट की लिखित परीक्षा के अंकों के आगणन हेतु प्रत्येक परीक्षार्थी के कक्षा-10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक, कक्षा-11 की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक (वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक उपलब्ध न होने पर कक्षा-11 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक) तथा कक्षा-12 की प्री-बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक को सम्मिलित करते हुए परीक्षाफल तैयार कराया गया। फलस्वरूप हाईस्कूल की परीक्षा में 99.53 प्रतिशत परीक्षार्थी तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा में 97.88 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षाफल का विवरण निम्नवत् है :

परीक्षा	पंजीकृत	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण/प्रतिशत
हाईस्कूल	29,96,031	29,82,055	99.53
इण्टरमीडिएट	26,10,247	25,54,813	97.88

शैक्षिक सत्र 2021-22 में मई माह में कोविड संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 20 मई 2021 से ऑनलाइन शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया। ऑनलाइन शिक्षण सम्बन्धी कार्य विगत वर्ष की भाँति किया जा रहा है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में ऑनलाइन शिक्षण हेतु व्हाट्सएप ग्रुप से 33.89 लाख विद्यार्थी अब तक जुड़ चुके हैं।

शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों को 01 जुलाई 2021 से खोले गये। विद्यालय में उपस्थित होने वाले प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय के विविध प्रशासनिक कार्यों, प्रवेश सम्बन्धी कार्यों के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षण सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित कर रहें हैं। प्रदेश में संचालित सभी बोड्र्स में कक्षा 9 से 12 तक समस्त विद्यालयों को कोविड-19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए भौतिक रूप से पठन-पाठन हेतु दिनांक 16 अगस्त, 2021 से खोला गया है।

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए संचालित

"मिशन शक्ति" अभियान :-

प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में ''शक्ति मंच'' का गठन तथा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन विषयक मुद्दों पर जागरूकता हेतु परिचर्चा का आयोजन। आत्मरक्षा वीडियोज का निर्माण, एन.सी.ई.आर.टी. के स्वयंप्रभा चैनल-22 पर प्रसारण और उनके माध्यम से बालिकाओं का ऑनलाइन/ऑफलाइन आत्मरक्षा प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020** के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्य योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की व्यवस्थित एवं समन्वित कार्ययोजना विकसित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा 11 सितम्बर, 2020 को स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्रैक्टिसनर्स, प्रोफेशनल्स, कैरियर एक्सपर्ट्स, शिक्षाविद् और विभागीय अधिकारी शामिल हैं। स्टीयरिंग कमेटी द्वारा माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं को संयोजित कर 07 फोकस एरिया- करिकुलम और पेडागॉजी, आंकलन, मूल्यांकन तथा परीक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षकों का क्षमता संवर्द्धन एवं शिक्षक भर्ती, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास, विद्यार्थी समर्थन व्यवस्था, शिक्षा में तकनीकी और कुशल संसाधन व प्रभावी गवर्नेंस चिन्हित करते हुए दिनांक-16 सितम्बर, 2020 को 07 वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया। वर्किंग ग्रुप द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श कर प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना को स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अन्तिम रूप प्रदान किया गया। जनवरी, 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की प्रथम आख्या एवम् कार्ययोजना शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी है समग्र दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की व्यापकता को सुनिश्चित करने के लिए स्कूली शिक्षा से जुड़े समस्त विभागों, उच्च शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवम् स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, महिला एवम् बाल विकास विभाग के मध्य समन्वय स्थापित किया जायेगा। इसके साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में स्किल इण्डिया मिशन और यू.पी. स्किल डेवलपमेन्ट स्कीम के साथ लिंकेज स्थापना और आई.आई.एम./आई.आई.टी. जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ क्षमता संवर्द्धन की रूपरेखा भी तैयार कर लागू की जायेगी।

अन्य महत्वपर्ण कार्य

स्कूल समिट का आयोजन

माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 एवं सी.आई.आई. (Confederation of Indian Industry-CII) के संयुक्त तत्ववाधान में दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर, 2019 को इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में स्कूल समिट आयोजित करायी गयी, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शिक्षण प्रक्रिया, स्कूल की आधारभूत सुविधाओं, सीखने-सिखाने के न्यूनतम स्तर को निर्धारित करने, तकनीकी माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार तथा सतत् व व्यापक मूल्यांकन के सम्बन्ध में परिचर्चा की गयी, साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाकर भारतीय शिक्षा को और अधिक

समावेशी बनाने, शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयास, सम्भावित अवसरों तथा रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संवाद भी किया गया।

माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्द्धन हेतु विज्ञान विषय में सन्दर्भदाता शिक्षक प्रशिक्षण

माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्द्धन हेतु विज्ञान विषय में दिनांक 10-14 फरवरी, 2020 तक आयोजित 05 दिवसीय सन्दर्भदाता शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विज्ञान विषय के लगभग 150 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली के 10 कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। उक्त सन्दर्भदाता जनपद स्तरीय विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से चयनोंपरान्त 3317 नव नियुक्त सहायक अध्यापकों का जनपद स्तर पर 03 दिवसीय आधारभूत शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विभागीय संरचना, विद्यालय के बुनियादी ढाँचे, कक्षा प्रबन्धन, शिक्षण पद्धतियाँ (सिद्धान्त/व्यवहार), शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा नवाचार, परिषदीय परीक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी, शिक्षक जीवन में अनुशासन, स्वच्छता, पर्यावरण एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की जानकारी, कमजोर बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण तथा नई शिक्षा नीति एवं वर्तमान परिस्थितियों में उसका उद्देश्य आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटीः शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार व प्रोत्साहन

आनन्दराम जयपुरिया स्कूल, लखनऊ के सहयोग से 10 हजार शिक्षकों के ऑनलाइन दक्षता संवर्धन प्रशिक्षण। 2500 शिक्षकों को इन्स्टीट्यूट फॉर कैरियर स्टडीज, लखनऊ के सहयोग से वेबिनार के माध्यम से निःशुल्क कैरियर परामर्श व मार्गदर्शन। एच0डी0एफ0सी0 बैंक के माध्यम से 30 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना, अनुमानित मूल्य रु. 75 लाख, लाभार्थी लगभग 15 हजार विद्यार्थी । यू0पी0 डेस्को, लखनऊ के माध्यम से लखनऊ मण्डल के कम्प्यूटर विषय में 123 मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण, अनुमानित मूल्य रु. 14.90 लाख। ग्लोबल क्राफ्ट, कानपुर के सहयोग से 1000 आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को होम स्टडी टेबल वितरण।

उच्च शिक्षा

प्रस्तावना

वर्तमान परिदृश्य वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप निर्मित सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक, राजनैतिक विशिष्टताओं से युक्त है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप वस्तुओं, व्यक्तियों और सेवाओं के प्रवाह को जो गति मिली उसने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया। ऐसा वातावरण निर्मित हुआ जिसमें वैश्विक चुनौतियां उपलब्ध हुईं और अस्तित्व का संकट उभरा। इन दोनों ही परिस्थितियों से त्राण हेतु जिस शिक्षा पद्धति की आवश्यकता अनुभूत की गयी, हमारी नई शिक्षा नीति उन समस्त आवश्यकताओं को प्रत्येक स्तर पर संतुष्ट करती है। इस नई शिक्षा नीति के सापेक्ष उच्च शिक्षा के निम्न उद्देश्यों की परिगणना की जा सकती है।

1. उदात्त चारित्रिक गुणों का विकास, बहुसंस्कृतिवादी मूल्यों की अवस्थापना एवं मौलिक सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करना।
2. वैश्विक प्रतिस्पर्धानुकूल मानव संसाधन तैयार करना तथा अन्तर्विषयी अध्ययन व अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
3. समानता व न्याय से संपृक्त मूल्यों को संवर्धित करने वाली शिक्षा पद्धति स्थापित करना।
4. राष्ट्रीय चेतना, अस्तित्वबोध समरसता, धर्मनिरपेक्षता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केन्द्र में रखते हुए राष्ट्र समर्पित पीढ़ी तैयार करना।
5. वैश्विक पटल पर अंकित उच्च शिक्षा केन्द्रों व संस्थाओं की नवीनतम अध्ययन पद्धति, पाठ्यक्रम व शोध संबंधी उपलब्धियों को संकलित कर उनका विश्लेषण व संवर्धन करना।

उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कटिबद्ध व तत्पर है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा की संस्थाओं को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक कौशल विकास शिक्षा प्रदान की जाय, जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। शिक्षित युवाओं की सरकारी सेवाओं पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी अैर उनका देश की समृद्धि में योगदान सुनिश्चित करने के लिए रोजगापरक पाठ्यक्रमों के विकास पर बल दिया जा रहा है साथ ही निरोग रहने रहने हेतु योग को एक विषय के रूप में शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय

शासन विशेष सक्रियता के साथ सुयोग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति, भवन निमाण/विस्तार, ई-पुस्तकालयों की स्थापना, महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सुसज्जित प्रयोगशाला तथा सूचना क्रान्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए महाविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, पुस्तकालयों में मुफ्त वाई-फाई की व्यवस्था वर्चुवल क्लास रूम की स्थापना पर बल दे रहा है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं नये महाविद्यालयों के भवन निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के विकास के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए मानक निर्धारित किये गये हैं।

निदेशालय में निदेशक एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन), दो संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक (सांख्यिकी), तीन सहायक निदेशक, तथा तीन सांख्यिकी शोध अधिकारी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा निदेशालय से सम्बन्धित वित्तीय मामलों की देख-रेख एवं सम्परीक्षा कार्य तथा प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन स्वीकृत करने आदि कार्यों के लिए एक वित नियंत्रक, एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, दो लेखाधिकारी तथा दो सहायक लेखाधिकारी भी हैं। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों में एक-एक लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के पद सृजित हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली सहायता अनुदान

2202-सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 102-विश्वविद्यालयों को सहायता

(रुपये लाख में)

मद	वास्तविक व्यय वर्ष 2019-20	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2020-21	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22
1	2	3	4
राजस्व लेखा	17793.52	18509.77	21053.96

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 16 राज्य विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय और 01 डीम्ड विश्वविद्यालय संचालित हैं। प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के विस्तार में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। सम्प्रति प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय हैं। शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक गाइडलाइन्स शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित की गई है।

प्रदेश के निम्नांकित विश्वविद्यालयों में से क्रमांक 1 से 11 तक को "सहायता अनुदान" की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान की जाती है। शेष क्रमांक 12 से 17 तक के विश्वविद्यालय अपने निजी स्रोतों से व्ययभार वहन करते हैं :-

1. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
3. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
4. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
5. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6. डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
8. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
10. इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
11. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
12. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।
13. छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर।
14. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
15. डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
16. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
17. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

पूँजीगत मद

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के विकास हेतु कई योजनायें प्रस्तावित हैं, जिसके अन्तर्गत भवन निर्माण तथा महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। पूँजीगत मद में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 1350.00 लाख का तथा राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु रु0 1462.00 लाख एवं राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु रु0 2100.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराने हेतु रु0 20000.00 लाख एवं राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण हेतु रु0 500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज

ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1864 में इस पुस्तकालय की स्थापना तत्कालीन गर्वनर की स्वीकृति से की गयी थी। वर्तमान पब्लिक लाइब्रेरी भवन जो कि गोथिक स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, का निर्माण वर्ष 1864 में आरम्भ हुआ तथा 1878 में यह भवन बनकर तैयार हुआ। इस भवन का वास्तविक नाम थार्नहिल मायने मेमोरियल है। उत्तर प्रदेश को उस दौरान नार्थ वेस्टर्न

प्राविसेंस ऑफ अवध के नाम से जाना जाता था तथा इसके विधान मण्डल "लेजिस्लेटिव काउन्सिल फॉर द नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेंज ऑफ अवध" की प्रथम तथा अन्य 13 बैठकें इस पुस्तकालय भवन में सम्पन्न हुई। पुस्तकालय के 100 वर्ष पूरे होने पर इसके शताब्दी समारोह में तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने सम्बोधन में गंगा, जमुना एवं सरस्वती की त्रिवेणी के समान प्रयागराज उच्च न्यायालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय एवं राजकीय लाइब्रेरी को आधुनिक त्रिवेणी की संज्ञा प्रदान की थी।

वर्तमान परिदृश्य

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में पुस्तकालय का प्रान्तीयकरण करते हुए इसे उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में शामिल किया गया। पुस्तकालय के व्यवस्थित संचालन हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल की अध्यक्षता में दस सदस्यीय पुस्तकालय प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है। पुस्तकालय के व्यवस्थित संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत धनराशि रु0 180.77 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। पुस्तकालय में विभिन्न श्रेणियों के कुल 26 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 21 कर्मचारी कार्यरत है। पुस्तकालय में विभिन्न विषय क्षेत्रों एवं भाषाओं में लगभग 60 पत्रिकायें एवं 22 समाचार पत्र पाठकों के सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं। गत वर्ष लगभग 48 हजार पाठकों द्वारा 54160 पाठ्य सामग्रियों का उपयोग किया गया। पाठकों की मांग पर लगभग 2766 छायाप्रतियां उपलब्ध कराई गईं।

पुस्तक संग्रह

पुस्तकालय का संग्रह पुस्तकालय भवन की भांति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महत्वपूर्ण दुर्लभ पाठ्य सामग्री के साथ ही नवीन पुस्तकों का ऐसा विपुल भण्डार है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय के संग्रह में लगभग सभी विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, फ्रेन्च व अन्य भाषाओं में पुस्तकों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। पुस्तकालय के संग्रह में विभिन्न विषयों पर लगभग 1.25 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय द्वारा अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

इन्टरनेट, सोशल मीडिया तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की चुनौतियों के बावजूद विगत वर्षों में इस पुस्तकालय की पाठक संख्या में प्रति वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है तथा वर्तमान समय में यह उत्तर भारत के सर्वाधिक पाठक संख्या वाले पुस्तकालयों में से एक है। प्रसिद्ध ऑनलाइन जर्नल "द सिटीजन" द्वारा जारी विवरण के अनुसार यह देश के दस सर्वाधिक सुन्दर पुस्तकालयों में शामिल है। इण्डिया टुडे द्वारा जारी ऑनलाइन रिपोर्ट में इस पुस्तकालय को देश में छठवां स्थान प्राप्त है। विश्वविद्यालय ऑनलाइन ज्ञानकोश विकीपीडिया द्वारा इस पुस्तकालय को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सूचना डायरेक्टरी "यूरोपा वर्ड ऑफ लर्निंग" द्वारा भी इस पुस्तकालय को स्थान प्रदान किया गया हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रदेश में भारत संरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 1969-70 में प्रथम बार लागू

की गयी। सर्वप्रथम यह योजना स्नातक स्तर के 2500 छात्र/छात्राओं पर लागू की गई जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सामान्य कार्यक्रमों के लिए रु0 250/- प्रति छात्र और विशेष शिविरों के कार्यक्रमों के लिए रु0 450/- प्रति छात्र सात दिवसीय विशेष शिविर हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के सफल संचालन के लिए सचिवालय स्तर पर एक कोष्ठक का पुर्नगठन किया गया है जिसका शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2021-22 में रु0 97.97 लाख की व्यवस्था की गई।

नई पेंशन योजना (01.04.2005 से प्रभावी)

वित्त सामान्य अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1558/दस-2010-301(9)/2003 टी0सी0 दिनांक 16 अक्टूबर, 2010 से दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले प्रदेश के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर राज्य कर्मचारियों की भांति नव परिभाषित पेंशन योजना लागू कर दी गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 ने शासनादेश संख्या-सा-3-517/दस-2012/301 (9) एस0ए0बी0/2011 दिनांक 21.03.2012 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है, जिससे नई पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षकों/कार्मिकों का पंजीकरण कर नियमानुसार कटौतियां प्रारम्भ की जा सके। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, प्रयागराज को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी का पंजीकरण हो गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त शासनादेश दिनांक 21.03-2012 के द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को (जो आहरण/वितरण अधिकारी भी है) अभिदाता अंशदान के डाटाबेस के रख-रखाव तथा अभिदाता अंशदान फाइल में अपलोड करने हेतु उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्रदेश के सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों का आहरण/वितरण अधिकारी सह भुगतान अधिकारी के रूप में पंजीकरण करा दिया गया है। वे अपने स्तर से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नई पेंशन योजना. से आच्छादित शिक्षकों/शिक्षणेत्तर के पी0आर0ए0एन0 आवंटित कराने की कार्यवाही कर रहे है। इसी क्रम में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा माह दिसम्बर, 2020 तक 6254 शिक्षकों/ कर्मचारियों को पी0आर0ए0एन0, एन0एस0डी0एल0 के माध्यम से अद्यावधि आवंटित कराये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के राजकीय अंशदान हेतु रु0 7000.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ऐसे शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जिनके प्रॉन आवंटित हो चुके हैं के वेतन से नई पेंशन योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2018 से कटौती भी प्रारम्भ हो चुकी है)।

उच्च्व शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तव्य

1. प्रदेश के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धन, नियन्त्रण तथा उनके विकास कार्य का दायित्व।
2. प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से

वेतन वितरण एवं उनसे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्य तथा समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।

3. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों तथा आने वाले शिक्षा सत्र के अन्तर्गत संभावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालय से प्राप्त करना तथा सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।
4. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों को रिक्तियों की निर्दिष्ट सूची में से आसन-व्यवस्था हेतु प्रबन्धतन्त्र को नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु नाम प्रेषित करना।
5. सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम एवं अन्तिम भुगतान की स्वीकृति ।
6. सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करना।
7. उच्च शिक्षा से सम्बन्धित न्यायालयीय वादों का निस्तारण कराना।
8. विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय रखते हुए उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एवं अधिनियमों तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दायित्व का निर्वहन।
9. शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के अभिलेखों का मुख्यालय की आडिट इकाई द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षण।
10. महाविद्यालयों में उद्घाटित प्रबन्धकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं का निवारण।
11. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त कराये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही।
12. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के तीन वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को पुनर्जीवित करते हुये अनुज्ञा प्रदान करना तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन एवं विकास

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु टास्क फोर्स की पाँच बैठकों का आयोजन' किया गया है एवं छठीं बैठक दिनांक 04 फरवरी, 2021 को प्रस्तावित है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में लक्षित कौशल विकास के उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ हैण्डलूम/हैण्डीक्राफ्ट, खादी, ओ0डी0ओ0पी0 एवं अन्य एम0एस0एम0ई0 के क्षेत्र में डिजाइन, तकनीक, मार्केटिंग एवं अन्य नवाचार को भी प्रोत्साहन हेतु अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए जाने पर मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रस्तर-17 पर प्रत्येक संस्थान द्वारा अपनी शोध योजना की घोषणा-शोध के परम्परागत क्षेत्रों, समकालीन विषयों के चयन के प्रावधान, समाज एवं उद्योग उपयोगी विषयों पर शोध एवं अध्ययन को प्रोत्साहन देने हेतु समस्त राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं।

4. सम्पूर्ण एवं बहुविषयक शिक्षा अपनाए जाने हेतु विश्वविद्यालयों को अपने बोर्ड ऑफ स्ट्डीज व एक्जीक्यूटिव काउन्सिल (कार्यपरिषद्) से व अन्य नियमानुसार प्रक्रिया से ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें विद्यार्थी विज्ञान, कला एवं वाणिज्य की शिक्षा अन्तर विषयक रूप से चयन कर शिक्षा प्राप्त कर सकें एवं शिक्षा के दौरान लीव लेने की व्यवस्था हो रही है जिसमें प्रवेश एवं निकास का प्रावधान रखा जायेगा।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020- विश्वविद्यालयों द्वारा एम0फिल0 को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम के 37 विषय उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर सुझाव हेतु अपलोड किये जा चुके हैं।
6. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उ0प्र0 राज्य के महत्वाकांक्षी जनपदों के 18 राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को इंटरनेट असुविधा को ध्यान में रखते हुए ई-कन्टेन्ट के प्री-लोडेड टैब उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश निर्गत कर दिया गया है।
7. उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में छात्र हित के दृष्टिगत लगभग 73,000 ई-कटेन्ट, टेक्स्ट, आडियों, विजुअल वीडियो के रूप में शिक्षकों के माध्यम से अपलोड किये जा चुके हैं, जिसमें मात्र पुस्तकें ही नहीं, वरन् शिक्षकों के नोट्स/लेक्चर्स/ प्रस्तुतीकरण हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं।
8. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इण्डिया, आई0आई0टी0, खड़गपुर द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के साथ पार्टनरशिप हेतु अनुरोध किया गया है। देश भर के छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा पाठ्यकम साम्रगी उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी एवं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इण्डिया, आई.आई.टी., खड़गपुर के मध्य पार्टनरशिप हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित किए जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण

अशासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्य

1. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान का आवंटन किया जाना।
2. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के नये पदों के सृजन सम्बन्धी कार्यवाही, रिक्त होने वाले पदों का सततीकरण, पदों का स्थायीकरण तथा तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण।
3. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाना तथा वेतन सम्बन्धी विवाद का निस्तारण।
4. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेन्शन की स्वीकृति, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति तथा सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि की राशि का अंतिम भुगतान।
5. महाविद्यालयों का आडिट कराना तथा आडिट आपत्तियों का निराकरण, अनियमितताओं की जांच कराना, विभिन्न स्रोतों से शासन को प्राप्त शिकायतों की जांच कराना तथा तद्नुसार कार्यवाही कराना।
6. महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त कराये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही।

7. महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों और आने वाले शिक्षा वर्ष के दौरान संभावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त करना।
8. संसूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची (अधियाचन) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।
9 उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों को रिक्तियों की निर्दिष्ट सूची में से आसन-व्यवस्था कर अभ्यर्थियों का नाम प्रबन्धतंत्र को नियुक्ति हेतु प्रेषित करना।
10. बर्सर, उपपुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक एवं कैटलागर के पदों की नियुक्तियों का अनुमोदन प्रदान करना।
11. महाविद्यालयों के शिक्षकों के एकल स्थानान्तरण से सम्बन्धित कार्य।

राजकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित कार्य

1. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की तैनाती/स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के मामले।
2. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यों से सम्बंधित शिकायतों की जांच एवं अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्यवाही ।
3. राजकीय महाविद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की तैनाती/स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के मामले।
4. नये पदों का सृजन तथा नये राजकीय महाविद्यालयों का खोला जाना।
5. शिक्षकों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति।
6. शिक्षकों/कर्मचारियों को भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान तथा विभिन्न प्रकार के अग्रिम की स्वीकृति। सेवानिवृत्ति के उपरान्त जी0पी0एफ0 की धनराशि का 90 प्रतिशत निदेशालय से स्वीकृत किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत की धनराशि महालेखाकार, उत्तंर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा स्वीकृत होता है।
7. राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों/शिक्षकों के पेंशन प्रपत्रों को निदेशक, पेंशन को अग्रसारित किया जाना।
8. महाविद्यालयों के विकास हेतु आवर्तक/अनावर्तक अनुदान के आवंटन आदेश निर्गत करना।
9. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के शक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों यथा- शिक्षकों, बर्सरों, कार्यालय अधीक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, उपपुस्तकालयाध्यक्षों तथा को-आर्डिनेटरों आदि के वेतन निर्धारण का कार्य किया जाता है।
10. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/प्राचार्यों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्पादित किए जा रहे प्रमुख कार्यो का विवरण

प्रशासनिक कार्य

1. महाविद्यालयों का प्रशासनिक निरीक्षण सम्बन्धी कार्य।
2. महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति।

3. विधानसभा/विधान परिषद के प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराना।
4. नये विषय खोलने के लिए पैनल में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के प्रतिनिधि के रूप में महाविद्यालयों का निरीक्षण करना।
5. उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा दिये गये विशेष कार्यों का सम्पादन।
6. अपने क्षेत्र के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 03 वर्ष तक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुज्ञा प्रदान करना।
7. शासन के आदेश पर महाविद्यालयों के खोले जाने हेतु क्लीयरेन्स देने के लिए निरीक्षण करना एवं संस्तुति देना।
8. बर्सर, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक एवं कैटलॉगर के पदों को छोड़कर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करना।
9. अपने क्षेत्र के सभी शासकीय महाविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों से नियत तिथि पर स्टाफ स्टेटमेन्ट प्राप्त करना तथा महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सम्बन्ध में अधियाचन प्राप्त करके निदेशक को भेजना।
10. अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन कागजात तैयार करने के कार्य पर निगरानी रखना और उनकी सेवानिवृत्ति के छः मास पूर्व समस्त पत्रादि निदेशक को अग्रसारित करना।
11. अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराया गया या नहीं, पर शासन एवं निदेशक को आख्या भेजना।
12. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के आहरण/वितरण का कार्य।

विकास/सांख्यिकी सम्बन्धी कार्यः

1. विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करना, विश्लेषण करना तथा उन्हें संकलित करके निदेशालय को प्रेषित करना।
2. क्षेत्र में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करना।
3. महाविद्यालयों में शैक्षिक कार्य सम्बन्धी प्रवृत्तियों की सूचना संकलित करना एवं समय-समय पर प्रकाशन निकालना।
4. उपरोक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रकाशन निकालना।
5. राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की समीक्षा।

वित्तीय कार्यः-

1. महाविद्यालयों द्वारा 80/75 प्रतिशत शुल्क से प्राप्त होने वाली आय जमा किए जाने की जांच करना और उन महाविद्यालयों का जिसने उचित अंश न जमा किये हों, वसूल करना तथा समय-समय पर प्रगति से निदेशालय को संसूचित करना।
2. उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों) के अपव्यय का निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत महाविद्यालयों के अस्तियों को लेखा रखना तथा तत्संबंधी जांच करना।

3. उच्च शिक्षा निदेशालय के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई सम्परीक्षा आख्या संस्तुति सहित निदेशालय को प्रेषित करना।
4. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में महाविद्यालयों को हुई क्षति का आकलन करना व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु निदेशालय को संस्तुत करना।
5. विभिन्न अनुदानों, अनावर्तक अनुदानों से सम्बन्धित महाविद्यालयों के आवेदन पत्र का परीक्षण कर निदेशालय को उपलब्ध कराना।
6. उपभोग प्रमाण-पत्रों को महाविद्यालय से प्राप्त करना तथा उनका सत्यापन कर निदेशालय को प्रेषित करना।
7. महाविद्यालयों का लेखा परीक्षण करना।
8. पुस्तकालयाध्यक्ष, उपपुस्तकालयाध्यक्ष, बर्सर, कार्यालय अधीक्षक तथा कैटलॉगर के पदों को छोड़कर सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण तथा भविष्य निधि से अग्रिम/अन्तिम भुगतान स्वीकृत करना।
9. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की निरीक्षण आख्या अपनी संस्तुति सहित निदेशक, उच्च शिक्षा व शासन को अगले माह की 10 तारीख को उपलब्ध कराये जाने को सुनिश्चित करना।

●

प्राविधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्द्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा के स्वरूप व स्तर की प्रासंगिकता का विशेष महत्त्व है। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा सम्बन्धित विकास के लक्ष्यपरक संकल्प व प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा प्रणाली की क्षमता में सुधार, प्रसार तथा गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार की प्रतिबद्धता के साथ उच्च स्तर के तकनीशियन विकसित करके कार्य क्षेत्र की आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सुसंगत आपूर्ति करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु समय-समय पर इंजीनियरिंग कालेजों एवं डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की स्थापना कर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दिशा में प्राविधिक शिक्षा विभाग निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। प्राविधिक शिक्षा विभाग प्रौद्योगिकी के आधुनिक विषयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं दिव्यांग छात्र/छात्राओं को प्राविधिक शिक्षा में सहभागी बनाने के लिये सतत प्रयत्नशील है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन शासन द्वारा वित्त पोषित 15 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थायें तथा 1409 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं संचालित हैं। इनके अतिरिक्त 51 डिप्लोमा स्तरीय राजकीय संस्थायें अवस्थापना की स्थिति में हैं। प्राविधिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं त्वरित विकास हेतु शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा संस्थाओं में सुयोग्य छात्रों के चयन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का गठन किया गया है।

डिग्री सेक्टर

संगठन संरचना

डिग्री स्तर की संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण

प्राविधिक विश्वविद्यालय

पूर्ववर्ती महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर तथा गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को मर्ज कर दिनांक 01.11.2013 को उ.प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी। वर्तमान में यह डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ के नाम से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य प्रदेश में स्थापित ऐसे निजी एवं सरकारी संस्थान

जो बी.टेक./बी.फार्मा./बी.आर्क./बी.डेस./बी वॉक/बी.एफ.ए.डी./बी.एफ.ए./एम.बी.ए./एम.सी.ए./होटल मैनेजमेंट/एम.फार्मा./एम.टेक./एम.आर्क. एवं एम.डेस. पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, को सम्बद्धता प्रदान करना, प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, पाठ्यक्रम को निर्धारित करना तथा परीक्षा के उपरान्त अध्ययनरत छात्रों को डिग्री प्रदान करना है।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को रुड़की विश्वविद्यालय की भांति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर बनाया गया है जो दिनांक 01.12.2013 से क्रियाशील है।

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (एच.बी.टी.आई.), कानपुर को उपर्युक्त की भांति हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर बनाया गया है जो दिनांक 01.09.2016 से क्रियाशील है।

डिग्री स्तर की संस्थाओं का गठन

शासकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों की व्यवस्था तथा संचालन का दायित्व संस्था प्रमुख का होता है। उसकी सहायता के लिए रजिस्ट्रार तथा वित्त अधिकारी के पद सृजित हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना

यह योजना भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 65:35 प्रतिशत वित्त पोषित थी परन्तु वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अनुदान का प्रतिशत परिवर्तित कर 60:40 प्रतिशत कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य महाविद्यालय/तकनीकी संस्थानों में शिक्षा के स्तर/गुणवत्ता में वृद्धि कर पर्याप्त मात्रा में तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना है, जिससे युवाओं को गुणवत्तारक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत डिग्री सेक्टर में इस योजना के अन्तर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती एवं गोण्डा का निर्माण कराया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर तथा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सुदृढ़ीकरण/विकास के कार्य कराए जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सुविधाएं

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रही समस्त डिग्री स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनूसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 02 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 27 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ ई.डब्लू.एस. के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। छात्राओं हेतु डिप्लोमा में प्रवेश हेतु शासनादेशानुसार 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 05 प्रतिशत, सैनिक आश्रित के अभ्यर्थियों के लिये 05 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है।

अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक

वर्ग के छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

ई-गवर्नेन्स

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ से लगभग 755 संस्थान सम्बद्ध हैं जिनमें लगभग 2,39,496 छात्र अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध संस्थाओं में बी.टेक., बी.फार्मा, बी.आर्क., /बी.डेस./बी वॉक/बी.एफ.ए.डी./बी.एफ.ए./बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेण्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, एम.बी.ए., एम.बी.ए. (रूरल डेवेलपमेंट), एम.सी.ए., एम. फार्मा., एम.टेक. एम.आर्क. एवं एम.डेस. आदि पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं की शैक्षिक गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण करने के लिये विश्वविद्यालय ने एक इन्टरैक्टिव वेब एप्लीकेशन की संरचना की है जिसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैंः

1. समस्त छात्रों की कक्षाओं में मासिक उपस्थिति का प्रेषण वेबसाइट के माध्यम से संस्थाओं द्वारा किया जाता है एवं विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की उपस्थिति के आधार पर वांछित कार्यवाही की जाती है।
2. छात्रों के परीक्षा फार्म इन्टरनेट के माध्यम से जमा कराये जाते हैं।
3. छात्रों की सैत्रिक परीक्षा के अंकों का संस्थाओं द्वारा आनलाइन अपलोड (प्रेषण) किया जाता है।
4. समस्त संस्थाओं द्वारा थ्योरी एवं प्रैक्टिकल विषयों के सैत्रिक अंकों का वेबसाइट के माध्यम से प्रेषण कराया जाता है।
5. प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का भी अपलोड संस्थाओं द्वारा वेबसाइट के माध्यम से किया जा रहा है।
6. विश्वविद्यालय द्वारा सभी छात्रों की परीक्षा के प्रवेशपत्र संस्थाओं के लिये सत्यापन एवं रोललिस्ट आदि संस्थाओं को नेट के माध्यम से प्राप्त करायी जाती है।
7. सभी संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा वेबसाइट के माध्यम से जमा कराया जाता है।
8. परीक्षाफल प्राप्त होने के उपरान्त परीक्षाफल पंजिका वेबसाइट के माध्यम से संस्थाओं को प्राप्त करायी जाती है।
9. परीक्षाफल की घोषणा एवं छात्रों के परीक्षाफल एवं इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा समस्त छात्रों एवं संस्थाओं से किये जाने वाले सामान्य पत्राचार प्रायः वेबसाइट के माध्यम से किये जाते हैं।
10. प्रश्न पत्रों का प्रेषण आनलाइन किया जाता है।
11. उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराया जाता है।

इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा अन्य सामान्य कार्य एवं प्रवेश परीक्षा के उपरान्त विभिन्न

संस्थाओं में प्रवेश हेतु आनलाइन काउंसिलिंग का कार्य आदि विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे हैं। इस कांउसिलिंग की पद्धति के कारण छात्र विभिन्न स्थानों पर अनावश्यक यात्रा एवं असुविधाओं से बच जाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अपने से सम्बद्ध संस्थाओं के शैक्षिक नियंत्रण हेतु इस वेब एप्लीकेशन का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है।

दिव्यांगों के लिए प्राविधिक शिक्षा

डॉ. अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फार हैण्डीकैप्ड, कानपुर

राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति-1986 तथा दिव्यांग (अवसरों की समानता, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम-1995 के अनुपालन स्वरूप राज्य के शारीरिक दिव्यांगता से ग्रसित नवयुवकों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ कर उनकी समाज के लिये उपादेयता में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1997 में तत्कालीन विश्व बैंक सहायतित परियोजना के अंतर्गत कानपुर में डॉ अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड (ए.आई.टी.एच.) की स्थापना की है। प्रथम चरण में तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ इस संस्थान का शुभारम्भ सत्र 1998-99 से किया गया। एच.बी.टी.यू. कानपुर के पश्चिमी परिसर में से उपलब्ध कराई गई 15 एकड़ भूमि पर स्थापित संस्थान में निम्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम मल्टी प्वांइट एण्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत संचालित हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत गत वर्ष तक संचालित था, परन्तु निर्धारित प्रवेश क्षमता के सापेक्ष प्रवेश शून्य होने की स्थिति में इसे बंद कर दिया गया।

दिव्यांगजन हेतु अन्य पालीटेक्निक संस्थाओं में व्यवस्था

उक्त विशिष्ट संस्था– ए.आई.टी.एच. के अतिरिक्त भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ''स्कीम फार इन्टीग्रेटिंग परसन्स विद डिसएबिलिटीज इन दि मेन स्ट्रीम आफ टेक्नीकल एण्ड वोकेशनल एजूकेशन'' के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक, झांसी एवं राजकीय महिला पालीटेक्निक, मुरादाबाद में भी दिव्यांग छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं में भी प्रवेश हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है।

महिला पालीटेक्निकों की स्थापना

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं तकनीकी शिक्षा के आधुनिक विषयों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास एवं नई संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। वर्तमान में 21 महिला पालीटेक्निक (19 राजकीय एवं 02 सहायता प्राप्त) संचालित हैं। सत्र 2020-21 में इन महिला पालीटेक्निक संस्थाओं की कुल प्रवेश क्षमता 5813 रही है।

भारत सरकार के सहयोग से पालीटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण

भारत सरकार की योजना ''सब-मिशन ऑन पालीटेक्निक अन्डर दि को-आर्डिनेटेड एक्शन फॉर स्किल डेवलेपमेन्ट के अन्तर्गत पालीटेक्निकों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिये सीधी केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी एवं इस निमित्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 से व्यवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप धनराशि राज्य सरकार के द्वारा आय-व्ययक के माध्यम से स्वीकृत की जाती है। वर्तमान में इस योजनान्तर्गत 57 पुराने राजकीय पालीटेक्निक आच्छादित हैं जिसमें से द्वितीय फेस में 48 पुराने राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु कुल धनराशि रु0 45.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 तक रु0 22.84 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन 41 पॉलीटेक्निकों में साज-सज्जा, उपकरणों एवं फर्नीचर आदि के क्रय हेतु भी प्रति संस्था रु0 4.30 करोड़ की धनराशि अनुमन्य है। भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य एवं साज-सज्जा एवं फर्नीचर आदि को क्रय हेतु निर्गत धनराशि में से शासन को आदेश में जिसमें से 39 पालीटेक्निकों हेतु कुल रु. 117.72 करोड़ की धनराशि साज-सज्जा, उपकरणों एवं फर्नीचर आदि के क्रय में स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 तक रु0 58.8 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। महिलाओं हेतु सुरक्षित शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की गई है जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 52 संस्थाओं (पुरुष/महिला) में 60 सीटेड महिला छात्रावास निर्माण हेतु सीधी केन्द्रीय सहायता प्रति संस्था रु.1.00 करोड़ की दर से किस्तों में प्रदान की जा रही है, जिसका अधिकांश अंश भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना हेतु रु0 126.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया

डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश सामान्यतः संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से होते हैं। राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त तथा निजी क्षेत्र की पॉलीटेक्निक संस्थाओं की प्रवेश क्षमता, 2,41,810 के विरुद्ध आयोजित प्रवेश परीक्षा-2020 में कुल 3,90,894 अभ्यर्थी पंजीकृत हुये एवं परीक्षा में 2,55,685 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसके सापेक्ष 2,43,819 परीक्षार्थी सफल घोषित हुये। ऑनलाइन कांउसिलिंग के माध्यम से कुल 24,629 अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 हतु प्रवेश दिया गया।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिये सुविधायें

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रही समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 02 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/प्रतिरक्षा कर्मचारी आश्रित छात्रों को रु0 25/- प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह के लिये तथा रु0 50/- पुस्तकीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रथम वर्ष में प्रवेश क्षमता अथवा वास्तविक प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत छात्रों को मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति प्रवेश की तिथि से रु0 25/- प्रतिमाह की दर कुल से 10 माह के लिये दी जाती है। प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित करके योग्यता/परिवार नियोजन 02 बच्चों तक सीमित तथा साधनों के मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान

प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में हो रहे त्वरित विकास व रचनात्मक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संकाय प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास/पुनरीक्षण, पाठ्य संसाधन विकास व शैक्षिक व तकनीकी शोध आदि कार्यों के सम्पादन हेतु इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1978 में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में एक प्रकोष्ठ के रूप में की गई थी, जिसे वर्ष 1984-85 में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में पुनर्गठित किया गया।

स्टाफ प्रशिक्षण

प्रौद्योगिकी एवं उद्योग के क्षेत्र में हो रहे निरन्तर विकास के अनुरूप तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण में उत्कृष्टता लाने एवं पालीटेक्निक संस्थाओं के अध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जाता है।

सत्र 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एन.आई. टी.टी.टी.आर., चण्डीगढ के सहयोग से आनलाईन माध्यम से कराया गया तथा दिनांक 28-12-2020 तक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 820 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण स्टाफ प्रशिक्षित किया जा चुका है। सत्र 2021-22 में स्टाफ प्रशिक्षण हेतु 80 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2400 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।

पाठ्यचर्या विकास

वर्ष 1989-90 में पाठ्यचर्या विकास कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने के उद्देश्य से इस संस्थान में एक पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। आधुनिक उद्योगों/संगठनों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से संस्थान में स्थापित पाठ्यचर्या विकास केन्द्र द्वारा तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी विद्वानों, उद्योगों में कार्यरत विशेषज्ञों, सेवायोजकों तथा विषय-अध्यापकों की सहायता से कार्यशालाएं आयोजित कर पाठ्यचर्या विकसित की

जाती है। साथ ही प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर सम्बन्धित सेवायोजकों से छात्रों में अपेक्षित ज्ञान एवं कौशल के बारे में सर्वेक्षण कराकर उनके द्वारा प्राप्त पश्चनिवेश (फीडबैक) के आधार पर पाठ्यचर्याओं को संशोधित/पुनरीक्षित भी किये जाने का प्रावधान रखा गया है। समस्त पाठ्यचर्याओं में कम्प्यूटर एप्लीकेशन, इण्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट, सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेशनल एनर्जी तथा इनवायरमेंट एण्ड पल्यूशन कन्ट्रोल आदि विषयों का समावेश किया गया है।

सत्र 2019-20 में संस्थान स्तर पर कुल 26 पाठ्यकर्मों की पाठ्यचर्या के पुनरीक्षण का कार्य किया गया।

सत्र 2020-21 में संस्थान स्तर पर कुल 20 पाठ्यक्रम (11 तीन वर्षीय, 01 दो वर्षीय तथा 08 एक वर्षीय) के प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या तैयार कर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश की पालीटेक्निक संस्थाओं में लागू किया गया। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के पाठ्यचर्या के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, पाठ्यचर्या पुनरीक्षित होने के उपरांत सत्र 2021-22 में 18 तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं को पुनरीक्षित करने का कार्य किया जायेगा।

पाठ्य संसाधन विकास (इलेक्ट्रानिक्स मीडिया रिसोर्स सेण्टर)

वर्चुअल क्लासरूम प्रतिभागियों को संसाधनों से सुसज्जित आनलाइन क्लासरूम के माध्यम से संवाद सीखने एवं समूहों में काम करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कम से कम समय में प्रभावपूर्ण ढंग से तकनीकी ज्ञान वेबपोर्टल के माध्यम से अधिक से अधिक छात्रों को दिया जाना एवं विभिन्न संस्थाओं में फैकल्टी की कमी को पूर्ण करते हुए गुणवत्तापरक शिक्षण-प्रशिक्षण दूरस्थ संस्थाओं के छात्रों को उपलब्ध कराये जाने का महत्त्वपूर्ण विकल्प है।

इस योजना के अन्तर्गत दो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रिसोर्स सेण्टर/स्टूडियो (ई0एम0आर0सी0) की स्थापना शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 कानपुर एवं राजकीय पॉलीटेक्निक, गाजियाबाद में की गयी है जिन्हें वर्तमान में प्रदेश के 47 पालीटेक्निक संस्थाओं में स्थापित वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा गया है। उक्त दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रिसोर्स सेण्टर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार आपरेशनल प्लान/कार्यक्रम के अनुसार सजीव ई-लेक्चर का प्रसारण विभागीय विषय-विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

उपलब्धियाँ

प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कालेज स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यवाही प्रारम्भ की गयी

- वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी मेडिकल कालेज 17 एवं निजी क्षेत्र के 25 मेडिकल कालेज संचालित थे, जिसमें सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष एम0बी0बी0एस0 की 1990 सीटें तथा निजी क्षेत्र में एम0बी0बी0एस0 की 2550 सीटें थीं।
- वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी मेडिकल कालेज 35 एवं निजी क्षेत्र के 30 मेडिकल कालेज संचालित हैं, जिसमें सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष एम0बी0बी0एस0 की 3828 सीटें तथा निजी क्षेत्र में एम0बी0बी0एस0 की 4300 सीटें हैं।
- प्रदेश में वर्तमान में 02 एम्स क्रमशः रायबरेली (100 एम0बी0बी0एस0 सीट), गोरखपुर (126 एम0बी0बी0एस0 सीट) संचालित हैं।
- विगत 04 वर्षों में 18 सरकारी तथा 14 निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की संख्या में वृद्धि हुयी तथा 1838 सरकारी एम0बी0बी0एस0 की सीट तथा 1750 निजी क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0 की सीटों में वृद्धि हुयी।
- केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत करते हुये मेडिकल कालेज के रूप में स्थापित किया जा रहा है जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।
- पी0पी0पी0 मॉडल पर प्रदेश के 16 असेवित जिलों में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है। वर्तमान समय में परियेाजना के कार्यान्वयन हेतु E&Y LLP कार्यदायी संस्था को चयनित किया गया है तथा शासनादेश दिनांक 18.09.2021 में विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है।

पी०जी० सीटों में वृद्धि

- वर्ष 2016 में सरकारी में 900 व निजी में 603 कुल - 1503 और वर्तमान में सरकारी में 1043 व निजी में 1064 कुल - 2107-1503 = 604 सीटों की वृद्धि हुई है।

सुपर स्पेशिलिटी सीटों में वृद्धि

- वर्ष 2016 में सरकारी में 126 सीटे थीं और वर्तमान में सरकारी में 177 सीटें हैं। इस प्रकार कुल-51 सीटों की वृद्धि हुई है।

प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना

- प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी जिससे कि प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेज/पैरामेडिकल कालेज/नर्सिंग कालेज तथा निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कालेजों की सम्बद्धता एक ही विश्वविद्यालय से हो और एकरूपता बनी रहे।

चिकित्सा शिक्षकों, नर्सेज व पैरा मेडिकल स्टाफ में वृद्धि

- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानकों की पूर्ति हेतु विभिन्न श्रेणी के पदों का मानकीकरण किया गया जिसमें चिकित्सक, शिक्षक, नर्सें तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पद सम्मिलित हैं।

अनिवार्य शासकीय सेवा एवं बाण्ड का क्रियान्वयन

- प्रदेश में पहली बार स्वास्थ्य सेवा हेतु प्रदेश से उत्तीर्ण छात्रों को अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालजों से उत्तीर्ण हुये 669 पी0जी0 छात्र तथा 115 डी0एम0एम0सी0एच0 सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों को विभिन्न मेडिकल कालेजों में सेवायोजित किया गया है।

कोविड-19 महामारी हेतु समुचित उपचार का प्रबन्धन

- प्रत्येक मेडिकल कालेज में 24x7 कन्ट्रोल रूप स्थापित किये गये जिसकी मॉनीटरिंग महानिदेशालय में स्थापित कोविड कमाण्ड सेन्टर से की गयी।
- कोविड मरीजों के उपचार हेतु 15800 आइसोलेशन बेड व 7748 आई0सी0यू0 बेड कुल 23548 बेड क्रियाशील किये गये।
- कोविड-19 की तृतीय वेब की दृष्टिगत 6700 पी0आई0सी0यू0 बेड तैयार किये गये।
- प्रदेश में कोविड से संक्रमित 1,23,774 मरीजों का उपचार किया गया है तथा इसमें मृत्यु दर (सी0एफ0आर0) सबसे कम रही है।

कोविड-19 जाँच के सम्बन्ध में

- कोविड-19 की जाँच हेतु वर्ष 2016 से पूर्व मात्र 02 बी0एस0एल0-2 लैब स्थापित थीं जिनकी संख्या वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में 62 निजी क्षेत्र में 91 हैं तथा जाँच क्षमता जो मार्च 2020 में मात्र 72 टेस्ट प्रतिदिन थी अब लगभग 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन है।

पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता

- पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट स्थापित किये गये। राजकीय मेडिकल कालजों में 65 ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट तथा डी टाईप सिलेण्डर उपलब्ध कराये गये साथ ही प्रत्येक मेडिकल कालेज में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्थापित किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वेंटीलेटर्स की स्थिति

- वेंटीलेटर्स की संख्या में वृद्धि वर्ष 2016 से पूर्व प्रदेश में सिर्फ 428 वेंटीलेटर्स उपलब्ध थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 3555 हो गयी हैं।

दिमागी बुखार के लिये किये गये प्रयास

- बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर के बालरोग विभाग में इलाज के लिये 264 बेड संख्या को 428 किया गया व दवाईयों का स्टाक उपलब्ध कराया गया।
- एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से मौत की संख्या 2016 में 16 प्रतिशत थी जो अब घटकर मात्र 03 प्रतिशत रह गयी हैं।

चिकित्सा शिक्षा के बजट प्रावधान में वृद्धि की गयी

- वर्ष 2016-17 में यह बजट 191406.00 लाख था जो वर्ष 2021-22 में 914169.84 है जिसमें 4.78 गुणा वृद्धि हुयी।

●

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित गतिविधियाँ

भारत सरकार के कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0वी0टी0), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक अधिष्ठानों तथा राजकीय व निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन व क्रियान्वयन किया जाता हैः-

1. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी0टी0एस), 2. शिक्षुता प्रशिक्षण (ए0टी0), 3. शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी0आई0टी0एस0), 3. अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योजना है, जो कि वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप पूर्ति करने के लिए शिल्पकारों को तैयार कर रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सम्पूर्ण रूप से उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन व अनुश्रवण की जिम्मेदारी एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना विभाग का दायित्व एवं जिम्मेदारी है। साथ ही एन0सी0वी0टी0 से सम्बद्धता प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से संचालित प्रशिक्षण का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण भी विभाग द्वारा सम्पादित कराये जाते हैं। प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का कार्य भी उनसे वर्तमान मांग के आधार पर किया जाता है। जिससे वर्तमान में उद्योगों, प्रतिष्ठानों की जरूरतों के अनुसार उन्हें दक्ष कामगार उपलब्ध हो सकें।

उद्देश्य

1. घरेलू उद्योगों के लिये विभिन्न व्यवसायों में कुशल कारीगरों की नियमित रूप से पूर्ति करते रहना।
2. व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यकम के माध्यम से औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाना।
3. उद्योगों एवं बाजार से तालमेल के आधार पर उनके मांग अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
4. रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर शिक्षित युवाओं के समक्ष व्याप्त बेरोजगारी कम करना।
5. युवा पीढ़ी में तकनीकी एवं औद्योगिक रूझान का विकास एवं पोषण करना।

शिक्षुता प्रशिक्षण

शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन शिक्षु अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। विद्यमान व्यवस्था में शिशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों यथा- केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यालयों द्वारा विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार के सन्दर्भ में शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। वर्ष 2014 से 2019 तक भारत सरकार द्वारा शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने तथा इसका लाभ अधिक से अधिक युवाओं तथा उद्योगों को प्राप्त कराने के दृष्टिगत शिक्षु अधिनियम, 1961 में अनेक यथोचित संशोधन किये गये हैं। अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों व सेवा क्षेत्र की इकाईयों में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के दृष्टिगत अधिनियम में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व नियोजक का होता है। शिशिक्षुओं की नियुक्ति के समय नियोजक तथा शिशिक्षु के मध्य एक अनुबंध (कान्ट्रेक्ट) भरा जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त ही यह कॉन्ट्रेक्ट भी समाप्त हो जाता है।

शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना

देश एवं प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल अनुदेशकों की कमी को पूर्ण करने के उद्देश्य से एन0सी0वी0टी0 द्वारा शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी0आई0टी0एस0) को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों तथा सी0टी0एस0 प्रमाण-पत्र धारकों को एन0सी0वी0टी0 के निर्दिष्ट व्यवसायों में 01 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

योजना के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षार्थियों को ट्रेड टेक्नोलॉजी में 06 माह का उच्च स्तरीय आधारभूत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं प्रबन्धक के सिद्धातों पर 06 माह का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

प्रदेश में सी0आई0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज-लखनऊ में 06 व्यवसायों यथा- फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक रेफरीजरेशन् एण्ड एयर-कन्डीशनर, कॉस्मेटोलॉजी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स तथा सीविंग टेक्नोलॉजी (महिलाओं हेतु) व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश की युवा शक्ति के कौशल में वृद्धि कर उनके माध्यम से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि किये जाने तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से रोजगारपरक क्षेत्रों में अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

विभागीय इकाईयां

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (प्रशिक्षण प्रखण्ड)

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन एवं दैनिक क्रिया-कलापों के अनुश्रवण का समस्त कार्य

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा प्रदेश में संचालित हो रहे निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के दैनिक क्रिया-कलापों का अनुश्रवण भी प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु केन्द्र व राज्य सरकार की समस्त योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन/सम्पादन में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विभिन्न शासकीय गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं निस्तारण सुनिश्चित कराया जाता है।

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०वी०टी०)

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन संचालित प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा सम्पूर्ण देश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन से सम्बन्धित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0वी0टी0) द्वारा राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना व उनके संचालन हेतु मानक तैयार कर जारी किये जाते हैं। एन0सी0वी0टी0 द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा- निर्देशों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू कराने का सम्पूर्ण दायित्व राज्य निदेशालयों का होता है।

प्रदेश में एन0सी0वी0टी0 से सम्बन्धन प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश, परीक्षा व प्रमाणीकरण के सम्बन्धित समस्त कार्यों के सफल संचालन/सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0वी0टी0) की स्थापना की गई है। एस0सी0वी0टी0 को सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है एवं इसका मुख्यालय राजकीय आई0टी0आई, अलीगंज, लखनऊ के परिसर में निर्मित भवन में स्थापित है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

परिचय

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश में कौशल विकास नीति को जुलाई 2013 से लागू किया गया है। उ0प्र0 देश का प्रथम राज्य है, जहां इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की केन्द्र सहायतित (जिसमें राज्यांश भी सम्मिलित है) योजनाओं तथा राज्य सरकार की योजनाओं को समेकित रूप से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। मिशन द्वारा संचालित कौशल विकास मिशन कार्यक्रमों के द्वारा 14 से 35 आयु वर्ग के युवाओं (जिनमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से अक्षम, गरीब और कम पढ़े लोग सम्मिलित हैं) को प्रशिक्षित कर सेवायोजित कराने हेतु विभिन्न योजनाओं को एकीकृत रूप से मानकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है:- 1. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी0डी0यू0-जी0के0वाई0), 2. स्पेशल सैन्ट्रल एसिस्टेंस टू शेडयूल्ड कास्ट सब प्लान (एस0सी0ए0 टू एस0सी0एस0पी0), 3. बार्डर एरिया

डेवलपमेंट प्रोग्राम (बी0ए0डी0पी0), 4. बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (बी0ओ0सी0डब्लू0), 5. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी0एम0के0वी0वाई), 6. स्टेट स्किल्स डेवलपमेन्ट फंड (एस0एस0डी0एफ0), 7. विश्व बैंक पोषित स्किल एक्जीबीशन एण्ड नॉलिज अवेयरनेस फार लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट (संकल्प परियोजना) व 8. पूर्व अध्ययन/ज्ञान का प्रमाणीकरण (आर0पी0एल0)। इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित कॉमन नार्म्स के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों की श्रेणी के अनुसार प्रति घण्टे के आधार पर दरे निर्धारित की गयी हैं जिनके अनुसार मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान किया जाता है।

रोजगारपरक और इन्डस्ट्रीज की मांग के अनुरूप कोर्सेज का चयन

मिशन स्तर पर उद्योगों की मांग के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन0एस0डी0सी0) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्वालिफिकेशन पैक्स/नेशनल आक्यूपेशनल स्टैन्डर्ड आधारित कुल 33 सेक्टर्स में 726 पाठ्यक्रमों को अनुमन्य किया गया है।

प्रशिक्षार्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणीकरण की व्यवस्था

मिशन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये गये युवाओं का मूल्यांकन तथ प्रमाणीकरण (एसेसमेन्ट एण्ड सर्टीफिकेशन) प्रशिक्षणार्थी द्वारा चयनित ट्रेड से सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउसिंल द्वारा किया जाता है। सेक्टर स्किल काउसिंल का अनुबंधन एन0एस0डी0सी0 (नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन) द्वारा उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 31 सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ मिशन द्वारा अनुबंध किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सेक्टर स्किल काउन्सिल्स के अतिरिक्त सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट,ओडिशा को भी अनुमोदित किया गया है, जिसके साथ भी उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

प्रशिक्षण प्रदाताओं का आबद्धीकरण

वर्तमान तक 230 निजी प्रशिक्षण प्रदात्ता, 278 राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता और 29 फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाता मिशन के साथ आबद्ध किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत 414 प्रशिक्षण प्रदाता मिशन के साथ आबद्ध हैं।

प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

मिशन द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रशिक्षण प्रदाताओं के कुल 3066 प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुमोदित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष **2020-21** के कार्यों का विवरण

वर्ष 2020-21 हेतु विधान मण्डल द्वारा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को रु0 1083.5557 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। जिसके सापेक्ष निम्नलिखित प्रमुख कार्य कराये गये अथवा कराये जा रहे हैं-

वर्ष **2020-21** में सम्पादित कराये गये/जा रहे प्रमुख कार्य निम्न हैं:-

1. शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित "स्किल्स स्ट्रैन्थिनिंग फॉर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एनहैंसमेंट" अर्थात स्ट्राइव परियोजना (विश्व बैंक फण्डिंग) के अन्तर्गत 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों के समन्वय से उच्चीकृत किये जाने हेतु चयनित कराते हुये कार्यों को प्रारम्भ कराया गया है। केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप योजना के अन्तर्गत चयनित 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उच्चीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
2. प्रदेश में 02 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा- साकेत-मेरठ एवं करौंदी-वाराणसी को केन्द्र पुरोनिधानित परियोजना "राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में उच्चीकरण (के070/रा030)" के अन्तर्गत मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में विकसित किये जाने सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।
3. प्रदेश के समस्त जनपदों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार/स्व-रोजगार से जोड़ने तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित "स्किल्स एक्जीबीशन एण्ड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाईवलीनेस (संकल्प) योजना" (के.60/रा.40) को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
4. प्रदेश के 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु धनराशि जारी कर कार्य प्रारम्भ कराया गया है।
5. प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों के निःशुल्क वर्दी/डांगरी तथा पुस्तकें प्रदान करायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता संवंर्धन के उद्देश्य से आई0टी0 लैब तथा स्मार्ट क्लास रूम स्थापित कराकर संचालित किये गये हैं।
6. प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र अलीगंज, लखनऊ में सी0आई0टी0एस0 के अन्तर्गत 02 नये व्यवसायों यथा- कॉस्मेटोलॉजी व कम्प्यूटर एप्लीकेशन में अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान करते हुये प्रशिक्षण प्रारम्भ कराया गया है।
7. प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कुल 25,614 सफल प्रशिक्षार्थियों/अभ्यर्थियों को कैम्पस प्लेसमेंट/रोजगार मेलों (माह अप्रैल, 2020 से 15 फरवरी 2021 तक) के माध्यम से सेवायोजित कराया गया है।
8. शिक्षुता प्रशिक्षण का लाभ अधिकाधिक युवाओं को प्राप्त हो, के दृष्टिगत मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (सी0एम0ए0पी0एस0) को प्रारम्भ किया गया है।
9. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित किये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में वृद्धि लाने के दृष्टिगत भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर के साथ एम0ओ0यू0 कर विभिन्न गुणवत्तापरक कार्यों को प्रारम्भ कराया गया है।
10. उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा कुल 1.62 लाख से अधिक युवाओं को प्रवेश प्रदान कर प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है अथवा कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में (माह

अप्रैल, 2020 से जनवरी 2021 तक) कुल 1.38 लाख से अधिक प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजित कराया जा चुका है।

11. उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश में प्रथम बार आर0पी0एल0 (पूर्व ज्ञान का प्रमाणीकरण) योजना को संचालित कराया गया है। योजना के अन्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के कौशल का उन्नयन व प्रमाणीकरण कराया जा रहा है।
12. प्रदेश के युवाओं को उद्यमी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सी0एम0 युवा उद्यमिता विकास अभियान को प्रारम्भ किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित प्रमुख कार्य

नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन	प्रदेश के असेवित क्षेत्रों में नये निर्माणाधीन 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पी०पी०पी० मॉडल के अन्तर्गत क्रियाशील किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
व्यवसायों का सम्बन्धन	प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एस०सी०वी०टी० में संचालित अवशेष व्यवसायों/एककों का एन०सी०वी०टी० से सम्बन्धन प्राप्त किया जायेगा।
मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणायें	मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की घोषाणा के अन्तर्गत 35 संस्थानों के भवन निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है
प्रगतिमान भवन निर्माण कार्य	समस्त प्रगतिमान भवन निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि को जारी कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
मॉडल आई०टी०आई०	केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान साकेत, मेरठ तथा करौंदी-वाराणसी को मॉडल आई०टी०आई० के रूप में विकसित किये जाने के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य है। साथ ही 04 नये संस्थानों को योजनान्तर्गत स्वीकृत कराये जाने का लक्ष्य है।
सौर ऊर्जा संयंत्र	प्रदेश के 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कराई जायेगी।
राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान को क्रियाशील किया जाना	जनपद सुल्तानपुर में निर्माणाधीन राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान को क्रियाशील कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। नये संस्थान में 04 व्यवसायों में सी०आई०टी०एस० का प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना	मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 50 हजार नये युवाओं को उद्योगों/अधिष्ठानों में प्रशिक्षण/नियोजन प्रदान कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
उ०प्र० कौशल विकास मिशन	उ०प्र० कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार प्रदान कराये जाने का लक्ष्य है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

भूमिका

स्वस्थ नागरिक राष्ट्र की समृद्धि के आधार स्तम्भ होते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23.15 करोड़ है। इसमें हर जाति, वर्ग, सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्रगति का मापदण्ड उस देश अथवा प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की स्थिति से ही जाना जाता है। अपने प्रदेश के नागरिकों को स्वस्थ रखने एवं जीवन स्तर सुधारने हेतु स्वास्थ्य विभाग उत्तम सेवायें प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है। प्रदेश में इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध संसाधनों से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं अधिकाधिक विस्तार कर रहा है। महामारी एवं अन्य घातक बीमारियों पर समय से नियंत्रण पाने के लिये त्वरित एवं सघन प्रयास किये जाते हैं।

प्रदेश के निरोधात्मक, उपचारात्मक एवं संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त रूप से विकास एवं प्रचार करके लोगों को स्वस्थ रखने के लिये अधिकाधिक सफलता प्राप्त की जा रही है। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत रोके जा सकने वाले संचारी रोग से प्रभावित रोगियों की संख्या एवं होने वाली मृत्यु को कम करने में वास्तविक प्रगति हुई है। पूरे प्रदेश एवं देश से चेचक रोग का उन्मूलन हो गया है। पोलियो एवं मलेरिया रोग की रोक-थाम एवं नियंत्रण के लिये सफल एवं सघन प्रयास किये जा रहे हैं। फाईलेरिया एवं मस्तिष्क ज्वर पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा हैं। अन्धपन, क्षयरोग, कुष्ठरोग एवं आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जैसी प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये इन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। प्रदेश में इन रोगों से प्रभावित होने वाले रेगियों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है। बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियाँ टिटनेंस, डिप्थीरिया, काली खाँसी, पोलियो, मिजिल्स, हिपेटाइटिस-बी तथा क्षयरोग जैसे भयानक रोगों से सुरक्षा हेतु व्यापक कार्यक्रम वृहत प्रशिक्षण योजना के रूप में चलाया जा रहा है। गर्भवती माताओं एवं बच्चों को अल्प रक्तता तथा बच्चों को अंधेपन से बचाने हेतु ठोस कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन समस्त सेवाओं के प्रभावी संचालन के कारण नागरिकों की औसत आयु में वृद्धि हुई है और उनका जीवन स्तर सुधरा है। इसके फलस्वरूप जीवन अनुशंसा राष्ट्रीय स्तर पर 27 से बढ़कर 65.5 वर्ष (2011) हो गयी है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रदेश सरकार की विकास नीति ग्रामोन्मुखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के निकट ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सेक्टर योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण

स्वास्थ्य इकाईयों की व्यापक व्यवस्था की गयी है। इस कड़ी में सबसे निचले स्तर पर परिवार कल्याण उप केन्द्र स्थापित है।

108 ई०एम०टी०एस० एम्बुलेंस सेवा

108 एम्बुलेंस सेवा कॉल सेण्टर पर आधारित एम्बुलेंस सेवा है, जिसमें किसी भी आमजन द्वारा टोल फ्री नम्बर पर 108 डायल करके आकस्मि परिस्थितियों में एम्बुलेंस की मांग की जा सकती है। 108 एम्बुलेंस सेवा 24x7 आधार पर 365 दिवस हेतु उपलब्ध रहती है। माह सितम्बर, 2012 में प्रारम्भ की गयी 108 ई0एम0टी0एस0 एम्बुलेंस सेवा के प्रथम चरण में 108 एम्बुलेंस को शहरी क्षेत्र में 20 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में रोगी तक पहुंचने का प्रावधान किया गया था। जुलाई, 2019 से प्रारम्भ हुए द्वितीय चरण हेतु निष्पापदित अनुबंध में उक्त अवधि को शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये घटाकर रोगी तक 108 एम्बुलेंस पहुचने को 15 मिनट में पहुंचाये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। उक्त अवधि में 108 एम्बुलेंस के रोगी तक पहुंचने की व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु 108 एम्बुलेंसों की फ्लीट को 1488 से बढ़ाकर 2200 कर दिया गया हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा को अधिक सुलभ बनाये जाने के उद्देय से उपरोक्तानुसार एम्बुलेंसों की संख्या में वृद्धि के साथ ही प्रतिदिन प्रति एम्बुलेंस संचालित किये जाने वाले ट्रिप्स की संख्या में वृद्धि के साथ ही प्रतिदिन प्रति एम्बुलेंस संचालित किये जाने वाले ट्रिप्स की संख्या में वृद्धि कर इसे 04 ट्रिप्स से बढ़ाकर 05 ट्रिप्स प्रतिदिन कर दिया गया है। 108 एम्बुलेंस सेवा से प्रथम चरण के प्रारम्भ माह सितम्बर, 2012 से समाप्ति माह जून 2019 तक लाभान्वित कुल रोगियों की संख्या-1,25,82,874 (एक करोड़ पच्चीस लाख बयासी हजार आठ सो चौहत्तर) है। 108 एम्बुलेंस सेवा से द्वितीय चरण के प्रारम्भ माह जुलाई, 2019 से माह दिसम्बर, 2020 तक लाभान्वित कुल रोगियों की संख्या-31,48,278 (एकतीस लाख अड़तालिस हजार दो सौ अटठ्हत्तर) है।

ए०एल०एस० एम्बुलेंस सेवा

गम्भीर रोगियों की जीवनरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित परिवहन के लिए आधुनिक जीवनरक्षक प्रणाली से युक्त (एडवांस लाईफ सपोर्ट सिस्टम) 150 एम्बुलेंसों की दिनाक 13-04-2017 से प्रारम्भ किया गया था। उक्त सेवा की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा में 100 अतिरिक्त एम्बुलेंसों को दिनांक 18-02-2019 से सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार उक्त सेवा में वर्तमान में 250 ए0एल0एस0 एम्बुलेंस संचालित हैं, ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा द्वारा माह अप्रैल, 2017 से माह दिसम्बर, 2020 तक 252058 (दो लाख बावन हजार अट्ठावन, मात्र) रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

स्टेट एजेन्सी फॉर कॉम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्ट्रीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज)

स्टेट एजेन्सी फॉर कॉम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्ट्रीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये निम्न योजना का संचालन किया जाना प्रस्तावित है-

आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान

आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत एस0ई0सी0सी0 डाटा 2011

के अन्तर्गत 1.18 करोड़ लाभार्थियों के परिवार को प्रतिवर्ष रु0 5.00 लाख धनराशि तक की फ्लोटर के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश में उक्त डाटाबेस में जो लामार्थी छूट गये हैं, उनकी संख्या लगभग 10.10 लाख है, जिसका निरीक्षण/सत्यापन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया गया है इन लाभार्थियों को आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की भाँति लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिसका वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया वहन किया जायेगा (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजनान्तर्गत अन्य लाभार्थियों यथा- श्रमिकों को भी योजना का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु प्रति लाभार्थी परिवार रु0 1100.00 का व्यय भार अनुमानित है। उपरोक्तानुसार आगणन के फलस्वरूप प्रशासनिक मदों तथा सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य बजट में रु0 29242.00 लाख की बजट व्यवस्था है।

विशिष्ट चिकित्सा व्यवस्था

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 99 रक्तकोष स्थापित हैं। 18 जनपदों में क्षेत्रीय निदान केन्द्र क्रियाशील हैं। उक्त निदान केन्द्रों में विशिष्ट चिकित्सा उपकरण यथा- सी.टी. स्केन तथा आधुनिक एक्स-रे मशीन स्थापित है। पैथोलॉजी लैब भी उन्नति स्तर की है। प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में 58 सी.टी. स्केन मशीन स्थापित हैं। राजधानी में बलरामपुर चिकित्सालय में 100 शैय्याओं का सुपर स्पेशेलिटी विंग की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगियों को विशिष्ठ चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। यू.एच.एम. चिकित्सालय, कानपुर नगर में एम. आर.आई मशीन स्थापित एवं क्रियाशील है। डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चिकित्सालय लखनऊ में कैथ लैब स्थापित है और यहाँ हृदय रोगों का निदान एवं उपचार हो रहा है। प्रदेश के दो राजकीय मानसिक चिकित्सालय क्रमशः बरेली एवं वाराणसी पूर्ण रूपेण कार्य कर रहे हैं। मानसिक चिकित्सालय स्वायत्त पोषित संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

प्रदेश में जे०ई० टीकाकरण की स्थिति

टीकाकरणः-

1. नियमित टीकाकरण अभियान-2020

- जे0ई0 विशेष टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत छूटे हुए 01 वर्ष से 15 वर्ष आयुवर्ग का टीकाकरण
- लक्ष्य 1081228 के सापेक्ष 1136916 (105.05 प्रतिशत) बच्चों को जे0ई0 वैक्सीन से आच्छादित किया गया।

उत्तर प्रदेश कोविड-19 24 घण्टे समरी रिपोर्ट दिनांक 09 फरवरी, 2021 तक कुल पुष्ट रोगियों की संख्या -601562 एवं कुल उपचारित रोगियों की संख्या-589565 है।

वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण

शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी

001- (निदेशन तथा प्रशासन)

03-निर्देशन

(रुपये लाख में)

वास्तविक आंकड़े	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
2019-2020	**2020-2021**	**2021-2022**
5185.26	5137.09	6925.88

निर्दशन योजना मुख्यतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा मण्डलीय अपर निदेशक के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के व्यय-भार की व्यवस्था हेतु आय-व्ययक में बजट व्यवस्था की जाती है। प्रदेश के समस्त चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन, मार्गदर्शन, नियन्त्रण एवं निदेशन, महानिदेशालय के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों के चिकित्सा अधिकारियों, जिला स्तर के अधिकारियों, नर्सिंग तथा लिपिक वर्ग एवं प्राविधिक स्टाफ आदि का सम्पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण, वित्तीय व्यवस्था, केन्द्रीय स्तर पर औषधियों का क्रय एवं आपूर्ति व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राजकीय भवनों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के समन्वय से एवं विभाग के वाहनों की मरम्मत, राजकीय चिकित्सालयों के विद्युत, इलेक्ट्रानिक, यांत्रिक उपकरणों की देखभाल तथा मरम्मत आदि कार्यों का नियंत्रण महानिदेशालय स्तर पर किया जाता है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एन०डी०ई०पी०) की रणनीति

क्षय उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार के अर्थिक सहयोग एवं मार्ग दर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0 को कार्यक्रम के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला क्षय रोग अधिकारी को विभिन्न मदों आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

1. वित्तीय वर्ष 2020 (1 जनवरी 20 से 31 दिसम्बर 2020 तक) टी0बी0 मोटीफिकेशन सरकारी क्षेत्र में 239779 पंजीकृत क्षय रोगी एवं निजी क्षेत्र में 120295 पंजीकृत क्षय रोगी कुल 360074 क्षय रोगी निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत किये गये।
2. भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07 मई 2012 के अनुरूप सरकारी एवं निजी क्षेत्र में जाँच/निदान एवं उपचार प्राप्त कर रहे समस्त क्षय रोगियों के आंकड़े एवं समस्त/निजी चिकित्सा ईकाईयों का पंजीकरण निःक्षय साफ्टवेयर में शत् प्रतिशत अंकन सुनिश्चित कराया जाना है।
3. कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकृत अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण जनपद आगरा, वाराणसी, बरेली एवं लखनऊ में स्थापित क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण

कार्यकम प्रबन्धन ईकाई (आर0टी0पी0एम0यू0) के माध्यम से किया जा रहा है तथा नई आर0टी0पी0एम0यू0 गोरखपुर की स्थापना/क्रियाशील की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4. प्रदेश के चार स्टेट ड्रग स्टोर आगरा, लखनऊ, बरेली तथा वाराणसी से प्रदेश के समस्त जनपदों को आंवटित औषधियों को जनपदीय ड्रग स्टोर के माध्यम से समस्त क्षय रोगियों को उपलब्ध करायी जाती है।
5. एम0डी0आर0 क्षय रोगियों की त्वरित जाँच एवं निदान हेतु वर्तमान में प्रदेश के 75 जनपदों में 145 सी0बी0 नॉट लैब स्थापित एवं क्रियाशील हैं, जिससे एम0डी0आर0 टी0बी0 की जाँच मात्र 2 घन्टे में उपलब्ध हो जाती है।
6. स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु "उत्कृष्टता के केन्द्र" के रूप में विकसित किया जा रहा है।
7. इस कार्यक्रम में क्षय रोगियों का उपचार डॉटस पद्धति से किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा अपने सामने औषधियाँ खिलायी जाती हैं। अनियमित क्षय रोगियों को पर्यवेक्षकीय स्टाफ एवं ट्रीटमेंट सपोर्टर द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे उपचार समय से निरन्तर लेते रहें।
8. प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों, ई0एस0आई0 डिस्पेन्सरीज, रेलवे अस्पताल, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं निजी चिकित्सकों का सहयोग टी0बी0 नोटीफिकेशन में लिया जा रहा है।
9. कार्यक्रम की गुणवत्ता हेतु ई0क्यू0ए0 हेतु प्रदेश में दो आई0आर0एल0 लैब (एस0टी0डी0सी0 आगरा एवं मेडिकल क़ालेज लखनऊ) की स्थापना की गयी है। कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब गोरखपुर एवं मेरठ में स्थापित एवं क्रियाशील करायी गयी है तथा दोनों लैब को उच्चीकरण आई0आर0एल0 बनाने की कार्यवाही मानव संसाधन उपलब्धतानुसार करायी जायेगी।
10. सम्भावित क्षय रोगियों का सभी स्वास्थ्य केन्द्रों/निजी चिकित्सकों से माइक्रोस्कोपी सेन्टरों/सी0बी0 नॉट पर बलगम परीक्षण हेतु संदर्भन किया जाता है।
11. आयुष चिकित्सकों की कार्यक्रम में सहभागिता तथा उनका कार्यक्रम सम्बन्धी संवेदीकरण।
12. सभी निजी चिकित्सकों का इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन की सहभागिता से कार्यक्रम में संवेदीकरण एवं आई0एम0ए0 को पूर्ण सहयोग।
13. महानगरों की मलिन बस्तियों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों, ट्रीटमेंट सपोर्टर एवं डी0एम0सी0 का एन0यू0एच0एम0 के सहयोग से स्थापित।
14. राज्य एवं जनपद स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यक्रम मानक तथा पर्यवेक्षण की गहन समीक्षा।
15. एन0टी0ई0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही।
16. प्रदेश में टी0बी0-एच0आई0वी0 कोआडिनेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0सी0टी0सी0 से सम्भावित क्षय रोगियों को जांच हेतु टी0बी0 कार्यक्रम में एवं सभी टी0बी0 रोगियों को आई0सी0टी0सी0 में सलाह लेने के उद्देश्य से इन्टेन्सीफाइड टी0बी0-एच0आई0वी0 पैकेज

लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत, समस्त टी0बी0 मरीजों का एच0आई0वी0 जाँच एवं एच. आई0वी0 पॉजटिव (टी0बी0 सस्पेक्ट) रोगियों की क्षय रोग हेतु बलगम जाँच की जा रही

17. प्रचार एवं प्रसार मद की ए0सी0एस0एम0 स्कीम के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार समस्त सरकारी एवं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों एवं छात्रों को क्षय रोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उदेद्श्य से समस्त जिला क्षय रोग अधिकारियों को ब्लाकवार गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर गतिविधियाँ संचालित कराने हेतु निर्देशित किया गया है जिससे समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में क्षय रोग के प्रति संवेदीकरण किया जा सके।

●

आयुष

भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना प्रदेश के संकल्पों में से एक है। इस उददेश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा आयुष चिकित्सा विभाग स्थापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विधा के मूल सिद्धातों के आधार पर रोगियों को रोग मुक्त करने में सहयोग देती हैं।

आयुष चिकित्सा बेहतर, सस्ती, रोगों को समूल नष्ट करने वाली त्वरित प्रभावकारी एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाली चिकित्सा पद्धति होने के कारण आम जनता विशेष कर ग्रामीण जनता जिनमें अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनता जिसकी व्यय वहन क्षमता अत्यन्त न्यून है, में बेहद उपयोगी होने के फलस्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्बाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जन मानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति के अन्तर्गत प्रदेश में 2358 राजकीय चिकित्सालय एवं 08 आयुर्वेदिक एवं 02 यूनानी कालेज संचालित हैं।

होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत प्रदेश के 121 शहरी तथा 1463 ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1584 राजकीय चिकित्सालय संचालित हैं तथा प्रदेश में 9 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज संचालित हैं।

प्रदेश में आयुष विधाओं को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसायटी का गठन किया गया है। जिसके दिशा-निर्देशन में उक्त मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। मिशन की गाइड लाइन के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्रमुख रूप से औषधियों की उपलब्धता, राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण, योग प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों को संचालित करने का लक्ष्य है।

प्रदेश में संचालित राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रदेश में एक रूपता तथा योग एवं नेचुरोपैथी में उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में जनपद-गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतिः- गतिविधियाँ एवं क्रिया-कलाप

भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक, स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा आयुर्वेदिक

एवं यूनानी पद्धतियों के सर्वांगीण विकास के लिये गत वर्षों में अनेकानेक महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही हैं, जिसका सुखद परिणाम है कि वर्तमान में इन विधाओं का एक समेकित समन्वित तथा सुगठित तंत्र प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में विकसित हो सका है।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद/यूनानी) के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संक्षेपतः निम्न 3 आयाम हैं।

1. चिकित्सकीय क्रियाकलाप
2. औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियन्त्रण
3. शिक्षा एवं प्रशिक्षण

1. चिकित्सकीय क्रिया-कलाप

नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् सम्प्रति उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के कुल 2358 चिकित्सालय हैं। इन चिकित्सालयों में कुल 10597 शैय्याएं रोगियों की चिकित्सा हेतु उपलब्ध हैं एवं प्रतिवर्ष लगभग 2.54 करोड़ रोगियों को आयुर्वेदिक/ यूनानी पद्धति से इन शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

2. औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

प्रदेश के सभी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की दृष्टि से वर्तमान में लखनऊ एवं पीलीभीत में राजकीय औषधि निर्माणशाला कार्यरत है। प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए वर्ष 1977-78 से ड्रग एक्ट लागू कर दिया गया है। प्रदेश में लखनऊ में एक ड्रग टेस्टिंग लैब भी है जो प्रदेश में उपयोग में लाई जा रही औषधियों के संघटन, गुण-दोष आदि का निर्धारण कर गुणवत्ता नियंत्रण में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है।

3. शिक्षा तथा प्रशिक्षण

प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के निष्णात् स्नातकों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से लखनऊ, पीलीभीत, झाँसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, अतर्रा-बांदा, हंडिया-प्रयागराज तथा वाराणसी में 8 राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों एवं लखनऊ तथा प्रयागराज में 2 राजकीय यूनानी कालेजों के माध्यम से कुल 563 आयुर्वेदिक तथा 150 यूनानी स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिये वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नीट परीक्षा की पात्रता सूची से प्रवेश दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व सी.पी.एम.टी. के माध्यम से प्रवेश दिया जाता रहा है। †

आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में प्रवेश क्षमता एवं कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में शैय्याओं का विवरणः-

क्र.सं.	कालेज का नाम	प्रवेश क्षमता	कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या
1.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ	75	220
2.	ललित हरि रा० आयु० कालेज, पीलीभीत	63	100
3.	बुन्देलखण्ड रा० आयु० कालेज, झाँसी	50	100
4.	एस०आर०एम० राजकीय आयु० कालेज, बरेली	75	100
5.	एस०के०डी० राज० आयु० कालेज, मुजफ्फरनगर	75	100
6.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा-बाँदा	75	100
7.	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हण्डिया-प्रयागराज	75	100
8.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी	75	110
9.	राजकीय युनानी मेडिकल कालेज, प्रयागराज	75	100
10.	राजकीय तकमिल-उत-तिब कालेज, लखनऊ	75	100
	योग	**713**	**1130**

4. आयुर्वेदिक, यूनानी तथा तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश

यह संस्था प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे वैद्यों/हकीमों के पंजीकरण की एकमात्र संस्था है, जो उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 के प्रावधानों के अधीन इनके पंजीकरण का कार्य करती है।

आयुर्वेद विभाग

वित्तीय वर्ष 2020-2021 की उपलब्धि (कार्यक्रम)

उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने हेतु सतत् जागरूक एवं प्रयासरत है एवं इसी दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति को विकसित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेख है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2104 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय हैं।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में दो राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत में कार्यरत हैं जिनको सुदृढ़ करते हुए इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

1. आयुष मिशन के अतर्गत रु0 20500.00 लाख की धनराशि का कुल प्रावधान है। इस धनराशि से आयुष मिशन के अन्तर्गत संचालित अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ आयुष्मान भारत

कार्यक्रम के अन्तर्गत 268 राज़कीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को हैल्थ वैलनेस केन्द्र के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है।

2. राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में सी0सी0आई0एम0 के मानकों के अनुसार अधूरे भवन निर्माण हेतु रु0 2000.00 लाख प्राविधानित धनराशि से राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ, अतर्रा-बाँदा एवं मुजफ्फरनगर में छात्रावास, भवनो के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
3. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध की उन्नति केन्द्र की स्थापना हेतु धनराशि रु0 42.18 लाख की कार्ययोजना बनायी गयी है।
4. प्रदेश के 08 राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों में शोध कार्यों के विकास हेतु इनोवेशन सेन्टर्स में साक्ष्य आधारित शोध कार्यों हेतु रु0 10.00 लाख उपलब्ध कराया गया है।
5. प्रदेश के गोरखपुर जनपद में रु0 29987.00 लाख की लागत से बनने वाले उ0प्र0 राज्य आयुष विश्वविद्यालय हेतु रु0 2000.00 व्यय किये जाने का लक्ष्य है।
6. प्रदेश में आयुष विभाग द्वारा अनुदानित योजनाओं के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश आयुष मिशन विभाग की स्थापना की गई है जिससे आयुष के अंतर्गत प्रदेश में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

यूनानी विभाग

वित्तीय वर्ष **2020-21** की उपलब्धि (कार्यक्रम)

1. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय प्रयागराज को सी0सी0आई0एम0 नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 561.58 लाख की व्यवस्था की गयी है जिससे चालू निर्माण कार्य को पूर्ण करने की प्रक्रिया गतिमान है।
2. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की स्थापना हेतु धनराशि रु0 20.00 लाख की व्यवस्था की गयी है जिससे राजकीय यूनानी चिकित्सालयों तथा महाविद्यालयों में आधुनिक उपकरणों व मशीनों की स्थापना की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
3. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ के अन्तर्गत प्रयोगशाला भवन के चालू निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु धनराशि रु0 86.06 लाख उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।
4. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में आधुनिक मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की स्थापना का कार्य धनराशि रु0 2.00 लाख की व्यवस्था कर कराया जा रहा है।
5. शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवाल के चालू निर्माण कार्य हेतु रु0 55.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के जर्जर भवनों का निर्माण/ बाउन्ड्रीवाल

निर्माण कार्य कराया जा रहा है, इस कार्य हेतु धनराशि रु0 35.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

7. राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में ऑडिटोरियम में फर्नीचर की स्थापना हेतु धनराशि रु0 38.73 लाख की व्यवस्था की गयी है।
8. राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं प्रयागराज में जन सामान्य को गठिया से लाभ प्रदान करने हेतु गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना हेतु रु0 25. 68 लाख की व्यवस्था की गयी है।
9. प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत यूनानी विधा हेतु रु0 1500.00 लाख मात्र की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे आयुष मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

(रु० लाख में)

वास्तविक व्यय वर्ष **2019-2020**	आय-व्ययक अनुमान वर्ष **2020-2021**	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष **2020-2021**	आय-व्ययक अनुमान वर्ष **2021-2022**
22941.91	39379.87	28726.19	34404.01

प्रदेश में निम्नलिखित 8 आयुर्वेदिक एवं 2 यूनानी कालेज हैं, जो विभिन्न चिकित्सालयों से सम्बद्ध हैं।

होम्योपैथी विभाग, उत्तर प्रदेश

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु होम्योपैथिक निदेशालय वर्ष 1981 से एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है। होम्योपैथिक चिकित्सा विधा "समः समे समयति" के मूल सिद्धान्त के आधार पर रोगियों को रोगमुक्त करने में सहयोग देती है। प्रदेश की जनता को बेहतर, सस्ती, रोगों को समूल नष्ट करने वाली त्वरित प्रभावकारी एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाली चिकित्सा पद्धति होने के कारण आम जनता विशेष कर ग्रामीण जनता जिनमें अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनता जिसकी व्यय-वहन क्षमता अत्यन्त न्यून है, में बेहद उपयोगी होने के फलस्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्वाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जन मानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संक्षणतः निम्न तीन आयाम हैं-

1. होम्योपैथिक निदेशालय।
2. होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा।
3. होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा।

1. होम्योपैथिक निदेशालय

विभागीय कार्यों के निर्देशन-पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु निदेशालय स्तर पर 01 निदेशक, 01 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, 02-अपर निदेशक, 04 संयुक्त निदेशक, 04-उप निदेशक, 02-प्रशासनिक अधिकारी, 01-सहायक लेखाधिकारी, 01-अपर सांख्यकीय अधिकारी तथा 24 तृतीय श्रेणी व 08 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं।

2. होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा

वर्ष 1981 में पृथक होम्योपैथी विभाग की स्थापना के समय विद्यमान मात्र 329 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के सापेक्ष वर्तमान में यह संख्या 1584 है। उक्त चिकित्सालयों में 121 चिकित्सालय शहरी क्षेत्रो में तथा शेष 1463 चिकित्सालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।

अतः विभाग द्वारा ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का हर सम्भव सफल प्रयास किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्वाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जन मानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि वर्ष 1983-84 में इस पद्धति द्वारा सेवित रोगियों की संख्या मात्र 18.20 लाख थी जो वर्षानुवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त में 256.17 लाख हो चुकी है, जो लगभग 14 गुना से अधिक वृद्धि है। विगत पाँच वर्षों में होम्योपैथिक विधा द्वारा सेवित रोगियों की संख्या का विवरण निम्न तालिका के अनुसार हैः-

वर्ष	सेवित रोगियों की संख्या
2014-15	304.26 लाख
2015-16	261.16 लाख
2016-17	256.97 लाख
2017-18	263.78 लाख
2018-19	264.64 लाख
2019-20	256.17 लाख

3. होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा

वर्तमान में प्रदेश में कुल 09 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय जो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, गाजीपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं गोरखपुर जनपदों में स्थापित/ कार्यरत हैं। इन सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी0एच0एम0एस0 डिग्री पाठ्यक्रम संचालित है जिसमे कुल प्रवेश क्षमता 976 छात्र प्रति वर्ष है। प्रथम वर्ष में प्रवेश नीट मेरिट के आधार पर किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद

इस संस्था के माध्यम से प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सकों तथा फार्मासिस्टों का पंजीकरण किया जाता है। परिषद के द्वारा डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स की मान्यता व उसका संचालन किया जाता है।

विभाग के प्रमुख उद्देश्य

1. होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।
2. गुणवत्तापरक होम्योपैथिक औषधियाँ उपलब्ध कराया जाना।
3. होम्योपैथिक कालेजों मे अपेक्षित अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराते हुए शिक्षण कार्यों को प्रोत्साहन देना।
4. गम्भीर व संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता बचाव एवं चिकित्सा उपचार।
5. शिशु मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर को होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से कम करना।
6. स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना।
7. जन साधारण विशेषकर निर्धन वर्ग व संवेदनशील वर्ग को गुणवत्ता कारक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।
8. आयुष मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति।

वर्तमान होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का उन्नयन (पी०जी० पाठ्यक्रम संचालित किया जाना)

प्रदेश में स्थापित 09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में केवल 03 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों यथा लखनऊ, कानपुर एंव प्रयागराज में स्नातक पाठयक्रम ही संचालित है। होम्योपैथिक के विकास एवं शिक्षा के स्तर में गुणात्मक वृद्धि कों दृष्टिगत रखते हुए सभी कालेजों में परास्नातक विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने का लक्ष्य है।

होम्योपैथिक औषधि परीक्षणशाला की स्थापना

प्रदेश में होम्योपैथिक औषधियों की गुणवत्ता आदि की जाँच हेतु कोई औषधि परीक्षणशाला नहीं है। अतः राजकीय औषधि परीक्षणशाला स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में पूर्व राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के छात्रावास भवन में परिवर्तन / परिवर्धन करके भवन की व्यवस्था कर ली गयी है, आवश्यक पदों आदि के सृजन हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

आयुष मिशन के अन्तर्गत होम्योपैथिक विधा का सुदृढ़ीकरण-

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसायटी का गठन किया गया है। जिसके दिशा-निर्देशन में उक्त मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। मिशन की गाइड लाइन के अनुसार विभिन्न योजनाओं हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु0 40.00 करोड़ की बजट व्यवस्था उपलब्ध है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये भी होम्योपैथिक विभाग हेतु रु0 40.00 करोड़ की बजट व्यवस्था कर ली गयी है जिसमें मिशन की विभिन्न योजनाओं के साथ ही प्रमुख रूप से प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषधियों की उपलब्धता, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को सुदृढ़ कराये जाने का प्रस्ताव है।

●

परिवार कल्याण

जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पूरे देश में वर्ष 1955 से प्रारम्भ किया गया था। प्रदेश में इसका शुभारम्भ वर्ष 1957 में हुआ। चूंकि उस समय प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तत्समय स्थापित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय से चलाई जाती थी, अतः केन्द्र सरकार का शत् प्रतिशत पोषित यह कार्यक्रम उसी निदेशालय से संचालित किया गया। शनैः-शनैः कार्यक्रम का विस्तार हुआ, अतः: उसके सुचारु संचालन के लिए स्वास्थ्य निदेशालय में एक पृथक "राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो" की स्थापना वर्ष 1965 में की गई, जिसका शीर्षस्थ नियंत्रक अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी होता था। वर्ष 1977 में परिवार नियोजन का नाम बदल कर परिवार कल्याण कर दिया गया है। प्रदेश में कार्यक्रम के विस्तार के साथ ब्यूरो को वर्ष 1986 में परिवार कल्याण निदेशालय तथा वर्ष 1995 में अलग "परिवार कल्याण महानिदेशालय" के रूप में उच्चीकृत किया गया और उसके अनुरूप प्रभारी के पद को भी उच्चीकृत किया गया। वर्तमान में परिवार कल्याण महानिदेशालय प्रथक नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम अधिकारी है।

परिवार कल्याण महानिदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को भारत सरकार के समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अधीन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, समीक्षा तथा मूल्यांकन करना और परिवार कल्याण की सेवाओं के विस्तार के लिए अभिनव परियोजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करना है।

कार्यक्रम

परिवार कल्याण महानिदेशालय के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैं :-

1. माताओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं

इसके अन्तर्गत गर्भवती माताओं का पंजीकरण, टेटनेस से बचाव के दो टीके, रक्त अल्पता से बचाव एवं उपचार हेतु आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियों का वित्तरण, प्रसव पूर्व परीक्षण, जटिल प्रसवों का चिन्हीकरण, सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, आपातकालीन प्रसवों का सन्दर्भन एवं उनकी व्यवस्था, प्रसवोत्तर देखभाल तथा दो बच्चों के बीच समयान्तर हेतु गर्भ निरोधकों आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

2. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश) :-

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी0बी0, गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हैपेटाइटिस-बी, निमोनिया, जे0ई0, खसरा एवं डायरिया) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।
- एच0एम0आई0एस0 डाटा के अनुसार वर्ष 2019-20 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों के वार्षिक लक्ष्य 5799996 के सापेक्ष 5433763 (94%) बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- वर्ष 2020-21 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत माह नवम्बर, 2020 तक 79% है।
- प्रदेश के 38 जनपदों (गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सन्तकबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर, खीरी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, गोण्डा, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, बरेली, शाहजहाँपुर, मुज़फ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कानपुर देहात एवं पीलीभीत) में जे0ई0 से बचाव हेतु जे0ई0 विशेष टीकाकरण अभियान 1 मार्च 2020 से चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 1136916 (105%) बच्चों का टीकाकरण किया गया।
- प्रदेश के 73 जनपदों (गोरखपुर एवं महोबा को छोड़कर) के 425 ब्लॉकों में सघन मिशन इन्द्रधनुष 2.0 अभियान चार चरणों में (02 दिसम्बर, 2019, 06 जनवरी 2020, 03 फरवरी 2020 एवं 02 मार्च 2020) मे चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 2087223 (116%) बच्चों का टीकाकरण किया गया। साथ ही कुल 421970(115%) गर्भवती माताओं को टी0डी0 टीकाकरण से आच्छादित किया गया।
- पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत पोलियो विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश में एन0आई0डी0 (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) तथा एस0एन0आई0डी0 (सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) चक्र चलाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 19 जनवरी, 2020 को पल्स पोलियो एन0आई0डी0 अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 3,34,60,862 बच्चों को पोलियो ड्राप पिलायी गयी।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अन्तर्गत बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढाने हेतु वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत माह अगस्त, 2020 में 21088761 बच्चों को विटामिन-'ए' की खुराक से आच्छादित किया गया। बाल स्वास्थ्य पोषण माह का द्वितीय चरण 14 दिसम्बर, 2020 से चलाया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पी0सी0वी0 टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके अर्न्तगत पी0सी0वी0 की तीन डोज (प्रथम डोज 6 सप्ताह, द्वितीय डोज 14 सप्ताह एवं बूस्टर डोज 09 माह पर) से निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।

- प्रदेश में वैक्सीन एवं सिरिन्जेस के वितरण हेतु 09 राज्य स्तरीय वैक्सीन भण्डारण केन्द्र, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी एवं बरेली) बनाये गये हैं। उक्त सभी राज्य स्तरीय स्टोर से मण्डलीय वैक्सीन स्टोर (अलीगढ़, आजमगढ, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, प्रयागराज, मिर्जापुर, सहारनपुर एवं मुरादाबाद) पर वैक्सीन का वितरण है तथा मण्डलो से जनपद स्तरीय स्टोर को वैक्सीन वितरण किया जाता है।
- प्रदेश में 1298 कोल्ड चेन प्वाइन्ट स्थापित हैं, उन सभी कोल्ड चेन प्वाइन्ट से वैक्सीन का वितरण किया जाता है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों मे वी0पी0डी0 (वैक्सीन प्रिवेन्टेविल डिजीज) सर्विलेन्स माह सितम्बर 2016 वीक नं0 38 से चलाया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों मे एम0आर0 केस आधारित सर्विलेन्स माह जुलाई, 2019 वीक नं0 30 से चलाया जा रहा है।
- प्रदेश में दिनांक 16 जनवरी, 2021 से कोविड-19 टीकाकरण का शुभारम्भ मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर, द्वितीय चरण में फ्रंटलाइन वर्कर एवं तृतीय चरण में 50 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाना है।

मिशन परिवार विकास

24 अप्रैल 2017 से प्रदेश के 57 जनपदों में मिशन परिवार विकास योजना लागू की गयी है, जिसमें नवीन गर्भ निरोधक इन्जेक्सन(अन्तरा) एवं साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली (छाया) के समावेश के साथ बढ़ी हुई दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना एवं नवविवाहितों को नयी पहल किट का वितरण किया जाना तथा उपकेन्द्र स्तर पर सास बहू सम्मेलन आयोजित किया जाना सम्मिलित है।

गर्भ निरोधक सेवाएं

इसके अन्तर्गत दो बच्चों में अन्तर बनाये रखने हेतु अस्थाई गर्भ निरोधकों, जैसे- ओरलपिल्स, निरोध तथा कॉपर-टी और परिवार नियोजन की स्थाई विधि महिला तथा पुरुष नसबन्दी की सेवाएं दी जा रही हैं। महिला नसबन्दी की नयी लैप्रोस्कोपिक विधि प्रदेश में बहुत प्रचलित है। अब पुरुष नसबन्दी की भी नयी विधि "नो स्केलपल वैसेक्टामी" का विस्तार किया जा रहा है। नसबन्दी के उपरान्त बच्चों की मृत्यु हो जाने पर महिला तथा पुरुष नस जोड़ने की सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करायी ज़ाती हैं। अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने हेतु सुरक्षित गर्भसमापन की निःशुल्क सेवाएं भी सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त नियत दिवस पर नसबन्दी, कॉपर-टी की सेवायें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रसव के पश्चात् लूप निवेशन की सेवायें भी प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम् 1994

प्रदेश में लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 लागू है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजनाः-

नसबन्दी के उपरान्त होने वाली मृत्यु, जटिलताओं एवं असफल नसबन्दी के मुआवजे हेतु परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत व्यवस्था है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मिशन के उददेश्य

मिशन का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों (शहरी एवं ग्रामीण) विशेषतः निर्धन वर्ग तथा समाज का वह संवेदनशील वर्ग, जो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, उसे सुलभ तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। मिशन के उद्देश्यों में से मुख्यतया गर्भावस्था तथा प्रसवोपरान्त माताओं की मृत्यु की संख्या को घटाना तथा शिशुओं की जन्म से 1 वर्ष की आयु तक होने वाली मृत्यु को कम करना। हर बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना तथा किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। साथ ही परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त माताओं, बच्चों व किशोरों में कुपोषण के स्तर में सुधार लाना। साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी उद्देश्य मिशन के अंतर्गत निहित है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मुख्यतः निम्न योजनायें संचालित हैं :-

1. जननी सुरक्षा योजना, 2. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, 3. शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, 4. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, 5. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, 6. परिवार नियोजन कार्यक्रम, 7. नियमित टीकाकरण, 8. एम्बुलेन्स सेवाएं, 9. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम।

10. राष्ट्रीय कार्यक्रम (कम्युनिकेबिल डिजीज प्रोग्राम्स):-
    - पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम,
    - राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम,
    - राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न रोग (मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू तथा कालाजार) की रोकथाम,
    - जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग की रोकथाम एव नियंत्रण,
    - आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम।

11. राष्ट्रीय कार्यक्रम (नॉन कम्युनिकेबिल डिजीज प्रोग्राम्स):-
    - राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम,
    - कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवस्कुलर डिजीजेज एवं स्ट्रोक का नियंत्रण एवं रोकथाम,
    - वृद्धावस्था स्वास्थ्य उपचार,
    - राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण एवं रोकथाम,
    - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम,
    - राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,

- राष्ट्रीय ओरल स्वास्थ्य कार्यक्रम,
- आयोडीन न्यूनता कार्यक्रम।

मिशन के लक्ष्य

- मिशन के आरम्भ में प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 547 प्रति लाख जीवित जन्म थी, वर्तमान में प्रदेश की मातृ मृत्यु दर एस0आर0एस0 सर्वे रिपोर्ट 2015-17 के अनुसार 216 प्रति लाख एवं 2016-18 के अनुसार 197 प्रति लाख जीवित जन्म है, जिसे वर्ष 2020-21 तक 150 प्रति लाख जीवित जन्म लाने का लक्ष्य है। जननी सुरक्षा योजना के कारण संस्थागत प्रसवों में अच्छी बढोत्तरी हुई है, जिसके फलस्वरूप मातृ मृत्यु दर घटी है।
- प्रदेश के शिशु मृत्यु दर की वर्तमान स्थिति एस0आर0एस0 सर्वे रिपोर्ट 2018 के अनुसार 43 प्रति हजार जीवित जन्म है। वर्ष 2013 में शिशु मृत्यु दर 50 प्रति हजार जीवित जन्म थी, जिसमें शिशु स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के सफल संचालन के परिणाम स्वरूप चार वर्षों में 7 प्वाइंट की गिरावट आई है। वर्ष 2021 तक शिश मृत्यु दर 39 प्रति हजार जीवित जन्म का लक्ष्य है।
- सकल प्रजनन दर में कमी लाना प्रदेश के लिये एक चुनौती हैं। वर्तमान में एम0एफ0एच0एस0-4 सर्वे रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार सकल प्रजनन दर 2.7 है, जिसे वर्ष 2025 तक 2.1 लाने का लक्ष्य है।
- एन0एफ0एच0एस0-4 (वर्ष 2015-16) के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षीकृत बच्चों का प्रतिशत 51.1 है। वर्ष 2019-20 में डब्लू0एच0ओ0 की अनुश्रवण की रिपोर्ट के अनुसार 82 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 में डब्लू0एच0ओ0 की अनुश्रवण की रिपोर्ट के अनुसार माह नवम्बर 2020 तक 86.3 प्रतिशत है। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में एच0एम0आई0एस0 रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 93.51 था। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 79.17 रहा।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

वर्ष 2011 की जनसंख्या सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,95,81,477 है जिसमें से 4,44,95,063 की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। प्रदेश के समस्त जनपदो में नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है तथा नगरीय क्षेत्रों के विकास के साथ काफी संख्या में अर्ध विकसित मलिन बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थापित अर्ध विकसित मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य की मूलभूत सेवायें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापरक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 07 अक्दूबर 2013 द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त शहरों एवं कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया गया है तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के

अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 50,000 से अधिक आबादी वाले जिला मुख्यालय/शहर/कस्बे को सम्मिलित करते हुए कुल 131 शहरी क्षेत्रों हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को एन0एच0एम0 की पी0आई0पी0 में सम्मिलित कर प्रेषित की गयी, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 131 शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापरक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कूल 593 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 11 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जननी सुरक्षा योजना

- जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005 से प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1400/- व शहरी क्षेत्र में रु0 1000/- एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रु0 500/- सहायता राशि के रूप में दिये जाते हैं।
- आशा कार्यकत्री पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती हैं तो आशा को इस कार्य हतु ग्रामीण क्षेत्र में कुल रु0 600/- एवं शहरी क्षेत्र में कुल रु0 400/- दिये जाते हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में 22 अगस्त 2011 से लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टीड कैशलेस डिलिवरी सेवा प्रदान करना है।

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

- एस0आर0एस0 सर्वे के अनुसार 2011-13 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 285 प्रति 1 लाख जीवित जन्म था। वर्ष 2016-18 की एस0आर0एस0 सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 197 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गया है। †
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2030 तक इसे 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" प्रत्येक माह की 09 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना और उन्हे सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

यह योजना दिनांक 01.01.2017 से लागू की गई है। उक्त योजना शासन के निर्देशानुसार सिफ्सा द्वारा संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दिनांक 06 सितम्बर,

2017 से आच्छादित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिये तीन किस्तो में निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी-

1. गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करने पर प्रथम किस्त - रु0 1000/-
2. कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच (गर्भावस्था के 6 माह के बाद) द्वितीय किस्त रु0 2000/-
3. बच्चे के जन्म का पंजीकरण, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तृतीय किस्त - रु0 2000/-

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ बाल्यावस्था से ही पड़ती है। अतः बच्चों की मृत्युदर में कमी लाने, उनके बेहतर जीवन एवं समग्र विकास के लिए जन्म से 19 वर्ष तक के बच्चों हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 डी0-बर्थ डिफेक्ट्स, डिफीसिएन्सी, डिजीजेज एण्ड डेवलेपमेन्ट-डीले लीडिंग टू डिसएबिलिटी को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं संदर्भन सुनिश्चित किया जाना है। कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, जो वर्ष में दो बार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा एक बार सरकारी, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में जा रही है तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। इन टीमों द्वारा बच्चों की लम्बाई, वजन की जाँच, नजर की जाँच तथा स्वास्थ्य परीक्षण आदि किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपचार हेतु संदर्भित किया जाता है। टीमों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धी परामर्श भी दिया जाता है।

कार्यक्रम का और विस्तार करते हुए प्रसव इकाईयों पर तैनात चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को जन्म के तुरन्त बाद चिन्हित किये जा सकने वाले जन्मजात दोषों की पहचान के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। नवजात की घरेलू देखभाल करने वाली आशा तथा ग्राम्य स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मी महिला (ए0एन0एम0) को भी छोटे बच्चों में होने वाले रोगों तथा जन्मजात दोषों को पहचानने तथा संदर्भन हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।

आगामी रणनीति

- चिन्हित बीमार बच्चों के संदर्भन एवं समुचित उपचार हेतु चरणवार ढंग से जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टर्वेन्शन सेन्टर स्थापित किये जाने की योजना है, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ, दन्त रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट आदि उपलब्ध रहेंगे, जो नवजात शिशु में जन्मजात दोष का समय रहते उपचार सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।
- जनपद अलीगढ़, लखनऊ, गाजियाबाद एवं जी0बी0 नगर में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टर्वेनशन सेन्टर को स्थापित किया गया है, जो क्रियाशील हैं तथा जिला महिला चिकित्सालय अलीगढ़, एवं जनपद मुरादाबाद की डिस्ट्रिक्ट अली इन्टर्वेंशन सेन्टर प्रक्रियाधीन है।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 सर्जिकल चिन्हित बीमारियों जो केवल मेडिकल कालेजों में सम्भव है के निःशुल्क उपचार हेतु प्रदेश के 7 सरकारी मेडिकल कालेजों

(लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, एवं गोरखपुर) एवं दो चिकित्सा संस्थानों (एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ एवं आर0आई0एम0एस0 सैफेई इटावा) में निःशुल्क उपचार हेतु व्यवस्था की गयी है।

- समस्त मण्डलों के 19 केन्द्रों पर सहयोगी संस्था स्माइल ट्रेन के माध्यम से बच्चो में क्लेफ्ट लिप/क्लेफ्ट पैलेट की शल्य क्रिया करायी जा रही है।
- क्लब फुट के बच्चों के प्रबन्धन हेतु 34 जिला स्तरीय चिकित्सालय में सहयोगी संस्था मिरेकल फीट के माध्यम से क्लीनिक स्थापित कर बच्चों को आवश्यकतानुसार काष्ट एवं ब्रेसेस उपलब्ध कराये जाते हैं।
- क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सीतापुर द्वारा जन्मजात मोतियाबिन्द का उपचार किया जाता है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

किशोर आयु वर्ग (10-19 वर्ष) कुल आबादी का पाँचवां हिस्सा तथा युवा (10 से 24 वर्ष) एक तिहाई हिस्सा हैं। किशोर/युवा एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। किशोरों, युवाओं की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए देश व प्रदेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जीवंत और रचनात्मक शक्ति बनकर सतत और समावेशी विकास में योगदान कर सके। वर्तमान में हमारे देश में युवा जनसंख्या अधिकतम है, जिसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विशेष योजना की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम मौजूदा क्लीनिक-आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर एक समग्र मॉडल की ओर केंद्रित है। इसके अन्तर्गत समुदाय आधारित स्वास्थ्य संवर्धन पर ज़ोर दिया जायेगा जिसके द्वारा निरोधात्मक, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाओं को मज़बूत बनाया जा सकेगा। इसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, वस्तुओं और सेवाओं को समुदाय स्तर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान तथा त्रिस्तरीय लोक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा सन्दर्भन के लिंकेजेज बनाना सम्मिलित है। इस रणनीति के अर्न्तगत किशोरों और क्षेत्रीय सेवा प्रदाताओं (जैसे कि अध्यापक, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता- आशा, ए.एन.एम, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और नेहरू युवा केन्द्र, युवा केन्द्र संगठनों के स्वयं सेवक आदि) का समन्वित प्रयास होगा, ताकि किशोरों तक सेवाएं पहुँच सकें।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सात सी

इस रणनीति को लागू करने के लिए सात महत्त्वपूर्ण घटकों (सात सी) की पहचान की है। इन घटकों को सभी कार्य क्षेत्रों में लागू करना सुनिश्चित किया जाना है। ये घटक (सात सी) हैंः-

1. कवरेज, 2. सामग्री, 3. समुदाय, 4. क्लीनिक, 5. परामर्श, 6. संचार, 7. अन्तर्विभागीय ताल-मेल

किशोरों के स्वास्थ्य के छः प्राथमिकता क्षेत्र

1. पोषण, 2. यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, 3. असंक्रामक बीमारियां, 4. नशावृत्ति, 5. शरीरिक चोट एवं लिंग आधारित हिंसा, 6. मानसिक स्वास्थ्य

"102" नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 17 जनवरी 2014 को नेशनल एम्बुलेंस सेवा 102 एन0ए0एस0 प्रारम्भ किया गया। यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष के आयु तक के शिशुओ को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक परिवहित करने के लिए है।

शिशु मृत्यु दर को कम करने की योजनाएं

देश में एवं प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के मुख्य कारणों के रूप में प्री-टर्म बर्थ, डायरिया, निमोनिया एवं बर्थ एक्सपेक्सिया इत्यादि मुख्य कारण हैं एवं इन कारणों का चिकित्सकीय प्रबन्ध कर ही नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है। एस0आर0एस0 सर्वे के अनुसार तुलनात्मक नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर व अंडर-5 मृत्यु दर निम्नवत है-

वर्ष	अंडर-5 मृत्यु दर		शिशु मृत्यु दर		नवजात मृत्यु दर	
	राष्ट्रीय	उ०प्र०	राष्ट्रीय	उ०प्र०	राष्ट्रीय	उ०प्र०
2015	43	51	37	46	25	31
2016	39	47	34	43	24	30
2017	37	46	33	41	23	30
2018	36	47	32	43	23	32

शिशु मृत्यु दर व नवजात मृत्यु दर मे कमी लाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निम्नवत योजनाएं संचालित की जा रही हैंः-

1. न्यू बार्न केयर कार्नर (एन०बी०सी०सी०)

प्रदेश के समस्त जिला महिला चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रत्येक प्रसव कक्ष में नवजात शिशु देखभाल स्थान (न्यू बार्न केयर कार्नर) चरणबद्ध रूप से तैयार किये जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1820 नवजात शिशु देखभाल स्थान क्रियाशील हैं।

2. नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन०बी०एस०यू०)

प्रसव के पश्चात कमजोर तथा गंभीर नवजात जिन्हें चिकित्सालय में गहन देखरेख में रखना आवश्यक है के लिये वर्तमान मे प्रदेश में सन्दर्भन इकाईयों/जिला महिला चिकित्सालयों में 180 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई कियाशील है।

3. सिक न्यू बार्न केयर यूनिट (एस०एन०सी०यू०)

अति गंभीर शिशुओं की विशेष देखभाल हेतु वर्तमान में प्रदेश के चयनित जिला महिला चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों में एस0एन0सी0यू0 स्थापित हैं। वर्तमान में कुल 67 जनपदों में 84 एस0एन0सी0यू0 स्थापित हैं।

4. कंगारू मदर केयर (के०एम०सी०)

कम वजन तथा समय से पूर्व जन्में शिशुओं की विशेष देखभाल एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के जिला महिला चिकित्सालयों/मेडिकल

कालेजों में संचालित एस0एन0सी0यू0 इकाईयों के निकट के0एम0सी0 इकाईयों की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जा रही है। वर्तमान में 69 जनपदों में 174 के0एम0सी0 स्थापित हैं। अप्रैल 2017 से सितम्बर 2020 तक 145030 बच्चे के0एम0सी0 का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

5. पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन०आर०सी०)

कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने हेतु चयनित जनपदो के जिला पुरुष चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों मे कुपोषित बच्चों का उपचार करने हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं। वर्तमान मे 77 एन0आर0सी0 71 जनपदों मे स्थापित हैं।

6. होम बेस्ड न्यू बार्न केयर कार्यक्रम (एच०बी०एन०सी०)

अक्टूबर 2012 से संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा संस्थागत एवं घरेलू प्रसव के उपरान्त 42 दिनों के भीतर 6-7 बार गृह भ्रमण किये जाते हैं, जिसमें 6-7 माड्यूल प्रशिक्षित आशाओ द्वारा माताओ एवं बच्चों की समुचित देखभाल हेतु जानकारी दी जाती है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में यह लागू कर लिया गया है। माह अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक आशा द्वारा 1100720 बच्चों का गृह भ्रमण किया जा चुका है।

7. होम बेस्ड यंग चाईल्ड केयर (एच०बी०वाई०सी०)

शिशुओं की गृह आधारित देखभाल (एच0बी0एन0सी0) के लिये 6/7 गृह भ्रमण के साथ-साथ 42 दिनो के पश्चात शिशुओ की वृद्धि, विकास एवं पोषण सुनिश्चित करने हेतु शिशु की आयु 3, 6, 9, 12 एवं 15 माह होने पर आशा द्वारा अतिरिक्त त्रैमासिक गृह भ्रमण की व्यवस्था भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 35 जनपदों में की जा रही है।

ग्रामीण जनता को परिवार कल्याण एवं शिशु कल्याण सुविधा उनके निकट सुलभ कराने के लिए प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या पर व बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या के मानक पर एक उपकेन्द्र कार्यरत है। परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 17248 राजकीय भवन में उपकेन्द्र तथा ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 823 ग्रामीण परिवार कल्याण मुख्य केन्द्र है।

प्रत्येक उपकेन्द्र पर एक ए0एन0एम0/महिला बेसिक हेल्थ वर्कर तथा अंशकालिक सेविका की व्यवस्था की गई है। 6 उपकेन्द्रों पर एक के मानक अंतर्गत पर्यवेक्षण हेतु महिला स्वास्थ्य निरीक्षक/फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर पद की व्यवस्था है।

प्रसूति एवं शिशु कल्याण

इस योजना के अधीन प्रसूति एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल का कार्य होता है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 5243 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर उपप्रसूतिकायें (ए0एन0एम0) तथा स्वास्थ्य अभ्यागत (दाई) कार्यरत हैं। इनके द्वारा परिवार सन्तुलित रखने तथा प्रसूति के समय मातृ एवं शिशु की स्वास्थ्य रक्षा की जानकारी जन सामान्य को कराई जाती है। स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर गर्भवती माताओं की जांच, सुरक्षित प्रसव एवं टीकाकरण तथा बच्चों के सात जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण का कार्य भी किया जाता है, जिससे

ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य संबंधी विशेष लाभ मिलता है तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने में सहायता मिलती है। कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्मियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

ग्रीन कार्ड योजना

परिवार कल्याण कार्यक्रम में गति लाने तथा छोटे परिवार की अवधारणा की स्वीकार्यता को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में दिनांक 1.7.1985 से ग्रीन कार्ड योजना चलायी जा रही है। इसके अन्तर्गत पति अथवा पत्नी को अधिकतम दो बच्चों के बाद नसबन्दी आपरेशन कराने पर एक ग्रीनकार्ड (परिचय पत्र) दिया जाता है, जिसमें पति व पत्नी का नाम, स्थायी पता आदि के विवरण अंकित किये जाते हैं। ग्रीन कार्ड योजना के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं को वरीयता के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इन सुविधाओं का उल्लेख ग्रीन कार्ड में किया गया है। दिनांक 6. 07.2002 द्वारा दो बच्चों के बाद नसबन्दी आपरेशन कराने वाले ग्रीन कार्ड धारकों को निम्न सुविधाएं अनुमन्य की गयी हैं:-

क. ग्राम्य विकास द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में लाभार्थियों के चयन में ग्रीन कार्ड धारक को वरीययता दी जाएगी ।

ख. ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में प्राथमिकता दी जाएगी और उनके बच्चों को इण्टरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

ग. ग्रीन कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जायेगी उन्हें राजकीय चिकित्सालयों के जनरल तथा प्राइवेट वार्डों के आवंटन में वरीयता दी जायेगी।

घ. नगर विकास, आवास विकास विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा आवासीय भवनों एवं भूखण्डों के आवंटन में ग्रीन कार्ड धारकों को वरीयता दी जायेगी।

ङ सरकारी सस्ते गल्ले की व अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकान/लाइसेन्स देने में भी ग्रीन कार्ड धारकों को वरीयता दी जाएगी।

च. ग्रीन कार्ड धारकों को गृह निर्माण अग्रिम व वाहन अग्रिम में वरीयता दी जायेगी।

नगर विकास

एक अवलोकन

प्रदेश की नागर स्थानीय निकायों के कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण के साथ नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर विकास विभाग का गठन किया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा उक्त कार्यों के अतिरिक्त शहरों में सेनिटेशन, पर्यावरण संरक्षण तथा नदियों एवं झीलों में प्रदूषण नियंत्रण आदि का कार्य भी किया जा रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व राज्य सरकार स्तर पर इस विभाग का नाम लोक स्वास्थ्य विभाग था, जिसे बाद में स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग नाम दिया गया। कालान्तर में इसे आवास एवं नगर विकास विभाग कहा गया। वर्तमान में इस विभाग को दो अलग-अलग विभागों यथा- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा नगर विकास विभाग में विभाजित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश :- नागर स्थानीय निकायों व शहरी परिदृश्य का विवरण

प्रदेश की कुल जनसंख्या (19.98 करोड़) में से 4.51 करोड़ आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है जो कि कुल आबादी का 22.57 प्रतिशत है। शहरी आबादी को बुनियादी गुणवत्तापरक सुविधाओं को उनकी जरूरतों के अनुसार मुहैया कराने की जिम्मेदारी 734 नगरीय निकायों पर है। नगर विकास विभाग द्वारा हाल ही में 28 नयी नगर पंचायतों का गठन किया गया साथ ही वाराणसी नगर निगम के सीमा विस्तार के कारण नवसृजित नगर पंचायत लोहता का विलय उसमें हो गया है, इस प्रकार प्रदेश में 17 नगर निगम हैं:- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन तथा शहजहाँपुर। 200 नगर पालिकाएं तथा 517 नगर पंचायतें है।

- वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ो के अनुसार देश में कुल 4041 स्टेट्यूटरी टाउंस हैं जिनमें से 648 उत्तर प्रदेश में हैं, जो कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार देश मे कुल 3.894 सेन्सेस टाउन्स हैं जिनसे 267 उत्तर प्रदेश में है।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित अनेक योजनाएं प्रदेश में संचालित की जा रही हैं।
- प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली निकायों में अमृत योजना संचालित की जा रही

है। जो कि मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में पेयजल, सीवरेज, पार्क इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संचालित है।

- प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित किया गया है। जिसमें कार्य त्वरित गति से हो रहा है।
- स्वच्छ भारत मिशन प्रदेश के सभी निकायों में संचालित किया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा भी सात शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित किया गया है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

- सैप वर्ष 2015-20 की 729 परियोजनाएँ धनराशि रु0 12311.59 करोड़ का एस.एच.पी. एस.सी. से अनुमोदन प्राप्त कर पेयजल, सीवरेज व पार्क-ग्रीन स्पेसेज की कुल 630 परियोजनाएँ धनराशि रु0 11303.32 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

परियोजना गुणवत्ता पर्यवेक्षण

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के स्वतंत्र पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन एक स्वतंत्र संस्था इरमा के द्वारा किया जाता है।

एस.एम.एम.यू.

एस.एम.एम.यू. का गठन अमृत के प्रोजेक्ट्स के प्रबन्धन हेतु किया गया है। यह एक राज्य स्तरीय इकाई है।

पी.डी.एम.सी.

पी.डी.एम.सी. का गठन कार्यकारी एजेन्सियों को उचित सलाह और गुणवत्ता पूर्ण विकास करने के लिए किया गया है। यह इकाई परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण भी करती है।

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय

- भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 02 अक्टूबर 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य "खुले में शौच की कुप्रथा" को समाप्त करना, नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबन्धन करना, शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता सम्वर्द्धन आदि है। मिशन के घटकों में अस्वच्छ शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में बदलने सहित पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, आईईसी एवं जनजागरूकता तथा क्षमता निर्माण और प्रशासनिक व कार्यालय व्यय सम्मिलित हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 651 नागर निकायों द्वारा "खुले में शौच से मुक्त" (ओ0डी0एफ0) स्वघोषित किया जा चुका है एवं जिसमें से 65 निकायों को थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन कराकर ओ0डी0एफ0 प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। साथ ही प्रदेश के 530 निकाय ओ0डी0एफ0 प्लस एवं 20 निकाय ओ0डी0एफ0 प्लस प्लस हो चुके हैं। शेष निकायों में ओ0डी0एफ0 प्लस एवं ओ0डी0एफ0 प्लस प्लस की कार्यवाही की जा रही है।

- मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण सहित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।
- "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यकम के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में "स्टेट लेवल हाई पावर स्टयरिंग कमेटी" (एस0एच0पी0एस0सी0) गठित है।
- सफाई अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त नागर स्थानीय निकायों में कूड़े के कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आदि कार्यों को तत्परता से किया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त नागर निकायों में स्वच्छता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं। व्यवहार परिवर्तन एवं सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु जन जागरूकता अभियान प्रदेश के नगर निकायों में चलाये जा रहे हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 895074 व्यक्तिगत शौचालयों, 35573 सामुदायिक शौचालयों तथा 33596 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया।
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 हेतु आयोजित पुरस्कार समारोह में प्रदेश के 20 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया गया नगर निगम- (1) शाहजहाँपुर, (2) फिरोजाबाद, (3) लखनऊ, (4) वाराणसी, नगर पालिका परिषद, (5) गंगाघाट (जनपद-उन्नाव), (6) गजरौला (जनपद-अमरोहा), (7) मुरादनगर (जनपद-गाजियाबाद), (8) कन्नौज (जनपद-कन्नौज), (9) स्याना (जनपद-बुलन्दशहर), (10) पलियाँ कला (जनपद-खीरी), (11) मल्लावां (हरदोई), (12) बरूआ सागर, (झाँसी), (13) कन्नौज (जनपद-कन्नौज), (14) चुनार (जनपद-मिर्जापुर), नगर पंचायत, (15) आवागढ़ (जनपद-एटा), (16) बकेवर (जनपद-इटावा), (17) बल्देव (जनपद-मथुरा), (18) अछलदा (जनपद-औरैया), (19) मथुरा कैण्ट (जनपद-मथुरा), (20) मेरठ कैण्ट (जनपद-मेरठ)।
- स्वच्छ सर्वेक्षण में सतत् रूप से रैकिंग में सुधार हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में राष्ट्रीय स्तर पर अट्ठारहवीं, स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 में दसवीं तथा विगत स्वचछ सर्वेक्षण-2020 में प्रदेश की रैंक सातवीं घोषित की गयी है। इस प्रकार निरंतर सुधार परिलक्षित होता है।
- इसी कर प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में तीन अवार्ड, स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 में पन्द्रह अवार्ड तथा विगत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में बीस अवार्ड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार निरंतर अवार्ड की संख्या में वृद्धि हुयी है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के लिए रु0 1000.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

स्मार्ट सिटी मिशन

1. स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसके अन्तर्गत नागरिकों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शहर को आदर्श रूप में विकसित करना है। इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो अपने नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं तथा "स्मार्ट" समाधान लागू करते है। योजना की अवधि 5 वर्ष तक है। योजना का उद्देश्य निकाय में चयनित क्षेत्र का आर्थिक विकास और ढांचा प्रदान करते हुये नागरिकों के लिये बेहतर

जीवन स्तर के साथ-साथ स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण प्रदान करना और स्मार्ट एप्लीकेशन का प्रयोग करना है।

2. प्रदेश की 10 निकायों को स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित किया गया है। जिसके सापेक्ष 04 निकाय- लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं वाराणसी मार्च, 2017 तक स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किये गये थे। सरकार के सतत् प्रयास के फलस्वरूप अलीगढ़, झांसी एवं प्रयागराज नगरीय निकाय जून, 2017 में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में चयनित हुये हैं। उक्त के अतिरिक्त 03 अन्य निकायों यथा- मुरादाबाद, सहारनपुर एवं बरेली को जनवरी, 2018 में चयनित किया गया है। उक्त चयनित कुल 10 निकायों में गठित एस0पी0वी0 द्वारा त्वरित गति से परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

- कुल दस शहरों में रु0 3420.00 करोड़ धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसमें से रु0 1832.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। रु0 6233.84 करोड़ के टेन्डर अनुमोदित किये जा चुके हैं। रु0 5666.79 करोड़ धनराशि के कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। रु0 1023.11 करोड के 75 प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुके हैं।
- उक्त दस शहरों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपने बजट से 7 शहर क्रमशः अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी मिशन हेतु चिन्हित किया है।
- राज्य स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु राज्य स्तर पर टेक्नीकल सपोर्ट ग्रुप के रूप में के0पी0एम0जी0 का चयन किया गया है।

राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर की प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम

डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना

प्रदेश की नागर निकायों द्वारा अपने कार्यालयों, जनसामान्य के लिये मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु पारंपरिक विद्युत व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निकायों को काफी धनराशि विद्युत बिलों के भुगतान के रूप में व्यय करना पड़ता है तथा रात्रि में विद्युत की उपलब्धता न होने पर वैकल्पिक व्यवस्थायें विशेषकर जनरेटरों के माध्यम से मार्ग प्रकाश तथा पेयजल व्यवस्था किये जाने से निकायों द्वारा काफी धनराशि अतिरिक्त रूप में व्यय करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उक्त समस्या से निपटनें के उद्देश्य से ही प्रदेश की नागर निकायों में सौर ऊर्जा पावर प्लान्ट्स के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु "डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना" नाम से वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश सरकार द्वारा योजना प्रारम्भ की गयी। उक्त योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू. 30.00 करोड़ का बजट प्रावधान है, के सापेक्ष जनवरी, 2021 तक रु0 16.75 करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना

प्रदेश में आवारा पशुओं के खुले में घूमने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप पशुओं तथा जनसामान्य को होने वाले नुकसान को रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा ऐसे पशुओं के पुनर्वास हेतु "कान्हा गौशाला

एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" नाम से योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत नगर निकायों में कान्हा गौशाला की स्थापना की जायेगी। इस योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-05/2007/4651/नौ-8-2017-21ज/2017, दिनांक 20.09.2017 द्वारा प्रसारित किये गये हैं।

आदर्श नगर योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के एक लाख से कम जनसंख्या वाली ऐसी नगरीय निकायें जो जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनूवल मिशन योजना एवं यू0डी0आई0एस0एस0एम0टी0 योजना से वित्त पोषित नहीं है, के नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना लागू की गयी है।

पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना

प्रदेश की छोटी नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं यथा- पेयजल, सैपटेज मैनजमेंट, सड़क, साइड पटरी, नाली, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क/खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र, गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं० दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है।

नगरीय परिवहन निदेशालय

नगरीय पस्बिहत व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय परिवहन निदेशालय की स्थापना की गयी। वर्तमान में सात शहरों यथा-लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं मथुरा में छः एस0पी0वी0 के माध्यम से 1149 नगरीय बसों का संचालन किया जा रहा है। एस0पी0वी0 में नगरीय बसों के संचालन से हो रहे घाटे की प्रतिपूर्ति उ0प्र0 समर्पित नगरीय निधि नियमावली- 2013 के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित "निधि प्रबन्ध समिति" के निर्देश पर की जा रही है।

नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा कराये जा रहे कार्यकलापों का विवरण

जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजनान्तर्गत

- भारत सरकार द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत यू0आई0जी0 कार्यान्श में यू0आई0जी0 के अन्तर्गत 07 शहरों में 1310 बसों के संचालन की परियोजनायें दिनांक 11.04.2009 को स्वीकृति की गयी, जिसके क्रय किये जाने हेतु यू0पी0आर0टी0सी0 को अधिकृत किया गया।
- शासन द्वारा किये गये अनुमोदन के आधार पर प्रदेश के 07 शहरों हेतु 06 एस0पी0वी0 का गठन यथा-लखनऊ, कानुपर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, एवं आगरा-मथुरा में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, स्थानीय नगर निकाय व स्थानीय विकास प्राधिकरण की अंश पूंजी के आधार पर किया गया।
- 09 अन्य शहरों यथाः- अलीगढ, बरेली, मुरादाबाद, झाँसी, शाहजहाँपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं सहारनपुर में एस0पी0वी0 के गठन की कार्यवाही गतिशील है। इन शहरों में एस0पी0वी0 के गठन होने तक संबंधित शहरों के क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम को इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, मेन्टीनेन्स, निर्माण कार्य, की निगरानी एवं नई बसों की प्राप्ति इत्यादि से संबंधित कार्य, अतिरिक्त कार्य के रूप में किये जाने के आदेश प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

परिचय

मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। प्रदेश में दिनांक 21 मार्च 2016 द्वारा योजना को लागू किया गया।

लाभार्थियों हेतु पात्रता मानक

- लाभार्थी चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किये जाने के लिए पात्र होगा।
- लाभार्थी ऐसे परिवार से होंगे, जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम अपना पक्का घर नहीं होगा।
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ शामिल होंगे।
- ऐसे व्यस्क पुरुष/स्त्री, जो उपार्जक (रोज कमाता) हो तथा स्वयं के नाम कोई पक्का आवास न हो, भी योजना के लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
- सीएलएससी घटक में नोडल एजेन्सी नेशनल हाऊसिंग बैंक एवं हडको हैं। इसमें कोई राज्यांश नहीं है। इस घटक के अन्तर्गत अब तक कुल 71678 लाभर्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु अधिकतम वार्षिक आय सीमा 3 लाख तक/एलआईजी हेतु आय सीमा 3 से 6 लाख/एमआईजी-1हेतु वार्षिक आय सीमा 6 से 12 लाख लाख/एमआईजी-2 हेतु वार्षिक आय सीमा 12 से 18 लाख है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत अब तक 13,73,814 आवास तथा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक में 1,36,533 आवास कुल अद्यतन 15,10,347 आवास भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं।
- उत्तर प्रदेश लाभार्थी आधरित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत आवास स्वीकृति में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत स्वीकृति आवासों के सापेक्ष 8,68,141 आवासों की जियो टैगिंग/ग्राण्डिंग हो चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें 4,73,645 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस घटक के अन्तर्गत 7,17,386

लाभार्थियों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त के रूप में कुल रु. 12,977,23 करोड़ की धनराशि भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अवमुक्त की गयी है।

- उत्तर प्रदेश पूरे देश में पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तान्तरित करने में प्रथम स्थान पर है।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण की उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2019-20 (माह मार्च, 2020 तक)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना 31 मार्च, 2014 को भारत सरकार द्वारा परिवर्तित कर उसके स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविकास मिशन (एन0यू0एल0एम0) वर्तमान में प्रदेश के चयनित 130 शहरों में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28.02.2014 द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को नोडल और निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 को मिशन निदेशक नामित किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के संचालन हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका के मुख्य उपघटक का विवरण निम्नवत् हैः-

1. सामाजिक गतीशीलता एवं संस्थागत विकास

इस घटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों को गतिशील कर स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघों (ए0एल0एफ0/सी0एल0एफ0) के गठन का लक्ष्य निकायों/शहरों को आवंटित करते हुए समूहों के गठन, प्रशिक्षण एवं देखरेख हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 सन्दर्भ संस्थाओं (आर0ओ0) को आर0एफ0पी0 के माध्यम से इम्पैनल्ड किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना हेतु शासनादेश एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। अब तक स्वीकृत 71 शहरी आजीविका केन्द्रों में से 70 शहरी आजीविका केन्द्र क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 600 स्वयं सहायता समूहों के गठन के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 4844 स्वयं सहायता समूह का गठन कर लिया गया है एवं 5511 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किया गया है।

2. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

इस घटक के अन्तर्गत दिनांक 28.06.2014 एवं शासनादेश संख्या-226/2015/318/69-1-2015-14(104)/2013 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा राज्य स्तर पर मिशन प्रबन्धन इकाई (एस0एम0एम0यू0) में तथा शहर स्तर पर शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0यू0) में विशेषज्ञ रखे जाने हेतु आर0एफ0पी0 के माध्यम से मानव संसाधन संस्था (एच0आर0) का चयन किया जा चुका है तथा शासनादेश संख्या -226/2015/318/69-1- 2015-14(104)/ 2013 दिनांक 13.03. 2015 के अनुक्रम में आउटसोर्स संस्था के माध्यम से 04 राज्य मिशन प्रबन्धक, 110 शहर मिशन प्रबन्धक एवं 183 सामुदायिक आयोजक कार्यरत हैं जिनको समय-समय पर नामित संस्था द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

3. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार

इस घटक के अन्तर्गत मिशन क्रियान्वयन हेतु आच्छादित शहरी निकायों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सेवायोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 35205 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष शहरों में 34040 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रगति में है।

4. स्वरोजगार कार्यक्रम

इस घटक के अन्तर्गत शहरी निकायों को योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी तथा 10000 व्यक्तियों को व्यक्तिगत ऋण तथा 200 समूहों को समूह ऋण के अन्तर्गत लाभान्वित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 8388 व्यक्तियों को व्यक्तिगत ऋण एवं 204 समूहों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया जा चुका है।

5. शहरी पथ विक्रेता को सहायता योजना

इस घटक के अन्तर्गत कार्ययोजना के अनुसार प्रदेश में 60 शहरों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण एवं 09 शहरों में मॉडल स्ट्रीट वेंडिग जोन विकसित किये जाने हेतु कार्य भी प्रगति पर है। शहरी पथ विक्रेताओं हेतु अधिनियम 2014 के अनुरूप पथ विक्रेताओं हेतु स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नियमावली बनायी जा चुकी है।

6. शहरी बेघरो हेतु आश्रय योजना

इस घटक के अन्तर्गत शहरी बेघरों के आश्रय हेतु संबंधित शहरी निकायों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी। प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का शासनादेश संख्या 833/69-1-14-14(104)/2013 दिनांक 23.05.2014 द्वारा गठन किया जा चुका है। उक्त घटक में सीएण्डडीएस निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित है। नये निर्माण एवं उच्चीकरण की अद्यतन 148 परियोजना स्वीकृत है, जिनके सापेक्ष 103 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण जिनमें 88 आश्रय गृह क्रियाशील तथा 45 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य गति पर है।

जल सम्पूर्ति

संक्षिप्त इतिहास

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (अधिनियम संख्या-43, 1975) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 5 कवाल नगरों, बुन्देलखण्ड, गढ़वाल तथा कुमायूँ क्षेत्रों के लिए एक-एक जल संस्थान भी स्थापित किये गये। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु झाँसी एवं चित्रकूट जल संस्थान कार्यरत हैं। गढ़वाल तथा कुमायूँ जल संस्थान उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित हैं। सम्प्रति पाँच बड़े नगरों हेतु गठित जल संस्थान का विलय सम्बन्धित नगर निगम लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज व आगरा में हो चुका है एवं इनके द्वारा अपने क्षेत्रों में समस्त पेयजल/जलोत्सारण कार्यों का रख-रखाव किया जाता है। प्रदेश के नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति/जलोत्सारण/नदियों के प्रदूषण नियंत्रण के निर्माण कार्य जल निगम द्वारा कराये जाते हैं। नागर क्षेत्रों में कार्यों को पूर्ण करा कर स्थानीय निकायों/जल संस्थानों को रख-रखाव हेतु सौंप दिया जाता है। ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का रख-रखाव बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल संस्थानों द्वारा तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जल निगम द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम द्वारा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का रख-रखाव वर्ष 2002 से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

उद्देश्य एवं कार्यकलाप

1. जल सम्भरण के लिए तथा सीवर व्यवस्था और सीवेज के निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनको प्रोन्नत करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।
2. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के संबंध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना।
3. राज्य सरकार के निर्देश पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था तथा जलोत्सारण के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना।
4. जल संस्थानों और स्थानीय निकायों के जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर 'टैरिफ', 'कर' तथा 'जल सम्भरण' के परिव्यय का पुनर्वलोकन करना और उन पर सलाह देना।

5. अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करना तथा उसका उपयोग किए जाने का प्रबंध करना।
6. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना।
7. ऐसे/सभी कृत्य करना जो यहां पर वर्णित नहीं हुए हैं और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किये जा रहे थे।
8. प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जिसमें धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है, जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनर्वलोकन करना।
9. राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं का वार्षिक मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना।
10. जब राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए तो किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना।

नागर जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 734 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 4.45 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.96 करोड़ का लगभग 22 प्रतिशत है। उक्त 642 नगरों में पाइप पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा 84 नये नगरीय निकाय घोषित किये गये हैं तथा 64 निकायों का विस्तार किया गया है। वर्तमान मे कुल 734 निकाय हैं।

निकाय	नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति की **31** दिसम्बर, **2020** की स्थिति	
	कुल	आच्छादित
नगर निगम	17	17
नगर पालिका परिषद्	218	197
नगर पंचायत	499	428
योग	**734**	**642**

आच्छादित नगरों का नामः

1. खौड़ा मकनपुर नगर पालिका परिषद, गाजियाबाद
2. हर्रा नगर पंचायत, मेरठ
3. सिकन्दरा राव नगर पंचायत, हाथरस
4. साकित नगर पंचायत, एटा
5. अगवनपुर नगर पंचायत, मुरादाबाद

6. पकबडा नगर पंचायत, मुरादाबाद
7. रोजा नगर पंचायत, शाहजहाँपुर
8. बेलहरा नगर पंचायत, बाराबंकी
9. रानीगंज नगर पंचायत, प्रतापगढ़
10 माहुल नगर पंचायत, आजमगढ़

राज्य सेक्टर कार्यक्रम

प्रदेश के विभिन्न नगरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय निकायों हेतु अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति व्यय वित्त समिति/परियोजना संरचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदान की जाती है। परियोजना का चयन एवं विरंचन कार्य सम्बन्धित निकाय की सहमति से जल निगम द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2020-21 में 67 निमार्णाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु0 1499.55 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। वर्ष 2019-20 में 57 योजनाओं में से 12 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी बनायी गयीं। वर्ष 2020-21 में 28 नयी स्वीकृत योजनायें सम्मिलित करते हुए कुल 80 योजनाओं के विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2020 तक रु0 50.28 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई हैं तथा कुल वित्तीय स्वीकृति रु0 1027.28 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय रु0 908.39 करोड़ है। वर्ष 2020-21 में दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक 13 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी हैं। शेष 67 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

जिला योजना नगरीय पेयजल (सामान्य एवं एस.सी.पी.)

जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकतानुसार नगरीय क्षेत्रों में रिबोर/नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य, पाइप लाइन विस्तार एवं नलकूपों के रिबोर के कार्य जिलाधिकारी की स्वीकृति से कराये जाते हैं। वर्ष 2018-19 में समस्त 75 जनपदों में सामान्य एवं एस0सी0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर रु0 100.00 करोड़ की जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत एवं रु0 100.00 करोड़ व्यय हुआ है। वर्ष 2019-20 में समस्त 75 जनपदों में सामान्य एवं एस0सी0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर रु0 100.00 करोड़ की जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष भौतिक प्रगति शत प्रतिशत एवं रु0 100.00 करोड व्यय हुआ है एवं वर्ष 2020-21 में जिला योजना नगरीय पेयजल एस0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 50.00 करोड़ के प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किये गये हैं जिस पर धनावंटन अपेक्षित है।

राज्य सेक्टर कार्यक्रम

वर्ष 2019-20 में 26 निर्माणाधीन जलोत्सारण योजनाओं के विरुद्ध रु0 783. 09 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। वर्ष 2019-20 में रु0 77.15 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई तथा कुल अवमुक्त धनराशि रु0 465.90 करोड़ है, जिसके विरुद्ध वर्ष 2019-20 में रु0 55.96 करोड़ व्यय हुआ तथा वर्ष 2020-21 में रु0 49.87 करोड़ व्यय हुआ तथा कुल व्यय रु0 423.52 करोड़ है, जिसमें से 13 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया

है तथा शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

जल निकासी कार्यक्रम

राज्य सेक्टर कार्यक्रम

वर्ष 2018-19 में 20 निर्माणाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु0 306.57 करोड़ की स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गयी हैं। वर्ष 2018-19 में 20 योजनाओं में से 07 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी बनायी गयीं। वर्ष 2019-20 में 19 योजनाओं के विरुद्ध 31 दिसम्बर 2020 तक रु0 27.82 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई हैं। कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 306.57 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय रु0 145.49 करोड़ है।

अमृत (अटल मिशन फॉर रेजूवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन)

राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं (जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन इत्यादि) उपलब्ध कराये जाने के उदेश्य से शहरी विकास भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में दिनांक 25.6.2015 को अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है जिसमें एक लाख की जनसंख्या से अधिक के नगरीय निकाय चयनित किये गये हैं। प्रदेश के 60 नगरीय निकाय इस योजना में आच्छादित हैं, योजना की अवधि 2015-2020 (5 वर्ष) की है।

योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति एवं सीवरेज तथा सेप्टेज प्रबंधन की योजना की अवधि में सार्वभौमिक आच्छादीकरण करना है। -

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल, जलोत्सारण जल निकासी एवं ठोस कूड़ा प्रबन्धन के प्राक्कलन विरचन व निर्माण के कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु उ.प्र. जल निगम/सी.एण्ड.डी.एस. को नामित किया गया है।

अमृत योजना के अन्तर्गत 172 पेयजल एवं 98 जलोत्सारण की कुल 270 परियोजनाएं कुल अनुमानित लागत रु0 11399.96 करोड़ की स्वीकृति 'राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति' (एस.एच.पी.एस.सी.) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल की 145 योजनायें तथा जलोत्सारण की 80 योजनायें, कुल 225 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।

शेष मिशन अवधि वित्तीय वर्ष 2017-20 के लिए रु0 4145.48 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष जलापूर्ति हेतु रु0 1996.02 करोड, जलोत्सारण हेतु रु0 2149.46 करोड़ का (सैप) भारत सरकार के स्तर पर गठित सत्रहवीं एपेक्स कमेटी द्वारा दिनाँक 15.03.2017 को अनुमोदित किया जा चुका है।

अब तक पेयजल हेतु कुल अवमुक्त धनराशि रु0 1423.19 करोड़ (कार्य+सेन्टेज) के विरुद्ध सितम्बर, 2019 तक रु0 669.87 करोड़ (कार्य+सेन्टेज) व्यय हुआ जिसके विरुद्ध लगभग 4.8 लाख नग पेयजल गृह संयोजन एवं सीवरेज हेतु कुल अवमुक्त धनराशि रु0 1991.70 करोड़ (कार्य+सेन्टेज) के विरुद्ध सितम्बर, 2019 तक रु0 1357.86 करोड़ (कार्य+सेन्टेज) व्यय हुआ जिसके विरुद्ध लगभग 4.03 लाख नग सीवर गृह संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

वाह्य सहायतित कार्यक्रम (जे.बी.आई.सी.) आगरा जल सम्पूर्ति गंगाजल परियोजना

आगरा जल सम्पूर्ति गंगाजल योजना (वाह्य सहायतित-जायका) अपर गंगा कैनाल के पालरा हैडवर्क्स, जिला बुलन्दशहर से आगरा तक 130 किमी. पाइप लाइन द्वारा आगरा शहर को 140 क्यूसेक एवम् मथुरा शहर को 10 क्यूसेक कुल 150 क्यूसेक कच्चा जल लाकर जल सम्पूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्य को सम्पादित किया जाना है। योजना के प्रारंभिक आगणन की कुल लागत रु0 1076.98 करोड़ थी, जो मार्च, 2007 में स्वीकृत हुई थी। योजना के डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु0 2887.92 करोड़ को प्रदेश की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में प्रोजेक्ट के वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण के उपरान्त दिनांक 04.07.2012 को पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष ऋण वृद्धि पर भारत सरकार व जायका के मध्य ऋण अनुबंध मार्च, 2014 को निष्पादित किया जा चुका है। योजना की लागत का 65 प्रतिशत जायका से ऋण के रूप में तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। योजना में मुख्य रूप से सिकन्दरा, आगरा में 144 एम. एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, इनटेक वर्क्स, सेटलिंग टैंक, आगरा एवम् मथुरा शहरों हेतु फीडर मेन तथा वर्तमान में स्थिति वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के जीर्णोद्धार के कार्य प्राविधानित है। वर्तमान में पलरा सैटलिंग टैंक तथा सिकंदरा आगरा में 144 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल अवमुक्त धनराशि रु0 2562.00 करोड़ के सापेक्ष रु0 2443.834 करोड़ का व्यय वर्तमान तक हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु. 200.00 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

नमामि गंगे संरक्षण कार्यक्रम

देश की प्रमुख नदियाँ म्यूनिसिपल सीवेज, औद्योगिक कचरे तथा मृत जानवरों आदि से प्रदूषित हो रही हैं। गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से फरवरी 1985 में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में, "केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण" का गठन कर "गंगा कार्य योजना" (गंगा एक्शन प्लान) के नाम से एक योजना प्रारम्भ की गयी। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में यह कार्य नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.) द्वारा क्रियान्वित कराया जा रहा हैं। उत्तर प्रदेश में इसके लिए प्रदेश स्वास्थ्य गंगा मिशन (एस.एम.सी. जी.) स्थापित है। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा कार्य योजना हेतु जल शक्ति विभाग नोडल विभाग है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम,/नगर परिषद तथा जल संस्थान कार्यदायी संस्थायें हैं।

गंगा कार्य योजना (प्रथण चरण)

गंगा कार्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित 6 नगर क्रमशः हरिद्वार-ऋषिकेश (अब उत्तराखण्ड राज्य में), फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी तथा मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया।

गंगा कार्य योजना प्रथम चरण में रु0 184.84 करोड़ की कुल 106 परियोजनाओं में से जल निगम द्वारा कोर सेक्टर की 56 परियोजनायें रु0 160.84 करोड़ की लागत से निर्मित की गयी जिसमें प्रदेश के 5 नगरों में गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 646.30 एम.एल.डी. सीवेज

में से 349.50 एम.एल.डी. क्षमता के 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट भी निर्मित किये गये। इनके अतिरिक्त इन नगरों में 27 पम्पिंग स्टेशन, 3 शवदाह गृह, 42 कम लागत के शौचालय तथा 8 नदी घाटों का विकास कार्य भी किया गया।

गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण)

गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के संतोषजनक परिणामों को देखते हुए गंगा नदी तथा उसकी मुख्य सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों (प्रथण चरण के 5 नगरों को सम्मिलित करते हुए) में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 मे गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण के कार्य प्रस्तावित किये गये। गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में तीन घटक क्रमशः गंगा कार्य योजना घटक, यमुना कार्य योजना घटक, गोमती कार्य योजना घटक हैं। भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिये कुल 216 परियोजनायें स्वीकृत की गयीं स्वीकृत परियोजनाओं में से बिजनौर शहर की 3 परियोजनायें व वाराणसी नगर की एक परियोजना ड्राप की गयी एवम् शेष 212 में से 212 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

गंगा घटक के अन्तर्गत 35.56 एम.एल.डी. क्षमता के 4 नग, यमुना कार्य योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत 402.79 एम.एल.डी. क्षमता के 16 नग, द्वितीय चरण में 54 एम.एल.डी. क्षमता के 2 नग एवं गोमती कार्य योजना प्रथम चरण में 47 एम.एल.डी. क्षमता के 2 नग एवम् द्वितीय चरण में 345 एम.एल.डी. क्षमता का 1 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित कर चालू किया जा चुका है। इस प्रकार गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तीनों घटकों में 884.35 एम.एल.डी. क्षमता के 25 नग सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्मित किये गये हैं।

इस प्रकार गंगा कार्य योजना में 34 नग सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण कर कुल 1233.85 एम.एल.डी. शोधन क्षमता विकसित की गई।

एन.जी.आर.बी.ए./नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयागराज नगर की 10 योजनायें, वाराणसी नगर की 2 योजनायें, कानपुर नगर की 3 योजनायें, मुरादाबाद नगर की 2 परियोजनायें, आगरा नगर की 1 परियोजना तथा कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर, नरौरा, वृन्दावन, रामनगर, चुनार, उन्नाव, शुक्लागंज बिठूर, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहगढ़-फर्रूखाबाद, मथुरा, अयोध्या, कासगंज, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बुड़ाना, जौनपुर, मेरठ, बागपत, इटावा, फिरोजाबाद, बरेली, कैराना एवं लखनऊ नगर की एक-एक परियोजना का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 45 परियोजनायें जिनकी कुल लागत रु, 10272.74 करोड़ है, स्वीकृत हुयी हैं। एन.जी. आर.बी.ए./नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 347.90 एम.एल.डी. क्षमता के 14 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये जा चुके हैं एवं 992.11 एम.एल.डी. क्षमता के 38 सीवेज शोधन संयंत्र एवं 10 डीसेन्ट्रालाईज़्ड निर्माणाधीन हैं। कुल अवमुक्त धनराशि रु0 3013. 32 करोड़ के सापेक्ष रु0 3013.32 करोड़ व्यय हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु0 1000.00 करोड़ का बजट प्राविधानित है। उक्त 45 योजनाओं में से 16 योजनायें पूर्ण, 22 योजनायें निर्माणाधीन तथा 07 योजनायें निविदा की प्रक्रिया में हैं।

झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर) की योजना भारत सरकार, पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, स्वीकृत लागत रु0 124.32 करोड़ व पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रु0 196.57 करोड़ है। योजना के अन्तर्गत 2 नग एस.टी.पी. क्षमता 15 एवम् 30 एम.एल.डी. का निर्माण पूर्ण है, सीवेज का शोधन हो रहा है। योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति 99.60 प्रतिशत है। कुल अवमुक्त धनराशि रु0 195.91 करोड़ के सापेक्ष रु0 190.15 करोड़ व्यय हो चुका है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत न्यूट्रीयन्ट इन एक्टिवेशन, गार्डन एरिया, स्नैक ज्वांइट, आब्जरवेशन टावर तथा पैडल बोट्स के कार्य को समाप्त तथा एरियेशन सिस्टम के सापेक्ष फ्लोटिंग फॉउन्टेन की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है तथा योजना को पूर्ण किये जाने की समय-सीमा, फरवरी, 2021 तक की वृद्धि की गयी है।

लक्ष्मी ताल (झाँसी) की परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या जे-16011/3/2003-एनआरसीडी-11 दिनांक 07/10.11.2014 द्वारा रु0 54.13 करोड़ प्रदान की गयी है जिसमें भारत सरकार का अंश रु0 37.89 करोड़ है। योजना में प्रस्तावित 26 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माणाधीन हैं। कुल अवमुक्त धनराशि रु0 50.00 करोड़ के सापेक्ष योजना पर रु0 45.08 करोड़ व्यय हुआ है। योजना की भौतिक प्रगति 95.0 प्रतिशत है।

झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल रु0 5.77 करोड़ का बजट प्राविधानित है।

ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति

वर्ष 1974 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत किया जा रहा था। राज्य पोषित योजना के रूप में वर्ष 1974-75 से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1977 में राज्य स्तर पर संसाधनों की कमी के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा केन्द्र पोषित योजना के रूप में त्वरित ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति योजना पुनः लागू की गई।

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को समाहित करते हुए "जल जीवन मिशन" का प्रारम्भ किया गया है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक प्रदेश के हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध ा में भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 190/ छिहत्तर-1-2020-25सम /2019 दिनाँक 24-01-2020 द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

ग्रामीण बस्तियों का पेयजल से आच्छादन

भारत सरकार द्वारा राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत कराये गये सर्वेक्षण तथा वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल (ईजलशक्तीजीओवी.इन) के अनुसार प्रदेश में कुल 97593 आबाद ग्राम हैं, जिनकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 15.53 करोड़

तथा वर्तमान में आकलित जनसंख्या लगभग 16.73 करोड़ है। प्रदेश में कुल बस्तियों की संख्या 260018 है।

सामान्य आच्छादन

प्रदेश की समस्त बस्तियों को मानक के अनुसार 40 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन के आधार पर पेयजल सुविधा हैण्डपम्प/ पाइप योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा संचालित उपरोक्त पोर्टल के अनुसार 260018 बस्तियों में से 256915 बस्तियाँ 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रति दिन के आधार पर पेयजल सुविधा से पूर्णरूप से आच्छादित हैं। शेष अन्य के सन्दर्भ में प्रविष्ट वेबसाइट पर की जानी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2019 तक 28,39,165 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग प्रत्येक 63 व्यक्ति पर 1 हैण्डपम्प स्थापित किया गया है। इस प्रकार पेयजल की न्यूनतम आवश्यकता 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मानक की दृष्टि से प्रदेश की सम्पूर्ण ग्राम/बस्तियों को संतृप्त किया जा चुका है।

पाइप पेयजल योजना से आच्छादन

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2024 तक पाइप द्वारा कार्यशील संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश की 260018 ग्रामीण बस्तियों में मार्च 2020 तक 5899 ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के माध्यम से 30928 बस्तियों को आच्छादित करते हुए लगभग 253.61 लाख जनसंख्या (वर्तमान) को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। पाइप पेयजल योजनाओ से आच्छादित ग्रामों/बस्तियों में लगभग 10.67 लाख परिवारों को (एफ.एच.टी.सी.) दिया जा चुका है। भारत सरकार की वेबसाइट (ईजलशक्तिजीओवी.इन) पर इसके सापेक्ष 7.92 लाख संयोजनधारको की प्रविष्टि की जा चुकी है।

विवरण	बस्तियाँ	जनसख्या (लाख)	गृह संयोजन (लाख)	टिप्पणी
कुल	260018	1673.52	258.81	वास्तविक रूप में लगभग 10.67 लाख परिवारों को एफ. एच.टी.सी. उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष की प्रवष्टि की जा रही है।
आच्छादन 01.04.2020	30928	253.61	7.92	
प्रतिशत में	11.9%	15.1%	3.1%	

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित हैण्डपम्प के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप द्वारा प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति किये जाने को प्राथमिकता प्रदान की गई है। दिशा निर्देश के अनुरूप सामान्य रूप से हैण्डपम्प के कार्य अनुमन्य नहीं हैं। गुणवत्ता से प्रभावित ग्रामों में शोधन संयन्त्रो आदि की स्थापना तथा विकल्प के अभाव में गुणवत्ता प्रभावित

(आर्सेनिक/फ्लोराइड) ग्रामों में अति गहरे हैण्डपम्प के कार्य किये जा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित पाइप पेयजल योजनाओ के अन्तर्गत समस्त घरो को नल से जल उपलब्ध कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धारित की गई है। वर्तमान में संचालित 5899 पाइप पेयजल योजनाओं में बेसलाइन सर्वेक्षण का कार्य प्राथमिकता पर करने एवं (एफ.एच.टी.सी.) से छुटे हुये समस्त परिवारों को (एफ.एच.टी.सी) दिये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है, एवं लगभग 955 परियोजनओं के अन्तर्गत 24.98 लाख (एफ.एच.टी.सी) दिये जाने हेतु रु0 1364 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किये जा चुके हैं। ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित की गई है।

- निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया जाना।
- पेयजल की गुणवत्ता से प्रभावित यथा जे.ई/ए.ई.एस. एवं आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना के अर्न्तगत चयनित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था।

पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैंः-

1. जल जीवन मिशन (पूर्व में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम)

वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 1585 पाइप पेयजल परियोजनायें निर्माणाधीन रहीं तथा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के मध्य 104 नई परियोजनायें प्रारम्भ की गई।

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता सबमिशन के अन्तर्गत आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित 462 बस्तियों को सम्मिलित कर वित्त पोषण अलग से प्रदान किया जा रहा है। सामान्य कार्यक्रम एवं सबमिशन के अन्तर्गत आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल हेतु संचालित परियोजनाओं में से वर्ष 2017-18 में 103 तथा वर्ष 2018-19 में 61 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में निर्माणाधीन 138 परियोजनाओं के सापेक्ष माह मार्च 2020 तक 23 परियोजना के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित-ग्रामों में 506 सयन्त्रों के लक्ष्य के सापेक्ष 506 संयन्त्रों की स्थापना के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्ष 2019-20 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत रु0 2954.10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम को वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल रु0 867.77 करोड़ की धनराशि उपलब्ध हुई है। गत वर्ष के अवशेष सहित माह तक कुल उपलब्धता रु. 1972. 11 करोड़ के सापेक्ष रु0 913.48 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

गुणवत्ता से प्रभावित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

प्रदेश में 20 जनपद ए0ई0एस0/जे0ई0 की समस्या से प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग उत्तर

प्रदेश द्वारा वर्ष 2011-12 में इन जनपदो में 3089 ग्राम संवेदनशील के रूप में चिन्हित किये गये थे। इसी प्रकार प्रदेश रसायनिक अशुद्धियों से प्रभावित स्रोतों वाली बस्तियों में पेयजल परीक्षण कर चिन्हीकरण किया गया था। वर्ष 2007-2009 में किये गये सर्वेक्षण में प्रदेश में 9344 बस्तियों को चिन्हित किया गया था। रासायनिक अशुद्धि में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामों को प्राथमिकता है। प्रदेश में 1444 आर्सेनिक से एवं 2386 फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियाँ चिन्हित हैं। रासायनिक गुणवत्ता से प्रभावित ग्रामों/बस्तियों में से अधिकांश बस्तियों को पाइप/ शोधन संयन्त्रो की स्थापना कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। माह मार्च 2020 तक अपडेट स्थिति के अनुसार आच्छादन हेतु अवशेष बस्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः-

पैरामीटर	आर्सेनिक	फ्लोराइड	आयरन	नाइट्रेट	सेलिनिटी	कुल योग
01-4-2020 के अनुसार अवशेष बस्तियाँ	164	72	283	10	79	608

भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त में से आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को माह दिसम्बर 2020 तक आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है।

2. नीर निर्मल परियोजना (विश्व बैंक सहायतित)-14 जनपदों में

नीर निर्मल परियोजना का चयन कम आय वाले चार राज्यों नामतः असम, बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में पेयजल एंव स्वच्छता सेवाओ में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में परियोजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जा रहा है।

वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश जल निगम को कुल रु0 524.64 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। गत वर्ष के अवशेष सहित कुल रूद्व 347.45 करोड़ की धनराशि वर्ष में व्यय की गई है।

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से निर्धारित दूरी के भीतर के क्षेत्रों में कार्य कराये जाते हैं। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 8 जनपदों, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर में उक्त योजना के अन्तर्गत कार्य निष्पादित किये जाते हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 से अद्यतन 13 पेयजल परियोजनायें स्वीकृत हैं। इनमें 8 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। 5 परियोजनायें वर्तमान वर्ष में निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2019-20 में गत वर्ष के अवशेष सहित कुल उपलब्ध रु0 8.63 करोड़ के सापेक्ष माह मार्च, 2020 तक रु0 66 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

भारत सरकार के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जाती हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों

में वर्ष 2017-18 तक रु0 659.90 करोड़ की लागत की 257 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 7 परियोजनाओं पर भूमि अनुपलब्धता अथवा ग्रामों के अन्य कार्यक्रम की पाइप पेयजल योजना में सम्मिलित होने के कारण समर्पित की गई हैं। मार्च, 2019 तक कुल 61 परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं। वर्ष 2019-20 में कुल 189 परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं, निर्माणाधीन परियोजनाओं में से माह मार्च 2020 तक 06 परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 55 परियोजनाओं पर 75 प्रतिशत से अधिक की प्रगति अर्जित की जा चुकी हैं। गत वर्ष के अवशेष सहित रु0 95.58 करोड़ की उपलब्धता के सापेक्ष माह मार्च, 2020 तक रु0 66.21 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण

वर्ष 1975 में जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के विकास तथा विनियमन और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 बनाया गया। अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में तत्समय राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश जल निगम तथा क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं के संचालन आदि हेतु ज़ल संस्थान झाँसी एवं गढ़वाल/कुमायूँ (वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में) का गठन किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 3426/9-2(3)-79 दिनाँक 01 अगस्त 1979 एवं 2894/9-2-87-57 (93)-87 दिनाँक 16 मार्च, 1988 द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्रामीण पेयजल योजनाओ के सन्दर्भ में जल संस्थान के अधिकार व दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम मे निहित किये गये। पंचायती राज संस्थाओ के अधिकार सम्पन बनाये जाने के उपरान्त से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पाइप पेयजल योजनाओ के संचालन व अनुरक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम, झाँसी/चित्रकूट जल संस्थान एवं ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रह है।

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम का कार्य कलाप

उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक ऐसी संस्था है, जो प्रदेश के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के साथ नगरों की ड्रेनेज व जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण कार्य कराती है।

यह विंग निदेशक, जो कि उ0प्र0 जल निगम के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी होते हैं, के अधीन कार्यों का सम्पादन करती हैं। वर्तमान में विंग में चार मुख्य महाप्रबन्धक (अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी), 10 महाप्रबन्धक (अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी) तैनात हैं। महाप्रबन्धकों के अधीन 40 यूनिटें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एवं 03 यूनिटें प्रदेश के बाहर- ऊधमसिंह नगर, अहमदाबाद (गुजरात) एवं बैगलूरू में कार्यरत हैं। इन यूनिटों के इंचार्ज परियोजना प्रबन्धक होते हैं। इस विंग में 139 वरिष्ठ स्थानिक अभियंता/स्थानिक अभियंता विभिन्न यूनिटों में कार्यरत हैं। प्रत्येक यूनिट के औसत टर्न ओवर की वाषिक क्षमता रु0 25.00 से 30.00 करोड़ के दृष्टिगत विंग प्रतिवर्ष लगभग रु0 1200.00 से 1500.00 करोड़ तक के कार्य संपादित करने हेतु सक्षम है।

निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, वि०/यो० नलकूप विंग का उद्देश्य एवं कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश जल निगम, उ0प्र0 शासन के अधीन एक ऐसी संस्था है जो प्रदेश के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों के कियान्वयन के साथ नगरों की ड्रेनेज व जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण कार्य कराती है।

यह विंग निदेशक जो उ0प्र0 जल निगम में मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यो का सम्पादन करती हैं। विंग में वर्तमान में एक मुख्य महाप्रबंधक कार्यरत है जो उ0प्र0 जल निगम में अधीक्षण अभियंता (वि0/यॉ0) स्तर के अधिकारी होते हैं, इनका कार्यालय लखनऊ में स्थित है। नलकूप विंग के अन्तर्गत 6 इकाईयों विभिन्न जनपदों में कार्यरत है। इन इकाईयों के इंचार्ज परियोजना प्रबंधक हैं, जो उ0प्र0 जल निगम में सहायक अभियंता (वि0/यॉ0) स्तर के अधिकारी होते है। यह 6 यूनिटें लखनऊ (2 नग), प्रयागराज, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा एवं गाजियाबाद में स्थापित है। प्रत्येक यूनिट में परियोजना प्रबंधक के अतिरिक्त यूनिट लेखाकार तथा जूनियर इंजीनियर (वि0/यॉ0) स्थानिक अभियंता के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में नलकूप विंग में 10 स्थानिक अभियंता नियमित एवं 4 सम्बद्ध रूप से कार्यरत है।

राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ

राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार के दिशा-निर्देश पर राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विभागीय आदेश संख्या 116/प्रा-1/एच0आर0डी0 सेल/9, दिनांक 13.05.96 के क्रम में शासनादेश संख्या 1575/38-5-99-657/97, दिनांक अप्रैल 26, 1999 द्वारा गठित मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता आदि के क्षेत्र में चल रहे समस्त मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के समन्वयक/नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु एक अधिकृत प्रकोष्ठ है, जिसमें कार्यरत प्रायः सभी अधिकारी/कर्मचारी विस्तृत अनुभव प्राप्त पर्यावरण अभियन्ता एवं सामुदायिक सहभागिता विशेषज्ञ है। प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 1996 से वर्ष 2008 के मध्य राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 68 जनपदों में 60,000 से अधिक प्रदेश के ग्रामीण उद्यमियों को न केवल हैण्डपम्प मैकेनिक, राजगीर, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सहभागिता प्रेरकों को प्रशिक्षित कर ग्रामीण पंचायतों का क्षमता विकास किया गया, अपितु प्रदेश के 35,000 से अधिक ग्रामों में जन-जागरूकता/आई0ई0सी0 कार्यक्रमों के साथ-साथ 275 विकास खण्डों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन कराकर 16,000 ग्रामों में ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समितियों (वी0डब्लू0एस0सी0) का गठन भी कराया गया।

आवास एवं शहरी नियोजन

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का उद्देश्य

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ आवासीय समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना एवं इस दिशा में किये जा रहे विकास को गति प्रदान करना है। यह विभाग नगरों की आवासीय एवं अन्य समस्याओं के निदान हेतु जहां एक ओर नीतियाँ निर्धारित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तीव्र गति से बढ़ रही नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में भी योगदान प्रदान करता है।

विभाग का अभ्युदय एवं विकास

आवास वस्तुतः मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आवासीय समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए प्रदेश सरकार पहले से ही जागरूक है। आवासीय समस्या के समाधान के लिये पूर्व में "स्वायत्त शासन विभाग" गठित था जो कालान्तर में "आवास नगर विकास" के नाम से पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1989 में "आवास एवं नगर विकास" विभाग का विघटन कर स्वतंत्र रूप से "आवास विभाग" का गठन किया गया जो नवम्बर, 2002 से नाम परिवर्तन के फलस्वरूप आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नाम से जाना जाता है।

समाज के विभिन्न वर्गों को सुनियोजित रूप से आवास की सुविधा मुहैया कराने हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1952 में एक सामाजिक आवासीय योजना का शुभारम्भ किया गया तथा इस योजना के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में आवास निर्माण एवं विकास के प्रयास भी किये गये। कालान्तर में शहरों को सुनियोजित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से एवं भवन निर्माण पर यथेष्ट नियंत्रण हेतु "उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958" के अधीन प्रदेश के प्रमुख नगरों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं निर्देशों के माध्यम से विकास एवं निर्माण कार्यों को सुनियोजित किया जाने लगा। प्रदेश में उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में कुल 72 विनियमित क्षेत्र घोषित हैं, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से आवास उपलब्ध कराने हेतु "आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965" के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन किया गया एवं इसके साथ-साथ सहकारी क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु वर्ष 1969 में "उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ" स्थापित किया गया, जो वर्तमान में नाम परिवर्तन के फलस्वरूप "सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड" के नाम से कार्यरत है। आवास निर्माण के साथ-साथ नगरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा "उत्तर प्रदेश

नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973" के अधीन सर्वप्रथम वर्ष 1974 में 5 नगरों (कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज एवं लखनऊ) में विकास प्राधिकरण गठित किये गये और अब तक प्रदेश में कुल 29 विकास प्राधिकरण गठित किये जा चुके हैं।

प्रमुख कार्य योजनाएं

अटल मिशन फार रिजूवनेशन एवं अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 59 नगरों में जी.आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान बनाया जाना

भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना अमृत के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 59 नगरों की जी.आई.एस. तकनीक पर महायोजनाएं तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को नोडल विभाग नामित किया गया है। अमृत योजनान्तर्गत महायोजना तैयार करने के कम्पोनेंट में निम्न तीन भाग सम्मिलित हैंः-

(क) सैटेलाईट इमेज आधारित बेसमैप्स

(ख) जी.आई.एस. आधारित महायोजनाएं

(ग) जी.आई.एस., तकनीकी का प्रशिक्षण।

महायोजनायें तैयार करने हेतु सैटेलाइट इमेज आधारित बेसमैप्स तैयार करने का कार्य भारत सरकार द्वारा "नेशनल रिमोट सेंसिंग, सेण्टर हैदराबाद को आवंटित किया जा चुका है। जी.आई.एस. आधारित महायोजनायें तैयार करने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा किया जा रहा है।

उक्त कार्य पर आने वाला व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा जिसकी 20 प्रतिशत (रु0 973 लाख) धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। महायोजनायें तैयार किये जाने सम्बन्धित स्टेट एक्शन प्लान (एस.ए.पी.) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है, जिसके क्रम में निविदायें आमंत्रित कर चयनित कन्सल्टेन्ट्स के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है। प्रारूप महायोजना तैयार किये जाने का कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। प्रारूप महायोजना की प्रदर्शनी आयोजित कर जनसामान्य से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के निस्तारणोंपरान्त अन्तिम महायोजना शासन को वित्तीय वर्ष 2021-22 तक प्रेषित किया जाना अनुमानित है।

शासन के कार्यों में विभाग की सहभागिता

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में विभिन्न नीतियों के आलेख तैयार करने का कार्य, अधिनियमों/नियमों में संशोधन का कार्य, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तैयार करना एवं उसमें संशोधन का कार्य, जोनिंग रेगुलेशन्स में संशोधन का कार्य एवं विभिन्न शासनादेशों के आलेख तैयार करने का कार्य किया जाता है। विभाग द्वारा किये गये कतिपय कार्यों का विवरण निम्नवतः-

भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अधीन एग्रीमेंट फार सेल/लीज का निर्धारण

प्रदेश में उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण का गठन हो चुका है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य सम्पादित होने वाले एग्रीमेंट फार सेल/लीज अनुबन्ध प्रारूप को मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त अधिसूचना संख्याः 1740/8-3-18-65 विविध/16, दिनांक 17.10.2018 द्वारा जारी किया जा चुका है।

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रियल स्टेट रेगुलेटरी अथारिटी) का गठन हो चुका है, जिसके प्रदेश में क्रियाशील होने के कारण भू-खण्ड, अपार्टमेण्ट या भवन का विक्रय दक्षतापूर्ण अैर पारदर्शी रीति से सुनिश्चित किया जाना और भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। विनियामक प्राधिकरण कार्यालय हेतु स्थायी रूप से भवन के निर्माण का कार्य त्वरित गति से प्रगति पर है।

अयोध्या विकास प्राधिकरण सीमा विस्तार

अयोध्या विकास क्षेत्र का सीमा विस्तार करने के सम्बन्ध में नगर निगम, अयोध्या, जिला-अयोध्या, नगर पंचायत क्षेत्र भदरसा जिला-अयोध्या, नगर पालिका परिषद क्षेत्र नवाबगंज, जिला-गोण्डा एवं 343 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10 द्वारा अधिसूचना संख्या 430/आठ-10-20-15ई/2011, दिनांक 15.12.2020 निर्गत की गयी।

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण सीमा विस्तार

मथुरा-वृन्दावन विकास क्षेत्र का सीमा विस्तार करने के सम्बन्ध में नगर पंचायत बरसाना एवं नगर पंचायत सौंख (डूंगर पट्टी) की सीमाओं के भीतर आने वाला समस्त क्षेत्र एवं 05 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10 द्वारा अधिसूचना संख्या-431/आठ-10-20-02 गठन/04, दिनांक 15.12.2020 निर्गत की गयी।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण सीमा विस्तार

गोरखपुर विकास क्षेत्र सीमा विस्तार करने के सम्बन्ध में नगर पंचायत पिपराईच, जिला गोरखपुर, नगर पंचायत पीपीगंज, जिला गोरखपुर, नगर पंचायत मुण्डेरा बाजार, जिला-गोरखपुर एवं 233 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10 द्वारा अधिसूचना संख्या-451/आठ-10-20-43 डी.ए./76 दिनांक 22.12.2020 निर्गत की गयी।

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2019 से आच्छादित इकाईयों को विकास शुल्क एवं भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 से आच्छादित इकाईयों को विकास शुल्क दर का 25 प्रतिशत का भुगतान तथा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-8/3099/91/2019-3, दिनांक 17.02.2020 निर्गत की गयी।

उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 'कृषि' से 'औद्योगिक' में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क को घटाया जाना

प्रदेश में औद्योगिकीकरण को तेजी प्रदान करने के लिए भूमि का कृषि उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु परिवर्तन शुल्क सर्किल रेट का 35 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत टेलीस्कोपी आधार के प्रावधान के साथ लागू किये जाने हेतु उ.प्र. नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में शासन की अधिसूचना संख्या-1/2020/1259/आठ-8-2020-04 विविध/2020, दिनांक 10.11.2020 द्वारा संशोधन किया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में कमी होने से प्रदेश में औद्योगिक इकाईयां आकर्षित होंगी और प्रदेश के औद्योगिक विकास के भी गति मिलेगी।

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' मानचित्र स्वीकृत प्रकिया का सरलीकरण एवं ऑन-लाईन किये जाने की कार्यवाही

आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में जनसामान्य की सुविधा हेतु आनलाईन मानचित्र स्वीकृति करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। 'आनलाईन बिल्डिग प्लान एप्रूवल सिस्टम' की व्यवस्था समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में लो रिस्क के भवनों हेतु सितम्बर 2019 एवं हाई रिस्क के भवनों हेतु जनवरी 2020 से लागू की जा चुकी है। सभी प्रकार के मानचित्रों की हाई-रिस्क एवं लो-रिस्क श्रेणी में विभाजित करते हुए लो-रिस्क श्रेणी के भवन मानचित्र आर्किटेक्ट द्वारा सत्यापित होने पर 4 घण्टे के अन्दर आपत्ति न होने की दशा में स्वतः स्वीकृत होने की व्यवस्था भी साफ्टवेयर में की गयी है। स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्र के समस्त एकल आवासीय भवन लो-रिस्क श्रेणी के अन्तर्गत आते है। लो-रिस्क के अलावा अन्य समस्त भवन मानचित्र एवं तलपट मानचित्र हाई-रिस्क की श्रेणी में रखे गये हैं, जिसमें स्थल निरीक्षण के बाद ही मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं। वर्तमान में लागू किये गये ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पोर्टल पर अभी तक 10,166 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से 6971 मानचित्रों का निस्तारण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के समस्त विनियमित क्षेत्रों में उक्त व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है।

ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपीएएस) की विशेषताएं

- प्राधिकरणों में मानचित्रों को ऑनलाईन जमा किये जाने की व्यवस्था है।
- ओ.बी.पी.ए.एस. द्वारा विकसित साफ्टवेयर में ऑटो-डी.सी.आर. तकनीक के माध्यम से स्वतः परीक्षण किया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप न हों।
- मानचित्र में कोई कमी पायी जाने की दशा में उक्त कमी/त्रुटि सम्बन्धी सूचना आवेदक/आर्कीटिक्ट के पास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः एस.एम.एस. द्वारा प्रदान की जाती है।
- निर्धारित अवधि में सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा जमा किये गये मानचित्र पर शार्टफाल किसी प्रकार का दिये जाने पर सिस्टम द्वारा स्वतः स्वीकृति पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही प्रगतिशील है।
- जिन विभागों से मानचित्र पर अनापत्ति की आवश्यकता होती है, को सिस्टम द्वारा स्वतः सम्बन्धित विभाग को मानचित्र प्रेषित करते हुए प्राप्त किया जाता है।

- मोबाईल अप्लीकेशन के माध्यम से आवेदक द्वारा अपने निर्माण कार्य को स्वतः अपडेट किये जाने की व्यवस्था है।
- आवेदक को मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रत्येक कार्यवाही की सूचना ई-मेल एवं मोबाइल एस.एम.एस. द्वारा स्वतः प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है।
- सम्पूर्ण प्रक्रिया को यथा-सम्भव "मानव हस्तक्षेप रहित" पद्धति पर तैयार किया गया है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार 2020-21

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग 5, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या 22019/881/81-57-2019-03/2019, दिनांक 21.11.2019 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वर्ष 2020-21 में 5.0 लाख पौधे रोपित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पत्र-संख्या 642/आठ-1-20-14 बैठक/17टी.सी., दिनांक 18.05.2020 द्वारा विभाग के अभिकरणों को 7,41,500 पौधे रोपित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अभिकरणों द्वारा वर्ष 2020-21 में 6,46,537 पौधे रोपित किये गये हैं, जिसमें मियावकी विधि से 54,900 पौधे सम्मिलित हैं। इस प्रकार विभाग द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अधिक पौधे रोपित किये गये हैं,

दिनांक 09 जनवरी, 202 द्वारा प्रख्यापित किया जा चुका है।

नगर भूमि सीमारोपण

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976, उत्तर प्रदेश राज्य में फरवरी, 1976 में लागू किया गया था। अधिनियम का मूल उद्देश्य बड़े शहरों मे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारकों से अधिग्रहीत कर इसे आवासहीन निर्बल आय-वर्ग को आवास हेतु उपलब्ध कराना, बड़े शहरों मे आवासीय समस्या का समाधान करना तथा शासकीय कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता की पूर्ति कराना था। वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम के अधीन नगर भूमि सीमा रोपण विभाग के कार्यालय प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, मेरठ एवं देहरादून (वर्तमान मे उत्तरांखण्ड में) स्थापित किये गये।

उक्त अधिनियम केद्र सरकार ने "नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999" द्वारा जनवरी 1999 में निरसित कर दिया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भी अंगीकृत कर लिया गया है। अधिनियम के निरसम के उपरान्त विभाग मे "नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम, 1976" के अन्तर्गत अधिग्रहण उपरान्त आवंटित हो चुकी भूमि का मूल्य प्राप्त करने की कार्यवाही, कब्जाशुदा भूमि पर चिन्हांकन/मूल्यांकन आदि की कार्यवाही की जा रही है। तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं में राज्य की ओर से पैरवी/शपथ पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग में कार्यरत कार्मिकों को अन्य विभाग मे स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

आवास बन्धु

संक्षिप्त परिचय

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के समाधान, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने, विकास प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषद की "सुविधाप्रदायक" भूमिका को सुदृढ़ बनाने तथा परियोजना क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण के उद्देश्य से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन वर्ष 1997 में "आवास बन्धु" का गठन किया गया है। आवास बन्धु, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लिए एक चिन्तन केन्द्र के रूप में कार्यरत है।

मुख्य कार्य-कलाप

(1) आवास सेक्टर की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के प्रत्युत्तर में एक नई सोच विकसित करना,
(2) आवास क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की समस्याओं का समाधान,
(3) विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् के कार्य-कलापों का अनुश्रवण एवं कार्यपूर्ति मूल्यांकन,
(4) लोक शिकायतों का समाधान,
(5) सिस्टम सुधार,
(6) प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का मानकीकरण
(7) प्रशिक्षण प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास

सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड

उ.प्र. सहकारी आवास समिति अधिनियम, 1965 के अधीन सहकारी आवास समितियों की शीर्ष सहकारी समिति के रूप में वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ का गठन किया गया था। संघ का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त उत्तराखण्ड में होने के फलस्वरूप संघ अब मल्टी स्टेट अधिनियम के अधीन होने के दृष्टिगत सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, मल्टी स्टेट अधिनियम, 2002 के अधीन सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड के रूप में कार्यरत है। सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम के मुख्य उद्देश्य एवं कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

(1) आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिए भूमि पटूटे पर, विनिमय, क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त करना तथा उसे विकसित करना।
(2) सदस्यों की आवश्यकतानुसार आवास बनाना या बनवाना और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना तथा प्राविधिक सलाह देना व दिलाना।
(3) सदस्यों को सीधी खरीद, किराया खरीद (हायर पर्चेज) या किराए के आधार पर आवास उपलब्ध कराना या देना।
(4) आवास निर्माण हेतु भूमि क्रय करने तथा आवास निर्माण के लिए सदस्यों को भूमि और भवन बन्धक रखकर ऋण देना।
(5) ऋण पत्रों (डिबेन्चर्स) तथा अन्य लेखों द्वारा ट्रस्टी की पूर्व अनुमति धन पाप्त करना।

(6) डिबेन्चर्स के अतिरिक्त अमानतें लेना तथा अन्य पद्धतियों से ऋण प्राप्त करना।
(7) राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों को ऋण प्रदान करना।
(8) सहकारी कालोनियों का विकास करना।

उ.प्र.मेट्रो रेल कारपोरेशन

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना

लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2013 में हुआ था, जोकि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विशेष प्रयोजन साधन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई थी।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण (फेज-1ए)-नार्थ-साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया) 22.878 किमी. तक शहर की व्यस्त व्यावसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों हेतु चिन्हित किया गया था एवं इस पर कार्य पूर्ण हो चुका है।

परियोजना लागत

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	रु0 5590 करोड़
अनुमोदित समापन लागत	रु0 6928 करोड़
परियोजना की अनुमानित समापन लागत	रु0 6928 करोड़

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की वर्तमान अवस्थिति

- ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक निर्मित लगभग 8.5 किमी0 लम्बे प्राथमिक सेक्शन पर मेट्रो सेवा का संचालन दिनांक 05.09.2017 से प्रारम्भ किया गया।
- चारबाग से के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम तथा ट्रांसपोर्ट नगर से चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक के लगभग 15 किमी0 के अवशेष सेक्शन पर निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही रिकॉर्ड अवधि में पूर्ण कराये गये।
- सम्पूर्ण नार्थ-साउथ कॉरिडोर पर निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिनांक 01.04.2019 था परन्तु लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा निर्माण कार्य 36 दिन पूर्व ही पूर्ण कराया गया।
- अवशेष सेक्शन पर मेट्रो सेवा के संचालन हेतु आवश्यक मुख्य संरक्षा आयुक्त से स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30.11.2018 को आवेदन किया गया। मुख्य संरक्षा आयुक्त द्वारा दिनांक 20.02.2019 से दिनांक 22.02.2019 तक अवशेष कॉरिडोर का निरीक्षण किया गया तथा इस पर मेट्रो रेल का संचालन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 23.2.2019 को स्वीकृति प्रदान की गई।
- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के सम्पूर्ण 22.878 किमी0 सेक्शन पर मेट्रो सेवा का संचालन दिनांक 08.03.2019 को मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार के कर-कमलों द्वारा शुभारम्भ किया गया है।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

- नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी.पी.आर. पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे दिनांक 24.01.2018 को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के आधार पर की गई बेंचमाथकग के अनुरूप परियोजना की लागत को संशोधित करते हुए डी.पी.आर. दिनांक 08.01.2019 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
- परियोजना पर पी0आई0बी0 द्वारा दिनांक 06.02.2019 तथा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 28.02.2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। तदुनुसार भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2049 तथा 27.05.2019 द्वारा स्वीकृति पत्र प्रेषित किया गया।
- अनुपूरक डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-
  - ❑ परियोजना की कम्पलीशन लागत - 11076.48 करोड़
  - ❑ परियोजना की पूर्णता अवधि - 5 वर्ष
  - ❑ परियोजना का ई.आई.आर.आर. - 18.48 प्रतिशत
  - ❑ परियोजना का एफ.आई.आर.आर. - 8.89 प्रतिशत

कॉरिडोर्स का विवरण

कॉरिडोर का नाम	कॉरिडोर की लम्बाई (किमी०)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
आई.टी. कानपुर से नौबस्ता	15.2	8.6	23.8	14	5	22
एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी से वर्रा-8	4.2	4.4	8.6	4	4	8

- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन का निर्माण कार्य मा0 मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा दिनांक 15.11.2019 को प्रारम्भ किया गया ।
- परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

- नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी.पी.आर. पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे दिनांक 24.01.2018 को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के आधार पर की गई बेंचमार्किंग

के अनुरूप परियोजना की लागत को संशोधित करते हुए अनुपूरक डी.पी.आर. दिनांक 08.01.2019 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

- परियोजना पर पी0आई0बी0 द्वारा दिनांक 06.02.2019 तथा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 28.02.2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2019 तथा 27.05.2019 द्वारा स्वीकृति पत्र प्रेषित किया गया।
- अनुपूरक डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-
  - ❑ परियोजना की कम्पलीशन लागत - 8379.62 करोड़
  - ❑ परियोजना की पूर्णता अवधि - 5 वर्ष
  - ❑ परियोजना का ई.आई.आर.आर. - 17.32 प्रतिशत
  - ❑ परियोजना का एफ.आई.आर.आर. - 0.07 प्रतिशत

कॉरिडोर्स का विवरण

कॉरिडोर का नाम	कॉरिडोर की लम्बाई (किमी०)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
सिकन्दरा से ताज ईस्ट गेट	6.3	7.7	14	6	7	13
आगरा कैण्ट से कालिन्दी विहार	15.4	-	15.4	14	-	14

- टी.टी.जेड. क्षेत्र में निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्रभावी मा0 उच्चतम् न्यायालय के स्थगनादेश के सापेक्ष परियोजना के कार्यों को प्रारम्भ कराये जाने हेतु दिनांक 16.10.2019 को मा0 उच्चतम् न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई।
- दिनांक 14.07.2020 को हुई सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगरा मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई।
- माननीय प्रधानमंत्री की शुभ उपस्थिति में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा दिनांक 07.12.2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण शुरू हुआ।

गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट (एल०आर०टी०) परियोजना

- शासनादेश सं0 165/आठ-7-17-29 एल0डी0ए0/2013 दिनांक 03.04.2017 द्वारा गोरखपुर महानगर में पर्यावरण अनुकूल, सुलभ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के संचालन हेतु फिजिबिलिटी/डी0पी0आर0 एवं कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तैयार कराने का निर्णय लिया गया।
- इस कार्य हेत भारत सरकार की अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था मेसर्स राइट्स को नामित किया

गया तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को नोडल विभाग तथा लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को समन्वयक बनाया गया।

- भारत सरकार द्वारा जारी नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा गोरखपुर महानगर हेतु कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान, ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तथा लाइट रेल ट्रांजिट (एल0आर0टी0) परियोजना हेतु डी0पी0आर0 माह मई, 2019 को तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।
- उक्त डी0पी0आर0 को लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा दिनांक 11.06.2019 को राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। दिनांक 30.08.2019 की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परियोजना के अनुमोदन के अन्तर्गत प्रस्तावित कॉरिडोर्स में कतिपय संशोधन करने की अपेक्षा की गयी। जिस क्रम में संशोधित डी0पी0आर0 तैयार की गयी, जिसे राज्य सरकार को दिनांक 13.09.2019 को प्रेषित किया गया।
- पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में दिनांक 03.01.2020 को आयोजित बैठक में डी0पी0आर0 में कुछ सुझाव प्रस्तावित किए गए। अपेक्षित परिवर्तनों को शामिल करते हुए संशोधित डी0पी0आर0 03.02.2020 को प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार से अनुमोदन के उपरान्त इसे भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

संशोधित डी0पी0आर0 के अनुसार परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

- ❑ परियोजना की कम्पलीशन लागत - 4672.00 करोड़
- ❑ परियोजना का ई0आई0आर0आर0 - 16.30 प्रतिशत
- ❑ परियोजना का एफ0आई0आर0आर0 - 2.09 प्रतिशत
- ❑ परियोजना की पूर्णता अवधि - 4 वर्ष

मेरठ मेट्रो रेल परियोजना

- नई मेट्रो रेल परियोजना, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी0पी0आ0 पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे दिनांक 24.01.2019 को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।
- प्रथम चरण में मेरठ मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत श्रद्धापुरी फेज-2 से जागृति विहार एक्सटेन्शन पर कॉरिडोर-2 का निर्माण किया जायेगा।
- भारत सरकार के सुझाव पर परियोजना का संशोधन किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

अन्य नगरों में मेट्रो लाइट/मेट्रो नियो परियोजनाएं क्रियान्वित किया जाना

प्रयागराज, वाराणसी, झांसी एवं मेरठ महानगरों में मेट्रो लाइट/मेट्रो नियो की स्थापना टेक्नोफिजिविलिटी अध्ययन कराने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 को भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2016 को लागू करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा 27 अक्टूबर 2016 को तत्क्रम में

उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली 2016 लागू की गयी एवं अधिसूचना दिनांक 28.10.2016 के माध्यम से उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) का गठन किया गया। अधिसूचना दिनांक 03 मई, 2017 द्वारा उ.प्र. द्वारा अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को अन्तरिम रूप से रेगुलेटरी अथोरिटी के रूप में यथा-अभिहित करने के आदेश जारी किये गए।

उ.प्र. रेरा में नियमित अध्यक्ष एवं सदस्यगणों की तैनाती के उपरान्त दिनांक 04 अगस्त, 2018 से नियमित प्राधिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2018 से राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण द्वारा उ.प्र. रेरा के आदेशों से सम्बन्धित अपील सुनने हेतु यथा-अभिहित किया गया एवं आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2018 के माध्यम से नियमित रूप से रेरा के अपीलीय अधिकरण का गठन कर दिया गया।

अन्य योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूंजी लेखा के अन्तर्गत रु0 285727.36 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नवत हैः-

- सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के टॉवर्स का निर्माण

उक्त मद में आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 2500.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था (चालू योजनाएं)

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 5000.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था (नये कार्य)

नई परियोजनाओं हेतु सम्बन्धित मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 5000.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

- गोमती नगर लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना

परियोजना की पुनः पुनरीक्षित लागत के आधार पर परियोजना को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत तद्नुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 4000.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

- संस्कृति स्कूल, लखनऊ का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृति परियोजना के सापेक्ष कार्य को किये जाने हेतु रु0 2000.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 59700.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

- वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना

उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 10000.00 लाख की बजट व्यवस्था पूँजी मद में किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

- आगरा मेट्रो रेल परियोजना

उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 47800.00 लाख की बजट व्यवस्था पूँजी मद में किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांन्जिट सिस्टम परियोजना

उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 132600.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

- उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

उक्त मद में वित्तीय वर्ष 20201-21 में रु0 986.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

- राज्य की राजधानी का विकास लखनऊ में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल" निर्माण कार्य

उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 5000.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

- अयोध्या स्थित सूर्य कुण्ड में विकास कार्य

उक्त मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 2000.00 लाख की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अन्य कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक ए.एच.पी.

- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनाक 25.06.2015 को किया गया है। मिशन के चार घटकों में से अफोर्डेबल-हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप घटक के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 भवन की लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान के लिए धनराशि रु0 1.50 लाख तथा राज्यांश रु0 1.00 लाख निर्धारित किया गया है। अवशेष धनराशि का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाना है।
- अनुदान धनराशि का भुगतान 03 किश्तों (40%, 40% व 20%) में किया जाना है।
- भवन का अधिकतम कारपेट क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर निर्धारित है तथा लागत पूर्व में अधिकतम रु0 4.50 लाख निर्धारित की गयी थी। अब बढ़ाकर न्यूनतम रु0 6.00 लाख (22.77 वर्ग मीटर कारपेट एरिया हेतु) कर दिया गया है।

लैण्ड बैंक

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा माह नवम्बर, 2021 तक पुनर्ग्रहण सहित समस्त स्रोतों से कुल 81.45 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गयी है तथा कुल 1154.56 हेक्टेयर भूमि की अर्जन की कार्यवाही प्रगति में है।
- करार नियमावली के अन्तर्गत आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर दर निर्धारित कर भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु दिशा-निदेश निर्गत किये गये हैं।

सबके लिए आवास योजना

- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को लगातार पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2820-21 में माह नवम्बर, 2020 तक निर्मित/निर्माणाधीन आवासों का श्रेणीवार प्रगति विवरण निम्नवत् हैः-

क्र.सं.	श्रेणी	निर्मित	निर्माणाधीन
1.	दुर्बल आय वर्ग	77	2968
2.	अल्प आय वर्ग	14	192
3.	मध्यम आय वर्ग	296	744
4.	उच्च आय वर्ग	01	89
	योग	**388**	**3993**

हाईटेक टाउनशिप

प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु शासनादेश संख्या-6087/9-आ-1-2003-34वि/03, दिनांक 22.11.2003 द्वारा हाईटेक टेक टाउनशिप नीति जारी की गईथी। उक्त नीति को शासनादेश संख्या-3872/आठ-1-07-34 वि/03, दिनांक 17.9.2007 द्वारा संशोधित करते हुए हाई टाउनशिप नीति, 2007 जारी की गई। हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2003 के अधीन वर्ष 2005 में 10 हाई टाउनशिप तथा हाई-टेक टाउनशिप नीति, 2007 के अधीन वर्ष 2009 में 03 हाईटेक टाउनशिप के प्रस्ताव स्वी.त हुए थे। इस प्रकार प्रदेश के विभिन्न नगरों में कुल 13 हाईटेक टाउनशिप के प्रस्ताव अनुमोदित हैं। हाईटेक टाउनशिप नीति के क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु शासन द्वारा उक्त नीति में समय-समय पर कतिपय संशोधन किए गए हैं। कालान्तर में हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित विकासकर्ताओं को यथावत रखते हुए शासनादेश संख्या-यूओ 487/आठ-4-2009, दिनांक 27.01.2010 द्वारा हाईटेक टाउनशिप नीति को समाप्त कर दिया गया है।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति

- एक 'सेल्फ-कन्टेन्ड" रूप में नियोजित एवं विकसित टाउनशिप, जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं

का एकी.त रूप से प्राविधान हो। इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ हो सकता है।

- इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति मूल रूप से शासनादेश संख्या-2711/आठ-1-05-34 विविध/03 दिनांक 21.05.2005 द्वारा लागू की गयी थी, जिसमें कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयां आने के कारण, शासनादेश संख्या-520/8-3-14-37 विविध/13 दिनांक 04 मार्च, 20144 द्वारा संशोधित की गयी है।
- वर्ष 2005 की नीति के अन्तर्गत कुल 33 निजी विकासकर्ताओं को लाईसेन्स निर्गत किये गये थे, किन्तु अधिकांश विकासकर्ता लाईसेन्स में निर्दिष्ट भूमि की एसेम्बली नहीं कर सके एवं तद्नुसार योजनाओं को भी पूर्ण नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त समस्याओं को विचार में रखते हुए संशोधित नीति-2014 में विभिन्न संशोधन कर इस योजना के संचालन हेतु समुचित प्रावधान किये गये हैं।

जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को आनलाईन किया जाना।

जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत कुल 8 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। जनहित गारण्टी की 07 सेवाएं (सम्पत्ति नामान्तरण, सम्पत्ति का पंजीकरण, आवंटी द्वारा जमा धनराशि की वापसी, नजूल भूमि छोड़कर शेष भवन भूखण्डों को फ्री होल्ड करना, आदेशों की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करना एवं भवन मानचित्र स्वीकृत) को आनलाईन कर दिया गया है। 01 सेवा जो शमन से सम्बन्धित है, वह प्रक्रियाधीन है।

अभिकरणों द्वारा निर्मित/विकसित सम्पत्तियों का आनलाइन किया जाना

समस्त अभिकरणों द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भांति अपनी सम्पत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से आनलाइन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिकांश अभिकरणों द्वारा अपनी सम्पत्तियों का विवरण अभिकरण की वेबसाइट पर अनलाइन कर दिया गया है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत 652 योजनाओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 569 योजनाओं में आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑनलाईन किया जा चुका है, जबकि अवशेष 83 योजनाओं में सम्पत्तियों को ऑनलाईन किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

वादों के निस्तारण की ऑनलाईन व्यवस्था

उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 (विशेष प्राधिकरण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में योजित वादों हेतु कम्प्यटरीकृत प्रणाली एन0आई0सी0 के माध्यम से विकासित करायी जा रही है। उक्त एप्लीकेशन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः

- प्राप्त किये जाने वाले वादों को ऑनलाइन योजित करना,
- तारीख देना,
- वादी-प्रतिवादी के साक्ष्यों/अभिलेखों को प्राप्त करना,
- नोटिस निर्गत करना,
- वाद में पारित आदेश 'अपलोड' किया जाना।

●

खाद्य एवं रसद, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप

संक्षिप्त इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनको उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "नागरिक आपूर्ति एवं राशनिंग विभाग" की स्थापना की गयी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर वर्ष 1946 में उपरोक्त दोनों विभागों को संविलियन कर प्रथम बार "खाद्य एवं रसद विभाग" की स्थापना की गयी तथा आयुक्त, नागरिक आपूर्ति एवं आयुक्त, राशनिंग को "सचिव" खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन कर दिया गया। वर्ष 1947 में पुनः पुनर्गठन करते हुए सचिव एवं आयुक्त के पद को एक कर दिया गया। शनैः-शनैः विभाग के विस्तार एवं कार्यवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए "विभागाध्यक्ष" की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, विभागाध्यक्ष के पूर्णकालिक आयुक्त, खाद्य एवं रसद के पद का सृजन 20 अप्रैल, 1967 को किया गया, लेकिन उक्त व्यवस्था अगस्त 1967 को पुनः समाप्त कर दी गयी और आयुक्त के पद को पुनः सचिव के पद के साथ मिलाकर एक कर दिया गया।

वर्ष 1973 में पृथक रूप से खाद्य आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई, परन्तु सचिव एवं आयुक्त का पद एक ही रहा। अप्रैल, 1981 में खाद्य आयुक्त के स्थान पर अल्प अवधि के लिए निदेशक की तैनाती भी की गयी, परन्तु यह व्यवस्था भी जुलाई 1981 तक सीमित रही। तब से लगातार खाद्यायुक्त कार्यालय कार्यरत है। वर्ष 1997 से पृथक रूप से खाद्य आयुक्त के पद पर पूर्णकालिक तैनाती की गयी तथा उक्त व्यवस्था वर्तमान में भी प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के रूप में "खाद्य आयुक्त" तथा शासन स्तर पर "प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद" कार्यरत हैं।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद

(i) गेहूँ का समर्थन मूल्य एवं क्रय केन्द्र-

वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सीधे किसानों से गेहूँ खरीद की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गयी। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 1925 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 55 लाख मीट्रिक (मी0) टन गेहूँ क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 30.06.2020 (क्रय सत्र की समाप्ति पर) तक 35.76 लाख मी0 टन गेहूँ क्रय किया गया। गेहूँ की खरीद हेतु प्रदेश में कुल 5896 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये थे।

(ii) एजेन्सीवार खोले गये क्रय केन्द्रों की संख्या, लक्ष्य एवं कुल गेहूँ खरीद का विवरण निम्नानुसार है-

रबी क्रय वर्ष 2020-21 में राज्य एजेन्सियों द्वारा खोले गये क्रय केन्द्र, एजेन्सीवार लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष कुल गेहूँ क्रय की स्थिति निम्नानुसार हैः

(मात्रा लाख मी० टन में)

क्र०	क्रय संस्था का नाम	क्रय केन्द्रों की संख्या	निर्धारित लक्ष्य	कुल खरीद
1.	खाद्य विभाग की विपणन शाखा	982	10.00	7.46
2.	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी०सी०एफ०)	3140	25.00	15.62
3.	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू०पी० एग्रो)	191	2.00	1.23
4.	उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन (पी०सी०यू०)	560	5.00	4.23
5.	उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस०एफ०सी०)	69	1.50	0.76
6.	उ०प्र० कर्मचारी कल्याण निगम	135	2.00	0.90
7.	नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लि० (नैफेड)	189	2.50	1.05
8.	उ०प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लि० (यू०पी०एस०एस०)	427	3.50	2.67
9.	एन०सी०सी०एफ०	100	2	0.50
	योग	**5793**	**53.50**	**34.42**
10.	भारतीय खाद्य निगम	103	1.50	1.34
	योग	**5896**	**55.00**	**35.76**

(iii) गेहूं क्रय केन्द्रों की स्थापना

रबी विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश में क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन इस प्रकार किया गया है कि किसी भी किसान को अपना गेहूँ विक्रय के लिए अधिक दूरी न तय करनी पड़े, जिसके लिए प्रदेश में कुल 5896 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये।

(iv) गेहूँ के मूल्य का भुगतान

कृषकों को उनके गेहूँ के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे कराने हेतु सभी संस्थाओं द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किया गया। वर्ष 2020-21 में गेहूँ खरीद योजना में कुल 663810 किसानों को रु0 6884.83 करोड़ का भुगतान किया गया।

(v) कृषकों के हित में की गयी कार्यवाही

किसानों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा टोल फ्री नं0-18001800150 एवं खाद्यायुक्त

कार्यालय, लखनऊ में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नं0 0522-2288906 स्थापित किया गया। किसानों की सुख-सुविधा हेतु क्रय केन्द्रों पर पानी पीने की, बैठने की छाया की व्यवस्था की गयी। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए फ्लैक्सी बैनर, पर्चे व पोस्टर तथा इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया का उपयोग किया गया।

(vi) ई-उपार्जन

रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समस्त क्रय एजेन्सियां, पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, भारतीय खाद्य निगम, एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर ऑन-लाइन गेहूँ क्रय की प्रक्रिया को अपनाया गया।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद

(i) श्रेणीवार धान का समर्थन मूल्य

कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद की जाती है। धान को दो श्रेणियों- 1. कॉमन तथा 2. ग्रेड-ए में वर्गीकृत किया गया है, जिसका समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा श्रेणीवार निम्नवत निर्धारित किया गया हैः-

क्र०	श्रेणी	धान का मूल्य (रु० प्रति कुं०)
1.	सामान्य	रु० 1868/-
2.	ग्रेड-ए	रु० 1888/-

(ii) क्रय संस्थावार धान क्रय केन्द्रों की संख्या

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु खरीफ वर्ष 2020-21 में व्यापक प्रबन्ध किये गये। प्रदेश में निम्नलिखित क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्र स्थापित कर धान खरीद का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है।

(iii) क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुख-सुविधा हेतु व्यवस्था

क्रय केन्द्रों पर किसानों हेतु सुविधाएं यथा- धान के मानक नमूने का प्रदर्शन, नमी मापक यंत्रों की व्यवस्था, धान की सफाई हेतु पंखा/छन्ना की व्यवस्था एवं पेयजल की व्यवस्था आदि के भी निर्देश दिये गये हैं। किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नं0 18001800150 स्थापित किया गया।

(iv) धान क्रय केन्द्रों की स्थापना

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश में क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि कृषक को अपना धान विक्रय करने हेतु 8 किमी0 से अधिक दूरी न तय करनी पड़े।

(v) धान के मूल्य का भुगतान

कृषकों को उनके धान के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे कराने हेतु सभी क्रय

संस्थाओं द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2020-21 में धान खरीद योजना में दिनांक 28.01.2021 तक कुल 1211450 किसानों को रु0 10056.758 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का की खरीद

(i) मक्का का समर्थन मूल्य

कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर किसानों से मक्का की खरीद की जा रही है, जिसका समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा रु0 1850 प्रति कुं0 निर्धारित किया गया है। प्रदेश में मक्का क्रय की अवधि दिनांक 17.10.2020 से दिनांक 15.01.2021 तक निर्धारित थी।

(ii) मक्का क्रय केन्द्रों की संख्या

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का की खरीद हेतु खरीफ वर्ष 2020-21 में व्यापक प्रबन्ध किये गये। खाद्य विभाग द्वारा 110 क्रय केन्द्र स्थापित कर मक्का खरीद का कार्य कराया गया। दिनांक 15.01.2021 तक निर्धारित क्रय लक्ष्य 01 लाख मी0 टन के सापेक्ष 1.06 लाख मी0 टन की खरीद की जा चुकी है।

(iii) मक्का के मूल्य का भुगतान

कृषकों को उनके मक्का के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे कराने हेतु खाद्य विभाग के विपणन शाखा द्वारा आर0टी0जी0एस0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2020-21 में मक्का खरीद योजना में कुल 24859 किसानों को रु0 19686.35 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

आपूर्ति शाखा

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013

क. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 01 मार्च 2016 से लागू है।

ख. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत लाभार्थियों की दो श्रेणियां हैं - अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी। दोनों ही श्रेणी के लाभार्थियों को गेहूँ रु0 2.00 प्रति किग्रा0 तथा चावल रु0 3.00 प्रति किग्रा0 की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न, जिसके अन्तर्गत 20 किग्रा0 गेहूँ तथा 15 किग्रा0 चावल प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 05 किग्रा0 खाद्यान्न जिसके अन्तर्गत 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.69 करोड़ जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 15.51 करोड़ एवं नगरीय क्षेत्र की आबादी 4.45 करोड़ है। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 15.51 करोड़ के सापेक्ष 79.56 प्रतिशत अर्थात 12.34 करोड़,

नगरीय क्षेत्र की आबादी 4.45 करोड़ के सापेक्ष 64.43 प्रतिशत अर्थात 2.87 करोड़ तथा प्रदेश की कुल आबादी 19.96 करोड़ के सापेक्ष 15.20 करोड़ जनसंख्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी में 12,05,48,381 (77.18 प्रतिशत) एवं शहरी क्षेत्रों की आबादी में 2,62,22,458 (60.05 प्रतिशत) पात्र गृहस्थी के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

घ. वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त जनपदों में चयनित लाभार्थियों हेतु कुल गेहूँ तथा चावल प्रतिमाह आवंटन करते हुए वितरण प्रतिमाह कराया जा रहा है।

2. जिला शिकायत निवारण अधिकारीः- प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी की व्यवस्था की गयी है।

3. जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्य

जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निम्न राहत प्रदान की जाएगीः-

क. 30 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर हकदारी निर्धारित किया जाना।

ख. 30 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुना और अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच के अन्तर को आपूर्ति न की गयी मात्रा से गुणा करके की जाएगी।

4. कोरोना महामारी के दौरान जारी राशन कार्ड की स्थिति व खाद्यान्न वितरण

कोविड-19 महामारी के दौरान राशन कार्ड एवं खाद्यान्न से वंचित पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड एवं खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु अभियान चलाकर राशन कार्ड बनवायें गये हैं। प्रदेश में माह अप्रैल से जून 2020 तक कुल 12,15,367 पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड कोरोना अभियान के अन्तर्गत जारी कराये गये हैं।

- एन०एफ०एस०ए० के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

कोरोना अभियान के अन्तर्गत एन0एफ0एस0ए0 के नियमित खाद्यान्न के साथ-साथ भारत सरकार के निर्देशानुपालन में अप्रैल, मई व जून 2020 में 03 माह तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रतिमाह 05 किग्रा0 (03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल) खाद्यान्न निःशुल्क वितरण कराया गया। इसके अन्तर्गत कुल 8,00,362 मी0टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण कराया गया है।

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

इस योजना के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय कार्ड धारकों, मनरेगा जाब कार्ड धारकों, श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों तथा नगर निकाय विभाग में पंजीकृत ऐसे दिहाड़ी मजूदर, जो पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं, उन्हें प्रति यूनिट 05 किग्रा0 निःशुल्क खाद्यान्न व प्रति कार्ड 01 किग्रा0 निःशुल्क चना का वितरण माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक कराया गया है। उक्त अवधि में इस योजना के अन्तर्गत कुल 56.19 लाख मी0टन खाद्यान्न तथा 2,69,529 मी0 टन चना का निःशुल्क वितरण कराया गया है।

- आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

इस योजना के अन्तर्गत प्रवासी/अवरुद्ध मजदूरों को अस्थायी राशन कार्ड संख्या जनरेट करते हुये, माह मई, 2020 से अगस्त, 2020 तक प्रति यूनिट 05 किग्रा0 की दर से 11888.657 मी0 टन निःशुल्क खाद्यान्न व प्रति कार्ड 01 किग्रा0 की दर से 1060.497 मी0टन निःशुल्क चना का वितरण कराया गया है।

5. दिव्यांगजन को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना

दिव्यांगजन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाया जाता है, जिसके अन्तर्गत 18,30,138 दिव्यांगजन को एन0एफ0एस0ए0 के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।

6. स्वयं सहायता समूहों को उचित दर दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता

उचित दर दुकानों से होने वाले आर्थिक लाभ के क्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को भी उचित दर दुकानों के आवंटन में सम्मिलित करते हुए समस्त आवेदकों पर प्रथम वरीयता प्रदान किये जाने का प्रावधान शासनादेश संख्या-02/2020/775/ 29-6-2020--162सा/2001 दिनांक 07.07.2020 में किया गया है, जिसके क्रम में वर्ष 2020 में अद्यतन 1024 उचित दर दुकानें स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत नियुक्त की गयी हैं।

विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) विभाग

विभाग का परिचय

बाट और माप के मानकों के निर्धारण, अन्तर्राज्यीय व्यापार में बाट-माप का नियंत्रण तथा वस्तुओं के तौल-माप में विक्रय या वितरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 प्रख्यापित किया गया एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न नियमों यथा- विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 आदि एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अधीन कार्य किया जाता है।

विधिक माप विज्ञान विभाग के प्रमुख कार्य

- उपभोक्ता के हित संरक्षण के दृष्टिगत व्यापारिक लेन-देन में प्रयुक्त होने वाले बाट माप, तौलने मापने के उपकरणों के मानकीकरण हेतु सत्यापन/मुद्रांकन एवं नियत कालिक पुनः सत्यापन/मुद्रांकन करना।
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्य, जिसमें अमानक बाट-माप तथा तौलने मापने के उपकरणों का प्रयोग, कम तौलना एवं मापना आदि पाये जाने पर उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत चालान/अभिग्रहण करना।
- विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम-2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत पैकेज में

रखी वस्तुओं पर वांछित घोषणाओं, पैकेज वस्तु की शुद्ध मात्रा, पैकेज पर अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आदि की जांच करना एवं अनियमितितायें पाये जाने पर नियमों के अन्तर्गत चालान/अभिग्रहण करना।

- उपरोक्तानुसार पकड़े गये मामलों में से शमनीय मामलों को सम्बन्धित द्वारा शमन हेतु आवेदन करने पर विभागीय स्तर पर शमन कर निस्तारित करना, शमन द्वारा निस्तारित न कराये गये एवं अशमनीय मामलों को न्यायालय में दाखिल/निवेशित करना।

बाटों मापों के सत्यापन/मुद्रांकन सम्बन्धी प्रक्रिया

विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा व्यापारिक उपयोग अथवा संरक्षण की दृष्टि से प्रयुक्त होने वाले बाट-माप, तौलने मापने के यंत्रों आदि की शुद्धता की जाँच करते हुए उन्हें नियतकाल में कार्यमानक प्रयोगशालाओं में सत्यापित/मुद्रांकित किया जाता है। प्रदेश में कुल 5 कार्यमानक प्रयोगशालायें स्थापित हैं। इन कार्यमानक प्रयोगशालाओं में विभिन्न व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये बाट माप, तौलने मापने के यंत्रों आदि का विधिवत सत्यापन एवं मुद्रांकन की कार्यवाही की जाती है।

शिविर कार्यालयों का आयोजन

राज्य में स्थापित विभिन्न कार्यमानक प्रयोगशालाओं में बाट माप के सत्यापन/मुद्रांकन की कार्यवाही की जाती है। उक्त के अतिरिक्त भी व्यापारियों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा नियमानुसार घोषित शिविरों में भी व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बाटों मापों के सत्यापन एवं मुद्रांकन की कार्यवाही की जाती है। इन शिविरों में ज्येष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक अस्थायी तौर पर अपने कार्यालय स्थापित करके कार्यमानकों से बाट माप के सत्यापन/मुद्रांकन की कार्यवाही करते हैं।

अनुज्ञप्तिधारियों से सम्बन्धित विवरण

विधिक माप विज्ञान विभाग में विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत बनायी गयी उ0प्र0 विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2011 के अन्तर्गत बाट माप के निर्माणकर्ता, विक्रयकर्ता एवं मरम्मतकर्ताओं को अनुज्ञापत्र दिये जाने का प्रावधान है तथा इन अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञापत्र वर्षानुवर्ष नवीनीकृत किये जाते है। निर्माणकर्ता का अनुज्ञापत्र नियंत्रक द्वारा जारी किया जाता है। विक्रयकर्ता अनुज्ञप्तिधारियों एवं मरम्मतकर्ता अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञापत्र सम्बन्धी कार्य आदि सम्भागीय अधिकारी (उपनियंत्रक/सहायक नियंत्रक) द्वारा सम्पादित किया जाता है। मरम्मतकर्ता अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा व्यापारियों के बाट माप आदि उपकरणों के मरम्मत का कार्य उनके अनुरोध पर किया जाता है तथा इन उपकरणों को सत्यापन/मुद्रांकन हेतु वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश

उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिये और उक्त प्रयोजन के लिये उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिये और उससे सम्बन्धित या अनुषांगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये भारतीय संसद द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2019 को उपभोक्ता

संरक्षण अधिनियम 2019 अधिनियम संख्या 35 पारित किया गया जो दिनांक 20 जुलाई, 2020 को प्रवृत्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवम् आवश्यक वस्तु निगम

1. संक्षिप्त परिचय

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवम् आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 22 अक्टूबर, 1974 को हुई थी, स्थापना के समय इस निगम को एक करोड़ की अधिकृत अंशपूँजी तथा 50 लाख रुपये की प्रदत्त अंशपूँजी स्वीकृत की गयी थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूंजी बढ़कर रुपया 5 करोड़ हो गयी है, जिसके विरुद्ध प्रदत्त अंशपूंजी भी रुपया 5 करोड़ हो गयी है तथा अंशपूँजी के विरुद्ध अग्रिम (आवेदन राशि) रुपया 733.86 लाख है।

2. गतिविधियाँ/कार्यकलाप

निगम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना, खाद्यान्नों, तेलों, बीजों तथा अन्य कृषि उत्पादों की खरीद, भण्डारण, संचालन, वितरण तथा विक्रय करना एवम् रबी/खरीफ क्रय योजना के माध्यम से किसानों को मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उचित मूल्य दिलाना है, इसके साथ ही भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये इसी प्रकार के अन्य कार्यों को भी संपन्न करना इस निगम का अनुषाँगिक उद्देश्य है।

वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश के 15 जनपदों हरदोई, लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, बदायूँ, रामपुर, बिजनौर, रायबरेली, उन्नाव, अलीगढ़ एवं हाथरस में शहरी एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, अन्नपूरक पुष्टाहार योजना तथा किशोरी बालिकाओं हेतु खाद्यान्न के अन्तर्गत गेहूँ, चावल तथा चीनी के उठान एवं स0स0ग0 विक्रेताओं को वितरण किये जाने सम्बन्धी कार्य तथा शासन की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ/धान की खरीद का कार्य प्रमुख रूप से किया जा रहा है इसके साथ ही लखनऊ में कुकिंग गैस की एक एजेन्सी का संचालन भी किया जा रहा है।

राज्य भण्डारण निगम

निगम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय भण्डारण नीति के अन्तर्गत 'दि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एण्ड वेयरहाउसिंग) कार्पोरेशन्स एट 1956" के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1958 में स्थापित। यह एक्ट बाद में रिपील होकर "दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962" के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। पुनः उ0प्र0 राज्यपुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-63 की उपधारा 03 के अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 937/49-1-2015-7 (3)-2014 लखनऊ, 21 मई, 2015 द्वारा 01 अप्रैल, 2015 में स्थापित इस निगम के समानुपातिक अंशधारी राज्य सरकार तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम हैं।

केन्द्रीय अधिनियम "दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962" में निगम की स्थापना के निम्न उद्देश्य/कार्यों का उल्लेख हैः-

(1) प्रदेश में केन्द्रीय भंडारण निगम से परामर्श के बाद विभिन्न स्थानों पर गोदाम/भंडारगृहों का अधिग्रहण एवं निर्माण कराना,

(2) प्रदेश में कृषि-उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथा अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण हेतु भंडारगृहों का संचालन करना,

(3) कृषि उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथा अधिसूचित वस्तुओं को भण्डारगृह पर लाने तथा वहां से ले जाने के लिए परिवहन सुविधाऐं उपलब्ध कराना,

(4) कृषि उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथा अधिसूचित वस्तुओं के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं वितरण हेतु, केन्द्रीय भण्डारण निगम अथवा सरकार के एजेन्ट के रुप में कार्य करना,

(5) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय भण्डारण निगम के साथ ज्वाइन्ट वैन्चर्स में शामिल होना,

(6) इसी प्रकार के अन्य ऐसे कार्य जो निर्धारित किये जायें।

समवाय ज्ञापिका/समवाय नियम

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एक सांविधिक निगम है। इसका कार्य संचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित "दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, 1962" के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत शासन द्वारा बनाये गये रूल्स के अनुसार निगम के दोनों अंशधारियों यथा- उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा नामित संचालक मण्डल द्वारा पदेन प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से किया जाता है। उक्त अधिनियम में निगम का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के

यहाँ कराने की व्यवस्था नहीं है।

निगम के वर्तमान कार्यक्रम तथा भावी योजनायें

भण्डारण क्षमता का उपयोग

निगम की भण्डारण क्षमता का उपयोग मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के सेन्ट्रल पूल में भण्डारण हेतु तथा उर्वरक संस्थाओं- इफकों, कृभको आदि द्वारा उर्वरकों के भण्डारण एवं वितरण हेतु किया जा रहा है। किसानों, सहकारी संस्थाओं, बीज उत्पादक संस्थाओं (उ0प्र0 बीज विकास निगम, उत्तराखण्ड तराई एवं बीज वित्त निगम, नैफेड आदि) तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (आई0टी0सी0, कारगिल इण्डिया आदि) एवं व्यापारियों द्वारा भी इस निगम के भण्डारगृहों में माल जमा करके वैज्ञानिक भण्डारण की सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है। किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा इस निगम के गोदामों में भण्डारित किये गये स्टाक के भण्डारण शुल्क में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। भण्डारगृहों से जारी भण्डार रसीदों पर बैंकों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है।

निगम द्वारा सरकार की मंशानुरूप (कृषकों की आय को दोगुना करने) वर्ष 2018 में 11 भण्डारगृहों एवं वर्ष 2020 में 10 भण्डारगृहों का डब्लू0डी0आर0ए0 (भण्डारागार विकास विनियामक प्राधिकरण) के अन्तर्गत पंजीकरण कराया गया था। वर्तमान में सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्रांक 25, दिनांक 01-07-2021 के अनुपालन में निगम के स्वनिर्मित एवं मण्डी समिति की भूमि पर निर्मित गोदामों (कुल 132 भण्डारगृहों) को डब्ल्यू0डी0आर0ए0 में पंजीकरण कराने की कार्यवाही प्रक्रिया में हैं, जिनमें से 77 भण्डारगृहों के पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त कृषकों द्वारा अपने उत्पाद का भण्डारण कराया जा रहा है। उक्त भण्डारगृहों में कृषकों द्वारा अपने उपज का भण्डारण कराने पर उन्हें निगोशियोबिल वेयर हाउसिंग रसीद निर्गत की जाती है, जिसे बंधक रखकर किसी भी बैंक से अथवा वित्तीय संस्था से 90 प्रतिशत तक ऋण प्राप्त किया जा सकता है तथा बाजार मूल्य अधिक होने पर किसानों द्वारा अनाज की बिक्री कर अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।

पी0ई0जी0 योजना, **2008** एवं डब्लू0डी0आर0ए0 के अन्तर्गत गोदामों का निर्माण

भारत सरकार की पी0ई0जी0-2008 योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 09 वर्ष के उपयोग की गारण्टी दिये जाने के आधार निगम द्वारा अपने भण्डारगृहों के परिसरों में उपलब्ध खाली भूमि पर दिनांक 31.03.2020 से पूर्व 1,43,667 मै0 टन भण्डारण क्षमता का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया, जिसका उपयोग भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों (गेहूँ/चावल) के भण्डारण में किया जा रहा है।

पी0ई0जी0 योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 वर्ष की गारण्टी के आधार पर निजी उद्यमियों से 13,40,500 मै0टन क्षमता निर्मित कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके विरुद्ध 10,67,500 मै0 टन क्षमता की गारण्टी भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्गत की जा चुकी है। 1,98,000 मै0 टन क्षमता के गोदाम पूर्ण है, परन्तु भारतीय खाद्य निगम से गारण्टी मिलना शेष है तथा 60,000 मै0 टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है और अवशेष 15,000 मै0 टन क्षमता के गोदाम निर्माण का कार्य आवंटित/प्रगति पर है।

पी0ई0जी0 योजनान्तर्गत 6,85,000 मै0टन (65,000 निगम तथा 6,20,000 मै0टन निजी उद्यमी) क्षमता सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 6,20,000 मै0टन क्षमता सृजन हेतु निजी उद्यमियों/फर्मों/संस्थाओं से निविदायें आमंत्रित करने की कार्यवाही की गयी, जिसमें से 30,000 मै0 टन क्षमता सृजित की जा चुकी है तथा 1,40,000 मै0 टन क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य आवंटित/प्रगति पर है एवं अवशेष 1,25,000 मै0टन की निविदा भारतीय खाद्य निगम की राज्य स्तरीय एवं उच्च स्तरीय समिति (एस.एल.सी/एच.एल.सी) स्तर पर विचाराधीन है और निजी उद्यमियों द्वारा 40,000 मै0टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है अवशेष 2,85,000 मै0 टन क्षमता सृजन हेतु निविदायें आमंत्रित की जानी हैं। मण्डी परिषद की 36 मण्डी समितियों एवं निगम के दो स्वनिर्मित भण्डारगृहों पर 5,000-5,000 मै0 टन कुल 1,90,000 (65,000 मै0 टन क्षमता पी0ई0जी0 योजनान्तर्गत) मै0 टन क्षमता का निमार्ण नाबार्ड की डब्ल्यू0आई0एफ0 योजनान्तर्गत रियायती दरों पर ऋण प्राप्त कर उ0प्र0 सरकार द्वारा नामित सहकारी क्षेत्र की निर्माण इकाई/एजेंसियों यथा- उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 एवं उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 को आवंटित किया गया था, जिसमें से 28 मण्डी समितियों पर 1,40,000 मै0 टन क्षमता का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष 50,000 मै0 टन क्षमता का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश में साइलो का निर्माण यथा स्थान 50,000 मै0टन हमीरपुर, 60,000 मै0टन ललितपुर एवं 50,000 मै0टन पीलीभीत प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

समाज कल्याण

समाज कल्याण विभाग का मूल उद्देश्य वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गों के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है।

शिक्षा, व्यक्ति अथवा समाज की उन्नति की कुंजी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों, विमुक्त जातियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना का संचालन इन वर्गों के लिए किया जा रहा है। कक्षा 9 से स्नातकोत्तर स्तर, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु समाज कल्याण विभाग अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ-साथ इन निर्बल वर्गों के छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालयों पर छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन भी इसी उद्देश्य विशेष की कड़ी के रूप में समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि अत्यन्त निर्धन परिवार जो अपने प्रतिदिन की भोजन व्यवस्था करने में असमर्थ एवं अनिश्चित भविष्य के शिकार होते हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों हेतु समाज कल्याण विभाग, आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन करता है। इन विद्यालयों में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ भोजन, कपड़ा एवं आवास भी राज्य सरकार उपलब्ध कराती है।

विभाग के मूल उद्देश्य, कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिन्हें मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि सदियों से पिछड़े व उपेक्षित, असहाय एवं दुर्बल लोगों का जीवन स्तर इस योग्य बनाया जा सके कि वे भी समाज के अन्य विकसित एवं उन्नत लोगों की बराबरी के स्तर पर आ सकें तथा खुशहाली का जीवन व्यतीत करने के लिए उन सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हें की जा सके, जिसके लिए वे स्वतन्त्र भारत के नागरिक होने के नाते प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में छात्रवृत्ति योजना, विद्यालयों को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना तथा उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता, पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जाना मुख्य है। अनुसूचित जाति सब-प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वतः रोजगार योजना, निःशुल्क भूमि/दुकान निर्माण/अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में

आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग भी संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा विभागीय निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जातियों एवं विमुक्ति जातियों के कल्याण हेतु अनुदान संख्या-80 के लेखा शीर्षक 2225 के राजस्व लेखा में रु0 13375.96 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है। अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक 2225 के राजस्व लेखा में रु0 113152.04 लाख, लेखा शीर्षक 4225 पूँजी लेखा में रु0 33740.42 लाख तथा लेखा शीर्षक 6225 में रु0 400.40 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश को सम्मिलित करते हुए अनुदान संख्या-80 में रु0 80014.70 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु0 20570.00 लाख कुल रु0 100584.70 लाख छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

शैक्षिक कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करने एवं उन्हें समाज में प्रतिष्ठापरक स्थान दिलाने के उद्देश्य से इन वर्गों के बालक/बालिकाओं को प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है। क्योंकि सरकार का यह मत है कि किसी भी समुदाय से शिक्षा का प्रचार-प्रसार उसके चतुर्दिक विकास की कुंजी है। योजना के प्रारम्भ में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य जनपद स्तर पर किया जाता था, किन्तु अक्टूबर 1991 में इस प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करते हुए विद्यालय को स्वीकृति एवं छात्रवृत्ति वितरण हेतु अधिकार प्रदान किया गया था। वर्तमान में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक योजना संचालित नहीं है।

छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार दूर करने तथा समस्त पात्र लाभार्थियों को त्वरित गति से लाभ पहुँचाने हेतु छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया का शैक्षिक सत्र 2007-08 से कम्प्यूटरीकरण किया गया। प्रदेश में वितरित की जा रही समस्त छात्रवृत्तियों को निर्धारित समयान्तर्गत वितरण करने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 जारी की गयी है। वर्तमान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) साफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित की जा रही है। कक्षा 9 से 10 एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति सम्बन्धी अर्हता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है एवं वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा रु0 2,50,000/- वार्षिक अभिभावकों की आय सीमा वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की सीमा निर्धारित है। कक्षा 9 से 10 तक पूर्वदशम छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् हैं :

	कक्षा 9 से 10 मासिक दर
अनुसूचित जाति/	**अनावासीय छात्रों हेतु** रु0 225/- प्रतिमाह (10 माह हेतु) तथा रु0 750/- एक मुश्त अनुदान **आवासीय छात्रों हेतु** रु0 350/- प्रतिमाह (10 माह हेतु) रु0 1000/- एक मुश्त अनुदान

पूर्वदशम कक्षा 9 व 10 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति

कक्षा 9-10 अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें शत प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से वर्ष 2012-13 से सुनिश्चित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से योजना में वित्तीय पद्धति 60 प्रतिशत केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश किया गया है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की जिनके माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2.50 लाख तक है, उन्हें छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से जारी शासनादेश संख्या-966, दिनांक 20.06.2014 के क्रम में छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-1, दिनांक 10.09.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित की जा रही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 20500.00 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 20500.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 20500.0 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु0 2.50 लाख (रु0 दो लाख पचास हजार मात्र) तक है, उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 से दिनांक 14.04.2016 व समय-समय पर संशोधित नियमावली के अनुसार निम्नानुसार छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस नियमावली के अनुसार छात्र/छात्राओं को अनुमन्य अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शैक्षणिक संस्था के समीपस्थ स्थित बैंक में खोले गये उनके बचत खाते में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतरित की जा रही है। वर्ष 2020-21 से योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की व्यवस्था भारत सरकार से लागू की गयी है।

क्र.सं.	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें	
	अनावासीय	छात्रावासी	
1	2	3	4
1	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2	ग्रुप-2	530/-	820/-
3	ग्रुप-3	300/-	570/-
4	ग्रुप-4	230/-	380/-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति दिये जाने की केन्द्र पुरोनिधानित योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रेमिडियल कोचिंग प्रदान करके उनके शैक्षिक अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के 6 जनपदों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, आगरा, मुरादाबाद के राजकीय इण्टर कालेजों में वर्ष 1988-89 में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं। विभाग को शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। इसके अन्तर्गत प्रति छात्र रु0 15000/- वार्षिक छात्रवृत्ति तथा प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं 4 अध्यापकों को शिक्षण हेतु रु0 10000/- वार्षिक मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 120.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 120.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 120.00 लाख का प्रावधान है।

प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नवयुवकों को तकनीकी ज्ञान कराने हेतु विभाग द्वारा निम्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक पालीटेक्निक संचालित हैः

1. राजकीय गोविन्द वल्लभ पन्त पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ।
2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर।

उपरोक्त केन्द्र राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रशिक्षण की अवधि व्यवसाय के अनुसार अलग-अलग है। उपरोक्त संस्थाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 979.88 लाख का प्रावधान था, तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 1046.49 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू01082.91 लाख का प्रावधान है।

विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार

ऐसे संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रुचि लेते हैं और प्राइमरी पाठशालाओं को संचालित कर शिक्षा देते हैं, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार आवर्तक अनुदान दिया जाता है। ऐसी संस्थायें जो अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयों/पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधायें देते हैं, उन्हें ही अनुदान दिया जाता है।

अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत से कम न हो।

आवर्तक अनुदान प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में अनुमन्य अध्यापकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन के समतुल्य धनराशि प्रत्येक वर्ष आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। आर्वतक अनुदान पर अनुदानित छात्रावासों/पुस्तकालयों को आवर्तक व्यय के मदों पर नियमानुसार देय धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में दी जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य सेवाओं की परीक्षा में प्रशिक्षण योजना

ग्रामीण तथा मध्यम वर्गीय कम आय वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बच्चे प्रतिभावान, मेधावी, लगनशील तथा परिश्रमी होते हुए भी उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित उचित पुस्तकों की जानकारी के अभाव में आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण तैयारी नहीं कर पाते हैं। आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 से सम्बन्धित आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अत्यन्त उच्च कोटि के स्तर तथा अद्यतन परिवर्तित/परिवर्धित होने वाले पाठ्यक्रमों के अनुरूप विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी के निमित्त कोचिंग केन्द्र के माध्यम से उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों को स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि इस वर्ग के अभ्यर्थी पूर्ण आत्मविश्वास एवं तैयारी के साथ इन परीक्षाओं में भाग ले सकें एवं इन सेवाओं में इस वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व समाहित हो सके। योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।

विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 01 अप्रैल, 1986 से लालगंज, प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा है। इस केन्द्र में विमुक्त जातियों को तीन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है:-

1. हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई,
2. सिलाई का प्रशिक्षण,
3. हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण।

प्रत्येक ट्रेड में 15-15 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान रु0 150 प्रति माह की दर से प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 37.62 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 40.11 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 41.61 लाख का प्रावधान ह।

प्रदेश के अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक आस्थानों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा 09 जनपदों– 1. रामपुर, 2. गाजीपुर, 3. फतेहपुर, 4. हरदोई, 5. अयोध्या (रानोपाली), 6. जालौन

(कालपी), 7. मुजफ्फरनगर, 8. वाराणसी रामनगर एवं 9. बदायूं में औद्योगिक आस्थान संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 146.83 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 154.28 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 160.20 लाख का प्रावधान है।

राजकीय उन्नयन बस्तियों का रख-रखाव

वर्ष 1924 में ब्रिटिश काल में घोषित अधिनियम के अंतर्गत अपराधी जातियों को बसाने के उद्देश्य से उन्नयन बस्तियों की स्थापना की गयी। स्वतन्त्रता के बाद उन्हें अन्य नागरिकों की भांति स्वतन्त्र कर दिया गया। इनको भूमि तथा कारखाने में कार्य दिलाकर बसाया गया है ताकि वे अपनी प्रवृत्ति को बदल कर कार्य करें एवं रोजी-रोटी में लग कर आदर्श नागरिक के रूप में जीवन-यापन कर सकें।

कल्याणपुर (कानपुर), फजलपुर (मुरादाबाद) तथा साहबगंज (लखीमपुर खीरी) में उपनिवेश बनाकर इस जाति के लोगों को रोजगार एवं खेतीबारी में लगाकर पुनर्वासित किया गया है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 272.06 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 286.21 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 297.52 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या 4,13,57,608 है। इन जातियों के प्रति सामान्य अस्पृश्यता/छुआछूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में न्यूनतम रु0 85,000/- से अधिकतम रु0 8.25 लाख की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 25000.00 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 25000.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 27500.00 लाख का प्रावधान है।

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा 66 विद्यालय बालकों हेतु तथा 28 विद्यालय बालिकाओं हेतु कुल 94 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 45 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का सी.बी.एस.ई. बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धीकरण कराया जा चुका है। सभी विद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा, यूनिफार्म, अवकाश आदि की एकरूपता के उद्देश्य से ''परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योजना 2017-18'' लागू की गयी है तथा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं आधुनिकतम रूप से कराये जाने हेतु स्मार्ट-क्लासेस की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त शत-प्रतिशत अनुदान पर संचालित स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 3 विद्यालय भी संचालित हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत अनुसूचित जाति में रु0 3961.10 लाख विमुक्त जाति में रु0 1426.46 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु0 12147.63

लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत अनुसूचित जाति में रु0 4022.98 लाख, विमुक्त जाति में रु0 1486.07 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु0 19353.29 लाख का प्रावधान है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत अनुसूचित जाति में रु0 4125.63 लाख, विमुक्त जाति में रु0 1533.20 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु0 91416.85 लाख का प्रावधान है।

उपलब्धियाँ

पं० दीन दयाल उपाध्याय स्वः रोजगार योजना

पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वः रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100000 परिवारों को रु0 10,000.00 लाख अनुदान रु0 1600.00 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रु0 38400.00 लाख बैंक ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में 21570 परिवारों को रुपया 2157.00 लाख अनुदान रु0 240.70 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रु0 10622.99 लाख बैंक ऋण प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 12878 परिवारों को रुपया 1287.80 लाख अनुदान रु0 168.21 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रु0 7274.35 लाख बैंक ऋण प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर 2020 तक 11612 परिवारों को रुपया 1161.20 लाख अनुदान रु0 98.44 लाख मार्जिन मनी ऋण तथा रु0 6987.38 लाख बैंक ऋण प्रदान किया गया।

नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना

नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों की निजी भूमि पर 8×10 फीट साइज की दुकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता रु0 78000/- मैदानी क्षेत्र में रु0 82000/- काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में अनुमन्य है। निर्माण लागत में रु0 10,000/- अनुदान तथा शेष धनराशि 10 वर्षों में बिना ब्याज के 120 समान मासिक किश्तों में वसूल की जाती है। योजना का संचालन वर्ष 1985-86 से नगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2018 तक गत वर्षों की निर्माणाधीन दुकानों सहित 633 दुकानें निर्मित करायी गयीं तथा 466 दुकानें निर्माणाधीन हैं, जिस पर रु0 455.21 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह मार्च, 2020 तक गत वर्षों की निर्माणाधीन दुकानों सहित 408 दुकानें निर्मित करायी गयीं तथा 566 दुकानें निर्माणाधीन हैं, जिस पर रु0 376.26 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक गत वर्षों की निर्माणाधीन दुकानों सहित 344 दुकानें निर्मित करायी गयीं तथा 381 दुकानें निर्माणाधीन हैं, जिस पर रु0 200.87 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

3. कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना

(क) टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम

टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना का संचालन निगम के टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षार्थी निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ ही साथ रु0 50/- से रु0 100/- प्रतिमाह वृत्तिका भी दी जाती है। यह योजना प्रशिक्षार्थियों द्वारा रुचि न लिये जाने के कारण वर्तमान में बन्द है।

(ख) कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना एवं अन्य योजनायें

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रशिक्षण योजना का संचालन कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कौशल विकास विभाग के माध्यम से संचालित है। माह फरवरी, 2014 से प्रशिक्षण योजना कौशल विकास मिशन को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

4. अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के आधारभूत सुविधाओं का विकास

यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की गई है। योजना अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त शत-प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित की जाती है। यह योजना निदेशालय, समाज कल्याण उ0प्र0 द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2018-19 में रु0 2500.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 2500.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 5000.00 लाख का प्रविधान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में रु0 5000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

1. अनुसूचित जाति सबप्लान के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.टू. एस.सी.एस.पी.) से भारत सरकार के सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति वाले ग्रामों को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सीधे चिन्हित करते हुये प्रदेश के कल 1377 ग्रामों का चिन्हीकरण किया गया है।
2. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर पर समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग तथा प्रदेश स्तर पर प्रबन्ध निदेशक, अनुगम को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।
3. चयनित 1377 ग्रामों में कुल 6,06,166 हाउसहोल्ड का आवश्यकतापरक मूल्यांकन कर केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से अभिसरण के माध्यम से तथा पी.एम.ए.जी.वाई. योजना में प्राप्त अन्तर-पाटन निधि से ग्राामों का समग्र विकास करना है। पी.एम.ए.जी.वाई. योजना में प्रति ग्राम रु0 20.00 लाख की अन्तर-पाटन गैप फीलिंग की धनराशि से अवसंरचना सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी है।
4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 5000.00 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में चयनित 724 ग्रामों हेतु रु0 75.05 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 में चयनित 665 ग्रामों हेतु क्रमशः 35.91 करोड़ तथा रु0 31.1935 करोड़ कुल रु0 67.1035 करोड़ की धनराशि अवमुक्त (राज्य सरकार) की गयी है,

जिसमें रु0 821.50 लाख प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि सम्मिलित है, जिसके सापेक्ष शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 821.50 लाख का धनावंटन किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक रु0 341.97 लाख का व्यय किया जा चुका है।

पं0 दीनदयाल मसाला आटा/चक्की योजना

अनुसूचित जातिके बी0पी0एल0 श्रेणी की महिला उद्यमी को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 18मण्डलीय जनपदों के ग्रामीण एवंशहरी क्षेत्रों में 125 महिला लाभार्थियों हेतु 2250 का भोतिक लक्ष्य एवं रु0 463.50 लाख का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं अन्य मुख्य योजनाएं

1. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा पोषित तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को शासनादेश संख्या-07/2019/1164/26-2-2019-100(1)/2017, दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा वृद्धजनों की पेंशन की धनराशि रु0 400/- प्रति माह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर रु0 500/- प्रति माह प्रति लाभार्थी की गयी है। बढ़ी हुई पेंशन की उक्त दर दिनांक 1.1.2019 से प्रभावी है। 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को दी जाने वाली सहायता धनराशि रु0 500/- में रु0 200/- केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा एवं रु0 300/- राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को रु0 500/- प्रति माह प्रति लाभार्थी के रूप में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता वहन की जाती है।

शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-1, दिनांक 10.09.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की धनराशि अंतरित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 257900.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 271000.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 360000.00 लाख का प्रावधान है।

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला/पुरूष) की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को रु0 30,000/- की एकमुश्त सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। मृतक की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो। यह योजना जिलाधिकारी की देखरेख में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संचालित की जा रही है। मृतक आश्रित को दी जाने वाली सहायता धनराशि रु0 20,000/- केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा तथा रु0 10,000/- राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा अर्थात कुल धनराशि रु0 30,000/- दिया

जाना अनुमन्य है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत धनराशि की अनुपलब्धता होने की दशा में शासनादेश संख्या-1739/26-2-2006 दिनांक 20 जून, 2006 में जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत कोषागार नियम-27 (टी.आर.-27) से धनराशि आहरण कर योजना का तत्काल लाभ सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-27/2526/26-2-2015-100(02)/2007, दिनांक 21.11.2015 को अक्रमित कर शासनादेश सं.-20/2016/1468/26.02.2016-100(02)/2007, दिनांक 10.06.2016 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है, जिसके अंतर्गत आवेदन उपरांत लाभार्थियों को उनकी देय सहायता का भुगतान पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 50000.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 50000.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 50000.00 लाख का प्रावधान है।

3. सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शासनादेश संख्या-12(2)/26-3-2013-रिट(23)/2011 दिनांक 07.01.2013 द्वारा 1 जुलाई 2012 से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु0 2.00 लाख (रु0 दो लाख मात्र) तक है, उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं.-12/26-3-2013-रिट(23)/2011, दिनांक 07 जनवरी, 2013 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली (यथा संशोधन) दिनांक 14.04.2016 द्वारा प्रख्यापित नियमावली के अनुसार निम्नानुसार छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है। नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अर्ह छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में प्रतिपूर्ति की जायेगी। सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में पाठ्यक्रमों में शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रु0 50000/- निर्धारित की गयी है।

सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष 2014-15 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या-966, दिनांक 20.06.2014 के क्रम में पी.एफ.एम.एस. सर्वर से परीक्षणोपरान्त राज्य एन.आई.सी. से प्राप्त डाटा के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में अन्तरित कराई जा रही है। इस योजना में सम्पूर्ण धनराशि राज्य स्तर से अनुदान संख्या-80 में वहन की जा रही है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 2500.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 2500.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 2500.00 लाख का प्रावधान है।

5. सामान्य जाति शादी योजना

यह योजना सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिये आर्थिक सहायता के

रूप में शादी अनुदान दिये जाने हेतु वर्ष 2006-07 से विभाग द्वारा संचालित है। शासनादेश संख्या-115/2016/1873/26-3-2016, दिनांक 10.06.2016, द्वारा शहरी क्षेत्र में पात्रता हेतु रु0 56460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता हेतु रु0 46080/- वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रु0 20000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 8250.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 5000.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 5000.00 लाख का प्रावधान है।

6. मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता

वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रदेश सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु रु0 50.00 लाख का प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 50.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 50.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 50.00 लाख का प्रावधान है।

7. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश के सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-166/2018/2337 /26-3-2019-4(188)/93 टी.सी., दिनांक 08.08.2018 द्वारा योजनान्तर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा रु0 2.00 लाख निर्धारित की गयी है। शासनादेश संख्या-40/2019/625/26-3-2019/4(188)93टी.सी., दिनांक 06.02.2019 द्वारा प्रति जोड़े को रु0 51,000/- दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत रु0 35000/- कन्या के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा तथा रु0 100000 आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, चांदी की पायल तथा 7 बर्तन) के लिये एवं कार्यक्रम के आयोजन हेतु रु0 6000/- की धनराशि व्यय की जायेगी। सहायता राशि की उक्त व्यवस्था विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के पुनर्विवाह के मामले में भी समान रूप से लागू होगी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 25000.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 25000.00 लाख का प्राविधान है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु 25000.00 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जनजाति विकास

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत प्रदेश में कुल पांच जातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी एवं राजी को सूचीबद्ध किया गया। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 11,34,273 है।

क्र०सं०	जाति	जनपद जिसमें निवास करते हैं
1.	गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड)	महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।
2.	खरवार/खैरवार	देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र।
3.	सहरिया	ललितपुर।
4.	परहिया	सोनभद्र।
5.	बैगा	सोनभद्र।
6.	पंखा, पनिका	सोनभद्र एवं मिर्जापुर।
7.	अगरिया	सोनभद्र।
8.	पटारी	सोनभद्र
9.	चेरो	सोनभद्र एवं वाराणसी
10.	भुइया, भुनिया	सोनभद्र

वर्ष 1984-1985 तक अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम/योजनाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता था, तत्पश्चात् जनजाति विकास निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। जनजाति विकास निदेशालय पूर्व में समाज कल्याण के भवन में स्थापित था, जो माह सितम्बर 2019 से भवन संख्या 142/4 सी, सेक्टर ए, मन्दिर मार्ग महानगर, लखनऊ में संचालित किया जा रहा है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य

जनजाति विकास निदेशालय की स्थापना निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्यों को लेकर की गयी

है :-

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जनजातीय परिवारों के व्यवसायिक जीवन पद्धति का आंकलन कर उनकी आर्थिक उन्नति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।
2. जनजातीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार।
3. जनजातीय समुदाय हेतु मानव संसाधन विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
4. जनजातीय समुदाय को समाज की मुख्य सामाजिक, आर्थिक धारा में समाहित करना तथा गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
5. जनजातीय समुदाय को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करना।
6. शिक्षा के स्तर में सुधार एवं साक्षरता दर में वृद्धि हेतु छात्रवृत्ति, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन, तकनीकी शिक्षा, कुशल कारीगरी, शिल्प उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का समावेश तथा स्वतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का संचालन।

ई-गवर्नेन्स की प्रगति

विभाग का यह लक्ष्य है कि योजनाओं के सफल संचालन एवं अनुश्रवण की समीक्षा हेतुसूचना विज्ञानकी प्रचलित आधुनिकतमूतकनीकों का अधकतमू उपयोग क विभाग में शत-प्रतिशत ई-गवर्नेन्स स्थापित किया जा सके। शतू प्रतिशत ई-पेमेन्ट के माध्यम से शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा रहा है तथा बैठकें तथा अनुश्रवण की कार्यवाही वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जा रह है। विभागीय वेबसाईट http://uptdd.gov.in विकसित करते हुए समस्त विभागीय सूचनाएं/योजनाओं का विवरण प्रदर्शित किया जा रहा है।

पारदर्शिता

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु छात्रवृत्ति वितरण हेतु परिवर्तित विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया लागू की गई है। कक्षा 09 से 10 तथा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृत्ति उनके बैंक खातें में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे अन्तरित की जा रही है। शिक्षा सत्र 2012-13 से अनुसूचित जनजति के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति) की सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा छात्रों के बैंक खाते में सीधे अन्तरित करने की व्यवस्था की गयी है। विस्तृत दिशा-निर्देश हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियामवली, 2012 प्रख्यापित की जा चुकी है, जिसमें यथासमय निर्गत संशोधनों के अनुसार हाई स्कूल के अनुक्रमांक/अधार संख्या को विशिष्ट पहचान चिन्हित करते हुए मास्टर डाटाबेस में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों के पंजीकरण, संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, शिक्षण संस्थाओं तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को संस्तुति सहित अग्रसारित करने, उक्त आवेदन पत्रों की जांच तथा पात्र छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के अन्तरण तक समस्त कार्यवाही आनलाइन ही सम्पादित की जा रही है। वर्तमान में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की

छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति तथा शादी अनुदान की धनराशि पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी0एफ0एम0एस0) साफ्टवेयर के माध्यम से ई-ट्रान्सफर के अन्तर्गत छात्रों/लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अन्तरित की जा रही है। विभाग क्रय प्रक्रियाओं में जेम पोर्टल का अधिकतम उपयोग किया जा रह है।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें/शैक्षिक/आर्थिक कार्यक्रम एवं उपलब्धियों का विवरण

विभाग द्वारा संचालित 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर 2015 के द्वारा नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित कर सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्ध कर संचालित करने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में विद्यालय शिक्षा सत्र 2016-17 से कक्षा 8 से 12 तक संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 04 विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिए संचालित विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, मानदेय, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, दवा आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35-35 छात्रों के दो वर्ग के आधार पर प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या 490 निर्धारित है। इस प्रकार इन विद्यालयों में कुल 4410 छात्र/छात्राओं के शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था है। जनपद बलरामपुर में 50 छात्रों की क्षमता का एक छात्रावास संचालित है। भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से कक्षा 6 से 12 तक (क्षमता 480 छात्र/छात्राएं) के 02 एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, एक अन्य एकलव्य माडल आवासयी विद्यालय मार्च से संचालित किया जायेगा। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित दो विद्यालयों को भी अनुदान दिया जाता है।

विभाग के नियन्त्रणाधीन विद्यालयों में अध्ययनत 04 छात्र/छात्राओं द्वारा अखिल भारतीय परीक्षा यथा- आई0आई0टी0 एवं नीट की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। विभाग द्वारा स्वरोजगार तथा रोजगार हेतु अनिवार्य अवयवों की पूर्ति के उद्देश्य से जनपद वाराणसी, बिजनौर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, ललितपुर आदि जनपदों में प्रशिक्षण का कार्य (काष्ठ कला, पत्थर कार्य, हस्त शिल्प) संचालित किया जा रहा है। विभाग द्वारा आसेवित बस्तियों में अवस्थापना सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग कार्य कराये जाने तथा जनजातीय क्षेत्र में मिनी स्टेडियम, अतथि गृह, अनुसूचित जनजाति द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सम्बन्धी उत्पादों तथा कृषि/वनोत्पाद हेतु विक्रय स्थल जनजातीय संग्रहालय आदि कार्य प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में उक्त संचालित योजनान्तर्गत विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या-1,860 छात्रावास में छात्रों की संख्या-50, पूर्वदशम के छात्र 4,785 दशमोत्तर के छात्र 19,782 कुल छात्रों की संख्या-26,477 को लाभान्वित किया जाना है।

माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दिनांक 30.12.2020 को जनजातीय समुदाय के समग्र विकास हेतु प्रस्तुतीकरण के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में वनाधिकार

अधिनियम-2006 के अन्तर्गत स्वीकृत पट्टाधारकों को विभिन्न विभाग यथा- ग्राम्य विकास/कृषि आदि के माध्यम से विभगीय योजनाओं यथा- मनरेगा/आवास/किसान सम्मान योजना आदि का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनजातीय समुदाय के व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किये जाने वाले लघुवन उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने के उद्देश्य से कुल रु0 320.00 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश वन निगम को उपलब्ध करायी गयी है।

प्रदेश में जनजातीय संग्राहलय की स्थापना हेतु भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है।

प्रदेश में संचालित परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः-

1. एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी, लखीमपुर-खीरी।
2. थारू विकास परियोजना, विशुनपुर-विश्राम, बलरामपुर।
3. बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर।
4. बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास (बहराइच एवं महाराजगंज)।
5. एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, सोनभद्र।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

वर्ष 2019-20 में कुल रु0 9541.51 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु0 11879.17 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह 2021 तक रु0 2213.17 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कुल रु0 13629.03 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 15 जातियाँ अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हैं जिनमें से बुक्सा, भोटिया, राजी, जौनसारी, थारू पूर्ण उत्तर प्रदेश में, गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड) जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में खरवार/खैरवार, जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र में सहरिया, जनपद ललितपुर में परहिया, बैगा, अगरिया, पठारी, भुइया, भुनिया, जनपद सोनभद्र में पंखा, पनिका, जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर में तथा चेरो जनपद सोनभद्र एवं वाराणसी में अनुसूचित जनजाति घोषित हैं। यह जातियाँ शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई हैं इसलिए इनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु सुनियोजित ढ़ंग से योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु0 2,50,000/- तक है उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 द्वारा निर्गत नियमावली सं0-2207/26-3-2012-4 (358)/07-टी0सी0-

02 दिनाँक 26 सितम्बर, 2012 तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में उल्लिखित नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा निम्नवत् दरों के आधार पर अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

क्र०सं०	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें	
		अनावासीय	छात्रावासीय
1.	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2.	ग्रुप-2	530/-	820/-
3.	ग्रुप-3	300/-	570/-
4.	ग्रुप-4	230/-	380/-

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-2020 में रु0 3636.80 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु0 3626.46 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कुल 31810 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु0 2800.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह जनवरी 2021 तक रु0 4.18 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कुल रु0 5000.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान हैं।

शोध छात्रवृत्ति

योजनान्तर्गत प्रदेश की जनजातियों के विकास पर किये जाने वाले शोध हेतु शोध छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में भारत सरकार से शत्-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में इस योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधान नही था। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु0 0.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधान नहीं है।

मेरिट उच्चीकुत योजनान्तर्गत सहायता

अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं के लिए मेरिट उच्चीकृत योजना वर्ष 2007-2008 में स्वीकृत की गयी है। जो भारत सरकार की शत्-प्रतिशत सहायता से संचालित की जायेगी। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 2.34 लाख का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 2.34 लाख का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 5.50 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालनः-

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता से एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, बलरामपुर द्वारा संचालित कार्यक्रमों का व्यय भारित है। उक्त परियोजनाओं द्वारा जनजाति के लोगों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी अवस्थापना मदों पर व्यय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रु0 605.90 लाख एवं वन

अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु रु0 52.30 लाख का तथा योजनान्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाईयों के निर्माण व संचालन हेतु अनुदान के लिए रु0 1713.00 लाख कुल रु0 2371.20 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु0 2217.26 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रु0 588.00 लाख एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु रु0 52.30 लाख का तथा योजनान्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाईयों के संचालन हेतु अनुदान के लिए रु0 1713.00 लाख कुल रु0 2353.30 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रु0 496.06 लाख की धनराशि माह जनवरी 2021 तक व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रु0 588.00 लाख एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु रु0 52.30 लाख का तथा योजनान्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाईयों के निर्माण व संचालन हेतु अनुदान के लिए रु0 3913.00 लाख कुल रु0 4553.30 का आय व्ययक में प्रावधान है।

पॉकेट प्लान तथा प्रिमटिव ग्रुप्स योजना

पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना के अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, विशुनपुर-विश्राम, जनपद बलरामपुर द्वारा संचालित योजनाओं के लिये शत्-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित है। इसके अतिरिक्त परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यकम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जनजाति समुदाय के लोगों को कृषि एवं लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु ट्राइफेड तथा एफ0पी0ओ0 के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करते हुए प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु0 94.34 लाख के उपलब्ध आय-व्ययक प्रावधान एवं जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु0 1500.00 लाख कुल रु0 1594.34 लाख का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु0 57.01 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास तथा कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु रु0 94.34 लाख एवं जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु0 1500.00 लाख कुल रु0 1594.34 लाख का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रु0 27.97 लाख की धनराशि माह जनवरी 2021 तक व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास तथा कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु रु0 200.00 लाख एवं जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत

निर्माण कार्य हेतु रु0 2000.00 लाख कुल रु0 2200.00 लाख का प्रावधान है।

बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान

बुक्सा जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम समूह घोषित किया गया है। इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। बुक्सा आदिम जनजाति विशेषतः जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती हैं। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसे जून 1996 से निदेशालय जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा हैं। इस परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु0 13.20 लाख का आय-व्ययक प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु0 13.20 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में इस योजनान्तर्गत रु0 50.00 लाख का प्रावधान है।

बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास

इस योजना से प्रदेश के अधिकांश जनजाति बाहुलल्य जनपदों में निवासरत् अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित किया जाता है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसे जून, 1996 से निदेशालय जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इस योजना हेतु विकास मद में वर्ष 2019-2020 में रु0 90.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु0 90.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रु0 13.48 लाख की धनराशि माह जनवरी 2021 तक व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में योजनान्तर्गत रु0 300.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

वन बन्धु कल्याण योजना

जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए वन बन्धु कल्याण योजना की अवधारणा की गयी है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों का शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत जनजाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों तथा अवस्थापना को सम्पादित किये जाने हेतु राजस्व मद में रु0 63.00 लाख एवं पूंजीगत मद में रु0 30.00 लाख कुल रु0 93.00 लाख का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु0 6.91 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना के संचालन हेतु आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी तथा अवस्थापना को सम्पादित किये जाने हेतु राजस्व मद में रु0 63.00 लाख एवं पूंजीगत मद में रु0 30.00 लाख कुल रु0 93.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रु0 1.21 लाख का व्यय माह जनवरी 2021 तक किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में योजना के संचालन हेतु आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी तथा अवस्थापना को सम्पादित किये जाने हेतु राजस्व मद में रु0 35.50 लाख

एवं पूंजीगत मद में रु0 30.00 लाख कुल रु0 65.50 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना (सोनभद्र) का क्रियान्वयन

अनुसूचित जनजातियों में 10 नई जातियों को सूचीबद्ध किये जाने के उपरान्त अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु जनपद सोनभद्र में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में प्रथम बार रु0 184.02 लाख की व्यवस्था की गयी थी। तब से उक्त योजना निरन्तर संचालित है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में योजनान्तर्गत अधिष्ठान एवं विकास मद में रु0 61.15 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु0 1.15 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में योजनान्तर्गत अधिष्ठान एवं विकास मद में कुल रु0 62.50 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कुल रु0 63.30 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

जिला कार्यालय का जनजाति विकास संबंधी अधिष्ठान

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संचालनार्थ जनपद बहराइच में 01 एवं जनपद सोनभद्र में 01 कर्मचारी तैनात है जिनके लिए स्थापना अधिष्ठान मद पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 209-2020 में रु0 23.89 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु0 14.25 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 24.70 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रु0 10.24 लाख की धनराशि माह जनवरी 2021 तक व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 25.50 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

प्रदेश में निवास करने वाली गैर अनुसूचित जनजातियाँ जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं, के लिए सहायक अनुदान

प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी जनजातियाँ यथा- कोल, घासिया, धनगर/ओरांव जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित हैं, के व्यक्तियों को जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं को कृषि, बागवानी तथा कुटीर उद्योग कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु0 10.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु0 10.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रु0 10.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है, जिसका योजनावार विवरण निम्न प्रकार है :-

(अ) कृषि तथा बागवानी

प्रदेश में निवास करने वाली कतिपय जातियाँ यथा- कोल, घासिया, धनगर/ओरांव जिनकी जीविका का प्रमुख साधन कृषि है, उनकी आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से मैदानी क्षेत्र के सोनभद्र मिर्जापुर, चन्दौली, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी जनपदों में निवास करने वाली गैर अनुसूचित जनजातियों के लिये कृषि तथा बागवानी के निमित्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यह अनुदान ऐसे व्यक्तियों को स्वीकृत किया जाता है जिनको नयी भूमि का आवंटन किया गया है तथा जिसका

धनाभाव के कारण विकास नहीं किया जा सकता है। जनजाति क्षेत्र में कृषि विकास सम्बन्धी योजनाओं के संचालन का दायित्व जनजाति विकास निदेशालय को सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में प्राविधानित धनराशि रु0 5.00 लाख का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु0 5.00 लाख की धनराशि आय-व्ययक में प्रावधान है।

वित्तीय 2021-2022 में रु0 5.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

(ब) कुटीर उद्योग

जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी जनपदों में निवास करने वाली गैर अनुसूचित जनजातियाँ यथा- कोल, घासिया, धनगर/ओरांव जिनके पास अपर्याप्त कृषि भूमि है और अपने पूर्व के व्यवसाय से ही जुड़े रहना चाहते हैं, उन्हें नये तकनीकी विकास के साथ उनके व्यवसाय के पुराने तरीकों में विविध परिवर्तन लाकर उन्हें लघु कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2019--2020 में प्राविधानित धनराशि रु0 5.00 लाख का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु0 5.00. लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

वर्ष 2021-2022 में रु0 5.00. लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

छात्रावास

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद बलरामपुर के मुख्यालय पर 01 छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त बरगदवा महराजगंज में 50 छात्रों की क्षमता का एक जनजाति छात्रावास संचालित किये जाने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रदान की गयी है तथा जनपद गोरखपुर, खीरी, गोण्डा, बलिया, चन्दौली व बलरामपुर में एक-एक छात्रावास निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में छात्रावासों के संचालन/निर्माण हेतु 720.14 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रु0 149.84 लाख की धनराशि माह जनवरी 2020 तक व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में छात्रावासों के संचालन/निर्माण हेतु रु0 747.54 लाख की धनराशि का प्रावधान हैं।

बुक बैंक की स्थापना

वित्तीय वर्ष 2004--2005 में यह योजना प्रारम्भ की गई। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2019--2020 में रु0 5.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था, जिसके सापेक्ष धनराशि व्यय नहीं हुई थी। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु0 5.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रु0 5.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

पूर्वदशम कक्षाओं में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत कक्षा 4 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित योजना को वित्तीय वर्ष- 2020-21

में पुनः प्रारम्भ किया गया। विभागीय बचतों के पुनर्विनियोग के माध्यम से कक्षा 1 से 5 हेतु रु0 134.82 लाख तथा कक्षा 6 से 8 हेतु रु0 83.77 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। कक्षा 1-5 तक के छात्रों हेतु रु0 300.00 प्रति वर्ष एवं 6 से 8 तक के छात्रों हेतु रु0 480.00 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।

कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय पूर्व में रु0 2,00,000/- तक थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 से बढ़ाकर रु0 2,50,000,/- की गयी है, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 9-10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को रु0 3000/- वार्षिक छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019-2020 में प्राविधानित धनराशि रु0 195.00 लाख का प्रावधान था जिसके सापेक्ष रु0 110.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में प्रावधानित धनराशि रु0 195.00 लाख का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रु0 4.18 लाख की धनराशि माह जनवरी 2020 तक व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रु0 195.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यूनीफार्म एवं साइकिल अनुदान

कक्षा 6, 9 व 11 की अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों या अन्य किसी आवासीय विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, बल्कि किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ती हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप यूनीफार्म एवं बाइसिकिल निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु यूनीफार्म एवं साइकिल योजना वित्तीय वर्ष 2003-2004 से स्वीकृत की गयी है, जिसमें पूर्व में निर्धारित दरों में परिवर्तन करते हुए वर्ष 2018-19 से साइकिल हेतु रु0 3,300/- तथा यूनीफार्म हेतु रु0 700/- कुल रु0 4000/- प्रति छात्रा हेतु निर्धारित है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु0 100.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान के सापेक्ष रु0 33.67 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु0 100.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में धनराशि रु0 100.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के रख-रखाव हेतु सहायता

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शासन द्वारा चयनित स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु सहायता अनुदान स्वीकृत करने की योजना वर्ष 1979-1980 से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय 2019-2020 में रु0 70.00 लाख के उपलब्ध आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष रु0 144.52 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रु0 124.52 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है, जिसके सापेक्ष रु0 105.64 लाख की धनराशि माह जनवरी 2021 तक व्यय की

गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रु0 124.52 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

लघुवन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

योजनान्तर्गत नान टिम्बर लघु वन उपजों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अपने निर्धारित अंश के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है जिसे कार्यदायी संस्था उ0प्र0 वन निगम को हस्तानान्तरित कर दिया जाता है। योजनान्तर्गत लघुवन उपजों के विपणन हेतु हाट बाजारों के सुदृढ़ीकरण व गोदामों का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है। लघुवन उपजों के विपणन हेतु वित्तीय वर्ष-2020-21 में आय-व्ययक प्रावधान न होने के कारण रु0 320.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्रावधान करते हुए उ0प्र0 वन निगम को उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष-2021-2022 लघुवन उपजों के क्रय हेतु रु0 240.00 लाख एवं हाट बाजारों के सुदृढ़ीकरण व गोदामों के निर्माण हेतु रु0 1095.00 लाख का प्रावधान कराते हुए कुल 1335.00 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ

प्रदेश में अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र., लखनऊ की स्थापना वर्ष 1986-87 में शासनादेश संख्या-1261/26-ज-86-850-84 दिनांक 15 जनवरी 1987 द्वारा की गयी। यह संस्थान अन्य प्रदेशों की भाँति जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की शोध प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत स्थापित है।

संस्थान के उद्देश्य तथा निर्धारित कार्य

शासन द्वारा इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैंः

1. पिछडे वर्गों-जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियां सम्मिलित हैं, के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं हेतु शोध तथा सर्वेक्षण कार्य करना।
2. विभिन्न विकास योजनाओं के परिकल्पन, नियोजन तथा क्रियान्वयन की प्रकिया-विधि का विकास करना।
3. पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्य पर लगे कार्मिकों (अधिकारियों तथा कर्मचारियों) को विभिन्न विकास योजनाओं को तैयार करने व उनके सुचारु कियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षित करना।
4. पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों का अध्ययन मूल्यांकन करना तथा उसमें संशोधन/परिवर्धन तथा सुधार की सिफारिश करना।
5. पिछड़े वर्गों के कल्याण/विकास के संबंध में बहुआयामी सामग्री का संचय तथा प्रकाशन करना।
6. आवश्यकता होने पर पिछड़े वर्गों के लिए व्यवहारिक योजनाएं तैयार करना।

●

महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार

भारत सरकार के सहयोग से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्राविधानों के अनुसार देखरेख की आवश्यकता एवं संरक्षण तथा विधि विरूद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों के संरक्षण, कल्याण, एवं पुनःस्थापन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण सेवाएं योजना वर्ष 2010 से प्रदेश में संचालित की जा रही है। अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार 51 राजकीय संस्थायें (26 राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, 08 बाल गृह (बालक), 04 बाल गृह (बालिका), 05 बाल गृह (शिशु), 02 विशेष गृह, 01 प्लेस ऑफ सेफ्टी, 05 पश्चात्वर्ती देख रेख संगठन) संचालित है। राज्य सरकार दत्तक ग्रहण के लिये अनाथ, त्यक्त, या अभ्यर्पित बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल सहायता हेतु बच्चों पुनर्वासित किये जाने हेतु प्रदेश में 05 राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 07 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित है।

स्टेट डॉटा मैनजेमेंट सेंटर की स्थापना की गयी, जिसके माध्यम से महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं, मण्डलीय कार्यालयों तथा जिला कार्यालयों का सी0सी0टी0वी0 के माध्यम से मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। विभागीय सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम0आई0एस0) को तैयार कर समेकित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) के अन्तर्गत् विभाग की समस्त सूचनाओं को रियल टाइम में अपलोड किये जाने का कार्य किया जा रहा है।

बच्चों का पुनःस्थापन के लिये योजना के अन्तर्गत स्पांसरशिप, फोस्टर केयर एवं दत्तक ग्रहण का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2020-21 में स्पांसरशिप एवं फोस्टर केयर योजना के अन्तर्गत क्रमशः 1007 व 05 बालकों को लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक 236 बालकों को दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुर्नवासित किया गया है। गत वर्ष अभी तक 135 बच्चों को एडॉप्शन में, 1009 बच्चों को स्पॉन्सरशिप से तथा 03 बच्चों को फॉस्टर केयर के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के उनके भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' प्रारम्भ की गयी है। 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई हो। ऐसे बच्चों को रू0-4000 /- प्रति माह की सहायता दी जा रही है। ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गए हों एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अन्तर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराया जा रहा है। 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा-12 तक की निःशुल्क शिक्षा

हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। प्रदेश सरकार उपरोक्त प्रकार की बालिकाओं के शादी योग्य होने पर शादी हेतु रू0-101000/- (एक लाख एक हजार) की राशि उपलब्ध करा रही है। साथ ही उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कक्षा-9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को Tablet/ Laptop की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जनपद स्तर पर ऐसे बच्चों को लाभ दिलाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क कर आवेदन पत्र भराए जा रहे हैं तथा अब तक प्रदेश में 9207 ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड से हुयी है को चिन्हित कर, निरंतर त्रैमासिक रूप में अग्रिम धनराशि प्रेषित की जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

प्रदेश में समान लिगांनुपात स्थापित करने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ करने, बालिकाओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरू की गयी है। योजना के अन्तर्गत देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तान्तिरित की जाती है। योजना के अन्तर्गत मुख्यतः ऐसे लाभार्थी पात्र होते हैं जिनका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख तथा जिनके परिवार में अधिकतम् दो बच्चे हों योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को कुल 6 श्रेणियों में जन्म के समय रू0 2000/-, एक वर्ष के टीकाकरण पूर्ण करने पर रू0 1000/-, कक्षा-1 में प्रवेश के समय रू0 2000/-, कक्षा-6 में प्रवेश के समय रू0 2000/-., कक्षा-9 में प्रवेश के समय रू0 3000/- तथा दसवीं / बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री या दो वर्षीय या अधिक के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर रू0 5000/- प्रदान किये जाते हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा जुलाई-अगस्त 2024 में विशेष अभियान संचालित करते हुये बालिकाओं को चिन्हित व लाभान्वित किया जा रहा है। मिशन शक्ति के पूर्व चरणों तथा आने वाले चरणों में भी इस योजना के प्रचार - प्रसार में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगस्त माह से प्रत्येक 15 दिवसों के अंतराल में स्वावलंबन कैम्प का आयोजन कर इस योजना के आवेदन पूर्ण कराने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। कैम्प तथा अन्य प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का सहयोग लिया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 10.91 लाख पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

महिला हेल्पलाईन

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 181-महिला हेल्पलाईन के रूप में पहल की गयी है। 181 एक टोल फ्री नम्बर है, जो 24x7 कार्य करता है। महिला हेल्पलाईन पर कोई भी महिला एवं बालिका जो विषम परिस्थितियों से ग्रस्त हो अथवा उसको किसी भी अन्य प्रकार की समस्या या आवश्यकता की पूर्ति या सलाह की आवश्यकता हो, टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकती है। इस हेल्पलाईन को वर्ष 2020-21 में 112 केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर लखनऊ के साथ समेकित किया गया है। विषम परिस्थिति

से ग्रस्त महिला द्वारा कॉल करने पर कॉल सेन्टर की प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा महिला को परामर्श दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक योजना के अन्तर्गत 4.52 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यवहरित की जा रही पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को रू0 500 /-प्रतिमाह की दर से चार तिमाही में पेंशन का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो व उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु 2.00 लाख से अधिक न हो को पात्र लाभार्थियों के रूप में उनके बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है। उपरोक्त के अंततगत गत वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विशेष पैकेज के रूप में पात्र लाभार्थियों को नियमित अनुदान के साथ ही रू0 500/- की 02 किश्तों मे रु0 1000/- की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की गयी है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा शत्-प्रतिशत् प्रायोजित योजना है। इस योजना का संचालन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। योजना का उद्देश्य गिरते हुए ऋलगानुपात में सुधार करना, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा बालिका के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करना है। योजना के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों यथा- नाटक /नुक्कड, बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग, जनसभा, रेडियो जिंगल, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं आदि समारोहों का आयोजन कर जनमानस मे जन जागरूकता फैलाई जा रही है।

यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आच्छादित जनपदों द्वारा कुल उपलब्ध धनराशि 17.32 करोड़ के सापेक्ष रू0 9.79 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 से योजना के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा सीधे जिलाधिकारी को स्वीकृत की जाती है। जिलाधिकारी द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को सीधे प्रेषित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना में रू0 1798.00 लाख के सापेक्ष रू0 970.00 लाख का व्यय किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 1396.00 लाख के सापेक्ष रू0 1011.00 लाख का व्यय किया गया। जनसामान्य की मानसिकता में सकरात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 96.95 लाख महिलाओं/बालिकाओं से सम्पर्क कर उन्हें जागरूक किया गया तथा वर्ष 2020-21 में कुल 1.96 लाख गतिविधियों के माध्यम से 73.60 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया है। गत वर्ष अभी तक कुल 19771 गतिविधियों के माध्यम से 11.96 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया है।

महिला शक्ति केन्द्र

महिला शक्ति केन्द्र योजना महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने, जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने हेतु सरकार से सम्पर्क करने के लिये इंटरफेस प्रदान करती है। इस योजना के अंर्तगत वर्तमान में प्रदेश में 67 जनपदों में महिला शक्ति केन्द्रों में स्टाफ

का चयन करके संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत 5550 गतिविधियों के माध्यम से 13.79 लाख महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्पर्क कर जागरूक किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 18.46 लाख महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया। गत वर्ष अभी तक कुल 18498 गतिविधियों के माध्यम से 15.03 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया है तथा 1.12 लाख महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है।

रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष

महिलाओं व बालिकाओं के विरूद्ध होने वाले जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के प्रति प्रदेश सरकार अत्यंत संवेदनशील है। कोष के अंर्तगत जघन्य अपराध से पीडित महिलाओं व बालिकाओं को 1 लाख से 10 लाख रूपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। साथ ही निशुल्क चिकित्सा सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। योजना के अंर्तगत वर्ष 2020-21 तक कुल 4937 महिलाओं तथा बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी गई थी और गत वर्ष अभी तक कुल 456 महिलाओं तथा बालिकाओं को यह सहायता दी गई हैं जिसके साथ ही योजना के प्रारंभ से अभी तक कुल 5,393 महिलाओं तथा बालिकाओं को क्षतिपूणत धनराशि दी गई है।

मिशन शक्ति अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस हेतु में मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में "महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सशक्तिकरण व सम्मान" के उददेश्यों के साथ "मिशन शक्ति" के रूप वृहद अभियान की शुरूआत शरदीय नवरात्र के अवसर पर 17 अक्टूबर 2020 से की गई है।

मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अंतर्गत कार्यक्रम

- "हक की बात जिलाधिकारी के साथ" - 7 अगस्त, 2 नवम्बर तथा 2 दिसम्बर 2021 को आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओ तथा बच्चों के प्रति यौन हिंसा, लिंग असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर यौन हिंसा और दहेज हिंसा आदि के मुद्दों को संबोधित करने हेतु, समस्त जनपदों में 2 घंटे का इंटरफेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कुल 1787 शिकायतें दर्ज की गई हैं और 1186 का समाधान कार्यक्रम के दौरान ही पूर्ण, किया से अन्य प्रकरणों पर जिलाधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है।
- "कन्या जन्मोत्सव" - प्रदेश के समस्त. जनपदों द्वारा दिनांक 11 अगस्त को सरकारी अस्पतालों यानि जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि में जन्मी 1778 बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मां-बेटियों को उपहार बांटे गए। जनपदों द्वारा जन्मी बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत प्रतीकात्मक रूप से कुल 1409 पौधे लगाए हैं और पुरुषों और बालकों को इन पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपकर "पुरुष सहभागिता" सुनिश्चित की गई ।
- "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" - माह अगस्त के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, इस संबंध में सभी जिलों को लक्ष्य दिए गए। नतीजतन, लगभग 1,55,000 नई पात्र बालिकाओं को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया था, 2। अगस्त को मिशन शक्ति 3.0 लॉन्च

कार्यक्रम के दौरान मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा बटन दबाकर उनके खातों में देय लाभ की धनराशि हस्तनान्तरित की गई।

- **"मेगा ईवेन्ट - रक्षा उत्सव"** - मेगा ईवेन्ट रक्षा उत्सव के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे हाट-बाजार आदि में कार्यक्रम आयोजित कर जनसामान्य को जागरूक किया गया है। "बेटियों से पहचान" थीम पर परिवारों और दुकानदारों को अपने परिवार की महिलाओं और बेटियों के नाम पर अपने घरों और दुकानों का नाम देने के लिए प्रेरित किया गया। आयोजन के दौरान 75 जनपदों में 1645 गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें टीम ने कुल मिलाकर 3,10,888 व्यक्तियों (महिला 1,12,647, पुरुष 1,14,482, बालिका 48,845, बालक 34,914) को जागरूक किया।
- **"कानूनी जागरूकता अभियान"** - दिनाक 03 सितम्बर 2021 को समस्त जनपदों में महिलाओं तथा बच्चों के प्रति हिंसा से संबंधित विभिन्न कानूनों तथा अन्यध प्रावधानों जिनमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण, घरेलू हिंसा, नशे में मारपीट, छेड़खानी, बलात्कार, यौन हमला, यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, ऐसिड अटैक, साइबरक्राईम, सहित अन्य स्थानों पर मानसिक व शारिरिक उत्पीड़न तथा शोषण, तस्करी, बाल-विवाह, भेदभाव, बालश्रम, आदि शामिल हैं, पर जागरूकता अभियान संचालित किया गया। आयोजन के दौरान 75 जनपदों में 4387 गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें टीम ने कुल मिलाकर 1,65,935 व्यक्तियों (महिला 64,995, पुरुष 35,684, बालिका 37,314, बालक 27,942) को जागरूक किया।
- **मेगा ईवेन्ट - "प्रधान सम्मेलन"** - 16 सितम्बर, 2021 को प्रदेश की 12,281 ग्राम सभाओं में बच्चों तथा महिलाओं संबंधी विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता तथा समाधान हेतु विचार विमर्श सम्मेलन आयोजित किये गय। सम्मेलनों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान कुल 2,72,423 व्यक्तियों (महिला 1,08,768, पुरुष 77,439 अन्य 6, बालिका 46,984, बालक 39,217, अन्य 9) ने प्रतिभाग किया।
- **"गुड्डा-गुड्डी" बोर्ड की स्थापना** - मिशन के दौरान बालिकाओं के जन्म के प्रति परिवारों में सकारात्मक सोच विकसित करने, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति को दूर करने तथा लिंगनुपात की निगरानी के उददेश्य से 1206 गांवों में विभाग द्वारा डिजिटल/एनालॉग गुड्डा-गुड्डी बोर्ड की स्थापना की गई है।
- **"मेगा ईवेन्ट - नायिका"** - दिनांक 22 अक्टूबर को विभाग द्वारा समस्त जनपदों में "नायिका" मेगा ईवेन्ट का आयोजन किया जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में 1041 प्रशसनिक पदों पर मेधावी बालिकाओं को एक दिन की सांकेतिक 'अधिकारी' (नायिका) नामित करते हुये उन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया गया।
- **"मेधावी छात्राओं तथा जैन्डर चैम्पियनस् का सम्मान"** - दिनांक 20 नवम्बर को अंतराष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर समस्त जनपदों द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर चयनित जैन्डर चैम्पियनस् तथा मेधावी छात्राओं को सम्मान तथा नकद पुरस्कार का वितरण किया गया द्य जिसके अंर्तगत प्रदेश में 2630 बालिकाओं तथा 284 जैन्डर चैंपियन महिलाओं का कुल रु0 13,95,074 के नगद पुरूस्कार दिये गये।

- **"स्वावलंबन कैम्प"** - माह अगस्त से प्रत्येक माह 15 दिवसों के अंतराल पर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा पति की मृत्युपरांत निराश्चित महिला पेशन योजनाओं के अंतर्गत आवेदन, उनके सत्यापन और अनुमोदन हेतु "सिंगल विंडों" प्रदान करने के उद्देश्य से समस्त जनपदों में "स्वावलंबन कैम्पों" को आयोजित किया जा रहा है। कैम्पों के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 27,656, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेशन योजना के 11,742, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 2,952 और उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के 3,250 आवेदन प्राप्त किए गए, जबकि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 13,524, पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेशन योजना के 4,104, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 876 और उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामन्य के 591 आवेदन स्वीकृत किए गए।

●

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी0एम0जे0वी0के0) के अन्तर्गत शिक्षण सुविधाओं के सृजन के उद्देश्य से 47 कालेजों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। इनमें से सभी इण्टर कालेजों में फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है। जिससे कालेजों में फर्नीचर की व्यवस्था करायी जा रही है। इस प्रकार वर्तमान में सरकार द्वारा परियोजनाओं को केवल पूर्ण कराना ही लक्ष्य नहीं अपितु उसे जनहित में सुचारू रूप से संचालित किये जाने पर बल दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास हेतु 13 नवीन आई0टी0आई0 भवनों का निर्माण पूर्ण कराया गया है तथा उक्त के अतिरिक्त 2 आई0टी0आई0 का संचालन भी प्रारम्भ कर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 64 पेयजल परियोजनाओं की स्थापना कर पेयजल सुविधाओं का सृजन किया गया।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत माह मार्च, 2017 से अब तक रू0 2014 करोड़ की नवीन परियोजनाएं स्वीकृत करायी गयी।
- वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 03 राजकीय पालिटेक्निक, 52 राजकीय इण्टर कालेज. 09 जूनियर हाई स्कूल, 20 अपर प्राइमरी स्कूल 136 प्राइमरी स्कूल, 18 राजकीय आई0टी0आई0., 01 राजकीय नर्सिंग कालेज 09 राजकीय डिग्री कालेज, 2433 स्मार्ट क्लास, 02 इण्टर कालेज में परीक्षा हॉल, 09 छात्रावास 31 सद्भाव मण्डप, 160 आगनबाड़ी केन्द्र, 02 वथकग वमून हास्टल, 01 मार्केटिंग शेड 03 साइंस लैब, 187 पाइप पेयजल योजना, 747 पोर्टेबल वॉटर सप्लाई, 01 सीवर योजना, 47 टायलेट ब्लॉक, 27 कामन सर्विस सेण्टर एवं 04 यूनानी मेडिकल कालेज सहित कुल लगभग 3400 की स्थापना स्वीकृत की जा चुकी है। गत वर्ष रू0-4549 करोड़ की परियोजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराये गये थे। वर्तमान वर्ष में रू0 898 करोड़ की नवीन परियोजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

मदरसा शिक्षा

- अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय के ऐसे छात्र जो अरबी, फारसी मदरसों में अध्ययनरत्

है, को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराने तथा राष्ट्र की मुख्य धारा में जोडने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में संशोधन करते हुए मदरसों में एन0सी0ई0आर0टी के पाठ्यक्रम लागू किये गये।

- पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का नया पोर्टल बनाया गया इस पोर्टल पर अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों का विवरण अनिवार्यत अपलोड किये जाने की व्यवस्था के कारण लगभग 5000 से अधिक ऐसे मदरसे जो असंचालित अथवा मानक के विपरीत संचालित थे, को बन्द कराया गया, जिससे इनमें पंजीकृत छात्रों को मानकयुक्त विद्यालयों में प्रवेश मिला वहल्ल लगभग रू0 400 करोड़ की वाणषक बचत भी हुई। पोर्टल के माध्यम से परिषद की मुशी/मौलवी/आलिम/कामिल एवं फाजिल स्तर की वर्ष 2021 की परीक्षाये सफलतापूर्वक सम्पन्न करायी गई।
- वर्ष 2019 से ही सम्पन्न मदरसा परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू तीनों भाषाओं में मुद्रित कराये जा रहे है।
- मदरसों में वैकल्पिक विषयों के शिक्षा का माध्यम हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी किया गया।
- मदरसों के छात्रों को एन0सी0सी0, स्काउट गाइड तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) से भी जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।
- मदरसा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करते हुए कोर्स की अधिकतम अवधि भी निर्धारित की गई है।

राज्य पोषित पूर्वदशम/दषमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति में कुल रु0 30.00 करोड़ का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष कुल 1,06,924 छात्र/छात्राओं को रु0 26.59 करोड़ की धनराशि से लाभन्वित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत बजट में कुल रू0 190.00 करोड़ की धनराशि का प्रावधान था। जिसके सापेक्ष कुल 1.99.56 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति में कुल रू0-30.00 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष कुल 36,708 छात्र/छात्राओं को रू0 9.24 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया गया है शेष पर कार्यवाही प्रकियाधीन है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत बजट में कुल रू0 190.00 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में 95.00 करोड़ शासन स्तर से निर्गत हुए हैं जिसके सापेक्ष कुल 35,06 छात्र/छात्राओं को 20.07 करोड़ रू0 से लाभान्वित किया गया। योजनान्तर्गत चालू सत्र 2024-22 हेतु पात्र छात्र/छात्राओं को

लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही संचालित है। इस प्रकार गत 4.5 वर्षों में 28,94,331 छात्र/छात्राओं को रु0 1347.96 करोड़ की धनराषि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई।

हज

- हज-2019 में लखनऊ, वाराणसी व नई दिल्ली इम्बारकेशन से उ0प्र0 के कुल 31882 हज यात्री भेजे गये।
- वर्ष 2017 से ही हज हाउस में हज यात्रियों के ठहरने हेतु उनके कक्षों को गर्मी और उमस के दृष्टिगत वातानुकूलित कराया गया तथा हज हाउस से एयरपोर्ट तक आवागमन हेतु वातानुकूलित एवं लो-फ्लोर बसों की व्यवस्था करायी गयी, इससे हज यात्रियों को काफी सुविधा हुयी जबकि 2017 से पूर्व में ऐसी व्यवस्थाएं न होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
- वर्ष 2017 से ही प्रतिवर्ष हज यात्रियों के सुविधा के लिए सरकारी खर्च पर हज सेवक के (खादिमुल हुज्जाज) भेज जा रहे हैं।

पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुत्री की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत कुल रू 7400.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष रू0 7055.60 लाख से धनराशि रू0 35278 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि रू0-7400.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष रू0 7337.00 लाख से धनराशि रू0 36685 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत बजट में कुल रू0-45.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष 3828 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- वर्ष 2021-22 में रू0 50.00 करोड़ के बजट का प्राविधान है जिसमें सम्पूर्ण धनराशि जनपदों के निवर्तन पर जारी किये जा चुके हैं। जिसके सापेक्ष अद्यतन रू0 2123.20 लाख की धनराशि से 10616 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब (मॉडल इण्टर कालेज की योजना)

- योजनान्तर्गत 12 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में 21 मॉडल इण्टर कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण किये जानें हेतु शासन द्वारा द्वितीय किश्त निर्गत की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के चलते इन इण्टर कालेजों को पूरा कराये जाने हेतु दूसरी किश्त की धनराशि उनके द्वारा मांग प्रस्तुत किये जाने पर तत्काल उपलब्ध करा दी गयी।

तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक प्रथा को असंवैधानिक घोषित किये जाने के उपरान्त इस पर भारत सरकार द्वारा कानून बनाये जाने के कम में तीन तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं से दिनांक 25 सितम्बर, 2019 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा संवाद किया गया। मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा समझते हुए तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। ऐसी पीड़ित महिलाओं को प्रतिमाह रू0 500/- पेंशन दिये जाने का प्रस्ताव महिला कल्याण विभाग द्वारा कियान्वयन कराया जा रहा है।

उ०प्र० सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड का गठन

- उत्तर प्रदेश सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड का निर्वाचन शांतिपूर्वक तथा सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया तथा नवनियुक्त बोर्ड/चेयरमैन को कार्यभार सौंपा गया। इस प्रकार बिना किसी भय अथवा पक्षपात के चुनाव निर्विघ्न सम्पन्न कराया गया।

यात्री निवास/मुसाफिर खाने की व्यवस्था में सुधार

- लखनऊ शहर में स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने के जीर्णोधार का कार्य कराया गया तथा यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत आन-लाइन बुकिंग की नवीन प्रणाली का शुभारम्भ किया गया।

●

पिछड़ा वर्ग कल्याण

धर्म निरपेक्षता और प्रजातांत्रिक प्रणाली को आधार मानकर भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को जहां समानता का अधिकार दिया गया है वहीं समाज के कमजोर और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से ऊंचा उठाने हेतु संविधान की धारा 14, 15, 16, 335, 338, 339, 341 तथा 342 का प्रावधान किया गया है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1995-96 तक यह कार्यक्रम प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की लगभग 52 प्रतिशत (सामाजिक न्याय समिति के अनुसार) जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है और इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास एवम् कल्याण हेतु निःसंदेह ही एक स्वतंत्र विभाग की आवश्यकता का अनुभव बहुत पहले से किया जा रहा था। अतः वित्तीय वर्ष 1995-96 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्याः 4056/बीस-ई-1-95-539(2)/95, दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से की गई।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम लि0 तथा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शासनादेश संख्याः 22/16/92 कार्मिक, दिनांक 09 मार्च, 1993 द्वारा किया गया था, जो राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण सुनिश्चित कराने तथा पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित जातियों का समावेश करने अथवा निष्कासित करने की संस्तुति शासन को भेजने का कार्य कर रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय

संगठनात्मक ढांचा

पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश की स्थापना शासनादेश संख्याः 1826/26-2-95, दिनांक 20 सितम्बर, 1995 द्वारा की गयी है जिसके अन्तर्गत निदेशालय, मण्डल एवम् जिला स्तर पर राजपत्रित/अराजपत्रित पदों का सृजन कर कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि मण्डल स्तर पर 18 उप निदेशक के पद एवं प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद स्वीकृत हैं।

ई-गवर्नेन्स की प्रगति

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में ई-गवर्नेन्स की अवधारणा विकसित किये जाने की कार्यवाही की गयी है। इसके अन्तर्गत दैनिक कार्यकलापों में अधिकांशतः कम्प्यूटर/इण्टरनेट का उपयोग किया

जा रहा है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा कम्प्यूटर का प्रयोग जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को बजट आवंटन करने, बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराने, वार्षिक योजना तैयार करने, योजनाओं का ऑनलाइन संचालन करने एवम् योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करने आदि में हो रहा है। विभाग द्वारा छात्रवृत्ति योजना का कम्प्यूटरीकरण कार्य, लेखा कार्य तथा प्रदेश के समस्त जनपदों में चल रही विभागीय योजनाओं के अनुश्रवण/समीक्षा हेतु सूचना विज्ञान (आई0टी0) के प्रचलित आधुनिकतम तकनीकों का अधिकतम प्रयोग कर विभाग में शत-प्रतिशत ई-गवर्नेन्स स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों के कार्यालय को कम्प्यूटर एवम् इण्टरनेट तथा सी0यू0जी0 सिम की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

पारदर्शिता

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु छात्रवृत्ति वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से नई व्यवस्था लागू की गयी है। प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने तथा समस्त पात्र लाभार्थियों को त्वरित गति से लाभ पहुंचाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में पात्र छात्र/छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने एवम् योजना की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल द्वारा कोषागार की ई-पेमेण्ट प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खाते में अंतरित की जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 में भी ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था लागू की गयी है। इसी प्रकार शादी अनुदान योजनाओं में लाभार्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था वर्ष 2016-17 से तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था वर्ष 2018-19 से लागू की गयी है।

जन सूचना प्रकोष्ठ

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में विहित प्रक्रिया को लागू कराए जाने हेतु यथा आवश्यक निर्देश मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों को दिए जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में शासन, निदेशालय, निगम, आयोग तथा जनपद स्तर पर जन सूचना अधिकारी नामित हैं, जिनके स्तर पर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित कार्यक्रम

पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। शिक्षा के अभाव के कारण ही कोई वर्ग पिछड़ा रह जाता है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति की लम्बी अवधि के बाद भी अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक स्तर में अभी तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कई प्रयत्न किये गये हैं। वर्तमान में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्वदशम् छात्रवृत्ति, दशमोत्तर एवं छात्रावास निर्माण के साथ-साथ दशमोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति तथा युवक/युवतियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना भी संचालित की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों को

व्यवसायिक प्रशिक्षण देने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार से अनुदान दिलाये जाने की योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।

- पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)

पूर्वदशम् कक्षाओं के कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के सभी पात्र छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण कराया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी कर दी गयी है। वर्तमान दरें एवम् आय सीमा की शर्तें निम्नवत् हैं:-

क्र.सं.	कक्षा	छात्रवृत्ति की मासिक दरें	अभिभावक की आय सीमा	वर्ष में देयता
1.	कक्षा 9 व 10	रु० 150.00 प्रतिमाह एवं तदर्थ अनुदान रु० 750/- एक मुश्त	रु० 2.00 लाख तक वार्षिक	10 माह

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति वितरण योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से कम धनराशि का बजट होने के कारण स्थगित है।

शैक्षिक सत्र 2014-15 से कक्षा 9 एवम् 10 की छात्रवृत्ति भी दशमोत्तर छात्रवृत्ति की भांति छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाने एवम् धनराशि कोषागार की ई-पेमेण्ट प्रणाली के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खाते में पी0ए0एफ0एम0एस0 सर्वर के द्वारा अन्तरित किये जाने की है। वर्ष 2020-21 से प्रथम बार समस्त ओ0बी0सी0 छात्र छात्राओं का आधार आथेन्टिकेशन कराते हुए ऑनलाइन की सुविधा प्रदान कर छात्रवृत्ति का भुगतान आधार/एकाउन्ट बेस के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था शुरू की गयी है।

- दशमोत्तर कक्षाओं हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर)

शासनादेश संख्या:‡11(1)-(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013 दिनांक 08 जनवरी 2013 द्वारा उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली 2012 निर्गत की गयी है, जिसमें समय-समय पर आवश्यक संशोधन किये गये हैं। नियमावली की व्यवस्था अनुसार शैक्षिक सत्र 2012-13 से अन्य पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रु0 2.00 लाख तक है, को दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

शैक्षिक सत्र 2013-14 से दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन भरवाने की व्यवस्था की गयी है तथा शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कोषागार की ई-पेमेण्ट प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2020-21 से प्रथम बार समस्त ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं का आधार आथेन्टिकेशन कराते हुए ऑनलाइन की सुविधा प्रदान कर छात्रवृत्ति का भुगतान आधार/ एकाउन्ट बेस के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था शुरू की गयी है।

- दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अधिकाधिक छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराया जाना

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है, किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा मांग के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि अवमुक्त न करने के कारण लाखों की संख्या में, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राएं पात्र होने के बावजूद छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह जाते हैं इस हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति को वर्ष 2020-21 से एकीकृत करते हुए पूर्व निर्धारित संरचना को तार्किक रूप देते हुए ज्यादा से ज्यादा छात्र/छात्राओं तक योजना का कवरेज बढ़ाये जाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम समूहवार अधिकतम फीस की सीमा यथा- पाठ्यक्रम समूह-1 हेतु अधिकतम- रु0 50 हजार, पाठ्यक्रम समूह-2 हेतु अधिकतम रु0 30 हजार तथा पाठ्यक्रम समूह-3 व 4 के एक वर्षीय सार्टीफिकेट पाठ्यक्रमों व गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु रु0 10 हजार एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु रु0 20 हजार अधिकतम निर्धारित किये जाने व गत परीक्षा की मेरिट कटऑफ के आधार पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दिए जाने की व्यवस्था वर्ष 2017-18 से की गयी है।

- छात्रावास निर्माण योजना

योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। छात्रावासों का निर्माण शैक्षिक संस्था के परिसर में किया जाता है वर्तमान में छात्रावासों का निर्माण 100/50 छात्र/छात्राओं की क्षमता के कराये जाते हैं। वर्तमान में 100 छात्र क्षमता के 01 छात्रावास की निर्माण लागत रु0 207.74 लाख एवं 50 छात्र क्षमता के छात्रावास की निर्माण लागत रु0 131.73 लाख निर्धारित है। यह योजना केन्द्र/राज्य पोषित योजना है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में वित्त पोषण का अनुपात छात्राओं के लिए छात्रावास हेतु 90:10 केन्द्रांश व राज्यांश है और छात्रों के लिए छात्रावास हेतु 60:40 केन्द्रांश व राज्यांश है। योजनान्तर्गत 33 प्रतिशत छात्रावासों का निर्माण छात्राओं हेतु किये जाने का प्रावधान है।

- शादी अनुदान योजना

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने (शहरी क्षेत्र हेतु अधिकतम आय सीमा रु0 56,460/ व ग्रामीण क्षेत्र हेतु अधिकतम आय सीमा रु0 46,080/-) वाले अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। शादी योजना में रु0 20,000/- प्रति शादी की सहायता दी जाती है। शादी योजना में लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत विकलांग, विधवा, दैवीय आपदा से ग्रसित एवं भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। यह योजना वर्ष 2016-17 से पूर्णतया आनलाइन है, जिसमें लाभार्थी पुत्री की शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तक अथवा 90 दिन बाद तक आनलाइन आवेदन कर सकता है, जिसका सत्यापन व अग्रसारण खण्ड विकास अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)/उपजिलाधिकारी (शहरी क्षेत्र हेतु) के द्वारा आनलाइन किया जाता है। लाभार्थी को अनुदान का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दिए जाने का प्रावधान है।

- कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट पास बेरोजगार युवक/युवतियों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय रु0 एक लाख तक अथवा उससे कम है, को भारत सरकार की नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतमू रु0 15,000/- प्रति प्रशिक्षार्थी तथा सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु रु0 3,500/- अधिकतम सीधे संस्था को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। "ओ" लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष तथा 'सी0सी0सी0' कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 03 माह होती है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं के चयन की कार्यवाही निदेशक की अध्यक्षता में एवं लाभार्थियों के चयन के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाती है।

सतर्कता प्रकोष्ठ

राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में स्क्रूटनी समिति गठित है। स्क्रूटनी समिति के समक्ष अन्य पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की जांच हेतु उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अधीन सतर्कता प्रकोष्ठ कार्यरत है। जिसके द्वारा पिछड़ी जातियों को जारी किये गये प्रमाण-पत्रों की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच की जाती है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवमू विकास निगम लि०

प्रदेश में पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3459/26-3-89-9(51)/89, दिनांक 20 सितम्बर, 1989 द्वारा रु0 10.00 करोड़ की अधिकृत अंशपूंजी से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी। शासन द्वारा निगम की अधिकृत अंशपूंजी रु0 10.00 करोड़ से बढ़ाकर रूपये 30.00 करोड़ कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश शासन के उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमन कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, कानपुर के प्रमाण-पत्र संख्या-20-13091/91, दिनांक 26 अप्रैल, 1991 द्वारा कराया गया।

संगठनात्मक ढांचा

निगम के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु मुख्यालय स्तर पर प्रवन्ध निदेशक, वरिष्ठ लेखाधिकारी, परियोजना प्रबन्धक तथा कम्पनी सचिव के पद सृजित किए गये हैं। इसके अतिरिक्त अनुभाग अधिकारी के साथ-साथ लिपिकीय पदों का सृजन किया गया है। शासन द्वारा मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण को निगम का पदेन मण्डलीय प्रबन्धक तथा जनपद स्तर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निगम का पदेन जिला प्रबन्धक घोषित किया गया है।

उद्देश्य

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अधिसूचित पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवक/ युवतियों

को विभिन्न व्यवसाय/उद्यम/उद्योग स्थापित करने हेतु आसान ब्याज दर पर टर्मलोन योजना एवं माइक्रो फाइनेंस योजना के अन्तर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर उनको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवम् विकास निगम लि० द्वारा संचालित ऋण योजनायें

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की चैनलाइजिंग एजेंसी (कार्यकारी शाखा) के रूप में कार्यरत है। निगम द्वारा राष्ट्रीय निगम के सहयोग से प्रदेश में गरीबी रेखा/ दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अधिसूचित पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवक/युवतियों को अध्ययन/व्यवसाय/उद्यम/ उद्योग स्थापित करने हेतु आसान ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

निगम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सहयोग से निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं:-

(क) टर्म लोन योजना

(1) सामान्य ऋण योजना (जनरल लोन)

(2) शैक्षिक ऋण योजना

(3) न्यू स्वर्णिम योजना (केवल महिलाओं के लिए)

(ख) माइक्रो फाइनेंस योजना

(1) सूक्ष्म वित्त योजना

(2) महिला समृद्धि योजना

(3) लघु ऋण योजना

निगम द्वारा राष्ट्रीय निगम के सहयोग से संचालित विभिन्न योजनाओं का विस्तृत विवरण निम्नवत् है-

सामान्य ऋण योजना (जनरल लोन)

इस योजना के अन्तर्गत कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, लघु व्यवसाय/दस्तकारी और पारंपरिक व्यवसाय तथा परिवहन व सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आय सृजित करने वाले कार्यकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 85 प्रतिशत प्रति लाभार्थी अधिकतम रु0 15.00 लाख तक के ऋण दिये जाने की व्यवस्था है। रु0 5.00 लाख तक के ऋण पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर रु0 5.00 लाख से अधिक रु0 10. 00 लाख तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर तथा रु0 10.00 लाख से अधिक रु0 15.00 लाख तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत कुल पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 8 वर्ष की होगी जो कि मासिक किश्तों में होगी।

शैक्षिक ऋण योजना

निगम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के अधिसूचित पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों जो गरीबी रेखा अथवा दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन

कर रहे हैं, को व्यवसायिक, तकनीकी शिक्षण हेतु शैक्षिक ऋण प्रदान किये जाने की योजना संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत भारत में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम रु0 15.00 लाख अथवा जो कम हो का ऋण प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर (छात्राओं के लिए 3.5 प्रतिशत वार्षिक) पर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है तथा विदेश में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को अधिकतम रु0 20.00 लाख अथवा जो कम हो का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर (छात्राओं के लिए 3.5 प्रतिशत वार्षिक) पर दिये जाने का प्रावधान है। शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत अध्ययन लागत का 90 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय निगम, 05 प्रतिशत अंश राज्य निगम तथा शेष 05 प्रतिशत अंश स्वयं छात्र/छात्राओं द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है। शैक्षिक ऋण के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश प्राप्त होना आवश्यक है। ऋण को पुनर्भुगतान कोर्स पूर्ण होने के 6 माह बाद (मेडिकल कोर्स के मामले में 8 महीने) अथवा संबंधित विद्यार्थी द्वारा सेवा प्राप्त करने या स्वरोजगार प्रारम्भ करने, जो भी पहले हो से प्रारम्भ होगी।

न्यू स्वर्णिमा योजना

पिछड़े वर्ग की गरीबी रेखा, दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने हेतु निगम द्वारा उनके लिए न्यू स्वर्णिमा योजना संचालित की गयी है। महिलाओं को न्यू स्वर्णिमा योजना के अन्तर्गत समाहित परियोजना में रु0 2.00 लाख तक लागत की परियोजनाओं में 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। न्यू स्वर्णिमा योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 95 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय निगम तथा शेष 05 प्रतिशत अंश राज्य निगम द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को अपना अंश लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस योजना के तहत कुल पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 8 वर्ष की होगी जो कि मासिक किश्तों में होगी।

सूक्ष्म वित्त योजना

इस योजना के अन्तर्गत स्व-सहायता समूह (एस0एच0जी0) विशेष रूप से लक्षित समूह के मिश्रित समूहों हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु0 15.00 लाख है और एस0एच0जी0, में प्रति लाभार्थी ऋण रु0 1.00 लाख तक का ऋण 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को अथवा लाभार्थी के स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 90 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय निगम, 05 प्रतिशत अंश राज्य निगम तथा शेष 05 प्रतिशत अंश स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है। इस योजना के तहत कुल पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 4 वर्ष की होगी जो कि मासिक किश्तों में होगी।

महिला समृद्धि योजना

इस योजना के अन्तर्गत स्व-सहायता समूह (एस0एच0जी0) विशेष रूप से लक्षित समूह के मिश्रित समूहों हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति समूह अधिकतम

ऋण सीमा रु0 15.00 लाख है और एस0एच0जी0, में प्रति लाभार्थी ऋण रु0 1.00 लाख तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 95 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय निगम, शेष 05 प्रतिशत अंश राज्य निगम/स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत कुल पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 4 वर्ष की होगी जो कि मासिक किश्तों में होगी।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश

भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधायें एवं आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि इन जातियों, वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गों के समान हो सके। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित वी0पी0 मण्डल आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम् न्यायालय की 9 सदस्यीय विशेष संविधान पीठ ने "इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ" वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले 1992 में परमादेश जारी किया कि अन्य पिछड़े वर्गों में जातियों को सम्मिलित/निष्कासित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ट्रिब्युनल या आयोग गठित किये जायेंगे जो शासन को अपनी संस्तुति करेंगे।

आयोग के कार्य

क. आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेंगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किये की शिकायतें सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह उचित समझे।

ख. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्ग के लिए उपबन्धित रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) की प्रणाली का मूल्यांकन करेगा।

ग. पिछड़े वर्ग के अधिकारों और रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा।

घ. पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रकिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

ड. राज्य सरकार को उन रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) की कार्यप्रणाली पर वार्षिक व ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

च. पिछड़े वर्ग के संरक्षण कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) और अन्य उपायों के प्रभावी कियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करेगा।

छ. पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा दिये जायें, निर्वहन करना।

आयोग की शक्तियाँ

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अधिनियम संख्या-1 सन् 1996 की धारा-9

की उपधारा के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी और विशेषतः निम्नलिखित वादों के सम्बन्ध में शक्तियाँ प्राप्त होंगीः-

क. किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना।

ख. किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।

ग. शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

घ. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अधियाचना करना।

ड. साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना।

च. अन्य कोई विषय, जो विहित किया जाय।

●

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

भूमिका

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न दिव्यांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांग व्यक्तियों का दिव्यांगतावार वर्गीकरण निम्नवत है:-

जनगणना **2011** के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार दिव्यांगों की संख्या का विवरण

विवरण	ग्रामीण	शहरी	कुल योग
दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या	**3166615**	**990899**	**4157514**
पुरूष	1803715	560456	2364171
महिला	1362900	430443	1793343

विभाग के उद्देश्य एवं कार्य -

1. दिव्यांगजन के सम्बंध में नीति का निर्धारण करना एवं प्रभावशाली कियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का भौतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना।
3. दिव्यांगजन विकास के संबंध में निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों, कार्यकमों, संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
4. दिव्यांगजनों के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
5. सेवाओं में दिव्यांगजन का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण करना आदि।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ

संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय) लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर

लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर में एक-एक विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जाने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लखनऊ, बरेली तथा फर्रुखाबाद में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बरेली में आवासीय छात्र संख्या 120 तथा अनावासीय छात्र संख्या 220 (कुल 340) है। फर्रुखाबाद की आवासीय छात्र क्षमता 60 तथा अनावासीय छात्र क्षमता-40 है (कुल 100) तथा

लखनऊ की आवासीय क्षमता 100 छात्र की है। आगरा एवं गोरखपुर में हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। आगरा की आवासीय छात्र की क्षमता 50 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 100 (कुल 150) तथा गोरखपुर में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है अनावासीय छात्र क्षमता 100 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु0 1000,/- तक होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु0 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्र वेतन दिया जाता है।

स्पर्श (बालक/बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय), लखनऊ, गोरखपुर, बाँदा, सहारनपुर, मेरठ

लखनऊ/गोरखपुर में बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक, बांदा एवं मेरठ में बालकों हेतु एक-एक इण्टर कालेज संचालित हैं। इन विद्यालयों की आवासीय छात्र क्षमता 200-200 है तथा अन्य 04 विद्यालयों की आवासीय क्षमता 100-100 है अनावासीय छात्र क्षमता 25-25 है। जनपद सहारनपुर में बालिकाओं हेतु हाईस्कूल स्तर तक का विद्यालय संचालित है, जिसकी आवासीय छात्र क्षमता 75 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 25 है। इन विद्यालयों में ब्रेल पद्धति के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु0 1000/- होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ प्रति छात्र/छात्रा रु0 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्र वेतन दिया जाता है, तथा अनावसीय छात्र/छात्राओं को घर से विद्यालय तक आने जाने हेतु निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) लखनऊ तथा प्रयागराज

प्रदेश में मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ तथा प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की आवासीय छात्र क्षमता 50-50 है। इन विद्यालयों में संवासियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिन संवासियों के अभिभावकों की मासिक आय रु0 1000/- प्रतिमाह तक है उनके भरण पोषण पर शासन द्वारा रु0 2000/ - प्रति माह प्रति संवासी की दर से व्यय किया जाता है।

प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय) लखनऊ, प्रतापगढ

शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये प्रतापगढ तथा लखनऊ मैं एक-एक विद्यालय संचालित है। प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 50-50 बालकों की है। इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु0 1000/- तक होती है उनकों आवासीय सुविधा के साथ भरण पोषण हेतु रु0 2000/- प्रतिमाह प्रति छात्र दिया जाता है।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं मेरठ

दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनेक कठिनाईयों का सामाना करना पड़ता है, के दृष्टिकोण से उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ गोरखपुर में छात्र/छात्राओं हेतु एक-एक, प्रयागराज/मेरठ मे छात्रों हेतु एक-एक कुल छः छात्रावासों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 200-200 है। उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु नियमावली का प्रख्यापन शासन द्वारा किया जा चुका है।

विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए उक्त 16 विद्यालयों एवं उनके छात्रावासो के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु0 3056.38 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रु0 1581.61 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 3197.42 लाख का प्रावधान है।

कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला) लखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा

दृष्टिबाधित बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा में एक-एक कर्मशाला संचालित है। लखनऊ तथा गोरखपुर कर्मशाला में स्वीकृत आवासीय संवासी क्षमता 50-50 तथा अनावासीय संवासी क्षमता 50-50 है। बाँदा में आवासीय संवासी स्वीकृत क्षमता 50 तथा अनावासीय क्षमता 25 है। इन कर्मशालाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई आदि का कार्य अन्य कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

कौशल विकास केन्द्र (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र) वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से संचालित कर्मशाला मिर्जापुर से स्थानान्तरित होकर जनपद वाराणसी में संचालित है। इस कर्मशाला में आवासीय संवासियों की क्षमता 60 तथा अनावासीय संवासियों की क्षमता 40 (कुल 100) है। इन संवासियों को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु0 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस कर्मशाला में दिव्यांग व्यक्तियों को कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं। प्रयागराज एवं उन्नाव में ^ 50 आवासीय एवं 50 अनावासीय एवं वाराणसी में 60 आवासीय एवं 40 अनावासीय संवासियों की क्षमता है।

कौशल विकास केन्द्र (मूक-बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला) आगरा

जनपद आगरा में मूक बधिरों के लिये एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला स्थापित है। आवासीय संवासियों की क्षमता 25 तथा अनावासीय संवासियों की स्वीकृत क्षमता 25 (कुल 50) है। इन संवासियों को रु0 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण

पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस केन्द्र में कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती का प्रशिक्षण दिया जाता है।

दिव्यांग कर्मशालाओं के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि कुल रु0 211.03 लाख के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रु0 89.12 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 219.91 लाख का प्रावधान है।

बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं मेरठ

सभी श्रेणी के दिव्यांगजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं मेरठ जनपद में एक-एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता 50-50 (कुल 100 है) जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांगजन को बाजार की माँग के अनुरूप अल्प अवधि के विभिन्न व्यावसायिक ट्रेंडों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल रु0 23.01 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन कुल रु0 21.34 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू 30. 96 लाख का प्रावधान है।

निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली, गोरखपुर एवं मेरठ

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली में महिलाओं हेतु तथा गोरखपुर एवं मेरठ में पुरुषों हेतु एक-एक आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की आवासीय क्षमता 50-50 है। इन केन्द्रों में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को प्रवेश देकर उनको आश्रय प्रदान किये जाने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिनके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल रु0 146.80 लाख का प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रु0 119.84 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 मे रु0 151.98 लाख का प्रावधान है।

अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिरण संस्थान वाराणसी का संचालन

इस संस्थान में सभी श्रेणी के दिव्यांगजन हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिरण संस्थान संचालित है इस संस्थान में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को आवासीय सुविधा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने का कार्य प्रदान किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु0 49.11 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रु0 31.05 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 49.11 लाख का प्रावधान है।

समेकित विद्यालयों की स्थापना

वित्तीय वर्ष 2020-21 में समेकित विद्यालयों के निर्माण हेतु कुल रु0 3000 लाख का प्रावधान के सापेक्ष रु0 1144.87 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 2975.00 लाख का प्रावधान है।

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ)

देश में प्रथम बार विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विधार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी है। वर्तमान में विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ, श्रवणबाधितार्थ एवं मानसिक मन्दितार्थ बी0एड0 एवं डी0एड0 विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ बी0ए0, एम0ए0, बी0काम0, एम0काम0, एम0एस0डबलू, एम0बी0ए0 तथा विधि संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुल 09 संकाय के अन्तर्गत 29 विभागों के बनने का प्रावधान है जिसमें वर्तमान में 21 विभाग क्रियाशील हैं। विश्वविद्यालय मे प्रत्येक पाठ्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात 25 प्रतिशत सीटे केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत रु0 3200.00 लाख तथा पूँजीगत निर्माण हेतु रु0 500.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन तक रु0 2200.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत रु0 3332.00 लाख तथा पूंजीगत निर्माण हेतु रु0 26.73 लाख का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में विशिष्ट स्टेडियम हेतु रु0 100.00 लाख तथा कृत्रिम अंग की स्थापना हेतु रु0 216.40 लाख का प्रावधान किया गया है।

विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, जिनका जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण-पोषण हेतु दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक 914/65-2-2017-21-96 दिनांक 06 जून 2017 द्वारा पेंशन वृद्धि† 300/- प्रति माह प्रति व्यक्ति से बढाकर रु0 500/- प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामान्य पक्ष के दिव्यांगजन हेतु कुल रु0 61200.00 लाख तथा एस0सी0पी0 पक्ष में रु0 900.00 लाख एवं टी0एस0पी0 हेतु रु0 2.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन क्रमशः रु0 59353.68 लाख एवं एस0सी0पी0 हेतु रू. 675 लाख एवं टी0एस0पी0 पक्ष में रु0 1.50 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु रु0 67600.00 लाख, एस0सी0पी0 में रु0 900.00 लाख व टी0एस0पी0 में रु0 2.00 लाख का प्रावधान है।

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम रु0 10000/- तक का अनुदान कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सामान्य पक्ष के दिव्यांगजनों हेतु रु0 3500.00 लाख व एस0सी0पी0 में रु0 240,00 लाख का प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन तक रु0 1284.39 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु रु0 3500.00 लाख व एस0सी0पी0 में रु0 240.00 लाख का प्रावधान है।

दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

इस योजना के अन्तर्गत दम्पत्तियों में युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु0 20000/- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू 35,000/- तथा दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु0 15,000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 264.00 लाख का प्रावधान के सापेक्ष आद्यतन तक रु0 73.55 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 264.00 लाख का प्रावधान है।

दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रु0 12.50 लाख का प्रावधान के सापेक्ष अद्यतन तक रु0 6.97 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 12. 50 का प्रावधान है।

स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनो को दिव्यांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन विकास विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 35.00 लाख का प्रावधान किया गया जिसके सापेक्ष अद्यतन रु0 20.45 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रुपया 35.00 लाख का प्रावधान है।

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रु0 500.00 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 500.00 लाख का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष **2021-22** में विभाग के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य

1. दिव्यांग†पेंशन योजना के अन्तर्गत रु0 68502.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 1105000 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
2. कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को रु0 3900.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 12100 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
3. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रु0 3740.00 लाख के प्रावधान से लगभग 62300 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
4. विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु रु0 264.00 लाख की धनराशि से लगभग 1131 दम्पत्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
5. दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत रु0 106.04 लाख की धनराशि से लगभग 1060 दिव्यांगजनो को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

6. प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 500.00 लाख पूजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रु0 0.01 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
7. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 6500.00 लाख पूजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रु0 20.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
8. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रु0 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
9. डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्विटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रु0 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
10. सभी मण्डल मुख्यालयों पर समेंकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से समेकित विद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु कुल रु0 2975.00 लाख का प्राविधानित है।
11. संकेत मूकबधिर बालक/बालिकाओं के लिये जनपद सोनभद्र, कुशीनगर में आवासीय राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कुल रु0 70.18 लाख का प्रावधान है।
12. स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु रु0 670.31 लाख का प्रावधान है।
13. डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रु0 400.00 लाख का प्रावधान है।
14. डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु रु0 276.40 लाख का प्रावधान है।
15. दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश के प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में 100-100 दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु रु0 3256.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

●

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

अभ्युदय-विकास तथा उद्देश्य

उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों, अपंग सैनिकों, युद्ध शहीदों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास की सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु सैनिक कल्याण विभाग के अधीन निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश एवं निदेशालय के अधीन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की स्थापना की गई। इसके सहयोगी संगठनों के रूप में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 एवं उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि कार्यरत है। केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं से पात्र लाभार्थियों को अनुमन्य आर्थिक सहायता दिलाना, पुनर्वास तथा पुनर्योजन कराना भी इस विभाग के उद्देश्यों में सम्मिलित है ।

प्रशासनिक व्यवस्था

प्रदेश के पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याणार्थ स्थापित सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, उत्तर प्रदेश अपने अधीनस्थ कार्यरत जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के माध्यम से उनकी समस्याओं के निराकरण/पुनर्वास में सहायता एवं परिवारों की सुरक्षा आदि के दायित्वों को सफलतापूर्वक निभा रहा है। इस दिशा में विभिन्न प्रकार के कार्य/योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ही जिला स्तर पर वर्तमान में 75 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थापित हैं। सेना से प्रतिवर्ष काफी संख्या में सैनिक सेवानिवृत्त होते रहते हैं जिनमें से उत्तर प्रदेश के सैनिकों की संख्या 15 से 16 हजार तक होती है, उनके कल्याण एवं पुनर्वास का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

कार्यक्रम

पुरस्कार एवं सहायता

प्रदेश में रहने वाले थल सेना, नौ-सेना तथा वायु सेना के उन कार्मिकों को, जिन्हें वीरता के कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न अलंकरण प्रदान किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा सम्मान स्वरूप नकद अनुदान तथा तीस वर्षों तक वार्षिकी दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इन दरों में भारी वृद्धि की गयी है। पुनरीक्षित दरे निम्नवत हैं :-

क्रम सं०	पुरस्कार का नाम	नकद अनुदान (एक मुश्त धनराशि रुपये में)	वार्षिकी की धनराशि रुपये प्रतिशत (30 वर्षों तक)
1.	परमवीर चक्र	52,00,000	3,12,000
2.	महावीर चक्र	31,00,000	2,37,000
3.	वीर चक्र	20,80,000	1,37,000
4.	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	3,12,000	12,000
5.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	2,60,000	11,000
6.	युद्ध सेवा मेडल	83,200	10,000
7.	सेना नौसेना तथा वायु सेना मेडल वीरता	1,00,000	15,000
8.	मेंशन इन डिस्पैच	52,000	13,000

अशोक चक्र श्रृंखला

1.	अशोक चक्र	32,50,000	1,56,000
2.	कीर्ति चक्र	19,50,000	1,30,000
3.	शौर्य चक्र	13,00,000	65,000

द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन

उ0प्र0 के निवासी द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, जिन्हें किसी अन्य स्रोत से पेंशन नहीं मिल रही है, को राज्य सरकार द्वारा 01 अगस्त 1990 से पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस पेंशन की दरों में लगभग डेढ़ गुना वृद्धि की गयी है।

वर्ष 2020-21 में इस मद में रुपये 2311.92 लाख का बजट प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2021-2022 की माँग परिशिष्ट 'अ' में तथा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की वर्तमान जनपदवार संख्या का विवरण 'द' में प्रदर्शित हैं। लाभार्थियों की शनैः-शनैः मृत्यु होते जाने से उनकी संख्या निरन्तर कम हो रही है।

भूतपूर्व सैनिकों का रजिस्ट्रेशन

1. वर्ष 1982 से पूर्व सैनिकों के पुनर्योजन का कार्य सेवायोजन कार्यालय के स्थान पर इस विभाग को सौंप दिया गया है, जिसके फलस्वरूप पंजीकरण तथा सम्प्रेषण की पूरी प्रकिया जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा करायी जाती है। संबंधित जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में रोजगार हेतु पंजीकरण कराये जाने से संबंधित प्रकिया पूर्ण कर जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा संबंधित पूर्व सैनिक की डिस्चार्ज बुक एवं पी.पी.ओ. का अवलोकन कर अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात रोजगार हेतु पंजीयन किया जाता है।
2. संबंधित जनपद के सेवायोजन कार्यालयों में भी पंजीकरण कराया जाता है ।
3. मांग के आधार पर केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार, राज्य सरकार के उपक्रम, बैंक, लोकल बॉडी, प्राईवेट संस्थाओं में सेवायोजन हेतु नाम वरीयता क्रम के अनुसार प्रेषित किये जाते हैं ।

योजनाओं के कार्यक्रमों का विवरण

आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए तथा पूर्व सैनिक आश्रितों को इनफारमेशन टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण एवं सेना में अधिकारी पद पर चयन हेतु प्रशिक्षण के लिए रु0 45.85 लाख तथा युद्ध विधवाओं एवं पूर्व सैनिको की पत्नियों तथा उनके अश्रितों को फैशन डिजाइनिंग एवं टैली के प्रशिक्षण हेतु रु0 13.15 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला सैनिक कल्याण के कार्यालय भवन, विश्राम गृह एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्य के लिए रु0 550.00 लाख का व्यय हुआ। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला सैनिक कल्याण के कार्यालय भवन, विश्राम गृह एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु0 550.00 लाख का प्रावधान किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिला सैनिक कल्याण के कार्यालय भवन, विश्राम गृह एवं आवासीय भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु0 550.00 लाख का प्रावधान आय-व्ययक में प्रस्तावित किया गया है।

कम्प्यूटरीकरण एवं ई-गवर्नेन्स

1. निदेशालय स्तर पर वेतन, भत्ते एवं बजट से सम्बंधित लगभग सम्पूर्ण कार्य कम्प्यूटर द्वारा ही क्रियान्वित किया जा रहा है। समस्त जिलों को निदेशालय से जोड़ने के लिए नेटवर्क स्थापित किया जाना है।
2. सैनिक कल्याण विभाग से सम्बन्धित सूचना विभागीय वेबसाईट एचटीटीपी :/ /डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एसकेपीएन.यूपी.जीओवी.इन. पर उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि

निधि का गठन

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत नोटीफिकेशन संख्या- 468/48/83- एस.के. -11-2(13)-97, दिनांक 15 फरवरी, 1983 द्वारा उत्तर प्रदेश पोस्टवार सर्विसेज रिकन्स्ट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट तथा उत्तर प्रदेश स्पेशल फण्ड फार रिकन्सट्रक्शन एण्ड रिहैबिलीटेशन आफ एक्स-सर्विसमैन को मिला कर उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि का गठन किया गया है। निधि माननीय श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में संचालित है। निधि की स्थापना पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। निधि के आय के स्रोत विनियोजन से प्राप्त आय, निधि द्वारा निर्मित दुकानों का किराया अटारी फार्म से प्राप्त आय, तथा उत्तर प्रदेश शासन एवं संस्थाओं से प्राप्त अनुदान है।

निधि द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए निम्नांकित योजनाएं चलायी जाती हैं

1. शैक्षिक सहायता।
2. पूर्व-सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिए गये ऋण में छूट।
3. दिवंगत सैनिकों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक अनुदान ।
4. निधि कार्यालय से अनकवर्ड स्कीम ग्रान्ट का भुगतान ।
5. एन0डी0ए0/आई0एम0ए0/ ओ0टी0ए0 इत्यादि हेतु आर्थिक अनुदान।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनैतिक पेंशन

राजनैतिक पेंशन विभाग

देश की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही वर्ष 1947 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन/अनुदान की योजना चलायी गयी। कालान्तर में पेंशन/अनुदान हेतु पेंशन नियमावली प्रख्यापित की गयी, जो 06 अगस्त, 1975 से प्रभावी है। इस नियमावली के नियमों के अन्तर्गत प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ज़ीवन पर्यन्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। वर्तमान में राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पेंशन मद में रु0 40,00,00,000/- (रु0 चालीस करोड़ मात्र) की आय-व्ययक में व्यवस्था हैं।

जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संतान (पुत्र/पुत्री) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में पैदा हुयी, उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी का स्तर प्रदान करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अनुमन्य करायी गयी है।

परिवहन सुविधा

वर्ष 1983 से स्वतंत्रता सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य की गयी है। वर्ष 1989 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को एक सहचर के साथ पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है। वर्तमान में यह सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के बाहर के लिए भी अनुमन्य की गयी है। इसी प्रकार दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को भी एक सहायक के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस मद में रु0 20,00,000/- (रु0 बीस लाख मात्र) की आय-व्ययक में व्यवस्था है।

चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके अश्रितों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा व भोजन की सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। यह चिकित्सा विभाग द्वारा अपने बजट से दिया जाता है।

मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु होने पर उनके सम्मान में शासन की ओर से जिलाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा सेनानी के पार्थिव शरीर पर पुष्पार्पण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में इस मद में रु0 12,00,000/- (रु0 बारह लाख मात्र) की व्यवस्था है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कल्याणार्थ "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद" की स्थापना 12 फरवरी, 1973 में की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। परिषद में निदेशक/सचिव का एक पद, अनुभाग अधिकारी का एक पद, समीक्षा अधिकारी के चार पद, सहायक समीक्षा अधिकारी का एक पद, लेखाकार/कोषाध्यक्ष, वैयक्तिक सहायक, टंकक एवं ड्राईवर के एक-एक पद तथा अनुसेवक के दो पद अनुमन्य हैं। परिषद द्वारा सेनानियों के कल्याणार्थ समय-समय पर दिये गये सुझावों पर शासन द्वारा विचार किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद हेतु रु0 1,21,37,000/- (रु0 एक करोड़ इक्कीस लाख सैंतीस हज़ार मात्र) की आय-व्ययक में व्यवस्था है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन

प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना भी की गयी है, जिसमें 25 सेनानियों की स्थाई तथा 05 आकस्मिक अभ्यागतों के लिए रहने की व्यवस्था है। सेवा सदन रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ में स्थित है। इसी प्रकार एक सेवा सदन की स्थापना मथुरा जिले में भी की गयी है। लखनऊ स्थित उक्त सदन की देखभाल हेतु अधीक्षक का पद स्वीकृत है। सेवा सदन लखनऊ एवं मथुरा के अधिष्ठान एवं सेनानियों की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में रु0 1,00,92,000/- (रु0 एक करोड़ बयानबे हजार मात्र) की व्यवस्था है।

स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान

स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले तथा अन्य विशिष्ट सेनानियों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शहीद स्मारकों, स्तम्भों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया जाता है। यह कार्य उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान के माध्यम से कराया जाता है। इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 50,00,000/- (रु0 पचास लाख मात्र) की आय-व्ययक में व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी सहायता संस्थान के अधिष्ठान मद में रु0 43,66,000/- (रु0 तैंतालिस लाख छाछठ हजार मात्र) का बजट प्रावधान है।

शासन सेनानियों की कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में सतत प्रयत्नशील है। इसी क्रम में शासन की प्राथमिताओं, नई कार्य शैली तथा वचनबद्धता के दृष्टिगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन प्रकरण को समयबद्ध ढंग से निस्तारित किया जा रहा है)।

लोकतंत्र सेनानी

वर्तमान में सरकार द्वारा असंख्य नौजवानों व साहसी वीरों, जिन्होंने देश में आपात कालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध रहे राजनैतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि एवं अन्य सुवधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 दिनांक 22.03.2016" एवं "उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सम्मान (संशोधन) अधिनियम, 2018" दिनांक 10.09.2018 को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में लोकतंत्र सेनानियों एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त यथास्थिति पत्नी/पति को उनके सम्मान में उन्हें दिनांक 04.07.2018 से रु0 5,000 की वृद्धि करते हुए रु0 20,000 प्रतिमाह सम्मान राशि, राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा एवं लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु पर सेनानी की अंत्येष्टि क्रिया राजकीय सम्मान के साथ किये जाने की व्यवस्था अनुमन्य करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि में रु0 1,75,00,00,000/- (रु0 एक अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) एवं निःशुल्क परिवहन सुविधा मद में रु0 4,00,00,000/- (रु0 चार करोड़ मात्र) का बजट प्रावधान है।

●

श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन

उत्तर प्रदेश की वर्तमान लोकप्रिय सरकार की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश शासन उनके क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित पहल करता रहा है ताकि औद्योगिक शान्ति की स्थापना से विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रहे। इसके लिए उद्यमियों और श्रमिकों के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने और निरन्तर अनुकूल वातावरण बनाये रखने के सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं। श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रमिकों के विधिक हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिये श्रम आयुक्त संगठन है। श्रमिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा बेरोजगार युवकों के पंजीयन तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्त्वपूर्ण दायित्व निर्वहन किया जा रहा है।

श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश का इतिहास और उद्देश्य

आज भी औद्योगिक विकास के साथ-साथ यह जरूरी है कि उत्पादन क्षेत्र से जुड़ी मानवीय इकाई-श्रमिकों को उसके विधिसम्मत और न्यायोचित देय निर्बाध रूप से मिलते रहें, इसके लिये भी समुचित शासकीय व्यवस्था हो। बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक तक आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप आये परिवर्तनों से सभी सरकारें, जनता या शासित जन के हित-संरक्षण की ओर सचेत ही नहीं अपितु प्रतिबद्ध होती गयीं। शासकीय व्यवस्था में सामान्य-जन के प्रति सामाजिक दायित्व-बोध में आये इन परिवर्तनों के फलस्वरूप किसी ऐसी विशिष्ट संगठनात्मक या संरचनात्मक व्यवस्था की आवश्यकता भी अनुभव हुई जो शासकीय अपेक्षानुसार कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसीलिये किसी आधुनिक राज्य (स्टेट) में श्रम विभाग के पृथक अस्तित्व की अपरिहार्य आवश्यकता अनुभव की गयी।

आज का उत्तर प्रदेश सन् 1937 में संयुक्त प्रान्त' कहलाता था जहाँ पहले पहल निर्वाचित व गठित स्वदेशी लोकप्रिय सरकार ने शासन संभालते ही कानपुर में एक पृथक श्रम कार्यालय स्थापित कर दिया ताकि श्रमिकों की समस्याओं के निपटारे, विषय व अवधिवार श्रम-सांख्यिकी-संकलन के साथ ही श्रमिक हितकारी केन्द्र संचालित कर श्रमिक वर्ग के लिये कल्याणकारी कार्यों के श्रीगणेश की दिशा में ऐतिहासिक पहल हो सके। चूँकि श्रमिक समस्याओं के निराकरण का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, इसलिये हर अगली शासकीय व्यवस्था को श्रम विभाग और उसकी कार्य-प्रणाली के विधिवत संगठन और विस्तार के लिए समयानुसार आवश्यक कदम उठाने ही पड़े। अतः पहले तो धीरे-धीरे विभागीय कार्य-परिधि और गातिविधियों में विस्तार आता गया और फिर वर्ष

1946 से प्रादेशिक श्रम विभाग का विस्तार अपेक्षाकृत तीव्र गति से होना शुरू हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नवनिर्वाचित लोकप्रिय सरकारों के एक के बाद एक कार्यकालों में विभागीय कार्य विस्तार 20वीं सदी के अंत तक दिनों-दिन बढ़ता गया। यदि अधिनियमों व नियमावलियों के प्रख्यापन की तिथि की ओर ध्यान दिया जाये तो सुगमता से यह स्पष्ट हो जायेगा कि उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के सन्दर्भ में विगत या वर्तमान शताब्दी के किस दशक में प्रभावी पहल का शुभारम्भ हुआ। जैसे- वर्ष 1976 से बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन एवं पुनर्वासन की ओर, वर्ष 1986 से बाल श्रम उन्मूलन व पुनर्वासन की ओर, वर्ष 1996 से शुरू होकर फिर वर्ष 2009 से अपेक्षाकृत तीव्र गति से भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में तथा वर्ष 2008 के बाद से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शासकीय प्रयास व्यवस्थित रूप आकार लेते चले गये।

प्रदेश शासन के श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रम आयुक्त संगठन द्वारा श्रमिक हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में अपेक्षित कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं:-

(1) संराधन तंत्र के माध्यम से औद्योगिक विवादों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाना ताकि इकाईयों के कर्मचारियों और उनके नियोजकों के मध्य सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें तथा औद्योगिक उत्पादन का स्तर बनाये रखते हुए श्रमिक हित संरक्षित हो सके।

(2) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सुनिश्चित हित-लाभ एवं विधिसंगत अधिकारों को संरक्षित रखना. और औद्योगिक इकाईयों में सुरक्षित कार्य-पर्यावरण उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जाना।

(3) श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने, सेवा-शर्तों को विनियमित किये जाने, सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य-पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने, सुनिश्चित वित्तीय हित-लाभ सहित न्यूनतम वेतन का समय से भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के लिये श्रम आयुक्त संगठन सतत् प्रयासरत रहता है।

ई-गवर्नेन्स के क्रियान्वयन की प्रगति (श्रमायुक्त संगठन)

ई-गवर्नेन्स/ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के अधीन उद्योगों/प्रतिष्ठानों को त्वरित प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकृतियाँ/अनुमतियाँ/अनापत्तियाँ/रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्सिंग इत्यादि निर्धारित समय में समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से, कारखाना अधिनियम-1948 में पंजीयन एवं भारतीय ब्वायलर अधिनियम-1923 में पंजीयन व नवीनीकरण को छोड़कर शेष समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत स्वीकृतियाँ/अनुमतियाँ/अनापत्तियाँ/रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्सिंग इत्यादि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन जारी किये जा रहे हैं। इस व्यवस्था को श्रम सुविधा पोर्टल भारत सरकार तथा सिंगल विन्डो सिस्टम से भी जोड़ा गया है। नवीन निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेण्डम आधार पर अन्य सम्बन्धित

विभागों को सम्मिलित करते हुये समयबद्ध किये जा रहे हैं।

कार्यस्थल रख-रखाव के लिए "5-एस" योजना

सुव्यवस्थित कार्य-स्थल विकसित करने के लिये कार्य-स्थल व्यवस्थापन आवश्यक है, जिसके लिये "प्रत्येक आवश्यक वस्तु के लिये नियत स्थान और यथास्थान प्रत्येक वस्तु" का सिद्धान्त अपनाकर कार्य संचालन विकसित किया जाता है, जिससे श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा दुर्घटनाओं में कमी होती है। श्रमिकों का कार्य के प्रति लगाव बढ़ता है तथा कार्य दशाओं में सुधार होता है। "5-एस" पाँच शब्दों क्रमशः सेरी, सीटन, सीसो, सिकेत्सु एवं सित्सुके के प्रथम अक्षर से लिया गया है, जो जापानी भाषा के शब्द हैं।

1. पहला "एस" सेरी :- जिसका अर्थ है कार्यस्थल से अनावश्यक वस्तुएं छाँटना और उन्हें अलग करना।
2. दूसरा "एस" सीटनः- जिसका अर्थ है आवश्यक वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से रखना ताकि उपयोग हेतु उन्हें आसानी से उठाया जा सके।
2. तीसरा "एस" सीसोः- जिसका अर्थ है अपने कार्य स्थल को पूर्ण रूपेण स्वच्छ करना ताकि फर्श, मशीन और उपकरणों के आस-पास स्वच्छ कार्यस्थल रहे ।
4. चौथा "एस" सिकेत्सुः- जिसका अर्थ है रख-रखाव व्यवस्था तथा कार्य स्थल व्यवस्थापन के उच्च मापदण्ड को बनाये रखना।
5. पांचवां "एस" सित्सुकेः- जिसका अर्थ है लोगों को स्वमेव रख-रखाव व्यवस्था अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना।

कैजेन

कैजेन जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है निरन्तर सुधार। इसके अन्तर्गत किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी लोग जैसेः- श्रमिक, सुपरवाइजर, मिडिल मैनेजमेन्ट एवं टाप मैनेजमेंट को शामिल करके प्रतिष्ठान के विभिन्न क्षेत्रों/कार्यस्थलों/कार्य पद्धति में वर्तमान में चल रही टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एक्टीविटीज, मैनेजेरियल एवं आपरेटिंग स्टैण्डर्ड को मेन्टेन रखना एवं वर्तमान में प्रचलित स्टैण्डर्ड का निरन्तर सुधार करते रहना। कैजेन के द्वारा किसी भी प्रतिष्ठान में स्टैण्डर्ड को मेन्टेन करते हुए पुनः सुधार की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है, जिससे प्रतिष्ठान में कार्यरत लोग निरन्तर सुधार के कारण कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिये प्रोत्साहित एवं स्वयं के प्रति अनुशासित हो जाते हैं।

श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास 01-श्रम 101-औद्योगिक सम्बन्ध 03-श्रम विनियमों का प्रवर्तन 01-न्यूनतम वेतन अनुभाग का सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण

(लाख रु० में)

वर्ष	धनराशि
2019-2020 का वास्तविक व्यय	2802.17
2020-2021 का आय-व्ययक प्रावधान	3170.85
2020-2021 का पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान	2372.83
2021-2022 का आय-व्ययक अनुमान	3108.35

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी दरों का पुनरीक्षणः-

1. प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती हैं। शासकीय अधिसूचना संख्या 194/36-3-2014-07 (न्यू0वे0)/04 दिनांक 28-01-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या 850/36-3-2019-931 (न्यू0वे0)/06 दिनांक 30-09-2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की दरें पुनरीक्षित की गयी हैं। दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी। वर्तमान में परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते सहित 59 अनुसूचित नियोजनों में देय मजदूरी का वितरण निम्नवत है :

क्र. स.	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रुपये में)		दिनांक **01.10.2020** से दिनांक **31.03.2021**	
			दिनांक **01.04.2020** से दिनांक **30.09.2020** तक	दिनांक **01.10.2020** से दिनांक **31.03.2021** तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1.	अकुशल	5750.00	2875.00	3008.00	8758.00	336.85
2.	अर्द्ध कुशल	6325.00	3162.50	3309.00	9634.00	470.53
3.	कुशल	7085.00	3542.50	3706.00	10791.00	415.04

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 का प्रवर्तन

बोनस भुगतान अधिनियम-1965 प्रत्येक ऐसे कारखाने में लागू है, जो कारखाना अधिनियम की धारा-2 (एम) के अन्तर्गत परिभाषित है तथा ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी लागू है जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं। इस अधिनियम के अधीन बोनस भुगतान करने वाले प्रतिष्ठान/कारखानों की संख्या तथा उनके द्वारा बोनस के रूप में भुगतान की गई धनराशि का वर्षवार संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

लेखा वर्ष	आवर्त प्रतिष्ठान/ कारखानों की संख्या	बोनस भुगतान करने वाले प्रतिष्ठानों/ कारखानों की संख्या	बोनस की धनराशि (लाख रुपयें में)	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	स्वीकृत अभियोजन
1	2	3	4	5	6	7
2015-16	10796	8355	83273.28	812178	418	357
2016-17	10797	8964	158169.94	1024489	221	157
2017-18	10879	7320	124207.83	1728549	223	164
2018-19	10879	1295	6427.91	70848	18	08

प्रदेश में वर्तमान में 06 औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा 20 श्रम न्यायालय कार्यरत है।

श्रम न्यायालय द्वारा निपटाए गये वादों का विवरण

(नवम्बर-20 तक)

क्रमांक	विवरण	अभिनिर्णय वाद		विविध वाद	
		2019	**2020**	**2019**	**2020**
1.	गत वर्ष के अवशेष वाद	11506	10674	4146	4138
2.	वर्ष में प्राप्त वादों की संख्या	1296	824	855	508
3.	निस्तारण हेतु वर्ष में उपलब्ध कुल वादों की संख्या	12802	11498	5001	4646
4.	निस्तारित वाद	2128	462	863	296
5.	वर्ष के अन्त में शेष वाद	10674	11036	4138	4350

औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाए गये वादों का विवरण

क्रमांक	विवरण	अभिनिर्णय वाद		विविध वाद	
		2019	**2020**	**2019**	**2020**
1.	गत वर्ष के अवशेष वाद	1881	1877	195	200
2.	वर्ष में प्राप्त वादों की संख्या	173	142	07	05
3.	निस्तारण हेतु वर्ष में उपलब्ध कुल वादों की संख्या	2054	2019	202	205
4.	निस्तारित वाद	177	88	02	10
5.	वर्ष के अन्त में शेष वाद	1877	1931	200	195

कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्य-स्थितियाँ एवं सुरक्षा

2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 01-श्रम

102-कार्य की परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा 03-कारखानों के निरीक्षक

(लाख रुपये में)

वर्ष	धनराशि
2019-2020 का वास्तविक व्यय	1413.46
2020-2021 का आय-व्ययक प्रावधान	1795.05
2020-2021 का पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान	1341.42
2021-2022 का आय-व्ययक अनुमान	1625.05

कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्य-स्थितियों में सुधार एवं सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में कारखाना अधिनियम, 1948 तत्सम्बन्धी नियमावलियों तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन परिसंकटमय रासायनिक पदार्थों के हथलन, भण्डारण व इन रासायनिक पदार्थों से सम्भावित दुर्घटनाओं को नियंत्रण में रखने तथा इन दुर्घटनाओं से सम्भाव्य आपात स्थितियों से कारखाने के स्तर पर निपटने हेतु उसी स्तर पर सुनिश्चित की जाने वाली पूर्व तैयारियों से सम्बन्धित भारत सरकार की नियमावलियों के प्रशासन एवं श्रमिकों को देय वेतन का समय से भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु वेतन संदाय अधिनियम, 1936 तथा महिला श्रमिकों को आवश्यकतानुसार मातृका हितलाभ सुनिश्चित कराये जाने हेतु मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के प्रशासन व प्रवर्तन का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

कारखाना निदेशालय द्वारा सम्पादित विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य

परिसंकटमय कारखानों में सुरक्षा व्यवस्थायेंः

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अक्टूबर-20 तक कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदेश में 18865 कारखाने पंजीकृत हैं। उक्त 18865 कारखानों में से खतरनाक प्रकृति के 4604 कारखाने हैं, जिनमें कार्यरत श्रमिकों को न केवल शारीरिक क्षति होने की सम्भावना है, बल्कि सामान्य पर्यावरण के प्रदूषण को भी खतरा बना रहता है। इन परिसंकटमय कारखानों में सुरक्षा प्रबन्धों एवं व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कराये जाने तथा ऐसे कारखानों में सम्भावित वृहद औद्योगिक दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु विषैले एवं परिसंकटमय पदार्थों के प्रयोग एवं भण्डारण से जुड़े जोखिम से वहाँ कार्यरत श्रमिकों व आस-पास के जन-सामान्य को होने वाले खतरों को देखते हुए क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इन कारखानों पर सजग दृष्टि रखी जाती है तथा वर्ष में एक बार क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के निर्देश हैं, ताकि परिसंकटमय रासायनिक पदार्थों और औद्योगिक क्रियाकलापों के सापेक्ष सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

परिसंकटमय व विषैले रासायनिक पदार्थों के भण्डारण अथवा प्रयोग यदि सम्बन्धित नियमावली में निर्धारित मात्रा के बराबर अथवा इससे अधिक है, तो ऐसे परिसंकटमय प्रकृति के कारखानों को वृहद दुर्घटना की आशंका वाले कारखानों की श्रेणी में आच्छादित कर विशिष्ट सुरक्षा प्रबन्ध/सुरक्षा व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाती हैं। परिसंकटमय प्रकृति के 4604 कारखानों में से 157 कारखाने अति-परिसंकटमय प्रकृति के हैं। इन कारखानों में सुरक्षा की व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु पूर्व निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना द्वारा वर्ष में एक बार निरीक्षण सम्पादित किये जाते हैं। वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सम्पादित निरीक्षण की संख्या निम्नवत् है :-

वर्ष	कारखानों की संख्या		कुल कारखानों की संख्या	निरीक्षित कारखानों की संख्या		कुल निरीक्षण
	परिसंकटमय	अतिपरिसंकटमय		परिसंकटमय	अतिपरिसंकटमय	
2018-19	4225	145	4370	303	80	383
2019-20	4300	152	4452	60	92	152
2020-21 (अक्टूबर-20 तक)	4447	157	4604	245	31	276

ऑन-साइट इमरजेन्सी प्लान

वृहद औद्योगिक दुर्घटनाओं वाले कारखानों में ऑन-साइट इमरजेन्सी प्लान में मुख्यतः दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों का बचाव कार्य करने, दुर्घटना प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने, दुर्घटनाओं के फलस्वरूप आग/विस्फोट/रिसाव को एक निश्चित क्षेत्र में ही सीमित करने और उसे न फैलने देने, दुर्घटनाओं को नियंत्रित करके न्यूनतम सम्भव समय में स्थिति को बहाल करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से पुनर्वास का कार्य कराये जाने आदि का विवरण उपलब्ध है। कारखानों के सभी प्लान्स में एकरूपता के उद्देश्य से कारखानों के अधिष्ठाताओं के मार्गदर्शन हेतु ऑन-साइट इमरजेन्सी प्लान बनाने के लिए एक मार्गदर्शिका (गाइडलाइन्स) निदेशालय द्वारा वर्ष 1990 में तैयार की गई थी। प्रदेश में स्थापित 157 वृहद औद्योगिक दुर्घटना वाले कारखानों में से 152 कारख़ानों के अधिष्ठाताओं ने अपने कारखानों के ऑन-साइट इमरजेन्सी प्लान निदेशालय में परीक्षण हेतु प्रस्तुत कर दिये हैं। कारखानों से प्राप्त ऑन-साइट इमरजेन्सी प्लान में दर्शायी गई सुरक्षा व्यवस्थाओं, प्रबन्धों एवं एक्शन प्लान के मूल्यांकन हेतु निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों द्वारा परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

बंधुआ श्रम

बंधुआ श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा बंधुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम-1976 लागू किया गया है, जिसका कियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण संवेदशनशीलता

और कटिबद्धता के साथ कराया जा रहा है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन की योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना (50 प्रतिशत केन्द्रांश व 50 प्रतिशत राज्यांश) है। इस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन पर प्रति श्रमिक रु0 20,000/- (दस हजार केन्द्रांश व दस हजार राज्यांश) की धनराशि सम्बन्धित जिले से प्राप्त पुनर्वासन पैकेज के आधार पर बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु प्रदान की जाती है। उक्त योजना भारत सरकार द्वारा दिनांक 17-05-2016 से संशोधित कर पूर्णतया केन्द्र पोषित योजना की जा चुकी है।

इस योजना के अन्तर्गत (17 मई, 2016 से पूर्व अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु) वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 124.40 लाख से 622 तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 45.60 लाख से 228 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन कराया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना में कोई आय-व्ययक प्रावधान नहीं है।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के लेखों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त में प्रदेश में स्थित विभिन्न कारखानों/अधिष्ठानों के कर्मचारियों की अदत्त संचय धनराशि रुपये 9,00,81,263.38 क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वादों की धनराशि रु0 14,18,36,460.00 एवं श्रम कल्याण निधि की धनराशि रुपये 8,82,52,232.02 अवशेष थी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसम्बर-2020 तक कर्मचारियों की अदत्त संचय धनराशि रुपये 89,63,253.96 प्राप्त हो जाने पर अदत्त संचय की कल धनराशि रुपये 9,90,44,516.34 हो गई है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से वादों की धनराशि रुपये 14,18,36,460.00 अवशेष है। उक्त अदत्त संचय, श्रम कल्याण निधि, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वादों की कुल जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज तथा श्रमिक कल्याण भवन शास्त्रीनगर, कानपुर के आवंटन से प्राप्त शुल्क की धनराशि से तैयार किये गये वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक से परिषद द्वारा संचालित निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31-12-2020 तक निष्पादित किये गये कार्यों की स्थिति निम्नवत् है:-

1. डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 में कार्यरत ऐसे औद्योगिक श्रमिक जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की परिभाषा से आवर्त होते हैं तथा जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, के पुत्र/पुत्रियों को प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरित करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत डिग्री पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 10,000,/-, डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 8,000/- एवं सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 5,000/- प्रति लाभार्थी की दर से वितरित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना हेतु प्रावधिानित धनराशि रुपये 35.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से 31.12.2020 तक कुल 858 आवेदन-पत्र ऑन-लाइन प्राप्त हुये हैं, जिनके परीक्षण के उपरान्त हितलाभ वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

2. गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना

इस योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 में कार्यरत ऐसे औद्योगिक श्रमिक, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की परिभाषा से आवर्त होते हैं तथा जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो के पुत्र/पुत्रियों, जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक/ स्नातकोत्तर की परीक्षा 60 प्रतिशत या उससे अधिक तथा 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, उन्हें पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत क्रमशः धनराशि रुपये 3,000/- एवं रुपये 5,000,/- प्रति लाभार्थी की दर से वितरित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रुपये 35.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31-12-2020 तक कुल 816 आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हुये हैं, जिनके परीक्षण के उपरान्त हितलाभ वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

3. राजा हरिश्चन्द्र मृतक आश्रित सहायता योजना

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, में कार्यरत श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी, वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधवा या आश्रित को रुपये 15,000,/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किए जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रुपये 4.50 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31-12-2020 तक कुल 22 आवेदन-पत्र ऑन-लाइन प्राप्त हुये हैं जिनका परीक्षण के उपरान्त हितलाभ वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

4. ज्येतिबा फुले कन्यादान योजना

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान, जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, में कार्यरत श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000,/- से अधिक न हो, की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में रुपये 15,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किए जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रुपये 65.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31-12-2020 तक प्राप्त कुल 96 आवेदन पत्र आन-लाइन प्राप्त हुये हैं, जिनके परीक्षण के उपरान्त हितलाभ वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

5. दत्तोपंत ठेंगड़ी अन्तेष्टि सहायता योजना

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान, जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, के श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000,/- से अधिक न हो, की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की दशा में श्रमिक की विधवा या आश्रित को अन्त्येष्टि हेतु रुपये 5000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता वितरित किये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रुपये 1.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31-12-2020 तक कुल 05 आवेदन पत्र आन-लाइन प्राप्त हुये हैं, जिनके परीक्षण के उपरान्त

हितलाभ वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

6. कानपुर के श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के उद्देश्य से श्रमिक बस्ती शास्त्रीनगर में स्थित श्रमिक कल्याण भवन (बरातघर) के आवंटन की योजना।

इस योजना के अर्न्तगत श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के उद्देश्य से परिषद द्वारा वर्ष 1991 में श्रमिक बस्ती शास्त्रीनगर कानपुर स्थित राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र परिसर में एक श्रमिक कल्याण भवन का निर्माण कराया गया है, जिसको कानपुर के श्रमिकों एवं समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित किया जाता है। वर्तमान में आवंटन की दरें निम्नवत् हैं :-

1- राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों को रु0 5000/ - प्रतिदिन

2- समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों को रु0 10000/ - प्रतिदिन

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों तथा समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए दिनांक 31-12-2020 तक कुल 21 दिनों के लिए श्रमिक कल्याण भवन आवंटित किया गया, जिससे शुल्क के रूप में रुपये 1,60,000/- की धनराशि प्राप्त हुई।

बाल श्रम

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु शासन पूर्णतया दृढ़-संकल्पित है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित अधिनियम-2016) की धारा-3 के अंतर्गत अनुसूची-"अ" तथा "ब" में उल्लिखित 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पूर्ण रूप से वर्जित हैं, जबकि 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के खदानों, ज्वलनशील पदार्थ बानाने वाली फैक्ट्रियों एवं कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत खतरनाक घोषित व्यवसायों में कार्य करने पर प्रतिबन्ध है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या (सिविल) 465/86 'एम0सी0 मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10-12-1996 के उपरान्त सर्वेक्षणों तथा नियमित निरीक्षणों के माध्यम से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर-2020 तक खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में 174 एवं गैर खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में 1593 बाल श्रमिक अर्थात् कुल 1767 बाल श्रमिक चिन्हांकित किये गये। सम्बन्धित 19 नियोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन दायर किये गये तथा 51 नियोजकों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये। इसी अवधि में नियोजकों से रुपये 3.40 लाख की धनराशि वसूल की गई।

बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण

बाल श्रम समस्या का आकलन कराने हेतु सर्वेक्षण में चिन्हांकित 09-14 आयु वर्ग के खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में चिन्हांकित बाल श्रमिकों के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की योजना राज्य सेक्टर से स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बाल श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु सर्वेक्षण के लिए प्राविधानित धनराशि रुपये 5.00 लाख 05 जनपदों यथा- गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, बदायूँ व गाजियाबाद के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को आवंटित किये गये हैं।

महिला श्रम

प्रदेश में संगठित/असंगठित क्षेत्र में नियोजित महिला श्रमिकों की कार्यदशाओं तथा उन्हे समान कार्य के लिये समान वेतन की देयता सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रमुख अधिनियम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 प्रदेश में लागू है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत महिला श्रमिकों के नियोजन में लिंग के आधार पर विभेद न किये जाने तथा समान कार्य के लिये समान वेतन दिये जाने का प्रावधान है। मातृत्व हितलाभ अधिनियम-1961 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को हितलाभ सुनिश्चित कराये जाते हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गर्भावस्था के दौरान मृत्यु हो जाने पर नियमानुसार भुगतान कराने, मेडिकल बोनस, गर्भपात हो जाने की दशा में अवकाश, गर्भावस्था के दौरान बीमार हो जाने की दशा में सवेतन अवकाश, गर्भावस्था के दौरान सेवा से पृथक न करने तथा 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश की व्यवस्थाएं प्राविधानित हैं। उक्त अधिनियम के अतिरिक्त अन्य श्रम अधिनियमों यथा- कारखाना अधिनियम-1948, बीड़ी एवं सिगार अधिनियम-1966, न्यूनतम वेतन अधिनियम-1961, ठेका श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम-1976 आदि में भी महिला श्रमिकों के हितार्थ प्रावधान किये गये है।

उपरोक्त अधिनियमों के प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिला व तहसील स्तर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त हैं, जो अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक घोषित हैं। निरीक्षक को अधिनियम का अनुपालन न करने वाले नियोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन एवं निर्देशवाद दायर करने का अधिकार प्रदत्त है।

दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना

देश में कुल श्रमिकों के सापेक्ष असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 93 प्रतिशत है तथा वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत है।

योजना के संचालन हेतु अनुग्रह धनराशि का वितरण योजना में विहित निर्देशों के अनुसार निम्नवत् किया जायेगाः-

(1) किसी पंजीकृत कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार के आश्रित/नामित को एकमुश्त रु0 2,00,000.00 (रु0 दो लाख मात्र) की धनराशि भुगतान की जायेगी।

(2) पंजीकृत कर्मकार के पूर्ण अपंगता या दोनों आँखों की हानि या दोनों हाथ या दोनो पैर अंग-भंग नुकसान हो जाने पर उसे रु0 2,00,000.00 (रु0 दो लाख मात्र) की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(3) पंजीकृत कर्मकार के एक आँख की दृष्टि या एक हाथ या एक पैर के अंग-भंग/नुकसान पर उसे रु0 1,00,000.00 (रु0 एक लाख मात्र) की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

असंगठित कर्मकारों हेतु दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना में प्रति श्रमिक वांछित प्रीमियम

धनराशि रु0 25/- के परिकलन के आधार पर वर्ष 2020-21 हेतु अनुमानित 5 लाख कर्मकारों हेतु धनराशि रु0 125.00 लाख के आय-व्ययक का प्रावधान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित "उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" द्वारा किया जायेगा, जिसे बीमा एजेन्सी के माध्यम से अथवा स्वयं क्रियान्वयन का कार्य, बोर्ड द्वारा जैसा अवधारित किया जाए, के अनुसार किया जायेगा।

अटल पेंशन योजना

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 की धारा-3 व 4 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार को असंगठित कर्मकारों हेतु उपयुक्त योजनायें विरचित (फ्रेमिंग) किया जाना है। असंगठित कर्मकारों के वृद्धावस्था में कोई आय स्रोत उपलब्ध न होने के कारण उन्हें भारत सरकार की अटल पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना है।

उक्त योजना के अन्तर्गत उन सभी पंजीकृत कर्मकारों को, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, आवर्त किया जाना है। सम्बन्धित कर्मकारों द्वारा 60 वर्ष की आयु तक प्रीमियम जमा किया जाना है। 60 वर्ष की आयु के उपरान्त उन्हें पेंशन की चुनी हुई धनराशि मासिक रूप से देय होगी। पंजीकृत कर्मकार को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम रुपये 1,000/- की मासिक पेंशन सुलभ कराये जाने के दृष्टिगत योजना में आने वाले प्रीमियम का व्यय-भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्त योजना में पंजीकृत कर्मकार की मृत्यु होने की स्थिति में उक्त पेंशन उसकी पत्नी को प्रदान की जायेगी। पंजीकृत कर्मकार/उसकी पत्नी अर्थात दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामित को न्यूनतम रु0 1.70 लाख की कार्पस निधि अथवा कर्मकार द्वारा स्वयं के अंशंदान के आधार पर जितनी पेंशन हेतु अंशदान किया जायेगा, के अनुरूप कार्पस निधि का भुगतान होगा। पंजीकृत कर्मकार की 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा जमा की गयी रकम ब्याज सहित उसके द्वारा नामित को वापस की जायेगी। उल्लेखनीय है कि दिनांक 20-10-2020 को उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि असंगठित क्षेत्र के कर्मकार इस योजना में ऐच्छिक रूप से अच्छादित हो सकते हैं। बोर्ड द्वारा इस हेतु कोई सहायता दिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना

वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीकरण कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग एक करोड़ श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जाना है। दुर्घटना की स्थिति में 100 प्रतिशत अपंग हो जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर रु0 2.00 लाख की आर्थिक सहायता एकमुश्त देय होगी। इसी प्रकार 50 प्रतिशत से अधिक एवं

100 प्रतिशत से कम स्थायी अपंगता पर रु0 1.00 लाख एवं 25 से 50 प्रतिशत स्थायी अपंगता पर रु0 0.50 लाख की आर्थिक सहायता देय होगी।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

भूमिका

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी, 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू के कर कमलों द्वारा कानपुर में शुभारम्भ हुआ था। यह योजना कम से कम 10 कर्मचारियों के कार्य करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में लागू है, जिसके, अन्तर्गत कामगारों व उनके सेवायोजकों से अंशदान की कटौती कर धनराशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत सरकार) के खाते में जमा की जाती है। आच्छादित श्रमिकों के वेतन से 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से तथा सेवायोजक से आच्छादित श्रमिकों के वेतन का 3.25 प्रतिशत् कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के खाते में जमा किया जाता है।

वर्ष **2021-22** हेतु प्रस्तावित प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम

1. कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों तथा औषधालयों में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों एवं विशेषज्ञ के रिक्त पदों को सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों से पुनर्नियुक्ति द्वारा भरना।
2. निष्प्रयोज्य घोषित 06 वाहनों के स्थान पर नए वाहन उपलब्ध कराना।
3. बीमांकित रोगियों एवं उनके अश्रितों को सेकेण्डरी केयर उपचार की सुविधा कैशलेस आधार पर निजी चिकित्सालय/डायग्नोस्टिक सेण्टर से अनुबन्ध करना।
4. बीमांकितों एवं उनके आश्रितों के लम्बित प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान।
5. जर्जर भवनों में संचालित कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों के लिए नए किराए के भवन प्राप्त करना।
6. 12 स्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की स्थापना हेतु पदों का सृजन कराना।
7. कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों एवं औषधालयों के लिए नए चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता।

सेवायोजन कार्यालय के प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं

1. बेरोजगार व्यक्तियों का रोजगार हेतु ऑन-लाईन पंजीयन तथा नियोजकों को मानवशक्ति की आवश्यकता हेतु ऑन-लाईन पंजीयन की व्यवस्था।
2. व्यवसाय मार्ग निर्देशन/कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण व उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना तथा रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना।
3. स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को

प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करने में उनकी सहायता करना।

4. रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का विश्लेषण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार।
5. समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
6. दिव्यांग अभ्यर्थी को रोजगार सहायता प्रदान करने के उद्येश्य से 16 जनपदों मे विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय और शेष जनपदों में प्रत्येक रोजगार कार्यालय में विशेष सेल स्थापित है।
7. रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
8. भारत सरकार के नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मॉडल कैरियर सेन्टर का संचालन।

सेवायोजन सहायता कार्यक्रम

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।

सेवायोजन विभाग द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु वेबपोर्टल सेवायोजनडॉटयूपीडॉटएनआईसीडॉटइन का विकास कराया गया है।

जॉब सीकर का पंजीयन-

- बेराजगारों हेतु आनलाइन पंजीयन सेवायोजन पोर्टल सेवायोजनडॉटयूपीडॉटएनआईसीडॉटइन पर कहीं भी कभी भी करने की सुविधा उपलब्ध।
- रोजगार मेलों में प्रतिभाग की सुविधा।
- नियोजकों द्वारा नौकरियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध।
- नौकरियों हेतु पोर्टल पर आनलाइन आवेदन की सुविधा।
- ई मेल के माध्यम से नौकरी की सूचना ।

सेवायोजन पोर्टल सेवायोजनडॉटयूपीडॉटएनआईसीडॉटइन पर दिनांक 03 फरवरी 2021 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या-3663959

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र के सेवायोजकों से उनके यहाँ त्रैमासिक आधार पर उनके अधिष्ठान में कार्यरत कार्मिको के बारे में सूचना एकत्र करने के उपरान्त संकलित कर प्रसारित की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचनाएं सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम-1959 में निहित प्रावधानों के अनुपालन में एकत्र की जाती है। कार्यक्रम से प्राप्त सूचना से मानव शक्ति का औद्योगिक वर्गीकरण कर आंकलन होता है।

खेल

भूमिका

स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में खेल में गतिविधियों का संचालन उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद द्वारा किया जाता था। जिसका वर्ष 1974 में अधिग्रहण करके खेल विभाग की स्थापना की गयी तथा अब प्रदेश में खेल विभाग द्वारा विभिन्न खेल संघों के समन्वय एवं खेल प्रेमियों के सहयोग से प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास एवं प्रोत्साहन का कार्य बजटीय व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है। खेत के प्रति उचित वातावरण तैयार करने, कीड़ा प्रतिष्ठानों की स्थापना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित करने एवं उनके प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में की जा रही है।

उद्देश्य

प्रदेश सरकार का मुख्य अल्प आयु के बच्चों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी प्रतिभा को उजागर कर उसमें निखार लाना है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैनात विभागीय अधिकारियों/प्रशिक्षकों द्वारा अपने खेल में प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जाते हैं। प्रशिक्षण उपरान्त बच्चों की 'परफारमेन्स' हेतु प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जाती हैं। प्रशिक्षार्थियों को खेलों में प्रेरित करने व उत्साहवर्धन हेतु विभिन्न खेल संघों के समन्वय से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है जिससे उन प्रतियोगिताओं को देखकर बच्चों में खेल के प्रति रुचि उत्पन्न हो व तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकें।

अधिष्ठान

प्रदेश में वर्ष 1974 में खेल विभाग, उ0प्र0 की स्थापना हुई। विभाग में विभिन्न समूहों का चयन नियमावलियों की व्यवस्थानुसार समूह- 'क' के अन्तर्गत निदेशक, संयुक्त निदेशक खेल, उपनिदेशक खेल तथा उपनिदेशक (प्रशासन) के कुल 06 पद, समूह-'ख' में क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी, सहायक अभियंता, वित्त एवं लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के 21 पद, समूह-'ग' में कुल 465 पद तथा समूह-'घ' में कुल 269 पद स्वीकृत हैं।

उ०प्र० स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी की स्थापना तथा उद्देश्य

उ0प्र0 सरकार द्वारा उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ की स्थापना वर्ष 1975 में की गयी थी जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के 9 से 12 वर्ष आयु वर्ग के उदीयमान खिलाड़ी बालक/बालिकाओं का चयन कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर खेल का वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर एक अच्छा खिलाड़ी बनाना, पठन-पाठन के साथ उनका

सर्वांगीण विकास कर स्वस्थ नागरिक बनाना एवं प्रदेश में खेल का विकास कर प्रदेश एवं देश के खेल स्तर को ऊँचा उठाना है। साथ ही खिलाड़ी छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 (यू0पी0 बोर्ड-हिन्दी माध्यम) द्वारा कक्षा-6 से कक्षा 12 तक मानविकी वर्ग में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

सोसाइटी के अधीन प्रदेश में तीन स्पोर्ट्स कालेज क्रमशः गुरु गोबिन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई जनपद इटावा संचालित हैं।

कालजों का संचालन

उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ का गठन वर्ष-1975 में किया गया। उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी लखनऊ के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, खेल विभाग, उ0प्र0 सरकार होते हैं तथा उपाध्यक्ष प्रमुख सचिव, खेल विभाग, उ0प्र0 शासन होते हैं। उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ/गोरखपुर/सैफई संचालित हैं तथा खेल विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्णतया अनुदानित है।

उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ में सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। मैनेजमेण्ट बोर्ड, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अध्यक्ष प्रमुख सचिव, खेल विभाग, उ0प्र0 शासन होते हैं तथा प्रधानाचार्य, गुरू गोबिन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ पदेन सचिव होते हैं। राज्य के तीनों स्पोर्ट्स कालेजों का नोड्ल अधिकारी एवं इन कालेजों का प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य, स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ (सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेज सोसाइटी, लखनऊ) में निहित हैं।

स्पोर्ट्स कालेजों का प्रबन्धन उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अन्तर्गत मैनेजमेण्ट बोर्ड में निहित है। स्पोर्ट्स कालेजों का व्यय पूर्ण रूप से उ0प्र0 शासन द्वारा किया जाता है। प्रदेश में स्थापित तीनों कालेजों का संचालन समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मैनेजमेण्ट बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार किया जाता है।

स्पोर्ट्स कालेजों में प्रवेश चयन प्रक्रिया

उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज़ सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित तीनों स्पोर्ट्स कालेजों में कक्षा-6 में प्रवेश प्रदान किया जाता है। प्रवेश चयन प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पादित की जाती है। प्रथम चरण में प्रारम्भिक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है जो आगामी वर्ष की दिनांक 15 जनवरी से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। प्रारम्भिक चयन परीक्षा संयुक्त रूप से प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय/मण्डलीय खेल कार्यालय स्थित स्टेडियम में, लखनऊ मण्डल की गुरु गोबिन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में, गोरखपुर मण्डल की बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में तथा कानपुर मण्डल की मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई जनपद इटावा में प्रातः 10.00 बजे से आयोजित होती हैं। प्रारम्भिक चयन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदेश स्तरीय खेलवार श्रेष्ठता सूची तैयार की जाती है और इस सूची के आधार पर मुख्य चयन परीक्षा हेतु खेलवार सम्बन्धित कालेज द्वारा अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा जाता है तथा चयनित

अभ्यर्थियों की सूची कालेज की वेबसाइट www.sportscollegelko.in पर उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्य चयन परीक्षा खेलवार सम्बन्धित स्पोर्ट्स कालेजों में आयोजित होती है। मुख्य चयन परीक्षा में शारीरिक, खेल तकनीक व खेल परीक्षा आयोजित होती हैं। मुख्य चयन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा खेलवार प्राप्त अंकों के आधारा पर तीनों कालेजों की खेलवार रिक्त सीटों के सापेक्ष श्रेष्ठता सूची से चयनित व प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है जिसे कालेज की वेबसाइट www.sportscollegelko.in पर उपलब्ध कराया जाता है चयनित सूची के अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग हेतु खेलवार सम्बन्धित कालेज द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। काउन्सलिंग समिति द्वारा वांछित प्रपत्रों की जांच कर छात्रों को प्रवेश प्रदान किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

उ०प्र० स्पोर्ट्स कालेज सोसाइटी लखनऊ के अधीन संचालित स्पोर्ट्स कालेजों का विवरण

स्पोर्ट्स कालेजों के विद्यार्थियों ने यथा- क्रिकेट में सुरेश रैना, आर0पी0 सिंह, नरेन्द्र हिरवानी, हाकी में महिन्दर पाल सिंह, जगबीर सिंह, राम प्रकाश सिंह, रजनीश मिश्रा, दानिश मुजतबा, प्रीति दुबे, एथलेटिक्स में अजित सिंह भदौरिया, सुरेश कुमार पटेल, अजिती कुमार जैसे खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश एवं प्रदेश को गौरवान्वित किया हैं।

गुरु गोबिन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ

खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से लखनऊ में कुर्सी रोड पर स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गयी। उत्तर प्रदेश का यह प्रथम स्पोर्ट्स कालेज था। इसका क्षेत्रफल 153 एकड़ है। इस कालेज में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के 12 वर्ष की आयु के बच्चों का चयन कर प्रवेश दिया जाता है और उनके अध्ययन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी आवासीस संस्था मे एक स्थान पर की जाती है और बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से उनके चतुर्मुखी विकास पर बल दिया जाता है। कालेज मे एथलेटिक्स, फुटबाल, हाकी, क्रिकेट, वालीबाल एवं बैडमिन्टन खेलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ के छात्रों का कक्षा-06 से 12 तक साहित्यिक वर्ग में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। समुचित आवासीय व्यवस्था हेतु बहुमंजिला छात्रावास, डायनिंग हाल, कम्यूनिटी हाल और स्वास्थ्य केन्द्र की भी सुविधायें उपलब्ध हैं। इन सब उच्चतम सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्टीय प्रतियोगिताओं हेतु उपयुक्त स्थान रखता है। स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में कुल-345 प्रशिक्षार्थियों की संख्या निर्धारित है।

उपलब्धियाँ

वर्ष-2019-20 में कालेज से कुल 362 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया और 22 स्वर्ण, 20 रजत एवं 9 कांस्य पदक अर्जित किये। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 99 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करते हुए 01 स्वर्ण, 02 रजत एवं 03 कांस्य पदक अर्जित किये।

छात्रों की प्रवेश व्यवस्था

स्पोर्ट्स कालेज में प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा की आयु 9 वर्ष से 12 वर्ष के बीच तथा शैक्षिक योग्यता कक्षा-5 उत्तीर्ण होना चाहिए। छात्र माह जनवरी से प्रारम्भ होने वाली प्रारम्भिक चयन परीक्षा जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय खेल कार्यालयों में होती है उसमें अपने मण्डल के क्षेत्रीय खेल कार्यालय से प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रारम्भिक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कालेज द्वारा जारी फार्म भरना आवश्यक होता है।

बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर

लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स कालेज की सफलता से खेल क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के दृष्टिगत शासन द्वारा वर्ष 1988-89 में पूर्वान्चल के गोरखपुर नगर में बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गयी है। आवासीय संस्था होने के कारण इसका समस्त व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जाता है। इस कालेज में कुश्ती (बालक), वालीबाल (बालक एवं बालिका), हाकी (बालिका) एवं जिम्नास्टिक (बालक एवं बालिका) खेलों में प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रदेश के शिक्षा विमाग द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्य क्रम में कक्षा-06 से 12 तक शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। यह कालेज गोरखपुर नगर से लगभग 08 कि0मी0 दूर महाराजगंज रोड पर आरोग्य मन्दिर के निकट 48.7 एकड़ भूमि पर रिथत है। स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में कुल-320 प्रशिक्षार्थियों की संख्या निर्धारित है।

उपलब्धियाँ

वर्ष 2019-20 में इस कालेज से कुल 236 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया और 30 स्वर्ण, 30 रजत एवं 38 कांस्य पदक अर्जित किये। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 134 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करते हुए 09 स्वर्ण, 04 रजत एवं 09 कांस्य पदक अर्जित किये।

छात्र/छात्राओं की प्रवेश व्यवस्था

स्पोर्ट्स कालेज में प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा की आयु 9 वर्ष से 12 वर्ष के बीच तथा शैक्षिक योग्यता कक्षा-5 उत्तीर्ण होना चाहिए। छात्र, छात्रा माह जनवरी से प्रारम्भ होने वाली प्रारम्भिक चयन परीक्षा जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय खेल कार्यालयों में होती है उसमें अपने मण्डल के क्षेत्रीय खेल कार्यालय से प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रारम्भिक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कालेज द्वारा जारी फार्म भरना आवश्यक होता है।

मेजर ध्यानचन्द्र स्पोर्ट्स कालेज, सैफई (इटावा) का संक्षिप्त परिचय

लखनऊ एवं गोरखपुर में स्थित स्पोर्ट्स कालेज की सफलता व खेल क्षेत्र में विशिष्ठ योगदान के दृष्टिगत शासन द्वारा वर्ष 2014-15 में सैफई (इटावा) में मेजर ध्यानचन्द्र स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गयी है। आवासीय संस्था होने के कारण इसका समस्त व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जाता है। इस कालेज में बालक वर्ग में क्रिकेट, फुटबाल, हाकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, तैराकी, कबड्डी तथा बैडमिन्टन (बालक/बालिका), जूडो (बालिका) खेलों में प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कक्षा-06 से

कक्षा-12 तक शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। स्पोर्ट्स कालेज, सैफई में कुल-560 प्रशिक्षार्थियों की संख्या निर्धारित है। मेजर ध्यानचन्द्र स्पोर्ट्स कालेज सैफई, इटावा लगभग 70 एकड एवं मा0 चन्दगीराम स्टेडियम 17.328 एकड़ में निर्मित है।

उपलब्धियाँ

वर्ष-2019-20 में इस कालेज के खिलाड़ियों द्वारा राज्य स्तर पर 432 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करते हुए 40 स्वर्ण, 40 रजत एवं 50 कांस्य पदक कुल 130 पदक अर्जित किये। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 88 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया तथा 02 स्वर्ण, 02 रजत एवं 03 कांस्य पदक कुल 07 पदक अर्जित किये।

छात्र/छात्राओं की प्रवेश व्यवस्था

स्पोर्ट्स कालेजों में प्रवेश हेतु छात्र/छात्रा की आयु 9 वर्ष से 12 वर्ष के बीच तथा शैक्षिक योग्यता कक्षा-5 उत्तीर्ण होना चाहिए। छात्र/छात्रा माह जनवरी से प्रारम्भ होने वाली प्रारम्भिक चयन परीक्षा जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय खेल कार्यालयों में होती है उसमें अपने मण्डल के क्षेत्रीय खेल कार्यालय से प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रारम्भिक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कालेज द्वारा जारी फार्म भरना आवश्यक होता है।

निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कालेज

जनपद सहारनपुर, फतेहपुर एवं बलिया में स्पोर्ट्स कालेज निर्माणाधीन हैं।

भारत सरकार की "खेलो इण्डिया" स्कीम की विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे- मल्टीपरपज हाल, रनिंग ट्रैक आदि निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं जिसका नोडल अधिकारी, अध्यक्ष मैनेजमेण्ट बोर्ड, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज़ सोसाइटी, लखनऊ को नामित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस स्कीम की परियोजनाओं हेतु अनुदान सोसाइटी के खाते में प्रदान किया जाता है जिसे नियमानुसार सम्बन्धी परियोजना की कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित किया जाता है।

आवासीय क्रीड़ा छात्रावास

खेल विभाग की आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजना के अन्तर्गत जिला स्तर, मण्डल व प्रदेश स्तर पर चयन करके उदीयमान खिलाड़ियों का 15 दिवसीय केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जाता है। इस शिविर के अन्तिम दिवसों में क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु उदीयमान खिलाड़ियों का चयन खेल विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न खेलों में बालक/बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है, जिसके अन्तर्गत उन्हें आवासीय सुविधा, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, खेल किट, उपकरण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। एक खिलाड़ी पर प्रतिवर्ष रु0 1,02,750/- व्यय होता है। वर्तमान में 19 जनपदों में 16 खेलों में 44 छात्रावास हैं। इनमें विभिन्न खेल छात्रावासों में बालकों की संख्या-670 एवं बालिकाओं की संख्या-22 कुल 890 निर्धारित है।

उत्तर प्रदेश खेल विकास प्रोत्साहन समिति

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 1187/बयालिस-2020-38/एस0पी0/30/84 टी0सी0

दिनांक 27 जुलाई, 2020 द्वारा "जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली 1984" को संशोधित करते हुए "उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली, 2020" प्रख्यापित की गयी है, जिसका कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश रहेगा। गाँव स्तर से राज्य स्तर तक युवाओं एवं खिलाड़ियों का चिन्हाँकन कर खेलों में प्रतियोगिता वृद्धि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली को उत्तर प्रदेश के समस्त तहसीलों, जनपद, मण्डल तथा राज्य में लागू किया जाना है। उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली, 2020 के उद्देश्य व लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किये गये हैं-

1. खेल संस्कृति का समस्त वर्गों यथा- महिलाओं, दिव्यांगजन इत्यादि में बढ़ावा देना।
2. खेलों का विस्तार एवं प्रतिभागिता प्रतिशत बढ़ाना।
3. खेल प्रतिभाओं का चिन्हींकरण एवं बहुमुखी क्षमता विकास करना जिससे वह चयनित खेल में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करें।
4. एक सुनियोजित ढंग से प्रशिक्षण व क्षमता विकास, आधुनिक टेस्टिंग मानकों/मनोवैज्ञानिक प्रचार-प्रसार तकनीक के माध्यम से किया जायेगा।
5. सभी सम्बन्धित घटकों, खेल संघों/संस्थाओं, विभागों यथा- युवा कल्याण, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य, नगर विकास, उद्योग, सेना, रेलवे आदि के मध्य समन्वय रखते हुए खेलों का समग्र विकास करना।

उक्त उद्देश्यों का यह लक्ष्य है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों का प्रतिभागिता प्रतिशत विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में बढ़े जिससे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पुरस्कृत खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि हो।

खेलो इण्डिया ऐप का प्रचार प्रसार

खेल प्रतिभाओं की खोज एवं उनकी क्षमत्ता का आंकलन कर खेल गतिविधियों में बढ़ोत्तरी एवं राज्य प्रतिनिधित्व में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत 'खेलो इण्डिया ऐप' पर सभी जिलों के छात्रों/ खिलाड़ियों एवं कोचेज (बेसिक, माध्यमिक, उच्च, समाज कल्याण, श्रम विद्यालयों, पॉलीटेक्निक, प्राइवेट कालेज, यूनिवर्सिटी, चिकित्सा संस्थानों, खेल संघों, क्लबों आदि) के अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु खेल विभाग के अधीनस्त समस्त जनपदीय अधिकारियों एवं प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स कालेजेज को निर्देशित किया गया।

उक्त के अनुपालन में अधिकारियों द्वारा प्रयास करते हुये अपने जनपद के जिलाधिकारी से समन्वय कर सभी सम्बन्धित विभागों के सक्षम अधिकारियों के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण के 'खेलों इण्डिया एप' पर कुल-171 कोचेज एवं 4260 खिलाडियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया।

फिट इंडिया प्रोटोकाल का व्यापक प्रचार-प्रसार

खेल विभाग द्वारा फिट इंडिया अभियान को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2019 से प्रारंभ अभियान अवधि के दौरान आयोजित स्वस्थता समारोह/कार्यकलापों में अपना नाम दर्ज करवाने और उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके भारतीयों को स्वस्थता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न भाग बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया और यह अभियान 29 अगस्त, 2023 को समाप्त होगा।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के सम्मान की व्यवस्था

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने के लिए व्यवस्था लागू की गयी है पुरस्कारों का विवरण निम्नवत् हैः-

(क) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हेतु (एकल गेम्स/टीम गेम्स में पुरस्कार)

वर्ग	स्वर्ण	रजत	काँस्य
सब-जूनियर	10,000	7,500	5,000
जूनियर	15,000	10,000	7,500
सीनियर	25,000	15,000	10,000

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं (एकल गेम्स/टीम गेम्स में पुरस्कार)

अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का नाम	स्वर्ण	रजत	काँस्य
ओलम्पिक गेम्स	5,00,000	3,00,000	2,00,000
कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्वकप तथा विश्व चैम्पियनशिप (प्रत्येक 04 वर्षों में आयोजित होने वाली)	1,50,000	1,00,000	50,000

(ग) सैफ गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल हेतु

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का नाम	स्वर्ण	रजत	काँस्य
सैफ गेम्स	50,000	35,000	25,000
राष्ट्रीय खेल	50,000	35,000	25,000

भूतपूर्व खिलाड़ियों को सुविधा

विभाग द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्यार्थ चलायी जाने वाली योजना के अन्तर्गत वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त खिलाड़ियों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-

1. राज्य स्तर के वे खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश की अधिकृत टीम का प्रतिनिधित्व किया हो - रु0 4000/-

2. राष्ट्रीय स्तर के वे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्र की अधिकृत टीम का प्रतिनिधित्व किया हो - रु0 6000/-
3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्र की अधिकृत टीम के सदस्य होकर ओलम्पिक कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स तथा विश्वकप खेलों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो - रु0 10,000/-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 159 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडियों तथा पहलवानों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

खेल विभाग द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को अथवा खेल जगत में उपलब्धियों के दृष्टिगत पद्मश्री एवं पद्मभूषण से सम्मानित महानुभाव खिलाड़ियों को रु0- 20,000/- प्रतिमास की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

जनपद मेरठ में उत्तर प्रदेश राज्य स्पोर्ट्स यनिवर्सिटी की स्थापना

खेलों के विकास एवं उदीयमान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एण्ड एप्लाइड स्पोर्ट्स साइंसजेज, स्पोर्ट्स मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एण्ड मॉस मीडिया टेक्नोलॉजी, एडवेन्चर स्पोर्ट्स एण्ड यूथ अफेयर्स विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनके अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमों द्वारा स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, सार्टिफिकेट, एम0फिल0 तथा पीएच0डी0 तक की शिक्षा की सुविधा होगी।

प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण

प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण विभाग की वर्ष 2020-21 के कार्यकलापों के सापेक्ष अर्जित की गयी उपलब्धियाँ

युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा प्रदेश के युवा वर्ग के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास तथा सामाजिक कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, खेलो इण्डिया, प्रान्तीय रक्षक दल का सशक्तिकरण, युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन युवा उत्सव, राज्य युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नामक योजनाऐं चलाई जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत रु0 23355.95 लाख एवं पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत रु0 2500.00 लाख, इस प्रकार कुल रु0 25855.95 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी कराकर धनराशि के व्यय की कार्यवाही की जा रही है।

प्रावधानित धनराशियों से संचालित की गईं योजनाओं/कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अधोप्रकार हैः--

1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

गाँव में निवास करने वाले युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार द्वारा विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर सभी आयु वर्ग के पुरुषों/ महिलाओं की एथलेटिक्स, वालीबॉल, कबड्डी, भारोत्तोलन एवं कुश्ती विधाओं में खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला सेक्टर की इस योजना के अन्तर्गत रु0 250.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। तद्क्रम में सभी विकास खण्डों तथा जनपदों में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया है। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत कतिपय जनपदों में प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो पाया है।

2. ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना, विकास एवं उपकरण

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर 50- 50 प्रतिशत की धनराशि व्यय करके प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में खेल सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आउटडोर/इण्डोर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की योजना थी, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से राज्य सरकार को हस्तांतरित

हो गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत (1) निहस्था (रायबरेली), (2) सरसेना (मऊ), (3) कोरांव, (4) करछना, (5) हण्डिया, (6) शंकरगढ़ (प्रयागराज), (7) पहाड़गांव (जालौन), (8) गुढ़ा (ललितपुर), (9) दुजाना (गौतमबुद्ध नगर) एवं (10) चिल्लूपुर (आजमगढ़) में इण्डोर स्टेडियम तथा (11) पंजोखरा (शामली) में इण्डोर तथा आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण करके स्टेडियम विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं, जिनमें युवाओं की दिन-प्रतिदिन की खेल गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

इस प्रकार प्रदेश सरकार के 69 एवं भारत सरकार के 11 कुल 80 स्टेडियम विभागीय बजट से स्थापित हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में सामान्य योजनान्तर्गत रु0 72.16 लाख तथा एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत रु0 42.89 लाख, इस प्रकार कुल रु0 115.05 लाख की धनराशियों का प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष निर्माणाधीन ग्रामीण स्टेडियमों की बाउण्ड्रीवॉल एवं अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेनजिम के निर्माण हेतु सामान्य योजनान्तर्गत रू0 2500 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत निर्माणाधीन स्टेडियमों हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कराकर निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने एवं ओपेन जिम की स्थापना कराए जाने संबंधी कार्यवाही प्रचलित है।

3. खेल छात्रावास की स्थापना

वित्तीय वर्ष 2006-07 में इस योजना के अन्तर्गत ग्राम-पंजोखरा/जसाला, विकास खण्ड-कांधला, जनपद-शामली में एक खेल छात्रावास की स्थापना की योजना प्रारम्भ की गई, जिसमें कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु रु0 40.00 लाख की राशि अवमुक्त करके निर्माण कार्य आरम्भ कराया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 237.18 लाख की धनराशि व्यय करके इस छात्रावास को युवा कल्याण विभाग के खेल सम्बन्धी कार्यक्रमों के संचालनार्थ प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है।

4. युवा छात्रावासों की स्थापना

भारत सरकार की इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा भूमि तथा विकास कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी तथा भारत सरकार द्वारा युवा छात्रावासों के मुख्य भवन के निर्माण, साज-सज्जा तथा वार्डन/सहायक वार्डन के लिये वित्तीय सहायता दी जाती थी। वर्तमान में आगरा तथा लखनऊ में युवा छात्रावास संचालित हैं।

5. युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ग्राम पंचायतों में युवक तथा महिला मंगल दलों का गठन कर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल कार्यालय में पंजीकरण कराया जाता है, इच्छुक मंगल दलों

को फर्म्स एण्ड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया जाता है। इन दलों की ग्रामीण खेलकूद, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, अल्प बचत, प्रौढ़-शिक्षा, श्रमदान तथा भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करायी जाती है। युवा ऊर्जा को राष्ट्र विकास हेतु रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए यह संगठन अत्यन्त उपयोगी है।

वर्तमान में गठित तथा पंजीकृत दलों की स्थिति निम्न प्रकार हैः-

क्र०सं०	दलों का नाम	गठित दल
(अ)	युवक मंगल दल	38831
(ब)	महिला मंगल दल	31282
	कुल योग	**70113**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 25000.00 लाख की धनराशि से 20000 मंगल दलों को प्रोत्साहित किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

6. प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता

विभाग में पी0आर0डी0 एक्ट-1948 के अन्तर्गत गठित प्रान्तीय रक्षक दल संगठन के जवानों की ड्यूटी समस्त जनपदों में समस्त थानों, महिला थानों तथा यातायात संचालन एवं जिला प्रशासन की मांग पर धार्मिक स्थलों, दैवी आपदा, मेला, प्रदर्शनी, हड़ताल, निर्वाचनों आदि के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग की विभिन्न परिसम्पत्तियों की सुरक्षा आदि हेतु भी इन जवानों को ड्यूटी पर लगाया जाता है।

75 जनपदों में 08 की दर से 600 जवान, 80 विभागीय स्टेडियमों में 03 की दर से 240 जवान, 14 युवा केन्द्रों में 03 की दर से 42 जवान, राज्य स्तरीय ड्यूटी में 100 जवान, ट्रैफिक ड्यूटी हेतु सामान्य जनपद में 50 तथा मण्डल स्तर पर 100, इस प्रकार कुल 4650 जवान, 68 महिला थानों पर 06 की दर से 408 महिला पी0आर0डी0 जवान, 1513 थानों पर 06 की दर से 9078 जवान, तीर्थ, मेला, धार्मिक स्थल आदि पर 500 जवान, इस प्रकार कुल 15,618 तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन में 12,000, इस प्रकार कुल 27,618 जवानों की ड्यूटी लगाई गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 44,835 जवानों को ड्यूटी उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुमन्य रु0 375/- प्रतिदिन की दर से कुल रु0 16012.00 लाख की धनराशि से उपर्युक्तानुसार विभिन्न ड्यूटियों पर जवानों को तैनात किया गया। उक्त के अतिरिक्त गृह विभाग की मांग के क्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कोविड 19 संक्रमण के दृष्टिगत 4589 जवानों की ड्यूटी लगायी गयी है।

युवा उत्सव

इस योजनान्तर्गत निम्नांकित घटकों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैः-

क-जनपदीय, मण्डलीय एवं राज्य युवा उत्सव

सांरकृतिक विधाओं से जुड़े युवक एवं महिला मंगल दल के सदस्यों एवं इस विधा से जुड़े हुए अन्य युवा कलाकारों को सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर सुलभ कराए जाने के दृष्टिगत जनपदीय युवा उत्सव मण्डलीय युवा उत्सव एवं राज्य युवा उत्सव के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय युवा उत्सव हेतु निर्धारित लोकगीत, वाद्यवादन, शास्त्रीय नृत्य एवं शास्त्रीय गायन विधाओं के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय परम्परागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रु0 1975.55 लाख की धनराशि से जनपदीय, मण्डलीय एवं राज्य युवा उत्सव का आयोजन कर प्रदेश की राजधानी-लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का भव्य आयोजन दिनांक 12 से 16 जनवरी, 2020 तक कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपदीय, मण्डलीय एवं राज्य युवा उत्सव का आयोजन कर वर्चुअल रूप से आयोजित 24वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश के कलाकारों का प्रतिभाग कराया गया।

7. युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व के गुणों का विकास करने, उनमें साम्प्रदायिक सौहार्द्र तथा सामाजिक कार्यों/ सेवाओं में रुचि उत्पन्न करने एवं समाज के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से युवक एवं महिला मंगल दल के सदस्यों को सम्मिलित कर युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कराया जाता है। अधिकाधिक युवाओं को उक्त कार्यक्रम से लाभन्वित कराए जाने हेतु जनपद एवं राज्य स्तर पर उक्त आयोजन कराकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 84.00 लाख की धनराशि व्यय कर इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम धनराशि का प्रावधान होने के फलस्वरूप रु0 10.00 लाख की धनराशि से राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराया गया है।

8. विवेकानन्द यूथ एवार्ड

वर्ष-1985 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसके अन्तर्गत शासन द्वारा वर्ष 1985-86 से युवकों में रचनात्मक कार्य के प्रोत्साहन स्वरूप राष्ट्र निर्माण, धार्मिक सहिष्णुता, भाई-चारे, कौमी एकता, शान्ति एवं सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकीकरण हेतु युवक मंगल दल की सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाई को रु0 1.00 लाख का नकद पुरस्कार 'विवेकानन्द यूथ एवार्ड' के रूप 'चल बैजयन्ती' सहित प्रदान किये जाने तथा प्रत्येक जिले में उक्त कार्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली युवक मंगल इकाई को भी शील्ड सहित रु0 5,000/- का पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश स्तर पर सर्वश्रेष्ठ एक-एक युवक मंगल दल एवं एक-एक महिला मंगल दल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रु0 1,00,000 नकद (चल बैजयन्ती साहित), रु0 50,000 एवं रु0 25,000 नकद के कुल 6 पुरस्कार जिनमें तीन पुरस्कार

युवक मंगल दलों के लिये एवं तीन पुरस्कार महिला मंगल दलों को दिये जाने तथा प्रत्येक जिले में उक्त कार्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली युवक/महिला मंगल दल की एक इकाई को भी रु0 5,000/- तथा व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिए जाने हेतु रु0 50,000-00 प्रति व्यक्ति की दर से 10 व्यक्तियों हेतु तथा रु0 1,00,000-00 का व्यय स्मृति चिन्ह, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र आदि पर व्यय हेतु कार्यवाही की जा रही है।

9. खेलो इण्डिया

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनाक 04 अप्रैल, 2016 से संचालित "खेलो इण्डिया" योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 18 जनपदों में खेल अवस्थापनाओं का सृजन कराया जा रहा है।

10. ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 307.83 लाख की लांगत से जनपद-बलरामपुर के ग्राम-इमलिया कोडर में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 2500.00 लाख की धनराशि से 17 ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण की कार्यवाही की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 2500.00 लाख की धनराशि से मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत निर्माणाधीन मिनी स्टेडियमों हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा अवशेष 02 स्टेडियमों हेतु प्रथम किश्त की धनराशि तथा ओपेन जिम हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

●

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय

यह विभाग अविभाजित उ0प्र0 में पहले पर्वतीय विकास विभाग एवं तत्पश्चात उत्तरांचल समन्वय विभाग के रूप में स्थापित था। 09 नवम्बर, 2000 में उत्तरांचल राज्य को उ0प्र0 से पृथक कर नवीन राज्य के रूप में गठित कर दिये जाने के उपरान्त यह विभाग उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग के रूप में स्थापित है।

यह विभाग उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य कार्मिकों के राज्यावंटन तथा आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन का समन्वय विभाग मात्र है, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित समिति के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। यह एक बजट रहित विभाग है।

उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के सम्बंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2019 को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की संयुक्त बैठक देहरादून में आयोजित की गयी थी, जिसमें दीर्घकाल से लम्बित 11 विभागों के संबंधित प्रकरणों पर निर्णय लिया गया। तद्क्रम में निर्गत कार्यवृत्त पर मा0 मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त करते हुये सम्बन्धित विभागों को तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस हेतु मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर Follow Up बैठकें भी करायी गयी हैं।

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य कार्मिकों के राज्य आवंटन के सम्बन्ध में भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित परामर्शीय समिति की बैठक आहूत किये जाने के सम्बंध में भारत सरकार की अपेक्षानुसार लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों की समन्वय बैठक 02 बार आहूत करायी गयी तथा एक बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया, जिसका संयुक्त कार्यवृत्त निर्गत करते हुये सम्बन्धित विभागों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने से सम्बन्धित सूचना निश्चित समयावधि में उपलब्ध करा दें। इस प्रकार प्राप्त सूचना के क्रम में भारत सरकार को निर्णय हेतु ऐजेण्डा तैयार कर भेजा गया। इस पर भारत सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है।

लोक निर्माण

लोक निर्माण विभाग राज्य सरकार का एक अत्यन्त पुराना और महत्वपूर्ण विभाग है। जिसके द्वारा सड़कों के रखरखाव, मरम्मत, नवनिर्माण, चौड़ीकरण, नेशनल हाईवे की मरम्मत तथा रखरखाव, नदियों पर सेतुओं का निर्माण, सरकारी भवनों का निर्माण और उनकी मरम्मत तथा रखरखाव आदि का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक किये गये महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार हैः-

ग्रामीण मार्गों का निर्माण

- मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 33 राजस्व ग्रामों हेतु 29 कि0मी0 लम्बाई हेतु रू0 14.35 करोड़ की लागत से कार्य कराए जा रहे हैं। अब तक लगभग 29 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण करते हुए 33 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
- मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 156 मजरों हेतु 78 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु रू0 102.48 करोड़ की लागत से कार्य कराए जा रहे हैं। अब तक लगभग 157.50 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण करते हुए 146 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
- विभाग द्वारा अनजुड़ी बसावट, जिला योजना, राज्य सड़क निधि, नाबार्ड, नक्सल, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, पूर्वान्चल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि आदि योजनाओं में ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जा रहा है।
- वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 16434 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जा चुका है।
- महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्गों को 5.50 मी0 तक चौड़ीकरण किये जाने हेतु मानको का निर्धारण करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु मा0 जनप्रतिनिधियों से लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के ग्रामीण मार्गो के प्रस्ताव प्रत्येक विधानसभा से 10 किमी0 लम्बाई के वरीयता प्राप्त करते हुए कार्य योजना तैयार की जा रही है।

तहसील मुख्यालयों को 2 लेन चौड़े मार्ग से जोड़ा जाना

- वर्ष 2017 में प्रदेश के 26 तहसील मुख्यालय ऐसे थे जो दो लेन मार्ग से जुड़े नही थे, जिन्हे 2 लेन मार्ग से जोड़ने की कार्य योजना विभाग द्वारा बनाई गयी।
- इन 26 तहसील मुख्यालयों को 2 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु लम्बाई 270 कि0मा0 व रू0 391

करोड़ की लागत से चौडीकरण हेतु स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी है, जिसके सापेक्ष अब तक 25 कायो को शतप्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति में है।

मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

- विश्व बैंक परियोजना की कुल लागत रु. 3700 करोड़ है। प्रथम चरण में 04 कार्य चयनित हैं जिनकी लम्बाई 258 कि0मी0 है, जिनके सापेक्ष 02 कार्य पूर्ण किये जा चुके है एवं शेष 02 कार्य प्रगति में है। द्वितीय चरण में 06 मार्गों का चिन्हांकन किया जा चुका है, 06 कार्यो का डीपीआर गठन पूर्ण कर लिया गया है, जिनमें से 03 कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है तथा शेष 03 कार्यो के आगणन की स्वीकृति प्रकियाधीन है।
- इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियेजनान्तर्गत के अन्तर्गत 12 कार्य, लम्बाई 235 किमी0 एवं लागत रू0 1039 करोड़ के प्रगति में थे, जिसके सापेक्ष 09 कार्य, लम्बाई 115 किमी0 (बाधारहित) एवं लागत रू0 417 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष 03 कार्य प्रगति में है। परियोजनान्तर्गत 202 किमी0 लम्बाई में फार्मेशन लेवल एवं 189 किमी0 लम्बाई में सरफेसिंग लेवल तक का कार्य पूर्ण है।
- वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 15996 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों का विकास

- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जन-सामान्य को सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश से जुड़ने वाले अन्य प्रदेशों/देश की सीमाओं तक जाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों को विकसित करने का एवं सीमा पर स्वागत द्वार बनाने तथा अन्य सौन्दर्यीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके क्रम में 404 स्वागत द्वार की शासन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है; जिन पर कार्य शुरू करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- उक्त के दृष्टिगत 83 सड़कों हेतु 935 कि0मी0 लम्बाई में रू0 1776 करोड़ की लागत से कार्य कराया जा रहा है, जिसके सापेक्ष अब तक 62 कार्यों को शतप्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

राज्य मार्गों का विस्तार किया जाना

- प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों की श्रेणी परिवर्तित करते हुए कुल 70 नये राज्य मार्ग (लम्बाई 5829 कि0मी0) घोषित किए जा चुके हैं। इन मार्गों को कम से कम 2 लेन चौड़ा किया जायेगा ताकि यातायात को सुगमता प्राप्त हो। इन मार्गों के विकास से स्थानीय निवासियों को यातायात सुगमता के साथ-साथ आर्थिक विकास में भी सहायता होगी।

प्रदेश में नए प्रमुख जिला मार्गों का निर्माण

- प्रदेश में ऐसे अन्य जिला मार्ग जो जनपद के विकास एवं स्थलीय यातायात की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, को मिला कर 57 नए प्रमुख जिला मार्ग लम्बाई 2831 किमी, घोषित किये गए हैं। इन समस्त मार्गों को प्रमुख जिला मार्ग मानकों के अनुरूप विकसित किया जायेगा।

विभाग के समस्त मार्गों को गड्ढ़ामुक्त रखा जाना

- प्रदेश सरकार के गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश की समस्त सड़कों को गड्ढ़ामुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
- सभी विभागों की लगभग 3 लाख 58 हजार कि0मी0 सड़कों में से 1 लाख 7 हजार कि0मी0 सड़कें तत्समय गड्ढ़ायुक्त पाई गयी थी जिन्हें गड्ढ़ामुक्त करने हेतु अभियान चलाया गया।
- लो0नि0वि0 की 2 लाख 35 हजार कि0मी0 लम्बाई की सड़कों में से 85,60 कि0मी0 लम्बाई गड्ढ़ायुक्त पाई गयी जिन्हें निर्धारित समय में गड्ढामुक्त कर दिया गया। साथ ही लगभग 36,859 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों को नवीनीकृत किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018-9 में लगभग 44,376 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग को गड्ढ़ामुक्त एवं लगभग 21,840 कि0मी0 से अधिक लम्बाई के मार्गों को नवीनीकृत किया गया।
- वर्ष 2019-20 में अब तक लक्षित 53,273 कि0मी0 के सापेक्ष 52,121 कि0मी0 लम्बाई को गड्ढ़ामुक्त किया जा चुका है तथा अब तक लगभग 24,777 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों को नवीनीकृत किया गया।
- वर्ष 2020-21 में अब तक लक्षित 56,799 कि0मी0 के सापेक्ष 55,481 कि0मी0 लम्बाई को गड्ढ़ामुक्त किया जा चुका है तथा अब तक लगभग 23,209 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों को नवीनीकृत किया गया।
- वर्ष 2021-22 में अब तक चिन्हित 63,111 कि0मी0 के सापेक्ष 62,112 कि0मी0 लम्बाई को गड्ढ़ामुक्त किया जा चुका है तथा अब तक लगभग 6,744 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों को नवीनीकृत किया गया।

सेतुओं एवं रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण

- देश एवं प्रदेश के सतत् विकास के लिए मार्गों के साथ-साथ सेतुओं का निर्माण अत्यन्त ही आवश्यक है।
- उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर 305 दीर्घ सेतु, 767 लघु सेतु एवं 424 रेल उपरिगामी सेतु इस प्रकार कुल 4493 सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाना लक्षित है।

भवन कार्य

- ई0पी0सी0 मोड पर रु0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के कुल 94 शासकीय भवनों का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें श्रम विभाग के 18 कार्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग के 15 कार्य, अल्पसंख्यक एवं वक्फ विभाग के 03 कार्य, गृह विभाग के 22 कार्य, कारागार विभाग के 07 कार्य, उच्च शिक्षा विभाग के 04 कार्य, न्याय विभाग के 09 कार्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 01 कार्य, आयुष विभाग का 01 कार्य, पशुधन विभाग का 01 कार्य, खेल विभाग का 04 कार्य, नगर विकास विभाग का 01, चिकित्सा एवं

स्वास्थ विभाग का 04 कार्य, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का 04 कार्य, राजस्व विभाग का 04 कार्य, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का 01 कार्य, निर्वाचन विभाग का 04 एवं धर्मार्थ विभाग का 03 कार्य सम्मिलित है।

- उक्त 94 कार्यो में से 46 कार्य स्वीकृत है, जिनमें श्रम विभाग के 18 अटल आवासीय विद्यालायों की स्वीकृत लागत रू0 1256.64 करोड़, 43 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृत लागत रू0 3637.21 करोड़, अटल मेडिकल विश्वविद्यालय 01 कार्य की स्वीकृत लागत रू0 201.76 करोड़ एवं यूनानी मेडिकल कॉलेज 01 कार्य की स्वीकृत लागत रू0 429.50 करोड़ है, सांस्कृतिक सद्भावना केन्द्र, रामपुर 01 कार्य की स्वीकृत लागत रू0 90.39 करोड़ एवं 03 विश्वविद्यालय अलीगढ़, बलिया, सहारनपुर एवं आजमगढ़ लागत कमशः रू0 101.4 करोड़, रू0 92.76 करोड़, रू0 92.04 करोड़ एवं रू0 108.05 करोड़ गृह विभाग के 04 कार्य की स्वीकृत लागत रू0 947.32 करोड़, न्याय विभाग के 02 कार्य की स्वीकृत लागत रू0 794.98 करोड़, सैनिक स्कूल गोरखपुर 04 कार्य की स्वीकृत लागत रू0 453.66 करोड़, राजस्व विभाग के कलेक्ट्रेट भवन गोरखपुर 01 कार्य की स्वीकृत लागत रू0 54.05 करोड़ के स्वीकृत हैं।
- भवन के उक्त कार्य अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष बजट आवंटन के सापेक्ष सम्पादित किये जाते हैं। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत 128 अनावासीय/आवासीय भवन कार्य जिनकी स्वीकृत लागत रू0 283.64 करोड़ के सापेक्ष वर्तमान में 58 भवन कार्यो का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथां शेष भवनों का निर्माण प्रगति में है जो बजट में उपलब्ध धनराशि के अनुसार शीघ्र पूर्ण कर लिये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 74 आवासीय /अनावासीय भवन कार्यो के आगणनों की लागत रू0 153 करोड़ की स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है, जिनके सापेक्ष 29 कार्यो, लागत रू0 9.41 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है। अनुरक्षण के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार अपने विभागीय आवासीय/अनावासीय भवनों की मरम्मत व रख-रखाव के अन्तर्गत वर्ष 2047-2048 से वर्ष 2020-21 तक रू0 315.00 करोड़ का कार्य सम्पादित कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवासीय /अनावासीय भवनों के अनुरक्षणों के अन्तर्गत रू0 79.82 करोड़ का कार्य सम्पादित कराया जा चुका है।

नवीन तकनीक व पर्यावरण संरक्षण

- उत्तर प्रदेश नई तकनीक के प्रयोग करने में अग्रणी रहा तथा अन्य प्रदेशों द्वारा लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 का अनुकरण किया जा रहा है।
- मार्ग निर्माण की नवीनतम् तकनीक, देश एवं विदेश में उपलब्ध नवीनतम मशीनों का प्रयोग बड़े पैमाने पर करने हेतु विभाग द्वारा लखनऊ कान्फेंस का आयोजन वर्ष 2017 में किया गया।
- इस आयोजन में देश के प्रतिष्ठित संस्थान-जैसे आई0आई0टी0 कानपुर/दिल्ली/खड़गपुर/

मुम्बई/रूड़की/वाराणसी, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक, वैज्ञानिकों तथा नीदरलैण्ड, जर्मनी व ब्रिटेन के विशेषज्ञों द्वारा प्रतिगाग किया गया।

- नवीन तकनीक के उपयोग से लागत एवं सामग्री की खपत में 20-25 प्रतिशत सामग्री की आती है तथा पर्यावरण संरक्षण को भी भरपूर सहयोग मिला है।
- नई तकनीक का प्रयोग करके विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में रू0 942 करोड़, वर्ष 2019-20 में रू0 1246 करोड़ एवं वर्ष 2020-14 में रू0 1350 करोड़ अर्थात लगभग रू0 3835 करोड़ की बचत की गयी। साथ ही वर्ष 2018-19 में 12 लाख एम.टी., वर्ष 2019-20 में 15.9 लाख एम.टी. एवं वर्ष 2020-21 में 18 एम.टी. अर्थात लगभग 45.9 एम.टी. कार्बन उत्जर्सन की बचत हुई है।

हर्बल मार्ग

- वातावरण के प्रदूषण एवं बीमारियों से बचाव हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा चयनित मार्गों के एक ओर ग्रीन पट्टी बनाकर उसमें हर्बल पौधारोपण किया जा रहा है। इस हेतु मासपर्णी, सप्तपर्णी, जत्रोफा (रतनजोत), जल नीम, छोटा नीम, सहजन, मेंथा, लेमन ग्रास, भ्रिंगराज, मुई, आंवला, बाहमी, तुलसी, अनन्तमूल, ग्वारापाठा, अश्वगंधा, हल्दी आदि पौधे जोकि कई रोगों के समाधान के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं, रोपित किये जा रहे है।
- मार्गो को हर्बल मार्ग बनाने का उद्देश्य लोगो की इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के साथ पर्यावरण को शुद्ध रखना है।
- हर्बल मार्गों को विकसित करने हेतु अलग से कोई धनावंटन निर्गत नहीं किया गया है, मौजूद संसाधन जैसे मार्गों पर कन्टेन्जेन्सी मद इत्यादि से यह कार्य कराया गया है।

प्लास्टिक मार्ग

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुये मार्गों के नवीनीकरण कार्य कराते हुये प्लास्टिक मार्ग के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई।
- इस योजनान्तर्गत प्रदेश में अब तक 85 प्लास्टिक मार्गों लम्बाई 409.53 किमी0 लागत रू0 21.08 करोड़ के नवीनीकरण के कार्य स्वी.त किये गये, जिनके सापेक्ष समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।
- 85 मार्गों जिनके नवीनीकरण कार्य पूर्ण कराये जा चुके है इन मार्गों पर लगभग 403 टन वेस्ट प्लास्टिक की खपत कर ली गई है।
- वेस्ट प्लास्टिक उपयोग को विभागीय दर अनूसूची (एस0ओ0द्वआर) में सम्मिलित कर लिया गया हैं।
- वर्ष 2021-22 में लगभग 1290 किमी लम्बाई के मार्गों पर वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुये नवीनीकरण का कार्य कराये जाने हेतु कार्ययोजना बनाई गयी है, जिसके सापेक्ष 240

किमी0, लम्बाई 403 6 के मार्ग स्वीकृत किये गये हैं, जिसके सापेक्ष 64 कार्य पूर्ण है एवं शेष कार्य प्रगति में है। 142 कार्य लम्बाई 886 किमी0 के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रकियाधीन है।

प्रतिभा एवं शिक्षा को प्रोत्साहन

- प्रतिभा, शिक्षा एवं विकास का समावेश करते हुए प्रदेश में पहली बार छात्रों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के मेधावी छात्रों के निवास स्थल हेतु मार्ग का निर्माण/मरम्मत कर "डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरव पथ" के रूप में विकसित किए जाने की अभिनव योजना लागू की गयी है।
- प्रदेश में पहली बार खिलाड़ियों (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय) को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु खिलाड़ियों के निवास / ग्राम तक मार्ग का निर्माण/मरम्मत कर "मेजर ध्यानचंद पथ" के रूप में विकसित किए जाने की अभिनव योजना लागू की गयी है।

  वर्ष 2020-21 में 20 खिलाड़ियों के निवास /ग्रामों के मार्गो निर्माण/मरम्मत हेतु लम्बाई 34. 44 किमीद्र लागत रू0 7.37 करोड़ के स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके है। वर्ष 2021-22 में 01 खिलाड़ी के निवास ग्रामों के मार्गों निर्माण/ मरम्मत हेतु लम्बाई 0.520 किमी0 लागत रु0 0.66 करोड़ का स्वीकृत किया गया है। कार्य प्रगति पर है।

पुलवामा शहीद वितरण/बलिदानी शहीदों का सम्मान

- पुलवामा में शहीद हुए सी0आर0पी0एफ0 के वीर जवानों के आश्रितगणों को लोक निर्माण विभाग द्वारा सहयोग के रूप में प्रत्येक शहीद के आश्रितगण को रू0 22.00 लाख अर्थात कुल रू0 3.52 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी है।
- प्रदेश के बलिदानी शहीदों के ब्यर/ ग्राम तक मार्गों की मरम्मत/ निर्माण हेतु "जय हिन्द वीर पथ" योजना प्रारम्भ की-गयी है। जिसमें इस वर्ष 40 शहीदों के घर/ग्राम को लम्बाई 40.36 किमी0 रू0 17.91 करोड़ की लागत से सर्व ऋतु मार्ग से जोड़ा, मरम्मत किया जाना है, जिसमें से वर्ष 2020-21 में 23 मार्ग लम्बाई 22.35 किमी0; लागत रू0 13.12 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की चुकी है, जिसके सापेक्ष 17 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। इसके-अतिरिक्त 17 मार्गों की दशा सन्तोषजनक होने के कारण उक्त मार्गों पर केवल साईन-बोर्ड की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- वर्ष 2021-22 में 06 मार्ग लम्बाई 6.450 किमी0, लागत रू0 4.01 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की चुकी है, कार्य प्रगति में है।

कोविड-19

- वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय में जब कि सम्पूर्ण देश में ल़ाकडाउन की स्थिति थी, उस समय श्रमिकों, निर्धनों एवं बेसहारा व्यक्तियों को लोक निर्माण विभाग द्वारा कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 2,65,880 भोजन पैकेट्स एवं 1,16,67 राशन सामग्री के पैकेट्स का प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वितरण किया गया है।

- वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय में लाकडाउन के पश्चात प्रवासी/अप्रवासी श्रमिकों को उनकी आजीवीका के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रतिदिन आरम्भ कार्यो की समीक्षा करते हुए अभियान चलाकर अब तक लगभग 4 लाख 40 हजार श्रमिकों रोजगार प्रदान किया गया है।

मार्ग सुरक्षा

- मार्ग सुरक्षा/यातायात सुरक्षा विभाग की प्राथमिकता है।
- ब्लैक स्पॉटस् के रोड सेटी आडिट हेतु आई0आई0टी0 दिल्ली एवं आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 वाराणसी से प्रस्ताव प्राप्त कर स्वीकृत किये गये। अद्यतन 504 में से समस्त 504 ब्लैक स्पॉटस् का रोड सेटी ऑडिट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कन्सल्टेन्ट के माध्यम से मार्गों का रोड सेटी ऑडिट कराने हेतु कन्सल्टेन्ट के इमपैनलमेन्ट हेतु ई0ओ0आई0 प्रचलित की गयी जिसे दिनांक-05.01.2021 को खोला गया। 21 ई0ओ0आई0 प्राप्त हुई। चयन समिति द्वारा मूल्यांकन पूर्ण कराया जा चुका है जिसमें 40 कसल्टेंट चयनित किये गये है।
- सड़क सुरक्षा प्रावधानों कोसुनिश्चित करने हेतु 5.00 किमी0 से अधिक लम्बाई के मार्ग परियोजना के आगणनों में सड़क सुरक्षा कार्यों का पृथक से प्रावधान किये जा रहे है।

गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य सम्पादन

- विभाग में कराये जा रहे कार्यो को पारदर्शिता बढ़ाये जाने के उदेश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल विकसित किये गये है, जिनका लिंक पी0डब्लू0डी0 की वेबसाइट www.uppwd.gov.in पर उपलब्ध है।
- रु0 10 लाख से अधिक समस्त कार्यों को ई-टेडरिंग के माध्यम से किए जा रहे है।
- पारदर्शिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सरकार द्वारा लो0नि0वि0 के बजट, पंजीकरण, ई-एमबी, ई-बिलिंग, ई-डिमांड, ई-एलॉटमेंट को ऑनलाइन करने के लिए "चाणक्य" एवं "विश्वकर्मा" नाम से 2 बड़े साफ्टवेयर लागू किए गए।

प्रदेश में 17 एयरपोर्ट के टर्मिनल को दो लेन से जोड़ा जाना

- प्रदेश के 17 जनपदों यथा- आगरा, कानपुर नगर, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, झाँसी, चित्रकूट, सोनभद्र, गाजियाबाद, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, गाजीपुर, सहारनपुर, कुशीनगर एवं मेरठ एयरपोर्ट के टर्मिनल को दोलेन से जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

चौ० चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के नवनिर्माण को कार्य (जनपद मुजफरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में)

अपर गंग नहर उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार के बैराज स्थल से निकलकर जनपद मुजफरनगर के पुरकाजी, जौली, खतौली, जनपद मेरठ के सरधना, जानी एवं जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर होते हुए बुलन्दशहर की तरफ जाती है। वर्तमान में काँवड नहर पटरी के बांई ओर

7.00 मी0 चौड़ाई में मार्ग निर्मित है। इस मार्ग का उपयोग राष्ट्रीय मार्ग-58 के वैकल्पिक मार्ग के रूप में होता है, साथ ही प्रत्येक वर्ष इस मार्ग से श्रावण मास में काँवड यात्रा के दौरान लाखो कावडियों/श्रद्धालुओं के द्वारा पैदल तथा हल्के वाहनों के द्वारा हरिद्वार से चलकर इस मार्ग से होते हुए अपने गन्तव्य स्थान दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के विभिन्न ग्रामों व शहरों को गंगाजल ले जाकर शिवालयों में जलाभिषेक करते है। कांवड यात्रा के समय कांवडियों के आवागमन के दृष्टिगत बांयी पटरी पर सामान्य यातायात पूर्ण रूप से बन्द हो जाता है। राष्ट्रीय मार्ग-58 पर यातायात के दवाब को कम करने के लिए अपर गंग नहर की दांयी पटरी पर 7.00 मी0 चौड़े पक्के मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना नितानत आवश्यक होने के कारण विषयक मार्ग निर्माण स्वी.त किया गया है जिससे श्रावण मास में तथा अन्य पर्वो पर कांवडियाँ/श्रद्धालुओं तथा अपर गंग नहर के दोनो तरफ पड़ने वाले अनेकों ग्रामवासियों एवं एन0एच0-58 पर गुजरने वाले यातायात को भी सुविधा होगी।

अयोध्या-चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण कार्य

अयोध्या-चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग भगवान श्री राम जन्मभूमि (अयोध्या) के निकट बस्ती जनपद स्थित छावनी से प्रारम्भ होकर महबूबगंज, गोसाईगंज, इनायत नगर, रूदौली, मिया का पुरवा, पटरंगा, अलियाबाद, नियामतगंज, बरीनबाग, रानीमऊ, मूर्तियान घाट, देवीगंज, पसका, दिकसिर, रामनगर, नवाबगंज, वेरता चौराहा, किनौना चौराहा तथा- रामगढ़ होते हुए पुनः: एन0एच0-27 पर स्थित छावनी पर मिलता है। यह मार्ग अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, गोण्डा, तथा बस्ती जनपदों से होकर गुजरता है। पौराणिक हिन्दू मान्यता के अनुसार अयोध्या के महाराजा दशरथ द्वारा त्रेता युग में बस्ती जनपद स्थित मखौड़ा धाम में पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ तथा चौरासी कोसी यात्रा की गयी, तब से चैत्र मास में हिन्दू धर्मावलम्बियों द्वारा चौरासी कोसी यात्रा की जाती है।

- चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग की कुल लम्बाई 253 किमी0 है। इस परिक्रमा मार्ग पर कुल 8 मेजर ब्रिज, 4 आर0ब्रओ0बी0, 23 माइनर ब्रिज, 247 पुलिया तथा दो स्थानों रूदौली एवं अलियाबाद पर बाईपास बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस मार्ग को 2 लेन मार्ग में निर्माण कराये जाने की सम्भावित लागत भू-अध्याप्ति के साथ रू0 3.750 करोड़ है।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या-एस. ओ.2979(एफ.) दिनाक 28.07.2021 के द्वारा चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है एंवं राष्ट्रीय मार्ग संख्या- 227बी. आवंटित किया गया है। इस क्रम में मा0 उप मुख्यमंत्री जी/मा0 मंत्री लोक निर्माण जी की अध्यक्षता में दिनाक 09.08.2021 को चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के संरेखण पर मा0 जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श गोष्ठी का आयोजन सम्पन्न हुआ, जिसमें डी0पी0आर0 कन्सल्टेंट द्वारा संरखण को अन्तिम रूप देते हुए डी0पी0आर0 के गठन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था एवं इस कम में वर्तमान में डीएपी0आर0 गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।
- यह परियोजना अवध एवं पूर्वांचल क्षेत्र के सर्वागीण विकास हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस मार्ग

के निर्माण से धार्मिक पर्यटन के विकास की असीम सम्भावना है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अयोध्या में भगवान श्री राम मन्दिर निर्माण के पश्चात् चौरासी कोसी मार्ग की धार्मिक महत्ता बढ़ जायेगी तथा क्षेत्र में रोजगार तथा व्यापार की सम्भावनाये बढेंगी।

ब्रज-चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के अन्तर्गत जनपद मथुरा एवं चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के अन्तर्गत जनपद मथुरा एवं अलीगढ़ परिक्रमा मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदढ़ीकरण कार्य की अद्यतन स्थिति

प्राचीन नगरी मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली के रूप में देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसी नगरी के आस पास अन्य प्राचीन स्थल हैं। इन प्राचीन स्थलों से होकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं। उक्त परिक्रमा की अधिकांश लम्बाई उ0प्र0 के जनपद अलीगढ़ एवं मथुरा जनपद में आती है। उक्त परिक्रमा अत्यधिक लम्बी है जो कि विश्व में ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा के नाम से लोकप्रिय है। श्रद्धालु बृजं चौरासी कोस परिक्रमा पैदल एवं टोलियों के रूप में परिक्रमा मार्ग पर ट्रक ट्रैक्टर व अन्य वाहनों द्वारा परिक्रमा से सम्बन्धित सामग्री टैण्ट इत्यादि के साथ चलते हैं तथा जगह-जगह पर निर्धारित पड़ाव स्थलों पर विश्राम करते हैं। काफी लम्बाई में मार्ग की चौड़ाई 3.00 मी0/3.75 मी0 होने के कारण परिक्रमा के समय जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा परिक्रमा णथयों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में लेपित मार्ग (3.00 मी0 एवं 3.75 मी0) की चौड़ाई कम से कम 5.50 मी0 (लेपित) एवं बांयी ओर 3.00 मी0, दांयी ओर 1.50 मी0 पटरियों का निर्माण कराये जाने हेतु उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के कम में चौड़ीकरण एवं सुद्ढ़ीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

बृज चौरासी कोस परिक्रमा की कुल लम्बाई 287.572 कि0मी0 है। जिसमें से उ0प्र0 में बज चौरासी कोस परिक्रमा की कुल लम्बाई 68.922 कि0मी0 है जिसमें जनपद मथुरा में 458.922 कि0मी0 एवं जनपद अलीगढ़ में 10.00 कि0मी0 लम्बाई आती है। बृज चौरासी कोस परिक्रमा के अन्तर्गत जनपद मथुरा में 10.10 कि0मी0 एवं जनपद अलीगढ़ में 5.100 कि0मी0 लम्बाई का कच्चा भाग है इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य में पड़ने वाली लम्बाई 82.29 कि0मी0 तथा हरियाणा राज्य में पड़ने वाली कुल लम्बाई 36.36 कि0मी0 है। जिसमें जनपद मथुरा में 158.922 कि0मी0 एवं जनपद अलीगढ़ में 10.00 कि0मी0 लम्बाई आती है। बृज चौरासी कोस परिक्रमा के अन्तर्गत जनपद मथुरा में 40.40 कि0मी0 एवं जनपद अलीगढ़ में 5.100 कि0मी0 लम्बाई का कच्चा भाग है।

उ0प्र0 में बृज चौरासी कोस परिक्रमा की कुल लम्बाई 168.922 कि0मी0 है जिसमें जनपद मथुरा में 158.922 कि0मी0 एवं जनपद अलीगढ़ में 10.00 कि0मी0 लम्बाई आती है। बृज चौरासी कोस परिक्रमा के अन्तर्गत जनपद मथुरा में 10.10 कि0मी0 एवं जनपद अलीगढ़ में 5,100 कि0मी0 लम्बाई का कच्चा भाग है।

राम वन-गमन मार्ग

राष्ट्रीय मार्ग संख्या-731ए (मोहनगंज-जेठवारा-श्रृंगवेरपुर-मंझनपुर-राजापुर-चित्रकूट मार्ग) में टू लेन विथ पेव्ड शोल्डर/फोर लेन चौड़ीकरण का कार्यः-

- राष्ट्रीय मार्ग-734ए प्रतापगढ़ से चित्रकूट को जोड़ता है एवं प्रतापगढ़ के निकट राष्ट्रीय मार्ग संख्या-731 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर जेठवारा, श्रृंगवेरपुर, मंझनपुर, राजापुर को जोड़ते हुए चित्रकूट के निकट राष्ट्रीय मार्ग संख्या-35 पर अपने जंक्शन के साथ समाप्त होता है। यह एक नवघोषित राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि गजट नोटिफिकेशन संख्या-518 दिनांक 10.03.2015 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। जिसके संरेखण का अनुमोदन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ के पत्रांक-एन0एच0-यू0पी0-2017-18-551 (पी0के0जी0-II)-2380 दिनांक 03.12.2020 द्वारा गया है।
- राष्ट्रीय मार्ग सख्या-731ए (मोहनगंज-जेठवारा-श्रृंगवेरपुर-मंझनपुर-राजापुर-चित्रकूट मार्ग) में टू लेन विथ पेब्ड शोल्डर का कार्य एन0आई0पी0 2021-22 में सम्मिलित किया गया है। जिसे पाँच पैकेज में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सम्पत्ति

प्रमुख कार्यकलाप

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय पर मा0 मंत्रीगण, मा0 विधायकगण, लखनऊ में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था तथा लखनऊ में सरकारी कार्यालय भवन यथा- विधान भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी), बापू भवन, योजना भवन तथा जवाहर भवन एवं इंदिरा भवन के रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। राज्य से दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई जाने वाले मा0 मंत्रीगण, मा0 विधायकगण, अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के ठहरने हेतु अतिथि गृह अवस्थित हैं। इसी प्रकार मा0 सांसदों तथा अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के लिए लखनऊ में अतिथि गृह अवस्थित हैं। इन अतिथि गूहों की प्रबन्धकीय तथा रख-रखाव की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार के मा0 मंत्रीगण हेतु वाहनों की व्यवस्था भी की जाती है। राज्य अतिथियों एवं भारत सरकार के मा0 मंत्रीगण के प्रदेश (लखनऊ) आगमन पर उनकी सुविधानुसार आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है।

विभाग के आधारभूत तथ्य -

(1) अतिथिगृहों, विधायक निवासों, आवासीय कॉलोनियों, अनावासीय भवनों एवं सरकारी वाहनों की संख्या

1.	अतिथि गृहों की संख्या	09
2.	विधायक निवासों की संख्या	10
3.	आवासीय कॉलोनियों की संख्या	37
4.	अनावासीय कार्यालय भवनों की संख्या	11

(2) अनावासीय भवन (कार्यालय भवन)

(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान भवन।

(2) सचिवालय भवन (मुख्य भवन, नवीन भवन, बहुखण्डीय भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लोक भवन, विकास भवन, बापू भवन, सचिव भवन, अधिकारी भवन, दरबारी लाल शर्मा भवन एवं योजना भवन)।

(3) इन्दिरा भवन, जवाहर भवन।

सचिवालय भवनों में केन्द्रीयकृत वातानुकूलन

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन सचिवालय में स्थापित वातानुकूलन संयन्त्रों का जीर्णोद्धार/सुधारीकरण सम्बन्धी कार्यों को आवश्यकतानुसार कराए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 600.00 लाख धनराशि की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं जल वितरण कार्य हेतु की एकमुश्त व्यवस्था

अनावासीय भवनों में समुचित एवं पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वांछित उच्चीकरण एवं सुधारीकरण के कार्यों के सम्पादनार्थ वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में रु0 50.00 लाख धनराशि की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

यू०पी० भवन/यू०पी० सदन एवं अन्य अतिथि गृहों का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण

इस योजना के अन्तर्गत नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता तथा मुम्बई स्थित अतिथि गूहों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाता है। प्रश्नगत योजना के लिए रु0 582.14 लाख ध नराशि की व्यवस्था आय-व्ययक 2021-22 में कराया जाना प्रस्तावित है। .

राज्य सम्पत्ति विभाग के अनावासीय भवनों तथा इनमें लगे उपकरणों का जीर्णोद्धार/ सुधारीकरण कार्य

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन अनावासीय भवनों जिनमें विभिन्न जीर्णोद्धार/ सुधारीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों हेतु धनराशि रु0 700.00 लाख की व्यवस्था आय-व्ययक 2021-22 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(ख) मुख्य आवासीय योजनाएँ

(1) राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों का उन्नयन/जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्य

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन अधिकांश कॉलोनियां 35-40 वर्ष पुरानी हो जाने के कारण इनमें अवस्थित आवासों का उन्नयन/जीर्णोद्धार एवं सुधारीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत कॉलोनियों के उन्नयन कार्यों हेतु रु0 967.00 लाख तथा आवासीय भवनों तथा इनमें लगे उपकरणों के जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्यो हेतु रु0 3000.00 लाख की धनराशि आय-व्ययक 2021-22 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) आवासीय भवनों का निर्माण

राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 2351.74 लाख की व्यवस्था आय-व्ययक में वर्ष 2020-22 में कराया जाना प्रस्तावित है।

●

ऊर्जा

वितरण क्षेत्र में किये गये कार्य

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 11वीं योजना

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11वीं योजना) के अन्तर्गत 300 से अधिक आबादी वाले 22 जनपदों में ग्रामों / मजरों के विद्युतीकरण एवं बी.पी.एल. घरो के विद्युतीकरण का कार्य कराया गया। इस योजना के अन्तर्गत 3273 मजरों के विद्युतीकरण के अवार्डेड लक्ष्य के सापेक्ष 36903 मजरों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है एवं 897006 बी.पी.एलं. घरों के विद्युतीकरण के अवार्डेड लक्ष्य व सापेक्ष अब तक 80764 बी.पी.एल. घरो का विद्युतीकरण कराया जा चुका है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा सभी 22 जनषदों के क्लोजर आर.ई.सी. को प्रेषित किये जा चुके हैं। योजनान्तर्गत 20 जनपदों के क्लोजर आर.ई.सी. दिल्ली द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं तथा 02 ज़नपदों के क्लोजर अनुमोदश की प्रक्रिया में है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 12वीं योजना

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12वी योजना) के अन्तर्गत 100 से अधिक आबादी वाले 64 जनपदों में मजरों के विद्युतीकरण एवं बी.पी.एल. घरो के विद्युतीकरण का कार्य कराया गया। इस योजना के अन्तर्गत 40540 मजरों के विद्युतीकरण के अवार्डेड लक्ष्य के सापेक्ष 40566 मजरों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है एवं 2507980 बी.पी.एल. घरों के विद्युतीकरण के अवार्डेड लक्ष्य के सापेक्ष 204750 बी.पी.एल. घरो का विद्युतीकरण कराया जा चुका है। योजना के समस्त कार्य पूर्व में किए जा चुके हैं तथा सभी 64 जनपदों के क्लोजर आरई.सी. को प्रेषित किये जा चुके हैं योजनान्तर्गत 60 जनपदों के क्लोजर आर.ई.सी. दिल्ली द्वारा अनुमोदित किए जा चुक हैं तथा 04 जनपदों के क्लोजर अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

आई०पी०डी०एस०

इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित किया गया था जिसमें नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण एवं उनकी क्षमतावृद्धि, नये वितरण परिवर्तक तथा वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि का कार्य इत्यादि सम्मिलित किया गया। इसमें कुल 6 मंडलों के 636 नगरों में कार्य कराया गया है जिसमें से 66 मण्डलों में कार्य पूर्ण करा लिए गये हैं अवशेष 01 मण्डल (वाराणसी) का कार्य माह दिसम्बर 2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। अब तक 53 मण्डलों के क्लोजर प्रेषित किये जा चुके हैं।

योजनान्तर्गत जनपद-अयोध्या की स्वीकृति माह फरवरी, 2021 में प्राप्त हुई है जिसके कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन)

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत 75 जनपदों में अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, कृषि एवं गैर-कृषि पोषकों का पृथक्कीकरण, अविद्युतीकृत गृहस्तियों का विद्युतीकरण, 3 के0वी0 एवं 44 के0वी0 पोषकों एवं उपभोक्ताओं की मीटरिंग, ग्रामों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य कराया गया है। योजनान्तर्गत 62 जनपदों में कार्य पूर्ण करा लिए गये हैं तथा 16 जनपदों के क्लोजर आर.ई.सी., लखनऊ को प्रेषित किये जा चुके हैं शेष 13 जनपदों के अवशेष कार्यों को दिनांक 14.2.2021 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

सौभाग्य योजना

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रूपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी योजना में माह मार्च 202। तक कुल 52/89 लाखें घरों को संयोजन निर्गत किये गये हैं। क्लोजर के कार्य प्रक्रियाधीन है।

कृषकों के निजी नलकूपों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय एवं लागू व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामान्य योजना के अन्तर्गत माह जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कुल 35882 लक्ष्य के सापेक्ष माह जुलाई, 2021 तक कुल 21505 आवेदकों को सामग्री निर्गत कर निजी नलकूप संयोजन दिये गये है।

लाइन लॉस कम करने हेतु किये जाने वाले कार्य

- शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक लाइन लॉस वाले क्षेत्रों को चिन्हित करके खुले (Bare) तारों को ए0बी0 केबिल से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इस कार्य हेतु विभागीय बिजनेस प्लान से वर्ष 2018-19 में रु0 103 करोड़ (लगभग) धनराशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 79 वितरण खण्डों में 473 चिन्हित स्थानों पर कार्य स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2018-19 में 13 स्थानों पर एवं वर्ष 2019-20 में 146 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 रथानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक 169 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं लगभग 4100 कि.मी. ए.बी. केबिल स्थापित की जा चुकी है। शेष 04 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 एवं अधिक आबादी वाले समस्त ग्रामों में पूर्व से स्थापित खुले (Bare) तारों को ए0बी0 केबिल से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इस कार्य हेतु आरई.सी./पी.एफ. सी. ऋण द्वारा रु0 1447.07 करोड़ से 423 मजरों में ए.बी. केबिल लगाये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त कार्य के अन्तर्गत अब तक पश्चिमांचल, दक्षिणांचल एवं मध्यांचल

वि0वि0नि0लि0 के 42413 मजरों में लगभग 26708 कि.मी. ए.बी. केबिल लगाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

रिवेम्पड रिर्फाम वेस्ड एण्ड रिजेल्ट लिंक्ड, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम

ऊर्जा क्षेत्र में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार द्वारा "रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम" शुरू की गई है जिसमें विद्युत वितरण क्षेत्र के विद्युत लाईन हानि (ए0टी0 एण्ड लॉसेस) को कम करने के साथ-साथ विद्युत प्रणाली सुधार एवं नवीनीकरण का भी प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) की आपूणत के आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2025-26 तक कराया जाना है।

उपभोक्ता मीटर और सिस्टम मीटर-वितरण क्षेत्र बिजली फीडर से लेकर उपमोक्ता स्तर तक

- प्रीपेड स्मॉर्ट मीटर स्थापन का कार्य।
- वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु फीडर और वितरण परिवर्तक स्तर पर सिस्टम मीटरिंग का कार्य।

वाणिज्य क्षेत्र में किये गये कार्य

संयोजन प्राप्त करने के लिए समयबद्ध ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था (झटपट कनेक्शन सुविधा)

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था बनायी गयी है, जिससे उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन संयोजन प्राप्त कर सकता है एवं उसे विभिन्न कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा संयोजन निर्गत होने तक की प्रगति का ऑनलाइन अनुश्रवण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता भी संयोजन निर्गत होने के प्रत्येक चरण की प्रगति ऑनलाइन देख सकेगा। झटपट कनेक्शन की सुविधा दिनाक 04-03-2019 को प्रारम्भ हुई के पश्चात अद्यतन 410833 नग विद्युत संयोजन झटपट पोर्टल के माध्यम से निर्गत किए गये है।

स्मार्ट मीटर

प्रदेश में 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाये जाने की योजना चलाई जा रही है। अभी तक प्रदेश के 12 शहरों में लगभग 11.38 लाख स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगने पर मीटर रीडिंग एवं बिल का कार्य समाप्त हो जायेगा तथा विद्युत बिलों का सृजन एवं बिल ऑनलाईन प्रणाली में ही उपलब्ध हो जायेगा।

टोल- फ्री हेल्प लाईन **'1912'**

उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बन्धी सभी समस्याओं के निवारण हेतु टोल-फ्री नम्बर '1912' की व्यवस्था की गयी है। इस नम्बर पर दर्ज विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण की मानीटरिंग डिस्काम एवं पावर कारपोरेशन के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। दिनांक 3.04.2017 से 2.08.2021 तक प्रदेश में 1912 टोल फ्री नं0 पर कुल 75,43,90 शिकायते प्राप्त हुई जिसके विरुद्ध 75,10,349 (99.55%) शिकायते निर्धारित समय सीमा के अन्दर निस्तारित की गयी।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूपों हेतु व्यवस्था

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ दिया गया है। निजी नलकूप के अतिरिक्त कोल्हू, चारामशीन, राइसहुलर हेतु भी सीजनल टैरिफ की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके अनुसार सीजनल माह के अतिरिक्त अन्य माहों पर फिक्स्ड चार्जेज/मासिक न्यूनतम देय पर 75 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं हेतु अन्य अस्थायी माध्यमों से एकल रबी फसल की सिंचाई के उपयोगार्थ अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गयी है। सिंचाई हेतु स्थाई संयोजन लेकर पूरे वर्ष फिक्स्ड चार्ज के भुगतान की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

जनसेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) के माध्यम के माध्यम से विद्युत बिल जमा कराने की व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत बीजक जमा कराने तथा अन्य समस्याओं के लिये सुदूर स्थित उपखण्ड कार्यालय,/विद्युत उपकेन्द्रों पर जाना पड़ता था। इस समस्या के समाधान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ता सेवा केन्द्रों के माध्यम से जनसेवा केन्द्र द्वारा विद्युत बिल जमा कराने की व्यवस्था की गई है। इस सेवा का कियान्वयन माह जुलाई 2018 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विद्युत बिल जमा कराने की व्यवस्था कराने की व्यवस्था

प्रदेश के सभी जनपदों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों के भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे उन्हें परिसर पर ही विद्युत बिलों के भुगतान की सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है। अद्यतन 367 स्वयं सहायता समूह क्रियाशील है।

विद्युत उपभोक्ता को रीडिंग आधारित बिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था

उपभोक्ताओं तक नियमित रूप से सही विद्युत बिल उपलब्ध कराने तथा विभाग एवं उपभोक्ताओं के मध्य प्रभावी संवाद स्थापित करने हेतु निम्न कदम उठाये गये हैः-

- ग्रामीण क्षेत्रों में मैनुअल बिलिंग के स्थान पर आनलाईन बिलिंग की व्यवस्था की गई है।
- पूर्व में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल मैनुअल रसीद के माध्यम से प्राप्त की जाती थी, जिस पर त्रुटि होने की सम्भावना बनी रहती थी। इसको समाप्त कर समस्त बीजकों के भुगतान आनलाईन प्रणाली के माध्यम से किये जा रहे हैं।
- शहरी क्षेत्रों की भांति ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत बिल का सृजन मोबाईल एप के माध्यम से प्रत्येक माह किया जाना प्रारम्भ किया गया है और मौके ही विद्युत-उपभोकताओं को विद्युत बिल उपलब्ध कराया जा रहा है।

नवीन जिला विद्युत विकास निधि योजना

विद्युत तन्त्र में सार्वजनिक स्थलों पर जर्जर तारों को बदलने तथा गरीब /दुर्बल आय दर्ग के परिवारों के आवास के ऊपर से जा रहे 11 के0वी0/एल0टी0 लाइन के खुले तारो को केबिल/ए0बो0 केबिल से बदले जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था आरएसी0 से प्राप्त धनराशि के माध्यम से कराये

जाने हेतु नवीन जिला विद्युत विकास निधि योजना लागू की गयी है। इस योजना से बांस-बल्लियों पर स्थापित विद्युत तन्त्र पर निर्गत विद्युत संयोजनों को भी सुदृढ़ किया जा सकेग।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह सितम्बर 2019 तक आर0सी0 के माध्यम से रू0 12.26 करोड़ की वसूली हुई थल। इस योजना के अनुसार समस्त जनपदों को उनके द्वारा वसूली गयी धनराशि का 15 प्रतिशत निधि की धनराशि रू0 19.83 करोड़ अवमुक्त की गयी है, जिससे योजना में वर्णित कार्यो का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

बहुमंजिला अपार्टमेंट में मल्टी-प्वाइन्ट विद्युत संयोजन की व्यवस्था

बहुमंजिला अपार्टमेंट में रहने वाले उपभोक्ताओं का डेवेलपर द्वारा सिंगल प्वाइट संयोजन के नाम पर उत्पीड़न किया जाता रहा है। इसके लिये मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग में भावी पेरवी करवाकर मल्टी प्वाइन्ट विद्युत संयौजनों की व्यवस्था लागू करायी गयी है। इस व्यवस्था में अपार्टमेन्ट उपभोक्ता विभाग से सीधे विद्युत संयोजन प्राप्त कर सकते हैं।

गौशालाओं एवं आध्यात्म केन्द्रों हेतु किफायती विद्युत दर लागू करने की व्यवस्था

मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप गौशालाओं के नलकूपों एवं विभिन्न धर्मो के अध्यात्म केन्द्रो हेतु क्रमशः कृषि एवं घरेलू विद्युत दरों पर आपूणत दिये जाने का आदेश मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग से कराया गया है।

औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं/इकाईयों सम्बन्धी सुविधाएं

- सभी नयी औद्योगिक इकाइयों को पावर कम्पनियों से ली गयी विद्युत ऊर्जा पर 10 वर्षों की अवधि हेतु इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट अनुमन्य है।
- कैप्टिव पावर प्लान्ट से स्वयं के उपयोग हेतु ली गयी विद्युत ऊर्जा पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की छूट प्रभावी है।
- निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से नये औद्योगिक /व्यवसायिक विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करने की व्यवस्था की गयी है। निवेश मित्र पोर्टल की सुविधा दिनांक 04-02-2018 को प्रारम्भ हुई के पश्चात अद्यतन 28213 नग कनेक्शन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निर्गत किये गये है।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओपन एक्सेस की व्यवस्था की गयी है।
- औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन बिलिंग की सुविधा प्रदान की गयी है, जिससे वे अपने भार विद्युत बिलों को देखकर उसका भुगतान ऑनलाईन कर सकते हैं।
- नियोजित आउटेज की सूचना औद्योगिक इकाईयों को कम से कम 1 माह पूर्व दिये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। जिससे औद्योगिक इकाईयों द्वारा विद्युत व्यवधान के समय उनके उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु ससमय निर्णय लिया जा सके।

नये विद्युत चोरी निरोधक थाने को गठन

प्रदेश में 75 जिलों में विद्युत बोरी निरोधक थाने क्रियाशील कराये जा चुके हैं।

●

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

संगठन एवं कार्य-कलाप

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) उत्तर प्रदेश शासन के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्यरत है। जनपदीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये परियोजना कार्यालयों की स्थापना की गई है। प्रदेश के 75 जनपदों में योजनाओं का क्रियान्वयन 56 परियोजना कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उपयुक्त ऊर्जा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, लघु जल-विद्युत ऊर्जा जैसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीक के विकास एवं प्रसार के लिए ऐसी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनसे नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यूपीनेडा द्वारा लाभार्थीपरक योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन करने के साथ-साथ विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा संरक्षण से संबंधित योजनाओं के विकास का कार्य भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा चिनहट, जनपद लखनऊ, घोसी, जनपद मऊ एवं कन्नौज में शोध, विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों/परियोजनाओं की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण एवं सर्विसिंग के विषय में दक्षता के विकास हेतु विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यूपीनेडा को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में निहित प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित कराये जाने हेतु स्टेट डेजीग्नेटेड एजेन्सी (एसडीए) नामित किया गया है। सभी सरकारी/वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता-2018 (यूपीईसीबीसी-2018) की अधिसूचना जारी की गयी, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी/वाणिज्यिक भवनों का निर्माण ईसीबीसी मानकों के अनुरूप किया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा इसके अधीन विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों के भवन सहिता में यूपीईसीबीसी-2018 जनवरी, 2019 में अंगीकार कर लिया गया है। ऊर्जा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन, चित्रकला प्रतियोगिता, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिये जाने की योजना लागू की गयी है।

मुख्य कार्यक्रम एवं योजनायें

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन कार्यक्रम

सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन (ग्रिड संयोजित)

प्रदेश में बढ़ती हुयी ऊर्जा की पूर्ति विभिन्न स्रोतों से करने के लिये प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिष्ठापना को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत सौर पावर प्रोजेक्ट अधिष्ठापन के लिये राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति, अनापत्ति, अनुमोदन, सहमति आदि सुगमता से निजी विकासकर्ताओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु आनलाईन सिंगल विण्डो क्लियरेंस की व्यवस्था की जायेगी। नीति के अन्तर्गत कुल लक्षित क्षमता 10700 मेगावाट में से 6400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की जानी लक्षित है। यूटिलिटी स्केल परियोजनाओं को स्टैण्ड एलोन, सोलर पार्क के अन्तर्गत स्थापना किये जाने के अतिरिक्त, तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु स्थापित किये जाने की अनुमन्यता है।

नीति के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना पर इन परियोजनाओं से उत्पादित सौर पावर निकासी हेतु एक नियत किलोमीटर की पारेषण लाईन के निर्माण का व्यय राज्य सरकार के बजट से वहन किया जायेगा। स्टैण्ड एलोन यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनायें एवं पब्लिक सोलर पार्क में स्थापित सौर पावर परियोजनाओं से उत्पादित पावर को क्रय हेतु यूपीपीसीएल द्वारा 25 वर्ष की अवधि का पावर परचेज अनुबंध विकासकर्ता के साथ किया जायेगा। यूटिलिटी स्केल स्टैण्ड परियोजनायें एवं सौर पार्क में स्थापित ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनायें पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त करने से एवं प्रदूषण बोर्ड से (स्थापना एवं संचालन की सहमति) संबंधित अनापत्ति प्राप्त करने से मुक्त होंगे, तथा परियोजना स्थापना के लिये क्रय की जा रही भूमि पर 100 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी से छूट होगी।

नीति के अन्तर्गत 4300 मेगावाट क्षमता ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट स्थापना वर्ष 2022 तक लक्षित है। सरकारी, अर्द्धसरकारी भवनों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप की कैपेक्स मोड में स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। आवासों पर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु निजी आवासों पर इन संयंत्रों की स्थापना पर रु0 15000/-प्रति किलोवाट अधिकतम रु0 30000/- प्रति उपभोक्ता को राज्यानुदान देय होगा।

सोलर पार्क

भारत सरकार के सोलर पार्क योजनान्तर्गत प्रदेश में 440 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किये जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद जालौन, कानपुर देहात, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में कुल 440 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किये जा रहे हैं जिसके सापेक्ष अब तक जनपद मिर्जापुर में 75 मेगावाट, प्रयागराज में 50 एवं जालौन में 40 मेगावाट कुल 165 मेगावाट क्षमता के

सोलर पार्क विकसित किये जा चुके हैं। सोलर पार्क के विकास एवं प्रबन्धन हेतु यूपीनेडा एवं भारत सरकार की नामित नोडल एजेन्सी सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (सेकी) के मध्य एक संयुक्त उपक्रम लखनऊ सोलर पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि0 गठित किया गया है। इस संयुक्त उपक्रम में यूपीनेडा एवं सेकी का 50-50 प्रतिशत शेयर है। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत सोलर पार्क विकसित करने पर भारत सरकार द्वारा रु0 20.00 लाख प्रति मेगावाट अथवा परियोजना मूल्य का 30 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम होगी, की दर से अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। सोलर पार्क में भूमि विकास के अतिरिक्त सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत निकासी संबंधी समस्त अवस्थापना व्यवस्थायें उपलब्ध होंगी।

अल्ट्रा मेगा रिन्युबिल इनर्जी पावर पार्क

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्युबिल इनर्जी पावर पार्क योजना के अन्तर्गत यूपीनेडा एवं टीएचडीसीआईएल के मध्यस्थ गठित संयुक्त उपक्रमम टूस्को लिमिटेड को जनपद झांसी एवं ललितपुर में 600-600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा रिन्युबिल सोलर पावर पार्क की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। यूपीनेडा एवं बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड के मध्यस्थ गठित संयुक्त उपक्रम बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड को 1200 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूबल पावर पार्क की स्थापना जनपद जालौन से करने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस पार्क की डीपीआर बनाने की कार्यवाही अग्रसर है।

ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट

रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग बिल्डिंग में उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है। इन परियोजनाओं की स्थापना से पारम्परिक विद्युत ऊर्जा में निर्भरता कम होने के साथ-साथ निजी उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में भी कमी आयेगी। वर्तमान में संचालित सोलर रूफटॉप फेज-2 योजना के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा 01 से 03 कि0 वाट क्षमता तक 40 प्रतिशत तथा 03 कि0 वाट से अधिकतम 10 कि0 वाट तक 20 प्रतिशत का अनुदान व्यक्तिगत लाभार्थी को अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को रु0 15000/- प्रति कि0वाट अधिकतम रु0 30000/- का राज्यानुदान प्रदत्त किया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा अनुदान हेतु पंजीकरण के लिए आनलाइन वेब-पोर्टल विकसित किया गया है। अब तक प्रदेश में कुल 235 मेगावाट की रूफटॉप सोलर परियोजनायें स्थापित की गई हैं। वर्ष 2019-20 से इस कार्यक्रम का संचालन यूपीपीसीएल/डिस्काम द्वारा किया जा रहा है।

जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम

प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से फरवरी, 2018 में नीति जारी की गयी है। जिसके अन्तर्गत बायो डीजल, बायो एथेनाल, मेथेनाल, बायोगेस, बायो सीएनजी, प्राड्यूसर गैस, बायो कोल की उत्पादन इकाईयों की स्थापना करायी जा रही है। इन उद्यमों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेश के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा

रही है। साथ ही 10 वर्षों तक एस-जीएसटी की प्रतिपूर्ति तथा भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट (बैंक गारण्टी के विरुद्ध) प्रदान की जा रही है। नीति के अन्तर्गत बायोऐथेनाल/ड्राप-इन फ्यूल के 03, बायो सीएनजी के 07 तथा बायोकोल की 04 परियोजना के लिए, लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया गया है। इन इकाइयों में गन्ने की खोई, कृषि अपशिष्ट व अन्य बायोमास आदि का प्रयोग किया जायेगा।

बायोमास आधारित विद्युत परियोजनायें

1. बगास आधारित विद्युत परियोजनायें

प्रदेश की चीनी मिलों में उपलब्ध बगास (खोई) से को-जनरेशन द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की प्रबल सम्भावनाएं हैं। चीनी मिलों में उपलब्ध बगास से को-जनरेशन द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की परियोजनायें स्थापित कराने हेतु यूपीनेडा द्वारा एक उत्प्रेरक/फैसीलिटेटर के रूप में कार्य किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से उत्पादित अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा को यूपी पावर कारपोरेशन लि. द्वारा चीनी मिलों के साथ निष्पादित पावर परचेज एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत क्रय किया जाता है। प्रदेश में 65 चीनी मिलों में लगभग 1900 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनायें अधिष्ठापित हैं।

2. नान-बगास आधारित विद्युत परियोजनायें

प्रदेश में बगास के अलावा अन्य बायोमास (एग्रो-रेसीड्यू) का उपयोग कर विभिन्न तकनीक यथा गैसीफिकेशन, सह-उत्पादन तथा कम्बस्शन पर आधारित विभिन्न क्षमता की विद्युत परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में 286 मेगावाट के ग्रिड/कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट स्थापित किये गये हैं।

औद्यौगिक अपशिष्ट आधारित विद्युत परियोजनायें

प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाईयों यथा- डिस्टलरीज, फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज, डेयरी, पेपर एण्ड पल्प आदि से निकलने वाले कचरे (अपशिष्ट) से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की प्रचुर संभावनायें हैं। इन परियोजनाओं की स्थापना से जहाँ एक ओर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी वहीं इन औद्योगिक इकाईयों की थर्मल/विद्युत ऊर्जा की पूर्ति भी की जा सकती है। प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा कुल 104 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी हैं।

लघु जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा कैनाल फाल्स पर आधारित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीति घोषित की गयी है, जिसके अर्न्तगत 15 मेगावाट तक की परियोजनायें यूपीनेडा व 15 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इस नीति में प्राविधानित व्यवस्था के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:

1. कैनाल फाल्स पर चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा।
2. शासकीय भूमि 30 वर्ष के पट्टे पर रु0 100/- प्रति एकड़ की दर से लीज रेन्ट पर बाजार

मूल्य अथवा प्रीमियम की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए उपलब्ध कराई जाएगी। पट्टा अवधि का नवीनीकरण भी कराया जा सकेगा।

3. शासकीय भूमि के अतिरिक्त यदि निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो वह निजी विकासकर्ता द्वारा क्रय की जाएगी। यदि भूमि का क्रय करना सम्भव नहीं हो सकता, तो राजस्व विभाग के आदेशों के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा और उस भूमि के रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।
4. निजी विकासकर्ता को ऊपरी पारेषण लाईन बिछाने हेतु राईट-ऑफ-वे की सुविधा प्रदान की जाएगी।
5. लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा को विद्युत अधिभार से छूट दी जाएगी।
6. यूपीनेडा द्वारा चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निजी विकासकर्ताओं को आवंटन 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत के साथ टैरिफ आधारित बिडिंग के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

इस नीति के अंतर्गत यूपीनेडा द्वारा 01 परियोजना एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम द्वारा 08 परियोजनायें कुल 09 परियोजनायें जिनकी कुल क्षमता 30 मेगावाट है, निजी विकासकर्ताओं को आवंटित की जा चुकी है। तद्नुसार निजी विकासकर्ताओं द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पवन ऊर्जा कार्यक्रम

भारत सरकार की संस्था नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ विण्ड इनर्जी, चेन्नई द्वारा किये गये प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर घाघरा एवं शारदा नदियों के बेसिन में 80 मीटर की ऊँचाई पर पवन ऊर्जा की सम्भावनाओं के दृष्टिगत मुख्यतः शाहजहाँपुर, लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बलरामपुर एवं सिद्धार्थनगर जिलों में सर्वेक्षण कार्य किया गया। अभिकरण द्वारा जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम बिजौरा एवं जनपद लखीमपुर के ग्राम गुलेरिया में 80 मीटर ऊँचाई का पहला विण्ड मॉनीटरिंग मास्ट स्थापित कराकर विण्ड आंकलन एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से जनपद गोण्डा, बलरामपुर एवं सिद्धार्थनगर में 80 मीटर ऊँचाई पर विण्ड आंकड़े प्राप्त किये गये। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अब तक किये गये विण्ड रिसोर्स असेसमेन्ट में 50 मीटर एवं 80 मीटर ऊँचाई, कोई कार्य स्थल विण्ड ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयुक्त नही पाया गया। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई, (नीवे) के दिशा निर्देश एवं सुझाव के अनुसार वायु वेग सम्भाव्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के तीन जनपदों ललितपुर, बरेली एवं मुजफ्फरनगर में 100 मीटर की ऊँचाई का विण्ड मास्ट स्थापित करके वायु संसाधन मूल्यांकन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

सौर ऊर्जा कार्यक्रम

ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट

इस योजना के अन्तर्गत निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु डीजल जनरेटर के स्थान पर प्रदेश के विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर ऑफग्रिड/ग्रिड हाईब्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना का कार्य

कराया जा रहा है, गत वर्ष 2020-21 मे कुल 4.5 मेगावाट क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना विभिन्न आई.टी.आई, पालीटेक्निक, कलेक्ट्रेट एवं तहसील इत्यादि में करायी गयी है। परियोजना हेतु धनराशि संबंधित विभागों/संस्थानों द्वारा करायी जाती है।

सोलर स्ट्रीट लाईट

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक प्रकाश की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना क्रियान्वित की जा रही है। यह संयंत्र सूर्यास्त होते ही स्वतः जल जाता है एवं सूर्योदय होने पर स्वतः बंद हो जाता है। इन संयंत्रों की स्थापना ग्रामों, बाजारों, बस स्टैण्ड, चौराहों, भवन परिसरों आदि स्थलों पर करायी जाती है। इस संयंत्र में 75 वाट का सोलर माड्यूल, 12.8 वोल्ट 30 एम्पीअर आवर की लीथियम फेरोफास्फेट बैटरी तथा 12 वाट की एलईडी ल्यूमिनरी होती है। इस योजना का क्रियान्वयन प्रोजेक्ट मोड के अन्तर्गत रु0 7100/- के राज्यानुदान पर किया जा रहा है। अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में योजना प्रारम्भ से अब तक लगभग 2.97 लाख सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रो की स्थापना करायी गयी है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाईट योजना

सामुदायिक पथ प्रकाश एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश के समस्त विकासखण्डों के मुख्य बाजारों में विद्युत की आपूर्ति में बाधा अथवा प्रकाश की व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण सायंकाल से देर रात्रि तक जन-सामान्य को आवागमन में कठिनाई, दैनिक कार्य-कलाप के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्र के माध्यम से मुख्य बाजारों में प्रकाश/पथप्रकाश की व्यवस्था होने पर सामाजिक परिवेश में कार्य क्षमता में वृद्धि से जन-सामान्य की आय में वृद्धि, स्वच्छ वातावरण का निर्माण एवं जन-सामान्य में योजना के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल हरित ऊर्जा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। योजनान्तर्गत वर्तमान तक 25239 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना

वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासन द्वारा पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) को अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं से जनसामान्य को लाभान्वित करने एवं समेकित एवं स्थाई विकास की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना संचालित की गयी। प्रथम चरण में योजना का क्रियान्वयन 62 जनपदों में 1138 राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में अभिकरण द्वारा वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से करायी जाती है। योजनान्तर्गत अब तक लगभग 13791 अदद संयंत्रों का अधिष्ठापन कराया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में 2500 अदद संयंत्रों की स्थापना कराई जा रही है।

सोलर हाई मास्ट संयंत्र

प्रदेश के ऐसे सार्वजनिक स्थलों जहाँ पर विद्युत उपलब्धता नहीं है अथवा आपूर्ति अनियमित है

तथा जहाँ सायंकालीन या देर रात्रि में जनसामान्य का आवागमन होता है, जैसे- बस स्टैण्ड, छोटे-छोटे हाट, मेला स्थल, मुख्य मार्ग, चौराहा, पेयजल स्थल, पशु बाजार, पंचायत घर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एएनएम केन्द्र इत्यादि पर सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना की जाती है, इस संयंत्र से 25-30 मीटर की परिधि में प्रकाश प्राप्त होता है। सोलर हाई मास्ट में 18 वाट की 04 एलईडी लाईट चारों दिशाओं में 7 मीटर की ऊँचाई पर स्थापित करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 3350 संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

सोलर पावर पैक की योजना

ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत घरों में प्रकाश, पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सोलर पावर पैक योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन द्वारा चयनित लाभार्थी के आवासों पर सोलर पावर पैक की स्थापना करायी जाती है जिससे 3 वॉट की 2 ल्यूमेनियर, 5 वाट की 2 तथा 7 वॉट का 1 ल्यूमेनियर एवं 22 वॉट का एक डीसी सीलिंग फैन एवं मोबाइल चार्ज की सुविधा प्रतिदिन लगभग 8 घंटे हेतु उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत लगभग 60,000 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

सोलर आर.ओ. वाटर कार्यक्रम

प्रदेश के ऐसे प्राथमिक विद्यालयों जहाँ जल की गुणवत्ता खराब है, में विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल एवं पंखे की सुविधा हेतु सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्र की स्थापना की परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 1.1 किलोवॉट के सोलर पैनल स्थापित कराकर उससे 05 पंखे, 01 डी.सी.सबमर्सिबल पम्प तथा 50 लीटर प्रति घंटा का एक आर.ओ. वाटर संयंत्र संचालित कराया जाता है। संयंत्र के साथ 1000 ली0 की 2 पानी की टंकी भी स्थापित करायी जाती हैं, जिससे संचित जल का उपयोग मध्यान्ह भोजन बनाने, शौचालय को स्वच्छ रखने तथा बागवानी के लिये किया जाता है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में अब तक 3727 सोलर आर.ओ. वाटर संयंत्रों की स्थापना का कार्य कराया गया।

सोलर पम्प सिंचाई कार्यक्रम

सिंचाई के क्षेत्र में सोलर फोटोवोल्टाईक पम्प किसानों के लिए अत्यन्त लाभकारी योजना है। इस तकनीक से सूर्य के प्रकाश द्वारा सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उत्पादित ऊर्जा से सिंचाई पम्प को चलाया जाता है।

प्रदेश के कृषकों को अनुदान पर सोलर सिंचाई पम्प उपलब्ध कराये जाने की योजना कृषि विभाग एवं यूपीनेडा द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की गयी है। योजनान्तर्गत कृषकों को 2 एचपी के सर्फेस एवं 03 एचपी, 05 एचपी के सबमर्सिबल सिंचाई पम्प पांच वर्षों के व्यापक रख-रखाव के साथ अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है।

योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में सिंचाई हेतु कुल 29652 अदद सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना करायी जा चुकी है।

डिसेन्ट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी.डी.जी.) योजना

प्रदेश के 100 से अधिक की आबादी के रिमोट अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों जिनमें परम्परागत ग्रिड से विद्युतीकरण सम्भव नहीं है, को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत संचालित डिसेन्ट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी.डी.जी.) से विद्युतीकरण का कार्य रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) द्वारा वित्त पोषण के माध्यम से कराया गया है। इस योजना में सौर ऊर्जा के माध्यम से स्टैण्ड-एलोन संयंत्र द्वारा ऊर्जा का उत्पादन कर स्थानीय ग्रिड का निर्माण कर प्रत्येक घर में 96 वाट का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 02 अदद एल.ई.डी लाईट एवं 01 अदद पंखा हेतु विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 05 जनपदों (ललितपुर, हमीरपुर, सोनभद्र, बहराइच एवं लखीमपुर-खीरी) 25 ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के अन्तर्गत किया गया है।

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

पर्फोम एचीव एण्ड ट्रेड (पैट) कार्यक्रम

पैट योजना बाजार आधारित एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों द्वारा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स (एसट्र्स) का व्यापार करते हुए ऊर्जा दक्षता को परिवर्धित किया जा सकता है।

पैट कार्यक्रम के साइकल-1 के अन्तर्गत प्रदेश में चिहिन्त 07 सेक्टर्स के 5 डेजिगनेटेड कन्जयूमर्स (डीसी) द्वारा समेकित रूप से 0.69 एमटीओई (8066.99 मिलियन यूनिट) ऊर्जा बचत की गई जो लगभग 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के समतुल्य है।

पैट साइकल-2 के अन्तर्गत प्रदेश के चिहिन्त 08 सेक्टर्स के 55 डेजिगनेटेड कन्जयूमर्स द्वारा समेकित रूप से 1.33 एमटीओई (15470.03 मिलियन यूनिट) ऊर्जा बचत की गई जो लगभग 9600 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के समतुल्य है। (बीईई भारत सरकार द्वारा उक्त ऊर्जा बचत के संदर्भ में परिशीलन किए जाने के उपरान्त अन्तिम रूप से प्रमाणित किया जाएगा।)

●

राज्य सड़क परिवहन

प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में सड़क परिवहन की अहम् भूमिका होती है। परिवहन आयुक्त संगठन द्वारा मुख्य रूप से परिवहन क्षेत्र को अधिकाधिक संगठित, नियंत्रित एवं जनोपयोगी बनाने के साथ-साथ राजस्व अर्जन के कार्य किये जाते हैं। प्रदेश को प्राप्त होने वाले राजस्व में परिवहन कर का अंश चतुर्थ स्थान पर है। वर्ष 2019-20 में राजस्व अर्जन हेतु रु0 7863.42 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष रु0 7173.20 करोड़ का राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व अर्जन हेतु रु0 8650.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष माह नवम्बर--2020 तक रु0 3257.47 करोड़ का राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है जो वार्षिक लक्ष्य का 37.66 प्रतिशत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही कोविड-19 महामारी का प्रभाव होने तथा प्रदेश में लॉकडाउन घोषित किये जाने के फलस्वरूप परिवहन कार्यालयों एवं सभी प्रकार के वाहनों का संचालन लगभग दो से ढाई माहों तक नहीं हो सका। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के माल एवं यात्री वाहनों के देय कर में लगभग रु0 224.00 करोड़ माफ किया गया है। महामारी के प्रभाव से वाहनों के पंजीयन में भी गत वर्षों की तुलना में काफी कमी आयी है। आय-व्ययक वर्ष 2021-22 हेतु रु0 9350.00 करोड़ राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित है।

भारत सरकार की वन नेशन-वन आर0टी0ओ0 की संकल्पना को साकार करते हुये उत्तर प्रदेश में वाहन 4.0 एवं सास्थी 4.0 की प्रणाली अंगीकृत की जा चुकी है। इस व्यवस्था को अधिकाधिक जनोपयोगी बनाये जाने हेतु विभाग की प्रकियाओं को सरलीकृत व पारदर्शी बनाये जाने हेतु विभाग द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में कई जनसेवाओं को एण्ड-टू-एण्ड ऑनलाइन बनाया जा रहा है। विभागीय क्रिया-कलापों में नयी तकनीक का उपयोग करते हुये मानवीय हस्तक्षेप कम करके गुणात्मक परिवर्तन व सुधार लाया जा रहा है। विगत लगभग एक वर्ष में इस सम्बन्ध में प्रमुख उपलब्धियों के तहत वेबबेस्ड वाहन 4.0, वेबबेस्ड सारथी 4.0 व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ऑन लाइन परमिट व्यवस्था, ऑनलाइन ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था, ऑनलाइन प्रदूषण निर्गमन व्यवस्था, वीआईपी नम्बरों की बुकिंग हेतु ई-ऑक्शन व्यवस्था, नम्बर पोर्टबिल्टी की व्यवस्था, ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्था, आवश्यक दस्तावेजों का ऑनलाइन प्रिन्ट प्राप्त करने की सुविधा, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग योजना, प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित करने के लिये नये आवेदन/नवीनीकरण की ऑनलाइन सुविधा, पसंदीदा पंजीयन चिन्ह के आरक्षण की ऑनलाइन सुविधा एवं आवेदको को विभागीय सेवाएँ एण्ड-टू-एण्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराना उल्लेखनीय है।

प्रस्तावना

- उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन एवं सचांर की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था हेतु आवश्यक तो है ही साथ ही यह प्रदेशवासियों को सुखी एवं समृद्ध जीवनयापन सुलभ कराने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राज्य सरकार द्वारा इसके सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। यद्यपि परिवहन एवं संचार व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से देश तथा उत्तर प्रदेश में रेलमार्गों, वायुमार्गों, जलमार्गों एवं राजमार्गों का भी विकास किया जा रहा है। किन्तु प्रदेश की परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सड़क-यातायात का विशेष एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है और मोटरगाड़ियां प्रदेश के आर्थिक विकास एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आवश्यक अंग बन गयी है। प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में समाहित क्षेत्र तथा उनमें रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सरकार परिवहन-व्यवस्था के विस्तार की ओर सतत प्रयत्नशील है।
- प्रदेश में मोटरगाड़ियों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि व इनके नियन्त्रण में प्राविधिक ज्ञान की उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 1945 में वाहन के संचालन को नियमित करने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा-133 'ए' के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग की स्थापना की गयी। विभाग द्वारा यह भी अनुभव किया गया कि व्यावसायिक वाहनों के आर्थिक एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा आदि के कारण उनके संचालन को नियमित करने हेतु विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। इस तथ्य के दृष्टिगत मोटरगाड़ी अधिनियम-1939 के अध्याय-4 के क्रियान्वयन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया, जो व्यावसायिक वाहनों के संचालन को नियंत्रित करते हैं।
- वर्ष 1939 से प्रचलित मोटरगाड़ी अधिनियम एवं नियमावलियों के प्रावधानों के अंतर्गत सड़क परिवहन के क्षेत्र में हुये अनुसंधान, विकास एवं आर्थिक तकनीकी प्रगति के सापेक्ष सामंजस्य स्थापित करने में कालान्तर में कठिनाई के अनुभव होने पर दिनांक 01 जुलाई, 1989 से मोटरयान अधिनियम-1939 व उ0प्र0 मोटरगाड़ी नियमावली-1940 के स्थान पर क्रमशः मोटर वाहन अधिनियम-1988 व उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 लागू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 लागू की गयी है। उक्त अधिनियम एवं नियमावलियों के लागू हो जाने के फलस्वरूप अनेक वाहनों के पंजीकरण, चालक/परिचालक लाईसेंस एवं व्यावसायिक वाहनों के स्वस्थता-प्रमाणपत्र आदि जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं तद्विषयक शुल्कों की दरों में पूरे देश में एकरूपता स्थापित हो गयी है।
- प्रदेश में आवागमन एवं यातायात-व्यवस्था में होने वाली प्रगति का अनुमान प्रदेश में मोटरगाड़ी उद्योग में वर्षानुवर्ष प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे व्यापक विकास एवं नये पंजीकृत मोटर वाहनों एवं मार्गों पर चलने वाले वाहनों की वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ रही संख्या से लगाया जा सकता है। वर्ष 1991-92 में जहां मार्ग पर चालित सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या (वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य के वाहनों को सम्मिलित करके) 21,51,457 थी और अब (वर्तमान

उत्तराखण्ड को छोड़कर) यह संख्या बढ़कर माह नवम्बर, 2020 तक 3,57,04,465 हो गयी है। इस प्रकार विगत 29 वर्षों में इनकी संख्या में लगभग 17 गुने की वृद्धि हुई है। प्रदेश में वर्षवार नयी पंजीकृत एवं मार्गों पर चालित मोटरगाड़ियों की संख्या का विवरण क्रमशः तालिका-1 एवं तालिका-2 में प्रदर्शित की गयी है।

- यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि परिवहन आयुक्त संगठन प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में बहुमूल्य योगदान देता है। वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य रु0 7863.42 करोड़ के सापेक्ष रु0 7173.20 करोड़ का राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया, जो वार्षिक लक्ष्य का 91.22 प्रतिशत है। वित्तीय व 2020-21 हेत शासन द्वारा रु0 8650.00 करोड का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष माह नवम्बर-2020 तक रु0 3257.47 करोड़ राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है, जो वार्षिक लक्ष्य का 37.66 प्रतिशत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही कोविड-19 महामारी का प्रभाव होने तथा प्रदेश में लॉकडाउन घोषित किये जाने के फलस्वरूप परिवहन कार्यालयों एवं सभी प्रकार के वाहनों का संचालन लगभग दो से ढ़ाई माहों तक नहीं हो सका। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के माल एवं यात्री वाहनों के देय कर में लगभग रु0 224.00 करोड़ माफ किया गया है। महामारी के प्रभाव से वाहनों के पंजीयन में गत वर्षों की तुलना में काफी कमी आयी है। आय-व्ययक वर्ष 2021-22 हेतु रु0 9350.00 करोड़ राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित है।

चालक एवं परिचालक लाइसेन्स का निर्गमन

1. चालकों एवं परिचालकों को लाइसेंस देने का कार्य मोटर वाहन अधिनियम--1988 की धारा क्रमशः- 8, 9 एवं 30 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किया जाता है। चालकों/परिचालकों को लाइसेंस जारी करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-3 के तहत सभागीय/सहायक परिवहन अधिकारी, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में अधिकृत है। संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिकृत होने पर संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा भी लाइसेसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य किय जा सकता है। वर्तमान में लाइसेंस सम्बन्धी समस्त सेवाएं केवल ऑन-लाइन माध्यम से parivahan.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रदेश में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस केन्द्रीयकृत डिस्पैच व्यवस्था के तहत प्रदेश मुख्यालय से कार्यदायी संस्था के माध्यम से प्रिंट व डिस्पैच किये जा रहे हैं।
2. चालक लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व प्रार्थी को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जो आगामी 06 माहों हेतु वैध होता है। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन के उपरान्त तथा वैधता की समाप्ति से पूर्व मोटर गाड़ी चलाने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर चालक द्वारा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन किया जा सकता है। शिथार्थी लाइसेंस हेतु वेबसाइट पर आवेदन करते हुए समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा-पते का प्रमाणपत्र, आयु क प्रमाण पत्र तथा परिवहन यान की दशा में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-8(3) के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने के उपरान्त ऑन-लाइन फीस का भुगतान कर तिथि व स्थान का स्लाट बुक करना होता है। तदुपरान्त फार्म, समस्त अपलोडेड दस्तावेज,

फीस की रसीद व स्लाट बुकिंग स्लिप का प्रिंट प्राप्त कर निर्धारित तिथि पर सम्बन्धित परिवहन कार्यालय में प्रपत्रों की स्क्रूटनी व बायोमैट्रिक के उपरान्त कम्प्यूटराइज्ड परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के उपरान्त आवेदक द्वारा ऑन-लाइन शिक्षार्थी लाइसेंस का प्रिंट प्राप्त किया जाता है। मोटर साइकिल तथा हल्का मोटरयान का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। बिना गियर वाली मोटर साइकिल हेतु लाइसेंस 16 से 18 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति को उनके अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लिखित सहमति पर प्रदान किया जाता है। परिवहन यान हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना अनिवार्य है। परिवहन यान को चलाने का लाइसेंस 05 वर्ष तक प्रभावी होता है जबकि खतरनाक या जोखिम प्रकृति के माल का परिवहन करने वाले लाइसेंस की वैधता 03 वर्ष की होती है। गैर परिवहन यान के लाइसेंस की वैधता निम्नवत होती है :-

i. लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तारीख को 30 वर्ष की आयु से कम आयु के आवेदनों का लाइसेंस 40 वर्ष की आयु तक वैध होगा।
ii. लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तारीख को 30 वर्ष से 55 वर्ष की आयु वाले लाइसेन्स धारक को लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तिथि से आगामी 10 वर्षों की अवधि तक वैध होगा।
iii. लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तारीख को 50 वर्ष से 55 वर्ष के बीच की आयु वाले लाइसेन्स धारक को लाइसेन्स जारी करने का या नवीनीकरण की तिथि से 60 वर्ष की आयु तक वैध होगा।

3. परिचालकों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का विवरण मोटर वाहन अधिनियम-1988 के अध्याय-3 एवं उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 के अध्याय-3 में दिया गया है। प्रत्येक मंजिली गाड़ी में परिचालक का होना अनिवार्य है। परिचालक लाइसेंस हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परिचालक लाइसेंस की वैधता व नवीनीकरण 03 वर्ष हेतु की जाती है, जो सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी होता है।
4. वर्तमान में चालकों/परिचालकों के लाइसेन्स के लिए इच्छुक अभ्यर्थियाँ के सुविधार्थ प्रत्यैक कार्यालय में वृहत् सूचनापट लगाये गये हैं, साथ ही रोड ट्रैफिक सिगनल की जानकारी हेतु भी प्रत्येक कार्यालय में ट्रैफिक निशानों को चित्रित किया गया है।

वाहन-पंजीयन एवं स्वस्थता-प्रमाण का निर्गमन

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-39 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मोटरगाडी को प्रयोग में लाने से पूर्व पंजीकृत कराना आवश्यक है। ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों का पंजीयन उस समय तक वैध नहीं माना जाता जब तक कि गाड़ी को विधिवत स्वस्थता-प्रमाणपत्र धारा-56 के अन्तर्गत फार्म-38 में प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रदेश के समस्त संभागीय परिवहन अधिकांश, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) तथा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) मोटर गाड़ियों के पंजीयन के लिए पंजीयन अधिकारी हैं।
2. संभाग/उपसंभाग में गाड़ियों का निरीक्षण-.गाड़ियों के निरीक्षण के लिए संभागीय निरीक्षक

(प्राविधिक) नियुक्त हैं। नई ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों को पंजीयन तिथि से 08 वर्ष की आयु सीमा तक 02 वर्ष की अवधि का स्वस्थता-प्रमाणपत्र दिया जाता है तथा उसके पश्चात् वाहन के स्वस्थता-प्रमाणपत्र का नवीनीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।

3. वाहनों को स्वस्थता-प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व उनकी प्रदूषण मानकों के अन्तर्गत जाँच करके उन्हें प्रदूषणमुक्त होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वर्तमान में वाहनों की स्वस्थता की जांच मशीनों के माध्यम से करके स्वस्थता प्रमाण-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। इस कार्य हेतु निजी क्षेत्र में भी 'प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रों' को स्थापित किये जाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
4. सरकारी गाड़ियों का क्रय, रख-रखाव, मरम्मत, निष्प्रयोज्य घोषित करने व नीलामी संबंधी कार्य जो मुख्यालय में उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) की देख-रेख में किया जाता था, का विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है और अब परिवहन आयुक्त कार्यालय में विशेष मामले ही सन्दर्भित करने की आवश्यकता रह गयी है।
5. (ए) मोटर वाहनों में पंजीयन-चिन्हों का प्रदर्शन-मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-41(6) के अन्तर्गत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-50 के अनुसार पंजीकृत मोटर वाहनों पर पंजीयन चिन्ह का प्रदर्शन वाहन के आगे व पीछे दोनों ही ओर करना अनिवार्य है। केन्द्रीय मोटर नियमावली, 1989 के नियम-51 के अन्तर्गत विभिन्न मोटर वाहनों पर पंजीयन-चिन्हों के आकार निर्धारित किये गये है। परिवहन गाड़ियों पर प्रदर्शित चिन्ह उनके अगले एवं पिछले भाग पर उर्ध्वतल से 30 अंश से अधिक झुकाव वाला नहीं होना चाहिए। मोटरसाइकिल और इनवैलिड कैरिज के सामने की ओर वाहन के ऊर्ध्वतल पर हैण्डिल बार के समानान्तर और पीछे की ओर सादी प्लेट पर पंजीयन-चिन्ह का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। सामान्यतः यह पंजीयन-चिन्ह राज्य एवं पंजीयन-अधिकारी कोड प्रथम पंक्ति में तथा दूसरा भाग उसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में प्रदर्शित किए जाने चाहिए। मोटरकारों आदि में वाहन के मध्य में आगे व पीछे सादी प्लेट पर मध्य में पंजीयन-चिन्ह प्रदर्शित किए जाने चाहिए ।

(बी) परिवहन वाहन में पहचान-चिन्ह वाहन में बाडी के दाहिनी तथा बाई ओर पेन्ट करके प्रदर्शित किया जाएगा।

(सी) परिवहन वाहन में यदि वाहन, यात्री वाहन स्टेज या कान्ट्रैक्ट कैरिज है, तो ड्राइवर और पैजेन्जर के बीच स्थापित पार्टीशन में पंजीयन-चिन्ह यात्रियों की ओर प्रदर्शित होना चाहिए। यदि पार्टीशन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में ड्राइवर-सीट के बाई ओर बाडी के अन्दर रूफ पर अन्दर ऊपर की ओर प्रदणशत होना चाहिए। यदि वाहन मोटरकैब, मैक्सीकैब है, तो ऐसी दशा में पंजीयन-चिन्ह डैश बोर्ड पर प्रदर्शित होना पर्याप्त है।

(डी) ऐसी परिवहन गाड़ी जिसमें एक या अधिक ट्रेलर हों तो अन्तिम ट्रेलर पर प्लेन प्लेट सर्फेस पर पंजीयन-चिन्ह प्रदर्शित किया जाएगा। मोटरसाइकिल में आगे की ओर प्रदर्शित पंजीयन-चिन्ह/वाहन के ऊपर जिसमें मेडगार्ड भी शामिल है, पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, न कि पृथक पट्टिका पर।

6. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-50 में वाहन के पंजीयन चिन्ह प्रदर्शित करने

के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। नियम-50 के अनुसार समस्त मोटरयानों के अगले एवं पिछले दोनों भागों पर पंजीयन चिन्ह निम्न रूप से विनिर्दिष्टियों की हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर स्पष्ट और पठनीय रूप से प्रदर्शित किया जायेगाः- :

(i) प्लेट डी0आई0एन0 1745/डी0आई0एन0 1783 या आई0एस0ओ0 7591 के अनुरूप 1.0 एम0एम0 एल्युमिनियम की बनी ठोस यूनिट की होगी। प्लेट के किनारे एवं कोने गौल होंगे प्लेटों के किनारे उभरे हुए होने चाहिए। प्लेट हाट-स्टेम्पिंग के योग्य होगी एवं रेफ्लेक्टिव शीट की कम से कम पाँच वर्षों तक के लिए नष्ट न होने की गारण्टी होगी।

(ii) प्लेट में बाएं केन्द्र पर नीले रंग में "IND" अक्षर अंकित होगा तथा इसकी हॉट-स्टैम्पिंग भी होगी ताकि यह प्लेट का अभिन्न अंग हो।

(iii) प्रत्येक प्लेट की हाट-स्टेम्पिंग एवं क्रोमियम आधारित होलोग्राम प्रयोग करके कूट रचना से सुरक्षित किया जायेगा। प्लेट पर कम से कम 10 अंक की लेजर ब्राण्डेड स्थाई पहचान संख्या बायीं ओर अंकित होगी, जिसमें अंक का आकार कम से कम 5 मि0मी0 होगा।

(iv) अगले और पिछले भाग पर पंजीयन चिन्हों के अलावा स्वविध्वंसक प्रकार का तीसरा पंजीयन चिन्ह क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर यान के विण्डशील्ड के बायीं ओर शीर्ष भाग पर चिपकाया जायेगा जिस पर पंजीयन संख्या, पंजीयन प्राधिकारी का नाम, लेजर ब्राण्डेड स्थाई पहचान संख्या (25 मि0मी0, वाहन के पंजीयन की तिथि आदि स्टीकर पर मुद्रित होंगें।

(v) डीजल वाहनों के लिए स्टीकर की पृष्ठभूमि नांरगी, पेट्रोल एवं सीएनजी वाहनों के लिए हल्का नीला एवं अन्य सभी वाहनों के लिए स्लेटी रंग की होगी ।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-4215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में मोटर यान अधिनियम 1988 की ध ाारा-165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्बन्धित मामालों के निस्तारण के लिए अधिसूचना संख्या-77/ तीस-3--2019, दिनाक 09.014.2019 द्वारा 71 मामलों निस्तारण में (श्रावस्ती, शामली, अमेठी व अम्बेड़कर नगर को छोड़कर) में कुल 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना का निर्णय लिया गया हैं। जिन 04 जनपदों में अधिकरण की स्थापना नहीं की गयी है, इन जनपदों के वादों का निस्तारण भौगोलिक दृष्टि से निकटस्थ जनपद के अधिकरण क्रमशः बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर व अयोध्या के अधिकरण की सीमाक्षेत्र में समाहित किया गया है। लम्बित वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर-नगर एवं मेरठ में दो-दो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अन्य जनपदों में एक-एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कार्यालय को स्थापित/संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 68 जनपदों में 70 अधिकरण स्थापित हो चुके हैं, जिनमें से 67 अधिकरण क्रियाशील हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में समस्त मोटर दर्घटना दावा अधिकरणों को संचालित किया जाना लक्षित हैं।

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु मूल प्रावधान रु0

2709 15 लाख तथा पुनर्विनियोजित धनराशि रु0 1451 42 लाख अर्थात कुल धनराशि रु0 4160.57 लाख स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल हेतु रु0 5963.50 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है जिसके सापेक्ष रु0 3761.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है।

वायुप्रदूषण पर प्रभावी नियन्त्रण

1. देश में बढ़ते वाहनों की संख्या तथा उनसे उत्पन्न वायुमण्डलीय प्रदूषण विगत कतिपय वर्षों से विकराल रूप धारण कर रहा है। इस समस्य के महत्त्व को समझते हुए केन्द्र सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों को एक अपराध के रूप में स्वीकारते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के नियम 115 में प्रदूषण नियंत्रण हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है।
2. भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली से सड़क सुरक्षा स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में बढ़ते हुये वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नये मानक के प्रदूषण मापी यंत्र -वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10 बोलेरो वाहनों में गैस एनालाइजर प्रदूषण जांच संयंत्र लगाकर तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 09 बोलेरो वाहनों में गैस एनालाइजर, वित्तीयवर्ष 2017-18 में 20 स्मोक मीटर क्रय करके प्रदेश के संभागों में संभागीय परिवहन अधिकारियों को चेकिंग के दौरान वाहनों का उत्सर्जन, मानक जाँच करने तथा प्रदूषण निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने पर उन वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
3. विभागीय संसाधनों की कमी के दृष्टिगत वाहनों के प्रदूषण जाँच हेतु सरकारी मान्यता प्राप्त "ए", "बी" श्रेणी के गैराजों में प्रदूषणमापी यन्त्र लगाना अनिवार्य कर दिया गया हैं। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं, पेट्रोल पम्पों तथा वाहन डीलरों आदि को भी प्रदूषणमापी यन्त्र लगाकर वाहनों के प्रदूषण की जाँच कर, प्रदूषण मुक्त प्रमाणपत्र जारी करने हेतु मान्यता दी गयी है। वर्ष 2018 से लगातार चल रहे प्राइवेट प्रदूषण जाँच केन्द्रों के निरीक्षण में 84 प्रदूषण जाँच केन्द्र बन्द पाये गये तथा जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (प्रशासन/प्रवर्तन) द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या के आधार पर दिनाँक 30.11.2020 तक उत्तर प्रदेश में कुल 1676 प्राइवेट प्रदूषण जाँच केन्द्र संचुलित हैं।
4. अप्रैल 2019 से प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था ऑन-लाइन हो गयी है, जिसमें प्रदूषण जाँच केन्द्र द्वारा जाँच के उपरान्त वाहन 4.0 साफ्टवेयर के माध्यम से प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। प्रदूषण जाँच केन्द्र स्वामी द्वारा प्रदूषण प्रमाण-पत्र प्रिंटिंग, स्टेशनरी पर व्यय स्वयं किया जा रहा है। ऑन-लाइन व्यवस्था प्रारम्भ होने के पश्चात प्रदेश मुख्यालय से पुस्तिका व स्टीकर देना अब बन्द कर दिया गया है, जिसके कारण पुस्तिका व स्टीकर के मद में जमा की जाने वाली धनराशि राजकीय कोष में जमा करने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। 01 फरवरी 2020 से नया प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित करने, प्रदूषण जाँच केन्द्र

का नवीनीकरण तथा कार्यस्थल परिर्वतन की स्वीकृति का कार्य भी ऑन-लाइन कर दिया गया है।

5. वाहनों से निकलने वाले धूम्र की जाँच हेतु उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4 द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 14/2020/822/तीस-4-2020, दिनाक 20.10.2020 द्वारा "उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जाँच केन्द्र योजना-2020" निर्गत की गयी है, जिसका क्रियान्वयन प्रकियाधीन है। इस योजना में किसी भी सामान्य नागरिक के साथ-साथ एन0जी0ओ0/ट्रस्ट/सभी प्रकार के फर्म/कम्पनी (प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप), प्रदूषण जाँच उपकरण फिटेड मोटरयान के स्वामी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्कशाप तथा परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज को प्रदूषण जाँच केन्द्र खोलने हेतु प्राधिकार-पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था बनायी गयी है।

6. उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जाँच केन्द्र योजना-2020 के बिन्दु-6(ii) में प्रदूषण जाँच प्रमाण-पत्र निर्गत करने की दरें निम्नवत संशोधित की गयी हैं, जो दिनांक 01.01.2021 से प्रभावी होना हैः-

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी	निर्धारित शुल्क
1.	पेट्रोल चलित दोपहिया वाहन	रु० 50/-
2.	तिपहिया वाहन (पेट्रोल/सी०एन०जी०/एल०पी०जी०)	रु० 70/-
3.	चारपहिया वाहन (पेट्रोल/सी०एन०जी०/एल०पी०जी०)	रु० 70/-
4.	डीजल चलित वाहन	रु० 100/-

सड़क सुरक्षा

सड़क सुरक्षा सीधे आम जनमानस से जुड़े होने के कारण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग कृतसंकल्प है। सड़क सुरक्षा के उपायों एवं सम्बन्धित कार्यों को प्रभावी ढंग से 5 करने हेतु राज्य सड़क सुरक्षा नीति, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को पुनर्गठित किये जाने एवं सड़क सुरक्षा कोष के सृजन एवं इस हेतु उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली--2014 बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों से यह दृष्टिगोचर होता है कि गत वर्षो में जहाँ सड़क दुर्घटनाओं व इनमें मृत होने वाले व्यक्तियों में 9-10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी वहीं विभाग के प्रयासो से वर्ष 2019 में इस संख्या में लगभग स्थिरता प्राप्त हुई है तथा वर्ष 2020 में माह नवम्बर तक 18.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुयी है। प्रदेश में वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में 42,674/- सड़क दुर्घटनाओं के सापेक्ष 42,572/- सड़क दुर्घटनाएं तथा 22,164 /- व्यक्तियों के सापेक्ष 22,655- व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस संख्या में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं।

सड़क सुरक्षा सेल (लीड एजेंसी) का गठन

मा0 सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ऑन रोड सेटी के द्वारा प्रदेश स्तर पर परिवहन विभाग के अंतर्गत एक सड़क सुरक्षा सेल (लीड एजेंसी) का गठन परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जिसमें अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), सहायक परिवहन आयुक्त (स0सु0) तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित विभागो यथा- पुलिस, लोक निर्माण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के एक-एक अधिकारी विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 01 वर्ष में 02 बैठकों का आयोजन कर सड़क सुरक्षा के प्रति किये जाने वाले प्रयासों की समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार उनके स्तर से निर्देश दिये जाते हैं।

उच्च स्तरीय समिति एवं कोष प्रबंधन समिति का गठन वर्ष **2014** में किया गया

मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में उपर्युक्त समिति कार्य करती है। पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा विगत वर्ष में प्रशमन शुल्क के रूप में जमा कराई गई धनराशि का 50 प्रतिशत अंश कोष प्रबंधन समिति के अंतर्गत बजटरी प्रावधान के माध्यम से प्रतिवर्ष आवंटित कराये जाने की व्यवस्था है।

जिला एवं मण्डलीय सडक सुरक्षा समितियों का गठन

सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु पूर्व से ही जनपद स्तर पर प्रत्येक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला सड़क सुरक्षा समिति" वर्ष 1995 से ही गठित है। प्रत्येक वर्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति की कम से कम 06 बैठकों का आयोजन कराया जाना होता है तथा बैठक में लिये गये निर्णयों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 2015 में प्रत्येक मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में 'मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति' का गठन किया जा चुका है, जिसकी वर्ष में कम से 04 बैठकों का आयोजन कराया जाना आवश्यक है।

सड़क सुरक्षा नीति

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014 में सड़क सुरक्षा नीति जारी की गई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जाती हैः-

सड़क सुरक्षा डाटा बेस की स्थापनाः- सड़क सुरक्षा डाटा बेस की स्थापना की गयी है जिसके अर्न्तगत पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना के विश्लेषण की प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके अंतर्गत वर्ड बैंक सहायतार्थ परियोजना भी प्रस्तावित है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (मोर्थ) के निर्देशन में एक इन्ट्रीग्रेटेड रोड एक्सीडेन्ट डाटा (आई0 रैड) एप्स के द्वारा भी इस दिशा में एडवांस स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।

सुरक्षित सड़क की अवस्थापनाः- इसके अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जिसमें सड़क के निर्माण संबंधी कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जाती है तथा ब्लैक

स्पाट्स के सुधारीकरण की कार्यवाही भी करायी जाती है। वर्ष 2017 मे 1057 ब्लैक स्पॉटस चिन्हित किये गये हैं, जिनके सुधारीकरण की कार्यवाही संबंधित सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा की गई है। पुनः वर्ष 2018 में 1270 ब्लैक स्पाट्स चिन्हित कर लिय गये हैं, जिसके सापेक्ष अल्पकालिक सुधारों को पूर्ण करते हुये दीर्घकालिक सुधारों की कार्यवाही प्रकियाधीन है। वर्ष 2019 में 1131 तथा वर्ष 2020 में 1110 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक मण्डल में एक-एक ड्राइवर ट्रेनिग इन्स्टीट्यूट स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च

चालकों के ट्रेनिंग व रिफ्रेसर प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार के सहयोग से जनपद रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) निर्माणाधीन है।

आय-व्ययक वर्ष 2021-22 में इन्स्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) की स्थापना हेतु रु0 352.98 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है।

परिवहन विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनाएं

विभाग की महत्वपूर्ण प्रस्तावित एवं संचालित योजनायें व कार्य निम्न प्रकार है :-

(क) परिवहन विभाग की क्रियान्वित ई-परियोजनाएँ

1. वेबबेस्ड वाहन 4.0 व्यवस्थाः

- उत्तर प्रदेश के सभी 76 परिवहन कार्यालयों में क्रियान्वित।

क. पूरे देश की वाहन पंजीयन व्यवस्था के लिये सिंगल वेब प्लेटफार्म तैयार होना, जिससे चोरी के वाहनों अथवा पंजीयन निरस्त वाहनों के विवरण को रियल टाइम पर ट्रैक करने की सुविधा।

ख. वाहन पंजीयन, फिटनेस, टैक्स पेमेन्ट आदि की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से वाहन स्वामी को उपलब्ध कराने की सुविधा।

ग. जन सामान्य को परिवहन विभाग की ज्यादा से ज्यादा सेवाएं ऑन-लाइन माध्यम से प्रदान किये जाने की सुविधा।

घ. 15 सेवाओं हेतु ऑन-लाइन आवदेन एवं डाक्यूमेन्अ अपलोड एवं स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध।

2. वेबबेस्ड सारथी 4.0 व्यवस्था

- उत्तर प्रदेश के सभी 77 परिवहन कार्यालयों में क्रियान्वित।

लाभ

क. मैनुअल आवेदन की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त ।

ख. लाइसेन्स सम्बन्धी सभी सेवाएँ ऑन-लाइन।

ग. लाइसेन्स की डुप्लीकेसी को ट्रैक करने की सुविधा।

घ. लर्नर लाइसेन्स ऑन-लाइन प्रिन्ट करने की सुविधा।

3. मोबाइल एप्प बेस्ड ई-चालान व्यवस्था

- ई-चालान व्यवस्था की शुरूआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य।
- उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जून-2017 से शत-प्रतिशत क्रियान्वित।

लाभ

क. एप्प के माध्यम से अभियोग का आरोपण तथा पेनाल्टी का आगणन।
ख. वाहन 4.0 डाटाबेस से वाहन का विवरण प्राप्त करने की व्यवस्था।
ग. चालान होने पर सम्बन्धित अभियोग की "वाहन 4.0/सारथी 4.0" डाटाबेस में स्वतः दर्ज होने की व्यवस्था।
घ. वाहन स्वामी अथवा चालकों को भी अपने चालान से सम्बन्धित विवरण को ई-चालान वेबसाइट www.echallanweb.in पर देखने की व्यवस्था।
ड. ई-चालान को ऑन-लाइन भुगतान करने की सुविधा

4. आनलाइन परमिट व्यवस्था

- यह व्यवस्था लागू करने वाला प्रदेश हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य।
- परमिट संबंधी 6 सेवाओं- नया परमिट, डुप्लीकेट परमिट, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, स्पेशल परमिट, नेशनल परमिट आथराइजेशन नवीनीकरण में आनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

लाभः-

क. परमिट की व्यवस्था पारदर्शी व सरल।
ख. कार्यालय आने से वाहन स्वामी को मुक्ति ।
ग. आवेदकों के समय व धन की बचत।
घ. आवेदन व शुल्क जमा करने हेतु लाइन में लगने से मुक्ति।
ड. किसी भी समय एवं कहीं से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

5. कामन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से विभागीय सेवाएं आम जनमानस को उपलब्ध कराना

- विभाग की कुल 25 ऑन-लाइन सेवाएं आम जनमानस को कामन सर्विस सेन्टर्स- जनसेवा केन्द्रों/ लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रोंके माध्यम से उपलब्ध।
- मात्र 20 रुपये शुल्क देकर ऑन-लाइन आवेदन का लाभ।
- व्यवस्था का ज्यादा लाभ ऐसे लोगों को जिनके पास न तो कम्प्यूटर है और न ही किसी प्रकार की नेट बैकिंग या एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड की सुविधा है।
- वाहन तथा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित समस्त ऑनलाइन सेवाओं में आवेदन तथा फीस पेमेन्ट ऑन-लाइन माध्यम से करने की व्यवस्था शत-प्रतिशत लागू।

6 वाहन पंजीयन हेतु ऑन-लाइन डीलर प्वाइंट व्यवस्था में डाक्यूमेंट मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया जाना

- नए व्यावसायिक (बिल्ट बाडी युक्त) तथा समस्त प्रकार के गैर व्यावसायिक वाहनों के पंजीयन

के समय डीलर द्वारा वाहन पंजीयन के लिए आवश्यक प्रपत्र को डिजिटल सिग्नेचर सहित ऑन-लाइन अपलोड की व्यवस्था।

- प्रदेश के समस्त जनपदों में डीलर प्वाइंट पर डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम शत-प्रतिशत लागू।
- डीलर द्वारा परिवहन कार्यालयों को फिजिकल पत्रावली प्रेषण की व्यवस्था समाप्त।

लाभ

क. फिजिकल फाइल आर0टी0ओ0 कार्यालय में ले जाने से मुक्ति।

ख. आर0सी0 डिलीवरी में कम समय लगना।

ग. आर0सी0 रिकार्ड रखने की समस्या से निदान।

घ. डीलर एवं आर0टी0ओ0 के बीच में मानवीय हस्तक्षेप की समाप्ति।

7. ऑन-लाइन ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था

- वाहन डीलरों को ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने की पूर्णतः ऑन-लाइन व्यवस्था प्रदेश के सभी जनपदों में लागू।
- प्रदूषण जाँच केन्द्र का संचालन करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को कार्यालय आने की आवश्यकता समाप्त।
- समस्त कार्यवाही ऑन-लाइन उपलब्ध।

8. आवेदकों को विभागीय सेवाएँ एण्ड टू एण्ड उपलब्ध

- नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति एवं विवाह के अवसर पर जारी होने वाले स्पेशल परमिट को प्राप्त करने हेतु एण्ड टू एण्ड सुविधा प्रदान कर दी गयी है।
- प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने के लिए आवेदन/नवीनीकरण की सुविधा एण्ड टू एण्ड उपलब्ध।

●

नागरिक उड्डयन

- वर्ष 2017 में प्रदेश के अंदर मात्र 04 एयरपोर्ट (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर तथा आगरा) क्रियाशील थे तथा कुल 25 गन्तव्य स्थान (लखनऊ से 15, वाराणसी से 8, गोरखपुर से 1, आगरा से 1) हवाई सेवाओं से जुड़े थे। वर्तमान में 09 एयरपोर्ट (3 अन्तर्राष्ट्रीय एव 6 डोमेस्टिक) क्रियाशील हो गए हैं जिनसे कुल 75 गंतव्य स्थानों (लखनऊ से 21, वाराणसी से 20, कुशीनगर से 1, गोरखपुर से 8, आगरा से 5, प्रयागराज से 11, कानपुर नगर से 4, हिण्डन से 2, बरेली से 3) के लिए हवाई सेवाएँ उपलब्ध हैं। कुल कनेक्टेड गंतव्य स्थलों की संख्या एयरलाइन्स के शिड्यूल के अनुसार घटती/बढ़ती रहती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 12 अन्य एयरपोर्ट (2 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 10 डोमेस्टिक) का भी विकास किया जा रहा है।
- प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं तथा राज्य सरकार द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 'नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे' का विकास पी0पी0पी0 मोड पर कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद अयोध्या में भी राज्य सरकार द्वारा मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास कराया जा रहा है। इस प्रकार आने वाले समय में प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स हो जायेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा गत $04^{1}/_{2}$ वर्षों में 04 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स (बरेली, प्रयागराज, हिण्डन, कानपुर का विकास पूर्ण कराया जा चुका है व 10 (अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, सहारनपुर, झाँसी, गाजीपुर, मेरठ) एयरप्रोर्ट्स का विकास कराया जा रहा है। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट एयरपोर्ट का कार्य 95-99 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जनपद ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। ललितपुर हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने हेतु निजी भूमि के क्रय हेतु प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
- इस प्रकार गत $04^{1}/_{2}$ वर्षों में उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या 2 एयरपोर्ट (लखनऊ एवं

वाराणसी) से बढ़कर 3 एयरपोर्ट (लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर) हो चुकी है तथा 2 अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (जेवर एवं अयोध्या) का विकास कराया जा रहा है तथा क्रियाशील डोमेस्टिक एयरपोर्ट की संख्या 2 एयरपोर्ट (गोरखपुर तथा आगरा) से बढ़कर 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट (गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, हिण्डन एवं बरेली) हो चुकी है तथा उपरोक्त विवरण के अनुसार 10 अन्य डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी विकसित किए जा रहे हैं तथा ललितपुर एयरपोर्ट को सम्मिलित करने पर कुल विकसित किए जा रहे एयरपोर्ट्स की संख्या 13 (2 अन्तर्राष्ट्रीय एवं 11 डोमेस्टिक) एयरपोर्ट है। प्रस्तावित परियोजनाओं के मूर्तरूप लेने पर उत्तर प्रदेश में कुल 22 एयरपोर्ट (5 अन्तर्राष्ट्रीय एवं 17 डोमेस्टिक) हो जायेंगे।

औद्योगिक विकास

वृहद उद्योग का विकास

किसी भी देश अथवा प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योगों की स्थापना व विकास से न केवल तीव्र आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है बल्कि भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी सुलभ होते हैं। इस प्रकार उद्योगों की अधिकाधिक स्थापना से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वृहद उद्योगों का प्रदेश के विकास में अहम योगदान है। वृहद उद्योग जिस क्षेत्र में स्थापित होते हैं, उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की संभावना बलवती हो जाती है।

प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास में अवस्थापना सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः उद्योगों को विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहें हैं। चूंकि औद्योगिक विकास में सरकार का मुख्य उद्देश्य विकासयुक्त वातावरण सृजित करने का है, जिसके दृष्टिगत समस्त जनपद मुख्यालयों को आपस में फोर लेन सड़क मार्गों से जोड़ना, यमुना एक्सप्रेस वे एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के निर्माण के क्रम में लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण, लखनऊ पी0पी0पी0 के माध्यम से अन्य एक्सप्रेस वेज का निर्माण, राजकीय राजमार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, केन्द्र सरकार की दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कारीडोर व ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर प्रदेश से पास होने हैं इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदेश के उद्यमियों को उपलब्ध कराना, जेवर (बुलन्दशहर) व कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का विकास, उद्योगों को गैस पाइप लाइन से अधिकाधिक गैस उपलब्ध कराना, कैप्टिव पावर जेनेरेशन को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घण्टे निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रदेश में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु लैण्ड बैक के आंकड़ों को सुदृढ़ कर ई-गवर्नेन्स के माध्यम से उद्यमियों को उपलब्ध कराना व निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों का विकास इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार द्वारा उद्योगों के विकास को फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वृहद उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-207 प्रख्यापित की गयी है। नीति के अन्तर्गत निवेशकर्ताओं एवं उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गये हैं।

इन्वेस्ट यू०पी०

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग को त्वरित गति देने के उद्देश्य से 1981 से उद्योग बन्धु की स्थापना की गयी थी। औद्योगिक वातावरण के सृजन के महत्वकांक्षी उद्यमियों को उत्प्रेरित करने तथा आधारभूत सुविधाओं की जानकारी, औद्योगिक नीतियों का प्रतियादन तथा शासकीय प्रावधानों के फलस्वरूप अनुभव की जा रही बाधाओं के निवारण के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने में उद्योग बन्धु की उल्लेखनीय भूमिका रही है और उद्योग बन्धु की सक्रियता एवं मनोयोग से कार्य करने तथा प्रतिबद्धता के कारण प्रदेश औद्योगिकरण के क्षेत्र में निरन्तर विकासोन्मुखी रहा है। उद्योग बन्धु की स्थापना के उपरान्त इसमें समय-समय पर ढांचागत परिवर्तन/विकास हुआ है। इसी के तारतम्य में वर्ष मार्च, 2017 में प्रदेश में नई सरकार के गठन के पश्चात प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई कदम उठाये गये । उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 तथा कई क्षेत्र विशेष नीतियों का प्रख्यापन किया गया । उद्योग बन्धु को अपग्रेड व सुदृढ़ करते हुए इन्वेस्ट यू0पी0 की स्थापना दिनांक 44 जून, 2020 को की गयी । इस नयी संस्था के लिए प्रोफेशनल मैनपावर की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए एक सम्यक संगठनात्मक ढांचा बनाया गया है। इन्वेस्ट यू0पी0 के प्रमुख उद्देश्य वही हैं, जो उद्योग बन्धु के थे। इस प्रकार संस्थागत ढाँचा के निर्माण में गतिशीलता के साथ निरन्तरता बनी हुई है। इसके अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 हैं तथा इसके दैनिक कार्यों के दायित्व का सम्पादन मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जाता है।

इन्वेस्ट यू0पी0 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1. अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेका क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों को प्रदेश में उपलब्ध सुविधाओं, छूट, अन्य सुविधाओं जैसे भूमि, विद्युत, वाणिज्य कर इत्यादि से सम्बन्धित सूचनायें प्रदान करना। निवेशकों को प्रदेश के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से विभागीय वेबसाइट को सुदृढ़ किया गया है, जिसके माध्यम से औद्योगिक एवं अवस्थापना विभार से सम्बन्धित सभी शासनादेशों एवं सम्बंधित सूचनाएं इत्यादि सुगमता से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. उद्यमियों की समस्याओं को उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। उद्योगों के साथ-साथ अब सेवा क्षेत्र के उपक्रमों एवं अवस्थापकीय सुविधायें उपलब्ध कराने वाले उपक्रमों की भी समस्याओं का निराकरण एवं अनुश्रवण जिला स्तरीय उद्योग बन्धु, मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु एवं राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों में किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
3. शासन एवं विभिन्न विभागों से जनसम्पर्क करना एवं नीतियों के प्रख्यापन में शासन को राय देना। औद्योगिक व अवस्थापना निवेश नीति तैयार करना, अन्य विभागों की नीतियाँ तैयार करने में सहायता करता, नीतियों का प्रचार-प्रसार करना, प्रदेश में निवेश आकर्षण हेतु कार्यवाही

करना तथा निवेश में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना।

4. निवेश मित्र के माध्यम से ऑन- लाइन स्वी.तियाँ एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था करना। प्रदेश में लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को लगाने के लिए उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने, अनापत्तियाँ प्राप्त करने एवं सहमति प्राप्त करने हेतु समस्त जिलों मेंस्वीकृतियाँनिवेश मित्र" व्यवस्था लागू कर दी गयी है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी। निवेश मित्र के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक उद्यमी लाभान्वित हो सके।

5. उद्यमियों को विभिन्न स्वीकृतियाँ/अनुमोदन एवं विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रस्तुत कराने में सहायता करना। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों की सुविधा हेतु प्रदेश के समस्त जिला स्तरीय उद्योग बन्धु में हेल्पडेस्क की स्थापना कर दी गई है जिसके माध्यम से उद्यमियों को विभिन्न सूचनायें उपलब्ध करायी जाती हैं तथा उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न स्वीकृतियाँ/सहमतियां/अनापत्तियाँ प्राप्त करने में सहायता दी जाती है।

6. विभिन्न सेमिनार्स, इन्टेकमार्ट, ट्रेडफेयर्स आदि में भाग लेना, समन्वय कार्य तथा भारत सरकार के विभागों द्वारा आयोजित बैठकों हेतु व उद्योग से संबंधित विभिन्न औद्योगिक संगठनों से समन्वय करना ।

7. प्रदेश में पूँजी निवेश को आकणषत किये जाने की विस्तृत रणनीति बनाने एवं अधिक से अधिक निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने हेतु अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश आकर्षण हेतु सेमिनार अथवा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करना।

8. ओद्योगिक निवेश नीति व अन्य औद्योगिक विकास से संबंधित विभागों की नीतियों के क्रियान्वयन में उत्पन्न समस्याओं का निराकरण, अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अन्तणवभागीय समन्वय स्थापित करना, नियमों, अधिनियमों तथा विनियमों का सरलीकरण, सुधार एवं आवश्यकतानुसार निरस्तीकरण कराना।

9. जिला, मण्डल/राज्य स्तरीय बैठकों में लिए गये निर्णय के अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना तथा विशिष्ट औद्योगिक संगठनों के साथ इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को प्रत्येक स्तर पर विकसित करने हेतु कार्य करना ।

10. औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने तथा उद्यमी को न्यूनतम अवधि में विभिन्न सुविधायें, स्वीकृतियाँ/अनापत्तियों/अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराने, आवश्यक औपचारिक्ताओं को शीघ्र पूर्ण किये जाने में यथोचित सहायत प्रदान करने, उद्यमी की प्रक्रियात्मक/नीतिगत समस्याओं के निराकरण हेतु एवं जटिल प्रक्रियाओं को समय-समय पर सरलीकरण कर प्रदेश की आर्थिक

रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेन्सी का गठन किया गया है, इसके ढाँचे में गर्वऋनग बोर्ड एवं संचालन समिति गठित है । गर्वऋनग बोर्ड की अध्यक्षता मा0 मुख्य मंत्री तथा संचालन समिति की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा की जाती है । गर्वऋनग बोर्ड व्यसाय के संचालन और आवंटन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को फ्रेम करना तथा अनुमोदन प्रदान करना एवं संचालन समिति और इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एवं फैसिलिटेशन एजेन्सी केलिए कार्य जो अन्यथा निणदष्ट नहीं है। संचालन समिति को निवेश प्रोत्साहन और सुविधा, प्रोत्साहन और मंजूरी तथा ह्यूमन रिसोर्स और भतऍ से संबंधित कार्य आवंटित हैं।

पिकप

पिकप की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राज्य सरकार की कम्पनी के रूप में वर्ष 1972 में की गई। निगम की वर्तमान अंश पूँजी रु0 150.00 करोड़ है एवं निगम की चुकता अंश पूंजी रु0 135.57 करोड़ है। पिकप का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिकीकरण हेतु मध्यम एवं वृहद उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना था। पिकप द्वारा कुल 1100 इकाईयों को रू0 1420.00 करोड़ का आवधिक ऋण वितरण किया गया।

पिकप द्वारों 864 इकाईयों से रू0 1219.00 करोड़ की वसूली की जा चुकी है अर्थात निगम द्वारा स्थापना वर्ष से सहायतित इकाइयों को वितरित ऋण की 86 प्रतिशत वसूली सम्पन्न हो चुकी है। शेष 236 इकाइयों से रु0 201.00 करोड़ मूल धनराशि की वसूली हेतु समग्र प्रयास किये जा रहे हैं, जिसमें निगम द्वारा अक्रियाशील सम्पत्ति (एन0पी0ए0) में कमी की जा सके। वर्ष 2002 से नये ऋणों की स्वीकृति को स्थगित कर दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं विकास हेतु निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र एवं सहायतित क्षेत्र में 17 इकाइयाँ भारत के प्रतिष्ठित विभिन्न औद्योगिक घरानों जैसे टाटा, बिरला, गोयनका एवं भारतीयाज ग्रुप इत्यादि के साथ मिलकर संयुक्त रूप से भी उद्योग स्थापित किये गये। पिकप द्वारा शासन को अब तक रु0 10.52 करोड़ का लाभांश दिया गया है। निगम द्वारा वर्तमान में प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित करने हेतु नोडल एजेन्सी के रुप में राज्य की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वर्तमान में पिकप द्वारा राज्य सरकार के अभिकर्ता (Nodal Agency) के रूप में पिकप की उपलब्धियाँ

कोविड-19 महामारी के परिपेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछडे क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020

- उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक 06 मेगा परियोजना को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किये जा चुके है, जिसमें लगभग रु0 2232.51 करोड़ पूंजी निवेश एवं 2112 जनशक्ति हेतु रोजगार सृजन प्रस्तावित है।

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत नोडल संस्था का कार्य

- राज्य सरकार द्वारा घोषित निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर 6 द्वारा प्रदेश में व्यापक निवेश को आकर्षित किये जाने के प्रयोजन से वित्तीय प्रोत्साहन घोषित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत जारी नियमावली दिनांक 25.10.2017 को प्रख्यापित की गयी है जिसमें लघु, मध्यम, वृहद एवं मेगा श्रेणियों के औद्योगिक उपकमों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने हेतु पिकप को नोडल संस्था नामित किया गया है।
- उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक लघु एवं मध्यम श्रेणी की 164 परियोजनाओं द्वारा लगभग रू0 1400.00 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है जिसमें से 70 परियोजनाओं को एल0ओ0सी0 जारी किया जा चुका है।
- उक्त योजना के अन्तर्गत में अब तक 23 वृहद श्रेणी की परियोजनाओं को एल0ओ0सी0 जारी किया जा चुका है जिसमें निवेश रू0 1132.09 करोड तथा 4359 का रोजगार सृजन प्रस्तावित है।
- उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक 23 मेगा/मेगा प्लस/सुपर मेगा परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किये जा चुके हैं जिसमें लगभग कुल रू0 9975.92 करोड़ का निवेश तथा 14787 जनशक्ति हेतु रोजगार सृजन प्रस्तावित हैं।

उ०प्र० अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अर्न्तगत मेगा परियोजना

- मेगा परियोजनाओं का तात्पर्य रु0 200 करोड़ अथवा उससे अधिक पूँजी निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों से है जो अपने सम्बन्धित क्षेत्र में एंकर इकाई का कार्य करती है वृहद स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराती है तथा अपने क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देती है।
- उक्त योजना के अन्तर्गत में 16 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किये गये हैं जिसमें लगभग कुल रू0 16035.45 करोड़ का निवेश तथा 97523 का रोजगार सृजन प्रस्तावित हैं।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक इस योजनान्तर्गत 16 परियोजनाओं में से 07 परियोजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं, जिनके द्वारा लगभग रु0 7092.00 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका. है। 05 पात्र इकाइयों को रू0 1104.23 करोड़ (2017-18 से 2020-21 तक की अवधि) की धनराशि विभिन्न सुविधाओं के रूप में वितरित की गई है।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012

- इस योजना के अन्तर्गत अब तक विगत 05 वर्षों में 25 इकाइयों के 53 प्रस्तावों को रू0 493.62 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-**2012**

- इस योजना के अन्तर्गत अब तक विगत 05 वर्षों में 5 इकाइयों के 13 प्रस्तावों को रू0 6.47 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-**2003**

- इस योजना के अन्तर्गत अब तक विगत 05 वर्षो में 15 इकाइयों के 42 प्रस्तावों को रू0 318.47 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

यदि विगत **05** वित्तीय वर्षों में निगम को हानि हुई हो तो हानि के कारणों सहित उसका पूरा विवरण :

विगत पांच वित्तीय वर्षों में निगम को हुयी हानि के कारणों का विवरणः

विगत 5 वर्षों में निगम की लाभ हानि की स्थिति प्रस्तर 4 में दी में दी गयी सारणी पर उपलब्ध है। विगत 5 वर्षों में से मात्र 2 वर्षों में हानि हुई है जबकि 3 वर्षों में लाभ की स्थिति रही। वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यतः मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बांड के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु रु0 13.12 करोड़ का प्रावधान आई0डी0बी0आई0 को किये जाने के कारण हानि हुई। वित्तीय वर्ष 2019-20 के कुल व्यय में निवेश के बाजार मूल्य में ह्रास (रु0 3.03 करोड़) तथा महालेखाकार द्वारा इंगित किये गये ए0आर0ओ0 पर प्रोविजन (रु0 1.35 करोड़) सम्मिलित किये जाने के कारण हानि हुई। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में निवेशित शेयरों के विनिवेश तथा राज्य सरकार की योजनाओं के संचालन के फलस्वरूप प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति से प्राप्त राशि से लाभ हुआ है तथा इसी प्रकार का प्रदर्शन आगामी वर्षों में भी संभावित है।

निगम के वर्तमान कार्यकम तथा उसकी भावी योजनाओं का परिचय।

1. एकमुश्त समाधान योजना-**2020**

   पिकप द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्त पोषित इकाईयों से बकाया देयों की वसूली से एक संशोधित एकमुश्त समाधान योजना-2020 लागू की गयी जो कि दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2020 की अवधि में प्रभावी थी। उक्त योजना के अंतर्गत कुल 17 इकाईयों से बकाया देयों के एकमुश्त समाधान हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से रू0 6.38 करोड़ के 02 प्रस्ताव निस्तारित किये जा चुके हैं तथा लगभग रू0 33.00 करोड़ के शेष 15 प्रस्ताव निगम स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

2. पिकप की वित्त पोषित इकाईयों की अधिग्रहीत परिसंपत्तियों का विक्रय

   पिकप द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्त पोषित इकाईयों की अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के विक्रय की प्रकिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से में0एम0एस0टी0सी0 (भारत सरकार का उपक्रम) के ई-टेंडर कम ई-आक्शन के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में पिकप द्वारा वित्त पोषित अक्रियाशील सम्पत्तियों से बकाया देयों की वसूली तथा राज्य सरकार की निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में किया जा रहा है।

- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003
- रु0 100.00 करोड़ एवं उससे अधिक पूँजी निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों से सम्बन्धित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना--2006
- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012
- पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012
- उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मेगा परियोजना के कियान्वयन हेतु नोडल संस्था का कार्य।
- अद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्सहान नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत नोडल संस्था का कार्य।
- कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020

प्रदेश के सर्वागीण औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को मूर्त रूप देने में सतत योगदान प्रदान करने हेतु पिकप कृत संकल्प है। राज्य सरकार की उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश को देश के औद्योगिक रूप से विकसित प्रदेशों की अग्रणी पंक्ति में स्थापित करने में पिकप द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया जा रहा है।

उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

उ0प्र0 एक्सप्रेसटेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का गठन औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-4246/77-4-07-94भा0/07टी0सी0 दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 द्वारा "उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 4976' की धारा 3 के अधीन "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण' (यूपीडा) का गठन किया गया था। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु किया गया है। तत्पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार 08 अन्य एक्सप्रेसवे के परियोजनाओं के सम्बन्ध तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता तलाशने सहित आवश्यकतानुसार एक्सप्रेसवे के स्वामित्व एवं पी0पी0पी0 आधार पर क्रियान्वयन हेतु परामर्शी चयन, विकासकर्ता चयन सहित अन्य समस्त कार्यवाही हेतु यूपीडा को अधिकृत किया गया था। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' को पी0पी0पी0 के बी0ओ0टी0 टोल पद्धति के स्थान पर इन्जीनियरिंग प्राक्योरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्शन

(ई0पी0सी0) पर विकसित करने हेतु निर्णय लिये गये हैं। अतः शासन द्वारा जारी उक्त अधिसूचना द्वारा यूपीडा को एक्सप्रेसवे परियोजनाओं हेतु अधिकृत किया गया है। यूपीडा द्वारा महत्वपूर्ण परियोजनाएं

शासन द्वारा यूपीडा को निम्नलिखित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया है:-

1. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना
2. पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना
3. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना
4. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना
5. बलिया लिंक एक्सप्रेसवे .
6. गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
7. डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना

यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का विवरणः-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना

जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई होते हुये लखनऊ तक पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित (06 लेन एक्सपेण्डबेल टू 08 लेन) एक्सप्रेसवे लम्बाई - 302.222 किमी0 का निर्माण पूर्ण हो, चुका है। इस परियोजना की भूमि सहित कुल लागत रू0 14937.64 करोड़ है। एक्सप्रेसवे के सम्पूर्ण रेल उपरगामी सेतु एवं दीर्घ सेतु को छोड़ते हुये) लम्बाई में स्टैगर्ड सणवस रोड एवं दोनों ओर दो-दो स्थलों पर विश्राम गृह, पेट्रोल पम्प, सणवस सेन्टर एवं भोजनालय आदि की सुविधा उपलब्ध है। एक्सप्रेसवे पर दिनांक 19.04.2018 की मध्यरात्रि से टोल कलेक्शन प्रारम्भ है आपातकाल में वायु सेना के विमानों हेतु जनपद उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी विकसित की गयी है। एक्सप्रेसवे वर्तमान में आम जन-मानस के यातायात हेतु उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना हेतु पूँजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक- 5054-03-337-03-24 के अन्तर्गत बल रू0 16000.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 8437.00 लाख परियोजना के निर्माणकर्ताओं के तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्यों में व्यय किया गया है।

अतः इस परियोजना हेतु पूंजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054--03-337-03-24 के अन्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये रू0 41358.00 लाख धनराशि की मांग की गयी है।

पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना

पूर्वांचल के पिछड़े हुये जनपदों के समग्र विकास हेतु जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ एवं मऊ होते हुये जनपद गाजीपुर तक पूर्णतः प्रवेश नियत्रित (06 लेन एक्सपेण्डबेल टू 08 लेन) एक्सप्रेसवे, कुलः लम्बाई- 340.824 किमी0 का निर्माण कार्य प्रगति में है। इस परियोजना की भूमि सहित कुल अनुमानित लागत रू0 22496.93 करोड़ है। एक्सप्रेसवे के सम्पूर्ण लम्बाई में (रेल उपरगामी सेतु एवं दीर्घ सेतु को छोड़ते हुये) स्टैगर्ड रूप से सर्विस रोड भी निर्माणाधीन है। आपातकाल में वायु सेना के विमानों हेतु जनपद सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी विकसित की जा रही है।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास हेतु जनपद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया एवं इटावा होते हुये आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे तक पूर्णतः प्रवेश नियत्रित 04 लेन एक्सप्रेसवे की कुल लम्बाई-296.264 किमी0 का निर्माण प्रस्तावित है। इंस परियोजना की भूमि सहित कुल अनुमानित लागत रू0 144709.7 करोड़ है। एक्सप्रेसवे के सम्पूर्ण (रेल उपरगामी सेतु एवं दीर्घ सेतु की कुल लम्बाई को छोड़कर) लम्बाई में स्टैगर्ड सणवस रोड का प्रावधान प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह जनवरी, 2027 तक 40 प्रतिशत से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना को समय से पूर्ण करना लक्षित है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना

जनपद गोरखपुर, सन्त कबीरनगर, आजमगढ़ एवं अम्बेडकरनगर होते हुये निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्संप्रेसवे तक पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित 04 लेन एक्सप्रेसवे की कुल लम्बाई-94.352 किमी0 का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की भूमि सहित कुल अनुमानित लागत रू0 5938.08 करोड़ है। एक्सप्रेसवे के सम्पूर्ण (दीर्घ सेतु की कुल लम्बाई को छोड़कर) लम्बाई में स्टैगर्ड सर्विस रोड का प्रावधान प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह जनवरी, 202। तक 8 प्रतिशत से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना को समय से पूर्ण करना लक्षित है।

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

उ0प्र0 सरकार द्वारा जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण का निर्णय लिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ-बुलन्दशहर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334) पर जनपद-मेरठ के बिजौली ग्राम के समीप से प्रारम्भ होगा एवं प्रयागराज बाइपास (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19) पर जनपद प्रयागराज के जुडापुरं दाँदू ग्राम के समीप समाप्त होगा। एक्सप्रेसवे से जनपद मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज आच्छादित होंगे एवं 529 ग्राम प्रभावित होंगे। एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु लगभग 7800

हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। गंगा एक्सप्रेस पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित (06 लेन एक्सपेण्डबेल टू 08 लेन) एक्सप्रेसवे, कुल - 594 किमी0 का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की भूमि सहित कुल अनुमानित लागत रू0 3640 करोड़ है। एक्सप्रेसवे के सम्पूर्ण लम्बाई में (रेल उपरगामी सेतु एवं दीर्घ सेतु को. छोड़ते हुये) स्टैगर्ड सणवस रोड का प्रावधान प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे की लागत डी0पी0आर0 शासन को उपलब्ध करा दी गई है। इसका परीक्षण परियोजना संरचना एवं मूल्यांकन विभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा मूल्यांकन किया जाना है।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना हेतु पूँजीगत परिव्यय. के लेखाशीर्षक 5054--03-337-08-24 के अंतर्गत धनराशि रू0 15000.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर के नोड अलीगढ़, कानपुर, झांसी के आधारभूत आवश्यकताओं यथा सड़क, बिजली, पानी, बाउण्ड्री आदि हेतु धनराशि तात्कालिक आवश्यकतानुसार शासन से मांग की गयी है।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम-1976 के अन्तर्गत संस्थापित नोएडा (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की सीना में उत्तर में एन0एच0-24, पश्चिम में यमुना नदी एवं पूर्व में हिण्डन नदी से बंधे हुए क्षेत्र में नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (नौएडा) का सृजन किया गया था, जोकि आज एक सुनियोजित एकीकृत एवं आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, जो अपने बहुआयामी विकास की ओर निरन्तर प्रगतिरत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 8 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए लगभग 20,346.00 हेक्टेयर (203.46 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्रफल पर विकास की रूप रेखा निर्धारित करने के लिए वर्ष 2031 तक के लिए महायोजना तैयार की गयी है। नौएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य का औद्योगिक क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति का परिचायक है।

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ग्रेटर नोएडा)

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अधीन वर्ष 1994 में किया गया, जिसमें तहसील सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर के 75 गाँव तथा तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के 49 गाँव अधिसूचित किए गए थे। इस प्रकार ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वास्तुशिल्प एवं अभियन्त्रिकी की आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप ग्रेटर नोएडा का विकास किया जा रहा है औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ यहां आवश्यक सुविधाओं, व्यवसायिक क्षेत्रों, व्यापार केन्द्रों, कार्यालयों, सेकेन्ड्री स्कूलों,-तकनीकी एवं तकनीकी एवं प्राविधिक संस्थानों, अस्पतालों और चिकित्सा सेवा सुविधाओं तथा मनोरंजन के क्षेत्रों

का एक आधुनिक एवं व्यापक भूल ढाचा भी उपलब्ध होगा। क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु भूमि अर्जन कर वाहय एवं आन्तरिक सडकों का निर्माण एवं जल निकासी पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, मल निकासी एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट की स्थापना, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, उद्यानों का विकास एवं पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण आदि प्राधिकरण के मुख्य कार्यक्रम है। समस्त नगरीय मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण का कार्य प्राधिकरण की मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित है। इस क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश उप क्षेत्रीय योजना 2021 के प्रावधानों के अनुरूप किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण(2001-2011) में लगभग 8500 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। महायोजना 2021 के अनुसार वर्ष 2021 तक कुल 22255 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है। महायोजना 2021 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 7 लाख तथा महायोजना 2024 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 12 लाख होगी जिसमें क्षेत्र में पडनें वाले ग्रामों की आबादी भी सम्मिलित है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण की उपलिब्धयों एवं परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 की धारा 3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 697 /77-4-2001-3(एन)/2001 दिनाक 24.04.2001 के माध्यम से की गयी। गठन के समय प्राधिकरण का नाम ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकांस प्राधिकरण था जिसे अधिसूचना संख्या 465-08-65एन / 08 दिनाक 14.07.2008 द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया।
- वर्ष-2007 में यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
- यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना पी0पी0पी0 मॉडल पर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लम्बाई में 06 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण बिल्ड, ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ. टी.) परियोजना के अन्तर्गत जेपी इन्फ्राटेक लिए द्वारा कराया गया है, जिस पर वर्तमान मे आवागमन जारी है।
- इस एक्सप्रेसवे में 6 स्थानों पर इन्टरचेनज (जीरो प्वाइन्ट, जेवर, टप्पल, मथुरा, सादाबाद रोड तथा आगरा) बनाये गये हैं। एक्सप्रेसवे के तीन स्थानों (जेवर, मथुरा व आगरा) पर टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है।
- जनपद अलीगढ़ एवं मथुरा में दो अर्बन सेन्टर (टप्पल-बाजना एवं राया) की महायोजनाओं पर उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। राया अर्बन सेन्टर में हेरिटेज सिटी के विकास तथा टप्पल बाजना सेन्टर में लॉजिस्टिक विकास हेतु फिजिबिल्टी व डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने हेतु ई-निविदा आंमत्रित की गयी है।

- जनपद हाथरस एवं आगरा के अधिसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित अर्बन नोड की महायोजना तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर है।
- अधिसूचित क्षेत्रान्तगत आने वाले 06 जनपदों में कुल 12030 हे0 भूमि अर्जन/ आपसी सहमति से क्रय/पुर्नग्रहण, हस्तांतरण द्वारा प्राप्त की गई है।

उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, कानपुर (यू०पी०एस०आई०डी०सी०)

निगम का अम्युदय एवं उद्देश्यः-

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना वर्ष 1964 में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु की गई थी। निगम की अधिकृत पूँजी रु0 4000 लाख एवं चुकता पूँजी रु0 2407.54 लाख है, जिसमें सम्पूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश सरकार का है। निगम अपने स्थापना के वर्ष से ही निरन्तर लाभ अर्जित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस निगम को शासन द्वारा औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। निगम द्वारा प्रमुख रूप से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) का संविलियन उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में अधिसूचना संख्या 1285,/79-वी-4--8-2(क) 8-2048 दिनांक 27.06.2018 के द्वारा प्रभावी हो गया है।

निगम/प्राधिकरण द्वारा प्रमुख रूप से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास व अवस्थापना सुविधाओं हेतु निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने का कार्य किया जा रहा है । निगम प्रदेश के तीव्र, सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए मुख्य रूप से निम्न कार्यों को सम्पादित कर रहा हैः-

1. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एकीकृत औद्योगिक नगरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करके औद्योगिक एवं अन्य सम्बन्धित उपयोगों हेतु भूखण्ड/भवन उपलब्ध कराना।
2. औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं इसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए नोडल संस्था के रूप में कार्य करना।
3. सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक संस्थानों के लिए निर्माण कार्य संचय आधार पर सम्पादित करना।
4. बड़े उद्योगों /अवस्थापना परियोजनाओं हेतु भूमिअधिग्रहण।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

आगामी वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

1. गीडा क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना अन्य प्रयोजनों हेतु ग्राम भीटी रावत, हरैया कानूनगों, कालेसर, बडगहन, पिपरा, एकला, रावतपार, झुगिया, मल्हीपुर आदि एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा विकास हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। जिस पर

लगभग रू0 25000.00 लाख व्यय होना प्रस्तावित है।

2. आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 19055.30 लाख धनराशि के भूखण्डों के आवंटन से आय प्रस्तावित है।

3. गोरखपुर-लखनऊ राजमार्ग तथा सोनौली-कुशीनगर मार्गों को जोड़ने वाले बाइपास के-जंक्शन (जीरो प्वाइन्ट) पर 200.00 एकड़ भूमि क्रय की जा रही है, जिस पर एक-वाणिज्यिक/ आवासीय योजना विकसित की जानी प्रस्तावित है। कंसल्टेन्ट मैसर्स जे0एल0एल0 द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। योजना पर रू0 300.00 करोड़ का व्यय सम्भावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 30.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

4. गीडा के सेक्टर 26 में भीटी रावत में 200.00 एकड़ भूमि क्रय की जा रही है। इस भूमि पर मैसर्स आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा प्लान्ट लगाये जाने में रुचि प्रदर्शित की जा रही है। इस योजना पर लगभग रू0 30.00 करोड़ का व्यय 2021-22 में प्रस्तावित है।

5. कालेसर के समीप सेक्टर-13-15 में 200.00 एकड़ भूमि पर विकास कार्य -चल रहा है, जिसमें रू0 40.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

6. कामन इलुएंट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (सी.ई.टी.पी.) की स्थापना हेतु 76 करोड़ की योजना पर नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा (एन.एम.सी.जी.) वित्तीय सहभागिता हेतु प्रस्ताव भारत सरकार में भेजा गया है, जिसपर वित्तीय वर्ष 202-22 में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

7. भारत सरकार द्वारा गीडा में प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति दे दी गई है, जिसपर कंसल्टेन्ट चयन की कार्यवाही चल रही है। इस योजना में भारत सरकार से रू0 40. 00 करोड़ की सहायता प्रदान की जानी है।

8. गीडा क्षेत्र में स्वच्छता एवं अवस्थापना सुविधाओं के उन्नयन हेतु रू0 25.00 करोड़ का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-22 में अनुमानित है।

9. ग्राम भीटी रावत सेक्टर-26 में औद्योगिक योजना के भूखण्डों के विकास हेतु 33/11 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की जानी है। जिसकी लागत 15.00 करोड़ है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन

भूमिका

उ0प्र0 प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की दृष्टि से औद्योगिक विकास हेतु अत्यन्त संभावनाशील प्रदेश है। प्रदेश की विशाल जनसंख्या जहाँ एक ओर कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराती है वहीं दूसरी ओर एक विशाल बाजार भी उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने हेतु अवसर प्रदान कराती है। ऐसे में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग द्वारा प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाने एवं इस प्रकार व्यापक पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन करते हुए प्रदेश की विशाल जनसंख्या का जीवन स्तर सम्मुनत करने के दृष्टिकोण से लघु उद्योग विभाग की स्थापना की गई जो कि अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के नाम से जाना जा रहा है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के परिणामस्वरूप निरन्तर परिवर्तित हो रहे परिदृश्य में समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भूमिका का विशेष महत्त्व हो गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जहाँ एक ओर कम पूंजी एवं कम स्थान में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करते हुए उद्यम स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय दृष्टि से भी अधिक अनुकूल होते हैं। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी एवं बहुआयामी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।

विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रोत्साहनात्मक औद्योगिक वातावरण का सृजन करते हुए उद्यमियों को उद्यम स्थापना से लेकर उत्पादों के विपणन/निर्यात तक हर संभव सहायता प्रदान करना है। प्रदेश में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के अधीन "उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अतिरिक्त मण्डलीय स्तर पर परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय तथा जिला स्तर पर "जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र" स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों के विकास तथा हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रोत्साहन में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो आदि की भी प्रमुख भूमिका है, जो प्रदेश में लघु उद्योग के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने हेतु सतत् प्रयत्नशील हैं।

वर्तमान में विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास, हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रोत्साहन एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना से संबंधित समस्त कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से जिला स्तर पर कार्ययोजनाओं का प्रचार-प्रसार, सम्बन्धित योजनाओं में पात्र अभ्यर्थियों का चयन, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, बैंक ऋण स्वीकृत कराना, प्रोजेक्ट स्थापित कराना, प्रोजेक्ट में आ रही समस्याओं के निदान तथा इकाईयों द्वारा किये गये उत्पादन के समुचित विपणन में सहयोग प्रदान करना इत्यादि कार्यों का निस्तारण किया जाता है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र का वरिष्ठतम अधिकारी उपायुक्त उद्योग होता है, जिसके अधीन सुचारू-रूप से कार्य संचालन हेतु सहायक आयुक्त उद्योग अपर सांख्यकीय अधिकारी एवं सहायक प्रबन्धक आदि कार्यरत हैं।

प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा "उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017" लागू की गयी है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु अनेक प्रावधान किये गये हैं तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थपना की प्रकिया को सरल करने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं सरलीकरण) अधिनियम-2020 लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय एवं निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 द्वारा क्रियान्वित की जा रही अधिकांश विकास योजनाओं एवं स्वरोजगार परक योजनाओं को ऑन लाइन किया गया, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ी है एवं उद्यमियों को बिना किसी रुकावट के सरलता से उद्यम स्थापना में विशेष मदद मिल रही है।

भारत सरकार की गर्वनमेन्ट ई-मार्केट प्लेस योजना (जेम पोर्टल) को विभाग द्वारा अंगीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश को सरकारी विभागों में देश में सबसे अधिक जेम पोर्टल पर क्रय किये जाने पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। अब सरकारी विभागों के लिये जेम पोर्टल पर मौजूद उत्पादों का क्रय अनिवार्य हो गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्त्वपर्ण स्थान है। उद्यमों के त्वरित विकास हेतु विभाग द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण, औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का उच्चीकरण, त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एकल मेज व्यवस्था योजना आदि उल्लेखनीय हैं।

उपरोक्त व्यवस्था के फलस्वरूप प्रदेश में लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास में आशातीत प्रगति हुई है और अब इनके द्वारा आधुनिक वस्तुयें जैसे- इलेक्ट्रॉनिक एवं इन्जीनियरिंग उपकरण खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी आदि पर आधारित उद्योगों का भी विकास हो रहा है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना की प्रगति

वर्ष	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना	पूंजी विनियोजन (रु० करोड में)	रोजगार सृजन
2018-19	122007	12850.870	709260
2019-20	160448	16911.95	935161
2020-21 (30-06-2020 तक)	67060	8313.42	509603

मध्यम उद्यमों की स्थापना की प्रगति

वर्ष	मध्यम उद्यमों की स्थापना	पूंजी विनियोजन (रु० करोड में)	रोजगार सृजन
2018-19	588	3483.33	48954
2019-20	1862	3760.99	51548
2020-21 (30-06-2020 तक)	299	1449.09	20031

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के उद्यमियों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में अपनी इकाईयां उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता के उच्चीकरण हेतु भारत सरकार के परिपत्र संख्या टी.एम./यू.एन.डी. 2005 दिनांक 14.03.2006 के द्वारा किया गया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्लस्टर विकास योजना का शुभारम्भ किया।

सामान्य सुविधा केन्द्र (सी0एफ0सी0) की स्थापना- सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता की मंशा पर आधारित इस योजना में उद्यमों के उत्पाद तकनीकी के उच्चीकरण, कच्चा माल बैक, प्रशिक्षण एवं उत्पाद प्रदर्शन हेतु स्थापित सी0एफ0सी0 की परियोजना लागत अधिकतम रु0 2000 लाख हो सकती है। परियोजना लागत में भारत सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत, शेष अंशदान राज्य सरकार एव स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस0पी0वी0) का होता है। (यदि क्लस्टर पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्य या 50 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म/ग्रामीण/महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की इकाईयां हों तो भारत सरकार का अनुदान 80 प्रतिशत होगा) परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त उसका संचालन एस0पी0वी0 द्वारा किया जाता है

एम.एस.एम.ई. पोर्टल का विकास

वर्तमान युग में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के कारण विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है एवं आम जनमानस इस संचार व सूचना विज्ञान आधारित दुनिया में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुत अधिक आश्रित हो गया है, इन परिस्थितियों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी वर्तमान

युग के अनुरूप अपने को ढालने की नितान्त आवश्यकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्वरोजगारियों व हस्तशिल्पियों को बहुआयामी योजनाओं व व्यवस्थाओं का लाभ सुलभता से प्रदान करना अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। उद्यमियों एवं हस्तशिल्पियों की इन आवश्यकताओं की संपूर्ति हेतु विभाग सदैव प्रयत्नशील रहा है।

इसी क्रम में उद्यमियों व हस्तशिल्पियों हेतु यूपीडेस्को के माध्यम से विकसित यूजर फ्रेन्डली विभागीय पोर्टल यूपीएमएसएमईडॉटइन व यूपीडीईडॉटइन यूआरएल पर उपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त उद्यमियों व हस्तशिल्पियों को और अधिक सशक्त माध्यम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बेनीफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम, औद्योगिक अवस्थापनाओं संबंधी विवरणों को सुलभता से उपलब्ध कराये जाने जैसे अवयवों के माड्यूलों का विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से कराया जा रहा है। एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल के इन माड्यूल को परीक्षण के तौर पर डीआईयूपीएमएसएमईडॉटइन यूपीएसडीसीडॉटजीओवीडॉटइन पर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के अनुप्रयोग हेतु सुलभ भी करा दिया गया है। इन कार्यों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु संगणकीय अवस्थापनाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग की लाभार्थीपरक महत्त्वपूर्ण योजनायें यथा- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओ.डी.ओ.पी. मार्जिन मनी, ओ.डी.ओ.पी. टूल किट योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना इत्यादि के माड्यूल आवेदकों हेतु एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर सुलभ कराया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपलब्ध बजट रु0 5.00 लाख से विभागीय पोर्टलों को अद्यावधिक कराये जाने के कार्यो एवं एनआईसी द्वारा विकसित कराये जा रहे माड्यूलों संबंधी कार्यों तत्संबंधी अनुषांगिक संगणकीय उपकरणों हेतु किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पोर्टल के अनुरक्षण विकसित किये जा रहे हैं अन्य माड्यूलों पर तकनीकी कार्यों हेतु तथा अन्य अनुषांगिक तकनीकी कार्यों एवं उपकरणों हेतु रु0 35.00 लाख धनराशि प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या-16/2017/686/8-2-2017-30(9)/2015, दिनांक 28.09.2017 द्वारा उ0प्र0 के सूक्ष्म, लघु उद्यमों को बढ़ावा देने एवं प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" संचालित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रु0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों तथा सेवा क्षेत्र की रु0 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु0 06.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु0 02.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। आवेदक उ0प्र0 का मूल निवासी, उसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक तथा योग्यता हाईस्कूल एवं किसी बैंक वित्तीय संरथान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना (नई योजना)

योजनान्तर्गत प्रदेश में देश के अन्य प्रदेशों से वापस आये कामगारों/श्रमिकों को स्वरोजगार युक्त बनाने व प्रदेश में कार्यरत औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों में रोजगार हेतु प्रोत्साहन सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। ऐसे प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की जो किसी विधा यथा- इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, दर्जी, ड्राइवर, बुनाई, रंगाई इत्यादि में स्किल्ड हैं एवं अपना स्वतः रोजगार करने के लिये इच्छुक है ऐसे कामगारों/श्रमिकों को स्वरोजगार इकाई/परियोजनायें स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत उद्यम सेवा व्यवसाय स्थापित करने हेतु रु0 50.00 लाख तक की इकाई/परियोजनाओं की स्थापना करायी जायेगी। योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं सभी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां अनुमन्य होंगी।

योजना के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत का 70 प्रतिशत बैंक ऋण एवं 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान (राज्य सरकार द्वारा देय) तथा 05 प्रतिशत अंश कामगारों/श्रमिकों को स्वयं जमा करना है।

योजना में सभी प्रवासी कामगार/श्रमिक पात्र होंगे, जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष तक तथा योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण एवं किसी बैंक/वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

योजना के अन्तर्गत प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को जिलों के उद्योगों, सेवा व निर्माण गतिविधियों में सेवा योजित किये जाने हेतु इकाइयों को अकुशल श्रेणी के कामगार को न्यूनतम रु0 10000/- के वेतन पर रु0 2000/- प्रति श्रमिक एवं कुशल श्रेणी के कामगार हेतु रु0 10,000/- से अधिक वेतन दिये जाने पर रु0 1000/- प्रति श्रमिक की दर से सहायता राशि सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

योजना को वर्ष 2021-22 में क्रियान्वित कराये जाने हेतु रु0 10000.00 लाख का बजट प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-**2017**

प्रदेश का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की संख्या की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान रखता है एवं प्रति वर्ष लाखों रोजगार के अवसर सृजित करता है। प्रदेश के समग्र विकास एवं रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एम0एस0एम0ई0 इकाइयों हेतु प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं यथा- स्टैम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति, पूँजीगत ब्याज उपादान, अवस्थापना ब्याज उपादान, गुणवत्ता विकास ब्याज उपादान, नेट जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति आदि के माध्यम से इकाइयों को वित्तीय अनुदान/लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को प्रश्नगत लाभ 5 वर्षों तक उपलब्ध कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु0 1000.00 लाख की माँग प्रस्तावित की जा रही है।

एक जनपद एक उत्पाद

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उद्देश्य

योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्पी इकाईयों के माध्यम से प्रदेश के समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापर्वूक उत्पादन एवं विपणन हेतु वित्त पोषण, कौशल विकास, उत्पादन पद्धति/तकनीक/डिजाइन में सुधार, अवस्थापना एवं विपणन सुविधाओं का विकास, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेलो/प्रदर्शनियों में भागीदारी आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाना।

योजना का औचित्य

भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय विविधता तथा परम्परागत कला कौशल के कारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उत्पाद राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पहले से ही लोकप्रिय है। प्रदेश का लगभग प्रत्येक जनपद एक विशिष्ट उत्पाद के उत्पादन हेतु जाना जाता है परन्तु स्किल्ड मैन पॉवर, आधुनिक तकनीकी, पूँजी, उत्पादन एवं विषणन से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं आदि की कमी के कारण प्रदेश में प्रचुरता से उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है। अतः आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराते हुए प्रदेश का औद्योगिक-विकास तथा रोजगार सृजन को गति प्रदान करते हुए सतत एवं समावेशी विकास किया जा रहा है।

हस्तकला विकास हेतु योजनाओं का विवरण

हस्तशिल्प उद्योग

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार सफलताएं एवं सम्भावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण अपने हस्तशिल्प उद्योगों में विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्यतः बनारसी शिल्प में ब्रोकड, भदोही व मिर्जापुर में कालीन, लखनऊ में चिकन तथा आगरा का कलात्मक संगमरमर का सामान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र, फिरोजाबाद में कलात्मक काँच की वस्तुयें एवं काँच की चूड़ियां तथा सहारनपुर में नक्काशीदार लकडी का सामान आदि की मांग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 45 प्रतिशत से अधिक है। राज्य सरकार ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अनवरत रूप से प्रयत्नशील है।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 के प्रस्तर 7.10.1 के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारम्परिक कारीगरों के विकास हेतु "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पारम्परिक कारीगर जैसे- बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जायेगा। इस कार्य के परम्परागत कारीगरों को कौशल वृद्धि करके तथा उन्नत किस्म के टूल किट उपलब्ध कराते हुये उनके वित्त पोषण की भी व्यवस्था की जायेगी।

योजना के निम्न घटक हैः

क. कौशल वृद्धि प्रशिक्षणः- योजना के इस घटक में पारम्परिक कारीगरों की कौशल वृद्धि हेतु उन्हें उ0प्र0 कौशल मिशन के आरपीएल से जहाँ सम्भव हो सकेगा, जोड़ा जायेगा तथा इससे अतिरिक्त ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु मास्टर, काफ्ट्समैन द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। इस योजनान्तर्गत आच्छादित पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को उद्यम के आधार पर एक साप्ताहिक कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क एवं आवासीय होगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को श्रम विभाग द्वारा जारी अर्धकुशल श्रमिक के मजदूरी के आधार पर मानदेय देय होगा। वर्तमान में श्रम विभाग द्वारा जारी अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी रु0 250/- प्रतिदिन है, जो प्रशिक्षुओं को प्रतिदिन की दर से मानदेय प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रु0 700/- तथा प्रशिक्षणार्थियों के खान-पान की व्यवस्था हेतु रु0 300/- प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन की दर से कुल रु0 1000/- का भुगतान किया जायगा। प्रशिक्षणोंपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। प्रशिक्षक, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षार्थी के रहने का प्रबंध एवं प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण संस्थान इसी प्रदत्त राशि से करेगा। प्रशिक्षण संस्थान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान करेगा।

औद्योंगिक आस्थान योजना

औद्योंगिक आस्थान योजनान्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योगों के विकास हेतु प्रारम्भिक अवस्थापना आवश्यकता हेतु दीर्घकालिक 15 वर्षों की आसान किश्तों पर भूखण्ड/शेड उपलब्ध कराये जाते हैं। औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक आस्थान योजना का शुभारम्भ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। औद्योगिक आस्थान योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए इच्छुक उद्यमियो को भूखण्ड एवं शेडों के साथ-साथ उनमें आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को सुसज्जित कर उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश के औद्योगिकीरण एवं महत्ता के परिप्रेक्ष्य में इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों का विकास ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में किया गया है।

वृहद औद्योगिक आस्थान- प्रदेश में 1960 के दशक से 57 जनपदों में 78 स्थानों पर औद्योगिक आस्थान स्थापित/विकसित किये गये हैं, जिनमें 985 शेड और 3651 भूखण्ड विकसित है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 960 शेड एवं 3596 भूखण्ड आवंटित हैं। कतिपय भूखण्डों को विभागीय कार्यालय एवं अन्य प्रयोजन के उपयोग में आने के फलस्वरूप वर्तमान में 19 शेड एवं 41 भूखण्ड रिक्त हैं। शेडों की कीमत 15 वर्षों के आसान किश्तों पर हायर परचेज अनुबन्ध के साथ लिया जाता है तथा भूखण्डों को 99 वर्ष हेतु 15 वर्ष की आसान किश्तों पर लीज पर उद्यमियों को आवंटित किया जाता है। उद्यमियों को उद्यम स्थापनार्थ वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण हेतु शेड/भूखण्ड की लीज डीड को जमानत के रूप में बंधक रखने के लिए प्रथम चार्ज वित्तीय संस्थाओं को देने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाती है।

मिनी औद्योगिक आस्थान- प्रदेश में वर्ष 1985 से 1992 में मध्य छोटे-छोटे सूक्ष्म स्तरीय लघु उद्योगों को विकास खण्ड/तहसील स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए 60 जनपदों में 175 मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित/विकसित किये गये। प्रत्येक मिनी औद्योगिक आस्थान का औसत क्षेत्रगल 2.5 एकड़ है तथा छोटे-छोटे भूखण्ड 50-200 वर्ग मी0 तक के भूखण्ड विकसित हुए हैं जिसमें से प्रदेश सरकार की अन्य जिला स्तरीय योजनाओं (यथा- मा0 कांशीराम आवास योजना, तहसील भवन, एफ0सी0आई0 गोदाम आदि) में हस्तान्तरण के फलस्वरूप वर्तमान में 160 मिनी औद्योगिक आस्थानों में 7957 भूखण्ड उपलब्ध हैं जिसके सापेक्ष 6383 भूखण्ड आवंटित हैं एवं कतिपय भूखण्डों को विभागीय कार्यालय एवं अन्य प्रयोजन के उपयोग में आने के फलस्वरुप 1527 भूखण्ड रिक्त हैं तथा यह भी इंगित करना है कि किसी भी मिनी औद्योगिक आस्थान में शेडों का निर्माण नहीं है।

औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं को उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की योजना

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि औद्योगिक आस्थानों में प्रारम्भ में विकसित की गयी अवस्थापना सुविधाएं (सड़क, सम्पर्क मार्ग, जल निकास, पुलिया, विद्युत फीडर एवं विद्युत लाइन) अत्यन्त क्षीण/जर्जर अवस्था में हो जाने के कारण विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के युग में औद्योगिक आस्थानों में स्थापित लघु उद्यमियों को अपनी इकाई को सुचारु रूप से चलाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की नितान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा "औद्योगिक आस्थानों की अवस्थापना सविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण" की योजनान्तर्गत वर्ष 2007-2008 से प्रत्येक वर्ष धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

जिला उद्योग केन्द्र योजना

जिला उद्योग केन्द्र योजना का शुभारम्भ वर्ष 1978-79 में किया गया है। इस योजना का प्रारम्भ निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है।

1. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करके रोजगार का अधिकाधिक सृजन एवं औद्योगीकरण की गति में अधिक तीव्रता लाना।
2. उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को एक ही छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
3. लघु एवं छोटे उद्योगों के विकास के लिए अवस्थापना का प्रबन्धन, तकनीकी उद्यमिता विकास तथा सर्वेक्षण करना।
4. लघु उद्यमियों की विभिन्न स्तरों पर अनुमतियाँ/स्वीकृतियाँ शीघ्र जारी कराने के उद्देश्य से जिला उद्योग बन्धु की स्थापना प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति को कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गयी, जिन्हें अब जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के नाम से जाना जाता है। इन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों में लघु उद्योगों के अस्थायी/स्थाई पंजीकरण भूमि एवं भवन, कच्चा माल, मशीन यंत्र, उपकरण संयत्र तकनीकी मार्गदर्शन ऋण एवं

विद्युत आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र का वरिष्ठतम अधिकारी उपायुक्त उद्योग होता है, जिसके अधीन सुचारु रूप से कार्य संचालन हेतु सहायक आयुक्त उद्योग आदि कार्यरत हैं। तहसील/ब्लाक स्तर पर उद्यमियों को जानकारी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सहायक प्रबन्धक कार्यरत हैं।

जिला उद्योग केन्द्र योजना का शुभारम्भ भारत सरकार की सहायता से किया गया था जिसे प्रदेश सरकार द्वारा पुनः परीक्षण कराकर महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर प्रत्येक जनपद में 30 पद रखे जाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के 75 जिलों में से अब तक प्रदेश के पुराने 48 जनपदों में यह पैटर्न लागू है, जिसमें उपायुक्त उद्योग तथा 9 सहायक प्रबंधकों को सम्मिलित करते हुये 30 अधिकारी एवं कर्मचारी हैं।

आयोजनेत्तर पक्ष के 23 जनपदों- कानपुर देहात, महोबा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र फिरोजाबाद, मऊ, भदोही, कुशीनगर, कौशाम्बी, हाथरस, गौतमबुद्ध नगर, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, चंदौली, ज्योतिबाफूले नगर. अम्बेदकर नगर, कन्नौज, बागपत, औरैया, सन्तकबीर नगर, तथा कासगंज में अभी महाराष्ट्र पैटर्न लागू नहीं हुआ है। शासन द्वारा अमेठी, हापुड़, शामली एवं सम्भल 04 नये जनपदों का गठन किया गया है। इन जनपदों में अभी जिला उद्योग केन्द्र स्थापित नहीं हैं। जिनकी स्थापना हेतु प्रयास जारी हैं ताकि इन जनपदों में भी औद्यौगीकरण में तीव्रता लाई जा सके।

जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत मुख्यालय एवं जिला स्तर एवं जिला उद्योग केन्द्र योजना में संविलीन योजनाओं में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं भरे पदों की सूचना निम्नवत् है-

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास को गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उन्हें स्वरोजगार युक्त बनाये जाने के दृष्टिकोण से यह योजना संचालित की जा रही है।

औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने तथा उनके सुगमतापूर्वक संचालन के लिए उद्यमियों को सभी प्रकार की जानकारी हो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योग के करने हेतु प्रेरित किया जाता है। यह योजना जिला स्तर पर चलायी जा रही है। योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों का सम्पादन उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से तथा प्रशिक्षणदायी संस्था उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ द्वारा कराया जाता रहा है।

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो

विभाग के अभ्युदय, विकास तथा उनके मूलभूत उद्देश्यों से सम्बन्धित विवरण

प्रदेश से निर्यात में वृद्धि एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्यातकों को

उनके द्वारा किये जा रहे निर्यात से संबंधित कार्यों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार के अधीनस्थ विभिन्न विभागों से होने वाली कठिनाइयों/समस्यों के निराकरण एवं सम्बन्धित विभागों के मध्य आपसी सामंजस्य बनाने तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो का गठन प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1999 में किया गया।

विभागीय पदों का विवरण

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों में निर्यात आयुक्त एवं अपर निर्यात आयुक्त के एक-एक पद (कुल दो पद) सृजित किये गये तथा इन पदों पर वर्तमान में प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन एवं विशेष सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन क्रमशः पदेन निर्यात आयुक्त एवं अपर निर्यात आयुक्त के रूप में तैनात है। निर्यात आयुक्त एवं अपर निर्यात आयुक्त को सौपें गये दायित्वों के निर्वहन हेतु वर्तमान में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों में उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यलयों से सम्बद्धता के आधार पर अधिकारियो/कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। उक्त के अतिरिक्त कम्प्यूटर आपरेटर एवं अनुसेवकों की सेवाएं संविदा के आधार पर प्राप्त की जा रही है। अभी शीघ्र ही शासन के पत्रांक 247 दिनांक 14 मार्च 2017 द्वारा कुल 18 पदों का सृजन निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों हेतु किया गया है।

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों द्वारा संचालित योजनाओं के विवरण

राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्यात एवं प्रोत्साहन ब्यूरों द्वारा "त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना", वायुयान, भाड़ायुक्तिकरण योजना तथा निर्यात सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं एवं अन्य क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्य के सहायता (एसाइड योजना) एवं उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना (यू.पी.ई.आई.डी.एस.) संचालित की जा रही है।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को सचिवालय की मुख्य सचिव शाखा में एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्थापित किया किया गया है। कालांतार में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की संख्या में वृद्धि के साथ उनके प्रबन्धन में व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं अधिक लचीलापन लाने के उद्देश्य से सचिवालय से पृथक ब्यूरो को एक तकनीकी शाखा के रूप में सार्वजनिक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को निदेशालय का स्तर प्रदान किया गया।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों एवं उनके प्रशासनिक विभागों के लिये तकनीकी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा है तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो /विभाग द्वारा कोई विकास योजनायें आदि संचालित नहीं की जाती हैं।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा उपक्रमों /निगमों के कार्य निष्पादन का त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए ब्यूरो द्वारा उपक्रम विशेष के कार्यकलापों के अनुरूप रूपपत्रों का निर्धारण किया गया है।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में आने वाले उपक्रमों /निगमों द्वारा प्रेषित वित्तीय परिणामों के आधार पर फ्लेश रिर्पोट तैयार करना, वित्त आयोग तथा योजना आयोग से सम्बन्धित कार्य, निगमों/उपक्रमों के अवशेष लेखों के अनुश्रवण इत्यादि का कार्य किया जाता है।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में मंहगाई भत्ता दिये जाने के प्रकरणों पर सार्वजनिक उद्यम विभाग स्तर पर गठित अधिकृत समिति द्वारा निगमों से प्राप्त प्रस्तावों पर बैठकें कराकर निर्णय लिए गये।
2. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित कार्मिक, वित्तीय एवं विधिक प्रकरणों पर निगमों के प्रशासनिक विभाग से प्राप्त पत्रावलियों पर शासन को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया गया।
3. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा कार्यरत 40 उपक्रमों/निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम के आधार पर फ्लैश रिजल्ट्स का संकलन कर प्राप्त सूचना का विश्लेषण एवं संहतीकरण इसके आधार पर संहत वित्तीय स्थिति बनायी गयी।
4. सार्वजनिक उपक्रमों की आहूत संचालक मण्डल की बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग लेकर विभागीय नीतियों/शासनादेशों को दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित किया गया।
5. सार्वजनिक उद्यम विभाग के स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा विभिन्न निगमों/उपक्रमों के उच्च अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के चयन की कार्यवाही करायी गयी।

6. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में ससमय प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया गया।
7. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा व अनुश्रवण किया गया।
8. सूचना के अधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों में सूचना उपलब्ध करायी गयी।
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) स्थापित है। विधान मण्डल स्तर पर गठित सार्वजनिक उपक्रम/निगम की संयुक्त समिति द्वारा आयोजित बैठकों में समिति को सहयोग प्रदान किया गया।

●

भूतत्व एवं खनिकर्म

भूमिका

विभाग का अभ्युदय, विकास तथा उसके मूलभूत उद्देश्य

प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख घटक खनिज संसाधनों की खोज एवं उनके व्यावसायिक स्तर के खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योग की स्थापना हेतु शोध व अन्वेषण कार्य के निष्पादन के लिए वर्ष 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1963 में इस निदेशालय को खनिजों एवं उप खनिजों के विकास व दोहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु खनन प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 1984 में निदेशालय में अभियांत्रिकी भू-विज्ञान से सम्बंधित अध्ययन तथा सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया, जिससे कि क्षेत्रीय विकास में त्वरित गति से हो रहे निर्माण कार्यों के होने के फलस्वरूप पर्यावरण को होने वाली सम्भावित क्षति के कारणों का अध्ययन करके उसे न्यूनतम स्तर तक बनाये रखा जा सके। खनिज सेक्टर में खनिज विकास के बढ़ते कार्यकलापों को उचित मार्गदर्शन करने हेतु वर्ष 1985 में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को खनिज सेक्टर का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। वर्ष 1998 में पहली बार खनिजों के संतुलित विकास एवं खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु खनिज नीति घोषित की गयी और उसका समय-समय पर मूल्यांकन भी किया जा रहा है। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण सूचनाएं निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त इच्छुक उद्यमियों को आवश्यकतानुसार खनिज आधारित उद्योग की स्थापना हेतु निदेशालय/शासन स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। विगत वर्षों में निदेशालय के भूवैज्ञानिकों द्वारा खोजे गये खनिजों के भण्डारों में से जनपद सोनमद्र के रामगढ़-नौड़िहा क्षेत्र में 13.5 मि0 टन चाइना क्ले के भण्डार को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स पर तथा जनपद चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में 50 मि0 टन पोटाशयुक्त ग्लूकोनिटिक सैण्डस्टोन के भण्डार को रिकोनेन्सा परमिट/प्रास्पेक्टिंग लाइसेन्स पर स्वीकृत किया गया है।

निदेशालय द्वारा विगत वर्षों में संचालित खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के फलस्वरूप जनपद सोनमद्र में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन लगभग 70 मिलियन टन, डोलोमाईट 21 मि0टन, चाइनाक्ले 3.5 मि0 टन, सिलिमिनाइट 9.8 मि0टन, स्वर्ण 646 किलोग्राम, जनपद प्रयागराज में 15.00 मि0टन सिलिका सैण्ड, जनपद ललितपुर एवं झाँसी में पाइरोफिलाइट-डायस्पोर 0.50 मि0टन, राकफास्फेट 5.1 मि0 टन, लौह-अयस्क 100 मि0टन, एस्बेस्टस 0.3 मि0टन, सैण्डस्टोन के 608 एकड़ क्षेत्र, ग्रेनाइट 4849.19 लाख घ0मी0 (डायमेन्शनल स्टोन) की खोज की गयी। प्रदेश

में सीमेन्ट श्रेणी के चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, ग्रेनाईट, सैण्डस्टोन/ग्रेनाइट (डायमेन्शनल स्टोन) एवं सिलिका सैण्ड के भण्डारों का व्यवसायिक स्तर पर दोहन किया जा रहा हैं, जिससे प्रदेश में उद्यमिता व रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ-साथ प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। जनपद झांसी में 45 मि0 टन क्वार्ट्ज ऑक्शन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें सिलिका की मात्रा 90-95 प्रतिशत तक प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग सिरेमिक/पाटरी/ग्लास उद्योग में किया जा सकता है, जो व्यवसायिक रूप से उपयोगी है। पत्थर उद्योग के उत्साहवर्धक उत्पादन एवं मांग होने के कारण मिर्जापुर, ललितपुर तथा सोनमद्र में अनेक कटिंग/पॉलिशिंग प्लांट स्थापित किये गये हैं, जिससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हजारों श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं एवं प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हुई। जनपद चित्रकूट में सिलिका सैण्ड के 18 ब्लाक 35.74 मि0 टन एवं जनपद प्रयागराज में सिलिका सैण्ड के 25 ब्लाक 56.271 मि0टन एवं डायमेन्शनल स्टोन के अन्तर्गत जनपद ललितपुर में सैण्डस्टोन के 13 क्षेत्र (222 एकड़) भण्डारों तथा ग्रेनाइट के 19 क्षेत्र (70 एकड़) ऑक्शनल ब्लाक हेतु उपयुक्त पाया गया, जिसके परिहार पर स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही जनपद स्तर पर की जा रही है।

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के जनपद ललितपुर के सोनरई क्षेत्र में उर्वरक उद्योग में इस्तेमाल किये जाने वाले रॉक फास्फेट के भण्डारों को भारत सरकार के उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एम0ई0सी0एल0) के सहयोग से पुनर्मूल्यांकन कर ऑक्शन योग्य ब्लाक बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे भविष्य में राजस्व वृद्धि होने की सम्भावना है।

खनिज अन्वेषण तथा खनिज प्रशासन सम्बन्धी कार्यों हेतु निदेशालय द्वारा डिजिटल टोपोशीट एवं हाई रिजोलूशन के सैटेलाइट डाटा का क्रय कर निदेशालय स्थित रिमोट सेसिंग प्रयोगशाला में भूवैज्ञानिकों द्वारा नदी तल में बालू /मौरम के नवीन जमाव को चिन्हित कर पूर्व से संचालित उपखनिजों के खनन पट्टों के अतिरिक्त नवीन क्षेत्र चिन्हित कर भू-मानचित्र पर अंकित कर ई-ऑक्शन से सम्बन्धित कार्य जनपद स्तर पर किया जा रहा है, जिससे उपखनिजों की उपलब्धता के साथ स्थानीय रोजगार एवं राजस्व में वृद्धि होगी। इसके कल जनपद सोनमद्र में कोयले के भण्डारों का दोहन भारत सरकार के संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य

खनिज अन्वेषण

प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नये खनिज भण्डारों की खोज एवं उपयुक्त खनिज भण्डारों का सिद्धीकरण किया जाता है।

खनन प्रशासन

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधनों की खोज एवं खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु शोध/अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। खनन

प्रशासन के अन्तर्गत यह विभाग प्रदेश के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों में से एक है। खनिज राजस्व एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के 12 ज़नपदों को खनिज बाहुल्य जनपदों के रूप में चिन्हित किया गया है।

खनन प्रशासन के अन्तर्गत खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-1957, खनिज परिहार नियमावली 1960, उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली-1963 एवं उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 आदि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ख़निजों के वैज्ञानिक ढंग से दोहन किये जाने के लिये परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्षेत्र की उपलब्धता, उपयुक्तता पर टिप्पणी सहित तकनीकी संस्तुतियां जिलाधिकारी, शासन को उपलब्ध करायी जाती है। खनिज परिहार पर स्वीकृत क्षेत्रों में हो रहे खनन कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर खानों को विनियमित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है, ताकि खनिज क्षेत्र का समुचित विकास हो सके एवं खनिजों के खनन से प्रदेश को अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। वर्तमान में 09 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 31 क्वेरी कार्यालयों के माध्यम से खनिज क्षेत्रों को परिहार पर स्वीकृत कराये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य 44 जनपदों में भी निदेशालय के प्राविधिक कर्मचारियों को तैनात कर जिलाधिकारियों को खनन परिहार हेतु तकनीकी मार्गदर्शन/प्राविधिक आख्या/संस्तुति प्रदान की जाती है।

खनन प्रशासन के अन्तर्गत मुख्य खान अधिकारी का 01 पद है। ज्येष्ठ खान अधिकारी के 05 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 05 पद भरे हैं। खान अधिकारी के 32 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 27 पद भरे हैं। खान निरीक्षक के कुल 75 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 39 पद भरे हैं। खनिज मोहर्रिर के 150 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 42 पद भरे हैं। वरिष्ठ लिपिक (खनिज) के 05 पद हैं, जिसमें से 04 पद भरे हैं। खान पर्यवेक्षक के 05 पद स्वीकृत हैं, जो सभी भरे हैं। चपरासी के 150 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 34 पद भरे हैं। इन पदों पर नियुक्ति होने के उपरान्त खनन प्रशासन का कार्य और अधिक गति से सम्पादित कराया जा सकेगा।

प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उपखनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। खनिज राजस्व के मद में गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 2177.49 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक रु0 2061.43 करोड का राजस्व प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक सघन प्रवर्तन के फलस्वरूप रु0 60.73 करोड़ की प्राप्ति हुयी है।

जनहित की समस्याओं को दृष्टिगत् रखते हुये शासन द्वारा साधारण मिट्टी के उपयोग हेतु मिट्टी की रॉयल्टी को शून्य कर दिया गया है। नदी के किनारे स्थित किसानों की भूमि पर बाढ़ के कारण बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर या इनमें से जो भी मिली-जुली अवस्था में हो, के एकत्रित हो जाने से उनकी भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है। ऐसी भूमि से उक्त उपखनिज हटाकर खेत को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिये, किसानों के पक्ष में तीन माह की अवधि के लिये अनुज्ञा-पत्र

स्वीकृत करने के प्रावधान नियमावली 1963 में शामिल किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 में अधिसूचना दिनांक 13.08.2019 द्वारा किये गये 47 वें संशोधन के अन्तर्गत शासनादेश सं0-2025/86-2019-57(सा0)/ 2017, दिनांक 30 अगस्त, 2019 द्वारा निजी भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिज व शासनादेश सं0-2026/86-2019-57(सा0)/ 2017, दिनांक 30 अगस्त, 2019 द्वारा नदी तल स्थित निजी भूमि में मिश्रित अथवा अलग-अलग उपलब्ध उपखनिज मौरम/बालू/बजरी/बोल्डर के रिक्त क्षेत्रों को ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में एक दिशा-निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किए गये हैं।

अन्वेषण सत्र 2020-21 में निम्न 07 अन्वेषण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं कार्यक्रम एवं उनका विवरणः-

क्रम सं.	अन्वेषण कार्यक्रम	अन्वेषण क्षेत्र	अन्वेषण चरण (यू.एन.एफ.सी. के अनुसार)	उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	जनपद ललितपुर के सोल्दा एवं उल्दना क्षेत्र में लौह धातु खनिजीकरण हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम	सोल्दा एवं उल्दना क्षेत्र जनपद ललितपुर	जी-4 चरण	क्षेत्रीय सत्र 2017-18 में सोल्दा एवं उल्दना क्षेत्र में लौह अयस्क की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्य प्रारम्भ किया गया। सत्र 2019-20 1:5000 के पैमाने पर 1.02 वर्ग किमी. में भूवैज्ञानिक मानचित्रण, 104.5 घन मी० ट्रेंचिंग/ पिटिंग एवं कुल 310 नमूने एकत्र करने का कार्य किया गया। सोल्दा व सोनरई क्षेत्र में चिन्हित दो लौह अयस्क युक्त जोन का सर्वेक्षण व भूवैज्ञानिक मानचित्रण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो क्रमशः 20-60 मी० चौड़ी, 500 मी० लम्बाई व 15-40 मी० चौड़ी, 400 मी० लम्बाई में विद्यमान है। सतही व पिट नमूनों के रसायनिक परिणाम दर्शाते हैं कि उपरोक्त जोन में आयरन आक्साइड़ की मात्रा क्रमशः 65% से 93.14% व 61% से 70% है।
2.	जनपद ललितपुर के सोनरई क्षेत्र में रॉक फास्फेट के भण्डारों के विस्तार की खोज हेतु विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम	सोनरई टोरी क्षेत्र जनपद-ललितपुर	जी-3 चरण	क्षेत्रीय सत्र 2019-20 में उर्वरक मिनरल रॉक फास्फेट के विस्तार की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम के दौरान 1:1.000 पर 0.5 वर्ग किमी० भूवैज्ञानिक मानचित्रण, 207 मी^{3} ट्रेंचिगं. 96 मी० वेधन कार्य एवं लगभग 302 नमूने रसायनिक विश्लेषण हेतु एकत्र किये गये। अब तक प्राप्त रसायनिक विश्लेषण के परिणामों के अनुसार खनिज में फास्फोरस पेन्टा ऑक्साइड की मात्रा 13.19 प्रतिशत तक पायी गयी। उक्त क्षेत्र के पश्चिमी भाग में भारत सरकार के उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन द्वारा भारत सरकार के एन.एम.ई.टी. फन्डिंग के माध्यम से ऑक्शन योग्य ब्लाक बनाने के लिये के जी-3 लेवल का अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है।

क्रम सं.	अन्वेषण कार्यक्रम	अन्वेषण क्षेत्र	अन्वेषण चरण (यू. एन.एफ.सी. के अनुसार)	उपलब्धि
1	2	3	4	5
3.	जनपद ललितपुर में पिपरिया क्षेत्र ग्रेनेटिक काम्पलेक्स में प्लेटिनम समूह की धातुओं की खोज हेतु प्ररम्भिक अन्वेषण सम्बन्धी कार्य।	पिपरिया क्षेत्र-जनपद-ललितपुर	जी-4 चरण	क्षेत्रीय सत्र 2019-2020 में पिपरिया क्षेत्र में प्लेटिनम समूह की धातुओं की खोज हेतु अन्वेषण कार्य आरम्भ किया गया। क्षेत्र की चट्टानों का सर्वेक्षण कर 1:12500 के पैमानें पर 20 वर्ग किमी० मानचित्र, 95 घन मी० ट्रेचिंग व 86 नमूने एकत्र करने का कार्य किया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।
4.	जनपद ललितपुर के मथुरा डंग क्षेत्र में बेराईट धातु की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम	मथुरा डंग क्षेत्र जनपद-ललितपुर	जी-4 चरण	क्षेत्रीय सत्र 2019-20 में क्षेत्र की चट्टानों का सर्वेक्षण कर 1:12500 के पैमानें पर 60 वर्ग किमी०, मानचित्र, 28 घन मी० ट्रेचिंग व 37 नमूने एकत्र करने का कार्य किया गया है। क्षेत्र में एक फिट तक बेराइट की वेन पायी गयी है। रसायनिक विश्लेषणों में बेरियम ऑक्साइड की मात्रा 59.56 प्रतिशत तक पायी गयी है। शेष कार्य प्रगति पर है।
5.	जनपद महोबा एवं बाँदा में खण्डा, मिट्टी, बोल्डर की परित्यक्त खदानों में उपलब्ध उपखनिज का पुनर्मूल्यांकन एवं नये क्षेत्रों के चिन्हीकरण सम्बन्धी कार्य	जनपद महोबा	जी-4 चरण	वर्ष 2019-20 में जनपद महोबा में खण्डा, गिट्टी एवं बोल्डर के सम्भावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में अन्वेषण कार्य किया गया। जनपद महोबा में 04 नये खनन क्षेत्र (लगभग 29.5 हेक्टेयर) चिन्हित करते हुये आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त क्षेत्रों को परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु अन्वेषण रिपोर्ट जनपद को प्रेषित कर दी गयी है। शेष कार्य प्रगति पर है।

क्रम सं.	अन्वेषण कार्यक्रम	अन्वेषण क्षेत्र	अन्वेषण चरण (यू. एन.एफ.सी. के अनुसार)	उपलब्धि
1	2	3	4	5
6.	जनपद झांसी, ललितपुर व महोबा में डायमेन्शनल ग्रेनाईट व सैण्डस्टोन के क्षेत्रों की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम	जनपद झांसी, ललितपुर व महोबा	जी-4 चरण	डायमेन्शनल ग्रेनाईट व सैण्डस्टोन के नये क्षेत्रों को चिन्हित करने हेतु प्रथम चरण में सत्र 2017-18 जनपद ललितपुर में प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम आरम्भ किया गया। अन्वेषण सत्र 2019-20 में जनपद ललितपुर में 12 क्षेत्र (81.28 हेक्टेयर), डायमेन्शनल स्टोन एवं 06 क्षेत्र (94.03 हेक्टेयर) खण्डा, गिट्टी हेतु चिन्हित किया गया, उक्त क्षेत्रों को परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु अन्वेषण रिपोर्ट जनपद को प्रेषित कर दी गयी है। वर्तमान में जनपद झाँसी में अन्वेषण कार्य प्रारम्भ किया गया।
7.	जनपद प्रयागराज एवं चित्रकूट में उपलब्ध सिलिका सैण्ड के नये क्षेत्रों के प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम	जनपद प्रयागराज एवं चित्रकूट	जी-4 चरण	राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रयी परिषद् की 45वीं बैठक में अनुमोदन के उपरान्त कार्यालय आदेश संख्या 1822/ ख०अ० (71) 45वी/2019-20 दिनांक 25/11/2020 के क्रम में क्षेत्रीय सत्र 2020-21 में अन्वेषण कार्यक्रम आरम्भ किया गया।

(2) विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित कार्यक्रमः

वित्तीय वर्ष 2020-21 **में विभाग द्वारा खनिजअन्वेषण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित** 07 **अन्वेषण कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिन्हें राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रयी परिषद के अनुमोदन के उपरान्त वर्ष** 2021-22 **में भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है।**

1. **जनपद ललितपुर के सोल्वा एवं उत्दना क्षेत्र में लौह धातु खनिजीकरण हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।**

2. जनपद ललितपुर के सोनरई, टोरी एवं पिसनारी क्षेत्र मुें रॉक फास्फेट के भण्डार के पुनर्मूल्यांकन हेतु अन्वेषण कार्यक्रम।
3. जनपद ललितपुर में पिपरिया क्षेत्र के ग्रेनेटिक काम्पलेक्स में प्लेटिनम समूह की धातुओं की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण सम्बन्धी कार्य।
4. जनपद ललितपुर के मथुरा डंग क्षेत्र में बेराईट धातु की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
5. जनपद महोबा एवं बांदा में खण्डा, गिट्टी, बोल्डर की परित्यक्त खदानों में उपलब्ध उपखनिज का पुनर्मूल्यांकन एवं आस-पास के क्षेत्रों में नये क्षेत्रों के चिन्हीकरण सम्बन्धी कार्य।
6. जनपद ललितपुर व झाँसी में डायमेन्शलन ग्रेनाइट व सैण्डस्टोन के क्षेत्रों की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्य।
7. जनपद प्रयागराज एवं चित्रकूट में उपलब्ध सिलिका सैण्ड के नये क्षेत्रों के प्रारम्भिक अन्वेषण कार्य।

निदेशालय में स्थापित यूनिफाइड रेवेन्यू कमाण्ड सेंटर द्वारा आरएफआईडी चेकगेट्स, वेबिज व माइन टैगस के माध्यम से वाहनों पर लगातार अवैध खनन तथा अवैध परिवहन का साफ्टवेयर के माध्यम से सीधी निगरानी का कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश के रिक्त बालू, मौरम तथा गिट्टी के क्षेत्रों का व्यवस्थापन ऑनलाइन एम0एस0टी0सी0 के माध्यम से ई-टेण्डर सह ई-नीलामी के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत सफलतापूर्वक किया जा रहा है। उपखनिजों यथा बालू, मौरम तथा गिट्टी का परिवहन ई-एम0एम0 11 के माध यम से किया जा रहा है। प्रदेश के खनिज संसाधनों की उपलब्धता की सूचनायें जनसामान्य तथा उद्यमियों के लिये विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है।

●

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

प्रस्तावना

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा वर्तमान में बाजार की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा एवं तकनीकी विकास के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये ऐसे नीतियां और कार्यक्रम क्रियान्वित करने की योजना है, जिससे इस उद्योग में कार्यरत बुनकरों को सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन और तकनीकी सुविधा प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग के अन्तर्गत संचालित/प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण योजनायें निम्नवत हैं:-

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा 12वी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है यह पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार की योजना है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न उप-घटक सम्मिलित हैं:

(i) क्लस्टर विकास
(ii) विपणन प्रोत्साहन
(iii) हथकरघा विपणन सहायता (जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनियों का आयोजन)

(i) क्लस्टर विकास कार्यकम

इस उप-घटक में ब्लाक स्तर पर हथकरघा बुनकरों को सम्मिलित कर क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 03 क्लस्टर, इसके अतिरिक्त वाराणसी मेगा हैण्डलूम क्लस्टर योजनान्तर्गत 10 क्लस्टर के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2016-17 में 22 क्लस्टर, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 09 क्लस्टर, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1 क्लस्टर एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में 03 क्लस्टरों का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत क्लस्टर प्रदेश के विभिन्न जनपदों जैसे- कानपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, अलीगढ़, आगरा, हापुड़, चन्दौली, वाराणसी, बरेली, आजमगढ़, गाजीपुर, ललितपुर, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, मऊ और अमरोह में संचालित हैं।

(ii) विपणन प्रोत्साहन

विपणन प्रोत्साहन उप-घटक के लाभ के लिये प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति,

शीर्ष बुनकर सहकारी समिति एवं राष्ट्रीय हथकरघा संगठन आदि को विगत तीन वर्षों के औसत बिक्री कारोबार का 10 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन देय होगा। इसमे भारत सरकार का अंश 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अश 50 प्रतिशत का होगा।

(iii) हथकरघा विपणन सहायता (मार्केटिंग प्रमोशन)

हथकरघा विपणन सहायता योजना केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत हथकरघा समितियों/संस्थाओं को उनके उत्पादों की बिकी हेतु स्थल उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले, प्रदर्शनी लगाने हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

2. संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना

हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने एवं बुनकरों में प्रतिस्पर्धा लाने तथा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करने के लिये योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत परिक्षेत्र स्तरीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के लिये नगद पुरस्कार के साथ शील्ड, अंगवस्त्रम, प्रमाण-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है। परिक्षेत्रीय स्तर पर कुल 39 पुरस्कार में प्रथम श्रेणी के 13 बुनकरों को रु0 20,000.00 प्रति बुनकर, द्वितीय श्रेणी के 13 बुनकरों को रु0 15,000.00 प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के 13 बुनकरों को रु0 10,000.00 प्रति बुनकर तथा राज्य स्तर पर चयनित कुल 12 बुनकरों को प्रथम श्रेणी के 4 बुनकरों को रु0 1,00,000.00 प्रति बुनकर द्वितीय श्रेणी के 4 बुनकरों को रु0 50,000.00 प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के 4 बुनकरों को रु 0 25,000.00 प्रति बुनकरों को पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजनान्तर्गत रु0 19.85 लाख (रुपया उन्नीस लाख पच्चासी हजार मात्र) की बजट व्यवस्था कराने का प्रस्ताव है।

3. हथकरघा क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों को सहायता

योजनान्तर्गत भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में अध्ययनरत त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षार्थियों हेतु प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को 50:50 के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि देय होती है। जिसमें राज्यांश के रूप में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए रु0 500.00 प्रति छात्र, द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए रु0 550.00 प्रति छात्र एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए रु0 600.00 प्रति छात्र की दर से 10 माह (जुलाई से अप्रैल) के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में वस्त्र उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स हेतु उ0प्र0 के छात्र-छात्राओं हेतु 45 सीट निर्धारित हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृत्तीय वर्ष के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु कुल रु0 7.19 लाख (रु0 सात लाख उन्नीस हजार रुपये मात्र) के बजट का प्रस्ताव है।

4. पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति

वर्ष 2006 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसमें शहरी क्षेत्र के बुनकरों द्वारा रु0 130.00 रु0 प्रति लूम एवं ग्रामीण क्षेत्र के बुनकरों द्वारा रु0 37.50 प्रति लूम दिया जा रहा है। वर्तमान में विद्युत दुरुपयोग की शिकायत मिलने एवं बुनकरों की मांग के अनुरूप नई योजना प्रस्तावित है जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। योजना का क्रियान्वयन हथकरघा विभाग द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के समन्वय से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से धनराशि रु0 15000.00 लाख (रुपये एक अरब पचास करोड़ मात्र) के बजट की स्वीकृत प्राप्त हुई है। स्वीकृत धनराशि रु0 15000.00 लाख (रुपये एक अरब पचास करोड़ मात्र) को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को हस्तगत कराई जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत रु0 25000.00 लाख (रुपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) का प्रस्ताव है।

5. हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से हथकरघा बुनकरों को पावरलूम बुनकरों की भांति विद्युत सब्सिडी उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। योजनान्तर्गत बुनकरों को रु0 328/- प्रतिमाह एवं रु0 3936/- वार्षिक की दर से विद्युत बिलों में छूट प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रु0 500.00 लाख का बजट प्रावधान कराया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12703 हथकरघा बुनकरों को विद्युत दरों में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति हथकरघा बुनकर बिजली कनेक्शन रु0 3936/- वार्षिक के अनुसार रु0 4,99,99,008.00 (रुपये चार करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार आठ मात्र) के बजट की आवश्यकता होगी। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत रु0 500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ मात्र) के बजट का प्रस्ताव हैं।

6. मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना

हथकरघा बुनकर भारतीय समाज की परम्परागत कला एवं संस्कृति की विरासत को संरक्षित रखने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हथकरघा बुनकरों का पलायन रोकने, कला एवं संस्कृति को संरक्षित रखने एवं इस कला के विलुप्त होने से बचाने हेतु यह आवश्यक है कि हथकरघा बुनकरों को राज्य सरकार से विशेष सुविधा प्रदान कर उनके पलायन को रोका जाये, ताकि वे हथकरघा व्यवसाय में लगे रहकर अपना जीवनोपार्जन कर सकें। साथ ही साथ हथकरघा बुनकर पूरे जीवन काल में मेहनत कर भारतीय संस्कृति, परम्परा एवं कला को संरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। जिसके लिये सरकार की तरफ से हथकरघा बुनकरों को सम्मान प्रदान करना आवश्यक है। हथकरघा बुनकरों की दयनीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने एवं उन्हें सम्मान देने हेतु ऐसे हथकरघा बुनकर ही पात्र होंगे, जिनकी न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो, किन्तु अधिकतम आयु

का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा अर्थात चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक इस सम्मान हेतु वे अधिकृत होंगे। योजनान्तर्गत रु0 500.00 प्रति बुनकर प्रतिमाह देय है। योजना की गाइडलाइन्स अनुमोदन हेतु प्रकियाधीन है। योजना की गाइडलाइन्स अनुमोदन की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री हथकरधा बुनकर सम्मान योजनान्तर्गत धनराशि रु0 0.01 लाख (रु0 एक हजार मात्र) के टोकन बजट का प्रस्ताव है।

7. मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक एवं उच्चीकृत पावरलूम में परिवर्तित कर उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु संचालित की गई है। योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकरों को निम्नलिखित मदों में लाभान्वित कराया जायेगा। 1. आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, 2. कार्यशाला का निर्माण, 3. उच्चीकृत पावरलूम की स्थापना जिसमें 60 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत बुनकर अंश एवं 20 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में वहन किये जाने का प्रस्ताव है तथा इन सीटू अपग्रेडेशन स्कीम फार प्लेन पावरलूम योजना में सामान्य श्रेणी के बुनकरों के लिये 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के बुनकरों के लिये 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश दिया जाना प्रस्तावित है। योजना की गाइडलाइन्स का अनुमोदन शासन से अपेक्षित है। योजना की गाइडलाइन्स का अनुमोदन की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 रु0 0.01 लाख (रुपये एक हजार मात्र) के टोकन बजट का प्रस्ताव है।

8. धुनकरों को विद्युत कर में छूट की प्रतिपूर्ति

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से पावरलूम बुनकरों की भांति प्रदेश के धुनकरों को विद्युत दर में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत धनराशि रु0 100.00 लाख का बजट प्रावधान कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत धनराशि रु0 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र) के बजट का प्रस्ताव है।

9. उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना

योजनान्तर्गत पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/विविधीकृत वस्त्र उद्योग यथा- कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाइयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्ष तक प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु0 1 करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग की इकाईयों पर यह उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम 1.00 करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु0 50.00 लाख होगी। वित्तीय वर्ष 2012-22 में उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजनान्तर्गत रु0 500.00 लाख (रुपये पाँच करोड़ मात्र) का बजट प्रस्ताव है।

10. उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम रेशम एवं वस्त्र नीति-2017

प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित कर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से राज्य सरकर द्वारा 'उ0प्र0 हैण्डलूम, पावर सिल्क, वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 बनायी गयी है। नीति अन्तर्गत प्रदेश की वस्त्र इकाइयों को लाभान्वित किये जाने हेतु परिक्षेत्रों के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रदेश में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/विविधीकरण करने वाले वस्त्र उद्यमियों को वित्तीय सुविधाओं एवं उपादान योजनाओं का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

11. बुनकरों को विद्युत आपूर्ति हेतु इन्डीपेन्डेन्ट फीडर की व्यवस्था

प्रदेश के पावरलूम बाहुल्य क्षेत्रों में उत्पादन कार्य विद्युत आपूर्ति पर निर्भर करता है। पावरलूम बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अनवरत न होने के कारण उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। बुनकरों के उत्पादन कार्य में कमी न होने पाये एवं विद्युत आपूर्ति अनवरत बनी रहे इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में पावरलूम बाहुल्य कस्बों में स्वतन्त्र विद्युत फीडर लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिक्षेत्रीय कार्यालयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण उक्त योजनान्तर्गत रु0 0.01 लाख (रुपये एक हजार टोकन मात्र) टोकन बजट व्यवस्था कराने का प्रस्ताव है।

12. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना

प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में तथा पूर्ण एवं आंशिक निसक्तता के मामलों में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु0 342.00 है।

जिसमें बुनकर का अंश रु0 80.00, भारत सरकार का अंश रु0 162.00 तथा एल0आई0सी0 (सामाजिक सुरक्षा निधि) का अंश रु0 100.00 सम्मिलित है एवं महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना में प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु0 470.00 है। जिसमें बुनकर का अंश रु0 80.00, भारत सरकार का अंश रु0 290.00 तथा एल0आई0सी0 (सामाजिक सुरक्षा निधि) का अंश रु0 100.00 सम्मिलित है।

अतिरिक्त लाभ

इस योजना के तहत लाभार्थी के 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक अध्ययनरत अधिकतम 02 बच्चों के लिए 100/- रु0 प्रति बच्चे के आधार पर छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर-2019 तक कुल 6040 हथकरघा बुनकरों को आच्छादित कर लाभान्वित कराया गया है।

13. पावरलूम कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

पावरलूम कामगारों को स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा समूह बीमा योजना पावरलूम क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के लिए लागू की गई है जिसमें 18 से 50 वर्ष तक की उम्र के प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु0 342.00 है। जिसमें बुनकर का अंश रु0 80.00 भारत सरकार का अंश रु0 162.00 तथा एल0आई0सी0 (सामाजिक सुरक्षा निधि) का अंश रु0 100.00 सम्मिलित है एवं 51 से 60 वर्ष तक की उम्र के प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु0 470.00 हैं। जिसमें बुनकर का अंश रु0 80.00, भारत सरकार का अंश रु0 290.00 तथा एल0आई0सी0 (सामाजिक सुरक्षा निधि) का अंश रु0 100.00 सम्मिलित है।

अतिरिक्त लाभ

इस योजना के तहत लाभार्थी के 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक अध्ययनरत अधिकतम 02 बच्चों के लिये 100/- रु0 प्रति बच्चे के आधार पर छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर-2019 तक कुल 5205 पावरलूम बुनकरों को आच्छादित कर लाभान्वित कराया गया है।

14. प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना

भारत सरकार की इस योजना में व्यक्तिगत बुनकर, मास्टर बुनकर तथा हथकरघा उद्यमी को रु0 50,000.00 (रुपया पचास हजार मात्र) से रु0 5,00,000.00 (रुपया पांच लाख मात्र) तक ऋण स्वीकृत करने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत अधिकतम 7 प्रतिशत ब्याज उपादान के साथ 6 प्रतिशत ब्याज दर पर हथकरघा बुनकरों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। मार्जिन मनी प्रोजेक्ट कास्ट का 20 प्रतिशत अधिकतम रु0 10,000/- तक देय है। बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर ऋणी बुनकर को रूपे कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। बुनकरों को सी0जी0टी0एम0एस0ई0 के माध्यम से ऋण कवर प्रदान किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से हैण्डलूम वीवर्स मुद्रा पोर्टल विकसित कराया गया है, जो 01 अप्रैल 2017 से क्रियाशील है। इस पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित बैंकों हेतु मार्जिन मनी, ब्याज उपादान एवं क्रेडिट गारंटी फीस की धनराशि की आनलाइन मांग पी0एन0बी0 से करने की व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार द्वारा धनराशि अग्रिम रूप में पंजाब नेशनल बैंक को उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत माह जनवरी-2021 तक विभिन्न बैकों द्वारा 4147 बुनकरों को धनराशि रु0 3439.84 लाख का मुद्रा ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा किए गये प्रमुख कार्य

1. उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना

योजनान्तर्गत पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/ विविधीकृत वस्त्र उद्योग यथा- कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाइयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंको/ वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्ष तक प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई

रु0 1 करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग की इकाईयों पर यह उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम 1.00 करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये वस्त्रोद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु0 50.00 लाख होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत रु0 600.00 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष रु0 436.16 लाख की वित्तीय स्वीकृत शासन से हुई हैं। प्राप्त स्वीकृत से 48 वस्त्र इकाईयों को लाभान्वित कराया जा चुका है तथा 06 वस्त्र इकाईयों को लाभान्वित कराये जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

2. पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिलों में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। योजना का क्रियान्वयन हथकरघा विभाग द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के सहयोग से बुनकरों को लाभान्वित कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से धनराशि रु0 15000.00 लाख (रुपये एक अरब पचास करोड़ मात्र) के बजट की स्वीकृत प्राप्त हुई है। स्वीकृत धनराशि रु0 15000.00 लाख (रुपये एक अरब पचास करोड़ मात्र) को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को निफ्ट के माध्यम से हस्तगत कराई जा चुकी है। जिससे लगभग 80,087 पावरलूम कनेक्शन धारक बुनकर लाभान्वित होंगे।

3. उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017

योजनान्तर्गत व्यवसायिक विषयों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे छात्र, जो कताई एवं बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट (कक्षा-11, 12) की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ऐसे 218 छात्रों को छात्रवृत्ति, 15 से 22 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति जो हथकरघा वस्त्रों की बुनाई/रंगाई/डिजाइन आदि कार्यों में बुनकर सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे 1216 सहायक कर्मियों को मानदेय, तथा 01 बुनाई प्रशिक्षण कालेज को अनुदान दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। योजनान्तर्गत वस्त्र इकाईयों के प्रस्ताव परिक्षेत्रों के माध्यम से प्राप्त हुये हैं। जिनके परिक्षण की कार्यवाही पिकप/यू0पी0एफ0सी0 के स्तर से की जा रही है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

संक्षिप्त प्राक्कथन

विभागीय योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक पक्षों में पारस्परिक सामन्जस्य स्थापित करने के उद्देश्य से विभाग के कार्यकलापों को वर्गीकृत करते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से विभिन्न परियोजनाएं/योजनाएं संचालित हैं। खादी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्र में कम पूँजी निवेश वाले छोटे-छोटे कुटीर उद्योग स्थापित कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहा है। वर्तमान सरकार की नीतियों एवं प्रतिबद्धता के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए बेरोजगार नवयुवकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं, समाज के निर्बल वर्ग के लाभार्थियों, परम्परागत कारीगरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है, तथा इसी के साथ-साथ भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भी प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन सहायता के अन्तर्गत खादी से जुड़ी कत्तिनों/कामगारों को उत्पादन के आधार पर छूट प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योगी व्यवसाय को आकर्षित करने एवं उसकी क्षमता में सुधार करने, पूंजी निवेश को आकर्षित करने तथा न्यून पूंजी निवेश से अधिकाधिक रोजगार सृजन करने, उत्पादकता, मजदूरी में वृद्धि और सामाजिक कल्याण का समुत्थान करने तथा विपणन एवं अवस्थापना का संवर्द्धन करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। इसके साथ लाभार्थियों को प्रशिक्षण एवं अन्य सहायक योजनाओं के माध्यम से भी प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग का प्रचार-प्रसार, प्रदर्शन, विपणन एवं विकास किया जा रहा है तथा प्रदेश के कुम्हारी उद्योग से सम्बन्धित समाज के लोगो को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से उ0प्र0 माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (परफार्मेन्स बजट) वर्ष 2021-2022 प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि इससे आय-व्ययक में प्राविधानित व आवंटित धनराशि के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा समतुल्य उपलब्धियां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने में सफलता प्राप्त हो सकेगी।

निदेशालय, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उत्तर प्रदेश

मूलभूत उद्देश्य

इस निदेशालय की स्थापना निम्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर की गयी :-

1. कूटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित सांख्यकीय आधार (डाटा बेस) को सुदृढ़ करना तथा इन उद्योगों हेतु नीति निर्धारण में प्रदेश शासन को आवश्यक सहयोग देना।
2. प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों के व्यापक तथा समन्वित विकास हेतु आवश्यक परियोजनाओं/योजनाओं की संरचना करना तथा कार्यान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण करना।
3. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण-वितरण करना तथा उसका सम्पूर्ण लेखा-जोखा रखना।
4. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित विभिन्न संस्थाओं, शासकीय विभागों से प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
5. अन्य कार्य जो प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित किये जायें।

गत वर्ष में किये गये प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से संबंधित सांख्यकीय आधार को सुदृढ़ बनाया गया एवं ग्रामोद्योगों की नीति हेतु प्रदेश सरकार को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।
2. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कतिपय खादी उत्पादन केद्रों/परिक्षेत्रीय कार्यालयों/जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों का निरीक्षण किया गया एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
3. खादी बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योगों के विकास हेतु वितरित धनराशि की वसूली सम्बन्धी कार्यों का अनुश्रवण किया गया।
4. खादी बोर्ड के कार्मिकों के जी0पी0एफ0 सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण कोषागार के माध्यम से कराया गया।
5. खादी बोर्ड के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण पेंशन निदेशालय एवं कोषागार के माध्यम से कराया गया।
6. प्रदेश के कुम्हारी उद्योग से सम्बन्धित समाज के लोगों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से उ0प्र0 माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है।
7. उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारियों जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्त की दिनांक को विभागीय/न्यायिक/प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, को सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों देय अनन्तिम पेंशन का भुगतान प्रक्रिया की भांति अनन्तिम पेंशन का भुगतान कोषागार से कराया गया।

विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कार्यक्रम संबंधी विवरण

1. खादी बोर्ड के कार्मिकों को कोषागारों के माध्यम से जी0पी0एफ0 का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे कार्मिकों के बैंक खातों में कराया गया।
2. कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु प्रदेश शासन द्वारा निर्गत स्वीकृतियों की धनराशियों का आहरण

वितरण करना एवं उनका लेखा-जोखा रखना।

3. खादी बोर्ड की योजनान्तर्गत वित्तपोषित इकाईयों के स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही करना।
4. खादी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण करना।
5. प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रमों का संचालन, निदेशन एवं अंकेक्षण कराना।
6. माटीकला एवं माटी शिल्पकला के कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उनके व्यवसाय में वृद्धि तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग सुगम हो सके।
7. प्रदेश में माटीकला एवं माटी शिल्पकला से नवीन पीढ़ी को जोड़ना तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत माटीकला के उत्पादों एवं दोना-पत्तल उद्योग को बढ़ावा देना।
8. कुम्हारों व दोना-पत्तल बनाने वाले कारीगरों को टूल-किट्स वितरण करना।
9. खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत सोलर चर्खा प्रशिक्षण तथा वितरण योजना का क्रियान्वयन कराना।
10. प्रदेशा शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
11. समस्त योजनाओं को ऑनलाइन क्रियान्वित कराने के साथ-साथ कार्यालय में पेपरलेस कार्यशैली लागू कराना।

उ०प्र० माटीकला बोर्ड

संक्षिप्त परिचय

औद्योगिक जगत द्वारा कच्चेमाल के रूप में माटी का प्रयोग कर मूर्तियां, खिलौने, बर्तन, कवेलू इत्यादि वस्तुएं बनाने का प्रचलन सदियों से रहा है। वर्तमान परिवेश में मिट्टी की वस्तुओं की मांग कम होने से, एक तरफ परम्परागत कारीगरों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उपस्थित है, तो दूसरी तरफ माटी की आवश्यक वस्तुओं के विकल्प के रूप में प्लास्टिक उत्पादों का प्रसार निरन्तर बढ़ रहा है, जो पर्यावरण के लिये नुकसानदायक है। इस प्राचीन कला को संरक्षित करते हुए बहुविध संवर्धित करने एवं उ0प्र0 में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने तथा स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से, प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के माटीकला एवं माटी शिल्पकला के उद्यमियों/शिल्पियों के बहुविध विकास के लिए एक स्वशासी निकाय के रूप में "उ0प्र0 माटीकला बोर्ड" का गठन उ0प्र0 शासन, ख़ादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्याः 475/59-1-2018, दिनांकः 19 जुलाई, 2018 द्वारा किया गया है।

बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य

1. माटीकला एवं माटी शिल्पकला से सम्बन्धित उद्योगों के विकास के लिए नीति तैयार करना।
2. माटीकला एवं माटी शिल्पकला के लिये मिट्टी की उपलब्धता की नीति, तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण की प्रमावी योजना बनाना।
3. माटीकला एवं माटी शिल्पकला का कार्य करने वालों को सुविधायें एवं सेवाएं उपलब्ध कराना।
4. माटीकला एवं माटी शिल्पकला के कारीगरों तथा तत्सम्बन्धी उद्योगों की समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देना।

5. रोजगार प्रदान करने हेतु कार्य करने वाली केन्द्रीय तथा प्रान्तीय संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
6. माटीकला एवं माटी शिल्पकला से नवीन पीढ़ी को जोड़ना।
7. माटीकला एवं माटी शिल्पकला का कार्य करने वाले कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिये कार्य करना।
8. माटीकला एवं माटी शिल्पकला हेतु विपणन सुविधा उपलब्ध कराना।
9. स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
10. कच्चोमाल की प्राप्ति के लिये नियमों में सरलीकरण हेतु सुझाव देना।
11. जिन्हें पट्टे आवंटित हैं उनके रिकार्ड की सूचना राजस्व विभाग से प्राप्त कर संरक्षित रखना।

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

संक्षिणत परिचय

प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास के लिए उ0प्र0 ख़ादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार परिषद के रूप में हुआ था। तदुपरान्त उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1966 (अधिनियम सं0 64 सन् 1966) द्वारा बोर्ड को खादी तथा ग्रामोद्योग की योजनाओं को क्रियान्वित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इस प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल, 1967 में उद्योग निदेशालय उ0प्रं0 से समस्त खादी व ग्रामोद्योगी योजनाएं बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयीं।

बोर्ड के उद्देश्य :- खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश वाले छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

वित्त पोषण हेतु अनुमन्य उद्योग धन्धे

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योगों को निम्न सात वर्गों में बांटा गया

1. कृषि आधारित उद्योग- खादी, मौनपालन, तेलघानी, गुड़-खाण्डसारी, अनाजदाल, जड़ी-बूटी, फल-प्रशोधन आदि।
2. खनिज आधारित उद्योग- कुम्हारी, चूना, पत्थर की वस्तुएं आदि।
3. वनाधारित उद्योग- हाथ कागज, माचिस/अगरबत्ती, लाख, बाँस-बेंत, कत्था, गोंद, रेजिन, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, रेशा उद्योग आदि।
4. पॉलीमर तथा रसायन- अखाद्य तेल, साबुन, खाद्य तेल उत्पादन, रबर आधारित उद्योग, हाथी दाँत आदि।
5. याँत्रिक एवं वैकल्पिक उर्जा- लौह, काष्ठ, एल्यूमिनियम, ताँबें, पीतल आधारित उद्योग, काँसे के बर्तन आदि।
6. वस्त्र उद्योग- सिलाई, पोलीवस्त्र, होजरी आदि।
7. सेवा उद्योग- धोबी, नाई, सौन्दर्य प्रसाधन केन्द्र, नलसाजी, बिजली उपकरण, आडियो तथा

डीजल इंजन मरम्मत आदि।

खादी तथा ग्रामोद्योग की परिभाषायेंः- "खादी" का तात्पर्य कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुने गये किसी वस्त्र से है।

"ग्रामोद्योग" का अर्थ है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कोई भी उद्योग जो बिजली का इस्तेमाल करके या बिना इस्तेमाल किये कोई वस्तु उत्पादित करता हो या कोई सेवा करता हो जिसमें स्थायी पूंजी निवेश (भवन/कार्यशाला, मशीनरी एवं साजो सामान) प्रति कारीगर रु0 1.00 लाख से अधिक न हो।

खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यकमों, तत्संबन्धी किया-कलापों का सफल कियान्वयन, ग्रामोद्योग के उत्पादों एवं योजनाओं को जन सामान्य तक पहुँचाने व उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग व्यवसाय को आकर्षित करने, उसकी क्षमता में सुधार करने, पूँजी निवेश को आकर्षित करने, न्यून-पूँजी निवेश से अत्यधिक रोजगार सृजित करने, उत्पादकता एवं मजदूरी में वृद्धि और कारीगरों के सामाजिक कल्याण एवं समुत्थान करने, विपणन एवं विपणन अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन करने, कृषि आधारित उद्योगों हेतु वैल्यू-चेक-मेकेनिज्म को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण औद्योगीकरण को सुप्रभावी बनाने, एक जनपद-एक उत्पाद अवधारणा का अधिकार, खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उत्पादों के रूप में पहचान बनाना, प्रदेश में ग्रामोद्योग के विकास हेतु पूँजी निवेश को बढ़ाना एवं उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति स्वीकृत की गयी है।

खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के मुख्य विन्दु

- प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क/स्टेट्स में ग्रामीण उद्योग की स्थापना हेतु भूमि का वरीयता के आधार पर आवंटन किया जायेगा।
- ग्राम सभा की रिक्त भूमि का आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति के द्वारा पट्टे हेतु किया जायेगा।
- वैकल्पिक ऊर्जा/जैविक ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन तथा मिशन बायोगैस, मिशन बायोडीजल, मिशन प्रोड्यूसर गैस, मिशन बायो एथेनाल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।
- पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत तथा पश्चिमांचल क्षेत्र में 75 प्रतिशत की दर से स्टैम्प शुल्क पर छूट।
- औद्योगिक नीति के अनुसार बड़े उद्योगों को दी जाने वाली नेट वैट/सी0एस0टी0/जी0एस0टी0 के राज्य अंश के समतुल्य जमा हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति कर प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। यह सुविधा वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु0 5.00 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर तक सीमित रहेगी।
- नई इकाइयों को इलेक्ट्रिसिटी से 10 वर्ष की अवधि हेतु छूट।
- भारत सरकार के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप योजना एवं मेक इन इण्डिया योजना से

समन्वित किया जाना।

- ख़ादी- अप ब्राण्ड का उपयोग एवं प्रचार-प्रसार।

बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की भौतिक प्रगति -

1. गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट

वर्ष 2017-18 में गाँधी जयंती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट की योजना के स्थान पर मा0 मंत्री परिषद के द्वारा खादी के उत्पादन पर प्रोत्साहन देने हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना लागू की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासन द्वारा पूज्य महात्मा गांधी की 50वीं जयंती के अवसर पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट 2 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक के लिए खादी की बिक्री पर उपलब्ध करायी गयी है। जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता मद में प्राविधानित धनराशि रु0 2000.00 लाख से 28 खादी संस्थाओं को रु0 104.00 लाख रिबेट दावों का भुगतान किया गया तथा अवशेष लम्बित रिबेट दावों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता मद में प्राविधानित धनराशि रु0 1000.00 लाख से 44 खादी संस्थाओं को रु0 124.00 लाख रिबेट दावों का भुगतान किया गया।

2. पं० दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता

प्रदेश के खादी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 में खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना के स्थान पर मा0 मंत्रि परिषद द्वारा लिए गए निर्णय द्वारा उत्पादन पर छूट आधारित पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू की गयी है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता 15 प्रतिशत की दर से देय है जिसके अन्तर्गत उक्त सहायता कत्तिनों/बुनकरों को बोनस/प्रोत्साहन के रूप में 34 प्रतिशत, संस्था को उत्पादन विकास हेतु 33 प्रतिशत तथा संस्था को विपणन संवर्धन हेतु सहायता के लिए 33 प्रतिशत दिया जायेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासन द्वारा इस योजनान्तर्गत रु0 1000.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक रु0 900.00 लाख का भुगतान किया गया। उक्त योजना को लागू किये जाने के फलस्वरूप लगभग रु0 1000.00 लाख की प्रतिवर्ष बचत हो रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में खादी के उत्पादन में वृद्धि होगी जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना हेतु रु0 100.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से जनपद गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी एवं बुलन्दशहर में मण्डल स्तरीय प्रदर्शनी आयोजन के साथ-साथ गोरखपुर महोत्सव में खादी वस्त्रों के फैशन शों का आयोजन भी किया गया। उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अवध शिल्पग्राम, शहीदपथ, लखनऊ में खादी महोत्सव 2021 के अंतर्गत वृहद प्रदर्शनी एवं खादी वस्त्रों के फैशन शो का आयोजन देश के जाने-माने फैशन डिजाईनरों के माध्यम से किया गया तथा प्रदेश के उद्यमियों को प्रदर्शनी में निःशुल्क स्टॉल का आवंटन किया गया जिससे कि छोटे-छोटे उद्यमियों को भी प्रदर्शनी में

बिक्री का अवसर प्राप्त हुआ। जिसमें अब तक खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की लगभग रु0 655.00 लाख की बिकी की गयी। विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे समाचार पत्रों में विज्ञापन, होर्डिंग, पम्पलेट/लिफलेट, बैनर के माध्यम से लोगों को खादी ग्रामोद्योगी योजनाओं की जानकारी प्रदान करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के अतंर्गत 8 मण्डलों में प्रदर्शनी आयोजन के साथ-साथ 75 जनपदों में जागरूकता शिविरों के आयोजन एवं विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु रु0 100.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय

ग्रामोद्योग को सफल बनाने हेतु उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक है, ताकि ग्रामोद्योगी उत्पाद प्रतियोगिता में उचित स्थान बना सकें। ग्रामीण उद्यमी को जब तक गुणवत्ता नियंत्रण के महत्त्व की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तथा उत्पाद की टेस्टिंग की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी तब तक उक्त कार्य सम्भव नहीं है, जो कि ग्रामोद्योग को सफल बनाने की कुंजी हैं।

इसी उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1988-89 में दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं क्रमशः लखनऊ एवं खजनी-गोरखपुर में स्थापित की गयी। जिनके द्वारा ग्रामोद्योगी इकाइयों से सैम्पुल एकत्र करना एवं आवश्यक तकनीकी सुझाव देना, गुणवत्ता सम्बन्धी जानकारी देना, समय-समय पर गांव/ब्लाक/जनपद स्तर पर गुणवत्ता कैम्प आयोजित करना आदि कार्य किये जा रहे हैं, साथ ही ग्रामीण उद्यमियों को गुणवत्ता नियंत्रण का प्रशिक्षण भी देने का कार्य किया जा रहा है, ताकि उत्पादन के समय भी वह गुणवत्ता नियंत्रित करते हुए उच्चकोटि का उत्पादन करने में सक्षम हो सकें।

गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रमः- उद्यमियों को ग्रामोद्योगी उत्पादों की गुणवत्ता एवं मानकीकरण के प्रति जागरूक करने के लिए गुणवत्ता जागरूकता शिविर गाँव/ब्लाक/जनपद स्तर पर आयोजित किये जाते हैं ताकि ग्रामोद्योगी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना वर्ष 1994-95 से शुरू की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं।

योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1. योजनान्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा रु0 10.00 लाख कर दी गई है।
2. सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों द्वारा बैंक ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज

वहन किया जायेगा शेष ब्याज की राशि योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

3. आरक्षित वर्ग के लामार्थियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को जिला योजना के अन्तर्गत पूंजीगत ऋण पर ब्याज की पूर्ण धनराशि पर ब्याज उपादान (ब्याज रहित ऋण) के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
4. शासन द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि का 1-1-1 प्रतिशत क्रमशः जागरूकता शिविर, प्रचार-प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्राविधानित होगा।
5. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लामार्थियों को भौतिक लक्ष्य में 20 प्रतिशत मात्राकृत करते हुए आच्छादित किया गया है।

कम्बल कारखानों का पुनर्संचालन

(क) कम्बल योजनाः- प्रदेश के पिछड़े सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कत्तिनों एवं बुनकरों को जीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना उद्योग निदेशालय द्वारा वर्ष 1954 में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के रूप में मुजफ्फरनगर नजीबाबाद (बिजनौर), मिर्जापुर तथा गोपीगंज (भदोही) में प्रारम्भ की गयी थी। कालान्तर में इन केद्रों को कारखाने का स्वरूप प्रदान किया गया। वर्ष 1967 में यह योजना उद्योग निदेशालय से बोर्ड को हस्तान्तरित हुई। बोर्ड ने विस्तार स्वरूप दो उत्पादन केन्द्रों की स्थापना क्रमशः जौनपुर और अदिलाबाद (गाजीपुर) में की। साथ ही वर्ष 1984-85 में दो नये कारखानों की स्थापना क्रमशः खजनी (गोरखपुर) तथा टीकरमाफी (सुल्तानपुर) में हुई। इस प्रकार वर्तमान समय में इसके अन्तर्गत छः कम्बल कारखाने एवं दो उत्पादन केन्द्र हैं। इस समय 7 कारखानों में उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है।

(ख) खादी योजनाः- खादी योजना वर्ष 1967 से बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है। खादी योजना के माध्यम से समाज के असहाय बेरोजगार एवं विकलांग व्यक्तियों को कम पूँजी निवेश से रोजगार सृजन के स्रोत उपलब्ध कराना है। वर्तमान समय में अधिक गुणवत्ता उत्पादन के लिए बारह तकला न्यू माडल सोलर चर्खों पर सूत कताई योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा था। सूत कातने वाले कत्तिनों को अनुमानित रु0 2000.00 की मासिक आय होती थी परन्तु सोलर चरखा से सूत कातने वाले कत्तिनों को वर्तमान समय में अनुमानित रु0 8000.00 से 10000.00 प्रतिमाह की आय हो रही है प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की चयनित कत्तिनों की आय में चार गुना वृद्धि कराने के उद्देश्य से 366 सोलर चरखों का वितरण कराया गया एवं सोलर चरखों के प्रशिक्षण का कार्य कराया जा रहा है।

खादी फैशन शो का आयोजन

खादी वस्त्रों को प्रोत्साहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी रायबरेली से खादी वस्त्रों की नई-नई डिजाइनों में विकसित करते हुए रेडीमेड वस्त्रों को तैयार कराया

गया तथा खादी एव रेशम के वस्त्रों के परिधान को विपणन में प्रोत्साहन देने हेतु इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में खादी एक्सपों के अन्तर्गत 3 अक्टूबर, 2019 को एक वृहद फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें कि प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में खादी वस्त्रों के फैशन शो का आयोजन किया गया तथा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अवध शिल्पग्राम, शहीदपथ, लखनऊ में देश के जाने-माने फैशन डिजाईनरों के माध्यम से खादी फैशन शो का आयोजन किया गया।

ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी

शासन की ई-गवर्नेन्स पद्धति को बढ़ावा देने की नीति के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के सम्बन्ध में जनसाधारण को जानकारी उपलब्ध कराने, इण्टरनेट के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान, योजनाओं की समीक्षा, अनुश्रवण, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, लेखा का रख-रखाव का डिजिटाइजेशन आदि कार्य के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु "ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी" प्रस्तावित की गयी थी।

कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण योजना

ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों को उनके कौशल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण तथा नवीनतम तकनीक के उपकरणों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ताकि उद्यमी बैंक से वित्तपोषण कराकर या स्वयं के श्रोतों से स्वरोजगार स्थापित कर जीवन यापन कर सकें। वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत रु0 100.00 लाख, टी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत रु0 5.00 लाख एवं एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत रु. 300.00 लाख कुल रु0 405.00 लाख के सापेक्ष 15 दिवसीय 414 प्रशिक्षण सत्र कार्यक्रम आयोजित कराकर 8173 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत रु0 100.00 लाख, टी0एस0पी0 अनुदान संख्या-8 के अन्तर्गत रु0 5.00 लाख एवं एस0सी0एस0पी0 अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत रु0 300.00 लाख कुल रु0 405.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक 15 दिवसीय 414 प्रशिक्षण सत्र कार्यक्रम आयोजित कराकर 10281 लामार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों एवं खादी उत्पादन केन्द्रों पर सोलर चरखें से सूत उत्पादन के प्रशिक्षण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिससे कि अधिक से अधिक लोग प्रशिक्षित होकर खादी के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कामगारों की आय में वृद्धि हो सकें।

पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की

ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गांवों में ही उपलब्ध कराने एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निहितार्थ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना तैयार की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाइयों को 3 वर्ष तक ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य की जायेगी। आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को (35 प्रतिशत अनुदान +5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान छोड़कर) 60 प्रतिशत ऋण राशि पर एवं सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत (पुरुष) लाभार्थियों को (40 प्रतिशत स्वयं का अंशदान एवं +25 प्रतिशत अनुदान राशि पर ब्याज छोड़कर) 65 प्रतिशत ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान देय है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिसके सापेक्ष अब तक 353 इकाईयों को लाभान्वित करते हुए रु0 176.35 लाख का भुगतान किया गया।

अन्य योजनाएं

1. व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना

ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन कार्यकम के अन्तर्गत उद्यमियों का चयन प्रचार-प्रसार करके किया जाता है, उसके उपरान्त उनको स्थानीय तौर पर हीं 5 दिन का ग्रामोद्योगी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उद्यमी उत्प्रेरणा, रोजगार चयन, वित्त पोषण-प्रकिया, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन, आदि उद्योग स्थापना से सम्बन्धित बिन्दुओं पर क्लासरूम प्रशिक्षण एवं क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत इनका वित्तपोषण करके ग्रामोद्योगी इकाई स्थापित करायी जाती है।

2. ग्रामीण उद्यमियों की पुरस्कार योजना

ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त योजना संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत अच्छी ग्रामोद्योगी इकाईयों के प्रतिनिधि को मण्डल स्तरीय कमेटी से चयन के उपरान्त पुरस्कृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रु0 10.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि प्रदेश के 03 उत्कृष्ठ उद्यमियों एवं प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों के उत्कृष्ठ उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार एवं जनपद स्तर के उत्कृष्ठ उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

3. आम आदमी बीमा योजना

प्रदेश के खादी कामगारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से समूह बीमा पालिसी योजना (जन श्री बीमा योजना) संचालित की जा रही है। इस योजना द्वारा खादी कामगारों की मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में उनको या उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करके भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान की गयी है और खादी कामगारों के बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 25.00 लाख का प्रावधान किया गया है

इस योजना को परिवर्तित कर अटल बीमा योजना में समस्त कामगारों को समायोजित कर दिया गया है। भविष्य में राज्य सरकार को कोई अंशदान वहन नहीं करना है।

4. माटीकला बोर्ड

प्रदेश में मिट्टी के वस्तुओं की मांग कम होने से परम्परागत कारीगरों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या को देखते हुए इस प्राचीन कला को संरक्षित करने एवं बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने तथा स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के माटी कला एवं माटी शिल्प कला के उद्यमियों/शिल्पियों के विकास के लिए उ0प्र0 माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत माटीकला एवं माटी शिल्पकला के लिये मिट्टी की उपलब्धता की नीति, तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण की प्रभावी योजना बनाना, माटीकला एवं माटी शिल्पकला का कार्य करने वाले कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिये कार्य करना तथा माटीकला एवं माटी शिल्पकला हेतु विपणन सुविधा उपलब्ध कराना है इसके अतिरिक्त जिन्हें पट्टे आवंटित हैं उनके रिकार्ड की सूचना राजस्व विभाग से प्राप्त कर संरक्षित रखना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 1000.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत माटी कला एवं माटी शिल्पकला से जुड़े हुए उद्यमियों/शिल्पियों को माटी टूल-किट्स वितरण मुख्यमंत्री माटी कला योजना, माटी कला कौशल विकास योजना, माइक्रो माटीकला कॉमल फैसेलिटी सेन्टर, माटी कला विपणन विकास सहायता एवं प्रचार-प्रसार तथा माटी कला पुरस्कार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जाने का कार्य कराया जा रहा है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

यह योजना खादी और ग्रामाद्योग आयोग द्वारा 15 अगस्त, 2008 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत रु0 25.00 लाख तक परियोजना लागत के उद्यमों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में करने हेतु बैंकों के माध्यम से बेराजगार व्यक्तियों/संस्थाओं/समितियों को ऋण स्वीकृत कराया जाता है।

वर्ष **2020-21** की विशेष उपलब्धियां

1 शासनादेश संख्या-224(बी) क0/नि0-6/2015-20 बी (57/10) दिनांक 04 अगस्त, 2015 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है जिसके अन्तर्गत ग्रामोद्योगी इकाई स्थापना हेतु अधिकतम ऋण सीमा रु0 5.00 लाख से बढ़ाकर रु0 10.00 लाख की गई है। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को ऋण धनराशि पर 4 प्रतिशत ब्याज के स्थान पर ब्याज रहित ऋण का प्रावधान था। जबकि सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज देय था। वर्तमान योजनान्तर्गत

पूंजीगत मद की धनराशि पर सामान्य पुरुष वर्ग को 4 प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान तथा आरक्षित वर्ग को पूंजीगत ऋण पर सम्पूर्ण ब्याज का भुगतान विभाग द्वारा सीधे बैंको को उपलब्ध कराया जाता है।

2. ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ग्रामोद्योगी इकाईयों, खादी की इकाईयों के उत्कृष्ट उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अवध शिल्पग्राम शहीदपथ लखनऊ में खादी महोत्सव 2021 के अन्तर्गत दिनांक 23 जनवरी 2021 से 04 फरवरी 2021 तक आयोजन कराया गया। जिसमें प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ ग्रामोद्योगी इकाईयों को एक मंच प्रदान करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विक्रय के अवसर उपलब्ध कराये गये। वहीं जन सामान्य को एक ही छत के नीचे प्रदेश के उत्कृष्ट विशिष्ट कलाकारी के उत्पाद उपलब्ध कराये गये।
   उपरोक्त प्रदर्शनी में खादी वस्त्रों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु देश में प्रदेश के प्रतिष्ठित डिजाइनरों द्वारा निर्मित खादी वस्त्रों को देश को नामी मॉडल्स के नाम से प्रदर्शन हेतु फैशन शो का आयोजन कराया गया।
3. प्रदेश के 26 जनपदों के 126 लाभार्थियों को धन की उपलब्धता के आधार पर सेमी ऑटोमेटिक दोना-पत्तल मशीन का निःशुल्क वितरण कराया गया।
4. प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सोलर चर्ख़ा संचालन का प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर निःशुल्क 366 सोलर चर्खे उपलब्ध कराये गये तथा चर्खों के नियमित संचालन एवं लाभार्थियों की आय हेतु विभागीय उत्पादन केद्रों/खादी संस्थाओं के माध्यम से फारवर्ड-बैकवार्ड लिंकेज सुनिश्चित करायी गयी।
5. दिनांक 24 जनवरी, 2021 को उ0प्र0 दिवस के अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री के कर कमलों से 25 विद्युत चालित कुम्हारी चाक, 25 सोलर चर्खों एवं 21 दोना पत्तल मेकिंग मशीन का सांकेतिक वितरण अवध शिल्पग्राम, शहीद पथ, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कराया गया।
6. वित्तीय वर्ष में कोरोना महामारी के कारण माह दिसम्बर, 2020 से प्रदर्शनी का आयोजन प्रारम्भ किया गया तथा प्रदेश में खादी महोत्सव-2021 अवध शिल्पग्राम, शहीद पथ, लखनऊ के अतिरिक्त जनपद गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं बुलन्दशहर में मण्डलीय प्रदर्शनियों का आयोजन कराया गया तथा सभी प्रदर्शनियों में स्टॉल का आवंटन निःशुल्क कराया गया साथ ही सिमोनी मेला, बांदा एवं कौथिक उत्तरायणी मेला लखनऊ में भी विभागीय इकाईयों द्वारा प्रतिभाग किया गया। विभिन्न आयोजित प्रदर्शनियों में कुल धनराशि रु0 655.00 लाख की बिक्री की गयी।
7. मुख्यालय पर स्थापित समाधान सेल, काल सेन्टर के अन्तर्गत अब तक 1676 व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त समस्याओं/जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए यथा-आवश्यकता अन्य विषयों पर जानकारी प्रदान की गयी।
8. वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 8 जनपदों (प्रत्येक जनपद के एक विकास खण्ड) में कुल 224233 निःशुल्क यूनिफार्म की आपूर्ति परिषदीय विद्यालयों की छात्र-छात्राओं को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से करायी गयी।

9. सी0बी0सी0 ऋण योजनान्तर्गत पूर्व में वितरित ऋणों पर एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत मूल धन जमा करने पर कुल 202 लामार्थियों का ब्याज माफ किया गया।
10. खादी महोत्सव-2021 अवध शिल्पग्राम, शहीद पथ, लखनऊ कार्यक्रम में 13 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें 119 उद्यमियों द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद के स्टाल लगाये गये कुल धनराशि रु0 230.00 लाख की किक्री प्रतिभागियों द्वारा की गयी।

रेशम विकास

विश्व में उत्पादित होने वाले चार प्रकार के व्यावसायिक रेशम की किस्मों में भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां चारों प्रकार की रेशम (शहतूती, टसर, अरण्डी एवं मूंगा सिल्क) का उत्पादन हो रहा है। मूंगा रेशम का उत्पादन पूरे विश्व में मात्र भारत के असम राज्य में ही किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश में तीन प्रकार यथा- शहतूती, टसर एवं अरण्डी रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। रेशम उद्योग कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों में अग्रणी स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की शस्य-श्यामला उर्दरा भूमि, भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं जैव विविधता, रेशम उद्योग हेतु सर्वथा अनुकूल एवं उपयुक्त है। रेशम उद्योग के अन्तर्गत शहतूत, अर्जुन एवं अरुण्डी की खेती, रेशम कीटपालन एवं धागाकरण आदि क्रियाकलाप मुख्य हैं। शहतूती रेशम कीट का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती, टसर रेशम कीटों का अर्जुन एवं आसन की पत्ती तथा एरी रेशम कीट का अरण्डी की पत्ती है। अतः इस उद्योग हेतु शहतूत, अर्जुन एवं अरण्डी की खेती आवश्यक है। रेशम उद्योग पर्यावरण मित्र उद्योग होने के साथ-साथ श्रमजनित भी है।

प्रदेश की कच्चे रेशम धागे की मांग वर्तमान में उत्पादित धागे से बहुत अधिक है, जिसकी पूर्ति कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों तथा विभिन्न देशों से आयातित रेशम के माध्यम से होती है। भारत में उत्पादित कच्चे रेशम की पर्याप्त मात्रा में खपत प्रदेश के परम्परागत रेशम बुनाई क्षेत्रों वाराणसी एवम् आजमगढ़ में हो रही है। प्रदेश में रेशम की सुदृढ़ बाजार व्यवस्था उपलब्ध है तथा इस हेतु जनपद वाराणसी के सारंग तालाब स्थित स्थान पर सिल्क एक्सचेंज की स्थापना की गयी है। भारत के रेशम उत्पादन में विकसित राज्यों यथा- कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर आदि से प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने एवं कृषकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विभाग द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

रेशम उद्योग के अन्तर्गत शहतूत, अर्जुन, अरण्डी की खेती को बढ़ावा देते हुए तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन से जुड़े क्रिया-कलापों हेतु शृंखलाबद्ध कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेशम उत्पादन से जुड़ें कार्यक्रमों में रेशम कीट के भोज्य वृक्षों के विकास हेतु पौध उत्पादन, वृक्षारोपण, पत्ती उत्पादन, चाकी कीटपालन, उत्तरावस्था, कीट पालन, कोया उत्पादन तथा पोस्ट ककून के अन्तर्गत धागाकरण आदि प्रमुख क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

शहतूती रेशम का उत्पादन प्रदेश के ज्यादातर तराई, पूर्वांचल एवं पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में किया जा रहा है, टसर रेशम का उत्पादन बुन्देलखण्ड एवं विध्यांचल क्षेत्र तथा अरण्डी रेशम का उत्पादन यमुना नदी के किनारे स्थित कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट,

जालौन एवं बांदा आदि जनपदों में किया जा रहा है। प्रदेश की ऊष्ण कटिबन्धीय एवं शीतोष्ण जलवायु में शहतूती रेशम के अतिरिक्त ट्रापिकल टसर एवं एरी रेशम के क्रियाकलाप सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जाने हेतु सभी आवश्यक सम्भावनायें विद्यमान हैं।

रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्देश्य

- रेशम उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलापों को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन।
- विभागीय प्रशिक्षण संस्थान एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण संस्थानों में विभागीय कार्मिकों, कृषकों एवं उद्यमियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुये तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- रेशम धागे की माँग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की सम्भावनाओं के अनुरूप योजनाओं/परियोजनाओं की संरचना कर उनका कियान्वयन कराया जाना।
- रेशम उद्योग के विकास हेतु विभागीय राजकीय उद्यानों का रख-रखाव, आवश्यकतानुसार कीटाण्ड उत्पादन, भण्डारण तथा चाकी कार्य आदि की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना।

रेशम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सृजित अवस्थापना सुविधाएं

1.	राजकीय शहतूत उद्यानों की संख्या	- 159
2.	शहतूत उद्यानो का कुल क्षेत्रफल	- 1592.37 एकड़
3.	शहतूत उद्यानो का कुल वृक्षारोपित क्षेत्रफल	- 1102.55 एकड़
4.	राजकीय टसर उद्यानों की संख्या	- 63
5.	राजकीय टसर उच्यानों का क्षेत्रफल	- 3716.47 एकड़
6.	राजकीय टसर उद्यानों का वृक्षारोपित क्षेत्रफल	- 1800.37 एकड़
7.	राजकीय अरण्डी उद्यानों की संख्या	- 05
8.	राजकीय अरण्डी उद्यानों का क्षेत्रफल	- 56.14 एकड़
9.	रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्रों की संख्या	
	(क) शहतूती बीजागार	- 05 (बहराईच-01, औरेया-01, गोरखपुर-01, मेरठ-02)
	(ख) टसर बीजागार	- 12 (सोनभद्र-07, चन्दौली-03, झाँसी-01, ललितपुर-01)
	(ग) एरी बीजागार	- 04 (कानपुर नगर-01, कानपुर देहात-01, फतेहपुर-01, उन्नाव-01)

11.	रेशम कीट बीज उत्पादन की वार्षिक क्षमता	- 48.10 लाख डी0एफ0एल्स
	(क) शहतूती	- 38.50 लाख डी0एफ0एल्स
	(ख) टसर	- 5.60 लाख डी0एफ0एल्स
	(ग) एरी	- 4.00 लाख डी0एफ0एल्स
12.	चाकी कीटपालन केन्द्रों की संख्या	- 236
13.	सामूहिक कीटपालन केन्द्रों की संख्या	- 20
14.	सिल्क एक्सचेंज की संख्या	- 01
15.	प्रशिक्षण संस्थान	- 01

विभागीय उपलब्धियाँ

- कीटपालकों द्वारा उत्पादित रेशम कोये के मूल्य में वृद्धि हेतु राजकीय क्षेत्र में जनपद पीलीभीत एवं बहराइच तथा निजी क्षेत्र में जनपद वाराणसी एवं कानपुर नगर में रीलिंग इकाईयों की स्थापना।
- प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा का शुभारम्भ करते हुए कृषकों को रेशम क्रियाकलापों का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु शहतूती रेशम के अन्तर्गत प्रचलित चार फसलों के स्थान पर छः फसलें क्रियान्वित किया जाना।
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष की भाँति वर्ष 2020-21 में 50 सर्वोत्तम कोया उत्पादकों को दिनांक 29 जनवरी, 2021 को पर्यटन भवन में आयोजित रेशम उत्पादन पुरस्कार समारोह में आमंत्रित कर रु0 11000/- की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र से मा0 राज्य मंत्री, रेशम उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।
- प्रदेश में 100 से अधिक ग्रामों को सिल्क ग्राम के रूप में चयनित करना।
- कर्नाटक स्टेट रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट, बेंगलुरू के निदेशक एवं वैज्ञानिकों द्वारा प्रदेश में रेशम उत्पादन की वृद्धि हेतु सर्वाधिक शहतूती उत्पादित जनपदों का स्थलीय सत्यापन के उपरान्त प्रदेश की जलवायु के आधार पर संस्तुति दी गई है, जिसमें मुख्यतः प्रशिक्षण, धागाकरण, कीटपालन क्षमता में वृद्धि एवं लाभार्थियों को रेशम कार्यक्रम से जोड़ा जाना है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार सहायतित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसका राज्य स्तर पर नोडल विभाग कृषि विभाग है, के अन्तर्गत एस0एल0एस0सी0 द्वारा "रेशम उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की परियोजना" धनराशि रु0 861.165 लाख, "राजकीय रेशम फार्म बरवा सेमरा, देवरिया के जीर्णोद्धार की परियोजना" धनराशि रु0 54.13 लाख एवं "प्रदेश के रेशम

खपत एवं उत्पादन के अन्तर में कमी लाये जाने हेतु रेशम उत्पादन के क्रियाकलापों का निजी क्षेत्र में विस्तारीकरण की परियोजना" धनराशि रु0 285.00 लाख अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष धनराशि अप्राप्त है। पूर्व वर्ष की स्वीकृत परियोजना "गुणवत्तायुक्त रेशम उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिये धनराशि रु0 20.99 लाख तथा "रेशम प्रशिक्षण संस्थान मिर्जापुर में आवश्यक सुविधाओं के सृजन की परियोजना" के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिए धनराशि रु0 25.00 लाख, इस प्रकार पुनर्वैध के रूप में कुल धनराशि रु0 46.08 लाख की प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष माह जनवरी, 2021 तक धनराशि रु0 39.92 लाख का व्यय किया गया।

वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित कार्यक्रम

उददेश्य

- रेशम कोया उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि
- गुणवत्तायुक्त रेशम घागे का उत्वादन
- रेशम कीट बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता
- रोजगार सृजन एवं कृषकों की आय में वृद्धि।

विभागीय प्राथमिकतायें

- रेशम कीट बीज संगठन का सुदृढ़ीकरण एवं नये बीजागारों की स्थापना।
- अधिक पत्ती उत्पादन क्षमता वाली शहतूत प्रजातियों का वृक्षारोपण।
- कोया उत्पादकों/रेशम कृषकों को त्वरित भुगतान।
- नई रेशम धागाकरण मशीनों की स्थापना एवं उच्च क्षमता के चाकी कीटपालन भवनों का निर्माण।
- विभागीय कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण एवं प्रभावी समीक्षा।
- जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण।
- बाईवोल्टीन रेशम कोया एवं उच्च गुणवत्ता के रेशम धागा का उत्पादन।
- रेशम धागे की माँग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करते हुए प्रदेश को रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क-राजस्व पक्ष

1. निदेशन एवं प्रशासन की योजना

योजनान्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भत्ते, निदेशालय तथा परिक्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता आदि आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वचनबद्ध मदों में वर्ष 2021-22 में रु0 2893.44 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

2. माडल चाकी कीटपालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापना

राजकीय शहतूती फार्मों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव/मरम्मत, सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण एवं आवश्यकता के आधार पर अन्य विकास कार्य कराये जाते हैं, इन फार्मों में मुख्यतः चाकी रेशम कीटपालन हेतु "चाकी उद्यान" का कर्षण कार्य (अर्थात पौधों की

प्रूनिंग/ट्रिमिंग, गुडाई घास निकालना, खाद/रासायनिक खाद का छिड़काव, सिंचाई इत्यादि) विभागीय वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार कराया जाता है। इसके अतिरिक्त सफल कीटपालन के लिए विशुद्धीकारक, रेशम कीट औषधियों, रसायनिक उर्वरकों, कीटपालन एवं फार्म सम्बन्धित उपकरणों आदि का क्रय भी किया जाता है।

अतः विभागीय फार्मों पर गुणवत्तायुक्त चाकी रेशम तैयार कर रेशम कोया उत्पादकों/ कृषकों में वितरण हेतु फार्मों के रख रखाव एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत वर्ष 2021-22 हेतु आय-व्ययक में रु0 1150.73 लाख का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

3. टसर रेशम विकास योजना

टसर रेशम फार्मों में वृक्षारोपित क्षेत्रफल में कर्षण कार्य जैसे- घास सफाई, थाले बनाना, सिंचाई, पोलार्डिंग आदि का कार्य तथा अर्जुन पौध का उत्पादन का कार्य (नर्सरी स्थापना), नवीन/अविकसित क्षेत्रों में अर्जुन वृक्षारोपण का कार्य एवं वैज्ञानिक विधि से टसर कीटों का नायलान नेट में चाकी कीटपालन कराते हुए स्थानीय कृषकों को कीटपालन हेतु कीटों की आपूर्ति कर टसर कोया उत्पादन का कार्य सम्पन्न कराया जाता है। टसर कीटपालन से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अतिरिक्त आय का सृजन होता है। इस प्रकार विभागीय टसर फार्मों का रख रखाव एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2021-22 हेतु आय-व्ययक में रु0 132.40 लाख का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

4. जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना

योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेट/रेशम साहित्य का प्रकाशन, वीडियों फिल्म का प्रदर्शन, साईनबोर्ड एवं वालपेंन्टिग का कार्य तथा ग्राम/ब्लाक/जनपद/मण्डल/राज्य स्तर पर कृषक मेलों/गोष्ठियों, सिल्क एक्सपो तथा चौपाल कार्यकमों का आयोजन करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त प्रदेश में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार का आयोजन एवं प्रदेश में एक सिल्क एक्सपो का आयोजन प्रस्तावित है। प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में स्थापित लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा एवं प्रदेश के बाहर केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशिक्षण संस्थानों में रेशम उत्पादन कार्यक्रम से जुड़े कृषकों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 हेतु आय-व्ययक में रु0 105.00 लाख का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

5. प्रादेशिक को-ऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि० लखनऊ को सहायता योजना

उ0प्र0 शासन द्वारा प्रादेशिक को-ऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि0 उ0प्र0 में कार्यों को सुचारू रूप से संचालन एवं निरीक्षण करने हेतु अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। जिनके मानदेय, यात्रा बीजक, टेलीफोन, चिकित्सा आदि पर व्यय किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 हेतु आय-व्ययक में रु0 2.00 लाख का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

6. रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना

प्रदेश मे रेशम कीटाण्ड की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये पी-1 (बीजू) कीटपालन क्षेत्र

एवं बीजागारों के रख रखाव, संचालन एवं सुढृढीकरण/आधुनिकीकरण तथा रेशम कीटाण्ड का क्रय केन्द्रीय रेशम बोर्ड से किया जाएगा। इसलिये इस योजना के स्वरूप मे वृद्धि कर वर्ष 2021-22 हेतु आय-व्ययक में रु0 536.49 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

7. टसर रेशम के लिये नर्सरी पौध उत्पादन की योजना

विभागीय टसर रेशम फार्मों पर 2.0 लाख अर्जुन नर्सरी पौधालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु0 12.73 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रेषित किया गया है।

8. शहतूती रेशम के लिए नर्सरी पौध उत्पादन योजना

विभागीय राजकीय रेशम फार्मों पर 20 एकड़ क्षेत्रफल में 40.0 लाख कटिंग रोपण कर शहतूत नर्सरी पौधालय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु0 354.65 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रेषित किया गया है।

9. एरी रेशम विकास की योजना (जिला योजना)

योजनान्तर्गत प्रदेश के एरी क्षेत्र के कृषकों को प्रशिक्षित कर कीटपालन उपकरणों की सुविधा से सुसज्जित करते हुए कीटपालन कार्य तथा उत्पादित कोयों का विकय करते हुए अतिरिक्त लाभ अर्जित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 हेतु आय-व्ययक में रु0 63.80 लाख का आय व्ययक में प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित योजनायें

1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (अनुदान संख्या-10)

योजनान्तर्गत प्री-ककून में शहतूती सेक्टर के अन्तर्गत शहतूत नर्सरी स्थापना, शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन गृह निर्माण एवं कीटपालन उपकरण सहायता अनुदान लाभार्थियों को दिया जायेगा तथा पोस्ट ककून सेक्टर के अन्तर्गत मल्टीइण्ड रीलिंग इकाई, ट्विस्टिंग इकाई, टब डाइंग इकाई, कम्प्यूटर ऐडेड टेक्स्टाइल डिजाइन, इलेक्ट्रानिक जैकार्ड इकाइयों की स्थापना तथा लूम के उच्चीकरण तथा टसर सेक्टर के अन्तर्गत अर्जुन वृक्षारोपण के मेन्टीनेंस उपकरण एवं विशुद्धिकारक क्रय हेतु लाभार्थियों को अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु0 572.70 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रेषित किया गया है।

2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (अनुदान संख्या-83)

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को योजनान्तर्गत शहतूत सेक्टर के अन्तर्गत शहतूत नर्सरी स्थापना, शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन गृह निर्माण, सिंचाई सुविधा, कीटपालन उपकरण तथा विशुद्धीकारक क्रय हेतु अनुदान सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। वान्या टसर सेक्टर के अन्तर्गत अर्जुन वृक्षारोपित, चाकी गार्डन के विकास, अर्जुन वृक्षारोपण मेन्टीनेन्स, कीटपालन उपकरण तथा निजी क्षेत्र में टसर बीजागारों के निर्माण हेतु अनुदान स्वरूप सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु0 215.94 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रेषित किया गया है।

नई योजनायें

1. लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान बरकछा मिर्जापुर

विभाग की आवश्यकता एवं कृषक हित में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा, मिर्जापुर में स्थापित रेशम प्रशिक्षण संस्थान में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषकों को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ नवनियुक्त होने वाले प्रदर्शकों को भी छः माह का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। अतः प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में रु0 63.00 लाख का प्रावधान कराये जाने हेतु औचित्य सहित प्रस्ताव किया गया है।

2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (अनुदान संख्या-**81**)

प्रदेश के जनजाति लाभार्थियों को रेशम क्रियाकलापों के अन्तर्गत जोड़ते हुए उनकी आय में वृद्धि किये जाने हेतु योजनान्तर्गत शहतूत सेक्टर के लाभार्थियों को शहतूत नर्सरी स्थापना, शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन गृह निर्माण, सिंचाई सुविधा, कीटपालन उपकरण तथा विशुद्धीकारक क्रय हेतु अनुदान सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। वान्या टसर सेक्टर के लाभार्थियों को अर्जुन वृक्षारोपित, चाकी गार्डन के विकास, अर्जुन वृक्षारोपण मेन्टीनेंस तथा कीटपालन उपकरण हेतु अनुदान स्वरूप सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु0 52.50 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रेषित किया गया है।

पूँजीगत पक्ष

1. रेशम निदेशालय

जनपदों की आवश्यकतानुसार कार्यालयों एवं राजकीय रेशम फार्म पर स्थित भवनों पर रैम्प के निर्माण, प्रतिस्थापन के रूप में नये वाहनों का क्रय एवं कार्यालय के उपयोग हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु0 115.90 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रेषित किया गया है।

2. माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यान की स्थापना

योजनान्तर्गत शहतूती जनपदों के परिक्षेत्रीय कार्यालयों एवं राजकीय रेशम फार्मों पर स्थापित भवनों में चाकी कीटपालन भवनों के निर्माण एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों तथा चाकी कीटपालन हेतु एवं जनपदों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपकरणों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु0 27.10 लाख का आय-व्ययक अनुमान है।

3. टसर रेशम विकास योजना

योजनान्तर्गत टसर जनपदों के परिक्षेत्रीय कार्यालयों एवं राजकीय रेशम फार्मो पर स्थापित भवनों में चाकी कीटपालन भवनों के निर्माण एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों तथा चाकी कीटपालन हेतु एवं जनपदों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपकरणों का क्रय किया जाना

प्रस्तावित है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु0 7.00 लाख का आय-व्ययक अनुमान है।

4. रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना

प्रदेश में स्थापित 05 शहतूतीं बीजागारों, 12 टसर बीजागारों एवं 04 एरी बीजागारों में कीटाण्ड उत्पादन के अंतर्गत आवश्यक उपकरणों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु0 10.00 लाख का आय-व्ययक अनुमान है।

5. एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)

योजनान्तर्गत एरी जनपदों के राजकीय रेशम फार्मों में चाकी कीटपालन हेतु एवं जनपदों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपकरणों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रु0 4.00 लाख का आय-व्ययक अनुमान है।

अन्य योजनायें

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार सहायतित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसका राज्य स्तर पर नोडल विभाग कृषि विभाग है, के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 हेतु "प्रदेश के महत्त्वपूर्ण रेशम उत्पादक जनपदों के राजकीय रेशम फार्मों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास की परियोजना" को धनराशि रु0 2044.33 लाख की एस0एल0पी0एस0सी0 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

2. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत मनरेगा इण्टर सेक्टोरल कनवर्जेन्स

●

मुद्रण एवं लेखन सामग्री

ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदेश वासियों में नियमों, प्रक्रियाओं की जानकारी हेतु विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों, राजकीय प्रकाशनों के मुद्रण के उददेश्य से राजकीय सेन्ट्रल प्रेस, आगरा की स्थापना की गई, क्योंकि तत्कालीन समय में यूनाइटेड प्राविंस का मुख्यालय जनपद आगरा में था। तत्पश्चात् इसे सन् 1857 में प्रयागराज जनपद में स्थानान्तरित किया गया। तत्समय यह राजकीय सेन्ट्रल प्रेस, प्रयागराज के नाम से जाना जाता था तथा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी (विभागाध्यक्ष) का पदनाम अधीक्षक (सुपरिन्टेन्डेन्ट) था। तत्पश्चात वर्ष 1984 में विभागाध्यक्ष का पदनाम 'निदेशक' परिवर्तित कर दिया गया, जो वर्तमान में भी प्रचलित है। इस प्रकार यह विभाग वर्तमान में 164 वर्षीय प्रदेश शासन का बिना लाभ-हानि का सेवा विभाग है।

स्वतंत्र भारत के प्रान्त 'उत्तर प्रदेश' की जनसंख्या में दिनों-दिन वृद्धि के कारण मुद्रणालय के सर्वांगीण विकास एवं जनमानस के उपयोगार्थ शासकीय प्रपत्रों के मुद्रण/परिपूर्ति हेतु समय-समय पर शाखा एवं उप शाखा मुद्रणालयों की स्थापना की गई।

पूर्व मे इस विभाग का मुख्यालय, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज था और विभागाध्यक्ष, अधीक्षक (वर्तमान में निदेशक) के अधीन नियंत्रित था। वर्ष 1990 में शासनादेशानुसार राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज से पृथक् कर, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज के परिसर में निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, निदेशालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की स्थापना के उपरान्त, राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज लखनऊ के परिसर में वर्ष 2006 में शिविर कार्यालय की स्थापना की गयी।

यह विभाग 'सामान्य सेवाओ' के अर्न्तगत पृथक् इकाईयों में विभाजित/संचालित है, जिसकी देख-रेख प्रत्येक इकाइयों में तैनात कार्यालयाध्यक्षों द्वारा की जाती है, किन्तु समस्त इकाईयों के नियंत्रक, निदेशक (विभागाध्यक्ष) हैं। यह विभाग प्रदेश शासन का एक महत्त्वपूर्ण विभाग है, जो औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन (प्रशासकीय विभाग) के नियंत्रणाधीन है।

यह विभाग राज्य सेक्टर के अर्न्तगत वित्त पोषित है। इस विभाग को वित्तीय स्वीकृतियां राज्य योजना आयोग-1, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा प्राप्त होती है। यह विभाग मुद्रण एवं लेखन सामग्री नियम संग्रह (प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी मैनुअल) से संचालित है। मैनुअल के अन्तर्गत शासन के महामहिम राज्यपाल, सामान्य प्रशासन, सचिवालय तथा अन्य समस्त शासकीय विभागों के उपयोगार्थ प्रपत्रों का मुद्रण, जिल्दसाजी एवं लेखन सामग्री सम्पूर्ति कार्यों का निष्पादन कर उनकी देख-भाल करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य एवं विशिष्टियाँ हैं।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उ०प्र० में ई-टेण्डरिंग प्रणाली

उ0प्र0 शासन द्वारा विभागीय टेण्डर प्रणाली को पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत उ0प्र0 शासन द्वारा ई-टेण्डरिंग प्रणाली (व्यवस्था) लागू की गयी, इसके लिए शासन द्वारा कई विभागों को चिन्हित किया गया, जिसमें मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग भी रहा। इस विभाग की वेवसाइट http://dpsup.up.nic.in पर विभाग की सम्पूर्ण सूचनायें जनसामान्य के लिए उपलब्ध हैं।

ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू होने से लाभ

1. इस प्रणाली के लागू होने से समय की बचत होती है तथा बिडर्स को निविदा प्रपत्र आदि प्राप्त करने हेतु विभाग आने की आवश्यकता नही होती। निविदा खुलने से पूर्व यह भी जानकारी नहीं होती कि किस बिडर द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और बिडर द्वारा किसी भी स्थान से बिड डाक्यूमेन्ट ई-टेण्डर वेबसाइट से डाउनलोड कर ई-टेण्डर वेवसाइट पर अपलोड किया जा सकता है।
2. उक्त प्रक्रिया पूर्णतः गोपनीय है तथा बिडर्स निर्भीक होकर निविदाओं में प्रतिभाग कर सकते हैं।
3. निविदा प्रक्रिया में विभिन्न व्ययों यथा- विज्ञापन किये जाने, निविदा प्रपत्र मुद्रित कराने आदि में समय/कागज/धन/जनशक्ति आदि की हानि न होने से शासकीय धन एवं समय की बचत होती है ।
4. परम्परागत तरीके से निविदा प्रक्रिया सम्पादित करने में तमाम तरह की शिकायतें/शिकायती पत्र बिडर्स द्वारा प्राप्त होते थे, किन्तु ई-टेण्डरिंग प्रणाली में शिकायतें न के बराबर हैं।
5. निविदा प्रक्रिया में ई-टेण्डरिंग के अतिरिक्त शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार सामग्रियों की क्रय व्यवस्था जेम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जिससे बिडर्स देश/विदेश आदि कही से भी अपनी बिड अपलोड कर सकते हैं एवं बिडों में प्रतिभाग कर सकते हैं।

विभाग के कार्य-कलाप

मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, विभाग की कार्य प्रणाली में राज्याधीन विभागों के विभिन्न प्रकार के पंजीकृत तथा अपंजीकृत प्रपत्र, रजिस्टरों जैसे शिक्षा, गजेटियर, साधारण एवं असाधारण गजट, उर्दू गजट, महालेखाकार की वित्तीय एवं ऑडिट रिपोर्ट, बजट, परफारमेन्स बजट, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं, परीक्षा संबंधी विभिन्न प्रपत्रों, लोक सेवा आयोग के कार्य, मा0 उच्च न्यायालय के काजलिस्ट एवं अन्य प्रपत्र, लोक सभा, विधान सभा, स्थानीय निगम एवं पंचायत के निर्वाचन मतपत्रों, विधानमण्डल, परिषद् की कार्यवाहियों, एजेण्डा आदि का मुद्रण, प्रकाशन एवं महामहिम श्रीराज्यपाल सचिवालय, सचिवालय प्रशासन, विधानसभा, परिषद की लेखन सामग्री आदि की सम्पूर्ति का कार्य सम्मिलित है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्याधीन विभागों के गोपनीय कार्य-कार्मिक विभाग के शासनादेश, राजाज्ञा,

नियुक्तियां, प्रतिवेदन, पुलिस विभाग के जी0डी0, सी0डी0, गोपनीय आख्या कोषागार एवं विभागीय परीक्षाओं के प्रकाशन आदि का मुद्रण व प्रकाशन कार्य किया जाता है ।

मुद्रण एवं लेखन-सामग्री नियम संग्रह (प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी मैनुअल) में उत्तर प्रदेश के सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों तथा संस्थानों को लेखन-सामग्री आदि को प्राप्त करने का प्रावधान है। उ0प्र0 सरकार के समस्त विभाग राजकीय मुद्रणालयों से मुद्रण कार्य निष्पादित कराने के लिए प्राधिकृत हैं। प्रदेश शासन से सम्बन्धित विभागों के मांगाधिकारियों (इन्डेन्टिंग आफिसर्स) द्वारा अपने-अपने विभागों के उपयोगार्थ सम्बन्धित शृंखलाओं के प्रपत्र व लेखन-सामग्री को प्राप्त करने के लिए प्रान्तीय प्रपत्र संख्या-173 पर अपना मांग-पत्र (इन्डेन्ट्स) निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत भेजकर प्रपत्रों, लेखन-सामग्री की आपूर्ति प्राप्त की जाती है।

मैनुअल में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के कार्य-कलापों के संबंध में शासन द्वारा जारी किये गये नवीनतम आदेश को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार मैनुअल में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से संबंधित कार्यों को सम्पादित कराने हेतु नियमों एवं प्रावधानों का समावेश है, जिस हेतु मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, उ0प्र0 कर्तव्यनिष्ठ है ।

विभाग में प्रचलित योजनायें

आज के कम्प्यूटरीकृत युग में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग उ0प्र0 में अत्याधुनिक मशीनों की स्थापना के उपरान्त भावी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने हेतु वार्षिक योजनानुसार मशीनों के क्रय के साथ आवश्यकतानुसार राजकीय मुद्रणालयों के भवनों का परिवर्तन/परिवर्धन तापमान/आर्द्रता नियंत्रण, जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया गया है, जिनका 05 वर्षों का विवरण निम्नवत् हैः-

1. वित्तीय वर्ष 2016-17 में आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कुल अनुदान रु0 700.00 लाख के सापेक्ष रु0 690.17 लाख व्यय कर मशीनों को स्थापित किया गया, फलस्वरूप मुद्रण कार्य त्वरित रूप से और अधिक प्रभावशाली हुआ। इसी प्रकार उक्त वित्तीय वर्ष में प्रपत्र भण्डार के निर्माण हेतु रु0 400.00 लाख एवं विविध निर्माण कार्य हेतु रु0 100.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में प्रपत्र भण्डार हेतु भवन का निर्माण कराया गया।
2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मशीनों के क्रय हेतु रु0 300.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष रु0 299.51 लाख की मशीनों को क्रय कर विभिन्न मुद्रणालयों में स्थापित कराया गया। इसी प्रकार नवीन प्रपत्र भण्डार के निर्माण हेतु रु0 265.57 लाख तथा विविध निर्माण कार्य हेतु रु0 307.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष नवीन प्रपत्र भण्डार हेतु भवन का निर्माण व अन्य कार्य कराये गये।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में मशीनों के क्रय हेतु रु0 300.00 लाख का प्रावधान था, जिसके

सापेक्ष रु0 299.53 लाख व्यय की मशीनों को क्रय करते हुये राजकीय मुद्रणालयों में स्थापित कराया गया, फलस्वरूप मुद्रण कार्य में गतिशीलता आयी।

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मशीनों के क्रय हेतु रु0 1000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रु0 950.69 लाख व्यय कर राजकीय मुद्रणालयों में मशीनों को स्थापित करायी गयी। उक्त मशीनों से मुद्रण कार्य और अधिक प्रभावशाली हुआ।

5. वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष विभाग द्वारा रु0 2363.00 लाख की अत्याधुनिक मशीनों को क्रय कर विभिन्न राजकीय मुद्रणालयों में स्थापित कराया गया है। उक्त मशीनों से मुद्रण कार्य की तकनीक और अधिक अत्याधुनिक हो गयी है, फलस्वरूप मुद्रण कार्य में गतिशीलता के साथ-साथ उसमें गुणात्मक सुधार हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मशीनों के क्रय हेतु रु0 500.00 लाख बजटीय प्रावधान है, जिसके सापेक्ष अत्याधुनिक मशीनों के क्रय हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

●

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

अभ्युदय

गन्ना विकास विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में सन् 1935 में की गई तथा सन् 1938 में चीनी विभाग स्थापित किया गया। सन् 1938 में गन्ना किसानों की मदद एवं चीनी मिलों को आपूर्ति होने वाले गन्ने के नियमन के लिए **'शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट–1938'** लागू किया गया, जिसके स्थान पर सन् 1953-54 में उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 एवं तद्विषयक नियमावली 1954 लागू की गई।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के मुख्य कार्यकलाप/उद्देश्य

- विभिन्न राजकीय योजनाओं का संचालन कराना।
- गन्ना कृषकों को उन्नतशील प्रजातियों के स्वस्थ बीज उपलब्ध कराना।
- नवीन गन्ना प्रजातियों का विकास एवं प्रदेश में खेती हेतु स्वीकृत करना।
- गन्ना फसल सुरक्षा एवं कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- प्रशिक्षण, विजिट एवं गोष्ठियों के माध्यम से कृषकों को खेती की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना।
- कृषकों के गन्ना उत्पादन की लागत में कमी तथा उत्पादकता बढ़ाने के उपायों को लागू कर कृषकों की आय बढ़ाने का प्रयास करना।
- प्रतिवर्ष कृषकों के गन्ने का सर्वेक्षण कराकर गन्ने की उपलब्धता का अनुमान करना।
- चीनी मिलों के लिए गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण तथा गन्ना आवंटन करना।
- कृषकों के गन्ने की समय से चीनी मिलों को आपूर्ति कराना।
- गन्ना तौल केन्द्रों का निरीक्षण कर गन्ने की सही तौल सुनिश्चित कराना तथा गन्ना खरीद की अनियमितताएं रोकना।
- चीनी मिलों की अनियमित/अवैधानिक गतिविधियों पर नजर रखना तथा विधिक कार्यवाही कराना।
- गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित कराना।
- खाण्डसारी इकाइयों/क्रैशर्स का लाइसेंस निर्गत करना।

वर्ष 2020-21

विभाग में संचालित विकास योजनाएं (विकास खण्ड)

गन्ना विकास द्वारा कृषकों के हित में गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने, अधिक चीनी उत्पादन हेतु गन्ने की चीनी परता का प्रतिशत बढ़ाने तथा गन्ने की प्रजातीय बदलाव हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग से विभिन्न योजनाएं संचालित हैं जिसके फलस्वरूप गन्ना उत्पादन, चीनी परता एवं शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के गन्ना प्रतिशत में आशातीत वृद्धि हुई है। योजनाओं का स्वरूप निम्न प्रकार है-

(1) गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) - यह योजना पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित हैं जिनका विवरण निम्नवत् है-

1. **आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम–** प्रदेश के गन्ना शोध केन्द्र यथा शाहजहाँपुर/ मुजफ्फरनगर, सेवरही, गोरखपुर, कटया सादात, अमहट, गोला पर उत्पादित किये गये अभिजनक गन्ना बीज का आवंटन गन्ना आयुक्त द्वारा प्रदेश की समस्त चीनी मिल/गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से गन्ना कृषकों को दिया जाता है जिससे चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के खेत पर आधार पौधशालायें स्थापित करायी जाती हैं। इस पौधशाला को आधार पौधशाला कहते हैं। जिस कृषक के यहां आधार पौधशाला स्थापित की जाती है, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा रु. 50/कु.की दर से कृषकों को बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान इसलिए दिया जाता है कि कृषक शुद्ध एवं निरोग बीज का उत्पादन कर सकें एवं ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट कृषकों को गन्ना बीज उपलब्ध कराया जा सके। इस पौधशाला का निरीक्षण एवं तकनीकी परामर्श गन्ना पर्यवेक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक/ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा किया जाता है।

2. **प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम–** आधार पौधशाला में उत्पन्न हुए बीज से मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के यहाँ प्राथमिक पौधशाला स्थापित की जाती है और इस पौधशाला से उत्पन्न बीज को सामान्य कृषकों में व्यवसायिक खेती के लिए उपलब्ध कराया जाता है और इसमें रु. 25/ कु0 की दर से पौधशाला धारकों को बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान इसलिए दिया जाता है कि कृषक शुद्ध एवं निरोग बीज का उत्पादन कर सकें। इस बीज का आवंटन प्रमाणीकरण के बाद सामान्य कृषकों को विभागीय नीति से ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा किया जाता है। इस पौधशाला का प्रमाणीकरण ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा किया जाता है। उपरोक्त दोनों तरह की पौधशालाओं को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषकों को शुद्ध एवं निरोग स्वीकृत प्रजाति का बीज कृषक को अधिक उत्पादन एवं चीनी मिल को अधिक चीनी परता वाली जातियां उपलब्ध हो सकें एवं पुरानी तथा रोग प्रभावित गन्ना जातियों को हटाया जा सके।

3. **अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम–** प्रदेश के गन्ना शोध केन्द्र यथा– शाहजहाँपुर/ मुजफ्फरनगर, सेवरही, गोरखपुर, कटया सादात, अमहट, गोला पर उत्पादित किये गये अभिजनक गन्ना बीज का आवंटन गन्ना आयुक्त द्वारा प्रदेश की समस्त चीनी मिल/गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से कृषकों को किया जाता है। चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के खेत पर पौधशालायें स्थापित करायी जाती हैं। यह बीज कृषकों द्वारा अपने खेत में लाया जाता है, बीज लाने हेतु अभिजनक बीज के यातायात पर रु. 15 प्रति कुं. की दर से अनुदान कृषकों को दिया जाता है।

4. **आधार बीज यातायात कार्यक्रम–** अभिजनक बीज से उत्पादित आधार गन्ना बीज को प्राथमिक पौधशाला हेतु प्रयोग किया जाता है। आधार पौधशालाओं में उत्पादित बीज का आवंटन प्राथमिक पौधशाला धारक कृषकों में किया जाता है, यह बीज कृषकों द्वारा अपने खेत में लाया जाता है, बीज लाने हेतु आधार बीज के यातायात पर रु. 7 प्रति कुं. की दर से अनुदान कृषकों को दिया जाता है।

5. **बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम–** गन्ने को रोग एवं कीट के प्रकोप से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि गन्ने की बुवाई से पूर्व गन्ना बीज को यथासम्भव उपचारित कर लिया जाये जिससे गन्ने की फसल में रोगों एवं कीटों की सम्भावना न रहे। बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्ना की बुवाई में बीज एवं भूमि के उपचार हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 500 प्रति हे. की दर से अनुदान लाभार्थी कृषकों को दिया जाता है।

6. **जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम–** भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाने के लिए जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 600.00 प्रति हे. की दर से अनुदान लाभार्थी कृषकों को दिया जाता है।

(2) **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-** भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना भी प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता एवं चीनी परता को बढ़ाने के लिए संचालित है। ताकि गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। यह योजना गन्ना विभाग में वर्ष 2011-12 में आरम्भ की गयी थी और मार्च 2015 तक भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण किया जाता रहा है परन्तु अप्रैल, 2015 से 60 प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित हैं जिसका विवरण निम्नवत् है-

ब्रीडर शीड उत्पादन एवं वितरण योजना- इसके अन्तर्गत गन्ना शोध केन्द्रों पर ब्रीडर शीड का उत्पादन कर कृषकों में वितरित किया जाता है जिसके लिए शोध केन्द्र को प्रति कु0 100.00 रु. का अनुदान की व्यवस्था थी जो कि वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा 40000 रु. प्रति हे0 कर दिया गया है। ब्रीडर सीड उत्पादन का कार्यक्रम गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों की देख-रेख में किया जाता है।

प्राथमिक गन्ना बीज वितरण कार्यक्रम- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आधार पौधशाला से प्राप्त आधार बीज से स्थापित प्राथमिक पौधशाला से बीज वितरण पर रु. 25 प्रति कुं0 की दर से अनुदान पौधशाला धारकों को दिया जाता है। इस पौधशाला का निरीक्षण एवं तकनीकी परामर्श गन्न पर्यवेक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक/ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा किया जाता है, बीज का प्रमाणीकरण बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा किया जाता है एवं प्रमाणित बीज पर ही अनुदान दिया जाता है। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों तथा पूर्ति का विवरण पार्श्व में अंकित है।

वित्तीय वर्ष	भौतिक (लाख कु0)		वित्तीय (लाख रु.)	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
2017-18	67.04	65.56	1676	1644
2018-19	53.74	49.34	1343.6	1233.5
2019-20	43.75	43.23	1093.78	1080.74

चीनी विभाग

अभ्युदय

चीनी विभाग की स्थापना वर्ष 1938 में की गयी। उत्तर प्रदेश में यद्यपि देवरिया के प्रतापपुर नामक स्थान पर 1903 में ही भारत की प्रथम प्राचीनतम चीनी मिल स्थापित हो चुकी थी, परन्तु गन्ना क्रय-विक्रय की किसी संस्थापित पद्धति के अभाव में गन्ना किसानों को अनेक कठिनाइयां होती थीं। भारत सरकार द्वारा पारित शुगरकेन एक्ट 1934 द्वारा प्रदेशीय सरकारों को किसी क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए वैक्यूम पैन चीनी मिलों द्वारा प्रयुक्त होने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्रीय कन्ट्रोल एक्ट 1938 में लागू किया गया। वर्ष 1953-54 में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 एवं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 लागू हुआ। उ0प्र0 सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के पारस्परिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए इन नियमों के अतिरिक्त उ0प्र0 शुगर फैक्ट्रीज लाइसेंसिंग आदेश 1969, उ0प्र0 गन्ना आपूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1961 एवं अन्य सुसंगत नियम बनाये गये हैं तथा समय की आवश्यकता के अनुरूप उसमें आवश्यक संशोधन किये गये हैं। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के पारस्परिक हितों के सम्बंध में बनाये गये शुगरकेन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के प्रावधान भी अपनाये गये हैं। प्रारम्भ में चीनी विभाग का मुख्य कार्य खाण्डसारी इकाइयों एवं चीनी उत्पादन हेतु जिसमें उत्तर प्रदेश गुड़ आदि से सम्बन्धित कानून के कार्यान्वयन के लिये और निगरानी रखने के लिये ही इस विभाग की स्थापना की गयी।

दायित्व- उत्तर प्रदेश में खाण्डसारी बनाने का उद्योग काफी प्राचीन है जिसमें समय के साथ-साथ पेराई क्षमता, कार्यकुशलता एवं उत्पाद की गुणवत्ता में अद्भुत तकनीकी सुधार आया है। वर्तमान में सल्फर इकाइयों के सर्वश्रेष्ठ नमूने और चीनी में अन्तर करने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रयोगशाला में विश्लेषण की आवश्यकता पड़ना भी आश्चर्य का विषय नहीं है। परन्तु यह आश्चर्यजनक अपितु कटुसत्य है कि विगत वर्षों में जितनी स्थिति इस उद्योग की गिरी है उतनी किसी उद्योग की नहीं। खाण्डसारी उद्योग के ह्रास का कारण यह भी है कि खाण्डसारी इकाइयों पर चीनी की परता कम आने के कारण इसे राष्ट्रीय हानि माना जाता है तथा पर्याप्त संचालन भी चीनी मिलों की गन्ना आपूर्ति पर कुप्रभाव माना जाता है। काफी समय पूर्व वर्ष 1970 में सहायक चीनी आयुक्त, खाण्डसारी अधिकारी, खाण्डसारी निरीक्षक के कार्य एवं दायित्व विस्तारपूर्वक निर्धारित किये गये थे, कि यदि विभागीय नियमों/अधिनियों एवं आदेशों के द्वारा कोई कार्य अथवा दायित्व किसी अधिकारी से अपेक्षित होगा तो वे अधिकारी नियमानुसार इन कार्यों के अतिरिक्त वह कार्य भी करेगा। साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा यदि कोई अन्य कार्य किसी अधिकारी को सौंपा जाता है तो वह कार्य भी उसके द्वारा किया जायेगा।

संक्षिप्त विवरण- चीनी विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय पर विभागाध्यक्ष चीनी आयुक्त के अधीन अपर/संयुक्त चीनी आयुक्त सहायक चीनी आयुक्त, मुख्यालय तथा वित्त एवं लेखाधिकारी के पद हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों में 03 उप चीनी आयुक्त (मेरठ, बरेली एवं लखनऊ) तथा 17 सहायक चीनी आयुक्त (सहारनपुर,

मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, अलीगढ़, बिजनौर, धामपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखनऊ गोण्डा, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़) एवं मुख्यालय के पद हैं तथा 14 खाण्डसारी अधिकारी (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर प्रथम, बिजनौर द्वितीय, धामपुर, मुरादाबाद-प्रथम, मुरादाबाद- द्वितीय, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, गोण्डा) के पद हैं एवं 123 खाण्डसारी निरीक्षकों के पद सृजित है। उक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी चीनी आयुक्त की प्रतिनिधायित शक्तियों के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

क्रियाकलाप- चीनी विभाग में शुगरकेन एकल को प्रवर्ती कराये जाने के साथ मुख्यतः खाण्डसारी इकाइयों के लाइसेंसिंग, खाण्डसारी इकाइयों से क्रयकर व गन्ना विकास कमीशन की वसूली (यद्यपि स्थगित) की गयी अपीलों के निस्तारण, खाण्डसारी इकाइयों के निरीक्षण एवं पायी गयी अनियमितताओं पर कार्यवाही तथा चीनी मिलों के द्वारा संस्थापित गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षणों पर विधिक कार्यवाही सम्पन्न कराने एवं तौल लिपिकों को लाइसेंस सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न की जाती है। चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने पर देय एवं गन्ना क्रय केन्द्रों पर तौल लिपिकों द्वारा घटतौली करने पर उनका लाइसेंस निलम्बन करते हुए न्यायालय में वाद दायर कर उनकी पैरवी हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है तथा क्षेत्रीय गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त द्वारा चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर सही तौल की निगरानी करना तथा चीनी मिलों द्वारा गन्ना क्रयकर जमा करने का कार्य सम्पादित किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश भर में पेराई सत्र 2019-20 में कुल 205 खाण्डसारी इकाइयों द्वारा कार्य किया गया है तथा पेराई सत्र 2018-19 से आनलाइन खाण्डसारी लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू किये जाने से लगभग 125 वर्षों के पश्चात् प्रदेश में 116 नवीन लाइसेंस जारी किये गये हैं।

●

पर्यटन

भूमिका

पर्यटन के बहुआयामी आकर्षणों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है, जहाँ हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते है। वर्ष-2019 में 5358:55 लाख भारतीय पर्यटक/विजिटर्स एवं 47.45 लाख विदेशी पर्यटक/विजिटर्स प्रदेश के भ्रमण पर आये, जिसमें प्रयागराज में कुम्भ मेला-2019 में आये भारंतीय पर्यटक/श्रद्धालु 2394.70 लाख एवं विदेशी पर्यटक/श्रद्धालु 10.30 लाख सम्मिलित हैं, तथा वर्ष-2020 में लगभग 861.22 लाख भारतीय पर्यटक/विजिटर्स एवं लगभग 8.91 लाख विदेशी पर्यटक/ विजिटर्स प्रदेश के भ्रमण पर आए।

प्रदेश के समन्वित एवं नियोजित पर्यटन विकास व प्रचार-प्रसार हेतु निम्नलिखित पर्यटन परिपथों का चिन्हांकन किया गया है - रामायण परिपथ, कृष्णा-ब्रज परिपथ, बौद्ध परिपथ, वन एवं इको पर्यटन परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ, महाभारत परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, सूफी/कबीर परिपथ, जैन परिषथ, क्राफ्ट परिपथ एवं स्वतंत्रता संग्राम परिपथ।

प्रदेश के समन्वित एवं नियोजित विकास में सर्व समावेशी एवं सतत विकास की अवधारणा के आधार पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अनेकता में एकता की भावना को मूर्तरूप प्रदान करते हुए पर्यटन नीति-2018, इकाईयों के बिनिवेश, प्रो-पुअर पर्यटन विकास कार्यक्रम एवं अन्य बहुआयामी पर्यटन विकास की रणनीति के अन्तर्गत पर्यटन के साथ-साथ विकास के अन्य क्षेत्रों को भी सहयोग प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है।

अयोध्या में प्रतिवर्ष दीपोत्सव का आयोजन विश्व स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें लाखों दीयों का प्रज्ज्वलन कर विभाग द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकार्ड बनाया जाता है। वाराणसी में देव दीपावली एवं मथुरा में भव्यरूप से रंगोत्सव का आयोजन, बरसाना में आयोजित होने वाली लट्ठमार होली, प्रो-पुअर पर्यटन विकास हेतु विश्व बैंक से सम्पादित हुआ अनुबन्ध आदि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की अत्यन्त संवेदनशील, महत्त्वपूर्ण एवं अति विस्तारित भूमिका का परिचायक है। पर्यटन विभाग के अनवरत प्रयास उत्तर प्रदेश को विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

उद्देश्य

- प्रदेश के समन्वित पर्यटन-विकास व प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन-परिपथों का चिन्हांकन और उनके बृहद् विकास के लिए पर्यटन महत्त्व के स्थानों का चयन कर पर्यटन संबंधी अवस्थापना सुविधाएँ सुलभ कराने हेतु योजनाओं की संरचना करके उन्हें राज्य/केन्द्र सरकार के संसाधनों

से केन्द्रीय योजना, राज्य योजना एवं जिला योजना के माध्यम से कार्यान्वित कराना ताकि प्रदेश में पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त होने के साथ-साथ उनके आगमन मैं वृद्धि हो सके।

- प्रदेश सरकार द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन-विकास के लिए ऐसे पर्यटक स्थलों का विकास किया जाना, जहाँ कम से कम 50 हजार पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण हेतु आते हों।
- राज्य योजना के अन्तर्गत ऐसे पर्यटक स्थलों का चयन, जो मुख्य परिषथ के अन्तर्गत आते हों, जहाँ विदेशी व भारतीय पर्यटकों का आवागमन वर्ष भर बना रहता है, का पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास किया जाना, जिससे पर्यठकों का भ्रमण अविस्मरणीय हो।
- उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा को विभिन्न आयोजनों के माध्यम से संरक्षण व प्रोत्साहन प्रदान करना।
- पर्यटकों के मार्ग-दर्शन हेतु उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों-स्मारकों एवं संस्कृति-कला-शिल्पजनित विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले तथ्यपूर्ण एवं ज्ञानवर्द्धक पर्यटन साहित्य मुद्रित कर पर्यटकों को उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश को आदर्श गन्तव्य केन्द्र के रूप में विकसित कराने के प्रयत्नों के क्रम में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना।
- विभिन्न मेले-महोत्सवों एवं संगोष्ठियों के आयोजनों के माध्यम से अधिकांधिक संख्या में पर्यटकों को प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा से प्रदेश की ओर आकर्षित किया जाना।
- रोजगार-सृजन, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता मिशन एवं पूँजीनिवेश जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को पर्यटन के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए पर्यटन को उद्योग के रूप में स्थापित करना।

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से सम्बन्धित योजनाओं का विवरण

1. जनपद वाराणसी में अप्रवासी भवन के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की उपलब्धता।
2. उन्नाव के बक्सर में गंगानदी के तट पर स्थित चन्द्रिका देवी मन्दिर व राजाराव रामबख्श सिंह के किले का पर्यटन विकास।
    - जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित मां चन्द्रिका देवी परिसर में गेस्ट हाउस का निर्माण।
    - जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित मां चन्द्रिकां देवी परिसर में घाटों का निर्माण।
    - जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित राजाराव रामबक्श सिंह शहीद पार्क का सौन्दर्यीकरण।
    - जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित मां चन्द्रिका देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण।
    - जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित मां चन्द्रिका देवी मंदिर पर साइनेज का कार्य।
3. अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली एवं बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन।
4. प्रयागराज में मल्टीमीडिया डिजिटल कुम्भ म्यूजियम तथा अयोध्या में रामकथा संग्रहालय में डिजिटल इन्टरवेशन के प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृत प्राप्त कर कार्यान्वयन कराया जायेगा।
5. कौशाम्बी पर्यटन स्थल में पर्यटकों की सुविधा हेतु गेस्ट हाउस का निर्माण।
6. जनपद कौशाम्बी को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जायेगा।

7. रामायण सर्किट/रामवन गमन मार्ग को विकसित किया जायेगा।
8. गोण्डा में स्वामी नारायण मन्दिर छपिया का पर्यटन विकास।
9. हरिद्वार में निर्माणाधीन पर्यटक भवन का नाम भागीरथी पर्यटक आवास गृह किया जायेगा।
10. इटावा में पंचनदा जहां 05 नदियां मिलती हैं को पर्यटक स्थल के रूप में विकास
11. सम्भल को पर्यटक नगरी के रूप में विकसित किया जायेगा।
    - जनपद सम्भल स्थित सूर्यकुण्ड का स्थानीय पर्यटन विकास।
    - जनपद सम्भल के ग्राम- तिवारी सराय स्थित पातालेश्वर (सम्भलेश्वर) महादेव मंदिर का पर्यटन विकास
    - जनपद सम्भल के ग्राम- चन्द्रायन चन्दौसी रोड स्थित चन्द्रेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास।
    - जनपद सम्भल के रायसत्ती निकट वेलासत्ती के थाना स्थित भुवनेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास।
    - जनपद सम्भल में मोहल्ला कोट पूर्वी में प्राचीन भगवान कल्कि मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य।
12. तापसी धाम आश्रम हरैया जनपद बस्ती में घाट एवं पार्क का विकास।
13. जनपद सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी देवी एवं माँ श्री त्रिपुर बाला सुन्दरी देवी मन्दिर, देवबन्द का सौन्दर्यीकरण।
14. अयोध्या स्थित पंचकोसी व चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
15. अयोध्या स्थित रामकथा पार्क का विस्तारीकरण।
16. प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर्यटन सवंर्धन योजना अन्तर्गत एक पर्यटन केन्द्र विकसित किया जाएगा।
17. जनपद अयोध्या में स्थित सूर्यकुण्ड में श्रद्धालुओं के लिए जन सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए सूर्यकुण्ड का विकास।
18. राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि पर शहीद स्व0 रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति शहीद स्थल विकास संग्रहालय का निर्माण।

उ०प्र० प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना

विश्व बैंक सहायतित उ0प्र0 प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना एक अभिनव परियोजना है। इस परियोजना में प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों- आगरा एवं ब्रज के अन्तर्गत पर्यटन विकास सम्बन्धी-गतिविधियों के माध्यम से गरीबी-उन्मूलन तथा रोजगार-सृजन करने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्मारकों/स्थलों पर मूलभूत पर्यटक सुविधाओं के सृजन एवं विकास के साथ ही साथ स्थानीय लोगों के आर्थिक/सामाजिक स्तर के उन्नयन तथा रोजगार-परक अवसर हेतु विभिन्न गंतिविधियाँ प्रस्तावित हैं।

371.43 रू. की एवं योजना के अस्तर्गत जनपद-आगरा की दो (1) कछपुरा एवं मेहताब बाग क्षेत्र के समेकित पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण, (2) शाहजहां पार्क तथा ताजमहल एवं आगरा

फोर्ट के मध्य विशिष्ट पर्यटक मार्ग का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य तथा जनपद-मथुरा की दो परियोजनाएं (1) श्री बांके बिहारी जी मन्दिर क्षेत्र का समेकित पर्यटन विकास, (2) श्री बांके बिहारी जी मन्दिर को आने-जाने वाली चिन्हित 22 गलियों के ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य प्रगति पर है।

परियोजना के अन्तर्गत रोजगार-सृजन एवं दक्षता-विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैंः-

- रचनात्मक उद्योग के अन्तर्गत चिन्हित 5196 शिल्पकारों का क्षमतावर्धन का कार्य दिसम्बर, 2022 तक किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 2033 शिल्पकारों का क्षमतावर्धन किया जा चुका है।
- रचनात्मक उद्योग के अन्तर्गत 229 शिल्पकार समूहों के गठन का कार्य दिसम्बर, 2022 तक किया जाना प्रस्तावित है; जिसके सापेक्ष 165 समूहों का गठन किया जा चुका है।
- रचनात्मक उद्योग के अन्तर्गत 1301 व्यक्तियों के रोजगार का सृजन का कार्य दिसम्बर, 2022 तक किया जाना प्रस्तावित है; जिसके सापेक्ष 408 व्यक्तियों के रोजगार का सृजन का कार्य किया जा चुका है।
- आगरा एवं ब्रज क्षेत्र में आतिथ्य क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित 2700 लाभर्थियों को दिसम्बर, 2022 तक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 317 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन एवं विश्व बैंक के अनुमोदनोपरान्त परियोजना के अन्तर्गत सारनाथ एवं कुशीनगर के कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा आगरा हेतु आगरा विकास प्राधिकरण, मथुरा हेतु मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, वाराणसी हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं कुशीनगर हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

सार्वजनिक निजी सहभागिता के अन्तर्गत प्रमुख परियोजनाएँ

रोप-वे परियोजना

प्रदेश सरकार द्वारा पी0पी0पी0 मॉडल पर रोप-वे की परियोजना उ0प्र0 के तीन स्थलों पर चित्रकूट, अष्टभुजा-कालीखोह (विन्ध्याचल) एवं बरसाना (मथुरा) में क्रियान्वित की जा रही है। चित्रकूट, अष्टभुजा-कालीखोह (विन्ध्याचल) में रोप-वे स्थापित करने हेतु उ.प्र. राज्य पर्यटन बिकास निगम लि0, को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। चित्रकूट रोप-वे का संचालन 14 सितम्बर, 2019 से प्रारम्भ हो चुका है। जनपद मिर्जापुर के विन्ध्याचल स्थित अष्टभुजा एवं कालीखोह (विन्ध्याचल) में रोप-वे परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बरसाना (मथुरा) में पी0पी0पी0 मॉडल पर रोप-वे की परियोजना क्रियान्वयन हेतु मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। बरसाना (मथुरा) में राधा रोप-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

लीज पर संचालित पर्यटन इकाईयां

उत्तर प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विकास एंव पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पर्यटन विभाग की बन्द/असंचालित/घाटे में चल रही इकाईयों को निजी क्षेत्र के माध्यम से लीज पर देते हुए संचालित किए जाने को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्णय लिया गया। वर्ष 2016 में पर्यटन विभाग की निम्न 06 पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को उत्तर प्रदेश पी0पी0पी0 गाईडलाइन के अनुसार 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर विकसित एवं संचालन किये जाने हेतु दिया जा चुका है :-

● राही पर्यटक आवास गृह, महोबा, ● राही पर्यटक आवास गृह, देवरिया, ● राही टी0आर0सी0, मथुरा, ● राही पर्यटक आवास गृह, रामगढ़ ताल, गोरखपुर, ● राही पर्यटक आवास गृह, टाइगर डेन, पलिया, लखीमपुर खीरी, ● राही पर्यटक आवास गृह, कपिलवस्तु।

शेष इकाईयों को लीज पर दिये जाने की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गई है।

हेलीकॉप्टर सेवा

प्रदेश के महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के पाँच प्रमुख पर्यटक स्थलों यथा- लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा तथा मथुरा में पर्यटन विभाग द्वारा हेलीपोर्टों का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा तथा मथुरा में हेलीपोर्ट/हेलीपैड का निर्माण होने के उपरांत हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ होने पर पर्यटकों को वाराणसी दर्शन, प्रयागराज दर्शन, लखनऊ दर्शन, मथुरा के पवित्र तीर्थ स्थल, गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन तीर्थ दर्शन एवं आगरा दर्शन आदि की सुविधा प्राप्त होगी।

विभाग द्वारा कराये गये महत्त्वपूर्ण आयोजन

प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बहुआयामी दिशा प्रदान कराने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन संस्थाओं के सहयोग से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण आयोजन कराये गये :-

दीपोत्सव अयोध्या

13 नवम्बर, 2020 को छोटी दीपावली के दिन अयोध्या में राम की पैड़ी पर लाखों दीप जलाकर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से उतरे राम, सीता, लक्ष्मण का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया गया तथा सरयू नदी पर भव्य लेजर-शो के जरिये राम कथा का प्रदर्शन भी किया गया, तदुपरान्त रामकथा पार्क में इण्डोनेशिया, श्रीलंका एवं भारतीय रामलीला का मंचन किया गया। विभाग द्वारा 6,06,569 दीये, जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया।

देव दीपावली

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में काशी में देव दीपावली का आयोजन दिनांक 30 नवम्बर, 2020 को पर्यटन विभाग द्वारा कराया गया । देव दीपावली परम्परागत रूप से प्रतिवर्ष वाराणसी में राजघाट से अस्सीघाट के मध्य दीपोत्सव के रूप में मनायी जाती है। देव दीपावली को देखने के लिए देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु/पर्यटक वाराणसी पधारते हैं।

रंगोत्सव

मथुरा के बरसाना में होली का आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। होली का पर्व सम्पूर्ण ब्रज क्षेत्र में अत्यन्त उत्साहपूर्वक मनाया गया। ब्रज में होली का त्यौहार बसंत पंचमी से प्रारम्भ होकर चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया के मध्य विविध स्थानों पर भिन्न-भिन्न रूप से मनाया गया। होली के प्रमुख आयोजन बरसाना तथा नन्दगांव की लट्ठमार होली, टेसू होली, फालेन की होली, दाऊजी का हुरंगा आदि हैं।

●

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

प्रदेश में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए नियोजित व्यय बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। इस उद्देश्य से प्रदेश के विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों एवं संगठनों द्वारा विगत कई वर्षों से कार्यपूर्ति-दिग्दर्शक, आय-व्ययक (परफारमेन्स बजट तैयार कर विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा प्रथम बार वर्ष 1975-76 में कार्यपूर्ति-दिग्दर्शक, आय-व्ययक (परफारमेन्स बजट) तैयार कर विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तत्क्रम में प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा कार्यपूर्ति-दिग्दर्शक, आय-व्ययक (परफारमेन्स बजट) विधानसभा पटल पर पर रखा जा रहा है। इसी क्रम में विभाग का यह छियालीसवां प्रयास है।

वन एवं वन्य जीव संरक्षण तथा सम्बर्द्धन का कार्य उत्तर प्रदेश, वन एवं वन्य जीव विभाग के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों हेतु वित्तीय प्रावधान किया जा रहा है। प्राविधानित धनराशि का समुचित उपयोग कर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से विभाग की विभिन्न वृक्षारोपण व अन्य योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

मिट्टी, जल, वायु और जीव-जन्तु इत्यादि सभी पर्यावरण के अंग हैं। जब किन्हीं कारणों से इनका आपसी तालमेल बिगड़ जाता है, तो पर्यावरण का सन्तुलन भी बिगड़ जाता है। प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित पंच पदार्थ - क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर ही पर्यावरण का मुख्य ढाँचा बनाते हैं। मानव अस्तित्व के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु विश्वव्यापी समस्याओं से चिंतित होकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1972 में 5 से 15 जून तक स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसमें घोषणा की गयी कि मानव को स्वतंत्रता, समानता और जीवन की उपयुक्त दशाओं के साथ गुणवत्तायुक्त पर्यावरण में 'सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जीने का मौलिक अधिकार है तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन करना मानव का परम कर्तव्य है। स्टॉकहोम सम्मेलन के तत्काल बाद हमारे देश में पर्यावण की सुरक्षा हेतु अनेक कदम उठाये गये।

पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान किये जाने हेतु वर्ष 1976 में संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48-क और नागरिकों के मूल

कर्तव्यों में अनुच्छेद 51-क(छ) का समावेश किया गया। अनुच्छेद 48-क द्वारा राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि "राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा"। इसके साथ ही अनुच्छेद 51-क (छ) में प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौंपा गया कि "वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।" अतः राज्य सरकार तथा नागरिकों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझते हुये पर्यावरणीय गुणवत्ता को बनाये रखने तथा उसमें बढ़ोत्तरी के प्रति निरन्तर प्रयार करना होगा।

उत्तर प्रदेश शासन के अधीन पर्यावरण विभाग द्वारा इसी पृष्ठभूमि में प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं संवर्धन हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, पर्यावरणीय शोध को प्रोत्साहित करने तथा इनसे सम्बन्धित विविध कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित हैं।

वर्ष 2021-22 के इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक के माध्यम से जहाँ एक ओर वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा किये गये कार्यों का संक्षेप में उल्लेख किया गया, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये प्राविधानित धनराशि के समुचित उपयोग तथा प्रस्तावित भौतिक उपलब्धियों के कार्यक्रमों का भी निरूपण किया गया है। आशा है कि इस कार्यपूति दिग्दर्शक आय-व्ययक के माध्यम से पर्यावरण विभाग के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायता तथा मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

वर्ष 2021-22 के इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक में दी गई सूचना तथा उसके प्रस्तुतीकरण को और अधिक प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए सुझावों का स्वागत है।

भूमिका

उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,148 वर्ग किमी0 है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी0 क्रे सापेक्ष मात्र 9.19 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वनों का समुचित ढंग से प्रबन्धन करने हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग की स्थापना वर्ष 1855 में की गयी थी। उत्तर प्रदेश की निरन्तर बढ़ती आबादी एवं अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि की बढ़ती मांग के फलस्वरूप जहां एक ओर प्रदेश में राष्ट्रीय वन नीति के अपेक्षित स्तर 33.33 प्रतिशत भू-भाग को वनों से आच्छादित करने की सम्भावनाएं कम हैं, वहीं दूसरी ओर इस घनी आबादी वाले प्रदेश में आम जनता की ईंधन, चारापत्ती, इमारती लकड़ी तथा लघु एवं अन्य कुटीर उद्योगों के लिए वन उपज की मांग एवं सीमित वन संसाधनों से आपूर्ति के बीच अन्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु यह आवश्यक है कि उपलब्ध वनों का वैज्ञानिक पद्धति से सघन प्रबन्ध किया जाये। वृक्षों से भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण के साथ-साथ मानव जीवन हेतु शुद्ध पर्यावरण की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पर्यावरणीय समस्याओं

के निवारण हेतु विभाग की यह रणनीति रही है कि वन क्षेत्र के बाहर सामुदायिक, सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी भूमि पर अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण किया जाय। इस उद्देश्य से प्रदेश में वृक्षाच्छादन बढ़ाने के लिए अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि, रेल, सड़क व नहर के किनारे खाली पड़ी भूमि, शहरी क्षेत्रों के पार्कों में, राजकीय तथा अन्य रोपण योग्य तथा कृषकों की अनुपजाऊ निजी भूमि पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाये जाने वाले वन्य जीवों व जैव विविधता संरक्षण हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में स्थापित 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव विहारों, 1 आरक्षित संरक्षण क्षेत्र तथा 4 प्राणि उद्यानों का प्रबन्धन भी किया जा रहा है।

वन क्षेत्र के आस-पास कृषि एवं औद्योगिकीकरण के विकास के कारण वन पार्कों एवं वन्यजीव वास स्थलों के पास होने वाली वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर नियंत्रण व निवारण हेतु समुचित कार्यवाही वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा की जा रही है। विभाग द्वारा वन एवं वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ जैवविविधता संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। वन एवं वन्यजीव विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि तथा उनके कल्याण हेतु भी विभिन्न कार्य कराये जा रहे हैं।

वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने, स्थायी प्रकृति की सामुदायिक परिसम्पत्तियों को सृजित कर ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग वन विकास अभिकरण के माध्यम से वृक्षारोपण एवं अन्य विकास कार्य करके कराया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में संयुक्त वन प्रबन्ध के मध्यम से जन सहभागिता बढ़ायी जा रही है।

वन एवं वन्यजीव विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ राज्य सरकार के वन एवं वन्यजीव प्रशासन से सम्बन्धित तकनीकी परामर्शदाता हैं तथा शासन स्तर पर विभागीय नीतियों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं।

उत्तर प्रदेश के वन-एक दृष्टि

उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, वनावरण तथा वृक्षावरण निम्न प्रकार हैः-

(क्षेत्रफल वर्ग किमी0)

अः वन क्षेत्र	
1. उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	2,40,928
2. अभिलिखित वन क्षेत्र	16,582
क-आरक्षित वन क्षेत्र	12,070
ख-संरक्षित वन क्षेत्र	1,157
ग-अवर्गीकृत वन क्षेत्र	3,355

3. वनावरण	14,806
क-अति घना वन क्षेत्र	2,617
ख-घना वन क्षेत्र	4,080
ग-खुला वन क्षेत्र	8,109
4. वृक्षावरण	7,342
5. वनावरण एवं वृक्षावरण	22,148
6. भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत	9.19
बः वन्य जीव परिरक्षण	
1. प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क	1
2. प्रदेश में वन्य जीव विहारों की संख्या	26
3. आरक्षित संरक्षण क्षेत्र	1
4. प्रदेश में प्राणि उद्यान	4

स्रोत : स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 की तुलना में 127 वर्ग किमी0 वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से वनों के समुचित प्रबन्धन तथा सफल वृक्षारोपणों के कारण हुई है।

वृक्षारोपण योजनाएं

राज्य पोषित एवं केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही बागान योजनाओं का विवरण निम्नवत है-

सामाजिक वानिकी योजना

सामाजिक वानिकी योजना प्रदेश के ग्रामवासियों को प्रकाष्ठ, ईंधन एवं चारापत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध ग्राम समाज एवं सामुदायिक भूमि तथा अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के समुदाय को लाभ पहुँचाने हेतु स्पेशल कम्पोनेट प्लान तथा अनुसूचित जनजाति हेतु ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत भी बजट प्रावधान किया जाता है जिससे उन्हे दैनिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त जलौनी लकड़ी, फल-फूल तथा पशुओं के लिए चारापत्ती आदि सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सके।

वर्ष 2018-19 के अन्त तक इस योजना (सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सहित) के अर्न्तगत कुल रु0 1,94,105.57 लाख व्यय किया गया जिससे 4,39,267 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 2,56,133 हे0 में कृषि वानिकी कार्य किये गये।

शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना

यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है। वृक्षारोपण पर होने वाला व्यय पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के समस्त शहरों/नगरों में कल कारखानों तथा वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण को रोकना, मार्गों एवं नगरों का सौन्दर्य बढ़ाना तथा पथिकों को छाया उपलब्ध कराना है। इस योजना के अर्न्तगत प्रमुख रूप से इमली, नीम, पीपल, बरगद, आम, कदम, अशोक, गुलमोहर, अकेसिया तथा अन्य शोभाकार प्रजातियां रोपित की जाती हैं।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के अन्त तक कुल रुपया 8,650.14 लाख व्यय किये जा चुके हैं तथा 62.72 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

टोटल फारेस्ट कवर योजना

यह योजना जनपद मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूँ, रामपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, आजमगढ़, ललितपुर तथा चित्रकूट को पूर्ण रूप से हरा-भरा किये जाने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक इस योजना में रु0 12,876.50 लाख व्यय किया गया है जिससे 9199 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है।

वनावरण सम्बर्द्धन परियोजना

अवनत वन एवं खुले वन क्षेत्रों में वनावरण संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जनपदों (आगरा, अलीगढ, शाहजहांपुर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, झांसी, बांदा, कानपुर नगर, लखनऊ, अयोध्या, गोण्डा, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती एवं आजगढ़) में नाबार्ड के वित्त पोषण से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक इस योजना में रु0 4498.93 लाख व्यय किया गया है जिससे 3539 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है।

पौधशाला प्रबन्धन योजना

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में आगामी वर्षों के वृक्षारोपण हेतु पौधशालाओं में उच्च गुणवत्ता के पौध तैयार किये जाते हैं। इस योजना में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 तक रु0 15277.52 लाख व्यय किया गया है।

सम्वर्द्धक योजनाएं

भवन निर्माण

सुदूर वनों में कार्यरत वन कर्मियों के लिए आवासीय भवनों तथा विभागीय कार्यालयों के निर्माण हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2021-22 में रु0 5.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)

भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से वनों की सुरक्षा के उद्देश्य से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वनों की अग्नि से सुरक्षा, वनों की सुरक्षा हेतु

आवश्यक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रबन्ध योजना का निरूपण, फील्ड सर्वे, सीमांकन आदि से सम्बन्धित कार्य कराये जाते हैं। वर्ष 2021-22 में रु0 331.05 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वन सम्बन्धी शोध कार्य एवं प्रसार

वन अनुसंधान का कार्य अपर प्रमुख वन संरक्षक/निदेशक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर के अधीन कार्यरत तीन वन वर्धनिक, साल क्षेत्र (बरेली), दक्षिणी क्षेत्र (कानपुर) एवं विन्ध्य क्षेत्र (रामनगर, वाराणसी) के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।

विभागीय वृक्षारोपण, अन्य एजेंसियों अथवा निजी भूमि पर कृषकों द्वारा किये जाने वाले वृक्षारोपण की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए आवश्यक है कि उच्च गुणवत्तायुक्त पौध उपलब्ध हो। उच्च गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करने के लिए चयनित बीज स्रोतों से ही बीज आपूर्ति का विशेष महत्त्व है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वन अनुसंधान शाखा द्वारा वृक्ष सुधार कार्यक्रम को विशेष महत्त्व दिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 तक रु0 277.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु0 15.57 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 16.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2021-22 में रु0 16.00 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया है।

गौरा हरदो आजमगढ में वन विहार पार्क का विकास

जनपद आजमगढ़ में बूढ़नपुर तहसील के गौरा हरदो में वन विहार (पार्क) के निर्माण हेतु "गौरा हरदो आजमगढ में वन विहार पार्क का विकास" योजना कार्यान्वित की जा रही है।

जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार तथा वन देव में गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य की योजना

मऊ जनपद के एकमात्र वन मनोरंजन पार्क का जीर्णोद्धार करके यहां की जनता को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने, जनपद के स्कूली बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गयी। वनदेवी स्थित वन क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए वन विश्राम गृह का निर्माण कराया जाना है।

वर्ष 2021-22 में रु0 100.00 लाख का आय-व्यय का प्रावधान किया गया है।

सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री

सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसमें 60% केन्द्रांश तथा 40% राज्यांश का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहित कर वृक्षाच्छादन बढ़ाना है। इस योजना के मुख्य कार्यों में कृषि वानिकी हेतु उच्चगुणत्ता युक्त रोपण सामग्री हेतु पौधशालाओं का विकास, खेतों की मेड़ सीमा पर पंक्ति वृक्षारोपण, कृषि भूमि पर ब्लाक वृक्षारोपण, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास तथा प्रचार-प्रसार सम्मिलित है। योजना में कृषकों को

रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आय सृजन के अतिरिक्त साधन तथा ग्रामीण परिवारों विशेष रूप से छोटे किसानों की आजीविका के संसाधनों में वृद्धि होगी। वर्ष 2021-22 में रु0 833.33 लाख के आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण

इस योजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग विषयक प्रस्तावों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की गयी शर्तों के अनुपालन में याचक विभागों से क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान निधि, वन्यजीव क्षेत्रों के हस्तान्तरण/उपयोग आदि मदों में व अन्य विशेष शर्तों के अनुसार धनराशि प्राप्त की जायेगी. जिसे प्रतिकरात्मक वन रोपण अधिनियग 2016 (2016 का 38) में दिये गये प्रावधानों के अधीन राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि में स्थानान्तरित/जमा किया जायेगा। प्रतिकरात्मक वन रोपण अधिनियम 2016 (2016 का 38) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उक्त जमा धनराशि एवं अर्जित ब्याज की धनराशि से क्षतिपूरक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं अन्य मदों में प्रयोग किया जायेगा। वर्ष 2021-22 में रु0 60,000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

नेशनल बैम्बू मिशन योजना

नेशनल बैम्बू मिशन एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है। इस योजना में वन क्षेत्रों तथा गैर वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण कर बांस क्षेत्र को बढ़ाना है। इस योजना के मुख्य कार्यों में बांस वृक्षारोपण हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री हेतु पौधशाला्ओं का विकास, वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण गैर वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण, बैम्बू ट्रीटमेंट प्लान्ट/प्रोसेसिंग यूनिट फार वैल्य एडीसन/ प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट/काटेज इन्डस्ट्री/फर्नीचर मेकिंग (प्राइवेट एवं सरकारी)/ज्वेलरी मेकिंग/स्टिक मेकिंग/डिमोस्ट्रेशन प्लाट/रुरल हाट (प्राइवेट)/कार्बोनाइजेशन प्लान्ट/बिजनेस इन्क्यूवेटर्स/कामन फैसलिटी सेन्टर /बैम्बू डिपो/वैम्बू बाजार/इन्क्यूवेशन सेन्टर (सरकारी) प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास तथा प्रचार-प्रसार सम्मिलित है। इस योजना से कृषकों के उत्पादकता, रोजगार के अवसर, आय सृजन, ग्रामीण परिवारों विशेष रूप से छोटे किसानों की आजीविका के संसाधनों में वृद्धि होगी। वर्ष 2021-22 में रु0 1613.85 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

विन्ध्य एवं दुन्देलखण्ड क्षेत्र में छोड़ी गयी खदानों तथा पठारी/पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षारोपण

विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र का अधिकांश भाग पठारी है तथा इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत कम होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सामान्यतः सूखे की स्थिति बनी रहती है। भू-गर्भ जल का स्तर भी काफी नीचे चला जाता है। उत्तर प्रदेश के विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ऐसी पुरानी खदाने हैं, जिनमें वृक्षारोपण भूमि उपलब्ध हो सकती है। वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा वृक्षारोपण कर वनावरण को बढ़ाया तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ईंधन, चारा एवं इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति भी हो सकती है। वृक्षारोपण करने से मृदा संरक्षण हो सकेगा तथा जल की

निरन्तरता बढ़ेगी। ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा को सीमित कर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्ष 2021-22 में रु0 47.47 लाख क आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वन्य जीव परिरक्षण योजनाएं

प्रोजेक्ट टाइगर

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार की योजना-"प्रोजेक्ट टाइगर" से वर्ष 1987 में आच्छादित किया गया। कालान्तर में किशनपुर वन्यजीव विहार, कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी इसके साथ रखकर इसे संयुक्त रूप से भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना "प्रोजेक्ट टाइगर" योजना के अन्तर्गत लाया गया। वर्तमान में रिजर्व क्षेत्र का प्रबन्धन मुख्यतः "प्रोजेक्ट टाइगर" योजना से वित्त पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 तक रु0 8561.09 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु0 2140.59 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2020-21 में रु0 2984.42 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2021-22 में रु0 3141.26 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स

यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्यजीव विहारों के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 तक रु0 2713.10 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रू0 797.55 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2020-21 में रु0 1500.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2012-22 में रु0 1307.62 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

प्रोजेक्ट एलीफैन्ट

यह योजना भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से "उत्तर प्रदेश एलीफैन्ट रिजर्व" हेतु चलायी जा रही है। योजना के अन्तर्गत हाथी के प्राकृतवास की सुरक्षा व संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों, मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों के अल्पीकरण, स्थानीय समुदायों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 तक रु0 177.59 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु0 57.39 लाख व्यय किया गया है। वर्ष-2021-22 में रु0 80.50 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम

यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल वेटलैण्ड कन्जरवेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाई जा रही है। योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य संरक्षित तथा गैर संरक्षित वेटलैण्ड की सुरक्षा, प्राकृत वास सुधार, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, शोध, स्थानीय समुदायों के साथ भागीदार प्रबंध एवं जलगुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुंचाना है। वर्ष 2021-2022 में रु0 800.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास

इस योजना का औचित्य जन सामान्य के लिए वन्य जीव संरक्षण एवं सम्बर्द्धन के प्रति जागरूकता उत्पन्न किया जाना है। वर्तमान में एशियन बब्बर शेर का अस्तित्व खतरे में है तथा इनके प्राकृतवास मात्र गिर फ़ारेस्ट, गुजरात तक सीमित रह गये हैं। अतः इन्हें उपयुक्त वासस्थल का विकास करके संरक्षण प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इटावा जनपद में लायन सफारी की स्थापना से बब्बर शेरों के लिए वैकल्पिक वास स्थल विकसित होगा। क्षेत्र की स्थानीय जलवायु के अनुसार वनस्पतियों का संरक्षण एवं सम्बर्द्धन कर क्षेत्र को बब्बर शेरों के प्राकृतिक वासस्थल के रूप में विकसित करना है। वर्ष 2021-22 में रु0 1281.15 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण

दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण कर इसे सुसज्जित किये जाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। दुधवा नेशनल पार्क में टूरिज्म के विकास एवं वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्य किये जायेंगे।

संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यजीवों का प्रबन्धन

उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र जहां वन्यजीवों की अधिकता है, के संरक्षण एवं इनके प्राकृतिक वास के विकास को समुचित रूप से करने के उद्देश्य से संसाधन उपलब्ध कराया जाना तथा निरन्तर विकास के कारण वन्यजीव के प्राकृतवास पर बढ़ते जैव दबाव के कारण समग्र प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती हुई घटनाओं के निराकरण के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 तक रु0 569.73 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु0 95.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में रु0 105.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

ईको पर्यटन का विकास

इस योजना के माध्यम से प्रदेश में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहां प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा हो, वन एवं वन्यजीवों की बहुतायत हो और पर्यटकों के लिए क्षेत्र आकर्षक हो। परियोजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना

इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढाने के उद्देश्य से जनपद में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान का निर्माण किया जा रहा है।

इस योजना में वर्ष 2018-19 तक रु0 11828.53 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु0 10000.00 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में रु0 86.89 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

बर्ड फेस्टिवल का आयोजन

उत्तर प्रदेश राज्य में पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने एवं विद्यार्थियों को इन जीवों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस बर्ड फेस्टिवल के आयोजन में वन विभाग के अतिरिक्त उ0प्र0 पर्यटन विभाग, सूचना विभाग, एफ.आई.सी.सी.आई., गैर-सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय जनता को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2021-22 में रु0 100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क

तितलियों का पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर में इस तितली पार्क के माध्यम से आम जन-मानस में तितलियों के बारे में जागरूकता बढ़ायी जा रही है। वर्ष 2021-22 में रु0 42.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

मूसाबाग वन क्षेत्र, लखनऊ का विकास एवं संरक्षण

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित अवध वन प्रभाग की लखनऊ रेंज के अन्तर्गत एल0आई0टी0 (मूसाबाग) वन ब्लाक मूसाबाग वन क्षेत्र में वर्ष 1970 के दशक में स्थापित एल0आई0टी0 वन विश्राम गह, वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय, कर्मचारी आवासीय परिसर, दर्शकों के मनोरंजन हेतु वन चेतना केन्द्र, चिल्ड्रेन पार्क, कैन्टीन तक पहुंचने हेतु आर0सी0सी0 पुल, पुरुष एवं महिला शौचालय, पेय जल सुविधा, पौधशाला, वाटर चैनल को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु आदि कार्यों हेतु यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2021-22 में रु0 100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना

जन साधारण को वानिकी कार्यों की जानकारी देने व उनमें अभिरुचि पैदा करने तथा उनको मानसिक शान्ति प्रदान करने हेतु जनपद सीतापुर में इलियासग्रांट वन भूमि में आचार्य नरेद्र देव स्मृति पार्क की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2021-22 में रु0 50.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

दुधवा टाइगर रिजर्व का विकास

वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य हेतु रिजर्व के फ्रन्ट लाइनों कर्मचारी (वन रक्षक, वन्यजीव रक्षक, वन दरोगा तथा उपराजिक) वन क्षेत्र में स्थित वन चौकियों पर रहते हैं। इन कर्मचारियों के परिवार तथा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु सीमा पर तैनात जवानों की भांति फील्ड हास्टल जैसी सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दुधवा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना में वर्ष 2016-17 में रु0 575.38 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2017-18 में कोई व्यय नहीं किया गया है। वर्ष 2021-22 में रु0 200.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना

वृन्दावन जनपद मथुरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए एक मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों गैर राजकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को वन्यजीव संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष तथा वन्यजीव रेस्क्यू से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु लखनऊ मंडल में "वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र" की स्थापना की जानी है। वर्ष 2021-22 में रु0 10.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

शेखा झील अलीगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकास

पक्षियों के संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक वास के सुधार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शेखा झील, अलीगढ़ को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाना है। वर्ष 2021-22 में रु0 50.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

वेटलैण्ड्स का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास

प्रदेश के विभिन्न वैटलैण्ड्स के पारिस्थितिकीय विकास हैतु वेटलैण्ड्स की सफाई, हानिकारक खर-पतवार निकालना, पौधरोपण एवं बीज बुआन, बन्धों का निर्माण तथा अवस्थापना का विकास सम्बधी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2021-22 में रु0 50.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

कुकरैल वन क्षेत्र के अन्तर्गत इको पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना

कुकरैल वन क्षेत्र में स्थित पिकनिक स्पाट क्षेत्र लखनऊ वासियों एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के साथ-साथ बाहरी पर्यटकों के लिए भी एक अत्यन्त आनन्दमयी स्थान है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शक/ पर्यटक यहां मनोरंजन एवं मानसिक शान्ति के हेतु आते हैं। मनोरंजन के साथ-साथ स्कूल एवं कालेजों से आने वाले विद्यार्थियों को पेड़ पौधों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य आर्बोरेटम बनाने की योजना तैयार की गयी है। भारत में पाये जाने वाले वृक्षों की अधिक से अधिक प्रजातियों को एक ही स्थान पर लगाया जायेगा, जिससे पेड़ पौधों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं को अध्ययन में सुविधा मिल सके। पर्यटकों की रुचि को बनाये रखने एवं उन्हें स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेचर ट्रेल व घास का मैदान/लॉन का रख-रखाव कार्ययोजना में समावेश किया गया है। वर्ष 2021-22 में रु0 1000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

पर्यावरण विभाग

प्रस्तावना

मनुष्य पर्यावरण से जल, वायु, भोजन और अन्य भौतिक सुख-सुविधा ग्रहण करता है। हमारे चारों ओर जो भौतिक, रसायनिक एवं जैविक दशाएं विद्यमान हैं, वे सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाती हैं। पर्यावरण का प्रदूषण उसी क्षण से प्रारम्भ हो गया था जब मनुष्य ने दो पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख लिया था, परन्तु तब वह प्रदूषण घातक नहीं था, क्योंकि मानव की

आबादी बहुत कम थी, उसकी आवश्यकताएं सीमित थीं तथा प्राकृति उनकी भरपाई करने में पूर्ण समर्थ थी।

वैसे तो प्रकृति अपने घटकों का संतुलन बनाये रखने में स्वयं समर्थ है, परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन अनियोजित औद्योगीकरण व नगरीकरण, वाहनों की निरन्तर बढ़ती संख्या, नदियों, झीलों व तालाबों इत्यादि में गिरते औद्योगिक व नगरीय उत्प्रवाह व कूड़ा-कचरा, रसायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के खेती में असंतुलित उपयोग, बढ़ते उपभोक्तावाद इत्यादि के कारण प्रकृति स्वयं अपना संतुलन बनाये रख पाने में असमर्थ हो रही है।

विगत अनेक दशकों में जो विकास कार्य हुए हैं, उनसे लाभ तो अवश्य हुए हैं, परन्तु साथ ही पर्यावरण का अपघटन भी हुआ है। इसका प्रमुख कारण विकास कार्यों में पर्यावरणीय पहलुओं का समुचित समावेश न किया जाना ही है। सतत् विकास के लिए अपरिहार्य है कि विकास योजनाएं पर्यावरण संगत बनाई जाएं और पर्यावरण संरक्षण हमारे विकास कार्यों का अनिवार्य अंग बने। पर्यावरण संगत विकास ही विकास की सही प्रक्रिया है, जिसके तहत मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकतायें भविष्य की पीढ़ियों के जीवन पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले पूरी की जा सकती है।

पर्यावरण निदेशालय की स्थापना के उद्देश्य, कर्तव्य एवं दायित्व

पर्यावरण निदेशालय अपने अत्यंत सीमित संसाधनों से पर्यावरणीय समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन, इनके निदान तथा जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रयासरत है। निदेशालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यतः निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है-

1. पर्यावरणीय जन चेतना के व्यापक प्रसार हेतु कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन।
2. पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
3. पर्यावरण अपघटन एवं प्रदूषण के संबंध में प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के संबंध में वांछित कार्यवाही करना।
4. प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों ओर विकास प्राधिकरणों को उनकी योजनाओं के सम्बध में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परामर्श देना।
5. प्रदेश के पर्यावरण की स्थिति का विश्लेषण/आंकलन एवं तद्नुसार नीतिगत उपायों हेतु परामर्श देना।
6. पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन।

उपर्युक्त के अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को निर्गत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अन्तर्गत औद्योगिक एवं विकास परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण/पूर्व-पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरणों और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य किया जा रहा है।

निदेशक तथा प्रशासन

इसके अन्तर्गत निम्नाकिंत योजनाएं प्रस्तावित हैंः-

पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण निदेशालय में एक जल एवं वायु प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस हेतु आवश्यक स्थान निदेशालय के वर्तमान भवन में पूर्व से उपलब्ध है। फर्निशिंग का कार्य कराया जा चुका है। जल गुणवत्ता विश्लेषण संबंधी कुछ उपकरणों की व्यवस्था पूर्व में की गई। आय-व्ययक वर्ष 2021-22 में स्टाफ के वेतन, मजदूरी एवं संयंत्र के क्रय इत्यादि के मदों में रु0 15.86 लाख की बजट व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्र पोषित योजना

परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना और अनाधिकृत परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबन्धन हेतु "परिसंकटमय अपशिष्ट नियम" 1989 (यथा संशोधित) के अनुसार उद्योगों से उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय रसायनों और परिसंकटमय अपशिष्टों सहित परिसंकटमय पदार्थों के उपयोग और प्रबन्धन के सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में बड़ी मात्रा में जनित हो रहे परिसंकटमय अपशिष्टों के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता है, किन्तु पूरे राज्य में बढ़ते हुए औद्योगीकरण एवं इससे बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो रहे परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु भविष्य में इन स्थलों के विस्तारीकरण अथवा नई परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का चयन कर अन्य निस्तारण सविधाओं की स्थापना की जानी होगी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट हथालन, पुनर्चक्रण एवं प्रबन्धन अधिनियम, 2016 निर्गत किये गये हैं, जिसके अनुसार राज्य इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधाओं को प्रोत्साहन देना है। परिसंकटमय अपशिष्ट, जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट एवं इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट का उचित प्रबन्धन पर्यावरण संरक्षण के अपरिहार्य अंग हैं तथा राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह इन सभी प्रकार के अपशिष्टों के समुचित प्रबन्धन एवं निस्तारण की व्यवस्था राज्य में स्थापित करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधा, संरक्षित लैण्डफिल सुविधा, समाकलित इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण एवं उपचार सुविधा तथा सामूहिक जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट निस्तारण की सुविधाओं की स्थापना हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिये जाने का प्रस्ताव है। जिसमें 25 प्रतिशत वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा एवं 25 प्रतिशत वहन केन्द्र सरकार के द्वारा मैचिंग ग्रान्ट के रूप में किया जायेगा। (अधिकतम सीमा रु0 13.75 करोड़ -टी0एस0डी0एफ0 हेतु रु0 7.50 करोड़ सिक्योर्ड

लैण्ड फिल हेतु एवं 12.80 करोड़ ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग हेतु) की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा भूमि दिये जाने की दशा में उसका मूल्य राज्यांश में सम्मिलित किये जाने और केन्द्र अनुदान की गणना हेतु भूमि की लागत शामिल नहीं किये जाने की व्यवस्था है।

अनधिकृत परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार (के. 40/रा. 60)

भारत सरकार के नेशनल क्लीन इनर्जी योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत की धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन किये जाने की सैद्धांतिक सहमति के क्रम में ग्राम खानचंद्रपुर रनियां, कानपुर देहात में क्रोमियम युक्त अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु तैयार की गई डी0पी0आर0 को सी0पी0सी0बी0 की प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी की 9वीं बैंठक दिनांक 07-06-2018 मैं स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त डी0पी0आर0 के अनुसार रिमेडिएशन हेतु अनुमानित लागत रु0 136 करोड़ तथा भूगर्भीय जल के रिमेडिएशन की आपरेटिंग कास्ट रु0 2.5 करोड़ प्रति माह है तथा डी0पी0आर0 में परिसंकटमय अपशिष्ट एवं कन्टैमिनेटेड स्वायल को सिक्योर्ड सेल में स्थानान्तरित करने हेतु अन्तरिम रिमेडिएल आप्सन भी समावेशित किया गया है, जिसमें रु0 23.44 करोड़ के व्यय अनुमानित है।

उ0प्र0 में स्थित ग्राम खानचंदपुर, रनिया, कानपुर देहात में औद्योगिक अपशिष्ट रखे जाने से हो रहे प्रदूषण के रिमेडिएशन हेतु भारत सरकार की नेशनल क्लीन एनर्जी योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 60 प्रतिशत की धनराशि राज्याशं के रूप में दी जानी होगी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में टी0एस0डी0एफ0/सी0बी0एम0डब्ल्यू0/ई-वेस्ट के निस्तारण सुविधा की स्थापना हेतु रु0 200.00 लाख राज्यांश की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नेशनल ग्रीन कोर योजना

नेशनल ग्रीन कोर योजना जिसे एन.जी.सी. के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें स्कूली बच्चे पृथ्वी संरक्षण अभियान के संचालक के रूप में कार्य करते हैं। विगत वर्षों में नेशनल ग्रीन कोर योजना के संचालन हेतु पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0 को राज्य नोडल एजेंसी नामित किया गया था। योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में उ0प्र0 के 67 जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं 5500 स्कूलों मे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से इको क्लब के गठन हेतु धनराशि हस्तांतरित किए जाने की कार्यवाही की गयी। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर इको-क्लबों का गठन कराया जायेगा।

अन्य कार्यक्रम/योजनाएं

उ०प्र० जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के कार्यों हेतु उपलब्ध कारपस फण्ड से प्राप्त होने वाले ब्याज से निम्नांकित कार्य किये जाने प्रस्तावित हैंः-

जलवायु परिवर्तन पर जनरलों/रिपोर्टों का प्रकाशन

- जलवायु परिवर्तन की पुस्तकालय एवं ई-पुसतकालय वर्कशाप/कान्फ्रेंस/सिम्पोजियम का आयोजन।
- अधिकारियों के क्षमता विकास हेतु देश-विदेश में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित वर्कशॉप/कान्फ्रेंस/सिम्पोजियम में प्रतिभाग।
- जलवायु परिवर्तन पर मुख्यालय/मण्डल/जिला स्तर पर जन जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन
- जलवायु परिवर्तन पर जन जागरूकता हेतु होर्डिंग्स/इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया में प्रकाशन हेतु व्यय।
- जलवायु परिवर्तन पर शोध/केस स्टडी पर व्यय।

मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को रेम्यूनरेशन एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओवर साइट कमेटी के गठन किया गया है तथा जिसके सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष एवं सदस्य को समस्त लॉजिस्टिक सपोर्ट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश है, जिस हेतु रु0 72.00 लाख की बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021-22 में है।

जिला पर्यावरण समिति

जिला स्तर पर समस्त पर्यावरणीय विषयों एवं प्रदूषण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समग्र रूप से अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति गठित की गयी है, सिके सदस्य संयोजक जिला वन अधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी नामित किये गये हैं, के सुचारु संचालन/समिति के कार्यों की सहायता हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक जे0आर0एफ0 अर्थात कुल 75 जे0आर0एफ0 को आउट सोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने एवं जिला पर्यावरण समिति के कार्यों की सहायता के उद्देश्य से आउट सोर्सिंग के माध्यम के माध्यम से अपने जनपद के लिए एक जे0आर0एफ0 की सेवाएं लिये जाने हेतु जिला स्तर पर एक उप समिति का गठन करते हुये तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने प्रदेश के समस्त वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, वन विभाग को निर्देश जारी किया गया है। संदर्भि योजना हेतु वर्ष 2021-22 में रु0 400.00 लाख की बजट व्यवस्था है।

●

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण जनित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 03 फरवरी, 1975 को **''उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड''** का गठन किया गया। वर्ष 1981 में भारत सरकार द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम की धारा-5 के प्रावधानों के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत गठित राज्य बोर्ड को ही वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया। 13 जुलाई, 1982 से राज्य सरकार द्वारा उक्त राज्य बोर्ड का नाम बदलकर **''उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड''** विनिर्दिष्ट कर दिया गया।

प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य :

1. राज्य में नदियों और कुओं के जल की गुणवत्ता बनाये रखना तथा नियंत्रित क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने, उसे कम करने के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसका निष्पादन सुनिश्चित करना है।
2. प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उसे कम करने के लिए सम्बद्ध विषयों पर जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसार करना, राज्य सरकार को सलाह देना, उससे संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका संचालन करना, उसमें भाग लेना।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी कार्य में लगे या लगाये जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।
4. मल तथा व्यावसायिक बहिःस्राव व उत्सर्जन के शुद्धीकरण संयंत्रों की जाँच तथा निरीक्षण करना तथा स्थानीय निकायों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान या नये उत्प्रवाहों व उत्सर्जनों के निस्तारण हेतु सहमति देना।
5. बहिःस्राव व उत्सर्जन के मानक अधिकथित करना और राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण का अनुश्रवण करना।
6. मल तथा व्यावसायिक उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण हेतु ऐसी प्रक्रियाओं का विकास करना जो टिकाऊ व सस्ता होने के साथ ही साथ कृषि तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों।
7. उद्योगों तथा स्थानीय निकायों से जल उपकर एकत्र करना तथा उसे केन्द्रीय सरकार को भेजना।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्य कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं आय व्ययक के प्राविधानों के अनुसार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि :

नमूने एकत्रित किया जाना एवं उनका परीक्षण :

विभिन्न उद्योगों के उत्प्रवाह द्वारा हो रहे प्रदूषण की स्थिति एवं प्रकार ज्ञात करने तथा नदियों के जल की गुणता की जाँच करने के लिए नमूने एकत्र कर भौतिक, रसायनिक एवे जीवाणु परीक्षण हेतु राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में भेजकर उनकी जाँच करायी जाती है।

बोर्ड द्वारा वातावरण में परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण का कार्य प्रदेश के 29 शहरों- आगरा, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, सोनभद्र, वाराणसी, रायबरेली, मथुरा, उन्नाव, सहारनपुर, लखनऊ, ग्रटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, झाँसी, कानपुर देहात, बाँदा, अलीगढ़ ,बुलन्दशहर, अयोध्या, बस्ती, बिजनौर, नोएडा व केन्द्रीय प्रयेगशाला आदि नगरों में 72 स्थलों पर किया जा रहा है।

उद्योगों को सहमति प्रदान करने हेतु नीति का सरलीकरण एवं अधिकारों का प्रतिनिधायन :

पूर्व में बोर्ड मुख्यालय द्वारा समस्त जल एवं वायु सहमति प्रकरणों का निस्तारण किया जाता था तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को सहमति आवेदनों के निस्तारण हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। उक्तानुसार लाल श्रेणी में 60 प्रकार के उद्योगों, नारंगी श्रेणी में 83 प्रकार के उद्योगों, हरी श्रेणी के 63 प्रकार के उद्योगों एवं सफेद श्रेणी में 36 प्रकार के उद्योगों को चिह्नित किया गया है तथा उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हरी श्रेणी में संशोधन करते हुए सी0पी0सी0बी0 द्वारा चिन्हित 63 प्रकार के उद्योगों के साथ 28 प्रकार के उद्योगों को सम्मिलित करते हुए कुल हरी श्रेणी में 91 प्रकार के उद्योग एवं सफेद श्रेणी में सी0पी0सी0बी0 के 36 श्रेणी के चिन्हित उद्योगों के साथ 156 प्रकार के उद्योगों को चिन्हित करते हुए कुल 192 प्रकार के उद्योगों को चिन्हित किया गया है तथा यह भी प्राविधानित किया गया है कि हरी एवं नारंगी श्रेणी में चिन्हित उद्योगों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से तथा लाल श्रेणी में चिन्हित उद्योगों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति प्रकरण का निस्तारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र :

प्रदेश में नये लगाये जाने वाले उद्योगों तथा वर्तमान उद्योगों में क्षमता विस्तार के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि उद्यमी उद्योग लगाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिस स्थान पर उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है, वहाँ उसकी स्थापना से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तो नहीं हो जायेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं एवं उनकी विस्तृत जाँच कर, अगर प्रस्ताव उपयुक्त हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय आवश्यकतानुसार शर्तें लगा दी जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व व्यवसायिक उत्प्रवाह, घरेलू उत्प्रवाह एवं वायु उत्सर्जन की शुद्धीकरण व्यवस्था अवश्य कर ली जाये।

उत्तर प्रदेश में स्थित परिसंकटमय अपशिष्ट (हैजार्ड्स वेस्ट) जनित करने वाले उद्योगों एवं परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था का विवरण :

प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन व सीमा पार संचालन नियम, 2016 के अन्तर्गत 2366 उद्योग वर्तमान में आच्छादित हैं। इन सभी उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण एवं सुरक्षित निस्तारण के लिए उद्योगों को प्राधिकार निर्गमन हेतु राज्य बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

श्रेणी (वृहद एवं मध्यम) के उद्योगें की कार्ययोजना :

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योगों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक कार्य योजना, 1990 में तैयार की गई थी, जिसमें निम्न 17 प्रकार के वृहद एवं मध्यम श्रेणी के अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को चिन्हित किया गया था -

1. आसवनी 2. चीनी उद्योग 3. सीमेन्ट उद्योग 4.लुगदी एवं कागज 5. उर्वरक 6. चमड़ा उद्योग 7. कीटनाशक 8. एल्यूमीनियम स्मैल्टर 9. कापर स्मैल्टर 10. जिंक स्मैल्टर 11. लोहा तथा स्टील 12. डाइज एण्ड डाई इण्टरमीडिएट 13.पेट्रो केमिकल्स 14. रिफाइनरी 15. थर्मल पावर प्लान्ट 16. कास्टिक सोडा उद्योग 17.औषधीय उद्योग।

इन 17 श्रेणी के सभी उद्योगों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने तथा बोर्ड के निर्धारित मानकों को प्राप्त करने हेतु बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं।

आसवनी इकाईयों द्वारा शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके अन्तर्गत आर0 ओ0 प्लान्ट एवं मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर्स के उपरान्त बायों कम्पोस्टिंग अथवा इन्सीनरेशन ब्वायलर स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार आसवनी इकाईयों से होने वाले जल प्रदूषण एवं रंगीन उत्प्रवाह के निस्तारण को नियंत्रित कर लिया गया है।

चीनी उद्योगों को भी शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई में अथवा नियंत्रित मात्रा में शुद्धिकरण के पश्चात् निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं।

नगरीय ठोस अपशिष्ट :

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 एवं तत्पश्चात् प्रख्यापित नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 को अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 द्वारा अधिक्रान्त करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नया नियम लागू किया गया है, जिन्हें **''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016''** कहा गया है। यह नियम दिनांक 08.04.2016 से प्रवृत्त है। प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु की गई कार्यवाही एवं प्रस्तावित कार्यवाही निम्नवत् है-

1. स्थानीय निकायों से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन, उपचार एवं सुरक्षित निस्तारण किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 जो अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 से प्रभावी हैं, का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों तथा अनुश्रवण बोर्ड द्वारा किया जाना प्राविधानित है।

2. बोर्ड द्वारा समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों को उक्त नियम, 2016 में

वर्णित प्रावधानों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किया गया है।

3. प्रदेश में वर्तमान में कुल 652 नगर निकाय (नगर निगम-17, नगर पालिका परिषद-198, नगर पंचायत-437) चिह्नित हैं।

4. प्रदेश में जनित कुल नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा 14370 टन/दिन है।

5. नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु प्रदेश में वेस्ट से कम्पोस्ट बनाये जाने के 17 संयंत्र संचालित हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 5520 टन/दिन है।

गोमती नदी का अनुश्रवण :

गोमती अनुश्रवण अध्ययन के अन्तर्गत लखनऊ में गोमती नदी के जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा एवं पी.एच. का परीक्षण प्रतिदिन तथा 17 विभिन्न प्रचालकों के लिए परीक्षण प्रतिमाह एक बार नियमित रूप से किया जाता है, जिससे गोमती नदी के जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण तथा जल की गुणता का ज्ञान होता रहे।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (नेशनल वाटर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम) :

इस परियोजना (पूर्व नाम मीनार्स) के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न नदियों एवं अन्य जल स्त्रोतों (तालाब, झील आदि) के 102 चिन्हित स्थलों पर (कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, रेनूकूट, गोरखपुर, देवरिया, ललितपुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, बदायूँ, मिर्जापुर, बागपत, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, कन्नौज, नोएडा, सीतापुर, अयोध्या, मथुरा, सोनभद्र, जौनपुर, वृन्दावन, हमीरपुर, झाँसी मुजफ्फरनगर इटावा, बिजनौर, फरुखाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर व आगरा) जल गुणता अनुश्रवण का कार्य एक माह में एक बार किया जाता है। जिससे विभिन्न नदियों की जल गुणता की जानकारी प्राप्त हो सके। यह परियोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा 70 प्रतिशत वित्तपोषित है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी का अनुश्रवण कार्य माह में दो (Fortnightly) किया जाता है।

वर्तमान में उपरोक्त परियोजना भी नेशनल वाटर क्वालिटी मानिटरिंग नेटवर्क के अन्तर्गत है।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (नेशनल एयर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम) :

इस परियोजना (पूर्व नाम नाकम) के अन्तर्गत प्रदेश के 27 शहरों- गाजियाबाद, गजरौला, आगरा, नोएडा, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बरेली, झाँसी, प्रयागराज, मेरठ, खुर्जा, वाराणसी, सहारनपुर, रायबरेली, मथुरा, हापुड़, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर अयोध्या, अलीगढ़, अनपरा में 78 चिह्नित स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कार्य सम्पादित किया जाता है। यह परियोजना भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा 50 प्रतिशत वित्तपोषित है। इस योजना में विभिन्न स्थलों की वायु गुणवत्ता की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।

ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम :

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं इससे संबंधित नियमावली के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2010 एवं संशोधित 2010 प्रख्यापित किये गये

हैं जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 14-02-2000 से प्रवृत्त हो गये हैं।

1. पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम :

दीपावली पर्व के दौरान जनित ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण पर्व के दौरान राज्य के प्रमुख 28 शहरों में ध्वनि प्रदूषण की जाँच का कार्य सम्पादित किया गया।

2. स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशन :

बोर्ड द्वारा प्रदेश के 12 शहरों- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, बागपत, बुलंदशहर,मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, झाँसी, फिरोजाबाद हापुड़ एवं मुजफ्फरनगर में कुल 44 स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशनों की स्थापना की गई है। इन स्टेशनों से लगातार परिवेशीय वायुगुणता के विभिन्न प्रचालक जैसे- पार्टीकुलेट मैटर (पी.एम. 10 एवं पी.एम. 2.5), सल्फर डाइ आक्साइड, नाइट्रोजन डाई आक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनो आक्साइड गैसों, बेन्जीन, जाइलीन, टाल्वीन के आंकड़े प्राप्त होते हैं।

3. ध्वनि गुणता अनुश्रवण :

बोर्ड द्वारा प्रदेश के 56 शहरों की विभिन्न श्रेणियों- आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं शान्त क्षेत्रों में दिन एवं रात्रि के समय परिवेशीय ध्वनि गुणता अनुश्रवण का कार्य प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जा रहा है।

4. स्वचालित परिवेशीय ध्वनिगुणता मापक स्टेशन :

बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से लखनऊ शहर में 10 स्टेशनों को स्थापित किया गया है। यह स्टेशन लोहिया अस्पताल, इंदिरा नगर, तालकटोरा, डी.आर.एम. ऑफिस हजरतगंज, एस.जी.पी.जी.आई., आई.टी. कॉलेज, बोर्ड मुख्यालय विभूति खण्ड, चिनहट औद्योगिक क्षेत्र, आंचलिक विज्ञान केन्द्र अलीगंज तथा चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में स्थापित हैं। इन स्टेशनों से लगातार ध्वनि स्तर के आंकड़े प्राप्त होते हैं।

प्रदेश के विभिन्न चिन्हित 17 नॉन - अटेन्मेट नगरों क्रमशः लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, झांसी, रायबरेली, अनपरा, गजरौला, खुर्जा, गोरखपुर एवं नोएडा की वायुगुणता में सुधार हेतु कार्य योजना वर्तमान में क्रियान्वित है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

भूमिका

राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योगों तथा स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के अनुरूप प्रदेश में "उ0प्र0 स्टार्ट-अप फण्ड" की स्थापना हेतु उ0प्र0 स्टार्ट-अप फण्ड के नामित फण्ड मैनेजर, सिडबी को प्रथम किश्त धनराशि रु0 15.00 करोड़ उपलब्ध कराई गई है। शेष रु0 5.00 करोड की धनराशि शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रदेश में स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नई उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति-2020 प्रख्यापित की गयी है जिसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के 100 से अधिक इक्यूबेटर तथा समस्त जनपदों में 10,000 स्टार्ट-अप्स हेतु इको सिस्टम स्थापित किया जाना निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफक्चरिंग जोन (ई.एम.जेड.) पहले से ही घोषित किया गया है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाईयों को बढ़ावा देने और पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पुनः नई "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020" प्रख्यापित की गई है, जिसमें सम्पूर्ण प्रदेश क्षेत्र निवेश हेतु आच्छादित है। प्रदेश में डाटा सेण्टर निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 डाटा सेण्टर नीति-2021 प्रख्यापित की गयी है जिसके अन्तर्गत रु0 20,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके अन्तर्गत विभिन्न निवेशकों द्वारा निवेश हेतु रुचि दशाई गई है।

प्रदेशवासियों की शिकायतों के समेकित पंजीकरण उपरान्त उनके त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लखनऊ में संचालित इनबाउण्ड-आउटबाउण्ड कॉल सेन्टर (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076) को कोविड-19 महामारी की अवधि में नियंत्रण केंद्र के रूप में उपयोग कर इनबाउंड कॉल्स के माध्यम से लगभग पचास हजार से अधिक आमजन की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को पंजीकृत कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अग्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन से इन्टीग्रेशन के माध्यम से भी स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करायी गई। लॉकडाउन सम्बन्धी आर्थिक मदद, सेनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिंग की प्राप्त शिकायतों को पंजीकृत कर सम्बन्धित जनपद कन्ट्रोल रूम्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। आउटबाउंड कॉल्स के माध्यम से विभिन्न जिलों के कन्ट्रोल रूम, ग्राम प्रधानों, पार्षदों, सचिवों,

आशा/एएनएम कार्यकर्ताओं, अप्रवासियों, प्रवासियों निगरानी समिति आदि को कोविड-19 की रोकथाम से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार करने, जनपद कोटा में फंसे छात्रों और देश भर में फंसे प्रवासी कामगारों के विवरण दर्ज कर उनको वापस बुलाने, डायलिसिस, सीटी स्कैन एवं कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों से निरन्तर सम्पर्क करने तथा होम/हॉस्पीटल आइसोलेशन के मरीजों से उनकी सेहत की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने आदि की कार्यवाहियां की गई/जा रही हैं

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लि. (यूपीडेस्को)

अभ्युदय एवं विकास

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लि. (यूपीडेस्को) की कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत 15 मार्च, 1977 के नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन के नियंत्रणाधीन स्थापना की गई थी जिसको परिवर्तित कर 23 दिसम्बर, 1999 से आई.टी. एवं इक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन किया गया। यह निगम शासन द्वारा अधिकृत कम्पनी है इसके गठन का मुख्य उद्देश्य कम्प्यूटर बेस्ड डाटा प्रणाली को स्थापित कर प्रबन्धकीय समस्याओं को चिन्हित करते हुए उनके अनुरूप तकनीकी विकल्प के माध्यम से अपेक्षित समाधान कराने में सहयोग करना है। कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में हो रहे व्यापक परिवर्तनों एवं सूचना क्रान्ति के साथ बेहतर ताल-मेल स्थापित करते हुए निगम द्वारा वर्तमान में अपने निम्न प्रभागों के माध्यम से कार्यों का सम्पादन किया जाता हैः-

- कम्प्यूटर प्रभाग
- कन्सलटेन्सी, ग्रामीण विकास सर्वेक्षण प्रभाग
- शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग
- प्रशासन एवं लेखा प्रभाग

निगम के मुख्य उद्देश्य

- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना संचार प्रौद्योगिकी, परियोजना एवं प्रबन्ध तथा ग्राम्य विकास एवं सर्वेक्षण के क्षेत्र में तकनीकी एवं अवस्थापना सपोर्ट, परियोजना निर्माण, क्षमता विकास प्रबन्धन एवं नीति क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य में एवं वाह्य राज्यों में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।
- विभिन्न योजनाओं के विकास के क्षेत्रों में यथावश्यक सर्वेक्षण, मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक तथा तकनीकी आर्थिक अध्ययनों को करने के लिये अपने स्तर पर अथवा किसी अन्य संस्था/संस्थान अथवा किसी व्यक्ति से सम्बद्ध होकर कार्य करना।
- कम्यूटरीकरण क्षेत्र में विभिन्न सरकारी विभागों को स्वतन्त्र रूप में अथवा किसी से सम्बद्ध होकर सेवा प्रदान करना।

निगम के प्रमुख कार्य

- विमागों को आई.टी. एवं आई.सी.टी. आधारित क्षेत्रों में तकनीकी परामर्श के अन्तर्गत कम्यूटरीकरण की कार्य-योजना, हार्डवेयर क्रय, सॉफ्टवेयर विकास एवं कम्यूटर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कराने में सहयोग करना।
- विभागों में तकनीकी एवं अन्य जनशक्ति के रूप में अपने विशेषज्ञों की निःशुल्क तैनाती के

माध्यम से सेवाएँ प्रदान करना।

- आई.सी.टी. योजनाओं को टर्न-की माडल के आधार पर सम्पादित कराना।
- राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विस्तार।
- विभिन्न विभागों/अधिष्ठानों से प्राप्त अध्ययनों को पूर्ण करना।
- विभागों की मांग पर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की आपूर्ति।
- शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्यों/योजनाओं का निष्पादन।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

(क) शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित योजनाओं/कार्यों के सापेक्ष योजनाओं की विशिष्टियों एवं इनमें अब तक की गयी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के विवरण संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

स्टेट-डाटा सेन्टर की स्थापना एवं संचालन

- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना राज्य में की गई है जिसमें विभिन्न जी2सी, जी2जी सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के विभिन्न विभागों के डाटा एवं एप्लीकेशन साफ्टवेयर को केन्द्रीयकृत रूप से रखा जा रहा है। यह योजना ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य की एक महत्त्वपूर्ण कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना है।
- यूपीडेस्को द्वारा इम्पलीमेंटेशन एजेन्सी के रूप में स्टेट डाटा सेन्टर को स्थापित कराते हुए दिनांक 06.08.2012 से इसे गो-लाइव कराया गया।
- उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर (यूपीएसडीसी) हेतु मे0 टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज का डाटा सेन्टर आपरेटर (डीसीओ) के रूप में दिनांक 6 अगस्त, 2012 से पाँच वर्षों की अवधि तक इसके आपरेशन एवं अनुरक्षण की सेवायें ली गईं जोकि दिनांक 5 अगस्त, 2017 को पूर्ण हुई।
- तत्क्रम में यूपीएसडीसी के सुचारु संचालन के दृष्टिगत डीसीओ के रूप में खुली ई-निविदा के माध्यम से मे0 बीवीजी इण्डिया लि. का चयन करते हुए 31 अक्टूबर, 2020 तक इस संस्था से सेन्टर के आपरेशन एवं अनुरक्षण की सेवायें ली गईं।
- पुनः यूपीएसडीसी के चार वर्षों तक आपरेशन तथा अनुरक्षण हेतु खुली ई-निविदा के माध्यम से मे. आर्बिट टेक्साल इण्डिया प्रा. लि., नई दिल्ली का चयन करते हुए उक्त संस्था को 01 नवम्बर, 2020 से सेन्टर के आपरेशन एवं अनुरक्षण की सेवायें ली जा रही हैं। यूपीएसडीसी के लिए थर्ड पार्टी ऑडिटर के रूप मे. केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि. कार्यरत है। जिनका कार्यकाल दिनांक 26/03/2021 के समाप्त हो रहा है।
- उक्त के परिप्रक्ष्य में यूपीडेस्को द्वारा थर्ड पार्टी आडिटर (टी.पी.ए.) के चयन हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। उक्त निविदा प्रक्रियान्तर्गत निविदादाता फर्मों को ई-प्रोक्योमिन्ट पोर्टल पर ई-निविदाएं अपलोड किये जाने हेतु अन्तिम तिथि व समय दिनांक 02.03.2021 अपरान्ह 03:00 बजे निर्धारित किया गया है एवं उक्त तिथि व समय तक पोर्टल पर प्राप्त

ई-निविदाओं में से ई-तकनीकी निविदाओं को उसी दिन अपरान्ह 04:30 बजे खोला जाना प्रस्तावित है।

- उक्तवत थर्ड पार्टी ऑडिटर (टी.पी.ए.) हेतु आमंत्रित निविदा प्रक्रिया के स्कोप में उ.प्र. स्टेट डाटा सेन्टर के डी.आर. सर्विसेज को सम्मिलित किया गया है।
- यूपीएसडीसी में 10 जीबीपीएस की एनकेएन इण्टरनेट बैण्डबिड्थ ली गई है तथा 1 जीबीपीएस इन्टरनेट लीज्ड लाइन मे. भारती एयरटेल लि. से ली गई है। इसके अतिरिक्त यूपीएसडीसी का आवश्यकतानुसार ऑग्मेन्टेशन, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर लाइसेन्सेज, अन्य सहवर्ती उपकरण, बैंण्डबिड्थ, डीआर साइट तथा आवश्यक तकनीकी जनशक्ति आदि की व्यवस्था यूपीडेस्को के स्तर से कराई जाती है।
- यूपीएसडीसी में विभिन्न जी2सी एवं जी2जी सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के विभिन्न विभागों के डाटा एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को केन्द्रीयकृत रूप से इसमें रखने की व्यवस्था है। इस प्रकार यह सेन्टर राज्य के डाटा डिपोजिटरी के रूप में संचालित है।
- अभी तक 61 विभागों की लगभग 250 से अधिक सेवायें विभिन्न एप्लीकेशन्स के माध्यम से आपरेशन में हैं। मुख्य विभागों के रूप में समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, खाद्य एवं रसद विभाग, पुलिस विभाग, पर्यटन विभाग इत्यादि के एप्लीकेशन्स शेयर्ड मोड में तथा ई-डिस्ट्रिक्ट, वाणिज्य कर, स्थानीय निकाय, सीसीटीएनएस, ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें एवं वन विभाग के एप्लीकेशन्स को-लोकेशन मोड में स्टेट डाटा सेन्टर में होस्टेड हैं।
- यूपीएसडीसी राज्य का एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसकी विभागों द्वारा बराबर आवश्यकता बताते हुए इसमें स्पेस की मांग की जाती है। स्टेट डाटा सेन्टर में शेयर्ड मोड में स्थापित एप्लीकेशन्स के डिजास्टर रिकवरी साइट की व्यवस्था की जा चुकी है। अभी तक स्टेट डाटा सेन्टर की सृजित क्षमता का लगभग पूर्ण उपयोग हो चुका है।
- मुख्य सचिव, उ.प्र. द्वारा डाटा सेन्टर के विस्तारीकरण से सम्बन्धित लिए गये निर्णय दिनांक 09.12.2020 एवं तद्नन्तर शासन स्तर पर हुई बैठक दिनांक 12.01.2021 में दिये गये निर्देश के क्रम में यूपीडेस्को द्वारा डाटा सेन्टर के विस्तारीकरण हेतु अनुमानित बजट रु0 21 करोड़ का प्रावधान कराये जाने हेतु पत्र दिनांक 28.01.2021 से अनुरोध प्रेषित किया गया है।

शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण

- मा. मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए जन शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के डिजिटाइजेशन, स्कैनिंग एवं अपलोडिंग/लिंकिंग सर्विसेज हेतु यूपीडेस्को द्वारा खुली ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से कार्यदायी संस्था मेसर्स कैपीटल बिजनेस सिस्टम्स प्रा.लि., नई दिल्ली का चयन कर कायदिश निर्गत किया गया।
- संस्था द्वारा लोक भवन, सचिवालय में 01 जनवरी, 2019 से जन शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के डिजिटाइजेशन एवं स्कैनिंग के कार्य का सम्पादन किया जा रहा है। जिसमें डिजिटाइज्ड एवं स्कैण्ड जन शिकायतों/प्रार्थना पत्रों को आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोडिंग/लिंकिंग

करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

- उक्त संस्था द्वारा मासिक रूप में लगभग 35,000 पृष्ठों की स्कैनिंग तथा लगभग 10,000 पृष्ठों के डाटा को पृथक से फीड किया जाता है।

विभागीय वेबसाइटों का नवीनीकरण एवं रख-रखाव

- शासनादेश दिनाँक 25.11.2013 के अनुपालन में समस्त विभागों की वेबसाइटों को गाइडलाइन्स फॉर इण्डियन गवर्नमेन्ट वेबसाइट्स (जी.आई.जी.डब्लू.) के मानकों के अनुरूप नवीनीकृत कर उनके रख-रखाव के कार्य के अन्तर्गत यूपीडेस्को द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में 37 विभागों एवं 75 अधिष्ठानों की वेबसाइटों से सम्बन्धित कार्यवाही को उनकी मांग पर प्रथम चरण में पूर्ण कराया गया।
- इस व्यवस्थान्तर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं के पूल को बढ़ाये जाने तथा निर्धारित दरों को पुनरीक्षित करने के ध्येय से यूपीडेस्को द्वारा पुनः दिनांक 04.09.2019 के प्रकाशित खुली ई-निविदा से जी.आई.जी.डब्लू. वेबसाइटों के कार्य हेतु अन्तिम रूप से 13 संस्थाओं को दिनांक 20.02.2020 से तीन वर्षों हेतु सूचीबद्ध किया गया है।
- उक्तानुसार पुनः खुली ई-निविदा से संस्थाओं की सूचीबद्धता उपरान्त समसत विभागों को इस नयी प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु शासन स्तर से नवीन आदेश जारी करने का यूपीडेस्को के पत्र दिनांक 05.08.2020 से प्रस्ताव/अनुरोध किया गया।
- इस क्रम में समय-समय पर की गई पृच्छाओं का यूपीडेस्को से समाधान प्रस्तुत करने के उपरान्त शासन द्वारा अन्तिम रूप से अपने पत्र दिनांक 04.12.2020 के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किये गये जिसमें पूर्व के शासनादेश दिनांक 11.03.2019 से अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थाओं को चयनित/सूचीबद्ध करते हुये वेबसाइटों के नवीनीकरण एवं रख-रखाव का कार्य कराने के आई.टी. विभाग के नियन्त्रणाधीन सभी निगमों को निर्देश दिये गये हैं।
- तत्क्रम में यूपीडेस्को स्तर से शासन के उक्त आदेश के अनुपालन में नयी ई-निविदा प्रकिया से सूचीबद्ध की गईं 13 संस्थाओं के माध्यम से विभागों की मांग पर उनकी वेबसाइटों को जी. आई.जी.डब्लू. के अनुरूप नवीनीकृत/विकसित कराये जाने अथवा वार्षिक अनुरक्षण/सिक्योरिटी ऑडिट कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रेषण कर आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत कतिपय विभागों की वेबसाइटों का विकास

- दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय, बेसिक शिक्षा, परिवहन, माध्यमिक शिक्षा, मत्स्य, पशुधन, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, आबकारी, हथकरघा, सूचना एवं जनसम्पर्क, अभियोजन निदेशालय, भाषा, संस्कृति (13) विभागों की वेबसाइटों को भारत सरकार के वित्त पोषण से भारत सरकार से अधिकृत ईआरनेट संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश हेतु नामित मे0 आर.वी. साल्यूशन्स, नोएडा द्वारा होस्टिंग के साथ कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
- ग्राम्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन, सतर्कता, नगर विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सम्पत्ति, आवास एवं शहरी नियोजन, राष्ट्रीय एकीकरण

विभाग की वेबसाइटों का कार्य पूर्ण करने की संस्था द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076) योजना

- शासकीय सेवाओं से सम्बन्धित सन्दर्भो/मामलों (शिकायत/मांग/सुझाव) को दर्ज कराने हेतु टोल फ्री नम्बर "1076" के साथ एक 500 सीटर कॉल सेन्टर की सी.एम. हेल्पलाइन दिनांक 13.02.2018 से संचालित है।
- मेसर्स नेटवर्क टैकलैब (आई) प्रा.लि. एवं मे0 वी विन लि. (पूर्ववर्ती श्योरविन बीपीओ सर्विसेज लि.) कॉल सेन्टर एजेन्सी के रूप में कार्यरत हैं जिनके साथ दिनांक 16.11.2017 को प्रारम्भ में 3 वर्षों के लिए अनुबन्ध पारित किया गया जिसकी अवधि आर.एफ.पी. की शर्तानुसार एक वर्ष के लिए दिनांक 15.11.2021 तक बढ़ायी गई है।
- योजनान्तर्गत मे0 केपीएमजी एडवाइज़री सर्विसेज द्वारा कन्सल्टेन्ट के रूप में अपनी सेवायें प्रदान की जा रही हैं।
- कॉल सेन्टर की क्षमता 80,000 इनबाउण्ड कॉल्स एवं 55,000 आउटबाउण्ड कॉल्स प्रतिदिन की है। इस सेन्टर के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य से प्राप्त जन शिकायतें बैकएण्ड पर इन्टीग्रेटेड ग्रीवेन्स रिड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) पर दर्ज की जाती हैं जिनके निस्तारण उपरान्त उन पर अनुवर्ती फीडबैक प्राप्त कर शिकायतकर्ता की संतुष्टि अथवा शिकायतों का निवारण न हो पाने की स्थिति के अनुसार शिकायतों को बन्द करने की कार्यवाही की जाती है।
- आईजीआरएस पर उपलब्ध डैशबोर्ड के माध्यम से अनुश्रवण करने तथा एल-1 से एल-4 स्तर के अधिकारियों की स्तरवार निर्धारित मैपिंग एवं निस्तारण हेतु समयावधि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन करने की इसमें व्यवस्था है।
- आपातकालीन हेल्पलाइन्स जैसे 102, 108, 112 एवं 1912 के साथ सी.एम. हेल्पलाइन का इन्टीग्रेशन किया गया है।
- सी.एम. हेल्पलाइन के माध्यम से दिनांक 31.01.2021 तक 40.83 लाख से अधिक शिकायतें पंजीकृत की जा चुकी हैं जिनमें से 14.08 लाख का संतुष्टिपरक निस्तारण, 17.04 लाख का विशेष परिस्थितियों में निस्तारण एवं 8.50 लाख का आंशिक निस्तारण सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जा चुका है। शेष शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही विभागों के स्तर पर प्रक्रियारत है।

कोविड-19 महामारी के समय सी.एम. हेल्पलाइन का उपयोग

- कोविड-19 महामारी के नियंत्रण केंद्र के रूप में इनबाउंड कॉल्स के माध्यम से लगभग 50 हजार से अधिक आमजन की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को पंजीकृत कर चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन से किये गये इन्टीग्रेशन के माध्यम से भी स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की गई।
- 6.41 लाख से अधिक लॉकडाउन सम्बन्धी यथा- आर्थिक मदद, सेनिटाइजेशन, सोशल

डिस्टेन्सिंग जैसी प्रमुख प्राप्त शिकायतों को पंजीकृत कर सम्बन्धित जनपद कन्ट्रोल रूम्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

- आउटबाउंड कॉल्स के माध्यम से विभिन्न जिलों के कन्ट्रोल रूम, ग्राम प्रधानों, पार्षदों, सचिवों, आशा/'एएनएम' कार्यकर्ताओं, अप्रवासियों, प्रवासियों, निगरानी समिति आदि को कोविड-19 की रोकथाम से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार करने, जनपद कोटा में फंसे छात्रों और देश भर में फंसे प्रवासी कामगारों के विवरण दर्ज कर उनको वापस बुलाने, डायलिसिस, सीटी स्कैन एवं कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों से निरन्तर सम्पर्क करने तथा होम/हॉस्पीटल आइसोलेशन के मरीजों से उनकी सेहत की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने आदि की कार्यवाहियां की जा रही हैं इस प्रकार के लगभग 68 लाख लोगों से आउटबाउंड कॉल्स द्वारा सम्पर्क किया जा चुका है।
- सी.एम.हेल्पलाइन में 10 शीर्ष डिफाल्टर शिकायत श्रेणियों तथा 10 शीर्ष डिफाल्टर विभाग की विभाग की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रशासनिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ.प्र. को उनसे दिनांक 08.10.2018 को प्राप्त निर्देश के पालन में अवलोकनार्थ प्रेषित कराने की व्यवस्था है।
- दिनांक 05.07.2019 (04 जुलाई, 2019 को मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा हेल्पलाइन के औपचारिक उद्घाटन के उपरान्त) से शीर्ष 10 शिकायत श्रेणियों का विभागवार विभाजन एवं उनसे सम्बन्धित जनपदवार एल-1 अधिकारी तथा शीर्ष 10 शिकायत श्रेणियाँ, एल-1 पद तथा उनसे सम्बंधित जनपदों की स्थिति की साप्ताहिक रिपोर्ट मा. मुख्यमन्त्री जी के दिनांक 10.08.2019 के निर्देश के समादर में अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सहित सम्बन्धित विभागों को यूपीडेस्को से प्रेषित कराने की व्यवस्था है।
- ऐसे 20 विभाग जिनकी अधिकतम शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तथा ऐसे शीर्ष 10 जनपद जिनके स्तर-1 (एल-1) के अधिकारियों को प्राप्त शिकायतें सर्वाधिक डिफाल्ट हुई हैं, की मासिक रिपोर्ट सचिव, मुख्यमंत्री के दिनांक 29.10.2020 के निर्देश के समादर में उनको मुख्यमंत्री कार्यालय से सम्बन्धित विभागों एवं जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु यूपीडेस्को से पत्रालेख सहित प्रेषित कराने की व्यवस्था है।

यू.पी.स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यूपीस्वान-2.0)

- माइटी, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत जनवरी, 2010 से प्रदेश में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) आपरेशनल हुआ जिसमें राज्य स्तरीय-1, जनपद स्तरीय 70, तहसील स्तरीय 240 तथा विकास खण्ड स्तरीय 574 अर्थात 885 पी.ओ.पी. (प्वाइन्ट आफ प्रिजेन्स) केन्द्र स्थापित किये गये तथा राज्य स्तरीय केन्द्र पर 1 जीबीपीएस तथा अन्य सभी केन्द्रों पर 2 एमबीपीएस की बैण्डविड्थ की उपलब्धता करायी गयी।
- योजनान्तर्गत एनआईसी को स्टेट लेविल एजेन्सी नामित करते हुए सिस्टम इन्टीग्रेटर (एस . आई.) के रूप में उनकी सेवायें ली गईं तथा बैण्डविड्थ सेवा प्रदाता के रूप में बी.एस.एन.एल. की सेवायें ली गईं।

- वर्ष 2015 के उपरान्त नेशनल ई-गर्वनेन्स एक्शन प्लान के यूनियन सपोर्ट से डिलिंक किये जाने के कारण इस योजना के संचालन का व्यय भार राज्य द्वारा वहन करते हुए जनवरी, 2015 के उपरान्त योजना को सितम्बर, 2019 तक एनआईसी के माध्यम से संचालित कराते रहने की व्यवस्था की गई।
- मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07.08.2018 की बैठक में यूपीस्वान-2.0 का क्रियान्वयन ओपेक्स मॉडल पर एमपीएलएस तकनीकअपनाते हुए सर्विस लेविल एग्रीमेंट से करने, राज्य मुख्यालय पर 5 जीबीपीएस एवं शेष 884 पॉप्स पर 10 एमबीपीएस की बैण्डविड्थ लेने ई-निविदा के माध्यम से सिस्टम इन्टीग्रेटर का चयन करने, जनपद/तहसील/ विकासखण्ड के अन्तर्गत सम्बन्धित समस्त स्वान पॉप्स पर हार्डवेयर, अन्य सहवर्ती उपकरणों एवं आवश्यक जनशक्ति की व्यवस्था हेतु चयनित संस्था की ही जिम्मेदारी निर्धारित करने का निर्णय हुआ।

विभिन्न विभागों में ई-बिल, ई-एम.बी. का क्रियान्वयन

- लोक निर्माण विभाग में अभिनव कार्य के रूप में ई-बिल, ई-एम.बी. तथा विभाग के खण्डों को ऑनलाइन बजट आंवटन की व्यवस्था हेतु लागू सॉफ्टवेयर की भांति राज्य में निर्माण सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करने वाले अन्य विभागों में भी तत्सम्बन्धी सॉफ्टवेयर दिनांक 31.03.2021 तक क्रियान्वित किये जाने के निर्देश मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये हैं।
- उक्त के क्रम में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 में ई-बिल, ई-एम.बी. आदि लागू किये जाने हेतु यूपीडेस्को द्वारा खुली ई-निविदा के माध्यम से वेन्डर का चयन कर दिनांक 26.11.2020 को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।
- तत्क्रम में अन्य विभागों में उक्त सॉफ्टवेयर को लागू करने हेतु खुली ई-निविदा के माध्यम से कार्यदायी संस्था का चयन कर 14 विभागों की दरों सहित दिनांक 22.01.2021 को आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु सूचित कर दिया गया।
- प्रेषित किये गये प्रस्तावनानुसार विभागों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुरूप सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स में से उपयुक्त का चयन कर यूपीडेस्को के माध्यम से कार्यदायी संस्था उक्त सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन कराया जा सकता है।

उचित दर की दुकानों में ई-पॉस मशीनों से राशन वितरण

- खाद्य तथा रसद विभाग, उ.प्र. हेतु प्रदेश के लगभग 80000 राशन दुकानों पर चार संस्थाओं यथा- मे. ओएसिस साइबरनेटिक्स प्रा.लि., चेन्नई, मे. लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा.लि., हैदराबाद, मे. इन्टिग्रा माइक्रो सिस्टम्स प्रा.लि., बैंगलूरू, मे. आरमी इन्फोटेक प्रा.लि., अहमदाबाद के माध्यम से ई-पॉस द्वारा राशन वितरण कराया जा रहा है।
- राशन वितरण का कार्य 99 प्रतिशत आधार सत्यापन के आधार पर सम्पन्न किया जा रहा है। शेष 01 प्रतिशत लाभार्थियों को ओ.टी.पी. सत्यापन के साथ राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है।
- खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कुल 14,68,51,185 लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिनको इसका लाभ मिल

रहा है।

- खाद्य तथा रसद विभाग के इस कार्य की मानीटरिंग, इनवाइसिंग एवं एसएलए आगणन हेतु मे0 अर्नस्ट एण्ड यंग एलएलपी की सेवायें ली जा रही हैं। उ0प्र0 के इन समस्त दुकानों पर ई-पॉस के माध्यम से लगभग 74 लाख क्विंटल राशन वितरण प्रतिमाह होता है।

समग्र क्रय केन्द्रों पर ई-पॉप मशीनों से क्रय (प्रस्तावित)

- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में 6000 क्रय केन्द्रों में रबी फसल का क्रय ई-पॉप मशीनों के माध्यम से किया जाना है।
- इस क्रम में आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा प्रदेश के 6000 क्रय केन्द्रों में ई-पॉप मशीनों द्वारा सत्यापन के उपरान्त किसानों से उनकी फसल पर क्रय किये जाने के लिए 6600 ई-पॉप मशीनें (10 प्रतिशत अधिक रिजर्व रखते हुए) रेन्टल आधार पर उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव की मांग की गई, जिसके क्रम में यूपीडेस्को स्तर से दिनांक 02-02.2021 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
- विभागीय कार्यादेश की प्रत्याशा में कार्य की महत्ता की दृष्टि से कार्यदायी संस्था के चयन सम्बन्धी आर.एफ.पी. तैयार किये जाने हेतु सलाहकार संस्था के चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सी.ई.जी), उत्तर प्रदेश

नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत ई-गवर्नेन्स योजनाओं के प्रबन्धन, स्टेट ई-मिशन टीम तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिये प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधीन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 07 मार्च, 2006 से सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स उ.प्र. कार्यरत है, जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स से सम्बन्धित कार्यों/योजनाओं को सम्पादित करता है।

उद्देश्य एवं विस्तार

(अ सीईजी सरकारी विभागों एवं निजी संस्थाओं के साथ ई-गवर्नेन्स के विकास के लिये कार्य करेगा।

(ब) सीईजी सरकार की ई-गवर्नेन्स योजनाओं के लिये मिनी सचिवालय का कार्य करेगा।

(स) सीईजी सभी सरकारी विभागों को ई-गवर्नेन्स के विकास में सहायता प्रदान करेगा।

(द) सीईजी ई-गवर्नेन्स की पहल के लिये समस्त आधारभूत कार्य करेगा।

(य) सीईजी प्रौद्योगिकी के समस्त प्रदर्शन आदि तथा नई तकनीकी के परीक्षण के स्थल की भूमिका निभाएगा।

(र) सीईजी वैश्विक स्तर के उपाय करेगा जिससे राज्य में ई-गवर्नेन्स कुशल से कुशलतर हो सके इसके लिये सीईजी की ई-गवर्नेन्स में थिंक टैंक की भूमिका होगी।

(ल) सीईजी ई-गवर्नेन्स के कारगर प्रयोग के लिये एक नॉलिज बैंक की स्थापना करेगा जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम विधाओं को रखा जायेगा, जिनका अनुकरण किया जा सके।

विशेष कार्य क्षेत्र

(अ) सीईजी परीक्षण एवं प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा कार्यक्रम स्तर पर आवश्यक साधन-सहायता जुटाएगा।

(ब) नागरिकों तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा तथा राज्य सरकार के सचिवालय के रूप में एक स्थाई परामर्शदाता की भाँति अन्य संस्थाओं को ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी जरूरी सूचनायें देगा।

(स) विभिन्न प्रौद्योगिकी योजनाओं में टकराव न हो और एक ही कार्य को अन्य संगठनों द्वारा दोहराया न जाये, सीईजी इस पर भी दृष्टि रखेगा।

(द) सरकार के लिये एक समर्पित एवं कृतसंकल्पीय ई-गवर्नेन्स टीम तैयार करेगा।

(य) ई-गवर्नेन्स के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को उजागर करेगा एवं ई-गवर्नेन्स के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार करेगा।

(र) प्रस्तुतीकरणों द्वारा ई-गवर्नेन्स की उपयोगिता को जनमानस में स्थापित करेगा एवं ई-गवर्नेन्स में होने वाले परिवर्तनों से सरकार को अवगत करायेगा।

(ल) देश तथा विदेशों के ई-गवर्नेन्स के विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करेगा तथा निर्दिष्ट ई-गवर्नेन्स की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपाय करेगा।

सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स की भूमिका

सेन्टर निम्नलिखित कार्य करेगा

- राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों को उनकी गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता।
- अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में सभी सरकारी विभागों को सहायता एवं सपोर्ट प्रदान करना।

सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र. द्वारा संचालित योजनाएं

सेन्टर द्वारा अब तक प्रदेश में भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी शतप्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) पोषित नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को सम्पादित किया जा रहा था, परन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा डी-लिंक करते हुये एन.ई.जी.ए.पी. योजना राज्य सरकारों के लिये आप्शनल कर दी गयी है। राज्य में ई-गवर्नेन्स के महत्त्व के दृष्टिगत वर्तमान में, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत सम्पादित किया जा रहा है तथा तत्सम्बन्धी व्ययभार स्वयं वहन किया जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में किए गए/जा रहे कार्यो की योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः-

1. स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वॉन 1.0)

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत आधारभूत अवस्थापना के रूप में प्रदेश में यह योजना वर्ष 2006-07 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना में राज्य मुख्यालय पर 1, जनपद मुख्यालयों

पर 70, तहसील मुख्यालयों पर 240 एवं विकासखण्ड मुख्यालयों पर 574 अर्थात कुल 885 प्वाइन्ट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) की स्थापना की गई थी, जिनमें "कम्प्यूटर्स, स्विच, राउटर्स तथा अन्य संयंत्रों को स्थापित कर उनसे समस्त जनपदों, तहसीलों एवं ब्लाकों को 2 एमबीपीएस की नेटवर्क कनेक्टीविटी से जोड़ा गया था। जिला स्तरीय स्वान पॉप केन्द्रों को उच्च गति के नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन.के.एन.) से संयोजित (इंटीग्रेट) कर लिया गया है। स्वान का उपयोग मुख्यतया वाणिज्य कर, वित्त, कृषि, परिवहन, राजस्व, गृह, सूचना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, वन, ग्राम्य विकास, सांख्यिकी आदि विभागों द्वारा किया जा रहा है। स्वॉन परियोजनान्तर्गत बैण्डविथ सेवा रेण्टड मॉडम सेवा का कार्य बीएस.एन.एल. के माध्यम से किया जा रहा था, जिसका अनुबन्ध दिनांक 31.09.2019 तक विस्तारित किया गया था। प्रदेश के समस्त जनपदों, तहसीलों एवं ब्लॉक मुख्यालयों के विभिन्न कार्यायों में स्वॉन 2.0 के अन्तर्गत यूपीडेस्को के माध्यम से कार्यदायी संस्था को अनुबंधित करते हयु नवीनतम टेक्नोलॉजी (एम.पी.एल.एस.) पर सम्पादित कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत समस्त स्वान पॉप केन्द्रों पर 02 एमबीपीएस की बैण्डविथ को बढ़ाकर 10 एमबीपीएस कर दिया गया है।

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेट-वे, स्टेट पोर्टल एवं ई-फार्म्स

एसएसडीजी योजना को 01 अगस्त, 2012 से गो-लाइव किया गया है जिसके अन्तर्गत पायलट ई-डिस्ट्रिक्ट के जनपदों को छोड़कर शेष 69 जनपदों में जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से प्रथम चरण में 09 विभागों की 26 शासकीय सेवायें आमजन को उपलब्ध कराई जा रही हैं। योजनान्तर्गत इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी के रूप में एन.आई.सी. द्वारा कार्यवाही की गयी है। गैप इन्फास्ट्रक्चर के रूप में जनपदों में आठ विभागीय कार्यालय में कम्प्यूटर्स एवं सहवर्ती उपकरणों की स्थापना का कार्य कराया गया है। भारत सरकार द्वारा योजना का परिव्यय रु0 19.09 करोड़ निर्धारित किया गया।

यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि.

निगम के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में चालू एवं वर्तमान योजनाओं एवं कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण

(क) उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली का क्रियान्वयन

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में से ई-प्रोक्योरमेण्ट एक महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश में ई-टेण्डरिंग के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा यूपीएलसी को नोडल एजेन्सी नामित किया गया था। उ0प्र0 के 5 विभागों में दिनाँक 04 जून, 2008 से पायलट परियोजना के रूप में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गयी थी। वर्तमान सरकार के गठन उपरान्त, पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करायें जाने हेतु दिनाँक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त सभी विभागों/कार्यालयों इत्यादि द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी कर दिया गया है।

प्रदेश में ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ई.एम. डी.) की प्राप्ति और भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. से किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है तथा सभी ई-निविदाओं में निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि के भुगतान एवं वापसी हेतु ऑनलाइन प्रकिया का ही उपयोग किया जाना आवश्यक है।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाईयों तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिये नीतियाँ बनाते हुये उनका प्रभावी क्रियान्वयन

वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के उपरान्त "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" तथा "उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017" प्रख्यापित की गई थी तथा यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को इन नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व प्रदान किया गया ।

प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स निवेश को बढ़ावा देने के लिए "उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017" में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोयडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को 'इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन' उद्घोषित किया गया था। इस नीति के अन्तर्गत 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में रु0 20,000 करोड़ का निवेश तथा वर्ष 2022 तक न्यूनतम 3,00,000 व्यक्तियों कें लिये रोजगार सृजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नीति के अन्तर्गत रु0 20,000 करोड़ के निवेश के लक्ष्य को 3 साल में ही अर्जित कर लिया गया है। इस नीति ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को भारत के एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब के रूप में स्थापित कर दिया है।

उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिमार्ण नीति 2017 की सफलता को देखते हुए सरकार ने नई "उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020" प्रख्यापित करने का निर्णय लिया और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास के लिए नई नीति से सम्पूर्ण राज्य की आच्छादित किया गया है। नई नीति में अगले पाँच वर्षों में रु 40,000 करोड़ का निवेश और 4,00,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य है। यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना, बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों में अपने विनिर्माण उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के आकर्षक बनाया गया है। कोविड-19 महामारी के अनुभवों को दृष्टिगत रखकर चिकित्सा क्षेत्र से जुडे इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के प्रदेश में ही निर्माण के उद्देश्य से लखनऊ-उन्नाव-कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिं क्लस्टर की स्थापना प्रस्तावित की गई है।

(ग) इन्क्यूबेटर्स एवं स्टार्ट-अप इकाइयों की स्थापना

प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में इन्क्यूबेटर की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवा अपना स्व-रोजगार स्थापित कर सकें। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में प्रख्यापित "उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति-2020" के कियान्वयन हेतु यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन

लिमिटेड को नोडल संस्था नामित किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना सहित प्रत्येक जनपद में कम से कम एक, 100 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना तथा प्रदेश में सभी उद्योग क्षेत्रों यथा - कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन परिवहन इत्यादि क्षेत्रों की 10,000 स्टार्ट-अप्स की स्थापना तथा प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से सम्बन्धित विभागों के सहयोग से 117 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना 5 वर्षों में किया जाना परिलक्षित है। वर्तमान में लगभग 3650 से अधिक स्टार्ट-अप पंजीकृत हैं और राज्य भर में 24 इन्क्यूबेटर पंजीकृत हैं।

सरकार द्वारा स्टार्ट-अप इकाइयों के वित्तपोषण के लिए रु0 1,000 करोड़ के स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना की गयी है। प्रदेश में स्थापित होने वाले स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु रु0 15 करोड़ की प्रथम किश्त की धनराशि का चेक भी मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक, सिडबी को दिनाँक 20 मई 2020 को उपलब्ध कराया गया है।

भारत सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के स्टार्ट-अप प्रयासों की सराहना स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग 2019 के अन्तर्गत 'इमर्जिंग स्टार्ट-अप इकोसिस्टम' की श्रेणी में रखा गया है।

उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत राज्य में 3 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना किया जाना परिलक्षित है। सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है। जहाँ आर्टिफिशियल इन्टेलीजेस (ए.आई.), ब्लॉकचेन, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आई.आई.टी.) इण्डस्ट्रियल ए.आई. रोबोटिक्स तथा बिग डेटा एनॉलिटिक्स, क्लीन टेक, डिफेन्स, ऐजु-टेक, एग्री-टेक, हेल्थ-टेक तथा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व वाले अन्य क्षेत्रों में भारत और विदेश से 100 सर्वाधिक सम्भावनायुक्त उत्पादों पर आधारित स्टार्ट-अप्स होंगे। इस प्रकार प्रथम उत्कृष्टता का केन्द्र, मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स (स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र में संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया, भारत सरकार के सहयोग से पहले ही विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में नीति के अन्तर्गत एक अन्य उत्कृष्टता का केन्द्र, उदीयमान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में ग्रेटर नोयडा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसे लिए आईआईटी कानपुर तथा फिक्की द्वारा प्रस्तुत सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

(घ) इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ई.एम.सी.) की स्थापना

चीन, ताइवान तथा कोरिया की अनेक कम्पनियाँ उत्तर प्रदेश में अपनी इकाईयां स्थापित करने के लिये आकृष्ट हो रही हैं तथा प्रदेश में इलेक्ट्रानिक निर्माण इकाइयों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इलक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना की जा रही है।

मेसर्स ओप्पो मोबाइल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ताईवान की 4 कम्पनियों तथा भारत की 3 कम्पनियों के साथ मिलकर एस.पी.वी मेसर्स टेग्ना द्वारा ईकोटेक-6, ग्रेटर नोयडा के 100

एकड़ क्षेत्र में एक इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.) विकसित किया जा रहा है जिसका उद्घाटन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक जनवरी 25 जनवरी को किया गया था। आगामी 5 से 10 वर्षों में लगभग रु0 3000 करोड़ के निवेश वाली इस परियोजना से लगभग 25,000 से 30,000 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष एवं लगभग 1,00,000 व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में इलेक्ट्रनिक्स सिटी की स्थापना विचाराधीन है।

(ड.) शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन

सचिवालय परिसर स्थित शासकीय विभागों में ई-आफिस प्रणाली कार्यान्वित किए जाने के पश्चात सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्षों कार्यालयों तथा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश स्थित जनपद स्तरीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड इस कार्य हेतु नामित नोडल संस्था है।

उक्त कार्य हेतु निगम द्वारा मण्डल/जनपद स्तर के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-आफिस प्रणाली के प्रशिक्षण हेतु जनपदों पर मास्टर ट्रेनर्स तैनात किये गये तथा मुख्यालय स्तर पर भी एक कम्प्यूटर लैब स्थापित की गई जहाँ पर जनपदीय कार्यालयों द्वारा नामित मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। पूरे प्रदेश के निदेशालयों, जनपदों, विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के 40,000 से अधिक कार्मिकों को ई-आफिस प्रणाली क प्रशिक्षण पूर्ण किया गया तथा 10 से अधिक कार्मिकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तथा स्टार्ट-अप नीतियों का प्रचार-प्रसार

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों और इस क्षेत्र में हुई प्रगति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि प्रदेश की ख्याति में वृद्धि हो तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र निवेश हेतु सम्भावित निवेशकों को आकर्षित और प्रेरित किया जा सके। प्रदेश में आई.टी. और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की गतिविधियों/प्रदेश सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहनों के व्यापक प्रचार-प्रसार से अन्य प्रदेशों में स्थापित आई.टी. क्षेत्र के उद्योगों को उत्तर प्रदेश में इकाईयाँ स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एवँ/अथवा उसके अधीनस्थ निगमों द्वारा विभिन्न आयोजनों में प्रतिभाग किया जाता है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति" तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति की प्रतियाँ तथा इस क्षेत्र में किये गये विकास एवं प्रयासों के प्रचार-प्रसार हेतु पुस्तिकायें/पैम्पलेट्स/ब्रोशस छपवा कर विभिन्न आयोजनों में वितरित की जाती है।

विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के उक्त कार्यकलाप पूर्व की भांति वर्ष 2021-2022 में भी देश

में विभिन्न आई.टी. प्रदर्शनियों/गोष्ठियों में भाग लिया जाएगा तथा शासन के निर्देशानुसार आईटी प्रदर्शनियों का आयोजन इत्यादि भी किया जाएगा।

शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग प्रणाली

वर्तमान सरकार के गठन उपरान्त पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त सभी विभागों/कार्यालयों इत्यादि द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी कर दिया गया है। उक्त योजना का शासकीय विभागों में क्रियान्वयन निगम द्वारा शासन की नोडल एजेंसी के रूप में किया जा रहा है।

प्रदेश में ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा शुल्क तथा धरोहर धनरशि (ई.एम.डी.) की प्राप्ति और भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. से किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है तथा सभी ई-निविदाओं में निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि के भुगतान एवं वापसी हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया का ही उपयोग किया जाना आवश्यक है।

शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन

सचिवालय परिसर स्थित शासकीय विभागों में ई-आफिस प्रणाली कार्यान्वित किए जाने के पश्चात् सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्षों कार्यालयों तथा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश स्थित जनपद स्तरीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड इस कार्य हेतु नामित नोडल संस्था है।

यह प्रणाली चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है, जिसमें पहले चरण में पायलट जिले लखनऊ एवं पीलीभीत में किया गया है तथा दूसरे चरण में समस्त मण्डलीय ज़िले एवं तीसरे चरण में सभी जिलों में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किया जायेगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, विकलाँगों, भूतपूर्व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य विशेष वर्ग के लोगों के लिए किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण

यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोशेन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ के कार्यदेश के अनुपालन में कौशल वृद्धि कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 200 शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षणार्थियों को 600 घण्टे का एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उत्तर प्रदेश महिला निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा प्रायोजित विकास खण्ड स्तर पर 230 घण्टे का आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत लगभग 12300 चयनित महिला लाभार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि उक्त प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार अथवा रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराये जाने के सापेक्ष रोजगार प्राप्त किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में शासकीय विभागों के निर्देशानुसार 266 अल्पसंख्यक प्रशिक्षणार्थियों को 6 माह क कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं 387 भूतपूर्व

सैनिक आश्रितों को 460 घण्टे का 'ओ लेवन' समकक्ष कम्प्यूटर प्रशिक्षण निगम द्वारा प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 में दिव्यांगजन, महिलाओं तथा ट्रॉसजेण्डर समुदाय के संस्थापकों/सह-संस्थापकों वाले स्टार्टअप के लिए 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहनों का प्राविधान रखा गया है।

ई-सुविधा, उत्तर प्रदेश

ई-सुविधा परियोजना का संक्षिप्त परिचय एवं ई-सुविधा, लखनऊ एवं राज्य के अन्य जनपदों की अद्यतन स्थिति

- ई-सुविधा परियोजना, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ सरकारी सोसाइटी के रूप में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत गठित की गयी है जो ई-सुविधा के नाम से प्रचलित है। ई-सुविधा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 14.01.05 के कराया गया था एवं प्रत्येक 05-05 वर्ष में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जाता है। वर्तमान में ई-सुविधा क नवीनीकरण संख्या-आर/एलयूसी/03641/2019-2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र सं0 02606/2019-2020 दिनांक 13.01.2006 तक मान्य है। ई-सुविधा परियोजना, प्रथम चरण में लखनऊ में पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2006, द्वितीय चरण में वर्ष 2011, तृतीय चरण वर्ष 2016 एवं चतुर्थ चरण में वर्ष 2019 में शुरू की गई है।
- ई-सुविधा परियोजना, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ सरकारी सोसाइटी के रूप में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत गठितकिया गया ह जिसकी कार्यकारिणी, अर मुख्य सचिव, आईटी एवं इले0 विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता मे गठित है एवं पदेन सदस्य प्रमुख सचिव-वित्त विभाग, प्रमुख सचिव-ऊर्जा विभाग, प्रमुख सचिव-नगर विकास विभाग, प्रमुख सचिव-आवास विभाग, राज्य परियोजना निदेशक, ई-सुविधा, उ.प्र./विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ.प्र. शासन एवं राज्य परियोजना समन्वयक, ई-सुविधा उ.प्र., सदस्य सचिव है। ई-सुविधा परियोजना एक स्व-वित्तपोषित सोसाइटी है।
- ई-सुविधा परियोजना, राज्य के प्रत्येक जनपद के नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की शासकीय (जी2सी) एवं प्राइवेट संस्थाओं की व्यवसायिक सेवाओं (बी2सी) को ई-सुविधा केन्द्रों की "एकल खिड़की" प्रणाली पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिकल्पित है। वर्तमान में यह व्यवस्था इन्टरनेट एवं ऑन-लाईन इन्टरनेट माध्यम से ई-सुविधा केन्द्रों पर संचालित है एवं भविष्य में समस्त सेवाओं को इन्टरनेट के माध्यम से नागरिकों को उनके आवासों/घरों पर भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों, अर्द्धसरकारी, संस्थागत विभागों, अधिकृत संस्थाओं, स्ववित्तपोषित इकाईयों, निगमों एवं निकायों की चयनित एवं एकीकृत सूचनाओं सम्बन्धित जानकारी तथा बिलों के निस्तारण एवं भुगतान की शासकीय (जी2सी) एवं प्राईवेट संस्थाओं की व्यवसायिक सेवाओं (बी2सी) को सूचना-प्रौद्योगिकी के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कर

जन साधारण को उनके आवास एवं कार्यक्षेत्र के सन्निकट, उस क्षेत्र के परिचित केन्द्र बिन्दु पर स्थापित सुव्यवस्थित एवं सुसृजित ई-सुविधा केन्द्र के सभी काउण्टर्स पर "एकल खिड़की समस्त सुविधाएं" प्रणाली पर उपलब्ध कराया गया है। ये केन्द्र, विभिन्न आवासीय कॉलोनी एवं कार्यालय क्षेत्रों के सन्निकट, शहर के प्रचलित स्थलों पर स्थापित किये गये हैं जिससे कि नागरिको के समय, धन एवं अनावश्यक भागदौड़ से बचत हो सके।

- ई-सुविधा सोसाइटी द्वारा ई-टेण्डरिंग प्रकिया के अर्न्तगत पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मॉडल के आधार पर, वर्तमान में लखनऊ एवं प्रदेश के 18 अन्य जनपदों में ई-सुविधा परियोजना का संचालन किया जा रहा। इस मॉडल में प्रत्येक जनपद में ई-सुविधा केन्द्रों को स्थापित किया गया है जिसे सम्मिलित विभागों से अधिग्रहित किये गये निर्मित कक्षों का नवीनीकरण कार्य, नये निर्माण किये गये एवं कार्य एवं निर्माणाधीन कक्ष आदि के कैपीटल व्यय राज्य सरकार स्तर से किया जाता है। इन केन्द्रों के संचालन के लिए समस्त आपरेशनल व्यय, कम्प्यूटर्स हार्डवेयर, कनेक्टीविटी, मैन-पॉवर, सिक्यूरिटी-सुरक्षा, बिल स्टेशनरी, मासिक रिकरिंग व्यय, रखरखाव, अनुरक्षण, प्रचार-प्रसार आदि चयनित कार्यदायी संस्था के माध्यम से किया जाता है।
- ई-सुविधा की वर्तमान कार्यदायी संस्था मै0 मेधज आईटीईएस सोल्यूशन प्रा0लि0, लखनऊ द्वारा ई-सुविधा परियोजना को राज्य के 75 जनपदों से बिल्ड ओन आपरेट ट्रान्सफर (बूट) एवं फ्रैन्चाइजी मॉडपर क्रियान्वित एवं संचालित करेंगे। उनमें से 19 जनपदों में ओन आपरेट ट्रान्सफर (बूट) पर संचालित कर दिया गया है।

●

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है, जो वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1975 से कार्य कर रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास व इसके उपयोग को प्रोत्साहन देना है। परिषद् द्वारा शोध परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों, उ.प्र. तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, शोध एवं विकास संस्थानों तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों आदि के माध्यम से कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य मदों के कार्यक्रम को जिला विज्ञान क्लबों, सरकारी तथा गैर सरकारी शोध व विकास संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत कुल आय-व्ययक रु0 5321.01 लाख में रु0 1000.00 लाख की धनराशि पूँजीगत मद से सम्बन्धित है। 20-सहायता अनुदान (गैर वेतन मद) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत आय-व्ययक रु0 3574.00 लाख के सापेक्ष गत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि रु0 1405.75 लाख को समायोजित करते हुये प्रथम द्विमासिक किश्त के रूप में रु0 595.65 लाख के व्यय की स्वीकृति एवं 31-वेतन मद के अन्तर्गत स्वीकृत आय-व्ययक कुल रु0 747.01 में गत वर्ष की अवशेष धनराशि रु0 106.84 लाख को समायोजित करते हुए रु0 640.17 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत मद में कुल स्वीकृत रु0 1000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त रु0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व मद में कुल स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अवशेष आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के जारी किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष **2020-21** की प्रमुख उपलब्धियां

1. प्रदेश की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास के अन्तर्गत लगभग 80 शोध परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।
2. शोध एवं विकास के अन्तर्गत विभिन्न विषयों/क्षेत्रों यथा- केमिकल सांइसेज, हेल्थ एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, फिजिकल साइंसेज, इन्वायरमेन्टल सांइसेज, एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सांइसेज एवं इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी में कुल 32 नवीन शोध परियोजनाओं पर परिषद् की

110वीं कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. सीएसटीयूपी-समर रिसर्च फैलोशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत देश/प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में समर रिसर्च ट्रेनिंग हेतु कुल 80 विद्यार्थियों को सूचीबद्ध किया गया। परन्तु कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत सूचीबद्ध विद्यार्थियों को समर रिसर्च ट्रेनिंग का अवसर उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उ.प्र. तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावाधान में भारत की सांइस, टेक्नालॉजी एण्ड इन्नोवेशन पॉलिसी-2020 के फार्मुलेशन के सम्बन्ध में दिनांक 29.09.2020 को स्टेट लेवल कन्सल्टेशन मीट का ऑन लाइन आयोजन किया गया। इस मीट में प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपति, शोध/तकनीकी संस्थानों के निदेशक एवं अन्य ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
5. वर्ष 2020-21 में परिषद द्वारा अभियांत्रिकी की 04 नयी शोध प्रायोजनाओं का वित्त पोषण हेतु चयन किया गया।
6. 58 अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट को वित्त पोषित (प्रति प्रोजेक्ट रु0 20,000/-) किया गया।
7. मीठे फलों के रस से सिरका बनाने की विधि का प्रशिक्षण कर टेक्नोलॉजी एग्रो फूड लखनऊ को हस्तानान्तरित किया गया।
8. विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गठित 24 जिला विज्ञान क्लबों तथा परिषद् द्वारा स्थापित 4 क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से प्रथम चरण में 150 विज्ञान लोकप्रियकरण व संचार कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे हैं।
9. क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, गोरखपुर द्वारा गोरखपुर महोत्सव-2021, दिनांक 12-16 जनवरी, 2021 के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी जागरूकता के सम्बन्ध में व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
10. परिषद् द्वारा स्थापित 04 क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र यथा- गोरखपुर, आगरा, मुरादाबाद व गाजियाबाद के माध्यम से कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत "कोरोना वायरस एवं अन्य रोगजनक वायरस के साथ जीवन" विषयक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
11. इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला के आधुनिकीकरण कराये जाने हेतु तकनीकी समिति बैठकें आयोजित हो चुकी है। ग्लोबल ई-निविदा के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
12. आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु इस वित्तीय वर्ष 07 जनपदों यथा- हमीरपुर, अम्बेडकरनगर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, चन्दौली एवं कासगंज में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे हैं।
13. सीएसटीयूपी ऑनलाइन क्विज प्रोग्रामः वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिषद् द्वारा विद्यार्थियों हेतु सीएसटीयूपी ऑनलाइन क्विज प्रारम्भ की गयी है, जिसमें कोविड-19, खगोलकी, टेक्नोलॉजी

एण्ड इनोवेशन, इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी, इन्वायरमेन्टल साइंस तथा फिजिकल साइंस पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में अब तक लगभग 17730 विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया जो जारी रहेगा।

वर्ष 2020-21 की प्रायोजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति तथा उपलब्धियाँ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के चयनित क्षेत्रों में शोध

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध परियोजनाओं का क्रियान्वयन

इसके अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक विकास में उपयोगी शोध परियोजनाएं, प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, परास्नातक महाविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित कराये जाने हेतु वित्त पोषित की जाती है। परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण परिषद् द्वारा किया जाता है।

सीएसटीयूपी-समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम

समर रिसर्च फेलोशिप का उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान परास्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को शोध एवं विकास के क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन देना है। इस फेलोशिप के अन्तर्गत प्रदेश में विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को प्रदेश एवं देश के प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों/प्रोफेसर्स के साथ 02 माह की अवधि के लिए रिसर्च ट्रेनिंग हेतु अवसर उपलब्ध कराया जाता है। चयनित छात्रों को 02 माह के लिए रु0 25000/- मासिक फेलोशिप प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2020-21 में समर रिसर्च ट्रेनिंग हेतु कुल 80 विद्यार्थियों को सूचीबद्ध किया गया था, परन्त कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत सूचीबद्ध विद्यार्थियों को समर रिसर्च ट्रेनिंग का अवसर उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एवं राज्य की आवश्यकतानुसार विकास

प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के अन्तर्गत ऐसी परियोजनायं ली जाती है जिनके कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी विकास, उन्नयन व हस्तान्तरण निहित हो। इस मद के अन्तर्गत इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के विभिन्न विषयों/क्षेत्रों यथा- सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, कैमिकल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, आयल पेन्ट टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी एवं फूड टेक्नोलॉजी आदि में व्यावहारिक एवं उपयोगी शोध परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है। प्रौद्योगिकी प्रवर्तन के प्रमुख क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, निर्माण प्रौद्योगिकी विशेष रूप से कम कीमत की भवन सामग्री, प्रदूषण निरोधी टेक्नोलॉजी सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी/तकनीक का प्रचार-प्रसार आदि प्रमुख हैं। इस मद की शोध प्रायोजनाओं को सामान्यतः प्रदेश में स्थित भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के इंजीनियरिंग कालेजों तथा शोध एवं विकास संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु वित्त पोषित किया जाता है।

सीएसटीयूपी अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना

परिषद् द्वारा उ.प्र. में अध्ययनरत अभियांत्रिकी के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों के नवाचार तथा स्थानीय एवं पर्यावरण समस्याओं के निराकरण पर आधारित प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सी.एस.टी.यू.पी. अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना का प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत बी0टेक के विद्यार्थियों द्वारा बनाये जाने वाले प्रोजेक्ट् में से अधिकतम 60 प्रोजेक्ट्स का चयन कर उन्हें रु0 20,000/- की अनुदान धनराशि प्रदान की जायेगी। सर्वोत्तम तीन प्रोजेक्ट्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रु0 1,00,000, रु0 75,000 व रु0 50,000, प्रदान किये जायेंगे। वर्ष 2020-21 के लिए 58 प्रोजेक्ट्स का अनुदान हेतु चयन किया गया है।

विज्ञान लोकप्रियकरण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मौलिक विषयों के प्रति विद्यार्थियों की रुचि निरन्तर बनाये रखने के दृष्टिगत परिषद् द्वारा प्रदेश में धरातल स्तर पर बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करन, तार्किक क्षमता विकसित करने और उनमें वैज्ञानिक ढंग कार्यकलापों, कल्पनाशीलता विकसित करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

विज्ञान लोकप्रियकरण के अन्तर्गत प्रमुख **06** कार्यक्रम

- स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन प्रबन्धन पर वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम
- अलौकिक चमत्कारों की व्याख्या और अंधविश्वासों के विरुद्ध वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम। वैज्ञानिक शोध प्रयोगशालाओं/औद्योगिक संस्थानों का भ्रमण और अध्ययनरत कार्यक्रम।
- 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस-2021 के अवसर पर विज्ञान।
- कोविड-19 वैश्विक महामारी पर वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम।
- जनपद स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार प्रदर्शनी व मेला।

वैज्ञानिक सम्मान योजना

उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा विज्ञान सम्मान योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जन्में अथवा उ0प्र0 में निरन्तर किसी भी संस्थान/विज्ञान में 10 वर्षों से कार्यरत वैज्ञानिकों हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उ0प्र0 के माध्यम से वर्ष 2000 से विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए वैज्ञानिक सम्मान उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा विज्ञान सम्मान दिये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सभी सम्मानित वैज्ञानिकों को प्रशस्ति-पत्र, प्रतीक चिन्ह व शाल प्रदान किया जाता है। विज्ञान गौरव सम्मान-एक पुरस्कार धनराशि रु0 05.00 लाख, विज्ञान रत्न सम्मान-दो पुरस्कार धनराशि रु0 02.50 लाख प्रत्येक, युवा वैज्ञानिक सम्मान-पाँच पुरस्कार धनराशि रु0 01.00 लाख प्रत्येक, बाल वैज्ञानिक सम्मान-पाँच पुरस्कार धनराशि रु0 25,000/- प्रत्येक, विज्ञान शिक्षक सम्मान में पाँच पुरस्कार धनराशि रु0 25,000/- प्रत्येक, नवअन्वेषक सम्मान में पाँच पुरस्कार धनराशि रु0 25,000/- प्रत्येक। इसी क्रम में विज्ञान छात्र सम्मान के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न बोर्डों के विज्ञान विषय में हाईस्कूल में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रु0 05.00 लाख की धनराशि को एक समान

रूप से बराबर मात्रा में वितरित किया जाता है। हाईस्कूल की तरह माध्यमिक स्तर के भी विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को रु0 10.00 लाख की धनराशि को एक समान रूप से बराबर मात्रा में वितरित किया जाता है। विज्ञान सम्मान वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत वैज्ञानिक सम्मान चयन प्रक्रियाधीन है।

बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र, लखनऊ

जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा बक्शी का तालाब, लखनऊ में उपलब्ध करायी गयी भूमि पर परिषद् द्वारा बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र का विकास किया जा रहा है। उक्त के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों के उपयोगार्थ तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पैकेज विकसित किये जायेंगे तथा जनमानस के उपयोग हेतु उत्पाद व तकनीकी पर आधारित वृहद प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जायेंगी। बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र से उन्नत जैव श्रोत भी विभिन्न विभागों/प्रयोगशालाओं/शैक्षिक/स्वैच्छिक संस्थाओं, कृषकों व उद्यमियों के परस्पर समन्वय से प्रदेश स्तर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला उत्पादन व उपयोग परियोजना

प्रदेश के कृषकों में जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं कृषकों के दोगुनी आय के दृष्टिगत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् उ.प्र. द्वारा बायोटेक नेटवर्किंग फेसिलिटी सेन्टर, बक्शी का तालाब, लखनऊ स्थित प्रक्षेत्र पर "नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला के उत्पादन, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम परियोजना" दिनांक 17 जुलाई, 2019 से प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में परियोजना के अन्तर्गत बक्शी का तालाब स्थित प्रक्षेत्र पर अब तक 200 किग्रा0 नील हरित शैवाल जैव उर्वरक तथा 100 किग्रा0 एजोला का उत्पादन कर लगभग 100 कृषकों को उनके उपयोग हेतु निःशुल्क वितरित किया गया है। इसी के साथ-साथ परियोजना के अन्तर्गत परिषद् द्वारा अब तक 06 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कुल 97 प्रगतिशील किसानों/युवाओं/महिलाओं को नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला के उत्पादन एवं उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकरी उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षित कर लाभान्वित किया गया है। प्रशिक्षण के साथ-साथ कृषक प्रक्षेत्रों पर नील हरित शैवाल जैव उर्वरक उत्पादन हेतु समस्त कृषकों को नील हरित शैवाल का कल्चर निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त कृषकों को धान की फसल (खरीफ-2020) में नील हरित शैवाल उर्वरक के प्रक्षेत्र प्रदर्शन कराये गये तथा भविष्य में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में और भी किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

टिश्यू कल्चर लैब

बक्शी का तालाब, लखनऊ स्थित बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र पर निर्मित जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर लैब का संचालन कुशलतापूर्वक निरंतर किया जा रहा है। लैब के संचालन करने के लिये परिषद् द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि0 को पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत प्रयोगशाला दी गयी थी जिसका अनुबन्ध अगस्त 2020 में समाप्त हो गया है। नये फर्म के चयन की कार्यवाही की जा रही है। इस टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता के

उत्पादकता वाले एवं बीमारियों से मुक्त केले के पौधों को टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित किया जाता है। टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित केले के पौधे जुलाई, 2012 से प्रदेश के किसानों को अनवरत रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। वर्ष 2020-21 में कुल 6,17,865 केले के पौधों का उत्पादन किया गया। उपरोक्त प्रयोगशाला में उत्पादित केले के पौधों से लगभग प्रदेश के 2500 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

नक्षत्रशाला-समाज विशेषकर बच्चों के लिये शैक्षिक साधन

इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ

इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ दिनांक 09 मई, 2003 से संचालित है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जनसामान्य की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से उ0प्र0 एमेच्योर एस्ट्रोनामर्स क्लब की स्थापना की गयी है। इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ द्वारा संचालित एमेच्योर एस्ट्रोनामर्स क्लब द्वारा दिनांक 21.06.2020 को वलयाकार सूर्यग्रहण की खगोलीय घटना का आयोजन परिषद् परिसर में किया गया। दिनांक 21.12.2020 को बृहस्पति एवं शनि ग्रह के संयोजन की खगोलीय घटना का आयोजन परिषद् परिसर में किया गया। दोनो खगोलीय घटनाओं की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग परिषद् के सोशल मीडिया पेजेस पर किया गया।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन में विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन क्विज कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ किया गया है।

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर दिनांक 21.12.2009 से जनसामान्य हेतु संचालित की जा रही है।

आर्यभट्ट प्लेनिटोरियम, रामपुर

आर्यभट्ट प्लेनिटोरियम, रामपुर दिनांक 18.09.2012 से संचालित है। वर्तमान में नक्षत्रशाला में प्रतिदिन चार शो संचालित किये जाते हैं।

मोबाइल नक्षत्रशाला

खगोल विज्ञान को सुदूर जनपदों में विद्यार्थियों हेतु सुलभ बनाये जाने की दृष्टि से परिषद् द्वारा दो मोबाइल नक्षत्रशालाओं का संचालन किया जा रहा है।

विज्ञान पार्क

जनपद गाजियाबाद में विज्ञान पार्क की स्थापना परिषद् द्वारा करायी गयी है जिसका संचालन दिनांक 02.05.2017 को प्रारम्भ किया गया। विज्ञान पार्क हेतु निःशुल्क भूमि, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, बुलन्दशहर इण्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद में उपलब्ध करायी गयी है।

विज्ञान बस

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 11.05.2018 को विज्ञान बस का लोकार्पण किया गया। दिनांक 02.10.2018 को मा. उपमुख्यमंत्री एवं मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उ0प्र0, डॉ0 दिनेश

शर्मा जी द्वारा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद्, उ0प्र0 तथा आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की गयी विज्ञान बस को विद्यार्थियों को समर्पित किया गया। विज्ञान बस का संचालन प्रारम्भ होने के उपरान्त अभी तक इसे चित्रकूट, प्रयागराज, बलिया, मेरठ, चन्दौली, कानपुर, इटावा, जौनपुर, सहारनपुर, हरदोई, जालौन, रामपुर, अमरोहा, देवरिया, बाँदा एवं गाजियाबाद जनपदों में संचालित किया जा चुका है। विज्ञान बस का संचालन विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों, विज्ञान मेले/महोत्सव इत्यादि में निःशुल्क किया जाता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत विद्यार्थियों एवं जनसामन्य हेतु परिषद् द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियां यथा- नक्षत्रशालायें, विज्ञान बस इत्यादि का संचालन नहीं किया गया है।

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं उनका संरक्षण विषय के महत्त्व को दृष्टिगत करते हुये इनके संरक्षण की क्षेत्रीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद् के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उ0प्र0 में पेटेण्ट सूचना केन्द्र की स्थापना की गयी थी। केन्द्र की उपयोगिता के दृष्टिगत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2005-06 में परिषद् के प्लान मद में पेटेण्ट से उपमद स्थापित किया गया। परिषद् में स्थापित यह पेटेण्ट सूचना केन्द्र बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। परिषद् में पेटेण्ट सूचना केन्द्र निम्न उद्देश्यों पर केन्द्रित कर कार्य सम्पादित कर रहा है-

1. प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा के विकास एवं इसके संरक्षण के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।
2. पेटेण्ट सूचना का विश्लेषण कर उसका उपयोग शोध एवं विकास कार्यक्रम हेतु परामर्शित करना।
3. प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं, सरकारी विभागों एवं उद्योगों को पेटेण्ट सर्च की सुविधा उपलब्ध कराना।

मैपिंग आफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजिकल नीड्स इन स्टेट आफ उत्तर प्रदेश

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के मुख्य सेक्टरों/क्षेत्रों यथा- कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, रेशम, सिंचाई, पेयजल, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पारम्परिक हस्त कौशल, पशुधन इत्यादि में आ रही ऐसी समस्याओं को चिन्हित करना है, जिसके निराकरण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समावेश की आवश्यकता हो तथा चिन्हित एवं वर्णित समस्या के निवारण हेतु विज्ञान एवं प्रौद्याोगिकी पर आधारित उपयोगी को प्रस्तुत करना है। चयनित क्षेत्रों में द्वितीयक श्रोतों पर आधारित सूचना का कम्पाइलेशन कार्य किया जाता है।

डी.एस.टी., भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-2020 में "मैपिंग आफ एस एण्ड टी नीड्स आफ दि स्टेट्स" के अन्तर्गत रु0 10.00 लाख की धनराशि परिषद को अवमुक्त की गयी है।

●

कानून व्यवस्था

प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने व अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व मे विगत 19 मार्च 2017 को गठित नई सरकार द्वारा जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध जीरो टालरेंस की नीति पर चलकर अथक प्रयास कर माफियाओं एवं कुख्यात अपराधियों की कमर तोड़ने की ऐसी कार्यवाही की गई है, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहल्ल की थी। साथ ही कोविड-19 की आपदा के दौरान भी जिस कुशलता से नियमो का अनुपालन कराने के साथ-साथ मानवता की सेवा करने का पुलिस द्वारा जो प्रयास किया गया वह एक अनूठा उदाहरण है।

महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय फैसले

प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक एवं उल्लेखनीय फैसले लिये गये है। राज्य सरकार द्वारा विगत साढ़े चार वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस को और आधुनिक बनाने के तथा उसकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उसके चलते आज इसकी छवि मित्र पुलिस के रूप में स्थापित हो चुकी है।

- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पुलिस विभाग के कुल बजट में लगभग दो गुनी वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 में जहां पुलिस के कुल बजट की धनराशि 16239.92 करोड़ रूपये थी वह 2021-22 में बढ़कर 30105.98 करोड़ रूपये हो गयी।
- पुलिस विभाग में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने के कारण बजट में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। निर्माण कार्यो के मद में वर्ष 2017-18 में जहां 708.62 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया था, वह वर्ष 2021--22 में बढ़कर 2968.74 करोड़ रूपये हो गया।
- प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग डेढ़ लाख पुलिस कर्मियों की नयी भर्ती की गयी है, जिसके कारण वेतन व भत्तों के मद में वर्ष 2017-18 में जहां यह धनराशि 13560.8 करोड़ रूपये थी, वह 2021-22 में बढ़कर 23156.6 करोड़ रूपये हो गयी।
- प्रदेश के चार महानगरों लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट

प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली में पुलिस अधिकारियों के पास न्यायिक दायित्व भी होते हैं। पुलिस कमिश्नरेट में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर बेहतर पुलिसिंग के मानक प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किये गये है।

- पुलिस विवेचना की गुणवत्ता में वृद्धि एवं उसमें अधिकाधिक वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश किये जाने हेतु फॉरेंसिक सांइस के उपयोग को बढावा दिया गया है। प्रदेश में "यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक साइंसेज लखनऊ" का निर्माण किया जा रहा है जिसका शिलान्यास विगत 01 अप्रैल 2024 को मा0 गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। इसक तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सहयोग से "सेन्टर आफ एक्सीलेंस" की भी स्थापना होगी।
- इस इंस्टीट्यूट में कुल 08 अनुभाग एवं 44 प्रयोगशालाएं होंगी। भौतिकी अनुभाग में आग्नेयास्त्र, फॉरेंसिक ध्वनिकी और प्रलेख प्रयोगशाला होगी। रसायन अनुभाग के तहत विस्फोटक और विष विज्ञान प्रयोगशाला तथा जीव विज्ञान अनुभाग में जीवन विज्ञान, सीरम विज्ञान एवं डी0एन0ए0 प्रयोगशाला होगी। कम्प्यूटर साइंस अनुभाग में डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा और साइबर फॉरेंसिक लैब का निर्माण होगा। व्यवहार विज्ञान अनुभाग के तहत लाई डिटेक्शन, नारको एनालिसिस एवं ब्रेन मैपिंग प्रयोगशाला प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, अपराध विज्ञान, कानून व्यवस्था, पुलिस विज्ञान और प्रशासन अनुभाग भी होंगे।
- इस इंस्टीट्यूट में बीएएस0सी0, एम0एस0सी0 फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन, एम0फिल, पी0एच0डी0, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च तथा पी0जी0 डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस, एडवांस स्पेशलाइजेशन एण्ड टेलर मेड पी0जी0 डिप्लोमा एवं विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन प्रस्तावित है, जिसमें 500 छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण करेंगे।
- वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिये पुलिस विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने एवं अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कर उनका जनपद स्तर पर विस्तार किया जा रहा है।
- साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए साइबर क्राइम थाना लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक-एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई है।
- प्रदेश के कारागारों में बंदी अनुशासन हेतु प्रिजन्स एक्ट-1894 में संशोधन कर कारागारों में मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस के प्रयोग पर 03 से 05 वर्ष की सजा तथा 50 हजार रूपये अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान कराया गया है।
- जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर कड़ाई से रोक लगाने एवं दोषियों को दण्डित किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम-2021" को मंजूरी प्रदान की गयी है।

- हड़ताल, बन्द, दंगों, लोक अशान्ति के दौरान सार्वजनिक स्थलो पर हिंसात्मक कार्यो को करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए लोक तथा निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली के लिए लखनऊ एवं मेरठ मण्डल में दावा अधिकरण का गठन का निर्णय लिया गया।
- नागरिकता संशोधन अधि0-2019 (CAA) के विरोध प्रदर्शन में हुये आक्रमक हिंसा के दौरान प्रदेश में हुयी सरकारी सम्पत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही वसूली की जा चुकी है तथा एक मैरैज लॉन सीज किया गया है।
- राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा-व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से "उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स" नामक नये सुरक्षा बल गठन किया गया है जो उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता से सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन करेगा।
- जनपद चन्दौली में एक और नयी इण्डिया रिजर्व वाहिनी के गठन तथा प्रदेश में दैवीय व अन्य आपदाओं में राहत पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की तर्ज पर राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का गठन किया गया।
- अपराधियों को सजा दिलाने के कार्य की सघन समीक्षा के लिए 10 राज्यो में लागू 'ई-प्रॉसीक्यूशन प्रणाली' के उपयोग में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- 112 यू0पी0 परियोजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने के साथ-साथ इसके संसाधनों में बढोत्तरी कर कई नयी योजनाएं जोड़ी गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए 'लिंक' सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया इसके अलावा वीमेन पावर लाइन 1090, जी0आर0पी0, फायर सणवस, महिला हेल्प लाइन 484, चिकित्सा सेवा, यूपी एसआरटीसी (पिक सेवा) का इससे एकीकरण किया गया है। साथ ही स्मार्ट सिटी एनएचएआई (1033) से एकीकरण की प्रकिया प्रचलित है।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 01 लाख 43 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। इन नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित थे। साथ ही अब तक बड़े पैमाने पर कुल 76 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों को पदोन्नतियां करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया गया है।
- प्रदेश के पुलिस कर्मियों को कार्यस्थल या उसके निकट उत्कृष्ट कोटि के आधुनिक संसाधनों से युक्त आवासीय भवन उपलब्ध कराने तथा अच्छे कार्यस्थल क निर्माण हेतु अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। घाटे पर चल रहा पुलिस आवास निगम पहली बार लाभ की ओर अग्रसर हुआ है।
- प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों का उत्पीड़न रोकने, महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने और उनको सहायता प्रदान करने तथा महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु पुलिस विभाग के अर्न्तगत महिलाओं से सम्बन्धित कार्यरत इकाइयों यथा-वीमेन पावर लाइन-1090, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, सी0बीएसी0आई0डी0 के पुलिस महिला सहायता

प्रकोष्ठ को समेकित करते हुए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (weso) की स्थापना की गयी है।

- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार की सहायता से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में "सेफ सिटी परियोजना" का कियान्वयन किया जा रहा है।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार एण्टी रोमियो स्क्वाड का गठन हर जिले में कर प्रभावी कार्यवाही की गई है।
- इसी कड़ी में 17 से 25 अक्टूबर 2020 तक मिशन शक्ति अभियान चलाया गया जिसकी सफलता को दृष्टिगत रखते हुये इसे 180 दिवस तक आगे चलाया गया। वर्तमान में मिशन शक्ति अभियान तृतीय चरण 24 अगस्त 2021 से संचालित है।
- प्रदेश के 1535 थानों पर "महिला हेल्प डेस्क" की स्थापना, 8 पुलिस परिक्षेत्रीय कार्यालयों में महिला साइबर क्राइम सेल तथा 8 परिक्षेत्र के जनपदों में थाने के समकक्ष एक-एक महिला पुलिस चौकी-परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है।
- जनपद बदायूं, लखनऊ व गोरखपुर में 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन के गठन का निर्णय लिया गया। लखनऊ में वीरांगना ऊदादेवी महिला पुलिस बटालियन, गोरखपुर में वीरांगना झलकारीबाई, महिला पुलिस बटालियन तथा बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई महिला पुलिस बटालियन के नाम से जानी जायेगी।
- महिला सम्बन्धी अपराधों में त्वरित कार्यवाही के लिए 28 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किये गये हैं पाक्सों अधिनियम के तहत त्वरित कार्यवाही हेतु डिस्ट्रिक्ट मॉनीटऋरग कमेटी की नियमित बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
- विद्युत चोरी के अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक विद्युत थाने की स्थापना की गयी है।
- कुम्भ जैसे महापर्व के सुरक्षित और सफलतापूर्वक आयोजन ने वैश्विक स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2024 चार चरणों में निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांति पूर्ण पुलिस प्रबन्ध एवं कार्यवाही से सकुशल सम्पन्न हुए।
- विशेष अवसरो पर अति विशिष्ट अतिथियो के प्रदेश भ्रमण के दौरान भी पुलिस ने अपना दायित्व अत्यन्त कुशलता से सम्पादित किया है। लखनऊ में डिफेन्स एक्सपों-2020, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प एवं उनके परिवारीजन के आगरा भ्रमण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा श्री राममंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम के दृष्टिगत मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के जनपद अयोध्या भ्रमण कार्यक्रम आदि की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुस्त-दुरूस्त हुए पुलिस प्रबंध की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में प्रशंसा हुई।

- बेहतर पुलिसिंग के माध्यम से प्रदेश की जनता को सुरक्षित परिवेश प्रदान कर साम्प्रदायिक एवं जातिगत सौहाई कायम रखा गया एवं सम्पूर्ण प्रदेश दंगा मुक्त रहा है।
- उत्तर प्रदेश में गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक कृत्य से अर्जित की गयी लगभग 48 अरब 48 करोड़ 54 लाख रूपये से अधिक की चल/अचल अवैध सम्पत्तियों पर शिकंजा कसते हुए सरकारी जमीन अवमुक्त कराने, अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण एवं जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।
- विश्व व्यापी कोविड 19 से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने कंधे से कंधा मिलाकर भारत सरकार के दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराते- हुए जिस तत्परता एवं दृढ़ता का परिचय दिया है उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है तथा इससे पुलिस का मानवीय चेहरा उभर कर सामने आया है।
- अप्रैल 2021 में कोविड-19 संकट काल में अचानक उत्पन्न हुई आक्सीजन की बढ़ी मांग को पूरा करनेके लिए "ऑक्सीजन मॉनीटरिंग सिस्टम फॉर यू0पी0" नामक डिजीटल प्लेटफार्म तैयार कर सभी सरकार व निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई कर यह व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना।

कानून-व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के प्रयास

प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ़ करने तथा अपराधियों के अन्दर कानून के भय का माहौल पैदा करने के लिए अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स वर्तमान सरकार की प्रमुख नीति है। अपराधियों के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही के लिए वर्तमान सरकार कुत संकल्पित है।

दुर्दान्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही

उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध का सफाया हुआ है। अपराधियों के प्रति जीरो टालरेन्स की नीति के अर्न्तगत आपराधिक एवं असमाजिक तत्वों कर कड़ी कार्यवाही की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में (विगत 20 मार्च 2017 से 10 सितम्बर, 2021 तक) कुल 50 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गये एवं 3427 घायल हुये, इन कार्यवाहियों में पुलिस बल के 13 जवान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुये वीरगति को प्राप्त हुये तथा 4492 पुलिस कर्मी घायल हुये।

गैंगेस्टर एक्ट में हुई कार्यवाही की एक झलक

प्रदेश के चिन्हित माफिया अपराधियों, गैंग के सहयोगियों व अन्य कुख्यात अपराधियो के विरूद्ध वर्तमान सरकार के कार्यकाल मे विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की गयी है। जनवरी 2020 से 6 सितम्बर, 2024 तक सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक कृत्य से अर्जित की गयी लगभग 48 अरब 66 करोड़ रूपये से अधिक की चल/अचल, अवैध सम्पत्तियों पर शिकंजा कसते हुए सरकारी जमीन अवमुक्त कराने, अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण एवं जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। गैंगेस्टर एक्ट में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक कुल 14,260

अभियोग पंजीकृत कर 44,759 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 646 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है।

एटीएस की उपलब्धियां

एटीएस को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु इण्डो नेपाल बार्डर बहराइच व श्रावस्ती में ए0टी0एस0 की नई फील्ड स्थापित की जा चुकी है। इसे अलावा मेरठ, अलीगढ़ ग्रेटर नोएडा (जेवर एयरपोर्ट) आजमगढ़ (निकट एयरपोर्ट), सोनभद्र, कानपुर, मिर्जापुर में ए0टी0एस0 इकाई हेतु भूमि का आवंटन कराया गया है। साथ ही वाराणसी एवं झाँसी में ए0टी0एस0 इकाई की स्थापना हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। देवबंद (सराहनपुर) में ए0टी0एस0 इकाई /कमाण्डों ट्रेनिंग सेण्टर हेतु भूमि प्राप्त की जा चुकी है। एनएसजी की तर्ज पर राज्य स्तर पर कमाण्डों इकाई "स्पाट (स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम)" का गठन अक्टूबर 2017 मे किया गया, जो खतरनाक आपरेशन को करने मे सक्षम है। इसके अलावा जनपदीय स्वाट टीम (स्पेशल वीपन्स एण्ड टैक्टिस) को प्रशिक्षित किया गया है। यूपी पुलिस की पहली स्नाइपर्स टीम की चार टोलिया तैयार की गयी है। इससे यूपी पुलिस की दक्षता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। एटीएस द्वारा विभिन्न आंतकवादी संगठनों आदि से सम्बन्धित 78 आतंकवादियों/अभियुक्तों तथा अपराधों से सम्बन्धित अन्य 467 व्यक्तियों को गिरतार किया गया है। इसके अतिरिक्त मूक बधिर छात्रों व कमजोर आय वर्ग के लोगों को धन नौकरी व शादी का लालच देकर धर्मान्तरण कराने वाले सिंडीकेट में लिप्त अभियुक्तों को भी गिरतार किया गया है। भारी मात्रा में फर्जी मोबाईल सिम जिन्हें कूट रचित प्रपत्रों के आधार पर एक्टिवेट कराये जाने से सम्बन्धित एक दर्जन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिसमें 3 विदेशी अभियुक्त भी शामिल है। वर्ष 2007 के लखनऊ कचहरी ब्लासट, रामपुर सीआरपीएफ कैम्प विस्फोट आदि आतंकी घटनाओं एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित कुल 15 प्रकरणों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी है।

नागरिकता संशोधन अधि० के विरोध मे हुए हिंसात्मक प्रदर्शन में कार्यवाही

नागरिकता संशोधन अधि0-2019 (CAA) के विरोध प्रदर्शन में हुये आक्रामक हिंसा के दौरान प्रदेश में हुयी सरकारी सम्पत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये क्षति की वसूली की कार्यवाही में करीब 1,72,55,067/ रू0 की क्षतिग्रस्त राजकीय सम्पत्ति के दोषी व्यक्तियों से करीब 26,33,171/- रू0 की मूल्य की वसूली की जा चुकी है तथा एक मैरेज लॉन सीज किया गया है। सीएए के विरोध प्रदर्शन में प्रदेश में कुल 540 अभियोग में 7482 अभियुक्तों में से 2944 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, 2358 को 41(1) की नोटिस जारी की गयी, 719 हाजिर अदालत हुये है तथा 420 अभियोगो का निस्तारण किया जा चुका है।

हड़ताल, बन्द, दंगों, लोक अशान्ति के दौरान सार्वजनिक स्थलो पर हिंसात्मक कार्यो को करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही तथा इसके फलस्वरूप लोक तथा निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली के लिए लखनऊ एवं मेरठ मण्डल में दावा अधिकरण का गठन का निर्णय लिया गया है। लखनऊ के दावा अधिकरण के तहत 12 मण्डल एवं मेरठ के दावा अधिकरण में 06 मण्डलों से सम्बन्धित दावा

याचिकाओं का निस्तारण किया जायेगा। लोक एवं निजी सम्पत्ति की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी। दावा अधिकरण के 02 सदस्य होगें, जिसमें अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला जज होगा और दूसरा सदस्य मण्डल में नियुक्त अपर मण्डलायुक्त श्रेणी का अधिकारी होगा।

स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन

राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा-व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से सुरक्षा बल का गठन किया गया है। यह बल उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता से सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन करेगा तथा अपने व्यावसायिक कौशल से राज्य हेतु आय अर्जन की क्षमता भी रखेगा, जिससे राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी। अन्य राज्यों में गठित स्टेट वाइटल इंस्टालेशन फोर्स की भांति "उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स" के नाम से गठित होने वाले इस बल में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा आवश्यकताओं के दृष्टिगत विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी होंगे। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि राज्यों में सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्थानों, धाणमक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान व चिकित्सा संस्थान आदि की सुरक्षा हेतु इस प्रकार के विशेषज्ञ बल की व्यवस्था की गयी है। प्रथम चरण में इस बल की तैनाती सभी जनपदीय न्यायालयों, उच्च न्यायालय, मेट्रो स्टेशनों पर की जायेगी। तदोपरान्त बल की उपलब्धता बढ़ते ही अन्य निर्धारित स्थानों पर की जा सकेगी।

"उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम-2021"

जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर कड़ाई से रोक लगाने एवं दोषियों को दण्डित किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम-2021" को मंजूरी प्रदान की गयी है। इस अध्यादेश में मिथ्या, निरूपण, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी कपट पूर्ण माध्यम द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हेतु विवश किये जाने पर उसके कृत्य को एक संज्ञेग अपराध एवं गैर जमानतीय प्रकृति का अपराध होने के कारण उक्त अभियोग को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय बताये जाने का प्राविधान किया गया है। अध्यादेश में उक्त अपराध के लिए कारावास की सजा के साथ-जुर्मने की भी व्यवस्था की गयी है।

विवेचना की गुणवता हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक साइंसेज की स्थापना का निर्णय

पुलिस विवेचना की गुणवत्ता में वृद्धि एवं उसमें अधिकाधिक वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश किये जाने हेतु फॉरेंसिक सांइस के उपयोग को बढावा दिया गया है। "यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फारेसिंक साइंसेज लखनऊ' के लिए 50 एकड़ भूमि का आवंटन ग्राम पीपरसण्ड परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ में किया गया है जिसमे से लगभग 5 एकड़ भूमि पर "सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना होगी। इसका शिलान्यास पहली अप्रैल 2021 को मा0 गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। यह संस्थान नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध होगा। इसके तहत "सेन्टर आफ एक्सीलेंस" की भी स्थापना होगी जिसमें भारत सरकार के गृह

मंत्रालय के राष्ट्रीय न्यायालिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एन0एफ0एस0य0) गांधीनगर का सहयोग मिलेगा।

साइबर अपराधों से निपटने हेतु साइबर थाने

तकनीकी के विकास से प्रदेश मे अपराधों के नये तरीके अपराधियो ने खोज लिए है। इन्टरनेट के विकास से अपराधी नित नये साइबर अपराधों को अंजाम दे रहे है किन्तु प्रदेश सरकार इसकी रोकथाम हेतु सजग है। इसी कड़ी में साइबर क्राइम थाना लखनऊ व साइबर क्राइम थाना गौतमबुद्धनगर तथा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक-एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर थानों की स्थापना कर इन सभी को क्रियाशील किया जा चुका है। इसके लिए शासन द्वारा 256 पदों का सृजन किया गया है। सभी 16 परिक्ष क्षेत्रीय साइबर क्राइम पुलिस थानों पर 660 अभियोग पंजीकृत कर 470 अभियुक्तों की गिरतारी की गयी है। उक्त अभियोगों में 2.2 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि साइबर अपराधियों से बरामद की गयी है तथा 5 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि बैंक खातों में होल्ड करायी गयी है। परिक्षेत्रीय साइबर थानों पर महिला साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है, जो इन अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए हर सम्भव मदद प्रदान कर रही है। साइबर बुलिंग की शिकार महिलाओं की मदद हेतु वूमेन पॉवर लाइन 4090 के अन्तर्गत अपराधी की पहचान एवं अवैध कंटेन्ट हटान के लिए अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है।

साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु लगे पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित भी कराया जा रहा है। इसके तहत वर्तमान में Cyber Prevention Against Women & Children (CCPWC) योजना के तहत 1386 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। समस्त साइबर क्राइम पुलिस थानों पर विवेचनाओं एवं उनके पर्यवेक्षण आदि के लिए एन0सी0आरए0पी0 पोर्टल /साइबर सेफ पोर्टल / हेल्प डेस्क व क्षेत्रीय अपराध समन्वय केन्द्र के पर्यवेक्षण का कार्य साइबर मुख्यालय द्वारा प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

महिला सशक्तीकरण के प्रयास

'रोमियो स्क्वाड'

महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार एण्टी रोमियो स्कक्वाड का गठन हर जिले में किया गया। 'एंटी रोमियो स्क्वाड' द्वारा इस संबंध में अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। विगत 22.03.2017 से दिनांक 25.08.2021 तक 46,57,05 स्थानों पर चेकिंग कर 1,24,42,700 व्यक्तियों को चेक किया गया, जिस दौरान 12,060 अभियोग पंजीकृत कर 47,802 व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी तथा 52,44,634 व्यक्तियों को चेतावनी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति

वर्ष 2020 में शारदीय नवरात्रि के दौरान विगत 40 से 25 अक्टूबर तक विशेष अभियान "मिशन शक्ति" नाम से प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया जिसके उत्साहवर्धक एवं सार्थक परिणाम परिलक्षित हुये हैं। प्रदेश की जनता एवं विशेष कर महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना प्रबल हुई है तथा प्रदेश पुलिस बल की छवि में उच्चकोटि का सुधार हुआ है। मिशन शक्ति तृतीय चरण दिनांक 24.08.2021 से प्रारम्भ हुआ है, जिसके तहत महिलाओं/बालिकाओं सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने एवं उनमें सुरक्षा की भावना जागृत किये जाने हेतु प्रदेश में कुल 40,370 महिला बीटो पर महिला काणमकों को तैनात किया गया है। उक्त मिशन शक्ति तृतीय चरण को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में विभिन्न पाँच अभियान चलाये जा रहे है। मिशन शक्ति अभियान के तृतीय चरण विगत 24.08.2021 से अब तक अभियोजन विभाग ने पैरवी के माध्यम से कुल 4 अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। इस अवधि में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चल रहे 74 मुकदमों में 434 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों का उत्पीड़न रोकने, उनके विरूद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने व सहायता प्रदान करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु पुलिस विभाग के अर्न्तगत महिलाओं से सम्बन्धित कार्यरत विभिन्न इकाईयों यथा-वीमेन पावर लाइन-1090, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, सी0बी0सी0आई0डी0 के पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ को समेकित करते हुए "महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (wcso)" की स्थापना की गयी है।

वीमेन पॉवर लाइन-वीमेन पॉवर लाइन पर 20 मार्च 207 से 34 दिसम्बर 2020 तक दर्ज शिकायतों में से 99.7 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। विगत 4 जनवरी 2021 से 14 अगस्त, 2021 तक की अवधि में 1090 वीमेन पावर लाइन द्वारा कुल 2,13,555 शिकायते दर्ज की गयी जिनमे से 1,92,131 शिकायतों का निस्तारण हो गया है।

1090 की साइबर सेल मे प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को और अधिक प्रभावी व गुणवत्ता परक एवं समयबद्ध बनाये जाने हेतु साइबर सेल को सेफ सिटी परियोजना के तहत सुदृढ़ किया गया है। इसके अन्तर्गत अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक टूल्स का प्रयोग करते हुये शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है। डाटा एनालिटिक्स सेंटर में विभिन्न स्रोतों से महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की शिकायतों का डेटा एकत्र कर उसके विश्लेषण एवं मिलान की कार्यवाही का प्रावधान है। इसके माध्यम से महिला सम्बन्धी अपराधों विशेष रूप से छेड़खानी के हॉट-स्पॉट का चिन्हीकरण तथा मासिक समीक्षा के आधार पर जनपदीय पुलिस एवं एण्टी रोमियो स्कवाड को और सक्रिय किया जा सकेगा।

महिला सम्मान प्रकोष्ठ-महिला सम्मान प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में पुलिस विभाग में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्रों का बेहतर संचालन पारिवारिक झगड़े के निस्तारण, वादी प्रतिवादियों

की प्रभावी कांउसिलिंग व संसाधनों की उपलब्धता आदि विषयों पर मानक संचालन प्रक्रिया विकसित कर दी गयी है। इसी के अनुरूप अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा जनपदीय पुलिस का, किशोरो से सम्बन्धित अपराधों व कानूनी प्रावधानों पर प्रदेश के सभी 08 पुलिस जोन्स में प्रशिक्षण भी कराया जा चुका है।

सेफ सिटी परियोजना

महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार की सहायता से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रथम चरण में देश के विभिन्न प्रदेशों के 08 महानगरों में यह परियोजना प्रारम्भ की गयी है, जिसमें लखनंऊ भी है। उल्लेखनीय है कि इसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्भया फण्ड की स्थापना की गयी, जिसमें देश के 08 शहरों को चिन्हित किया गया। इसके तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार की सहभागिता 60 एवं 40 प्रतिशत है।

सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत 07 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पिक पेट्रोल के तहत 100 पिक स्कूटी एवं 10 पिक एस0यू0वी0 वाहन की व्यवस्था की गयी है जिनमें से 70 पिकबूथ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकाणपत किये जा चुके हैं। अब तक 100 में 96 पिकबूथ निर्मित हो चुके हैं। इसके तहत वीमेन पॉवर लाइन 090 का सुदृढीकरण करते हुये इस प्रोजेक्ट के लिए नये भवन का निर्माण, 1090 कॉल सेण्टर में 80 नये टर्मिनल्स की स्थापना, डाटा एनालिटिक्स सेण्टर तथा फॉरेंसिक साइबर सुविधा की व्यवस्था की गयी है। पिकबूथ, वीमेन पावर लाइन-1090 के विस्तारीकरण/क्षमता में वृद्धि, साइबर फोरेंक्ऋसक केन्द्र की स्थापना, डाटा विश्लेषण केन्द्र की स्थापना, 1090 का 42 से इन्टीग्रेशन का कार्य किया जा चुका है।

लखनऊ सेफ सिटी परियोजना की भांति प्रदेश के अन्य 48 जनपदों में सेफ सिटी परियोजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित मण्डलों के मण्डलायुक्तों की अध्यक्षता में अधिकारिता समिति का गठन किया गया है। प्रथम चरण में वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ व अलीगढ़ में सेफ सिटी परियोजना लागू किये जाने की तैयारी की जा रही है। द्वितीय चरण में 06 जनपदों में सेफ सिटी परियोजनाएं लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाने के लिए कार्यवाही प्रचलित है।

महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत 100 दो पहिया पिक स्कूटी तथा 40 पिक एस0यू0वी0 पेट्रोल वाहनों का शुभारम्भ किया जा चुका है। वर्ष-2021 में अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'सेफ सिटी परियोजना' के तहत लखनऊ सिटी में स्थापित 96 पिक बूथ, 8 पिक शौचालय तथा 660 स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण तथा नवीन आशा ज्योति केन्द्र का विस्तारीकरण व शिलान्यास किया गया है।

महिलाओं सुरक्षा हेतु अन्य प्रयास-राज्य सरकार नारी की गरिमा, सम्मान व सशकतीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के 8 पुलिस परिक्षेत्रीय कार्यालयों में महिला साइबर क्राइम सेल तथा 18 परिक्षेत्र के जनपदों में थाने के समकक्ष एक-एक महिला पुलिस चौकी-परामर्श केन्द्र का लोकार्पण किया गया

है। महिलाओं को अल्पसमय में त्वरित पुलिस सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में 1535 थानों एक "महिला हेल्प डेस्क" की स्थापना की गयी है, जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा की गयी पुलिस भर्तियों में महिलाओं को 20 प्रतिशत स्थान दिये गये है। जनपद बदायूं, लखनऊ व गोरखपुर में 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन का गठन किया गया हैं. लखनऊ में वीरांगना ऊदादेवी महिला पुलिस बटालियन, गोरखपुर में वीरांगगा झलकारीबाई, महिला पुलिस बटालियन तथा बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई महिला पुलिस बटालियन के नाम से जानी जायेगी। महिला सम्बन्धी अपराधों में त्वरित कार्यदाही के लिए 248 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किये गये हैं। पाक्सो अधिनियम के तहत त्वरित कार्यवाही हेतु डिस्ट्रिक्ट मॉनीटरिंग कमेटी की नियमित बैठकों के निर्देश दिये गये हैं।

११२-यूपी परियोजना

यू0पी0 112 द्वारा आपात सहायता के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 27 अगस्त 2021 तक लगभग 2 करोड़ 54 लाख से अधिक आपात सहायता इवेंट नागरिकों की सहायता हेतु बनाये गये हैं, जिनमें से पुलिस सम्बन्धी 22209373, मेडिकल सम्बन्धी 2753436, अग्निशमन सम्बन्धी 23934, बूमेन पॉवर लाइन सम्बन्धी 88462, डब्ल्यू सीडी 34484, जी0आर0पी0 33887, यू0पी0 एस0आर0सी0 टी0सी0 (पिक सेवा) 23690, ए0एल0एस0 25 व साइबर अपराध 6915 सम्बन्धी सहायता की गयी है।

प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा इस परियोजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने तथा इसके संसाधनों में बढोत्तरी के साथ-साथ कई नयी योजनाएं जोड़ी गई है। काफी बड़ा प्रदेश होने के कारण यहां कई तरह की क्षेत्रीय भाषाओ का भी प्रचलन है। ऐसे मे सहायता मांगने वाले ग्रामीण अंचल के स्थानीय लोगो से अधिक प्रभावी सम्पर्क बनाने हेतु उनकी भाषा में ब्रातचीत करते हुए उत्तर देने हेतु अवधी, ब्रज, बुन्देली आदि क्षेत्रीय भाषाओ में संवाद किये जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही बाहर से प्रदेश भ्रमण पर आने वाले पर्यटको को किसी भी आपात स्थिति में बातचीत मे सुगमता हेतु 8 विदेशी भाषाओ में बात करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा वीमेन पावर लाइन 1090, जी0आर0पी0, फायर सणवस, महिला हेल्प लाइन 484, चिकित्सा सेवा, यूपी एसआरटीसी (पिक सेवा) का इससे एकीकरण किया गया है। साथ ही स्मार्ट सिटी नल से एकीकरण की प्रकिया प्रचलित है।

कारागार प्रशासन एवं सुधार

उद्देश्य

पुलिस प्रशासन एवं न्याय पालिका के साथ कारागार प्रशासन भी आपराधिक न्याय प्रणाली का महत्त्वपूर्ण अंग है एवं इसकी समाज में कानून के शासन एवं शान्ति व्यवस्था की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कारागारों में निरुद्ध बंदियों का सुरक्षित रख-रखाव, सुधार, व्यवहार परिमार्जन के विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का संचालन करने के साथ-साथ उन्हें पुनर्वासन हेतु तैयार करना प्रमुख उद्देश्य है ताकि इनसे लाभान्वित होकर रिहाई के उपरान्त वे समाज़ में पुनर्स्थापित होने योग्य हो सकें। इस हेतु प्रदेश की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करने के साथ ही बंदियों हेतु साक्षरता, शैक्षिक एवं कौशल विकास कार्यक्रम, योग, खेलकूद, व्यायाम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है।

कारागार संस्थायें तथा वर्गीकरण

बंदी क्षमता तथा बंदियों को दिये गये दण्ड की अवधि के आधार पर कारागारों का वर्गीकरण किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न श्रेणी की 73 कारागारें संचालित हैं, इसके साथ ही कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु डॉ0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ एवं कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के विकय एवं जनता में प्रदर्शन हेतु अमीनाबाद, लखनऊ में जेल डिपो स्थापित है।

कारागार संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय

आदर्श कारागार, लखनऊ

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरुद्ध अच्छे आचरण के 45 वर्ष से कम आयु के सिद्धदोष बंदियों, जिन्होंने किसी कारागार में कम से कम 01 वर्ष की सजा व्यतीत कर ली हो, को आदर्श कारागार में निरुद्ध करने का प्रावधान है। लखनऊ जनपद में संचालित केन्द्रीय कारागार को वर्ष 1949 में आदर्श कारागार बनाया गया। यहाँ निरुद्ध बंदियों को सुधार के 5 सोपानों क्रमशः स्वागत भवन, यमुना भवन, गंगा भवन, आजाद बैरक तथा कृषि फार्म में रखा जाता है। प्रारम्भ में 6 माह तक स्वागत भवन में निरुद्ध रहने के पश्चात् यमुना भवन में तथा उसके बाद गंगा भवन में रखा जाता है जहां उन्हें विभिन्न उद्योगों में लगाकर पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। गंगा भवन में अच्छे आचरण के पश्चात आजाद बैरक में बंदी बैण्ड प्रदर्शन, सब्जी विक्रय व दुकानदारी हेतु दिन में बंदियों को जेल परिसर से बाहर भेजने की व्यवस्था है।

आदर्श कारागार में निरुद्ध बंदी भारत सरकार द्वारा संचालित गन्ना संस्थान में मजदूरी हेतु जाते हैं जहाँ उन्हें गन्ना संस्थान द्वारा निर्धारित मजदूरी दी जाती है। इस कारागार में बंदियों को वर्ष में एक बार 5 दिन का गृह अवकाश दिया जाता है। वर्तमान में आदर्श कारागार लखनऊ में उपलब्ध 600 बंदी क्षमता के सापेक्ष 417 बंदी निरुद्ध हो रहे हैं। समय-समय पर प्रदेश की अन्य कारागारों में निरुद्ध बंदियों में से पात्र बंदियों को आदर्श कारागार में निरुद्ध करने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

केन्द्रीय कारागार

प्रदेश में संचालित 07 केन्द्रीय कारागारों कमशः केन्द्रीय कारागार आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी (प्रयागराज) एवं वाराणसी में से केन्द्रीय कारागार आगरा की स्थापना वर्ष 1844 में हुई। यह देश की सर्वप्रथम केन्द्रीय कारागार थी। इसके पश्चात वर्ष 1848 में केन्द्रीय कारागार बरेली, वर्ष 1867 में केन्द्रीय कारागार लखनऊ, वर्ष 1868 में केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़, वर्ष 1869 में केन्द्रीय कारागार नैनी (प्रयागराज) तथा वर्ष 1877 में केन्द्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना हुयी। शासन के संज्ञान में लाये जाने पर कि प्रदेश में वर्ष 1877 के पश्चात किसी केन्द्रीय कारागार का निर्माण नहीं हुआ है। प्रदेश की जिला कारागारों में ऐसे बंदियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने के कारण जो केन्द्रीय कारागारों में निरुद्धि के पात्र हैं, के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा केन्द्रीय कारागारों की संख्या में वृद्धि की गयी है। वर्ष 2020 में शासन द्वारा नवनिर्मित जिला कारागार बरेली को केन्द्रीय कारागार बरेली (द्वितीय) एवं नवनिर्मित जिला कारागार बरेली परिसर में ही संचालित महिला कारागार को प्रदेश में प्रथम महिला केन्द्रीय कारागार के रूप में संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही निर्माणाधीन नवीन जिला कारागार इटावा को भी केन्द्रीय कारागार के रूप में संचालित करने की अधिसूचना जारी की गयी है। तद्नुसार कारागार के संचालन के पश्चात केन्द्रीय कारागारों की संख्या 08 हो जायेगी।

जिला कारागार

आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में मा0 न्यायालय, पुलिस प्रशासन एवं कारागार की व्यवस्था होना आवश्यक है ताकि अपराध नियन्त्रण हेतु जनपद में ही इन तीनों संस्थाओं की भूमिका की उपलब्धता रहे। वर्तमान में प्रदेश में संचालित 75 जनपदों में से 61 जनपदों में जिला कारागार संचालित हैं। वर्तमान में 03 जनपदों कमशः श्रावस्ती, संत कबीर नगर तथा प्रयागराज में जिला कारागारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020 में नवनिर्मित जिला कारागार बरेली को केन्द्रीय कारागार बरेली के रूप में अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप जनपद में पुराने जिला कारागार परिसर को जिला कारागार के रूप में संचालित करने की कार्यवाही की जा रही है। इस कारागार में पुराने भवनों को ठीक तथा कतिपय अन्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था कराने का कार्य प्रचलित है। इन कार्यों के पूर्ण होने पर जनपद बरेली में जिला कारागार की उपलब्धता हो जायेगी।

उपरोक्त विवरण के अनुसार 75 जनपदों के अतिरिक्त कारागार विहीन 10 जनपदों क्रमशः महोबा, अमेठी, चंदौली, औरेया, कुशीनगर, शामली, अमरोहा, हापुड़, संभल तथा हाथरस में जिला

कारागारों के निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। इन जनपदों में से क्रमशः जिला कारागार महोबा, अमेठी, चंदौली, औरैया, कुशीनगर, भदोही तथा हाथरस में भूमि का चयन हो चुका है तथा अवशेष रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण कराकर निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है। संचालित 61 जिला कारागारों में बंदियों को निरुद्ध करने की उपलब्ध क्षमता 47564 है जिसके सापेक्ष कुल 91218 बंदी निरुद्ध रहे हैं जो 1.92 गुना है। अधिकांश जिला कारागारों में ओवरक्राउडिंग की स्थिति है।

उप कारागार

वर्तमान में प्रदेश में दो उप कारागारें कमशः उप कारागार महोबा तथा देवबन्द क्रियाशील हैं। उप कारागार देवबन्द की उपलब्ध बंदी क्षमता 31 के सापेक्ष में 179 (37 प्रतिशत ओवरक्राउडिंग) बंदी निरुद्ध हैं। इसी प्रकार उप कारागार महोबा में उपलब्ध बंदी क्षमता मात्र 175 के सापेक्ष 474 (171 प्रतिशत ओवरक्राउडिंग) बंदी निरुद्ध हैं।

नारी बंदी निकेतन लखनऊ

03 वर्ष से अधिक अवधि से दण्डित सिद्धदोष महिला बंद्रियों को नारी बंदी निकेतन लखनऊ में निरुद्ध किया जाता है जहाँ उनके सुधार, कल्याण तथा रिहाई के उपरान्त समाज में पुनर्स्थापित तथा पुनर्वासित होने के लिये विभिन्न रोजगारपरक उद्यम संचालित हो रहे हैं। इन उद्यमों में निर्धारित दरों पर श्रम के एवज में पारिश्रमिक दिया जाता है। महिला बंदियों तथा उनके साथ रह रहे बच्चों के लिये पृथक रसोईघर/पाकशाला, स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष/ अस्पताल तथा क्रेच की सुविधा है। अपनी माता के साथ रह रहे बच्चों को 03 वर्ष की आयु के पश्चात समीपस्थ पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजने की व्यवस्था है। इन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समय-समय पर इन्हें चिड़ियाघर, आंचलिक विज्ञान केन्द्र आदि दर्शनीय तथा शिक्षा परक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। शेष कारागारों में निरुद्ध महिला बंदियों को अलग अहाते/बैरक में निरुद्ध किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि अब तक सिद्धदोष महिला बंदियों के निरुद्धिकरण हेतु मात्र नारी बंदी निकेतन लखनऊ संचालित रही है। वर्ष 2020 में शासन द्वारा नवनिर्मित जिला कारागार बरेली परिसर में संचालित 120 क्षमता की महिला कारागार को प्रथम महिला केन्द्रीय कारागार के रूप में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश अथवा विशेष रूप से जनपद बरेली की समीपस्थ कारागारों में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बंदियों को नव संचालित महिला केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध किया जायेगा। महिला केन्द्रीय कारागार बरेली के संचालित होने से उक्त अंकित जनपदों से सम्बन्धित निरुद्ध होने वाली महिला बंदियों के परिजनों को मुलाकात करने में सुविधा होगी।

किशोर सदन बरेली

एक वर्ष से अधिक सजा अवधि एवं 18 से 23 वर्ष की आयु की सिद्धदोष अल्पवयस्क बंदियों को किशोर सदन, बरेली में निरुद्ध करने की व्यवस्था है। सदन में निरुद्ध बंदियों हेतु कक्षा 08 तक की शिक्षा हेतु जूनियर हाईस्कूल की व्यवस्था के साथ-साथ विभिन्न उद्यमों में व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की व्यवस्था है। वर्तमान में स्टाफ की कमी तथा अन्य कारणों से बंदी केन्द्रीय कारागार

बरेली में निरुद्ध किये जा रहे हैं।

डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

वर्ष 1940 में लखनऊ में स्थापित कारागार प्रशिक्षण विद्यालय को वर्ष 1990 में डॉ0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत किया गया है। संस्थान में प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सीधी भर्ती के कारागार अधीक्षक, उप कारापाल तथा जेल वार्डर संवर्ग के कार्मिकों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु अपर महानिरीक्षक (प्रशिक्षण एवं विकास) का पद सृजित है। प्रशिक्षण कार्यकर्मों के संचालन हेतु उपनिदेशक, सहायक निदेशक, प्रवक्ता, पुस्तकालयाध्यक्ष, पीटीआई, एमडीआई, लिपिकीय व लेखा संवर्ग तथा सहयोगी स्टाफ के पद सृजित हैं।

विगत वर्ष संस्थान में 18 अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य के 02 सहायक अधीक्षक सम्मिलित रहे। वर्तमान में 03 कारागार अधीक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण संचालित हो रहा है। जेल वार्डर संवर्ग के संचालित प्रशिक्षण सत्र को पूर्ण कराकर उनकी तैनाती कारागारों में की गयी। अल्पकालीन व विशिष्ट प्रशिक्षण के अन्तर्गत जन सूचना अधिकार की सम्यक जानकारी हेतु 29 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

जेल डिपो, अमीनाबाद, लखनऊ

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में उत्पादित औद्योगिक उत्पादों का कारागारों में प्रयोग एवं अन्य शासकीय विभागों की मांग पर आपूर्ति की व्यवस्था है। इनका आम जनता में प्रदर्शन तथा विक्रय हेतु अमीनाबाद लखनऊ में जेल डिपो संचालित है। डिपो के माध्यम से उत्पादित सामग्री तथा बंदियों की कृतियों का प्रदर्शन लखनऊ महोत्सव व कुम्भ एवं अन्य मेलों में किया जाता है। इनमें उत्पादों का विक्रय किया जाता है।

विभागीय संगठनात्मक ढाँचा

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा तथा विभिन्न स्तरीय संगठनात्मक स्थिति का संक्षिप्त परिचय निम्नवत हैः

मुख्यालय संगठन

वर्तमान में कारागार मुख्यालय में आई0पी0एस0 संवर्ग के पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की व्यवस्था है। मुख्यालय संगठन में विभागाध्यक्ष के सहयोग हेतु अपर महानिरीक्षक कारागार, (प्र0), अपर महानिरीक्षक (मु0), वित्त नियंत्रक, उप महानिरीक्षक (मु0), वरिष्ठ अधीक्षक, निदेशक कारागार उद्योग, अधिशासी अभियन्ता, शोध अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक अभियन्ता, कृषि अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, अपर सांख्यकीय अधिकारी तथा विशेष कार्याधिकारी (मानवाधिकार) के पद सृजित हैं। मुख्य रूप से मुख्यालय संगठन के कार्यों का सम्पादन संचालित 18 अनुभागों के माध्यम से सम्पादित हो रहा है। विशिष्ट प्रकृति के कार्यो के सम्पादन हेतु संचालित 04 प्रकोष्ठ यथा- निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु अभियंत्रण इकाई, शोध, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यों हेतु शोध इकाई, विधि प्रकोष्ठ एवं सम्परीक्षा प्रकोष्ठ संचालित हैं।

परिक्षेत्रीय संगठन

प्रदेश में संचालित कारागारों का संचालन परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के नियन्त्रण में 09 परिक्षेत्रों (आगरा, मेरठ, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर तथा वाराणसी) के अधीन रखा गया है। निरीक्षण हेतु रोस्टर निर्धारित है जिसके अनुसार परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षकों द्वारा अधीनस्थ कारागारों में सूचित, आकस्मिक निरीक्षण, रात्रिगस्त तथा तलाशी की कार्यवाही की जाती है, तद्नुसार मौके पर ही निरीक्षण एवं तलाशी में विदित अधिकांश समस्याओं व कठिनाईयों का निराकरण कराया जाता है। जो प्रकरण मुख्यालय तथा शासन के संज्ञान में लाये जाने अपेक्षित होते हैं उन्हें निरीक्षण टिप्पणी के माध्यम से प्रेषित करने की व्यवस्था है। इन संदर्भो पर मुख्यालय तथा शासन स्तर पर कार्यवाही की जाती है। उप महानिरीक्षकों के सहयोग हेतु परिक्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद सृजित हैं।

मण्डलीय संगठन

बन्दीरक्षक संवर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के निस्तारण हेतु वरिष्ठ अधीक्षक कारागार स्तर के अधिकारी के नियंत्रण में 18 मण्डलीय कारागारें कमशः आदर्श कारगार लखनऊ, केन्द्रीय कारागार आगरा, फतेहगढ़, बरेली, नैनी तथा वाराणसी एवं जिला कारागार मेरठ, मुरादाबाद, बाँदा, झाँसी, गोण्डा, गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, सहारनपुर, बस्ती, अलीगढ़ तथा मिर्जापुर संचालित हैं। पूर्व में बंदीरक्षक संवर्ग की भर्ती का कार्य भी मण्डलीय कारागारों के स्तर पर होता रहा है जिसे वर्तमान में पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

साक्षरता तथा शैक्षिक कार्यक्रम एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था

कारागारों में निरुद्ध निरक्षर बन्दियों को साक्षर करने हेतु "एक पढ़ाये एक" तथा "नया सवेरा" कार्यक्रम संचालित हैं। कारागारों में प्रवेश करने वाले सभी निरक्षर बंदियों को साक्षर किया जाता है। बंदियों के लिये संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत निरुद्ध इच्छुक बंदियों के लिये प्राथमिक, बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पंजीकरण तथा परीक्षा देने हेतु कारागारों में ही परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। कक्षा-5 से 8 तक की परीक्षाओं हेतु सभी कारागारें माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा हेतु 08 कारागारें तथा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा संचालित विभिन्न उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों हेतु 09 कारागारें परीक्षा केन्द्र बनायी गयी हैं।

कक्षा-5 से 8 तक की परीक्षाओं के लिये प्रदेश की कारागारों में वर्ष 2019-20 में 1200 से अधिक बंदी सम्मिलित हुये थे, जिनका परीक्षाफल लगभग शत-प्रतिशत था। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में भी इससे अधिक बंदी सम्मिलित हुये, परन्तु कोविड-9 महामारी के कारण बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षाएं संचालित नहीं की गयीं। वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा में पंजीकृत 114 में 93 बंदी परीक्षा में सम्मिलित हुये, जिसमें 86 बंदी उत्तीर्ण हुये। इण्टरमीडिएट की परीक्षा में पंजीकृत 109 बंदियों में से 86 सम्मिलित हुये,

जिसमें 64 बंदी उत्तीर्ण हुयें। कोविड-19 महामारी के कारण इग्नू की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित बंदियों की परीक्षा भी सम्पन्न नहीं हो सकी। विगत वर्षों की भाँति इग्नू परीक्षाओं के लिये बड़ी संख्या में बंदियों द्वारा पंजीकरण कराया गया है।

प्रदेश की सभी कारागारों में बंदियों के साक्षरता एवं शैक्षिक कार्यक्रम के संचालन तथा बंदियों हेतु नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा हेतु पठन-पाठन की सामग्री से युक्त पुस्तकालय स्थापित हैं। पुस्तकालयों में दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकायें, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की पुस्तकें, कहानी एवं कविता संग्रह आदि की व्यवस्था है। जिन बंदियों द्वारा बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रतिभाग किया जाता है उनके लिये पुस्तकों तथा लेखन सामग्री की व्यवस्था भी करायी जाती है। गौतमबुद्धनगर स्थित रंगनाथन सोसाइटी तथा मुम्बई स्थित हिन्दुस्तानी प्रचार सभा तथा राष्ट्रीय युवा शक्ति एटा आदि प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा कारागारों के पुस्तकालयों में पुस्तकों व अन्य सामग्री की व्यवस्था करने तथा पुस्तकालय स्थापित करने के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया गयाः

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुधारात्मक कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों के शैक्षिक उन्नयन के कार्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम निरन्तर क्रियान्वित हो रहे हैं। प्रदेश की सभी केन्द्रीय कारागारों, आदर्श कारागार एवं नारी बंदी निकेतन लखनऊ तथा जिला कारागार उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली तथा गोरखपुर आदि कारागारों में संचालित विभिन्न उद्योगों में तैनात प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक अर्जन की सुविधा है। कारागारों में स्थापित उद्योगों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से भी व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर बंदियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2019 में प्रदेश की कारागारों में लगभग 5000 बंदी व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित किये गये। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण बाह्य संस्थाओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध के कारण सभी गतिविधियों के साथ-साथ बंदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम भी प्रभावित हुये। कारागार उद्योगों में मुख्य रूप से रंगाई, बुनाई, दरी डिजाइनर, बढ़ईगिरी, कम्बल बुनाई, पावरलूम, लोहारगीरी, चर्म, सिलाई, हस्तनिर्मित कागज़ एवं प्रिन्टिग प्रेस आदि में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

कारागारों में निरुद्ध बंदियों के कौशल विकास तथा उन्हें अच्छा पारिश्रमिक उपलब्ध कराने हेतु जॉबवर्क आधारित उद्यम भी प्रारम्भ किये गये हैं। इन उद्यमों में कतिपय कारागारों यथा- जिला कारागार मेरठ में खेलकूद सामग्री, जिला कारागार गाजियाबाद में रेडिमेड गारमेण्ट, जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में रेडिमेड गारमेण्ट, यूनीफार्म सिलाई, जिला कारागार बरेली दरदोजी, जिला कारागार लखनऊ में दरदोजी तथा आदर्श कारागार लखनऊ में पैकिंग आदि उद्यम स्थापित हैं। कई कारागारों में उद्यमियों से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये हैं इनमें केन्द्रीय कारागार आगरा, वाराणसी तथा जिला कारागार मिर्जापुर में हथकरघा के माध्यम से वस्त्र, साड़ी एवं कालीन बुनाई, नारी बंदी निकेतन लखनऊ में सेनेटरी नैपकिन, जिला कारागार गाजियाबाद में एलईडी बल्ब तथा

झालर बनाने, आदर्श कारागार लखनऊ में तेल पेराई का उद्यम स्थापित किये गये हैं।

बंदियो हेतु विविध सुधार व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम

कारागारों के मुख्य प्राचीर के अंदर बंद बंदी समुदाय अपने पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन से दूर निरुद्ध होता है। यहाँ वह नितान्त एकाकी जीवन व्यतीत करता है। इस एकाकी जीवन के खालीपन को दूर करने हेतु प्रत्येक बंदी को किसी न किसी गतिविधि में लगाये रखने हेतु कारागार प्रशासन कटिबद्ध है। बंदियों को इस एकाकीपन से दूर रखने हेतु कारागारों में प्रिजन रूटीन निर्धारित है। इसके अनुसार यह प्रयास किया जाता है कि कोई बंदी किसी न किसी गतिविधि में प्रत्येक समय सन्नद्ध रहे। सभी कारागारों में बंदियों के लिये व्यायाम, खेलकूद, प्रतिदिन प्रतिष्ठित संस्थाओं/व्यक्तियों के माध्यम से योग तथा ध्यान के कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं। मनोरंजन हेतु भजन, कीर्तन, लोकगीत एवं संगीत व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सतत आयोजन की व्यवस्था है। प्रतिष्ठित संस्थाओं/व्यक्तियों/धर्मगुरुओं के माध्यम से प्रवचन, व्याख्यान देने की व्यवस्था है, इसे कारागारों में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सभी बंदियों को उनकी निरुद्धि की बैरकों/अहातों में ही लाभान्वित कराया जाता है। बंदियों के भीतर अन्तर्निहित प्रतिभाओं एवं कौशल को प्रस्तुत करने हेतु समय-समय पर कला एवं लेखन, लोक गायन, कविता एवं कहानी लेखन की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। बंदियों को विचार अभिव्यक्त करने हेतु प्रत्येक कारागार में अभिव्यक्ति पटल की व्यवस्था करायी गयी है।

बंदियों के मनोरंजन के सुविधाओं में मुख्य रूप से सभी कारागारों में एल0ई0डी0 टेलीविजन की व्यवस्था करायी गयी है। वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में 43 इंच के 1190 एलईडी टेलीविजन स्थापित किये गये हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं महात्मा गाँधी जी के जन्म दिवस के राष्ट्रीय पर्वों एवं धार्मिक पर्वों यथा- रक्षाबन्धन, होली, दीपावली, भैयादूज, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, ईद आदि को भाईचारे तथा परस्पर सद्भाव के साथ हर्षोल्लास से मनाने की परम्परा है।

बंदियों के मानवाधिकार का संरक्षण

वर्तमान कारागार प्रशासन एवं प्रबन्ध व्यवस्था का उद्देश्य कारागारों में विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों के आयोजन से बंदियों का सुधार करने के साथ-साथ उनकी मानवीय गरिमा एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करना है, इसके लिये प्रत्येक स्तर पर कारागार विभाग चिंतनशील एवं कटिबद्ध है। वर्तमान में निरन्तर बदल रहे सुधारवादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत बंदियों को अपराधी समझ कर दण्डित करने की पुरानी मान्यताएं समाप्त हो रही हैं तथा कारागारों में बंदियों को बेड़ी एवं हथकड़ी लगाने की व्यवस्था समाप्त हो गई है। कारागारों में घटित होने वाली बंदी मृत्यु के प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को तत्काल रिपोर्ट दी जाती है। आयोग से प्राप्त होने वाली नोटिस एवं शिकायतों की जाँच तत्परता से करायी जाती है फलस्वरूप उत्तरदायी जेल कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। कारागार में बंदियों को उनके विधिक अधिकारों को सुगम कराने, परिजनों से मुलाकात किये जाने तथा पत्र लिखे जाने का समुचित एवं समान अवसर प्रदान किया जाता है। कारागार में बंदियों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापरक भोजन तथा पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाता है।

बंदियों हेतु भोजन की व्यवस्था

कारागारों में निरुद्ध बंदियों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में भोजन की मात्रा निर्धारित है, तद्नुसार निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप बंदियों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक रविवार एवं त्यौहारों में विशेष भोजन देने की व्यवस्था है। बंदियों के भोजन में दाल, रोटी तथा सब्जी दी जाती है तथा सप्ताह में दो बार चावल दिये जाने की व्यवस्था है। बंदियों की मांग तथा प्रचलित व्यवस्था में सुधार करते हुये इच्छुक बंदियों को रोटी के स्थान पर रोदी/चावल की मिली-जुली डाइट दिये जाने की व्यवस्था भी की गयी है। बंदियों के भोजन को रुचिकर बनाने हेतु सप्ताह में प्रत्येक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार दाल बदल-बदल कर दी जाती है। साप्ताहिक निर्धारण के अनुसार अरहर, उरद/चना, राजमा/उरद तथा सब्जी में मूँग की बड़ी एवं सोयाबीन बड़ी का प्रयोग होता है। बंदियों को दिन में एक बार तथा जाड़े के मौसम में दो बार चाय देने की व्यवस्था है। बीमार बंदियों तथा उन महिला बंदियों को जो साथ में बच्चे को दूध पिलाती हैं, को चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर अतिरिक्त आहार दिया जाता हैं। महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों को विशेष आहार दिया जाता है जिसमें अतिरिक्त दूध तथा फल की व्यवस्था सम्मिलित है।

बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था

प्रदेश की सभी कारागारों में बंदियों के चिकित्सा उपचार हेतु अस्पताल भवन निर्मित हैं। बंदियों की निरन्तर बढ़ रही संख्या के दृष्टिगत अस्पतालों में बिस्तर क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। प्रारम्भिक जाँच से सम्बन्धित सभी प्रकार के चिकित्सा उपकरण तथा जीवन रक्षा हेतु आक्सीजन की व्यवस्था करायी गयी है। नयी निर्मित होने वाली कारागारों में दीर्घ कालीन आवश्यकताओं के आंकलन के अनुरूप बिस्तर क्षमता सृजित की जा रही है ताकि भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो जाये। रोगी बंदियों को बाह्य चिकित्सा संस्थानों में लाने ले जाने हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये शुद्ध जलापूर्ति की व्यवस्था की गयी है। सभी कारागारों में बंदियों के उपयोग हेतु आर0ओ0 प्लाण्ट स्थापित हैं, इससे बीमारियों में कमी आयी है। चरणबद्ध रूप से वृद्ध, बीमार, अशक्त तथा महिला बंदियों के वस्त्र, चादर एवं कम्बल आदि की धुलाई हेतु हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन की व्यवस्था करायी जा रही है।

कारागार चिकित्सालयों में बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु कारागार विभाग के अधिष्ठान में चिकित्सकों के कुल 150 पद सृजित (वरिष्ठ परामर्शदाता-60, परामर्शदाता-60 तथा चिकित्साधिकारी-28 व 02 महिला चिकित्साधिकारी) हैं। इन पर तैनाती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है। वर्तमान में उपरोक्त 150 पदों के सापेक्ष 111 पदों पर तैनाती है। कारागारों में पैराा मेडिकल स्ठाफ के अन्तर्गत फार्मासिस्ठ, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, नर्स, लैब अटेण्डेण्ट तथा डार्करूम अठेण्डेण्ट के पद भी सृजित हैं।

मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा वरिष्ठ चिकित्साधीक्षक के नेतृत्व में चिकित्सकों के दल द्वारा माह में दो बार कारागारों के भ्रमण की व्यवस्था के साथ-साथ महिला बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण

हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ के भ्रमण की व्यवस्था है। क्षयरोगी बंदियों के परीक्षण, पंजीकरण तथा टी0बी0 कार्ड बनाकर उपचार कराया जाता है। एचआईवी/एड्स बीमारी के उपचार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के माध्यम से कारागारों में ही संचालित चिकित्सा केन्द्रो अथवा चिकित्सालयों में स्थापित चिकित्सा केन्द्रों में कराने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बंदियों के प्रवेश के समय स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त विवरण की प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप में की जाती है। बंदियों के रोगग्रस्त होने की संख्या के अर्द्धवार्षिक आंकड़े आयोग को प्रेषित किये जाते हैं।

कारागार उद्योग

प्रदेश की कारागारों में स्थापित उद्योगों के संचालन का मुख्य उद्देश्य कारागारों में निरुद्ध बंदियों की आवश्यकतानुसार सामग्री के उत्पादन के साथ-साथ बंदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे कारागार से रिहाई के उपरान्त स्वावलम्बी बनकर अर्जित कार्य अनुभव व कुशलता से जीवन यापन कर सकें। कारागारों में स्थापित उद्योगों से उत्पादित सामग्री से विभागीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ मांग के अनुसार अन्य सरकारी/गैर सरकारी विभागों को इसकी आपूर्ति की जाती है। कारागारों में उत्पादित दरी, चादर, गमछे, डस्टर तथा फिनायल आदि वस्तुओं की बिक्री कारागार स्तर पर एवं अमीनाबाद लखनऊ में स्थापित जेल डिपो के माध्यम से आम जनता को भी की जाती है।

केन्द्रीय कारागार आगरा में साबुन, फिनायल, दरी उद्योग, सिलाई उद्योग, केन्द्रीय कारागार नैनी (प्रयागराज) में कम्बल उद्योग, सिलाई उद्योग, दरी उद्योग, चादर एवं गमछा उद्योग, कपड़ा डिटर्जेण्ट उद्योग, संगम बाथ सोप उद्योग, फिनायल, फर्नीचर उद्योग, लौह एवं काष्ठ कला उद्योग, केन्द्रीय कारागार बरेली में कम्बल उद्योग, वस्त्र एवं रंगाई उद्योग, सिलाई उद्योग व काष्ठ कला उद्योग, केन्द्रीय कारागार वाराणसी में दरी उद्योग, वस्त्र उद्योग, सिलाई उद्योग, स्टील उद्योग, काष्ठ उद्योग, लौह उद्योग तथा केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में सिलाई उद्योग, दरी उद्योग, प्रकीर्ण उद्योग, रंगाई उद्योग, छपाई उद्योग एवं आदर्श कारागार लखनऊ में पावरलूम उद्योग, हस्तनिर्मित कागज, प्रिटिंग प्रेस एवं सिलाई उद्योग, जिला कारागार उन्नाव में सिलाई उद्योग, दरी उद्योग, जिला कारागार सीतापुर में दरी उद्योग एवं जिला कारागार गोरखपुर में सिलाई उद्योग स्थापित हैं।

कारागार कृषि

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न कारागारों में लगभग 577.01 एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। मुख्य रूप से बंदियों हेतु खरीफ, रबी तथा जायद की फसलों में विभिन्न प्रकार की ठोस एवं हरी सब्जियों का उत्पादन होता है। बड़े कृषि फार्म की कारागारें अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने पर पास के जनपदों की कारागारों को सब्जी आपूर्ति करती हैं। जिन कारागारों में बड़े कृषि फार्म हैं, उनमें कृषि भूमि वाली कारागारों के लिये सब्जी उत्पादन हेतु भूमि आरक्षित भी की गयी है। अवशेष सब्जी का निस्तारण उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल प्रस्तर 931(सी) के अनुसार किया जाता है।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों की रिमाण्ड वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम

से कराये जाने हेतु 143 वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाईयाँ (70 कारागार एवं 73 जनपद न्यायालय) स्थापित हैं। वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाईयों के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा डेक्सटॉप बेस्ड वीडियो कान्फ्रेसिंग हेतु सभी कारागारों को एक-एक डेक्सटॉप कम्प्यूटर यूनिट उपलब्ध करायी गयी है। इकाई के किसी कारणवश अकियाशील होने की स्थिति में इस विधा से वीडियो कान्फ्रेसिंग करायी जाती है। इन इकाईयों के माध्यम से 98 प्रतिशत से अधिक रिमाण्ड हो रही हैं।

सीसीटीवी सर्विलांस इकाई

कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु चरणबद्ध रूप से सीसीटीवी सर्विलान्स इकाईयों की स्थापना करायी गयी है। कारागारों में संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण करते हुए प्रत्येक कारागार में कम से कम 30 कैमरे स्थापित हैं। अभी तक सभी कारागारों में कुल 2813 सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं तथा तलाशी स्थल एवं अन्य अति संवेदनशील स्थलों का चिन्हांकन कर वर्तमान में उच्च मेगा पिक्सल के 220 कैमरे स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। कारागारों के क्षेत्रफल के विस्तृत होने के दृष्टिगत अतिरिक्त संवेदनशील कार्यस्थलों में कैमरों की स्थापना आवश्यक है तद्नुसार आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमान प्रस्ताव में 1000 सीसीटीवी, कैमरे लगाने का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है।

बंदी पीसीओ की स्थापना

देश के अन्य राज्यों की कारागारों में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश की कारागारों में भी बंदियों को अपने परिजनों से बात करने की सुविधा हेतु सभी कारागारों में बंदी पीसीओ स्थापित कराये गये हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के संकमण के बचाव हेतु शासन के निर्देशानुसार प्रदेश की कारागारों में बंदियों की मुलाकात प्रतिबन्धित की गयी है। मुलाकात के प्रतिबन्धित होने के कारण बंदियों में अवसाद तथा तनाव को कम करने में दूरभाष पर वार्ता की सुविधा अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुयी है। पूर्व में बंदियों के लिये सप्ताह में 05 मिनट की अवधि के लिये 02 बार बात करने की सुविधा को 05 बार तक विस्तारित किया गया है।

ई-प्रिजन कार्ययोजना का संचालन

एनआईसी के सहयोग से कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना संचालित करायी जा रही है। ई-प्रिजन पोर्टल में बनाये गये विभिन्न मॉड्यूल में से प्रदेश की कारागारों में प्रिजनर्स इनफारमेशन मैनेजमेण्ट सिस्टम (पीआईएमएस) मॉड्यूल के अन्तर्गत बंदियों की समस्त सूचनाओं की बैकलॉग डेटा की फीडिंग को पूर्ण कराते हुये अब प्रतिदिन प्रवेश करने वाले बंदियों की सूचनाओं की प्रविष्टि के साथ-साथ रिहा होने वाले बंदियों की रिहाई की प्रविष्टि करायी जा रही है। इस डेटा का उपयोग आईसीजेएस पोर्टल के अन्तर्गत पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों के माध्यम से भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विजिटर मैनेजमेण्ट सिस्टम (वीएमएस) के अन्तर्गत बंदियों की मुलाकात व्यवस्था का कम्प्यूटरीकृत किया गया है। अब कम्प्यूटरीकृत पर्ची के माध्यम से मुलाकात हो रही है जिससे अनुमन्य होने पर ही मुलाकात हो पाती है तद्नुसार अनधिकृत मुलाकातों की मुलाकात कराने की व्यवस्था पर अंकुश लगा है। वीएमएस मॉड्यूल के अन्तर्गत मुलाकात हेतु ऑनलाईन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है तथा इसका मुलाकातियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा ई-प्रिजन

कार्ययोजना को कारागारों के ई-गर्वनेंस हेतु उपयोगी पाते हुये इसे सुदृढ़ करने हेतु विगत 03 वर्षों से शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है। इस अनुदान की धनराशि से आउटसोर्सिंग पर मैनपावर की व्यवस्था तथा आवश्यक हार्डवेयर की व्यवस्था कराने की कार्यवाही प्रचलित है।

विभागीय क्रियाकलापों का प्रचार-प्रसार

सोशल मीडिया की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता के दृष्टिगत विभाग में हो रहे अच्छे क्रियाकलापों तथा रचनात्मक कार्यो का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विभागीय वेबसाइट में परिवर्तित सूचनायें निरन्तर अद्यतन की जा रही हैं। विभाग का यू ट्यूब चैनल तथा फेसबुक पेज भी संचालित किया गया है, जिसमें विभागीय कियाकलापों की सूचना, फोटोग्राफ तथा डाक्यूमेण्ट्री फिल्म भी अपलोड की गयी है। विभागीय सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा अच्छे कार्यों के सम्बन्ध में समस्त विभागीय अधिकारियों को जानकारी देने हेतु प्रिजन आफीसर व्हाट्स एप ग्रुप संचालित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कार्य

कारागारों में अनुशासन हेतु प्रिजन्स एक्ट-1894 में संशोधन

कारागारों में मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस के उपयोग पर दण्ड के प्रावधानों में वृद्धि किये जाने हेतु प्रिजन्स एक्ट-1894 की धारा-3, धारा-42 तथा धारा-43 में संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है जिसमें 03 वर्ष तक के कारावास तथा रु0 25,000/- तक जुर्माना तथा 05 वर्ष तक कारावास तथा रु0 50,000/- तक के जुर्माने की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। सरकार के विधायी अनुमोदन के उपरान्त वर्तमान में उक्त संशोधन प्रस्ताव महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

कमाण्ड सेण्टर तथा वीडियो वॉल की स्थापना

उत्तर प्रदेश में संचालित सभी कारागारों में लगभग 2750 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं। संवेदनशील स्थानों पर प्रत्येक कारागार में कम से कम 30 कैमरे स्थापित किये गये हैं। कारागार स्तर पर अच्छी अनुश्रवण व्यवस्था हेतु सभी कारागारों में मिनी वीडियो वॉल तथा कारागार मुख्यालय में कारागारों में स्थापित कैमरों की फीड प्राप्त कर सुपर वीडियो वॉल की स्थापना करायी गयी है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य योजना का लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06.12.2019 को किया गया तथा इस अभिनव प्रयास के लिये सराहना की गयी। वर्तमान वर्ष में कोविड-19 महामारी के संकमण से बचाव हेतु निर्गत गाईड लाईन तथा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने में वीडियो वॉल/कमाण्ड सेण्टर की महती उपयोगिता सिद्ध हुयी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स के माध्यम से प्राप्त होने वाले एलर्टस पर प्रभावी अनुश्रवण कर कारागारों को समुचित निर्देश देने की व्यवस्था करायी गयी है। 24 घण्टे संचालित हो रही निगरानी व्यवस्था से कारागार प्रशासन एवं प्रबन्ध व्यवस्था सुदृढ़ हुयी है।

सम्मान चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था

पुलिस विभाग महानिदेशक द्वारा स्वतन्त्रता दिवस तथा गणतन्त्र दिवस पर अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि के दृष्टिगत

महानिरीक्षक कारागार का सम्मान चिन्ह (Commendation Disc) व प्रशस्ति पत्र देने की स्थायी व्यवस्था कारागार विभाग में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके अच्छे तथा सराहनीय कार्य के लिये लागू की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 5 अगस्त 2019 को विभाग के वर्दीधारी 120 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मान चिन्ह प्रदान किये गये। कारागार विभाग में वर्दीधारी कार्मिकों के साथ-साथ गैर वर्दीधारी कार्मिकों को भी गणतन्त्र दिवस 2020 से सम्मान चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। गणतन्त्र दिवस 2020 के अवसर पर 60 वर्दीधारी तथा 41 गैर वर्दीधारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मान चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये। यह व्यवस्था गणतन्त्र दिवस तथा स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर सतत् रूप ये संचालित हो रही है।

●

न्याय प्रशासन

न्याय विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण।

1. कोविड-19 के दृष्टिगत् मा0 न्यायालय में वादों की सुनवाई हेतु "उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020" प्रख्यापित की गयी।
2. मा0 उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत सीनियर सिस्टम आफिसर, सिस्टम आफिसर व सिस्टम सहायकों की सेवा के संबंध में "उत्तर प्रदेश ई-न्यायालय केन्द्रीयित कम्प्यूटर सेवा नियमावली, 2021" प्रख्यापित की गयी।
3. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ -खण्डपीठ, लखनऊ एवं अधीनस्थ न्यायालयों में वादों की सुनवाई सुचारू रूप से करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कोर्ट मैनेजर के 81 अस्थायी पद शासनादेश दिनांक 08.10.2021 द्वारा सृजित किये गये।
4. उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली, 2013 में मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2017 का प्रकाशन किया गया है।
5. सामान्य नियमावली (सिविल) 1957 के अध्याय-एक के नियम-13 में मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त संशोधन करते हुए अवकाश दिवसों में कार्य हेतु "राजपत्रित अवकाश" के स्थान पर "घोषित अवकाश" करने संबंधी अधिसूचना निर्गत/प्रकाशित।
6. नवसृजित जनपद सम्भल में जनपद न्यायालय का गठन/सृजन दिनांक 05-09-2017 की अधिसूचना द्वारा किया गया।
7. अधीनस्थ न्यायालयों के कतिपय पदधारियों से प्रतिभूत लेने के संबंध में सामान्य नियमावली (सिविल), 1957 के भाग-एक के अध्याय तेईस के नियम-541 में मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त संशोधित अधिसूचना निर्गत।
8. अधीनस्थ न्यायालयों के आज्ञप्तियों से वादों और अपीलों में विनिर्धारण पर अनुज्ञेय फीस के सम्बन्ध में सामान्य नियमावली (सिविल), 1957 के नियम-585 में मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त संशोधित अधिसूचना निर्गत।
9. प्रदेश के 13 जनपदों- मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर,

झांसी, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर तथा वाराणसी में वाणिज्यिक विवादों के निस्तारण हेतु कामर्शियल कोर्ट्स का गठन अधिसूचना द्वारा किया गया है।

10. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय में ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत सिस्टम आफीसर के 71 तथा सिस्टम सहायक के 71 पदों का सृजन शासनादेश द्वारा किया गया है।
11. अधिसूचना दिनांक 29-5-2018 द्वारा जनपद शामली में जनपद न्यायालय का गठन किया गया है।
12. मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनोपरान्त निर्वाचित सांसदों/विधायकों के लम्बित आपराधिक वादों की सुनवाई के लिए जनपद प्रयागराज में 01 स्पेशल कोर्ट के गठन के साथ 7 सहायक स्टाफ के पदों का सृजन अधिसूचना द्वारा किया गया।
13. मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के क्रम में जनरल रूल्स (क्रिमिनल) 1977 तथा जनरल रूल्स (सिविल) 1957 में संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 14.08.2018 को निर्गत।
14. महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु जनपद वाराणसी में 01 एफटीसी एडीजे रैंक के न्यायालय के गठन संबंधी शासनादेश मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 08.03.2019 को निर्गत।
15. महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट रैंक के 8 एफटीसी न्यायालय के गठन संबंधी शासनादेश दिनांक 08.03.2019 को निर्गत।
16. 65 जनपदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अधीन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट (Exclusive Special Court) गठित करने एवं 09 जनपदों में किसी अपर सत्र न्यायालय को निर्दिष्ट (Specify) किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर मा0 मुख्य न्यायाधीश महोदय की सहमति के क्रम में उच्च स्तरीय अनुमोदनोपरान्त अधिसूचना संख्या-08/2019/1084/ सात-न्याय-2-2019-124/89, दिनांक 29-4-2019 को निर्गत।
17. 09 ग्राम न्यायालय का गठन संबंधी शासनादेश दिनांक 09 मई, 2019 को निर्गत किया जा चुका है। कुल गठित 113 न्यायालयों में 44 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हो गये हैं।
18. दिव्यांगजनों के विरुद्ध अपराधों के विचारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय की सहमति से विशेष न्यायालय को विनिर्दिष्ट करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 20.05.2019 को निर्गत।
19. अधीनस्थ न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु मैन पावर हेतु 71 जनपदों में सिस्टम सहायक के पदों के सृजन पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त आदेश दिनांक 03-6-2019 को निर्गत।
20. सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को परिवर्तित करके तहसील-बिल्हौर और तहसील-घाटमपुर के क्षेत्रों को जिला रमाबाई नगर (वर्तमान में कानपुर देहात, स्थान-माती) से हटाकर कानपुर नगर में शामिल करने संबंधी

प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त अधिसूचना दिनांक 14-6-2019 को निर्गत।

21. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (अधिनियम संख्या-32 सन् 2012) की धारा-28 की उपधारा-1 के अधीन दिनांक 24-10-2013 को निर्गत अधिसूचना के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर संशोधित अधिसूचना दिनांक 18-6-2019 को निर्गत।

22. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एन0डी0पी0एस0) अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या-16 सन् 1985) की धारा 36 की उप धारा (1) के अधीन अपराधों के विचारण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालयों की संख्या विनिर्दिष्टि करने विषयक अधिसूचना दिनांक 19-8-2019 को निर्गत।

23. लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाक्सो एक्ट) के अधीन न्यायालयों में परिचलित आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित अपराधों के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश में शासनादेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा 218 नियमित न्यायालयों का गठन किया गया है तथा तत्संबंधी कुल 1744 पदों का सृजन किया गया है।

24. विधिक प्रक्रिया की जानकारी एवं ज्ञान की अभिवृद्धि करने, विद्यार्थियों एवं शोध छात्रों में वकालत, न्यायिक अन्य विधिक सेवाओं तथा विधान एवं तत्समान विषयों में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में "उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज" नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में अधिसूचना दिनांक 31.08.2020 को निर्गत। उत्तर प्रदेश "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज" का शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 11.09.2021 को किया गया।

25. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-705/सात-न्याय-2-2020, दिनांक 30.03.2020 द्वारा निम्न कार्यों हेतु ई0सी0आई0एल0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया थाः-

    (1) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों/अधिवक्ताओं इत्यादि के बायोमैट्रिक आधारित परिचय पत्र तैयार कराया जाना।

    (2) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु गेट आटोमेशन एवं बायोमैट्रिक सिस्टम का व्यवस्थापन पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद लखनऊ एवं आजमगढ़/वाराणसी में किये जाने एवं इसका विस्तार समस्त जनपद न्यायालयों में किया जाना।

    (3) वादकारियों आदि के दैनिक पास हेतु जनशक्ति की तैनाती एवं इस हेतु आवश्यक व्यवस्था।

(4) न्यायालय कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमराज (आडियों व वीडियों सहित) का अधिष्ठापन।

(5) अन्य जनपद न्यायालय जहाँ न्यायालय परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरा अधिष्ठापित नहीं है वहां न्यायालय कक्ष के अतिरिक्त न्यायालय परिसर में भी सी0सी0टी0वी0 कैमरों का अधिष्ठापन।

26. अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला न्यायालयों एवं अधिकरणों में ई-फाइलिंग हेतु नियमावली का प्रकाशन।

27. अधिसूचना द्वारा उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 का प्रख्यापन।

28. अधिसूचना द्वारा-जनपद कुशीनगर स्थान पडरौना तहसील कसया में सिविल जज (सी0डि0) के एक न्यायालय का सृजन किया गया है।

29. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों यथा- जनपद न्यायालय/वाहय न्यायालय/ग्राम न्यायालय की स्थापना हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहण किये जाने हेतु मानक निर्धारण के संबंध में शासनादेश निर्गत।

30. अधिवक्ताओं की मृत्यु पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि की आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 09 मार्च, 2019 को निर्गत किया जा चुका है।

31. युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु वृत्ति प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत कर दिया गया है।

32. 30वर्ष की सदस्यता पूर्ण कर चुके सदस्यों/उनके आश्रितों हेतु अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि रु0 1.5 लाख से बढ़ाकर रु0 5.00 लाख किये जाने विषयक अधिनियम प्रख्यापित कर दिया गया है।

33. आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत मृतक अधिवक्ताओं के कुल 1347 अश्रितों को कल्याण निधि से रु0 65,42,50,000/- का भुगतान किया गया।

34. कुल 41 आर्थिक सहायता के आवेदन पत्रों का अनुमोदन दिनांक 07.06.2021 को हुआ है जिसमें कुल रू0 2,05,00,000/- का भुगतान किया जा रहा है।

35. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि के अन्तर्गत मृत्यु दावे के रूप में कुल 1010 मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को कल्याण निधि से 7,34,33,62/- रु0 का भुगतान किया गया है। (दिनांक 01.04.2017 से 31.05.2021 तक)

36. जनपद श्रावस्ती में निर्माणाधीन 10 न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु रुपये 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

37. जनपद कुशीनगर के वाहय न्यायालय कसया में ओवर हेड टैंक, ट्यूबेल पम्प एवं वाटर सप्लाई हेतु रुपये 68.75 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी।

38. गाजीपुर के वाहय न्यायालय मोहम्मदाबाद में न्यायिक अधिकारियों के श्रेणी-5 के 04 नग आवासों के निर्माण हेतु रुपये 22.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

39. जनपद देवरिया में 04 सूट के ट्रांजिट हास्टल के निर्माण हेतु रुपये 19.36 लाख की धनराशि निर्गत की गयी।

40. कासगंज में जनपद न्यायाधीश के लिए श्रेणी 06 के 01 नग आवास के निर्माण हेतु रुपये 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त।

41. जनपद गाजीपुर के वाहय न्यायालय सैदपुर में न्यायिक अधिकारियों के श्रेणी-5 के 02 नग आवासीय भवनों हेतु रुपये 74.70 लाख अवमुक्त किये गये।

42. जनपद न्यायालय प्रतापगढ में ट्रांजिट हाल्न के निर्माण हेतु रुपये 49.67 लाख अवमुक्त किये गये।

43. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपयोगार्थ थार्नहिल रोड प्रयागराज में कान्फ्रेंश हाल, 02 नग वी0आई0पी0 सुइट्स एवं म्यूजियम के निर्माण हेतु रुपये 1150.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

44. जनपद न्यायालय इलाहाबाद परिसर में बेसमेंन्ट पार्किंग/एलायड भवन के निर्माण हेतु रु. 97.40 लाख अवमुक्त की गयी।

45. जनपद न्यायालय मथुरा में 08 नग न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु रुपये 283.00 लाख की धनराशि अवमुक्ल की गयी।

46. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण हेतु द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना रुपये 640.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

47. जनपद रायबरेली में ए0डी0आर0 सेन्टर के निर्माण हेतु रुपये 135.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रुपये 27.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति निर्गत की गयी।

48. जनपद-सिद्धार्थनगर के वाहय न्यायालय परिसर में 16 नग अतिरिक्त न्यायालय कक्ष के निर्माण हेतु रुपये 3845.88 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रुपये 961.47 लाख की धनराशि की स्वीकृति।

49. जनपद देवरिया के न्यायालय परिसर में 24 कोर्ट रूम के निर्माण कार्य हेतु रुपये 4797.96 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रुपये 1194.49 लाख की धनराशि स्वीकृत।

50. जनपद रामपुर में 12 कक्षीय न्यायालय भवन के निर्माण हेतु रुपये 2747.96 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रुपये 686.96 लाख की धनराशि की स्वीकृति ।

51. जनपद एटा परिसर में नये न्यायालयों हेतु बहुमंजिला न्यायालय (जी-5) भवन के निर्माण कार्य हेतु रुपये 940.91 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रुपये 470.46 लाख की धनराशि की स्वीकृति ।

52. जनपद-प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के भवन एवं बाउन्ड्री वॉल निर्माण कार्य हेतु धनराशि रुपये 404.17 लाख धनराशि अवमुक्त।

53. उ0प्र0 पीडित क्षतिपूर्ति योजनान्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु धनराशि रुपये 50.00 लाख अवमुक्त। 19-प्रदेश के 50 अधीनस्थ न्यायालयों में विद्युत खपत एवं वहाँ पर उपलब्ध छाया रहित स्थल के परिमाप के आधार पर शून्य निर्यात पद्धति के आनग्रिड सोलर रूफ टाप पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु धनराशि रुपये 19,07,50,401/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रुपये 9,53,75,200/- की धनराशि अवमुक्त।

54. जनपद-श्रावस्ती के सिविल कोर्ट भवन परिसर में फैमिली कोर्ट भवन के निर्माण कार्य हेतु रुपये 1670.16 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष रुपये 417.54 लाख की धनराशि अवमुक्त।

55. जनपद सहारनपुर के कोर्ट कैम्पस में 01 जिला जज एवं 20 अपर जिला जज के कोर्टरूम के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि रुपये 2157.48 लाख अवमुक्त की गयी।

●

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश

भारतवर्ष एक विकासशील देश है और प्रत्येक प्रदेश में मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षो में विकास की गति तीव्र हुई है। देश अथवा प्रदेश के विकास में भ्रष्टाचार एक बाधा के रूप में सामने आता है, जिसका प्रभाव विकास के परिणामस्वरूप सामान्य नागरिकों को मिलने वाली सुख-सुविधाओं पर पड़ता है। आम आदमी को शासन के क्रिया-कलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निराकरण एवं लोक सेवकों की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करते हुए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लोक आयुक्त प्रशासन एक अत्यन्त सरल, प्रभावी एवं उपयुक्त संस्था के रूप में अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा हैं।

वर्ष 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1975 पर महामहिम श्री राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन दिनांक 7.9.1975 को अनुमति प्रदान की गयी। प्रथम लोक आयुक्त को दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण कराने के उपरांत लोक आयुक्त संस्था अस्तित्व में आयी एवं 44 वर्षो से निरन्तर भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन पर अंकुश रखने में सरकार के हाथों को मजबूती प्रदान कर रही है।

लोक आयुक्त की परिधि में प्रदेश के न केवल मन्त्रीगण, राज्य मन्त्रीगण, विधान मण्डल के सदस्य, शासन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण आते हैं वरन् स्वयंशासी संस्थायें, निगम व परिषदों के अध्यक्ष व कर्मचारीगण भी आते हैं। ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरूद्ध शिकायतों या अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। लोक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद/अभिकथन पर अन्वेषणोंपरान्त् अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित करने का अधिकार लोक आयुक्त को प्राप्त है।

लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त की कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार

संक्षिप्त रूप में लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन से संबंधित शिकायतों या लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने के उपरांत देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण आम नागरिकों एवं व्यथित व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 में निर्धारित प्रारूप, शपथ-पत्र व प्रतिभूति की धनराशि जमा कर प्रस्तुत किया जा सकता है। लोक आयुक्त प्रशासन में 2 प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जाते हैं, जोकि निम्न हैं :-

1. शिकायत - ऐसे परिवाद व्यथित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शिकायत की श्रेणी में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण

आते हैं। सेवानिवृत्त लोक सेवक यदि निगम, स्वायत्तशासी संस्था का है, तो उसे प्रतिभूति जमा करनी होगी।

2. अभिकथन - ऐसे परिवाद जिनमें राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता, कुप्रशासन अथवा अनुचित कार्यवाही से शासकीय धन का दुरूपयोग हो रहा है। किसी नागरिक, लोक सेवक, मन्त्री या विधायक से राज्य के किसी मन्त्री, विधायक या किसी स्थानीय निकाय या शीर्षस्थ सहकारी संस्था के अध्यक्ष अथवा राज्य सरकार के कार्यो से सम्बन्ध किसी अधिकारी, कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम/निगम के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उसके द्वारा किये गये पद के दुरूपयोग या भ्रष्टाचार की, जिसकी उसे निजी जानकारी हो, के संबंध में प्रस्तुत परिवाद को अभिकथन की श्रेणी मे रखा गया है। अभिकथन के मामले में दो हजार रूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा कराये जाने का प्राविधान है।

क्षेत्राधिकार में आने वाले पदाधिकारी :-

निम्न के विरूद्ध शिकायत या अभिकथन दोनों प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-

1. प्रदेश के मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों (मुख्य मन्त्री परिधि में नही आते),
2. विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य,
3. शासन के सचिव, जिसमें प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा एवं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी सम्मिलित है, विशेष सचिव और संयुक्त सचिव,
4. प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत् कोई भी अधिकारी।

निम्न के विरूद्ध केवल अभिकथन रूपी परिवाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है :-

1. क्षेत्र समिति के प्रमुख, 2. जिला परिषद के अध्यक्ष, 3. नगर महापालिका के नगर प्रमुख, 4. नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, 5. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति या शीर्ष समिति के अशासकीय अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक, 6. प्रदेश की निम्नलिखित संस्थाओं की सेवा में या वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति :-

1. नगर महापालिकायें, 2. नगर पालिकायें, 3. जिला परिषदें, 4. क्षेत्र समितियॉ, 5. नगर क्षेत्र समितियॉ, 6. अधिसूचित क्षेत्र समितियॉ, 7. विकास प्राधिकरण 8. औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

वर्ष 2006 से राज्य के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्राप्त परिवादों पर शीघ्र जॉच करके अनेक महत्वपूर्ण लोक सेवकों के विरुद्ध इस संस्था द्वारा त्वरित गति से जॉच पूर्ण करके अपने प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारियों को भेजे गए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक आयुक्त प्रशासन द्वारा प्रेषित की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जाती है। लोक आयुक्त संस्था की कार्य प्रणाली, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवादों पर लिए गए त्वरित निर्णय और जनता में इस संस्था के प्रति बढे विश्वास एवं जागरूकता के फलस्वरूप परिवादों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

●

लोक सेवा प्रबन्धन

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के गठन एवं व्यवहृत हो रहे कार्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी।

- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग का गठन सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप-दिनांक 19 जनवरी, 2011 में किया गया।
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत जनसामान्य को समयबद्ध रूप से सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 लागू किया गया है। इस विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावानुसार सेवायें अधिसूचित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है।
- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त अब तक 46 विभागों की 369 सेवाएं तथा समस्त विभागों के लिए 10 सेवायें अर्थात् कुल 379 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों का है।
- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 में जनसामान्य से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग में नामित किये गये पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा समयबद्ध रूप से किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अधीन कोई जिला स्तरीय कार्यालय/निदेशालय स्थापित नहीं है फलस्वरूप इस विभाग में कोई बजट प्राविधानित नहीं है न ही कोई योजना संचालित होती है।

सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार

सामान्य प्रशासन विभाग का गठन वर्ष 1911 से पूर्व का होना पाया जाता है। विभाग द्वारा मिलिटरी एवं सिविल कार्य समन्वय डाक तार विभागों के लिये भूमि अधिग्रहण,उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद, अन्तर्राज्यीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन, सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु क्षेत्र अधिसूचित कराना, सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा, लोक सभा/राज्य विधान सभा तथा पंचायत चुनाव के सामान्य तथा उप निर्वाचनों में अवकाश की घोषणा, सैनिकों/रंगरूटों का पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन, गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर छुट्टी/राजकीय शोक, भारतीय झंडा संहिता, रामलीला का व्यय तथा धार्मिक संस्थाओं के लिए अनुदान, वीरता पुरस्कार के अन्तर्गत जीवन रक्षा पदक, अशोक चक्र श्रृंखला के पुरस्कार, विदेशों में भेजे जाने वाले व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र के सत्यापन, ग्रीष्म ऋतु में न्यायालयों के समय का निर्धारण आदि कार्य किये जाते हैं।

उपर्युक्त अंकित कार्यों में से मुख्य कार्य निम्नवत हैं :-

- **विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन :-**

विभिन्न प्रकार के रोजगार आदि प्राप्त करने के लिए प्रदेश के बहुत से लोग विदेशों में जाते हैं, जहाँ उन्हें जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निकाहनामा, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पावर ऑफ एटार्नी एवं मृत्यु आदि के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त शासन स्तर से सत्यापित किया जाता है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से विदेशों को जाने वाले प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित 355 सन्दर्भों का निस्तारण किया गया।

- **डोमीसाइल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र :**

प्रदेश के विभिन्न जनपदों से शासन से स्थायी निवास प्रमाण पत्र/डोमीसाइल प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बारे में मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है। डोमीसाइल मात्रा/स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का प्रकरण राज्य सरकार के अन्तर्गत है तथा एक निश्चित उद्देश्य, मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा रोजगार आदि पाने के लिए प्राप्त किया जाता है।

- **वीरता पुरस्कार :**

जीवन रक्षा पदक :

यह पदक प्रदेश सरकार की संस्तुति पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसे नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए, आग/खदानों में बचाव कार्य के दौरान मानव जीवन की रक्षा की हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत तीन प्रकार के रक्षा पदक प्रदान किये

जाते हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :

1. सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक
2. उत्तम जीवन रक्षा पदक
3. जीवन रक्षा पदक

इस पुरस्कार में भारत सरकार द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 75,000/-, उत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 45,000/- तथा जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 30,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है। अब इसे भारत सरकार द्वारा बढ़ाकर क्रमशः 1,00,000/- व 60,000/- तथा रु. 40,000/- कर दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पदकधारकों को अतिरिक्त धनराशि के रूप में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 5000/- उत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 2,000/- तथा जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 1,000/- की धनराशि दी जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्तकर्ता के पुत्र/पुत्री दोनों को ही और यदि पदक प्राप्तकर्ता स्वयं बालक या बालिका है, तो उसे स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। पुरस्कृत व्यक्ति यदि वयस्क नागरिक हो, और बेरोजगार हो तो लोक सेवा आयोग के विचार क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' अथवा 'घ' के पद पर निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाती है। इस प्रकार यदि ऐसे व्यक्ति अन्यथा अर्ह हों तो उन्हें अन्य व्यक्तियों की तुलना में वरीयता में सेवायोजित किया जाता है।

वर्ष 2021 हेतु उत्तर प्रदेश के दो नागरिक-श्री निहाल सिंह एवं श्री टिंकू निषाद,जनपद-बाराबंकी को जीवन रक्षा पदक से वर्ष 2020 में सम्मानित किया गया।

- **अशोक चक्र श्रृंखला :**

इस श्रृंखला में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र पुरस्कार भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किये जाते हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व वीरता, शौर्य का कार्य किया हो अथवा अपने जीवन का बलिदान कर दिया हो। वीरता के इस पुरस्कार में जल, थल तथा वायु सेना, प्रादेशिक सेना आदि के सभी रैकों के अधिकारी/कर्मचारी, सशस्त्र सेनाओं का नर्सिंग स्टाफ तथा पुलिस एवं अग्नि शमन सेवाओं को छोड़कर सभी नागरिकों को पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार हेतु क्रमशः अशोक चक्र 32.50 लाख, कीर्ति चक्र हेतु रु. 19.50 लाख तथा शौर्य चक्र हेतु रु. 13.00 लाख तथा वार्षिकी के रूप में क्रमशः रु. 1,56,000/-, रु. 1,30,000/- तथा रु. 65,000/- का अनुदान दिया जाता है। इस हेतु अशोक चक्र श्रृंखला के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रु. 3.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रदेश के 142 नागरिकों को रु. 1,86,20,000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी।

- **काशी (वाराणसी) की सांस्कृतिक धरोहर ''रामलीला तथा मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं'' के लिए अनुदान :**

काशी (वाराणसी) की सांस्कृतिक धरोहर 'रामलीला तथा मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं के लिए अनुदान' स्वरूप आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रु. 5,00,000/- का अनुदान दिया जाता है। उक्त के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु

ट्रस्ट को प्रथम किस्त रु. 2.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- **सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु क्षेत्र अधिसूचित करना :**

सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या-5 सन् 1938) के अधीन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से सेना से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उक्त अधिनियम, 1938 की धारा-9 (1), 9(4), 9(3), एवं 9(2) के अंतर्गत खुले क्षेत्रों में गोला चलाने, तोप दागने के अभ्यास हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है। अधिनियिम के अर्न्तगत आसन फील्ड फायरिंग रेंज सहारनपुर, मांझा फील्ड फायरिंग रेंज शाहजहाँपुर, सोफीपुर फील्ड फायरिंग रेंज मेरठ, रामगंगा फील्ड फायरिंग रेंज बरेली की अधिसूचना जारी की गयी है।

- **सिविल सैन्य सम्मेलन :**

सेना तथा सिविल प्रशासन के मध्य विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण के लिए सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। यह सम्मेलन एक वर्ष राज्य सरकार तथा एक वर्ष सेना द्वारा आयोजित किये जाते हैं। दिनांक 28 जून, 2019 को राज्य सरकार द्वारा सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन, 2019 आयोजित किया गया था, जिसमें सेना एवं राज्य के विभागों के प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

- **अंतर्राज्यीय परिषद :**

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में भारत के राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण के साथ महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद, सचिवालय द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसके समन्वय का कार्य प्रदेश स्तर पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद सेल का गठन किया गया है। मा0 गृह मंत्री, भारत सरकार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के साथ दिनांक 12-10-2021 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें 56 सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्थायी समिति के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

- **मध्य क्षेत्रीय परिषद :**

अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है जिसके सदस्य राज्य उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश हैं। इन प्रदेशों के परस्पर एवं भारत सरकार के स्तर पर लम्बित प्रकरणों पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाते हैं। पिछली बैठक दिनांक 28 जनवरी, 2020 को नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। आगामी बैठक भोपाल, मध्यप्रदेश में प्रस्तावित है।

- **भारतीय झण्डा संहिता/कोड आफ आर्म्स :**

भारत का राष्ट्रीय झण्डा भारत के लोगों में आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे

राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। वर्तमान में भारतीय झण्डा संहिता, 2002 लागू है, जिसके अंतर्गत इस तिरंगे को सम्मान से फहराये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं। कोट ऑफ आर्म्स से संबंधित प्रकरण भी विभाग में व्यवहृत किये जाते हैं।

- **सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा :**

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट- 1881 (एक्ट संख्या- 26, सन् 1881) की धारा- 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों के अधीन वर्ष 2022 की अवकाश सूची दिनांक 20-10-2021 को निर्गत की गयी है।

- **राज्य संप्रतीक चिह्न**

राज्य संप्रतीक चिह्न के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2019 दिनांक 07 अगस्त, 2019 को प्रख्यापित किया गया है, जो 02 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त है तथा उत्तर प्रदेश राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियमन) नियमावली 2021 विषयक अधिसूचना दिनांक 23 जुलाई, 2021 प्रख्यापित कर दी गयी है।

- **विशिष्ट व्यक्तियों के निधन पर शोक/सम्मान**

राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व उप राष्ट्रपति, अथवा प्रधानमंत्री (यदि उत्तर प्रदेश निवास हों), उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा अन्य प्रदेशों के राज्यपाल (जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों), मुख्य न्यायाधिपति, लोक सभा अध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्री आदि के निधन पर राष्ट्रीय शोक मनाये जाने की घोषणा की जाती है। इस व्यवस्था से संबंधित शासनादेश की प्रति सभी जिलों में तथा विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

प्रशासनिक सुधार विभाग का इतिहास

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण यथा-कार्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण, विलम्ब की रोक-थाम, अधिकारों के विकेन्द्रीकरण हेतु उनका प्रतिनिधायन, कार्यालयों पर होने वाले व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययिता आदि, से वित्त विभाग के अधीन 13 अप्रैल, 1923 को कार्यालय निरीक्षणालय का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य संगठन एवं विधि (Organization & Methods) के सिद्धान्तों पर उत्तर प्रदेश शासन के अधीन समस्त सरकारी कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण कर सुझाव दिया जाना था।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद अपने प्रथम मुख्यमंत्री पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त की अध्यक्षता में 1952 में एक अनुशासनिक कार्यवाही जाँच समिति (Disciplinary Proceedings Inquiry Committee) की स्थापना की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य संस्तुतियों के अतिरिक्त एक संस्तुति यह भी की थी कि ''संगठन एवं विधि'' (Organization & Methods - O & M) का कार्य करने के लिए सचिवालय स्तर पर एक 'विधि एकक' (Methods Unit) स्थापित किया जाए।

उक्त संस्तुति को स्वीकार करते हुए श्री के0के0 दास, आई0सी0एस0 को पूर्णकालिक आयुक्त, पुनर्संगठन एवं निदेशक, (Reorganization cum Director) संगठन एवं विधि प्रभाग, अक्टूबर,

1955 में नियुक्त किया गया जो कि मुख्य सचिव शाखा में पदेन अतिरिक्त सचिव भी थे और जो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे। उनके मुख्य कर्तव्य कलेक्ट्रेट कार्यालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा सचिवालय की शाखाओं का पुनर्गठन एवं अभिनवीकरण करना था। पूर्णकालिक आयुक्त, पुनर्संगठन एवं निदेशक का पद फरवरी, 1958 तक ही रहा।

तत्पश्चात् उक्त दोनों संगठनों को नवगठित सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाया गया। सचिवालय के विभिन्न विभागों में दक्षता के प्रयास स्वयं उत्पन्न हो, इस दृष्टि से मई, 1958 में प्रत्येक शाखा में एक ज्येष्ठ अधिकारी को संगठन एवं विधि (ओ0 एण्ड एम0) अधिकारी नियुक्त किया गया, जो अपने अन्य दायित्वों के अलावा अपनी शाखाओं के कार्यों का अध्ययन करें और ऐसे तौर तरीके अपनायें जिससे कार्य तत्परता, दक्षता और मितव्ययिता से सम्पन्न हो। उक्त व्यवस्था को और अधिक सुचारु रूप से चलाने के लिए अप्रैल, 1960 में संगठन एवं विधि प्रभाग में कुछ पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्ति करके एक न्यूक्लियस (Nucleus) बनाया गया ताकि विद्यमान शासकीय व्यवस्थाओं का परीक्षण एवं उनके संगठन एवं पद्धतियों के कार्य अध्ययन के पश्चात कार्य निस्तारण के अच्छे तरीके खोजे जा सकें और अनावश्यक कार्य तथा अपरिहार्य विलम्ब को दूर किया जा सके तथा मानव एवं सामग्री के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। यह विभाग कार्य मापन एवं उनके आधार पर स्टाफ की आवश्यकताओं का भी परीक्षण करता था और विभिन्न अधिष्ठानों में फालूत कर्मचारियों की भी देखरेख रखता था।

अप्रैल, 1974 में इस विभाग का पुनः संगठन किया गया और इसे प्रशासनिक सुधार विभाग का नाम दिया गया। यह विभाग जनता से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। सचिवालय स्तर पर स्थित न्याय, नियोजन, वित्त विभाग की भांति प्रशासनिक सुधार विभाग भी एक परामर्शी विभाग (Reference Department) है। विभाग में कोई योजना/कार्यक्रम नहीं संचालित किए जाते हैं, जिसके कारण भौतिक लक्ष्य, प्रगति आदि नहीं निर्धरित किये जा सकते। विभाग में कोई योजना/कार्यक्रम संचालित न होने के कारण वार्षिक बजट का प्राविधन केवल वेतन/भत्तों आदि हेतु आयोजनेत्तर (राजस्व मद) क्षेत्र में कराया जाता है।

प्रशासनिक सुधार निदेशालय का विवरणः-

01 मई, 1976 में नई दिल्ली में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों में प्रशासनिक सुधार विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाय। भारत सरकार में हुये सम्मेलन में लिये हुये निर्णयानुसार संगठन एवं विधि प्रभाग को अतिरिक्त पदों की मांग के कार्य के साथ-साथ मुख्यालय, विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय एवं फील्ड स्तर के कार्यालयों की कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन का कार्य, प्रशासन में सुधार एवं गतिशीलता लाने के उद्देश्य से अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य पद्धति में सरलता लाने, प्रारूप एवं विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, रिकार्डस मैनेजमेंट, जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण तथा नई-नई कार्य प्रणालियों के लागू किये जाने आदि महत्वपूर्ण विषय पर कार्य किये जाने का दायित्व सौंपा गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के संगठन एवं विधि को एक निदेशालय का रूप दिया जाने का निर्णय लिया गया। अतः विभाग के दिनांक 01 अगस्त, 1978 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा प्रशासनिक सुधार निदेशालय की स्थापना हुई।

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज :-

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का गठन शासनादेश संख्या-1818/10-402, दिनांक 11-04-1923 के द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह इकाई उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्राणाधीन इलाहाबाद में अवस्थित है। मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष हैं। निरीक्षणालय के माध्यम से प्रशासन तथा शासकीय प्रणाली में सुधार एवं गतिशीलता लाने, अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य-पद्धति में सरलता, प्रारूप तथा विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, अभिलेख प्रबन्धन, जन सामान्य की शिकायतों का निस्तारण तथा नयी कार्य-प्रणाली, स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावी, संवदेनशील प्रशासन के लिए जन-सम्पर्क में आने वाले विभागों में जनता को आवश्यक सेवायें/स्वीकृतियों में आसानी से सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराने की दिशा, शासन के समस्त प्रशासकीय विभागों के प्रदेश/मण्डल/जनपद/ब्लाक स्तरीय कार्यालय के माध्यम से संचालित विकास कार्यक्रमों एवं रोजगार से जुड़ी हुई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यालयों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, अनुरक्षित अभिलेख आदि का निरीक्षण करके उनमें सुझाव एवं सहायता देने की दिशा में कार्य कराया जाता है। इन कार्यों हेतु मण्डलायुक्त के अधीन प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1-1 निरीक्षक भी तैनात किए गये हैं।

उ०प्र० सूचना आयोगः-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन दिनांक 14 सितम्बर, 2005 को किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में 10 राज्य सूचना आयुक्त कार्यरत हैं तथा मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा दायर की गई द्वितीय अपीलों की सुनवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश होमगाड्र्स

उत्तर प्रदेश होमगाड्र्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है, जो राष्ट्रप्रेम एवं निष्काम सेवा के सिद्धान्तों पर स्थापित है , जिसकी स्थापना वर्ष 1963 में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन हुई है। उत्तर प्रदेश होमगार्डस संगठन के लिये भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 1,18,348 होमगार्डस स्वयंसेवकों की सख्या स्वीकृत है। इसी संख्या के अन्तर्गत प्रदेश में 785 ग्रामीण, 366 नगरीय (25 महिला सहित) कम्पनियां जो 60 स्वतंत्र प्लाटूनों में विभक्त होकर पुलिस के सम्पूरक बल के रुप में कानून व्यवस्था की डयूटियों में नियोजित होते हैं। होमगार्डस बल की स्थापना के समय प्रदेश भर में 2,000 होमगार्डस स्वंयसेवकों की डयूटी लगायी जाती थी। वर्तमान में 84,946 होमगार्डस स्वयंसेवक कार्यरत है, जिसमें से वर्तमान में 84,115 होमगार्डस स्वयंसेवकों को विभिन्न डयूटियों पर प्रतिस्थापित किया जा रहा हैं।

होमगार्डस विभाग में किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत है-

1. होमगार्ड्स स्वयं सेवकों, अवैतनिक अधिकारियों का डयूटी भत्ता पुलिस कार्मिकों के न्यूनतम वेतन रु. 18,000 को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन रु. 600 एवं इसमें शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित महँगाई भत्ते को जोड़ते हुए रु. 786 अनुमन्य करते हुए भुगतान किया जा रहा है।
2. होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के सेवाकाल में मृत होने पर उनके नामिनी या उत्तराधिकारी को तथा स्थायी अपंगता की स्थिति में उनको रु. 5 लाख की अनुग्रह राशि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा की तिथि 6 दिसम्बर, 2020 से स्वीकृत की जा रही है।
3. होमगार्ड्स स्वयंसेवकों या अवैतनिक अधिकारियों को वर्दी के स्थान पर प्रत्येक 03 वर्ष में 01 बार प्रत्येक होमगार्डस को रु. 3000 की धनराशि वर्दी भत्ते के रुप में अनुमन्य किया गया है।
4. होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों की मृत्यु या स्थायी रुप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक या अवैतनिक होमगार्डस पदाधिकारियों के पद पर सेवायोजित किया जाता है।
5. अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रु. 1260 प्रतिमाह से 1490 एवं अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रु. 980 प्रतिमाह से 1160 तथा अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर का मनादेय रु. 840 से 990 किया गया है।
6. भुगतान के आधार पर शासकीय तथा गैर शासकीय संस्थाओं में सुरक्षात्मक कार्यों हेतु विभिन्न प्रतिष्ठानों, निगमों डायल 112, कारागारों की सुरक्षा डयूटी एवं आपदा प्रबन्धन हेतु होमगार्डस

स्वयं सेवकों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाता है। लोक सभा निर्वाचन-2019, कुम्भ मेला-2019, यातायात व्यवस्था, गणतंत्र दिवस-2020, दिल्ली विधान सभा निर्वाचन-2020 तथा उत्तर प्रदेशविधान सभा-2022 व उत्तराखण्ड विधान सभा-2022 के अवसर पर होमगार्डस स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन किया गया।

7. आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जनपदों में जिला/मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण, 231 आधुनिक इन्सास रायफल, 54 मल्टीफंक्शनल फैक्स मशीन, 63 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण, 12 हल्के वाहन, 34 मल्टीफंक्शनल कॉपियर, 28 मोटर साइकिलों, एवं 231 इन्सास राइफल भी क्रय किये गये है।

8. कोविड-19 के दृष्टिगत लॉक डाउन में फंसे छात्रों, श्रमिकों एवं आम नागरिकों को गृह जनपद वापस भेजने, डयूटीरत होमगार्डस के नोवल कोरोना (कोविड-19) से संक्रमित होने अथवा कोरेन्टाइन/आइसोलेट किये जाने पर उन्हें डयूटीरत मानते हुए डयेटी भत्ता का भुगतान किया गया तथा कोरोना डयेटी में लगे होमगार्डस स्वयंसेवकों को डयूटी पर प्रस्थान के दौरान डयूटी भत्ते के अतिरिक्त रु. 100 प्रतिदिन प्रति होमगार्डस भोजन भत्ता दिया गया।

●

सचिवालय प्रशासन

सचिवालय प्रदेश सरकार का सर्वोच्च कार्यालय है। कार्य की सुविधा और शीघ्र निष्पादन के लिये यह विभिन्न अनुभागों में विभाजित है, जो एक या अधिक विभागों का कार्य देखते हैं। प्रत्येक विभाग एक या अधिक अनुभागों में विभाजित है। अनुभाग ही इस संगठन की मूल इकाई है।

मुख्य सचिव, सम्पूर्ण सचिवालय के कार्य को नियंत्रित करते है। वह सचिवालय संगठन का मुखिया है। सचिवालय के विभिन्न विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के सम्पूर्ण प्रभार के अन्तर्गत कार्य करते हैं। अनुभागों के प्रभारी अनुभाग अधिकारी होते हैं, जो राजपत्रित स्तर के होते हैं। अनुभागों में एकाधिक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कम्प्यूटर सहायक व अनुसेवक कार्यरत् हैं।

वर्ष 2020–21 में सम्पादित महत्वपूर्ण कार्य

- उक्त अवधि में सचिवालय सेवा सवंर्ग के अधिकारियों में विशेष सचिव के 14, संयुक्त सचिव के 30, उप सचिव के 32 एवं अनुसचिव के 36 पदों पर डी0पी0सी0 कराकर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये।
- सचिवालय सेवा लेखा संवर्ग के अधिकारियों में विशेष सचिव के 01,संयुक्त सचिव के 04, उप सचिव के 04,अनु सचिव के 05 पद पर पदोन्नत आदेश निर्गत किये गये।
- सचिवालय सेवा भाषा संवर्ग के अधिकारियों में अनुसचिव के 01 पद एवं अनुभाग अधिकारी के 03 पदों पर पदोन्नत आदेश निर्गत किये गये।
- 20 निजी सचिव संवर्ग के विभिन्न पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की गई।
- समूह 'घ' से टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण कार्मिकों को कम्प्यूटर सहायक के 30पदों पर पदोन्नति की गई।
- विधान भवन रक्षक दल के 29 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई।
- चतुर्थ श्रेणी के 62 कर्मचारियों को समूह ''घ'' में पदोन्नति प्रदान की गई।
- 211 समीक्षा अधिकारियों एवं 253 सहायक समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान करते हुए विभिन्न विभागों में तैनात किया गया।
- 22 समीक्षा अधिकारियों(लेखा) को नियुक्ति प्रदान कर विभिन्न विभागों में तैनात किया गया। समूह ''ग'' के अन्तर्गत 16 मृतक आश्रितों को कम्प्यूटर सहायक के पद पर सेवायोजित किया गया।
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 40 विधान भवन रक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गई।
- निजी सचिव संवर्ग के अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित 02 मामलों का निस्तारण किया गया। 01 कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
- 13 अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही के संबंध में नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करते हुए समाप्त की गई।

- लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किये जाने हेतु अपर निजी सचिव संवर्ग के 720 पदों का रोस्टर तैयार किये गया।
- चयन वर्ष 2020–2021 में समीक्षा अधिकारी (पदोन्नति कोटे की) रिक्त/घटित होने वाली कुल रिक्तियों के सापेक्ष 122 एवं सहायक समीक्षा अधिकारी(पदोन्नति कोटे की)रिक्त/घटित कुल पद 196 का अधिचयन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया।
- कम्प्यूटर सहायक के 285 सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन कराने हेतु अधियाचन अधीनस्थ लोक सेवा आयोग को प्रेक्षित किया गया है।
- विधान भवन रक्षक/अग्नि रक्षक के रिक्त 14 पदों का अधियाचन उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयेग को प्रेक्षित किया गया।
- विधान भवन रक्षक के 84 पदों हेतु तथा अग्नि रक्षक के 50पदों का रोस्टर तैयार किया गया। 50 अतिरिक्त पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों की आमद दर्ज कराकर तैनाती की गई।
- निजी सचिव संवर्ग के कुल 23 कार्मिकों को दावितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 प्रदान की गई। विधान भवन रक्षक समूह –ग के 17 कार्मिकों को ए0सी0पी0प्रदान की गई।
- कोविड–19 के दवितीय लहर के प्रसार को रोकने/नियंत्रित करने के संबंध में भारत सरकार के प्राप्त निर्देशों के क्रम में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा उ0प्र0सचिवालय के अधिकारियों/कर्मिकों की उपस्थिति तथा शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये/इसके साथ सचिवालय परिसर की सफाई/सेनेटाईजेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई। गर्भवती महिलाओं तथा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संवेदनशील कार्मिकों की उपस्थिति की छूट प्रदान की गई।
- लोक भवन में स्थापित 361 सी0सी0टी0 कैमरों के अनुरक्षण हेतु जेम पोर्टल से बिड सम्पादित कराया गया।
- उक्त के अतिरिक्त कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों के अधिष्ठान संबंधी कार्यों जी0पी0एफ0, चिकित्सा प्रतिपूति, अवकाश एवं सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को अवकाश नगदीकरण/सामूहिक बीमा/पेंशन ग्रेज्युटी इत्याादि प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

●

नियुक्ति एवं कार्मिक

वर्ष 2020-2021 (दिनांक 01 अप्रेल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) कार्मिक विभाग में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों एवं उपलब्धियों से संबंधित निर्गत शासनादेशों का विवरण।

क्र0 शासनादेश का विवरण सं0	विषय
1. 2/2020/36/1/1976/का-2/2020, दि0 31.05.2020	कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय-सारिणी के निर्धारण के संबंध में।
2. 5/2020/20/1/91/का-2/2020, दि0 25.06.2020	उ0प्र0 के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम(GeM) की वयवस्था लागू किये जाने के संबंध में।
3. 1103/47-का-2/2020-13-17-2020 20.11.2020	अभ्यर्थियों को बारम्बार आवेदन करने वाली असुविधा से बचाने लिए समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाये जाने के संबंध में।
4. 6/2020/4/1/2002-का-2/19 दि0 08.09.2020	उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2020
5. 1/2020/18/1/95का-2/2021, दि0 16.03.2021	उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रुप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2021 के संबंध में।
6. 2/2021/4/1/2002-का-2/19 दि0 30.03.2021	उ0प्र0 लोक सेवा (आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2020 के संबंध में।
7. 3/2021/08 भा0सा0/का-2/2021 दि0 31.03.2021	आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

अप्रवासी भारतीय (NRI) प्रकोष्ठ

- प्रदेश में निवेश की दिशा में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/नीतियों में प्रवासी भारतीयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। निवेश प्रोत्साहन की दिशा में विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/निवेशोन्मुखी नीतियों का विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा दूतावासों/हाई कमिश्नर्स के सहयोग से प्रवासी भारतीयों में से संभाव्य निवेशकों का डाटाबेस प्राप्त कर उन्हें निवेश के लिए प्रेरित करने के उददेश्य से वर्ष 2020-21 में प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) का गठन किया गया। इसके द्वारा 134 भारतीयों दूतावासों अप्रवासी भारतीयों से सम्बंधित लगभग 60 संगठनों, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से समन्यवय कर विभाग के पोर्टल- nri.up.gov.in पर 6170 उत्तर प्रदेश मूल के अप्रवासी भारतीयों (NRIs/PIOs/OCIs) का डेटाबेस संग्रह किया गया। यह कार्य निरंतर प्रगति पर है।
- प्रवासी भारतीयों के हितार्थ नवनिर्मित वेबसाइट / वेबपोर्टल- nri.up.gov.in का शुभारम्भ दिनांकः 24.08.2020 को किया गया, इस नवनिर्मित वेबसाइट को निवेश मित्र (Invest UP), MSME, टूरिज्म, हथकरघा एवं वस्त्रोदयोग, गृह, राजस्व, औद्योगिक विकास, कौशल विकास एवं व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं सूचना विभाग के पोर्टल से लिंक किया गया है, ताकि विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय इन विभागों की अदयतन नीतियों/शासनादेशों से लाभान्वित हेते हुए प्रदेश के सर्वागीण विकास में सहयोग प्रदान कर सकें।

उददेश्य-

- प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों (NRIs/PIOs/OCIs) से निवेश को आकर्षित करने के लिए PMU द्वारा लगभग 2400 संभावित निवेशकों से सम्पर्क स्थापित किया गया है, संभावित निवेशकों के साथ ईमेल / दूरभाष तथा वर्चुल बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक तथा अन्य नीतियों, निवेश संभावनाओं व उत्तर प्रदेश की नवीन विकास और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार में जानकारी प्रदान की गई है, जिसके परिणामस्वरुप 38 प्रवासी भारतीयों ने लगभग 1200.00 करोड़ धनराशि के निवेश प्रस्ताव इन्वेस्ट-यू.पी. को अनुश्रवण हेतु समय-समय पर प्रेषित किये गए व साप्ताहिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से निवेशकों की जिज्ञासाओं का समा -धान कराकर उन्हें इकाई स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह कार्य सतत प्रक्रियारत है।

- प्रदेश के कामगारों को विदेश में रोजगार दिलाने हेतु चयन प्रक्रिया के संचालन राज्य सरकार की रिक्रूटमेंट एजेंसी- upfcomra द्वारा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के कुशल/अर्द्धकुशल कामगारों को विदेशों में उपयुक्त रोजगार तथा वैध उत्प्रवासन हेतु अधिकाधिक अवसर प्राप्त हो सके। विदेशी भर्ती चयन प्रक्रिया का संचालन UPFC के क्षेत्रीय कार्यालयों- गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ एवं गोरखपुर केन्द्रों से ऑनलाइन www.upfcomra.com के माध्यम से किया जा रहा है।

- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इमीग्रेशन एक्ट के अन्तर्गत upfcomra के लाइसेन्स का नवीनीकरण 2021-2026 की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। लाइसेन्स नवीनीकरण के उपरान्त विदेशी नियेक्ताओं से लगभग 1000(एक हजार) पदों हेतु मांग की जा चुकी है। जिसकी भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, साथ ही एजेंसी के पोर्टल का इंटीग्रेसन ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से किया जा रहा है एवं सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत भर्ती एजेंटों की गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयेजित कार्यशालाओं/बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभागिता की जाती है।

- राज्य सरकार के विभाग/अभिकरणों को प्रस्थान पूर्व दिशा-निर्देश कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग करने एवं संभावित उत्प्रवासियों के बीच सुरक्षित, नियमित और सुव्यवस्थित उत्प्रवासन के लाभों को और भारत सरकार के कल्याण और संरक्षण सम्बन्धी क्रार्यों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के उददेश्य से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (ICM DIVISION) द्वारा अंग्रेंजी भाषा में प्रकाशित 02 पुस्तकों (1) Aspiring Women Workers HandBook (2) Law Enforcement Agencies HandBook in Safe and Legal Migration का हिंदी-रुपांतरण भाषा विभाग, उ0प्र0 से कराकर मुद्रण हेतु विदेश मंत्रालय को भेजी गयी है, इससे हिंदी भाषी जन लाभान्वित होगें।

- उत्तर प्रदेश मूल के एन.आर.आई. समुदाय/डायस्पोरा को विशिष्ट पहचान दिए जाने हेतु विभाग की वेबसाइट www.upnri.com पर लिंक देकर एन.आर.आई. कार्डनिर्गत किये जाने की व्यवस्था संचालित की गयी है। इस कार्ड के माध्यम से वह शासकीय उच्चाधिकारियों से सुगमता से भेंट कर सकेंगें। प्रवासी भारतीयों की सुगमता हेतु ''एन. आर.आई. कार्ड'' के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की सुविधा विकसित की गयी है। अब तक 557 से अधिक एन.आर. आई कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं।

- उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों के हितों एवं कल्याण के पर्यवेक्षण तथा उनसे सम्बंधित शिकायतों के समाधान में प्रक्रियागत विलम्ब को समाप्त करने के उददेश्य से वेब पोर्टल-upnrigrs.in का 24x7 संचालन सम्प्रति किया जा रहा है। इस वेबसाई में ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण एवं उनके समयबद्ध अनुश्रवण की व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक तथा सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यापालक अधिकारी/ उपाध्यक्ष के स्तर पर सुनिश्चित की जाती है।

- साथ ही, भारत सरकार के मदद से पोर्टल पर भी हाइपर लिंक की सुविधा दी गयी है, विदेशों में उत्तर प्रदेश मुल के प्रवासी भारतीय कामगारों की मृत्यु हो जाने पर उनके मृत शरीर के पारगमन (Transporation of Mortal Remains) की व्यवस्था एवं संकट काल में विदेशों में फंसे उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीयों का सुरक्षित प्रत्यावर्तन विदेश मंत्रालय, (Repartriation) भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

विधायी

संक्षिप्त इतिहास

दिनांक 27.10.2006 से पूर्व विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग राज्य के न्याय विभाग का एक अंग था। विधायी विभाग राज्य का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विभाग होता है, जिसका कार्य प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप विधायिका द्वारा बनाये जाने वाले नये कानूनों का आलेखन तथा विधीक्षण एवं पुराने कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करना होता है। विभाग के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2006 में केन्द्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्य में विधायी विभाग एक अलग विभाग हो, जिसमें विशेषज्ञ विधि-प्रारूपकार भी हों। भारत संघ की सुशासन से सम्बंधित ड्राफ्ट एक्शन प्लान में विधायी विभाग के उपरोक्त बिन्दु को सम्मिलित किया गया और सभी राज्य सरकारों को विधायी विभाग को पृथक करने के निर्देश के साथ-साथ इसमें विशेषज्ञ की नियुक्ति की अपेक्षा की गई।

भारत संघ की उपरोक्त अपेक्षानुसार राज्य का विधायी विभाग दिनांक 27.10.2006 को न्याय विभाग से पृथक किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित दो विधीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति विधायी विभाग में दिनांक 17 मई, 2017 को हुई है जिनके द्वारा सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों/विधेयकों के प्रख्यापन एवं अधिनियमन तथा नियमों, विनियमों एवं अधिसूचनाओं के अंग्रेजी आलेखों के विधीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित कराया जा रहा है।

विधायी विभाग की रुपरेखा

विधायी विभाग उत्तरप्रदेश सचिवालय लखनऊ के बहुखण्डी भवन में स्थित है, जिसके विभागाध्यक्ष, प्रमुख सचिव हैं जो उच्चतर न्यायिक सेवा के जनपद न्यायधीश स्तर के अधिकारी हैं। विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त तीन विशेष सचिव भी तैनात है जो उच्चतर न्यायिक सेवा के अपर जनपद न्यायाधीश स्तर के अधिकारी है। विधायी विभाग में एक अनुसचिव कार्यरत है जो सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं। जनसामान्य तक राज्य सरकार की विधायी की पहुँच को सुगम बनाने के लिए राज्य विधानमण्डल द्वारा वर्ष 1965 से वर्ष 2021 तक पारित अधिनियमों को विधायी विभाग की वैबसाइट www.upvidhan.gov.in पर अपलोड भी कराया जा चुका है।

संस्कृति

संस्कृति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की गौरवमयी धरोहर एवं परम्पराओं, पुरावशेषों एवं स्मारकों तथा लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के विकास में अपने तीन निदेशालयों यथा- उ0प्र0 संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 पुरातत्व निदेशालय एवं उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय तथा अपनी अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। प्रदेश की लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को गाँव-गाँव पहुँचाना, मंच प्रदान करना एवं इनसे संबंधित सर्वेक्षण/ दस्तावेजीकरण आदि का कार्य भी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से विभाग द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ-साथ युवा नवोदित कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का समुचित अवसर प्राप्त होता है। कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाएं कार्यरत हैं जिनके माध्यम से प्रदेश में कला और संस्कृति को जनमानस से जोड़ने के लिए लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के साथ-साथ ललित कलाओं के विकास का कार्य एवं सांस्कृतिक उत्सव सम्पन्न कराये जाते हैं।

उ0प्र0 सरकार के विभिन्न विभागों एवं अर्द्धशासकीय एवं व्यक्तिगत अधिकारों व स्रोतों से प्राप्त अप्रचलित अभिलेखों के स्थानान्तरण एवं समुचित संरक्षण का कार्य उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ एवं उसकी इकाइयों द्वारा आधुनिक उपकरणों के माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है। दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं प्रपत्रों के डिजिटाईजेशन संबंधी कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न भागों व अंचलों में बिखरी पड़ी प्राचीन संस्कृति व सम्पदा के अवशेषों को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों/स्मारकों /पुरावशेषों का सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण, पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों का उत्खनन डाक्यूमेन्टेशन एवं प्रकाशन आदि का कार्य भी उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। पुरातत्व की महत्ता के प्रति सामान्यजन में अभिरुचि उत्पन्न करने हेतु पुरातत्व निदेशालय द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

विभागों के अधीन प्रदेश में 15 संग्रहालय कार्यरत है। जनपद लखनऊ एवं मथुरा संग्राहालय को अपने संग्रह के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है। इन संग्रहालयों में प्रस्तर कलाकृतियां, मृणमूर्तियां, लघुचित्र, सिक्के, हस्तलिखित अभिलेख, पाण्डुलिपियां, धातु, चर्म, कास्ट

तथा हाथी दाँत आदि की कलावस्तुएँ भी उपलब्ध हैं। संग्रहालयों द्वारा सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरों का अनुरक्षण, संरक्षण तथा प्रदर्शन का कार्य किया जाता है। 03 नवीन वीथिकाओं क्रमशः मृणमूर्ति कला वीथिका, मुद्रा वीथिका एवं प्राणिशास्त्र वीथिका का निर्माण कार्य प्रचलन में है। जनसामान्य में संग्रहालय की महत्ता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

संस्कृति निदेशालय

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन, समन्वय का कार्य विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। इसके अन्तर्गत उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना एवं अनेक स्वायत्तशासी संस्थायें यथा- भातखण्डे संगीत संस्थान समविश्वविद्यालय, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, भारतेन्दु नाट्य अकादमी लखनऊ, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लोक एवं जन-जातीय कला तथा संस्कृति संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा वृन्दावन शोध संस्थान, मथुरा को वेतन तथा गैर वेतन मद में अनुदान दिया जाता है।

कला एवं संस्कृति को जनसामान्य से जोड़ने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों में संस्कृति निदेशालय द्वारा स्वयं तथा अपनी अधीनस्थ संस्थाओं के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का नियमित आयोजन किया जाता है, जिनमें देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ-साथ युवा नवोदित कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का समुचित अवसर प्राप्त होता है। वर्ष 2020-21 में निदेशालय द्वारा विभिन्न स्थलों/अवसरों जैसे- लमही महोत्सव, देव दीपावली-वाराणसी; सावन-झूला, दीपोत्सव, रामायण मेला, अनवरत रामलीला मंचन-अयोध्या; गांधी जयन्ती, वाल्मीकि जयन्ती, मिशन शक्ति, सुशासन दिवस, उ0प्र0 दिवस आदि पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन उल्लेखनीय हैं। मथुरा जनपद के वृन्दावन के दिनांक 16 फरवरी, 2021 से 28 मार्च 2021 तक आयोजित हो रहे कुम्भ पूर्व बैठक में संस्कृति विभाग द्वारा नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दिनांक 04 फरवरी, 2021 से 04 फरवरी, 2022 तक चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव भी मनाया जा रहा है।

कोविड-19 के दौरान कला एवं संस्कृति के संवर्धन तथा कलाकारों के हितार्थ विभाग द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रमों/कार्यशालाओं एवं वेबिनारों का नियमित आयोजन किया गया। प्रदेश की लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, मंच प्रदान करना एवं इनसे संबंधित सर्वेक्षण/दस्तावेजीकरण आदि का महत्त्वपूर्ण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है।

विभाग द्वारा देश के महान विभूतियों की स्मृति को जनमानस में बनाये रखने तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से जनसामान्य के परिचित कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मूर्तियों का निर्माण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लखनऊ स्थित राजभवन परिसर में लौहपुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल एवं भगवान श्री धनवंतरि जी की मूर्ति स्थापित की गयी तथा महन्त अवैद्यनाथ एवं महन्त दिग्विजय नाथ तथा स्वतंत्रता सेनानी एवं उ0प्र0 के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एवं शहीद बन्धु सिंह की मूर्तियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जनसामान्य की सांस्कृतिक अभिरुचि को समुन्नत करने हेतु निदेशालय द्वारा विभिन्न प्रकृति के निर्माण कार्य भी किये जाते हैं। निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत अत्याधुनिक प्रेक्षागृह, मुक्ताकाशी मंच, गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ, गोरखपुर, आजमगढ़ स्थित हरिऔध कला केंद्र, पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की स्मृति में स्मृति भवन एवं पुस्तकालय गढ़कोला, उन्नाव में तथा आर्काइवल गैलरी, लखनऊ आदि उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गाँव बटेश्वर में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण कराया जा रहा है।

संस्कृति निदेशालय द्वारा निर्मित ई-डायरेक्ट्री के माध्यम से प्रदेश के कलाकारों को ऑन लाईन पंजीकरण के माध्यम से कार्यक्रम आवंटित किये जा रहे हैं। सांस्कृतिक विभाग के विभिन्न प्रेक्षागहों एवं वीथिकाओं की आन-लाईन बुकिंग व्यवस्था क्रियान्वित करने के उद्देश्य से एक साफ्टवेयर निर्मित कराया जा चुका है।

उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार

उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार की स्थापना सन् 1949 में सेन्ट्रल रिकार्ड आफिस के रूप में शिक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय में हुई थी, जिसे पृथक इमारत का आवंटन 53 महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद में सन् 1951 में किया गया। उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार अपने नवनिर्मित भवन जो कि बी-44, महानगर विस्तार, लखनऊ में स्थित है, जुलाई 1973 को स्थानान्तरित हुआ। 1973 से ही उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ने अपना विस्तार प्रारम्भ किया जब इसी वर्ष क्षेत्रीय अभिलेखागार व पाण्डुलिपि पुस्तकालय, इलाहाबाद की स्थापना की गयी। विस्तार की यह प्रक्रिया क्षेत्रीय अभिलेखागार, वाराणसी (1976), नैनीताल (1977), आगरा व देहरादून (1980) की स्थापना के साथ ही निरन्तर चलती रही। क्षेत्रीय अभिलेखागार, नैनीताल व देहरादून वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य में हैं। उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार में सन् 1803 से अभिलेख संरक्षित हैं तथा व्यक्तिगत अधिकार से प्राप्त सन् 1540 से अभिलेख संरक्षित हैं। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, मण्डलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानान्तरण तथा स्थानान्तरित अभिलेखों का वर्गीकरण तथा समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करके सुव्यवस्थित ढंग से कार्टन बाक्स में रखना।
2. शोध-छात्रों को शोध हेतु ऐतिहासिक महत्त्व के अभिलेख एवं शासन को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना।
3. अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग एवं फोटोकापी से सम्बन्धित सुविधायें और व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना है।
4. उक्त कार्यों की सम्पूर्ति हेतु समय-समय पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों के अभिलेखों का सर्वेक्षण

करना।

5. उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, शासकीय कार्यालयों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत अधिकार में रखे गये अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने एवं उनके वैज्ञानिक संरक्षण के लिए परामर्श भी देता है।
6. मौखिक इतिहास योजना के अन्तर्गत विशिष्ट व्यक्तियों के संस्मरण टेप कराकर संरक्षित करना।
7. राज्य के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को दो सप्ताह का अभिलेख संरक्षण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
8. अभिलेखागार द्वारा समय-समय पर संरक्षित अभिलेखों पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रकाशन भी किये जाते है।
9. प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के एक महत्त्वपूर्ण अंग-अभिलेखीय धरोहर के प्रति जन-सामान्य एवं छात्र-छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न करने के निमित्त समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अभिलेख प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु अभिलेख अभिरुचि कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिलेखागार भ्रमण एं अभिलेखों पर आधारित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजत किये जाते हैं।

भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ

शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एव विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए सुविख्यात इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1926 में मैरिस कालेज के नाम से हुई। बाद में इसका नाम बदलकर भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26 मार्च, 1966 को इसे अपने नियंत्रण में लिया गया और विश्वविद्यालय घोषित होने तक एक शासकीय संस्था के रूप में गतिशील रहा। भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 को अपनी अधिसूचना में इसे समविश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया हैं। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान कर दिये जाने से संगीत के विद्यार्थियों को प्रदेश में मान्यता प्राप्त उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध हो गया है। संगीत जैसी प्रदर्शन प्रधान कलाओं को सीखने के लिए कम आयु वर्ग के विद्यार्थियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर महाविद्यालय में पहले संचालित पाठ्यक्रमों की कक्षाओं को संस्थान में भी यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है। ताकि जो विद्यार्थी बी0पी0ए0 व एम0पी0ए0 के लिए निर्धारित अर्हताएं पूर्ण न करते हों, उन्हें भी संगीत शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। संस्थान द्वारा शास्त्रीय (गायन, ताल-वाद्य, स्वर-वाद्य, नृत्य) संगीत की चारों विधाओं में बी0पी0ए0, एम0पी0ए0 एवं पीएच0 डी0 की डिग्री/उपाधि तथा प्रवेशिका, परिचय, प्रबुद्ध, पारंगत एवं उपशास्त्रीय गायन (ध्रपद-धमार, होरी, ठुमरी, दादरा, संवादिनी, की-बोर्ड, सुगम संगीत) में सार्टिफिकेट डिप्लोमा तथा लोकनृत्य में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। संगीत

के शिक्षण कार्य के साथ-साथ पूर्व में संचालित वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत अभिरुचि की विशिष्ट कार्यशाला एवं संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है।

संस्थान द्वारा सत्र 2001-02 में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के साथ-साथ महाविद्यालय के सार्टिफिकेट/डिप्लोमा की वार्षिक परीक्षाओं का स्वतन्त्र रूप से संचालन किया जा रहा है। पीएच0डी0 की 54 उपाधियां वर्तमान समय पद शोधर्थियों को प्रदान की गयी है।

शिक्षण सत्र 2020-21 में संस्थान में प्रवेशिका से पारंगत कक्षा तक सार्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में लगभग 1200 तथा विश्वविद्यालय अनुभाग में लगभग 300 अर्थात शास्त्रीय संगीत की चारों विधाओं (गायन, ताल-वाद्य, स्वर-वाद्य, नृत्य एवं संगीत शास्त्र) में लगभग 1500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

राज्य ललित कला अकादमी, उ०प्र०

राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 की स्थापना 08 फरवरी, 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। अकादमी कला एवं कलाकारों की प्रोन्नति एवं प्रोत्साहन के ध्येय की ओर निरन्तर अग्रसर होती हुई कला जगत में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। अकादमी छत्तरमंजिल और हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) के मध्य ललित कला अकादमी मार्ग पर लाल बारादरी भवन में स्थित है। यह भवन उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एक पुरातात्विक इमारत है। इसका निर्माण सन 1778-1814 के बीच हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम इस भवन में राज्य संग्रहालय स्थापित हुआ। राज्य संग्रहालय का अपने भवन में स्थानान्तरण होने के पश्चात वर्ष 1962 में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई।

अकादमी द्वारा दृश्य कला से सम्बन्धित विभिन्न प्रदेश/अखिल भारतीय/अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों, कला व्याख्यान मालाओं, कला शिविरों तथा युवा कलाकारों के लिये छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता के माध्यम से गतिविधियों का आयोजन कर रही हे तथा युवाओं का उत्साहवर्धन पिछले 58 वर्षों से अपने सीमित संसाधनों से कर रही है ।

उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी

अकादमी की स्थापना 13 नवम्बर, 1963 को हुई थी। पिछले 56 वर्षों में अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोकसंगीत, लोकनाट्य की परम्पराओं के प्रचार-प्रसार, संवर्द्धन एवं परिरक्षण का महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहीं है। उत्तर प्रदेश एक विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसकी विविध समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं के परिरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना हैं। अकादमी के अत्यधिक सीमित संसाधन हैं, जबकि इतने वृहद् प्रदेश के लिये अधिक आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों को और अधिक गतिशील व क्रियाशील बनाया जा सके।

प्रदेश में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक विधाओं सम्बन्धी परस्पराओं के विषय में अधिक जागरूकता एवं जानकारी, नवोदित प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, नवीन प्रतिभाओं का विकास एवं उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण, प्रदेश के विभिन्न

अंचलों में कार्यरत् स्वैच्छिक संस्थानों से सम्पर्क एवं उनके कार्यकलापों में सहायता लुप्त हो रही विधाओं के परिरक्षण के प्रदर्शन की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराना, साथ ही सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण के आधार पर कार्यक्रमों को तैयार कर उन्हें जनता के समक्ष लाना, अकादमी की गतिविधियों में शामिल है।

भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ

स्थापना व परिचय

हिन्दी भाषी प्रान्तों में प्रतिभावान व महत्त्वाकांक्षी युवक-युवतियों को नाट्यकला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारतेन्दु नाट्य अकादमी की स्थापना अगस्त 1975 में हुई थी। संस्थापक निदेशक पद्मश्री राज बिसारिया के कुशल निर्देशन में अकादमी का प्रशिक्षण कार्य अंशकालिक शिक्षण के रूप में प्रारम्भ होकर वर्ष 1978 में एक वर्षीय पूर्णकालिक स्टींफिकेट कोर्स तथा वर्ष 1981 में द्विवर्षीय डिप्लोमा के रूप मे स्थापित हुआ, जिसके अन्तर्गत नाट्यकला के विभिन्न पक्षों यथा- अभिनय, निर्देशन, रंग-तकनीक एवं नाट्य साहित्य आदि विषयों में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र-छात्राओं का पलायन रोकने के दृष्टिकोण से वर्ष 1988 में रंगमण्डल की स्थापना की गई। भारतेन्दु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

वित्तीय वर्ष **2020-21** में किये गये कार्यों का विवरण

1. माह जून-जुलाई, 2020 में शैक्षिक सत्र 2020-22 के प्रथम वर्ष में चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।
2. कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अकादमी द्वारा प्रथम निःशुल्क ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन रंगमंच कार्यशाला का आयोजन श्री प्रिवेन्द्र सिंह के निर्देशन में दिनांक 06 से 30 जून, 2020 तक किया गया जिसमें 88 प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उक्त कार्यशाला में सम्मिलित अभ्यर्थियों को श्री प्रिवेद्र सिंह के अतिरिक्त श्री शुभदीप गुहा, श्री मनोज शर्मा, श्री डिम्पी मिश्रा एवं श्रीमती चित्रा मोहन ने प्रशिक्षण प्रदान किया।
3. कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर जब सारी हलचले शांत हो चुकी थीं लोग अपने-अपने घरों में कैद होने को विवश थे तब कला जगत के मौन को तोड़ते हुए समस्त कला प्रेमियों तक सकारात्मक, भावात्मक और रचनात्मक ऊर्जा संप्रेषित करने हेतु रंगमंच, फिल्म, टी0वी0 आदि कलाओं के प्रसिद्ध एवं सशक्त महानुभावों तथा अकादमी से प्रशिक्षित वे छात्र जो आज विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होकर अकादमी का गौरव बढ़ा रहे हैं, उनके अनुभवों को साझा करने हेतु अकादमी द्वारा दिनांक 29 जून, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक वेबनार (रंग समागम-प्रथम) का आयोजन किया गया जिसमें 31 महानुभावों ने अपने अनुभवों को साझा किया।

अयोध्या शोध संस्थान

अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अयोध्या ऐतिहासिक तुलसी स्मारक भवन में 18 अगस्त, 1986 को की गयी। यह संस्कृति विभाग की स्वायत्तशासी संस्था

है। अयोध्या के प्रमुख संतों की विशेष मांग पर जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना प्रारम्भ की थी, उक्त स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में तुलसी स्मारक भवन के निर्माण की मांग शासन से की गई। अयोध्या के संतों की मांग का सम्मान करते हुए उ0प्र0 सरकार ने अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन का निर्माण वर्ष 1969 में करवाया गया। इस भवन में गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति को संजोये रखने हेतु उनकी रामायण लेखन मुद्रा में सांगों-पांग प्रतिमा स्थापित है अयोध्या शोध शोध संस्थान की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं:

प्रमुख उद्देश्य

1. सामान्य रूप से अवध और विशिष्ट रूप से अयोध्या की कला संस्कृति, साहित्य, लोकसाहित्य, इतिहास और परम्पराओं की पाण्डुलिपियों तथा वस्तुओं और शिल्प तथ्यों का संग्रह, संरक्षण और अध्ययन करना है।
2. अवध की सांस्कृतिक विरासत से सम्बंधित नष्ट और विलुप्त हो रही पुरालेखीय सामग्री को सुरक्षित रखना।
3. अवध की भारतीय विद्या, कला, संस्कृति और इतिहास में विशेष रूप से अयोध्या, रामायण और तुलसीदास के साहित्य और दर्शन से सम्बंधित शोध कार्य को प्रोत्साहन देना और पूरा करना।
4. सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और ऐतिहासिक महत्त्व की पाण्डुलिपियों, पुरालेखीय सामग्री और अन्य वस्तुओं का उनके उन्नयन, संरक्षण और अध्ययन हेतु एक संग्रहालय स्थापित करना।
5. वैष्णव भक्ति, भक्ति आन्दोलन, कला, संस्कृति और सम्बद्ध भाषाई और भारतीय विद्या से सम्बंधित अन्य विषयों में विशेष से अवध और राम की दन्त कथा के संदर्भ में शोध कार्य करना और स्नातकोत्तर अध्ययन संचालित कराना।
6. महत्त्वपूर्ण मूल पाठों की सूचियों, आलोचनात्मक संस्करणों और अनुवादों तथा शोध कार्यों के परिणामों को प्रकाशित कराना तथा अन्य उपयोगी प्रकाशनों को प्रकाशित कराना।
7. उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने और आगे बढ़ाने के लिये भारत और विदेशों के विश्वविद्यालयों संग्रहालयों, पुस्तकालयों और शिक्षा संस्थाओं से सहयोग करके कार्य करना।
8. व्याख्यानों, संगोष्ठियों, उत्सवों, सम्मेलनों और अन्य शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों क आयोजन कराना तथा इस सोसायटी के उद्देश्यों से सम्बंधित क्रिया-कलापों में लगे हुये शोध छात्रों और लेखकों को छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकाएं और पुरस्कार प्रदान करना।
9. धन, वस्तु या सम्प्रति के रूप में अनुदानों, चन्दों, उपहारों, अंशदानों को स्वीकार करना। अयोध्या शोध संस्थान का अपना संविधान है। संस्थान के पदेन अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन हैं। संस्थान के संचालन हेतु सामान्य सभा, कार्यकारिणी परिषद्, शोध एवं विकास समिति तथा वित्त समिति गठित है।
10. रोजगार परक योजनाओं का संचालन, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न शिल्प और विकास योजनाओं का संचालन। अयोध्या शोध संस्थान प्रमुख रूप से शोध छात्रों के लिये पुस्तकालय का संचालन महत्वपूर्ण शोध कार्य तथा शोध के परिणामों को प्रकाशित

करने हेतु प्रकाशन सहायता शोध पत्रिका का प्रकाशन, महापुरुषों की जयन्ती का आयोजन, प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन व प्रस्तुति करवाना तथा हस्तशिल्प में देश के विभिन्न कोनो में रामकथा का संकलन टेराकोटा के माध्यम से विभिन्न शैलियों में रामकथा अंकन तथा विभिन्न चित्र शैलियों में रामकथा का चित्रांक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठीयों का आयोजन करवाया जाना है। इसी के क्रम में नित्य परम्परिक राम लीला का मंचन तथा मैदानी रामलीला का दस्तावेजी शोध कार्य हेतु करवाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ

उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना 31 जनवरी, 1991 में संस्कृति विभाग, उ0प्र0 के अधीन स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन एवं तत्सम्बन्धी शोध करना तथा तीर्थंकरों की सांस्कृतिक महत्त्व की परम्परागत एवं आधारभूत मान्यताओं, मानवीय मूल्यों, कला कौशल का संरक्षण करना।

संस्थान द्वारा जैन धर्म से सम्बन्धित पर्वों पर व्याख्यान माला, वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, परिचर्चा, व्याख्यान, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आदि का आयोजन करना।

उद्देश्य

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध जैन संस्कृति से सम्बन्धित सामग्री का संकलन शोध कार्य, उससे सम्बन्धित ग्रन्थों का विकासात्मक अध्ययन एवं उपलब्ध सामग्री का भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में प्रमाणित भाषान्तर कार्य आदि।

1. जैन विद्या सामग्री के सुसम्बद्ध अध्ययन हेतु विभिन्न सांस्कृतिक महत्त्व की परम्परागत मान्यताओं की जानकारी के लिए रचनात्मक कार्य एवं शोध कार्य को प्रोत्साहित करना।
2. जैन विद्या सम्बन्धी आधारभूत और भारतीय मूल्यों को जिसे सदियों से भारत में संजोए रखा गया है इस प्रकार से सुरक्षित रखना ताकि नष्ट न हो।
3. जैन धर्मायतनों का संरक्षण करना।
4. भारतीय संस्कृति के दर्शन का जैन दर्शन के साथ समन्वित्त अध्ययन को प्रोत्साहित करना।
5. जैन विद्या के अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में ग्रन्थ सूची, समीक्षात्मक अध्ययन, अनुदान, शोध पत्रिका, शब्दकोश आदि ग्रन्थों का प्रकाशन।
6. संबंधित और संदर्भित ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों, माइक्रोफिल्मों आदि का पुस्तकालय स्थापित करना।
7. जैन तीर्थ क्षेत्रों के विभिन्न केन्द्रों में घरो, घाटों, सरोवरों, कुण्डों और सांस्कृतिक व वास्तुकला के महत्त्व के अन्य स्मारकों का सुधार और अनुरक्षण करना।
8. जैन तीर्थ क्षेत्रों व सांस्कृतिक केन्द्रों की मार्यदा, पवित्रता और सामान्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्य करना।

राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ

राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप

में वर्ष 1988-88 में हुई थी। संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परम्पराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण, कथक नृत्य का संवर्द्धन एवं लुप्त हो गये व नवीन पक्षों पर शोध और कथक संग्रहालय की स्थापना है।

उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय लखनऊ

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक गतिविधियों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जाता है। पुरातत्व निदेशालय के अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय इकाईयों के कार्यों पर नियंत्रण, प्रदेश के विभिन्न भागों में बिखरी पुरासम्पदा की खोज हेतु सर्वेक्षण, महत्त्वपूर्ण पुरास्थलों का उत्खनन, राज्य संरक्षित स्मारकों/स्थलों का अनुरक्षण व रख-रखाव एवं पुरावशेषों के प्रति जन चेतना जागृत करना पुरातत्व निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य हैं।

सर्वेक्षण/निरीक्षण

1. जनपद-लखनऊ अन्तर्गत तहसील-मलिहाबाद स्थित ग्राम पाराभदराही में मंदिर का निरीक्षण।
2. जनपद-मथुरा स्थित कुसुमवन सरोवर एवं पोतरा कुण्ड का स्थलीय निरीक्षण।
3. जनपद-कानपुर नगर के बिठूर स्थित संरक्षित स्मारक बाल्मीकि आश्रम का निरीक्षण।

अनुरक्षण

1. राज्य संरक्षित स्मारक सन्त कबीर की समाधि एवं मजार-मगहर का अनुरक्षण कार्य।
2. कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गोरखपुर जनपद में निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय ऑडीटोरियम भवन का निरीक्षण।
3. जनपद-फैजाबाद स्थित संरक्षित स्मारक गुप्तार घाट मंदिर का अनुरक्षण कार्य।
4. जनपद सीतापुर अन्तर्गत राज्य संरक्षित स्मारक कल्पादेवी एवं आस्तिक बाबा का अनुरक्षण कार्य।

उत्खनन एवं सर्वेक्षण

1. जनपद-प्रतापगढ़ में सई नदी का ग्राम स्तरीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।
2. जनपद-गोण्डा अन्तर्गत तहसील तरबगंज में विकासखण्ड-वजीरगंज का ग्राम स्तरीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
3. जनपद-बरेली अन्तर्गत विकासखण्ड-मीरगंज का ग्राम स्तरीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

अन्य कार्य

1. शासन द्वारा समय-समय पर आहुत बैठकों में भाग लिया गया एवं मांगी गयी सूचनाओं को समय से प्रेषित किया गया।
2. सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक उ0प्र0 सन्दर्भ विषयक सूचना हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार कर प्रेषित की गयी।
3. विभागीय वादों का अनुश्रवण किया गया।
4. पर्यावरण संरक्षण दिवस के अन्तर्गत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

5. पुरातत्व परामर्शदात्री समिति-2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में स्मारकों/स्थलों से सम्बन्धित कुल 3 स्मारकों/स्थलों में से 13 स्मारक स्थल की प्रथम अधिसूचना जारी करायी गयी एवं शेष स्मारक/स्थलों की प्रथम अधिसूचना जारी कराये जाने हेतु शासन को निर्धारित प्रारूप तैयार कर प्रेषित किया गया।

उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय (राज्य संग्रहालय परिसर) लखनऊ

प्रदेश के समस्त संग्रहालयों के विकास एवं संवर्द्धन, स्वतंत्र नियंत्रण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण, नये संग्रहालयों की स्थापना, उनके भवनों का निर्माण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, कलाकृतियों एवं पुरावशेषों के क्रय, उनके प्रदर्शन तथा कला अभिरुचि के विकास, व्याख्यान, प्रशिक्षण आदि योजनाओं के उन्नयन हेतु 31 अगस्त, 2002 को उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गई, जो राज्य संग्रहालय, बनारसीबाग, लखनऊ के परिसर में स्थापित है। निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, विभागाध्यक्ष के कार्यों व दायित्वों के साथ-साथ राज्य संग्रहालय, लखनऊ के निदेशक के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन भी करते हैं।

●

राष्ट्रीय एकीकरण

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की स्थायी समिति ने 26 अक्टूबर, 1968 को दिल्ली में हुई अपनी पृथक बैठक में यह सिफारिश की थी कि परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर एक ''एकीकरण परिषद'' की स्थापना की जाये। उक्त के अनुसार वर्ष 1968 में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की योजनाएं दीर्धकालीन व सतत प्रयास वाली है। इनसे जनमानस में राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक संदभाव एवं सामाजिक समरसता की भावना का विकास हो रहा है।

वर्ष 2021-22 की प्रगति का संक्षिप्त विवरण

अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना

''अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976'' लागू है, जिसके अन्तर्गत ऐसे विवाहित जोड़ों जिनका एक पक्ष अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हो, को अन्तर्जातीय विवाह तथा ऐसे विवाहित जोड़ों, जो विवाह के पूर्व अलग-अलग धर्म को मानने वाले रहे हों, को अन्तर्धार्मिक विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे दम्पति को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 50,000/- का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति प्रत्र प्रदान किया जाता है। इस सम्बन्ध में विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा उक्त नियमावली के नियम 7(2) में किए गए संशोधन के अनुसार अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विकेन्द्रीकरण करते हुए मण्डलायंक्तों को प्रोत्साहन पुरस्कार की धनराशि नियमानुसार स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया है। अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 60.00 लाख एवं अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु रु0 10.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है।

लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जाना

लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को प्रतिवर्ष ''राष्ट्रीय अखण्डता दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। इसके लिये प्रत्येक जनपद को रुपये 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 3.75 लाख की की व्यवस्था की गई है। "आजादी के अमृत अवसर पर" राष्ट्रीय एकता दिवस" प्रदेश भर में पूर्ण हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ मनाया गया। जनपद लखनऊ में विधान भवन के समक्ष अत्यन्त गरिमापूर्ण ढंग से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सरदार वललभभाई पटेल की प्रतिमा का माल्यापर्ण करके उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात् करने की प्रेरणा दी साथ ही भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में लोगों को शपथ भी दिलाई गयी।

कौमी एकता सप्ताह का आयोजन

प्रतिवर्ष दिनांक 19 से 25 नवम्बर तक भारत सरकार के दिशा निर्देश पर कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। इस हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद को रूपये 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रूपये 375, लाख की बजट व्यवस्था की गई है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी की गई।

जिला एकीकरण समितियों का गठन

राष्ट्रीय एकता, भाईचारा एवं धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र की भावना बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक एकता,

सौहार्दपूर्ण वातावरण निरन्तर कायम रखने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा प्रमुख त्योहारों एवं उत्सवों जैसे- रक्षा-बन्धन, होली, दिवाली, ईद-बकरीद, क्रिसमस डे तथा बसन्त पंचमी सामूहिक रूप से मनाने की व्यवस्था करना तथा इन अवसरों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे सम्प्रदाय के सदस्यों की जान बचायी हो एवं अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये नागरिकों को आमंत्रित कर सम्मानित करना ताकि समाज के अन्य लोग उनसे प्रेरणा ले सकें।

महान विभूतियों के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन

प्रदेश के जनपदों के ऐसे ज्ञात-अज्ञात महानुभाव जिन्होंने स्थानीय समाज में भाई-चारे की भावनाओं को विकसित करने तथा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी मेल-मिलाप के माहौल को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो व उनका जन्मदिन धन के अभाव में नहीं मनाया जाता है, के निमित्त रुपये 35,000/- प्रति जनपद धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ की गई है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रुपये 26.2 लाख की व्यवस्था की गई है, जोकि प्रत्येक जनपदवार धनराशि रू0-35000 /- आवंटित की गई।

बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यकमों के आयोजन

बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस पर विभिन्न कार्यकमों के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद को रूपये 35,000,/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ की गई है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 26.25 लाख की बजट व्यवस्था की गई है। जोकि प्रत्येक जनपदवार धनराशि रू0-35000/- आवंटित की गई।

मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी को अनुदान

मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा तथा उनके ऊपर अन्य द्वारा लिखित उर्दू की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद कर उसे देश के पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मौलाना आजाद आजाद स्मारक अकादमी लखनऊ, जोकि एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था है, को रू0 तीन लाख का वार्षिक अनुदान दिया जाता था, जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में बढ़ाकर रू0-15.00 लाख किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 15.00 की बजट व्यवस्था की गई है। जिसके सापेक्ष अकादमी की मांग के अनुसार प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू0-7.50 की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

गुरू गोविन्द सिह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

प्रदेश में निवासरत जन सामान्य से किसी एक महानुभाव, जिन्होंन मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस दिशा में सतत् संलग्न रहे हो, का अभिज्ञान कर उन्हें गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के रूप में सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 05 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा रूपये एक लाख का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2001 से प्रारम्भ की गई है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रथम बार वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 के लिये गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 को कमशः श्री वाहिद अली "वाहिद", लखनऊ तथा श्री काजी जैनुल राशिदीन, मेरठ को प्रदान किया गया। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी पूर्व की भाँति रू0 2.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है।

भाषा

प्रदेश की राजभाषा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग, प्रचार-प्रसार व विकास का कार्य भाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। शासन स्तर पर इस विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों से प्राप्त अनुवाद कार्य तथा विभागीय मैनुवलों, संकलनों एवं संदर्भ ग्रन्थों आदि का प्रकाशन कार्य कराने के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित कार्यकलापों तथा योजनाओं को निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता हैः-

1. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 2. उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, लखनऊ, 3. उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, लखनऊ, 4. उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, लखनऊ, 5. उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ, 6. हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज, 7. उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ, 8. स्व0 फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, लखनऊ, 9. राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, लखनऊ, 10. भाषा प्रकाशन (कोष्ठक) लखनऊ।

उ0प्र0 भोजपुरी अकादमी के नाम से एक नयी संस्था के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। स्थापना और नियमावली का प्रख्यापन प्रकियाधीन है। भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन भाषायी संस्थाओं के कार्यकलापों एवं कार्यरत स्टाफ आदि के वेतन भत्तों के लिए आवश्यक सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। उक्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकलापों के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू तथा संस्कृत भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ साहित्यकार कल्याण कोष योजना, प्रकाशन अनुदान योजना, उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन, साहित्यिक समारोह, पाण्डुलिपियों का प्रकाशन, अभावग्रस्त साहित्यकारों को सहायता के साथ-साथ प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन तथा सम्पूर्ण देश में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों एवं मेलों में प्रतिभाग भी किया जाता है।

राजभाषा हिन्दी

प्रदेश में सर्वप्रथण अक्टूबर, 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा हिन्दी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में 26 जनवरी, 1968 से अनिवार्य कर दिया गया है तथा उक्त आदेश का अनुपालन न किया जाना अनुशासनहीनता माना गया है। अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है जिससे हिन्दी की प्रगति को गतिशीलता मिल सके।

द्वितीय राजभाषा उर्दू

उर्दू भाषी अल्पसंख्यकों की भावनाओं का समादर करते हुए सरकार ने वर्ष 1989 में उ0प्र0 राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 पारित करके उर्दू को निम्नांकित सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया है:-

(1) उर्दू में अर्जियों और आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर।
(2) उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबंधन कार्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाना।
(3) महत्त्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन ।
(4) सार्वजनिक महत्त्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों को उर्दू में भी जारी किया जाना।
(5) महत्त्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन।
(6) गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन।
(7) महत्त्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन।

उक्त प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु समस्त विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं।

क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का विकास

हिन्दी, संस्कृत एंव उर्दू भाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था की गयी है। इन भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के पांच जनपदों कमशः लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद और आगरा में कुल पांच भारतीय भाषा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में कुल 43 भाषाओं यथा- तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगला, उडिया, पंजाबी, सिन्धी, असमिया, कश्मीरी, और नेपाली के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

उर्दू प्रवीणता परीक्षा

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में उर्दू भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा विगत लगभग चालीस वर्षों से शासन द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत हाईस्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को कमशः 1400/-, 1000/- तथा 800/- रुपये की राशि तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर की उर्दू प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः 600/-, 400/- तथा 200/- रुपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है तथा दक्षता प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

प्रकाशन कार्य

सरकारी कार्यों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने एवं तद्नुसार कार्य संचालन में सुविधा की दृष्टि से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों एवं अधिकारियों को शासन के अद्यावधिक नियमों, विनियमों आदि से अवगत कराने व तद्नुसार कार्य सम्पादन में सरकारी प्रयोगार्थ उनकी प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु भाषा (प्रकाशन) अनुभाग द्वारा शासन के विभागीय मैनुवलों, हैण्डबुकों, नियमावलियों, आदेशों के संकलनों आदि को संशोधित एवं अद्यावधिक कराकर उन्हें प्रकाशित कराया जाता है। प्रकाशन कार्यों को तत्परता से पूरा कराने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों से

नियमों-विनियमों आदेशों की सामग्री संकलन हेतु निरन्तर प्रयास किया जाता है तथा सामग्री प्राप्त कर उनके संशोधन व सम्पादन की कार्यवाही की जाती है।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए समर्पित : उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान एक परिचय

राष्ट्रभाषा हिन्दी के वाङ्मय की श्रीवृद्धि में जिन संस्थाओं का विशिष्ट योगदान है, उनमें उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान सर्वप्रमुख है। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान राष्ट्रभाषा के अनन्य उपासक, मनीषी व चिन्तक राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन की पुण्य स्मृति का जीवन्त प्रतीक है। हिन्दी भाषा व साहित्य के सर्वतोन्मुखी उन्नयन और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार में राष्ट्रभाषा की वर्तमान भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की स्थापना 30 दिसम्बर, 1976 को हुई थी। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का आर्ष वचन उसके संकल्प को द्योतित करता है:-

कीरति भनिति भूति भलि सोई।
सुरसरि सम सब कहँ हित होई।।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से अब तक शासन से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्य-कलापों का विवरण निम्नवत् है :-

प्रोत्साहन प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण

साहित्यिक समारोह योजना

1. हिन्दी दिवस 14 सितम्बर, 2020 के अवसर पर 'हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अन्तर्सम्बन्ध' विषय पर केन्द्रित आनलाइन संगोष्ठी का आयोजन।
2. 03 अक्टूबर, 2020 को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जयन्ती की पूर्व संध्या पर 'आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का रचना संसार' विषय पर केन्द्रित संगोष्ठी का आयोजन।
3. 16 अक्टूबर, 2020 को "भारतीय संविधान का वैशिष्ट्य" विषय पर केन्द्रित आनलाइन संगोष्ठी का आयोजन।
4. 31 अक्टूबर, 2020 को 'आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक अवदान' विषय पर केन्द्रित आनलाइन संगोष्ठी का आयोजन।
5. 24 नवम्बर, 2020 को रेणु जन्मशती समारोह का आयोजन।
6. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के स्थापना दिवस समारोह 30 दिसम्बर, 2020 के अवसर पर काव्य गोष्ठी का आयोजन।
7. 05 जनवरी, 2021 को 'कृषि सुधार कानून : एक विमर्श' विषयक संगोष्ठी का आयोजन।
8. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 09 व 10 जनवरी, 2021 को दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन।
9. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2021 को निराला जयन्ती समारोह का आयोजन।

प्रस्तावित कार्यक्रम

10. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2021 को बाल साहित्य सम्मानों से संबंधित अभिनन्दन पर्व, कहानी, कविता एवं निबन्ध प्रतियोगिता एवं पं. कृष्ण बिहारी वाजपेयी पुरस्कार से चयनित छात्र/छात्राओं का पुरस्कार वितरण समारोह। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री हृदय नारायण दीक्षित, मा. अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश उपस्थित होंगे।
11. बाल साहित्य संवर्द्धन योजना
    बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी द्वैमासिक का नियमित प्रकाशन कराया जा रहा है।
12 साहित्यकार कल्याण कोष योजना
    उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में विषम आर्थिक स्थिति ग्रस्त पांच साहित्यकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।
13. प्रकाशन अनुदान योजना
    उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 26 साहित्यकारों को उनकी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के गतिविधियों को समेकित करते हुए संस्थान समाचार का प्रकाशन किया गया। साथ ही अभिनंदन पर्व स्मारिका का प्रकाशन भी किया गया। साथ ही सम्मान समारोह स्मारिका व नामित सर्जना पुरस्कार से सम्बन्धित स्मारिका का प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान

सम्मेलन, सेमिनार, कवि सम्मेलन, समारोह, गोष्ठी, शिविर, प्रतियोगिता आदि व्याख्यान एवं संस्कृत के महान विद्वानों की जयन्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्कृत सप्ताह के अवसर इस कार्यक्रम का ऑनलाईन आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 96 शोधार्थियों का शोध पत्र आनलाईन आया, जिसमें परीक्षणोपरान्त 25 शोधार्थियों से शोध पत्र का वाचन कराया गया।

संस्कृत सप्ताहः- दिनांक **01.08.2020 से 07.08.2020**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम का शुभारम्भ दिनांक 01.08.2020 से हुआ। कार्यक्रम में बालप्रतिभा प्रदर्शन, कण्ठस्थ ग्रन्थ स्पर्धा, संस्कृत गीत स्पर्धा, आशुभाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार रु0 2000/-, द्वितीय पुरस्कार रु0 1500/- तृतीय पुरस्कार रु0 1000/- मात्र की-धनराशि प्रदान की गयी।

महार्षि वाल्मीकि जयन्ती (**21 से 28** अक्टूबर **2020**)

व्याख्यान संगोष्ठी

इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित व्याख्यान गोष्ठी कार्यक्रम किये गये।

नई शिक्षानीति एवं संस्कृत (**15** अगस्त **2020** का कार्यक्रम)

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ द्वारा स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर "नई शिक्षा नीति एवं संस्कृत" विषय पर राष्ट्रीय ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया गया।

आन्तर्जालीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन (21 अगस्त 2020)

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ व बप्पा श्री नारायण वोकेशनल महाविद्यालय लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत के महत्त्व पर आन्तर्जालीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ।

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं संस्कृत के सन्दर्भ में पूर्व सिद्धता" (06 सितम्बर 2020)

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् के तत्वावधान में संस्कृति भारती द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं संस्कृत के सन्दर्भ में पूर्व सिद्धता विषय को लेकर अन्तर्जालीय चर्चा सत्र का आयोजन किया गया।

धनवन्तरि जयन्ती समारोह

दिनांक 13 नवम्बर 2020 को कोविड-19 के सन्दर्भ में स्वास्थ्य संरक्षण विषय पर व्याख्यान गोष्ठी का आयोजन ऑनलाईन किया गया।

स्थापना दिवस समारोह

31 दिसम्बर 2020 को संस्थान कार्यालय ए-1589, इन्दिरा नगर, लखनऊ पर स्थानीय संस्कृत विद्वानों को आमन्त्रित कर संस्कृत काव्यपाठ एवं व्याख्यान गोष्ठी का आयोजन कर विद्वानों को सम्मानित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त योजनाओं के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी किये गयेः-

पुस्तक प्रकाशन (पर्व पत्रिका, पंचांग प्रचार सामग्री, मासिक पत्रिका इत्यादि)

उक्त योजना के माध्यम से (क) संस्कृत बाल मासिक पत्रिका, (ख) संस्कृत भाषा में बाल साहित्य का प्रकाशन, (ग) व्यवहार उपयोगी संस्कृत शब्द कोश का प्रकाशन, (घ) संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु पुस्तकों का प्रकाशन, (ङ) संस्कृत भाषा में निहित समाजोपयोगी विषयों यथा- व्रत, पर्व, त्यौहार, तीर्थाटन, आचार-व्यवहार की पुस्तकों का प्रकाशन, दुर्लभ ग्रन्थ का प्रकाशन तथा वाल्मीकि रामायण का टीका सहित भाषा अनुवाद कर पुस्तक का प्रकाशन आदि कराये जाने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त योजना के माध्यम से वाल्मीकि रामायण का टीका सहित भाषा अनुवाद के एक खण्ड एवं अन्य पुस्तकों का प्रकाशन कराया जा चुका है।

कोचिंग

संस्कृत भाषा में सिविल सेवा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं कोचिंग

संस्कृत विषय लेकर पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना बनायी गयी है ताकि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को आई0ए0एस0 व पी0सी0एस0 बनने का अवसर प्राप्त हो और संस्कुत विषय लेकर पढ़ने वाले छात्रों को किन-किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं इसकी जानकारी इस योजना के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो सकेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 से उक्त योजना का संचालन किया जा रहा है।

छात्रवृत्ति योजना

माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में प्रथमा (प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय

वर्ष) के लगभग 140 छात्रों को, पूर्व मध्यमा (प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वष) के 300 छात्रों को तथा उत्तर मध्यमा (प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष) के 300 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।

सरल संस्कृत सम्भाषण शिविर योजना

ऑनलाईन संस्कृत सम्भाषण

उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा चयनित संस्कृत प्रशिक्षकों के माध्यम से कोविड-19 के दृष्टिगत संस्कृत सम्भाषण का प्रशिक्षण ऑनलाईन माध्यम से दिये जाने के क्रम में प्रथम स्तरीय चरण को तीन बार प्रशिक्षण दिया गया। तीनों चरणों में से चयनित अभ्यर्थियों को द्वितीय स्तरीय ऑनलाईन संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया।

संस्कृत शिक्षकों का प्रशिक्षण

उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्त्वावधान में प्रदेश के 71 जिला प्रशिक्षण केन्द्रो के नोडल अधिकारियों के द्वारा 14 दिवसीय ऑनलाईन संस्कृत भाषा शिक्षण संस्थान द्वारा चयनित संस्कृत प्रशिक्षकों के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें से 75 जनपदों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 50-50 प्रति केन्द्र के अनुसार कुल 3400 प्रशिक्षकों को तीन चरणों में दिया जाने के क्रम में 53 जनपदों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, शेष 22 जनपदों मे प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पुस्तकालयों को अनुदान

संस्थान पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण एवं डिजिटलीकरण

संस्थान कार्यालय भवन के वृहद भाग भें संस्कृत ग्रन्थों के एक पुस्तकालय की स्थापना की गयी है, जिसमें संस्कृत के लगभग 20000 मुद्रित तथा संस्कृत संस्थान में अतिमहत्त्वपूर्ण प्राचीन ताड़पत्र, भोजपत्र आदि पर 8000 संस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्थ संरक्षित हैं। पुस्तकालय के पुस्तकों की सूचना कम्प्यूटर पर उपलब्ध कराने हेतु साफ्टवेयर आदि के निर्माण, पाण्डुलिपियों की स्कैनिंग करवाकर संरक्षण एवं पुस्तकालय के आधुनिकीकरण किये जाने का कार्य संचाल्यमान है।

प्रदेश के प्रत्येक जिले में आवासीय संस्कृत विद्यालयों को समस्त आवश्यक संसाधनों सहित कम्प्यूटर, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, अलमारी तथा कम्प्यूटर हेतु टेबल एवं कुर्सी आदि का वितरण

संस्कृत पाठशालाओं के पुस्ताकालयों के आधुनिकीकरण हेतु पुस्तकालय भवन, पुस्तकें, अलमारी, कम्प्यूटर प्रिन्टर, कम्प्यूटर फर्नीचर तथा अन्य संबंधित सामग्री प्रदान किये जाने की योजना है। गत वर्ष 2019-20 में इस योजना के अन्तर्गत 72 संस्कृत विद्यालयों को उक्त सामग्री वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में संस्कृत विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं पुस्तकें वितरित किये जाने की योजना संचाल्यमान है।

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्य योजनाएं

1. पंजाबी भाषा साहित्य, संस्कृति एवं कला को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्मेलनों, गोष्ठियों कार्यशालाओं का आयोजन।

2. पंजाबी भाषा के मौलिक साहित्यिक एवं हस्त लिखित रचनाओं का प्रकाशन तथा प्रयोजनार्थ विद्वानों को सहायता प्रदान करना।
3. पंजाबी भाषा में बाल साहित्य का प्रकाशन।
4. पंजाबी भाषा में सन्दर्भ ग्रन्थों की रचना एवं उनका प्रकाशन करना।
5. अप्रकाशित श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं को पंजाबी भाषा में प्रकाशित करना।
6. पंजाबी भाषा के प्रतिभावन छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान करना।
7. पंजीकृत पंजाबी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।
8. पंजाबी भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना।
9. पंजाबी भाषा के बुजुर्ग एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
10. महत्त्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का पंजाबी भाषा में अनुवाद।

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के वर्ष **2020-21** में सम्पादित कार्यों का विवरण

1. पंजाबी भाषा के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु प्रोत्साहनवृत्ति वितरण- अकादमी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में पंजाबी विषय से उत्तीर्ण हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट के छात्रों/छात्राओं को 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों/छात्राओं को रु0 3,000/- प्रोत्साहन एवं 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को रु0 5,000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गयी।
2. पंजाबी भाषा के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु संगोष्ठी का आयोजन- अकादमी द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2020 को प्रयागराज में मीरापुर के निकट श्री गुरु नानक गुरुद्वारा, सदियापुर में "श्री गुरु नानक देव जी का सामाजिक व आध्यात्मिक जीवन" विषयक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
3. पंजाबी भाषा के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु संगोष्ठी का आयोजन- अकादमी द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 को स्काई हिल्टन होटल (नियर अपोलो हास्पिटल) सेक्टर बी, आलमबाग, लखनऊ में "वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्री गुरु नानक देव जी की वाणियों की सार्थकता" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
4. पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु कवि दरबार का आयोजन- अकादमी द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 को एक कवि दरबार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रांगण, नूरपूर, बिजनौर में "साडी बोली-साडा विरसा" का आयोजन किया गया।
5. पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु गोष्ठी का आयोजन- अकादमी द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 स्थान-अटल बिहारी वाजपेई प्रेक्षागृह, कानपुर में "शहीदी गोष्ठी" का आयोजन किया गया।
6. पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु कवि दरबार का आयोजन- दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 को लाजपत भवन लॉन, मोतीझील, कानपुर में "साडा मान साडा अभिमान" चार साहिबजादें के अन्तर्गत एक "कवि दरबार" का आयोजन किया गया।
7. पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन-दिनांक 12 जनवरी 2021 को अपना पार्क, सेक्टर डी, आलमबाग, लखनऊ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम-

लोकगीत, गिद्दा एवं भागड़ा आदि का आयोजन किया गया।

8. पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु गणतंत्र दिवस के अवसर पर झाँकी प्रदर्शन का आयोजन- दिनांक 26 जनवरी, 2021 को श्री गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को दर्शाती "गुरु तेग बहादुर हिन्द की चादर" विषयक झाँकी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।
9. पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु "स्टेज शो लाईव प्रोग्राम" का आयोजन- अकादमी द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर की जीवनी पर आधारित नाटिका "धरम हेति साका जिनि किआ" का आयोजन किया गयाः-
10. पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु "पंजाबी सरल शिक्षण" कार्यक्रम का आयोजन- उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत वर्तमान में "पंजाबी सरल शिक्षण" कार्यक्रम का बृहद रूप से विभिन्न जिलों में क्रमशः लखनऊ, कानपुर, शाहजहाँपुर, खीरी, शाहजहाँपुर, बस्ती, बहराईच, बरेली एवं बिजनौर में संचालन किये जाने की योजना है।

उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी, लखनऊ

सिन्धी भाषा, साहित्य, संस्कृति व कला के प्रचार-प्रसार, विकास, संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनाँक 07 फरवरी, 1996 की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी की स्थापना की गयी थी। अकादमी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर कार्य कर रही है। अकादमी द्वारा सिन्धी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिवर्ष विद्वत संगोष्ठी, सिन्धी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहनवृत्ति, राष्ट्रीय स्तर के सिन्धी कवि सम्मेलनों, सिन्धी नाटक, सिन्धी लोकगीत अन्य सिन्धी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अकादमी द्वारा लेखकों को प्रोत्साहनार्थ सिन्धी पुस्तकों को प्रकाशित करने एवं पुस्तको के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहयोग देने आदि जैसे कार्य समय-समय पर किये जाते हैं। शासन द्वारा अकादमी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में गैर वेतन में रु0 100.00 लाख तथा वेतन मद में रु0 28.60 लाख सहित कुल धनराशि रु0 128.60 लाख प्राविधानित है।

उ०प्र० सिन्धी अकादमी के मुख्य उद्देश्य

1. सिन्धी भाषा, साहित्य संस्कृति एवं कला को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन करना।
2. सिन्धी भाषा के मौलिक साहित्यिक एवं हस्तलिखित रचनाओं का प्रकाशन तथा इस प्रयोजनार्थ विद्वानों को सहायता प्रदान करना।
3. सिन्धी भाषा में बाल साहित्य का प्रकाशन।
4. सिन्धी भाषा में सन्दर्भ ग्रन्थों की रचना एवं उनका प्रकाशन करना।
5. अप्रकाशित श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं को सिन्धी भाषा में प्रकाशित करना।
6. सिन्धी भाषा के प्रतिभावान छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान करना।
7. पंजीकृत सिन्धी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।
8. सिन्धी भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना।

9. सिन्धी भाषा के बुजुर्ग एवं जरूरतमंद लेखकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
10. महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का सिन्धी भाषा में अनुवाद करना।

अकादमी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत दिनाँक 15 फरवरी, 2021 तक किये गये कार्यक्रमों का विवरण

1. सिन्धी छात्र प्रतियोगिता-लखनऊ

उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी द्वारा आनलाईन छात्र प्रतियोगिता कार्यक्रम दिनाँक 06 अगस्त, 2020 को गूगल जूम के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनाँक 08 अगस्त, 2020 को परिणामों की घोषणा की गयी। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश के 157 छात्र लाभान्वित हुए।

कार्यक्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया था जो निम्नवत् हैः-

अ. सिन्धी कविता वाचन प्रतियोगिता- उक्त प्रतियोगिता में 04 वर्ष से 08 वर्ष तक के छात्रो ने प्रतिभाग लिया। उक्त प्रतिभागी छात्रों द्वारा अधिकतम 03 मिनट की सिन्धी कविता को सुनाया गया।

ब. सिन्धी अनवाद प्रतियोगिता- उक्त प्रतियोगिता में 09 वर्ष से 12 वर्ष के छात्रों ने प्रतिभाग लिया। उक्त वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा हिन्दी भाषा में दिये गये 10 वाक्यों को सिन्धी भाषा में अनुवाद कर सुनाया गया।

स. सिन्धी भाषण प्रतियोगिता- उक्त प्रतियोगिता में 13 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों द्वारा सिन्धी त्यौहार, सिन्धी सन्त, कोरोना से बचाव के उपाय आदि किसी एक विषय पर अधिकतम 03 मिनट में अपने विचार सिन्धी भाषा में बोलकर उनके अभिभावकों द्वारा बनाये गये वीडियों को भेजा गया। जिसके आधार पर निर्णायकों द्वारा निर्णय किया गया।

2. सिन्धी छात्र प्रतियोगिता-आगरा- उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी द्वारा आनलाईन छात्र प्रतियोगिता का कार्यक्रम दिनाक 08 अगस्त, 2020 को गूगल जूम के माध्यम से आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम से प्रदेश के 28 छात्र लाभान्वित हुए।

3. वार्षिकी पत्रिका विमोचन कार्यक्रम- उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी द्वारा वार्षिकी पत्रिका का प्रकाशन कराया गया। उक्त पत्रिका में सिन्धी अकादमी द्वारा कराये गये कार्यक्रम, सिन्धी साहित्यकारों के लेख, सिन्धी कवियों, लेखकों, सिन्धी खानपान, सिन्धी वाद्ययंत्र आदि को सम्मिलित किया गया है।

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ की स्थापना प्रदेश की भाषा नीति के अनुसरण में भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों व संघीय राज्यों में भारतीय भाषाओं तथा उनके साहित्य के समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के लिये की गयी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रुपये 40.00 लाख (रुपये चालीस लाख मात्र) का बजट स्वीकृत किया गया।

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा वर्ष 2020-2021 में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये गये हैं:-

1. गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी- गणतंत्र दिवस परेड में भाषा संस्थान की तरफ से झांकी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाषा संस्थान को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

2. ई-राष्ट्रीय संगोष्ठी- भाषा संस्थान द्वारा भारतीय भाषाओं में राम विषय पर दिनांक 16 जनवरी, 2021 को ई-राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।
3. स्थापना दिवस- उ0प्र0 भाषा संस्थान द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 को संस्थान के स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था।
4. मराठी भाषा के उत्कृष्ट साहित्य का हिन्दी में अनुवाद- भाषा संस्थान द्वारा- नांगरणी, प्राणयांचा व्हाट्स अप आणि इतर- गोष्ठी, समरसता- साहित्य, पापुद्रे, आयाबाया कुल 5 पुस्तकों का अनुवाद कार्य किया जा चुका है।
5. संस्थान प्रकाशन - संस्थान द्वारा आधुनिक शल्य विज्ञान (3 भागों में) तथा नमामी काशी (1 भाग में) प्रकाशित कराई जा रही हैं।
6. अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी- उ0प्र0 भाषा संस्थान द्वारा दिनांक 21 फरवरी को अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें देश विदेश के विद्वान भाग लेंगे।

इन्दिरा भवन के कार्यालय कक्ष 721 के वृहद भाग में पुस्तकालय की स्थापना की गयी है, जिसमें हिन्दी भाषा के साथ-साथ कई भारतीय भाषाओं की लगभग 20000 मुद्रित पुस्तकें है। संस्थान पुस्तकालय का उपयोग मुख्य रूप से इन्दिरा भवन एवं जवाहर भवन में कार्यरत विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी व हिन्दी भाषा में रुचि रखने वाले प्रबुद्ध नागरिक करते हैं।

वर्ष 2021-22 में भी संस्थान की उक्त योजनाओं को चलाने हेतुं अनुदान की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज

एकेडेमी गतिविधियाँ (2020-21)

भारतीय भाषाओं सहित राष्ट्रभाषा हिन्दी, उसके साहित्य तथा ऐसे अन्य रूपों और शैलियों जैसे- उर्दू, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बुन्देली के संरक्षण, विकास एवं उन्नति के लिए संचालित हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज एक ऐतिहासिक संस्था है, जिसकी स्थापना धारा सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा 29 मार्च 1927 को हुई थी।

उद्देश्य

हिन्दुस्तानी एकेडेमी का उद्देश्य प्रारम्भ से लेकर वर्तमान समय तक हिन्दी, उर्दू, अवधी ब्रजभाषा, भोजपुरी, बुन्देली साहित्य की रक्षा, वृद्धि, उन्नति, साहित्य सृजन के कार्य में प्रोत्साहन, कला और विज्ञान के विभिन्न अंगो की पूर्ति के लिए उत्कृष्ट एवं प्रामाणिक संकलन ग्रंथ प्रस्तुत करना एवं साहित्यिक मानदण्ड स्थिर करने के मूलभूत उद्देश्यों को सार्थक बनाने का प्रयास करना रहा है।

उक्त सभी उद्दश्यों की पूर्ति के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 159.19 लाख की धनराशि का प्रावधान हुआ है। उक्त अनुदान के अन्तर्गत एकेडेमी द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निम्नलिखित हैः-

कार्यक्रम, व्याख्यानमाला और संगोष्ठी

1. 2 अक्टूबर, 2020 गाँधी जयन्ती के अवसर पर "गाँधी का भारत" विषयक संगोष्ठी का आयोजन।

2. 12 अक्टूबर, 2020 "हिन्दी गद्य के विकास में सरस्वती पत्रिका की भूमिका" विषयक संगोष्ठी का आयोजन।
3. 12 नवम्बर, 2020 "हिन्दुस्तानी पत्रिका के लोकनायक श्रीराम विशेषांक का लोकापर्ण समारोह"।
4. 2 दिसम्बर, 2020 "छायावादी साहित्य में नारी स्वर" विषयक संगोष्ठी का आयोजन।
5. 6 दिसम्बर, 2020 "छायावाद का शताब्दी वर्ष-2020" विषयक संगोष्ठी का आयोजन।
6. 14 दिसम्बर 2020 "राष्टीय चेतना और हिन्दी काव्य में महाराणा प्रताप" विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हिन्दुस्तानी एकेडेमी एवं महाराणा प्रताप डिग्री कालेज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी

उ0प्र0 उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना का उददेश्य भाषा का विकास, प्रचार-प्रसार एवं संक्षण व संवर्धन है। स्थापना के समय अकादमी को रु0 5.10 लाख का अनुदान स्वीकृत करके 19 जनवरी 1972 में एक नियामावली पंजीकृत कराकर शासन द्वारा साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति नामित की गई थी।

अकादमी के बढ़ते हुए कार्यकलापों के दृष्टिगत शासन ने समय-समय पर अनुदान में वृद्धि की है और वर्ष 2020-21 में रु0 9.08 करोड़ का कुल अनुदान स्वीकृत किया गया है तथा उर्दू आई0ए0एस0 स्टडी सेन्टर हेतु रु0 2.00 करोड का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

अकादमी के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः-

प्रदेश के पंजीकृत पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उर्दू पुस्तकें तथा पत्र/पत्रिकायें क्रय हेतू आर्थिक सहायता

इस योजना हेतु अकादमी के बजट में रु0 5.00 लाख की धनराशि आवंटित है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत पुस्तकालयों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उप समिति की बैठक में आवेदन-पत्रों पर अनुदान की संस्तुति की जाती है। अनुदान की न्यूनतम धनराशि रु0 10,000 तथा अधिकतम रु0 12,000 होती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 45 पुस्तकालयों को अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

उर्दू पुस्तकों पर पुरस्कार

इस मद हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 40 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। इस योजनान्तर्गत सम्पूर्ण भारत के लेखकों, कवियों एवं साहित्यकारों को उनकी उर्दू की उत्कृष्ट पुस्तकों पर पुरस्कार के अतिरिक्त साहित्यकारों एवं लेखकों को उनकी साहित्यिक सेवाओं पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जनवरी से 31 दिसम्बर तक प्रकाशित पुस्तकों को आगामी 15 जनवरी तक आमंत्रित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत रु0 5.01 लाख मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार रु0 1 लाख 51 हजार के मजमुई अदबी खिदमात के पांच पुरस्कार तथा रु0 51-51 हजार पत्रकारिता हेतु मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी के दो पुरस्कार, इसके अतिरिक्त उर्दू की श्रेष्ठता पुस्तकों पर क्रमशः रुपये पाँच हजार से पच्चीस हजार तक के पुरस्कार वितरित किये जाते

है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में पुरस्कार के लिये 300 से अधिक पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं।

लेखकों को उनकी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन पर आर्थिक सहायता

इस मद हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 15 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। पाण्डुलिपियों के प्रकाशित हो जाने पर वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस मद पर निर्धारित समस्त धनराशि व्यय की जाती है। इसका नियम यह है कि पाण्डुलिपि के 400 प्रतियों के प्रकाशन पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय के 75 प्रतिशत की धनराशि स्वीकृत की जाती है।

उर्दू पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा बाल एवं स्वतंत्रता संग्राम संबंधी साहित्य का प्रकाशन

अकादमी द्वारा विभिन्न शीर्षकों पर अब तक लगभग 500 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है जिसमें बी0ए0 और एम0ए0 की पाठ्य पुस्तकें भी सम्मिलित हैं, जो सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 15 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। इस मद हेतु रु0 15 लाख की धनराशि आवंटित है। अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री एवं प्रचार-प्रसार के लिये देश तथा प्रदेश में आयोजित होने वाले पुस्तक मेलों में भी भाग लिया जाता है।

उ०प्र० के बीमार, वृद्ध तथा आर्थिक रूप से कमजोर उर्दू कवियों तथा लेखको को आर्थिक सहायता

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस मद हेतु लगभग रु0 60 लाख की धनराशि आवंटित की गई है जिसमें वृद्ध एवं बीमार लेखकों/कवियो को उनके इलाज हेतु मासिक तथा एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लेखको को 3000 रुपये मासिक सहायता तथा 10000 से 25000 रुपये तक एकमुश्त सहायता दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में 155 से अधिक लेखको को 3000 रुपये मासिक सहायता प्रदान की जा रही है।

उर्दू छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति

इस मद हेतु रु0 80 लाख की धनराशि आवंटित की गई है जिससे कक्षा 6 से पीएच0डी0 तक के छात्रों को निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन प्राप्त करके उर्दू विषय में मेरिट के आधार पर प्रत्येक विद्यालय के दो छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का प्रावधान है।

फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी

फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का गठन सन् 1976 में हुआ था। जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में उर्दू का विकास प्रचार-प्रसार करना व कौमी यक्जहती को बढावा देना है। कमेटी पूरे भारतवर्ष के उर्दू विद्वानो, लेखको, कवियो द्वारा लिखी गयी उनकी महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपियों के प्रकाशन में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा पूरे भारत के अधिकांशतः विश्वविद्यालयों के उर्दू प्रभाग से पत्राचार एवं सम्पर्क बनाये रखा जाता है। उर्दू विषय में टापर छात्रों व उर्दू से सम्बद्ध शोध कार्यों के लिए पुरस्कार/सहायता स्वरूप पर्याप्त धनराशि प्रदान कराई जाती है। सम्पूर्ण देश के उर्दू साहित्यकारों, लेखकों आदि की पुस्तकों को प्रकाशित कराए जाने हेतु पर्याप्त सहायता दी जाती है। तात्पर्य यह है कि कमेटी द्वारा ऐसे कार्य एवं योजनाओ का संचालन कराया जा रहा है, जिससे पूरे भारतवर्ष के उर्दू प्रेमियों एवं उर्दू जगत के लोगों को लाभ प्राप्त हो सके एवं उनके मनोबल एवं विश्वास में वृद्धि हो और कमेटी का बहुमुखी विकास हो सके और कमेटी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहे। योजनाओ कार्यक्रमों का आयोजन संस्था द्वारा किया जाता है जो

निम्नवत् हैः-

1. पाण्डुलिपियों के प्रकाशनार्थ सहायता, 2. समीक्षकों को पारिश्रमिक, 3. सेमिनार/लेक्चर/समारोह आदि के आयोजनार्थ सहायता, 4. पीएच0डी0/डी0लिट् छात्रों को थीसिस हेतु सहायता, 5. गोल्ड मेडिल योजना पर व्यय, 6. लेक्चर/सेमिनार एवं खबरनामें का प्रकाशन, 7. देश की धरोहर/महत्त्वपूर्ण/उपयोगी एवं लोकप्रिय उर्दू पुस्तकों का प्रकाशन, 8. उर्दू के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालनार्थ अन्य संस्थाओं को सहायता, 9. अभाव ग्रस्त परिस्थितियो में जीवन व्यतीत कर रहे वृद्ध व निर्धन लेखकों व कवियों अथवा उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता

उर्दू पाण्डुलिपियों के प्रकाशनार्थ सहायता

यह योजना कमेटी की एक महत्त्वपूर्ण योजना है। पूरे देश के उर्दू साहित्यकारों, लेखकों, विद्वानों, शायरों, शोधकर्ताओं आदि से पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु सहायता प्राप्त होती है। एक वित्तीय वर्ष में इनकी संख्या 150 से 200 तक होती है। एक पुस्तक पर औसतन रु0 25.00 हजार की धनराशि की दर से 120 पुस्तकों पर रु0 33.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। उर्दू पाण्डुलिपियों द्वारा उर्दू साहित्य का विकास होता है।

राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, उत्तर प्रदेश

राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का गठन वर्ष 1999 में राज्य कर्मियों में साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न करने, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा सम्मानित/पुरस्कृत करने के लिए किया गया था। संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष हिन्दी एवं उर्दू कार्यरत/सेवानिवृत्त 24 साहित्यकारों को एक-एक लाख रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया जाता है तथा समाज के विभिन्न साहित्यकारों को सम्मानित भी किया जाता है। संस्थान द्वारा वर्ष 2000 से लगातार साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका "अपरिहार्य" का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा विधान भवन में एक पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन किया जाता है।

सूचना एवं प्रचार

उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और जनता की प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुँचाने में एक सुदृढ़ सेतु की भूमिका निभा रहा है। सूचना विभाग यह कार्य मीडिया की विभिन्न विधाओं जैसे- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रदर्शनी, होर्डिंग,एल.ई.डी. तथा गीत एवं नाट्य आदि के जरिए जनता तक पहुंच कर सरकार और जनता के बीच एक प्रभावी समन्वयक की भूमिका निभाता है।

शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1946 के द्वारा सूचना निदेशालय की स्थापना की गयी। इस विभाग की स्थापना का आशय यह था कि शासन 'प्रेस' के सम्पर्क में रहे और देखे कि प्रेस में भेजे जाने वाले शासकीय समाचार वास्तविक तथ्यों पर आधारित हों। वर्तमान में विभाग का प्रमुख उद्देश्य शासन की जनोपयोगी नीतियों, कार्यकलापों को विभिन्न प्रचार-माध्यमों से आम जनता तक पहुंचाना तथा आम जनता की प्रतिक्रियाओं से शासन को अवगत कराना है। इस प्रकार यह विभाग शासन व जनता के मध्य सम्पर्क-सूत्र के रूप में कार्य करता है।

सूचना क्रांति के इस युग में, जबकि संचार माध्यम बहुत सशक्त एवं आधुनिक तकनीक पर आधारित हो गये हैं और सूचना प्रेषण की गति अत्यधिक तेज हो गयी है, सूचना विभाग का कार्य-दायित्व और महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है।

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, डाक्यूमेंट्री, होर्डिंग, एल.ई.डी., प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य,सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म तथा प्रेसनोट के माध्यम से यह विभाग शासन की जनहितकारी नीतियों एवं निर्णयों को विभिन्न स्वरूपों में जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह विभाग विभिन्न प्रचारपरक प्रकाशनों द्वारा शासन की नीतियों, संकल्पों, प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों की विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी आम जन तक पहुंचाता है, साथ ही ऐसे विचारपरक प्रकाशन भी करता है, जो जनचेतना को विकसित कर सकें।

देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, लघु एवं मध्यम समाचार-पत्रों की जहां एक ओर संख्या बहुत अधिक है, वहीं दूसरी ओर इनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु सूचना विभाग का अधिकतम प्रयास यह रहता है कि सभी समाचार-पत्रों एवं पत्रकारों के लिए यथा-संभव सुविधायें उपलब्ध हो सकें, ताकि उनकी कार्य-प्रणाली में अधिक गतिशीलता आये और वे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक दिशा दे सकें।

वर्तमान में सूचना-संकलन एवं इसको अद्यतन रखने के साथ-साथ संदर्भ के रूप में इसके सार्थक उपयोग हेतु इसे जहां संरक्षित किया जाना आवश्यक है, वही सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनके तत्काल

प्रेषण की व्यवस्था का भी महत्त्व है। समय से सूचना न मिलने के कारण उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस उद्देश्य से ही विभाग को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इस दिशा में अभी तक लखनऊ स्थित मुख्यालय, मा0 मुख्यमंत्री सूचना परिसर,सूचना ब्यूरो एवं राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली तथा जनपदीय कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित कराये जा चुके हैं और देश के सभी भागों में ई-मेल द्वारा समाचार व चित्रों का त्वरित गति से संप्रेषण हो रहा है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संरचना कुछ इस प्रकार से की गयी है कि शासन की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक सीधे पहुंच सके, ताकि वह जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें।

लखनऊ स्थित मुख्यालय द्वारा विभिन्न जनसंचार माध्यमों से समाज के आखिरी व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंच सकें, इस निमित्त पत्र सूचना शाखा तथा मा0 मुख्यमंत्री सूचना परिसर से प्रेस विज्ञप्तियों के अतिरिक्त लेख, फीचर आदि जारी किये जाते हैं। पारम्परिक जन संचार माध्यम, गीत एवं नाट्य, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण जनता तक क्षेत्रीय लोक शैलियों के जरिए मनोरंजन करते हुए नाटकों, रूपकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रचार-प्रसार कर कल्याणकारी नीतियों के जनहितकारी संदेश आम जन तक पहुंचाये जाते हैं। फिल्म के माध्यम से भी आम जन को शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाता है। होर्डिंग, एल.ई.डी.एवं सोशल मीडिया के विभिन्न विधाओं के माध्यम से भी प्रमुख योजनाओं और अद्यतन उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। फोटो-फिल्म प्रभाग द्वारा नियमित रूप से प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रकाशनार्थ एवं प्रसारणार्थ भेजा जाता है।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा तीन नियमित महत्त्वपूर्ण मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें विकास परक **''उत्तर प्रदेश संदेश''** साहित्य, संस्कृति और विचार की साहित्यिक पत्रिका **''उत्तर प्रदेश''** विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उर्दू अदब की **''नया दौर''** अत्यधिक लोकप्रिय पत्रिका है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों की उपलब्धियों की संदर्भ पुस्तक **''उत्तर प्रदेश वार्षिकी''** तथा शासन के कार्यालयों/दूरभाष की जानकारी से युक्त **''सूचना डायरी/सूचना निदर्शनी''** का भी नियमित प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर सरकार के अन्य कार्यक्रमों, उपलब्धियों पर पुस्तकें, प्रसार सामग्री प्रकाशित की जाती है।

प्रेस प्रभाग द्वारा पत्रकारों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाचारों के संकलन की सुविधा हेतु प्रेस मान्यता प्रदान कर प्रेस कार्ड निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। सचिवालय एनेक्सी तथा लोक भवन में मीडिया सेन्टर संचालित है, जो विविध रूपों से पत्रकारगणों को सुविधा प्रदान करता है।

समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश पत्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों में रियायती यात्रा सुविधा तथा सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें तथा उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

विज्ञापन प्रभाग द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों को समय-समय पर सजावटी एवं वर्गीकृत विज्ञापन निर्गत किये जाते हैं। निरीक्षा शाखा द्वारा समाचार पत्रों की विषयवार कतरनों को प्रतिदिन मा0 मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों तथा सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवों को भिजवाये जाने की व्यवस्था है, ताकि मीडिया द्वारा प्रकाश में लाए गये विषयों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। साथ ही समाचार पत्रों की प्रतिदिन निरीक्षा भी की जाती है।

राज्य सूचना केन्द्र, हजरतगंज तथा संदर्भ शाखा द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सुविधा के लिए संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। ''फिल्म नीति'' के अन्तर्गत गठित ''फिल्म बन्धु'' के माध्यम से प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु व्यवस्था की गयी है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र प्रचार संगठन के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में से समस्त जनपदों में जिला सूचना कार्यालय संचालित हैं, जो स्थानीय स्तर पर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, प्रेस विज्ञप्तियों तथा लेख/फीचर आदि द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है। जिला स्तरीय ये इकाइयां जिलाधिकारी के निर्देशन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया प्लान बनाकर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार करती हैं। लाल बहादुर शास्त्री भवन, एनेक्सी तथा लोक भवन में प्रचार-प्रसार के आधुनिक संसाधनों से लैस मीडिया सेण्टर है जिसमें प्रेस कान्फ्रेन्स आयोजित करने के लिए सभागार, पुस्तकालय तथा पत्रकारों के लिए समाचार भेजने हेतु एक अत्याधुनिक कम्प्यूटर रूम जो इण्टरनेट आदि की सुविधा से युक्त है, स्थापित है। यह मीडिया सेण्टर अपने आप में एक अनूठा एवं मीडियाकर्मियों के लिए सुविधाजनक मीडिया स्थल है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक चैनल्स पर उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित प्रसारित होने वाले समाचारों की रिकार्डिंग आदि का कार्य इलेक्ट्रानिक मीडिया सेल द्वारा किया जाता है, जिसे और अधिक सुदृढ़ करने की कार्यवाही की जा रही है।

विभागीय कार्य-कलापों का विवरण

पत्र सूचना शाखा

शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों तथा घोषणाओं की जानकारी विभिन्न प्रचार माध्यमों, समाचार-पत्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि द्वारा जनता तक पहुँचाने का कार्य पत्र सूचना शाखा का है। इस शाखा द्वारा प्रेस-नोट, लेख/फीचर तथा समीक्षात्मक आलेख समय-समय पर जारी किये जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा अन्य विशेष अवसरों पर इस शाखा द्वारा विशेष लेख, राउण्ड-अप आदि हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में एक साथ जारी किये जाते हैं। जनवरी, 2021 से जनवरी,2022 तक कुल 10,357 विज्ञप्तियाँ जारी की गयी हैं। इनमें हिन्दी में 6946,अंग्रेजी में 468 तथा उर्दू में 2764 तथा लेख 297 जारी किये गये हैं। शासन की विज्ञप्तियों व संदर्भ चित्रों को वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही समाचार पत्रों को प्रेस नोट ई-मेल के माध्यम से भेजने का कार्य भी इसी शाखा द्वारा किया जाता है।

प्रेस प्रभाग

शासन एवं पत्रकारों के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं श्रमजीवी पत्रकारों को समाचार संकलन की सुविधा उपलब्ध कराकर शासन की नीतियों का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने में सहायता देने के उद्देश्य से प्रेस प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं-

मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस मान्यता मार्गदर्शिका 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत शासन द्वारा राज्य मुख्यालय और जनपद स्तरीय मान्यता प्रदान करके पत्रकारों को राज्य मुख्यालय तथा प्रदेश के सभी जनपदों में प्रेस मान्यता कार्ड जारी किये जाते हैं। इन कार्डों से पत्रकारों को समाचार संकलन के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर आने-जाने की सुविधा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा तथा रियायती दरों पर रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों की भांति राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त होती है। राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एस.जी.पी.जी.आई. में भी निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।

सभी जिलों में पत्रकारों तथा जिला प्रशासन के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य सचिव/संयोजक जिला सूचना अधिकारी होते हैं। यह समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित करके पत्रकारों की समस्याओं से सम्बन्धित शिकायतों पर विचार करती है और यदि कोई शिकायत उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजी जाती है तो प्रेस प्रभाग द्वारा उसमें कार्यवाही की जाती है, पत्रकारों द्वारा सीधे भी यदि कोई शिकायत प्रेस प्रभाग में प्राप्त होती है, तो उसका निस्तारण किया जाता है।

महामहिम श्री राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मंत्रीगण तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा आहूत पत्रकार सम्मेलन/पत्रकार भ्रमण आदि के लिए अतिथ्य सत्कार की व्यवस्था भी प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है।

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्रकारों के सम्बन्ध में की गयी घोषणाओं के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। प्रेस से सम्बन्धित अन्य आकस्मिक कार्य भी प्रेस प्रभाग द्वारा संपादित कराया जाता है।

विज्ञापन प्रभाग

1 अप्रैल, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा, विशेष भूमि अध्याप्ति, शिक्षा, ऊर्जा, दुग्ध विकास, अवस्थापना विकास एवं अन्य विभागों के कुल 10,806 वर्गीकृत एवं 439 शीर्षकीय सजावटी विज्ञापन जारी किये गये हैं।

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

शासन के विकासपरक कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाने तथा मीडिया एवं जिला प्रशासन विभिन्न इकाइयों के माध्यम से जिला स्तर पर जनता से सीधा सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में जिला सूचना कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें 18 मण्डलीय सूचना कार्यालय सम्मिलित है। जिला सूचना कार्यालय द्वारा जनपद में मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मंत्री व जनप्रतिनिधियों आदि के भ्रमण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के साथ ही शासन की

योजनाओं तथा उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार को प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अपने स्तर से प्रेस नोट जारी करते हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र प्रचार संगठन जनपद स्तर पर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। जनपद स्तर पर प्रदर्शनियों, गीत एवं नाट्य के कार्यक्रम, प्रचार गोष्ठियों, होर्डिंग्स/एल0ई0डी0 प्रेस विज्ञप्तियों तथा लेख/फीचर, सफलता की कहानी आदि द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है। मण्डल एवं जिला स्तरीय उक्त इकाइयां जिलाधिकारी के निर्देशन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया प्लान बनाकर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार करती हैं।

जनपदीय इकाइयों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जनपदों में सी.यू.जी., कम्प्यूटर/प्रिंटर तथा फोटो कॉपियर, फैक्स, कैमरा/वीडियो कैमरा, इनवर्टर एवं प्रचार वाहन आदि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। सभी कार्यालय इंटरनेट के माध्यम से मुख्यालय से जोड़े गये हैं। परिणामस्वरूप जिलों से संबंधित महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित दैनिक एस0एम0एस0 व पाक्षिक फीडबैक रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त होती है।

वर्तमान में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में अयोध्या मण्डल के जिला मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेन्टर की स्थापना की गई है तथा मण्डल गोरखपुर के जिला मुख्यालय तथा शाहजहाँपुर में सूचना कार्यालय भवन तथा प्रेस क्लब का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जनपदों में भी जिला सूचना कार्यालय भवन तथा प्रेस क्लब के लिए स्थायी संयुक्त भवन बनवाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

सूचना ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना ब्यूरो द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं उपलब्धियों की समुचित जानकारी करायी जाती है:-

- हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा संस्कृत में प्रेस नोट।
- प्रदेश सरकार के बजट हाईलाइट्स तैयार करना।
- विज्ञापन एडवर्टोरियल आदि के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराना एवं तैयार किये गये विज्ञापन एडवर्टोरियल आदि का कंटेट तैयार करना।
- प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण से सम्बन्धित फीचर एवं लेख सफलता की कहानी तैयार कराकर प्रकाशित कराना।
- इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना।
- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गाँधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाये जाने संबंधित शासनादेश का आलेख तैयार करना।
- विभागीय पुस्तिकाओं, पम्फलेट आदि को तैयार करने हेतु आधार सामग्री उपलब्ध कराना।

ग्रामीण प्रसारण शाखा-आकाशवाणी, लखनऊ

विधान सभा मार्ग आकाशवाणी परिसर स्थित ग्रामीण प्रसारण शाखा (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ.प्र.) का मुख्य उद्देश्य प्रदेश एवं केन्द्र सरकार में चल रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को रेडियो प्रसारण के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाना ताकि आम आदमी राज्य एवं केन्द्र सरकार की नीतियों से भली-भाँति परिचित हो तथा उनका लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकें।

इसी कड़ी में अनुभाग द्वारा आकाशवाणी से दो कार्यक्रम क्रमशः श्रमिक जगत (औद्योगिक कार्यक्रम) सायं 5.35-6.00 बजे तथा लोकायन (ग्रामीण कार्यक्रम) सायं 6.30-06.50 तक प्रसारित किया जाता है। उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से ही प्रदेश में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रम तथा योजनाओं को प्रसारित कर जनसामान्य का अंग बनाया गया ताकि वे उनका लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भेंटवार्ताएं कर 'सफलता की कहानी' भी प्रसारित की गयी ताकि ग्रामीण और शहरी भाई-बहन अपने बीच के व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गयी योजनाओं के लाभ से प्रेरित होकर स्वयं भी उनका लाभ लेने के लिये आगे आयें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।

उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से महिला शिक्षा और सुरक्षा, बालश्रम उन्मूलन, उपभोक्ता संरक्षण, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, भूजल-वर्षा जल संरक्षण, दिव्यांगजनों की तरक्की हेतु हर संभव मदद, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यटन, उ0प्र0 में कौशल विकास मिशन, कौशल विकास (टेक्सटाइल डिजाइनिंग) कौशल विकास के नये आयाम, प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं, वृद्धजन कल्याण हेतु शासन की योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा शहरी आजीविका मिशन, बुनकर कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा का अधिकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उ0प्र0 की नयी औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन, लघु उद्योग विकास, खादी ग्रामोद्योग की योजनायें, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, भाग्यलक्ष्मी योजना, गोपालक योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री विकास एवं सर्वहित बीमा योजना, हेल्थकार्ड, लाडली योजना, पशुओं का टीकाकरण, उ0प्र0 शौचालय निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, कामधेनु डेरी योजना, उ0प्र0 में एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध, सौर ऊर्जा, चिकित्सा सुविधा, उ0प्र0 में ई-गवर्नेंस, जन सुविधा केन्द्र, हस्तशिल्प विकास, उ0प्र0 में औद्योगिक विकास का सुनियोजित प्रयास, इसके साथ ही स्टार्टअप इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जनधन खाता धारकों के लिए बीमा योजना, पोक्सो एक्ट-2019, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, वरूण मित्र योजना, पीएम यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, प्रधानमंत्री सम्पन्न योजना पोर्टल, रायतू बंधु योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मिशन इन्द्रधनुष, सुकन्या समृद्धि योजना। मतदाता जागरूकता, (एक जिला एक उत्पाद योजना, आरोग्य सेतु, नयी शिक्षानीति, कोरोना महामारी, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना, उ0प्र0 भूलेख, भाग्यलक्ष्मी योजना, उ0प्र0 गोपालक योजना) नशा उन्मूलन, पल्स पोलियो, सड़क सुरक्षा अभियान। अल्पसंख्यक कल्याण, प्रधानमंत्री मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना, आयुष्मान भारत योजना, गंगा हरीतिमा अभियान, मिशन इन्द्रधनुष, जी.एस.टी.,

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, मेक-इन-इण्डिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक भारत-श्रेष्ठ भारत, साइबर अपराध से बचें, भारत नेपाल सम्बन्ध, स्किल इण्डिया, नमामि गंगे, हंड्रेड स्मार्ट सिटीज, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सबके लिए आवास, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेवजयते, प्रधानमंत्री ग्राम्य सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजनायें, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, कुसुम स्कीम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, आदि योजनाओं की और कानून की जानकारी वार्ता तथा भेंटवार्ता प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत/सन्देश आदि प्रसारित किये गये तथा आगे भी किये जायेंगे, कार्यक्रम को रोचक बनाने हेतु उसमें संगीतरूपक, नाटक, नौटंकी, लोकगीत, कविता, कहानी, परिचर्चा आदि को भी शामिल किया गया।

माह अप्रैल से माह दिसम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक की प्रेस विज्ञप्तियों/लेखों का विवरण

माह	हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	लेख	योग
दिसम्बर, 2019	467	90	138	08	704
जनवरी, 2020 से	468	13	160	09	710
फरवरी	249	30	70	06	355
मार्च (कोविड-19)	237	12	65	00	314
अप्रैल	397	00	20	00	417
मई	324	00	80	00	404
जून	352	28	115	04	499
जुलाई	304	30	104	00	438
अगस्त	250	08	62	05	425
सितम्बर	403	00	107	07	517
अक्टूबर	648	67	180	38	933
नवम्बर	543	92	194	32	861
दिसम्बर, 2020 तक	681	163	203	20	1067
कुल योग	**5323**	**533**	**1498**	**129**	**7644**

राज्य सूचना केन्द्र, लखनऊ

लखनऊ स्थित निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क द्वारा स्थापित एक बहुयामी राज्य स्तरीय राज्य सूचना केन्द्र हजरतगंज में स्थापित है। यह लखनऊ में राज्य स्तर का पुस्तकालय है, जहाँ पर दुर्लभ सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध हैं जो कि शिक्षारत शोधार्थियों के लिए लाभप्रद है, इसके साथ ही केन्द्र में सभी विषयों पर आधारित लगभग 30,540 पुस्तकों का संकलन है। लगभग 24,000 पुस्तकों की डाटा इन्ट्री कम्प्यूटर में की गयी है। केन्द्र में वर्तमान समय में 43 पत्रिकाएं, जिसमें देशी व विदेशी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपलब्ध है। केन्द्र के वाचनालय में हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा के 20 समाचार

पत्र उपलब्ध हैं। पुस्तकालय एवं वाचनालय में पाठकों, आगंतुकों एवं सदस्यों के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था है। केन्द्र के प्रेमचन्द्र कक्ष में प्रतियोगिता से सम्बन्धित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था के साथ-साथ बंगला साहित्य भी उपलब्ध है। सूचना केन्द्र का वाचनालय प्रातः 08:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक तथा पुस्तकालय पूर्वाह्न 11:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक एवं पुराने समाचार पत्रों को देखने हेतु पूर्वाह्न 11:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक खुला रहता है।

अतः राज्य सूचना केन्द्र को अधिक उपयोगी बनाने हेतु शासन/प्रशासन अधिक प्रयासरत है।

प्रकाशन शाखा-

प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रचार-साहित्य के माध्यम से आम जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों की समुचित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस शाखा द्वारा सावधि प्रकाशनों के साथ ही प्रचार-पुस्तिकाएं, फोल्डरं, काफीटेबल बुक, पुस्तकें तथा एलबम आदि प्रकाशित कराये जाते हैं। इसके साथ ही स्थायी महत्त्व के विचारात्मक प्रकाशन एवं मा. मुख्यमंत्री जी के चुने हुए भाषण भी प्रकाशित किये जाते हैं।

नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका '**उत्तर प्रदेश**' (हिन्दी मासिक), '**नया दौर**' (उर्दू मासिक) तथा विकासपरक पत्रिका '**उत्तर प्रदेश संदेश**' (हिन्दी मासिक) तथा विभाग का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन **''पंचांग'', ''सूचना डायरी'', ''वार्षिकी उ0प्र0''** का प्रकाशन किया जाता है।

2021

1. वर्षों में जो-न हो पाया 04 वर्ष में कर दिखाया- विधानसभावार बुकलेट एवं पॉकेट बुक
2. इरादे नेक काम अनेक - फोल्डर
3. वर्षों में जो न हो पाया 04 वर्ष में कर दिखाया- फोल्डर
4. उ0प्र0 वार्षिकी - हिन्दी व अंग्रेजी में 2020
5. उत्कृष्ट पद्धतियाँ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना भवन का - हिंदी व अंग्रेजी में
6. कोरोना वायरस का खतरा घटायें - पोस्टर एवं पम्पलेट
7. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत - बैग एवं पत्र लिफाफा
8 विकास की लहर हर गाँव हर शहर- बुकलेट एवं फोल्डर(4.5 वर्ष पूरे होने पर)
9 फिल्म नीति 2021- हिन्दी एवं अंग्रेजी
10. श्री काशी विश्वनाथ धाम - छोटी व बड़ी बुकलेट
11. लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी आधी, आधी आबादी की बढ़ती हिस्सेदारी- निर्वाचन
12. लोकहित के मुखर स्वर - राजभवन खण्ड -2
13. राजभवन उमंग (त्रैमासिक पत्रिका)
14. नया दौर (उर्दू) - नवम्बर 2019 से अक्टूबर 2020 तक
15. उ0प्र0 संदेश - जून 2019 से नवम्बर 2020 तक (संयुक्तांक)
16. उ0प्र0 मासिक - फरवरी 2019 से नवम्बर 2021 तक (संयुक्तांक)
17. **मुफ्त** टीका लगवाएं कोरोना को घटायें -पोस्टर

मुख्यमंत्री सूचना परिसर,

मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस-विज्ञप्तियां इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट तथा डिजिटल मीडिया को उपलब्ध करायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, मा0 मुख्यमंत्री जी के उपयोगार्थ भाषण तथा उनकी ओर से भेजे जाने वाले संदेश भी तैयार किये जाते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्तियों व फोटों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी कराया जाता है। मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णयों के प्रचार-प्रसार का दायित्व निर्वहन भी किया जाता है।

मा0 मुख्यमंत्री रिकॉर्डिंग यूनिट

माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषणों के ध्वन्यांकन हेतु गठित यह इकाई भाषणों की रिकार्डिंग के पश्चात् भाषणों को लिप्यांतरित करती है, और उन्हें सम्पादित करती है। मीडिया के विभिन्न लोगों द्वारा लिये जाने वाले मा. मुख्यमंत्री जी के साक्षात्कारों तथा उच्चादेशों से अन्य महत्त्वपूर्ण बैठकों, गोष्ठियों की सम्पूर्ण रिकार्डिंग कराकर उन्हें लिप्यांतरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर प्रचार-प्रसार की दृष्टि से विशिष्ट व्यक्तियों से लिये गये साक्षात्कार तथा विभिन्न इलेक्ट्रानिक चैनलों पर प्रसारित होने वाले साक्षात्कार एवं रिपोर्ट आदि भी लिप्यांतरित कर संदर्भ के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं।

मा. मुख्यमंत्री जी के सभी भाषणों को रिकार्डिंग के पश्चात लिप्यांतरित करके सम्पादन के बाद संदर्भ सामग्री के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही महत्त्वपूर्ण एवं नीतिगत भाषणों को छांटकर उनका प्रकाशन भी करवाया जाता है। पत्रकारों, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों एवं विविध संस्थाओं द्वारा मांग किए जाने पर भाषणों की प्रति एवं उनसे संबंधित कैसेट एवं ऑडियो सी.डी. उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी के भाषणों से मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण अंश संकलित कर उनका प्रयोग ''उत्तर प्रदेश सन्देश'' एवं विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2021-22 में मा. मुख्यमंत्री जी के लगभग 162 भाषण रिकॉर्ड हुए, जिनको लिप्यांतरित और सम्पादित किया गया।

गीत एवं नाट्य प्रभाग

इस योजना के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा- आल्हा, भजन, कव्वाली, कठपुतली, नृत्य, क्षेत्रीय लोकगीत, जादू, नाटक, नौटंकी आदि विधाओं द्वारा शासन की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों का विभिन्न स्थानीय बोली तथा भाषा में सुदूर ग्रामीण अंचलों में प्रचार-प्रसार किया जाता है। गीत एवं नाट्य योजना को विस्तृत रूप देने के उद्देश्य से सूचना निदेशालय स्तर पर पंजीकृत 721 सांस्कृतिक दलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों तक प्रदेश की समस्त योजनाओं एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। दिनांक 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक प्रदेश में कुल 58881 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस माध्यम से शासन की विभिन्न जनहितकारी नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों, कोरोना लक्षण से बचाव, नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत का प्रचार-प्रसार किया गया। इस योजना द्वारा प्रचार अभियान के माध्यम से स्वच्छता एवं पेयजल, सामाजिक कल्याण, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि तमाम जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कराया गया है।

प्रदर्शनी

सूचना विभाग द्वारा समय-समय पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शासन की नीतियों, उपलब्धियों आदि की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। प्रदेश की आम जनता को उनकी सांस्कृतिक तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी एवं आपसी सद्भाव का संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों का आयोजन काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। शासन की प्रमुख नीतियों, उपलब्धियों, निर्णयों और भावी योजनाओं को आकर्षक चित्रों, कोलाज, पैनल, वर्किंग मॉडल एवं ट्रांसलाइट के माध्यम से प्रदर्शनी किट के रूप में तैयार कराकर उसे जिलों में भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि मेलों तथा अन्य आयोजनों के अवसर पर प्रदर्शनी द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शासन का संदेश पहुंचाया जा सके।

मुख्यालय द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय नेताओं एवं महान विभूतियों के कार्यों, चिंतन एवं जनहित में उनके क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदर्शनी प्रभाग द्वारा उन पर नियमित प्रदर्शनी सामग्री के माध्यम से प्रदेश में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

राम नवमी मेला, अयोध्या श्रावण मेला अयोध्या, देवां मेला बाराबंकी, छोटी दीपावली पर्व अयोध्या-दीपोत्सव,अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली,अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, बिठूर महोत्सव कानपुर, माघ मेला प्रयागराज, गोरखपुर महोत्सव , यू0पी0 दिवस, लखनऊ महोत्सव एवं अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर विभिन्न जनपदों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है और किया जायेगा। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष एवं 4.5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर प्रदेश सरकार के प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में प्रदर्शनी स्थापना करायी गयी।

होर्डिंग्स/एल.ई.डी.

शासन की नीतियों एवं उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जिसमें होर्डिंग्स एक सशक्त माध्यम है। इस माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को जनसाधारण तक व्यापक स्तर पर पहुँचाया जाता है।

इसके अतिरिक्त शासन की नीतियों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु लखनऊ तथा प्रदेश के कई जनपदों में एल.ई.डी. डिस्पले बोर्ड की स्थापना कराई गई तथा शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एल.ई.डी. वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया गया। इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी एल0ई0डी0 डिस्पले बोर्ड एवं एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से कराया गया।

राष्ट्रीय समारोह

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की ओर से दिल्ली परेड में एवं मुख्यालय द्वारा लखनऊ परेड में भव्य झांकी प्रदर्शित करायी जाती है। ये झांकियां उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा महापुरुषों की जीवनी, उद्योग-धन्धे, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों, विकास एवं उपलब्धियों आदि पर आधारित होती है। विगत तीन वर्षों से झांकियों पर विभाग को पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित परेड में **''ओ0डी0ओ0पी, काशी विश्वनाथ धाम''** के शीर्षक से सम्बन्धित झांकी प्रदर्शित की गयी, जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार लखनऊ में आयोजित परेड में **''उत्तर प्रदेश के विकास एवं सांस्कृतिक गौरव की आत्माः काशी''** शीर्षक पर आधारित एक भव्य एवं आकर्षक झांकी निकाली गयी, जिसे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशां नामक संस्था द्वारा महरौली, दिल्ली में आयोजित **'फूल वालों की सैर'** में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के अनेक प्रान्त भाग लेते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से सूचना विभाग द्वारा उक्त कार्यक्रम में सांम्प्रदायिक सदभावना एवं एकता के प्रतीक स्वरूप एक पंखा सूफी संत हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार पर तथा दूसरा पंखा पांडव कालीन योगमाया के मंदिर में चढ़ाया जाता है। यह कार्यक्रम हिन्दू मुस्लिम भाईचारे को प्रदर्शित करता है।

अन्वेषण एवं अनुलेखन कक्ष

(सन्दर्भ पुस्तकालय)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में सन्दर्भ पुस्तकालय स्थापित है, जिसमें कार्यालय अभिलेखानुसार लगभग 30,000 सन्दर्भीय महत्त्व की पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में प्रदेश एवं देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर आधारित महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पुस्तकें हैं। इयर बुक्स, आर्थिक एवं विकास संबंधी विषयों पर पर्याप्त पुस्तकें हैं। साहित्य, संस्कृति एवं कला क्षेत्रों से संबंधित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें भी पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। गजेटियर, मास मीडिया, कम्प्यूटर, पत्रकारिता, इतिहास, बायोग्राफीज आदि विषयों पर पुस्तकों का बेहतर संग्रह है, जिसका लाभ शोधार्थी छात्र-छात्राएं, महानुभाव, वरिष्ठ पत्रकार इत्यादि पुस्तकालय स्टाफ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य होने से पुस्तकालय की उपयोगिता बढ़ जायेगी। यह पुस्तकालय समय-समय पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है।

सूचना विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत संदर्भ पुस्तकालय द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

- संदर्भ पुस्तकालय के प्रयोगार्थ प्रतिवर्ष आवंटित बजट के अनुसार संदर्भीय महत्व की अद्यतन पुस्तकें क्रय की गयीं।
- संदर्भ पुस्तकालय में विजीटर्स यथा अधिकारियों/कर्मचारियों, पत्रकारों, लेखकों, शोधार्थियों, गणमान्य अतिथियों, पाठकों एवं आगन्तुकों को उनकी मांगानुसार पाठ्य एवं चयनित सामग्री की फोटोकापी इत्यादि की सुविधा मुहैया कराई गई।
- संदर्भ पुस्तकालय में नियमित रूप से आने वाले समाचार-पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं पत्रिकाओं (साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक) की प्राप्ति एवं पाठकों को उनकी मांगानुसार उपलब्ध कराना।
- वार्षिकी उ0प्र0 2020 (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) में सम्मिलित किये जाने वाली विभिन्न विभागों से प्राप्त आधारभूत सामग्री के सम्पादन/प्रूफरीडिंग इत्यादि का कार्य संदर्भ पुस्तकालय द्वारा

सम्पन्न किया गया। इसी क्रम में वार्षिकी उ0प्र0-2021 (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) के प्रकाशन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

- भारत सरकार से नियमित रुप से प्रकाशित होने वाले संदर्भ ग्रन्थ भारत/INDIA (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) में सम्मिलित किये जाने वाले उ0प्र0 से सम्बन्धित अध्याय को संदर्भित प्रभाग से अद्यतन कराकर रिपोर्ट संदर्भ पुस्तकालय द्वारा भिजवाई जाती है। इसी क्रम में भारत /INDIA -2022 के प्रकाशन हेतु उ0प्र0 से संबंधित रिपोर्ट अद्यतन कराकर भिजवाई गयी।
- प्रतिवर्ष की भाँति ''मास मीडिया इन इण्डिया'' की रिपोर्ट अद्यतन कराकर भिजवाई गयी।
- उच्चादेश के क्रम में चयनित पुस्तकों का बल्क पर्चेज कर निकासी शाखा के माध्यम से उनका जिलों में वितरण कराया गया।

निरीक्षा शाखा के कार्य

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का **निरीक्षा प्रभाग** सूचना सम्बन्धी कार्यों का महत्त्वपूर्ण प्रभाग है। विभाग की यह शाखा शासन की प्रिण्ट मीडिया को 'फीडबैक' उपलब्ध कराती है। इस प्रभाग का कार्य सामान्यतः प्रातः 5.00 बजे से सायं देर तक दो पालियों में होता है। प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों, दिल्ली एवं अन्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू के प्रमुख समाचार पत्र/पत्रिकाओं एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र/पत्रिकाओं की निरीक्षा (Scrutiny) की जाती है। निरीक्षा शाखा द्वारा समस्त समाचार पत्र/पत्रिकाओं की नियमितता आदि का कार्य प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट-1876 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। निरीक्षा प्रभाग द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत हैः-

• प्रभाग द्वारा ''फीडबैक'' सिस्टम को प्रभावी बनाने हेतु प्रतिदिन प्रकाशित समाचारों की सूचनाओं की क्लिपिंग्स की फाइल बनाकर मा0 श्री राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव,अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह, प्रमुख सचिव सूचना, एवं अन्य उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाती है।

• प्रभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों से प्रतिदिन प्रकाशित महत्वपूर्ण/ संवेदनशील समाचारों की क्लिपिंग्स ई-मेल के माध्यम से उच्चाधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध करायी जाती हैं।

• प्रभाग द्वारा समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण क्लिपिंग्स को प्रतिदिन सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाता है। ताकि आम-जन नवीनतम शासकीय योजनाओं, उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से अवगत हो सकें।

• प्रभाग के प्रभारी एवं समस्त टीम द्वारा वेबमीडिया (वाटसएप) के माध्यम से महत्वपूर्ण समाचारों को तत्काल प्रभाव से उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है।

• प्रभाग द्वारा विशेष अवसरों पर सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों के सम्बन्ध में बुकलेट तैयार कर उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाती है।

• मा0 मंत्रीगण के साथ कार्यरत सूचना अधिकारियों को भी प्रभाग द्वारा प्रतिदिन प्रमुख

समाचारों की क्लिपिंग्स उपलब्ध करायी जाती है।

• प्रभाग द्वारा प्रदेश एवं दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों का सेट तैयार कराना एवं उसकी बाइंडिंग के उपरान्त उसे निरीक्षा स्टोर में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर सन्दर्भित सूचनाएं उपलब्ध करायी जा सके।

• प्रभाग द्वारा उर्दू समाचार पत्रों के बिलों का परीक्षण किया जाता है।

• प्रभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों से प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिकाओं का अंकन किया जाता है।

• प्रभाग द्वारा समाचार पत्र/पत्रिकाओं के अंकन के आधार पर उनकी नियमित/ अनियमित रिपोर्ट सूचीबद्धता विज्ञापन प्रभाग एवं प्रेस प्रभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

फोटो-फिल्म शाखा

फोटो -फिल्म शाखा, उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके माध्यम से मा0 राज्यपाल जी, मा0 विधानसभा अध्यक्ष जी, मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों तथा मुख्यसचिव, एवं अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, व अन्य विशिष्ट जनों के दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 22 जनवरी 2022 तक विभाग द्वारा 8500 फोटो, तथा 6800 वीडियो कवरेज दूरदर्शन, अन्य चैनलों, सामाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया को उपलब्ध कराया गया। मा0 मुख्यमंत्रीजी के कार्यकाल की महत्वपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित चित्रों व वीडियों को विभिन्न प्रेस सोशल मीडिया एवं विभिन्न सामाचार पत्रों/ चैनलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध कराया गया तथा बड़े साइज के चित्र प्रिंट कराकर मांगों की पूर्ति करायी गयी है।

फिल्म बन्धु

वर्तमान में फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित फिल्म नीति-2018 प्रख्यापित की गयी है। फिल्म नीति-2018 के बाद से फिल्म बन्धु, उ.प्र. को लगभग 450 से अधिक फिल्म अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं, जिन पर प्रभावी व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में फिल्म-निर्माण के साथ ही स्थानीय कलाकारों को रोजगार व फिल्म इन्डस्ट्री के माध्यम से पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा इसके सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उक्त फिल्म नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 20 फिल्मों को तथा वर्ष 2021-22 में 42 फिल्मों को अनुदान प्रदान किया गया। फिल्म नीति-2018 के अन्तर्गत अवधी, ब्रज, बुन्देली, भोजपुरी फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तथा हिन्दी, अंग्रेजी तथा देश की अन्य भाषाओं में निर्मित फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत तक दिये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में निर्मित उपरोक्त उल्लिखित फिल्मों, जिनके कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवस की शूटिंग अथवा दो तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा क्रमशः रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) अथवा रु. 2,00,00,000 (रुपये दो

करोड़ मात्र) तक दिये जाने की व्यवस्था है।

किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है/निर्मित की जाती है, जिसके मुख्य पाँच कलाकार अथवा समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के ही हों, उक्त फिल्म हेतु उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से पाँच कलाकारों अथवा समस्त कलाकारों हेतु क्रमशः रु. 25,00,000/- (रु. पच्चीस लाख मात्र) अथवा रु. 50,00,000/- (रु. पचास लाख मात्र) जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

किसी फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्म की प्रोसेसिंग प्रदेश में ही की जाती है, तो उक्त प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 50.00 लाख का अनुदान, जो भी कम हो, अतिरिक्त रूप से दिये जाने की व्यवस्था है।

कोई निवेशक उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में (नोएडा/ग्रेटर नोएडा को छोड़कर) फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलता है, तो लागत धनराशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 50.00 लाख में से जो भी कम हो, को अधिकतम अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

उक्त व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन तथा फिल्म-निर्माताओं को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जनपद स्तर पर शासन द्वारा निम्नानुसार ''फिल्म-प्रमोशन एण्ड फैसेलिटेशन कमेटी'' का गठन किया गया है :-

1. जिलाधिकारी -अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक -सदस्य
3. अपर जिलाधिकारी (जिलाधिकारी द्वारा नामित) सदस्य/नोडल अधिकारी
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी/प्रभारी जिला सूचना अधिकारी-सदस्य/संयोजक
5. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी -सदस्य

उक्त कमेटी फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर शूटिंग स्थल की अनुमति, फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस/पर्यटन अतिथि गृह में उनके ठहरने की व्यवस्था तथा शूटिंग के बाद शूटिंग दिवसों के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र के समयबद्ध निर्गमन आदि का अनुश्रवण करती है तथा जनपद में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाइयों का त्वरित निराकरण भी करती है।भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति रु. 25,000/- दी जायेगी।

प्लान सेल

प्लान सेल द्वारा विभाग की योजनाओं को तैयार करने, उनका अनुश्रवण तथा व्यय से सम्बन्धित आंकड़े तथा शासन द्वारा तत्सम्बन्धित अपेक्षित अन्य सूचनाएं एवं आंकड़े तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाते हैं।

टी.वी. शाखा

सूचना निदेशालय में सामुदायिक दूरदर्शन योजना **टी.वी. शाखा** के तहत पूर्व में केवल वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट ही कार्य करती थी। परन्तु वर्तमान में समय परिवर्तन एवं तकनीकी परिवर्तन

के कारण इस शाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन यूनिट कार्य कर रही हैः-

1. वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट
2. सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट
3. इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकॉर्डिंग यूनिट

वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट

निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ, में चल रही वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट के तहत महामहिम राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विधान सभा एवं विधान परिषद के पदाधिकारियों, विरोधी दल के नेताओं, एडवोकेट जनरल एवं अन्य वी.वी.आई.पी. व वी.आई.पी. के यहाँ शासकीय टी.वी. सेटों, एल.सी.डी., एल.ई.डी., टी.वी. सेटों एवं डी.टी.एचों की स्थापना एवं रख-रखाव का कार्य किया जाता है।

सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट

आधुनिक युग में इलेक्ट्रानिक मीडिया के अन्तर्गत सेटेलाइट कम्यूनिकेशन और केबिल सिस्टम सूचना क्रान्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम हो गया है। इस सिस्टम में छत पर बहुत सारे बड़े-बड़े डिश एन्टीना तथा डी.टी.एच. स्थापित करके सीधे सेटेलाइट से कंट्रोल रूम में सिग्नल रिसीव करने के बाद कन्ट्रोल रूम में ही उस सिग्नल को मॉडीफाई किया जाता है उसके उपरान्त सिग्नल को आप्टिकल फाइबर के माध्यम से विभिन्न स्थानों के लिए ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इससे विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकेण्डों में खबरें प्राप्त की जाती हैं तथा भेजी जाती हैं। सूचना विभाग ने इस आधुनिकतम सिस्टम को सचिवालय स्थित अधिकारी भवन के कक्ष संख्या 1, 2 तथा 3 में स्थापित किया है। वर्तमान में इस सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क के द्वारा सचिवालय के समस्त भवनों, योजना भवन, शास्त्री भवन, राजभवन, बापू भवन, अधिकारी भवन, बहुखण्डी भवन, सचिव भवन, विधान भवन, मा. मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग तक इस नेटवर्क का जाल बिछाया जा चुका है। इसी वर्ष 2019 में लोकभवन को भी इस कन्ट्रोल रूम से आप्टिकल फाइवर लाइन से जोड़ दिया गया है। इस सेन्टर से 106 सेटेलाइट न्यूज चैनल एवं अन्य चैनलों का प्रसारण आप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से किया जा रहा है। कन्ट्रोल रूम में अपग्रेडेशन का कार्य निरन्तर जारी है। साथ ही इसके डिजिटलाइजेशन का प्रयास भी लगातार जारी है। इसी सेटेलाइट कम्यूनिकेशन एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट की आप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से ही लोक भवन में इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकार्डिंग यूनिट में सेटेलाइट न्यूज चैनलों की रिकार्डिंग एवं मानिटरिंग की जाती है। चैनलों का प्रसारण चौबीस घण्टे होता है। वर्तमान में सूचना विभाग का नया भवन पार्क रोड पर ही बन गया है जिसका नाम पं0 दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर रखा गया है। इस भवन में भी न्यूज चैनलों की मानिटरिंग आदि के लिए केबिल टी0वी0 नेटवर्क का कार्य करवाया जा रहा है। जिससे सूचना विभाग के सभी कर्मचारी भी शासन तथा सरकार के सभी न्यूजों, सूचनाओं तथा कार्यों से अवगत रहें।

इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकॉर्डिंग यूनिट

- इलेक्ट्रानिक मीडिया के समाचारों की रिकार्डिंग पहले वी0सी0आर0 पर मैनुवली की जाती थी। अब कम्प्यूटराइज्ड कर दिया गया है। जिसमें आटोमेटिकली कई समाचार चैनलों को एक साथ हार्ड डिस्क पर रिकार्डिंग की जाती है। उसके बाद उसकी एडिटिंग करके डी0वी0डी0 बनायी जाती है। डी0वी0डी0 प्रतिदिन मा0 मुख्यमंत्री तथा अन्य वी0वी0आई0पी0 के अवलोकनार्थ भेजी जाती है। उसके अवलोकन करने के उपरान्त शासन तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करता है, विगत वर्ष यह यूनिट शास्त्री भवन में कार्यरत थी। वर्ष 2019 में इस यूनिट को लोकभवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस यूनिट द्वारा मा0 मुख्यमंत्री हेतु लगभग सभी सेटेलाइट न्यूज चैनलों की मानिटरिंग भी की जाती है। इलेक्ट्रानिक मीडिया के समाचारों की रिकार्डिंग एवं फीडबैक की उपरोक्त व्यवस्था का उपयोग शासन के ला एण्ड आर्डर में होने के कारण उसकी विवेचना, स्टोरेज, रिकार्डिंग, डेट एण्ड टाइम, न्यूज डाटा कलेक्शन इत्यादि की आवश्यकता तथा सिग्नल ब्रेकडाउन की समस्या को देखते हुए इस सेटअप को कम्प्यूटरीकृत कराया जा चुका है। जो कि सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। साथ ही डी0वी0डी0 व हार्ड डिस्क की वीडियो लाइब्रेरी की भी स्थापना की गयी है जिसमें इलेक्ट्रानिक मीडिया की सभी न्यूजें डी0वी0डी0 व हार्ड डिस्क पर रिकार्ड करके लाइब्रेरी में सुरक्षित रखने की व्यवस्था है।
- वर्तमान में इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकार्डिंग यूनिट में 365 दिन प्रातः से रात्रिकालीन कार्य शिफ्टों में किया जाता है। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों व जिलों के जिलाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को खबरें, लाइव स्क्रीनशार्ट व विजुवल का फोटो लेकर उनके मोबाइल पर व्हाटसएप के माध्यम से भेजी जाती है। मा0 मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण की मानीटरिंग भी कई चैनलों को नेट से व एम0एक्स प्लेयर व जियो टी0वी0 के माध्यम से देखा जाता है।
- पूर्व से स्थापित रिकार्डिंग सर्वर काफी पुराना हो चुका है अतः वर्तमान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक नया रिकार्डिंग सर्वर की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है, जो कि शासन स्तर पर किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली में जनसम्पर्क सहित प्रदेश सरकार के विकास कार्यों, प्राथमिकताओं, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कवरेज हेतु सतत् रूप से प्रयासरत् है। राज्य सूचना केन्द्र, जहां सन्दर्भ सुलभता, प्रदेश के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने, महत्त्वपूर्ण विज्ञप्तियों, बैठकों की कवरेज, अति विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत है, वहीं सूचना निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। राज्य सूचना केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश शासन की योजनाओं, उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनका कवरेज कराने के लिए विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रानिक मीडिया से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत है। प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्तियाँ दिल्ली के राष्ट्रीय समाचार पत्रों-पत्रिकाओं, भाषाई समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं विभिन्न लोकप्रिय चैनल्स को प्रसारण एवं प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे सरकार की गतिविधियों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले पत्र/पत्रिकाओं में प्रमुखता के साथ स्थान मिल सके।

नई दिल्ली एवं एन.सी.आर. में आयोजित राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रमों पर आयोजित गोष्ठी/बैठक

समारोहों के कवरेज, मा0 मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस आदि कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण सहित व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महत्त्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों एवं मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के समीपस्थ कार्यक्रमों का भी वृहद स्तर पर कवरेज की समुचित एवं सुचारु व्यवस्था की जाती है। प्रातःकालीन सत्र में नई दिल्ली, लखनऊ तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण समाचारों की प्रेस कतरनें मा0 मुख्यमंत्री जी, स्थानिक आयुक्त तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यानार्थ/अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती हैं।

लखनऊ स्थित मुख्यालय एवं सूचना परिसर से निर्गत दैनिक प्रेस विज्ञप्तियों को फैक्स/इण्टरनेट के माध्यम से दिल्ली स्थिति प्रेस प्रतिष्ठानों को सुगमता के साथ सुलभ करायी जाती है। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के भ्रमण कार्यक्रम एवं दिल्ली से सटे जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों का भी व्यापक कवरेज कराया जाता है।

प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा औद्योगिक विकास से जुड़े स्थलों की कवरेज प्रेस टुअर के माध्यम से करायी जाती है। शोधार्थियों/प्रदेश की जानकारी चाहने वालों को अद्यतन वांछित उपयोगी संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। सूचना केन्द्र में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं क्रय की जाती हैं। इन्हें पाठकों के पठन हेतु पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 02 बजे तक सुलभ कराया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों तथा विकास कार्यक्रमों के कवरेज हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया की टीमों को कार्यस्थल पर ले जाने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही स्थल भ्रमण कराकर प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक महत्त्व के जनपदों एवं नगरों का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कवरेज कार्य भी कराया जाता है।

मीडिया सेंटर

लाल बहादुर शास्त्री भवन, सचिवालय तथा लोक भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के भूतल पर वातानुकूलित मीडिया सेंटर संचालित है। यह मीडिया सेंटर शासन और मीडिया के बीच समन्वय और सुविधा प्रदाता का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त विधानसभा में एक सुसज्जित प्रेस रूम और लोकभवन में प्रेस रूम स्थापित है।

मा. मुख्यमंत्री जी, मा. मंत्रीगण तथा शासन के उच्च पदाधिकारियों के महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक

कार्यक्रमों की सूचना, प्रचार एवं प्रसार हेतु मीडिया को उपलब्ध कराने का कार्य मीडिया सेंटर द्वारा किया जाता है। मीडिया सेंटरों में एक सुसज्जित प्रेस कान्फ्रेंस हाल भी है, जहां अल्प सूचना पर प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की जा सकती है।

मा0 मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस आदि कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण सहित व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महत्त्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों का भी वृहद स्तर पर कवरेज की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था की जाती है। प्रातः कालीन सत्र में नई दिल्ली, लखनऊ तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण समाचारों की प्रेस कतरनें मा0 मुख्यमंत्री जी, स्थानिक आयुक्त तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यानार्थ/अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल

- यह सेल जो कि माननीय मुख्यमंत्री इलेक्ट्रानिक मीडिया सेल, लोकभवन में सी-ब्लॉक के कक्ष सं0-जी-01, जी-02 व जी0-03 के ग्राउण्ड फ्लोर में स्थित है। यह सेल प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक कार्य करता है। यह सेल 365 दिन कार्य करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में स्थापित सैटेलाइट द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय न्यूज चैनल, प्रादेशिक न्यूज चैनल, क्षेत्रीय न्यूज चैनल व अंग्रेजी समाचार चैनलों की मॉनीटरिंग की जाती है ।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में 07 पैनल (एक पैनल पर चार चैनल हैं) कुल 28 चैनलों की मॉनीटरिंग की जाती है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल द्वारा चैनलों में प्रसारित आपराधिक तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं को सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये शासकीय दूरभाष नं0-0522-2289587 के माध्यम से सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया जाता है जिससे सम्बन्धित अधिकारी बतायी गयी घटनाओं का संज्ञान लेकर जनहित में अविलम्ब उचित कार्यवाही करते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर की गयी प्रेस-कांफ्रेंस, कैबिनेट निर्णयों के साथ केन्द्र सरकार के मंत्रियों का प्रदेश में आगमन पर उनके दिये गये महत्त्वपूर्ण बयानों/ सम्बोधन आदि का लिप्यांतरण किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल द्वारा चैनलों पर प्रसारित महत्त्वपूर्ण समाचारों को ई-मेल- cmemcup@gmail.com के माध्यम से शासन व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में अनुश्रवित महत्त्वपूर्ण समाचारों को हार्ड कॉपी व साफ्ट कॉपी के रूप में सुरक्षित रखा जाता है।

ऑडिट सेल

ऑडिट सेल द्वारा विभाग के जनपदीय कार्यालयों के अभिलेखों का सम्परीक्षण कार्य किया जाता है। सम्परीक्षण के दौरान पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं को निदेशक, शासन एवं वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के संज्ञान में लाकर उसे नियमित रूप से प्रेषित किया जाता है, जिसकी प्रत्येक त्रैमासिक समीक्षा वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त एक वर्ष से अधिक अवधि के कालातीत भुगतानों का सम्परीक्षण कार्य तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष के विभागीय अनुदान लेखों पर उठायी गयी आपत्तियों के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रेषित की जाती है।

लेखा प्रभाग

लेखा प्रभाग द्वारा समस्त विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आय-व्ययक के माध्यम से धन की व्यवस्था करना तथा प्रभागों के प्रस्तावों पर विभागीय कार्यों से सम्बन्धित धनराशियों एवं समाचार पत्रों के बिल बनाकर ई-कुबेर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्याहरण करना। समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बिल तथा उनके सेवाहित लाभों के बिल निर्मित कर प्रत्याहरण के साथ ही मासिक व्यय विवरण की सूचना शासन को प्रस्तुत करना तथा भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव करके ब्याज आदि की गणना

कर जमा धनराशि को अद्यतन रखना तथा लिये गये अग्रिमों आदि की वसूली करने के साथ ही समस्त कर्मियों की सेवा पुस्तकों का सेवा के अनुसार अंकन/रख-रखाव आदि कार्य आयकर एवं जी.एस.टी. सम्पादित किये जाते हैं।

कम्प्यूटर प्रकोष्ठ

- उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त विभागों से प्राप्त निविदाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- विभागीय निविदाओं को ई-टेण्डरिंग की वेबसाइट पर अपलोड करने सम्बन्धी समस्त कार्य।
- मा. मुख्यमंत्री जी के समस्त कार्यक्रमों के वीडियोज को यू-ट्यूब व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- विभागीय नियमित प्रकाशन उत्तर प्रदेश मासिक, उत्तर प्रदेश संदेश, नया दौर व ई-संदेश को नियमित रूप से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रतिदिन निरीक्षा शाखा से प्राप्त न्यूज क्लिपिंग्स को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रदेश के जनपदीय सूचना कार्यालय से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली प्रेस विज्ञप्तियों, न्यूज क्लिपिंग्स आदि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- विज्ञापन सूचीबद्धता से संबंधित समस्त कार्य।
- विभाग में सूचीबद्ध नियमित व अनियमित समाचार पत्र-पत्रिकाओं का डी.ए.वी.पी. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर अपडेट करने संबंधी समस्त कार्य।
- विभाग में स्थापित कम्प्यूटरों की प्रतिदिन आने वाली शिकायतों का अनुश्रवण एवं उनका निस्तारण तथा मेन्टेनेंस।
- विभाग में स्थापित इन्टरनेट कनेक्शन (लीजलाइन) के रख-रखाव एवं अनुश्रवण संबंधी कार्य।
- विभागीय विज्ञापन पोर्टल हेतु स्थापित सर्वर का प्रतिदिन बैकअप तथा रख-रखाव संबंधी समस्त कार्य।
- समय-समय पर विभाग द्वारा सौपें जाने वाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन संबंधी कार्य।

सोशल मीडिया

सूचना विभाग की गतिविधियों/प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग की अधिकारिक वेबसाइट विकसित की गयी है। इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की जाती हैं तथा साथ ही साथ दिन प्रतिदिन उनका अद्यतन भी सुनिश्चित किया जाता है।

- मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित।
- मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज क्रमशः CM Office, GoUP और Chief Minister Office Uttar Pradesh पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बंधित जानकारी लाइव, फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।
- कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर कड़ी कार्यवाही।

- सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन करने के लिए INFO UP FACT CHECK लिस्ट हैंडल का सृजन।
- उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज क्रमशः Government of UP पर उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों, योजनाओं व निर्णयों से सम्बंधित जानकारी फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।
- उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज information and Public Relations Department, UP पर उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यक्रमों, योजनाओं व निर्णयों से सम्बंधित जानकारी फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।
- उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारिक यूट्यूब चैनल Government of UP पर माननीय मुख्यमंत्री जी व सरकार के कार्यक्रमों की लाइव कवरेज व वीडियो अपडेशन।
- सूचना विभाग के अधिकारिक वेबसाइट information.up.nic.in पर मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से सम्बन्धित वीडियो एवं फोटोग्राफ अपलोड करना।
- सूचना विभाग के अधिकारिक वेबसाइट information.up.nic.in का अपडेशन।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिकायत निवारण एवं समन्वय प्रणाली आईजीआरएस पर प्रतिदिन आने वाली शिकायतों का प्रिन्ट आउट निकालना एवं उनका निस्तारण संबंधी कार्य।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर की गयी प्रेस कान्फ्रेंसेज तथा कैबिनेट निर्णय से संबंधित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करना।
- विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक एवं नया दौर के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण प्रकाशन व अन्य सूचनाओं का विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड करना।
- साप्ताहिक डिजिटल पत्रिका ''ई सन्देश'' का प्रकाशन।
- राजभवन, मा0 मुख्यमंत्री सूचना परिसर, निदेशालय, सूचना ब्यूरो एवं विभिन्न जनपदों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों का हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू का प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड करना।
- विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी होने वाले वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों का विभागीय वेबसाइट पर अपडेशन।
- प्रतिदिन हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू के समाचार पत्रों की महत्त्वपूर्ण खबरों को अपलोड किया जाता है।
- विभागों द्वारा प्राप्त निविदाओं को प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रदेश सरकार की महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का सोशल मीडिया पर प्रतिदिन अपलोड करना। सोशल मीडिया के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं एवं सरकारी योजनाओं आदि की जानकारी जनता तक पहुँचाना तथा जनता के विचारों, सुझावों एवं शिकायतों को भी प्राप्त करना।
- इसके अतिरिक्त शासन स्तर पर सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर चल रही अफवाहों/फेक न्यूज का खंडन/स्पष्टीकरण करने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक टिवीटर हैंडल www.twitter.com/InfoUPFactCheck का सृजन किया गया है। उक्त हैंडल पर

ऐसी अफवाहों/फेक न्यूज को चिन्हित कर स्पष्टीकरण/खंडन जारी किया जा रहा है।

- अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव तथा दंगा-फसाद या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाई जा रही अफवाहों तथा फेक न्यूज का चिन्हित कर ऐसे तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब, लोक भवन लखनऊ में फेक न्यूज मॉनिटरिंग सेंटर का गठन किया गया है।
- इस उप समिति का कार्य सोशल मीडिया चल रही अफवाहों पर सक्रियता से नजर रखना, उनका चिन्हांकन कर उत्तर प्रदेश पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित करना है।
- अफवाहों/फेक न्यूज के चिन्हांकन तथा त्वरित स्पष्टीकरण/खंडन की आवश्यकता तथा इस कार्य में जनता के अपेक्षित सहयोग के महत्व को देखते हुए एक ईमेल आई.डी. InfoUPFactCheck@gmail.com का भी सृजन किया गया है जिस पर नागरिक समाचारों/सूचनाओं की सत्यता को परखने के लिए ईमेल कर सकते हैं।

कुल मामले

	Twitter	Facebook	Whatsapp	Tiktok/You	Total
	1695	926	57	84/3	2,765
Blocked	151	114	01	60/0	326

- Twitter के 1,695 Facebook के 926 और Whatsapp के 57, YouTube के 03 तथा Tiktok के 84 मामलों का संज्ञान में लिया गया है।
- इन सभी 2,765 मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर सेल को सूचित किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
- 89 मामलों में एफ.आई.आर. पंजीकृत कराई गई है।
- 03 मामलों में अकाउंट धारक द्वारा पोस्ट डिलीट कर माफीनामा दिया गया है।
- 92 मामलों में यू.आर.एल./लिंक/सोशल मीडिया आई.डी./पोस्ट डिलीट पाई गई है।
- 70 मामलों में विवादित आई.डी./पोस्ट डिलीट करायी गयी है।
- 1,085 मामलों में आई.डी./पोस्ट डिलीट कराने हेतु रिपोर्ट भेजी गई है जो ..के स्तर पर लंबित है।
- 416 मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।
- 26 मामलों में गिरफ्तारी हुई है।

वाहन एवं टेलीफोन व्यवस्था

प्रदेश के जिला सूचना कार्यालयों में वाहनों की बेहतर व्यवस्था कर दिये जाने के फलस्वरूप शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को बल मिला है। विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार इकाई के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालयों की संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सी0यू0जी0 मोबाइल फोन एवं ब्रॉडबैण्ड की सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष में समाचारों के आदान-प्रदान तथा प्रचार-प्रसार में काफी सुगमता रही है। भविष्य में इसकी भी उपयोगिता बढ़ेगी तथा

प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति होगी।

विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु कृत अन्य कार्यवाही

1. अधिकारों का प्रतिनिधायन

जिला सूचना कार्यालयों को सुदृढ़ एवं अधिकार सम्पन्न बनाकर प्रदेश सरकार के प्रचार-प्रसार को प्रभावी बनाया गया है, जिससे कार्य पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण बढ़ा है। इस प्रकार जनपदीय अधिकारियों को निदेशक के कतिपय वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार के प्रति निर्धारित करके जनपदीय कार्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने का कार्य किया गया है। विभाग में विचाराधीन सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण एवं न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण विभागीय पैरवी के माध्यम से तीव्र गति से किया जा रहा है।

2. पारदर्शी व्यवस्था

विभागीय गतिविधियों/प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग की वेबसाइट **http://information.up.nic.in** विकसित की गयी है। इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की गयी हैं तथा सूचनाओं को निरन्तर अद्यतन भी किया जाता है। उ.प्र. सरकार के समस्त विभागों से प्राप्त निविदाएं तथा सजावटी विज्ञापन जो विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको भी सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। समाचार पत्र/पत्रिकाओं से प्राप्त बीजक को एवं विज्ञापनों के भुगतान आदि की व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर पारदर्शी बनाया गया है। इसी प्रकार समस्त विभागीय क्रियाकलापों यथा- गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, स्थापित होर्डिंग्स, जारी किए गये प्रेस नोट्स, समस्त विभागीय प्रकाशन तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समस्त सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ताकि विभागीय समस्त गतिविधियों की जानकारी इण्टरनेट के माध्यम से जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध हो सके।

3. इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रदर्शित खबरों की मानिटरिंग

मा. मुख्यमंत्री सूचना परिसर में विभिन्न चैनलों पर प्रसारित महत्त्वपूर्ण समाचारों की डी.वी.डी. रिकार्डर के माध्यम से रिकार्डिंग करायी जाती है और महत्त्वपूर्ण समाचारों की एक डी.वी.डी. लाइब्रेरी भी बनायी गयी है। इस सेटअप का निरन्तर सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इलेक्ट्रानिक मीडिया की रिकार्डिंग और फीडबैक की उपयुक्त व्यवस्था हेतु रिकार्डिंग डेट एण्ड टाइम न्यूज डाटा कलेक्शन का कम्प्यूटरीकृत सेटअप स्थापित करके व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित किए जा रहे समाचारों की समुचित मानिटरिंग की जा सके।

4. जनपदीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण

जिला सूचना कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु सी0यू0जी0 टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक जनपद कार्यालय के लिए वाहन की व्यवस्था करायी गयी है तथा जिला सूचना कार्यालयों में कम्प्यूटर तथा ब्राडबैण्ड, फैक्स, फोटोस्टेट मशीन आदि की व्यवस्था भी करायी गयी है, जिससे जनपदीय कार्यालयों की दक्षता एवं समाचार प्रेषण की क्षमता में वृद्धि हुई है।

5. अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का निस्तारण

विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा एवं प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों को निस्तारित किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण से निदेशालय की कार्यशैली में सुधार हुआ है तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (R.T.I.)

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों को भी लोक निकाय से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त अधिनियम में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन करने के लिए विभाग में जन सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सूचना अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सम्बन्धित को सुलभ कराने एवं सूचना मांगकर्ता के अनुरोध एवं मा. आयोग के निर्देश पर सम्बन्धित को वांछित पत्रावलियों का निरीक्षण/अवलोकन सम्बन्धित प्रभागों से कराने के साथ मा. आयोग में लम्बित वादों की सुनवाई का कार्य सम्पादित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 अप्रैल से दिसम्बर, 2021 तक प्राप्त।

कुल आवेदन - 311

विभागीय स्तर पर निस्तारित -105

आयोग द्वारा निस्तारित -73

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन

- नागरिक सुरक्षा का उद्भव प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा यूनाइटेड किंगडम पर की जा रही बमबारी से नागरिकों को हो रहे नुकसान के दृष्टिगत किया गया था। तत्समय इसका नाम एयर रेड प्रिकॉशन रखा गया था।
- भारत में नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना वर्ष 1962 में चीन युद्ध के बाद की गयी थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसके बाद से अधिनियम के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा विभाग कोर के रूप में कार्यरत है।
- आरम्भ में भारत सरकार द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों एवं महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर वाह्य आक्रमणों के दृष्टिगत नागरिक सुरक्षा नगर घोषित किये गये।
- वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 15 जनपदों में 17 नागरिक सुरक्षा इकाइयां कार्यरत हैं। मुजफ्फरनगर एवं बागपत नागरिक सुरक्षा इकाई घोषित की जा चुकी हैं, जिनके पदों का सृजन नहीं किया जा सका है।
- इसके अतिरिक्त एक राज्य स्तरीय केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी इकाई के रूप में कार्यरत है।

नागरिक सुरक्षा विभाग के मूल कार्य

- युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव का कार्य।
- युद्ध के दौरान जनता के मनोबल को बनाये रखना।
- धन और जन की क्षति को कम करना।
- महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की उत्पादकता बनाये रखना।
- नागरिक सुरक्षा कोर वाह्य आक्रमणों के दौरान राहत एवं बचाव के साथ-साथ अग्नि शमन, प्राथमिक चिकित्सा एवं फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने का कार्य करती रही है।

नागरिक सुरक्षा का बदलता स्वरूप

- आज के बदलते स्वरूप के दृष्टिगत, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों को, नागरिक सुरक्षा संशोधित अधिनियम 2009 के माध्यम से उच्चीकृत किया गया है।
- इस संशोधन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा विभाग को अपने मूलभूत कार्यों के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन का महत्त्वपूर्ण कार्य भी सौंपा गया है। इसके अंतर्गत आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के उपरान्त किये जाने वाले कार्य सम्मिलित हैं।

नागरिक सुरक्षा के अतिरिक्त कार्य

- नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा के विभिन्न आयामों जैसे- अग्नि शमन, खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित करके आपदाओं हेतु तैयार करना।
- विभिन्न स्कूलों, कालेजों, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, रेलवे, सशस्त्र बलों इत्यादि को प्रशिक्षण प्रदान करके जागरूक करना एवं फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में तैयार करना।
- आपदाओं के दौरान जन एवं धन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विभिन्न जनहित कार्यों जैसे- पल्स पोलियो, स्वच्छता अभियान, प्रदूषण नियंत्रण, अग्नि विभीषिकाओं, रक्तदान शिविर आदि में अपनी सहभागिता देना।

नागरिक सुरक्षा की वर्ष **2020-21** की उपलब्धियाँ

शांतिकाल में नागरिक सुरक्षा गतिविधियों को संचालित रखने के लिये विभिन्न स्तरों पर स्वयंसेवकों की बैठकों का आयोजन करके समन्वय स्थापित करना, नागरिक सुरक्षा सेवाओं में स्वयंसेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अभ्यास/प्रदर्शन का आयोजन करना होता है। वर्ष 2020-21 में अब तक निम्न कार्य सम्पादित किये गये :-

- केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0, लखनऊ पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं केन्द्रीय सरकार के उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, एन0ए0पी0पी0, एच0ए0एल0 तथा डीजल रेल इंजन कारखाना के कर्मचारियों को तथा राज्य सरकार के उ0प्र0 राज्य सड़क परिवाहन निगम के कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षित किया गया। आलोच्य वर्ष में कुल 10 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र आयोजित करके 374 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- आलोच्य वर्ष में जनपद स्तर पर नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं में वार्डेन सेवा, अग्निशमन सेवा एवं प्राथमिक चिकित्सा सेवा में 2828 स्वयंसेवकों की भर्ती की गई तथा 678 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया।
- विभिन्न स्कूल/कालेजों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले 940 छात्र/छात्राओं को नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- आलोच्य वर्ष में 106 एन0सी0सी0 कैडेटों एवं होमगार्ड्स के 1897 स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा विधाओं में प्रशिक्षित किया गया।
- आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 355 कर्मचारियों को तथा 834 नागरिकों को आपदा प्रबन्धन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- नागरिक सुरक्षा नगरों में विभिन्न स्तर पर 4516 बैठकों का आयोजन करके नागरिक सुरक्षा गतिविधियों से भिज्ञ कराया गया तथा 165 हवाई हमले के क्रियात्मक अभ्यास/प्रदर्शन/मॉकड्रिल आयोजित किये गये।
- आलोच्य वर्ष में विभिन्न स्तरों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 3196

व्यक्तियों को भी नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

- नागरिक सुरक्षा दिवस-2020 के अवसर पर महानिदेशक का डिस्क एवं प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये।
- वर्ष 2020 हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग में सराहनीय व उत्कृष्ट कार्य करने वाले अवैतनिक वार्डेनों/स्वयंसेवको को "निदेशक नागरिक सुरक्षा प्रशस्ति पत्र" से सम्मानित किया गया।

अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य

- नागरिक सुरक्षा के वैतनिक/अवैतनिक पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर आयोजित होने वाले स्थानीय पर्व एवं त्योहारों/जयंतियों पर शान्ति व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्द तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु जिला प्रशासन को सक्रिय सहयोग दिया गया।
- नागरिक सुरक्षा जनपदों में समस्त वार्डेनों/स्वयंसेवकों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कर अपने-अपने क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जन-सामान्य को जागरूक किया गया तथा सतर्कता बरतते हुए मास्क पहनने, सेनेटाईजर व हैडवाश प्रयोग करने हेतु जन-सामान्य को प्रेरित किया गया।
- कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के अन्तर्गत आलोच्य अवधि में नागरिक सुरक्षा इकाईयों द्वारा पब्लिक हेल्थ रिस्पांस के 422 कैम्प लगाये गये। जरूरतमंद लोगों को 3,19,209 मास्क व 50 लीटर सेनेटाईजर वितरित किया गया। साथ ही 12,64,744 बेसहारा, निर्धन परिवारों एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया गया तथा 18503 लोगों को निःशुल्क राशन किट वितरित की गई।
- कोरोना महामारी से बचाव हेतु घर-घर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु 5,41,678 व्यक्तियों को जागरूक किया गया तथा 3,83,948 पम्फलेट्स का वितरण करने के अतिरिक्त होर्डिंग्स लगाये गये। नागरिक सुरक्षा इकाईयों के 6,878 स्वयंसेवकों द्वारा कोविड-19 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखने तथा अन्य बचाव कार्यो हेतु ड्यूटी की गई। कोविड-19 की जागरूकता हेतु 263 कैम्प लगाये गये तथा 695 रैली निकाली गई।
- जनपदों के विभिन्न चौराहों पर नागरिक सुरक्षा संगठन के वार्डेनों/स्वयंसेवकों द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु लॉकडाउन का पालन कराया गया। जनपदों में कोरन्टाइन से घर भेजे गये लोगों की निगरानी का कार्य वार्डेनों/स्वयंसेवकों द्वारा किया गया। क्षेत्र के लोगों की कोरोना की टेस्टिंग में वार्डेनों/स्वयंसेवकों द्वारा जनपदों में मेडिकल स्टाफ के साथ सहयोग किया गया।
- समस्त नागरिक सुरक्षा जनपदों में वार्डेनों/स्वयंसेवकों द्वारा 'आरोग्य सेतु' एप एवं 'आयुश कवच' की विशेषता बताते हुए एप डाउनलोड करने हेतु लोगों को प्रेरित किया गया।
- नागरिक सुरक्षा जनपदों के क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन आदि कराने जाने में वार्डेनों/स्वयंसेवकों द्वारा जिला प्रशासन को सहयोग किया गया।
- नागरिक सुरक्षा जनपदों में स्वयंसेवकों द्वारा प्रवासी छात्र-छात्राओं और मजदूरों को उनके घर तक पहुचाने, श्रमिक ट्रेनों में व्यवस्था स्थापित करने तथा भोजन/मास्क के वितरण का कार्य किया गया तथा सोशल-डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन कराया गया।

- नागरिक सुरक्षा जनपदों में निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों एवं हास्पिटल के कर्मचारियों के मध्य समन्वय व सहायता हेतु जिला प्रशासन द्वारा हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। इस हेल्प डेस्क पर शिफ्टवार नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवको द्वारा ड्यूटी देकर जिला प्रशासन को अपना महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
- नागरिक सुरक्षा जनपदों में वार्डेनों एवं स्वयंसेवकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सब्जी, दूध, दवाई, किराना व आबकारी की दुकानों इत्यादि एवं बैकों में सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया।
- नागरिक सुरक्षा नगरों के कोरोना हॉट स्पाट्स में नागरिक सुरक्षा के वार्डेन/स्वयंसेवकों द्वारा लॉक डाउन का पालन सुनिश्चित कराने जाने में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को सहयोग दिया गया।
- नगरों में नागरिक सुरक्षा के वार्डेन/स्वयंसेवकों द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया का शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप पालन सुनिश्चित कराने में डयूटी दी गयी। साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान नागरिक सुरक्षा के वार्डेनों/स्वयंसेवको द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में आम जनो को घरों में रहने हेतु प्रेरित किया गया। नागरिक सुरक्षा के वार्डेनों तथा स्वयंसेवकों द्वारा जनपदों में प्रमुख स्थानों/चौराहों पर साप्ताहिक लॉकडाउन (शनिवार व रविवार) में पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ ड्यूटी देकर सहयोग प्रदान किया गया।
- नागरिक सुरक्षा जनपदों में वैतनिक तथा अवैतनिक पदाधिकारियों को नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव के सम्बन्ध में शपथ दिलायी गयी।
- प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2021 को गोरखपुर महोत्सव में डॉ0 संजीव गुलाटी, चीफ वार्डेन, नागरिक सुरक्षा, गोरखपुर को ''गोरखपुर रत्न'' से अलंकृत किया गया।
- मतदाता दिवस के अवसर पर दिनांक 25 जनवरी, 2021 को नागरिक सुरक्षा इकाईयों के वैतनिक/अवैतनिक पदाधिकारियों को शपथ दिलाकर अधिक से अधिक मतदान करने के लिये प्रेरित किया गया।
- शहीद दिवस के अवसर पर दिनांक 30 जनवरी, 2021 को नागरिक सुरक्षा इकाईयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित विद्युत सायरन/हैण्ड सायरन को ध्वनित कराकर दो मिनट का मौन धारण कराया गया।
- चौरी-चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर दिनांक 04 फरवरी, 2021 को शहीदों को नागरिक सुरक्षा इकाईयों द्वारा श्रृद्धांजलि देकर प्रभात-फेरी तथा रैली का आयोजन किया गया।
- कोविड-19 के बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण अभियान के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा इकाईयों के वैतनिक/अवैतनिक पदाधिकारियों (फ्रंट लाइन वर्कर्स) का वैक्सीनेशन कराया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा इकाईयों के वार्डेनो/स्वयंसेवकों द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 45 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के टीकाकरण कराने हेतु प्रचार-प्रसार किया गया।

●

धर्मार्थ कार्य

इतिहास

धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं तथा मन्दिरों की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु दिनांक 19 दिसम्बर, 1985 को सृजित किया गया है। इसके कार्यक्षेत्र में प्रदेश के समस्त मंदिर एवं धार्मिक स्थल आते है। जिसमें धार्मिक स्थलों पर मूलभूत जनसुविधाओं की व्यवस्था करना है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम-1983 के अन्तर्गत उक्त मंदिर का प्रशासनिक कार्य करना एवं व्यवस्था करना। धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय का गठन वर्ष 2021 में किया गया है। धार्मार्थ कार्य विभाग का निदेशालय का मुख्य कार्यालय वाराणसी में एवं उक्त कार्यालय श्री कैलाश मानसरोवर भवन, गाजियाबाद में स्थापित होगा।

धर्मार्थ कार्य विभाग की प्रमुख परियोजनायें

- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी का सौन्दर्यीकरण/विस्तारीकरण
- जनपद अयोध्या में भजन स्थल का निर्माण
- जनपद चित्रकूट में भजन स्थल का निर्माण
- धर्मार्थ कार्य विभाग में वेबसाइट/ई-पूजा/ई-डोनेशन साईट का निर्माण
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक साइंस सेण्टर की स्थापना
- जनपद अयोध्या में तीन सड़कों के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण व पब्लिक एमेन्टीज का निर्माण
- कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान रु 1.00 लाख प्रति व्यक्ति
- प्रदेश के सिन्धी समाज के तीर्थ यात्रियों के लिए 20,000 प्रति व्यक्ति

धर्मार्थ कार्य विभाग की वर्ष 2021 में पूर्ण हो चुकी परियोजनायें।

- जनपद-अयोध्या में भजन संध्या स्थल का निर्माण लागत रु 19.02 करोड़ की लागत से कराया गया। उक्त भजन संध्या स्थल का लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26.10.2019 को किया जा चुका है।
- जनपद-चित्रकूट में भजन संध्या एवं परिक्रमा स्थल के विकास/निर्माण के लिये कुल लागत 15.00 करोड़ द्वारा कराया गया, जिसका लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 13.09. 2019 को किया जा चुका है।
- उत्तर प्रदेश में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण लागत रु0 115.00 करोड़ से जनपद गाजियाबाद में कराया गया, जिसका लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12.12.2020 को किया जा चुका है।

- वर्ष 2019-20 में कैलाश मानसरोवर से लौटे कुल 1215 यात्रियों को प्रति यात्री रु0 1.00 लाख अनुदान उनके संबंधित खाते में भेजा जा चुका है। इसी प्रकार सिन्धु दर्शन के 350 यात्रियों को प्रति यात्री रु0 20 हजार अनुदान से संबधित के खाते में भेजा जा चुका है।
- धर्मार्थ कार्य विभाग में निदेशालय की स्थापना वर्ष 2021 में की गयी, जिसका मुख्यालय वाराणसी एवं उप कार्यालय कैलाश मानसरोवर, गाजियाबाद में स्थित है। वर्तमान में आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को निदेशक धर्मार्थ कार्य विभाग के पद का कार्यभार शासन द्वारा प्रदान किया गया है।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केन्द्र का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा चुका है। उक्त परियोजना का प्रथम चरण लागत रु0 11.30 करोड़ है, जो पूर्ण हो चुका है। इसके अन्तर्गत शिक्षण भवन बनाया गया है, जिसमें प्रारम्भिक शिक्षण कार्य प्रारम्भ है। इसका लोकार्पण मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.02.2020 को किया गया है। द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ है।

धमार्थ कार्य विभाग में प्रचलित परियोजनायें

- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण परियोजना का रुपये 345.27 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस योजना के प्रथम चरण में 320 भवनों का क्रय कर उनका ध्वस्तीकरण करा कर विस्तृत कार्य स्थल तैयार किया गया है। द्वितीय चरण में मुख्य मंदिर परिसर सहित कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के पूर्ण होने की तिथि नवम्बर, 2021 निर्धारित की गयी है। श्री काशी विश्वनाथ विस्तारीकरण एवं सुन्दरीकरण परियोजना की लागत रु0 345.27 करोड़ है। जिसके सापेक्ष 193.00 करोड़ कार्यदायी संस्था को निर्गत किए गए है। माह अक्टूबर तक योजना की भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत तथा वित्तीय व्यय रु0 190.92 करोड़ है।
- वैदिक विज्ञान केन्द्र के द्वितीय चरण लागत रु0 09.34 करोड़ की परियोजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ हो चुका है, जिसके अन्तर्गत वैदिक पठन-पाठन से सम्बन्धित वैदिक यज्ञशाला, वैदिक वेधशाला, वैदिक कार्यशाला, वैदिक अनुसंधानशाला आदि का निर्माण किया जा रहा है।
- जनपद-अयोध्या में धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित 03 सड़कों का चौड़ीकरण एवं निर्माण कराया जा रहा है। सहादतगंज नया घाट मार्ग से सुग्रीव किला होते हुए श्री रामजन्म भूमि तक चार लेन मार्ग, सहादतगंज नया घाट मार्ग तथा अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमान गढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक।
- विलीनीकृत रियासतों के धर्मार्थ संस्थाओं के पुजारियों को अनुदान संबंधी परियोजना।
- प्रयागराज भजन संध्या स्थल संबंधी परियोजना।

भारत सरकार के संस्थान, संगठन एवं कार्यालय

एडवरटाइजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
एयर फोर्स	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आल इण्डिया रेडियो	-	विधान सभा मार्ग, लखनऊ
आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया	-	बाइली ग्रार्डन काटेज, लखनऊ
आर्मी सेन्ट्रल कमान्ड	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर	-	सीतापुर रोड, लखनऊ
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन	-	94, महात्मा गांधी, मार्ग, लखनऊ
सेन्सस प्रोसीजर	-	52, वजीर हसन रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड ज्यूडीसरी	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट	-	छतर मंजिल, लखनऊ
सेन्ट्रल हेल्थ एण्ड प्लानिंग	-	9, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल न्यूज एण्ड ब्रोडकास्टिंग डिपार्ट.	-	एम0 जी0 मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ
सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स	-	गोमती नगर, लखनऊ
चीफ पोस्ट मास्टर जनरल	-	हजरतगंज, लखनऊ
सिटी एण्ड विलेज प्लानिंग	-	7, बन्दरिया बाग, लखनऊ
सिविल एविएशन	-	अमौसी, लखनऊ
दूरदर्शन केन्द्र	-	24, अशोक मार्ग, लखनऊ
जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया	-	(नार्थ इण्डिया) सेक्टर- डी, अलीगंज, लखनऊ
ग्राउण्ड रोजवेज	-	बी- 74, सेक्टर- सी, महानगर लखनऊ
हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर	-	महानगर, लखनऊ
हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.)	-	फैजाबाद रोड, लखनऊ
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	-	4, शाहनजफ रोड, लखनऊ
आईबीपी कारपोरेशन लिमिटेड	-	विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
इनकम टैक्स डिपार्टमेण्ट	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	-	कपूरथला काम्पलैक्स, अलीगंज, लखनऊ
इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग सेन्ट्रल	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
इंडियन स्टेण्डर्ड ब्यूरो	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
खादी ग्रामोद्योग कमीशन	-	कैसरबाग, लखनऊ
नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
नेशनल कैडेट कार्प्स (एन.सी.सी.)	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्थ ईस्टर्न रेलवे	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्दन रेलवे	-	चारबाग, लखनऊ
रोड ट्रांसर्पोट एथोरिटी	-	महानगर, लखनऊ
शुगरकेन रिसर्च सेन्टर	-	रायबरेली रोड, लखनऊ
टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेन्ट	-	13 ए, माल ऐवन्यू, लखनऊ
जी. एम. टेलीकाम	-	हजरतगंज, लखनऊ
जी. एम. (लखनऊ टेलीकाम)	-	गांधी भवन, एम. जी. मार्ग, लखनऊ
डायरेक्टर टेलीकाम सेन्टर	-	हजरतगंज, लखनऊ
टेलीग्राफ स्टोर डिर्पोटमेन्ट	-	तालकटोरा रोड, लखनऊ
जी. एम. प्रोजेक्टस (नार्थ)	-	ए-2, सेक्टर बी, अलीगंज, लखनऊ
टूरिज्म डिपार्टमेन्ट	-	सेक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ
वेदर	-	अमौसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के जनपद : एक नज़र में

1. आगरा

- क्षेत्रफल (2011) — 4041 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4418797
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2053844
- पुरुष (जनसंख्या) — 2364953
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 868-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1098 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (शमसाबाद, एत्मादपुर, अछनेरा, फतेहपुर सीकरी, बाह)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (आगरा, एत्मादपुर, खेरगढ़, किरावली, फतेहाबाद, बाह)
- विकास खण्डों की संख्या — 15 (फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, अकोला, बिचपुरी, बरौली अहीर खंदौली, एत्मादपुर, जगनेर, खेरागढ़, सैंया, शमसादबाद, फतेहाबाद, पिनाहट, बाह, जैतपुरकलाँ)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 893
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — ताजमहल, लाल किला, सिकन्दरा, फतेहपुर सीकरी, एत्माद्दौला, बटेश्वर, मनकामेश्वर, कैलाश, मजार शहीदे सालिस
- हस्तशिल्प — जूता एवं लोहा, पेठा, दालमोठ, कालीन, खेल का सामान

2. अलीगढ़

- क्षेत्रफल — 3650 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3673889
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1721893
- पुरुष (जनसंख्या) — 1951996
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.78 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 882-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1007 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 67.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (खैर, अतरौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (इगलास, कोल, अतरौली, खैर, गभाना)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (अतरौली, गंगोरी, विजौली, खैर, चन्दौस टम्पल, गोण्डा,

लोधा, जवां, धनीपुर, अकराबाद, इगलास)

- आबाद ग्रामों की संख्या 1170
- प्रमुख उद्योग हल्की मशीनरी, ताला

3. एटा

- क्षेत्रफल 2431 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1774480
- महिलाएँ (जनसंख्या) 827141
- पुरुष (जनसंख्या) 947339
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 15.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 873-1000
- जनसंख्या घनत्व 723 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 70.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 04 (एटा, अलीगंज, जलेसर, मारहरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (एटा, अलीगंज, जलेसर)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (शीतलपुर, सकीट, जैथरा, अलीगंज, निधौली कलां, अवागढ़, जलेसर, मारहरा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 853
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल (पटना पक्षी विहार, जलेसर, अतरंजी खेड़ा, मारहरा)
- हस्तशिल्प खादी वस्त्र, घुंघरू-घंटी, कांचमूँगा मोती, मूँज-बान
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ लिप्टन इंडिया लि., न्यूट्रेशिया, न्योली शुगर फैक्ट्री, स्टैंडर्ड हैण्डलूम टेक्सटाइल्स, पीतल-घुंघरू-घंटी उद्योग, आयरन उद्योग

4. फिरोजाबाद

- क्षेत्रफल 2407 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2498156
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1166110
- पुरुष (जनसंख्या) 1332046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 19.94 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 867-1000
- जनसंख्या घनत्व 1038 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 71.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (टूण्डला, शिकोहाबाद, सिरसागंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला, सिरसागंज)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (ओरांव, एका, फिरोजाबाद, हाथवंत, मदनपुर, नारखी, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला)
- आबाद ग्रामों की संख्या 790
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल पाढ़म रपड़ी, शाही-मस्जिद, सांती, फिरोजशाह का मकबरा, दिगम्बर जैन मंदिर, गोपाल आश्रम, महावृक्ष अजान, सूफी शाह का मकबरा
- हस्तशिल्प काँच एवं पाटरी

5. मैनपुरी

- क्षेत्रफल — 2760 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1868529
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 875152
- पुरुष (जनसंख्या) — 993377
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 881-1000
- जनसंख्या घनत्व — 677 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 76.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (मैनपुरी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (मैनपुरी, भोगांव, करहल, थिरोर, कुरावली, किशनी)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (मैनपुरी, घिरोर, कुरावली, बेवर, किशनी, एलाऊ, सुल्तानगंज बरनाहल, करहल)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 820
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल, महाराजा तेज सिंह का किला, महाकवि देव स्मारक, कुसमरा व अस्यौली का किला, माँ शीतला देवी मंदिर, च्यवन ऋषि आश्रम, मारकण्डेय ऋषि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, बेवर भीमसेन मंदिर, देव स्मारक

6. मथुरा

- क्षेत्रफल — 3340 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2547184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1180059
- पुरुष (जनसंख्या) — 1367125
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 863-1000
- जनसंख्या घनत्व — 763 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.04 प्रतिशत
- नगर निगम — 01(मथुरा-वृन्दावन)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (कोसीकलां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (मथुरा, मॉट, छाता, महावन, गोवर्धन)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (मथुरा, फरह, गोवर्धन, नंदगाँव, छाता, चौमुहा, राया, माट, नौहझील, वल्देव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 730
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (वृंदावन, राधाकुंड, बरसाना, नंदगाँव, गोवर्धन, गोकुल, महावन, वल्देव)
- हस्तशिल्प — गिलट के आभूषण, कंठीमाला, पोशाक
- प्रमुख उद्योग — साड़ी छपाई, ब्रास टेप्स एण्ड पोक्स, मिल्क पाउडर, गिलट के आभूषण, विटामिन आधारित उद्योग, सूती सिन्थेटिक धागा

7. आजमगढ़

- क्षेत्रफल — 4054 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4613913
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2328909
- पुरुष (जनसंख्या) — 2285004
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.17 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1019-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1138 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (आजमगढ़, मुबारकपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 08 (आजमगढ़, सगड़ी, लालगंज, फूलपुर, मेहनगर, मार्टीनगंज, बूढ़नपुर, निजामाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या — 22 (अतरौलिया, कोयलसा, हरैया, अहिरौला, फूलपुर, पवई, अजमतगढ़, तहबरपुर, सठियाँव, महाराजगंज, लालगंज, मार्टिनगंज, रानी की सराय, पल्हनी, ठेकमा, बिलरियागंज, मेंहनगर, मिर्जापुर, जहानागंज, तरवां, पल्हना, मुहम्मदपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 3800
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दुर्वासा आश्रम, देवल आश्रम, चन्द्रमा आश्रम, दत्तात्रेय आश्रम, पौहारी बाबा, आवंक, पल्हना देवी, बाराहमूर्ति, कोठिया आश्रम, हथियादह, कम्पनीबाग, उद्यान, महामंडलेश्वर
- हस्तशिल्प — काली मिट्टी के बर्तन, बनारसी रेशमी साड़ी
- प्रमुख उद्योग — चीनी, रोलिंग, खाद्य तेल, बर्फ, रेशमी साड़ी, काली मिट्टी के बर्तन चावल मिल, जनरल इंजीनियरिंग आदि

8. बलिया

- क्षेत्रफल — 2981 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3239774
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1566872
- पुरुष (जनसंख्या) — 1672902
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 937-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1087 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (बलिया, रसड़ा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बलिया, सिकन्दरपुर, रसड़ा, बेल्थरा रोड, बांसडीह, बैरिया)
- विकासखण्डों की संख्या — 17 (रसड़ा, नगरा, सीयर, चिलकहर, गड़वार, सोहांव, हनुमानगंज, दुबहड़, बेलहरी, बैरिया, मुरलीछपरा, बांसडीह, बेरुआरबारी, रेवती, मनियर, पन्दह, नवानगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1843
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — खैराडीह, लखनेश्वरडीह, सुरहाताल, वृत्तिकूट आश्रम, भृगु आश्रम, देवीकुली धाम, परासर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक, बसन्तप,

बालेश्वर शिव मंदिर, असेगानाथ, ब्रह्माइन देवी मंदिर, श्रीनाथ बाबा का मठ, मखदूमइकतुद्दीन आलम की मजार, वृत्तकूट आश्रम पकड़ी, जयप्रकाश नगर, शहीद भवानी, सोनाडीह भवानी, कापिलेश्वरी, जंगली बाबा का मन्दिर, बालकदास बाबा की कुटी, सुदिष्ट बाबा का मन्दिर, डूहा बिहर (मौन बाबा), शहीद पार्क चौक, वैरिया शहीद स्मारक, सुरनापुर शहीद स्थल, शहीद मंगल पाण्डेय

- हस्तशिल्प — टिकुली, सिन्दौरा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, डलिया, खाची मौनी
- औद्योगिक इकाइयाँ — 28

9. मऊ

- क्षेत्रफल — 1713 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2205968
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1091259
- पुरुष (जनसंख्या) — 1114709
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 979-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1285 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 73.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (मऊ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मऊ, घोसी, मोहम्मदाबाद-गोहना, मधुबन)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (परदहा, कोपागंज, घोसी, दोहरीघाट, बड़रांव, फतेहपुर मण्डाव, रतनपुरा, मोहम्मदाबाद गोहना, रानीपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1499
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — वन देवी, बेलवरी घाटी, मीर बाबा धाम

10. प्रयागराज

- क्षेत्रफल — 5482 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 5954391
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2822584
- पुरुष (जनसंख्या) — 3131807
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.71 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 901-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1086 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.3 प्रतिशत
- नगर निगम की संख्या — 01
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 08 (प्रयागराज सदर, फूलपुर, करछना, बारा, मेजा, कोरांव, सोरांव, हण्डिया)
- विकासखण्डों की संख्या — 23 (हण्डिया, धनूपुर, प्रतापपुर, सैदाबाद, बहादुरपुर, बहरिया, फूलपुर, होलागढ़, सहसों, शृग्वेरपुर धाम, भगवतपुर , कौढ़िहार, मऊआइमा, सोरांव, चाका, करछना, कौंधियारा, जसरा, शंकरगढ़, कोरांव, माण्डा, मेजा, उरवा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2809

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — स्वराज भवन, जवाहर प्लेनिटोरियम, भारद्वाज आश्रम, संगम, पातालपुरी मन्दिर, प्रयागराज किला, अशोक स्तम्भ, अक्षयवट, रानीमहल, शिवकुटी, आल सेन्ट्रल कैथेड्रल, प्रयागराज संग्रहालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, खुसरोबाग, मिन्टो पार्क, सरस्वती घाट, नेहरू पार्क, शृंगवेरपुरधाम, प्रतिष्ठानपुरी, लक्ष्यागृह, गढ़वा का किला, मनकामेश्वर मंदिर, सरस्वती कूप, अलोपीदेवी, मंदिर, बेणी माधव मंदिर, नागबासुकी मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर विमान मण्डपम, दुर्वासा ऋषि आश्रम आदि
- प्रमुख उद्योग — राइस मिल, दाल मिल, इलेक्ट्रानिक्स

11. फतेहपुर

- क्षेत्रफल — 4152 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2632733
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1248011
- पुरुष (जनसंख्या) — 1384722
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.05 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 901-1000
- जनसंख्या घनत्व — 634 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 67.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फतेहपुर, बिन्दकी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (फतेहपुर, बिन्दकी, खागा)
- विकास खण्डों की संख्या — 13 (भिटौरा, तेलियानी, हसवा, असोथर, बहुआ, मलवाँ, अमौली, खजुहा, देवमई, ऐराया, हथगाम, धाता, बिजईपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1352
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भिटौरा, असनी, शिवराजपुर, बावनइमली
- प्रमुख उद्योग — स्टील, घागा, चमड़ा आदि।
- हस्तशिल्प — लकड़ी एवं मिट्टी के खिलौने

12. प्रतापगढ़

- क्षेत्रफल — 3717 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3209141
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1603056
- पुरुष (जनसंख्या) — 1606085
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 998-1000
- जनसंख्या घनत्व — 862 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (बेल्हा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सदर, पट्टी, रानीगंज, कुण्डा, लालगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 17 (प्रतापगढ़ सदर, मान्धाता, सण्डवा चद्रिका, लालगंज, लक्ष्मणपुर सांगीपुर, पट्टी, आसपुर देवसरा, मगरौरा, शिवगढ़, गौरा, कुण्डा, कालाकांकर, बिहार, बाबागंज, रामपुरसंग्रामगढ़, बाबा बेलखरनाथ,)

- आबाद ग्रामों की संख्या — 2183
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हण्डौर, पंडवासी, अजगरा, महदहा, बारडीह, नमक सायर, कहला, रूरे, सराय नाहरराय, कालाकाँकर, बाबा घुइसरनाथ, चन्द्रिका देवी, शनिदेश, चौहर्जन देवी, बाबा बेलखरनाथ, बेल्हा देवी, ज्वालादेवी, भयहरननाथ, हैदेश्वरनाथ, अम्बेडकर पक्षी विहार।
- निजी एवं सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओम अचार मुरब्बा उद्योग, प्रताप फल संरक्षण एवं मुरब्बा उद्योग, मंजू मुरब्बा उद्योग, कमला ट्रान्सफार्मर, वेस्को रबर इंडस्ट्रीज, अभय ग्रामोद्योग, सरकार फूड प्रोडक्ट्स, परमिल्स फार्मास्युटिकल्स, खण्डेलवाल रबर प्रोडक्ट्स, ममता फूड प्रोडक्ट्स, शिवम फूड प्रोडक्ट्स, खण्डेलवाल फूड प्रोडक्ट्स

13. कानपुर नगर

- क्षेत्रफल — 3155 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4581268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2121462
- पुरुष (जनसंख्या) — 2459806
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 9.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 862-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1452 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 79.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (घाटमपुर, बिल्हौर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (कानपुर, बिल्हौर, घाटमपुर, नरवल)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (बिधनू, सरसौल, कल्याणपुर, पतारा, घाटमपुर, भीतरगाँव, चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर, ककवन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 902
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जाजमऊ, बिठूर, मनकपुर
- प्रमुख उद्योग — चमड़ा, कालीन, सूती, रक्षा सामग्री, मशीनरी, होजरी, वस्त्र, आभूषण

14. कानपुर देहात

- क्षेत्रफल — 3021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1796184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 832929
- पुरुष (जनसंख्या) — 963255
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 595 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (झींझक, पुखरायां)

- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (अकबरपुर, भोगनीपुर, सिकन्दरा, डेरापुर, रसूलाबाद, मैथा)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (अकबरपुर, सरवनखेड़ा, मैथा, डेरापुर, झींझक, सन्दलपुर राजपुर, अमरौधा, मलासा, रसूलाबाद)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 966
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शुक्ल तालाब, बानेश्वर महादेव, वन चेतना केन्द्र, औनहां
- हस्तशिल्प — हाथ के पंखे, टोकरी, दरी, कंबल आदि
- प्रमुख उद्योग — साबुन, पेन्ट, वनस्पति घी, चमड़ा, मशीनरी आदि

15. इटावा

- क्षेत्रफल — 2311 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1581810
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 735954
- पुरुष (जनसंख्या) — 845856
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 870-1000
- जनसंख्या घनत्व — 638 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 78.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (भरथना, जसवन्तनगर, इटावा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (जसवन्तनगर, सैफई, इटावा, भरथना, चकरनगर, ताखा)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (जसवन्तनगर, बदपुरा, बसरेहर, ताखा, महेवा, सैफई, भरथाना, चकनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 686
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भरेह, पचनदा, मूँज, आसई, चकरनगर, टिक्सी मंदिर, कालीवान, पिलुआ
- हस्तशिल्प — हथकरघा, दरी

16. फर्रुखाबाद

- क्षेत्रफल — 2181 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1885204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 878964
- पुरुष (जनसंख्या) — 1006240
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 874-1000
- जनसंख्या घनत्व — 864 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फर्रुखाबाद, कायमगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सदर, अमृतपुर, कायमगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (बढ़पुर, राजेपुर, कमालगंज, मोहम्मदाबाद, नवाबगंज, शमसाबाद, कायमगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 872

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — संकिसा, कम्पिल, सिंगीरामपुर, हनुमान मंदिर, नीम करोरी, दरगाह शेखपुर
- हस्तशिल्प — जरदोजी, छपाई का फरमा
- प्रमुख उद्योग — आलू, तम्बाकू, चीनी मिल

17. कन्नौज

- क्षेत्रफल — 2093 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1656616
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 774840
- पुरुष (जनसंख्या) — 881776
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.37 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 879-1000
- जनसंख्या घनत्व — 792 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (कन्नौज, छिबरामऊ, तिर्वा)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (कन्नौज, जलालाबाद, गुगरापुर, छिबरामऊ, सौरिख, तालग्राम, उमर्दा, हसेरन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 688
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — खाना गौरी शंकर का शिवलिंग, हाजी शरीफ़ की दरगाह, डेगभभका, अर्द्धनारीश्वर, लाख वहोसी पक्षी विहार, पंचवटी मंदिर, विशनगढ़, किला बारादरी।
- प्रमुख उद्योग — इत्र, सेंट

18. गोरखपुर

- क्षेत्रफल — 3321 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4440895
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2163118
- पुरुष (जनसंख्या) — 2277777
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 950-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1337 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.8 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (सदर, बाँसगाँव, चौरीचौरा, सहजनवाँ, खजनी, गोला, कैम्पियरगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (पिपराइच, बांसगाँव, गोला, पाली, पिपरौली, सहजनवाँ, खौराबार, कौड़ीराम, गगहा, खजनी, भटहट, बेलघाट, सरदार नगर बड़हलगंज, उरुवा, ब्रह्मपुर, जंगल कौड़िया, चरगावाँ, कैम्पियरगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2937
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कुसमही जंगल, रामगढ़ताल, चौरीचौरा, डोहरिया कलां, गोरखनाथ मंदिर, इमामबाड़ा, गीता वाटिका, गीता प्रेस
- हस्तशिल्प — हथकरघा, टेराकोटा

19. कुशीनगर

- क्षेत्रफल — 2905 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3564544
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1746489
- पुरुष (जनसंख्या) — 1818055
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 961-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1227 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (हाटा, कुशीनगर, पडरौना)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (पडरौना, कसिया, हाटा, तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 14 (पडरौना, बिशुनपुरा, कसया, हाटा, मोतीचक, सेवरही, नेबुहानौरंगिया, खड्डा, दुदही, फाजिलनगर, सुकरौली, कप्तानगंज, रामकोला, तमकुही)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1579
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कुशीनगर, बुद्ध की निर्वाण स्थली, फाजिलनगर
- हस्तशिल्प — फर्नीचर, आयल स्पेलर, हथकरघा
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — 897

20. देवरिया

- क्षेत्रफल — 2540 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3100946
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1563510
- पुरुष (जनसंख्या) — 1537436
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1017-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1222 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (देवरिया, गौरा बरहज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (देवरिया, सलेमपुर, रुद्रपुर, भाटपार रानी, बरहज)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (गौरीबाजार, देवरिया सदर, देसई देवरिया, पथरदेवा, बैतालपुर, रामपुर कारखाना, रुद्रपुर, बरहज, भागलपुर, भटनी, बनकटा, तरकुलवा, भाटपाररानी, भलुबनी, लार, सलेमपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2019
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दिगधेश्वरनाथ, दुग्धेश्वरनाथ, देवरहा बाबा, परशुरामधाम

21. महराजगंज

- क्षेत्रफल — 2952 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2684703
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1302949
- पुरुष (जनसंख्या) — 1381754

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 943-1000
- जनसंख्या घनत्व — 909 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 62.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (नौतनवां, महराजगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (सदर, फरेन्दा, नौतनवां, निचलौल)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (सदर, परतावल, फरेन्दा, पनियरा, बृजमनगंज, लक्ष्मीपुर, नौतनवा (खानपुर), निचलौल, घुघली, सिसवां, मिठौरा, धानी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1212
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — इटइवा मन्दिर, लेहड़ा

22. चित्रकूट

- क्षेत्रफल — 3216 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 991730
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 464009
- पुरुष (जनसंख्या) — 527721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 26.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 879-1000
- जनसंख्या घनत्व — 313 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.1 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04(कर्वी, मऊ, मानिकपुर, राजापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 05 (पहाड़ी, मानिकपुर, मऊ, रामनगर, कर्वी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 562
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (राजापुर, तुलसी आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, रामघाट, तुलसी स्मारक, गणेशबाग, हनुमान जी मंदिर, शबरी प्रपात, कोठी तालाब)
- नगर पालिका परिषद — 01 (कर्वी)

23. बाँदा

- क्षेत्रफल — 4408 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1799410
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 833534
- पुरुष (जनसंख्या) — 965876
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 863-1000
- जनसंख्या घनत्व — 403 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (बाँदा, अतर्रा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (बाँदा, अतर्रा, नरैनी, बबेरू, पैलानी)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (तिन्दवारी, जसपुरा, बड़ोखर, खुर्द, नरैनी, महुआ, बबेरू, बिसण्डा, कमासिन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 657

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कालिन्जर का किला
- हस्तशिल्प — सजर पत्थर का कार्य

24. हमीरपुर

- क्षेत्रफल — 4021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1104285
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 510748
- पुरुष (जनसंख्या) — 593537
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 11.09 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 861-1000
- जनसंख्या घनत्व — 258 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (हमीरपुर, मौदहा, राठ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (हमीरपुर, मौदहा, राठ, सरीला)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा, राठ, गौहाण्ड, सरीला)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 497
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सिंह महेश्वर मन्दिर, चौरादेवी मंदिर, ब्रह्मानंद आश्रम, सिटी फारेस्ट, गौरइया देवी मन्दिर, मेहर मंदिर, निरंकारी आश्रम गायत्री शक्तिपीठ, खण्डेह मंदिर, सिसोला के शिव मंदिर, समाधि स्थल, दाता साइधाम, भुइयन देवी मन्दिर झलोखर
- हस्तशिल्प — खादी ग्रामोद्योग

25. महोबा

- क्षेत्रफल — 3144 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 875958
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 409600
- पुरुष (जनसंख्या) — 466358
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.52 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 878-1000
- जनसंख्या घनत्व — 304 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (महोबा, चरखारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (महोबा, कुलपहाड़, चरखारी)
- विकासखण्डों की संख्या — 04 (कवरई, चरखारी, पनवाड़ी, जैतपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 435
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चन्द्रिका देवी मन्दिर, सूर्य मन्दिर, उर्मिल डेम, खकरहा मठ, जैन तीर्थंकर, शिव ताण्डव, ऊदल चौक, कीरत ताल
- हस्तशिल्प — गौरा पत्थर, गौरिहारी

26. झाँसी

- क्षेत्रफल — 5024 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1998603
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 941167
- पुरुष (जनसंख्या) — 1057436
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 398 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.0 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (झाँसी)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (बरुआसागर, मऊरानीपुर, गुरुसराय, समथर, चिरगांव)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (झांसी, मोठ, मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरगांव, गुरसराय, बामौर, बंगरा, बबीना, बड़ागांव, मोठ, मऊरानीपुर)
- आगाद ग्रामों की संख्या — 745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — झांसी का किला, रानी महल, गंगाधरराव की छतरी, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मीताल, नारायन बाग, राजकीय संग्रहालय, कौमासन का मंदिर, जराय का मठ, बरुआसागर का किला, कम्पनीबाग, स्वर्गाश्रम, बरुआसागर जलाशय, सुकवां-ढुकवा, परीछा बाँध, भसनेह जलाशय, करगुवा जी लक्ष्मीबाई पार्क।
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ — वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. जी. निवास फर्टीलाइजर्स लि., डायमंड सीमेंट फैक्ट्री
- हस्तशिल्प — घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आदि।

27. जालौन

- क्षेत्रफल — 4565 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1689974
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 783882
- पुरुष (जनसंख्या) — 906092
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 16.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 73.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (कालपी, जालौन, कोंच, उरई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (जालौन, उरई, कालपी, कोंच, माधवगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (एटकोच, डकोर, कुठौंद, रामपुरा, माधवगंज जालौन, कदौरा, महेवा, नदीगांव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 942
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अक्षरादेवी, चौरासी गुम्बद, लंका मीनार, बारा खम्भा, चन्देल दुर्ग, ताई-वाई महल, केवड़ा बाग, गांधी पार्क, व्यास मंदिर
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, चदरा, चटाई, हाथ कागज

28. ललितपुर

- क्षेत्रफल — 5039 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1221592
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 580581
- पुरुष (जनसंख्या) — 641011
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 24.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 906-1000
- जनसंख्या घनत्व — 242 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 63.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (ललितपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, मंडावरा, पाली)
- विकासखण्डों की संख्या — 06 (मंडावरा, महरौनी, बिरघा, बार, तालबेहट, जखौरा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 691
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — देवगढ़, दयावतार, माताटीला, राजघाट
- हस्तशिल्प — सिल्क साड़ी, पीतल मूर्तिकला, पत्थर मूर्तिकला
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — ग्रेनाइट (खनन उद्योग), दाल मिल, बारूद फैक्ट्री, भारत एक्सप्लोसिव

29. गोण्डा

- क्षेत्रफल — 4003 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3433919
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1646773
- पुरुष (जनसंख्या) — 1787146
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 922-1000
- जनसंख्या घनत्व — 851 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 58.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (करनैलगंज, नबाबगंज, गोण्डा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (करनैलगंज, तरबगंज, गोण्डा, मनकापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (रुपईडीहा, कटरा बाजार, हलधरमऊ, झंझरी, पन्डरी कृपाल, इटियाथोक, मुजेंहना, बभनजोत, मनकापुर, छपिया, कर्नलगंज, परसपुर, बिल्सर, तरबगंज, वजीरगंज, नवाबगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1812
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — तिर्रेमनोरमा, पसका, छपिया, पृथ्वीनाथ, सकरौरा, लकड़मण्डी अरगा, पार्वती
- हस्तशिल्प — मिट्टी के बर्तन, सूत दरी
- प्रमुख उद्योग — चीनी

30. बहराइच

- क्षेत्रफल — 5237 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3487731
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1643847
- पुरुष (जनसंख्या) 1843884
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 29.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 891-1000
- जनसंख्या घनत्व 697 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बहराइच, नानपारा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (बहराइच, कैसरगंज, नानपारा, महसी, पयागपुर,मोतीपुर)
- विकासखण्डों की संख्या 14 (चित्तौरा, कैसरगंज, जरवल, तजवापुर, महसी, हुजूरपुर, बलहा, शिवपुर, मिहीपुरवा, नवाबगंज, रिसिया, पयागपुर, विशेश्वरगंज, फखरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1359
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दरगाह सैय्यद सालार, मसऊद गाजी, राजा सुहेलदेव मंदिर, वन्य जीव विहार (कतर्निया घाट)
- हस्तशिल्प कला कलन चित्रकारी, चिकन इम्ब्राइडरी

31. बलरामपुर

- क्षेत्रफल 3349 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2148665
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1033944
- पुरुष (जनसंख्या) 1114721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 27.74 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 927-1000
- जनसंख्या घनत्व 642 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बलरामपुर, उतरौला)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (बलरामपुर, तुलसीपुर, उतरौला)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (श्री दत्तगंज, उतरौला, गैण्डासबुजुर्ग, रेहराबाजार, बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा, हरैयासत धरवा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 998
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल देवीपाटन मंदिर, तुलसीपुर, विजलेश्वरी मंदिर, बिजुलीपुर, दुःखहरणनाथ मंदिर, बाबा हुर्मतशाह का आस्ताना
- हस्तशिल्प हथकरघा, लकड़ी का कार्य

32. अयोध्या

- क्षेत्रफल 2341 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2470996
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1211368
- पुरुष (जनसंख्या) 1259628

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 980-1000
- जनसंख्या घनत्व — 962 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.7 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (अयोध्या)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रुदौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (रुदौली, सदर, मिल्कीपुर, सोहावल, बीकापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 11 (मसौधा, पुराबाजार, सोहावल, मयाबाजार, बीकापुर, तारून, रुदौली, मवई, हैरिंगटनगंज, अमानीगंज, मिल्कीपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1235
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अयोध्याजी, सूरजकुण्ड, भरतकुण्ड, बिल्वहरिघाट, बहू बेगम का मकबरा, गुलाबबाड़ी, गुप्तारघाट, रत्ना गिरि मंदिर (रौनाही) कम्पनी बाग, अयोध्या के जैन मंदिर, नौगजी कब्र, मणिपर्वत देवकाली मन्दिर, मिलेट्री मन्दिर
- हस्तशिल्प — बाँस, चमड़ा

3985

33. बाराबंकी

- क्षेत्रफल — 4402 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3260699
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1553626
- पुरुष (जनसंख्या) — 1707073
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 910-1000
- जनसंख्या घनत्व — 838 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 61.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (नवाबगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (नवाबगंज, फतेहपुर, रामनगर, हैदरगढ़, रामसनेही घाट, सिरौली-गौसपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (निन्दूरा, फतेहपुर, सूरतगंज, रामनगर, देवा, बंकी, हरख, मसौली, सिद्धौर, त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़, दरियाबाद, बनीकोडर, पूरेडलई, सिरौली-गौसपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1817
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — श्री लोधेश्वर महादेव, श्री औसामेश्वर महादेव, श्री कुंतेश्वर महादेव, पारिजात वृक्ष, देवाशरीफ, श्री कोटवाधाम, मझगांव शरीफ, दरगाह सैयद सालार शाह, सतरिख, बांसा शरीफ, नाग देवता, मजीठा, नागेश्वर मन्दिर
- हस्तशिल्प — मिट्टी के बर्तन व हथकरघे से निर्मित वस्त्र
- महत्त्वपूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ — इण्डियन पालीफाइबर्स लि. सोमैया आर्गेनिक केमिकल्स लि., सुगर मिल हैदरगढ़, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, इकाई बुढ़वल

34. सुल्तानपुर

- क्षेत्रफल — 2673 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2431491
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1204842
- पुरुष (जनसंख्या) — 1226649
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 983-1000
- जनसंख्या घनत्व — 901 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (सुल्तानपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सदर, लम्भुआ, जयसिंहपुर, कादीपुर, बल्दीराय)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 14 (बल्दीराय, धनपतगंज, कुडवार, कूरेभार, दूबेपुर, मोतिगरपुर, जयसिंहपुर, कादीपुर, अखण्डनगर, दोस्तपुर, करौंदीकला, भदैया, लम्भुआ,प्रतापपुर कमेचा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1708
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — धोपाप, विजेथुआ महावीरन, सीताकुण्ड, देवी मन्दिर लोहरामऊ
- हस्तशिल्प — बाधमण्डी
- प्रमुख उद्योग — सहकारी चीनी मिल

35. बरेली

- क्षेत्रफल — 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4448359
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2090694
- पुरुष (जनसंख्या) — 2357665
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 887-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1080 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 58.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (आँवला, नवाबगंज, बहेड़ी, फरीदपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बरेली, फरीदपुर, नवाबगंज, मीरगंज, बहेड़ी, आँवला)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (क्यारा, बिथरीचैनपुर, मीरगंज, भोजीपुरा, फतेहगंज, नवाबगंज, भदपुरा, भुता, फरीदपुर, बहेड़ी, दमखोदा, आलमपुर, जाफराबाद, शेरगढ़, मंझगवा, रामनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1855
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — पुराना किला, शहीद स्मारक, खान बहादुर खान की कब्र, नज्जू खाँ का मकबरा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, काला इमामबाड़ा
- हस्तशिल्प — फर्नीचर, मांझा, जरी, जरदोजी, सुरमा, खेल का सामान

36. बदायूँ

- क्षेत्रफल — 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3127621

- महिलाएँ (जनसंख्या) 1457266
- पुरुष (जनसंख्या) 1670355
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 872-1000
- जनसंख्या घनत्व 739 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 52.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 07 (बदायूं, ककराला, उझांनी, बिल्सी, दातागंज, बिसौली, सहसवान)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (बदायूँ, सहसवान, बिल्सी, दातागंज, बिसौली)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (उझानी, सहसवान, दहगवाँ, कादरचौक, सालारपुर, वजीरगंज, बिसौली, आसफपुर, इस्लामनगर, जगत, म्याऊ, उसांवा, दातागंज, समरेर, अम्बियापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1476
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जामा मस्जिद, घंटाघर, सूरज कुण्ड, सरसोता
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ बान बनाना, चमड़े का कार्य, खाण्डसारी, मेंथा तेल, खराद, हथकरघा

37. पीलीभीत

- क्षेत्रफल 3686 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2031007
- महिलाएँ (जनसंख्या) 959005
- पुरुष (जनसंख्या) 1072002
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 895-1000
- जनसंख्या घनत्व 539 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (पूरनपुर, बीसलपुर, पीलीभीत)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (पूरनपुर, बीसलपुर, पीलीभीत,कलीनगर, अमरिया)
- विकासखण्डों की संख्या 07 (अमरिया, ललौरी खेड़ा, मरौरी, पूरनपुर, विलसण्डा, बीसलपुर, बरखेड़ा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1295
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल गौरीशंकर का मंदिर, जामा मस्जिद, हजरतशाह जी मियाँ दरगाह, मैनाकोट, राजा वेणु का किला, देवल का मंदिर, राजा मोरध्वज का टीला, बाबा दुर्गानाथ का मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा छटी पातशाही, आयुर्वेदिक कॉलेज, वनौषधि, हरबेरियम फार्मेसी, हर्बल गार्डन, मैथाडिस्ट चर्च, मेन बाजार का गेट, बरेली गेट, जसवन्तरी देवी मंदिर आदि।
- हस्तशिल्प बाँसुरी

38. शाहजहाँपुर

- क्षेत्रफल 4388 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3006538

- महिलाएँ (जनसंख्या) 1400135
- पुरुष (जनसंख्या) 1606434
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 872-1000
- जनसंख्या घनत्व 657 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 59.5 प्रतिशत
- नगर निगम 01 (शाहजहाँपुर)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (पुवायां, तिलहर, जलालाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (शाहजहाँपुर, पुवायां, जलालाबाद, तिलहर)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (भावलखेड़ा, ददरौला, कांठ, मदनापुर, जलालाबाद, तिलहर, जैतीपुर, खुदागंज, निगोही, पुवायां, बण्डा, खुटार, मिर्जापुर कलान, सिधौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 2088
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल शहीद उद्यान, वनखण्डीनाथ मन्दिर, विश्वनाथ मंदिर, बहादुर खाँ मकबरा, मुमछा आश्रम, श्रीरामचन्द्र मिशन प्रार्थना भवन, विसरात घाट, सुनहरी मजार, मजार अमर शहीद राम प्रसाद विस्मिल, स्मारक अमर शहीद रोशन सिंह, निजामशाह की दरगाह, रायसुखा निदान का फाटक, उदासियों का अखाड़ा, चौकसीनाथ, फूलमती देवी का मन्दिर, सत्संग आश्रम
- हस्तशिल्प कालीन, कारचोबी

39. बस्ती

- क्षेत्रफल 2688 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2464464
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1209192
- पुरुष (जनसंख्या) 1255272
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 963-1000
- जनसंख्या घनत्व 839 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 67.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (बस्ती)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (बस्ती, रुधौली, मानपुर, हर्रैया)
- विकासखण्डों की संख्या 14 (परशुरामपुर, गौर, हर्रैया, विक्रमजीत, कप्तानगंज, रामनगर, सल्टौआगोपालपुर, रुधौली, साउंघाट, बस्ती सदर, बंकटी, बहादुरपुर, कुदरहा, दुलौलिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या 3160
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल छावनी बाजार, मखैड़ा, अमोढ़ा, नगर बाजार, पैडा, भेद्रेश्वरनाथ, श्रंगीनारी
- प्रमुख उद्योग गन्ना

40. सिद्धार्थनगर

- क्षेत्रफल — 2895 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2559297
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1264202
- पुरुष (जनसंख्या) — 1295093
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 25.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 976-1000
- जनसंख्या घनत्व — 884 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 59.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (सिद्धार्थनगर, बांसी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज, इटवा, शोहरतगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 14 (बांसी, बढ़नी, भनबापुर, बर्डपुर, डुमरियागंज, इटवा, जोगिया, खेसरहा, खुनियांव, मिठवल, नौगढ़, लोटन, उस्काबाजार, शोहरतगंढ़)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2336
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कपिलवस्तु, भारतभारी, पलटादेवी, मजार शाह अब्दुल रसूल (मीरा बाबा)

41. मिर्जापुर

- क्षेत्रफल — 4405 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2496970
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1184668
- पुरुष (जनसंख्या) — 1312302
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 921-1000
- जनसंख्या घनत्व — 482 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (मिर्जापुर, चुनार, अहरौरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मिर्जापुर, चुनार, लालगंज, मड़िहान)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (सीटी, कोन, छानवे, मझवां, पहाड़ी, लालगंज, हलिया, मड़िहान, नरायनपुर, जमालपुर, राजगढ़, सीखड़)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — विंध्याचल, विन्डमफाल, लखनियांदरी, सिद्धनाथ की दरी, दुर्गा मन्दिर, टांडाफाल, कुसेहरा काल, सिरसी जलाशय, चुनार किला
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, बर्तन

42. भदोही

- क्षेत्रफल — 1015 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1578213
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 771114

- पुरुष (जनसंख्या) 807099
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 16.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 950-1000
- जनसंख्या घनत्व 1555 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (भदोही, गोपीगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (भदोही, ज्ञानपुर, औराई)
- विकासखण्डों की संख्या 06 (सुरियावां, भदोही, ज्ञानपुर, औराई, डीघ, अमोली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1087
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल सीतामणि, सेमराधनाथ, चकवा महावीर, तीलेश्वरनाथ, हरिहरनाथ मंदिर
- हस्तशिल्प कालीन
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, दि काशी सहकारी चीनी मिल

43. सोनभद्र

- क्षेत्रफल 6905 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1862559
- महिलाएँ (जनसंख्या) 891215
- पुरुष (जनसंख्या) 971344
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 918-1000
- जनसंख्या घनत्व 274 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (राबर्ट्सगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (राबर्ट्सगंज, दुद्धी, घोरावल, ओबरा)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (राबर्ट्सगंज, घोरावल, चतरा, नगवां चोपन, दुद्धी, म्योरपुर, बभनी)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1391

44. मुरादाबाद

- क्षेत्रफल 2271 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3126507
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1489476
- पुरुष (जनसंख्या) 1637031
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 26.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 909-1000
- जनसंख्या घनत्व 1370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 59.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (ठाकुरद्वारा, बिलारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (मुरादाबाद, कांठ, ठाकुरद्वारा, बिलारी)
- नगर निगम 01 (मुरादाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (बिलारी, डींगरपुर, ठाकुरद्वारा, डिलारी, मुरादाबाद, मुंडापाण्डे, भगतपुरटाण्डा, हजलैट)

- आबाद ग्रामों की संख्या — 965
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सम्भल
- हस्तशिल्प — लकड़ी का काम, स्वर्णकारी, वस्त्र रंगाई-छपाई, लाख, कसीदाकारी, पीतल का काम, स्याह कलम तथा नक्काशी

45. बिजनौर

- क्षेत्रफल — 4561 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3682713
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1761498
- पुरुष (जनसंख्या) — 1921215
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.64 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 917-1000
- जनसंख्या घनत्व — 807 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 12 (बिजनौर, चाँदपुर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, अफजलगढ़, हल्दौर, नहटौर, शेरकोट, किरतपुर, स्योहारा, नूरपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (बिजनौर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, चाँदपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 11 (मोहम्मदपुर देवमल, हलदौर, जलीलपुर, नूरपुर, कोतवाली, अफजलगढ, नजीबाबाद, किरतपुर, अल्हेपुर, नहटौर, बूढ़नपुर स्योहारा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2186
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कण्व आश्रम, बिदुरकुटी, जहानाबाद, दारानगर गंज, सीता का मंदिर, सेना का द्वार, अकबर के नौरत्न, मयूर ध्वज दुर्ग, नजीबुद्दौला का किला, भंडावर का महल, पारसनाथ, ताजपुर का चर्च, नजफे हिन्द (जोगीरामपुरा)
- हस्तशिल्प — काष्ठकला, ब्रश, कांच का सामान, हथकरघा

46. रामपुर

- क्षेत्रफल — 2367 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2335819
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1111930
- पुरुष (जनसंख्या) — 1223889
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 21.40 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 909-1000
- जनसंख्या घनत्व — 987 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 53.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (स्वार, रामपुर, विलासपुर, टाण्डा, मिलक)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (रामपुर सदर, विलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार, टाण्डा)
- विकासखण्डों की संख्या — 06 (सैदनगर, चमरौआ, बिलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1108
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — रजा लाइब्रेरी, किला रामपुर, रठौण्डा मन्दिर, मजार भैसोड़ी शरीफ, कोठी खासबाग, बेनजीर कोठी, शिव मंदिर,

जामा मस्जिद, मजार हाफिज जमातुल्लाह साहब,
रामगंगा, कोसी, भाखड़ा, गांगन, सैजनी, पीलाखार

- महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — चीनी, डिस्टलरी, उर्वरक, कागज, प्रिंटिंग, मैन्था एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, जीरॉक्स, टेलीविजन, व्हीलबेल, कैमिकल्स आदि।
- हस्तशिल्प — जरी, जरदोजी, चाकू, पैचवर्क, पतंग व गार्डेन टूल्स

47. मेरठ

- क्षेत्रफल — 2559 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3443689
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1617946
- पुरुष (जनसंख्या) — 1825743
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 886-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1330 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.8 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (मेरठ)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (सरधना, मवाना)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (मेरठ, सरधना, मवाना)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (मेरठ, रजपुरा, रोहटा, जानी, खरखोदा, मवाना, हस्तिनापुर परीक्षितगढ़, माछरा, सरधना, सरूरपुर, दौराला)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 604
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हस्तिनापुर, सरधना, गागोल तथा परीक्षितगढ़
- हस्तशिल्प — होजरी, कैमिकल्स, कारपेट, हस्तशिल्प

48. बुलन्दशहर

- क्षेत्रफल — 4512 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3499171
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1653911
- पुरुष (जनसंख्या) — 1845260
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (1991 के अनुसार) — 16.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 896-1000
- जनसंख्या घनत्व — 804 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 09 (बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्द्राबाद, गुलावठी स्याना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिवाई, जहाँगीराबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (बुलन्दशहर, अनूपशहर, सिकन्द्राबाद, खुर्जा, स्याना, शिकारपुर, डिबाई)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (बुलन्दशहर, गुलावठी, स्याना, भवन बहादुर नगर, लखावटी, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू, अरनियाँ, सिकन्द्राबाद, अनूपशहर, अगौता, जहाँगीराबाद, ऊँचागाँव, डिबाई, दानपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1174
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नरौरा, अनूपशहर, राजघाट, कालाआम, गुलावठी, कर्णवास,

	रामघाट, मालागढ़, अहार, खुर्जा आदि
• हस्तशिल्प	पाटरी उद्योग
• लघु औद्योगिक इकाइयाँ	602

49. गाजियाबाद

• क्षेत्रफल	910 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3343334
• महिलाएँ (जनसंख्या)	1563410
• पुरुष (जनसंख्या)	1779924
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	53.0 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	887-1000
• जनसंख्या घनत्व	3674 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	80.5 प्रतिशत
• नगर पालिका परिषदों की संख्या	04 (खोड़ा मकनपुर, मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी)
• नगर निगम	01 (गाजियाबाद)
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (गाजियाबाद, मोदीनगर, लोनी)
• विकासखण्डों की संख्या	04 (रजापुर, लोनी, भोजपुर, मुरादनगर)
• आबाद ग्रामों की संख्या	183
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	केसरी का टीला, लवणासुर का किला, गढ़मुक्तेश्वर का गंगा मंदिर, पूँठ, दुधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़ का नक्का कुआं

50. बागपत

• क्षेत्रफल	1321 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1303048
• महिलाएँ (जनसंख्या)	602978
• पुरुष (जनसंख्या)	700070
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	11.87 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	861-1000
• जनसंख्या घनत्व	986 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	72.0 प्रतिशत
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (बागपत, बड़ौत, खेकड़ा)
• विकासखण्डों की संख्या	06 (बागपत, बड़ौत, छपरौली, खेकड़ा, पिलाना, बिनौली)
• आबाद ग्रामों की संख्या	290
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	पुरा महादेव, बरनाना, वालैनी, बड़ा गाँव
• नगरपालिका परिषद	2 (बड़ौत, बागपत)

51. लखनऊ

• क्षेत्रफल	2528 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4589838
- महिलाएँ (जनसंख्या) 2195362
- पुरुष (जनसंख्या) 2394476
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 25.79 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 917-1000
- जनसंख्या घनत्व 1816 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 77.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 00
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (सदर, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, सरोजनी नगर)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (काकोरी, मलिहाबाद, बक्शी का तालाब, गोसाईगंज, सरोजिनी नगर, माल, चिनहट, मोहनलालगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या 803
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल आसिफुद्दौला इमामबड़ा, रेजीडेन्सी, शाहनजफ इमामबाड़ा, छतर मंजिल, लाल बारादरी, रूमी दरवाजा, विधानभवन, चारबाग रेलवे स्टेशन, शहीद स्मारक, अलीगंज महावीर मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, बुद्धेश्वर शिव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, खम्मनपीर मजार, सिकन्दरबाग, बेगम हजरतमहल पार्क, रोशनुद्दौला कोठी, बिजली पासी का किला, काकोरी शहीद स्मारक, लोहिया पार्क, अम्बेडकर स्मारक, अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक दृश्य स्थल, परिवर्तन चौक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल तथा बौद्ध विहार शान्ति उपवन।
- हस्तशिल्प चिकन, जरदोजी

52. हरदोई

- क्षेत्रफल 5986 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4092845
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1901403
- पुरुष (जनसंख्या) 2191442
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 20.39 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 868-1000
- जनसंख्या घनत्व 683 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 07 (हरदोई, साण्डी, बिलग्राम, शाहाबाद, पिहानी, मल्लावाँ, सण्डीला)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (हरदोई, शाहाबाद, संडीला, बिलग्राम, स्वायजपुर)
- विकासखण्डों की संख्या 19 (सुरसा, बाबन, टड़ियावाँ, हरियावाँ, अहिरोरी, शाहाबाद, पिहानी, टोडरपुर, भरखनी, बिलग्राम, माधौगंज, मल्लावाँ, साण्डी, हरपालपुर, संडीला, भरावन, बेंहदर, कछोना, कोथावाँ)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1907
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दहरझील, साण्डी
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ 61

53. लखीमपुर खीरी

- क्षेत्रफल 7680 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4021243
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1898056
- पुरुष (जनसंख्या) 2123187
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 25.14 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 894-1000
- जनसंख्या घनत्व 524 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 60.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 04 (लखीमपुर, गोला, मुहम्मदी, पलिया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 07 (खीरी, निघासन, मोहम्मदी, धौरहरा, गोलागोकरननाथ, पलिया, मितौली)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (लखीमपुर, बेहजम, फूलबेहड़, बाँकेगंज, नकहा, बिजुआ, मोहम्मदी, पसगवाँ, मितौली, कुम्भी (गोला), धौरहरा, ईसानगर, रमियाबेहड़, निघासन, पलिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1706
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दुधवा नेशनल पार्क, इन्दिरा मनोरंजन पार्क, मेढक मन्दिर, गोला मंदिर
- हस्तशिल्प पीतल के बर्तन

54. रायबरेली

- क्षेत्रफल 4043 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2903507
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1408263
- पुरुष (जनसंख्या) 1495244
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.51 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 942-1000
- जनसंख्या घनत्व 721 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 68.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (रायबरेली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (डलमऊ, लालगंज, महाराजगंज, सदर, ऊँचाहार, सलोन)
- विकासखण्डों की संख्या 18 (राही, सतांव, हरचन्दपुर, अमाबा, लालगंज, सरेनी, खीरों, जगतपुर, डलमऊ, महराजगंज, बछरावां, शिवगढ़, ऊँचाहार, दीनशाहगौरा, रोहनियाँ, डीह, छतोह, सलोन)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1535
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जायसी स्मारक, शहीद स्मारक
- औद्योगिक इकाइयाँ इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, भवानी पेपर मिल, नेशनल थर्मल पावर, बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, विसाका सीमेन्ट उद्योग, राजश्री इण्डस्ट्रीज

55. सीतापुर

- क्षेत्रफल 5743 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4483992
- महिलाएँ (जनसंख्या) 2108728
- पुरुष (जनसंख्या) 2375264
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 888-1000

- जनसंख्या घनत्व — 781 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 61.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 06 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, खैराबाद, महमूदाबाद, लहरपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, सिधौली, महमूदाबाद, लहरपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (एलिया, हरगाँव, लहरपुर, परसेन्डी, खैराबाद, बिसवां, बेहटा, रेउसा, सकरन, सिधौली, कसमण्डा, पहला, महमूदाबाद, रामपुर मथुरा, मिश्रिख, मछरेहटा, गोदलामऊ, पिसावाँ, महोली)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दधीचि कुंड, व्यास पीठ, नैमिषारण्य, ललिता देवी मंदिर
- हस्तशिल्प — दरी का कार्य
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2317

56. उन्नाव

- क्षेत्रफल — 4558 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3108367
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1478280
- पुरुष (जनसंख्या) — 1630087
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 907-1000
- जनसंख्या घनत्व — 682 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (उन्नाव, गंगाघाट, बांगरमऊ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (उन्नाव सदर, सफीपुर, हसनगंज, पुरवा, बीघापुर, बांगरमऊ)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (सिकन्दरपुर करन, बिछिया, सफीपुर, फतेहपुर चौरासी, बांगरमऊ, गंजमुरादाबाद, हसनगंज, औरास, मियाँगंज, नवाबगंज, पुरवा, असोहा, हिलौली, बीघापुर, सिकन्दरपुर-सरोसी, सुमेरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1693
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — बक्सर, परियर, बदरका, सचानकोट, नवाबगंज पक्षी बिहार, राज राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, बाल्मीकि आश्रम, चन्द्रिका देवी, दुर्गा, कुशेहरी
- प्रमुख उद्योग — चमड़ा उद्योग, राइस मिल

57. वाराणसी

- क्षेत्रफल — 1535 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3676841
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1754984
- पुरुष (जनसंख्या) — 1921857
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 913-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2395 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रामनगर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (पिण्डरा, वाराणसी सदर, राजातालाब)

- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरईगाँव, हरहुआ, पिण्डरा, बड़ागांव, सेवापुरी, काशी विद्यापीठ, अराजीलाइन, चोलापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1258
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — गंगा के 84 घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मारकण्डेय महादेव, सारनाथ, बौद्ध मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, रामनगर किला, संकटमोचन मन्दिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मन्दिर, ज्ञानवापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद (बेनी माधव का करहरा) भारत माता मन्दिर।
- हस्तशित्प — बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, काला पंखा, ग्लास बीड्स
- महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — डीजल रेल इंजन कारखाना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., सिन्नी पंखा, बूटी मिक्सी, राइस व फ्लोर मिल, एच डी पी ई बैग।

58. गाजीपुर

- क्षेत्रफल — 3377 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3620268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1765193
- पुरुष (जनसंख्या) — 1855075
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 952-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1071 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (गाजीपुर, मुहम्मदाबाद, जमानियां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (गाजीपुर सदर, जमानिया, जखनिया, मुहम्मदाबाद, सैदपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (गाजीपुर, करण्डा, मरदह, बिरनों, मुहम्मदाबाद, भाँवरकोल, बाराचबर, कासिमाबाद, जमानिया, रेवतीपुर, भदौरा, सैदपुर, देवकली, सादात, मनिहारी, जखनिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2740
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सैदपुर भितरी, लठिया, लार्ड कार्नवालिस का मकबरा, जलालाबाग का किला, पौहारी बाबा आश्रम कुरथा, हथियाराम मठ, भुड़कुड़ा मठ, मौनी बाबा आश्रम, गंगादास आश्रम बयेपुर, देवकली, देवल
- हस्तशित्प — वाल हैंगिंग
- निजी तथा सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओपियम फैक्ट्री, डिस्टलरी, राइस मिलें, बहादुर गंज, कताई मिल

59. जौनपुर

- क्षेत्रफल — 4038 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4494204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2273739
- पुरुष (जनसंख्या) — 2220465
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1024-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1113 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.5 प्रतिशत

- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (जौनपुर, मुंगरा बादशाहपुर, शाहगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (सदर, मड़ियाहूँ, मछलीशहर, केराकत, शाहगंज, बदलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 21 (शाहगंज, सुइथाकला, बदलापुर, खुटहन, महराजगंज, सुजानगंज मुंगरा, बादशाहपुर, मछलीशहर, केराकत, गंज-डोभी, मुफ्तीगंज, जलालपुर, करंजाकला, बक्शा, सिकरारा, धर्मापुर, मडियाहूँ, बरसठी, रामनगर, रामपुर, सिरकोनी)।
- आबाद ग्रामों की संख्या — 3287
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शाही किला, शाहीपुर, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, झझरी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, शीतला चौकिया धाम, शारदा मंदिर हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, धर्मापुर, काली मंदिर, शिवलिंग गोमतेश्वर महादेव, गौरीशंकर मंदिर, त्रिलोचन महादेव आदि।
- प्रमुख उद्योग — कृषि यन्त्र, खाद्य तेल, राइसमिल, कालीन, ताल जाली, लोहे के समान, फ्लोर मिल

60. सहारनपुर

- क्षेत्रफल — 3689 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3466382
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1632276
- पुरुष (जनसंख्या) — 1834106
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.7 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 940 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (गंगोह, नकुड़, देवबन्द, सरसांवा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सहारनपुर, रामपुर मनिहारान, देवबन्द, नकुड़, बेहठ)
- विकास खण्डों की संख्या — 11 (बलियाखेड़ी, रामपुर मनिहारान, नानौता, देवबन्द, नागल, मुजफ्फराबाद, सढ़ौली कदीम, सरसाचा, नकुड़, पुवाँरका, गंगोह)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1243
- हस्तशिल्प — काष्ठ कला, कागज, लुगदी उद्योग, गत्ता उद्योग, घंटी उद्योग

61. मुजफ्फरनगर

- क्षेत्रफल — 2796 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2829865
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1335505
- पुरुष (जनसंख्या) — 1494360
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 893-1000
- जनसंख्या घनत्व — 957 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (मुजफ्फरनगर, खतौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मुजफ्फरनगर, खतौली, जानसठ, बुढ़ाना)

- विकासखण्डों की संख्या — 09 (बघरा, चरथावल, पुरकाजी, खतौली, जानसठ, मोरना, बुढ़ाना, शाहपुर, मुजफ्फर नगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 587
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नेहरू पार्क, शुक्रताल
- प्रमुख उद्योग — रोलिंग, चीनी, स्टील, कागज

62. अमरोहा

- क्षेत्रफल — 2249 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1840221
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 876772
- पुरुष (जनसंख्या) — 963449
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 910-1000
- जनसंख्या घनत्व — 818 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 63.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (बछराचू, हसनपुर, गजरौला, अमरोहा, घनौरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (अमरोहा, घनौरा, हसनपुर, नौगांवा सादत)
- विकास खण्डों की संख्या — 06 (अमरोहा, जौया, घनौरा, गजरौला, हसनपुर, गंगेश्वरी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 959
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — वासुदेव मन्दिर, बायें का कुआँ, नसीरुद्दीन साहब की मजार, भूरेशाह की दरगाह, शाह विलायत साहब की मजार
- प्रमुख उद्योग — चड्ढा रबड़, शिवालिक सेल्लयूलोज

63. गौतमबुद्धनगर

- क्षेत्रफल — 1282 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1648115
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 757901
- पुरुष (जनसंख्या) — 890214
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 49.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 851-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1143 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 80.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (दादरी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (गौतमबुद्धनगर, जेवर, दादरी)
- विकासखण्डों की संख्या — 04 (वनकौर, जेवर, विसरख, दादरी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 304
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नोएडा फिल्म सिटी, साफ्टवेयर पार्क्स
- प्रमुख उद्योग — आटोमोबाईल, पेण्ट, ऐन्सलियरी इकाइयाँ, न्यूज चैनल्स उद्योग आदि

64. हाथरस

- क्षेत्रफल — 1840 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1564708
- महिलाएँ (जनसंख्या) 728581
- पुरुष (जनसंख्या) 836127
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 871-1000
- जनसंख्या घनत्व 850 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 71.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (सिकन्दराराऊ, हाथरस)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (सासनी, हाथरस, सादाबाद, सिकन्दराराऊ)
- विकासखण्डों की संख्या 07 (सासनी, सहपऊ, हाथरस, मुरसान, सादाबाद, सिकन्दराराऊ, हसायन)
- आबाद ग्रामों की संख्या 655
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दाऊजी महाराज का मन्दिर, महाकाली मन्दिर (शाहपाउ)
- प्रमुख उद्योग एसोफीटीडा (हींग), देशी घी, चीनी, रेडीमेड परिधान, केमिकल्स, कृत्रिम मोती, आर्टवेयर

65. औरैया

- क्षेत्रफल 2016 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1379545
- महिलाएँ (जनसंख्या) 639505
- पुरुष (जनसंख्या) 740040
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 16.99 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 864-1000
- जनसंख्या घनत्व 685 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 78.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (औरैया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (विघूना, औरैया, अजितमल)
- विकासखण्डों की संख्या 07 (एरवा कटरा, विघूना, अछल्दा, सहार, अजीतमल, भाग्यनगर, औरैया)
- आबाद ग्रामों की संख्या 769
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग हैण्डलूम के कपड़ों का उत्पादन

66. कौशाम्बी

- क्षेत्रफल 1779 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1599596
- महिलाएँ (जनसंख्या) 761111
- पुरुष (जनसंख्या) 838485
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.60 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 908-1000
- जनसंख्या घनत्व 898 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (भरवारी)
- नगर पंचायतों की संख्या एवं नाम 00

- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सिराथू, मंझनपुर, चायल)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (कड़ा, सिराथू, सरसवां, मंझपुर, कौशाम्बी, मुरतगंज, चायल, नेवादा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 729
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शीतला शक्तिपीठ मन्दिर, प्रभासगिरि (पभोसा), महाराज उदयन के किले के अवशेष, गढ़वा कोसम, दुर्गा देवी मन्दिर (मंझनपुर), संत मलूकदास की समाधि
- प्रमुख उद्योग — बालू खनन, कोल्ड स्टोरेज, ईंट-भट्टा उद्योग

67. अम्बेडकर नगर

- क्षेत्रफल — 2350 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2397888
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1185478
- पुरुष (जनसंख्या) — 1212410
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 978-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1018 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (टाण्डा, अकबरपुर, जलालपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (अकबरपुर, भीटी, टाण्डा, जलालपुर, आलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (भीटी, अकबरपुर, कटेहरी, टाण्डा, बसखारी, रामनगर, जहागीरगंज, जलालपुर, भियाव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1649
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शिवलिंगम (बीरी), लोरपुर राजा का किला, एकलव्य स्टेडियम (बसखारी रोड), साहित्य सदन (सेथवा), शिवबाबा
- प्रमुख उद्योग — टाण्डा-टेराकोटा, पावरलूम, थर्मल पावर स्टेशन (एन.टी.पी.सी.), अकबरपुर शुगर मिल, राइस मिल, अचल इण्डस्ट्री

68. श्रावस्ती

- क्षेत्रफल — 1640 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1117361
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 523464
- पुरुष (जनसंख्या) — 593897
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 30.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 881-1000
- जनसंख्या घनत्व — 601 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 46.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (भिनगा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (भिनगा, इकौना, जमुनहा)
- विकासखण्डों की संख्या — 05 (जमुनहा, गिलौला, इकौना, हरिहरपुर रानी, सिरसिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 509
- गैर आबाद ग्रामों की संख्या — 32
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जेतवन, मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार, महामंगोल मन्दिर, महावीर मन्दिर, सहेत-महेत, शक्तिपीठ

- प्रमुख उद्योग — कृषि तथा पर्यटन उद्योग

69. सन्त कबीर नगर

- क्षेत्रफल — 1646 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1715183
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 845527
- पुरुष (जनसंख्या) — 869656
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.71 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 973-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1037 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (खलीलाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (खलीलाबाद, मेंहदावल, घनघटा)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (सेमरियांवा, मेहदावल, वघौली, खलीलाबाद, नाथनगर, हेसरबाजार, सांथा, बेलहरकला, पौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1582
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — तामा, बखीरा, खलीलाबाद और कबीर निर्वाण स्थली मगहर
- प्रमुख उद्योग — पेपर मिल, रिफाइण्ड तेल, काटन टेक्सटाइल, पाटरी, कन्फेक्शनरी, बढ़ईगिरी, ब्रासवेयर, ईंट, एग्रो-उत्पाद, साबुन, मोमबत्ती, खाण्डसारी आदि

70. चंदौली

- क्षेत्रफल — 2541 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1952756
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 934851
- पुरुष (जनसंख्या) — 1017905
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 918-1000
- जनसंख्या घनत्व — 770 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (दीनदयाल उपाध्याय नगर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सकलडीहा, चन्दौली, चाकिया, मुगलसराय,नौगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (चहनिया, धानपुर, सकलडीहा, नियामाबाद, चन्दौली, बरहनी चकिया, सहाबगंज, नौगढ़)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — छहानिया, नवगढ़ के जंगल, जल प्रपात, राजदारी एवं देवदारी जल प्रपात, चकिया, चन्द्र प्रभा डैम, नवगढ़ डैम, अर्वताण्ड जल प्रपात एवं चन्द्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग — राइस मिल, लकड़ी उद्योग एवं जंगल उत्पाद आधारित उद्योग
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1425

71. कासगंज

- क्षेत्रफल — 1955 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1436719
- महिलाएँ (जनसंख्या) 672554
- पुरुष (जनसंख्या) 764165
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.05 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 881-1000
- जनसंख्या घनत्व 725 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (कासगंज, सोरों, गंज डुडवारा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (कासगंज, पटियाली, सहावर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम 07 (सोरों, सहावर, पटियाली, कासगंज, गंजडुण्डुवारा, सिढ़पुरा, अमापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 650
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल भगवान वराह मन्दिर, जामा मस्जिद, नदरई का पुल, प्रभु का पार्क, चामुण्डा मन्दिर आदि
- हस्तशिल्प खादी वस्त्र, घुंघरू घंटी, कांचमूंगा, मोती, मूंगबान
- प्रमुख उद्योग कृषि उत्पाद हेतु शीतगृह, सीमेण्ट कारखाना, राइस मिल, कालीन कारखाना, दुग्ध प्लांट, ईंट भट्टा एवं बेकरी आदि

72. अमेठी

- क्षेत्रफल 2329 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1867678
- महिलाएँ (जनसंख्या) 922443
- पुरुष (जनसंख्या) 945235
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.42 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 976-1000
- जनसंख्या घनत्व 610 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (जायस, गौरीगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम 13 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर, शुकुलबाजार, भादर, भेटुआ, संग्रामपुर, शाहगढ, जामों, बहादुरपुर, सिंहपुर)
- ग्रामों की संख्या 988
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल मलिक मुहम्मद जायसी की मजार, टीकरमाफी आश्रम, कालिकन धाम, सत्थिन, अहोरवन भवानी
- प्रमुख उद्योग ए.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री, भेल, इण्डोगल्फ, एच.ए.एल. गैस प्लान्ट

73. शामली

- क्षेत्रफल 1212 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1313647
- महिलाएँ (जनसंख्या) 614259
- पुरुष (जनसंख्या) 699388
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (कैराना, शामली, ऊन)
- विकासखण्डों की संख्या 05 (ऊन, थाना भवन, शामली, कैराना, कांधला (आंशिक)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (कैराना, कांधला, शामली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 293

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हनुमान टीला, जैन मन्दिर (जलालाबाद), गुरुद्वारा (शामली), पीर बिडौली (झिंझाना), कर्ण का तालाब (कैराना)

74. हापुड़

- क्षेत्रफल — 660 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1338311
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 629401
- पुरुष (जनसंख्या) — 708910
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुवा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 04 (हापुड़, सिम्भावली, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 328
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चण्डी मन्दिर, दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर, सपनावत साईं मन्दिर

75. संभल

- क्षेत्रफल — 2453 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2199774
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1039728
- पुरुष (जनसंख्या) — 1160046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (चन्दौसी, सम्भल, बहजोई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (संभल, चन्दौसी, गुन्नौर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 08 (रजपुरा, गुन्नौर, जूनावई, असमौली, संभल, पवासा, बनियाखेड़ा, बहजोई)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 894
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सूर्यकुण्ड, कुरुक्षेत्र, यमतीर्थ, कल्किमन्दिर, शाही मस्जिद, चक्की-पाट
- प्रमुख उद्योग — मैंथा, हड्डी-सींग, कृषियन्त्र, हैण्डीक्राफ्ट, चाँदी का वरक

स्रोतः 1. सांख्यिकीय डायरी- 2020
2. जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका 2019 - अर्थ एवं संख्या प्रभाग

भारत के राष्ट्रपति

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद (1884-1963)	26 जनवरी, 1950	से	13 मई, 1962
2.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1962	से	13 मई, 1967
3.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1967	से	03 मई, 1969
4.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980) (कार्यवाहक)	3 मई, 1969	से	20 जुलाई, 1969
5.	न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969	से	24 अगस्त, 1969
6.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	24 अगस्त, 1969	से	24 अगस्त, 1974
7.	डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)	24 अगस्त, 1974	से	11 फरवरी, 1977
8.	श्री बी0डी0 जत्ती (1912-2002) (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977	से	25 जुलाई, 1977
9.	श्री नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996)	25 जुलाई, 1977	से	25 जुलाई, 1982
10.	श्री ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994)	25 जुलाई, 1982	से	25 जुलाई, 1987
11.	श्री आर0 वेंकटरामन (1910-2009)	25 जुलाई, 1987	से	25 जुलाई, 1992
12.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	25 जुलाई, 1992	से	25 जुलाई, 1997
13.	डॉ0 के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	25 जुलाई, 1997	से	25 जुलाई, 2002
14.	डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम (1931-2015)	25 जुलाई, 2002	से	25 जुलाई, 2007
15.	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007	से	25 जुलाई, 2012
16.	श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935)	25 जुलाई, 2012	से	25 जुलाई, 2017
17.	श्री राम नाथ कोविन्द (जन्म 1945)	25 जुलाई, 2017	से	वर्तमान तक

स्रोत : presidentofindia.nic.in/profile-hi.htm

भारत के उपराष्ट्रपति

क्रम	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1952 से 12 मई, 1962
2.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1962 से 12 मई, 1967
3.	श्री वी0वी0 गिरि (1894-1980)	13 मई, 1967 से 03 मई, 1969
4.	श्री गोपाल स्वरूप पाठक (1896-1982)	31 अगस्त, 1969 से 30 अगस्त, 1974
5.	श्री बी0 डी0 जत्ती (1912-2002)	31 अगस्त, 1974 से 30 अगस्त, 1979
6.	न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह (1905-1992)	31 अगस्त, 1979 से 30 अगस्त, 1984
7.	श्री आर0 वेंकटरमन (1910-2009)	31 अगस्त, 1984 से 24 जुलाई, 1987
8.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	3 सितम्बर, 1987 से 24 जुलाई, 1992
9.	श्री के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	21 अगस्त, 1992 से 24 जुलाई, 1997
10.	श्री कृष्णकांत (1927-2002)	21 अगस्त, 1997 से 21 जुलाई, 2002
11.	श्री भैरों सिंह शेखावत (1923-2010)	19 अगस्त, 2002 से 21 जुलाई, 2007
12.	मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म, 1937)	11 अगस्त, 2007 से 10 अगस्त, 2017
13.	श्री एम0 वेंकैया नायडु (जन्म, 1949)	11 अगस्त, 2017 से वर्तमान में

स्रोत : vicepresidentofindia.nic.in/hi/profile

भारत के प्रधानमंत्री

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. जवाहर लाल नेहरू (1889-1964)	15 अगस्त, 1947	से	27 मई 1964
2.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	27 मई, 1964	से	9 जून, 1964
3.	श्री लाल बहादुर शास्त्री (1904-1966)	9 जून, 1964	से	11 जनवरी, 1966
4.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	11 जनवरी, 1966	से	24 जनवरी, 1966
5.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	24 जनवरी, 1966	से	24 मार्च, 1977
6.	श्री मोरारजी देसाई (1896-1995)	24 मार्च, 1977	से	28 जुलाई, 1979
7.	चौ0 चरण सिंह (1902-1987)	28 जुलाई, 1979	से	14 जनवरी, 1980
8.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	14 जनवरी, 1980	से	31 अक्टूबर, 1984
9.	श्री राजीव गांधी (1944-1991)	31 अक्टूबर, 1984	से	2 दिसम्बर, 1989
10.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931-2008)	2 दिसम्बर, 1989	से	10 नवम्बर, 1990
11.	श्री चन्द्रशेखर (1927-2007)	10 नवम्बर, 1990	से	21 जून, 1991
12.	श्री पी0वी0 नरसिम्हा राव (1921-2004)	21 जून, 1991	से	16 मई, 1996
13.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	16 मई, 1996	से	1 जून, 1996
14.	श्री एच0 डी0 देवेगौड़ा (जन्म- 1933)	1 जून, 1996	से	21 अप्रैल, 1997
15.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल (1919-2012)	21 अप्रैल 1997	से	19 मार्च 1998
16.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	19 मार्च 1998	से	22 मई, 2004
17.	डॉ0 मनमोहन सिंह (जन्म- 1932)	22 मई, 2004	से	26 मई, 2014
18.	श्री नरेन्द्र मोदी (जन्म- 1950)	26 मई, 2014	से	वर्तमान तक

स्रोत : pmindia.gov.in/hi/अपने प्रधानमंत्री को जाने

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	श्रीमती सरोजिनी नायडू	15 अगस्त, 1947	से	02 मार्च, 1949
2.	न्यायमूर्ति श्री बी.बी. मलिक	03 मार्च, 1949	से	01 मई, 1949
3.	श्री एच.पी. मोदी	02 मई, 1949	से	25 जनवरी, 1950
4.	श्री एच.पी. मोदी	26 जनवरी, 1950	से	01 जून, 1952
5.	डॉ. कन्हैया लाल मानिक लाल मुन्शी	02 जून, 1952	से	09 जून, 1957
6.	श्री वराह गिरि वेंकट गिरि	10 जून, 1957	से	30 जून 1960
7.	डॉ. बी. रामाकृष्णा राव	01 जुलाई, 1960	से	15 अप्रैल, 1962
8.	श्री विश्वनाथ दास	16 अप्रैल, 1962	से	30 अप्रैल 1967
9.	डॉ. बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी	01 मई, 1967	से	30 जून 1972
10.	न्यायमूर्ति श्री शशी कान्त वर्मा	01 जुलाई, 1972	से	13 नवम्बर 1972
11.	श्री अकबर अली खान	14 नवम्बर, 1972	से	24 अक्टूबर 1974
12.	डॉ. मारी चेन्ना रेड्डी	25 अक्टूबर, 1974	से	01 अक्टूबर, 1977
13.	श्री गनपत राव देवजी तपासे	02 अक्टूबर, 1977	से	27 फरवरी 1980
14.	श्री सी. पी. एन. सिंह	28 फरवरी, 1980	से	31 मार्च, 1985
15.	श्री मो. उस्मान आरिफ	31 मार्च, 1985	से	11 फरवरी, 1990
16.	श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी	12 फरवरी, 1990	से	25 मई, 1993
17.	श्री मोती लाल वोरा	25 मई, 1993	से	03 मई, 1996
18.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	03 मई, 1996	से	19 जुलाई, 1996
19.	श्री रोमेश भण्डारी	19 जुलाई, 1996	से	17 मार्च, 1998
20.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	17 मार्च, 1998	से	19 अप्रैल, 1998
21.	श्री सूरज भान	20 अप्रैल, 1998	से	23 नवम्बर, 2000
22.	श्री विष्णुकान्त शास्त्री	24 नवम्बर, 2000	से	02 जुलाई, 2004
23.	श्री सुदर्शन अग्रवाल	03 जुलाई, 2004	से	07 जुलाई, 2004
24.	श्री टी.वी. राजेस्वर	08 जुलाई, 2004	से	27 जुलाई, 2009
25.	श्री बी.एल. जोशी	28 जुलाई, 2009	से	23 जून, 2014
26.	डॉ. अज़ीज़ कुरैशी	23 जून, 2014	से	22 जुलाई, 2014
27.	श्री राम नाईक	22 जुलाई, 2014	से	28 जुलाई, 2019
28.	श्रीमती आनंदीबेन मफतभाई पटेल	29 जुलाई, 2019	से	वर्तमान में

स्रोत : **राजभवन, लखनऊ**

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. गोविन्द वल्लभ पंत	01-04-1946	से	27-12-1954
2.	डॉ. सम्पूर्णानन्द	28-12-1954	से	06-12-1960
3.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	07-12-1960	से	01-10-1963
4.	श्रीमती सुचेता कृपलानी	02-10-1963	से	13-03-1967
5.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	14-03-1967	से	02-04-1967
6.	चौधरी चरण सिंह	03-04-1967	से	25-02-1968
	राष्ट्रपति शासन	**25-02-1968**	**से**	**25-02-1969**
7.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	26-02-1969	से	17-02-1970
8.	चौधरी चरण सिंह	17-02-1970	से	01-10-1970
	राष्ट्रपति शासन	**02-10-1970**	**से**	**18-10-1970**
9.	श्री त्रिभुवन नारायण सिंह	18-10-1970	से	04-04-1971
10.	श्री कमलापति त्रिपाठी	04-04-1971	से	12-06-1973
	राष्ट्रपति शासन	**13-06-1973**	**से**	**08-11-1973**
11.	श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	08-11-1973	से	30-11-1975
	राष्ट्रपति शासन	**30-11-1975**	**से**	**21-01-1976**
12.	श्री नारायण दत्त तिवारी	21-01-1976	से	30-04-1977
	राष्ट्रपति शासन	**30-04-1977**	**से**	**22-06-1977**
13.	श्री रामनरेश यादव	23-06-1977	से	28-02-1979
14.	श्री बनारसी दास	28-02-1979	से	17-02-1980
	राष्ट्रपति शासन	**17-02-1980**	**से**	**09-06-1980**
15.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	09-06-1980	से	19-07-1982
16.	श्री श्रीपति मिश्र	19-07-1982	से	03-08-1984
17.	श्री नारायण दत्त तिवारी	03-08-1984	से	10-03-1985
18.	श्री नारायण दत्त तिवारी	11-03-1985	से	23-09-1985
19.	श्री वीर बहादुर सिंह	24-09-1985	से	24-06-1988
20.	श्री नारायण दत्त तिवारी	25-06-1988	से	05-12-1989
21.	श्री मुलायम सिंह यादव	05-12-1989	से	24-06-1991

22. श्री कल्याण सिंह	24-06-1991	से	06-12-1992
राष्ट्रपति शासन	**06-12-1992**	**से**	**04-12-1993**
23. श्री मुलायम सिंह यादव	04-12-1993	से	03-06-1995 (अपरान्ह)
24. सुश्री मायावती	03-06-1995	से	17-10-1995
राष्ट्रपति शासन	**18-10-1995**	**से**	**17-10-1996**
राष्ट्रपति शासन	**17-10-1996**	**से**	**21-03-1997**
25. सुश्री मायावती	21-03-1997	से	21-09-1997
26. श्री कल्याण सिंह	21-09-1997	से	12-11-1999
27. श्री रामप्रकाश गुप्त	12-11-1999	से	28-10-2000
28. श्री राजनाथ सिंह	28-10-2000	से	08-03-2002
राष्ट्रपति शासन	**08-03-2002**	**से**	**03-05-2002**
29. सुश्री मायावती	03-05-2002	से	29-08-2003
30. श्री मुलायम सिंह यादव	29-08-2003	से	13-05-2007
31. सुश्री मायावती	13-05-2007	से	14-03-2012
32. श्री अखिलेश यादव	15-03-2012	से	19-03-2017
33. श्री योगी आदित्यनाथ	19-03-2017	से	वर्तमान में

स्रोत : गोपन-1

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष

क्र.सं.	माननीय अध्यक्ष	कार्यकाल		
1.	श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन	31-07-1937	से	10-08-1950
2.	श्री नफीसुल हसन	21-12-1950	से	19-05-1952
3.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	20-05-1952	से	10-04-1957
4.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	10-04-1957	से	26-03-1962
5.	श्री मदन मोहन वर्मा	26-03-1962	से	16-03-1967
6.	श्री जगदीश शरण अग्रवाल	17-03-1967	से	16-03-1969
7.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	17-03-1969	से	18-03-1974
8.	श्री वासुदेव सिंह	18-03-1974	से	12-07-1977
9.	श्री बनारसी दास	12-07-1977	से	26-02-1979
10.	श्री श्रीपति मिश्र	07-07-1980	से	18-07-1982
11.	श्री धरम सिंह	25-08-1982	से	15-03-1985
12.	श्री नियाज हसन	15-03-1985	से	09-01-1990
13.	श्री हरि किशन श्रीवास्तव	09-01-1990	से	30-07-1991
14.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	30-07-1991	से	15-12-1993
15.	श्री धनीराम वर्मा	15-12-1993	से	20-06-1995
16.	श्री बरखू राम वर्मा	18-07-1995	से	26-03-1997
17.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	27-03-1997	से	14-05-2002
18.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	14-05-2002	से	19-05-2004
19.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	26-07-2004	से	18-05-2007
20.	श्री सुखदेव राजभर	18-05-2007	से	13-04-2012
21.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	13-04-2012	से	30-03-2017
22.	श्री हृदय नरायण दीक्षित	30-03-2017	से	29.03.2022
23.	श्री सतीश महाना	29-03-2022	से	वर्तमान में

कार्यकारी अध्यक्ष

1.	श्री जगन्नाथ प्रसाद	27-02-1979 से 17-02-1980 तक
2.	श्री यादवेन्द्र सिंह	19-07-1982 से 24-08-1982 तक
3.	श्री बरखू राम वर्मा	20-06-1995 से 17-07-1995 तक
4.	डॉ. वकार अहमद शाह	19-05-2004 से 26-07-2004 तक

* विधानसभा पुस्तकालय में शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी द्वारा प्रमाणित।uplegisassembly.gov.in

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	श्री चन्द्र भाल	26 जनवरी, 1950	से	5 मई, 1958 तक
2.	श्री निजामुद्दीन (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1958	से	19 जुलाई, 1958 तक
3.	श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर	20 जुलाई, 1958	से	5 मई, 1964 तक
4.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई 1964	से	4 अगस्त, 1964 तक
5.	श्री दरबारी लाल शर्मा	5 अगस्त, 1964	से	5 मई, 1968 तक
6.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई, 1968	से	1 मार्च 1969 तक
7.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप (कार्यकारी सभापति)	2 मार्च, 1969	से	14 मार्च, 1969
8.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप	15 मार्च, 1969	से	5 मई, 1974 तक
9.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (कार्यकारी सभापति)	6 मई 1974	से	10 जून, 1974 तक
10.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप	11 जून, 1974	से	26 फरवरी, 1980 तक
11.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल (प्रोटेम सभापति)	18 जून, 1980	से	5 अक्टूबर, 1980 तक
12.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	6 अक्टूबर,1980	से	5 मई, 1982 तक
13.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1982	से	2 मार्च 1983 तक
14.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	3 मार्च, 1983	से	5 मई, 1988 तक
15.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (प्रोटेम)	6 मई, 1988	से	5 अप्रैल 1989 तक
16.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	6 अप्रैल, 1989	से	7 मार्च, 1990 तक
17.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	13 मार्च, 1990	से	8 अप्रैल, 1990 तक
18.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	9 अप्रैल, 1990	से	4 जुलाई, 1990 तक
19.	श्री शिव प्रसाद गुप्ता	5 जुलाई, 1990	से	6 जुलाई, 1992 तक
20.	श्री नित्यानन्द स्वामी (कार्यकारी सभापति)	7 जुलाई 1992	से	9 मई, 1996 तक
21.	श्री नित्यानन्द स्वामी (प्रोटेम सभापति)	23 मई, 1996	से	23 अप्रैल, 1997 तक
22.	श्री नित्यानन्द स्वामी	25 अप्रैल, 1997	से	8 नवम्बर, 2000 तक
23.	श्री ओमप्रकाश शर्मा (प्रोटेम सभापति)	17 नवम्बर, 2000	से	5 मई 2002 तक
24.	श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह (प्रोटेम सभापति)	6 मई 2002	से	2 अगस्त, 2004 तक
25.	चौ. सुखराम सिंह यादव	3 अगस्त, 2004	से	15 जनवरी, 2010 तक
26.	श्री कमला कान्त गौतम (प्रोटेम सभापति)	16 जनवरी, 2010	से	20 जनवरी, 2010 तक
27.	श्री गणेश शंकर पाण्डेय	21 जनवरी, 2010	से	15 जनवरी, 2016 तक
28.	श्री रमेश यादव	11 मार्च, 2016	से	30 जनवरी, 2021 तक
29.	श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह	31 जनवरी, 2021	से	वर्तमान तक

स्रोत : upvidhanparishad.nic.in/pithasinadhikari-sabhapati.htm

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

1.	न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोरगन	(1866-1871)
2.	न्यायमूर्ति श्री राबर्ट स्टुअर्ट	(1871-1884)
3.	न्यायमूर्ति श्री विलियम कोमर पेटहेरम	(1884-1886)
4.	न्यायमूर्ति श्री जॉन एज़	(1886-1898)
5.	न्यायमूर्ति श्री लुईस एडिन कर्शा	(1898)
6.	न्यायमूर्ति श्री आर्थर स्ट्रेची	(1898-1901)
7.	न्यायमूर्ति श्री जॉन स्टेनली	(1901-1911)
8.	न्यायमूर्ति श्री हेनरी रिचर्ड्स	(1911-1919)
9.	न्यायमूर्ति श्री एडवर्ड ग्रीमवुड मिअर्स	(1919-1932)
10.	न्यायमूर्ति श्री शाह मुहम्मद सुलेमान	(1932-1937)
11.	न्यायमूर्ति श्री जॉन गिब थॉम	(1937-1941)
12.	न्यायमूर्ति श्री इकबाल अहमद	(1941-1946)
13.	न्यायमूर्ति श्री कमलकान्त वर्मा	(1946-1947)
14.	न्यायमूर्ति श्री विधु भूषण मलिक	(1947-1955)
15.	न्यायमूर्ति श्री ओ.एच. मूथम	(1955-1961)
16.	न्यायमूर्ति श्री मनुलाल चुनिलाल देसाई	(1961-1966)
17.	न्यायमूर्ति श्री वशिष्ठ भार्गव	(25-02-1966 से 07-08-1966)
18.	न्यायमूर्ति श्री नसीरुल्लाह बेग	(1966-1967)
19.	न्यायमूर्ति श्री विद्याधर गोविन्द ओक	(1967-1971)
20.	न्यायमूर्ति श्री शशिकान्त वर्मा	(1971-1973)
21.	न्यायमूर्ति श्री धात्री शरन माथुर	(1973-1974)
22.	न्यायमूर्ति श्री कुँवर बहादुर अस्थाना	(1974-1977)
23.	न्यायमूर्ति श्री डी.एम. चन्द्रशेखर	(1977-1978)
24.	न्यायमूर्ति श्री सतीश चन्द्रा	(1978-1983)
25.	न्यायमूर्ति श्री महेश नारायण शुक्ल	(1983-1985)
26.	न्यायमूर्ति श्री हृदयनाथ सेठ	(1986)
27.	न्यायमूर्ति श्री के. जगन्नाथ शेट्टी	(1986-1987)

28.	न्यायमूर्ति श्री द्वारका नाथ झा	(1987)
29.	न्यायमूर्ति श्री अमिताव बनर्जी	(1987-1988)
30.	न्यायमूर्ति श्री ब्रह्मनाथ काटजू	(1988-1989)
31.	न्यायमूर्ति श्री बी.पी. जीवन रेड्डी	(1990-1991)
32.	न्यायमूर्ति श्री एम.के. मुखर्जी	(1991-1993)
33.	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. सोढी	(1994-1995)
34.	न्यायमूर्ति श्री ए.एल. राव	(1995-1996)
35.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. मोहापात्र	(1996-1998)
36.	न्यायमूर्ति श्री एन.के. मित्रा	(1999-2000)
37.	न्यायमूर्ति श्री श्यामल कुमार सेन	(8-5-2000 से 24-11-2002)
38.	न्यायमूर्ति श्री तरुन चटर्जी	(31-1-2003 से 26-08-2004)
39.	न्यायमूर्ति श्री अजय नाथ रे	(11-1-2005 से 26-1-2007)
40.	न्यायमूर्ति श्री एच.एल. गोखले	(7-3-2007 से 8-3-2009)
41.	न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद	(20-3-2009 से 7-2-2010)
42.	न्यायमूर्ति फरदीनो इनासियो रिबेलो	(26-6-2010 से 30-7-2011)
43.	न्यायमूर्ति सैय्यद रफत आलम	(5-8-2011 से 7-8-2012)
44.	न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिंह	(17-10-2012 से 18-9-2013)
45.	न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चन्द्रचूड़	(31-10-2013 से 12.05.2016)
46.	न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भोसले	(30-07-2016 से 23-10-2018)
47.	न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर	(14-11-2018 से 13-04-2021)
48.	न्यायमूर्ति संजय यादव	(13-06-2021 से 25-06-2021)
49.	न्यायमूर्ति राजेश बिंदल	(11-10-2021 से वर्तमान तक)

स्रोत : allahabadhighcourt.in

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य

क्र.सं.	पदाधिकारियों का नाम	पद नाम
1.	श्रीमती विमला बाथम	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सुषमा सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती अंजु चौधरी	उपाध्यक्ष
4.	श्रीमती अनीता सिंह	सदस्य
5.	श्रीमती सुमन चतुर्वेदी	सदस्य
6.	श्रीमती इन्द्रवास सिंह	सदस्य
7.	श्रीमती सुनीता बंसल	सदस्य
8.	श्रीमती निर्मला द्विवेदी	सदस्य
9.	श्रीमती राखी त्यागी	सदस्य
10.	श्रीमती निर्मला दीक्षित	सदस्य
11.	श्रीमती मीना कुमारी	सदस्य
12.	श्रीमती कंचन जायसवाल	सदस्य
13.	श्रीमती प्रभा गुप्ता	सदस्य
14.	श्रीमती पूनम कपूर	सदस्य
15.	श्रीमती मनोरमा शुक्ला	सदस्य
16.	श्रीमती उषारानी गौतम	सदस्य
17.	श्रीमती अनीता सचान	सदस्य
18.	श्रीमती शशि मौर्या	सदस्य
19.	श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव	सदस्य
20.	श्रीमती रामसखी कठेरिया	सदस्य
21.	श्रीमती संगीता तिवारी	सदस्य
22.	श्रीमती अवनी सिंह	सदस्य
23.	श्रीमती सुमन सिंह	सदस्य
24.	श्रीमती अंजू प्रजापति	सदस्य
25.	श्रीमती अर्चना	सदस्य
26.	श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल	सदस्य
27.	श्रीमती रंजना शुक्ला	सदस्य

स्रोत : mahilaayog.up.nic.in

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202 002. (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
2. इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, सी.पी.आई. परिसर, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
3. एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा-201 313, सेक्टर-125, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
4. **अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश , विभूति खण्ड लखनऊ ।**
5. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226 025, उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
6. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005, उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
7. बांदा यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, बांदा-210001, उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
8. बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज कैम्पस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243006, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
9. बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लाट न0. 8-11 टेक जोन ।।, ग्रेटर नोएडा-201301, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
10. भातखण्डे म्यूजिक इन्स्टीट्यूट, कैसरबाग, लखनऊ-220 001 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
11. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, झाँसी- 284 128 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
12. बाबू बनारसी दास वि0वि0, 55, बाबू बनारसीदास नगर, लखनऊ, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
13. सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221 007 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
14. चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कृषि एवं तकनीकी, नवाबगंज कानपुर- 208002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
15. छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कल्याणपुर, कानपुर- 208024 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
16. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ- 250 004 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
17. दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा- 282 005 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
18. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर- 273 009 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
19. डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी वि0वि0, सेक्टर-11, जानकीपुरम एक्सटेंशन योजना, लखनऊ-226 031, उ0प्र0
20. डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इलाहाबाद रोड फैजाबाद-224 001 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
21. डॉ. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226 010 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
22. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पालीवाल पार्क, आगरा-282 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
23. डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, सेक्टर डी-1, एल.डी.ए. कानपुर रोड स्कीम लखनऊ-226 012 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय
24. एरा यूनिवर्सिटी, सरफराज़गंज हरदोई रोड लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
25. **एफ.एस. यूनिवर्सिटी, जनपद फिरोजाबाद उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)**
26. जी.एल.ए. वि0वि0, 17 किमी0 स्टोन, एन.एच-2 दिल्ली-मथुरा रोड, पी.ओ. चौमुहान मथुरा-281 406 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

27. गलगोटियाज विश्वविद्यालय, प्लाट नं0-2, सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा-201 203, जिला गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
28. गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर-201 308 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
29. हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
30. आई.आई.एम.टी. वि0वि0, ओ पॉकेट, गंगानगर मवाना रोड मेरठ-250 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
31. इन्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट इज्जत नगर-243 122 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
32. आई.एफ.टी.एम. वि0वि0, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244 102 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
33. इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, दसौली पोस्ट- बसहा, कुर्सी रोड लखनऊ-226 026 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
34. इन्वर्टिस वि0वि0, इन्वर्टिस ग्राम, बरेली लखनऊ नेशनल हाइवे-24 बरेली-243 123 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
35. जगत्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग वि0वि0, चित्रकूट-210 204 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
36. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
37. जे.पी. इन्स्टीट्यूट सूचना प्रौद्योगिकी ए-10 सेक्टर-62 नोएडा-201 307 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
38. जे.पी. विश्वविद्यालय, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर जिला- बुलन्दशहर -203 390 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
39. जे.एस. वि0वि0, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
40. ख्वाजा मुइनुद्दीन चिस्ती उर्दू, अरबी, फारसी, यूनिवर्सिटी सीतापुर-हरदोई बाइपास रोड, निकट आई.आई.एम लखनऊ-226 013 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
41. किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
42. मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273 010 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
43. एम.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय, डोरीलाल अग्रवाल मार्ग, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243 006 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
44. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
45. महर्षि विश्वविद्यालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, महर्षि बाल विद्या मन्दिर एवं विश्वविद्यालय कैम्पस, सीतापुर रोड पोस्ट-ढिबुरिया लखनऊ-226 020 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
46. **महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, जनपद गोरखपुर –237007 (प्राइवेट यूनिवर्सिटी)**
47. मंगलायतन विश्वविद्यालय, 33वां मील अलीगढ़ मथुरा हाईवे, पोस्ट- बीसवां, अलीगढ़-202 145 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
48. मोहम्मद अली जौहर युनिवर्सिटी, रामपुर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
49. मोनाड विश्वविद्यालय, पी.ओ.- पिलखुआ, कसमाबाद जिला-हापुड़ - 245 101 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
50. नरेन्द्रदेव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, नरेन्द्र नगर फैजाबाद-224 229 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
51. नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर, दूबवाली जिला-इलाहाबाद-221 505 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
52. नोएडा इण्टरनेशनल युनिवर्सिटी, प्लाट नं0-1 सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्ध नगर- 201 301 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
53. राजीव गाँधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय, फुर्सतगंज, जिला- रायबरेली उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

54. रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी.टी. रोड, मन्धाना, कानपुर-209 217 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
55. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एन.एच.-75 निकट पहुज डैम ग्वालियर रोड झाँसी-284 003 उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
56. सैम हिग्गिनबॉटम इन्स्टीट्यूट कृषि, तकनीकी एवं विज्ञान (पूर्व में इलाहाबाद कृषि इन्स्टीट्यूट) पोस्ट आफिस कृषि इन्स्टीट्यूट रीवा रोड इलाहाबाद-211 007 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
57. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
58. संस्कृति विश्वविद्यालय, 28 किमी0 मथुरा-दिल्ली हाईवे छाता मथुरा उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
59. संतोष विश्वविद्यालय, संतोष नगर गाजियाबाद उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
60. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी वि0वि0, मेरठ-250 110 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
61. शारदा विश्वविद्यालय, प्लाट नं0-32-34 नालेज पार्क-3, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर-201 306 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
62. शिव नादार विश्वविद्यालय, दादरी गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
63. शोभित इन्स्टीट्यूट इंजीनियरिंग एवं तकनीकी दुल्हेरा मार्ग, रूड़की रोड, मेरठ-250 010, उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
64. शोभित विश्वविद्यालय आदर्श इन्स्टीट्यूशनल एरिया बाबू विजेन्द्र मार्ग गंगोह जिला-सहारनपुर-247 341 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
65. श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हदौरी, देवा-लखनऊ रोड, जिला-बाराबंकी उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
66. सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-272 202 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
67. स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारतीपुरम, एन.एच.-58 दिल्ली-हरिद्वार मेरठ बाइपास रोड मेरठ-250 005 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
68. श्री वेंकटेश्वर वि0वि0 एन.एच.-24, रजबपुर, गजरौला, जे0पी0 नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
69. तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, एन.एच.-24, दिल्ली रोड मुरादाबाद-244 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
70. दि ग्लोकल विश्वविद्यालय, दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग, अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील-बेहट, सहारनपुर-247 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
71. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226 007 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
72. यू0पी0 किंग जार्ज यूनिवर्सिटी ऑफ डेण्टल साइन्स, लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
73. उ.प्र.पं.दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान, विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसन्धान संस्थान, मथुरा उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
74. उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय कैम्पस, शान्तिपुरम-(से0-एफ) फाफामऊ, इलाहाबाद-211 013 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
75. उ0प्र0 विकलांग उद्धार डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ-226 017 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
76. उ.प्र.यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, सैफई इटावा-206 130 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
77. इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद-211 002 उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
78. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर-222 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)

स्रोत : ugc.ac.in

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल	14.09.1977	से	13.09.1982
2.	पद रिक्त	14.09.1982	से	09.01.1983
3.	न्यायमूर्ति श्री मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुसैन	10.01.1983	से	10.01.1989
4.	पद रिक्त	11.01.1989	से	27.01.1989
5.	न्यायमूर्ति श्री कैलाश नाथ गोयल	28.01.1989	से	28.01.1995
6.	पद रिक्त	29.01.1995	से	08.02.1995
7.	न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह	09.02.1995	से	13.01.2000
8.	पद रिक्त	14.01.2000	से	15.03.2000
9.	न्यायमूर्ति श्री सुधीर चन्द्र वर्मा	16.03.2000	से	15.03.2006
10.	न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र किशोर मेहरोत्रा	16.03.2006	से	31.01.2016
11.	न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा	31.01.2016 (अपराह्न)	से	वर्तमान तक

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव

क्र.	नाम	आई.सी.एस./आई.ए.एस.	कब से	कब तक
1.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	27-03-1947 से	20-05-1949
2.	श्री भगवान सहाय	आई.सी.एस.	13-07-1949 से	20-03-1951
3.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	21-03-1951 से	25-02-1953
4.	श्री कालिका प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	26-02-1953 से	15-08-1954
5.	श्री आदित्य नाथ झा	आई.सी.एस.	16-08-1954 से	02-03-1958
6.	श्री गोविन्द नारायण	आई.सी.एस.	03-03-1958 से	02-07-1961
7.	श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन	आई.सी.एस.	03-07-1961 से	08-11-1962
8.	श्री रामेश्वर प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	09-11-1962 से	09-01-1964
9.	श्री कौशल कुमार दास	आई.सी.एस.	10-01-1964 से	09-03-1967
10.	श्री विपिन बिहारी लाल	आई.सी.एस.	14-03-1967 से	25-11-1969
11.	श्री मुसद्दी लाल	आई.सी.एस.	26-11-1969 से	31-12-1972
12.	श्री सतीश चन्द्र	आई.सी.एस.	01-01-1973 से	13-06-1973
13.	श्री ज्ञान प्रकाश	आई.ए.एस.	17-06-1973 से	19-11-1973
14.	श्री बी.डी. सनवाल	आई.ए.एस.	30-11-1973 से	31-08-1975
15.	श्री महमूद वट्ट	आई.ए.एस.	01-09-1975 से	15-12-1976
16.	श्री कृपा नारायण	आई.ए.एस.	16-12-1976 से	31-01-1978
17.	श्री डी.के. भट्टाचार्य	आई.ए.एस.	01-02-1978 से	25-03-1980
18.	श्री आर.बी. सक्सेना	आई.ए.एस.	26-03-1980 से	21-09-1980
19.	श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी	आई.ए.एस.	22-09-1980 से	30-04-1982
20.	श्री आर.पी. खोसला	आई.ए.एस.	01-05-1982 से	01-06-1983
21.	श्री एस.डी. श्रीवास्तव	आई.ए.एस.	02-06-1983 से	08-03-1984
22.	श्री गिरीश मेहरा	आई.ए.एस.	09-03-1984 से	01-12-1985
23.	श्री जे.ए. कल्याण कृष्णन्	आई.ए.एस.	02-12-1985 से	15-10-1988
24.	श्री शिरोमणि शर्मा	आई.ए.एस.	18-10-1988 से	28-12-1989
25.	श्री आर.के. भार्गव	आई.ए.एस.	28-12-1989 से	12-12-1990
26.	डॉ. वी.के. सक्सेना	आई.ए.एस.	15-12-1990 से	22-12-1992
27.	श्री टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यन्	आई.ए.एस.	22-12-1992 से	09-08-1994

28. श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	09-08-1994	से	26-06-1995
29. श्री माता प्रसाद	आई.ए.एस.	26-06-1995	से	23-10-1996
30. श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	23-10-1996	से	31-07-1997
31. श्री रवीन्द्रशंकर माथुर	आई.ए.एस.	31-07-1997	से	02-04-1998
32. डॉ. योगेन्द्र नारायण	आई.ए.एस.	02-04-1998	से	18-10-2000
33. श्री बी.एन. तिवारी	आई.ए.एस.	01-11-2000	से	31-07-2001
34. श्री ए.पी. वर्मा	आई.ए.एस.	31-07-2001	से	23-05-2002
35. श्री डी.एस. बग्गा	आई.ए.एस.	23-05-2002	से	04-09-2003
36. श्री अखण्ड प्रताप सिंह	आई.ए.एस.	04-09-2003	से	04-12-2003
37. श्री वी.के. दीवान	आई.ए.एस.	06-12-2003	से	30-04-2004
38. श्री वी.के. मित्तल	आई.ए.एस.	30-04-2004	से	30-04-2005
39. श्रीमती नीरा यादव	आई.एस.एस.	30-04-2005	से	06-10-2005
40. श्री आर. रमणी	आई.ए.एस.	06-10-2005	से	03-04-2006
41. श्री नवीन चन्द्र बाजपेई	आई.ए.एस.	03-04-2006	से	16-03-2007
42. श्री शम्भू नाथ	आई.ए.एस.	16-03-2007	से	30-06-2007
43. श्री पी.के. मिश्र	आई.ए.एस.	01-07-2007	से	23-05-2008
44. श्री अतुल कुमार गुप्ता	आई.ए.एस.	23-05-2008	से	31-03-2011
45. श्री अनूप मिश्रा	आई.ए.एस.	31-03-2011	से	23-03-2012
46. श्री जावेद उस्मानी	आई.ए.एस.	23-03-2012	से	31-05-2014
47. श्री आलोक रंजन	आई.ए.एस.	31-05-2014	से	30-06-2016
48. श्री प्रवीर कुमार	आई.ए.एस.	30-06-2016	से	06-07-2016
49. श्री दीपक सिंघल	आई.ए.एस.	06-07-2016	से	13-09-2016
50. श्री राहुल भटनागर	आई.ए.एस.	13-09-2016	से	29-06-2017
51. श्री राजीव कुमार	आई.ए.एस.	29-06-2017	से	30-06-2018
52. श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय	आई.ए.एस.	30-06-2018	से	31-08-2019
53. श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	आई.ए.एस.	31-08-2019	से	30-12-2021
54. श्री दुर्गा शंकर मिश्र	आई.ए.एस.	30-12-2021	से	वर्तमान तक

स्रोत : मुख्य सचिव कार्यालय, उ. प्र.

भारत के मुख्य न्यायाधीश

नाम	कार्यकाल
1. हरिलाल जे. कानिया	26 जनवरी, 1950 - 6 नवम्बर, 1951
2. एम. पतंजलि शास्त्री	7 नवम्बर, 1951 - 3 जनवरी, 1954
3. मेहर चंद महाजन	4 जनवरी, 1954 - 22 दिसम्बर, 1954
4. बी.के. मुखर्जी	23 दिसम्बर, 1954 - 31 जनवरी, 1956
5. एस.आर. दास	1 फरवरी, 1956 - 30 सितम्बर, 1959
6. भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	1 अक्तूबर, 1959 - 31 जनवरी, 1964
7. पी.बी. गजेंद्रगडकर	1 फरवरी, 1964 - 15 मार्च, 1966
8. ए.के. सरकार	16 मार्च, 1966 - 29 जून, 1966
9. के. सुब्बाराव	30 जून, 1966 - 11 अप्रैल, 1967
10. के.एन. वांचू	12 अप्रैल, 1967 - 24 फरवरी, 1968
11. एम. हिदायतुल्लाह	25 फरवरी, 1968 - 16 दिसम्बर, 1970
12. जे.सी. शाह	17 दिसम्बर, 1970 - 21 जनवरी, 1971
13. एस.एम. सीकरी	22 जनवरी, 1971 - 25 अप्रैल, 1973
14. ए.एन. रे	26 अप्रैल, 1973 - 28 जनवरी, 1977
15. एम.एच. बेग	29 जनवरी, 1977 - 21 फरवरी, 1978
16. वाई.वी. चंद्रचूड़	22 फरवरी, 1978 - 11 जुलाई, 1985
17. पी.एन. भगवती	12 जुलाई, 1985 - 20 दिसम्बर, 1986
18. आर.एस. पाठक	21 दिसम्बर, 1986 - 18 जून, 1989
19. ई.एस. वेंकटरमैया	19 जून, 1989 - 17 दिसम्बर, 1989
20. एस. मुखर्जी	18 दिसम्बर, 1989 - 25 सितम्बर, 1990
21. रंगनाथ मिश्र	25 सितम्बर, 1990 - 24 नवम्बर, 1991
22. के.एन. सिंह	25 नवम्बर, 1991 - 12 दिसम्बर, 1991
23. एम.एच. कानिया	13 दिसम्बर, 1991 - 17 नवम्बर, 1992
24. एल.एम. शर्मा	18 नवम्बर, 1992 - 11 फरवरी, 1993
25. एम.एन. वेंकटचलैया	12 फरवरी, 1993 - 24 अक्टूबर, 1994
26. ए.एम. अहमदी	25 अक्टूबर, 1994 - 24 मार्च, 1997
27. जे.एस. वर्मा	25 मार्च, 1997 - 17 जनवरी, 1998
28. एम.एम. पंछी	18 जनवरी, 1998 - 9 अक्टूबर, 1998
29. ए.एस. आनंद	10 अक्टूबर, 1998 - 31 अक्टूबर, 2001
30. एस.पी. भरूचा	1 नवम्बर 2001 - 5 मई, 2002
31. बी.एन. कृपाल	6 मई, 2002 - 7 नवम्बर, 2002
32. जी.बी. पटनायक	8 नवम्बर, 2002 - 18 दिसम्बर, 2002
33. वी.एन. खरे	19 दिसम्बर, 2002 - 01 मई, 2004

34. एस. राजेन्द्र बाबू	02 मई, 2004	- 31 मई, 2004
35. आर.सी. लाहोटी	1 जून, 2004	- 31 अक्टूबर, 2005
36. वाई.के. सब्बरवाल	1 नवम्बर, 2005	- 13 जनवरी, 2007
37. के.जी. बालाकृष्णन	14 जनवरी, 2007	- 11 मई, 2010
38. एस.एच. कपाड़िया	12 मई, 2010	- 28 सितम्बर, 2012
39. अल्तमश कबीर	29 सितम्बर, 2012	- 18 जुलाई, 2013
40. पी. सदाशिवम	19 जुलाई, 2013	- 26 अप्रैल, 2014
41. आर.एम. लोढ़ा	27 अप्रैल, 2014	- 27 सितम्बर, 2014
42. एच.एल. दत्तू	28 सितम्बर, 2014	- 2 दिसम्बर, 2015
43. टी.एस. ठाकुर	3 दिसम्बर, 2015	- 3 जनवरी, 2017
44. जगदीश सिंह खेहर	4 जनवरी, 2017	- 27 अगस्त, 2017
45. दीपक मिश्रा	28 अगस्त, 2017	- 02 अक्टूबर, 2018
46. रंजन गोगोई	03 अक्टूबर, 2018	- 17 नवम्बर, 2019
47. शरद अरविन्द बोबडे	18 नवम्बर, 2019	- 23 अप्रैल, 2021
48 एन.वी. रमण	24 अप्रैल, 2021	- से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2022

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नाम	कार्यकाल
1. सुकुमार सेन	21 मार्च, 1950 - 19 दिसम्बर, 1958
2. के.वी.के. सुंदरम	20 दिसम्बर, 1958 - 30 सितम्बर, 1967
3. एस.पी. सेन वर्मा	01 अक्टूबर, 1967 - 30 सितम्बर, 1972
4. डॉ. नगेंद्र सिंह	01 अक्टूबर, 1972 - 06 फरवरी 1973
5. टी. स्वामीनाथन	07 फरवरी, 1973 - 17 जून, 1977
6. एस.एल. शकधर	18 जून, 1977 - 17 जून 1982
7. आर.के. त्रिवेदी	18 जून, 1982 - 31 दिसम्बर, 1985
8. आर.वी.एस. पेरी शास्त्री	01 जनवरी, 1986 - 25 नवम्बर, 1990
9. श्रीमती वी.एस. रमादेवी	26 नवम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1990
10. टी.एन. शेषन	12 दिसम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1996
11. एम.एस. गिल	12 दिसम्बर, 1996 - 13 जून, 2001
12. जे.एम. लिंगदोह	14 जून, 2001 - 07 फरवरी, 2004
13. टी.एस. कृष्णामूर्ति	08 फरवरी, 2004 - 15 मई, 2005
14. बी.बी. टण्डन	16 मई, 2005 - 29 जून, 2006
15. एन. गोपालस्वामी	30 जून, 2006 - 20 अप्रैल, 2009
16. नवीन बी. चावला	21 अप्रैल, 2009 - 29 जुलाई, 2010
17. एस.वाई. कुरैशी	30 जुलाई, 2010 - 10 जून, 2012
18. वी.एस. संपत	11 जून, 2012 - 15 जनवरी, 2015
19. एच.एस. ब्रह्मा	16 जनवरी, 2015 - 18 अप्रैल, 2015
20. नसीम जैदी	19 अप्रैल, 2015 - 05 जुलाई, 2017
21. अचल कुमार जोती	06 जुलाई, 2017 - 22 जनवरी, 2018
22. ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी, 2018 - 01 दिसम्बर, 2018
23. सुनील अरोड़ा	02 दिसम्बर, 2018 - 12 अप्रैल 2021
24 सुशील चंद्रा	13 अप्रैल, 2021 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2022

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

क्र.	नाम	पद अवधि
1.	सर रॉस बार्कर	अक्टूबर 1926 – अगस्त 1932
2.	सर डेविड पेट्री	अगस्त 1932 – 1936
3.	सर आयरे गोर्डन	1937 – 1942
4.	सर एफ. डब्ल्यू राबर्टसन	1942 – 1947
5.	श्री एच.के. कृपलानी	1 अप्रैल 1947 – 13 जनवरी 1949
6.	श्री आर.एन. बनर्जी	14 जनवरी 1949 – 9 मई 1955
7.	श्री एन. गोविन्दराजन	10 मई 1955 – 9 दिसम्बर 1955
8.	श्री वी.एस. हेजमाड़ी	10 दिसम्बर 1955 – 9 दिसम्बर 1961
9.	श्री बी.एन. झा	11 दिसम्बर 1961 – 22 फरवरी 1967
10.	श्री के.आर. दामले	18 अप्रैल 1967 – 2 मार्च 1971
11.	श्री आर.सी.एस. सरकार	11 मई 1971 –1 फरवरी 1973
12.	डॉ. ए.आर. किदवई	5 फरवरी 1973 – 4 फरवरी 1979
13.	डॉ. एम.एल. शहारे	16 फरवरी 1979 – 16 फरवरी 1985
14.	श्री एच.के.एल. कपूर	18 फरवरी 1985 – 5 मार्च 1990
15.	श्री जे.पी. गुप्ता	5 मार्च 1990 – 2 जून 1992
16.	श्रीमती आर.एम. बाथ्यू (खरबुली)	23 सितम्बर 1992 – 23 अगस्त 1996
17.	श्री एस.जे.एस. छतवाल	23 अगस्त 1996 – 30 सितम्बर 1996
18.	श्री जे.एम. कुरैशी	30 सितम्बर 1996 – 11 दिसम्बर 1998
19.	ले.जनरल सुरिन्दर नाथ (सेवानिवृत्त)	11 दिसम्बर 1998 – 25 जून 2002
20.	श्री पी.सी. होता	25 जून 2002 – 8 सितम्बर 2003
21.	श्री माता प्रसाद	8 सितम्बर 2003 – 4 जनवरी 2005
22.	डॉ. एस.आर. हाशिम	4 जनवरी 2005 – 1 अप्रैल 2006
23.	श्री गुरबचन जगत	1 अप्रैल 2006 – 30 जून 2007
24.	श्री सुबीर दत्ता	30 जून 2007 – 16 अगस्त 2008
25.	प्रो. डी.पी. अग्रवाल	16 अगस्त 2008 – 16 अगस्त 2014
26.	श्रीमती रजनी राजदान	16 अगस्त 2014 – 22 नवम्बर 2014
27.	श्री दीपक गुप्ता	22 नवम्बर 2014 – 20 सितम्बर 2016
28.	श्रीमती अल्का सिरोही	20 सितम्बर 2016 – 3 जनवरी 2017
29.	प्रो. डेविड आर. सिम्लिह	4 जनवरी 2017 – 21 जनवरी 2018
30.	श्री विनय मित्तल	22 जनवरी 2018 – 19 जून 2018
31.	श्री अरविन्द सक्सेना (कार्यकारी)	20 जून 2018 – 28 नवम्बर 2018
32.	श्री अरविन्द सक्सेना	28 नवम्बर 2018 से 07 अगस्त 2020
33.	प्रो0 (डॉ0) प्रदीप कुमार जोशी	07 अगस्त 2020 से वर्तमान तक

स्रोत : upsc.gov.in

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

नाम	कार्यकाल
जे.के. टण्डन	1950 - 1957
मिट्ठन लाल	1957 - 1960
लक्ष्मी प्रसाद निगम	20 सितम्बर, 1960 - 1964
आर. चन्द्रा	1964
कृष्ण चन्द्र पुरी	4 अप्रैल, 1964 - फरवरी, 1967
जगमोहन लाल सिन्हा	1 मार्च, 1967 - 6 मार्च, 1967
गुरूशरण लाल श्रीवास्तव	7 मार्च, 1967 - 14 जनवरी, 1968
कुंज बिहारी लाल श्रीवास्तव	15 जनवरी, 1968 - 7 फरवरी, 1968
ओम प्रकाश त्रिवेदी	8 फरवरी, 1968 - जनवरी, 1969
विशम्भर दयाल माथुर	फरवरी, 1969 - 24 मार्च, 1969
प्रेम प्रकाश	25 मार्च, 1969 - 3 सितम्बर, 1972
कैलाश नाथ गोयल	4 सितम्बर, 1972 - फरवरी, 1978
रमेश चन्द्र देव शर्मा	मई, 1978 - फरवरी, 1981
जगदीश चन्द्र पन्त	मई, 1981 - फरवरी, 1988
अखण्ड प्रताप सिंह	18 अप्रैल, 1988 - 27 सितम्बर, 1988
जगदीश चन्द्र पन्त	28 सितम्बर, 1988 - 11 फरवरी, 1990
कल्याण कुमार बक्शी	12 फरवरी, 1990 - 20 मार्च, 1992
मोहिन्दर सिंह	21 मार्च, 1992
शैवाल कुमार मुखर्जी	1 फरवरी, 1993 - 10 मई, 1994
डा. नूर मुहम्मद	12 मई, 1994 - 6 जनवरी, 2003
रवीन्द्र सिंह	19 फरवरी, 2003 - 18 सितम्बर, 2003
विजय शर्मा	24 सितम्बर, 2003 - 13 जून, 2005
अनुज कुमार बिश्नोई	27 अक्टूबर, 2005 - 24 सितम्बर, 2009
उमेश सिन्हा	24 सितम्बर, 2009 - 04 अप्रैल, 2015
अरुण सिंघल	20 अगस्त, 2015 - 29 जुलाई, 2016
टी. वेंकटेश	30 जुलाई, 2016 - 27 मार्च, 2017
लक्कू वेंकटेश्वरलू	04 अक्टूबर, 2017 से 08 अगस्त, 2019
अजय कुमार शुक्ला	08 अगस्त, 2019 से वर्तमान तक

स्रोत : जनपद सचिवालय, लखनऊ

राज्य निर्वाचन आयुक्त

क्र.सं.	आयुक्त/अध्यक्ष का नाम	तैनाती का समय
1.	श्री आर.डी. सोनकर	24 अप्रैल 1994 से 09 दिसम्बर 1996 तक
2.	डॉ. यशपाल सिंह	10 दिसम्बर 1996 से 09 दिसम्बर 2001 तक
3.	श्री अपरमिता प्रसाद सिंह	10 दिसम्बर 2001 से 31 मई 2007 तक
4.	श्री राजेन्द्र भौनवाल	01 जून 2007 से 04 अप्रैल 2012 तक
5.	श्री सतीश कुमार अग्रवाल	11 अप्रैल, 2012 से 19 दिसम्बर 2017 तक
6.	श्री मनोज कुमार	18 जनवरी, 2018 से वर्तमान तक

स्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त

1. मा. श्री भवेश कुमार सिंह, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
2. रिक्त, राज्य सूचना आयुक्त
3. मा. श्रीमती रचना पाल, राज्य सूचना आयुक्त
4. मा. श्री सुभाष चन्द्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त
5. मा. श्री हर्षवर्धन शाही, राज्य सूचना आयुक्त
6. मा. श्री अजय कुमार उप्रेती, राज्य सूचना आयुक्त
7. मा. श्रीमती किरन बाला चौधरी, राज्य सूचना आयुक्त
8. मा. श्री चन्द्र कान्त पाण्डेय, राज्य सूचना आयुक्त
9. मा. श्री प्रमोद कुमार तिवारी, राज्य सूचना आयुक्त
10. मा. श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राज्य सूचना आयुत्त
11. मा. श्री राजीव कपूर, राज्य सूचना आयुक्त

स्रोत : upic.gov.in/index-hi.aspx

उ.प्र. के समस्त निगम/आयोगों के अध्यक्ष

क्र.स.	निगम का नाम	अध्यक्ष का नाम
1.	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	**श्री मनोज कुमार**
2.	उ.प्र. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि.	श्री जगदीश मिश्रा
3.	उ.प्र. बीज विकास निगम	**श्री देवेश चतुर्वेदी**
4.	उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं वि.नि.लि.	**श्री हिमांशु कुमार**
5.	उ.प्र. वक़्फ़ विकास निगम लि.	**श्री हिमांशु कुमार**
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	**श्री नितिन रमेश गोकर्ण**
7.	उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	----------
8.	उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि.	श्री अरविन्द कुमार
9.	यू.पी. डेस्को	श्री अरविन्द कुमार
10.	उ.प्र. जल विद्युत निगम लि.	श्री **एम. देवराज**
11.	यू.पी. पावर कारपोरेशन लि.	श्री **एम. देवराज**
12.	उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	श्री **एम. देवराज**
13.	यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.	श्री **एम. देवराज**
14.	उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	श्रीमती **वीना कुमारी मीना**
15.	उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.	श्रीमती **वीना कुमारी मीना**
16.	उ.प्र. वन निगम	---
17.	उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम लि.	श्री नवनीत सहगल
18.	यू.पी. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि.	---
19.	उ.प्र. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लि.	श्री **अमित मोहन प्रसाद**
20.	उ.प्र. पुलिस आवास निगम लि.	श्री एच.आर. शर्मा
21.	पिकप	---
22.	उ.प्र. वित्तीय निगम	श्री अरविन्द कुमार
23.	उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	श्री अरविन्द कुमार
24.	यू.पी. स्टेट यार्न कम्पनी लि.	---
25.	उ.प्र. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि.	श्री **अनिल गर्ग**
26.	उ.प्र. लघु उद्योग निगम लि.	श्री नवनीत सहगल
27.	उ.प्र. महिला कल्याण निगम लि.	---
28.	उ.प्र. मत्स्य विकास निगम लि.	श्री रमाकान्त निशाद
29.	उ.प्र. हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि.	श्री नवनीत सहगल
30.	उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	श्री बाबू राम निशाद
31.	उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि.	श्री **नरेन्द्र भूषण**
32.	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि.	श्री **नरेन्द्र भूषण**
33.	उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं वि. नि. लि.	श्री लालजी प्रसाद निर्मल
34.	यू.पी.स्टेटकंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटकार लि	**श्री हिमांशु कुमार**
35.	उ.प्र. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि.	**श्री हिमांशु कुमार**
36.	उ.प्र. (मध्य) गन्ना, बीज एवं वि. निगम लि.	श्री संजय आर. भूसरेड्डी
37.	उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना, बीज एवं विकास निगम लि.	श्री संजय आर. भूसरेड्डी
38.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.	श्री संजय आर. भूसरेड्डी
39.	उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	श्री **मुकेश** कुमार **मेश्राम**
40.	उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	श्री **राजेन्द्र कुमार तिवारी**

स्रोत : सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ.प्र. लखनऊ

कमांडर-इन-चीफ

नाम	कार्यकाल
1. जनरल सर रॉब, लोकार्ट	15 अगस्त, 1947 - 31 दिसम्बर, 1947
2. जनरल सर रॉय बूचर	1 जनवरी, 1948 - 14 जनवरी, 1949
3. जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) के. एम. करियप्पा	15 जनवरी, 1949 - 14 जनवरी, 1953
4. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 31 मार्च, 1955

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

नाम	कार्यकाल
1. जनरल बिपिन रावत	01 जनवरी, 2020 - 8 दिसम्बर, 2021

स्रोत : भारत-2022

थलसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 14 मई, 1955
2. जनरल एस.एम. श्रीनागेश	15 मई, 1955 - 7 मई, 1957
3. जनरल के.एस. तिमैया	8 मई, 1957 - 7 मई, 1961
4. जनरल पी.एन. थापर	8 मई, 1961 - 19 नवम्बर, 1962
5. जनरल जे.एन. चौधरी	20 नवम्बर, 1962 - 7 जून, 1966
6. जनरल पी.पी. कुमारमंगलम	8 जून, 1966 - 7 जून, 1969
7. फील्ड मार्शल एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ	8 जून, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8. जनरल जी.जी. बेवूर	16 जनवरी, 1973 - 31 मई, 1975
9. जनरल टी.एन. रैना	1 जून, 1975 - 31 मई, 1978
10. जनरल ओ.पी. मल्होत्रा	1 जून, 1978 - 31 मई, 1981
11. जनरल के.वी. कृष्णा राव	1 जून, 1981 - 31 जुलाई, 1983
12. जनरल ए.एस. वैद्य	1 अगस्त, 1983 - 31 जनवरी, 1985
13. जनरल के. सुन्दरजी	1 फरवरी, 1985 - 31 मई, 1988
14. जनरल वी.एन. शर्मा	1 जून, 1988 - 30 जून, 1990
15. जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स	1 जुलाई, 1990 - 30 जून, 1993
16. जनरल बी.सी. जोशी	1 जुलाई, 1993 - 19 नवम्बर, 1994
17. जनरल एस. रायचौधरी	20 नवम्बर, 1994 - 30 सितम्बर, 1997
18. जनरल वी.पी. मलिक	1 अक्टूबर, 1997 - 30 सितम्बर, 2000
19. जनरल एस. पद्मनाभन	1 अक्टूबर, 2000 - 30 सितम्बर, 2002
20. जनरल एन.सी. विज	31 दिसम्बर, 2002 - 31 जनवरी 2005
21. जनरल जे.जे. सिंह	1 फरवरी 2005 - 30 सितम्बर 2007
22. जनरल दीपक कपूर	30 सितम्बर 2007 - 30 मार्च 2010
23. जनरल वी. के. सिंह	31 मार्च 2010 - 31 मई 2012
24. जनरल बिक्रम सिंह	1 जून 2012 - 31 जुलाई 2014
25. जनरल दलबीर सिंह	1 अगस्त 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
26. जनरल बिपिन रावत	1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019
27. जनरल एम.एम. नरवणे	31 दिसम्बर, 2019 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2022

नौसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. रियर एडमिरल जे. टी. एस. हाल	15 अगस्त, 1947 - 14 अगस्त, 1948
2. एडमिरल सर एडवार्ड पैरी	14 अगस्त, 1948 - 13 अक्टूबर, 1951
3. एडमिरल सर मार्क पीजे	13 अक्टूबर, 1951 - 21 जुलाई, 1955
4. वाइस एडमिरल सर स्टीफन कार्लइल	21 जुलाई, 1955 - 21 अप्रैल, 1958
5. वाइस एडमिरल आर. डी. कटारी	22 अप्रैल, 1958 - 4 जून, 1962
6. वाइस एडमिरल बी. एस. सोमन	4 जून, 1962 - 3 मार्च, 1966
7. एडमिरल ए. के. चटर्जी	3 मार्च, 1966 - 27 फरवरी, 1970
8. एडमिरल एस. एम. नंदा	28 फरवरी, 1970 - 28 फरवरी, 1973
9. एडमिरल एस. एन. कोहली	28 फरवरी, 1973 - 28 फरवरी, 1976
10. एडमिरल जे. एल. करसेटजी	29 फरवरी, 1976 - 28 फरवरी, 1979
11. एडमिरल आर. एल. परेरा	28 फरवरी, 1979 - 28 फरवरी, 1982
12. एडमिरल ओ. एस. डॉसन	28 फरवरी, 1982 - 30 नवम्बर, 1984
13. एडमिरल आर. एच. तहिलियानी	30 नवम्बर, 1984 - 30 नवम्बर, 1987
14. एडमिरल जे. जी. नादकर्णी	30 नवम्बर, 1987 - 30 नवम्बर, 1990
15. एडमिरल एल. रामदास	30 नवम्बर, 1990 - 30 सितम्बर, 1993
16. एडमिरल वी. एस. शेखावत	30 सितम्बर, 1993 - 30 सितम्बर, 1996
17. एडमिरल विष्णु भागवत	30 सितम्बर, 1996 - 30 दिसम्बर, 1998
18. एडमिरल सुशील कुमार	30 दिसम्बर, 1998 - 29 दिसम्बर, 2001
19. एडमिरल माधवेंद्र सिंह	29 दिसम्बर, 2001 - 31 जुलाई, 2004
20. एडमिरल अरुण प्रकाश	31 जुलाई, 2004 - 30 अक्टूबर, 2006
21. एडमिरल सुरीश मेहता	31 अक्टूबर, 2006 - 31 अगस्त, 2009
22. एडमिरल निर्मल वर्मा	31 अगस्त, 2009 - 31 अगस्त, 2012
23. एडमिरल डी.के. जोशी	31 अगस्त, 2012 - 16 अप्रैल, 2014
24. एडमिरल रॉबिन के. धवन	17 अप्रैल, 2014 - 31 मई, 2016
25. एडमिरल सुनील लांबा	1 जून, 2016 से - 31 मई, 2019
26. एडमिरल करमबीर सिंह	31 मई, 2019 से - 30 नवम्बर, 2021
27. एडमिरल आर. हरि कुमार	01 दिसम्बर, 2021 से - वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2022

वायुसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू. एमहर्स्ट	15 अगस्त, 1947 - 21 फरवरी, 1950
2. एयर मार्शल सर रोनाल्ड आई. चैपमैन	22 फरवरी, 1950 - 09 दिसम्बर, 1951
3. एयर मार्शल सर जेराल्ड ई. गिब्स	10 दिसम्बर, 1951 - 31 मार्च, 1954
4. एयर मार्शल एस. मुखर्जी	01 अप्रैल, 1954, - 08 नवम्बर, 1960
5. एयर मार्शल ए. एम. इंजीनियर	01 दिसम्बर, 1960 - 31 जुलाई, 1964
6. एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह	01 अगस्त, 1964 - 15 जुलाई, 1969
7. एयर चीफ मार्शल पी. सी. लाल	16 जुलाई, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8. एयर चीफ मार्शल ओ. पी. मेहरा	16 जनवरी, 1973 - 31 जनवरी, 1976
9. एयर चीफ मार्शल एच. मूलगांवकर	01 फरवरी, 1976 - 31 अगस्त, 1978
10. एयर चीफ मार्शल आई. एच. लतीफ	01 सितम्बर, 1978 - 31 अगस्त, 1981
11. एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह	01 सितम्बर, 1981 - 03 सितम्बर, 1984
12. एयर चीफ मार्शल एल. एम. कात्रे	04 सितम्बर, 1984 - 01 जुलाई, 1985
13. एयर चीफ मार्शल डी. ए. ला फोंटेन	03 जुलाई, 1985 - 31 जुलाई, 1988
14. एयर चीफ मार्शल एस. के. मेहरा	01 अगस्त, 1988 - 31 जुलाई, 1991
15. एयर चीफ मार्शल एन. सी. सूरी	31 जुलाई, 1991 - 31 जुलाई, 1993
16. एयर चीफ मार्शल एस. के. कौल	01 अगस्त, 1993 - 31 दिसम्बर, 1995
17. एयर चीफ मार्शल एस. के. सरीन	31 दिसम्बर, 1995 - 31 दिसम्बर, 1998
18. एयर चीफ मार्शल ए. वाई. टिपणीस	31 दिसम्बर, 1998 - 31 दिसम्बर, 2001
19. एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी	31 दिसम्बर, 2001 - 31 दिसम्बर, 2004
20. एयर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी	31 दिसम्बर, 2004 - 31 मार्च, 2007
21. एयर चीफ मार्शल एफ.एच. मेजर	31 मार्च, 2007 - 31 मई, 2009
22. एयर चीफ मार्शल पी.वी. नाइक	31 मई, 2009 - 31 जुलाई, 2011
23. एयर चीफ मार्शल एन.ए.के. ब्राउन	31 जुलाई, 2011 - 31 दिसम्बर, 2013
24. एयर चीफ मार्शल अरुप राहा	01 जनवरी, 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
25. एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ	01 जनवरी, 2017 - 30 सितम्बर, 2019
26. एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया	30 सितम्बर, 2019 - 30 सितम्बर, 2021
27. एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी	01 अक्टूबर, 2021 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2022

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल

नाम	विभाग

श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; और सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया गया हो।

कैबिनेट मंत्री

श्री राजनाथ सिंह	रक्षा मंत्रालय
श्री अमित शाह	गृह मंत्रालय एवं सहकरिता मंत्रालय
श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
श्रीमती निर्मला सीतारमण	वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश मंत्रालय
श्री अर्जुन मुण्डा	जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, एवं वस्त्र मंत्रालय
श्री धमेन्द्र प्रधान	शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
श्री मुख्तार अब्बास नकवी	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
श्री प्रहलाद जोशी	संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय
डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय	भारी उद्योग मंत्रालय
श्री गिरिराज सिंह	ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	जल शक्ति मंत्रालय
श्री नारायण तातू राणे	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

नाम	विभाग
श्री सर्बानन्द सोनोवाल	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय
डॉ. वीरेन्द्र कुमार	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया	नागर विमानन मंत्रालय
श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह	इस्पात मंत्रालय
श्री अश्विनी वैष्णव	रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्री पशुपति कुमार पारस	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री किरेन रिजिजु	विधि और न्याय मंत्रालय
श्री राज कुमार सिंह	बिजली मंत्रालय , नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
डॉ.मनसुख मांडविया	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्री परषोत्तम रुपाला	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री जी. किशन रेडडी	संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री राव इन्द्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
योजना मंत्रालय
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

डॉ. जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जाविभाग मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय

राज्य मंत्री

श्री श्रीपद येस्सो नाईक पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय

श्री प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

श्री अश्वनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

श्री अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय

जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के.सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नागर विमान मंत्रालय

श्री कृष्ण पाल विद्युत मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय

श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय

डॉ. संजीव कुमार बालियान मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय

श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय

प्रो. एस.पी.सिंह बघेल विधि और न्याय मंत्रालय

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

श्री राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सुश्री शोभा करांदलाजे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश वस्त्र मंत्रालय और रेल मंत्रालय

श्री वी. मुरलीधरन विदेश मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय

श्रीमती मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय

श्री सोम प्रकाश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जनजातीय कार्य मंत्रालय

श्री रामेश्वर तेली पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्री कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय

श्री ए. नारायणस्वामी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

श्री कौशल किशोर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

श्री अजय भटट रक्षा मंत्रालय और पयर्टन मंत्रालय

श्री बी.एल.वर्मा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय

श्री अजय कुमार गृह मंत्रालय

श्री देवूसिंह चौहान संचार मंत्रालय

श्री भगवंत खुबा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील पंचायतीराज मंत्रालय

सुश्री प्रतिमा भौमिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

डॉ. सुभाष सरकार शिक्षा मंत्रालय

डॉ. भागवत किशनराव कराड वित्त मंत्रालय

डॉ. राजकुमार रंजन सिंह विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय

डॉ. भारती प्रवीण पवार	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री बिश्वेश्वर टुडु	जनजातीय कार्य मंत्रालय और जलशक्ति मंत्रालय
श्री शांतनु ठाकुर	पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मुंजपरा महेन्द्रभाई	महिला और बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय
श्री जॉन बारला	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
डॉ. एल. मुरुगन	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री निशिथ प्रामाणिक	गृह मंत्रालय और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय

स्रोत : भारत - 2022 (10.12.2021 तक)

उत्तर प्रदेश से लोक सभा के सदस्य

नाम	निर्वाचन क्षेत्र
हाजी फजर्लुरहमान	सहारनपुर
प्रदीप कुमार	कैराना
संजीव कुमार बालियान	मुजफ्फरनगर
मलूक नागर	बिजनौर
गिरीश चन्द्र	नगीना (अ.जा.)
डॉ. एस.टी. हसन	मुरादाबाद
रिक्त	रामपुर
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	सम्भल
कुंवर दानिश अली	अमरोहा
राजेन्द्र अग्रवाल	मेरठ
डॉ. सत्यपाल सिंह	बागपत
विजय कुमार सिंह	गाजियाबाद
डॉ. महेश शर्मा	गौतमबुद्धनगर
भोला सिंह	बुलन्दशहर (अ.जा.)
सतीश कुमार गौतम	अलीगढ़
राजवीर दिलेर	हाथरस (अ.जा.)
हेमा मालिनी	मथुरा
प्रो0 एस.पी. सिंह बघेल	आगरा (अ.जा.)
राजकुमार चाहर	फतेहपुर सीकरी
डॉ. चन्द्र सेन जादौन	फिरोजाबाद
मुलायम सिंह यादव	मैनपुरी
राजवीर सिंह (राजू भैय्या)	एटा
डॉ. संघमित्रा मौर्या	बदायूँ
धर्मेन्द्र कश्यप	आंवला
संतोष कुमार गंगवार	बरेली
फिरोज वरुण गांधी	पीलीभीत
अरुण कुमार सागर	शाहजहाँपुर (अ.जा.)
अजय कुमार	खीरी
रेखा वर्मा	धौरहरा
राजेश वर्मा	सीतापुर
जय प्रकाश	हरदोई (अ.जा.)
अशोक कुमार रावत	मिश्रिख (अ.जा.)
स्वामी साक्षी जी महाराज	उन्नाव
कौशल किशोर	मोहनलालगंज (अ.जा.)
राजनाथ सिंह	लखनऊ
सोनिया गांधी	रायबरेली
स्मृति इरानी	अमेठी
मेनका संजय गांधी	सुल्तानपुर
संगम लाल गुप्ता	प्रतापगढ़
मुकेश राजपूत	फर्रुखाबाद

नाम	निर्वाचन क्षेत्र
डॉ. राम शंकर कठेरिया	इटावा (अ.जा.)
सुब्रत पाठक	कन्नौज
सत्यदेव पचौरी	कानपुर
देवेन्द्र सिंह 'भोले'	अकबरपुर
भानुप्रताप सिंह वर्मा	जालौन (अ.जा.)
अनुराग शर्मा	झाँसी
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	हमीरपुर
आर.के. सिंह पटेल	बांदा
निरंजन ज्योति	फतेहपुर
विनोद कुमार सोनकर	कौशाम्बी (अ.जा.)
केशरी देवी पटेल	फूलपुर
रीता बहुगुणा जोशी	प्रयागराज
उपेन्द्र सिंह रावत	बाराबंकी (अ.जा.)
लल्लू सिंह	अयोध्या
रितेश पाण्डेय	अम्बेडकरनगर
अक्षयवर लाल	बहराइच (अ.जा.)
बृजभूषण शरण सिंह	कैसरगंज
राम शिरोमणि	श्रावस्ती
कीर्तिवर्धन सिंह	गोण्डा
जगदम्बिका पाल	डुमरियागंज
हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी	बस्ती
प्रवीन कुमार निषाद	सन्त कबीर नगर
पंकज चौधरी	महाराजगंज
रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रविकिशन-	गोरखपुर
विजय कुमार दुबे	कुशीनगर
रमापति राम त्रिपाठी	देवरिया
कमलेश पासवान	बांसगांव (अ.जा.)
संगीता आजाद	लालगंज (अ.जा.)
रिक्त	आजमगढ़
अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय	घोसी
रविन्दर	सलेमपुर
वीरेन्द्र सिंह	बलिया
श्याम सिंह यादव	जौनपुर
भोलानाथ (बी.पी. सरोज)	मछलीशहर (अ.जा.)
अफजाल अंसारी	गाजीपुर
डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय	चन्दौली
नरेन्द्र मोदी	वाराणसी
रमेश चन्द्र	भदोही
अनुप्रिया पटेल	मिर्जापुर
पकौड़ी लाल कोल	राबर्ट्सगंज (अ.जा.)

स्रोतः–निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त

उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सदस्य

कार्यकाल : 04 जुलाई 2022 तक

1. श्री सैय्यद जफर इस्लाम
2. श्री अशोक सिद्धार्थ
3. श्री कपिल सिब्बल
4. श्री जय प्रकाश
5. कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि
6. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
7. श्री शिव प्रताप
8. श्री सतीश चन्द्र मिश्र
9. श्री संजय सेठ
10. श्री सुखराम सिंह
11. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

कार्यकाल : 02 अप्रैल 2024 तक

12. श्री अनिल अग्रवाल
13. श्री अनिल कुमार जैन
14. श्री सुधांशु त्रिवेदी
15. श्री अशोक बाजपेयी
16. श्रीमती कान्ता कर्दम
17. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हाराव
18. श्रीमती बच्चन जया अमिताभ
19. श्री विजय पाल सिंह तोमर
20. श्री सकलदीप
21. श्री हरनाथ सिंह यादव

कार्यकाल : 25 नवम्बर 2026 तक

22. श्री अरुण सिंह
23. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
24. श्री नीरज शेखर
25. श्री ब्रजलाल
26. प्रो0 राम गोपाल यादव
27. श्री रामजी
28. श्री बी.एल. वर्मा
29. श्रीमती सीमा
30. श्री हरद्वार दुबे
31. श्री हरदीप सिंह पुरी

स्रोत : निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल

नाम **विभाग**

श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

नियुक्ति, कार्मिक गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व,खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवंऔषधि, प्रशासन, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं सख्या, राज्य कर एवं निबन्धन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन,सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, उ0प्र0 पुनर्गठनसमन्वय,प्रशासनिकसुधार,कार्यक्रम कार्यान्वयन,अवस्थापना,भाषा, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्ध, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षक दल, नागरिक उडडयन, न्याय एवं विधायी विभाग।

श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय एकीकरण।

श्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री

चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।

कैबिनेट मंत्री

श्री सुरेश कुमार खन्ना वित्त, संसदीय कार्य ।

श्री सूर्य प्रताप शाही कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान

श्री स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति, बाढ़ नियंत्रण।

श्रीमती बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार।

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।

श्री जयवीर सिंह पर्यटन एवं संस्कृति

श्री धर्मपाल सिंह पशुधन, दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुसिलम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'' औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0, निवेश प्रोत्साहन

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी पंचायती राज

श्री अनिल राजभर श्रम, सेवायोजन, समन्वय।

श्री जितिन प्रसाद लोक निर्माण

श्री राकेश सचान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग,रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग ।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत ।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय' उच्च शिक्षा,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी।

श्री आशीष पटेल प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप।

श्री संजय निषाद मत्स्य।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री नितिन अग्रवाल आबकारी, मद्य निषेध

श्री कपिलदेव अग्रवाल व्यवसायिक शिक्षा,कौशल विकास

श्री रवीन्द्र जायसवाल स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन।

श्री संदीप सिंह बेसिक शिक्षा ।

श्रीमती गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा

श्री गिरीश चन्द्र यादव खेल , युवा कल्याण।

श्री धर्मवीर प्रजापति कारागार, होमगार्डस।

श्री असीम अरुण समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण।

श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर सहकारिता ।

श्री दयाशंकर सिंह परिवहन।

श्री नरेन्द्र कश्यप पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण।

श्री दिनेश प्रताप सिंह उद्यान, कृषि विपणन,कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात ।

श्री अरुण कुमार सक्सेना वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, जलवायु परिवर्तन।

श्री दयाशंकर मिश्र ''दयालु'' आयुष, खाद्य (एम. ओ. एस.) सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ।

राज्य मंत्री

श्री मयंकेश्वर सिंह संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।

श्री दिनेश खटीक जल शक्ति।

श्री संजीव गोंड समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण।

श्री बलदेव सिंह ओलख कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।

श्री अजीत पाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी।

श्री जसवन्त सैनी संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास।

श्री रामकेश निषाद जल शक्ति।

श्री मनोहरलाल मन्नू कोरी श्रम एवं सेवायोजन।

श्री संजय गंगवार गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।

श्री बृजेश सिंह लोक निर्माण।

श्री के.पी. मलिक वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन।

श्री सुरेश राही कारागार ।

श्री सोमेन्द्र तोमर ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा।

श्री अनूप प्रधान ''वाल्मीकि'' राजस्व।

श्रीमती प्रतिभा शुक्ला महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार।

श्री राकेश राठौर गुरु नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन ।

श्रीमती रजनी तिवारी उच्च शिक्षा।

श्री सतीश शर्मा खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति।

श्री दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।

श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण।

स्रोतः गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश (28 **मार्च**, 2022 तक संशोधित)

उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य

(दिनांक 11 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार)

सदस्य

विधानसभा	निर्वाचित सदस्य
भारतीय जनता पार्टी (255 सदस्य)	
1. गोण्डा	श्री अजय
2. बस्ती	श्री अजय सिंह
3. गाजियाबाद	श्री अजीत पाल त्यागी
4. कानपुर देहात	श्री अजीत सिंह पाल
5. गाजियाबाद	श्री अतुल गर्ग
6. रायबरेली	श्रीमती अदिति सिंह
7. बुलन्दशहर	श्री अनिल कुमार
8. सोनभद्र	डॉ0 अनिल कुमार मौर्य
9. उन्नाव	श्री अनिल कुमार सिंह
10. अलीगढ़	श्री अनिल पाराशर
11. वाराणसी	श्री अनिल राजभर
12. बहराइच	श्रीमती अनुपमा जायसवाल
13. मिर्जापुर	श्री अनुराग सिंह
14. अलीगढ़	श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान बाल्मीकि
15. हाथरस	श्रीमती अंजुला सिंह माहौर
16. कानपुर नगर	श्री अभिजीत सिंह 'सांगा'
17. लखनऊ	श्री अमरेश कुमार
18. मेरठ	श्री अमित अग्रवाल
19. अयोध्या	श्री अमित सिंह चौहान
20. खीरी	श्री अरविन्द गिरि
21. बरेली	डॉ0 अरुण कुमार
22. कन्नौज	श्रीमती अर्चना पाण्डेय
23. हरदोई	श्रीमती अलका सिंह
24. वाराणसी	डा0 अवधेश सिंह
25. रायबरेली	श्री अशोक कुमार
26. बिजनौर	श्री अशोक कुमार राणा
27. कन्नौज	श्री असीम अरुण
28. कुशीनगर	श्री असीम कुमार
29. गोरखपुर	श्री आदित्यनाथ
30. सीतापुर	श्रीमती आशा मौर्य
31. हरदोई	श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'
32. लखनऊ	श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'
33. उन्नाव	श्री आशुतोष शुक्ल
34. बरेली	श्री एस.पी.आर्य
35. बिजनौर	श्री ओम कुमार
36. बांदा	श्रीमती ओममणी वर्मा
37. संतकबीरनगर	श्री अंकुर तिवारी
38. मुजफफरनगर	श्री कपिल देव अग्रवाल
39. सहारनपुर	श्री किरत सिंह
40. बलिया	श्रीमती केतकी सिंह
41. चन्दौली	श्री कैलाश
42. बलरामपुर	श्री कैलाश नाथ
43. कन्नौज	श्री कैलाश राजपूत
44. बागपत	श्री कृष्णपाल मलिक
45. फतेहपुर	श्रीमती कृष्णा पासवान
46. संतकबीरनगर	श्री गणेश चन्द्र
47. जौनपुर	श्री गिरीश चन्द्र यादव
48. औरैया	श्रीमती गुड़िया कठेरिया
49. प्रयागराज	श्री गुरु प्रसाद मौर्य
50. सम्भल	श्रीमती गुलाब देवी
51. जालौन	श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)
52. बुलन्दशहर	श्री चंद्रपाल सिंह
53. शाहजहाँपुर	श्री चेतराम
54. आगरा	श्री छोटे लाल वर्मा
55. लखनऊ	श्रीमती जय देवी
56. पीलीभीत	श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द
57. देवरिया	श्री जय प्रकाश निषाद
58. सिद्धार्थनगर	श्री जय प्रताप सिंह
59. महाराजगंज	श्री जयमंगल
60. मैनपुरी	श्री जयवीर सिंह
61. झांसी	श्री जवाहर लाल राजपूत
62. आगरा	डॉ0 जी.एस. धर्मेश
63. अलीगढ़	श्री ठाकुर जयवीर सिंह
64. बरेली	डॉ0 डी.सी.वर्मा
65. गौतमबुद्धनगर	श्री तेजपाल सिंह नागर
66. बलिया	श्री दयाशंकर सिंह
67. मेरठ	श्री दिनेश
68. बाराबंकी	श्री दिनेश रावत
69. भदोही	श्री दीनानाथ भाष्कर
70. देवरिया	श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका'
71. सहारनपुर	श्री देवेन्द्र कुमार निम
72. कासगंज	श्री देवेन्द्र सिंह
73. बुलन्दशहर	श्री देवेन्द्र सिंह लोधी
74. बरेली	श्री धर्मपाल सिंह
75. आगरा	डॉ0 धर्मपाल सिंह
76. हापुड़	श्री धर्मेश सिंह तोमर
77. गोतमबद्धनगर	श्री धीरेन्द्र सिंह
78. गाजियाबाद	श्री नन्दकिशोर
79. प्रयागराज	श्री नन्दगोपाल गुप्ता 'नन्दी'

80. फर्रुखाबाद — श्री नागेन्द्र सिंह राठौर
81. हरदोई — श्री नितिन अग्रवाल
82. सीतापुर — श्री निर्मल वर्मा
83. लखनऊ — डॉ0 नीरज बोरा
84. वाराणसी — डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी
85. वाराणसी — श्री नील रतन सिंह
86. कानपुर नगर — श्रीमती नीलिमा कटियार
87. उन्नाव — श्री पंकज गुप्ता
88. गौतमबुद्धनगर — श्री पंकज सिंह
89. कुशीनगर — श्री पंचानन्द पाठक (पी.एन.पाठक)
90. बलरामपुर — श्री पल्टूराम
91. प्रयागराज — श्री पीयूष रंजन निषाद
92. आगरा — श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल
93. कानपुर देहात — श्रीमती पूनम संखवार
94. मथुरा — श्री पूरन प्रकाश
95. बांदा — श्री प्रकाश द्विवेदी
96. कानपुर देहात — श्रीमती प्रतिभा शुक्ला
97. गोण्डा — श्री प्रतीक भूषण सिंह
98. बुलन्दशहर — श्री प्रदीप कुमार चौधरी
99. गोरखपुर — श्री प्रदीप शुक्ला
100. गोण्डा — श्री प्रभात कुमार वर्मा
101. हरदोई — श्री प्रभाष कुमार
102. प्रयागराज — श्री प्रवीण पटेल
103. गोण्डा — श्री प्रेम नारायन पाण्डेय
104. फिरोजाबाद — श्री प्रेम पाल सिंह धनगर
105. महाराजगंज — श्री प्रेम सागर पटेल
106. गोरखपुर — श्री फतेह बहादुर
107. उन्नाव — श्री बम्बा लाल
108. रामपुर — श्री बल्देव सिंह औलख
109. पीलीभीत — श्री बाबूराम
110. आगरा — श्री बाबूलाल
111. गोण्डा — श्री बावन सिंह
112. देवरिया — श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम
113. हाथरस — श्री बीरेन्द्र सिंह राणा
114. उन्नाव — श्री बृजेश कुमार
115. आगरा — श्रीमती बेबीरानी मौर्य
116. महोबा — श्री ब्रजभूषण राजपूत
117. लखनऊ — श्री ब्रजेश पाठक
118. सहारनपुर — श्री ब्रिजेश
119. आगरा — श्री भगवान सिंह कुशवाहा
120. सोनभद्र — श्री भूपेश चौबे
121. फिरोजाबाद — श्री मनीष असीजा
122. कुशीनगर — श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू
123. सीतापुर — श्री मनीष रावत
124. हमीरपुर — श्रीमती मनीषा
125. हमीरपुर — डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति
126. ललितपुर — श्री मनोहर लाल
127. गाजियाबाद — डॉ0 मंजू शिवाच
128. अमेठी — श्री मयंकेश्वर शरण सिंह
129. अमरोहा — श्री महेन्द्र
130. गोरखपुर — श्री महेन्द्र पाल सिंह
131. बदायूँ — श्री महेश चन्द्र गुप्ता
132. कानपुर नगर — श्री महेश त्रिवेदी
133. हरदोई — श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह
134. शाहजहाँपुर — श्री मानवेन्द्र सिंह
135. बुलन्दशहर — श्रीमती मीनाक्षी सिंह
136. सहारनपुर — श्री मुकेश चौधरी
137. अलीगढ़ — श्रीमती मुक्ता संजीव राजा
138. जालौन — श्री मूल चन्द्र सिंह
139. मथुरा — श्री मेघश्याम
140. कुशीनगर — श्री मोहन वर्मा
141. खीरी — श्रीमती मंजू त्यागी
142. आगरा — श्री योगेन्द्र उपाध्याय
143. बागपत — श्री योगेश धामा
144. खीरी — श्री योगेश वर्मा
145. लखनऊ — श्री योगेश शुक्ला
146. हरदोई — श्रीमती रजनी तिवारी
147. मिर्जापुर — श्री रत्नाकर मिश्रा
148. गोण्डा — श्री रमापति शास्त्री
149. मिर्जापुर — श्री रमा शंकर सिंह
150. जौनपुर — श्री रमेश चन्द्र मिश्र
151. चन्दौली — श्री रमेश जायसवाल
152. झाँसी — श्री रवि शर्मा
153. वाराणसी — श्री रवीन्द्र जायसवाल
154. अलीगढ़ — श्री रवेन्द्र पाल सिंह
155. महोबा — श्री राकेश कुमार गोस्वामी
156. सीतापुर — श्री राकेश राठौर
157. कानपुर देहात — श्री राकेश सचान
158. बरेली — डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा
159. अलीगढ़ — श्री राजकुमार सहयोगी
160. सुल्तानपुर — श्री राज प्रसाद उपाध्याय
161. रामपुर — श्रीमती राजबाला सिंह
162. प्रयागराज — श्री राजमणि
163. अमरोहा — श्री राजीव कुमार
164. सहारनपुर — श्री राजीव गुम्बर
165. बदायूँ — श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया
166. झाँसी — श्री राजीव सिंह 'पारीक्षा'
167. प्रतापगढ़ — श्री राजेन्द्र कुमार
168. फतेहपुर — श्री राजेन्द्र सिंह पटेल
169. सुल्तानपुर — श्री राजेश कुमार गौतम
170. मथुरा — श्री राजेश चौधरी
171. गोरखपुर — श्री राजेश त्रिपाठी

172. लखनऊ	श्री राजेश्वर सिंह
173. आगरा	श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह
174. सीतापुर	श्री रामकृष्ण भार्गव
175. बांदा	श्री रामकेश निषाद
176. अयोध्या	श्री रामचन्द्र यादव
177. सोनभद्र	श्री राम दुलार
178. मैनपुरी	श्री राम नरेश अग्निहोत्री
179. हरदोई	श्री रामपाल वर्मा
180. बलरामपुर	श्री राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकांत वर्मा
181. श्रावस्ती	श्री राम फेरन
182. मऊ	श्री राम बिलाश चौहान
183. ललितपुर	श्री राम रतन कुशवाहा
184. कानपुर नगर	श्री राहुल बच्चा
185. मुरादाबाद	श्री रितेश कुमार गुप्ता
186. मथुरा	श्री लक्ष्मी नारायण
187. बुलन्दशहर	श्री लक्ष्मीराज
188. खीरी	श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह
189. फतेहपुर	श्री विकास गुप्ता
190. मुजफ्फरनगर	श्री विक्रम सिंह
191. हापुड़	श्री विजयपाल (आढ़ती)
192. गोण्डा	श्री विनय कुमार
193. कुशीनगर	श्री विनय प्रकाश गोंड
194. खीरी	श्री विनोद शंकर अवस्थी
195. सुल्तानपुर	श्री विनोद सिंह
196. एटा	श्री विपिन कुमार डेविड
197. गोरखपुर	श्री विपिन सिंह
198. गोरखपुर	डॉ0 विमलेश पासवान
199. पीलीभीत	श्री विवेक कुमार वर्मा
200. शाहजहाँपुर	श्री वीर विक्रम सिंह
201. एटा	श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी
202. अयोध्या	श्री वेद प्रकाश गुप्ता
203. देवरिया	श्री शलभ मणि त्रिपाठी
204. सीतापुर	श्री शशांक त्रिवेदी
205. खीरी	श्री शशांक वर्मा
206. हरदोई	श्री श्याम प्रकाश
207. बरेली	प्रो0 श्याम बिहारी लाल
208. सिद्धार्थनगर	श्री श्यामधनी राही
209. उन्नाव	श्री श्रीकांत कटियार
210. गोरखपुर	श्री श्रीराम चौहान
211. मथुरा	श्री श्रीकांत शर्मा
212. बाराबंकी	श्री सतीश चन्द्र शर्मा
213. कानपुर नगर	श्री सतीश महाना
214. एटा	श्री सत्यपाल सिंह राठौर
215. देवरिया	श्री सभाकुंवर
216. गोरखपुर	इंजी0 सरवन कुमार निषाद
217. इटावा	श्रीमती सरिता भदैरिया
218. बहराइच	श्रीमती सरोज सोनकर
219. शाहाजहाँपुर	श्रीमती सलोना कुशवाहा
220. बाराबंकी	श्री साकेन्द्र प्रताप
221. प्रयागराज	श्री सिद्धार्थनाथ सिंह
222. सुल्तानपुर	श्री सीताराम वर्मा
223. बिजनौर	श्रीमती सुचि
224. गाजियाबाद	श्री सुनील कुमार शर्मा
225. फर्रुखाबाद	श्री सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर
226. बहराइच	श्री सुभाष त्रिपाठी
227. कुशीनगर	श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा
228. देवरिया	श्री सुरेन्द्र चौरसिया
229. कानपुर नगर	श्री सुरेन्द्र मैथानी
230. अमेठी	श्री सुरेश कुमार
231. शाहजहाँपुर	श्री सुरेश कुमार खन्ना
232. सीतापुर	श्री सुरेश राही
233. बहराइच	श्री सुरेश्वर सिंह
234. बिजनौर	कुंवर सुशांत सिंह
235. फर्रुखाबाद	श्री सुशील कुमार शाक्य
236. चन्दौली	श्री सुशील सिंह
237. देवरिया	श्री सूर्य प्रताप शाही
238. मेरठ	डॉ0 सोमेन्द्र सिंह तोमर
239. वाराणसी	श्री सौरभ श्रीवास्तव
240. खीरी	श्री सौरभ सिंह सोनू
241. बुलन्दशहर	श्री संजय कुमार शर्मा
242. पीलीभीत	श्री संजय सिंह गंगवार
243. बरेली	श्री संजीव अग्रवाल
244. सोनभद्र	श्री संजीव कुमार गोंड
245. एटा	श्री संजीव कुमार दिवाकर
246. अलीगढ़	श्री संदीप कुमार सिंह
247.खीरी	श्री हरविन्द कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी
248. कासगंज	श्री हरिओम
249. शाहजहाँपुर	श्री हरिप्रकाश वर्मा
250. बदायूँ	श्री हरीश चन्द्र
251. हापुड़	श्री हरेन्द्र सिंह
252. प्रयागराज	श्री हर्षवर्धन बाजपेयी
253. वाराणसी	श्री त्रिभुवन राम
254. सीतापुर	श्री ज्ञान तिवारी
255. महाराजगंज	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह

समाजवादी पार्टी (111 सदस्य)

1. आजमगढ़	श्री अखिलेश
2. मैनपुरी	श्री अखिलेश यादव
3. बरेली	श्री अताउर रहमान

4. मेरठ — श्री अतुल प्रधान
5. चित्रकूट — श्री अनिल कुमार अनिल प्रधान
6. सीतापुर — श्री अनिल कुमार वर्मा
7. अयोध्या — श्री अभय सिंह
8. कानपुर नगर — श्री अमिताभ वाजपेयी
9. लखनऊ — श्री अरमान खान
10. अयोध्या — श्री अवधेश प्रसाद
11. बहराइच — श्री आनन्द कुमार यादव
12. आजमगढ़ — श्री आलमबदी
13. बदायूँ — श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू
14. सहारनपुर — श्री आशू मलिक
15. सम्भल — श्री इकबाल महमूद
16. कौशाम्बी — श्री इन्द्रजीत सरोज
17. श्रावस्ती — श्रीमती इन्द्राणी देवी
18. कानपुर नगर — हाजी इरफान सोलंकी
19. सहारनपुर — श्री उमर अली खान
20. फतेहपुर — श्रीमती ऊषा मौर्या
21. गाजीपुर — श्री ओम प्रकाश
22. गाजीपुर — श्री अंकित भारती
23. आजमगढ़ — श्री कमलाकांत राजभर उर्फ पप्पू
24. मुरादाबाद — श्री कमाल अख्तर
25. बस्ती — श्री कविन्द्र चौधरी
26. प्रयागराज — श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)
27. बाराबंकी — श्री गौरव कुमार
28. फतेहपुर — श्री चन्द्र प्रकाश
29. बलिया — श्री जय प्रकाश अंचल
30. भदोही — श्री जाहीद
31. बलिया — श्री जियाउद्दीन रिजवी
32. मुरादाबाद — श्री जियाउर्रहमान
33. गाजीपुर — श्री जैकिशन
34. बिजनौर — श्री तसलीम अहमद
35. जौनपुर — श्री तुफानी सरोज
36. मऊ — श्री दारा सिंह चौहान
37. आजमगढ़ — श्री दुर्गा प्रसाद यादव
38. रायबरेली — श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
39. बाराबंकी — श्री धर्मराज सिंह यादव
40. आजमगढ़ — श्री नफीस अहमद
41. मुरादाबाद — श्री नवाब जान
42. रामपुर — श्री नसीर अहमद खां
43. कासगंज — श्रीमती नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया
44. शामली — श्री नाहिद हसन
45. कौशाम्बी — डॉ0 पल्लवी पटेल
46. सम्भल — श्रीमती पिंकी सिंह
47. आजमगढ़ — श्रीमती पूजा
48. कौशम्बी — श्रीमती पूजा पाल
49. जौनपुर — श्री पंकज
50. मुजफफरनगर — श्री पंकज कुमार मलिक
51. औरैया — श्री प्रदीप कुमार यादव
52. चन्दौली — श्री प्रभू नारायण सिंह यादव
53. बाराबंकी — श्री फरीद महफूज किदवई
54. आजमगढ़ — श्री बेचई
55. मैनपुरी — इंजी0 बृजेश कठेरिया
56. बदायूँ — श्री ब्रजेश यादव
57. रायबरेली — श्री मनोज कुमार पाण्डेय
58. बिजनौर — श्री मनोज कुमार पारस
59. अमरोहा — श्री महबूब अली
60. अमेठी — श्रीमती महाराजी प्रजापति
61. बस्ती — श्री महेन्द्र नाथ यादव
62. सिद्धार्थनगर — श्री माता प्रसाद पाण्डेय
63. बहराइच — श्रीमती मारिया अली
64. फिरोजाबाद — श्री मुकेश वर्मा
65. सुल्तानपुर — श्री मो0 ताहिर खान
66. रामपुर — श्री मोहम्मद आजम खां
67. कानपुर नगर — श्री मोहम्मद हसन (रूमी)
68. मुरादाबाद — श्री मौ0 नासिर
69. रामपुर — श्री मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां
70. मुरादाबाद — श्री मौहम्मद फहीम इरफान
71. मेरठ — श्री रफीक अंसारी
72. आजमगढ़ — श्री रमाकांत यादव
73. लखनऊ — श्री रविदास मेहरोत्रा
74. प्रतापगढ़ — श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर.के. वर्मा
75. अमेठी — श्री राकेश प्रताप सिंह
76. अम्बेडकरनगर — श्री राकेश पाण्डेय
77. जौनपुर — डा0 रागिनी
78. इटावा — श्री राघवेन्द्र कमार सिंह
79. मऊ — श्री राजेन्द्र कुमार
80. बस्ती — श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी
81. अम्बेडकरनगर — श्री राम अचल राजभर
82. बिजनौर — श्री राम अवतार सिंह
83. सम्भल — श्री राम खिलाड़ी सिंह
84. अम्बेडकरनगर — श्री राम मूर्ति वर्मा
85. प्रतापगढ़ — श्री राम सिंह
86. रायबरेली — श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी
87. औरैया — श्रीमती रेखा वर्मा
88. जौनपुर — श्री लकी यादव
89. अम्बेडकरनगर — श्री लालजी वर्मा
90. प्रयागराज — श्रीमती विजमा यादव
91. जालौन — श्री विनोद चतुर्वेदी
92. गाजीपुर — श्री विरेन्द्र कुमार यादव
93. बांदा — श्री विशम्भर सिंह यादव

94. बरेली	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी
95. रायबरेली	श्री श्याम सुन्दर
96. मेरठ	श्री शाहिद मंजूर
97. बलरामपुर	डॉ0 शिव प्रताप यादव
98. इटावा	श्री शिवपाल सिंह यादव
99. अमरोहा	श्री समरपाल सिंह
100.फिरोजाबाद	श्री सचिन यादव
101. बिजनौर	श्री स्वामी ओउमवेश
102. फिरोजाबाद	श्री सर्वेश सिंह
103. गाजीपुर	श्री सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी
104. सिद्धार्थनगर	श्रीमती सैय्यदा खातून
105. आजमगढ़	डॉ0 संग्राम यादव
106. बलिया	श्री संग्राम सिंह
107. प्रयागराज	श्री संदीप सिंह
108. प्रयागराज	श्री हाकिम लाल बिन्द
109. बदायूँ	श्री हिमांशु यादव
110. आजमगढ़	श्री हृदय नारायण सिंह पटेल
111. अम्बेडकरनगर	श्री त्रिभुवन दत्त

अपना दल(सोनेलाल)-12

1. चित्रकूट	श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी
2. जौनपुर	डा0 आर.के.पटेल
3. फतेहपुर	श्री जय कुमार सिंह जैकी
4. प्रतापगढ़	श्री जीत लाल
5. झांसी	डा0 रश्मि आर्य
6. बहराइच	श्री राम निवास वर्मा
7. मिर्जापुर	श्री राहुल प्रकाश कोल
8. प्रयागराज	श्री वाचस्पति
9. सिद्धार्थनगर	श्री विनय वर्मा
10. कानपुर नगर	श्रीमती सरोज कुरील
11. वाराणसी	डा0 सुनील पटेल
12. फर्रुखाबाद	डा0 सुरभी

राष्ट्रीय लोकदल-08

1. बागपत	श्री अजय कुमार
2.मुजफफरनगर	श्री अनिल कुमार
3. शामली	श्री अशरफ अली खान
4. मेरठ	श्री गुलाम मौहम्मद
5. मुजफ्फरनगर	श्री चन्दन चौहान
6. हाथरस	श्री प्रदीप कुमार सिंह
7.शामली	श्री प्रसन्न कुमार
8. मुजफफरनगर	श्री राजपाल सिंह बालियान

निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आमदल-06

1. सन्तकबीरनगर	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी
2. महाराजगंज	श्री ऋषि त्रिपाठी
3. जौनपुर	श्री रमेश
4. मिर्जापुर	डा0 विनोद कुमार बिन्द
5. भदोही	श्री विपुल दुबे
6. कुशीनगर	श्री विवेकानन्द पाण्डेय

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी-06

1. मऊ	श्री अब्बास अंसारी
2. गाजीपुर	श्री ओम प्रकाश राजभर
3. जौनपुर	श्री जगदीश नारायण
4. बस्ती	श्री दूधराम
5. गाजीपुर	श्री बेदी
6. बलिया	श्री हंसु राम

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-02

1. प्रतापगढ़	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
2. महाराजगंज	श्री वीरेन्द्र चौधरी

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी-02

1. प्रतापगढ़	श्री रघुराज प्रताप सिंह
2. प्रतापगढ़	श्री विनोद कुमार

बहुजन समाज पार्टी-01

1. बलिया	श्री उमाशंकर सिंह

उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के सदस्य

कार्यकाल : 26 मई, 2022 तक

1. डॉ. राजपाल कश्यप
2. श्री अरविन्द कुमार सिंह
3. डॉ. संजय लाठर

कार्यकाल : 06 जुलाई, 2022 तक

4. श्री जगजीवन प्रसाद
5. श्री बलराम यादव
6. श्री केशव प्रसाद मौर्य
7. डॉ. कमलेश कुमार पाठक
8. श्री रणविजय सिंह
9. श्री राम सुन्दर दास निषाद 'एडवोकेट'
10. श्री शतरूद्र प्रकाश
11. श्री अतर सिंह राव
12. श्री दिनेश चन्द्रा
13. श्री सुरेश कुमार कश्यप
14. श्री दीपक सिंह
15. श्री भूपेन्द्र सिंह

कार्यकाल : 12 फरवरी, 2023 तक

16. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
17. श्री अरूण पाठक
18. डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त
19. श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी
20. श्री राजबहादुर सिंह चन्देल

कार्यकाल : 05 मई, 2024 तक

21. श्री यशवन्त
22. श्री विजय बहादुर पाठक
23. श्री विद्या सागर सोनकर
24. डॉ. सरोजनी अग्रवाल
25. श्री नरेश चन्द्र उत्तम
26. श्री भीमराव अम्बेडकर
27. श्री आशीष पटेल
28. श्री अशोक कटारिया
29. श्री अशोक धवन
30. श्री बुक्कल नवाब
31. डॉ. महेन्द्र कुमार सिंह
32. श्री मोहसिन रजा

कार्यकाल : 06 दिसम्बर, 2026 तक

33. श्री उमेश द्विवेदी
34. श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
35. श्री श्रीचन्द शर्मा
36. डॉ0 आकाश अग्रवाल
37. डॉ0 हरी सिंह ढिल्लों
38. इंजी0 श्री अवनीश कुमार सिंह
39. श्री आशुतोष सिन्हा
40. डॉ0 मान सिंह यादव
41. डॉ0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, ''गुरू जी''
42. श्री दिनेश कुमार गोयल
43. श्री लाल बिहारी यादव

कार्यकाल : 30 जनवरी, 2027 तक

44. श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह
45. डॉ0 दिनेश शर्मा
46. श्री स्वतंत्र देव
47. श्री लक्ष्मण प्रसाद
48. श्री अरविन्द कुमार शर्मा
49. श्री अश्विनी त्यागी
50. श्री गोविन्द नारायण
51. श्री धर्मवीर सिंह
52. श्री सलिल विश्नोई
53. श्री सुरेन्द्र चौधरी
54. श्री राजेन्द्र चौधरी

कार्यकाल : 26 अक्टूबर, 2027 तक

55. श्री जितिन प्रसाद
56. श्री संजय कुमार निषाद
57. श्री वीरेन्द्र सिंह
58. श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान

कार्यकाल : 12 अप्रैल, 2028 तक

59. श्री सत्यपाल सिंह
60. श्री कुँवर महाराज सिंह
61. श्री वागीश पाठक
62. श्री डॉ0 सुधीर गुप्ता
63. श्री अशोक कुमार
64. श्री अनूप कुमार गुप्ता
65. श्री पवन कुमार सिंह
66. श्री राम चन्द्र प्रधान
67. श्री दिनेश प्रताप सिंह
68. श्री अक्षय प्रताप सिंह
69. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह
70. श्री अंगद कुमार सिंह
71. श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी
72. श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह
73. श्री हरि ओम पाण्डेय
74. श्री सुभाषचन्द्र उर्फ सुभाष यदुवंश
75. श्री सी0पी0 चन्द
76. श्री डॉ0 रतन पाल सिंह
77. श्री विक्रान्त सिंह उर्फ रिशु
78. श्री रविशंकर सिंह ''पप्पू भैया''
79. श्री विशाल सिंह ''चंचल''
80. श्री बृजेश कुमार सिंह ''प्रिन्सू''
81. श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह
82. श्री श्याम नरायन सिंह
83. श्री डॉ0 के0पी0 श्रीवास्तव
84. श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर
85. श्रीमती रमा निरंजन
86. श्री अविनाश सिंह चौहान
87. श्री प्रॉशु दत्त द्विवेदी
88. श्री विजय शिवहरे
89. श्री अशीष कुमार यादव
90. श्री ओम प्रकाश
91. श्री ऋषिपाल सिंह
92. श्री नरेन्द्र सिंह भाटी
93. श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज
94. श्रीमती वन्दना वर्मा

रिक्त- 1- माननीय सदस्य (मा0नेता विरोधी दल) की दिनांक 19 फरवरी, 2022 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरुप दिनांक 20 फरवरी,2022 से रिक्त (उ0प्र0 विधान सभा) 30 जनवरी, 2027

2- माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उ0प्र0

विधानपरिषद की सदस्यता से दिनांक 21 मार्च, 2022 को त्याग-पत्र देने के कारण रिक्त (उ0प्र0विधान सभा) 06. 07.2022 तक कार्यकाल।

3- माननीय सदस्य(ठाकुर जयवीर सिंह) को विधान सभा सदस्य चुने जाने के फलस्वरुप दिनांक 24 मार्च,2022 से उनका स्थान रिक्त है। कार्यकाल दिनांक 05 मई,2024 तक।

4- 03 मनोनीत।

स्रोत : विधान परिषद सचिवालय, उ.प्र. (दिनांक 29 अप्रैल 2022, तक संशोधित)

भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

नाम		वर्ष
1. श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	(1878-1972)	1954
2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	(1888-1975)	1954
3. डॉ. चंद्रशेखर वेंकटरमन	(1888-1970)	1954
4. डॉ. भगवान दास	(1869-1958)	1955
5. डॉ. मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया	(1861-1962)	1955
6. पं. जवाहरलाल नेहरू	(1889-1964)	1955
7. पं. गोविंद बल्लभ पंत	(1887-1961)	1957
8. डॉ. धोंडो केशव कर्वे	(1858-1962)	1958
9. डॉ. बिधानचंद्र रॉय	(1882-1962)	1961
10. श्री पुरुषोत्तम दास टंडन	(1882-1962)	1961
11. डॉ. राजेंद्र प्रसाद	(1884-1963)	1962
12. डॉ. ज़ाकिर हुसैन	(1897-1969)	1963
13. डॉ. पांडुरंग वामन काणे	(1880-1972)	1963
14. श्री लाल बहादुर शास्त्री (मरणोपरांत)	(1904-1966)	1966
15. श्रीमती इंदिरा गांधी	(1917-1984)	1971
16. श्री वराहगिरि वेंकट गिरि	(1894-1980)	1975
17. श्री कुमारास्वामी कामराज (मरणोपरांत)	(1903-1975)	1976
18. मदर मेरी टेरेसा बोजाक्सहियू (मदर टेरेसा)	(1910-1997)	1980
19. आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरांत)	(1895-1982)	1983
20. खान अब्दुल गफ़्फार खाँ	(1890-1988)	1987
21. श्री मरुदुर गोपालन रामचंद्रन (मरणोपरांत)	(1917-1987)	1988
22. डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (मरणोपरांत)	(1891-1956)	1990
23. डॉ. नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला	(1918-2013)	1990
24. श्री राजीव गांधी (मरणोपरांत)	(1944-1991)	1991

	(जन्म-मृत्यु)	
25. सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोपरांत)	(1875-1950)	1991
26. श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई	(1896-1995)	1991
27. मौलाना अबुल कलाम आजाद (मरणोपरांत)	(1888-1958)	1992
28. श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा	(1904-1993)	1992
29. श्री सत्यजीत राय (मरणोपरांत)	(1922-1992)	1992
30. श्री गुलजारी लाल नंदा (मरणोपरांत)	(1898-1998)	1997
31. श्रीमती अरुणा आसफ अली (मरणोपरांत)	(1909-1996)	1997
32. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	(1931-2015)	1997
33. श्रीमती मदुरई शनमुखवादिवु सुब्बालक्ष्मी	(1916-2005)	1998
34. श्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम	(1910-2000)	1998
35. लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत)	(1902-1979)	1999
36. प्रोफेसर अमर्त्य सेन	(जन्म 1933)	1999
37. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरांत)	(1890-1950)	1999
38. पंडित रविशंकर	(1920-2012)	1999
39. सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर	(जन्म 1929)	2001
40. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां	(1916-2006)	2001
41. पं. भीमसेन गुरुराज जोशी	(1922-2011)	2009
42. प्रो. सी.एन.आर. राव	(जन्म 1934)	2014
43. श्री सचिन रमेश तेंदुलकर	(जन्म 1973)	2014
44. पं. मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत)	(1861-1946)	2015
45. श्री अटल बिहारी वाजपेयी	(1924-2018)	2015
46. श्री नानाजी देशमुख (मरणोपरांत)	(1916-2010)	2019
47. डॉ0 भूपेन हजारिका (मरणोपरांत)	(1926-2011)	2019
48. श्री प्रणव मुखर्जी	(1935-2020)	2019

स्रोत : भारत- 2022

नोबेल पुरस्कार विजेता (भारतीय)

रवींद्रनाथ ठाकुर (1861-1941)

रवींद्रनाथ ठाकुर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। 'गुरुदेव' के नाम से प्रसिद्ध रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता में हुआ। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक *'गीतांजलि'* के लिए सन् 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने अनेक प्रेमगीत भी लिखे हैं। *गीतांजलि* और *साधना* उनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध 'गुरुदेव' ने भारत के राष्ट्र गान की भी रचना की। सन् 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

चंद्रशेखर वेंकटरमन (1888-1970)

भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉ0 चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाइक्कावल में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बने। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें 'सर' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग, लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं। उनकी खोज को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। सन् 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या की गई है।

हरगोबिंद खुराना (1922-2011)

हरगोबिन्द खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वर्ष 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डॉ0 खुराना का जन्म पंजाब में रायपुर (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। सन् 1960 में वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। इसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मदर टेरेसा (1910-1997)

मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर का जन्म अलबानिया में स्कोपजे नामक स्थान पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है। उनका बचपन का नाम एग्नस गोंक्सहा बोजाक्सिऊ था। सन् 1928 में वह डाल्विन में आयरलैंड की संस्था 'सिस्टर्स ऑफ लोरेटो' में शामिल हुईं और मिशनरी बनकर सन् 1929 में कोलकाता आ गईं। उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों के दुःख दूर करने का महान व्रत लिया। निर्धनों और बीमारों की सेवा के लिए उन्होंने 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' नाम की संस्था बनाई और भारतीय नागरिक बनकर कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन-दुखियों के लिए 'निर्मल हृदय' नाम की संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। उन्होंने पूरी निष्ठा से न सिर्फ बेसहारा लोगों की निःस्वार्थ

सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी प्रयास जारी रखे। उन्हीं की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक द्वारा शान्ति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त कर सका है।

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर (1910-1995)

भारत में जन्मे इस खगोल भौतिकी विज्ञानी को वर्ष 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में पढ़े सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी. वी. रमन के भतीजे थे। बाद में चंद्रशेखर अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने 'व्हाइट ड्वार्फ' यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला।

अमर्त्य सेन (जन्म 1933)

प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्में यह अर्थशास्त्री लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पारंगत हैं। उन्होंने कल्याण और विकास के पक्षों पर कई पुस्तकें तथा शोध-पत्र लिखे हैं। एक अलग प्रकार के अर्थशास्त्री के रूप में वह मानवतावादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने भुखमरी, गरीबी, लोकतंत्र, लिंग और सामाजिक समस्याओं पर उत्कृष्ट लेखन से अपनी पहचान बनाई। पहले केनेथ ऐरो नाम के अर्थशास्त्री ने असंभाव्यता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और कहा था कि पूर्ण निजी विकल्पों को संपूर्ण समाज के लिए संतोषजनक पसंद बना पाना संभव नहीं है। प्रोफेसर सेन ने दिखाया कि गणितीय आधार पर समाज के कमजोर परिणामों को समाप्त करने के उपाय ढूंढ़े जा सकते हैं।

वेंकटरामन रामकृष्णन (जन्म 1952)

वेंकटरामन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया है। वेंकटरामन तमिलनाडु के चिदंबरम में पैदा हुए थे। उन्होंने वर्ष 1971 में बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें ओहियो विश्वविद्यालय से वर्ष 1971 में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त हुई। उनका झुकाव भौतिकी से जीव विज्ञान की ओर हुआ और उन्होंने वर्ष 1976 से 1978 तक कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान स्नातक विद्यार्थी के रूप में रोडोस्पीन नामक अणु का अध्ययन किया।

कैलाश सत्यार्थी (जन्म 1954)

कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई के लिए वर्ष 2014 का नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा हाई वोल्टेज इन्जीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कैरियर को तिलांजलि देते हुए 'बचपन बचाओ' आन्दोलन की शुरुआत की। उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। यह सभी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एकजुटता का विश्वस्तरीय अभियान था।

अभिजीत विनायक बनर्जी (जन्म 1961)

मुम्बई में जन्मे अर्थशास्त्री अभिजीत विनायक बनर्जी ने 2019 में अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार जीता था। श्री बनर्जी आधे बंगाली और आधे कोंकणी है और कैंब्रिज स्थित मेस्साचुसेट इंस्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपना आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात 1983 में दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। उसके बाद वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गये और 1988 में अर्थशास्त्र में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी ईशर डफ्लो और एक अन्य अमेरिका स्थित अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ दिया गया।

स्रोत : भारत- 2022

प्रमुख राष्ट्रीय पर्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस

दिनांक	दिवस का नाम
जनवरी 10	विश्व हास्य दिवस
जनवरी 12	राष्ट्रीय युवा दिवस
जनवरी 15	थल सेना दिवस
जनवरी 24	उ0प्र0 दिवस
जनवरी 26	गणतंत्र दिवस
जनवरी 30	शहीद दिवस
फरवरी 24	सेंट्रल एक्साइज दिवस
फरवरी 28	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
मार्च 8	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
मार्च 15	विश्व विकलांग दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
मार्च 18	आर्डनेंस फैक्ट्री डे (भारत)
मार्च 21	विश्व वन्य दिवस
मार्च 21	विश्व रंगभेद समाप्ति के लिये दिवस
मार्च 22	विश्व जल दिवस
अप्रैल 5	नेशनल मैरिटाइम डे
अप्रैल 17	वर्ल्ड हीमोफीलिया डे
अप्रैल 18	वर्ल्ड हेरिटेज डे आजाद हिन्द फौज स्थापना दिवस
अप्रैल 21	सेक्रेट्रीज डे
अप्रैल 22	पृथ्वी दिवस
मई 1	श्रमिक दिवस
मई 3	अर्न्तराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस
मई का द्वितीय रविवार	माँ दिवस
मई 8	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड रेड क्रास डे
मई 9	वर्ल्ड थैलेसीमिया डे
मई 11	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
मई 13	इंटर्नेशनल नर्स डे
मई 15	अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस
मई 17	विश्व दूरसंचार दिवस
मई 24	कामनवेल्थ डे
मई 30	पत्रकारिता दिवस
मई 31	एंटी टोबैको डे
जून 4	अबोध बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
जून 5	विश्व पर्यावरण दिवस
जून 20	पिता दिवस
जून 21	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस
जून 26	इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग

दिनांक	दिवस का नाम
जुलाई 11	विश्व जनसंख्या दिवस
जुलाई 22	राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस
जुलाई 28	वन महोत्सव दिवस
अगस्त 1	विश्व स्तन पान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस
अगस्त 6	हिरोशिमा दिवस (विश्व शान्ति दिवस)
अगस्त 9	भारत छोड़ो दिवस, नागासाकी दिवस
अगस्त 15	स्वतंत्रता दिवस
अगस्त 29	राष्ट्रीय खेल दिवस
सितम्बर 2	कोकोनट डे
सितम्बर 5	शिक्षक दिवस, संस्कृत दिवस
सितम्बर 8	विश्व साक्षरता दिवस
सितम्बर 14	हिन्दी दिवस
सितम्बर 16	वर्ल्ड ओजोन डे
सितम्बर 21	अल्जीमर डे, इंजीनियर्स डे
सितम्बर 22	रोज डे, कैंसर मरीज कल्याण दिवस
सितम्बर 27	विश्व पर्यटन दिवस
अक्टूबर 1	अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस
अक्टूबर 2	अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती
अक्टूबर 3	वर्ल्ड हैबिटेट डे
अक्टूबर 4	विश्व जंतु कल्याण दिवस
अक्टूबर 9	वर्ल्ड पोस्ट आफिस डे
अक्टूबर 10	राष्ट्रीय डाक दिवस
अक्टूबर 14	वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे
अक्टूबर 15	दृष्टिहीनों का मार्ग दर्शन दिवस
अक्टूबर 16	विश्व खाद्य दिवस
अक्टूबर 24	संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस
अक्टूबर 30	विश्व मितव्ययता दिवस
नवंबर 9	लीगल सर्विस डे
नवंबर 14	बाल दिवस
दिसंबर 1	विश्व एड्स दिवस
दिसंबर 4	जलसेना दिवस, विश्व विकलांग दिवस
दिसंबर 10	मानव अधिकार दिवस
दिसंबर 18	अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (भारत)
दिसंबर 23	किसान दिवस
दिसंबर 25	क्रिसमस डे

स्रोत : मनोरमा इयर बुक

उ.प्र. विधानसभा की स्थायी समितियाँ

क्रम सं0	समिति का नाम
1.	प्राक्कलन समिति
2.	लोक लेखा समिति
3.	प्रतिनिहित विधायन समिति
4.	याचिका समिति
5	विशेषाधिकार समिति
6.	सरकारी आश्वासन संबंधी समिति
7.	प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति
8.	नियम समिति
9.	कार्य मंत्रणा समिति
10.	आचार समिति
11	प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति
12.	विधान पुस्तकालय समिति
13.	संसदीय शोध संदर्भ एवं अध्ययन समिति
14.	पंचायती राज समिति
15.	संसदीय अनुश्रवण समिति

संयुक्त समितियाँ

16.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति
17.	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति
18.	आवास संबंधी संयुक्त समिति
19.	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति

●

उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2020 में सम्मानित हिन्दी साहित्यकार एवं विद्वान

1. **भारत–भारती सम्मान– रु. 8.00 लाख** (रु. आठ लाख) पाण्डेय शशिभूषण शीतांशु
2. **लोहिया साहित्य सम्मान– रु. 5.00 लाख** (रु. पाँच लाख) डॉ. रामकठिन सिंह
3. **महात्मा गाँधी साहित्य सम्मान– रु. 5.00 लाख** (रु. पाँच लाख) डॉ. महेन्द्र मधुकर
4. **पं. दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान– रु. 5.00 लाख** (रु. पाँच लाख) डॉ. देवेन्द्र दीपक
5. **अवन्तीबाई साहित्य सम्मान– रु. 5.00 लाख** (रु. पाँच लाख) डॉ. सीतेश आलोक
6. **राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन सम्मान– रु. 5.00 लाख** (रु. पाँच लाख) गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, अहमदाबाद
7. **साहित्य भूषण सम्मान– रु. 2.50 लाख** (रु. दो लाख पचास हजार) (1) मो. मूसा खान (2) डॉ. शशि गोयल, (3) डॉ. अरविन्द कुमार राम, (4) श्री दयानन्द जड़िया 'अबोध' (5) डॉ.मंजु शुक्ल, (6) डॉ. शिवाकान्त मिश्र 'विद्रोही', (7) प्रो. हरिमोहन (8) श्री सुधीर विद्यार्थी, (9) डॉ. सुधाकर मिश्र, (10) श्री धीरेन्द्र वर्मा, (11) डॉ. चन्द्रपाल शर्मा, (12) डॉ. ओम प्रकाश शुक्ल 'अमिय', (13) श्री केशवप्रसाद वाजपेयी, (14) डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय 'साहित्येन्दु', (15) श्री बी.एल. गौड़', (16) डॉ. त्रिभुवननाथ शुक्ल, (17) श्री सतीश आर्य, (18) श्री रामकरन मिश्र सैलानी, (19) डॉ. तपेश्वरनाथ, (20) श्री हरीलाल 'मिलन'।
8. **लोक भूषण सम्मान– रु. 2..50 लाख** (रु. दो लाख पचास हजार), डॉ. जयप्रकाश मिश्र
9. **कला भूषण सम्मान– रु. 2.50 लाख** (रु. दो लाख पचास हजार), श्री सुशील कुमार सिंह
10. **विद्या भूषण सम्मान– रु. 2.50 लाख** (रु. दो लाख पचास हजार), श्री गिरीश्वर मिश्र
11. **विज्ञान भूषण सम्मान– रु. 2.50 लाख** (रु. दो लाख पचास हजार), डॉ. दुर्गादत्त ओझा
12. **पत्रकारिता भूषण सम्मान– रु. 2.50 लाख** (रु. दो लाख पचास हजार), श्री रामबहादुर राय
13. **प्रवासी भारतीय हिन्दी भूषण सम्मान– रु. 2.50 लाख** (रु.दो लाख पचास हजार), सुश्री पुष्पिता अवस्थी
14. **हिन्दी विदेश प्रसार सम्मान– रु.2.50 लाख** (रु.दो लाख पचास हजार),श्रीमती रेखा राजवंशी(बंसल)
15. **बाल साहित्य भारती सम्मान– रु. 2.50 लाख** (रु. दो लाख पचास हजार), डॉ. राकेश चक्र, श्री घमंडी लाल अग्रवाल
16. **मधुलिमये साहित्य सम्मान–रु.2.50 लाख**(रु.दो लाख पचास हजार),डॉ.दिलीप सिंह, अमरकंटक
17. **पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान – रु. 2..50 लाख** (रु. दो लाख पचास हजार),श्री सुभाषचंदर
18. **विधि भूषण सम्मान– रु. 2.50 लाख** (रु. दो लाख पचास हजार), सुश्री सन्तोष खन्ना
19. **सौहार्द सम्मान– रु. 2.50 लाख** (रु. दो लाख पचास हजारा), (1) श्रीमती रुनू शर्मा बरुवा (असमिया), (2) डॉ. लक्ष्मीधर दाश, पुरी (ओड़िया), (3) श्री अनीस अन्सारी (उर्दू), (4) डॉ. धरणेन्द्र कुरकुरी,शिरसी (कन्नड़), (5) श्री महाराज कृष्ण संतोषी(कश्मीरी), (6) डॉ. जशभाई नारणभाई पटेल (गुजराती), (7) डॉ. भारत भूषण शर्मा(डोंगरी), (8) डॉ. पी.आर. वासुदेवन 'शेष' (तमिल), (9) डॉ. सुमन लता रुद्रावझला(तेलुगु), (10) श्री राकेश प्रेम (पंजाबी), (11) डॉ. केशव सिंह 'प्रथमवीर' (मराठी), (12) प्रो. डी. तंकप्पन नायर (मलयालम) (13) प्रो. हरिदत्त शर्मा (संस्कृत) (14) श्री सुन्दरदास (सिंधी)
20. **मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान– रु. 1,00,000=00 (रु. एक लाख)** (1) डॉ. गीता सिंह, (2) डॉ. रामकृष्ण ।

ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत उत्तर प्रदेश के प्रमुख रचनाकार

क्र.स.	रचनाकारों के नाम
1.	सुमित्रा नंदन पंत
2.	रघुपति सहाय 'फिराक' गोरखपुरी
3.	सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'
4.	महादेवी वर्मा
5.	नरेश मेहता
6.	अली सरदार जाफरी
7.	कुँवर नारायण
8.	सत्यव्रत शास्त्री
9.	अख़लाक मुहम्मद ख़ान 'शहरयार'
10.	अमरकांत
11.	श्री लाल शुक्ल
12.	केदारनाथ सिंह

यश भारती सम्मान

उ.प्र. के यश भारती सम्मान से सम्मानित महानुभावों का विवरण

क्र. स.	महानुभावों का नाम	सम्मानित वर्ष	विधा
1.	डॉ. हरिवंश राय बच्चन	1994-95	(कवि एवं साहित्यकार)
2.	डॉ. गोपाल दास नीरज	,,	(कवि)
3.	स्व. कैफी आज़मी	,,	(शायर)
4.	श्री मुजफ्फर अली	,,	(फिल्म निर्देशन)
5.	स्व. उस्ताद विस्मिल्ला खां	,,	(शहनाई)
6.	सुश्री गिरिजा देवी	,,	(गायन)
7.	पं. बिरजू महाराज	,,	(कथक)
8.	प्रो. राज बिसारिया	,,	(नाट्य निर्देशन)
9.	स्व. गुलाब बाई	,,	(नौटंकी)
10.	स्व. सितारा देवी	,,	(कथक)
11.	स्व. श्री बी. एम. शाह	,,	(नाट्य निर्देशन)
12.	स्व. श्री फिदा हुसैन नरसी	,,	(फारसी रंगमंच)
13.	स्व. श्री मोहन उप्रेती	,,	(लोक संगीत)
14.	स्व. श्री अवतार सिंह पवार	,,	(मूर्तिकला)
15.	स्व. श्री सतीश चन्द्रा	,,	(चित्रकला)
16.	पं. हरि प्रसाद चौरसिया	,,	(बांसुरी)
17.	स्व. श्री शेख शमशउद्दीन	,,	(जरी कसीदाकारी)

18.	सुश्री रूना बनर्जी	,,	(ग्रामीण महिला उत्थान)
19.	श्री अभिताभ बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
20.	श्रीमती जया बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
21.	मो. शाहिद	,,	(हाकी)
22.	सुश्री बछेन्द्री पाल	,,	(पर्वतारोहण)
23.	मो. ज़फर इकबाल	,,	(हाकी)
24.	श्री जसपाल राणा	,,	(शूटिंग)
25.	श्री राज बब्बर	,,	(फिल्म अभिनय)
26.	श्रीमती नादिरा राज बब्बर	1994-95	(नाट्य निर्देशन)
27.	श्री विशम्भर सिंह	,,	(कुश्ती)
28.	श्री पन्ने लाल यादव	,,	(कुश्ती)
29.	श्री रामाश्रय यादव	,,	(कुश्ती)
30.	स्व. श्री जनार्दन सिंह	,,	(कुश्ती)
31.	स्व. श्री बालेश्वर	,,	(भोजपुरी लोक गायन)
32.	श्रीमती शबाना आज़मी	,,	(फिल्म अभिनय)
33.	श्री मलखान सिंह	,,	(कुश्ती)
34.	श्री सुरेन्द्र पाल	,,	(अभिनय)
35.	सुश्री मिलन सिंह (भदौरिया)	,,	(गायन)
36.	सुश्री वन्दना बाजपेई	,,	(गायन)
37.	श्री शकील अहमद	,,	(हाकी)
38.	श्री रनवीर सिंह	,,	(वालीबाल)
39.	स्व. श्री लाल शुक्ल	2005-06	(साहित्य)
40.	पं. मुरारी लाल शर्मा	,,	(लोकनृत्य लोकगीत)
41.	श्री सुभाष वर्मा	,,	(पहलवानी)
42.	सुश्री काव्या गुप्ता	,,	(तैराकी)
43.	श्री देवेश चौहान	,,	(हाकी)
44.	स्व. गोपाल प्रसाद व्यास	,,	(साहित्य)
45.	स्व. ज्ञान चन्द्र जैन	,,	(पत्रकारिता)
46.	श्री अच्युतानंद मिश्र	,,	(पत्रकारिता)
47.	सुश्री मालिनी अवस्थी	,,	(गायन)
48.	श्री राज कुमार	,,	(पर्वतारोहण)
49.	श्री कुलदीप नैयर	,,	(पत्रकारिता)
50.	श्री सोम ठाकुर	,,	(कवि)
51.	स्व. बिली अर्जन सिंह	,,	(वन्य जीव संरक्षण)
52.	श्री राजपाल यादव	,,	(अभिनय)
53.	श्री जनार्दन सिंह यादव	,,	(कुश्ती)
54.	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	,,	(साहित्य)
55.	श्री चन्द्र विजय सिंह	,,	(कुश्ती)
56.	श्री उदय प्रताप सिंह	2006-07	(कवि)
57.	श्री अभिषेक बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
58.	श्री शीतला सिंह	,,	(पत्रकारिता)
59.	श्री विजय कुमार	,,	(पत्रकारिता साहित्यकार)
60.	डॉ. विवेकी राय	,,	(साहित्यकार)

61.	डॉ. योगेश प्रवीन	,,	(साहित्यकार)
62.	स्व. श्री तालुकेदार यादव	,,	(पहलवान)
63.	श्री राजीव तोमर	,,	(पहलवान)
64.	श्री जगदीश कालीरमन	2006-07	(कुश्ती)
65.	श्री शौकिन्द्र तोमर	,,	(पहलवान)
66.	मोहम्मद कैफ	,,	(खेल)
67.	स्व. कमलेश्वर	,,	(कवि/साहित्यकार)
68.	स्व. डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी	,,	(कवि/साहित्यकार)
69.	स्व. कैलाश गौतम	,,	(कवि/साहित्यकार)
70.	स्व. डॉ. उर्मिलेश	,,	(कवि)
71.	पं. छन्नू लाल मिश्र	2012-13	(गायन)
72.	श्री अंशू तोमर	,,	(कुश्ती)
73.	श्री विवेक गुप्ता	,,	(हाकी)
74.	सुश्री डॉ. सरिता शर्मा	,,	(साहित्यकार)
75.	श्री सुरेश रैना	,,	(क्रिकेट)
76.	श्री नरसिंह यादव	,,	(कुश्ती)
77.	प्रो. सत्यमित्र दुबे	,,	(शिक्षा)
78.	श्री आमिर राजा हुसैन	,,	(शायर)
79.	डॉ. राम कृष्ण राजपूत	,,	(साहित्यकार)
80.	स्व. श्री राजेन्द्र यादव	,,	(साहित्यकार)
81.	श्री अभिजीत भट्टाचार्य	,,	(गायन)
82.	श्री मेवालाल यादव	,,	(कुश्ती)
83.	मो. जावेद अली	,,	(गायन)
84.	स्व. श्री मस्तराम कपूर	,,	(साहित्यकार)
85.	श्री जाहिद हसन वसीम बरेलवी	,,	(शायर)
86.	लोधी मो. शफी खां	2013-14	(साहित्य)
87.	श्री हीरा लाल यादव	,,	(लोक गायन)
88.	डॉ. जगदीश गांधी	,,	(शिक्षा)
89.	श्री देवी प्रसाद पाण्डेय 'अडिग'	,,	(साहित्य)
90.	प्रो. माता प्रसाद त्रिपाठी	,,	(साहित्य)
91.	श्री अशोक कुमार सिंह	,,	(हाकी)
92.	श्री वंश गोपाल यादव	,,	(आल्हा)
93.	श्री अनूप जलोटा	,,	(गायन)
94.	पं. राजन मिश्र एवं साजन मिश्र (संयुक्त)	,,	(शास्त्रीय गायन)
95.	श्री रमेश भइया	,,	(समाज सेवा)
96.	पं. विकास महाराज	,,	(सरोद)
97.	श्री शीतला पाण्डेय उर्फ 'समीर'	,,	(फिल्म गीतकार)
98.	श्री लाल बचन यादव	,,	(कुश्ती)
99.	श्री मुनव्वर अंजार	,,	(जूडो)
100.	सुश्री रेखा भारद्वाज	,,	(सुगम संगीत)
101.	श्री धर्मेन्द्र यादव	,,	(मुक्केबाजी)
102.	श्री भगत सिंह	2013-14	(कुश्ती)
103.	श्री योगेन्द्र सिंह यादव	,,	(सैन्य सेवा)

104. श्री विजय पाल यादव	,,	(कुश्ती)
105. श्री राजेश कुमार यादव	,,	(नौकायन)
106. श्री अभिषेक यादव	,,	(मार्शलआर्ट)
107. सुश्री श्वेता प्रियदर्शनी	,,	(शतरंज)
108. मो. हमीदुल्लाह (हामिद हिन्दी)	2014-15	(साहित्य)
109. प्रो. रीता गांगुली	,,	(उपशास्त्रीय गायन)
110. श्री दर्शन सिंह यादव	,,	(समाज सेवा)
111. प्रो. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री'	,,	(शिक्षा)
112. प्रो. हकीम सैय्यद जिल्लुर्रहमान	,,	(यूनानी चिकित्सा)
113. श्री जयकृष्ण अग्रवाल	,,	(ललित कला)
114. श्री विनोद मेहता	,,	(पत्रकारिता)
115. डॉ. उर्मिल कुमार थपलियाल	,,	(लोक रंगमंच साहित्य)
116. श्री रवीन्द्र जैन	,,	(संगीतकार)
117. श्री योगेश गौड़	,,	(गीतकार)
118. श्री टी. पी. त्रिवेदी	,,	(ज्योतिष विज्ञान)
119. श्री गिरधर लाल मिश्र	,,	(समाज सेवा)
120. श्री राज कुमार वर्मा	,,	(चित्रकार 'माइक्रो पेन्टिंग')
121. डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी	,,	(साहित्य)
122. श्री बुद्धि प्रकाश	,,	(योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)
123. श्री विष्णु यादव	,,	(बिरहा गायन)
124. डॉ. कुमकुम धर	,,	(कथक)
125. श्री विष्णु सक्सेना	,,	(साहित्य)
126. सुश्री शुभा मुदगल	,,	(शास्त्रीय गायन)
127. श्रीकृष्ण कन्हाई व श्री गोविन्द कन्हाई	,,	(स्वर्ण चित्रकार)
128. डॉ. (प्रो.) सी. एस. यादव	,,	(चिकित्सा)
129. श्री राजकुमार	,,	(कुश्ती)
130. डॉ. आर. पी. सिंह	,,	(हाकी एवं फुटबाल)
131. डॉ. राकेश यादव	,,	(चिकित्सा)
132. श्री इफ्तेखार नदीम खान	,,	(कास्ट कला)
133. श्री जसजीत सिंह गिल 'जिम्मी शेरगिल'	,,	(अभिनेता)
134. श्री कैलाश खेर	,,	(सूफी गायन)
135. श्री राहत अली खान साबरी	,,	(ग़ज़ल गीत एवं सूफी गायन)
136. श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी	,,	(अभिनेता)
137. श्री अवनीश कुमार यादव	,,	(वालीबाल)
138. श्रीमती अलका तोमर	,,	(महिला कुश्ती)
139. सुश्री पूनम यादव	,,	(भारोतोलन)
140. सुश्री गीतांजलि शर्मा	2014-15	(नृत्य)
141. श्री खुशबीर सिंह शाद	,,	(शायर)
142. उस्ताद गुलशन भारती	2015-16	(गायन)
143. श्री वजीर अहमद खान	,,	(शतरंज)
144. सुश्री मनु कुमारी पाल	,,	(खेल)
145. मेजर अशोक कुमार सिंह	,,	(नौकायन)
146. श्री नरेन्द्र सिंह राणा	,,	(खेल)

147. श्री चक्रेश कुमार जैन	,,	(हस्तशिल्पी)
148. प्रो. कमला श्रीवास्तव	,,	(लोक संगीत)
149. सुश्री सुधा सिंह	,,	(एथलेटिक्स)
150. डॉ. नवाज देवबन्दी	,,	(शिक्षा)
151. श्रीमती कुमकुम आदर्श	,,	(कथक नृत्य)
152. प्रोफेसर गिरिजा शंकर	,,	(साहित्य)
153. अलीम उल्लाह सिद्दीकी	,,	(चित्रकार)
154. डॉ. सुभाष गुप्ता	,,	(चिकित्सा)
155. श्री अभिन्न श्याम गुप्ता	,,	(खेल)
156. श्री गोपाल चतुर्वेदी	,,	(साहित्य)
157. श्री इकबाल अहमद सिद्दीकी	,,	(ग़ज़ल गायन)
158. डॉ. (ब्रिगे.) टी. प्रभाकर	,,	(चिकित्सा)
159. श्री सर्वेश यादव	,,	(निशानेबाजी)
160. सुश्री स्थवी अस्थाना	,,	(घुड़सवारी)
161. श्री सुनील कुमार राणा	,,	(खेल)
162. श्री सुधीर मिश्रा	,,	(फिल्म निर्देशन)
163. श्री राजू श्रीवास्तव	,,	(हास्य कलाकार)
164. श्री जगबीर सिंह	,,	(हाकी)
165. सुश्री अरूणिमा सिन्हा	,,	(पर्वतारोहण)
166. सुश्री सुरभि रंजन	,,	(गायन)
167. प्रो. रवि कान्त	,,	(चिकित्सा)
168. श्री लाल जी यादव	,,	(कुश्ती)
169. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ'	,,	(अभिनय)
170. श्री अनुज चौधरी	,,	(खेल)
171. श्री अनुराग कश्यप	,,	(फिल्म निर्देशन एवं निर्माण)
172. श्री विजय सिंह चौहान	,,	(एथलेटिक्स)
173. सुश्री नाहिद आबिदी	,,	(साहित्य)
174. उस्ताद गुलाम मुस्तफा खाँ	,,	(गायन)
175. श्रीमती सीमा पुनिया	,,	(एथलेटिक्स)
176. श्री मधुकर त्रिवेदी	,,	(पत्रकारिता/साहित्य)
177. श्री अंकित तिवारी	,,	(गायन)
178. मोहम्मद इमरान खान	2015-16	(कवि/शायर)
179. श्री रूद्र प्रताप सिंह	,,	(क्रिकेट)
180. श्री विशाल भारद्वाज	,,	(फिल्म निर्देशन, निर्माण एवं संगीत निर्देशन)
181. श्री अनवर अहमद (अनवर जलालपुरी)	,,	(साहित्य)
182. श्री हेमन्त शर्मा	,,	(पत्रकारिता)
183. श्रीमती अपर्णा कुमार	,,	(पर्वतारोहण)
184. डॉ. सुनील जोगी	,,	(साहित्य)
185. प्रो. अशोक चक्रधर	,,	(साहित्य)
186. डॉ. नरेश त्रेहन	,,	(चिकित्सा)
187. प्रो. इरफान हबीब	,,	(शिक्षा)
188. बेगम हमीदा हबीबुल्लाह	2016-17	(समाज सेवा)

189. श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी	,,	(साहित्य)
190. सुश्री कमर रहमान	,,	(विज्ञान)
191. डॉ. (श्रीमती) सबीहा अनवर	,,	(साहित्य)
192. सुश्री पद्मा गिडवानी	,,	(गायन)
193. श्री संतोष आनन्द	,,	(फिल्म गीतकार)
194. उस्ताद गुलफाम अहमद	,,	(रबाब वादन)
195. डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी	,,	(अभिनय)
196. श्री केवल कुमार	,,	(संगीत निर्देशन एवं गायन)
197. पं. विश्वनाथ	,,	(शास्त्रीय संगीत)
198. ले. जनरल अनिल चैत	,,	(सैन्य सेवा)
199. डॉ. सैय्यद मुहम्मद हस्सान	,,	(यूनानी चिकित्सा एवं अनुसंधान)
200. श्री राजकृष्ण मिश्र	,,	(साहित्य)
201. श्री सौरभ शुक्ला	,,	(फिल्म निर्देशन/अभिनय)
202. श्री अनुभव सिन्हा	,,	(फिल्म निर्देशन)
203. नवाब जाफर मीर अब्दुल्लाह	,,	(हस्त शिल्पकला एवं संस्कृति)
204. डॉ. रतीश चन्द्र अग्रवाल	,,	(चिकित्सा)
205. श्री राजेन्द्र सिंह	,,	(जल संरक्षण)
206. सुश्री सुमोना चक्रवर्ती	,,	(अभिनय)
207. सुश्री अनुपमा राग	,,	(संगीत निर्देशन/गायन)
208. सुश्री सोनी चौरसिया	,,	(कथक नृत्य)
209. श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय	,,	(क्रिकेट)
210. श्री प्रवीन कुमार	,,	(क्रिकेट)
211. श्री पियूष चावला	,,	(क्रिकेट)
212. श्री भुवनेश्वर कुमार	,,	(क्रिकेट)
213. श्री मनोज मुन्तशिर	,,	(फिल्म गीतकार एवं पटकथा लेखन)
214. प्रो. (डॉ.) गौरदास चौधरी	,,	(चिकित्सा)
215. प्रो. राकेश कपूर	2016-17	(चिकित्सा)
216. डॉ. दीपक कुमार अग्रवाल	,,	(चिकित्सा)
217. डॉ. राम रतन बनर्जी	,,	(चिकित्सा)
218. डॉ. आलोक पारीक	,,	(होम्योपैथी चिकित्सक)
219. शेफ गुलाम मोइनुद्दीन कुरैशी	,,	(पाकशास्त्र)
220. श्री गुलाम शर्फुद्दीन अंसारी उर्फ गुलामन	,,	(निर्यातक एवं उद्योगपति)
221. प्रो. (डॉ.) राम मोहन पाठक	,,	(पत्रकारिता एवं शिक्षण)
222. साबरी बन्धु (आफताब-हाशिम)	,,	(कव्वाली गायन)
223. श्री मोहम्मद असलम वारसी	,,	(सूफी गायन)
224. श्री ओमा उपाध्याय	,,	(ज्योतिष)
225. श्री दीपराज राणा	,,	(फिल्म अभिनय)
226. श्री फारूक अहमद	,,	(समाज सेवा)
227. श्री योगेश मिश्र	,,	(पत्रकारिता)
228. श्री काशीनाथ यादव	,,	(भोजपुरी लोक गायन)
229. श्री वेंकट चंगावली	,,	(समाज सेवा)
230. सुश्री सुमन यादव	,,	(खेल)
231. श्री अर्जुन वाजपेई	,,	(पर्वतारोहण)

232. सुश्री गार्गी यादव	,,	(कुश्ती)
233. श्री राम मिलन यादव	,,	(कुश्ती)
234. डॉ. रमाकान्त यादव	,,	(चिकित्सा)
235. श्री अशोक निगम	,,	
236. श्री आत्म प्रकाश मिश्र	,,	(दूरदर्शन)
237. पं. हरि प्रसाद मिश्र	,,	(ज्योतिष विशेषज्ञ एवं राज पुरोहित)
238. डॉ. शादाब रूदौलवी	,,	(शायर)
239. श्री सर्वेश कुमार अस्थाना	,,	(साहित्य)
240. श्री रवि कपूर	,,	(फोटोग्राफी)
241. डॉ. शिवानी मातनहेलिया	,,	(शास्त्रीय संगीत)
242. पं. राम कुमार मिश्र	,,	(शास्त्रीय संगीत)
243. श्री कमाल खान	,,	(गायन)
244. श्री विजय शेखर शर्मा	,,	(मोबाइल बैंकिंग)
245. श्री माहेश्वर तिवारी	,,	(साहित्य)
246. श्री नूर अलस्सबा	,,	(चित्रकला)
247. उस्ताद नाजिर हुसैन	,,	(शास्त्रीय संगीत)
248. डॉ. सैय्यद मोहम्मद बशीर बद्र	,,	(शायरी)
249. श्री मरिन्दर कुमार मिश्रा	,,	(लेखन)
250. श्री वरूण सिंह भाटी	,,	(पैरा एथलेटिक्स)
251. लेफ्टिनेन्ट जनरल ए. के. सिंह	,,	(सैन्य सेवा)
252. डॉ. मन्सूर हसन	,,	(चिकित्सा)
253. श्री रामेश्वर नाथ मिश्र	2016-17	(समाज सेवा)
254. श्री अतुल तिवारी	,,	(फिल्म/नाट्य लेखन एवं अभिनय के क्षेत्र में)
255. श्री दीन मुहम्मद दीन	,,	(साहित्य)
256. श्री प्रमोद कुमार सिंह चौधरी	,,	(समाज सेवा)
257. सुश्री रचना गोविल	,,	(खेल-शूटिंग)
258. श्री सुहास एल. वाई.	,,	(खेल-बैडमिन्टन)
259. श्री अब्बास रज़ा नैय्यर	,,	(साहित्य)
260. सुश्री अर्चना सतीश	,,	(कला)
261. श्री मुराद अली खान	,,	(खेल-निशानेबाजी)
262. सुश्री शिखा	,,	(दूरदर्शन)
263. श्री ब्रायन साइलस	,,	(पियानो वादन)
264. श्री गौरव खन्ना	,,	(खेल-बैडमिन्टन)
265. सुश्री ऋचा जोशी	,,	(लोक गायन)
266. मो. वसी खान अहमद	,,	(शारीरिक सौष्ठव)
267. मास्टर दविन्दर सिंह	,,	(संगीत)
268. श्री आनन्देश्वर पाण्डेय	,,	(खेल)
269. डॉ. राम सिंह यादव	,,	(लेखन और पत्रकारिता)

●

उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित वेबसाइट्स

Raj Bhawan U.P. (राज भवन उत्तर प्रदेश)	**http://upgovernor.gov.in**
Chief Minister Office (मुख्यमंत्री कार्यालय)	**http://upcmo.up.nic.in**
उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल वेबसाइट	**http://up.gov.in**
Vidhan Sabha (विधान सभा)	**http://uplegisassembly.gov.in**
Vidhan Parishad (विधान परिषद)	**http://upvidhanparishad.nic.in**
NEDA (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत)	**http://upneda.org.in**
Administrative Reforms (प्रशासनिक सुधार)	**http://www.adminreform.upsdc.gov.in**
Agriculture (कृषि)	**http://upagripardarshi.gov.in**
Appointments & Personnel (कार्मिक)	**http://niyuktionline.upsdc.gov.in**
Animal Husbandary (पशुधन)	**http://animalhusb.upsdc.gov.in**
Board of Revenue (राजस्व परिषद)	**http://bor.up.nic.in**
Cane Development (गन्ना विकास)	**http://www.upcane.gov.in**
Commercial Tax (वाणिज्य कर)	**http://comtax.up.nic.in**
Cooperative (सहकारिता)	**http://cooperative.up.nic.in**
Court Cases Monitoring System (न्यायालय विभाग एवं अनुश्रवण)	**http://courtcases.up.nic.in**
Culture (संस्कृति)	**http://upculture.up.nic.in**
Dairy Development (दुग्ध विकास)	**http://updairydevelopment.gov.in**
Dharmarth (धर्मार्थ कार्य)	**http://updharmarthkarya.in**
Election:off.of Chief Electoral officer (निर्वाचनः मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्या.)	**http://ceouttarpradesh.nic.in**
Entertainment Tax (मनोरंजन कर)	**http://etax.up.nic.in**
Environment Information System (पर्यावरण सूचना प्रणाली)	**http://www.upenvis.nic.in**
Estate (राज्य सम्पत्ति)	**http://estate-up.gov.in**
Excise (आबकारी)	**http://www.upexciseonline.in**
U.P. Electronics Corp. Ltd. (यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि.)	**http://www.uplc.in**
Fisheries (मत्स्य)	**http://fisheries.upsdc.gov.in**
Food & Civil Supplies (खाद्य एवं रसद)	**http://fcs.up.gov.in/Foodportal.aspx**
Forest (वन)	**http://upforest.gov.in**
Geology & Mining Directorate (भूतत्व एवं खनिकर्म)	**http://upmines.upsdc/gov.in/**
Ground Water (भू-जल)	**http://upgwd.gov.in**
Handicapped Welfare (विकलांग कल्याण)	**http://uphwd.gov.in**
High Court, Allahabad, U.P. (उच्च न्या०, इलाहाबाद, उ०प्र०)	**http://www.allahabadhighcourt.in**
Home (गृह)	**http://uphome.gov.in**
Home Guards (होम गार्ड्स)	**http://uphaar.up.nic.in**
Horticulture (उद्यान)	**http://uphorticulture.gov.in**
Housing (आवास विकास विभाग)	**http://awas.up.nic.in**

Information & Public Relation (सूचना एवं जनसंपर्क)	**http://information.up.nic.in**
Information Technology & Electronic (सूचना प्रौद्योगिकी)	**http://upite.gov.in**
Infrastructure & Industrial Development (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास)	**http://udyogbandhu.com**
Integrated Child Development (समन्वित बाल विकास)	**http://www.icdsupweb.org**
Irrigation & Flood Control (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण)	**http://idup.gov.in**
Jail Administration (कारागार)	**http://upprison.gov.in**
Khadi & Village Industries (खादी एवं ग्रामोद्योग)	**http://www.upkvib.gov.in**
Labour (श्रम)	**http://uplabour.gov.in**
LandDevelopment & Water Resources (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	**http://upldwr.up.nic.in**
LandRecords (भू-अभिलेख)	**http://upbhulekh.gov.in**
Law (विधायी)	**http://law.up.nic.in**
Lok Ayukta U.P. (लोक आयुक्त उ०प्र०)	**http://lokayukta.up.nic.in**
Mandi Parishad (मण्डी परिषद)	**http://upmandiparishad.upsdc.gov.in**
Medical Education (चिकित्सा एवं शिक्षा)	**http://updgme.in**
Medical Health (चिकित्सा स्वास्थ्य)	**http://up-health.in/hi/**
Minor Irrigation (लघु सिंचाई)	**http://minorirrigationup.gov.in**
Minority Welfare (अल्पसंख्यक कल्याण)	**http://minoritywelfare.up.nic.in**
Nivesh Mitra (निवेश मित्र)	**http://niveshmitra.up.nic.in/**
Panchayati Raj (पंचायती राज)	**http://panchayatiraj.up.nic.in**
Parliamentary Affairs (संसदीय कार्य)	**http://upparliamentaryaffairs.gov.in**
Political Pension (राजनैतिक पेंशन)	**http://politicalpension.up.nic.in**
Program Iplementation (कार्यक्रम क्रियान्वयन)	**http://pid.up.nic.in**
Protocol (प्रोटोकाल)	**protocol.up.nic.in**
Public Enterprise (सार्वजनिक उद्यम)	**http://sarvjanikudyam.up.nic.in**
Public Work Development (लोक निर्माण विभाग)	**http://uppwd.gov.in**
Revenue (राजस्व)	**http://revenue.up.nic.in**
Rural Development (ग्राम्य विकास)	**http://rd.up.nic.in**
Rural Engineering Services (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा)	**http://www.upred.gov.in**
Sarva Shiksha Abhiyan (सर्व शिक्षा अभियान)	**http://www.upefa.com**
Science & Technology (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	**http://www.dstup.gov.in**
Secretariat Administration (सचिवालय प्रशासन)	**http://sadup.gov.in**
Social Welfare (समाज कल्याण)	**http://dirsamajkalyan.in/main.htm**

Sports (खेल)	**http://upsports.gov.in**
Stamp & Registration (स्टाम्प एवं पंजीयन)	**http://igrsup.gov.in**
State Election Commission U.P. (राज्य निर्वाचन आयोग)	**http://sec.up.nic.in**
Uttar pradesh State Information Commission (राज्य सूचना आयोग)	**http://upic.gov.in**
Tourism (पर्यटन)	**http://uptourism.gov.in**
Trade Tax Tribunal (व्यापार कर)	**http://tradetaxtribunal.up.nic.in**
Transport (परिवहन)	**http://www.uptransport.upsdc.gov.in**
Treasuries (कोषागार)	**http://treasuries.up.nic.in**
Uttar Pradesh Budget (उ.प्र. बजट)	**http://budget.up.nic.in**
Uttar Pradesh Police (उ.प्र. पुलिस)	**http://uppolice.gov.in**
Uttar Pradesh State Law Commission, Vidhai (विधायी)	**http://upslc.upsdc.gov.in/**
Vidyut Suraksha (विद्युत सुरक्षा)	**http://vidyutsuraksha.org/**
Women Welfare (महिला कल्याण)	**http://mahilakalyan.up.nic.in**
Uttar Pradesh Rera (उ.प्र. रेरा)	**up-rera.in**
Jansunwai Portal (जनसुनवाई पोर्टल)	**http://jansunwai.up.nic.in**
DefExpo (डेफएक्सपो)	**http://defexpo.gov.in**

●